

वार्षिक योजना 2008-09



सत्यमेव जयते

योजना आयोग
भारत सरकार
नई दिल्ली

Website: www.planningcommission.gov.in

वार्षिक योजना 2008-09

विषय सूची

अध्याय संख्या	शीर्षक	पृष्ठ संख्या
1	समावेशी विकास: अवलोकन एवं कार्यनीति	1-10
2	वृहद् आर्थिक ढांचा	11-17
3	योजना का वित्त पोषण	18-73
	3.1 वित्तीय संसाधन केन्द्र व राज्य	18-51
	3.2 सार्वजनिक क्षेत्रक संसाधनों का आबंटन केन्द्र व राज्य	52-73
4	रोजगार परिदृश्य एवं श्रम नीति	74-82
5	कौशल विकास एवं प्रशिक्षण	83-88
6	सामाजिक न्याय : अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, अन्य कमजोर वर्ग	89-108
7	स्थानिक विकास और क्षेत्रीय असंतुलन	109-115
	7.1 क्षेत्रीय असंतुलन	109-113
	7.2 पूर्वोत्तर क्षेत्र	113-115
8	नवप्रवर्तन व प्रौद्योगिकी	116-139
9	पर्यावरण एवं जलवायु	140-166
	9.1 पर्यावरण	140-145
	9.2 जलवायु परिवर्तन	145-160
	9.3 आपदा प्रबंधन	161-166
10	अभिशासन	167-176
11	उपभोक्ता संरक्षण	177-180
12	अवसंरचना विकास	181-191
13	बाह्य वातावरण : अवसर, चुनौतियां और जोखिम	192-198
14	शिक्षा	199-214
	14.1 प्रारंभिक शिक्षा व साक्षरता	199-204
	14.2 माध्यमिक व व्यावसायिक शिक्षा	204-209
	14.3 उच्चतर व तकनीकी शिक्षा	209-214
15	खेल एवं कला व संस्कृति	215-224

अध्याय संख्या	शीर्षक	पृष्ठ संख्या
	15.1 युवा मामले व खेल	215-220
	15.2 कला व संस्कृति	220-224
16	स्वास्थ्य व परिवार कल्याण	225-258
	16.1 स्वास्थ्य व परिवार कल्याण	225-248
	16.2 आयुष	249-258
17	पोषण एवं सामाजिक सुरक्षा	259-270
	17.1 खाद्य व पोषण सुरक्षा	259-265
	17.2 श्रम कल्याण व सामाजिक सुरक्षा	265-270
18	पेयजल, सफाई व्यवस्था एवं रहने की स्वच्छ दशा	271-277
19	महिला एजेंसी और बाल अधिकारों की ओर	278-283
20	कृषि	284-305
21	जल प्रबंधन और सिंचाई	306-324
22	वन	325-328
23	तीव्रता से गरीबी कम करना	329-340
24	भारत निर्माण एवं महत्वपूर्ण कार्यक्रम	341-353
25	उद्योग और सेवाएं	354-424
	25.1 लघु व मध्यम उद्यमों सहित उद्योग	354-403
	25.2 खनिज	404-424
26	पर्यटन	425-431
27	परिवहन	432-477
28	ऊर्जा	478-518
29	शहरी अवसंरचना, आवास बुनियादी सेवाएं और गरीबी उन्मूलन	519-534
30	संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी	535-564

अध्याय - 1

समावेशी विकास: अवलोकन एवं कार्यनीति

भूमिका

1.1 विकास समावेशी तभी होता है जब वह समाज के प्रत्येक वर्ग को उनकी निजी परिस्थितियों जैसे कि धार्मिक पृष्ठभूमि, शिक्षा, भौगोलिक अवस्थिति, जाति, आदि पर ध्यान दिए बिना समान आधार पर विकास की प्रक्रिया में योगदान करने और उसका लाभ प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। समावेशी विकास में विभिन्न समाजार्थिक समूहों और सुविधावंचित वर्गों पर अधिक फोकस, अधिक रोजगार अवसरों में महत्वपूर्ण सुधारों के द्वारा कार्यान्वित किए जाने वाले विस्तृत संदर्श को शामिल किया गया है। इसका लक्ष्य संधारणीय विकास प्रक्रिया है जो व्यापक आधार वाले लाभों को उत्पन्न करती है और सभी के लिए अवसरों की समानता को सुनिश्चित करती है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना जो 2007-08 से 2011-12 की अवधि तक की है, का लक्ष्य है तीव्र और अधिक समावेशी विकास। यह योजना नीति में उपयुक्त हस्तक्षेपों सहित सभी उत्पादक क्षेत्रों जैसे कि कृषि, उद्योग और सेवाओं में तीव्र विकास को लक्षित करती है।

1.2 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में उल्लिखित समावेशी विकास का मुख्य उद्देश्य उस विकास प्रक्रिया को प्रवर्तित करना है जो लोगों, विशेष रूप से गरीबों, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के जीवन स्तर में व्यापक सुधार सुनिश्चित करती है। सुविधावंचित और अब तक उपेक्षित रहे वर्गों का सशक्तिकरण समावेशी विकास का अनिवार्य घटक है। वास्तविक समावेशी विकास की कार्यनीति सभी विकास क्षेत्रों जैसे कि कृषि, ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, जल आपूर्ति और

सफाई, महिला और बाल विकास, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण आदि को कवर करती है।

1.3 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के विजन में अनेक अन्तःसम्बद्ध घटक शामिल हैं। जैसे - तीव्र विकास, जो गरीबी को कम करता है और रोजगार अवसरों का सृजन करता है, विशेष रूप से गरीबों की स्वास्थ्य और शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए बेहतर डिलीवरी प्रणाली, अवसरों की समानता, शिक्षा और दक्षता के माध्यम से सशक्तिकरण, पर्यावरणीय संधारणीयता, महिला एजेंसी की मान्यता और सुशासन।

27 राष्ट्रीय लक्ष्य

1.4 ग्यारहवीं योजना के तीव्र और समावेशी उद्देश्यों को 27 राष्ट्रीय स्तर के मानीटर करने योग्य समाजार्थिक लक्ष्यों के एक सैट में संक्षेप में रखा गया है। राष्ट्रीय स्तर के ये 27 लक्ष्य छह मुख्य श्रेणियों में आते हैं। छह श्रेणियां हैं-- (क) आय व गरीबी (ख) शिक्षा (ग) स्वास्थ्य (घ) महिलाओं और बच्चों से संबंधित मुद्दे (ङ) अवसंरचना और (च) पर्यावरण। इन श्रेणियों में रखे गए 27 राष्ट्रीय स्तर के लक्ष्य नीचे दिए गए हैं।

आय व गरीबी

(क) जीडीपी की वृद्धि दर को तीव्र करके 8 प्रतिशत से 10 प्रतिशत करना और तत्पश्चात वर्ष 2016-17 तक प्रति व्यक्ति आय को दुगुना करने के उद्देश्य से बारहवीं योजना में इसे 10 प्रतिशत पर बनाए रखना।

- (ख) लाभों के व्यापक प्रसार को सुनिश्चित करने के लिए कृषि जीडीपी वृद्धि दर को 4 प्रतिशत प्रतिवर्ष तक बढ़ाना ।
- (ग) 58 मिलियन नए रोजगार अवसरों का सृजन करना ।
- (घ) शिक्षित लोगों के बीच बेरोजगारी को 5 प्रतिशत से भी कम करना ।
- (ङ) अकुशल श्रमिकों की वास्तविक मजदूरी दर में 20 प्रतिशत की वृद्धि करना ।
- (च) उपभोग्य गरीबी के हैडकाउंट अनुपात को घटाकर 10 प्रतिशतता बिंदुओं तक लाना ।

शिक्षा

- (क) प्राथमिक विद्यालयों से बच्चों के विद्यालय छोड़ने की दर, जो वर्ष 2003-04 में 52.2 प्रतिशत थी, को घटाकर ग्यारहवीं योजना (2011-12) के अंत तक 20 प्रतिशत तक लाना।
- (ख) प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने के न्यूनतम मानक विकसित करना और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नियमित परीक्षण द्वारा शिक्षा की प्रभाविता की मानीटरिंग करना।
- (ग) 7 वर्ष अथवा इससे अधिक उम्र वाले बच्चों की साक्षरता दर में 85 प्रतिशत तक वृद्धि करना।
- (घ) साक्षरता में 10 प्रतिशतता बिंदुओं तक जेंडर अंतराल को घटाना ।
- (ङ) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक (2011-12) उच्च शिक्षा प्राप्त करने वालों के प्रत्येक समूह की प्रतिशतता को वर्तमान 10 प्रतिशत से बढ़ा कर 15 प्रतिशत तक करना

स्वास्थ्य

- (क) शिशु मृत्यु अनुपात (आईएमआर) को 28 तक तथा मातृ मृत्यु अनुपात (एमएमआर)

को प्रति 1000 जीवित जन्मों पर एक तक कम करना ।

- (ख) सम्पूर्ण जनन क्षमता दर को 2.1 तक कम करना।
- (ग) वर्ष 2009 तक सभी को पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना और यह सुनिश्चित करना है कि ग्यारहवीं योजना के अंत तक कोई भी पूर्व स्थिति में न जाए।
- (घ) 0-3 आयु वर्ग के बच्चों के बीच कुपोषण को इसके वर्तमान स्तर से कम करके आधा करना।
- (ङ) ग्यारहवीं योजना के अंत तक (वर्ष 2011-12) महिलाओं और लड़कियों में रक्ताल्पता को इसके वर्तमान स्तर से आधे-स्तर तक कम करना।

महिलाएं और बच्चे

- (क) 0-6 के आयु वर्ग के लिंग अनुपात को 2011-12 तक 935 तक बढ़ाया जाना ।
- (ख) सभी सरकारी स्कूलों के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लाभ के कम से कम 33 प्रतिशत लाभ को महिलाओं और बालिकाओं के लिए सुनिश्चित करना ।
- (ग) यह सुनिश्चित करना कि सभी बच्चे बिना किसी कार्य की अनिवार्यता के एक सुरक्षित बचपन का आनन्द लें ।

अवसंरचना

- (क) 2009 तक सभी गाँवों और बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) परिवारों के लिए बिजली के कनेक्शन और योजना के अंत तक (2011-12) 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना ।
- (ख) 2009 तक 1000 एवं इससे अधिक (पहाड़ी एवं जनजातीय क्षेत्रों में 500) वास-स्थलों को बारहमासी सड़कों से जोड़ना तथा 2015 तक सभी महत्वपूर्ण आवासों की कवरेज को सुनिश्चित करना ।

- (ग) नवम्बर, 2007 तक प्रत्येक गांव को टेलीफोन से जोड़ना और 2012 तक सभी गांवों को ब्राडबैंड सम्पर्कता मुहैया कराना।
- (घ) 2012 तक सभी को आवास हेतु स्थान मुहैया कराना तथा वर्ष 2016-17 तक सभी गरीबों को कवर करने के लिए ग्रामीण गरीबों के लिए गृह निर्माण की गति को बढ़ाना।

पर्यावरण

- (क) 5 प्रतिशतता बिन्दुओं तक वन एवं पेड़ आवरण में वृद्धि करना।
- (ख) 2011-12 तक सभी बड़े शहरों में वायुगुणवत्ता के डब्ल्यूएचओ मानकों को प्राप्त करना।
- (ग) नदी जल को स्वच्छ बनाने के लिए 2011-12 तक शहरों के अपशिष्ट जल का शोधन करना।
- (घ) 2016-17 तक ऊर्जा क्षमता में 20 प्रतिशत तक वृद्धि करना।

13 राज्य विशिष्ट लक्ष्य

1.5 अधिकांश लक्ष्यों, विशेष रूप से सामाजिक क्षेत्रक विकास से संबंधित लक्ष्यों की उपलब्धि में राज्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्योंकि वे कुछेक योजनाओं और कार्यक्रमों को तैयार करने में शामिल होते हैं। राष्ट्रीय लक्ष्यों को पूरा करने से जुड़ी परियोजनाओं और कार्यक्रमों के कुशल और सामयिक कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ग्यारहवीं योजना को इस तरह तैयार किया गया है जिससे 27 राष्ट्रीय लक्ष्यों में से 13 लक्ष्यों को अलग-अलग राज्यों, इनमें से अनेक कार्यक्रमों को क्रियान्वित करते हैं, हेतु उपयुक्त लक्ष्य जिन्हें राज्यों के स्तर पर वर्गीकृत किया गया है, निम्नलिखित हैं-

(1) जीडीपी विकास दर, (2) कृषि विकास दर, (3) कार्य के नए अवसर, (4) गरीबी अनुपात, (5) प्राथमिक विद्यालयों में स्कूल छोड़ने (ड्रॉप आउट) की दर, (6) साक्षरता दर, (7) साक्षरता दर में लिंग

अंतराल, (8) शिशु मृत्यु दर, (9) मातृ मृत्यु दर, (10) कुल जनन क्षमता दर, (11) बाल-कुपोषण, (12) महिलाओं और बालिकाओं में रक्ताल्पता (एनीमिया), (13) लिंग अनुपात।

1.6 केन्द्र और राज्य, दोनों स्तरों पर उपयुक्त नीतियों व कार्यक्रमों की पहचान की गई है ताकि ग्यारहवीं योजना अवधि में इन लक्ष्यों को प्राप्त करना सुनिश्चित किया जा सके।

विकास संभावना

1.7 ग्यारहवीं योजना अवधि (2007-2012) का लक्ष्य योजना हेतु 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष की औसत विकास दर की उपलब्धि और इसकी अवधि के समाप्त होने तक अर्थव्यवस्था को लगभग 10 प्रतिशत के संघारणीय विकास पथ पर रखना है। ग्यारहवीं योजना में अनुमानित क्षेत्रकीय विकास लक्ष्य कृषि क्षेत्रक में 4 प्रतिशत प्रतिवर्ष, उद्योग क्षेत्रक में 10 से 11 प्रतिशत और सेवा क्षेत्रक में 9 से 11 प्रतिवर्ष है।

1.8 योजना में क्षेत्रकीय विकास दर की इस प्रकार संरचना की गई है कि उसका आय के स्तर पर अधिकतम प्रभाव पड़े। प्रति व्यक्ति आय में प्रतिवर्ष लगभग 7.6 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है जो दस वर्ष से भी कम अवधि में दुगुनी हो जाएगी। प्रति व्यक्ति उपभोग में प्रतिवर्ष लगभग 7 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है, जो लगभग दस वर्षों में दुगुनी हो जाएगी। ग्यारहवीं योजना अवधि में वृहद आर्थिक ढांचे में 36.7 प्रतिशत की औसत निवेश दर (अर्थात् जीडीपी के प्रतिशत के रूप में निवेश) की परिकल्पना की गई है जो 34.8 प्रतिशत की घरेलू बचत दर (जीडीपी के प्रतिशत के रूप में बचत) द्वारा समर्थित है।

क्षेत्रकीय मुद्दे

1.9 वार्षिक योजना वर्ष 2008-09 में ग्यारहवीं योजना के लक्ष्यों के अनुरूप तीव्र और समावेशी विकास की परिकल्पना की गई है। बुनियादी

सुविधाओं जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ पेयजल आपूर्ति और सफाई व्यवस्था, तक पहुंच मुहैया कराने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि विभिन्न समाजार्थिक स्कीमों और कार्यक्रमों के लाभ अभिप्रेत लाभभोगियों तक पहुंचें।

कृषि

1.10 प्रधान व्यवसाय के रूप में कृषि में भारत के आधे से अधिक कार्यबल के कार्यरत होने के कारण रोजगार और जीवकोपार्जन में इसका उच्च हिस्सा होने के चलते यह एक महत्वपूर्ण क्षेत्रक बना हुआ है। कृषि का तीव्र विकास अनिवार्य है क्योंकि यह समग्र समाजार्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कृषि का तीव्र विकास न केवल आत्मनिर्भरता के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि लोगों की खाद्य और पोषण सुरक्षा को पूरा करने के लिए भी अनिवार्य है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में आय और सम्पत्ति के वितरण में समानता लाई जा सके और गरीबी को कम करके जीवन स्तर में सुधार किया जा सके।

1.11 हालांकि, हाल के वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में कृषि क्षेत्रक के हिस्से में लगातार गिरावट आ रही है। फिर भी रोजगार में इसका सबसे बड़ा योगदान है। यह कच्ची सामग्री और बहुत से औद्योगिक उत्पादों विशेष रूप से उर्वरकों, कीटनाशकों, कृषि उपकरणों और विभिन्न उपभोक्ता वस्तुओं की मांग का महत्वपूर्ण स्रोत भी है।

1.12 ग्यारहवीं योजना हेतु निर्धारित कृषि वृद्धि का 4 प्रतिशत का लक्ष्य अधिक समावेशिता प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अधिसंख्य गरीब लोग कृषि से अपना जीवकोपार्जन करते हैं। कृषि निष्पादन को तीव्र करने के लिए और योजना की शेष अवधि में इसे संघारणीय बनाए रखने के लिए ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में कई नए उपायों की शुरूआत की गई है। इनमें सिंचित क्षेत्र के विकास की दर को दुगुना करना, जल प्रबंधन में सुधार करना, विभिन्न सिंचाई सुविधाओं का सृजन करना

और पहले से चल रही सुविधाओं में सुधार करना, वर्ष जल संग्रहण और भूजल रीचार्ज और जलसंभर विकास, अवक्रमित - भूमि को कृषि योग्य बनाना और मृदा गुणवत्ता पर ध्यान केन्द्रित करना, प्रभावी विस्तार सेवाओं के माध्यम से ज्ञान अंतराल को पाटना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त उपायों सहित उच्च महत्व की पैदावार की दिशा में विविधता, पशुपालन व मत्स्य पालन को बढ़ावा देना, ऋण तक आसान पहुंच, ग्रामीण सम्पर्कता में सुधार पर फोकस सहित प्रोत्साहन संरचना और बाजारों के कार्यकरण में सुधार करना, शामिल है।

1.13 जिन स्कीमों को ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई है उनमें त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) और त्वरित विद्युत विकास सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) शामिल हैं। भारत निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्यारहवीं योजना में सिंचित क्षेत्र में लगभग 16 मिलियन हेक्टेयर जोड़े जाने की योजना है। ग्यारहवीं योजना में जोड़े गए नए कार्यक्रमों में शामिल हैं—

- 1) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) स्थानीय स्थितियों को ध्यान में रखते हुए जिला स्तरीय कृषि योजनाएं तैयार करने के लिए राज्य सरकारों को प्रोत्साहित करने हेतु शुरू की गई थी। यह कार्यक्रम विभिन्न कन्द्रीय स्कीमों, जो वर्तमान में जिलों में स्वतंत्र रूप से कार्यान्वित की जा रही हैं, के प्रभावी अभिसरण को प्रोत्साहित करता है। जिला विशिष्ट कृषि योजनाओं की तैयारी, जो आरकेवीवाई का घटक है, से स्थानीय फसल उत्पादकता दबावों पर विशेष ध्यान दिए जाने की उम्मीद है।
- 2) खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने के लिए, एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) जिसका लक्ष्य अनाज और दाल उत्पादन क्रमशः 18 मिलियन टन और 2 मिलियन टन बढ़ाना है, शुरू किया गया है,

- 3) विशेष रूप से प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से ग्रामीण सड़कों और राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के माध्यम से ग्रामीण विद्युतीकरण सहित ग्रामीण बुनियादी सुविधाओं में सुधार द्वारा विपणन लिंकेज में सुधार किया जा सकता है।

शिक्षा

1.14 विकास के व्यापक अर्थ में शिक्षा लोगों को दक्षता और ज्ञान द्वारा समर्थ बनाने और भविष्य में उन्हें उत्पादक रोजगार तक पहुंच मुहैया कराने का अतिमहत्वपूर्ण इनपुट है। अतः ग्यारहवीं योजना में तीव्र और समावेशी विकास की उपलब्धि के एक मुख्य उपाय के रूप में शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। सर्वशिक्षा अभियान (एसएसए) और मिडडे मील स्कीम (एमडीएम) जिनका उद्देश्य नामांकन का सार्वजनीकरण और प्रारम्भिक शिक्षा क्षेत्रक में प्रतिधारण (रिटेंशन) हैं, को जारी रखने सहित, योजना में माध्यमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई है। इस संबंध में प्रस्तावित कार्यनीति में शामिल हैं-- उच्च प्राथमिक स्कूलों का माध्यमिक स्कूलों में उन्नयन, मौजूदा माध्यमिक स्कूलों में प्रवेश क्षमता का विस्तार और माध्यमिक स्कूलों में उत्कृष्टता के बैचमार्क के रूप में कार्य करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले माडल स्कूलों की स्थापना करना। इस योजना में प्रयोगशालाओं/पुस्तकालयों और मौजूदा सुविधाओं, अध्यापक और रिहायशी स्कूलों की व्यवस्था भी शामिल है।

1.15 तेजी से बदल रही प्रौद्योगिकी की मांगों और ज्ञान अर्थव्यवस्था के विकास के मद्देनजर, दक्षता विकास ने एक प्रमुख चुनौती प्रस्तुत की है और अभूतपूर्व अवसर उपलब्ध कराए हैं। व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रणाली में प्रतिमान परिवर्तन करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय दक्षता विकास मिशन (एनएसडीएम) स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था की घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पांच से

आठ वर्ष की समय-सीमा के भीतर पर्याप्त प्रशिक्षित और दक्ष कार्यबल का एक पूल मुहैया कराना है। अतः मिशन को सहजीवी संबंधों में सार्वजनिक और निजी, दोनों, क्षेत्रकों को शामिल करना होगा, जहां पारस्परिक सहायता से दोनों पक्षों द्वारा पहलें की जाएंगी।

1.16 ज्ञान समाज की स्थापना की ओर बढ़ने के उद्देश्य से उच्चतर शिक्षा और तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षा के संस्थानों में क्षमता बढ़ाने पर ध्यान केन्द्रित करना महत्वपूर्ण है। विस्तार, समावेशन और सार्वजनिक व्यय को बढ़ाकर समूची उच्चतर और तकनीकी प्रणाली गुणवत्ता में तीव्र सुधार, निजी पहलों को प्रोत्साहित करना और दीर्घकाल से लंबित प्रमुख संस्थागत और नीतिगत सुधार ग्यारहवीं योजना प्रयासों का केन्द्रबिन्दु हैं।

1.17 शिक्षा के क्षेत्र में समावेशिता के उद्देश्य को निम्नलिखित के माध्यम से हासिल किए जाने की योजना है:-- (1) क्षेत्रीय, सामाजिक और लिंग असंतुलनों को घटाना, (2) सीमावर्ती, पहाड़ी, दूरस्थ, छोटे शहरों और शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में अवस्थित संस्थानों को सहायता देना (3) तुलनात्मक रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों, शारीरिक रूप से असमर्थ छात्रों की अधिक संख्या वाले संस्थानों को सहायता, (4) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों, शारीरिक रूप से असमर्थ और बालिकाओं को छात्रवृत्ति / अध्येतावृत्ति, छात्रावास सुविधाओं, सुधारात्मक कोचिंग और अन्य उपायों द्वारा सहायता।

स्वास्थ्य और पोषण

1.18 किसी भी देश में स्वास्थ्य विकास का एक अनिवार्य घटक होता है जो देश के आर्थिक विकास और आंतरिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण हैं। आबादी की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक व्यापक और संधारणीय दृष्टिकोण अपेक्षित है। ग्यारहवीं योजना का लक्ष्य स्वास्थ्य सेवाओं को

वहनीय और पर्याप्त गुणवत्ता वाली बनाना और स्वास्थ्य रक्षा प्रणाली के विभिन्न पहलुओं जैसे कि निवारक, प्रोत्साहक, रोगनाशक, प्रशामक तथा पुनर्स्थापन को सुदृढ़ करना है। लोगों, विशेष रूप से गरीबों, अल्प सुविधा प्राप्त लोगों के अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति के उद्देश्य से इसमें स्वच्छ पेयजल तक पहुंच, सफाई, आहार, स्वास्थ्य विज्ञान और भोजन पद्धतियों पर बल दिया गया है क्योंकि ये लोगों के स्वास्थ्य की स्थिति पर प्रभाव डालते हैं। योजना में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों के अभिसरण और विकास की व्यवस्था की गई है। वहनीय स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच सुनिश्चित करके क्षेत्रों और समुदायों के बीच स्वास्थ्य संबंधी विषमताओं को कम करने को महत्व दिया जाएगा।

1.19 राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) वर्ष 2005 में शुरू किया गया था और ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में जारी है, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की कमजोरियों और समस्याओं का समाधान करता है और स्वास्थ्य प्रणाली एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य और समाज के उपेक्षित वर्गों को समान, वहनीय और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल तक सामान्य पहुंच मुहैया कराना और इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में मुहैया कराई गई स्वास्थ्य देखभाल के अंतरालों को पाटना है।

1.20 ग्यारहवीं योजना में कुपोषण की समस्या के समाधान के लिए अनेक हस्तक्षेप, आहार संबंधी विविधीकरण, पोषक अनुपूरकत्व और सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय, जिसमें बेहतर स्वास्थ्य सफाई और कृमिनाश को शामिल किया है, शुरू किए गए हैं। एकीकृत बाल विकास सेवाएं स्कीम जो बच्चों, गर्भवती महिलाओं और दुग्धपान कराने वाली माताओं को स्वास्थ्य, पोषण और शैक्षणिक सेवाओं का एकीकृत पैकेज मुहैया कराने का प्रयास करती है, का सार्वजनिकरण कर दिया गया है।

जलापूर्ति एवं साफ-सफाई

1.21 सरकार ने सुरक्षित पेयजल और सफाई व्यवस्था तक पहुंच में सुधार के लिए कई कार्यक्रम

शुरू किए हैं। इस संबंध में भारत निर्माण एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसका लक्ष्य कवर न किए गए सभी आवासों, जल गुणवत्ता से प्रभावित आवासों और पूर्व स्थिति में लौटे आवासों को भी पेयजल मुहैया कराना है।

1.22 पेयजल और सफाई तक पहुंच मुहैया कराने की स्कीमें राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं। इन स्कीमों को अधिक प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने में राज्यों को सहायता देने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार (1) त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (एआरडब्ल्यूएसपी) और (2) सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान (टीएससी) के तहत वित्तीय सहायता और तकनीकी मार्गदर्शन मुहैया कराती है। वर्तमान रूप में एआरडब्ल्यूएसपी को राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है और इसका लक्ष्य ग्रामीण पेयजल आपूर्ति की कवरेज को तीव्र करना है। सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान (टीएससी) ग्रामीण क्षेत्रों में साफ-सफाई सुनिश्चित करने का एक व्यापक कार्यक्रम है जिसका व्यापक लक्ष्य खुले में मल त्याग करने की प्रथा का उन्मूलन करना है। सम्पूर्ण शहरी आबादी तक 100 प्रतिशत जल आपूर्ति का प्रावधान जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत शामिल है।

1.23 ग्यारहवीं योजना के लक्ष्य हैं प्रत्येक परिवार का शत प्रतिशत सफाई कवरेज, कम लागत प्रौद्योगिकी विकास और अनुप्रयोग, जागरूकता और स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से मांग सृजन, शतप्रतिशत स्कूल सफाई व्यवस्था कवरेज, छात्रों को प्रोत्साहित करना और गांवों में ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन।

महिला एजेंसी एवं बाल अधिकार

1.24 विकसित हो रही अर्थव्यवस्था में महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान है और बच्चे भविष्य की सम्पत्ति हैं। सही मायने में विकास की समावेशिता के लिए उनके संरक्षण, कल्याण, विकास, सशक्तिकरण और भागीदारी को अनिवार्य रूप से

सुनिश्चित किया जाना चाहिए। ग्यारहवीं योजना में समावेशी विकास के विज़न में महिलाओं और बच्चों की विशिष्ट आवश्यकताओं का ध्यान रखने और उन्हें अवसरों तक समान पहुंच मुहैया कराने की परिकल्पना की गई है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में लिंग समानता की पांच स्तरीय कार्यसूची है। इसमें शामिल हैं (क) आर्थिक सशक्तिकरण (ख) सामाजिक सशक्तिकरण (ग) राजनैतिक सशक्तिकरण (घ) महिलाओं से संबंधित कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए तंत्र को सुदृढ़ करना और (ङ) लिंग अनुपात को मुख्य धारा में लाने के लिए डिलीवरी तंत्र को सुदृढ़ बनाना।

1.25 बच्चों के लिए, ग्यारहवीं योजना में संरक्षण, कल्याण, विकास और भागीदारी के सिद्धांतों पर आधारित अधिकार ढांचे को अपनाया गया है ताकि वे काम, बीमारी और निराशा की वजह से अपना बचपन न खोएं। यह योजना इस सोच पर आधारित है कि सभी बच्चों के अधिकार, इन बच्चों को शामिल करते हुए जो प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना नहीं करते हों, को सभी जगह और हर समय संरक्षित किया जाना चाहिए ताकि वे सामाजिक सुरक्षा जाल से बाहर न चले जाएं। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का विज़न विविध प्रकार की वर्जनाएं और भेदभाव समाप्त करना है जिनका महिलाओं और बच्चों को सामना करना पड़ता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि देश में प्रत्येक महिला और बच्चा अपनी संपूर्ण संभावना को विकसित करने में समर्थ है और आर्थिक विकास और समृद्धि के लाभ प्राप्त करता है। इसकी रूपरेखा राष्ट्रीय महिला नीति 2001 और राष्ट्रीय बाल कार्यवाही योजना, 2005 में पहले से निर्धारित कर दी गई है। इसके अतिरिक्त वर्तमान रूप में एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस) ही एक ऐसा कार्यक्रम है जिसकी पहुंच दूरवर्ती गांवों में रहने वाली महिलाओं और बच्चों तक है। ग्यारहवीं योजना में एकीकृत बाल संरक्षण स्कीम और यौन शोषण के पीड़ित लोगों के लिए राहत और पुनर्वास स्कीम भी शुरूआत की गई है।

सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण

1.26 समावेशी विकास की यह अपेक्षा है कि सरकार द्वारा मुहैया कराई गई सेवाओं तक सभी सामाजिक वर्गों की समान पहुंच हो तथा उर्ध्वमुखी आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन के लिए उन्हें समान अवसर प्राप्त हों। योजना विकास का मूल उद्देश्य प्रतिकूलताग्रस्त और उपेक्षित वर्गों अर्थात् अनुसूचित जाति (एससीज़) अनुसूचित जनजाति (एसटीज़), अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसीज़), अल्पसंख्यकों और महिलाओं का एकीकृत और समावेशी दृष्टिकोण के माध्यम से समाजार्थिक विकास करना है ताकि बिना किसी सामाजिक अथवा राजनैतिक बाधा के उनके कल्याण, उनकी गरिमा और सशक्तिकरण को सुनिश्चित किया जा सके। यह आर्थिक और सामाजिक प्रगति के अवसरों में विस्तार से जुड़ा हुआ है, विशेष रूप से प्रतिकूलताग्रस्त वर्गों से संबंधित व्यक्तियों को अपनी दक्षता विकसित करने और विकास प्रक्रिया में शामिल होने के लिए विशेष अवसर मुहैया कराए जाते हैं।

1.27 ग्यारहवीं योजना में परिकल्पित समावेशी विकास में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी और अल्पसंख्यकों के विकास के मुद्दों का समाधान करने के लिए त्रिआयामी कार्यनीति को अनिवार्य बनाया गया है:- (1) शैक्षिक विकास के माध्यम से सामाजिक सशक्तिकरण (2) रोजगार और आय सृजक कार्यक्रमों को बढ़ावा देकर आर्थिक सशक्तिकरण और (3) संरक्षात्मक कानूनों और सकारात्मक कार्यवाही के प्रभावी कार्यान्वयन के माध्यम से संरक्षण।

1.28 योजना उद्देश्यों की उपलब्धि तभी सुनिश्चित की जा सकती है जब सशक्तिकरण की मात्रा इतनी हो जो भागीदारी की भावना का सृजन करे। अतः प्रतिकूलताग्रस्त और अब तक उपेक्षित वर्गों का सशक्तिकरण समावेशी विकास का अनिवार्य घटक है। पीआरआई स्तर पर प्रजातंत्र के तृतीय स्तर की शुरूआत के साथ भारत की प्रजातांत्रिक व्यवस्था उपेक्षित वर्गों के लिए आरक्षण

सहित सभी वर्गों के सशक्तिकरण और भागीदारी के लिए अवसर मुहैया कराती है। इन संस्थानों को स्थानीय स्तर पर दायित्व सौंपने और शक्तियों के अधिक प्रत्यायोजन के माध्यम से अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है।

गरीबी, आजीविका सुरक्षा और ग्रामीण विकास

1.29 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य गरीबी में निर्णायक कमी करना और विकास प्रक्रिया में समावेशिता के घटक को शामिल करने के लिए आबादी के सभी वर्गों के लिए आर्थिक अवसरों में विस्तार करना है। योजना में पंच वर्ष की अवधि में 10 प्रतिशत बिंदुओं तक गरीबी अनुपात (अर्थात् कुल जनसंख्या को घटाने पर विचार किया गया है। इस उद्देश्य की उपलब्धि के लिए, हाल के वर्षों में ग्रामीण गरीबों की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक और आर्थिक अवसंरचना के सृजन के लिए कई पहलें शुरू की गई हैं।

1.30 अर्थव्यवस्था का तीव्र विकास गरीबी घटाने की अनिवार्य अपेक्षा है क्योंकि विकास अधिकांश लोगों के लिए रोजगार आय में नियमित विस्तार की उपलब्धि का एक उपाय है, जिसका परिणाम गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार के रूप में होता है। औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों में तेजी से रोजगार सृजित करने के लिए विकास को बेहतर ढंग से संतुलित किया जाना चाहिए क्योंकि कृषि से, जिसमें लोग कम उत्पादकता वाले रोजगार में संलग्न हैं, श्रम बल के बड़े भाग को गैर कृषि कार्यकलापों, जो प्रति व्यक्ति उच्च वास्तविक आय मुहैया कराने में सक्षम हैं, की ओर मोड़ना आवश्यक है।

1.31 आय सृजक क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रण सहित आर्थिक विकास बुनियादी न्यूनतम सेवाओं जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा, जल आपूर्ति, सफाई आदि के प्रावधान पर बल सहित गरीबी घटाना कायनीति का मुख्य तत्व रहा है। इस नीति को गरीबी रोधी कार्यक्रमों के माध्यम से गरीबों को सीधे लक्षित

करने के लिए तीसरे तत्व से जोड़ा गया है। ग्रामीण आवासों संबंधी स्कीमों सहित स्वरोजगार तथा मजदूरी रोजगार कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यान्वित किए जा रहे गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के प्रमुख आधार हैं।

1.32 ग्यारहवीं योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक कल्याण और अवसरों को बढ़ाने के लिए अनेक पहलों पर बल दिया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा) जो एक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कम से कम 100 दिनों के मजदूरी रोजगार की गारंटी प्रदान करता है, का लक्ष्य मजदूरी रोजगार के सृजन द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में लोगों की आजीविका सुरक्षा में वृद्धि करना है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीआरवाई) सहायता प्राप्त गरीब परिवारों (स्वरोजगारियों) को सामाजिक जुटाव प्रक्रिया, उनके प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण व आय सृजनक परिसम्पत्तियों के प्रावधान के माध्यम से स्व-सहायता दलों (एसएचजीएस) में संगठित करके गरीबी रेखा से ऊपर लाने का प्रयास करती है। इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) का उद्देश्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के गरीब परिवारों, मुक्त हुए बंधुआ मजदूरों और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे गैर अनुसूचित जाति/गैर अनुसूचित जनजाति व्यक्तियों को मुफ्त आवास मुहैया कराना है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) जिसमें राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन स्कीम (एनओएपीएस) शामिल है, वृद्धावस्था/मुख्य कमाऊ सदस्य की मृत्यु के मामले में गरीब परिवारों को सामाजिक सहायता लाभ मुहैया कराने के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है।

1.33 भारत निर्माण एक कार्ययोजना (बिजनेस प्लान) है जिसका लक्ष्य ग्रामीण अवसंरचना में सुधार करना है। भारत निर्माण के अंतर्गत सिंचाई, ग्रामीण सड़कों, ग्रामीण आवास, ग्रामीण जल आपूर्ति, ग्रामीण विद्युतीकरण और ग्रामीण दूरसंचार सम्पर्कता के क्षेत्रों में कार्रवाई प्रस्तावित है। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना मैदानी भागों में 1000 से अधिक

और पहाड़ी क्षेत्रों में 500 से अधिक की जनसंख्या वाले सभी गांवों को पक्की सड़क मुहैया कराने के लिए है।

गरीबी के मुद्दे

1.34 देश में गरीबी परिदृश्य में दो मुद्दे प्रमुख प्रतीत होते हैं। पहला, गरीबी का दबाव चुनिंदा राज्यों में और अधिक बढ़ता जा रहा है। कुल गरीब जनसंख्या का दो तिहाई छह राज्यों में रहता है। ये राज्य हैं— बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। तथापि, ऐसे अनेक राज्य हैं जो 1973-74 से 2004-05 तक तीन दशकों में गरीबों की सम्पूर्ण संख्या को घटाने में सफल हुए हैं। उनके चारों दक्षिणी राज्य और गुजरात, हरियाणा, पंजाब, पश्चिम बंगाल आदि हैं। दूसरे, गरीबी के स्तर में अंतरराज्यीय विषमता बढ़ रही है। यह विकास को अधिक समावेशी बनाने के लिए ग्यारहवीं योजना में किए गए कई उपायों के महत्व को रेखांकित करता है।

1.35 गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले व्यक्तियों का अनुपात घटा है। लेकिन जनसंख्या में वृद्धि के कारण गरीबों की संख्या में अधिक कमी नहीं हुई है। ग्रामीण गरीबी कृषि श्रम और शिल्पकार परिवारों और शहरी गरीबी के अनियत मजदूर परिवारों में केन्द्रित होने के कारण गरीबों की संरचना में परिवर्तन हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी का प्रसार शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक रहा था। उपेक्षित वर्गों जैसेकि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बीच गरीबी का प्रसार राष्ट्रीय औसत से अधिक रहा था।

डिलीवरी मैकेनिज्म

1.36 समावेशी विकास का विजन, गरीबी घटाना और विभिन्न अंतरों को पाटना, जो हमारे समाज को लगातार बांट रहे हैं, तभी प्राप्त किया जा सकता है जब अभिशासन की गुणवत्ता, जिसे एक ओर व्यक्तियों और कार्य व्यापार और दूसरी ओर सरकार के बीच सहक्रिया के सभी पहलुओं को

कवर करने के लिए व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है, में महत्वपूर्ण सुधार हो।

1.37 अच्छे अभिशासन की मुख्य विशेषता जनसंख्या के सभी वर्गों की प्रभावी भागीदारी सहित उचित तरीके से विभिन्न स्तरों पर सरकार को चुनने का संरक्षित अधिकार है। विशेष रूप से पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआईज़), शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबीज़) के माध्यम से लोगों की सुधरी हुई भागीदारी, विकास भागीदारों के रूप में एनजीओज़ और नागरिक समाज संगठनों की भागीदारी अच्छे अभिशासन का अभिन्न अंग है। सभी स्तरों पर सरकार को उत्तरदायी और पारदर्शी होना चाहिए। उत्तरदायित्व से दृढ़ता से जुड़ना, भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए आवश्यक है जिसे व्यापक तौर पर अभिशासन की प्रमुख कमी के रूप में देखा जाता है। जवाबदेही को सुनिश्चित करने और पारदर्शिता को संभव बनाने, दोनों ही के लिए पारदर्शिता महत्वपूर्ण है।

1.38 निवेश बढ़ाने और नए रोजगार अवसरों के सृजन के लिए निजी क्षेत्रक पर निर्भरता अधिक है। इसके लिए व्यापार के अनुकूल वातावरण सृजित करना, व्यापार शुरू करने और उससे निकलना संभव बनाना और विश्व मानकों से मेल खाती हुई कुशलता को बढ़ावा देना अपेक्षित है। स्वैच्छिक संगठन, जो सरकारी प्रणालियों पर प्रहरी के रूप में कार्य कर रहे हैं और सामूहिक पहलों को सुदृढ़ कर रहे हैं, को नागरिक पहलें विकसित करने के पर्याप्त अवसर देना महत्वपूर्ण है। पूरी पारदर्शिता का आश्वासन दिए जाने पर ही यह किया जा सकता है। अंत में, भ्रष्टाचार से निपटना आवश्यक है जो शासन की गुणवत्ता से संबंधित शिकायत का प्रमुख स्रोत माना जाता है।

1.39 योजना व्यय का बहुत बड़ा हिस्सा गरीबी के तीव्रता से उन्मूलन और विभिन्न सेवाओं, जो अधिकांश स्थानीय सरकार के कार्यों के कार्य क्षेत्र में है, की प्रदानगी के लिए विकास कार्यक्रमों और स्कीमों हेतु है। इनमें से कुछेक राज्य क्षेत्रक स्कीमों हैं और अन्य केन्द्र प्रायोजित स्कीमों हैं, जो केन्द्रीय

बजट में है, लेकिन उन क्षेत्रों से संबंधित है जो राज्यों के कार्यक्षेत्र में हैं। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि परिणाम निवेश के अनुरूप हों। इन स्कीमों के कार्यान्वयन में व्यापक सुधार आवश्यक है। चूंकि ग्यारहवीं योजना में कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश को पर्याप्त रूप से बढ़ाया गया है, व्यय की गुणवत्ता की मानीटरिंग करना प्रमुख सरोकार है।

1.40 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में समावेशी विकास का विचार तर्कसंगत वृहद् आर्थिक नीतियों पर आधारित है, जो तीव्र विकास की पूर्व शर्तें

निर्धारित करता है और इस विकास के प्रमुख उपायों की पुष्टि करता है। इसमें क्षेत्रक विशिष्ट नीतियां शामिल हैं जो सृजित होने वाली विकास की संरचना को सुनिश्चित करती हैं और इसके साथ जुड़ा संस्थागत वातावरण इसके बहुसंख्यक सभी आयामों में समावेशिता को प्राप्त करता है। एक ऐसी विकास प्रक्रिया की शुरुआत, जो विशेष रूप से गरीबों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार को सुनिश्चित करती है, को समावेशी विकास के नाम से जाना जाता है।

अध्याय-2

वृहद-आर्थिक ढांचा

अर्थव्यवस्था का निष्पादन

2.1 दसवीं योजना अवधि (2002-03 से 2006-07) में कारक लागत (1999-2000 की स्थिर कीमतों) पर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) द्वारा मापित भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर बढ़कर संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) की 7.8% हो गई। दसवीं योजना में प्राप्त की गई वृद्धि दर अभी तक किसी भी योजना में प्राप्त वृद्धि दर से अधिक है। इसके अतिरिक्त, दसवीं योजना अवधि के भीतर भी तीव्रता देखी गई और दसवीं योजना के अंतिम 4 वर्षों (2003-04 से 2006-07) में औसतन 8.7% की वृद्धि हुई, जिसने भारत को विश्व की तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना दिया। तालिका 2.1 में दसवीं योजना के दौरान और ग्यारहवीं योजना के प्रथम वर्ष में कारक लागतों और बाजार कीमतों पर जीडीपी वृद्धि दर को दर्शाया गया है। बाजार कीमतों पर जीडीपी में कारक लागत पर जीडीपी के अतिरिक्त निवल अप्रत्यक्ष कर(अप्रत्यक्ष कर निवल सब्सिडीज़) शामिल हैं।

क्षेत्रकीय वृद्धि

2.2 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना(2007-12) में कृषि क्षेत्रक में प्रतिवर्ष 4%, औद्योगिक क्षेत्रक में प्रतिवर्ष 10-11% और सेवा क्षेत्रक में प्रतिवर्ष 9 से 11% की लक्षित वृद्धि दर सहित, औसतन 9% वृद्धि दर प्राप्त करने का लक्ष्य है। ग्यारहवीं योजना(2007-08) के प्रथम वर्ष के दौरान कृषि में

4.9%, उद्योग में 8.1% और सेवाओं में 10.9% की वृद्धि सहित जीडीपी की वृद्धि दर 9% होने का अनुमान लगाया गया है। वर्ष 2007-08 की वृद्धि दर आशा के अनुरूप रही है। तालिका 2.2 अर्थव्यवस्था का क्षेत्रकीय वृद्धि निष्पादन दर्शाती है।

तालिका 2.2 - क्षेत्रकीय वृद्धि दर(% में)
(कारक लागत पर, 1999-2000 कीमतें)

वर्ष	कृषि	उद्योग	सेवाएं	जीडीपी
दसवीं योजना लक्ष्य	4.0	8.9	9.3	7.9
दसवीं योजना (उपलब्धि)	2.3	9.1	9.3	7.8
ग्यारहवीं योजना (लक्ष्य)	4.0	10-11	9-11	9.0
2007-08 (क्यू ई)	4.9	8.1	10.8	9.0

क्यूई-त्वरित अनुमान

2.3 नौवीं योजना अवधि में कृषि क्षेत्रक में कम वृद्धि दर दर्ज की गई और यह दसवीं योजना में भी जारी रही, तथापि, दसवीं योजना के अंतिम दो वर्षों और ग्यारहवीं योजना के प्रथम वर्ष में कृषि क्षेत्रक के निष्पादन में सुधार हुआ और वृद्धि दर औसतन 4% से अधिक हो गई। ग्यारहवीं योजना के प्रथम वर्ष में कृषि क्षेत्रक में 4.9% की उच्च वृद्धि दर दर्ज की गई। दसवीं योजना के दौरान औद्योगिक क्षेत्रक का वृद्धि निष्पादन लक्ष्य से आगे निकल गया। वर्ष 2007-08 में औद्योगिक क्षेत्रक की वृद्धि दर लक्ष्य

तालिका 2.1 कारक लागत पर जीडीपी की वृद्धि दर और बाजार कीमतों पर जीडीपी(%)

वर्ष	कारक लागत पर जीडीपी	बाजार कीमतों पर जीडीपी
दसवीं योजना लक्ष्य	7.9	8.1
दसवीं योजना उपलब्धि	7.8	7.9
ग्यारहवीं योजना लक्ष्य	9.0	9.0
2007-08	9.0	9.1

की तुलना में कम थी। सेवा क्षेत्रक ने दसवीं योजना के दौरान तथा ग्यारहवीं योजना के प्रथम वर्ष में भी समानरूपी निष्पादन का प्रदर्शन किया है और यह योजना लक्ष्यों के अनुरूप है।

2.4 अर्थव्यवस्था में कुल वृद्धि दर में पर्याप्त अन्तःक्षेत्रकीय विभिन्नताएं हैं जो संलग्नक-1 में देखी जा सकती हैं। दसवीं योजना (2002-03 से 2006-07) के दौरान वे राज्य/संघ राज्य जिन्होंने राष्ट्रीय औसत से तीव्र विकास किया है, गोवा, गुजरात, हरियाणा, बिहार, केरल, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, सिक्किम, उड़ीसा और उत्तराखंड हैं। संलग्नक -1 में दसवीं योजना के दौरान राज्य-वार वृद्धि निष्पादन, ग्यारहवीं योजना हेतु राज्य-वार वृद्धि लक्ष्य और नवीनतम उपलब्ध सांख्यिकी के अनुसार विशिष्ट राज्यों की वार्षिक वृद्धि (2007-08) दर दी गई है।

बचतें और निवेश दर

2.5 दसवीं योजना में प्राप्त की गई उच्च वृद्धि दर घरेलू बचतों और निवेश दर में तीव्रता के साथ जुड़ी हुई है। जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में बचत और निवेश दोनों में दसवीं योजना अवधि में लगातार वृद्धि हुई है। यह नौवीं योजना के दौरान 23.6% और 24.3% से बढ़कर क्रमशः 31.54% और 31.46% हो गई। ग्यारहवीं योजना में 4.1 के वर्धनीय पूंजी आउटपुट अनुपात (आईसीओआर) सहित 36.7% की निवेश दर की परिकल्पना की गई है। इस निवेश दर से ग्यारहवीं योजना में 9% का वृद्धि लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। दसवीं योजना (2006-07) के अंतिम वर्ष और ग्यारहवीं योजना (2007-08) के प्रथम वर्ष में प्राप्त की गई निवेश दर पहले ही लक्ष्य से आगे निकल गई है। हाल ही की बचतें और निवेश दरें तालिका 2.3 में दी गई हैं।

बचतों की संरचना

2.6 सकल घरेलू बचतों (जीडीएस) को सार्वजनिक और निजी बचतों में विभाजित किया

गया है। सार्वजनिक बचतों में सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों की बचतें शामिल हैं। निजी बचतों में परिवारों द्वारा किए गए सीधे निवेश, और कार्पोरेट क्षेत्रक बचतों सहित घरेलू बचतें शामिल हैं। बचतों में मुख्य योगदानकर्ता के रूप में घरेलू क्षेत्रक शामिल है। सार्वजनिक बचतों में वृद्धि मुख्य रूप में घरेलू क्षेत्रक शामिल है। सार्वजनिक बचतों में वृद्धि मुख्य रूप से गैर-विभागीय उद्यमों, विभागीय उद्यमों की बचतों में लघु वृद्धि और सरकारी प्रशासन के व्यय में महत्वपूर्ण कमी के कारण हुई है। तालिका 2.4 में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रकों के संबंध में बचतों की संरचना दी गई है।

तालिका 2.3 - बचतें और निवेश दर
(जीडीपी के % के रूप में)

वर्ष	बचत दर	निवेश दर
नौवीं योजना	23.6	24.3
दसवीं योजना(औसत)	31.54	31.46
ग्यारहवीं योजना-लक्ष्य	34.8	36.7
2006-07	35.7	36.9
2007-08(क्यू ई)	37.7	39.1

क्यू ई - त्वरित अनुमान

तालिका 2.4- बचतों की संरचना
(जीडीपी के % के रूप में)

वर्ष	घरेलू क्षेत्रक	निजी निगमित क्षेत्रक	सार्वजनिक क्षेत्रक	जीडीएस
2004-05	21.6	7.1	2.4	31.1
2005-06	24.1	7.7	2.4	34.2
2006-07	24.1	8.3	3.3	35.7
2007-08(QE)	24.3	8.8	4.5	37.7

क्यूई: त्वरित अनुमान

2.7 हाल के वर्षों में निगम बचतों में विशेष रूप से उछाल रहा है जो निजी क्षेत्रक के विशेष आउटपुट और वित्तीय निष्पादन को परिलक्षित करता है। यह वृद्धि लाभ अर्जन और इसके बाद में बने रहने को परिलक्षित करती है। तथापि, वैश्विक

आर्थिक दृष्टिकोण और निष्पादन में परिवर्तन के कारण आने वाले वर्ष में निजी निगमित क्षेत्रक की बचतों की दर में मंदी के संकेत दिखाई पड़ सकते हैं।

2.8 एफआरबीएम अधिनियम के कार्यान्वयन और वर्ष 2008-09 के लिए उसमें अपनाए गए राजकोषीय और राजस्व घाटा लक्ष्यों ने राजकोषीय अनुशासन के एक तत्व की शुरुआत करने में सहायता की है। उच्च वृद्धि दर जो कर प्रशासन में सुधारों के साथ जुड़ी हुई है, से उत्पन्न होने वाले कर प्रशासन के उछाल ने सुधरी हुई सरकारी बचतों में योगदान दिया है। तालिका 2.5 सार्वजनिक क्षेत्रक बचतों की संरचना को दर्शाती है।

तालिका 2.5 - सार्वजनिक क्षेत्रक की बचत
(जीडीपी के % रूप में)

वर्ष	सरकारी प्रशासन	सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम	कुल सार्वजनिक क्षेत्रक
आठवीं योजना	-0.9	3.0	2.1
नौवीं योजना	-4.1	3.3	-0.8
दसवीं योजना	-2.2	4.1	1.9
ग्यारहवीं योजना(लक्ष्य)	0.5	4.0	4.5

निवेश की संरचना

2.9 हाल ही में सम्पूर्ण निवेश में सार्वजनिक और निजी निवेश के तुलनात्मक हिस्सों में परिवर्तन हुआ है जो अर्थव्यवस्था के निवेश व्यवहार में संरचनात्मक परिवर्तन को निर्दिष्ट करता है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक के बीच निवेश की संरचना का निजी निवेश के पक्ष में अंतरण हुआ है। कुल निवेश में सार्वजनिक क्षेत्रक निवेश का हिस्सा, जो वर्ष 1992-97 में 34.7% था, वर्ष 1997-2002 में घट कर 29% रह गया और दसवीं योजना (वर्ष 2002-07) के दौरान और घट कर 22.3% हो गया। ग्यारहवीं योजना में दसवीं योजना के ही हिस्सों के प्रतिधारण का विचार किया गया

है। तालिका 2.6 कुल निवेश और सार्वजनिक निवेश दरों को दर्शाती है।

तालिका 2.6 निवेश की संरचना

वर्ष	कुल निवेश	निजी निवेश	सार्वजनिक निवेश	सार्वजनिक निवेश(कुल निवेश के % के रूप में)
	(जीडीपी का %)			
आठवीं योजना (1992-97)	24.4	15.9	8.5	34.7
नौवीं योजना (1997-2002)	24.3	17.3	7.0	29.0
दसवीं योजना (2002-07)	34.2	26.6	7.6	22.3
ग्यारहवीं योजना (लक्ष्य) (2007-12)	36.7	28.7	8.0	21.9
2007-08 (क्यूई)	39.1	30.0	9.0	23.2

क्यूई - त्वरित अनुमान

2.10 सकल निवेश में वृद्धि निजी निवेश, विशेष रूप से निजी निगमित क्षेत्रक निवेश द्वारा संचालित रही है। यह मुख्य रूप से नब्बे के दशक में शुरू किए गए सुधारों के प्रभाव का प्रतिबिंब है जिसने निजी निवेश पर प्रतिबंधों को घटाकर अधिक अनुकूल निवेश वातावरण सृजित किया था।

वित्तीय परिदृश्य

2.11 एफआरबीएम द्वारा संस्तुत वित्तीय पुर्नसंरचना के अनुरूप केन्द्र के लिए वित्तीय घाटे को जीडीपी के 3% के भीतर और प्रत्येक राज्य सरकार के लिए जिनके द्वारा एफआरबीएम विधान अधिनियमित किया गया है जीएसडीपी के 3% तक नियंत्रित करने की आवश्यकता है। सरकार के दोनो स्तरों के लिए राजस्व घाटे को वर्ष 2008-09 तक समाप्त किया जाना अधिदेशित है। पश्चिम बंगाल और सिक्किम को छोड़कर सभी राज्य सरकारों ने एफआरबीएम विधान लागू किए हैं। इसका परिणाम दसवीं योजना के दौरान सकल वित्तीय घाटे और

राजस्व घाटे, दोनो में पर्याप्त सुधार के रूप में हुआ है। केन्द्र और राज्यों का संयुक्त वित्तीय घाटा जो वर्ष 2002-03 में 9.6% था, वर्ष 2006-07 में घट कर 5.6% हो गया और वर्ष 2007-08 में और घटकर 5.3% रह गया। केन्द्र और राज्यों का संयुक्त राजस्व घाटा, जो वर्ष 2002-03 में जीडीपी का 6.6% था, वर्ष 2006-07 में घटकर 1.3% हो गया और वर्ष 2007-08 में और घट कर 0.9% रह गया। तालिका 2.7 केन्द्र और राज्यों के पिछले कुछ वर्षों के वित्तीय निष्पादन को दर्शाती है।

तालिका 2.7- केन्द्र और राज्य सरकारों की घाटा प्रवृत्तियाँ
(जीडीपी के % के रूप में)

वर्ष	केन्द्र		राज्य	
	वित्तीय घाटा	राजस्व घाटा	वित्तीय घाटा	राजस्व घाटा
2002-03	5.9	4.4	4.1	2.3
2003-04	4.5	3.6	4.4	2.3
2004-05	4.0	2.4	3.4	1.2
2005-06	4.1	2.5	2.5	0.2
2006-07	3.4	1.9	1.9	-0.6
2007-08	2.7	1.1	2.3	-0.5
2008-09 (बीई)	2.5	1.0	2.1	-0.5

2.12 केन्द्र सरकार का कुल व्यय जो वर्ष 2002-03 में जीडीपी का 16.84% था, वर्ष 2007-08 में घटकर 15.09% हो गया और वर्ष 2008-09(ब.अ.) में और अधिक घट कर 14.16% रह गया। सभी राज्यों का कुल व्यय, जो वर्ष 2002 - 03 में जीडीपी का 17.13% था, वर्ष 2007-08(संशो. अ.) में घट कर 16.67% रह गया। राज्य वित्त के तहत सरकारी व्यय में गिरावट राज्यों के गैर-योजना व्यय में महत्वपूर्ण कटौती के कारण हुई है जो वर्ष 2002-03 में जीडीपी के लगभग 13.52 % से घट कर वर्ष 2007-08(संशो.अ.) में जीडीपी के 11.29% तक रही है। इस अवधि के दौरान राज्य योजना व्यय जीडीपी के 3.61% से बढ़कर, वर्ष 2007-08(संशो.अ.) में जीडीपी का 5.39% तक हो गया। वर्ष 2008-09 के बजट अनुमान में राज्य

सरकार के कुल व्यय को जीडीपी के 16.45% तक कम कर दिया गया है।

2.13 प्राप्ति की दिशा में केन्द्र सरकार के सफल कर राजस्व में महत्वपूर्ण रूप से सुधार हुआ है, जो वर्ष 2002-03 में जीडीपी के 8.8% से वर्ष 2007-08 में जीडीपी का 11.5% हो गया और वर्ष 2008-09(ब.अ.)में और सुधर कर 13.4% हो गया। इस अवधि के दौरान केन्द्र का गैर कर राजस्व जीडीपी के लगभग 3% से घट कर 1.8% हो गया। इस अवधि के दौरान राज्य सरकार का अपना कर राजस्व जीडीपी के 5.8% से बढ़कर 6.2% हो गया। वर्ष 2002-03 से 2008-09 के दौरान राज्यों के गैर कर राजस्व ने जीडीपी के 3.3% से 3.9% की वृद्धि दर्शाई है।

तालिका 2.8 केन्द्र और राज्य सरकार के राजस्व की प्रवृत्तियाँ
(जीडीपी के % के रूप में)

वर्ष	कर राजस्व		गैर - कर राजस्व	
	केन्द्र का सकल कर राजस्व	राज्यों का स्वयं का कर राजस्व	केन्द्र	राज्य
2002-03	8.8	5.8	2.9	3.3
2003-04	9.2	5.8	2.8	3.2
2004-05	9.7	6.0	2.6	3.3
2005-06	10.2	5.9	2.1	3.5
2006-07	11.5	6.1	2.0	3.8
2007-08	12.6	6.2	2.2	3.9
2008-09 (बीई)	13.4	6.2	1.8	3.9

बाह्य क्षेत्रक निष्पादन

2.14 ग्यारहवीं योजना के दौरान यूएस डालर के अर्थ में निर्यात में लगभग 20% प्रतिवर्ष की वृद्धि होने का अनुमान है। जीडीपी अनुपात की तुलना में निर्यात में, जो वर्ष 2006-07 में 13.9% था, वर्ष 2011-12 के अंत तक 22.5% तक वृद्धि होने का अनुमान है। भारतीय रिजर्व बैंक(आरबीआई)से उपलब्ध सूचना के अनुसार, निर्यात की वैल्यू 2006-

07 में 129 बिलियन यूएस डालर की तुलना में वर्ष 2007-08 के दौरान 166 बिलियन यूएस डालर थी। इस प्रकार 28.9% की वृद्धि दर्ज की गई। यह कृषि और सम्बद्ध उत्पादों, रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग वस्तुओं और पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात में तीव्र वृद्धि के कारण थी। इन वस्तुओं ने वर्ष 2007-08 में निर्यात वृद्धि में 72% का योगदान दिया है। निर्यात के प्रमुख लक्ष्य स्थान अमेरिका, यूएई, चीन, सिंगापुर और यूके थे।

2.15 ग्यारहवीं योजना अवधि में आयात में 23% की औसत दर पर वृद्धि होने का अनुमान है। जीडीपी अनुपात की तुलना में आयात, जो वर्ष 2006-07 में 20.9% था, ग्यारहवीं योजना (2011-12) के अंतिम वर्ष तक बढ़कर 38.5% हो जाने का अनुमान है। वर्ष 2007-08 के दौरान आयात की वैल्यू जो 258 बिलियन यूएस डालर थी, ने वर्ष 2006-07 में 21.8% की तुलना में 35.4% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की है। उसी अवधि के दौरान पीओएल (पेट्रोलियम तेल व लुब्रिकेण्ट) के आयात ने वर्ष 2006-07 में 30% की तुलना में 39.4% की वृद्धि दर्ज की है। गैर - तेल आयात गत वर्ष के 22.2% की तुलना में 33.6% बढ़े थे। गैर - तेल आयात की वृद्धि में यह तीव्रता मुख्य रूप में सोने और चांदी और पूंजीगत वस्तुओं के आयात में अत्यधिक वृद्धि के कारण आई है। भारत के लिए आयात के मुख्य स्रोत चीन, साउदी अरब, यूएई, यूएस, ईरान और स्विटजरलैण्ड थे।

2.16 वर्ष 2006-07 के दौरान वाणिज्य व्यापार घाटा 64.9 बिलियन यूएस डालर के समीप था। 2007-08(संशो.) में यह और बढ़कर 88.5% बिलियन यूएस डालर हो गया। दूसरे शब्दों में, व्यापार घाटे में तीव्र वृद्धि दर्ज की गई थी और यह वर्ष 2006-07 में जीडीपी के 6.9% की तुलना में 7.7% अनुमानित की गई थी। भारत का चालू लेखा घाटा (सीएडी) वर्ष 2006-07 में 9.8 बिलियन यूएस डालर (जीडीपी का 1.1%) की तुलना में, वर्ष 2007-08 में 17.4 बिलियन यूएस डालर (जीडीपी का 1.5%) था। चालू लेखा घाटे (कैड) में यह वृद्धि

आयात में उच्च वृद्धि के कारण हुई है जो इन्विजिबल सरप्लस में महत्वपूर्ण वृद्धि द्वारा पर्याप्त रूप से प्रतिसंतुलित हो जाती है।

2.17 वर्ष 2007-08 के दौरान भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) 2006-07) में 8.5 बिलियन यूएस डालर की तुलना में 15.5 बिलियन यूएस डालर है। एफआईआईज़ ने वर्ष 2006-07 में 3.2 बिलियन यूएस डालर की तुलना में वर्ष 2007-08 में 20.3 बिलियन यूएस डालर का निवल अन्तर्प्रवाह दर्ज किया है। पूंजीगत लेखों के अन्य घटक विदेशी वाणिज्यिक उधार, विदेशी सहायता, एनआरआई जमा और पूंजी है। निवल पूंजीगत प्रवाह (अन्तर्प्रवाह घटा बहिर्प्रवाह) वर्ष 2006-07 में 45.8 बिलियन यूएस डालर की तुलना में वर्ष 2007-08 में 108 बिलियन यूएस डालर था। जीडीपी के अर्थ में निवल पूंजी प्रवाह वर्ष 2006-07 में 5% की तुलना में वर्ष 2007-08 में जीडीपी का 9.2 % है।

2.18 मार्च, 2007 के अंत तक भारत का विदेशी ऋण 170 बिलियन यूएस डालर था। मार्च, 2008 के अंत तक कुल विदेशी ऋण 224.5 बिलियन यूएस डालर था। इसमें 177.7 बिलियन यूएस डालर दीर्घावधि ऋण और 47 बिलियन यूएस डालर अल्पावधि ऋण शामिल हैं। जीडीपी अनुपात की तुलना में कुल ऋण जो मार्च, 2007 के अंत तक 18.1% था, मार्च, 2008 के अंत में बढ़ कर 19% हो गया। ऋण सेवा अनुपात जो वर्ष 2006-07 में 4.7% था, यह वर्ष 2007-08 में बढ़ कर 4.8% हो गया। यूएस डालर भारत के कुल विदेशी ऋण के मूल्यवर्ग के लिए प्रमुख करंसी (54.5%) बना रहा है।

2.19 विदेशी मुद्रा भण्डार (सोने, एसडीआरज़ और आईएमएफ में रिजर्व ट्रेंच स्थिति सहित) समय के साथ-साथ लगातार बढ़ता रहा है और मार्च, 2008 तक 309.7 बिलियन यूएस डालर हो गया। रिजर्व का यह स्तर मार्च, 2008 में 14.5 महीने के आयात कवर के समान है।

मूल्य स्थिरता

2.20 दसवीं योजना के दौरान औसत वार्षिक मुद्रास्फीति जो थोक मूल्य सूचकांक(डब्ल्यूपीआई) में बढ़ोतरी द्वारा मापी गई थी। दसवीं योजना के तीसरे और चौथे वर्ष में 40% प्रतिवर्ष से अधिक की तेल कीमत में वृद्धि के बावजूद मामूली 5% रही है। वर्ष 2006-07 में 5.4% की तुलना में ग्यारहवीं योजना (2007-08) के पहले वर्ष में डब्ल्यूपीआई आधारित मुद्रास्फीति 4.7% मापी गई थी। तथापि, 2008-09 में मूल्य बढ़ने शुरू हो गए थे और औसत मुद्रास्फीति दर अगस्त, 2008 में उच्चतम पर पहुंच गई (जब यह 2007-08 की इसी अवधि से 12.8% थी) औद्योगिक कामगारों (सीपीआईआईडब्ल्यू) हेतु कीमत सूचकांक और कृषि श्रमिकों हेतु (सीपीआई-एएल) कीमत सूचकांक के आधार पर मापित कीमतों में वृद्धि की वार्षिक दर वर्ष 2007-08 के लिए क्रमशः 6.1% और 7.5% थी।

वर्ष 2008-09 में आर्थिक दृष्टिकोण

2.21 घरेलू अर्थव्यवस्था वैश्विक मंदी, दो अंको में मुद्रास्फीति की अवधि सहित (जो गत वर्ष में इसी अवधि के दौरान अगस्त, 2008 में 12.8% तक पहुंच

गई थी।) अन्तरराष्ट्रीय तेल कीमतों में बहुत अधिक उतार-चढ़ाव का परिणाम वर्ष 2008-09 के दौरान अर्थव्यवस्था के अवमन्दन के रूप में हुआ है। केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (सीएसओ), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अग्रिम अनुमानों के अनुसार, अर्थव्यवस्था की विकास दर 7% से थोड़ी ऊपर रहने की उम्मीद है और अर्थव्यवस्था के विस्तृत क्षेत्रक जैसे कृषि, उद्योग, और सेवा विकास की गति को संभारणीय बनाए रखने में समर्थ नहीं होंगे। तथापि, सरकार द्वारा घोषित प्रोत्साहन पैकेज, शीर्ष मुद्रा स्फीति में कमी और मौद्रिक गतिविधियों पर आरबीआई द्वारा किए जाने वाले संभारणीय प्रयास इस वर्ष के लिए कुछ सीमा तक गति को पुनर्जीवित कर सकते हैं। बाह्य क्षेत्रक का निष्पादन व्यापक रूप से विश्व विकास परिदृश्य और अन्तरराष्ट्रीय तेल कीमतों में स्थायित्व, जिसकी वजह से इस वर्ष व्यापार घाटा बढ़ा है, पर निर्भर करेगा।

1999-00 कीमतों पर जीएसडीपी की वास्तविक वृद्धि दर(प्रतिशत में)

क्र. सं.	राज्य	दसवीं योजना (सीएजीआर *)	ग्यारहवीं योजना (लक्ष्य)	2007-08 (वार्षिक वृद्धि)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	7.39	9.50	10.64
2.	अरुणाचल प्रदेश	5.80	6.40	12.81
3.	असम	5.7	6.50	6.06
4.	बिहार	7.87	7.60	-0.07
5.	झारखंड	7.56	9.80	7.22
6.	गोवा	9.32	12.10	एनए
7.	गुजरात	10.40	11.20	एनए
8.	हरियाणा	8.99	11.00	10.07
9.	हिमाचल प्रदेश	7.68	9.50	8.54
10.	जम्मू व कश्मीर	5.59	6.40	6.28
11.	कर्णाटक	5.98	11.20	6.92
12.	केरल	8.74	9.50	एनए
13.	मध्य प्रदेश	3.80	6.70	एनए
14.	छत्तीस गढ़	9.01	8.60	11.30
15.	महाराष्ट्र	8.29	9.10	एनए
16.	मणिपुर	5.78	5.90	3.38
17.	मेघालय	5.81	7.30	5.20
18.	मिजोरम	6.44	7.10	6.76
19.	नगालैंड	एनए	9.30	एनए
20.	उड़ीसा	8.47	8.80	8.67
21.	पंजाब	5.07	5.90	6.62
22.	राजस्थान	5.41	7.40	7.01
23.	सिक्किम	7.97	6.70	8.19
24.	तमिल नाडु	7.53	8.50	5.19
25.	त्रिपुरा	7.58	6.90	एनए
26.	उत्तर प्रदेश	5.24	6.10	एनए
27.	उत्तराखंड	9.45	9.90	एनए
28.	पश्चिम बंगाल	6.51	9.70	एनए
अखिल भारतीय(99-00)के आधार पर		7.78	9.00	9.00

स्रोत:-ग्यारहवीं योजना(लक्ष्य)सीएसओ द्वारा 9.2.2009 को संकलित ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज ।

* सीएजीआर- संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर

अध्याय - 3

योजना का वित्तपोषण

3.1 वित्तीय संसाधन - केन्द्र और राज्य

केन्द्रीय योजना

वार्षिक योजना 2007-08 के वित्त पोषण की समीक्षा और वर्ष 2008-09 हेतु अनुमान।

3.1.1 वर्ष 2007-08 के लिए केन्द्र के कुल व्यय के लिए 6,80,521 करोड़ रु. का बजट प्रावधान किया गया था। अनंतिम आंकड़ों के अनुसार वास्तविक व्यय 7,13,601 करोड़ रु. था। यह बढ़ोत्तरी मुख्य रूप से गैर-योजना व्यय में वृद्धि के कारण हुई। संसाधनों के मामले में, राजस्व प्राप्तियां

बजट अनुमानों से 53,472 करोड़ रु. अधिक थी। कर राजस्व विशेषकर प्रत्यक्ष करों की उत्पलावकता के कारण, कर राजस्वों के संबंध में अधिक वृद्धि घोषित की गई थी। गैर-योजना व्यय की तुलना में, राजस्व प्राप्तियों में अधिक वृद्धि के कारण राजकोषीय घाटा बजट अनुमान से कम हुआ। जीडीपी के अनुपात में राजकोषीय घाटा वर्ष 2007-08 के बजट में अनुमानित 3.3 प्रतिशत की तुलना में 2.8 प्रतिशत था। प्राप्तियों और व्यय का सारांश तालिका 3.1.1 में दिया गया है।

3.1.2 वर्ष 2008-09 के लिए कुल बजटीय अनुमान 7,50,884 करोड़ रु. लगाया गया है

तालिका 3.1.1 : संघ सरकार के 2007-08 के लेखा का सारांश तथा 2008-09 के लिए अनुमान

(आंकड़े करोड़ रु. में और प्रतिशत)

क्रम सं.	मद	2007-08 बीई *	2007-08 आरई *	2007-08 (पी)@	कमी (-)/ अधिक(+) (पीबीई)	2008-09 बीई *	वर्ष 2007-08 की तुलना में बीई 2008-09 का विकास (पी)
	प्राप्तियां						
1	राजस्व प्राप्तियां (निवल)	486422	525098	539894	53472	602935	11.7
1क	कर राजस्व (केन्द्र के लिए निवल)	403872	431773	437517	33645	507150	15.9
1ख	गैर-कर राजस्व	82550	93325	102377	19827	95785	-6.4
2	गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां	43151	40622	43893	742	14662	-66.6
3	केन्द्र की कुल ऋणोत्तर प्राप्तियां - निवल (1+2)	529573	565720	583787	54214	617597	5.8
	व्यय						
4	गैर-योजना व्यय	475421	501849	508043	32622	507498	-0.1
5	योजना व्यय हेतु जीबीएस	205100	207524	205558	458	243386	18.4
6	कुल व्यय (4+5)	680521	709373	713601	33080	750884	5.2
	राजकोषीय घाटा						
7	राजकोषीय घाटा (6-3)	150948	143653	129814	-21134	133287	2.7
7क	राजकोषीय घाटा/जीडीपी %	3.3	3.1	2.8	-0.5	2.5	

स्रोत: * केन्द्रीय बजट 2007-08; @ अनंतिम लेखा 2007-08

जिसमें योजना व्यय के 2,43,386 करोड़ रु. और गैर-योजना व्यय के 5,07,498 करोड़ रु. की सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) शामिल है। इसका वित्त पोषण 6,17,597 करोड़ रु. की ऋणोत्तर प्राप्तियों के माध्यम से किया जाएगा और शेष का उधार (राजकोषीय घाटा) के माध्यम से। वर्ष 2008-09 में राजकोषीय घाटा सकल बजटीय सहायता से यह दर्शाते हुए कम आंका गया है कि सरकार योजना का वित्त पोषण पूर्ण रूप से उधार के माध्यम से नहीं कर रही है। वर्ष 2006-07 में जिसके लिए वास्तविक आंकड़े उपलब्ध हैं, इस वर्ष में राजकोषीय घाटा योजना संबंधी सकल बजटीय सहायता से कम है। वर्ष 2007-08 के अनंतिम अनुमान इस प्रवृत्ति का समर्थन करते हैं। तथापि, सही स्थिति का ज्ञान वास्तविक आंकड़े उपलब्ध होने के बाद ही होगा।

3.1.3 संसाधन 2007-08 और वर्ष 2008-09 के लिए अनुमान : केन्द्र के गैर-ऋण संसाधनों में कर राजस्व, गैर कर राजस्व और गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियां शामिल हैं। ये तीनों इनके व्यय का वित्तपोषण करते हैं। अतिरिक्त व्यय आधिक्य उधार के माध्यम में वित्तपोषित किया जाता है।

3.1.4 कर राजस्व (टीआर) : वर्ष 2007-08 के लिए 5,91,117 करोड़ रु. सकल कर राजस्व का अनंतिम अनुमान बजट अनुमान से 42,995 करोड़ रु. अधिक हो गया है। वर्ष 2007-08 के दौरान उत्पाद शुल्क के अलावा प्रमुख करों से प्राप्तियां बजट अनुमान से अधिक रही हैं। वस्तुतः कर के मामले में समग्र निष्पादन वर्ष 2001-02 से उत्साहजनक रहा है। जीडीपी अनुपात की तुलना में सकल कर में लगातार सुधार हुआ है जो वर्ष 2001-02 में 8.2 प्रतिशत से वर्ष 2007-08 (पी) में 12.5 प्रतिशत हो गया है। हाल के वर्षों में, कर प्राप्तियों में वृद्धि प्रत्यक्ष करों विशेष रूप से निगम कर और आय कर से हुई है। इस प्रवृत्ति के वर्ष 2008-09 में जारी रहने की संभावना है। ब्यौरे नीचे दिए गए हैं **(तालिका 3.1.2)**। पहली बार, वर्ष 2007-08 में केन्द्र का प्रत्यक्ष कर संग्रहण अप्रत्यक्ष कर संग्रहण से अधिक निकल गया है।

3.1.5 वर्ष 2007-08 (पी) के 6,87,715 करोड़ रु. की तुलना में वर्ष 2008-09 में सकल कर प्राप्तियों में लगभग 16.3 प्रतिशत वृद्धि होने की संभावना है। प्रत्यक्ष करों में, निगम कर में वृद्धि मुख्य रही है। इसके वर्ष 2008-09 में अच्छी-खासी

तालिका 3.1.2 : केन्द्र के सकल कर राजस्व का ब्यौरा

(आंकड़े करोड़ रु. में और प्रतिशत)

क्रम सं.	कर	2007-08 बीई	2007-08 आरई	2007-08 (पी)	2007-08 (पी-बीई)	2008-09 बीई	वर्ष 2007-08 (पी) की तुलना में 2008-09 बीई की वृद्धि
1	निगम कर	168401	186125	189541	21140	226361	19.4
2	वैयक्तिक आयकर	98774	118320	121895	23121	138314	13.5
3	सीमा शुल्क	98770	100766	102881	4111	118930	15.6
4	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	130220	127947	123315	-6905	137874	11.8
5	सेवा कर	50200	50603	51205	1005	64460	25.9
6	अन्य	1757	1649	2281	524	1776	-22.1
7	सकल कर राजस्व	548122	585410	591117	42995	687715	16.3
8	राज्यों का हिस्सा	142450	151837	151800	9350	178765	17.8
9	एनसीसीएफ	1800	1800	1800	0	1800	
10	निवल कर राजस्व (7-8-9)	403872	431773	437517	33645	507150	15.9

वृद्धि बनाए रखने की आशा है। अप्रत्यक्ष करों में सेवा कर राजस्व के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में विकसित हुआ है, जिसकी वर्ष 1994-95 में मामूली शुरुआत हुई थी। इसके वर्ष 2007-08 (पी) की तुलना में वर्ष 2008-09 में 25.9 प्रतिशत वृद्धि होने की प्रत्याशा है। इसके आधार को व्यापक बनाने तथा स्वतः अनुपालन को सुगम बनाने वाली प्रक्रियाओं को शुरू करने से सेवा कर राजस्व का एक प्रभावशाली स्रोत बन जाएगा जो जीडीपी में इसके उच्च हिस्से के अनुरूप होगा।

3.1.6 गैर-कर राजस्व (एनटीआर) : गैर-कर राजस्व में केन्द्र सरकार द्वारा ऋणों पर ब्याज प्राप्ति, सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों से लाभांश और लाभ, आरबीआई से अंतरण, सरकारी सेवाओं के लिए बाहरी अनुदान और प्राप्ति शामिल है। **तालिका 3.1.3** दर्शाती है कि वर्ष 2007-08 (पी) के दौरान ब्याज प्राप्ति में बजट अनुमान की तुलना में 1755 करोड़ रु. की मामूली वृद्धि हुई थी। बारहवें वित्त आयोग (टीएफसी) के अधिनिर्णय जिसके अंतर्गत 31.3.2004 तक राज्यों द्वारा किए गए सभी केन्द्रीय ऋण अनुबंध और 31.3.2005 तक के बकाए को 7.5 प्रतिशत की ब्याज दर पर 20 वर्षों के लिए नए ऋणों की सूची में डालने की जरूरत है, बशर्ते कि संबंधित राज्य सरकार राजकोषीय जिम्मेदारी विधान लागू करे। इसके

अतिरिक्त ईएपीज के अंतर्गत ऋणों को छोड़कर नए ऋण, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा एकत्र किए जाएं।

3.1.7 ब्याज प्राप्ति के हिस्से में गिरावट के विपरीत, वर्ष 2001 से लाभांश और लाभ का हिस्सा बढ़ रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों, बैंकों द्वारा लाभांश भुगतान में वृद्धि और आरबीआई से किए जाने वाले अंतरण 2007-08 के दौरान जारी रहे और यह बजट अनुमान से 571 करोड़ रु अधिक थे। अन्य गैर कर राजस्व (मुख्य रूप से आर्थिक सेवाओं की प्राप्ति से होने वाला) बजट अनुमान से 17,583 करोड़ रु. अधिक रहा। परिणामस्वरूप, गैर कर राजस्व वर्ष 2007-08 के दौरान बजट अनुमान से 19,827 करोड़ रु. अधिक रहा है।

3.1.8 गैर ऋण पूंजी प्राप्ति (एनडीसीआर) : गैर-ऋण पूंजी प्राप्ति के अंतर्गत मुख्य रूप से राज्य सरकारों से ऋणों की वसूली और विनिवेश लाभ शामिल हैं। **तालिका 3.1.4** दर्शाती है कि वर्ष 2007-08 में गैर-ऋण पूंजी प्राप्ति बजट अनुमान से 742 करोड़ रु. से थोड़ी अधिक रहीं। वृद्धि मुख्य रूप से ऋणों की वसूली में वृद्धि के कारण हुई जो विविध पूंजी प्राप्ति में कमी की क्षतिपूर्ति करती है।

तालिका 3.1.3 : गैर - कर राजस्वों के अनुमान

(आंकड़े करोड़ रु. व प्रतिशत में)

वर्द्धम सं.	मद	2007-08 बीई	2007-08 आरई	2007-08 (पी)	2007-08 (पी-बीई)	2008-09 बीई	वर्ष 2007-08(पी) की तुलना में 2008-09 बीई की वृद्धि
1	ब्याज प्राप्ति	19308	17464	21063	1755	19135	-9.2
2	लाभांश और लाभ	33925	36108	34496	571	43204	25.2
3	संघ राज्य क्षेत्रों के एनटीआर	711	820	630	-81	815	29.4
4	अन्य गैर-कर राजस्व	28606	38933	46189	17583	32631	-29.4
5	कुल	82550	93325	102377	19827	95785	-6.4

3.1.9 वर्ष 2008-09 के बजट अनुमान में एसयूटीआई की प्राप्ति सहित विनिवेश के लाभ का 10,165 करोड़ रु. का अनुमान लगाया गया है जबकि राज्य सरकारों से प्राप्ति में वृद्धि के कारण ऋण की वसूली के 4497 करोड़ रु. का अनुमान लगाया गया है।

3.1.10 **बाहरी सहायता** : बाहरी सहायता में अनुदान और ऋण शामिल है जो बाहरी दाताओं से केन्द्रीय बजट के माध्यम से प्राप्त होते हैं। बाहरी अनुदान गैर-कर प्राप्ति का छोटा भाग होता है। बाहरी ऋण सरकार के उधार का घटक होता है। सकल बाहरी सहायता (अर्थात् ऋण और अनुदान)

योजना (केन्द्रीय योजना और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता) हेतु केन्द्र द्वारा दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता) हेतु केन्द्र द्वारा दी जाने वाली सकल बजटीय सहायता की लगभग 13 से 14 प्रतिशत रही है। जीडीपी के संबंध में, बाहरी सहायता जो नब्बे के दशक के शुरूआत में लगभग 1.5 प्रतिशत थी 0.5 प्रतिशत तक नीचे आ गई है। सहायता में निवल प्रवाह पिछले ऋणों पर अदायगी बाध्यताओं के कारण और भी कम है। **तालिका 3.1.5** में वर्ष 2007-08 और 2008-09 के लिए बाहरी सहायता अनुमान के ब्यौरे दिए गए हैं। वर्ष 2007-08 के दौरान निवल बाहरी सहायता का अंतः प्रवाह 12,041 करोड़ रु. था जिसमें 16,812 करोड़

तालिका 3.1.4 : गैर-ऋण पूंजी प्राप्ति के अनुमान

(आंकड़े करोड़ रु. में और प्रतिशत)

क्रम सं.	मद	2007-08 बीई	2007-08 आरई	2007-08 (पी)	2007-08 (पी-बीई)	2008-09 बीई	2007-08 (पी) की तुलना में 2008-09 बीई की वृद्धि (+)/ कमी (-)
1	ऋणों की वसूली	1500	4497	5098	3598	4497	-11.8
2	विविध पूंजी प्राप्ति	41651	36125	38796	-2856	10165	-73.8
3	कुल गैर ऋण पूंजी प्राप्ति (एनडीसीआर)	43151	40622	43893	742	14662	-66.6
	एनडीसीआर कुल व्यय के % के रूप में	6.34	5.73	6.15	--	1.95	--

तालिका 3.1.5 : बाहरी ऋण और अनुदान तथा निवल बाहरी अनुदान

(आंकड़े करोड़ रु. और प्रतिशत में)

क्रम सं.	मद	2007-08 बीई	2007-08 आरई	2007-08 (पी)	2007-08 (पी-बीई)	2008-09 बीई	वर्ष 2007-08 (पी) की तुलना में 2008-09 बीई की वृद्धि (+) / कमी (-)
1	ऋण	17452	17403	16812	-639	19210	14.3
2	अनुदान	2135	2091	2722	587	1795	-34.0
3	सकल बाहरी सहायता	19587	19494	19534	-53	21005	7.5
4	अदायगी (मूलधन)	8341	7433	7493	-848	8221	9.7
5	निवल विदेशी सहायता *	11246	12061	12041	795	12785	6.2
6	जीवीएस के % के रूप में सकल विदेशी सहायता	5.5	5.8	5.9	0.4	5.3	

* निवल विदेशी सहायता में विदेशी ऋणों दर ब्याज का भुगतान शामिल नहीं है।

रु. ऋण, 2,722 करोड़ रु. अनुदान और 7,493 करोड़ रु. पुनर्भुगतान (मूलधन) के शामिल थे। निवल अंतःप्रवाह बजट अनुमान से मामूली रूप से अधिक था।

3.1.11 वर्ष 2008-09 के लिए 21,005 करोड़ रु. की बाहरी सहायता के सकल अंतःप्रवाह का अनुमान लगाया गया है जिसमें 19,210 करोड़ रु. का ऋण और 1,795 करोड़ रु. का अनुदान शामिल है। वर्ष 2007-08 (पी) की तुलना में वर्ष 2008-09 में विदेशी सहायता के निवल अंतःप्रवाह में 6 प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है।

3.1.12 कुल मिलाकर, केन्द्र के संसाधनों की स्थिति दर्शाती है कि वर्ष 2008-09 के दौरान राजस्व प्राप्तियों (निवल) में वर्ष 2007-08 के अनंतिम अनुमान की तुलना में 11.7 प्रतिशत की वृद्धि की आशा है।

3.1.13 **बजटीय व्यय** : कुल व्यय के ब्यौरे तालिका 3.1.6 में दिए गए हैं। वर्ष 2007-08 के दौरान 7,13,601 करोड़ रु. का केन्द्र का कुल व्यय बजट अनुमान से 33,080 करोड़ रु. अधिक था। वृद्धि मुख्य रूप से गैर-योजना व्यय में वृद्धि के कारण हुई। योजना व्यय वर्ष 2007-08 के बजट अनुमान से थोड़ा सा अधिक था। कुल व्यय में योजना व्यय का हिस्सा वर्ष 2006-07 में 29.1 प्रतिशत था वर्ष 2007-08 (पी) में घटकर 28.8 प्रतिशत हो गया। जब कि केन्द्रीय योजना हेतु बजट सहायता बजट अनुमान से 11,055 करोड़ रु. कम थी, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की योजना हेतु केन्द्रीय सहायता 2007-08 के बजट अनुमान से 11,513 करोड़ रु. अधिक हो गई।

3.1.14 **गैर-योजना व्यय** : वर्ष 2007-08 के लिए केन्द्र के गैर-योजना व्यय के ब्यौरे तथा वर्ष 2008-09 के लिए बजट अनुमान तालिका 3.1.7 में दिए

तालिका 3.1.6 : वर्ष 2007-08 और 2008-09 के दौरान केन्द्र सरकार का व्यय

(आंकड़े करोड़ रु. में और प्रतिशत)

क्रम सं.	मद	2007-08 बीई	2007-08 आरई	2007-08 (पी)	2007-08 (पी-बीई)	2008-09 बीई	वृद्धि (+) / कमी (-) 2007-08(पी) की तुलना में वर्ष 2008-09 की बीई
1	गैर-योजना व्यय	475421	501849	508043	32622	507498	-0.1
2	योजना व्यय	205100	207524	205558	458	243386	18.4
	केन्द्र के कुल व्यय में योजना व्यय का % हिस्सा	30.14	29.25	28.81	-1.3	32.41	12.5
क	केन्द्रीय योजना हेतु बजट सहायता	154939	148669	143884	-11055	179954	25.1
	योजना व्यय में % हिस्सा	75.5	71.6	70.0	-5.5	73.9	5.6
ख	राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय सहायता	50161	58855	61674	11513	63432	2.9
	योजना व्यय में % हिस्सा	24.5	28.4	30.0	5.5	26.1	-13.1
3	कुल व्यय	680521	709373	713601	33080	750884	5.2

गए हैं। गैर-योजना राजस्व व्यय के भीतर, सरकार के ब्याज व्यय में सरकारी उधार ब्याज की कम दरों के कारण हाल के वर्षों में गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई है। तथापि, 2007-08 में ब्याज भुगतान (अनंतिम अनुमानों के अनुसार) समनुरूप बजट अनुमानों से 12,499 करोड़ अधिक रहा। राज्यों को दिए गए अनुदान 1,279 करोड़ रु. कम थे। सब्सिडी और पेंशन के रूप में बाहर जाने वाली राशि भी बजट अनुमान की तुलना में क्रमशः 12,308 करोड़ रु. और 616 करोड़ रु. अधिक थी।

3.1.15 वर्ष 2008-09 के लिए गैर-योजना व्यय 5,07,498 करोड़ रु. होने का अनुमान लगाया गया है, जो वर्ष 2007-08 (पी) से थोड़ा अधिक है। तथापि, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल मूल्यों में वृद्धि होने से वर्ष 2008-09 में पेट्रोलियम और उर्वरक की सब्सिडी राशि में काफी वृद्धि की आशा है। छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू होने से वेतन व पेंशन देयताएं और बढ़ जाएंगी। इससे राज्यों का वित्त संबंधी दायरा भी विस्तृत होगा।

3.1.16 **चालू राजस्व और गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियों के बकाया** : चालू राजस्व का बकाया (बीसीआर) गैर योजना राजस्व व्यय (रक्षा पूंजी व्यय सहित) के संबंध में सरकार की राजस्व प्राप्तियों में अधिशेष अथवा कमी को परिलक्षित करता है। गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियों का बकाया केन्द्र की गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियों और गैर-योजना पूंजीगत व्यय के बीच अंतर होता है। ये दोनों मिलकर अतिरिक्त ऋण का सहारा न लेकर योजना व्यय के वित्तपोषण के लिए उपलब्ध बजटीय संसाधनों (यदि कोई हों) का निर्धारण करते हैं।

3.1.17 **चालू राजस्व का बकाया (बीसीआर)** : एक दशक से, केन्द्र सरकार का बीसीआर नकारात्मक था, यह चिन्ता का कारण था। नकारात्मक बीसीआर का तात्पर्य है कि मौजूदा खर्च के वित्त पोषण के लिए सरकार को पूंजी प्राप्तियों पर निर्भर रहना पड़ा। हालाँकि वर्ष 2006-07 से बीसीआर सकारात्मक हो गया। वर्ष 2007-08 के अनुमानों की तुलना में प्राप्त बीसीआर **तालिका 3.1.8** में दिया गया है। बीसीआर जिसके बजट

तालिका 3.1.7 गैर योजना व्यय

(आंकड़े करोड़ रु. में)

क्रम सं.	मद	2007-08 बीई	2007-08 आरई	2007-08 (पी)	2007-08 (पी-बीई)	2008-09 बीई	वर्ष 2007-08 (पी) की तुलना में 2008-09 बीई में वृद्धि (+) / कमी (-)
I	निम्नलिखित का गैर-योजना राजस्व व्यय	383546	412975	421798	38252	448352	6.3
1	ब्याज भुगतान	158995	171971	171494	12499	190807	11.3
2	रक्षा	54078	54795	54299	221	57593	6.1
3	सब्सिडी	54330	69742	66638	12308	71431	7.2
4	राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान	38403	36432	37124	-1279	43294	16.6
5	पेंशन	23488	24193	24104	616	25086	4.1
II	निम्नलिखित का गैर-योजना पूंजीगत व्यय	91875	88874	86245	-5630	59146	-31.4
क	रक्षा पूंजी व्यय	41922	37705	37433	-4489	48007	28.2
III	कुल गैर-योजना व्यय	475421	501849	508043	32622	507498	-0.1

अनुमान 2007-08 में 58,819 करोड़ रु. होने का अनुमान था, यह प्राप्तियों और व्यय के अनंतिम अनुमानों के अनुसार 77,941 करोड़ रु. हो गया। बजट अनुमान की तुलना में वर्ष 2007-08 में, बीसीआर में 19,122 करोड़ रु. का सुधार मुख्य रूप से रक्षा पूंजीगत व्यय समेत गैर-योजना राजस्व व्यय में वृद्धि के अतिरिक्त राजस्व प्राप्तियों (बाहरी अनुदानों को छोड़कर) में अधिक वृद्धि के कारण हुआ।

3.1.18 वर्ष 2008-09 के बजट अनुमान में चालू राजस्व का 1,04,781 करोड़ रु. होने का अनुमान है। यह केन्द्र की 6,02,935 करोड़ रु. राजस्व प्राप्तियों (राज्यों को किए निवल अंतरण और 4,96,359 करोड़ रु. के गैर-योजना राजस्व व्यय (रक्षा पूंजी व्यय सहित) पर आधारित है।

3.1.19 गैर ऋण पूंजी प्राप्तियों का शेष : गैर योजना पूंजी व्यय की तुलना में गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियों में अधिक गिरावट के कारण वर्ष 2007-08 में गैर ऋण पूंजी प्राप्तियों का शेष नकारात्मक हुआ। वर्ष 2008-09 हेतु गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियों का

शेष 3,523 करोड़ रु. का अनुमानित किया गया है। यह मुख्य रूप से ऋणों की वसूली के कारण राज्यों से अधिक प्राप्तियों के चलते वर्ष 2007-08 (पी) में प्राप्त की गई गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियों से अधिक है।

3.1.20 केन्द्र द्वारा योजना हेतु बजटीय सहायता का वित्त पोषण : चालू राजस्व के शेष और गैर ऋण पूंजी प्राप्तियों के शेष मिलाकर सरकार की अतिरिक्त उधार का सहारा लिए बिना योजना व्यय के वित्त पोषण की योग्यता दर्शाते हैं। अनंतिम लेखा 2007-08 के अनुसार 77,941 करोड़ रु. के चालू राजस्व का शेष 2722 करोड़ रु. का बाह्य अनुदान और (-) 4,919 करोड़ रु. की गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियों के शेष के अनुसार बजटीय संसाधनों का योग 75,744 करोड़ रु. था। अतः 129,814 करोड़ रु. के वित्तीय घाटे को वर्ष 2007-08 (यो.) में 2,05,558 करोड़ रु. की सकल बजटीय सहायता दी जानी अपेक्षित थी जिसमें 1,43,884 करोड़ रु. का केन्द्र का योजना व्यय और राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों को उनकी योजनाओं के लिए 61,674 करोड़ रु. की केन्द्रीय सहायता शामिल है। वर्ष 2008-09 के लिए समनुरूपी अनुमानों के

तालिका 3.1.8 चालू राजस्व शेष (बीसीआर) और गैर ऋण पूंजी प्राप्तियों का शेष

(आंकड़े करोड़ रु. में)

क्रम सं.	मद	2007-08 बीई	2007-08 आरई	2007-08 (पी)	2007-08 (पी-बीई)	2008-09 बीई	वर्ष 2007-08(पी) की तुलना में 2008-09 बीई में वृद्धि (+) / कमी (-)
1	राजस्व प्राप्तियां	486422	525098	539894	53472	602935	11.7
	बाह्य अनुदान	2135	2091	2722	587	1795	-34.0
1क	बाह्य अनुदानों को छोड़कर राजस्व प्राप्तियां	484287	523007	537172	52885	601140	11.9
2	गैर योजना राजस्व व्यय *	425468	450680	459231	33763	496359	8.1
3	बीसीआर (1क - 2)	58819	72327	77941	19122	104781	34.4
4	गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियां	43151	40622	43893	742	14662	-66.6
5	गैर योजना पूंजी व्यय	49953	51169	48812	-1141	11139	-77.2
6	बीसीएपी (4 - 5)	-6802	-10547	-4919	1883	3523	-171.6

* रक्षा पूंजी व्यय शामिल है।

साथ-साथ वर्ष 2007-08 के लिए जीबीएस के वित्त पोषण की स्कीम के ब्यौरे तालिका 3.1.9 में दिए गए हैं।

3.1.21 केन्द्र का योजना परिव्यय और व्यय (सीपीएसईज की योजना सहित) : केन्द्र के योजना परिव्यय में मंत्रालयों और विभागों की योजना के लिए बजटीय सहायता और केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों (सीपीएसईज) के आंतरिक एवं बजटोत्तर संसाधन शामिल हैं। केन्द्रीय मंत्रालय भी स्वयं को आबंटित जो सीबीएस में से कुछेक सीपीईज को बजटीय सहायता प्रदान करते हैं।

तालिका 3.1.10 वर्ष 2007-08 और 2008-09 के लिए केन्द्रीय योजना व्यय और परिव्यय के विवरण को दर्शाती है।

3.1.22 केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों की वार्षिक योजना के वित्त पोषण के लिए सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) (सीपीएसईज के लिए जीबीएस सहित) वर्ष 2007-08 के संशोधित अनुमानों के अनुसार इस वर्ष के बजट अनुमान से 6,270 करोड़ रु. (अर्थात् बजट अनुमान 2007-08 का लगभग 4%) कम थी। संशोधित अनुमान 2007-08 में सीपीएसईज के आंतरिक और बजटोत्तर संसाधन

तालिका 3.1.9 : केन्द्र की वार्षिक योजना 2007-08 के लिए जीबीएस के वित्तपोषण की स्कीम

(आंकड़े करोड़ रु. में)

क्रम सं.	संसाधन	2007-08 बीई	2007-08 आरई	2007-08 (पी)	2008-09 बीई
1	चालू राजस्व का शेष (बीसीआर)	58819	72327	77941	104781
1क	बाह्य अनुदान	2135	2091	2722	1795
2	गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियों का शेष	-6802	-10547	-4919	3523
3	राजकोषीय घाटा	150948	143653	129814	133287
4	योजना (1+1क+2+3) के लिए सकल बजटीय सहायता	205100	207524	205558	243386
5	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र योजनाओं हेतु सहायता	50161	58855	61674	63432
	कुल जीबीएस में % हिस्सा	24.5	28.4	30.0	26.1
6	केन्द्रीय योजना (4 - 5) के लिए बजटीय सहायता	154939	148669	143884	179954
	कुल जीबीएस में % हिस्सा	75.5	71.6	70.0	73.9

तालिका 3.1.10 : वर्ष 2007-08 और 2008-09 हेतु केन्द्रीय योजना परिव्यय और व्यय

(आंकड़े करोड़ रु. में)

क्रम सं.	मद	2007-08 बीई	2007-08 आरई	2008-09 बीई
1	बजटीय सहायता (कुल)	154939	148669	179954
2	केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों की योजना स्कीमों हेतु बजट सहायता	135608	129033	160514
3	सीपीएसईज को बजट सहायता	19331	19636	19440
4	सीपीएसईज का आईईबीआर	165053	143668	195531
5	योजना परिव्यय/सीपीएसईज (3+4) का निवेश	184384	163303	214971
6	केन्द्रीय योजना परिव्यय (2+5)	319992	292337	375485

बजट अनुमान से 21,385 करोड़ रु. कम पड़े (अर्थात् बजट अनुमानों का लगभग 13%) । संशोधित अनुमान 2007-08 में केन्द्रीय योजना परिव्यय को संशोधित करके 29,337 करोड़ रु. तक कम कर दिया गया।

3.1.23 वर्ष 2008-09 के लिए केन्द्रीय योजना हेतु बजट सहायता का अनुमान 1,79,954 करोड़ रु. का लगाया गया है, जो बजट अनुमान 2007-08 की तुलना में 16% अधिक है। इसमें से 1,60,514 करोड़ रु. केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों की केन्द्र प्रायोजित स्कीमों को वित्त पोषित करने के लिए होगा और शेष 19,440 करोड़ रु. केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों के लिए बजट सहायता के रूप अनुमानित किया है।

3.1.24 **सीपीएसईज का योजना परिव्यय - और उनका आईईबीआर** : सीपीएसईज का आईईबीआर जो सीपीएसईज की योजना के वित्त पोषण में एक मुख्य घटक है वर्ष 2007-08 के संशोधित अनुमान का 21,385 करोड़ रु. कम था। सीपीएसईज की

योजना के वित्त पोषण के घटक-वार ब्यौरे तालिका 3.1.11 में दिए गए हैं।

3.1.25 वर्ष 2008-09 हेतु केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों की योजना के लिए 2,14,971 करोड़ रु. (तालिका 11) का लक्ष्य रखा गया है। वित्त पोषण परिव्यय का लगभग 9 प्रतिशत बजट सहायता के माध्यम से लगभग 52% आंतरिक संसाधनों से और शेष 39% का उधार से किया जाएगा। वित्त पोषण स्रोत से विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों के तहत आने वाले सीपीएसईज में निवेश का वितरण **तालिका 3.1.11** में दिया गया है।

3.1.26 सीपीएसईज के योजना परिव्यय में कमी के क्षेत्रों को सही जगह दर्शाने के लिए संशोधित अनुमानों के अनुसार प्राप्त परिव्यय की तुलना 11 केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के उसी अवधि के बजट अनुमानों से की गई है जिसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सीपीएसईज हैं। संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, विद्युत, इस्पात, जहाजरानी और नागर विमानन के अंतर्गत

तालिका 3.1.11 : केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों का योजना परिव्यय का वित्तपोषण पैटर्न
(आंकड़े करोड़ रु. में एवं प्रतिशत)

क्रम सं.	वित्त का स्रोत	2007-08 बीई	2007-08 आरई	2007-08 (आरई - बीई)	2008-09 बीई	2008-09 बीई का % हिस्सा	2007-08 आरई की तुलना में वृद्धि
I.	बजट सहायता (i+ii)	19331	19636	305	19440	9.0	-196
i.	इक्विटी	16361	16742	381	16436	7.6	-306
ii.	ऋण	2970	2893	-77	3003	1.4	110
	कुल आंकड़े आईईबीआर	165053	143668	-21385	195531	91.0	51863
II.	आंतरिक संसाधन	95875	88304	-7571	111198	51.7	22894
III.	उधार (i+ii+iii)	69178	55364	-13814	84333	39.2	28970
i.	बॉण्ड्स/डिबेंचर	28086	27044	-1042	41812	19.4	14768
ii.	ईसीबी/सप्लायर्स क्रेडिट	15461	15165	-296	15903	7.4	738
iii.	अन्य	25631	13155	-12476	26619	12.4	13463
IV.	कुल योजना परिव्यय (I+II+III)	184384	163303	-21081	214971	100.0	51667

आने वाले सीपीएसईज के मामलों में महत्वपूर्ण कमी रही जिसके ब्यौरे तालिका 3.1.12 में दिए गए हैं।

3.1.27 समग्र रूप में, केन्द्रीय योजना परिव्यय 2008-09 हेतु अनुमान में बजट अनुमान 2007-08 की तुलना में लगभग 17 प्रतिशत की नाममात्र का वृद्धि अनुमान लगाया गया है (तालिका 3.1.10)। साधन संग्रह के लिए संगठित प्रयासों की आवश्यकता होगी।

3.1.28 सीपीएसईज के मामले में वर्ष 2008-09 में निवेश में परिकल्पित बढ़ोत्तरी 16.6% (वर्ष 2007-08 के बजट अनुमान की तुलना में) और 31.6% (संशोधित अनुमान 2007-08 की तुलना में) है। यह महत्वपूर्ण वृद्धि है और साधन संग्रह के लिए समन्वित प्रयास करने की आवश्यकता होगी। बजटेत्तर संसाधन (उधार) जुटाने का सीपीएसईज का निर्णय आम तौर पर परियोजनाओं के वित्तपोषण से जोड़ा जाता है। दूसरे शब्दों में, यह सुनिश्चित करने की लगातार आवश्यकता है कि सीपीएसईज

की योजना परियोजनाएं तेजी से स्वीकृत की जाएं और उनका कार्यान्वयन किया जाए तथा आंतरिक संसाधनों के सृजन के भी प्रयास किए जाएं।

राज्य योजना

वार्षिक योजना 2007-08 : समीक्षा

3.1.29 विधान मंडलों सहित एक साथ सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों हेतु वार्षिक योजना 2007-08 के लिए 2,36,973.25 करोड़ रु. की राशि अनुमोदित की गई थी। अनुमोदित योजना के समग्र संसाधन में 186458.55 करोड़ रु. के राज्यों के निजी संसाधन शामिल हैं और इसमें 50514.70 करोड़ रु. की केन्द्रीय सहायता शामिल है। समग्र संसाधन का संशोधित अनुमान 246971.48 करोड़ रु. निकला है जो कि अनुमोदित योजना से 4.22 प्रतिशत अधिक है। साधन संग्रह और अनुमोदित योजना की तुलना में संशोधित अनुमान स्तर पर योजना के वित्त पोषण की संरचना में परिवर्तन नीचे तालिका 3.1.14 से देखा जा सकता है :

तालिका 3.1.12 : मुख्य क्षेत्रों के केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों का योजना परिव्यय और 2007-08 के दौरान कमी

(आंकड़े करोड़ रु. में और प्रतिशत)

क्रम सं.	क्षेत्रक	2007-08 बीई	2007-08 आरई	कमी (-)/वृद्धि (+)
1	सड़क परिवहन व राजमार्ग	9078.26	9075.06	-3.2
2	संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी	25471.76	16388.76	-9083
3	विद्युत	28387.73	26575.65	-1812.08
4	जहाजरानी	3534.28	2530.12	-1004.16
5	कोयला	5049.69	4516.97	-532.72
6	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस	38902.06	35724.55	-3177.51
7	इस्पात	6202.7	4324.81	-1877.89
8	नागर विमानन	12192.09	11133.75	-1058.34
9	खाने	1220.29	1448.3	228.01
10	रेलवे	30275.31	29893.42	-381.89
11	शहरी विकास	4131.25	4134.84	3.59
12	अन्य सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम	19937.95	17557.15	-2380.8
	कुल जोड़ सभी सीपीएसईज	184383.37	163303.38	-21079.99

तालिका 3.1.13 : चुनिंदा केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों के अंतर्गत सीपीएसईज का योजना परिव्यय व वित्तपोषण - वार्षिक योजना 2008-09

(आंकड़े करोड़ रु. में)

क्रम सं.	सीपीएसईज	आईआर	बांड्स / ऋण पत्र	ईसीबी	अन्य	कुल आईई बीआर	बजटीय सहायता		कुल बजटीय सहायता	योजना परिव्यय
							इक्विटी	ऋण		
1	संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी	12965.6	8094	0	272.14	21331.74	0	0	0	21331.74
2	पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस	37512.83	1285	440	7302.17	46540	0	0	0	46540
3	रेलवे	20600	7200	0	1826.1	29626.1	7100	0	7100	36726.1
4	विद्युत	10850.37	14258.91	3752.02	5598.8	34460.1	266	34	300	34760.1
5	कोयला	4318.4	1560.84	275.26	442.5	6597	0	0	0	6597
6	इस्पात	9509	0	0	0	9509	0	15.5	15.5	9524.5
7	खान	1809.62	0	150	0.38	1960	0	0	0	1960
8	जहाजरानी	5126.99	0	542.01	340	6009	16	6	22	6031
9	सड़क परिवहन व राजमार्ग	0	4100	0	0	4100	6972.47	379	7351.47	11451.47
10	नागर विमानन	2833.87	0	9005.11	-1997.98	9841	70.44	25.44	95.88	9936.88
11	शहरी विकास	128.36	2790	0	60	2978.36	622	1149.5	1771.5	4749.86
12	अन्य पीएसईज	5542.56	2523	1738.6	12774.58	22578.74	1389.46	1393.96	2783.42	25362.16
	कुल सभी सीपीएसईज	111197.6	41811.75	15903	26618.69	195531.04	16436.37	3003.4	19439.77	214970.81

तालिका 3.1.14 वार्षिक योजना 2007-08 : कुल संसाधन

(करोड़ रु.)

संसाधन	वार्षिक योजना	संशोधित अनुमान	% उपलब्धि
1. राज्यों के निजी संसाधन (एसओआर)	186458.55	195278.18	104.73
	(78.68)	(79.07)	
2. केन्द्रीय सहायता (सीए) अनुदान	50514.70	51693.30	102.33
	(21.32)	(20.93)	
3. समग्र संसाधन	236973.25	246971.48	104.22

लघु कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल संसाधनों में प्रतिशत हिस्से को दर्शाते हैं।

3.1.30 राज्यों के निजी संसाधन : राज्यों के निजी संसाधन (एसओआर) मोटे तौर पर दो बड़े वर्गों (क) ऋणोत्तर संसाधन और (ख) विविध पूंजी प्राप्तियों (एमसीआर) सहित ऋण लिए गए अथवा ऋण सृजक संसाधनों में वर्गीकृत किए जा सकते हैं। ऋणोत्तर संसाधनों में चालू राजस्व का शेष (बीसीआर), वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित योजना अनुदान, उपाध्यक्ष और मुख्य मंत्रियों के बीच हुई बैठकों के दौरान किए गए अनिर्दिष्ट अतिरिक्त साधन संग्रह (एआरएम), सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों

का योगदान और स्थानीय निकायों का निवल शेष शामिल हैं। वार्षिक योजना के वित्तपोषण के लिए राज्यों के उधार में भविष्य निधि, निबल लघु बचत वसूली का हिस्सा, मुक्त बाजार उधार, वित्तीय संस्थानों से परक्रामित ऋण और राज्य सार्वजनिक उद्यमों द्वारा जारी किए गए बाँड/ऋण पत्र शामिल हैं। तालिका 3.1.15 नीचे दी गई तालिका वार्षिक योजना 2007-08 के वित्त पोषण के लिए राज्य के निजी संसाधनों की संरचना संक्षेप में दी गई है।

तालिका 3.1.15 वार्षिक योजना 2007-08 : राज्यों के निजी संसाधन

(करोड़ रु.)

संसाधन	वार्षिक योजना	संशोधित अनुमान
1. ऋणोत्तर निजी संसाधन	83835.12	98860.36
	(44.96)	(50.63)
2. उधार लिए गए निजी संसाधन	102623.43	96417.82
	(55.04)	(49.37)
3. राज्यों के निजी संसाधन (एसओआर) (1 + 2)	186458.55	195278.18

कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े राज्यों के निजी संसाधनों में प्रतिशत हिस्से को दर्शाते हैं।

3.1.31 चालू राजस्व का शेष (बीसीआर) : चालू राजस्वों के शेष (बीसीआर) के अंतर्गत गैर-योजना राजस्व लेखों के शेष/घाटे आते हैं, जो योजना संसाधनों को बढ़ा अथवा घटा देते हैं। वर्ष 2007-08 के लिए अनुमोदित वार्षिक योजना में बीसीआर 56,512 करोड़ रु. होने का अनुमान लगाया गया है, जिसमें राज्यों के उच्च कर राजस्व के कारण संशोधित अनुमानों में 62,123 करोड़ रु. का उल्लेखनीय सुधार हुआ है। **संलग्नक 3.1.3** में दिया गया राज्य-वार बीसीआर राज्यों के अनुमोदित योजना की तुलना में सुधार दर्शाता है।

3.1.32 सार्वजनिक उद्यमों का योगदान वित्त पोषण स्कीम में राज्य स्तरीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों (पीएसईज़) का योगदान इन उद्यमों के आंतरिक संसाधनों को स्पष्ट करता है जो उनकी वित्तीय स्थिति को प्रतिबिम्बित करता है। राज्य विद्युत बोर्ड (एसईबीज़) और राज्य सड़क परिवहन निगम (एसआरटीज़) प्रमुख सार्वजनिक उद्यम हैं। राज्य स्तरीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यम राज्यों के योजना संसाधनों पर एक बाधा रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों के योगदान में 0.9% का मामूली सुधार हुआ है अर्थात् वर्ष 2007-08 (संशोधित अनुमान) के

अनुमोदित योजना में 14,670 करोड़ रु. से बढ़कर 14,806 करोड़ रु. हो गया। सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों का राज्य-वार योगदान **संलग्नक 3.1.4** में दिया गया है।

3.1.33 राज्यों के निजी उधार : राज्यों के निजी उधार में निरपेक्ष रूप से कमी आ गई है। राज्यों के कुल निजी संसाधनों में उधार के हिस्से 55% से गिरकर 49% हो गया है। छोटी बचतों के विपरीत ऋण में 61% कमी हुई है जो अनुमोदित योजना में अनुमानित 53,417 करोड़ रु. से घटकर संशोधित अनुमान में 20,791 करोड़ रु. रह गया। मुक्त बाजार उधार वर्ष 2006-07 वार्षिक योजना में 175,83 करोड़ रु. की तुलना में वर्ष 2007-08 संशोधित अनुमान में 51,496 करोड़ रु. की महत्वपूर्ण वृद्धि छोटी बचतों के कम हिस्से और भविष्य निधियों से लिए गए कम ऋणों के कारण हैं। नवीनतम अनुमानों परक्रामित ऋणों व ऋणपत्रों /बाँड्स में 307 करोड़ रु. की गिरावट आई है।

3.1.34 विविध पूंजी प्राप्ति (एमसीआर) : अनुमोदित योजना में अनुमानित 558 करोड़ रु. की विविध पूंजी प्राप्ति (ऋणों के पुनर्भुगतान संबंधी कटौतियों को छोड़कर) संशोधित अनुमानों में बढ़कर 2,415 करोड़ रु. की हो गई है।

3.1.35 केन्द्रीय सहायता : “ केन्द्रीय बजट-वर्ष 2007-08 में राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय सहायता (अनुदान) के रूप में 50,160.68 करोड़ रु. का आबंटन किया गया था जिसमें राज्यों के लिए 47,127.04 करोड़ और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 3033.64 करोड़ रु. की केन्द्रीय सहायता शामिल थी। वर्ष 2007-08 (बजट अनुमान) में राज्यों के लिए सामान्य केन्द्रीय सहायता 15,408 करोड़ रु. हैं। कुल केन्द्रीय सहायता के लिए संशोधित अनुमान 58,854.75 करोड़ रु. हैं जिसमें राज्यों के लिए 55,916.91 करोड़ रु. और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 2937.84 करोड़ रु. है (संलग्नक 3.1.1)। वर्ष 2007-08 (संशोधित अनुमान) के लिए सामान्य केन्द्रीय सहायता

(अनुदान) 15,358 करोड़ रु. थी। वित्त-पोषण स्कीम के अनुसार राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की वार्षिक योजना हेतु वर्ष 2007-08 के लिए अनुमोदित वित्त-पोषण पैटर्न में 15,599 करोड़ रु. की एनसीए (अनुदान) का अनुमान लगाया गया है जो नवीनतम अनुमानों के अनुसार 15,533 करोड़ रु. थी।

3.1.36 राज्यों हेतु बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं (ईएपीज़ के लिए एसीए) हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के लिए बजट 2007-08 उपबंध 3,690 करोड़ रु. था जिसे बाद में संशोधित करके 9.190 करोड़ रु. कर दिया गया था राज्यों की वार्षिक योजना के वित्त-पोषण की अनुमोदित स्कीम में कुछ राज्यों के लिए संरचनागत समायोजन ऋणों सहित 5,870 करोड़ रु. की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया था। वर्ष 2007-08 संसाधनों के संशोधित अनुमान के अनुसार ईएपीज़ हेतु एसीए का उपयोग 5,662 करोड़ रु. हुआ।

वार्षिक योजना 2008-09

3.1.37 राज्यों के निजी संसाधन 2,39,281.82 करोड़ रु. और केन्द्रीय सहायता 66,131.86 करोड़ के हैं। वार्षिक योजना 2007-08 की तुलना में वार्षिक योजना 2008-09 हेतु समग्र संसाधन संरचना की तुलनात्मक स्थिति नीचे तालिका 3.1.16 में दी गई है।

3.1.38 वार्षिक योजना 2007-08 और वार्षिक योजना 2008-09 में समग्र संसाधनों में राज्यों के निजी संसाधन तथा केन्द्रीय सहायता के हिस्से में मामूली भिन्नता ही दिखाई देती है। समग्र संसाधन 29% की वृद्धि दर्शाते हैं।

तालिका 3.1.16 वार्षिक योजना : सकल संसाधन
(करोड़ रु.)

संसाधन	2007-08 (एपी)	2008-09 (एपी)	प्रतिशत वृद्धि
1. राज्यों के	186458.55	239281.82	28.33

संसाधन	2007-08 (एपी)	2008-09 (एपी)	प्रतिशत वृद्धि
निजी संसाधन (एसओआर)	(78.68)	(78.35)	
2. केन्द्रीय सहायता (सी ए)	50514.70 (21.32)	66131.86 (21.65)	30.92
3. सकल संसाधन (1+2)	236973.25	305413.68	28.88

तिरछे अक्षरों में दिए गए आंकड़े सकल संसाधनों में प्रतिशत हिस्से को दर्शाते हैं।

राज्यों के निजी संसाधन:

3.1.39 वार्षिक योजना 2007-08 की तुलना में वार्षिक योजना 2008-09 में राज्यों के निजी संसाधनों में ऋणोत्तर संसाधनों का हिस्सा बढ़ा है जबकि उधार लिए गए संसाधनों के हिस्से में गिरावट देखने में आई है। (तालिका 3.1.17)

तालिका 3.1.17 वार्षिक योजना 2007-08 और 2008-09 : राज्यों के निजी संसाधन

(करोड़ रु.)

संसाधन	2007-08 (एपी)	2008-09 (एपी)
1. ऋणोत्तर निजी संसाधन	83835.12 (44.96)	131730.33 (55.05)
2. उधार लिए गए निजी संसाधन	102623.43 (55.04)	107551.44 (44.95)
3. राज्यों के निजी संसाधन (एसओआर) (1 + 2)	186458.55	239281.82

लघु कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े राज्यों के निजी संसाधनों में प्रतिशत हिस्से को दर्शाते हैं।

3.1.40 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के चालू राजस्व का शेष (बीसीआर) वार्षिक योजना 2007-08 की तुलना में वार्षिक योजना 2008-09 में पर्याप्त सुधार दर्शाता है। यह मुख्यतः बारहवें वित्त आयोग द्वारा सिफारिश किए गए वर्धित संसाधन प्रवाह के कारण है। केन्द्र द्वारा अधिक अंतरण और अनुदान तथा

सुधार कर रहे राज्यों द्वारा प्राप्त किए गए गैर योजना राजस्व व्यय (एनपीआरई) की वृद्धि में स्थायित्व ने भी कुल मिलाकर बीसीआरके सुधार में योगदान दिया है।

3.1.41 वार्षिक योजना 2008-09 में पीएसईज़ का अनुमानित योगदान 17,904 करोड़ रु. है इसने वर्ष 2007-08 (संशोधित अनुमान) के 14,806 करोड़ रु. के सकारात्मक योगदान को भी बनाए रखा है। अनेक राज्यों ने सुधार के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, अतः निजीकरण अथवा सार्वजनिक उपक्रमों को बंद करना सही दिशा में उठाया गया कदम है। बहुत से राज्यों में विद्युत क्षेत्रक सुधार पर विचार किया गया है।

3.1.42 वर्ष 2007-08 के लिए अनुमोदित योजना की तुलना में वार्षिक योजना 2008-09 में अनुमानित राज्यों के उधारों में वृद्धि हुई है। वार्षिक योजना 2008-09 में 27,418 करोड़ रु. की अनुमानित लघु बचतों से कम अंतःप्रवाह के कारण, यह संभावना है कि वार्षिक योजना 2007-08 की तुलना में वार्षिक योजना 2008-09 में बाजार उधारों के हिस्से और परक्रामित ऋणों में भी वृद्धि होगी।

3.1.43 योजना में राज्य सड़क परिवहन (एसआरटीज़) का योगदान उनकी लाभ प्रदता पर आधारित है। एसआरटीज़ पुराने वाहनों (फ्लीट), अलाभकारी मार्गों पर प्रचलन, रियायती यात्रा, अनार्थिक किराया और राज्य सरकारों द्वारा अपर्याप्त सहायता दिए जाने के कारण प्रत्येक वर्ष घाटा उठा रहे हैं।

केन्द्रीय सहायता

3.1.44 राज्यों हेतु केन्द्रीय सहायता विशेष एवं अन्य कार्यक्रमों के लिए केन्द्रीय सहायता, विशेष योजना सहायता और राज्यों की वार्षिक योजनाओं

हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में होती है। इन मदों के अंतर्गत निधियां मुख्यतः स्कीम/परियोजना विशिष्ट प्रकृति की होती हैं। पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि, राष्ट्रीय ई-अभिशासन कार्य योजना (एनईजीएपी), जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन को राज्य योजनाओं हेतु केन्द्रीय सहायता में शामिल किया है। इन निधियों का उपयोग इन क्षेत्रों में राज्य सरकारों द्वारा सुधार के लक्ष्यों की उपलब्धि पर निर्भर करता है।

3.1.45 केन्द्रीय बजट 2008-09 के अनुसार राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की योजना के लिए कुल केन्द्रीय सहायता (अनुदान) 63,431 करोड़ रु. है जिसमें 60,152 करोड़ रु. राज्य परियोजनाओं व 3279 करोड़ रु. संघ राज्य क्षेत्र की योजनाओं के शामिल हैं। वर्ष 2008-09 (बजट अनुमान) में राज्यों के लिए सामान्य केन्द्रीय सहायता 17,992 करोड़ रु. है।

कार्यनीति व नीतिगत पहलें

3.1.46 समेकित स्थिति दर्शाती है कि वर्ष 2007-08 में विशेष श्रेणी राज्यों के समग्र निष्पादन में चालू राजस्वों से प्राप्त शेष में थोड़े सुधार सहित वार्षिक योजना और संशोधित अनुमानों के बीच थोड़ा सुधार हुआ है। अन्य राज्यों (गैर-विशेष श्रेणी राज्य) के मामलों में, चालू राजस्वों से प्राप्त शेष में सुधार हुआ है जिसके परिणामस्वरूप वार्षिक योजना 2007-08 और संशोधित अनुमानों के बीच राज्यों के निजी संसाधनों में वृद्धि हुई है साथ ही एसएलपीज़ का योगदान भी बढ़ा है। राज्यों में वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए स्वयं को तैयार कर लिया है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना से इस बात पर भी बल दिया है कि राज्यों की अपने वित्तीय सुधारों की पुनः प्राथमिकता देने की आवश्यकता है ताकि वे संधारणीय वृद्धि और विकास प्राप्त कर सकें।

राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की योजनाओं हेतु केन्द्रीय सहायता 2007-08 और 2008-09

(करोड़ रूपए)

मदें	2007-08		2008-09
	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	
केन्द्रीय सहायता	47,127.04	55,916.91	60,152.46
1 सामान्य केन्द्रीय सहायता	15,408.02	15,358.00	17,991.98
2 विशेष योजना सहायता	2,637.00	1,862.36	4,602.00
3 विशेष केन्द्रीय सहायता	2,561.71	2,561.71	2,847.00
जिसमें से			
i) पर्वतीय क्षेत्र	225.00	225.00	272.00
ii) जनजातीय उपयोजना	816.71	816.71	900.00
iii) अनुच्छेद 275(1) के उपबंध	400.00	400.00	416.00
iv) सीमा क्षेत्र	520.00	520.00	635.00
v) पूर्वोत्तर परिषद	600.00	600.00	624.00
4 झूम खेती का नियंत्रण	40.00	40.00	40.00
5 सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीम (एमपीएलएडीएस)	1,580.00	1,580.00	1,580.00
6 ईएपीज को अतिरिक्त केन्द्रीय पूल से सहायता	3,690.00	9,190.00	4,550.00
7 पूर्वोत्तर एवं सिक्किम के लिए केन्द्रीय पूल से सहायता	600.00	636.00	650.00
8 बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद हेतु विशेष पैकेज	100.00	100.00	100.00
9 त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम	3,580.00	5,580.00	5,550.00
10 सड़कें एवं पुल	1,512.13	1,512.13	1,605.82
11 त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी)	800.00	400.00	800.00
12 राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) (अन्नपूर्णा सहित)	2,391.91	2,891.46	3,442.24
13 किशोरियों के लिए पोषण कार्यक्रम (एनपीएजी)	162.77	75.00	162.77
14 राष्ट्रीय ई-अभिशासन कार्य योजना (एनईजीएपी)	500.00	500.00	469.37
15 पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (पूर्व में पिछड़े जिले/क्षेत्र निधि)	5,800.00	4,730.00	5,800.00
(i) राज्य घटक	1,130.00	1,130.00	1,130.00
(ii) जिला घटक	4,670.00	3,600.00	4,670.00
16 जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय नवीकरण मिशन	4,987.50	5,488.00	6,247.98
जिसमें से			
i.) शहरी अवसंरचना तथा अभिशासन हेतु शहरी नवीकरण उप-मिशन	2,474.90	2,474.00	3,100.37

मर्दें	2007-08		2008-09
	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	
ii) छोटे व मध्यम शहरों के लिए शहरी अवसंरचना विकास (यूआईडीएसएसएमटी)	702.22	1,204.00	879.69
iii) शहरी गरीबों को मूलभूत सेवाओं संबंधी उपमिशन	1,322.34	1,022.00	1,656.54
iv) एकीकृत आवास एवं स्लम विकास (आईएचएसडीपी)	488.04	788.00	611.38
17 वृहन मुम्बई स्ट्रॉम वाटर ड्रेन परियोजना (बीआरआईएम एसटीओडब्ल्यूए), मुम्बई	400.00	400.00	100.00
18 राष्ट्रमंडल युवा खेल, पुणे	50.00	50.00	...
19 सुनामी पुनर्वास कार्यक्रम (टीआरपी)	326.00	826.00	460.00
20 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई)	...	996.25	3,153.30
21 अन्य परियोजनाओं हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	...	1,140.00	...
ख केन्द्रीय सहायता	3,033.64	2,937.84	3,279.04
ग कुल जोड़ (क+ख)	50,160.68	58,854.75	63,431.50

संलग्नक 3.1.2

तालिका 3.1.2 : अनुमोदित वित्त पोषण (एसओएफ) स्कीम : वार्षिक योजनाएं : 2007-08 (एपी/एलई/आरई) और 2008-09 (एपी)

क्र.	राज्य सरकार	आंध्र प्रदेश		अरुणाचल प्रदेश		असम		बिहार			
		2007-08		2008-09		2007-08		2008-09			
		एपी	एलई/आरई	एपी	एलई/आरई	एपी	एलई/आरई	एपी	एलई/आरई		
	17838.79	14651.78	29149.22	26.23	-56.62	109.24	-1522.81	401.73	3059.02	2008-09	2008-09
क.	10359.77	8549.39	16650.62	-2.28	-85.26	-19.46	-1518.85	377.32	2502.12	एपी	एपी
	7331.02	5954.39	12305.71	4.76	4.89	4.95	-49.46	-21.09	168.18	एलई/आरई	एलई/आरई
ख	148.00	148.00	148.00	23.75	23.75	23.75	45.50	45.50	111.00	एपी	एपी
ग	0.00	0.00	179.10	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	277.72	एपी	एपी
घ	0.00	0.00	-134.21	0.00	0.00	0.00	0.00	-546.02	0.00	एलई/आरई	एलई/आरई
ङ.	9339.57	7620.95	9792.58	260.46	296.03	257.11	1830.42	1029.48	3689.28	एपी	एपी
2. राज्य के उधार (i) - (ii)	14158.46	12613.92	14625.51	344.12	353.02	351.06	1830.42	1413.26	5102.54	एपी	एपी
(1) सकल उधारी (क से छ)	707.20	790.92	870.01	72.12	81.02	85.07	445.40	384.33	336.27	एपी	एपी
क	3850.00	387.44	1000.00	59.37	23.98	25.00	439.18	83.09	1821.00	एपी	एपी
ख	2154.61	1411.82	2438.63	73.66	73.66	69.50	200.00	200.00	649.04	एलई/आरई	एलई/आरई
ग	1753.20	1045.15	2568.77	1.02	1.02	0.00	287.92	98.49	200.00	एपी	एपी
घ	981.64	981.64	1073.89	76.89	76.89	84.58	189.43	189.43	1711.74	एपी	एपी
ङ.	4051.81	5682.66	6674.21	61.06	96.45	86.91	268.49	457.92	384.49	एपी	एपी
च	660.00	2314.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	एलई/आरई	एलई/आरई
छ	4818.89	4992.97	4832.93	83.66	56.99	93.95	0.00	332.31	1413.26	एपी	एपी
(ii) पुनर्मुग्तान	27178.36	22272.73	38941.80	286.69	239.41	366.35	307.61	696.76	6748.30	एपी	एपी
संसाधन (शामिल)	3321.65	3499.53	5058.20	1033.31	1033.31	1698.65	3528.35	3684.05	3451.70	एपी	एपी
3	420.70	368.07	460.24	691.98	691.98	761.18	1704.89	1704.89	733.61	एपी	एपी
क	143.16	332.69	179.24	8.98	8.98	9.00	886.42	886.42	100.00	एपी	एपी
ख	2757.78	2798.77	4418.72	332.35	332.35	928.47	937.04	937.04	2618.09	एपी	एपी
ग	30500.00	25772.26	44000.00	1320.00	1272.72	2065.00	3835.96	4225.11	10200.00	एपी	एपी
कुल क : राज्य सरकार (1+2+3)										एलई/आरई	एलई/आरई
ख. उद्यम (पीएसई)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-140.24	0.00	एपी	एपी
आंतरिक संसाधन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	एपी	एपी
बजट-तर संसाधन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-35.96	0.00	0.00	एपी	एपी
बजटीय सहायता	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-35.96	0.00	0.00	एपी	एपी
कुल ख : पीएसईज (1+2+3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-35.96	-140.24	0.00	एपी	एपी
ग. स्थानीय निकाय										एपी	एपी
I. शहरी स्थानीय निकाय										एपी	एपी
क	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	एपी	एपी
ख	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	एपी	एपी
ग	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	एपी	एपी

मं	आंध्र प्रदेश				अरुणाचल प्रदेश				असम				बिहार			
	2007-08		2008-09		2007-08		2008-09		2007-08		2008-09		2007-08		2008-09	
	एपी	एलई/आरई	एपी	एलई/आरई	एपी	एलई/आरई	एपी	एलई/आरई	एपी	एलई/आरई	एपी	एलई/आरई	एपी	एलई/आरई	एपी	एलई/आरई
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल (क+ख+ग)																
II. ग्रामीण स्थानीय निकाय																
क आंतरिक संसाधन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ख बजटोत्तर संसाधन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ग बजटीय सहायता	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल (क+ख+ग)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल ग : स्थानीय निकाय (I + II)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
शहरी स्थानीय निकाय & स्थानीय निकाय (ख+ग)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
घ संसाधन (क+ख+ग)	30500.00	25772.26	44000.00	1320.00	1272.72	2065.00	3800.00	4084.87	5011.51	10200.00	10200.26	13000.00	13000.00			

टिप्पणी : केन्द्रीय सहायता का नोडनल ऋण भाग उपलब्ध कराने के लिए बाजार उधारों को समायोजित किया गया

संलग्नक 3.1.2

अनुमोदित वित्त पोषण (एसओएफ) स्कीम : वार्षिक योजनाएं : 2007-08 (एपी/एलई/आरई) और 2008-09 (एपी)

क्र.	मदें	छत्तीसगढ़			गोवा			गुजरात			हरियाणा		
		2007-08		2008-09	2007-08		2008-09	2007-08		2008-09	2007-08		2008-09
		एपी	एलई/आरई	एपी	एपी	एलई/आरई	एपी	एपी	एलई/आरई	एपी	एपी	एलई/आरई	एपी
	राज्य सरकार												
	1. राज्य के निजी संसाधन (क से ड)	4562.15	3995.23	6097.80	416.44	416.44	572.08	6921.85	8071.17	7426.97	2617.57	3277.86	3994.46
	क बीसीआर	3881.64	3071.86	5167.53	383.33	383.33	534.08	6887.49	8210.45	5791.12	2415.03	3299.52	3940.78
	ख एमसीआर ऋणों के पुनः भुगतान संबंधी कटौतियों को छोड़कर)	586.01	828.87	835.77	5.01	5.01	4.90	-300.59	-199.53	-407.29	173.39	-50.81	24.53
	ग भारत सरकार से योजना अनुदान (टीएफसी)	94.50	94.50	94.50	8.10	8.10	8.10	334.95	60.25	60.25	29.15	29.15	29.15
	घ एआरएम	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	25.00	0.00	0.00	1982.89	0.00	0.00	0.00
	ड अथशेष का समायोजन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2. राज्य के उधार (i) - (ii)	1400.30	1240.18	1749.82	803.08	803.08	826.14	6256.72	6497.77	7297.03	2298.32	1828.27	2233.85
	(i) सकल उधारी (क से छ)	1840.47	1423.45	2098.79	908.93	908.93	908.55	8792.45	8358.71	9352.79	2888.48	2412.13	2928.41
	क राज्य मविद्य निधि	24.07	24.07	-7.57	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	387.73	399.66	646.85
	ख लघु बचतें	900.00	140.00	305.00	150.00	150.00	164.56	6050.00	950.00	991.00	990.00	840.94	336.28
	ग परक्रमित ऋण	355.00	355.00	650.00	31.00	31.00	57.00	1036.21	714.21	1139.83	623.30	540.45	644.00
	घ ईपीज एवं बी 2 बी हेतु ऋण	283.80	288.40	423.82	75.00	75.00	75.00	426.04	279.50	334.26	47.41		0.00
	ड एनसीए हेतु राष्ट्रीय ऋण	445.13	445.13	493.67	76.57	76.57	77.07	607.53	607.53	675.31	273.54	273.54	295.57
	ड बजार उधार	-167.53	170.85	233.87	546.36	546.36	504.92	672.67	5807.47	6212.39	566.50	357.54	1005.71
	छ बांड्स/ऋण पत्र	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(ii) पुनर्भुगतान	440.17	183.27	348.97	105.85	105.85	82.41	2535.73	1860.94	2055.76	590.16	583.86	694.56
	संसाधन (शामिल)	5962.45	5235.41	7847.62	1219.52	1219.52	1398.22	13178.57	14568.94	14724.00	4915.89	5106.13	6228.31
	3 केंद्रीय सहायता	1153.67	1153.67	1463.52	96.82	96.82	202.78	1792.43	1854.89	3011.00	384.11	383.24	421.69
	क सामान्य केंद्रीय सहायता	190.77	190.77	209.85	32.81	32.81	33.03	260.37	260.37	289.42	117.23	117.23	126.67
	ख ईपीज हेतु एसीए	190.24	190.24	201.71	0.00	0.00	0.00	178.80	109.93	96.21	20.32	19.45	14.64
	ग अन्य	772.66	772.66	1051.96	64.01	64.01	169.75	1353.26	1484.59	2625.37	246.56	246.56	280.38
	कुल क : राज्य सरकार (1+2+3)	7116.12	6389.08	9311.14	1316.34	1316.34	1601.00	14971.00	16423.83	17735.00	5300.00	5489.37	6650.00
	ड. ड. धाम (पीएसई)												
	आंतरिक संसाधन	0.00	0.00	0.00	10.25	10.25	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00	-1261.29	0.00
	बजटतर संसाधन	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	90.00	1029.00	1000.00	1020.00	0.00	2078.86	0.00
	बजटीय सहायता	96.11	67.93	105.72	2.45	2.45	2.99	0.00	0.00	2245.00	0.00	0.00	0.00
	कुल ख : पीएसईज (1+2+3)	96.11	67.93	105.72	87.70	87.70	106.16	1029.00	1000.00	3265.00	0.00	817.57	0.00
	ग. स्थानीय निकाय												
	I. शहरी स्थानीय निकाय												
	क आंतरिक संसाधन	0.00	0.00	0.00	12.73	12.73	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.93	0.00
	ख बजटतर संसाधन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

मंटे	छत्तीसगढ़				गोवा				गुजरात				हरियाणा			
	2007-08		2008-09		2007-08		2008-09		2007-08		2008-09		2007-08		2008-09	
	एपी	एलई/आरई	एपी	एलई/आरई	एपी	एलई/आरई	एपी	एलई/आरई	एपी	एलई/आरई	एपी	एलई/आरई	एपी	एलई/आरई	एपी	एलई/आरई
ग	81.42	81.42	76.64	10.39	10.39	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.52	0.00	0.00
कुल (क+ख+ग)	81.42	81.42	76.64	23.12	23.12	25.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.45	0.00	0.00
II. ग्रामीण स्थानीय निकाय																
क	0.00	0.00	0.00	-0.76	-0.76	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.48	0.00	0.00
ख	0.00	28.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ग	120.07	120.07	106.50	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.27	0.00	0.00
कुल (क+ख+ग)	120.07	148.25	106.50	2.84	2.84	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.75	0.00	0.00
कुल ग : स्थानीय निकाय (I + II)	201.49	229.67	183.14	25.96	25.96	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397.20	0.00	0.00
शहरी स्थानीय निकाय & स्थानीय निकाय (ख+ग)	297.60	297.60	288.86	113.66	113.66	136.65	1029.00	1000.00	3265.00	1000.00	3265.00	1214.77	0.00	1214.77	0.00	0.00
घ. संसाधन (क+ख+ग)	7413.72	6686.68	9600.00	1430.00	1430.00	1737.65	16000.00	17423.83	21000.00	16000.00	5300.00	6704.14	6650.00	6704.14	6650.00	6650.00

टिप्पणी : केंद्रीय सहायता का नौसैनिक ऋण भाग उपलब्ध कराने के लिए बाजार उधारों को समायोजित किया गया

संलग्नक 3.1.2

तालिका 3.1.2 : अनुमोदित वित्त पोषण (एसओएफफ) स्कीम : वार्षिक योजनाएं : 2007-08 (एपी/एलई/आरई) और 2008-09 (एपी)

क्र.	राज्य सरकार	हिमालय प्रदेश				जम्मू व कश्मीर				झारखंड				कर्नाटक			
		2007-08		2008-09		2007-08		2008-09		2007-08		2008-09		2007-08		2008-09	
		एपी	एलई/आरई	एपी	एलई/आरई	एपी	एलई/आरई	एपी	एलई/आरई	एपी	एलई/आरई	एपी	एलई/आरई	एपी	एलई/आरई	एपी	एलई/आरई
		-449.88	-684.47	-1270.96	-235.87	-1926.82	-1976.14	1594.72	2995.00	4698.20	5795.80	10577.60	13312.93				
क	बीसीआर	-482.36	-716.95	-1304.44	-231.52	-1865.37	-2017.05	1440.23	2407.00	4093.19	5617.82	7753.01	10622.53				
ख	एनसीआर ऋणों के पुनः भुगतान संबंधी कटौतियों को छोड़कर)	13.48	13.48	14.48	-108.41	-165.50	-63.14	-256.51	177.00	194.01	-1.62	2512.26	2477.43				
ग	भारत सरकार से योजना अनुदान (टीएफसी)	19.00	19.00	19.00	104.06	104.05	104.05	91.00	91.00	91.00	179.60	177.60	173.50				
घ	एआरएम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00				
ड.	अधशेष का समायोजन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.73	39.47				
2.	राज्य के उधार (i) - (ii)	1146.38	1345.56	1931.71	1415.63	2102.15	2072.87	4002.12	2903.00	1937.00	5985.41	2899.81	6731.36				
(i)	सकल उधारी (क से छ)	2165.38	2364.56	2923.71	2528.11	2789.61	2908.27	4293.74	3530.00	2583.49	6605.91	3555.08	7426.94				
क	राज्य मविष्य निधि	350.00	350.00	300.00	1066.86	509.84	852.28	552.00	271.04	1036.43	1012.68	1113.95					
ख	लघु बचतें	874.16	300.00	200.00	515.46	208.41	453.00	1496.54	1522.64	117.48	1873.87	421.07	931.15				
ग	परकर्मित ऋण	200.00	200.00	320.00	635.00	635.00	700.00	1500.00	907.00	1100.00	615.00	600.00	615.00				
घ	ईपीज एवं बी 2 बी हेतु ऋण	0.57	0.00	0.00	35.35	35.00	36.22	60.56	0.00	515.00	1986.61	1986.60	1567.18				
ड.	एनसीए हेतु राष्ट्रीय ऋण	93.66	93.66	103.03	185.57	185.57	204.13	548.36	548.36	579.97	683.44	683.44	753.55				
च	बजार उधार	647.05	1420.90	2000.68	89.87	1216.63	924.08	-164.00	0.00	0.00	410.56	-1148.71	2446.11				
छ	बांड्स/ऋण पत्र	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
(ii)	पुनर्भुगतान	1019.00	1019.00	992.00	1112.48	687.46	835.40	291.62	627.00	646.49	620.49	655.27	695.58				
संसाधन (शामिल)		696.50	661.09	660.75	1179.76	175.33	96.73	5596.84	5898.00	6635.20	11781.21	13477.41	20044.29				
3	केंद्रीय सहायता	1403.50	1438.91	1739.25	3670.24	3670.24	4403.27	1079.16	1080.00	1379.80	1945.04	1737.20	2353.39				
क	सामान्य केंद्रीय सहायता	842.90	842.90	927.27	1670.16	1670.16	1837.17	235.01	235.00	248.56	292.90	295.99	322.95				
ख	ईपीज हेतु एसीए	4.59	40.00	75.60	318.13	318.13	326.05	4.52	5.00		433.81	433.81	317.19				
ग	अन्य	556.01	556.01	736.38	1681.95	1681.95	2240.05	839.63	840.00	1131.24	1218.33	1007.40	1713.25				
	कुल क : राज्य सरकार (1+2+3)	2100.00	2100.00	2400.00	4850.00	3845.57	4500.00	6676.00	6978.00	8015.00	13726.25	15214.61	22397.68				
ख.	उधम (पीएसई)																
	आंतरिक संसाधन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746.33	639.18	946.37				
	बजटत्तर संसाधन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3310.00	1923.65	2708.48				
	बजटीय सहायता	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-297.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	कुल ख : पीएसईज (1+2+3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-297.00	0.00	4056.33	2562.83	3654.85				
ग.	स्थानीय निकाय																
	I. शहरी स्थानीय निकाय																
क	आंतरिक संसाधन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
ख	बजटत्तर संसाधन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
ग	बजटीय सहायता	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

मंटे	हिमालय प्रदेश				जम्मू व कश्मीर				झारखंड				कर्नाटक				
	2007-08		2008-09		2007-08		2008-09		2007-08		2008-09		2007-08		2008-09		
	एपी	एलई/आरई	एपी	एलई/आरई	एपी	एलई/आरई	एपी	एलई/आरई	एपी	एलई/आरई	एपी	एलई/आरई	एपी	एलई/आरई	एपी	एलई/आरई	
कुल (क+ख+ग)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
II. ग्रामीण स्थानीय निकाय																	
क आंतरिक संसाधन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ख बाजट्टर संसाधन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ग बाजटीय सहायता	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल (क+ख+ग)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल ग : स्थानीय निकाय (I + II)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
शहरी स्थानीय निकाय & स्थानीय निकाय (ख+ग)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
घ. संसाधन (क+ख+ग)	2100.00	2100.00	2400.00	2400.00	4850.00	3845.57	4500.00	8015.00	6676.00	6681.00	8015.00	17782.58	17777.44	26052.53	2562.83	3654.85	26052.53

टिप्पणी : केन्द्रीय सहायता का नोशनल ऋण भाग उपलब्ध कराने के लिए बाजार उधारों को समायोजित किया गया

तालिका 3.1.2 : अनुमोदित वित्त पोषण (एसओएफएफ) स्कीम : वार्षिक योजनाएं : 2007-08 (एपी/एलई/आरई) और 2008-09 (एपी)

(करोड़ रुपये)

मंटे	केरल		मध्य प्रदेश		महाराष्ट्र		मणिपुर		
	2007-08	2008-09	2007-08	2008-09	2007-08	2008-09	2007-08	2008-09	
	एपी	एलई/आरई	एपी	एलई/आरई	एपी	एलई/आरई	एपी	एलई/आरई	
क. राज्य सरकार									
1. राज्य के निजी संसाधन (क से ड)									
क. बीसीआर	-4066.32	-3556.54	-2298.51	4771.00	5371.00	6063.88	7626.03	4842.50	4537.53
	-3900.73	-4045.19	-2118.56	5370.00	6144.00	6552.90	9768.77	7510.07	7403.77
	-301.84	352.40	-316.20	-347.00	-544.00	-480.13	-2244.24	-2769.07	-2967.74
ख. एमसीआर ऋणों के पुनः भुगतान संबंधी कटौतियों को छोड़कर)									
ग. भारत सरकार से योजना अनुदान (टीएफसी)	136.25	136.25	136.25	103.00	103.00	103.00	101.50	101.50	101.50
घ. एआरएम	0.00	0.00	0.00	-355.00	0.00	-111.89	0.00	0.00	0.00
ड. अधिप्रेषण का समायोजन	0.00	0.00	0.00	0.00	-332.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. राज्य के उधार (i) - (ii)	7338.74	6599.04	5811.89	4860.00	4840.00	4834.62	9093.66	12958.74	13905.43
(i) सकल उधारी (क से छ)	8061.48	7400.83	6741.61	5894.00	7721.00	7111.19	14903.70	18091.35	19040.53
क. राज्य मविच्य निधि	2105.00	1650.54	950.00	53.00	53.00	1341.24	4053.73	4160.91	4577.00
ख. लघु बचतें	2487.07	2357.00	2673.74	1979.00	539.00	689.98	6936.41	1618.49	8306.73
ग. परकामित ऋण	932.00	932.00	932.00	820.00	820.00	890.00	1000.00	1000.00	1000.00
घ. ईएपीज एवं बी 2 बी हेतु ऋण	1174.13	1030.88	864.63	1189.00	1189.00	1775.58	729.25	352.63	656.80
ड. एनसीए हेतु राष्ट्रीय ऋण	504.23	504.23	548.20	1071.05	1071.05	1188.74	1069.69	1069.69	1180.69
च. बजार उधार	859.05	926.18	773.04	781.95	4048.95	1225.65	1114.62	9889.63	3319.31
छ. बांड्स/ऋण पत्र	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii) पुनर्भुगतान	722.74	801.79	929.72	1034.00	2881.00	2276.57	5810.04	5132.61	5135.10
संसाधन (शामिल)	3272.42	3042.50	3513.38	9631.00	10211.00	10898.50	16719.69	17801.24	18442.96
3. केन्द्रीय सहायता	1007.58	1110.34	1551.11	2380.00	2379.00	3284.11	3530.31	4335.55	6557.04
क. सामान्य केन्द्रीय सहायता	216.10	216.10	234.94	459.00	459.00	504.90	458.44	458.44	506.01
ख. ईएपीज हेतु एसीए	329.62	369.38	334.13	199.00	199.00	476.64	312.54	151.12	161.27
ग. अन्य	461.86	524.86	982.04	1722.00	1721.00	2302.57	2759.33	3725.99	5889.76
कुल क : राज्य सरकार (1+2+3)	4280.00	4152.84	5064.49	12011.00	12590.00	14182.61	20250.00	22136.79	25000.00
ड. डाम (पीएसई)									
आंतरिक संसाधन	880.00	880.00	758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
बजटलेख संसाधन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
बजटीय सहायता	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल ख : पीएसईज (1+2+3)	880.00	880.00	758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ग. स्थानीय निकाय									
I. शहरी स्थानीय निकाय									
क. आंतरिक संसाधन	-33.64	-33.64	-39.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ख. बजटलेख संसाधन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

मदें	केरल				मध्य प्रदेश				महाराष्ट्र				मणिपुर			
	2007-08		2008-09		2007-08		2008-09		2007-08		2008-09		2007-08		2008-09	
	एपी	एलई/आरई	एपी	एलई/आरई	एपी	एलई/आरई	एपी	एलई/आरई	एपी	एलई/आरई	एपी	एलई/आरई	एपी	एलई/आरई	एपी	एलई/आरई
ग. बजटीय सहायता	331.98	331.98	351.36	351.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल (क+ख+ग)	298.34	298.34	311.62	311.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. ग्रामीण स्थानीय निकाय																
क. आंतरिक संसाधन	-278.50	-278.50	-307.61	-307.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ख. बजटोत्तर संसाधन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ग. बजटीय सहायता	1770.16	1770.16	1873.50	1873.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल (क+ख+ग)	1491.66	1491.66	1565.89	1565.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल ग : स्थानीय निकाय (I + II)	1790.00	1790.00	1877.51	1877.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
शहरी स्थानीय निकाय & स्थानीय निकाय (ख+ग)	2670.00	2670.00	2635.51	2635.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
घ. संसाधन (क+ख+ग)	6950.00	6822.84	7700.00	7700.00	12011.00	12590.00	14182.61	14182.61	20250.00	22136.79	25000.00	25000.00	1374.31	1418.37	1660.00	1660.00

टिप्पणी : केंद्रीय सहायता का नौसैनिक ऋण भाग उपलब्ध कराने के लिए बाजार उधारों को समायोजित किया गया

संलग्नक 3.1.2

तालिका 3.1.2 : अनुमोदित वित्त पोषण (एसओएफ) स्कीम : वार्षिक योजनाएं : 2007-08 (एपी/एलई/आरई) और 2008-09 (एपी)

क्र.	राज्य सरकार	मेघालय				मिजोरम				नागालैंड				उड़ीसा			
		2007-08		2008-09		2007-08		2008-09		2007-08		2008-09		2007-08		2008-09	
		एपी	एलई/आरई	एपी	एलई/आरई	एपी	एलई/आरई	एपी	एलई/आरई	एपी	एलई/आरई	एपी	एलई/आरई	एपी	एलई/आरई	एपी	एलई/आरई
		41.36	0.09	49.84	-154.27	-135.97	-87.91	-242.18	-197.62	1234.62	1723.83	1274.86					
क	बीसीआर	-21.62	-32.53	-0.79	-199.62	-176.32	-149.31	-235.73	-215.95	1606.62	2065.13	1518.49					
ख	एमसीआर ऋणों के पुनः भुगतान संबंधी कर्तवियों को छोड़कर)	16.62	16.62	14.63	17.85	17.85	16.85	-23.95	-14.50	-442.00	-411.30	-313.63					
ग	भारत सरकार से योजना अनुदान (टीएफसी)	46.36	16.00	16.00	27.50	22.50	22.50	17.50	17.50	70.00	70.00	70.00					
घ	एआरएम	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	22.05	0.00	15.33	0.00	0.00	0.00					
ङ	अधरोष का समायोजन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	2. राज्य के उधार (i) - (ii)	305.02	238.11	335.46	235.74	233.22	138.49	283.86	406.54	1149.29	1076.29	2896.97					
	(i) सकल उधारी (क से छ)	388.76	288.76	389.78	390.87	292.70	218.73	460.09	523.30	2478.65	3131.30	4180.52					
क	राज्य मविष्य निधि	54.85	54.85	60.34	110.00	110.00	73.52	10.00	10.00	200.00	200.00	500.00					
ख	लघु बचतें	46.40	46.40	46.40	18.36	20.00	7.00	26.50	29.15	233.80	200.00	150.00					
ग	परकर्मित ऋण	159.50	59.50	59.50	70.00	34.00	34.00	150.00	200.00	300.00	350.00	540.00					
घ	ईपीज एवं बी 2 बी हेतु ऋण	9.12	0.00	0.00	22.80	0.00	18.30	4.56	5.02	1321.94	899.09	1893.65					
ङ	एनसीए हेतु राष्ट्रीय ऋण	47.05	47.05	51.75	54.21	54.21	59.63	57.32	63.05	968.12	968.12	1038.36					
च	बजार उधार	71.84	80.96	171.79	115.50	74.49	26.28	221.71	150.33	-545.21	514.09	58.51					
छ	बाइस/ऋण पत्र	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	(ii) पुनर्भुगतान	83.74	50.65	54.32	155.13	59.48	80.24	174.85	116.76	1329.36	2055.01	1283.55					
	संसाधन (शामिल)	346.38	238.20	385.30	81.47	97.25	50.58	41.68	208.92	2383.91	2800.12	4171.83					
3	केंद्रीय सहायता	773.62	773.62	1014.70	769.63	769.63	950.52	809.78	991.08	2004.91	2311.08	2810.05					
क	सामान्य केंद्रीय सहायता	423.42	423.42	465.76	487.86	487.86	536.65	515.84	567.42	414.91	414.91	456.40					
ख	ईपीज हेतु एसीए	82.07	82.07	90.28	118.80	118.80	234.70	56.58	62.24	72.21	275.56	219.21					
ग	अन्य	268.13	268.13	458.66	162.97	162.97	179.17	237.36	361.42	1517.79	1620.61	2134.44					
	कुल क : राज्य सरकार (1+2+3)	1120.00	1011.82	1400.00	851.10	866.88	1001.10	900.00	851.46	4388.82	5111.20	6981.88					
ख.	उधम (पीएसई)																
	आंतरिक संसाधन	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.43	143.02	181.62					
	बजटत्तर संसाधन	0.00	100.00	0.00	-1.99	-1.99	-1.99	0.00	0.00	578.75	265.78	336.50					
	बजटीय सहायता	0.00	0.00	0.00	0.82	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	कुल ख : पीएसईज (1+2+3)	0.00	100.00	100.00	-1.17	-1.17	-1.17	0.00	0.00	716.18	408.80	518.12					
ग.	स्थानीय निकाय																
	I. शहरी स्थानीय निकाय																
क	आंतरिक संसाधन	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
ख	बजटत्तर संसाधन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
ग	बजटीय सहायता	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

मदें	मेघालय				मिजोरम				नागालैंड				उड़ीसा			
	2007-08		2008-09		2007-08		2008-09		2007-08		2008-09		2007-08		2008-09	
	एपी	एलई/आरई	एपी	एलई/आरई	एपी	एलई/आरई	एपी	एलई/आरई	एपी	एलई/आरई	एपी	एलई/आरई	एपी	एलई/आरई	एपी	एलई/आरई
	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल (क+ख+ग)																
II. ग्रामीण स्थानीय निकाय																
क आंतरिक संसाधन	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ख बजटोत्तर संसाधन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ग बजटीय सहायता	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल (क+ख+ग)	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल ग : स्थानीय निकाय (I + II)	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.00	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
शहरी स्थानीय निकाय & स्थानीय निकाय (ख+ग)	0.00	100.00	100.00	-1.10	-1.10	100.00	-1.10	-1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	716.18	518.12
घ. संसाधन (क+ख+ग)	1120.00	1111.82	1500.00	850.00	865.78	1000.00	1000.00	851.46	900.00	1200.00	5105.00	5520.00	5105.00	5520.00	7500.00	7500.00

टिप्पणी : केन्द्रीय सहायता का नोशनल ऋण भाग उपलब्ध कराने के लिए बाजार उधारों को समायोजित किया गया

संलग्नक 3.1.2
(करोंड रूप)

तालिका 3.1.2 : अनुमोदित वित्त पोषण (एसओएफ) स्कीम : वार्षिक योजनाएं : 2007-08 (एपी/एलई/आरई) और 2008-09 (एपी)

क्र. राज्य सरकार	मदें	पंजाब				राजस्थान				सिक्किम				तमिलनाडु			
		2007-08		2008-09		2007-08		2008-09		2007-08		2008-09		2007-08		2008-09	
		एपी	एलई/आरई	एपी	एलई/आरई	एपी	एलई/आरई	एपी	एलई/आरई	एपी	एलई/आरई	एपी	एलई/आरई	एपी	एलई/आरई	एपी	एलई/आरई
क. राज्य सरकार																	
1. राज्य के निजी संसाधन (क से ड)																	
क बीसीआर	-1951.80	-2808.41	-557.36	1068.21	2319.50	2124.41	-75.14	-24.47	38.43	2740.65	3472.23	3740.82					
ख एमसीआर ऋणों के पुनः भुगतान संबंधी कटौतियों को छोड़कर)	-3074.70	-3551.31	-2863.26	902.46	2140.89	1941.39	-105.02	-54.73	8.16	1949.65	2681.23	2947.32					
ग भारत सरकार से योजना अनुदान (टीएफसी)	-111.00	-111.00	-121.00	35.75	48.61	53.02	2.03	2.41	2.42	700.00	700.00	702.50					
घ एआरएम	26.90	26.90	2426.90	130.00	130.00	130.00	27.85	27.85	27.85	91.00	91.00	91.00					
ड. अधीन का समायोजन	750.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2. राज्य के उधार (i) - (ii)	457.00	457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
(i) सकल उधारी (क से छ)	4542.72	4647.72	4207.40	4739.56	4669.55	4814.82	292.79	242.12	316.41	8260.22	7254.63	8747.94					
क राज्य मंत्रिमंडल	5982.45	6087.45	5634.40	5782.91	5686.42	6091.68	321.89	265.21	344.09	9955.48	8949.94	10369.68					
ख लघु बचतें	700.00	700.00	700.00	1303.01	1190.62	1110.97	12.00	12.00	14.00	100.00	100.00	105.00					
ग परकर्मित ऋण	2500.00	728.76	1000.00	1870.00	394.00	1755.51	34.26	0.00	0.00	4350.00	1550.00	1745.47					
घ ईपीज एवं बी 2 बी हेतु ऋण	400.35	400.35	450.00	500.00	500.00	500.00	30.08	30.08	50.08	1373.09	1373.09	1650.00					
ड. एनसीए हेतु राष्ट्रीय ऋण	464.58	464.58	343.98	559.30	559.30	478.80	3.86	3.86	0.30	1496.86	1291.32	1949.50					
च बजार उधार	326.96	326.96	354.42	907.30	907.30	990.27	36.56	36.56	40.21	919.50	919.50	1008.77					
छ बांड्स/ऋण पत्र	1590.56	3466.80	2786.00	635.20	2135.20	1256.13	205.13	182.71	239.50	1716.03	3716.03	3910.94					
(ii) पुनर्भुगतान	0.00	0.00	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
संसाधन (शामिल)	1439.73	1439.73	1427.00	1043.35	1016.87	1276.86	29.10	23.09	27.68	1695.26	1695.31	1621.74					
3 केन्द्रीय सहायता	2590.92	1839.31	3650.04	5807.77	6989.05	6939.23	217.65	217.65	354.84	11000.88	10726.86	12488.76					
क सामान्य केन्द्रीय सहायता	507.08	962.08	893.04	1550.59	1550.59	1827.92	473.49	477.77	497.16	1665.47	1871.01	2205.62					
ख ईपीज हेतु एसीए	140.13	140.13	151.89	388.84	388.84	428.57	329.02	329.02	361.92	394.07	394.07	432.33					
ग अन्य	8.93	8.93	10.20	239.70	239.70	205.20	34.65	34.65	2.70	330.52	336.06	295.50					
कुल क : राज्य सरकार (1+2+3)	358.02	813.02	730.95	922.05	922.05	1194.15	109.82	114.10	132.54	940.88	1140.88	1477.79					
ख. ढहम (पीएस्ई)	3098.00	2801.39	4543.08	7358.36	8539.64	8767.15	691.14	695.42	852.00	12666.34	12597.87	14694.38					
आंतरिक संसाधन	352.00	101.43	-533.08	-1426.10	-2650.91	-1523.12	0.00	0.00	0.00	-866.34	-797.87	-1094.38					
बजटत्तर संसाधन	1057.00	2000.00	2200.00	5706.60	7113.78	6755.97	0.00	0.00	0.00	2000.00	2000.00	2000.00					
बजटीय सहायता	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
कुल ख : पीएस्ईज (1+2+3)	1409.00	2101.43	1666.92	4280.50	4462.87	5232.85	0.00	0.00	0.00	1133.66	1202.13	905.62					
ग. स्थानीय निकाय																	
I. शहरी स्थानीय निकाय																	
क आंतरिक संसाधन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
ख बजटत्तर संसाधन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
ग बजटीय सहायता	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

मदें	पंजाब				राजस्थान				सिक्किम				तमिलनाडु			
	2007-08		2008-09		2007-08		2008-09		2007-08		2008-09		2007-08		2008-09	
	एपी	एलई/आरई	एपी	एलई/आरई	एपी	एलई/आरई	एपी	एलई/आरई	एपी	एलई/आरई	एपी	एलई/आरई	एपी	एलई/आरई	एपी	एलई/आरई
कुल (क+ख+ग)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	275.00
II. ग्रामीण स्थानीय निकाय																
क आंतरिक संसाधन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	125.00
ख बजटोत्तर संसाधन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ग बजटीय सहायता	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल (क+ख+ग)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	125.00
कुल ग : स्थानीय निकाय (I + II)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	400.00
शहरी स्थानीय निकाय & स्थानीय निकाय (ख+ग)	1409.00	2101.43	1666.92	4280.50	4462.87	5232.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1333.66	1402.13	0.00	1305.62
घ. संसाधन (क+ख+ग)	4507.00	4902.82	6210.00	11638.86	13002.51	14000.00	691.14	695.42	852.00	14000.00	14000.00	14000.00	14000.00	14000.00	16000.00	16000.00

टिप्पणी : केन्द्रीय सहायता का नोशनल ऋण भाग उपलब्ध कराने के लिए बाजार उधारों को समायोजित किया गया

संलग्नक 3.1.2

तालिका 3.1.2 : अनुमोदित वित्त पोषण (एसओएफफ) स्कीम : वार्षिक योजनाएं : 2007-08 (एपी/एलई/आरई) और 2008-09 (एपी)

क्र. सं.	राज्य सरकार	त्रिपुरा				उत्तर प्रदेश				उत्तराखण्ड				पश्चिम बंगाल			
		2007-08		2008-09		2007-08		2008-09		2007-08		2008-09		2007-08		2008-09	
		एपी	एलई/आरई	एपी	एलई/आरई	एपी	एलई/आरई	एपी	एलई/आरई	एपी	एलई/आरई	एपी	एलई/आरई	एपी	एलई/आरई	एपी	एलई/आरई
		-308.58	-87.07	-104.67	12601.71	14670.58	22345.67	585.47	629.33	283.07	-6702.90	-5910.66	-4277.34				
क	बीसीआर	-232.69	4.45	-10.99	11664.34	13733.21	18746.08	250.79	344.65	65.64	-5830.75	-5536.76	-4002.81				
ख	एमसीआर ऋणों के पुनः भुगतान संबंधी कर्तवियों को छोड़कर)	-92.39	-108.02	-110.18	-1779.13	-1779.13	2183.09	-16.57	-16.57	99.18	-1107.65	-538.84	-740.03				
ग	भारत सरकार से योजना अनुदान (टीएफसी)	16.50	16.50	16.50	216.50	216.50	216.50	68.25	68.25	68.25	235.50	235.50	465.50				
घ	एआरएम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00				
ड.	अधरोष का समायोजन	0.00	0.00	0.00	2500.00	2500.00	1200.00	133.00	133.00	0.00	0.00	-70.56	0.00				
2.	राज्य के उधार (i) - (ii)	448.08	48.32	281.78	8498.24	7307.95	7861.41	1554.83	1252.06	1191.00	12426.78	11755.40	12231.59				
(i)	सकल उधारी (क से छ)	546.24	128.81	398.25	9608.86	9608.86	10739.88	1686.59	1582.88	1575.03	15871.38	15259.11	16096.85				
क	राज्य मविष्य निधि	125.00	60.00	60.00	1622.37	1622.37	2278.14	132.00	132.00	145.20	675.90	602.90	651.10				
ख	लघु बचतें	231.00	50.00	120.00	2500.00	2500.00	2525.91	682.00	255.00	255.00	10100.00	2494.75	3000.00				
ग	परकामित ऋण	40.00	0.00	60.00	783.97	783.97	730.66	245.00	188.20	226.27	1781.00	1781.00	1840.00				
घ	ईपीज एवं बी 2 बी हेतु ऋण	11.76	3.00	2.25	0.00	0.00	0.00	58.92	0.00	83.14	1048.36	562.46	719.45				
ड.	एनसीए हेतु राष्ट्रीय ऋण	79.94	79.94	87.94	3014.31	3014.31	3357.48	92.47	92.47	101.72	1363.82	1363.82	1499.48				
च	बजार उधार	58.54	-64.13	68.06	1688.21	1688.21	1847.69	476.20	915.21	763.70	902.30	8454.18	8386.82				
छ	बाइस/ऋण पत्र	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
(ii)	पुनर्भुगतान	98.16	80.49	116.47	1110.62	2300.91	2878.47	131.76	330.82	384.03	3444.60	3503.71	3865.26				
3	संसाधन (शामिल)	139.50	-38.75	177.11	21099.95	21978.53	30207.08	2140.30	1881.39	1474.07	5723.88	5844.74	7954.25				
क	केंद्रीय सहायता	1080.49	919.24	1272.89	3595.43	3595.43	4529.07	2238.33	1941.45	2811.30	2712.02	2608.64	2641.47				
ख	सामान्य केंद्रीय सहायता	719.50	702.31	791.45	1291.85	1291.85	1438.92	832.22	832.22	915.44	584.49	584.49	639.81				
ख	ईपीज हेतु एसीए	105.81	4.02	22.50	248.80	248.80	385.20	530.26	355.63	748.29	847.64	672.42	273.06				
ग	अन्य	255.19	212.91	458.94	2054.78	2054.78	2704.95	875.85	753.60	1147.57	1279.89	1351.73	1728.60				
कुल क :	राज्य सरकार (1+2+3)	1219.99	880.49	1450.00	24695.38	25573.96	34736.15	4378.63	3822.84	4285.37	8435.90	8453.38	10595.72				
ख.	उधम (पीएनई)																
	आंतरिक संसाधन	0.00	0.00	0.00	304.62	304.62	263.85	0.00	-217.52	33.39	714.10	884.66	1006.66				
	बजटोत्तर संसाधन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581.20	391.58	0.00	0.00	0.00				
	बजटीय सहायता	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
कुल ख :	पीएनईज (1+2+3)	0.00	0.00	0.00	304.62	304.62	263.85	0.00	363.68	424.97	714.10	884.66	1006.66				
ग.	स्थानीय निकाय																
I.	शहरी स्थानीय निकाय																
क	आंतरिक संसाधन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.22	52.30	0.00	0.00	0.00				
ख	बजटोत्तर संसाधन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
ग	बजटीय सहायता	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

मंटे	त्रिपुरा				उत्तर प्रदेश				उत्तराखण्ड				पश्चिम बंगाल				
	2007-08		2008-09		2007-08		2008-09		2007-08		2008-09		2007-08		2008-09		
	एपी	एलई/आरई	एपी	एलई/आरई	एपी	एलई/आरई	एपी	एलई/आरई	एपी	एलई/आरई	एपी	एलई/आरई	एपी	एलई/आरई	एपी	एलई/आरई	
कुल (क+ख+ग)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
II. ग्रामीण स्थानीय निकाय																	
क आंतरिक संसाधन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ख बजटोत्तर संसाधन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ग बजटीय सहायता	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल (क+ख+ग)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल ग: स्थानीय निकाय (I + II)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
शहरी स्थानीय निकाय & स्थानीय निकाय (ख+ग)	0.00	0.00	0.00	0.00	304.62	304.62	304.62	263.85	0.00	419.84	489.63	714.10	884.66	1006.66			
घ. संसाधन (क+ख+ग)	1219.99	880.49	1450.00	25000.00	25878.58	35000.00	4378.63	4242.68	9150.00	9338.04	11602.38						

टिप्पणी: केन्द्रीय सहायता का नोशनल ऋण भाग उपलब्ध कराने के लिए बाजार उधारों को समायोजित किया गया

तालिका 3.1.2 : अनुमोदित वित्त पोषण (एसओएफ) स्कीम : वार्षिक योजनाएं : 2007-08 (एपी/एलई/आरई) और 2008-09 (एपी)

क्र. राज्य सरकार	कुल : सभी राज्यों		दिल्ली		पुडुचेरी		कुल : सभी राज्यों व केन्द्र शासित क्षेत्र		
	2007-08		2007-08		2007-08		2007-08		
	एपी	एलई/आरई	एपी	एलई/आरई	एपी	एलई/आरई	एपी	एलई/आरई	
क. राज्य सरकार									
1. राज्य के निजी संसाधन (क से ड)	57741.09	64163.74	101014.04	16721.33	9806.62	470.42	450.00	66947.53	81355.49
क बीसीआर	49105.46	54526.95	79194.12	7406.35	9069.07	0.00	0.00	56511.81	62122.81
ख एनसीआर ऋणों के पुनः भुगतान संबंधी कटौतियों को छोड़कर)	1864.33	4067.02	13155.38	-1306.73	-1892.22	0.00	0.00	557.60	2415.39
ग भारत सरकार से योजना अनुदान (टीएफसी)	2518.59	2205.90	4831.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2518.59	2205.90
घ एआरएम	1162.72	1087.72	2727.48	0.00	0.00	271.00	450.00	1433.72	1358.72
ड. अधिषण का समायोजन	3090.00	2276.15	1105.26	10777.10	2629.77	185.00	0.00	5925.81	13252.67
2. राज्य के उधार (i) - (ii)	102694.64	95942.65	107494.79	-786.21	-1095.09	700.58	1151.79	102623.43	96417.82
(i) सकल उधारी (क से छ)	134274.41	130200.58	142537.27	0.00	750.00	715.00	700.58	134989.41	131651.16
क राज्य भविष्य निधि	16589.22	15153.14	17418.46	0.00	0.00	0.00	0.00	16589.22	15153.14
ख लघु बचतें	53237.38	19861.47	27268.22	0.00	750.00	180.00	150.00	53417.38	20791.47
ग पकामित ऋण	16672.81	14734.37	17760.47	0.00	0.00	247.00	691.79	16919.81	14966.95
घ इंस्पीज एवं बी 2 बी हेतु ऋण	13258.76	10376.74	16339.27	0.00	0.00	110.00	110.00	13368.76	10486.74
ड. एनसीए हेतु राष्ट्रीय ऋण	16442.66	16442.66	18082.60	0.00	0.00	0.00	0.00	16442.66	16442.66
च बजार उधार	17405.48	51317.91	45668.25	0.00	0.00	178.00	200.00	17583.48	51495.91
छ बांड्स/ऋण पत्र	668.10	2314.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	668.10	2314.29
(ii) पुनर्भुगतान	31579.77	34257.93	35042.48	786.21	1095.09	0.00	0.00	32365.98	35233.34
संसाधन (शामिल)	160435.73	160106.39	208508.83	7964.22	8711.53	1171.00	1601.79	169570.96	177773.31
3 केन्द्रीय सहायता	49194.92	50625.11	64695.18	1035.78	784.19	1288.47	284.00	50514.70	51693.30
क सामान्य केन्द्रीय सहायता	15358.66	15291.92	16898.73	164.99	164.98	75.75	85.46	15599.40	15532.65
ख इंस्पीज हेतु एसीए	5868.21	5659.48	5547.35	0.00	0.00	2.25	2.25	5870.46	5661.73
ग अन्य	27968.05	29673.71	42249.10	870.79	1106.99	206.00	60.50	29044.84	30498.92
कुल क : राज्य सरकार (1+2+3)	209630.65	210731.50	273204.01	9000.00	17280.11	1455.00	1750.00	220085.65	229466.61
ख. ढधम (पीएनई)									
आंतरिक संसाधन	852.29	-2104.67	48.73	0.00	0.00	0.00	0.00	852.29	-2104.67
बजट्टर संसाधन	13754.36	17136.28	15500.54	0.00	0.00	0.00	0.00	13754.36	17136.28
बजटीय सहायता	63.42	-225.80	2354.53	0.00	0.00	0.00	0.00	63.42	-225.80
कुल ख : पीएनई (1+2+3)	14670.07	14805.81	17903.80	0.00	0.00	0.00	0.00	14670.07	14805.81
ग. स्थानीय निकाय									
1. शहरी स्थानीय निकाय									
क आंतरिक संसाधन	129.15	220.30	301.62	0.00	0.00	0.00	0.00	129.15	220.30
ख बजट्टर संसाधन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ग बजटीय सहायता	423.79	586.31	439.35	0.00	0.00	0.00	0.00	423.79	586.31

(करोड़ रूपए)

महें	कुल : सभी राज्यों				दिल्ली				पुडुचेरी				कुल : सभी राज्यों व केन्द्र शासित क्षेत्र			
	2007-08		2008-09		2007-08		2008-09		2007-08		2008-09		2007-08		2008-09	
	एपी	एलई / आरई	एपी	एलई / आरई	एपी	एलई / आरई	एपी	एलई / आरई	एपी	एलई / आरई	एपी	एलई / आरई	एपी	एलई / आरई	एपी	एलई / आरई
कुल (क+ख+ग)	552.94	806.61	740.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552.94	806.61	740.97	
II. ग्रामीण स्थानीय निकाय																
क. आंतरिक संसाधन	-229.25	-194.83	-168.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-229.25	-194.83	-168.71	
ख. बजटोत्तर संसाधन	0.00	28.18	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.18	0.01	
ग. बजटीय सहायता	1893.83	2059.10	1983.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1893.83	2059.10	1983.60	
कुल (क+ख+ग)	1664.58	1892.45	1814.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1664.58	1892.45	1814.90	
कुल ग : स्थानीय निकाय (I + II)	2217.52	2699.06	2555.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2217.52	2699.06	2555.87	
शहरी स्थानीय निकाय & स्थानीय निकाय (ख+ग)	16887.59	17504.87	20459.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16887.59	17504.87	20459.67	
घ. संसाधन (क+ख+ग)	226518.24	228236.37	293663.68	9000.00	17280.11	10000.00	1455.00	1455.00	1455.00	1455.00	1750.00	1750.00	236973.25	246971.48	305413.68	

टिप्पणी : केन्द्रीय सहायता का नोशनल ऋण भाग उपलब्ध कराने के लिए बाजार उधारों को समायोजित किया गया

चालू राजस्वों से अतिशेष (बीसीआर) : 2007-08 (एपी/एलई/आरई) एवं 2008-09 (एपी)

(करोड़ रूप)

राज्य	2007-08		2008-09
	एपी	एलई/आरई	एपी
I. विशेष श्रेणी राज्य (एससीएस)			
1. अरुणाचल प्रदेश	-2.28	-85.26	-19.46
2. असम	-1518.85	135.32	377.32
3. हिमाचल प्रदेश	-482.36	-716.95	-1304.44
4. जम्मू और कश्मीर	-231.52	-1865.37	-2017.05
5. मणिपुर	-116.45	-108.53	-148.18
6. मेघालय	-21.62	-32.53	-0.79
7. मिजोरम	-199.62	-176.32	-149.31
8. नागालैंड	-178.01	-235.73	-215.95
9. सिक्किम	-105.02	-54.73	8.16
10. त्रिपुरा	-232.69	4.45	-10.99
11. उत्तराखंड	250.79	344.65	65.64
कुल एससीएस	-2837.63	-2791.00	-3415.05
II. गैर विशेष श्रेणी राज्य (एनएससीएस)			
1. आंध्र प्रदेश	10359.77	8549.39	16650.62
2. बिहार	2502.12	2502.12	5684.00
3. छत्तीसगढ़	3881.64	3071.86	5167.53
4. गोवा	383.33	383.33	534.08
5. गुजरात	6887.49	8210.45	5791.12
6. हरियाणा	2415.03	3299.52	3940.78
7. झारखंड	1440.23	2407.00	4093.19
8. कर्नाटक	5617.82	7753.01	10622.53
9. केरल	-3900.73	-4045.19	-2118.56
10. मध्य प्रदेश	5370.00	6144.00	6552.90
11. महाराष्ट्र	9768.77	7510.07	7403.77
12. उड़ीसा	1606.62	2065.13	1518.49
13. पंजाब	-3074.70	-3551.31	-2863.26
14. राजस्थान	902.46	2140.89	1941.39
15. तमिलनाडु	1949.65	2681.23	2947.32
16. उत्तर प्रदेश	11664.34	13733.21	18746.08
17. पश्चिम बंगाल	-5830.75	-5536.76	-4002.81
कुल एनएससीएस	51943.10	57317.95	82609.17
कुल सभी राज्य (एससीएस एवं एनएससीएस)	49105.46	54526.95	79194.12
III. विधायिकाओं सहित संघ राज्य क्षेत्र			
1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	7406.35	7595.86	9069.07
2. पांडिचेरी	0.00	0.00	0.00
कुल संघ राज्य क्षेत्र	7406.35	7595.86	9069.07
सभी राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र	56511.81	62122.81	88263.19

संलग्नक 3.1.4

वार्षिक योजना 2007-08 (एपी/एलई/आरई) एवं 2008-09 हेतु सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों का योगदान

(करोड़ रूपए)

राज्य	2007-08		2008-09
	एपी	एलई/आरई	एपी
I. विशेष श्रेणी राज्य (एससीएस)			
1. अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00
2. असम	-35.96	-140.24	-103.75
3. हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00
4. जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	0.00
5. मणिपुर	0.00	0.00	0.00
6. मेघालय	0.00	100.00	100.00
7. मिजोरम	-1.17	-1.17	-1.17
8. नागालैंड	0.00	0.00	0.00
9. सिक्किम	0.00	0.00	0.00
10. त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00
11. उत्तराखंड	0.00	363.68	424.97
कुल एससीएस	-37.13	322.27	420.05
II. गैर विशेष श्रेणी राज्य (एनएससीएस)			
1. आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00
2. बिहार	0.00	0.00	0.00
3. छत्तीसगढ़	96.11	67.93	105.72
4. गोवा	87.70	87.70	106.16
5. गुजरात	1029.00	1000.00	3265.00
6. हरियाणा	0.00	817.57	0.00
7. झारखंड	0.00	-297.00	0.00
8. कर्नाटक	4056.33	2562.83	3654.85
9. केरल	880.00	880.00	758.00
10. मध्य प्रदेश	0.00	0.00	0.00
11. महाराष्ट्र	0.00	0.00	0.00
12. उड़ीसा	716.18	408.80	518.12
13. पंजाब	1409.00	2101.43	1666.92
14. राजस्थान	4280.50	4462.87	5232.85
15. तमिलनाडु	1133.66	1202.13	905.62
16. उत्तर प्रदेश	304.62	304.62	263.85
17. पश्चिम बंगाल	714.10	884.66	1006.66
कुल एनएससीएस	14707.20	14483.54	17483.75
कुल सभी राज्य (एससीएस एवं एनएससीएस)	14670.07	14805.81	17903.80
III. विधायिकाओं सहित संघ राज्य क्षेत्र			
1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	0.00	0.00	0.00
2. पांडिचेरी	0.00	0.00	0.00
कुल संघ राज्य क्षेत्र	0.00	0.00	0.00
सभी राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र	14670.07	14805.81	17903.80

3.2 सार्वजनिक क्षेत्र परिव्यय - 2008-09

वार्षिक योजना 2008-09 की पृष्ठभूमि

3.2.1 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना मजबूत विकास दर को ध्यान में रखते हुए शुरू हुई है। यह महत्वपूर्ण है कि यह योजना प्रथम वर्ष में 8.7 प्रतिशत की विकास दर से शुरू हुई। सरकार का विश्वास है कि योजना का द्वितीय वर्ष (2008-09) 11 वीं योजना की सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। वर्ष 2008-09 सुदृढ़ीकरण; चालू कार्यक्रमों को ठोस वित्तीय आधार प्रदान करने; कार्यान्वयन की ध्यानपूर्वक मानिट्रिंग एवं जवाबदेही को लागू करने; और प्राप्त लक्ष्यों एवं उनकी गुणवत्ता के संदर्भ में परिणामों का मूल्यांकन करने का वर्ष होना चाहिए। परिणामस्वरूप वार्षिक योजना 2008-09 के लिए आबंटन ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण-पत्र में तीव्र और अधिक समावेशी विकास के लिए प्रस्तुत उद्देश्यों और कार्यनीतियों को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं। तदनुसार कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, महिला व बाल विकास, अनु0 जाति/ अनु0 जनजाति/ अल्पसंख्यकों के कल्याण, शहरी विकास, अवसंरचना (सिंचाई, सड़क व विद्युत) और विज्ञान और प्रौद्योगिकी की ओर विशेष ध्यान दिया गया है। केन्द्रीय क्षेत्रकों हेतु आबंटनों के निर्धारण में योजना आयोग भारत निर्माण सहित चल रहे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की आवश्यकताओं द्वारा भी निर्देशित रहा है। भौतिक अवसंरचना, उच्च शिक्षा और विज्ञान व प्रौद्योगिकी पर बल अर्थव्यवस्था के उत्पादन आधार का विस्तार करेगा और रोजगार मुहैया कराकर और संसाधनों के सृजन द्वारा विकास में वृद्धि करेगा। प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य बुनियादी अनिवार्य सेवाओं पर बल यह सुनिश्चित करेगा कि विकास के लाभ सभी को समान रूप से मिले। यह इस विचार को भी नकार देगा कि अक्सर काफी लोग विकास प्रक्रिया से बाहर रह जाते हैं।

- (i) वार्षिक योजना 2008-09 योजना प्रस्तावों को तैयार करने के लिए सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/ विभागों को दिए गए निम्नलिखित निदेशों / दिशानिर्देशों के आधार पर तैयार की गई थी।
- (ii) प्रत्येक मंत्रालय/ विभाग को राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएमपी) में उल्लिखित प्राथमिकताओं और उद्देश्यों के मद्देनजर अपनी 'कोर योजना' व क्षेत्रकीय प्राथमिकताओं को प्रस्तुत करना चाहिए, ताकि उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग अत्यन्त विवेकपूर्ण और लाभकारी कुशल तरीके से किया जाए।
- (iii) प्रत्येक केन्द्रीय मंत्रालय/ विभाग द्वारा सभी स्कीमों के लिए जेड.बी.बी प्रक्रिया को अत्यधिक महत्व दिया जाना चाहिए। यह एक ओर तो निधियों की आवश्यकता और योजना आबंटन के बीच असमानता को रोकने के लिए और दूसरी ओर किसी अन्य वित्तीय आबंटन की बजाए, वांछित भौतिक लक्ष्य की उपलब्धि पर ध्यान केन्द्रण के लिए आवश्यक है।
- (iv) 2008-09 ग्यारहवीं योजना योजना का प्रथम वर्ष होने के कारण केवल उन्हीं चालू कार्यक्रमों/ परियोजनाओं को शामिल किया जाए जो लोक हित की हैं और जिन्हें अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण निहितार्थों के बिना समाप्त नहीं किया जा सकता और जिनके लिए कम से कम प्राथमिक व्यवहारिकता अध्ययन पहले से कर लिया गया है।
- (v) विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की गुणवत्ता में सुधार के लिए वित्तीय परिव्यय को परिणाम में परिवर्तित करने पर बल दिया गया है। मंत्रालय/ विभाग द्वारा कार्यान्वित योजना कार्यक्रमों के मध्यम

- आउटपुट/ आउटकम के लक्ष्य का पता लगाया जाए और आउटकम बजट में दिए गए निर्धारण योग्य प्रदेशों के संबंध में लक्ष्यों की उपलब्धि का आकलन किया जाए।
- (vi) अर्धवार्षिक निष्पादन समीक्षा बैठकों में उभरने वाले इनपुट का और निर्धारण योग्य प्रदेशों का उनके लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धि के गुणात्मक आकलन का 2008-09 के योजना आबंटन पर भारी प्रभाव पड़ेगा।
- (vii) प्रत्येक मंत्रालय/ विभाग द्वारा बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं (ईएपीज़) को एकीकृत और निधि प्राप्त परियोजनाओं (अर्थात् बजटीय प्रवाह से बाहर) को योजना प्रक्रिया के साथ निदेशित करने और
- बजटीय संसाधनों के आबंटन के उद्देश्य से अपने वार्षिक योजना प्रस्तावों में प्रस्तावित/ संभावित ईएपीज़ को शामिल करना।
- (viii) पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री की पहल के अनुसरण में सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/ विभागों को बजट के कम से कम 10% को पूर्वोत्तर के लिए उद्दिष्ट करना (विशेष रूप से छूट प्राप्त को छोड़कर)।
- (ix) सार्वजनिक निधि के लीवरेज के लिए अवसंरचना को प्रोन्नत करने, धन के बेहतर मूल्य को सुनिश्चित करने और सेवा सुपुदर्गी की गुणवत्ता में सुधार, विशेष रूप से सामाजिक सेवाओं की सुलभता जैसे स्वास्थ्य देखभाल, प्राथमिक शिक्षा, सड़कों, रेल सड़कों, पत्तनों और हवाई पत्तनों के

तालिका 3.2.1: 2007-08 के लिए बजट अनुमान (ब0 अ0) और महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के लिए 2008-09 हेतु प्रस्तावित बजट अनुमान

(करोड़ रुपये)

क्र0 स0	स्कीम का नाम	ब0 अ0 2006-07	2007-08 के लिए आबंटन	2006-07 की तुलना में % वृद्धि
1	2	3	4	5
1	सर्वशिक्षा अभियान (एसएसए)	10671.00	13100.00	22.76
2	मध्याह्न भोजन स्कीम (एमडीएम)	7324.00	8000.00	9.23
3	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी कार्यक्रम (एनआरईजीपी)	12000.00	16000.00	33.33
4	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम)	11010.00	12050.00	9.45
5	पूर्ण सफाई अभियान (टीएससी)	1060.00	1200.00	13.21
6	एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस)	5293.00	6300.00	19.03
7	जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम)	5500.00	6866.00	24.84
	भारत निर्माण			
8	ग्रामीण सड़कें (पीएमजीएसवाई)	6500.00	7530.00	15.85
9	ग्रामीण दूर संचार संपर्कता (यूएसओ निधि)	--	--	--
10	ग्रामीण आवास (आईएवाई)	4040.00	5400.00	33.66
11	ग्रामीण पेय जल (एआरडब्ल्यूएसपी)	6500.00	7300.00	12.31
12	ग्रामीण विद्युतीकरण (आरजीजीवीआई)	3983.00	5500.00	38.09
13	सिंचाई (एआईबीपी)	11,000.00	20,000.00	81.82

रूप में गुणवत्ता प्राप्त आवागमन सुविधाओं और सुरक्षित पेय जल व सफाई व्यवस्था के प्रावधान में सार्वजनिक - निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

3.2.2 बजट अनुमान 2007-08 की तुलना में वार्षिक योजना 2008-09 हेतु वर्तमान महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के लिए प्रस्तावित आबंटन निम्नलिखित तालिका 3.2.1 में दिया गया है।

3.2.3 लगभग आधी ग्रामीण आबादी के अब भी जीविकोपार्जन के लिए कृषि पर निर्भर होने के कारण कृषि के उन्नयन के बिना समावेशी विकास की उपलब्धि नहीं की जा सकती। तदनुसार, 11वीं योजना में कृषि क्षेत्रक की कमजोरियों को दूर करने को उच्च प्राथमिकता दी गई है। इस प्रकार, राष्ट्रीय बागबानी मिशन (1100 करोड़ रुपये), लघु सिंचाई (500 करोड़ रुपये) कृषि विस्तार के लिए सहायता (230 करोड़ रुपये) वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम (348 करोड़ रुपये) और वृहद् कृषि प्रबन्धन (1100 करोड़ रुपये) के लिए पर्याप्त प्रावधान करने हेतु **कृषि एवं सहकारिता विभाग को** (बजट अनुमान 2007-08 की तुलना में) 20 प्रतिशत राशि अधिक दी गई है। इसी प्रकार **कृषि अनुसन्धान व शिक्षा विभाग** के योजना परिव्यय को 20% बढ़ा कर 1760 करोड़ रुपए कर दिया गया है कि ताकि यह अवस्थिति विशिष्ट अपेक्षाओं के समाधान के लिए प्रौद्योगिकी सृजन का पूर्णतः अभिमुखीकरण/ पुनः निर्माण कर सके और क्षेत्र प्रसार कार्यक्रमों के माध्यम से केबीके लिकेज में भी सुधार कर सके जो ज्ञान के अभाव को पाटने में सहायता करेगा। **पशुपालन व डेयरी विभाग** के लिए परिव्यय को 17% बढ़ा कर 1000 करोड़ रुपये मुख्यतः दूध, अण्डों, मांस और मछली की प्रति व्यक्ति उपलब्धता को बढ़ाने और नस्ल सुधार और बीमारी के नियन्त्रण के लिए अनुसंधान एवं विकास को तेज करने के लिए भी किया गया है। किसानों के लिए ऋण माफी एवं राहत स्कीम चार करोड़ किसानों को लाभ पहुँचाते हुए वित्त मंत्रालय द्वारा किसानों के लिए 60,000 करोड़ रुपए ऋण राहत

पैकेज की घोषणा की गई है। इस स्कीम के तहत 31 मार्च, 2007 तक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारिता क्रेडिट संस्थाओं द्वारा संवितरित सभी ऋण शामिल हैं तथा इस स्कीम के अंतर्गत 31 दिसम्बर 2007 तक की बकाया राशि भी शामिल है।

3.2.4 शिक्षा सबसे बड़ा समकारक है क्योंकि यह लोगों को विकास प्रक्रिया में भाग लेने के योग्य बनाता है। इस प्रकार, स्कूल शिक्षा व साक्षरता विभाग के लिए जीबीएस 22% बढ़ाकर 26,800 करोड़ रुपये मुख्यतः महत्वपूर्ण कार्यक्रमों अर्थात् सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) और मिड डे मील स्कीम (एमडीएमएस) की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए किया गया है। इसके अतिरिक्त, ध्यानकेंद्रण बीच में पढ़ाई छोड़ देने वालों की दर में भारी कमी और प्रारम्भिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार पर होगा। एसएसए के कार्यान्वयन के अनुमोदित ढाँचे के अनुसार कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता ग्यारहवीं योजना में एसएस मिशन के 2010 में समाप्त होने तक केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच 50 : 50 लागत की हिस्सेदारी आधार पर होगी। अध्यापकों की शिक्षा के लिए आबंटन को संस्थागत एकता निर्माण और अध्यापकों के सेवा पूर्व और सेवाकालीन प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान सहित महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाया गया है। माध्यमिक शिक्षा की मांग में भी महत्वपूर्ण रूप से विस्तार होगा, चूंकि एसएसए ने सार्वजनिक और सम्पूर्ण प्रारम्भिक शिक्षा के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। तदनुसार, माध्यमिक शिक्षा तक पहुँच के सार्वजनीकरण की नई संयुक्त स्कीम (सक्सेस) के लिए 2185 करोड़ रुपये (पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 218.50 करोड़ रुपए सहित) आबंटित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय व नवोदय विद्यालयों का विस्तार किया जाएगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को अच्छी गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा का लाभ पहुँचाने के लिए विशेष नवोदय स्कूल जिन्हें तुलनात्मक रूप से अधिक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले क्षेत्रों में शुरू किया जाएगा, के लिए 300 करोड़ रुपये

का(पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 30 करोड़ रुपए सहित) परिव्यय मुहैया कराया गया है। मैरिट छात्रवृत्ति स्कीम को संशोधित किया गया है और उसका विस्तार किया गया है।

3.2.5 ज्ञान, सेवा क्षेत्रक हमारी अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख विकास इंजन के रूप में उभरा है। तथापि, दक्षता का अत्यधिक अभाव इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा लाभ की उपलब्धि और इसे बनाए रखने की हमारी योग्यता को सीमित कर देगा। अतः ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र में विस्तार, समावेशन व उत्कृष्टता पर ध्यान केन्द्रित करते हुए हमारी मौजूदा शिक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया गया है। इस उद्देश्य के अनुरूप **उच्च शिक्षा विभाग** के परिव्यय को बढ़ा कर 7,600 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

3.2.6 **अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण संबंधी निरीक्षण समिति** (मोइली समिति), जो "विस्तार समावेशन और उत्कृष्टता " पर आधारित है, ने अन्य पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, आईआईएम(ज़), आईआईटी/ एनआईटी(ज़) और इंजीनियरिंग/ मेडिकल/ कृषि संस्थानों के 54% विस्तार का प्रस्ताव किया है। तदनुसार, निरीक्षण समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय, विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग और कृषि अनुसन्धान व शिक्षा विभाग को क्रमशः 34400 करोड़ रुपये, 16.534 करोड़ रुपये, 1,530 करोड़ रुपये, 1,760 करोड़ रुपये मुहैया कराए गए हैं।

3.2.7 ग्यारहवीं योजना में बेहतर स्वास्थ्य के लिए व्यापक कार्यनीति पर अनिवार्यतः ध्यान केन्द्रित करना होगा और स्वास्थ्य सूचकों जैसे कि मातृ-मृत्यु, बाल-मृत्यु, कुल प्रजनन दर और विशेष रूप से महिलाओं में रक्तहीनता (एनीमिया) में पर्याप्त सुधार को सुनिश्चित करना होगा। तदनुसार स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए योजना परिव्यय को 13.4% बढ़ा कर 16,534 करोड़ रुपये कर

दिया गया है। इसमें राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के लिए 12,050 करोड़ रुपये का प्रावधान शामिल है। एनआरएचएम द्वारा कमजोर स्वास्थ्य सूचकों अथवा कमजोर अवसंरचना वाले 18 राज्यों पर विशेष ध्यान सहित ग्रामीण जनसंख्या के लिए प्रभावी स्वास्थ्य देखभाल के प्रावधान में अन्तरालों को पाटने की आशा की जाती है। इसका लक्ष्य स्वास्थ्य के लिए एकीकृत जिला योजनाओं के माध्यम से स्वास्थ्य सरोकारों के साथ सुरक्षित पेयजल, सफाई व्यवस्था व पोषण जैसे स्वास्थ्य के निर्धारकों का प्रभावी एकीकरण है। इसमें निधियों में नम्यता का प्रावधान है, ताकि राज्य उनका उपयोग महत्वपूर्ण समझे जाने वाले क्षेत्रों में कर सकें। इसी प्रकार, आयुषविभाग के योजना परिव्यय को 8.6% बढ़ाकर 534 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

3.2.8 सुरक्षित पेयजल, बीमारी के प्रसार को घटाने और कुपोषण की रोकथाम के लिए अनिवार्य है। सफाई व्यवस्था भी किसी भी स्वास्थ्य हस्तक्षेप और कार्यनीति का अनिवार्य घटक है। अतः पेयजल आपूर्ति को 11.1% बढ़ाकर 8,500 करोड़ कर दिया गया है। क्रमशः 6,570 करोड़ रुपये ग्रामीण जल आपूर्ति और 1200 करोड़ रुपये पूर्ण सफाई अभियान हेतु प्रदान किए गए हैं।

3.2.9 एकीकृत बाल विकास स्कीम (आईसीडीएस) जिसका लक्ष्य किशोर, बच्चों, विशेष रूप से 0-6 वर्ष के आयु वर्ग में बालिकाओं और गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं की पोषणात्मक और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार है, के लिए पर्याप्त प्रावधान करने के मद्देनजर **महिला और बाल विकास विभाग** का योजना आबंटन 19.5% बढ़ाकर 7,200 करोड़ रुपये कर दिया गया है। आईसीडीएस के लिए 6,300 करोड़ रुपये के बजटीय आबंटन में अनुपूरक पोषण, आईसीडीएस कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए और किशोरीशक्ति योजना व किशोरियों के लिए पोषण कार्यक्रम के विलयन के एक स्कीम "राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण स्कीम" की शुरुआत के लिए प्रावधान शामिल है। बजट में पहली बार बाल

कल्याण संबंधित स्कीमों पर खर्च का प्रावधान शुरू किया गया है। बाल कल्याण स्कीम संबंधी कुल व्यय 33,434 करोड़ रुपए होगा। शतप्रतिशत महिला विशिष्ट स्कीमों के लिए 11,460 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2008-09 की अवधि के लिए 16,202 करोड़ रुपए का प्रावधान इन स्कीमों के लिए किया गया है जिनमें कम-से-कम 30% राशि महिला विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए निर्धारित है।

3.2.10 ग्रामीण विकास विभाग का कुल परिव्यय 14.3% बढ़ाकर स्वरोजगार, मजदूरी रोजगार, ग्रामीण आवास व ग्रामीण सम्पर्कता की महत्वपूर्ण स्कीमों के लिए पर्याप्त प्रावधान करने हेतु 38,500 करोड़ रुपए कर दिया गया है। एनआरईजीपी जिसे प्रारम्भ में 200 जिलों में शुरू किया गया था, को विशेष श्रेणी राज्यों में 89 जिलों सहित और 100 जिलों को कवर करने के लिए विस्तारित किया जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय योजना परिव्यय 1,6000 (पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए 1600 करोड़ रुपए सहित) करोड़ रुपए है। ग्रामीण क्षेत्रों में समाजार्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण सड़क महत्वपूर्ण अवसंरचना हैं और तदनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) को 7,350 करोड़ रुपए (ब.अ.) का आबंटन (11.7% की वृद्धि) मुहैया कराया गया है। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में दिए गए महत्व को स्वीकारते हुए इन्दिरा आवास योजना (आईएवाई) के लिए सकल बजटीय सहायता को 16.8% बढ़ा कर 853 करोड़ रुपए कर दिया गया है। वर्ष 2008-09 के लिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) हेतु 2150 (पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए 217 करोड़ रुपए सहित) करोड़ रुपए के योजना परिव्यय की घोषणा की गई है।

3.2.11 ग्यारहवीं योजना के दृष्टिकोण-पत्र में अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अल्पसंख्यकों और अन्य बहिष्कृत वर्गों को समाज के अन्य वर्गों के समकक्ष लाने के लिए उनकी आवश्यकताओं और अपेक्षाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है।

तदनुसार, **सामाजिक न्याय व सशक्तिकरण मंत्रालय, जनजातीय मामले मंत्रालय और अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय** का परिव्यय क्रमशः बढ़ाकर 2400 करोड़ रुपए, 805 करोड़ रुपए और 1000 करोड़ कर दिया गया है। छात्रवृत्तियाः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यकों के लिए पिछले बजट में मैट्रिक पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति कार्यक्रम की घोषणा की गयी। वर्ष 2008-09 के लिए अनुसूचित जातियों के लिए 804 करोड़ रुपए, अनुसूचित जनजातियों के लिए 195 करोड़ रुपए, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 164 करोड़ रुपए और अल्पसंख्यकों के लिए 100 करोड़ रुपए आबंटित किए गए। वर्ष 2008-09 में एमफिल, पीएचडी पाठ्यक्रमों में रुचि रखने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की सहायता करने वाले राजीव गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप कार्यक्रम को 75 करोड़ रुपए आबंटित किए गये।

3.2.12 तीव्र विकास में मुख्य कमी अवसंरचना और इसकी गुणवत्ता की अपर्याप्तता है। तदनुसार राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आजीजीवीवाई) हेतु 5500 करोड़ रुपए मुहैया कराए गए हैं। इसका लक्ष्य सभी अविद्युतीकरण गांवों को बिजली मुहैया कराना और सभी बीपीएल परिवारों को इससे जोड़ना है। 11 वीं योजना अवधि के दौरान 28,000 करोड़ रुपए की पूंजीगत सब्सिडी के साथ आरजीजीवीवाई का योजना परिव्यय जारी रहेगा। वर्ष 2008-09 के लिए 5,500 करोड़ रुपए आबंटित किए गए। वर्ष 2008-09 में त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार परियोजना के लिए 800 करोड़ रुपए मुहैया कराया गया है। इसके अलावा, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों का विकास विद्युत व ऊर्जा आपूर्ति के अभाव का समाधान करने में भी मदद कर सकता है। अतः **नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत मंत्रालय** को 1,267 करोड़ रुपए का जीबीएस मुहैया कराया गया है। परिवहन अवसंरचना की गुणवत्ता में सुधार उच्च आर्थिक विकास की अनिवार्य पूर्वापेक्षा है। अपर्याप्त और अकुशल परिवहन क्षेत्रक से उत्पन्न होने वाली उच्च

कार्य व्यापार लागत अन्य क्षेत्रों में प्रगति के बावजूद अर्थव्यवस्था द्वारा अपनी सम्पूर्ण विकास संभावनाओं की उपलब्धि में बाधा बन सकती है। अतः, **सड़क परिवहन व राजमार्ग विभाग, नागर विमानन मंत्रालय व जहाजरानी विभाग** का परिव्यय बढ़ाकर क्रमशः 17,550 करोड़ रुपये, 10,031 करोड़ रुपये व 6,609 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

3.2.13 शहरी विकास मंत्रालय का बजटीय आबंटन 6.52% बढ़ाकर 5,478.36 करोड़ रुपये कर दिया गया है। पूलित वित्त विकास निधि (पीएफडीएफ) के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस स्कीम द्वारा छोटे यूएलबीज़ को अपनी प्राथमिकता वाली परियोजनाओं के लिए ऋण इकट्ठे करने में सहायता दिए जाने की आशा है। शहरी परिवहन आयोजना व क्षमता निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के लिए बजटीय आबंटन को एनसीआर के विकास हेतु अधिक निधियों की लीवरेजिंग के लिए बढ़ा कर 100 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इससे दिल्ली पर जनसांख्यिकी दबाव भी घटने की उम्मीद है। **आवास व शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय** के योजना आबंटन को मुख्यतः स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना (344 करोड़ रुपये) के लिए पर्याप्त प्रावधान करने हेतु बढ़ा कर 619.86 करोड़ रुपये कर दिया गया है। यह स्कीम शहरी क्षेत्रों में तीव्रकृत रोजगार सृजन की आवश्यकता के मद्देनजर महत्वपूर्ण बन गई है। एक नई स्कीम " शहरी गरीबों के लिए आवासों पर ब्याज सब्सिडी " के लिए 30 करोड़ रुपए का प्रावधान पहले से ही किया गया है। इस स्कीम का लक्ष्य ईडब्ल्यूएस/एलआईजी श्रेणियों को वहनीय आवास उपलब्ध कराना है। ये आबंटन जेएनएनयूआरएम के लिए मुहैया कराई गई राशि(6,866 करोड़ रुपए) के अतिरिक्त है।

3.2.14 अनुसंधान और विकास विकासात्मक कार्यकलापों में वृद्धि करता है और भारत को ज्ञान अर्थव्यवस्था बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। तदनुसार,

विज्ञान व प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में भारी वृद्धि की गई है जो कि निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट है। 2008-09 में परमाणु उर्जा विभाग और विज्ञान एवं तकनीकी विभाग के लिए आबंटन को बढ़ाकर क्रमशः 5,920 करोड़ रुपए (79.5% की वृद्धि) और 1,530 करोड़ रुपए(0.3% की वृद्धि) कर दिया गया है।

तालिका 3.2.2

(रुपये करोड़)

मंत्रालय/ विभाग	बजट अनुमान 2007-08	2008-09 (बजट अनुमान)	प्रतिशत वृद्धि
परमाणु ऊर्जा विभाग (आर एण्ड डी सैक्टर)	1215.00	1228.00	1.07
विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग	1526.00	1530.00	0.26
जैव प्रौद्योगिकी विभाग	675.00	900.00	33.33
अंतरिक्ष विभाग	3420.00	3600.00	5.26
विज्ञान व औद्योगिक अनुसंधान विभाग	1070.00	1200.00	12.15
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	690.00	750.00	8.70
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	1500.00	1680.00	12.00

स्रोत: बजट दस्तावेज 2008-09, खंड-1 भारत सरकार

वार्षिक योजना (2008-09) के लिए विभिन्न वैज्ञानिक विभागों के योजना आबंटनों को अंतिम रूप देते समय निम्नलिखित मुख्य बातों को ध्यान में रखा गया है :

- (क) **पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय** व पृथ्वी आयोग का गठन भूमि के महत्वपूर्ण तत्वों अर्थात् पर्यावरण, समुद्र और भूभाग के बीच जटिल

- संबंध को समग्र रूप से समझते हुए और देश में मौसम विज्ञान संबंधी पूर्वानुमान में सुधार को ध्यान में रखते हुए किया गया है। तदनुसार, प्रमुख बल 453.67 करोड़ रुपये के परिव्यय सहित भारतीय मौसम विज्ञान विज्ञान के आधुनिकीकरण पर दिया गया है।
- (ख) विज्ञान को करियर के रूप में अपनाने के लिए युवा छात्रों को आकर्षित करने के मद्देनजर निरीक्षण समिति की सिफारिशों के अनुसार प्रति वर्ष एक लाख रुपये की 10,000 छात्र वृत्तियाँ मुहैया कराने के लिए **विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग** को 100 करोड़ रुपये का विशिष्ट आबंटन मुहैया कराया गया है। इसके अतिरिक्त आईटी के लिए बेंगलूर, चमड़ा व ऑटो कम्पोनेण्ट्स आदि के लिए चैन्नै की तर्ज पर अभिनव कलस्टर्स के सृजन के लिए दीर्घावधिक विजन सहित नये कार्यक्रम की परिकल्पना की गई है।
- (ग) **जैव प्रौद्योगिकी विभाग** राष्ट्रीय महत्व के क्षेत्रों में, जहाँ जैव प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप उत्पाद और प्रक्रिया विविधता में महत्वपूर्ण मूल्य संवर्धन, लागत प्रभावोत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता ला सकते हैं, में अन्तस्-विषयी बड़ी चुनौती वाली परियोजनाओं को सहायता देने के लिए "ग्राण्ड चैलेज़ प्रोग्राम " नामक नई पहल की शुरुआत करेगा। जैव प्रौद्योगिकी विभाग के परिव्यय में 25% तक की वृद्धि कर 900 करोड़ रुपए कर दिया गया है।
- (घ) **परमाणु ऊर्जा विभाग** की एक प्रमुख पहल समान भागीदार के रूप में अन्तरराष्ट्रीय थर्मो न्यूक्लियर एक्सपैरीमेंटल रिएक्टर (आईटीईआर) की स्थापना में भागीदारी होगी। इसके अतिरिक्त, 700 एमडब्ल्यूई प्रैशराइज्ड हैवी वॉटर रिएक्टर (पीएसडब्ल्यूआर) और फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के लिए एडवांस्ड फ्यूल्स के विकास संबंधी अनुसन्धान और विकास कार्य भी शुरू किए जाएंगे।
- (ङ) **अंतरिक्ष विभाग** ने भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान व प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। संस्थान अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में स्नातक पूर्व, स्नातकोत्तर और अनुसन्धान कार्यक्रम और इसरो की उच्च प्रौद्योगिकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रचलित पाठ्यक्रम के साथ अंतरिक्ष विज्ञान में एकीकृत मास्टर पाठ्यक्रम कराएगा। अंतरिक्ष विभाग का योजना परिव्यय 3600 करोड़ रुपए है।
- (च) विज्ञान और औद्योगिक अनुसन्धान परिषद (सीएसआईआर) ने ट्रांसलेशनल रिसर्च इन्स्टीट्यूट स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। विज्ञान एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग के लिए परिव्यय 1200 करोड़ रुपए है। यह विभाग के प्रौद्योगिकी उन्नयन, विकास एवं उपयोग कार्यक्रम के लिए तथा केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स लि. को इसकी सहायता के लिए है।
- (छ) **आईटी विभाग** के बजटीय आबंटन को मुख्यतः ई-इनेबल्ड इण्डिया के लिए राष्ट्रीय ई अभिशासन योजना को गति प्रदान करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिकक्स, आईटी हार्डवेयर और साफ्टवेयर को प्रोन्नत करने, क्षमता निर्माण और नैनो-प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा और अन्य अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों में जनसाधन विकास के लिए बढ़ाया गया है। वर्ष 2007-08 में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का आबंटन 1,500 करोड़ रुपए था जिसे वर्ष 2008-09 में बढ़ाकर 1680 करोड़ रुपए कर दिया गया; केन्द्रीय सहायता से ग्रामीण क्षेत्रों में 100,000 ब्रांडबैंड इंटरनेट समर्थित सामान्य सेवा केन्द्रों (कॉमन सर्विस सेन्टर) और स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क्स (स्वान) की स्थापना करनेवाली दो स्कीमें क्रियान्वित की जा रही है, स्टेट डाटा सेन्टर की नयी स्कीमों को भी अनुमोदित

किया गया है; कॉमन सर्विस सेन्टर के लिए 75 करोड़ रुपए मुहैया कराया गया है; स्वान के लिए 450 करोड़ रुपए और स्टेट डाटा सेंटर के लिए 275 करोड़ रुपए मुहैया कराया गया।

3.2.15 राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद

(एनएमसीसी) ने विनिर्माण हेतु एक राष्ट्रीय नीति बनाई है। एनएमसीसी द्वारा तैयार किए गए उपायों के कार्यान्वयन के लिए माननीय प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में विनिर्माण संबंधी एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। एचएलसीएम ने निम्नलिखित क्षेत्रों की ध्यान के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के रूप में पहचान की है: कपड़ा, चमड़ा व जूते, खाद्य प्रसंस्करण और आईटी हार्डवेयर और इलैक्ट्रॉनिक। तदनुसार, **कपड़ा मंत्रालय, औद्योगिक नीति व संवर्धन विभाग और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय** का परिव्यय क्रमशः बढ़ाकर 2500 करोड़ रुपये 600 करोड़ रुपये और 290 करोड़ रुपये कर दिया गया है। **उपभोक्ता मामले विभाग** का बजटीय आबंटन मुख्य रूप से उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाने के लिए उपायों को सुदृढ़ करने और उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यकलापों के लिए बढ़ा कर 209 करोड़ रुपये कर दिया गया है। **वाणिज्य विभाग** को 1560 करोड़ रुपये मुख्यतः " निर्यात हेतु अवसंरचना विकास के लिए राज्यों को सहायता " को समर्थन देने और पौध-रोपण क्षेत्रक को सुदृढ़ करने के लिए मुहैया कराए गए हैं।

3.2.16 **गृह मंत्रालय** का योजना परिव्यय मुख्यतः शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से कार्मिकों की क्षमता निर्माण, फारेंसिक प्रयोगशालाओं, सड़क व यातायात सुरक्षा प्रणाली, और बेहतर अपराध पहचान प्रणाली, विशेष रूप से आर्थिक आपदा के वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए 42.6% बढ़ाकर 800 करोड़ कर दिया गया है। **विधि व न्याय मंत्रालय** का बजटीय आबंटन बढ़ा कर 260 करोड़ रुपये कर दिया गया है: 170.50 करोड़ रुपये जिला व अधीनस्थ न्यायालयों के कम्प्यूटरीकरण के लिए और उच्च

न्यायालयों सहित न्यायपालिका हेतु अवसंरचना सुविधाएं विकसित करने हेतु 65 करोड़ रुपये। **विदेश मंत्रालय** का योजना परिव्यय पड़ोसी देशों में मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं के लिए बढ़ा कर 579 करोड़ रुपये कर दिया गया है। (भूटान में पुनतसंगचू, अफगानिस्तान में पुल-ई-कुमरी और म्यांमार में डंगसम) पर्यटन जीविकोपार्जन के स्रोतों में एक मुख्य स्रोत है और यह हमारी सांस्कृतिक विरासत और व्यापार को बढ़ावा देने में मुख्य भूमिक निभाता है। तदनुसार **पर्यटन मंत्रालय** का जीबीएस बढ़ा कर 1,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

जेड.बी.बी. मानीटरिंग व मूल्यांकन

3.2.17 वार्षिक योजना 2008-09 के लिए योजना आयोग द्वारा एक व्यापक जैड.बी.बी. प्रक्रिया की गई है और बहुत सी.एस.एस./सी.एस. स्कीमें छोड़ दी गई हैं/ मिला दी गई हैं। उनका पुनः वर्गीकरण किया गया है और 1.4.2008 से स्थापना लागत गैर-योजना में स्थानांतरित कर दी गई है। इस प्रक्रिया ने 11वीं योजना की प्राथमिकताओं के अनुसार परिव्ययों पर पुनः ध्यान देने और उपलब्ध संसाधनों के किफायती, कुशल और उचित उपयोग को संभव बनाया है। बंद की गई सीएस/सीएसएस के शेष दायित्वों को 2008-09 के योजना आबंटनों में शामिल नहीं किया गया है और बहुत सी योजना स्कीमों के वेतन और स्थापना घटकों को भी गैर-योजना में स्थानांतरित किया जाना है।

3.2.18 ग्यारहवीं योजना के दृष्टिकोण-पत्र में कार्यक्रमों की व्यावसायिक और व्यवस्थित मानीटरिंग, जो वास्तविक रूप से उनका कार्यान्वयन करने वाली एजेंसियों से भिन्न स्वतन्त्र एजेंसियों द्वारा की जाती है, की आवश्यकता पर विशेष बल दिया गया है। ग्यारहवीं योजना के लिए चालू स्कीमों और कार्यक्रमों, विशेष रूप से वे कार्यक्रम, जिनमें पर्याप्त परिव्यय शामिल हैं, के तीव्र मूल्यांकन पर भी बल दिया गया है। कार्यक्रमों की डिजाइन और कार्यान्वयन के संबंध में सीख लेने के लिए कार्यक्रमों का मूल्यांकन महत्वपूर्ण है। यह

अर्थव्यवस्था, कुशलता, प्रभाविता, संधारणीयता और सार्वजनिक क्षेत्रक निधियन की संगतता और विकासात्मक हस्तक्षेप से संबंधित मुद्दों के व्यापक प्रकारों का भी समाधान करेगा। कार्यान्वयन करने वाले मंत्रालय/ विभाग की जवाबदेहिता के स्तर को बढ़ाने के लिए भी कदम उठाया जाएगा।

राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों की योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता

3.2.19 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र योजना के लिए जीबीएस 63431.50 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है जिसमें 60152.46 करोड़ रुपये राज्य योजनाओं और 3219.04 करोड़ रुपये संघ राज्य क्षेत्र योजनाओं के लिए हैं। **सामान्य केन्द्रीय सहायता** (एनसीए) 2007-08 (ब0अ0) में 15408.02 करोड़ रुपये से बढ़ाकर वर्ष 2008-09 में 17991.98 करोड़ रुपये कर दी गई है। प्रमुख एसीए स्कीमें जिनमें वृद्धि मुहैया कराई जाती है, वे हैं : तवरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) और अन्य जल संसाधन कार्यक्रम के लिए 5550 करोड़ रुपये के अनुदान घटक सहित अनुमानित परिव्यय 20,000 करोड़ रुपये है और 2,407 करोड़ का राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। सुनामी पुनर्वास कार्यक्रम को 876 करोड़ मुहैया कराए गए हैं, जिसमें 460 करोड़ रुपये राज्य योजनाओं के लिए शामिल हैं।

3.2.20 पिछड़े क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ) को बिहार और उड़ीसा के केबीके जिलों के लिए विशेष योजनाओं हेतु 5,800 करोड़ रुपये (4,670 करोड़ रुपए जिला घटक के रूप में और 1,130

करोड़ रुपये राज्य घटक के रूप में) मुहैया कराए गए हैं यह देश के अत्यन्त पिछड़े जिलों के तीव्र विकास को सुनिश्चित करेगा।

3.2.21 वृहत मुम्बई स्टॉर्म वॉटर ड्रेन प्रोजेक्ट (ब्रिमस्टोवा) को 400 करोड़ रुपये मुहैया कराए गए हैं और इसी प्रकार कॉमनवेल्थ गेम्स को 624 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं जिसमें दिल्ली में राष्ट्र मण्डल खेल सुविधाओं (अवसंरचना) के लिए 350 करोड़ रुपये शामिल हैं।

3.2.22 जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) को 6247.98 करोड़ रुपये के राज्य घटक और 618.02 करोड़ रुपये के संघ राज्य घटक के साथ 6866 करोड़ रुपये मुहैया कराए गए हैं। जेएनएनयूआरएम द्वारा शहरी स्थानीय निकायों में अत्यावश्यक सुधार अभिप्रेरित किए जाने और 63 मिशन शहरों के तीव्र विकास की भी आशा है।

वार्षिक योजना 2007-08 की समीक्षा

वार्षिक योजना 2007-08 के लिए केन्द्रीय क्षेत्रक परिव्यय के लिए संशोधित अनुमान 292337.01 करोड़ रुपये था, जो 319992 करोड़ रुपये के बजट अनुमान में 9.46% की कमी दर्शाता है। विकास शीर्ष के अंतर्गत केन्द्र, राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों के लिए वार्षिक योजना 2007-08 के संशोधित अनुमान को संक्षिप्त रूप से संलग्नक 3.2.3 में दर्शाया गया है।

संलग्नक 3.2.1

वार्षिक योजना 2006-07 के लिए केन्द्र, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों का वास्तविक व्यय

करोड़ ₹0 में

क्र. सं.	विकास शीर्ष	केन्द्र	राज्य/ संघ रा. क्षेत्र	वार्षिक योजना 2006-07
I	कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलाप	7623.00	8950.21	16573.21
II	ग्रामीण विकास	16532.00	13621.92	30153.92
III	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	N.A	5602.86	5602.86
IV	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	448.00	31354.57	31802.57
V	उर्जा	7184.00	22265.81	29449.81
	क. विद्युत	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.
	ख. पेट्रोलियम	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.
	ग. कोयला एवं लिग्नाइट	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.
	घ. अपारंपरिक उर्जा स्रोत	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.
VI	उद्योग एवं खनिज	5869.00	4475.42	10344.42
	क. ग्राम एवं लघु उद्योग	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.
	ख. अन्य उद्योग	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.
VII	परिवहन	27936.00	24584.32	52520.32
	क. रेलवे	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.
	ख. अन्य	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.
VIII	संचार	748.00	1.10	749.10
IX	विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	6425.00	568.85	6993.85
X	सामान्य आर्थिक सेवाएं	2741.00	6311.82	9052.82
XI	सामाजिक सेवाएं	48118.00	62617.06	110735.06
	क. शिक्षा	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.
	ख. चिकित्सा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.
	ग. परिवार कल्याण	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.
	घ. आवास	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.
	ड. शहरी विकास	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.
	च. अन्य सामाजिक सेवाएं	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.
XII	सामान्य सेवाएँ	718.00	5215.83	5933.83
XIII	कुल (1 से 12)	124342.00	185569.77	309911.77

नोट- एन. ए. उपलब्ध नहीं

एन.ए. - उप शीर्ष वास्तविक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं

Source: Budget Document-2008-09 Vol.-I, Govt. of India

संलग्नक 3.2.2

केन्द्र, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के लिए वार्षिक योजना 2007-08 के लिए विकास शीर्षों के तहत बजट अनुमान

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	विकास शीर्ष	केन्द्र			राज्य एवं संघ	कुल
		बजट सहायता	आईईबीआर	परिव्यय	राज्य क्षेत्र परिव्यय	
1	कृषि एवं सम्बद्ध क्रियाकलाप	8389	169	8558	10812	19370
2	ग्रामीण विकास	16706	0	16706	15803	32509
3	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	507	0	507	38051	38558
4	उर्जा	8015	71144	79158	27117	106275
5	उद्योग एवं खनिज	6817	13617	20434	4568	25003
6	परिवहन	26016	45573	71589	30308	101897
7	संचार	590	25222	25812	0,00	25812
8	विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	8816	0	8816	1562	10378
9	सामान्य आर्थिक सेवाएं	3559	73	3632	8119	11751
10	सामाजिक सेवाएं	74696	9254	83951	89011	172962
11	सामान्य सेवाएं	829	0	829	6238	7067
12	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	0	0	0	7732	7732
	कुल	154939	165053	319992	239322	559314

Source: Budget Document-2008-09, Vol.-I, Govt. of India

संलग्नक 3.2.3

केन्द्र, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के लिए वार्षिक योजना 2007-08 के विकास शीर्षों के अंतर्गत संशोधित अनुमान

(करोड़ रूपए)

क्र. सं.	विकास शीर्ष	कुल परिव्यय		कुल केन्द्र, राज्य
		केन्द्र	राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र	एवं संघ राज्य क्षेत्र
1	कृषि एवं सम्बद्ध क्रियाकलाप	8544.33	9944.67	18489.00
2	ग्रामीण विकास	17511.17	16163.53	33674.7
3	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	453.62	38455.63	38909.25
4	उर्जा	72230.2	28789.01	101019.21
5	उद्योग एवं खनिज	17952.83	4920.25	22873.08
6	परिवहन	68930.12	30410.65	99340.77
7	संचार	16598.61	0.00	16598.61
8	विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	7741.55	2731.56	10473.11
9	सामान्य आर्थिक सेवाएं	3043.14	6367.50	9410.64
10	सामाजिक सेवाएं	78797.97	87570.62	166368.59
11	सामान्य सेवाएं	533.47	6230.96	6764.43
12	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	0	7672.44	7672.44
	कुल	292337.01	239256.82	531593.83

स्रोत: बजट दस्तावेज-2008-09, खण्ड-1 भारत सरकार

संलग्नक-3.2.4

वार्षिक योजना (2007-08)-संशोधित परियोजना-मुख्य शीर्षवार/राज्यवार

क्र. सं.	विकास का मुख्य शीर्ष	आन्ध्र प्रदेश	अरुणाचल प्रदेश	असम	बिहार *	छत्तीसगढ़ *	गोवा *	गुजरात *	हरियाणा	हिमाचल प्रदेश	(लाख रुपये)	
											जम्मू और कश्मीर *	12.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
I.	कृषि एवं सम्बद्ध कार्यक्रमलाप	66193.20	6000.86	20765.00	25207.25	33525.60	4772.00	91817.00	12794.30	11838.70	7376.87	
II.	ग्रामीण विकास	157321.14	2399.00	32051.00	96182.50	45313.72	3263.05	51316.00	38798.52	10387.00	15,625.02	
III.	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	59469.00	8998.00	52595.00	67755.00	29155.51	500.00	0.00	1880.00	1261.62	31905.25	
IV.	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	1297360.00	10432.18	15416.00	133548.50	97813.67	17271.00	475449.00	75024.00	25982.00	13563.00	
V.	रजर्वा	12044.97	24457.43	39825.00	83393.38	11132.83	12550.00	61328.00	87398.00	15880.00	101927.69	
VI.	उद्योग एवं खनिज	47301.27	1139.90	6355.00	34000.00	18318.34	4170.50	52115.00	11952.00	2755.00	7874.00	
VII.	परिवहन	133188.97	38025.96	45827.00	249824.50	134366.96	12714.00	152627.00	40875.00	27794.00	50140.61	
VIII.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	18869.26	4435.00	2863.00	7009.00	9320.83	4616.00	13201.00	10452.90	10397.00	4049.00	
IX.	सामान्य आर्थिक सेवाएं	134389.95	10420.51	36149.00	60671.92	25263.22	4178.00	33469.00	4676.50	6906.00	57090.74	
X.	सामाजिक सेवाएं	1054283.51	36970.49	85043.00	245735.93	326132.29	61612.45	667605.00	258874.78	91258.80	115276.64	
	शिक्षा	94664.50	19457.52	9506.00	64277.00	132386.49	11604.00	90781.00	72410.00	29067.80	35652.30	
	चिकित्सा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य	76027.84	5554.95	19532.00	25836.93	42849.82	4983.00	56520.00	10874.00	22264.80	22097.66	
	जलापूर्ति एवं साफ सफाई	73186.00	5126.62	6819.00	27657.85	32134.89	16542.00	133120.00	56600.00	18927.00	13298.98	
	आवास	485317.00	3742.00	9958.00	38898.16	5176.50	1333.95	91742.00	7217.00	5320.00	350.00	
	शहरी विकास	128612.28	1072.40	11199.00	33667.50	50162.20	13229.00	171634.00	19712.50	2707.00	17594.07	
	अन्य सामाजिक सेवाएं	196475.89	2017.00	28029.00	55398.49	63422.39	13920.50	123808.00	92061.28	12972.20	26283.63	
XI.	सामान्य सेवाएं	17792.62	3916.67	52611.00	16672.02	11029.03	17353.00	1073.00	7274.00	6019.50	80171.18	
	कुल जोड़	2998213.89	147196.00	389500.00	1020000.00	741372.00	143000.00	1600000.00	550000.00	210479.62	485000.00	

स्रोत:- राज्य योजना प्रभाग, योजना आयोग

* राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा संशोधन की मांग नहीं की गई, अनुमोदित परियोजना की पुनरावृत्ति की गई

संलग्नक-3.2.4

वार्षिक योजना (2007-08)-संशोधित परित्यय-मुख्य शीर्षवार/राज्यवार

क्र. सं.	विकास का मुख्य शीर्ष	झारखण्ड *	कर्नाटक *	केरल *	मध्य प्रदेश *	महाराष्ट्र *	मणिपुर	मेघालय	मिजोरम
1.	2.								
I.	कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप	38870.00	109328.00	33801.00	53861.62	71984.82	2258.75	7185.00	6497.00
II.	ग्रामीण विकास	77256.00	120980.00	24188.00	139931.72	151814.74	7960.19	10045.00	4883.00
III.	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	45295.00	11881.00	5467.00	55879.00	109353.00	1432.96	1230.00	5677.28
IV.	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	52900.00	314577.00	21527.00	179694.63	414415.91	29685.00	1838.00	3433.00
V.	उर्जा	90253.00	210593.00	99793.00	155356.75	193155.32	10468.00	25135.00	7843.00
VI.	उद्योग एवं खनिज	14931.00	43560.00	10730.00	9862.42	11078.74	8747.00	2915.00	2231.00
VII.	परिवहन	77696.00	220404.00	87564.00	174045.39	199404.90	18762.00	16241.00	14805.00
VIII.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	14125.00	21060.00	15025.00	4955.00	7247.66	3280.62	2575.00	2195.00
IX.	सामान्य आर्थिक सेवाएं	8053.50	18654.00	18051.00	30314.75	55582.39	2170.68	3062.00	3482.00
X.	सामाजिक सेवाएं	231091.00	658557.00	198414.00	394170.72	783202.52	51194.20	28990.00	33011.00
	शिक्षा	85431.00	160091.00	14182.00	183812.97	65618.11	10961.90	10833.00	12749.00
	चिकित्सा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य	28100.00	61706.00	8380.00	24531.00	519668.44	3850.00	6040.00	4275.00
	जलापूर्ति एवं साफ सफाई	20500.00	76359.00	91295.00	30739.00	91695.02	11249.00	5334.00	9780.00
	आवास	300.00	63683.00	3128.00	6288.24	28775.64	5303.00	700.00	1810.00
	शहरी विकास	34500.00	168732.00	47970.00	66064.00	225927.11	4319.00	2236.00	2528.00
	अन्य सामाजिक सेवाएं	62260.00	127986.00	33459.00	82735.51	-148481.80	15511.30	3847.00	1869.00
XI.	सामान्य सेवाएं	17129.50	48664.00	180440.00	3028.00	22760.00	6080.56	2466.00	1756.00
	कुल जोड़	667600.00	1778258.00	695000.00	1201100.00	2020000.00	142039.96	101682.00	85813.28

स्रोत:- राज्य योजना प्रभाग, योजना आयोग

* राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा संशोधन की मांग नहीं की गई, अनुमोदित परित्यय की पुनरावृत्ति की गई।

संलग्नक-3.2.4

वार्षिक योजना (2007-08)-संशोधित परिव्यय-मुख्य शीर्षवार / राज्यवार

क्र. सं.	विकास का मुख्य शीर्ष	नागालैण्ड	उड़ीसा	पंजाब *	राजस्थान	सिक्किम	तमिलनाडु	त्रिपुरा	उत्तर प्रदेश	उत्तराखण्ड	पश्चिम बंगाल	कुल राज्य
1.	विकास का मुख्य शीर्ष											
	2.											
I.	कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलाप	6867.95	17534.87	16306.37	20016.29	3667.00	89224.27	7402.67	149093.00	24553.72	38250.23	976993.34
II.	ग्रामीण विकास	4062.74	14582.58	35087.78	88595.30	12429.71	167165.66	8130.19	166545.00	31781.03	77651.45	1595747.04
III.	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	10884.00	86640.00	0.00	12083.41	2396.00	5254.00	8761.58	69532.00	2000.00	79958.74	767244.35
IV.	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	5286.00	148816.90	65000.00	85368.49	1445.00	46919.62	4200.16	242655.00	16648.78	36334.22	3832604.06
V.	उर्जा	8099.44	33668.17	106202.00	524375.03	5665.57	205182.48	6574.38	396179.00	29445.67	180879.00	2738805.11
VI.	उद्योग एवं खनिज	3955.53	6894.30	2830.00	16532.11	2250.00	51229.45	3092.26	23059.00	2655.03	56039.96	458573.81
VII.	परिवहन	7138.85	36329.50	86648.04	80709.20	7900.00	213924.24	14802.48	470251.00	95629.02	56882.97	2764521.59
VIII.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	2536.00	10532.62	7734.00	5883.00	3060.00	20672.03	2293.05	26505.00	21257.69	10210.80	266360.46
IX.	सामान्य आर्थिक सेवाएं	5330.21	25794.15	26206.32	17843.91	2557.00	12235.43	1151.38	11771.00	8416.04	3449.65	627340.25
X.	सामाजिक सेवाएं	25629.18	165372.66	158747.66	337675.45	24608.72	577753.79	42066.60	925794.00	195629.99	404993.71	8179695.09
	शिक्षा	6698.00	35963.56	42332.99	60999.52	11745.50	70259.06	9247.86	206040.00	69282.52	76161.36	1692215.96
	चिकित्सा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य	2256.89	13463.66	10321.53	29588.43	2920.00	46914.51	8451.41	171477.00	34375.10	87066.20	1349926.17
	जलापूर्ति एवं साफ सफाई	1155.00	24281.00	27903.30	83315.94	3626.00	57389.42	3914.77	82939.00	33800.04	68140.00	1106827.83
	आवास	7316.92	17520.01	1016.00	13795.00	681.60	23590.18	4775.83	41675.00	500.02	27438.00	897351.05
	शहरी विकास	4410.32	16980.99	12557.10	94535.41	2437.83	72380.00	3169.39	168872.00	20114.79	128061.53	1525385.42
	अन्य सामाजिक सेवाएं	3792.05	57163.44	64616.74	55441.15	3197.79	307220.62	12507.34	254791.00	37557.52	146188.15	1736050.19
XI.	सामान्य सेवाएं	4552.10	5834.25	6337.83	5917.81	3563.00	10439.03	3623.15	18616.00	9846.00	19311.73	584276.98
	कुल जोड़	84342.00	552000.00	511100.00	1195000.00	69542.00	1400000.00	102097.90	2500000.00	437862.97	963962.46	22792162.08

स्रोत:- राज्य योजना प्रभाग, योजना आयोग

* राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा संशोधन की मांग नहीं की गई, अनुमोदित परिव्यय की पुनरावृत्ति की गई।

संलग्नक-3.2.4

वार्षिक योजना (2007-08)-संशोधित परियोजना-मुख्य शीर्षवार/राज्यवार

क्र. सं.	विकास का मुख्य शीर्ष	अंदाजित व निकोबार द्वीप *	चंडीगढ़ *	दादरा व नागर हवेली *	दमन और दीव *	दिल्ली *	लक्षद्वीप *	पुडुचेरी	कुल (सं. रा. क्षेत्र)	कुल (राज्य/ सं. रा. क्षेत्र)	कुल का प्रतिशत
I.	2.										
I.	कृषि एवं सम्बद्ध कार्यक्रम	1970.01	109.00	336.00	185.00	4670.00	3109.00	7094.93	17473.94	994467.28	3.02
II.	ग्रामीण विकास	3891.00	300.00	204.00	306.00	13005.00	113.00	2787.35	20606.35	1616353.39	4.91
III.	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	767244.35	2.33
IV.	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	417.00	769.52	140.00	64.00	6900.00	603.00	4065.30	12958.82	3845562.88	11.67
V.	रजर्वा	3010.00	2557.00	1533.00	1039.00	125130.00	2346.00	4481.12	140096.12	2878901.23	8.74
VI.	उद्योग एवं खनिज	600.00	80.00	41.00	42.00	26350.00	111.00	6227.32	33451.32	492025.13	1.49
VII.	परिवहन	25341.20	1220.00	1506.00	2697.00	226978.00	11609.00	7192.57	276543.77	3041065.36	9.23
VIII.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	1690.00	1548.00	421.00	128.00	2075.00	542.00	392.00	6796.00	273156.46	0.83
IX.	सामान्य आर्थिक सेवाएं	1552.29	282.00	221.00	171.00	3602.00	214.00	3367.75	9410.04	636750.29	1.93
X.	सामाजिक सेवाएं	18798.50	19622.48	3145.00	2189.00	466760.00	3222.00	63629.50	577366.48	8757061.57	26.59
	शिक्षा	5990.00	4245.00	1351.00	768.00	76190.00	1141.00	11749.71	101434.71	1793650.67	5.45
	चिकित्सा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य	3407.00	4098.00	663.00	413.00	99500.00	638.00	13364.99	122083.99	1472010.16	4.47
	जलापूर्ति एवं साफ सफाई	2954.80	855.48	516.00	345.00	126800.00	385.00	3665.70	135521.98	1242349.81	3.77
	आवास	1525.00	740.00	202.00	138.00	6490.00	609.00	7563.59	17267.59	914618.64	2.78
	शहरी विकास	2640.00	8724.00	159.00	212.00	128450.00	388.00	9831.93	150404.93	1675790.35	5.09
	अन्य सामाजिक सेवाएं	2281.70	960.00	254.00	313.00	157780.00	61.00	17453.58	179103.28	1915153.47	5.81
XI.	सामान्य सेवाएं	3213.00	275.00	341.00	346.00	24530.00	342.00	9772.16	38819.16	623096.14	1.89
	कुल जोड़	60483.00	26763.00	7888.00	7167.00	900000.00	22211.00	109010.00	1133522.00	32939257.18	100.00

स्रोत:- राज्य योजना प्रभाग, योजना आयोग

* राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा संशोधन की मांग नहीं की गई, अनुमोदित परियोजना की पुनरावृत्ति की गई।

संलग्नक-3.2.5

वार्षिक योजना 2007-08 के लिए केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों का बजट अनुमान आंतरिक एवं बजट्टर संसाधन

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग	सकल बजटीय सहायता	आंतरिक संसाधन	अनुबंध पत्र	ईसीबीज/सत्यापन कर्ज	अन्य	कुल ईबीआर	कुल आईबीआर	कुल परिव्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	कृषि मंत्रालय	9660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9660.00
	क कृषि एवं सहकारिता विभाग	6900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6900.00
	ख कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग	1760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1760.00
	ग पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय एवं मात्स्यकी	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00
II.	परमाणु उर्जा विभाग	3550.00	1953.00	323.00	0.00	94.00	417.00	2370.00	5920.00
		495.00	1685.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1685.61	2180.61
		295.00	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	6.68	301.68
III.	रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय	200.00	1678.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1678.93	1878.93
	क रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग	190.00	2833.87	0.00	9005.11	-1997.98	7007.13	9841.00	10031.00
	ख उर्वरक विभाग	300.00	4318.40	1560.84	275.26	442.50	2278.60	6597.00	6897.00
IV.	नागर विमान मंत्रालय	2160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2160.00
		1560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1560.00
		600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
V.	कोयला मंत्रालय	2655.00	12965.60	8094.00	0.00	272.14	8366.14	21331.74	23986.74
		600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
VI.	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय	375.00	12965.60	8094.00	0.00	0.00	8094.00	21059.60	21434.60
		1680.00	0.00	0.00	0.00	272.14	272.14	272.14	1952.14
	क वाणिज्य विभाग	9660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9660.00
	ख औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग	6900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6900.00
VII.	संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	1760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1760.00
	क डाक विभाग	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00
	ख दूरसंचार विभाग	3550.00	1953.00	323.00	0.00	94.00	417.00	2370.00	5920.00
	ग सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	495.00	1685.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1685.61	2180.61
		295.00	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	6.68	301.68

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग	सकल बजटीय सहायता	आंतरिक संसाधन	अनुबंध पत्र	ईसीबीज/ सप्लायर कर्ज	अन्य	कुल ईबीआर	कुल आइई बीआर	कुल परिव्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VIII.	उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	304.00	49.64	0.00	0.00	0.00	0.00	49.64	353.64
	क उपभोक्ता कार्य विभाग	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209.00
	ख खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग	95.00	49.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.64
IX.	कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00
		600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
		81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00
X.	संस्कृति मंत्रालय	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00
		1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1500.00
XI.	पूर्वात्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579.00
		2776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2776.00
XII.	भू-विज्ञान मंत्रालय	2766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2766.00
		10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
XIII.	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00
		16534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16534.00
XIV.	विदेश मंत्रालय	15580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15580.00
		534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534.00
XV.	वित्त मंत्रालय	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00
	क आर्थिक कार्य विभाग	360.00	1358.03	0.00	1638.60	0.00	1638.60	2996.63	3356.63
	ख व्यय विभाग	304.00	49.64	0.00	0.00	0.00	0.00	49.64	353.64
		209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209.00
XVI.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	95.00	49.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.64
		33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00
		600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
XVII.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00
	क स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00
	ख आयुर्वेद, योग एवं नैचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी विभाग (आयुष)	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1500.00
	ग स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग	579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579.00

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग	सकल बजटीय सहायता	आंतरिक संसाधन	अनुबंध पत्र	ईसीबीजी/सप्लायर कर्ज	अन्य	कुल ईबीआर	कुल आई बीआर	कुल परिव्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
XVIII.	भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय	360.00	1358.03	0.00	1638.60	0.00	1638.60	2996.63	3356.63
	क भारी उद्योग विभाग	350.00	1358.03	0.00	1638.60	0.00	1638.60	2996.63	3346.63
	ख सार्वजनिक उद्यम विभाग	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
XIX.	गृह मंत्रालय	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
		850.00	383.05	2200.00	0.00	5186.81	7386.81	7769.86	8619.86
		34400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34400.00
XX.	आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय	26800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26800.00
		7600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7600.00
XXI.	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
	क स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
	ख उच्च शिक्षा विभाग	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00
XXII.	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	1794.00	26.50	0.00	0.00	33.50	33.50	60.00	1854.00
		200.00	1809.62	0.00	150.00	0.38	150.38	1960.00	2160.00
		1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00
XXIII.	श्रम मंत्रालय	620.00	86.73	0.00	100.00	460.27	560.27	647.00	1267.00
		110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00
XXIV.	विधि एवं न्याय मंत्रालय	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.00
		350.00	1358.03	0.00	1638.60	0.00	1638.60	2996.63	3346.63
XXV.	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
		800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
XXVI.	खान मंत्रालय	850.00	383.05	2200.00	0.00	5186.81	7386.81	7769.86	8619.86
		34400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34400.00
XXVII.	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	26800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26800.00
		7600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7600.00
XXVIII.	नई एवं नवीकरण उर्जा मंत्रालय	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
		800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
XXIX.	पंचायती राज मंत्रालय	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00
		1794.00	26.50	0.00	0.00	33.50	33.50	60.00	1854.00
XXX.	कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय	200.00	1809.62	0.00	150.00	0.38	150.38	1960.00	2160.00

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग	सकल बजटीय सहायता	आंतरिक संसाधन	अनुबंध पत्र	ईसीबीज/सप्लायर कर्ज	अन्य	कुल ईबीआर	कुल आइई बीआर	कुल परिव्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
XXXI.	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	25.00	37512.83	1285.00	440.00	7302.17	9027.17	46540.00	46565.00
XXXII.	योजना मंत्रालय	602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602.00
XXXIII.	विद्युत मंत्रालय	6000.00	10850.37	14258.91	3752.02	5598.80	23609.63	34460.00	40460.00
XXXIV.	ग्रामीण विकास मंत्रालय	42400.00	0.00	0.00	0.00	7000.00	7000.00	7000.00	49400.00
क	ग्रामीण विकास विभाग	31500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7000.00	7000.00	38500.00
ख	भू संसाधन विभाग	2400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2400.00
ग	पेय जलापूर्ति विभाग	8500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8500.00
XXXV.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय	3630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3630.00
क	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	1530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1530.00
ख	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग	1200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1200.00
ग	जैव प्रौद्योगिकी विभाग	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
XXXVI.	जहाजरानी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	14050.00	5126.99	4100.00	542.01	340.00	4982.01	10109.00	24159.00
क	जहाजरानी विभाग	600.00	5126.99	0.00	542.01	340.00	882.01	6009.00	6609.00
ख	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग	13450.00	0.00	4100.00	0.00	0.00	4100.00	4100.00	17550.00
XXXVII.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	2400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2400.00
XXXVIII.	अंतरिक्ष विभाग	3600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3600.00
XXXIX.	सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.00
XI.	इस्पात मंत्रालय	34.00	9509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9509.00	9543.00

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग	सकल बजटीय सहायता	आंतरिक संसाधन	अनुबंध पत्र	ईसीबीज/ सप्लायर कर्ज	अन्य	कुल ईबीआर	कुल आइई बीआर	कुल परिव्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
XLII.	कपड़ा मंत्रालय	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2500.00
XLIII.	परिवहन मंत्रालय	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00
XLIV.	जनजातीय कार्य मंत्रालय	805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805.00
XLV.	शहरी विकास मंत्रालय	2500.00	128.36	2790.00	0.00	60.00	2849.99	2978.36	5478.36
XLVI.	जल संसाधन मंत्रालय	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
XLVII.	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	7200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7200.00
XLVIII.	युवा मामले एवं खेल मंत्रालय	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890.00
	रेलवे मंत्रालय	7100.00	20600	7200	0.00	1826.1	9026.10	29626.1	36726.10
	कुल जोड़	179954.00	111197.60	41811.75	15903.00	26618.69	84333.44	195531.04	375485

स्रोत: बजट दस्तावेज - 2009-09, खण्ड - 1, भारत सरकार

संलग्नक-3.2.6

केन्द्र, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के लिए वार्षिक योजना 2008-09 की विकास शीर्षों के अंतर्गत बजट अनुमान

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	विकास शीर्ष	केन्द्रीय परित्यय	राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र परित्यय	केन्द्र, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र का जोड़
1	कृषि एवं सम्बद्ध क्रियाकलाप	10074.51	17199.58	27274.09
2	ग्रामीण विकास	18972.00	203933.76	222905.76
3	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	410.80	47683.18	48093.98
4	उर्जा	93814.75	33680.99	127495.74
5	उद्योग एवं खनिज	28835.85	6082.49	34918.34
6	परिवहन	84176.80	36939.37	121116.17
7	संचार	21937.10	0.00	21937.10
8	विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी	9283.18	3903.41	13186.59
9	सामान्य आर्थिक सेवाएं	6052.10	12009.57	18061.67
10	सामाजिक सेवाएं	100778.40	115769.24	216547.64
11	सामान्य सेवाएं	1149.55	6870.66	8020.21
12	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	0.00	8270.74	8270.74
	कुल	375485.04	492342.99	867828.03

* केन्द्र कुल परित्यय में आईडीबीआर शामिल है।

स्रोत: बजट दस्तावेज - 2008-09, खण्ड - 1, भारत सरकार

अध्याय-4

रोजगार संभावनाएं एवं श्रम नीति

4.1 ग्यारहवीं योजना में समावेशी विकास की परिकल्पना की गई है जो विकास के लाभ को आबादी के सभी वर्गों तक पहुंचाती है। बेहतर जीवन गुणवत्ता के लिए सभी व्यक्तियों (कार्यरत और कार्य तलाश रहे) के लिए धारणीय आधार पर उपयोगी एवं लाभप्रद रोजगार आवश्यक है। यह भी महत्वपूर्ण है कि सभी स्थानों पर पर्याप्त रोजगार अवसर सृजित किए जाए। हमारा लक्ष्य निश्चित आय स्तर के साथ-साथ कार्य-स्थल पर उचित एवं उपयुक्त माहौल तैयार करना होना चाहिए। कामगारों विशेषकर असंगठित क्षेत्रक के कामगारों की स्थिति में सुधार के लिए श्रम कानूनों को लागू करना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। काफी संख्या में कामगार गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को प्रभावी तरीके से लागू किया जाना चाहिए जिससे कि न्यूनतम जीवनयापन स्तर सुनिश्चित हो सके। तेजी से बदलती हुई प्रौद्योगिकी की मांग को पूरा करने तथा वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए श्रम बल को श्रम बाजार की आवश्यकता के अनुसार प्रशिक्षित और पुनः प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। कामगारों तथा बेरोजगारों के कौशल स्तर को अपग्रेड करने के लिए हमें अल्पकालिक मॉड्यूलर कोर्स तैयार करने चाहिए। हमारी अपनी शिक्षा नीति में संभव परिवर्तन करने चाहिए तथा वे सभी प्रयास करने चाहिए जिससे कि विभिन्न संस्थाओं से पास होने वाले व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त करने में कोई समस्या न हो। वर्तमान में डाटा सूचना की प्रामाणिकता निर्धारित करना संभव नहीं है फिर भी उपलब्ध सूचना से यह संकेत मिलता है कि भारत में बहुत ही कम श्रमिक औपचारिक रूप से प्रशिक्षित हैं। यद्यपि औपचारिक संस्थानों से प्रशिक्षण पाए बगैर हमारे कामगार अत्यधिक कुशल है विशेषकर हमारे कारीगर परंतु विश्व बाजार में काम पाने के लिए किसी प्रमाणपत्र का होना आवश्यक है।

4.2 कुछ समय से योजनाकारों एवं नीति निर्माताओं के लिए बेरोजगारी एक प्रमुख चिंता का विषय रहा है। उच्च आर्थिक विकास के बावजूद, रोजगार अवसर श्रम बल की इच्छाओं के अनुरूप सृजित नहीं हो रहे हैं। आऊटपुट में कई गुणा वृद्धि मुख्य रूप से प्रौद्योगिकी अविष्कारों के कारण हुआ है परंतु रोजगार में वृद्धि पिछले दो दशकों में कमोवेश स्थिर रही है इसका अर्थ यह नहीं है कि विकास से रोजगार के अवसर पैदा नहीं हुए परंतु तथ्य यह है कि रोजगार की तुलना में श्रम बल में वृद्धि तेजी से हुई है और परिणामतः बेरोजगारी में वृद्धि हुई है। अगले खण्ड में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षणों से प्राप्त रोजगार की स्थिति पर चर्चा की गई है।

रोजगार

4.3 हाल ही में, रोजगार में वृद्धि वर्ष 1994-2000 के दौरान 1.25 प्रतिशत प्रतिवर्ष से बढ़कर वर्ष 1999-2000 से 2004-05 के दौरान 2.62 प्रतिशत प्रतिवर्ष हो गई है। इससे पांच वर्षों के दौरान कार्य के 47 मिलियन अवसर पैदा हुए हैं (स्व-रोजगार और मजदूरी रोजगार दोनों)। रोजगार के अवसरों में वार्षिक वृद्धि वर्ष 1994-2000 के दौरान 4.0 मिलियन प्रति वर्ष से बढ़कर वर्ष 1999-2000 से 2004-05 के दौरान 9.3 मिलियन प्रतिवर्ष हुई है। (तालिका 4.1.3) लेकिन इससे बेरोजगार पर पर्याप्त नियंत्रण नहीं हुआ।

4.4 जनसंख्या वृद्धि वर्ष 1983 से लगातार गिर रही है। वर्ष 1983 से 1993-94 के दौरान प्रतिवर्ष 2.11 प्रतिशत तथा वर्ष 1993-94 से 1999-2000 के दौरान प्रतिवर्ष 1.98 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया गया था जोकि हाल के वर्षों 1999-2000 से 2004-05 में गिरकर 1.69 प्रतिशत प्रति वर्ष

तक आ गई। यह अनुमान लगाया जा सकता है कि जनसंख्या में कमी के रूझान से बेरोजगारी निश्चित रूप से नियंत्रण में आएगी। यहां यह कहा जा सकता है कि जनसंख्या में प्रारंभिक गिरावट श्रम बल में वृद्धि के अनुरूप नहीं है। श्रम बल में वृद्धि तीव्र है क्योंकि विगत में उच्च जनसंख्या वृद्धि के

कारण अधिक लोग काम करने के आयु-वर्ग में गए हैं।

4.5 हाल के वर्षों में रोजगार अवसरों में पहले की तुलना में तीव्र दर से वृद्धि हुई है। तुलनात्मक रूप से, ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरी क्षेत्रों में

तालिका 4.1 : जनसंख्या, श्रम बल और रोजगार संबंधी परिदृश्य- ग्रामीण भारत
(चालू दैनिक स्थिति के आधार पर)

	1983	1993-94	1999-2000	2004-05	1993-94 से 1999-2000	1999-2000 से 2004-05	1983 से 1993-94	1993-94 से 2004-05
ग्रामीण पुरुष								
जनसंख्या	280505	339529	374430	400786	1.64	1.37	1.84	1.52
श्रम बल	147847	180876	193885	214780	1.16	2.07	1.94	1.57
कार्य बल	135203	170677	179866	197391	0.88	1.88	2.24	1.33
ग्रामीण महिला								
जनसंख्या	266137	319242	353788	379037	1.72	1.39	1.75	1.57
श्रम बल	58305	72079	76720	88393	1.05	2.87	2.04	1.87
कार्य बल	52695	68075	71357	80685	0.79	2.49	2.47	1.56
ग्रामीण योग								
जनसंख्या	546642	658771	728218	779823	1.68	1.38	1.79	1.55
श्रम बल	206152	252955	270606	303172	1.13	2.30	1.97	1.66
कार्य बल	187899	238752	251222	278076	0.85	2.05	2.31	1.40

तालिका 4.2 जनसंख्या, श्रम बल और रोजगार संबंधी परिदृश्य- शहरी भारत
(चालू दैनिक स्थिति के आधार पर)

	1983	1993-94	1999-2000	2004-05	1993-94 से 1999-2000	1999-2000 से 2004-05	1983 से 1993-94	1993-94 से 2004-05
शहरी पुरुष								
जनसंख्या	91051	123960	145882	164690	2.74	2.46	2.98	2.62
श्रम बल	47966	66592	78134	93981	2.70	3.76	3.17	3.18
कार्य बल	43067	62103	72376	87027	2.58	3.76	3.55	3.12
शहरी महिला								
जनसंख्या	80409	110945	131245	148319	2.82	2.49	3.11	2.67
श्रम बल	9706	14649	16138	22493	1.63	6.87	4.00	3.98
कार्य बल	8523	13076	14595	19806	1.85	6.30	4.16	3.85
शहरी योग								
जनसंख्या	171459	234905	277128	313009	2.77	2.48	3.04	2.64
श्रम बल	57672	81242	94272	116474	2.51	4.32	3.32	3.33
कार्य बल	51590	75179	86972	106833	2.46	4.20	3.65	3.25

रोजगार में अधिक वृद्धि हुई है। तालिका 4.1 से 4.3 में वर्ष 1983 से 2004-05 तक चालू दैनिक स्थिति के आधार पर अनुमानित रोजगार जनसंख्या और श्रम बल दर्शाया गया है। वर्ष 1999-2000 से 2004-05 के दौरान 47 मिलियन रोजगार अवसरों का सृजन दसवीं योजना हेतु 50 मिलियन रोजगार के लक्ष्य के लगभग नजदीक है। अतः यह कहा जा सकता है कि दसवीं योजना अवधि के दौरान विकास "रोजगार विहीन" नहीं था।

4.6 तालिका 4.1.1 और तालिका 4.1.2 से रोजगार-बेरोजगारी संबंधी ग्रामीण शहरी परिदृश्य की तुलना संभव है। यह देखा जा सकता है कि शहरी क्षेत्रों में रोजगार अवसरों के सृजन की गति ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में तीव्र रही है। शहरी क्षेत्रों में विकास ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में दुगुना से भी अधिक है यह भी देखा जा सकता है कि महिलाओं के लिए रोजगार के अवसरों में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। वर्ष 1993-94 से 1999-2000 के दौरान शहरी क्षेत्रों में महिला रोजगार में वृद्धि 1.85 प्रतिशत प्रतिवर्ष थी जो कि वर्ष 2004-05 में बढ़कर 6.30 प्रतिशत हो गई।

इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में महिला रोजगार में उसी अवधि में 0.79 प्रतिशत से बढ़कर 2.49 प्रतिशत तक होने का अनुमान लगाया गया है। अतः बाद की अवधि में रोजगार वृद्धि का अनुमान पुरुषों की तुलना में महिलाओं के लिए अधिक लगाया गया था। वर्ष 1999-2000 से 2004-05 के दौरान महिलाओं के लिए रोजगार अवसर में वृद्धि प्रतिवर्ष 3.18 प्रतिशत अनुमानित की गई है जो कि वर्ष 1993-94 से 1999-2000 के दौरान 0.96 प्रतिशत वृद्धि दर से तीन गुणा से अधिक है।

क्षेत्रकीय रोजगार

4.7 कृषि क्षेत्रक अभी भी रोजगार उपलब्ध कराने वाला सबसे बड़ा क्षेत्रक है। तालिका 4.4 से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2004-05 में कुल श्रम बल का 52 प्रतिशत से अधिक कार्यबल कृषि क्षेत्र में लगा है। तथापि 1983 के बाद से निर्भरता कम होने लगी तथा कृषि में शामिल 65 प्रतिशत कामगारों की संख्या वर्ष 2004-05 में घटकर 52.06 प्रतिशत हो गई। दूसरी तरफ निर्माण और कार्य अवसरों के कारण वर्ष 1994-2000 की

तालिका 4.3 : जनसंख्या, श्रम बल और रोजगार संबंधी परिदृश्य- अखिल भार

(चालू दैनिक स्थिति आधार)

	1983	1993-94	1999-2000	2004-05	1993-94 से 1999-2000	1999-2000 से 2004-05	1983 से 1993-94	1993-94 से 2004-05
भारतीय पुरुष								
जनसंख्या	371556	463488	520313	565477	1.94	1.68	2.13	1.82
श्रम बल	195813	247468	272019	308761	1.59	2.57	2.25	2.03
कार्य बल	178270	232780	252242	284417	1.35	2.43	2.57	1.84
भारतीय महिला								
जनसंख्या	346546	430188	485033	527356	2.01	1.70	2.08	1.87
श्रम बल	68011	86728	92859	110886	1.14	3.61	2.34	2.26
कार्य बल	61218	81151	85952	100491	0.96	3.18	2.72	1.96
भारत योग								
जनसंख्या	718101	893676	1005346	1092832	1.97	1.69	2.11	1.85
श्रम बल	263824	334197	364878	419647	1.47	2.84	2.28	2.09
कार्य बल	239489	313931	338194	384909	1.25	2.62	2.61	1.87

तुलना में गत पांच वर्षों में श्रम बल कृषि से तेजी से हटा है। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में कार्यबल की निर्भरता वर्ष 2000-2005 (5 वर्षों) के दौरान 4.6 प्रतिशत बिन्दुओं तक कम हुई है जबकि गत छः वर्षों के दौरान 4.4 प्रतिशत प्वाइंट की कमी थी। वर्ष 2000 से 2005 के दौरान विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में रोजगार अवसरों में 38 मिलियन की वृद्धि हुई जो कि कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों में 8.8 मिलियन रोजगार से काफी अधिक है। वर्ष 2005-06 के 62वें दौर (वार्षिक सर्वेक्षण) से यह सिद्ध

होता है कि रोजगार में निजी क्षेत्रों के शेयर में गिरावट आ रही है। वर्ष 2004-05 में 66.5 प्रतिशत ग्रामीण पुरुष निजी क्षेत्रक में रोजगार में थे, उनका शेयर घटकर वर्ष 2005-06 में 65.2 प्रतिशत हो गया। दूसरी तरफ द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक के शेयर वर्ष 2004-05 और 2005-06 के बीच बढ़े हैं। इसी अवधि में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में महिला रोजगार की संख्या द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक में बढ़ी है।

तालिका 4.4 : चालू दैनिक स्थिति (सीडीएस) आधार पर रोजगार का क्षेत्रकीय शेयर

उद्योग	1983	1993-94	1999-2000	2004-05
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
कृषि	65.42	61.03	56.64	52.06
खनन और उत्खनन	0.66	0.78	0.67	0.63
विनिर्माण	11.27	11.10	12.13	12.90
बिजली, गैस और जलापूर्ति	0.34	0.41	0.34	0.35
निर्माण	2.56	3.63	4.44	5.57
व्यापार, होटल एवं रेस्टोरेंट	6.98	8.26	11.20	12.62
परिवहन, भण्डारण एवं संचार	2.88	3.22	4.06	4.61
वित्त, बीमा, रीयल एस्टेट एवं बिजनेस सेवाएं	0.78	1.08	1.36	2.00
सामुदायिक, सामाजिक एवं वैयक्तिक सेवाएं	9.10	10.50	9.16	9.24
कुल	100.0	100.00	100.00	100.00

तालिका 4.5 : वर्गीकृत रोजगार में रोजगार प्राप्त व्यक्तियों का प्रति हजार वितरण (सामान्य मुख्य स्थिति)

	ग्रामीण पुरुष				ग्रामीण महिला			
	1993-94 (50वां दौर)	1999- 2000 (55वां दौर)	2004-05 (61वां दौर)	2005-06 (62वां दौर)	1993-94 (50वां दौर)	1999- 2000 (55वां दौर)	2004-05 (61वां दौर)	2005-06 (62वां दौर)
स्वरोजगार प्राप्त	567	544	576	561	513	500	564	544
नियमित मजदूरी/ वेतनभोगी	87	90	91	102	34	39	48	53
अनियत मजदूर	346	366	333	337	453	461	389	403
	शहरी पुरुष				शहरी महिला			
स्वरोजगार प्राप्त	411	412	446	421	372	384	404	374
नियमित मजदूरी/ वेतनभोगी	427	419	408	422	355	385	422	453
अनियत मजदूर	162	169	146	157	273	231	174	173

* वार्षिक दौर

नियमित मजदूरी रोजगार

4.8 वर्ष 2005-06 के दौरान ग्रामीण भारत में सामान्यतया रोजगार प्राप्त लोगों के आधे से अधिक लोग स्व-रोजगार में लगे थे- 56.1 प्रतिशत पुरुष एवं 54.4 प्रतिशत महिलाएं। उसी अवधि में शहरी क्षेत्रों में आंकड़े क्रमशः 42.1 और 37.4 थे। ग्रामीण भारत में, पुरुषों की तुलना में महिलाओं में नियमित रोजगार का अनुपात अपेक्षाकृत कम था। तथापि शहरी भारत के मामले में महिलाओं की नियमित मजदूरी वेतन के अनुपात में वर्ष 1993-94 के 35.5 प्रतिशत से वर्ष 2005-06 में 45.3 प्रतिशत की महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। दूसरी तरफ पुरुष कामगारों की तुलना में महिला कामगारों में अनियत श्रमिकों का अनुपात अधिक था, वर्ष 1994-94 में लगभग 10 प्रतिशत का अंतराल घटकर वर्ष 2005-06 में लगभग 6 प्रतिशत तक आ गया है। तालिका 4.5 की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि समय के साथ नियमित वेतन मजदूरों के अनुपात में वृद्धि हो रही है परंतु वृद्धि की गति पर्याप्त नहीं है तथा ग्यारहवीं योजना में मुख्य फोकस नियमित मजदूरी रोजगार बढ़ाना है जिससे कि काम करने वालों के लिए नियमित आय सुनिश्चित की जा सके।

अल्प रोजगार

4.9 अल्प रोजगार की व्याख्या सामान्यतया कामगारों के श्रम-समय की अल्प उपयोगिता के रूप में की गई है। उदाहरण के लिए, कुछ श्रमिकों जिन्हें सामान्यता रोजगार प्राप्त की श्रेणी में रखा

गया है, के पास मौसमी कार्य अथवा किसी अन्य कार्यों के कारण पूरे वर्ष तक काम नहीं होता है तथा उनके श्रम-समय का पूरी तरह उपयोग नहीं किया जाता है ऐसे श्रमिकों को अल्परोजगार प्राप्त कहा जाता है। इसी प्रकार, सप्ताह के दौरान काम करने वाले के रूप में वर्गीकृत कुछ व्यक्तियों को पूरे सप्ताह के लिए काम उपलब्ध नहीं हुआ होगा। अल्परोजगार की माप चालू साप्ताहिक स्थिति और चालू दैनिक स्थिति के आधार पर व्यक्तियों के क्रास-वर्गीकरण के आधार पर की जा सकती है। तालिका 4.6 में संदर्भ सप्ताह (चालू साप्ताहिक स्थिति के अनुसार) के दौरान कुछ कार्य सौंपे गये व्यक्तियों का व्यक्ति-दिवस प्रतिशत बगैर कार्य ग्रामीण पुरुषों के लिए लगभग 6, ग्रामीण महिलाओं के लिए 21, शहरी पुरुषों के लिए 3, तथा शहरी महिलाओं के लिए 11 अनुमानित की गई थी।

संगठित क्षेत्रक रोजगार

4.10 चिंता का दूसरा क्षेत्र है संगठित रोजगार में 1.20 प्रतिशत प्रति वर्ष विकास (1983-1994) से (-) 0.31 प्रतिशत प्रतिवर्ष (1994-2005) की गिरावट (ईजीई एंड टी, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के रिकार्ड के अनुसार) जो मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्रकों के राइट-साइजिंग के कारण हुआ है। तथापि, हाल के दशक 1994-2005 के दौरान निजी क्षेत्रक में संगठित रोजगार में विकास गत दशक के .44 प्रतिशत प्रतिवर्ष की तुलना में 0.58 प्रतिशत प्रति वर्ष अधिक रहा। (तालिका 4.7) इस

तालिका 4.6 : वृहद चालू दैनिक स्थिति 2005-06 के आधार पर रोजगार प्राप्त व्यक्तियों की चालू साप्ताहिक स्थिति के अनुसार व्यक्ति दिवसों का प्रति हजार वितरण

(अखिल भारत)

चालू दैनिक स्थिति	ग्रामीण			शहरी			ग्रामीण + शहरी		
	पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति
रोजगार प्राप्त	937	790	891	969	891	955	945	804	904
बेरोजगार	39	31	37	22	19	22	35	29	33
श्रमबल में शामिल नहीं	23	179	73	9	91	24	20	167	62
कुल	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000

स्रोत विवरण 31. एनएसएस रिपोर्ट 522 भारत में रोजगार एवं बेरोजगारी की स्थिति. जलाई 2005-जन 2006

तथ्य के बावजूद कि निजी संगठित क्षेत्रक के रोजगार में हाल के वर्षों में तीव्र गति से वृद्धि हुई है। संगठित रोजगार में दर्शाई गई गिरावट मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्रक ईकाइयों में रोजगार के गिरावट के कारण बताई गई है। निजी क्षेत्रक ईकाइयों में रोजगार वृद्धि में बाद के वर्षों में तेजी आई है परंतु सार्वजनिक क्षेत्रक रोजगार में कमी को पूरा करने में यह तेजी स्पष्ट रूप से अपर्याप्त है।

तालिका 4.7 : संगठित रोजगार में वृद्धि
(प्रतिशत प्रतिवर्ष)

क्षेत्रक	1983-1994	1994-2005
सार्वजनिक क्षेत्रक	1.53	- 0.70
निजी क्षेत्रक	0.44	0.58
कुल संगठित	1.20	-0.31

बेरोजगारी

4.11 वर्ष 1999-2000 से 2004-05 की अवधि में रोजगार अवसरों में उच्च विकास के बावजूद वर्ष 2000 से 2005 के दौरान बेरोजगारी 7.3 प्रतिशत से बढ़कर 8.3 प्रतिशत हो गई है। इसका कारण श्रम बल का 2.84 प्रतिशत प्रतिवर्ष विकास होना है जो 2.62 प्रतिशत प्रतिवर्ष के कार्यबल विकास से अधिक है।

4.12 ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों में बेरोजगारी के मामले वर्ष 1999-2000 में 7.2 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2004-05 में 8.1 प्रतिशत हो गए हैं तथा वर्ष 2000-2005 के दौरान शहरी क्षेत्रों में उतना ही अर्थात् 7.4 प्रतिशत रहा। एनएसएसओ (2005-06) के नवीनतम सर्वेक्षण परिणाम दर्शाते हैं कि शहरी महिलाओं में बेरोजगारी वर्ष 2004-05 और 2005-06 के बीच लगभग 2 प्रतिशत घटी है जो कि वर्ष 1999-2000 में 9.6 से वर्ष 2004-05 में 11.9 प्रतिशत तक पर्याप्त रूप से बढ़ी थी। समग्र बेरोजगारी दर में भी वर्ष 2004-05 में 8.3 प्रतिशत से वर्ष 2005-06 में 8.1 प्रतिशत मामलू गिरावट आई है।

तालिका 4.8 : चालू दैनिक स्थिति के आधार पर बेरोजगारी दर

	1983	1993-94	1999-2000	2004-05	2005-06*
ग्रामीण क्षेत्र					
पुरुष	8.5	5.6	7.2	8.1	8.3
महिला	9.6	5.6	7.0	8.7	7.5
व्यक्ति	8.8	5.6	7.2	8.3	8.1
शहरी क्षेत्र					
पुरुष	10.2	6.7	7.4	7.4	7.9
महिला	12.2	10.7	9.6	11.9	10.1
व्यक्ति	10.5	7.5	7.7	8.3	8.3
सभी क्षेत्र					
पुरुष	9.0	5.9	7.3	7.9	8.2
महिला	10.0	6.4	7.4	9.4	7.9
व्यक्ति	9.9	6.1	7.3	8.3	8.1

* वार्षिक दौर

4.13 पूर्व की भांति आज भी युवा और शिक्षित वर्गों में बेरोजगारी एक प्रमुख चिन्ता का विषय है, इन दोनों वर्गों में बेरोजगारी अधिक रही है। यद्यपि पुरुष युवाओं (15-29 वर्ष) में शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी वर्ष 1999-2000 में 14.7 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2004-05 में 13.7 प्रतिशत हो गई तथा ग्रामीण क्षेत्रों में यह 11.1 प्रतिशत से बढ़कर 12 प्रतिशत हो गई परंतु यह दो अंको से ऊपर ही बनी रही। यह चिन्ता का विषय है। ऐसी ही स्थिति युवा महिलाओं की है, वर्ष 2000-2005 के दौरान शहरी क्षेत्रों में युवा महिलाओं में बेरोजगारी 19.1 प्रतिशत से बढ़कर 21.5 प्रतिशत हो गई तथा ग्रामीण क्षेत्रों में उसी अवधि में 10.6 से 12.7 प्रतिशत हो गई। (तालिका 4.9)

4.14 शहरी युवा महिलाओं में 20-24 वर्ष के आयु वर्ग में बेरोजगारी अधिकतम है क्योंकि रोजगार तलाश करने वाली हर चार में से एक बालिका को शहरी क्षेत्रों में रोजगार नहीं मिलता है। सार्वजनिक क्षेत्रक में डाउन साइजिंग के कारण शहरी क्षेत्रों में असंगठित अथवा निजी संगठित क्षेत्रक में यदि वे नियमित वेतन आधारित रोजगार प्राप्त कर चाहे तो

मामले में उनकी स्थिति अत्यधिक नाजुक है। इसमें हमारी श्रम नीति विशेषकर लिंग संवेदी सामाजिक नीतियों और कार्यक्रमों जिन्हें काम में 'समानता' को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया है, में अनेक उलझने पैदा की हैं।

तालिका 4.9 : युवाओं (15-29 वर्ष का आयु वर्ग) में बेरोजगारी दर प्रतिशत

वर्ष	ग्रामीण क्षेत्र		शहरी क्षेत्र	
	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
1993-94	9.0	7.6	13.7	21.2
1999-2000	11.1	10.6	14.7	19.1
2004-05	12.0	12.7	13.7	21.5

4.15 **तालिका 4.10** में चालू साप्ताहिक स्थिति (सीडब्ल्यूएस) के आधार पर सामान्य शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की बेरोजगारी दर दी गई है। तालिका में यह देखा जा सकता है कि शिक्षित व्यक्तियों में बेरोजगारी दर वर्ष 1993-94 की तुलना में वर्ष 1999-2000 में घटी है। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की दर में गिरावट अधिक रही। शहरी पुरुषों में गिरावट दर लगभग स्थित रही। दूसरी तरफ, वर्ष 1999-2000 तथा 2004-05 के बीच महिलाओं में तदनुरूपी दरें बढ़ी हैं जबकि ग्रामीण पुरुषों की घटी है और शहरी पुरुषों के लिए स्थिर रही हैं। उच्चतर अथवा इससे अधिक स्तर तक

शिक्षित पुरुषों में ग्रामीण क्षेत्रों (7.3 से 6.5 प्रतिशत) तथा शहरी क्षेत्रों (6.9 से 6.2 प्रतिशत) (सीडब्ल्यूएस) दोनों में बेरोजगारी के मामलों में मामूली कमी आई है परंतु ये दर उन लोगों के बेरोजगारी स्तर से लगभग दुगुनी हैं जो या तो अशिक्षित हैं अथवा प्राथमिक स्तर तक शिक्षित हैं, इससे कार्यस्तल पर दक्षता आवश्यकताओं हेतु हमारी शिक्षा एवं औपचारिक प्रशिक्षण प्रणाली में रोजगार संबंधी प्रश्न खड़ा हो जाता है।

ग्यारहवीं योजना में रोजगार कार्यनीति

4.16 ग्यारहवीं योजना दस्तावेज में उपलब्ध रोजगार अनुमान दर्शाते हैं कि ग्यारहवीं योजना अवधि 2007-12 के दौरान लगभग 58 मिलियन रोजगार अवसर सृजित किए जाने की संभावना है। श्रम बल में वृद्धि का अनुमान लगभग 45 मिलियन है। अतः यह आशा की जाती है कि इससे योजना के अंतिम वर्ष तक बेरोजगारी दर में 5 प्रतिशत से अधिक कमी आएगी। कृषि क्षेत्रक में अतिरिक्त रोजगार सृजन की संभावना नहीं है परंतु कुछ सीमा तक अल्प बेरोजगारी कम कर सकता है तथा इस प्रकार कृषि में लगे लोगों की आय और मजदूरी में वृद्धि तथा अतिरिक्त श्रमबल को गैर-कृषि क्षेत्रक में शिफ्ट किया जा सकता है।

4.17 ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान रोजगार अवसर मुख्यतया सेवा क्षेत्रक, निर्माण और विनिर्माण

तालिका 4.10 : चालू साप्ताहिक स्थिति (सीडब्ल्यूसी) के आधार पर शिक्षा के स्तर के अनुसार 15 वर्ष तथा उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की बेरोजगारी दर (0 %)

शिक्षा का सामान्य स्तर	ग्रामीण पुरुष			ग्रामीण महिला			शहरी पुरुष			शहरी महिला		
	1993-94	1999-2000	2004-05	1993-94	1999-2000	2004-05	1993-94	1999-2000	2004-05	1993-94	1999-2000	2004-05
शिक्षित नहीं	1.8	3.0	2.7	2.2	2.7	2.5	2.2	3.1	2.8	2.2	2.0	2.5
शिक्षित तथा प्राथमिक तक	1.9	3.0	3.0	2.6	2.6	3.1	3.5	4.1	3.7	4.8	3.6	4.0
उच्चतर तथा इससे ऊपर	8.3	7.3	6.5	19.8	16.9	18.2	7.0	6.9	6.2	19.6	15.8	17.9
सभी	3.1	3.9	3.8	2.9	3.7	4.2	5.2	5.6	5.2	7.9	7.3	9.0

क्षेत्रक जैसे खाद्य प्रसंस्करण, चमड़ा उत्पाद, फुटबेयर, टेक्सटाइल्स, लकड़ी एवं बांस उत्पाद, रत्न एवं आभूषण हस्तशिल्प, हथकरघा, पर्यटन और निर्माण आदि क्षेत्रकों में सृजित होंगे।

4.18 नियमित मजदूरी रोजगार कामगारों को नियमित आय और बेहतर जीवन दशाएं सुनिश्चित करता है। रोजगार स्थिति और मासिक प्रति व्यक्ति व्यय (एमपीसीई) के संबंधों पर अध्ययन यह दर्शाते

हैं कि पुरुष एवं महिला दोनों के लिए ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में अनियत मजदूरों का शेयर आमतौर पर कम हुआ है तथा एमपीसीई वर्ग में बढ़ा है। दूसरी तरफ ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में एमपीसीई में वृद्धि के साथ-साथ नियमित मजदूरी वेतनभोगी कर्मचारियों का शेयर बढ़ा है। अतः यह कहा जा सकता है कि नियमित मजदूरी रोजगार रोजगार नीति का लक्ष्य होना चाहिए।

तालिका 4.11 : जनसंख्या, श्रम बल, रोजगार अनुमान

(,000)

	आधार	1993-94*	2004-05*	2006-07	2011-12	2016-17
जनसंख्या (आयु 0 +)		893676	1092830	1128313	1207971	1283242
जनसंख्या (आयु 15-59)		501760	652940	687120	760110	820570
श्रम बल	यूपीएसएस	378650	471250	492660	541840	586440
श्रम बल	सीडीएस	334197	419647	438948	483659	524057
रोजगार अवसर	सीडीएस	313931	384909	402238	460310	518203
बेरोजगार (,000)	सीडीएस	20266	34738	36710	23348	5853
बेरोजगारी दर (%)	सीडीएस	6.06	8.28	8.36	4.83	1.12

* वास्तविक अनुमान एनएसएस से प्राप्त किए गए

तालिका 4.12 : 15- 29 वर्ष के आयु वर्ग में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त अथवा प्राप्त कर रहे- 2005-06 की स्थिति के अनुसार व्यक्तियों का प्रति हजार वितरण

व्यक्ति वर्ग	औपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे	व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त				व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं हुआ	कुल (एनआर सहित)
		अनौपचारिक			सभी कालम (3 + 4+ 5)		
		औपचारिक	वंशानुगत	अन्य			
ग्रामीण							
पुरुष	7	11	41	28	80	907	1000
महिला	6	10	26	21	57	932	1000
व्यक्ति	7	11	34	24	69	919	1000
शहरी							
पुरुष	21	39	19	43	102	875	1000
महिला	16	32	11	24	67	913	1000
व्यक्ति	19	36	15	34	85	893	1000
ग्रामीण+ शहरी							
पुरुष	11	19	35	32	86	899	1000
महिला	9	16	22	22	59	927	1000
व्यक्ति	10	17	29	27	73	912	1000

स्रोत : विवरण 14, एनएसएस रिपोर्ट सं. 522, भारत में रोजगार एवं बेरोजगारी स्थिति, जुलाई, 2005- जून, 2006

दक्षता विकास

4.19 तालिका 4.12 में भारत में औपचारिक रूप से व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त कार्मिकों की स्थिति प्रस्तुत की गई है। यह नोट किया जाए कि 15-29 वर्ष के आयु वर्ग में ग्रामीण क्षेत्रों में मात्र 7 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 9 प्रतिशत लोगों ने ही व्यावसायिक (औपचारिक और अनौपचारिक) प्रशिक्षण प्राप्त किया है। व्यावसायिक प्रशिक्षण (औपचारिक और अनौपचारिक) प्राप्त करने वाले व्यक्तियों का अनुपात ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं का कम था। पहले से ही व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों में अनौपचारिक (वंशानुगत एवं अन्य) व्यावसायिक प्रशिक्षण का शेयर अधिक है- ग्रामीण क्षेत्र में 6 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्र में 5 प्रतिशत। यह भी देखा गया है कि 15-29 वर्ष की आयु वर्ग में ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 1 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्रों में 2 प्रतिशत व्यक्ति वर्ष 2005-06 के दौरान औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे।

4.20 दक्षता विकास की आवश्यकता को पहचानते हुए ग्यारहवीं योजना का लक्ष्य वृहद् स्तर पर दक्षता विकास कार्यक्रम तैयार करना है। मंत्रिमंडल ने 15 मई, 2008 को हुई अपनी बैठक में "दक्षता विकास हेतु समन्वित कार्य योजना" और "राष्ट्रीय दक्षता विकास निगम" की स्थापना करने संबंधी योजना आयोग के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। राष्ट्रीय दक्षता विकास परिषद और राष्ट्रीय दक्षता विकास समन्वय बोर्ड का गठन दक्षता विकास के उपयुक्त और व्यावहारिक समाधान तथा कार्यनीति के लिए किया गया है। दक्षता विकास संबंधी विस्तृत चर्चा का ब्यौरा अध्याय 5 दक्षता विकास और प्रशिक्षण में दिया गया है।

श्रम हेतु सामाजिक सुरक्षा

4.21 भारत में कुल कार्यबल के लगभग 93 प्रतिशत लोग असंगठित क्षेत्रक में हैं। असंगठित क्षेत्रक के श्रमिकों को संगठित क्षेत्रक के श्रमिकों जैसी पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा प्राप्त नहीं है। असंगठित क्षेत्रक के श्रमिकों के लिए किसी कानूनी सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने संसद में एक विधेयक "असंगठित क्षेत्र सामाजिक सुरक्षा विधेयक 2007" प्रस्तुत किया है। भारत सरकार ने असंगठित क्षेत्र के बीपीएल वर्ग श्रमिकों एवं उनके परिवार के सदस्यों के लिए बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अक्टूबर, 2007 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) शुरू की है। आरएसबीवाई ने 1 अप्रैल, 2008 से काम करना शुरू कर दिया है। श्रम कल्याण और सामाजिक सुरक्षा संबंधी विस्तृत ब्यौरा अध्याय 17 : पोषाहार और सामाजिक सुरक्षा नेट में दिया गया है।

4.22 ग्यारहवीं योजना दस्तावेज के अनुसार लगभग 20 प्रतिशत श्रमिक गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। श्रमिक वर्ग की यह स्थिति न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को बेहतर ढंग से लागू करने का सुझाव देती है। लागू करने वाली मशीनरी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिनियम का कार्यान्वयन उचित ढंग से हो तथा उल्लंघन करने वाले को पर्याप्त रूप से दंडित किया जाना चाहिए जिससे कि उल्लंघन कर्ताओं तक कठोर संदेश पहुंच सके। श्रमिक वर्ग के लिए न्यूनतम आय स्तर सुनिश्चित करना अत्यावश्यक है। कार्य करने के माहौल में सुधार हेतु बने अन्य श्रम कानूनों को श्रमिकों के कल्याण के लिए भी कार्यान्वित किया जाना चाहिए। असंगठित क्षेत्रक में श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए।

अध्याय-5

दक्षता विकास एवं प्रशिक्षण

5.1 दसवीं योजना (2002-03 से 2006-07) में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर 7.6% के औसत पर अब तक की किसी भी योजना अवधि के दौरान प्राप्त विकास दर से अधिक है। इसके अतिरिक्त, दसवीं योजना के अंतिम चार वर्षों के दौरान विकास दर में त्वरित वृद्धि देखी गई जिसका औसत 8.6% था। सापेक्षतः उच्च विकास दर की प्रक्रिया जिसकी सभी संकेतकों के अनुसार और बढ़ने अथवा कम से कम वर्तमान स्तर पर बने रहने की उम्मीद है, ने कुछ चुनौतियों को रेखांकित किया है जिनकी अर्थव्यवस्था को आगामी वर्षों तथा संभवतः दशकों में सामना करना। सबसे पहली चुनौती ऐसी स्थितियां सृजित करना है जिससे कि आर्थिक विकास में गतिवर्धन प्राकृतिक गुणवत्ता तथा संख्या के अनुरूप अपेक्षित दक्षता की प्राप्ति तथा उपलब्धता के साथ मेल खाए। चूंकि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में लगभग 80% कार्यदल कोई पहचान योग्य विपणन दक्षता नहीं रखता है, इसलिए उन्हें घरेलू तथा वैश्विक दोनों अर्थव्यवस्थाओं की मांग पक्ष की प्रवृत्तियों के नजदीक लाने के लिए हमारी आपूर्ति पक्ष की प्रतिक्रियाओं के समायोजन का कार्य बहुत कठिन प्रतीत होता है।

5.2 उपरोक्त चुनौतियों से निपटने के लिए "समन्वित दक्षता विकास कार्य योजना शुरू करने" तथा "राष्ट्रीय दक्षता विकास निगम" की स्थापना करने का मंत्रिमंडलीय निर्णय लिया गया है। प्रधान मंत्री कार्यालय ने पहले ही राष्ट्रीय दक्षता विकास परिषद का गठन कर दिया है तथा राष्ट्रीय दक्षता विकास बोर्ड के गठन का कार्य चल रहा है। "पीपीपी" के माध्यम से दक्षता विकास की नई पहल के अन्तर्गत योजना मंत्रालय की 2008-09 बजट के योजना शीर्ष में 300 करोड़ रुपये की राशि उद्दिष्ट की गई है।

5.3 समन्वित कार्रवाई का मुख्य फोकस (i) विभिन्न स्तरों पर स्व-रोजगार तथा मजदूरी रोजगार दोनों की दिशा में निजी तथा सार्वजनिक पहलों के माध्यम से दक्षता विकास को बल प्रदान करने, पुनरानुकूलन करने तथा उसे बनाए रखने के लिए नीति वार्ता शुरू करना। (ii) पाठ्यक्रम संशोधन के लिए सुधार प्रक्रिया, अल्पावधि/मॉड्यूलर रोजगार योग्य दक्षता पाठ्यक्रमों को शुरू करना, योग्यताओं के सैट के हिस्से के रूप में सॉफ्ट स्किल को शुरू करना ताकि दक्षता विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाया जा सके। (iii) दक्षता विकास में निजी पहलों को समर्थन के लिए राष्ट्रीय दक्षता विकास कॉरपोरेशन की स्थापना करना। (iv) स्व-रोजगार को बढ़ावा देने हेतु उद्यमशीलता को विकसित करने के लिए पर्याप्त ध्यान देने के साथ-साथ मिशन-मोड में कार्य करने के लिए बजट से सहायता प्राप्त करके संघ सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के तथा राज्य सरकारों के संस्थानों डिलीवरी, परामर्शी एवं सुधारात्मक प्रणाली तंत्र को सुदृढ़ करना। (v) सफल दक्षता विकास तथा उद्यमशीलता कार्यक्रमों, विशेषकर उन कार्यक्रमों को जो रोजगार प्राप्त करने अथवा व्यवहार्य एवं धारणीय स्व-रोजगार पहलों की स्थापना करने के लिए तैयार किए गए हो को दोहराना। (vi) पर्याप्त मैकेनिज्म का अनुमान करने तथा उसकी स्थापना करने के लिए कदम उठाना जिससे कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि दक्षता विकास जेंडर वर्गीकरण, सामाजिक वर्गीकरण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक तथा अन्य) आवस्थितिक वर्गीकरण (ग्रामीण-शहरी), आर्थिक वर्गीकरण (बीपीएल जनसंख्या तथा अन्य), साक्षरता वर्गीकरण के अनुरूप समावेशी हो के लिए समुचित तंत्र का अनुमान करने एवं स्थापित करने

के लिए कदम उठाना तथा पिछड़ा क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र और वह क्षेत्र जिस पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है को सहायता उपलब्ध कराने पर जोर देते हुए क्षेत्रों को कवर करना होगा।

5.4 विभिन्न श्रमिक वर्गों को प्रशिक्षण देने तथा उनकी दक्षता का विकास करने के लिए वृत्तमान में चलाए जा रही विभिन्न स्कीमों एवं कार्यक्रमों का संक्षिप्त परिदृश्य देने का प्रयास किया गया है।

व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम

5.5 श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत रोजगार व प्रशिक्षण महानिदेशालय नीतियां तैयार करने, मानक निर्धारित करने, पाठ्यक्रम विकसित करने, ट्रेड परीक्षण और प्रमाणन के लिए नोडल विभाग है। केन्द्र तथा राज्य आधारित ये उपाय इस तथ्य से प्राप्त किए जाते हैं कि प्रशिक्षण समवर्ती विषय होने के कारण केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों दोनों का संयुक्त उत्तरदायित्व है। राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीटी) और केन्द्रीय प्रशिक्षुता (एप्रेटिसशिप) परिषद (सीएसी) सरकार को राष्ट्रीय स्तर पर नीतियां और क्रियाविधि तैयार करने, प्रशिक्षण मानक निर्धारित करने, ट्रेड परीक्षण एवं प्रमाणन करने की सलाह देते हैं। समकक्ष राज्य परिषदें राज्य सरकारों को राज्य स्तर पर नीति एवं प्रक्रिया संबंधी सलाह देती हैं। शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम (सीटीएस) और शिक्षुता प्रशिक्षण स्कीम दो महत्वपूर्ण स्कीमों हैं जो रोजगार व प्रशिक्षण महानिदेशालय की व्यावसायिक प्रशिक्षण क्रियाकलापों के समस्त पहलुओं को कवर करती हैं। जबकि सीटीएस उत्पाद को अर्धकुशल समझा जाता है। प्रशिक्षुता प्रशिक्षण स्कीम (एटीएस) से दक्षता प्राप्त श्रमिक तैयार करने की अपेक्षा की जाती है।

शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम (सीटीएस)

5.6 शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम (सीटीएस) 110 ट्रेड में लगभग 7.49 लाख की कुल सीट क्षमता के साथ पूरे देश में फैली 5465 आईटीआई/आईटीसीजे (सरकारी क्षेत्रक में 1913 तथा निजी क्षेत्रक में 3552) के माध्यम से संस्थागत प्रशिक्षण

प्रदान करती है। प्रशिक्षण 14-40 वर्ष के आयु वर्ग के युवाओं को विनिर्माण और सेवा दोनों क्षेत्रों को कवर करते हुए 110 इंजीनियरी और गैर - इंजीनियरी ट्रेडों में दिलाया जाता है। प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की अवधि 6 महीने से 3 वर्ष तक की है जिसका उद्देश्य विकसित हो रहे उद्योग के लिए अर्ध-कुशल श्रमिक तैयार करना है। विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सीट क्षमता सहित (आईटीआई/आईटीसीजे) की संख्या को दर्शाने वाला विवरण संलग्न 5.1 में दिया गया है।

प्रशिक्षुता प्रशिक्षण स्कीम (एटीएस)

5.7 प्रशिक्षण अधिनियम, 1961 के अनुसार सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक संस्थानों, दोनों में, रोजगारों के संबंध में यह अनिवार्य है कि वे प्रशिक्षुओं को काम पर रखें। यह अधिनियम 254 उद्योग समूहों तथा लगभग 23800 संस्थान प्रशिक्षुओं को नियुक्त करते हैं। प्रशिक्षण ट्रेड के अनुसार 6 माह से 4 वर्षों की भिन्न-भिन्न अवधियों में कार्य पर दिया जाता है। 30.6.2007 तक अधिनियम के अन्तर्गत कवर किए गए संस्थानों में पहचान की गई 2,58,163 सीटों की तुलना में 187 ट्रेडों में ट्रेड प्रशिक्षुओं के लिए 1,85,224 प्रशिक्षण सीटों का उपयोग किया गया है। उनकी ट्रेडों का राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा परीक्षण किया जाता है और सफल उम्मीदवारों को राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रमाण-पत्र प्रदान किए जाते हैं।

महिलाओं हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम:

5.8 नियोजन योग्य दक्षताओं में महिलाओं को प्रशिक्षण सुविधाएं मुहैया कराने और स्व रोजगार आय सर्जक कार्यक्रमों को शुरू करने के लिए प्रशिक्षण सुविधाएं, अन्योन्य रूप से महिलाओं को, राष्ट्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान (एनवीटीआई) तथा 10 क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों (आरवीटीआईजे) के माध्यम से लगातार उपलब्ध कराई जा रही है। राज्य क्षेत्रक में, दक्षता प्रशिक्षण सामान्य आईटीआई/निजी आईटीआईजे में 359 महिला आईटीआईजे तथा 793 महिला विंग्स के माध्यम से दिया जा रहा है जिनकी

प्रशिक्षण सीटें लगभग 49336 (अक्टूबर, 2007 तक) है।

उन्नत व्यावसायिक प्रशिक्षण स्कीम

5.9 कार्यरत औद्योगिक श्रमिकों के दक्षता उन्नयन के लिए उन्नत व्यावसायिक प्रशिक्षण स्कीम 1977 से चालु हैं। 15 राज्यों में रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय के अन्तर्गत 6 उन्नत प्रशिक्षण संस्थानों (एटीआईज़) तथा 16 चुनिंदा आईटीआईज में एक से 6 सप्ताह की अवधि की अल्पावधि मोड्यूलर पाठ्यक्रम के माध्यम से चुनिंदा दक्षता क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। सितम्बर, 2007 तक 118493 से अधिक औद्योगिक श्रमिकों/टैक्नीशियनों ने 6 उन्नत प्रशिक्षण संस्थानों तथा केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थानों का उपयोग किया है।

पर्यवेक्षी प्रशिक्षण कार्यक्रम

5.10 दो फोरमैन प्रशिक्षण संस्थान एक बंगलौर में दूसरा जमशेदपुर में है, जो उद्योग में मौजूदा तथा भावी पर्यवेक्षकों/प्रबंधकों को प्रशिक्षण मुहैया कराते हुए पर्यवेक्षी दक्षताओं के प्रौद्योगिकीय व व्यावहारिक उन्नयन की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। 2007-08 के दौरान सितम्बर तक जिन्होंने 2965 पाठ्यक्रम संचालित किए हैं और 40660 फोरमैन/पर्यवेक्षकों को अल्पावधिक व दीर्घावधिक पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित किया है।

स्टाफ प्रशिक्षण व अनुसन्धान

5.11 कोलकाता में केन्द्रीय स्टॉफ प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान संस्थान, प्रशिक्षण निदेशालय, केन्द्र और राज्य सरकारों के संस्थानों और औद्योगिक स्थापनाओं आदि के प्रशिक्षण विभागों के कनिष्ठ व वरिष्ठ प्रबन्धन कार्मिकों के लिए अल्पावधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करता है। संस्थान पाठ्यक्रम विकास व संशोधन के लिए भी जिम्मेदार है और यह अध्ययन और सर्वेक्षण कार्य भी करता है। सितम्बर, 2007 तक संस्थान ने 17677 सहभागियों को प्रशिक्षित किया है। अपनी शुरुआत से संस्थान ने 363 पाठ्यक्रमों को विकसित और

संशोधित किया है और व्यावसायिक प्रशिक्षण के विभिन्न पहलुओं को कवर करते हुए 161 परियोजनाओं को पूरा किया है।

आईटीआई(ज़) का उत्कृष्टता केन्द्रों के रूप में उन्नयन

5.12 वित्त मंत्रालय के बजट भाषण 2004-05 पर अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में 22 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में घरेलू संसाधनों से 2005-06 में 100 आईटीआई(ज़) का उन्नयन किया गया था। इस स्कीम ने मल्टी एण्ट्री और मल्टी एग्जिट विकल्पों के साथ बहुदक्षता पाठ्यक्रमों पर ध्यान केन्द्रित किया है। प्रशिक्षण के सभी पहलुओं में उद्योग की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उद्योग-वार कलस्टर अवधारणा का प्रयास किया गया है, जिसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण देना और मांग और आपूर्ति में दक्षता अन्तराल को कम करना है।

5.13 100 आईटीआईज़ के उन्नयन के अतिरिक्त, 400 आईटीआईज़ को विश्व बैंक की सहायता से अपग्रेड किया जा रहा है। इस परियोजना के तीन घटक हैं:

- (i) व्यावसायिक प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करना।
- (ii) क्रमबद्ध प्रणाली सुधार को प्रोत्साहित करना एवं नवीनता लाना।
- (iii) परियोजना प्रबंधन एवं मानीटरिंग तथा मूल्यांकन।

इन 400 आईटीआईज़ में से 100 आईटीआईज़ को वित्तीय वर्ष 2006-07 में 23 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पूर्वलक्षी वित्तपोषण से शुरु किया गया है। शेष 300 आईटीआईज़ को अप ग्रेड करने के लिए वर्ष 2007-08 तथा 2008-09 में स्पर्धात्मक रूप से चयन किया जाएगा।

5.14 राज्य सरकारों स्कीम के प्रभावी कार्यान्वयन एवं धारणीयता बनाए रखने हेतु संस्था प्रबंधन समिति (आईएमसी) को सशक्त बनाने तथा उनके

प्रिंसीपलों की शक्तियां बढ़ाने एवं प्रतिबद्धता निश्चित करने के लिए समझौता ज्ञापन(एमओयू) में शामिल होने की जरूरत है। कुल परियोजना लागत 1581 करोड़ रुपए अनुमानिक की गई है जिसमें से 1231 करोड़ रुपए केंद्र का हिस्सा तथा 350 करोड़ रुपए राज्य का हिस्सा है।

दक्षता विकास पहल

5.15 व्यावसायिक प्रशिक्षण के मानकों को अपग्रेड करने के लिए, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने उद्योग, राज्यों तथा विशेषज्ञों के निकट परामर्श से मॉड्यूलर एम्प्लोयम्बल स्किल्स(एमईएस) फ्रेमवर्क नामक दक्षता विकास का सारणनीतिक ढाँचा विकसित किया है। इसका फोकस न्यूनतम दक्षता सेट उपलब्ध कराने पर है जो उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करता है। यह स्कीम दक्षता उन्नयन, बहु दक्षताकरण, बहु एण्ट्री एवं एग्जिट, उर्ध्व गतिशीलता तथा लचीले ढंग से जीवन्तपर्यन्त सीखने के अवसरों को भी कवर करती है। यह स्कीम पंचवर्षीय परियोजना है जिसके दौरान दस लाख व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जाएगा अथवा उनकी मौजूदा दक्षता का परीक्षण किया जाएगा तथा मॉड्यूलर एम्प्लोयम्बल स्किल्स फ्रेमवर्क के तहत प्रमाणन किया जाएगा।

5.16 इस स्कीम के तहत (i) एनसीवीटी द्वारा 224 अल्पावधि एमईएस पाठ्यक्रमों के लिए पाठ्यचर्या को अनुमोदित किया गया। (ii) स्कीम के कार्यान्वयन के मार्गदर्शन तथा परामर्श के लिए राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष समिति का गठन किया गया है, (iii) स्कीम के कार्यान्वयन के लिए कार्यान्वयन मैनुअल तैयार किया गया है जिसमें मार्गदर्शी दिशानिर्देश दिए गए हैं और इसे कार्यान्वयन को वितरित किया गया।

पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम एवं जम्मू तथा कश्मीर में आईटीआईज़ की स्थापना एवं सुदृढीकरण

5.17 यह स्कीम 22 नए आईटीआईज़ की स्थापना तथा पूर्वोत्तर राज्यों में मौजूदा 35 आईटीआईज़ के सुदृढीकरण/आधुनिकीकरण तथा जम्मू एवं कश्मीर

राज्य में विद्यमान आईटीआईज़ के सुदृढीकरण की परिकल्पना की गई है। कार्यान्वयन पूरा होने पर, पूर्वोत्तर राज्यों तथा जम्मू एवं कश्मीर में आईटीआईज़ की मौजूदा सीट क्षमता में क्रमशः 7,244 से 16,144 तथा 4,364 से 6,200 तक बढ़ जाएगी। तीन और नए आईआईटीज़ सिक्किम(2) तथा असम(1) की स्थापना करने का अनुमोदन किया गया। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए सीएसएस का कुल परिव्यय 113.70 करोड़ रुपए है। अक्टूबर 2007 तक 89.75 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी। सीएसएस के तहत कवर 21 नए आईटीआईज़ तथा 34 मौजूदा आईटीआईज़ में पाठ्यक्रम शुरू हो चुके हैं।

सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से 1396 सरकारी आईटीआईज़ के उन्नयन हेतु स्कीम

5.18 संघीय बजट भाषण 2007-08 में सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से उत्कृष्टता केन्द्रों के रूप में 1396 सरकारी आईटीआईज़ के उन्नयन के लिए एक स्कीम की घोषणा की गई थी। स्कीम में परिकल्पना की गई है कि उन्नयन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए प्रत्येक सरकारी आईटीआईज़ के साथ एक औद्योगिक साझेदार अथवा इसके अध्यक्ष के रूप में इसके प्रतिनिधियों को लेकर एक संस्था प्रबंधन समिति का गठन/पुनर्गठन किया जाएगा तथा सोसाइटी के रूप में पंजीकरण किया जाएगा। आईटीआईज़ की प्रशिक्षण अवसंरचना को अपग्रेड करने के लिए 2.5 करोड़ रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण सीधे ही आईएमसी सोसाइटी को दिया जाएगा। आईएमसी को आईटीआईज़ में कुल प्रवेश का 20% निर्धारित करने के लिए शक्तियां प्रदान की जाएगी। आईटीआईज़ के मामलों के प्रबंधन के लिए आईएमसी को वित्तीय तथा अकादमिक स्वायत्तता दी जाएगी। आईटीआईज़ का स्वामित्व राज्य सरकार के पास बरकरार रहेगा तथा आईएमसी द्वारा निर्धारित की जाने वाली 20% प्रवेश को छोड़कर, बाकी प्रवेशों तथा फीस को विनियमित करता रहेगा। विभिन्न पणधारियों के बीच करारनामे पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। स्कीम का कुल परिव्यय लगभग 3665 करोड़ रुपए होगा।

संलग्नक 5.1

31 जनवरी, 2005 की स्थिति के अनुसार विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सीट क्षमता सहित आईटीआईज़/आईटीसीज़ की संख्या दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	सरकारी आईटीआईज़ की संख्या	सीट क्षमता (सरकारी)	निजी आईटीसीज़ की संख्या	सीट क्षमता (निजी)	कुल आईटी आई/ आईटी सीज़ (3+5)	कुल सीट क्षमता (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	उत्तरी क्षेत्र						
1	हरियाणा	79	15,684	43	3252	122	18936
2	हिमाचल प्रदेश	50	5186	28	1786	78	6972
3	जम्मू व कश्मीर	37	4332	1	48	38	4380
4	पंजाब	93	21635	104	8288	197	29923
5	राजस्थान	99	8588	134	9965	233	18553
6	उत्तर प्रदेश	258	23736	191	20520	449	44256
7	चंडीगढ़	2	804	0	0	2	804
8	दिल्ली	16	9516	55	3516	71	13032
9	उत्तरांचल	58	6251	19	2036	77	8287
	उप-जोड़	692	95732	575	49411	1267	145143
	दक्षिणी क्षेत्र						
1	आंध्र प्रदेश	87	21780	448	83528	535	105308
2	कर्नाटक	115	20568	738	48848	853	69416
3	केरल	34	14217	376	46314	410	60531
4	तमिल नाडु	56	19064	608	56684	664	75748
5	लक्षद्वीप	1	96	0	0	1	96
6	पुदुचेरी	6	1224	8	492	14	1716
	उप-जोड़	299	76949	2178	235866	2477	312815
	पूर्वोत्तर क्षेत्र						
1	अरुणाचल प्रदेश	5	512	0	0	5	512
2	असम	28	5696	3	80	31	5776
3	बिहार	34	11154	59	8070	93	19224
4	झारखंड	14	4512	37	5088	51	9600
5	मणिपुर	7	540	0	0	7	540
6	मेघालय	5	622	2	320	7	942
7	मिजोरम	1	294	0	0	1	294
8	नगालैंड	7	928	0	0	7	928
9	उड़ीसा	25	6776	208	31534	233	38310
10	सिक्किम	1	212	0	0	1	212
11	त्रिपुरा	8	816	0	0	8	816
12	पश्चिम बंगाल	51	11388	20	984	71	12372

क्र.सं	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	सरकारी आईटीआईज़ की संख्या	सीट क्षमता (सरकारी)	निजी आईटीसीज़ की संख्या	सीट क्षमता (निजी)	कुल आईटी आई/ आईटी सीज़ (3+5)	कुल सीट क्षमता (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
13	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	241	0	0	1	241
	उप जोड़	187	43691	329	46076	516	89767
	गोवा	10	3056	4	265	14	3321
14	गुजरात	136	56020	202	16784	338	72804
15	मध्य प्रदेश	149	18680	34	2716	183	21396
16	छत्तीस गढ़	68	8896	23	2184	91	11080
17	महाराष्ट्र	369	67240	207	25328	576	92568
18	दादर व नागर हवेली	1	228	0	0	1	228
19	दमन और दीव	2	388	0	0	2	388
	उप जोड़	735	154508	470	42277	1205	201785
	कुल जोड़	1913	370880	3552	378630	5465	749510

अध्याय 6

सामाजिक न्याय

6.1 सामाजिक रूप से वंचित रहे वर्गों अर्थात् अनुसूचित जातियों (एससीज़), अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी (ज़), अल्पसंख्यकों और अन्य कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण सरकार का उच्च प्राथमिक विषय रहा है। सर्वोपरि उद्देश्य इनके कल्याण और विकास से संबंधित कार्यक्रमों और कार्यकलापों को कवर करते हुए एकीकृत दृष्टिकोण के माध्यम से इन वंचित वर्गों का समाजार्थिक विकास करना है। इस अध्याय में वार्षिक योजना 2006-07 की समीक्षा और इस वर्ष के दौरान प्रत्येक सामाजिक वर्ग की वित्तीय और वास्तविक उपलब्धियों को प्रस्तुत किया गया है।

वार्षिक योजना 2006-07 की समीक्षा

6.2 अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के सामाजिक रूप से अलाभान्वित वर्गों के सामाजिक न्याय सहित सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण की प्रक्रिया पर सरकार द्वारा प्राथमिकता से ध्यान दिया जाना जारी है। 29 जनवरी, 2006 को स्थापित नए अल्पसंख्यक मंत्रालय के साथ सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अपंगों और सामाजिक सुरक्षा वर्गों के कल्याण के दायित्वों को निभा रहा है। वार्षिक योजना 2006-07 में केन्द्र और केन्द्र प्रायोजित स्कीमों, दोनों के लिए कुल 1686.11 करोड़ रूपए के परिव्यय को अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अपंग व्यक्तियों और सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय हेतु उद्दिष्ट किया गया था (2006-07 के लिए मूल आबंटन 1,750 करोड़ रूपए था, जिसे अब कम करके 1686.11 करोड़ रूपए कर दिया गया है।)

इस वर्ष के दौरान स्कीमों नामतः मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम, कोचिंग एवं सम्बद्ध स्कीम (अल्पसंख्यकों का एक घटक), किशोर सामाजिक कुसमंजन रोकथाम तथा नियंत्रण स्कीम, देश में दत्तक ग्रहण को बढ़ाना देने के लिए शिशुओं तथा बच्चों के गृहों (शिशु गृह) हेतु सहायता, अल्पसंख्यकों और बाल कल्याण से संबंधित स्कीमों को आबंटनों सहित अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय व महिला व बाल विकास मंत्रालय को स्थानांतरित कर दिया गया था। इस प्रकार, (इन स्कीमों की समीक्षा को संगत अध्याय के संबंधित भाग में डील किया गया है)। 1686.11 करोड़ रूपए के कुल आबंटन में से 1250.11 करोड़ रूपये अनुसूचित जातियों के लिए, 117.00 करोड़ रूपये अन्य पिछड़े वर्गों के लिए, 76.00 करोड़ रूपये सामाजिक सुरक्षा के लिए, 243 करोड़ रूपए अपंग व्यक्तियों के कल्याण के लिए थे। वार्षिक योजना 2006-07 के परिव्ययों की तुलना में 1671.42 करोड़ रूपये का व्यय किया गया था, जो वर्ष के दौरान 99.12 प्रतिशत निधि के उपयोग को दर्शाता है।

अनुसूचित जातियाँ (एससीज़)

6.3 भारत की आबादी में अनुसूचित जातियाँ 16.23% हैं। अनुसूचित जाति समुदायों से संबंधित लोग पूरे देश में फैले हुए हैं; उनमें से 80 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। सामाजिक-आर्थिक विकास और अनुसूचित जातियों को भेदभाव और शोषण से बचाने के लिए योजना प्रक्रिया की शुरुआत से ही उच्च प्राथमिकता दी गई।

6.4 वार्षिक योजना 2006-07 के दौरान अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए केन्द्रीय स्तर पर स्कीम-वार परिव्यय और व्यय

तालिका 6.1

वर्ष 2006-07 के दौरान अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए परिव्यय और व्यय व 2007-08 हेतु परिव्यय

(करोड़ रुपये में)

क्र० सं०	मदें	वार्षिक योजना 2006-07		वार्षिक योजना 2007-08
		ब० अ०	वास्तविक व्यय	ब० अ०
1.	अनुसूचित जातियों का कल्याण और विकास	1250.11	1315.90	1521.50
	(i) केन्द्रीय क्षेत्रक (सीएस)	190.63	181.30	742.50
	(ii) केन्द्र प्रायोजित स्कीम (सीएसएस)	609.33	675.70	779.00
	(iii) एससीएसपी को एससीए	450.15	458.90	470.00
2.	अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	117.00	131.81	177.50
	(i) केन्द्रीय क्षेत्रक (सीएस)	36.00	33.22	31.50
	(ii) सीएसएस	81.00	98.59	146.00
	कुल 1 + 2	1367.11	1447.71	1899.00

संलग्नक-6.1, में दिए गए हैं, राज्य क्षेत्रक में उसके ब्यौरे संलग्नक-6.2 में दिए गए हैं। परिव्यय का सारांश और 2006-07 के दौरान किया गया प्रत्याशित व्यय निम्नलिखित तालिका 6.1 में दिया गया है।

सामाजिक सशक्तिकरण

6.5 इन अलाभान्वित वर्गों का सामाजिक सशक्तिकरण केवल उनकी बुनियादी न्यूनतम सेवाओं तक पहुँच के अलावा केवल विद्यमान असमानताओं, विषमताओं व अन्य समस्याओं, विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में समस्याओं को घटाकर/ उन्हें दूर करके किया जा सकता है।

6.6 सामाजिक सशक्तिकरण के लिए शिक्षा एक बुनियादी आवश्यकता और अत्यधिक प्रभावी साधन होने के कारण अनुसूचित जाति के छात्रों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों की राष्ट्र-व्यापी प्रमुख स्कीम को 2006-07 के दौरान उच्च प्राथमिकता प्रदान की गई थी। सभी पात्र अनुसूचित जाति के छात्रों को देश के भीतर मान्यता प्राप्त संस्थानों में व्यावसायिक, स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित मैट्रिक से आगे अपना अध्ययन जारी रखने

के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियाँ (पीएमएस) प्रदान की जाती हैं। पीएमएस के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों में विकलांग व्यक्तियों को भी कुछ अतिरिक्त लाभ मुहैया कराए जाते हैं। इस स्कीम के अन्तर्गत सभी पात्र अनुसूचित जाति छात्रों को साधन परीक्षण के आधार पर छात्रवृत्तियाँ प्रदान करने, रख-रखाव भत्ते के अलावा ट्यूशन व अनिवार्य फीस का भुगतान करने की उनकी प्रतिबद्ध देयताओं के अतिरिक्त 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता मुहैया कराई जाती है। वर्ष 2006-07 में इस स्कीम के लिए 450 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया था और इससे वर्ष 2006-07 के दौरान लगभग 24.99 लाख छात्रों को लाभ होने की उम्मीद थी। वर्ष 2007-08 के लिए इस स्कीम हेतु 625 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है। इससे लगभग 33 लाख छात्रों को लाभ पहुँचने की संभावना है। अनुसूचित जातियों के शैक्षिक विकास को और गति देने के लिए अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए बुक (पुस्तक) बैंक की अन्य सहायता सेवा, जो अनुसूचित जाति छात्रों को मेडिकल, इंजिनियरिंग, पशु-चिकित्सा, कृषि, पोलीटेक्नीक, चार्टर्ड एकाउन्टेंसी, कारोबारी-प्रशासन, जैव-विज्ञान और विधि-पाठ्यक्रम, आदि भी उपलब्ध कराया गया था। अ.जा. के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु

वर्ष 2007-08 के लिए 625 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई है।

6.7 सफाई कार्मिकों के बच्चों का शैक्षिक विकास सरकार की सबसे बड़ी चिन्ता है। सफाई वालों को अपने बच्चों को शिक्षा के लिए भेजने और मैट्रिक पूर्वस्तर तक छात्रवृत्तियाँ मुहैया कराकर सिर पर मैला ढोने की अमानवीय प्रथा के घिनौने पारंपरिक पेशे में लगाने से उन्हें रोकने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है। अस्वच्छ व्यवसायों में संलग्न लोगों के बच्चों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्र-वृत्तियाँ राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से प्रदान की जाती हैं। इस स्कीम का उद्देश्य अस्वच्छ व्यवसायों जैसे कि शुष्क शौचालयों के सफाईवाले, चर्मकार, चमड़ा उतारने वाले और सफाई कार्मिक, जो सफाई के काम से पारंपरिक रूप से जुड़े हुए हैं, में पारंपरिक रूप से संलग्न माता-पिता के बच्चों को मैट्रिक पूर्व शिक्षा अध्ययन के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराना है। स्कीम के अन्तर्गत राज्य सरकार को केन्द्रीय सहायता 50 : 50 और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को 100 प्रतिशत आधार पर मुहैया कराई जाती है। वार्षिक योजना 2006-07 के दौरान 6 लाख अनुसूचित जाति के छात्रों को लाभ पहुँचाने के लिए 16 करोड़ रुपये आबंटित किए गए थे। इस स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 2007-08 हेतु आबंटन 25 करोड़ रुपए रखा है।

6.8 अनुसूचित जातियों में बीच में पढ़ाई छोड़ देने वालों की ऊंची दर में कमी लाने और प्रतिधारण दरों में वृद्धि करने के लिए मिडिल, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में उनके लड़कों और लड़कियों के लिए हॉस्टल सुविधाओं के रूप में एक बड़ी सहायता सेवा मुहैया कराई जाती है। स्कीम के अन्तर्गत राज्यों को मैट्रिक आधार (50 : 50) पर और संघ राज्य क्षेत्रों को 100 प्रतिशत तक की केन्द्रीय सहायता हॉस्टल भवनों के निर्माण के लिए प्रदान की जाती है। वर्ष 2006-07 के दौरान 2954 अनुसूचित जाति के लड़के और लड़कियों के रहने के लिए 174 हॉस्टलों के निर्माण हेतु अनुसूचित

जाति के लड़कों और लड़कियों के हॉस्टलों के लिए 62 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई थी। अ.जा. की लड़कियों की शैक्षणिक स्थिति को सुधारने पर अधिक बल देने के उद्देश्य से अ.जा. की लड़कियों हेतु होस्टल निर्माण के लिए वर्ष 2007-08 में केन्द्रीय वित्तपोषण 50% से बढ़ाकर 100% कर दिया गया है। वार्षिक योजना 2007-08 में लड़कों और लड़कियों के होस्टल निर्माण हेतु क्रमशः 35 करोड़ रुपए एवं 32 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई है।

6.9 कोचिंग और सम्बद्ध स्कीम के अन्तर्गत, परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों और निजी संस्थानों/ विश्वविद्यालयों के माध्यम से अनुसूचित जाति/ अन्य पिछड़े वर्गों/ अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को निशुल्क कोचिंग सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं, ताकि वे सिविल सेवाओं और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में अन्य उम्मीदवारों के साथ स्पर्धा कर सकें। इस स्कीम के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा संचालित संस्थानों को 50 : 50 आधार पर और संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में 100 प्रतिशत आधार पर सहायता प्रदान की जाती है। एनजीओ/विश्वविद्यालयों के लिए सहायता का वित्तपोषण 90 : 10 आधार पर किया जाता है, जिसमें से केन्द्र सरकार 90% और संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/ गैर-सरकारी संगठन/ विश्वविद्यालय 10% खर्च वहन करते हैं। कोचिंग सुविधाएं प्रदान करने का अंतिम उद्देश्य विभिन्न केन्द्रीय राज्य सरकारों और सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों में अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व में सुधार करना है। इस स्कीम के लिए वर्ष 2006-07 का अनुमोदित परिव्यय 10,000 छात्रों के लाभ के लिए 6.40 करोड़ रुपए था। वार्षिक योजना 2007-08 में 7.00 करोड़ रुपए का परिव्यय उपलब्ध कराया गया है।

6.10 एम.फिल व पी.एच.डी जैसे उच्च अध्ययन के लिए अनुसूचित जाति के छात्रों को प्रत्येक वर्ष 1333 फ़ैलोशिप प्रदान करने के लिए 2005 में शुरू किया गया अनुसूचित जाति राजीव गांधी राष्ट्रीय फ़ैलोशिप विश्व विद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम

से कार्यान्वित किया जा रहा था। इस स्कीम के अन्तर्गत 35.13 करोड़ रुपये आबंटित किए गए थे और अनुसूचित जाति छात्रों को फ़ैलोशिप देने के लिए 34.18 करोड़ रुपये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को जारी किए गए थे। अ.जा. के छात्रों की तीव्र मांग को पूरा करने के लिए वर्ष 2007-08 के दौरान 88.00 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई है।

आर्थिक सशक्तिकरण

6.11 अनुसूचित जातियों के कमजोर वर्गों और सफाई कर्मचारियों के आर्थिक सशक्तिकरण, विशेष रूप से रोजगार और आय-सृजक कार्यकलापों को बढ़ावा देकर गरीबी उपशमन पर ध्यान केन्द्रित करते हुए, समान प्राथमिकता दी गई है। इस प्रयोजन के लिए सरकारी और गैर-सरकारी एजेंसियों के माध्यम से विभिन्न रोजगार सह-आय सृजक कार्याकलाप कार्यान्वित किए जा रहे हैं, जिनका अंतिम उद्देश्य इन अलाभान्वित वर्गों को आर्थिक रूप से स्वतन्त्र व आत्म-निर्भर बनाना है। अनुसूचित जातियों के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए विशेष घटक योजना (एससीपी) हेतु राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी आबादी, तुलनात्मक पिछड़ेपन, एससीपी कार्यनीतियों आदि के निष्पादन के आधार पर विशेष केन्द्रीय सहायता (एससीए) भी प्रदान की जा रही है। विशेष घटक योजना (एससीपी) को विशेष केन्द्रीय सहायता (एससीए) के अन्तर्गत समर्थनकारी अवसंरचनात्मक विकास सहित परिवार-उन्मुख आय सृजक स्कीमों में गम्भीर अन्तरालों और विलुप्त इनपुटों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त रूप में राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को 100 प्रतिशत अनुदान उनकी उत्पादकता और आय में वृद्धि के उद्देश्य से दिया जाता है। 2006-07 के दौरान 5.69 लाख अनुसूचित जाति के लाभार्थियों के लाभ के लिए 450.15 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया था। वर्ष 2007-08 हेतु इस वर्ष के दौरान 5.7 लाख परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए 470 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है।

6.12 स्वरोजगार की दिशा में विभिन्न आय-सृजक कार्यकलाप शुरू करने के लिए ऋण सुविधाएं मुहैया करा कर अनुसूचित जातियों और सफाई कर्मचारियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय और राज्य, दोनों, स्तरों पर इस प्रयोजन के लिए विशेष वित्तीय संस्थान स्थापित किए गए हैं। इनमें शामिल हैं (i) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त व विकास निगम (एनएसएफडीसी), (ii) राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम (एससीडीसीज़) और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त व विकास निगम (एनएसकेएफडीसी)। 2006-07 के दौरान एनएसएफडीसी के लिए 37 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था और एनएसकेएफडीसी के लिए 80 करोड़ रुपये आबंटित किए गए थे। एससीडीसी को 33 करोड़ रुपये मुहैया कराए गए थे। विख्यात प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से निगम बेरोजगार युवाओं को दक्षता तथा उद्यमशीलता प्रशिक्षण भी प्रदान करते हैं। पिछले वर्षों के दौरान एनएसएफडीसी के निष्पादन में गति आई है। 2006-07 के दौरान निगम ने 38,305 लाभार्थियों को कवर करते हुए 169.12 करोड़ रुपये के ऋण का संवितरण किया है। एससीडीसी लक्षित अनुसूचित जाति के लाभार्थियों के लिए, विशेष रूप से, गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों के लिए मार्जिन राशि ऋण और सब्सिडी प्रदान करने के लिए राज्य स्तर पर गारंटरो और प्रवर्तको के रूप में कार्य कर रहे हैं। एससीडीसी के शेयर पूंजी निवेश में केन्द्र सरकार राज्य के 51% हिस्से की तुलना में 49% की सीमा तक सहभागी है। एससीडीसी मुख्यतः कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों, लघु सिंचाई, व्यापार और सेवाओं, परिवहन और स्वःरोजगार स्कीम के क्षेत्रों में रोजगारोन्मुखी स्कीमें शुरू करता है। 6.80 लाख लाभार्थियों को कवर करते हुए आन्ध्रप्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, झारखण्ड, केरल, महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश, और चण्डीगढ़ के राज्य अनुसूचित जाति विकास निगमों को 33 करोड़ रुपये मुहैया कराए गए थे।

6.13 2006-07 में हाथ से सफाई करने वालों के पुनर्वास के लिए 1 करोड़ रुपये के अल्प प्रावधान के साथ एक नई स्व-रोजगार स्कीम शुरू की गई थी। कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2007-08 में 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस स्कीम का उद्देश्य सफाई कर्मचारियों को समयबद्ध तरीके से वैकल्पिक व्यवसायों के लिए सहायता देना है। पहचान किए गए सफाई कर्मचारियों को प्रशिक्षण, ऋण व सब्सिडी मुहैया कराई जाएगी। एनएसकेएफडीसी अथवा शीर्ष स्तर पर कोई अन्य पहचान की गई एजेन्सी बैंकों को अपनी राज्य चैनलाइजिंग एजेन्सियों (एससीएज़) के माध्यम से अथवा राज्य स्तर पर किसी अन्य पहचान की गई एजेन्सी के माध्यम से ब्याज सब्सिडी, मुहैया कराएगी। इस स्कीम के तहत एनएसकेएफडीसी अथवा पहचान की गई कोई अन्य एजेन्सी स्कीम के अन्तर्गत सभी कार्यकलाप शुरू करेगी और लाभार्थियों को अधिकतम लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करने के लिए संबंधित एजेन्सियों के साथ समन्वय स्थापित करेगी। एसएचजी के माध्यम से माइक्रो फाइनेंसिंग स्कीमों हेतु ख्याति प्राप्त माइक्रो फाइनेंस संस्थानों और एनजीओ(ज) की भागीदारी को प्रोत्साहित करने की भी व्यवस्था की गई है। लाभार्थियों के प्रशिक्षण हेतु सरकारी संस्थानों के अतिरिक्त विख्यात विशिष्टता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थानों को भी शामिल करने की परिकल्पना की गई है।

सामाजिक न्याय

6.14 उन कमजोर वर्गों, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों, जो पारंपरिक रूप से विभिन्न प्रकार की समाजार्थिक विषमताओं/ अनियमितताओं और सशक्तताओं का शिकार रही हैं, के लिए सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने की दिशा में चल रहे प्रयास 2006-07 के दौरान न केवल उनके साथ बरते गए सामाजिक भेदभाव को दूर करने के लिए, बल्कि दूसरों द्वारा उन पर किए गए अपराधों और अत्याचारों से उन्हें बचाने के लिए भी विद्यमान विधानों के प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन और

सकारात्मक कार्रवाई के माध्यम से जारी रहे। नागरिक अधिकार संरक्षण (पीसीआर) अधिनियम 1955 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचारों की रोकथाम) अधिनियम, 1989 इन अलाभान्वित लोगों के विरुद्ध सामाजिक भेदभाव, सामाजिक बुराइयों जैसे कि अस्पृश्यता के प्रचार और शोषण और अत्याचार के बढ़ते हुए मामलों को रोकने/ नियंत्रित करने के दो महत्वपूर्ण कानूनी उपाय हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (पीओए) अधिनियम 1989, के अन्तर्गत मौके पर ट्रायल के लिए विशेष अदालतों/मोबाइल अदालतों और शीघ्रता से मामलों को निपटाने की व्यवस्था है। इन अधिनियमों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम कार्यान्वित की जा रही है, जिसके अन्तर्गत प्रशासनिक, प्रवर्तन और न्यायिक मशीनरी को सुदृढ़ करने, प्रचार और प्रभावित व्यक्तियों को राहत पहुंचाने और उनके पुनर्वास के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाती है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (पीओए) अधिनियम, 1989 का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अभी तक आन्ध्रप्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचलप्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान तमिलनाडु, उत्तरप्रदेश, उत्तरांचल और पांडिचेरी के राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में विशेष प्रकोष्ठ भी स्थापित किए गए हैं। इसी प्रकार, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण (अधिनियम) 1989 के अन्तर्गत मामलों पर तीव्रता से विचार किए जाना सुनिश्चित करने के लिए आन्ध्रप्रदेश(12), बिहार(11), छत्तीसगढ़(7), गुजरात(10), कर्नाटक (7), मध्यप्रदेश (29), राजस्थान (17), तमिलनाडु (4) और उत्तरप्रदेश (40) राज्यों में 137 विशेष न्यायालय स्थापित किए गए हैं। 2006-07 में 37.91 करोड़ रूपए का आबंटन किया गया था जिसमें से इस स्कीम के अन्तर्गत 35.49 करोड़ रूपए की राशि जारी की गई थी। वर्ष 2007-08 के लिए 40 करोड़ रूपए का परिव्यय कराया गया है।

अनुसूचित जाति उपयोजना (एससीएसपी) की विशेष कार्यनीतियां और अनुसूचित जातियों के लिए एससीएसपी के विशेष केन्द्रीय सहायता (एससीए)

6.15 यह सुनिश्चित करने के लिए कि अनुसूचित जातियों के हितों की अनदेखी न हो, विशेष तंत्र अर्थात् अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना (एससीपी) और एससीपी के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता जिन्हें संबंधित विकास क्षेत्रों से आबादी के अनुपात में निधियों के निर्धारण और उद्दिष्टीकरण के लिए 1970 के दौरान शुरू किया गया था। विशेष घटक योजना (एससीपी) की नाम पद्धति को वर्ष 2005 में अनुसूचित जाति उपयोजना में बदल दिया गया है। सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों और यूटी प्रशासनों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि एससीएसपी एवं टीएसपी के तहत वार्षिक योजना तथा पंचवर्षीय योजना में अपने राज्य में एससी और एसटी की जनसंख्या के अनुपात में अलग से निधियां उद्दिष्ट करें तथा अलग से दस्तावेज तैयार करें। सूत्रीकरण एवं प्रभावी/अर्थपूर्ण कार्यान्वयन दोनों को और सुदृढ़ बनाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। इस संबंध में सामाजिक और अधिकारिता मंत्रालय नोडल एजेन्सी होने के कारण इन विशेष कार्यनीतियों के कार्यान्वयन की सूक्ष्म निगरानी करेगा। केन्द्र में एससीपी और एससीपी को एससीए के कार्यान्वयन की समीक्षा नोडल मंत्रालय के प्रयासों की सम्पूरकता/ अनुपूरकता में इन उपायों के प्रभाव का आकलन करने के लिए केन्द्रीय स्थायी त्रिपक्षीय समिति और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा की जाएगी।

केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें (सीएसएस)

6.16 आठ केन्द्र प्रायोजित स्कीमें (सीएसएस) हैं जिन्हें अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण और विकास के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के माध्यम से केन्द्रीय निधि द्वारा वित्तपोषित किया

जाता है (सीएसएस के ब्यौरे पर पूर्ववर्ती पैरों में चर्चा की गई है) सीएसएस के अन्तर्गत वित्तपोषण पैटर्न निम्नानुसार है : (i) अनुसूचित जाति छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां तथा बुक बैंक (100 प्रतिशत) (ii) अस्वच्छ व्यवसायों में लगे परिवारों के बच्चों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्तियां (100 प्रतिशत) (iii) अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़े वर्ग और कमजोर वर्ग (50 : 50 और 90 : 10 एनजीओज़ और विश्वविद्यालयों के लिए (iv) अनुसूचित जाति विकास निगम (एससीडीसीएस) (50 : 50) (v) अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और दूसरे कमजोर वर्गों के लिए कोचिंग तथा सम्बद्ध स्कीम (50 : 50) और एनजीओज़ और विश्वविद्यालयों को (90 : 10) (vi) अनुसूचित जाति के छात्रों की योग्यता का उन्नयन (100 प्रतिशत) (vii) पीसीआर अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति (पीओए) अधिनियम, 1989 (50 : 50) और (viii) अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यक छात्रों के लिए योग्यता आधारित छात्रवृत्तियां (50 : 50)।

राज्य क्षेत्रक

6.17 राज्य क्षेत्रक जो कार्यक्रमों के वास्तविक कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, को न केवल विभिन्न कल्याण और विकास कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए बल्कि एससीपी और एससीपी को एससीपी की विशेष कार्यनीतियों का अधिकतम और सार्थक कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए भी और सुदृढ़ किया जाएगा। इस संबंध में विशेष रूप से अनुसूचित जातियों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए ऐसी स्कीमों/ कार्यक्रमों के शीघ्र और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए भी जिनका दसवीं योजना में यथानिर्धारित प्राप्ति योग्य/ मॉनीटरिंग योग्य लक्ष्यों जैसे कि लाभप्रद उच्च गुणवत्ता वाले रोजगार, शिक्षा का सार्वजनीकरण, शिशु मृत्युदर में कमी, मातृ मृत्यु दर में कमी, गरीबी घटाना, वन व वृक्ष कवर में वृद्धि, आदि से संबंध है, प्रयास किए जाएंगे। वार्षिक योजना 2006-07 में अनुसूचित

जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण और विकास के लिए राज्य क्षेत्रक को 72.06 करोड़ रूपए का परिव्यय मुहैया कराया गया है। (संलग्नक 6.2)

अनुसूचित जनजातियां (एसटीज़)

6.18 सरकार द्वारा अपनाई गई आयोजित विकास की प्रणाली में एसटी(ज़), जो न केवल अब भी समाजार्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, बल्कि तुलनात्मक दृष्टि से अलग-अलग भी हैं, के कल्याण, विकास और सशक्तिकरण के लिए विशेष चिन्ता और प्रतिबद्धता शामिल है। 2001 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों के लोगों की संख्या देश की कुल आबादी का 8.2 प्रतिशत है। ये 30 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में फैले हुए हैं। 75 आदिम जनजातियां हैं जिनकी आबादी 1991 में 1.32 मिलियन (1.95 प्रतिशत) थी। जबकि सामान्य रूप से अनुसूचित जनजातियां शेष समाज से पिछड़ी हुई हैं, पीटीजीस की स्थिति शेष जनजातियों से भी खराब है।

6.19 जनजातियों की स्थिति सुधारने में संकेन्द्रित ध्यान को सुनिश्चित करने के लिए जनजातीय मामलों का विशेष मंत्रालय जनजातीय उपयोजना (टीएसपी) सहित विभिन्न कार्यक्रमों के प्रभावी निष्पादन के लिए योजनाएं और नीतियां तैयार करता है और उनका समन्वयन करता है। इस प्रयास में, राज्य सरकार, स्वायत्त निकायों और गैर-सरकारी संगठनों के सहयोग से विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से विशेष रूप से कमी वाले क्षेत्रों में संकेन्द्रित विकास प्रयास करने के लिए भी व्यवस्था की गई है। भारत के संविधान में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए और अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन का स्तर ऊंचा उठाने के लिए अनुच्छेद 275(1) के तहत विशेष वित्तीय सहायता का प्रावधान है। राज्यों को वित्तपोषण का अन्य स्रोत जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता के माध्यम से बनता है, जो राज्यों को उनकी टीएसपी में गंभीर अंतरालों को पाटने, आय/रोजगार सृजन अवसरों से संबंधित

विभिन्न स्कीमों पर ध्यान केन्द्रित करने, व्यवसाय कुशलताओं का उन्नयन और उद्यमशीलता सहायता, आदि के लिए प्रदान की जाती है।

वार्षिक योजना 2006-07 की समीक्षा

6.20 अनुसूचित जन-जातियों के सशक्तिकरण के लिए दसवीं योजना में अपनाया गया त्रिपक्षीय दृष्टिकोण निम्नलिखित के माध्यम से 2006-07 में जारी रहा - (i) विशेष रूप से शिक्षा विकास के माध्यम से सामाजिक सशक्तिकरण (ii) रोजगार और आय सृजक और गरीबी उपशमन कार्यक्रमों के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण और (iii) विद्यमान विधान के प्रभावी कार्यान्वयन के माध्यम से सामाजिक न्याय और जन-जातियों के सशक्तिकरण के लिए अन्य संरक्षणात्मक उपायों को मार्गदर्शक सिद्धांत और कार्यनीति के रूप में जारी रखा गया है। वार्षिक योजना 2006-07 के दौरान, जन जातियों के कल्याण और विकास और सशक्तिकरण के लिए 10 केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमों और 3 केन्द्र प्रयोजित स्कीमों सहित कुल 13 स्कीमों में जनजातीय मामलों के नोडल मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही थी। 2006-07 में केन्द्रीय और केन्द्र प्रयोजित स्कीमों दोनों, के लिए 440.19 करोड़ रूपए का बजटीय प्रावधान किया गया था। इसके अतिरिक्त, 820.00 करोड़ रूपए की राशि विशेष केन्द्रीय सहायता (एससीए) के रूप में जनजातीय उप योजना (टीएसपी) को मुहैया कराई गई थी और अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता निर्धारित करते हुए संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अन्तर्गत 500.00 करोड़ रूपए की अनुदान सहायता मुहैया कराई गई थी। केन्द्र और केन्द्र प्रयोजित स्कीमों के अन्तर्गत किया गया व्यय 431.38 करोड़ रूपए था, जो उपलब्ध कराए गए परिव्यय के 98.00 प्रतिशत उपयोग को प्रदर्शित करता है। संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत 2006-07 में राज्यों के टीएसपी को एससीए और जीआईए के लिए क्रमशः 816.71 करोड़ रूपए और 400 करोड़ रूपए जारी कर दिए गए हैं। (संलग्नक 6.3)

6.21 2006-07 के दौरान अनुसूचित जातियों के कल्याण और विकास के लिए परिव्यय और व्यय नीचे दिया गया है :

(करोड़ रूपए में)

क्र. स.	मर्दे	वार्षिक योजना 2006-07	
		ब0 अ0	व्यय
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अनुसूचित जातियों का कल्याण और विकास	1760.19	1648.09
i)	केन्द्रीय क्षेत्रक		122.12
ii)	सीएसएस	285.58	309.26
iii)	टीएसपी के लिए एससीए	820.00	816.71
iv)	संविधान का अनुच्छेद 275 (I)	500.00	400.00

सामाजिक सशक्तिकरण

6.22 महिला साक्षरता दर में सुधार पर विशेष ध्यान केन्द्रित करते हुए, जनजातियों का सामाजिक सशक्तिकरण मुख्यतः शैक्षिक कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और प्रोत्साहन के माध्यम से पूरा होने की आशा है। जनजातियों के शैक्षिक विकास के लिए कार्यान्वित की जाने वाली तीन केन्द्र प्रायोजित स्कीमें हैं - (i) मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां (पीएमएस), बुक बैंक और अनुसूचित जनजाति के छात्रों की योग्यता का उन्नयन, (ii) अनुसूचित जनजाति के छात्रों (लड़के और लड़कियों) के लिए छात्रावास; (iii) टीएसपी क्षेत्रों में आश्रम स्कूल और (iv) निम्न साक्षरता पॉकटों में शैक्षिक परिसर की केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीम। मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां (पीएमएस), बुक बैंक और अनुसूचित जनजाति के छात्रों की योग्यता के उन्नयन की स्कीम के अन्तर्गत राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी प्रतिबद्ध देयताओं के अतिरिक्त 100% केन्द्रीय सहायता मुहैया कराई जाती है। 2006-07 के दौरान इस स्कीम के लिए कुल 228.58 करोड़ रूपए का परिव्यय मुहैया कराया गया था। 2006-07 के दौरान 28 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में मैट्रिकोत्तर अध्ययन कर रहे प्रत्याशित 10 लाख अनुसूचित

जनजाति के छात्रों द्वारा पीएमएस प्राप्त किए जाने का अनुमान है। योग्यता उन्नयन के कार्यक्रम के अन्तर्गत 13 राज्यों को अनुदान सहायता दी गई थी अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, झारखंड, केरल, मध्यप्रदेश, सिक्किम, उड़ीसा, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल जिससे 1145 छात्र लाभान्वित हुए। राजीव गांधी राष्ट्रीय फ़ैलोशिप स्कीम के अंतर्गत, एम फिल और पी एच डी करने के लिए अ.ज.जा. के छात्रों को 667 फ़ैलोशिप प्रदान की गई है।

6.23 एक तरफ शैक्षिक विकास के लिए नामांकन और प्रतिधारण को प्रोत्साहित करते हुए और दूसरी तरफ बीच में पढ़ाई छोड़ देने वालों की दर पर रोक लगाने के लिए, विशेष रूप से अनुसूचित जनजाति की लड़कियों की साक्षरता दर पर ध्यान केन्द्रित करते हुए 1989-90 में अनुसूचित जनजाति के लड़के और लड़कियों के लिए छात्रावासों की एक स्कीम शुरू की गई थी। 6178 सीटों की क्षमता सृजित करते हुए अनुसूचित जनजाति के लड़कों और लड़कियों के लिए छात्रावासों के निर्माण हेतु राज्यों को 32.00 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी।

6.24 टीएसपी क्षेत्रों में आश्रम स्कूल एक केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम है जो 21 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही है। 6178 सीटों का सृजन करते हुए आश्रम स्कूलों के निर्माण हेतु वर्ष 2006-07 में 16.00 करोड़ रुपये का केन्द्रीय परिव्यय रखा गया था। जनजातियों के शैक्षिक विकास को बढ़ावा देने के लिए अनुसूचित जन-जाति की लड़कियों, आदिम जनजातियों (पीटीजी) के बच्चों, प्रवासी और खानाबदोश अनुसूचित जन-जातियों पर ध्यान सहित रिहायसी सुविधाएं सृजित की जाती हैं। केन्द्र द्वारा राज्यों को 50 प्रतिशत का मैचिंग हिस्सा प्रदान किया जाता है तथा संघ राज्य क्षेत्रों को 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। केन्द्रीय सहायता मुख्यतः आश्रम स्कूल भवनों, छात्रावासों और स्टॉफ क्वार्टरों के निर्माण के लिए दी जाती है।

6.25 उपर्युक्त के अलावा, एक अन्य शैक्षिक कार्यक्रम अर्थात् जनजातीय क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों को औपचारिक और व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए निम्न साक्षरता पाकेटों में शैक्षिक परिसर कार्यक्रम 1993-94 से कार्यान्वित किया जा रहा है। स्कीम को एनजीओ, राज्य सरकारों द्वारा स्थापित संस्थाओं, स्थानीय निकायों और सहकारी समितियों, आदि के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। इस समय इस स्कीम के अन्तर्गत 11 राज्यों के 136 जिलों को कवर किया गया है। 2006-07 में इसके लिए 10.00 करोड़ रुपये की राशि का बजट प्रावधान किया गया है। इसके विपरीत मंत्रालय द्वारा 7.91 करोड़ रुपये का उपयोग किया जाना सूचित किया गया है।

आर्थिक सशक्तिकरण

6.26 अनुसूचित जनजातियों के सशक्तिकरण, विशेष रूप से गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले लोगों के लिए आर्थिक विकास महत्वपूर्ण होने के कारण इसे वार्षिक योजना 2006-07 के दौरान रोजगार संवर्धक और आय सृजक कार्यक्रमों के माध्यम से उच्च प्राथमिकता प्रदान की गई। अधिक उत्पादक ढंग से आय और रोजगार सृजन कार्यक्रमों शुरू करने के लिए अनुसूचित जातियों की क्षमता में वृद्धि के लिए प्रशिक्षण और दक्षता उन्नयन पर भी विशेष बल दिया गया था। वर्तमान शीर्ष संगठनों अर्थात् (i) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त तथा विकास निगम (एनएसटीएफडीसी), (ii) भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड (ट्राइफेड), और (iii) राज्य अनुसूचित जनजाति विकास वित्त निगम (एसएसटीडीएफसीएस) को परिव्यय बढ़ाकर मजबूत बनाया गया है। उम्मीद है कि ये निगम और सहकारिताएं लघु स्तर की एजेंसियों को ऋण तथा विपणन सुविधाओं के लिए " अग्र" और " पश्च" दोनों लिंकेज प्रदान करने के अलावा उत्प्रेरक एजेंसियों की भूमिका निभाएंगी।

6.27 एनएसटीएफडीसी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 500 करोड़ रुपये है। यह राज्य अनुसूचित जाति वित्त व विकास निगम को सहायता प्रदान करने के अतिरिक्त पहचान किए गए ट्रेड, व्यापार, व्यवसायों और अन्य आर्थिक कार्यक्रमों, दक्षता उन्नयन के लिए रियायती ब्याज दरों पर उदार ऋणों के रूप में सावधि-ऋण, बीज ऋण, ब्रिज-ऋण आदि प्रदान करके अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास के लिए स्कीमों/परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु शीर्ष संस्था है। आय और रोजगार सृजक कार्यक्रमों शुरू करने के लिए अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को सहायता देने के लिए एनएसटीएफडीसी को वार्षिक योजना 2006-07 के दौरान 30.00 करोड़ रुपये की राशि मुहैया कराई गई थी।

6.28 भारतीय जनजाति सहकारी विपणन संघ लि0 (ट्राइफेड) की स्थापना 1987 में अनुसूचित जनजातियों को विपणन सहायता और गौण वन उत्पादों की लाभप्रद कीमतें प्रदान करने के मुख्य उद्देश्य से की गई थी। वित्तीय वर्ष 2005-06 में ट्राइफेड ने जनजातियों के आजीविका अवसरों में सुधार के लिए निम्नलिखित कार्यक्रमों शुरू किए थे।

- i) आय सृजन
- ii) दक्षता उन्नयन
- iii) जंगलो से प्राप्त शहद का संग्रहण, वैज्ञानिक खेती और पैदावार प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण, गम कराया का वैज्ञानिक ढंग से दोहन, सफेद मूसली और स्टेविआ की खेती।

6.29 अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरा करने में केन्द्र राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगम (एसटीडीसीएस) को सहायता अनुदान स्कीम के तहत एसटीडीसी जनजातीय लाभार्थी से लाजिस्टिक्स की सम्मिलित सहायता के साथ एमएफपी के प्रापण के राज्यों के प्रयास को सहायता

देने, वेयरहाउस सुविधाओं, उपयोग ऋण प्रदानगी, मूल्य संवर्धन व अन्य लिंकेजों के लिए एसटीडीसीसी को सहायता देने के लिए निधियाँ मुहैया कराना रहा है।

6.30 सरकार ने 'अनुसूचित जाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों के मान्यता) अधिनियम, 2006' असाधारण रूप से दिनांक 2.1.2007 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। मंत्रालय ने भी अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन हेतु मसौदा नियम तैयार किए हैं। अन्य बातों के साथ-साथ अधिनियम के अन्तर्गत प्रदान किए गए मुख्य अधिकार (4 हेक्टेयर की उच्चतम सीमा के अधीन) कब्जे वाली वन भूमि में खेती करने का अधिकार, लघु वन उत्पादों के स्वामित्व, संग्रहण, उपयोग और निपटान का अधिकार, वनों के भीतरी भाग के अधिकार जो पारंपरिक और प्रचलित हैं अर्थात् चारागाह आदि है।

6.31 गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान की स्कीम जनजातीय मामले मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जनजातियों के समाजार्थिक विकास के लिए कार्य कर रहे स्वैच्छिक संगठनों को दुर्गम और पिछड़े जनजातीय क्षेत्रों में अत्यावश्यक स्वैच्छिक कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय व अन्य सहायता प्रदान करते हुए कार्यान्वित की जा रही हैं। इन एनजीओ(ज़) द्वारा इस स्कीम के तहत विभिन्न कल्याण और विकास परियोजनाएं शुरू की जाती हैं, जिनमें रिहायसी स्कूल, छात्रावास, व्यावसायिक प्रशिक्षण, मेडिकल चल औषधालय, कम्प्यूटर प्रशिक्षण यूनिट, आशुलिपि व टाइपिंग प्रशिक्षण, बालवाड़ी/शिशुगृह, आदि शामिल हैं। स्कीम के अन्तर्गत प्रदान किया जाने वाला अनुदान परियोजना की कुल अनुमोदित लागत का सामान्यतः 90 प्रतिशत तक सीमित होता है तथा 10 प्रतिशत स्वैच्छिक संगठनों द्वारा वहन किया जाता है। वार्षिक योजना 2006-07 में स्कीम के लिए 26.00 करोड़ रुपये की राशि मुहैया कराई गई थी। वर्ष 2006-07 में (दिसम्बर, 2006 तक) इस स्कीम के अन्तर्गत

81 स्वैच्छिक एजेंसियों और एनजीओ को सहायता प्रदान की गई।

सामाजिक न्याय

6.32 15 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पहचान किए गए आदिम जनजातीय समूह (पीटीजी) 75 हैं जिनकी आबादी 1991 में अनुमानतः 1.32 मिलियन थी। चूंकि पीटीजी अधिक भीतरी इलाकों में रहते हैं, जो सामान्यतः दुर्गम हैं तथा जहाँ वे निर्वहन के स्रोतों के घटने से भूख/भुखमरी, कुपोषण और अस्वस्थता के जल्दी शिकार हो जाते हैं। उनमें से कुछेक तो लुप्त होने के कगार पर हैं। अतः उनके संरक्षण, उत्तरजीविता और विकास के लिए आदिम जनजाति वर्गों के विकास की केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीम के तहत कई विशिष्ट परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। वर्ष 2006-07 में 25.00 करोड़ रुपये की राशि मुहैया कराई गई थी और 16 राज्य सरकारों और 13 स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से 31.31 करोड़ रुपये उपयोग किए गए थे।

(रुपये करोड़ में)

क्र. सं.	शीर्ष नाम	वार्षिक योजना 2007-08
1.	केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीम (सीएस)	231.01
2.	केन्द्र प्रायोजित स्कीमें (सीएसएस)	271.99
3.	टीएसपी को विशेष केन्द्रीय सहायता (एससीए)	816.71
4.	संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अन्तर्गत जीआईए	400.00
	कुल	1719.71

6.33 केन्द्रीय और केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2007-08 में जनजातीय मामले मंत्रालय के लिए 503 करोड़ रुपये का परिव्यय उद्दिष्ट किया गया है। इसके अतिरिक्त, जनजातीय उपयोजना (टीएसपी) के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता (एससीए) के रूप में 816.71 करोड़ रुपये की राशि और संविधान के

अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत भी अनुदान सहायता के रूप में 400 करोड़ रुपये वार्षिक योजना 2006-07 के लिए मुहैया कराए गए हैं (अनुलग्नक 6.3)। वार्षिक योजना 2007-08 हेतु योजना परिव्यय का स्कीम-वार विवरण (केन्द्रीय/केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें) संलग्न हैं, जिसका सारांश निम्नानुसार है :

अन्य पिछड़े वर्ग (ओबीसीज़)

6.34 श्री बी. पी. मंडल की अध्यक्षता में दूसरे पिछड़े वर्ग आयोग (1980) ने 1931 की जनगणना को अपनी संगणना का आधार बनाते हुए यह अनुमान लगाया था कि जनसंख्या में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसीज़) का प्रतिशत 52 प्रतिशत है। भारत में सामाजिक वर्गों के बीच रोजगार व बेरोजगारी की स्थिति संबंधी एनएसएसओ 61वें दौर (जुलाई, 2004 से जून, 2005) की रिपोर्ट में हाल ही में जनसंख्या में ओबीसीज़ का प्रतिशत 41 प्रतिशत होने का अनुमान प्रस्तुत किया गया था। जनसंख्या पर ओबीसी-वार राज्य वार डाटा और महत्वपूर्ण व जनसांख्यिकी चर (वेरियेबल्स) उपलब्ध नहीं हैं। इनकी अनुपलब्धता अन्य पिछड़े वर्गों के विकास के लिए नीति और कार्यक्रम तैयार करने में मुख्य बाधा है।

6.35 सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने मैट्रिक पूर्व व मैट्रिकोत्तर, दोनों स्तरों पर छात्रवृत्ति स्कीमों, ओबीसी लड़कों व लड़कियों हेतु छात्रावासों के निर्माण के माध्यम से ओबीसी(ज़) के विकास के कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना जारी रखा। एक प्रभावी तर्कसम्मत दृष्टिकोण के माध्यम से ओबीसी(ज़) के शैक्षिक विकास पर संकेन्द्रित ध्यान दिए जाने के उद्देश्य से, ओबीसीज़ के लिए मैट्रिकपूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की स्कीमों का कार्यान्वयन जारी रखा गया। इन स्कीमों के तहत किया गया व्यय मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीम के तहत 4.11 लाख ओबीसी छात्रों और मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति स्कीम के अन्तर्गत 9.57 लाख ओबीसी छात्रों को लाभ के साथ 53.30 करोड़ रुपये और 25.27

करोड़ रुपये था। इन स्कीमों के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए और 25 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं।

6.36 शैक्षिक रूप से पिछड़े ओबीसीज़ में पढ़ाई छोड़ देने वालों की उच्च दर को कम करने और उनकी प्रतिधारण दर को बढ़ाने के लिए, मिडिल, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक स्कूलों, कालेजों और विश्वविद्यालयों में उनके लड़कों और लड़कियों के लिए छात्रावास सुविधाओं के रूप में प्रमुख सहायता सेवा मुहैया कराई जाती है। इस स्कीम के अन्तर्गत, छात्रावास भवनों के निर्माण के लिए राज्यों को मौलिक आधार (50 : 50) और संघ राज्य क्षेत्रों में 100 प्रतिशत की सीमा तक केन्द्रीय सहायता मुहैया कराई जाती है। वर्ष 2006-07 के दौरान 4520 ओबीसी लड़कों और लड़कियों के लिए छात्रावासों के निर्माण के लिए 21 करोड़ रुपये की राशि का आबंटन किया गया था। वर्ष 2007-08 के दौरान 21.00 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है।

6.37 जमीनी स्तर पर रोजगार और आय सृजक लक्षित वर्ग, विशेष रूप से महिला लाभार्थियों के पक्ष में क्रेडिट सुविधाओं के सुधार के लिए माइक्रो क्रेडिट स्कीम को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त व विकास निगम (एनबीसीएफडीसी) ने राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (एससीए(ज) और प्रत्यायित एनजीओ(ज) के माध्यम से या तो सीधे-अथवा स्व-सहायता दलों के माध्यम से माइक्रो फाइनेंसिंग को अपनाया है। 132108 लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने के लिए एनबीसीएफडीसी को वर्ष 2006-07 हेतु 30 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है।

अल्पसंख्यक

6.38 संवैधानिक उपबंधों के अनुसरण में, सरकार अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। इस प्रकार के उपाय उनकी भाषा, धर्म और संस्कृति को बचाने और उन्हें प्रोन्नत करने तक ही सीमित नहीं है बल्कि उनके सामाजिक-आर्थिक विकास और उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए विशेष प्रयास करना भी है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग

अधिनियम, (एनसीएम) 1992 के अन्तर्गत प्रावधानों के अनुसार मुस्लिम, ईसाई, सिक्ख, बौद्ध और पारसियों सहित 5 धार्मिक समुदायों को अल्पसंख्यकों के रूप में अधिसूचित किया गया है। अल्पसंख्यकों में, मुस्लिम, विशेष रूप से मुस्लिम महिलाओं पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है क्योंकि अन्य समुदायों की तुलना में वे सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से पिछड़ी रही हैं।

6.39 2001 की जनगणना के अनुसार हमारी 18.4 प्रतिशत आबादी अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित है। कुल जनसंख्या में 13.4 प्रतिशत मुस्लिम, 2.3 प्रतिशत ईसाई, 1.9 प्रतिशत सिक्ख, 0.8 प्रतिशत बौद्ध और 0.07 प्रतिशत पारसी हैं। पूर्णकों में 189.5 मिलियन की कुल अल्पसंख्यक आबादी का 72.8 प्रतिशत मुस्लिम (लगभग 140 मिलियन) हैं।

6.40 अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय ने अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए चालू स्कीम को जारी रखा। 2006-07 के दौरान नये अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय को 130.89 करोड़ रुपये आबंटित किए गए थे। वर्ष के दौरान आबंटन में से 119.49 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे (**संलग्नक 6.4**)।

6.41 शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1989 में स्थापित मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान (एमआईएफ) स्कूलों की स्थापना/विस्तार, लड़कियों के लिए रिहायसी स्कूल/ कालेज, प्रयोगशाला भवनों का निर्माण, महिलाओं आदि के लिए कम्प्यूटर/व्यावसायिक केन्द्रों की स्थापना सहित विभिन्न शिक्षा कार्यक्रमों को तैयार करता है और कार्यान्वित करता है। प्रतिष्ठान अल्पसंख्यक लड़कियों पर विशेष ध्यान देने के साथ-साथ विभिन्न शैक्षिक विकास कार्यक्रमों को शुरू करने के लिए भी एनजीओ को अनुदान सहायता प्रदान करता है। वर्ष 2006-07 के दौरान एमआईएफ की संग्रह निधि को 100 करोड़ रुपये मुहैया करा कर 100 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 200 करोड़ रुपये कर दिया गया था। प्रतिष्ठान द्वारा

52 एनजीओ/स्थानीय निकायों को 5.94 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता स्वीकृत की गई है। इसके अलावा, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्गों की कोचिंग सुविधाओं को छोड़कर, महत्वाकांक्षी अल्पसंख्यक छात्रों को विभिन्न प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में बैठने के लिए कोचिंग सुविधाएं मुहैया कराने हेतु कोचिंग स्कीम जारी रखी गई थी। 1310 अल्पसंख्यक छात्रों ने इस स्कीम के अन्तर्गत लाभ उठाया। प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रम में किए गए वादे के अनुसार कार्पस निधि को और अधिक बढ़ाने के लिए 2007-08 के दौरान 50 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए हैं।

6.42 अल्पसंख्यकों का आर्थिक विकास करना प्राथमिकता थी। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम (एनएमडीएफसी) ने स्वरोजगार उद्यम स्थापित करने और उन्हें बढ़ावा देने तथा उद्यमशीलता और तकनीकी दक्षताओं के उन्नयन के लिए अल्पसंख्यकों के पिछड़े वर्गों को रियायती वित्तीय सहायता प्रदान करना जारी रखा। निगम की 650 करोड़ रुपये की प्राधिकृत शेयर पूंजी है जिसमें भारत सरकार का शेयर 422.50 करोड़ (65%), राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार का 169 करोड़ (26%) व्यक्ति समूहों का 58.50 करोड़ (9%) रुपये है। प्रदत्त शेयर पूंजी 419.85 करोड़ है, जिसमें से भारत सरकार ने 344.57 करोड़ रुपये और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार ने 75.28 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया है जबकि, वर्गों/व्यक्तियों का कोई योगदान नहीं रहा है। एनएमडीएफसी ने 48,783 लाभार्थियों को 112.75 करोड़ रुपये वितरित किए हैं।

प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्रीय कार्यक्रम

6.43 प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्रीय कार्यक्रम 2006 में शुरू किया गया था जिसका लक्ष्य अल्पसंख्यकों के कल्याण, संरक्षण और विकास को सुनिश्चित करना था। जबकि 1983 के 15 सूत्रीय कार्यक्रम का केन्द्र बिन्दु साम्प्रदायिक दंगों, सेवाओं में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व और प्रत्येक

लाभग्राही को लाभ का प्रवाह सुनिश्चित करना था, नये कार्यक्रम का फोकस यह सुनिश्चित करना है कि विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों के लाभ अल्पसंख्यकों को भी समान रूप से प्राप्त हों। इसके लिए यह विकास परियोजनाओं के कतिपय भाग का अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में स्थापित किया जाना निर्धारित करता है। इसमें यह नियत किया गया है कि जहाँ संभव हो, विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत लक्ष्यों और परिचयों का 15 प्रतिशत अल्पसंख्यकों के लिए उद्दिष्ट किया जाएगा। सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को इस नए कार्यक्रम को कार्यान्वित करने की सलाह दी गई है। पांच केन्द्रीय मंत्रालयों अर्थात् मानव संसाधन विकास (एचआरडी), श्रम व रोजगार (एलईएम), आवास व गरीबी उपशमन (एच एण्ड यूपीए), ग्रामीण विकास (आर डी) और महिला व बाल विकास को अपने-अपने क्षेत्रों में उत्तरदायित्व दिए गए हैं। इन बहुविध-पहलों के परिणामों को मानीटर करने की स्पष्ट क्रियाविधि निर्धारित की गई है। यह कार्रवाई सचिवों की समिति (सीओएस) और मंत्रिमंडल द्वारा अर्धवार्षिक आधार पर की जाएगी। अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय (एमएमए) कार्यान्वयन के समन्वयन और मानीटरिंग के लिए नोडल मंत्रालय है। मानीटरिंग के मुख्य तत्व होंगे- वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने पर ध्यान, प्रत्येक कार्यक्रम और मंत्रालय के अन्तर्गत प्राप्य परिणाम योजना के आधार पर लक्ष्योन्मुखी मानीटरिंग, परिणाम लक्ष्यों को समयबद्ध एवं भिन्न-भिन्न स्थितियों के अनुसार निश्चित करना और तदनुसार उन्हें मानीटर किया जाए, अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय और बाह्य विशेषज्ञ मूल्यांकनकर्ताओं, दोनों, द्वारा किए जाने वाले नियमित मूल्यांकन अध्ययन, प्रमुख लक्षित राज्यों में मौजूदा पहचान किए गए संस्थानों के माध्यम से समवर्ती मूल्यांकन के लिए गुंजाइश, जिले से राज्य, राज्य से केन्द्र को नियमित और सही सूचना प्रवाह पर फोकस, अबाध वित्तीय प्रवाह और बाधाओं की नियमित पहचान पर फोकस, कार्यक्रम डिजाइनों की समीक्षा और संशोधन के लिए लचीलापन।

सच्चर समिति की रिपोर्ट

6.44 भारत सरकार ने मुस्लिम समुदाय की ' सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति के बारे में रिपोर्ट तैयार करने के लिए भी न्यायधीश (सेवानिवृत्त) राजेन्द्र सच्चर की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया था। भारत के मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति पर अपनी व्यापक रिपोर्ट में समिति ने यह उल्लेख किया था कि मुस्लिम विकास और वृद्धि की प्रक्रिया में पीछे छूट गए हैं। इसने एक स्वायत्त आकलन मानीटरिंग प्राधिकरण (एएमए) स्थापित करने, राष्ट्रीय डेटा बैंक के सृजन और एक समान अवसर आयोग (ईओसी) के गठन की सिफारिश की थी। इसने उचित लागत पर छात्रावास सुविधाओं की व्यवस्था करने, अध्यापक प्रशिक्षण के लिए सामान्य पाठ्यक्रम में अल्पसंख्यक पहलुओं को शामिल करना, राज्य द्वारा चलाए जा रहे उर्दू माध्यम के स्कूलों को स्थापित करना और उन्हें सुदृढ़ बनाना, मदरसों का उच्चतर माध्यमिक बोर्ड से लिंकेज, प्रतियोगी परीक्षाओं में पात्रता हेतु मदरसों से प्राप्त डिग्रियों को मान्यता, मदरसों को वित्तीय और अन्य सहायता का प्रावधान करने का भी सुझाव दिया।

अन्य विशेष वर्ग

6.45 सामाजिक कल्याण क्षेत्रक के अन्तर्गत अन्य कमजोर वर्गों में मुख्यतः तीन प्रमुख श्रेणियाँ शामिल हैं- असहाय व्यक्ति, सामाजिक रूप से भटके लोग और अन्य अल्पसुविधा प्राप्त लोग। अपंगताओं सहित व्यक्तियों की पहली श्रेणी में गति विषयक, दृश्य, श्रव्य, वाक् और मानसिक अपंगताओं वाले व्यक्ति शामिल हैं, सामाजिक रूप से भटके और दूसरी अल्पसुविधा प्राप्त श्रेणी में मुख्यतः मादक द्रव्य तथा मदिरा सेवी और उम्रदराज व्यक्ति शामिल हैं।

वार्षिक योजना 2006-07 की समीक्षा

6.46 दसवीं योजना के दौरान ' विकलांगों का सशक्तिकरण', ' सामाजिक रूप से भटके हुए लोगों

का सुधार' और ' अन्य अल्पसुविधा प्राप्त व्यक्तियों की देखभाल' के लिए एक त्रि-स्तरीय कार्यनीति इन वर्गों के लिए अधिनियमित विकासशील कानूनों अर्थात् व्यक्ति असमर्थता अधिनियम 1995 और नीतियों को मजबूत और समर्थ बनाते हुए अपनाई गई थी। दसवीं योजना की कार्यनीतियों और उद्देश्यों के मद्देनजर इन अल्पसुविधा प्राप्त वर्गों को अपनी सामाजिक, आर्थिक और शारीरिक कमियों पर काबू पाने के लिए, अपंगताओं से बचाव और उनका शीघ्र पता लगाने, उपचार और पुनर्वास, स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, पुनर्वास आदि पर बल सहित, विशेष रूप से इन सेवाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में अल्पसुविधा प्राप्त लोगों को उपलब्ध कराते हुए वार्षिक योजना 2006-07 के दौरान स्कीमें/कार्यक्रम कार्यान्वित किए गए थे।

6.47 सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रक में 4 केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमें हैं। कामकाजी बच्चों के कल्याण और उन बच्चों जिन्हें देखभाल और संरक्षण की जरूरत है, के कल्याण की स्कीम को 2006-07 के दौरान महिला और बाल विकास मंत्रालय को स्थानांतरित कर दिया गया है। वृद्धावस्था आलय/वृद्ध व्यक्तियों के लिए मल्टी सेवा केन्द्रों के निर्माण के लिए पीआरआईज़/वीएज़/एसएचजीस को सहायता की नई स्कीम हाल ही में शुरू की गई है। 363.00 करोड़ रुपये के आबंटन में से क्रमशः 247 करोड़ और 116 करोड़ रुपये की राशि विकलांगों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रक को मुहैया कराई गई थीं।

अपंग व्यक्तियों का कल्याण और विकास

6.48 2001 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में से 21.09 मिलियन या लगभग 2.2% लोग विकलांग होने का अनुमान है और इनमें से लगभग 75% विकलांग ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। जुलाई-दिसम्बर 2002 में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के सर्वे के अनुसार देश में विकलांग व्यक्तियों की संख्या 1.85 करोड़ थी और यह कुल अनुमानित जनसंख्या का 1.8 प्रतिशत भाग है। जहां

एनएसएसओ के सर्वेक्षण ने विकलांग अधिनियम 1995 के अंतर्गत वर्णित 7 क्षेत्रों को कवर किया था वहीं 2001 की जनगणना में 5 समूहों को कवर किया गया था जबकि अंधत्व और कम दृष्टि को एक श्रेणी में तथा श्रवण और वाक् क्षमता को अन्य श्रेणी में मिला दिया गया था।

6.49 राष्ट्रीय विकलांग व्यक्ति नीति, जो 2006 में अपनाई गई थी, में निर्धारित है कि निजी क्षेत्रक में विकलांग व्यक्तियों के रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन, पारितोषिक, कर छूट आदि मुहैया कराने के लिए प्रो-एक्टिव उपाय किए जाएंगे। श्रीनगर, लखनऊ, भोपाल, गुवाहाटी और सुन्दरनगर में पांच संयुक्त पुनर्वास केन्द्र (सीआरसीज़) जनशक्ति विकास सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं। और सभी श्रेणियों के विकलांग व्यक्तियों को पुनर्वास सेवाओं को उपलब्धता सुनिश्चित कर रहे हैं। चार क्षेत्रीय पुनर्वास केन्द्र (आरआरसीज़) रीढ़ की हड्डी की चोट वाले व्यक्तियों को चण्डीगढ़, कटक जबलपुर और बरेली में भी सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं। प्रारंभिक स्तर पर व्यापक पुनर्वास सेवाएं मुहैया कराने के लिए देश में 199 जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्र (डीडीआरसीज़) स्वीकृत किए गए हैं। इस समय, देश में 122 डीडीआरसीज़ कार्य कर रहे हैं।

6.50 अपंग व्यक्तियों के पुनर्वास और सेवा डिलीवरी कार्यक्रमों को सुदृढ़ करने के लिए भारी जनशक्ति की उभरती हुई आवश्यकता को पूरा करने के लिए, मंत्रालय ने सात राष्ट्रीय संस्थान (एनआईज) स्थापित किए हैं। इन संस्थानों के दबाव वाले क्षेत्र मानव संसाधन विकास, पुनर्वास सेवाएं, अनुसंधान कार्यकलाप और आउटरीच और सेवाओं का विस्तार है। 2006-07 के दौरान इन संस्थानों को 49 करोड़ रुपये और 2007-08 के दौरान 55 करोड़ रुपये मुहैया कराए गए थे।

6.51 1986 में स्थापित भारतीय पुनर्वास परिषद् (आईसीआई), जनशक्ति विकास के महत्वपूर्ण क्षेत्र में सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और पेशेवर व्यक्तियों के प्रशिक्षण में एक समान मानक लागू

करने और अपंग व्यक्तियों के पुनर्वास के क्षेत्र में मान्यता देने में लगातार महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सामान्य कार्यकलापों के अतिरिक्त, आरसीआई विशेषज्ञ शिक्षकों और चिकित्सा पेशेवरों/कार्मिकों के प्रशिक्षण में भी लगी हुई है। हालांकि, अनिवार्य नहीं है फिर भी आरसीआई सभी पेशेवरों/कार्मिकों का केन्द्रीय पुनर्वास रजिस्टर भी रखता है और पुनर्वास और विशिष्ट शिक्षा में अनुसंधान भी मुहैया कराता है। 2006-07 के लिए 3 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था, जिसमें से 2 करोड़ रुपये खर्च कर दिए गए हैं। 2007-08 के दौरान इस स्कीम के लिए 3 करोड़ रुपये की राशि दी गई थी।

6.52 " विकलांग व्यक्तियों को सहायता वस्तुओं व उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए सहायता" स्कीम जिसे सामान्यतया एडीआईपी नाम से जाना जाता है, का स्थायी वस्तुओं की आपूर्ति, मानक परिष्कृत सहायक वस्तुओं और उपकरणों के माध्यम से निराश असहाय व्यक्तियों के जीवन पर प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई पड़ता है। स्वैच्छिक संगठनों, रैड-क्रास सोसाइटियों, एनआई(ज़) और कृत्रिम अंग विनिर्माण निगमों (एएलएमसीओ) को सहायक वस्तुओं और उपकरणों की खरीद, निर्माण और वितरण के लिए अनुदान सहायता मुहैया कराई जाती है। वर्ष 2006-07 के लिए 71.20 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया था और दिसम्बर, 2006 तक 64 एनजीओ/कार्यान्वयन करने वाली एजेंसियों को 49.39 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई। इस स्कीम के अन्तर्गत संगठनों को परियोजना की कुल अनुमोदित लागत के 90 प्रतिशत की सीमा तक आवर्ती और अनावर्ती, दोनों, व्ययों के लिए अनुदान सहायता दी जाती है।

6.53 राष्ट्रीय विकलांग वित्त विकास निगम (एनएचएफडीसी) को कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अन्तर्गत 24 जनवरी, 1997 में स्थापित किया गया था, जिसका उद्देश्य स्व-रोजगार, उद्यमों के वित्तपोषण के माध्यम से विकलांग व्यक्तियों के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और लाभार्थियों को उनके उद्यमों के प्रभावी प्रबंधन के

लिए तकनीक और उद्यमशीलता के उन्नयन में सहायता देना है। निगम आय सृजक कार्यकलाप शुरू करने के लिए शहरी क्षेत्रों में 1 लाख रुपये प्रतिवर्ष से कम की वार्षिक आय वाले और ग्रामीण क्षेत्रों में 80,000 प्रतिवर्ष की आय वाले अपंग व्यक्तियों को रियायती दर ऋण मुहैया कराता है। अपनी माइक्रो फाइनेंसिंग स्कीम के अन्तर्गत निगम ने अलग-अलग लाभार्थियों और स्व-सहायता दलों को भी सहायता दी है। एनएचएफडीसी संबंधित राज्य सरकारों द्वारा नामित राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (एससीएज) के माध्यम से कार्य करती है और इस समय 46 एससीएज प्रचालन में है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 411 पुरुषों को कवर करते हुए 1.76 करोड़ रुपये और 184 महिला लाभार्थियों को कवर करते हुए 0.64 करोड़ रुपये के ऋण संवितरित किए गए हैं।

सामाजिक रूप से भटके लोगों में सुधार करना

6.54 देश में मादक पदार्थ की मांग की कमी के कार्यक्रमों के नोडल मंत्रालय के रूप में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय वर्ष 1985-86 से निषेध और मादक पदार्थ दुरुपयोग निवारण स्कीम को कार्यान्वित करता रहा है। नशीली दवाओं के आदी लोगों की आदत छुड़ाने और पुनर्वास के लिए कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए राज्य और स्वैच्छिक संगठनों की भागीदारी आवश्यक है। इस स्कीम के अन्तर्गत मंत्रालय लगभग 346 स्वैच्छिक संगठनों को सहायता दे रहा है जो 390 उपचार-सह पुनर्वास केन्द्र और 30 परामर्श और जागरूकता केन्द्र चला रहे हैं। वर्ष 2005-06 के दौरान मंत्रालय द्वारा इन एनजीओ(ज) को 22.35 करोड़ रुपये की निधि जारी की गई थी और वर्ष 2006-07 के लिए बजट आबंटन 34 करोड़ रुपये था। 2007-08 के दौरान इस स्कीम के लिए 40 करोड़ रुपये की राशि अनुमोदित की गई थी।

अन्य अल्प सुविधा प्राप्त व्यक्तियों की देखभाल

6.55 2001 की जनगणना के अनुसार वरिष्ठ व्यक्ति (60 वर्ष से अधिक उम्र वाले) देश की

जनसंख्या के 7% हैं। वृद्ध व्यक्तियों की सेवाओं में गुणवत्ता सुधार लाने के लिए, वृद्धों के कल्याण हेतु स्वैच्छिक संगठनों को सहायता स्कीम को बहुत लचीला बनाने के लिए 1998 में संशोधित किया गया था। नई स्कीम में- वृद्ध व्यक्तियों के लिए एकीकृत कार्यक्रम परिवार के प्रबलन और वृद्धों से संबंधित मुद्दों पर जागरूकता सृजन सहित वृद्धों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करना प्रस्तावित है। वर्ष 2006-07 के दौरान देश के विभिन्न भागों में वृद्धावस्था आलयों, दिवसीय देखभाल केन्द्र, चल चिकित्सा यूनिट और गैर-संस्थागत सेवा केन्द्र चलाने के लिए 288 एनजीओ को 12.33 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मुहैया कराई गई थी। 2007-08 के दौरान देश के विभिन्न भागों में 223 ओल्ड एज होम्स, 151 डेकेयर सैन्टर, 31 चल चिकित्सा देखभाल यूनिट चलाने के लिए 22 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मुहैया कराई गई थी।

6.56 माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण व कल्याण विधेयक, 2007 अब दोनों सदनों द्वारा पास कर दिया गया है। अधिनियम में उन व्यक्तियों के लिए, जो उत्तराधिकार में अपने वृद्ध संबंधियों की सम्पत्ति प्राप्त करते हैं, के द्वारा उनके भरण-पोषण को अनिवार्य किया जाना प्रस्तावित है। इसका उद्देश्य निराश वृद्ध व्यक्तियों की देखभाल के लिए ओल्ड एज होम्स स्थापित करने का प्रावधान करना है। इसका लक्ष्य माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के लिए आवश्यकता-आधारित भरणपोषण, बेहतर चिकित्सा सुविधाओं और वृद्धावस्था आलयों के लिए उपयुक्त मैकेनिज्म स्थापित करना है। इसमें वृद्ध व्यक्तियों के जीवन और सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए उपयुक्त मैकेनिज्म को संस्थागत बनाने का

प्रयास किया गया है। उम्मीद है कि इसके द्वारा मंत्रालय और राज्य सरकारें वरिष्ठ नागरिकों पर उचित ध्यान देने के लिए सक्रिय होंगी।

वित्तीय परिव्यय

6.57 वार्षिक योजना 2006-07 का कुल परिव्यय 323.00 करोड़ रुपये था, जिसमें 243.00 करोड़ रुपये अपंगों के कल्याण और शेष 76.00 करोड़ रुपये सामाजिक सुरक्षा और दूसरे अल्पसुविधा प्राप्त वर्गों के लिए थे। निम्नलिखित तालिका में वार्षिक योजना 2006-07 और 2007-08 के लिए किए गए व्यय और अनुमोदित परिव्ययों को संक्षेप में दिया गया है।

(करोड़ रुपये)

स्कीम	2005-06		2006-07	
	परिव्यय	वास्तविक व्यय	परिव्यय	वास्तविक व्यय
सामाजिक न्याय और अधिकारिता	362.60	281.69	323.00	228.45
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2934.05	3105.95*	4094.56	एन.ए.
कुल 1+ 2	3296.65	3387.67	4432.56	एन.ए.

6.58 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की वार्षिक योजना 2006-07 का कुल परिव्यय और वास्तविक व्यय तथा वार्षिक योजना 2007-08 का परिव्यय संलग्नक में दिया गया है।

संलग्नक-6.1

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
पिछड़ा वर्ग क्षेत्रक (अनु. जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक) स्कीम-वार वित्तीय परिव्यय और व्यय
(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	वार्षिक योजनाएं		
		2006-07		2007-08
		ब. अ.	वास्तविक व्यय	ब. अ.
1	2	3	4	5
I	केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम (सीएस)			
1	विशेष घटक योजना (एससीपी) के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता (एससीए)	450.15	458.90	470.00
2	कमजोर वर्गों के लिए राष्ट्रीय वित्त विकास निगम	147.00	93.00	98.00
3	अनु. जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसंधान तथा प्रशिक्षण के लिए एनजीओ को जीआईए	37.50	31.35	40.00
4	अनु. जातियों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	35.13	34.17	88.00
5	अनु. जातियों के लिए उच्च श्रेणी शिक्षा	5.00	0.00	16.00
6	डा0 बी0 आर अम्बेडकर प्रतिष्ठान	1.00	0.00	1.00
7	हाथ से सफाई करने वालों के पुनर्वास के लिए स्व:रोजगार स्कीम	1.00	56.00	50.00
	नई स्कीमें			
8	अनुसूचित जातियों के लिए विदेशी छात्रवृत्तियाँ स्कीम	-	-	4.00
9	बाबू जगजीवन राम प्रतिष्ठान	-	-	-
	कुल - I	676.78	673.42	767.00
II	केन्द्र प्रायोजित स्कीमें (सीएसएस)			
1	अनु. जाति छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां तथा पुस्तक बैंक	450.00	526.00	625.00
2	अस्वच्छ व्यवसायों में लगे परिवारों के बच्चों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्तियां	16.00	20.25	25.00
3	अनु. जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए छात्रावास	83.00	73.62	88.00
4	अनु. जाति विकास निगम (एससीडीसी)	34.00	33.00	20.00
5	अनु. जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों व अन्य कमजोर वर्गों के लिए कोचिंग व सम्बद्ध स्कीम	6.40	3.92	7.00
6	अनु. जाति छात्रों की योग्यता का उन्नयन	3.01	3.00	1.00
7	पीसीआर अधिनियम 1955 और एससी/एसटी (पीओए) अधिनियम 1989 का कार्यान्वयन	37.91	35.49	40.00
8	अन्य पिछड़े वर्गों के लिए योग्यता आधारित छात्रवृत्तियां	60.00	79.01	125.00
	क. अन्य पिछड़े वर्गों के लिए मैट्रिक पश्चात छात्रवृत्तियां	35.00	53.74	100.00
	ख. अन्य पिछड़े वर्गों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्तियां	25.00	25.27	25.00
9	कक्षा VI से XII में अध्ययन करने के लिए अनु. जातियों के लिए रिहायशी स्कूलों की स्थापना	0.01	0.00	1.00
	कुल - II	690.33	774.29	932.00
	कुल जोड़ (I+II)	1367.11	1447.71	1699.00

संलग्नक-6.2

योजना परिव्यय तथा व्यय- सामाजिक रूप से अल्पसुविधाप्राप्त समूह (अनु. जातियों/अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अल्पसंख्यक)- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

(लाख रुपये)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	वार्षिक योजनाएं		
		2006-07		2007-08
		ब. अ.	वास्तविक व्यय	ब. अ.
1	2	3	4	5
1	आन्ध्र प्रदेश	156153		लागू नहीं
2	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-
3	असम	1500	1140	5475
4	बिहार	13361	13079	12559
5	छत्तीसगढ़	18899	20313	25551
6	गोवा	183	268	439
7	गुजरात	48705		58500
8	हरियाणा	4000		10000
9	हिमाचल प्रदेश	3614	2744	3437
10	जम्मू और कश्मीर	1147	1158	1250
11	झारखंड	14788		13500
12	कर्नाटक	51794		66161
13	केरल	18447	16583	20469
14	मध्य प्रदेश	26820		31207
15	महाराष्ट्र	120090		176286
16	मणिपुर	2197	1551	2052
17	मेघालय	12		12
18	मिजोरम	-	-	-
19	नगालैण्ड	-	-	-
20	उड़ीसा	12125		17333
21	पंजाब	725		11820
22	राजस्थान	15844	4850	17420
23	सिक्किम	510		933
24	तमिलनाडु	47872	52895	55950
25	त्रिपुरा	3907		4552
26	उत्तर प्रदेश	112780		79575
27	उत्तराखंड	27630	12407	15302
28	पश्चिम बंगाल	11214	9590	13714
29	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	428		691
30	चंडीगढ़	86	96	90
31	दादरा व नागर हवेली	37		50
32	दमन और दीव	41		
33	दिल्ली	3744	लागू नहीं	5000
34	लक्षद्वीप	-	-	-
35	पांडिचेरी	1947	1642	1430
	अखिल भारत	720600		650758

संलग्नक-6.3

जनजातीय मामले मंत्रालय
योजना परिव्यय और व्यय

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	स्कीम/कार्यक्रम	वार्षिक योजनाएं		
		2006-07		2007-08
		ब. अ.	वास्तविक व्यय	ब. अ.
1	2	3	4	5
I	केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमें (सीएस)			
1	प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अनु. जनजातियों के प्रशिक्षण के लिए एनजीओ को सहायता अनुदान	30.00	31.60	37.00
2	जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र	6.00	8.50	9.00
3	न्यून साक्षर पार्केटों में शैक्षिक परिसर	10.00	7.91	20.00
4	" ट्राइफेड" में निवेश और कीमत समर्थन	10.00	8.98	30.00
5	एमएफपी ग्राम के लिए एसटीडीसी के वास्ते सहायता-अनुदान	18.00	17.91	22.00
6	आदिम जनजातीय समूहों (पीटीजी) का विकास	32.00	31.31	40.00
7	राष्ट्रीय अनु. जनजाति वित्त तथा विकास निगम तथा राज्य अनु. जनजाति विकास तथा वित्त निगम के लिए केन्द्रीय सरकार सहायता	30.00	0.00	35.00
8	नई दिल्ली में आदिवासी भवन का निर्माण	0.01	0.01	0.01
9	जनजातीय संस्कृति का प्रोन्नयन	1.00	0.00	
10	अनु. जनजाति के छात्रों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति कार्यक्रम	17.60	15.90	27.00
क	अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए राजीव गांधी अध्येता वृत्ति	17.60	15.90	26.00
ख	राष्ट्रीय ओवरसीज़ छात्रवृत्तियाँ	0.00	0.00	1.00
	नई स्कीमें			
11	राष्ट्रीय जनजाति मामले संस्थान (एनआईटीए)	0.00	0.00	1.00
12	उत्कृष्ट/शीर्ष श्रेणी शिक्षा संस्थान	0.00	0.00	10.00
	कुल-I	154.61	122.12	231.01
II	केन्द्र प्रायोजित स्कीम (सीएसएस)			
13	अनु. जनजातियों के छात्रों के लिए पीएमएस, पुस्तक बैंक और योग्यता उन्नयन की स्कीम	228.58	256.53	202.99
14	अनु. जनजाति छात्रों के लिए छात्रावासों की स्कीम	32.00	28.11	37.00
15	टीएसपी क्षेत्रों में आश्रम स्कूल	16.00	15.50	20.00
16	अनुसंधान सूचना तथा जन शिक्षा, जनजातीय त्योहार व अन्य	9.00	9.12	12.00
	कुल-II	285.58	309.26	271.99
	उप जोड़- I+II	440.19	431.38	503.00
III	विशेष केन्द्रीय सहायता			
17	जनजातीय उप-योजना (टीएसपी) के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता (एससीए)	820.00	816.71	816.71
18	संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत भारत सरकार की सहायता	500.00	400.00	400.00
	कुल - III	1320.00	1216.71	1216.71
	कुल जोड़ (I+II+III)	1760.19	1648.09	1719.71

अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय
योजना परिव्यय और व्यय

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	स्कीम/कार्यक्रम	वार्षिक योजनाएं		
		2006-07		2007-08
		ब. अ.	वास्तविक व्यय	ब. अ.
1	2	3	4	5
I	केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमें (सीएस)			
1	मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान को अनुदान सहायता	100.00	100.00	50.00
2	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम	18.29	18.29	70.00
3	अल्पसंख्यकों के लिए निःशुल्क कोचिंग और सम्बद्ध स्कीम	1.60	0.41	10.00
4	प्रचार सहित अल्पसंख्यकों के लिए अनुसंधान/अध्ययन, विकास स्कीमों की मानीटरिंग और मूल्यांकन	1.00	0.79	6.00
	नई स्कीम			
5	एनएमडीएफसी कार्यक्रम में कार्यान्वयन हेतु संलग्न राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) को अनुदान सहायता	0.00	0.00	10.00
	कुल- I	120.89	119.49	146.00
II	केन्द्र प्रायोजित स्कीमें (सीएसएस)			
6	व्यावसायिक व तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए योग्यता-सह साधन छात्रवृत्ति	10.00	0.00	54.00
	नई स्कीम			
7	चुनिंदा अल्पसंख्यक बहुल जिलों में अल्पसंख्यकों के लिए बहु क्षेत्रकीय विकास कार्यक्रम	0.00	0.00	120.00
8	अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति	0.00	0.00	80.00
9	अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	0.00	0.00	100.00
	कुल- II	10.00	0.00	354.00
	कुल जोड़ (I+II)	130.89	119.49	500.00

अध्याय 7

स्थानिक विकास और क्षेत्रीय असंतुलन

7.1 क्षेत्रीय असंतुलन

भूमिका

7.1.1 पूरे देश का व्यापक अनुभव रहा है कि राज्यों के बीच और राज्यों के भीतर क्षेत्रों, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच और समुदायों के विभिन्न वर्गों के बीच विसंगतियाँ विगत कुछ वर्षों से लगातार बढ़ रही हैं और इस अवधि में देखे गए तीव्र विकास के लाभ देश के सभी भागों और समाज के सभी वर्गों में समान रूप से नहीं पहुँचे हैं। यह अवधारणा कई संकेतकों और उपलब्ध सांख्यिकी पर आधारित है। यद्यपि, राज्यों में मानव विकास संकेतकों की दिशा में झुकाव को सूचित करने के कुछ प्रमाण मौजूद हैं, इस अभिसरण के कारणों में से एक कारण यह भी हो सकता है कि अधिकांश मानव विकास संकेतकों पर मूल्य (वैल्यू) की पाबंदी है। तथापि, अधिक विकसित और तुलनात्मक रूप से गरीब राज्यों के बीच आय विभेदकों का बढ़ना गम्भीर चिन्ता का विषय है। वार्षिक योजना का उद्देश्य "तीव्र और अधिक समावेशी विकास" है।

अन्तर राज्यीय विषमताएं और केन्द्र की भूमिका

7.1.2 क्षेत्रीय असंतुलनों में सुधार करना अनिवार्य रूप से योजना प्रक्रिया का महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है। तथापि, प्रयासों के बावजूद क्षेत्रीय असमानताएं बढ़ती जा रही हैं और अन्तर प्रबल हो गए हैं, क्योंकि आर्थिक विकास के लाभ व्यापक रूप से बेहतर विकसित क्षेत्रों तक सीमित रहे हैं। विरोधाभासी रूप से प्राकृतिक संसाधन से सम्पन्न

क्षेत्र पिछड़े रहे हैं। इसने बदले में इन क्षेत्रों में नक्सली आंदोलन की पकड़ और राज्यों के विभाजन की मांग को तेज कर दिया है। अर्थव्यवस्था से नियन्त्रण हटाने और विदेशी ताकतों के लिए इसे खोलने से बाजार ताकतों का दबाव अन्तर और अन्तःराज्य विषमताओं को तीव्र कर सकता है। अतः उदारीकरण के बाद के युग में राज्यों और क्षेत्रों में समानता को बढ़ावा देने में केन्द्र की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण बन गई है।

7.1.3 क्षेत्रीय असमानताओं का समाधान करना ही अपने आप में एक लक्ष्य नहीं है, बल्कि यह देश के एकीकृत सामाजिक और आर्थिक ढांचे के लिए अनिवार्य, जिसके बिना देश को निराशा, अराजकता और कानून और व्यवस्था के भंग होने की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है।

7.1.4 संभवतः इस प्रश्न का उत्तर देना सरल नहीं है कि राज्यों में विकास प्रक्रिया का वास्तव में संचालक कौन है। आयोजना के शुरू के वर्षों में विकास के महत्वपूर्ण संचालकों के बड़े भाग को नियंत्रित करने और उन्हें एक समग्र रूप से संगत ढांचे में फिट करने के प्रयास किए गए थे। इस में न केवल वित्तीय चरों (वेरियेबल्स) बल्कि अन्य क्षेत्रों जैसे कि क्रेडिट और वित्तीय बाजार, भौतिक निवेश, अवस्थितिजनक निर्णय, आदि को भी कवर किया गया था। तथापि, इस दृष्टिकोण को बहुत पहले से कुछ कारणों की वजह से छोड़ दिया गया है, जिनकी यहाँ चर्चा करनी आवश्यक नहीं है। विगत अनेक वर्षों में देश में किए गए समग्र निवेश में सार्वजनिक निवेश के हिस्से में लगातार गिरावट हो रही है। हाल के वर्षों में कुल मिलाकर सार्वजनिक

निवेश 20% से थोड़ा अधिक रहा है। अतः वित्तीय मात्रा, आबंटन और कार्यनीति द्वारा विशेष रूप से राज्य स्तरीय वृद्धि दरों पर प्रत्यक्ष रूप से डाले जा सकने वाले प्रभाव की एक बहुत बड़ी सीमा है। अतः राज्यों को ऐसे आवश्यक नीतिगत ढांचे और समर्थक वातावरण मुहैया कराने पर ध्यान केन्द्रित करना होगा जो निजी क्षेत्रक निवेश के लिए आर्थिक कार्यकलाप को संभव और पर्याप्त रूप में आकर्षक बना दे। इसमें कानून और व्यवस्था बनाने, कुशल अधिनिर्णय प्रणाली के माध्यम से तीव्र और प्रभावी विवाद समाधान, आर्थिक कार्यकलापों का लाभ उठाने के लिए आबादी में आम लोगों को सक्षम बनाने और उनके सशक्तिकरण के लिए अतिशय और विकृत कर प्रणाली से बचने से लेकर राज्य सरकार द्वारा मुहैया कराई जा रही सभी सेवाएं शामिल होंगी। इनमें से अधिकांश कारकों को सुशासन के व्यापक शीर्षक के अन्तर्गत कवर किया गया है और योजना दस्तावेज में अन्यत्र इन पर चर्चा की गई है। यहाँ हम संतुलित विकास के लिए इसके निहितार्थों को समझने के उद्देश्य से केन्द्र से राज्यों को संसाधन प्रवाह के पैटर्न और सरकार के व्यय का विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं।

सामान्य प्रयोजन संसाधन अंतरण

7.1.5 केन्द्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन की प्रणाली में राजस्व के अत्यधिक अर्जन वाले स्रोत प्रशासनिक सुविधा, एकरूपता और कुशलता के मद्देनजर केन्द्र को सौंपे गए हैं। उसी तरह से जनता को सामाजिक सेवाएं मुहैया कराने का प्रमुख उत्तरदायित्व राज्यों को दिया गया है और अब और आगे नीचे की ओर बढ़ते हुए पंचायती राज संस्थाओं को दिया गया है। अतः स्थिति को देखते हुए केन्द्र सरकार पर यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी पर्याप्त रूप से पड़ जाती है कि केन्द्र से राज्यों को संसाधनों का समग्र प्रवाह इतना होना चाहिए कि तुलनात्मक रूप से पिछड़े राज्य अधिक उन्नत राज्यों के बराबर सेवा डिलीवरी के स्तर को

उपलब्ध करने में सक्षम हो सकें। इसमें राजस्व इकट्ठा करने के लिए राज्यों के पास उपलब्ध वित्तीय क्षमता, किस सीमा तक वास्तव में इस क्षमता का उपयोग किया जा रहा है, और राज्यों द्वारा सामना की जा रही विशिष्ट कठिनाइयाँ जिसका परिणाम सेवा डिलीवरी की बढ़ी हुई युनिट लागत है, के मुद्दे शामिल हैं।

7.1.6 इस संबंध में केन्द्र के उत्तरदायित्व का भाग योजना प्रक्रिया के अन्तर्गत अन्तरणों के माध्यम से पूरा किया जाता है। इस तरह; समान रूप से, अधिक न होते हुए भी वित्त आयोगों के मैकेनिज्म के माध्यम से काफी मात्रा में अंतरण किए जाते हैं। अन्तर-राज्यीय विषमताओं को कम करने में केन्द्रीय अन्तरण किस सीमा तक सहायता करते हैं, इसका मूल्यांकन करने के लिए वित्तीय आयोगों द्वारा किए गए अंतरणों पर भी ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

7.1.7 बारहवें वित्त आयोग ने राज्यों में केन्द्रीय करों के अंतरणों के लिए निम्नलिखित मानदण्ड और कारणों का प्रयोग किया है। इन्हें सभी राज्यों में विशेष श्रेणी और अन्य, दोनों, में समान रूप से लागू किया गया है।

7.1.8 उपर्युक्त से यह देखा गया है कि आय दूरी मापदण्ड (जो उस सीमा को मापता है जिस सीमा तक किसी राज्य की आय उच्चतम प्रतिव्यक्ति आय वाले राज्य से नीचे है) को 50% का भारण दिया गया है। केन्द्रीय करों के हिस्से के क्रमिक अन्तरण में इसका अत्यधिक प्रभाव पड़ा है। केन्द्रीय करों के हिस्से के परस्पर वितरण का फार्मूला अब सामान्य रूप से राज्यों के बीच सामान्य केन्द्रीय सहायता (एनसीए) के वितरण के लिए प्रयोग में लाए जा रहे फार्मूले से (गाडगिल मुखर्जी फार्मूला) अधिक प्रगतिशील फार्मूला है। एनसीए गाडगिल मुखर्जी फार्मूला के अन्तर्गत निम्नलिखित मापदण्ड और भारणों का प्रयोग किया जाता है।

गाडगिल - मुखर्जी फार्मूला के अंतर्गत मानदंड एवं भार

	मानदंड	महत्व (प्रतिशत)
1.	जनसंख्या (1971)	60
2.	प्रति व्यक्ति आय	
	(क) राष्ट्रीय औसत से कम आय वाले राज्यों के लिए	20
	(ख) सभी राज्यों के लिए	5
3.	निष्पादन (कर प्रयास, राजकोषीय प्रबंधन, राष्ट्रीय उद्देश्य)	7.5
4.	विशेष समस्याएं	7.5

7.1.9 गाडगिल मुखर्जी फार्मूला केवल उन्हीं राज्यों पर लागू होता है, जो विशेष श्रेणी राज्य नहीं हैं। विशेष श्रेणी राज्यों के मामले में कुल एनसीए के 30% को उद्दिष्ट किया जाता है और इस राशि का एक नियत अनुपात में वर्ष के दौरान आबंटन किया जाता है।

7.1.10 निम्नलिखित तालिका बारहवें वित्त आयोग के अनुसार केन्द्रीय करों के हिस्से, एनसीए में हिस्से, प्रतिव्यक्ति आय में प्रत्येक राज्य के हिस्से और देश की कुल जनसंख्या में राज्य के जनसंख्या के हिस्से को दर्शाती है। विशेष श्रेणी राज्यों और अन्य राज्यों को एनसीए मुहैया कराने में अन्तर के कारण इन दोनों समूहों को अलग-अलग लिया जाता है।

7.1.11 जब कि इन संबंध में विचार भेद हो सकता है कि संगत पिछड़ेपन को उतना ही महत्व दिया जाना चाहिए, जितना बारहवें वित्त आयोग में दिया गया है, अथवा अन्यथा, ऐसा भी प्रतीत होगा कि राज्यों में केन्द्रीय करों के हिस्से और सामान्य केन्द्रीय सहायता के आबंटन के दो भिन्न फार्मूलों को और आगे जारी रखने का कोई कारण नहीं है। व्यय में योजना व गैर-योजना के बीच अन्तर को समाप्त करने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया है। यह तर्कसंगत रूप से इस ओर संकेत करता है

कि संसाधन अंतरण के लिए दो अलग फार्मूलों की आवश्यकता और अधिक नहीं रहेगी। उसी फार्मूले के आधार पर राज्यों को वितरित किए जा रहे प्रवाह के दो घटक जारी रह सकते हैं। एक भाग अर्थात्, केन्द्रीय करों का हिस्सा, पूर्णतः अबद्ध रहेगा, जबकि दूसरे को विशिष्ट विकास क्षेत्रों पर व्यय करने के लिए उद्दिष्ट किया जा सकता है, जिसमें राशि को सही रूप में व्यय करने के संबंध में राज्यों के लिए पर्याप्त लचीलापन होगा। यह याद रखना आवश्यक है कि एनसीए राशि का महत्व 2005-06 से, जिस वर्ष से सरकार ने एनसीए के ऋण घटक को मुहैया कराना बंद कर दिया है, घट गया है। इस संशोधित क्रियाविधि का अतिरिक्त लाभ पांच वर्षों में एक बार किसी निष्पक्ष, व्यावसायिक निकाय द्वारा फार्मूले, मापदण्ड और भारणों की नवीन जांच की व्यवस्था है, जो गाडगिल फार्मूला और इसके रूप भेदों, जहाँ परिवर्तन की प्रक्रिया बहुत अधिक समय लेने वाली है, से भिन्न है।

सीएसएस और एसीए के अन्तर्गत अंतरण

7.1.12 उपर्युक्त के अतिरिक्त, केन्द्र सरकार केन्द्र प्रायोजित स्कीमों और राज्य योजना स्कीमों के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में भी राज्यों को पर्याप्त संसाधन अंतरित करती है। इन अंतरणों में वृद्धि का अन्तर्निमित्त मैकेनिज्म है, क्योंकि ये अत्यन्त पिछड़े क्षेत्रों में बुनियादी सेवाओं के प्रावधान में अंतरालों के पाटने की ओर निदेशित है। केन्द्र सरकार द्वारा उन क्षेत्रों और क्षेत्रों में जिन पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है, निधियों को चैनलाइज करने के लिए प्रयोग में लाए जा रहे उपायों में महत्वपूर्ण कार्यक्रम, विशेष रूप से भारत निर्माण, पिछड़े क्षेत्र अनुदान निधि और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी कार्यक्रम हैं।

7.1.13 ग्रामीण विकास और गरीबी उपशमन की अधिकांश स्कीमों में निधियों के वितरण के लिए गरीबी को मापदंड के रूप में प्रयोग करती हैं और अतः कम आय वाले लोगों और क्षेत्रों को स्वतः लाभ

परस्पर हिस्से

क्रम सं०	राज्य	प्रति व्यक्ति जीएसडीपी 2004-05 (रुपए में)	जनसंख्या (2001 - जनगणना)	एसीए# में भागीदारी (2007-08: बजट अनुमान)	बारहवें वित्त आयोग के अनुसार हिस्से का प्रतिशत
	गैर विशेष श्रेणी				
1	आंध्र प्रदेश	26655	8.03	6.345	8.011
2	बिहार	7486	8.75	11.062	12.009
3	छत्तीसगढ़	20336	2.20	2.877	2.890
4	गोवा	80392	0.14	0.495	0.282
5	गुजरात	34223	5.35	3.926	3.887
6	हरियाणा	35893	2.23	1.768	1.171
7	झारखण्ड	19908	2.84	3.544	3.660
8	कर्नाटक	28774	5.57	4.417	4.856
9	केरल	32818	3.36	3.259	2.902
10	मध्य प्रदेश	16597	6.36	6.922	7.308
11	महाराष्ट्र	37235	10.21	6.913	5.442
12	उड़ीसा	18440	3.88	6.257	5.620
13	पंजाब	36376	2.57	2.113	1.415
14	राजस्थान	18909	5.95	5.864	6.108
15	तमिलनाडु	31603	6.58	5.943	5.777
16	उत्तर प्रदेश	13842	17.52	19.481	20.978
17	पश्चिम बंगाल	23145	8.45	8.814	7.685
			100.00	100.000	100.000
	विशेष श्रेणी राज्य				
1	अरुणाचल प्रदेश	23326	1.75	7.928	3.525
2	असम	18172	41.88	19.532	39.591
3	हिमाचल प्रदेश	36785	9.55	9.656	6.388
4	जम्मू एवं कश्मीर	22430	15.92	19.148	15.873
5	मणिपुर	22457	3.34	5.840	4.430
6	मेघालय	24978	3.66	4.849	4.540
7	मिजोरम	27663	1.43	5.590	2.925
8	नागालैण्ड	22021	3.18	5.908	3.219
9	सिक्किम	28332	0.80	3.771	2.778
10	त्रिपुरा	26693	5.10	8.243	5.238
11	उत्तरांचल	25276	13.38	9.535	11.492
			100.00	100.000	100.000

गणना कल्पित ऋण घटक को शामिल करके की गई ।

प्राप्त हो जाता है। एनआरईजीपी स्वलक्षित है क्योंकि यह आशा की जाती है कि केवल बेरोजगार व्यक्ति जिसका उस अवधि के लिए आय का कोई अन्य स्रोत नहीं है, मजदूरी रोजगार कार्यक्रम का

चुनाव करेगा। एनआरईजीपी उन कार्यक्रमों की योजना बनाने और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए राज्यों और जिलों को अवसर मुहैया कराता है, जो ग्रामीण रोजगार उपलब्ध कराते हैं, और ग्रामीण

परिसम्पत्तियों का सृजन करते हैं, जिनसे और आगे आर्थिक कार्यकलाप में सहायता मिलेगी। मांग पर निधि की उपलब्धता एनआरईजीए को अन्य स्कीमों से अलग करती है। स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना बीपीएल परिवारों की ओर लक्षित है और अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के लिए 50% लाभ के आरक्षण के साथ इसमें कमजोर वर्गों के लिए अन्तःनिर्मित रक्षोपाय हैं।

7.1.14 अधिकांश महत्वपूर्ण कार्यक्रम भी विशेष क्षेत्रक के सन्दर्भ में पिछड़ेपन का समाधान करते हैं। तालिका 7.7 में 2007-08 के लिए बजट अनुमानों में कुछेक प्रमुख कार्यक्रमों के अन्तर्गत निधियों के राज्य-वार आबंटन दिए गए हैं। तुलनात्मक रूप से पिछड़े राज्यों को दिए गए अत्यधिक हिस्से स्पष्ट रूप से यह दर्शाते हैं कि अवसंरचना के अभाव वाले क्षेत्रों को निधियाँ प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रमुख उपाय हैं।

7.1.15 इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत 75% महत्व आवास की कमी और 25% गरीबी अनुपात को दिया जाता है। जिला स्तरीय आबंटनों के लिए भी 75% महत्व आवास की कमी और 25% आबादी के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति घटक को दिया जाता है। वार्षिक योजना 2007-08 में बिहार को कुल निधि का 26% आबंटित किया गया है जबकि उत्तर प्रदेश को 12% प्राप्त होगा।

7.1.16 राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत 18 ध्यान केंद्रण वाले राज्यों जिनके कमजोर सार्वजनिक स्वास्थ्य सूचक हैं और अथवा कमजोर अवसंरचना है, की पहचान की गई है। ये 18 राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, जम्मू व कश्मीर, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, मध्यप्रदेश, नागालैण्ड, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश। 2007-08 में निधि का 30% तीन राज्यों अर्थात् उत्तर प्रदेश (16%) बिहार व असम (प्रत्येक को 7%) में प्रवाहित होगा।

7.1.17 सर्वशिक्षा अभियान आवास स्तरीय योजनाओं, जिन्हें अवसंरचना में अंतरालों के आधार पर तैयार किया जाता है, के आधार पर जिला योजनाओं, जिनके लिए मानदंड निर्धारित किए गए हैं, के प्रतिपादन के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा में पिछड़ेपन का समाधान करना है।

7.1.18 सर्वशिक्षा अभियान के मामले में, केवल उत्तर प्रदेश को कार्यक्रम के आबंटन का लगभग 17% प्राप्त होता है, जबकि बिहार को 11% आबंटित किया गया है। वस्तुतः सात राज्यों को कुल परिव्यय का 64% प्राप्त हुआ है।

7.1.19 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत राज्यों को किया जाने वाला आबंटन अन्य बातों के साथ-साथ आवश्यकता को 75% (देश के कुल असम्बद्ध परिवारों में असम्बद्ध परिवारों का हिस्सा) और कवरेज को 25% (देश में कुल असम्बद्ध परिवारों में सम्बद्ध परिवारों का हिस्सा) महत्व दिया गया है। मूल अन्तर राज्यीय आबंटनों को अक्षुण्ण रखते हुए उपकर प्राप्ति के कारण प्रत्येक राज्य में भारत निर्माण के अन्तर्गत जोड़ी जाने वाली सड़क की लम्बाई के लक्ष्य के आधार पर विभिन्न राज्यों को अतिरिक्त आबंटन दिए जाते हैं। 2007-08 में पीएमजीएसवाई के अन्तर्गत मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तरप्रदेश को आबंटन का एक तिहाई आबंटित किया गया है।

7.2 पूर्वोत्तर क्षेत्र

7.2.1 जो राज्य/क्षेत्र आयोजना के शुरुआती वर्षों में समग्र विकास के लिए अपनाई गई कार्यनीतियों के लाभ से वंचित थे, उनके लिए हाल की विकास आयोजना का मुख्य तत्व कतिपय विशिष्ट भू - भौतिक और ऐतिहासिक बाधाओं को कम करने के उद्देश्य से पूंजी निवेश के साथ राज्य सरकारों के प्रयासों को अनुपूरक सहायता प्रदान करना है।

7.2.2 पूर्वोत्तर क्षेत्र, जिस में आठ राज्य(असम, अरुणांचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम,

नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा) शामिल हैं का विकास दुष्कर भौगोलिक अवस्थिति, परिवहन बाधाओं, प्राकृतिक आपदाओं आदि जैसे कारकों के कारण प्रभावित हुआ है। हालांकि, इस क्षेत्र में मानव पूंजी और प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से विकास की बहुत संभावनाएं हैं किन्तु यहां भौतिक अवसंरचना का अभाव है जिसकी वजह से इसके विकास में बाधा आ रही है। अवसंरचना संबंधी बाधाओं को दूर करने, न्यूनतम बुनियादी सेवाओं का प्रावधान करने और सर्वोपरि निजी निवेश के लिए वातावरण सृजित करने के लिए अपनाई गई योजनाओं और कार्यनीतियों में इस क्षेत्र के आर्थिक विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यद्यपि पिछले कई वर्षों में पर्याप्त प्रगति हुई है, फिर भी कतिपय गम्भीर अन्तर अभी भी मौजूद हैं।

एनईआर के विकास के लिए विशेष पहलें

7.2.3 क्षेत्र की विशेष आवश्यकताओं और सरकारी निवेश के महत्वपूर्ण स्तरों को स्वीकार करते हुए

पूर्वोत्तर राज्यों को विशेष श्रेणी राज्यों का दर्जा दिया गया है और इन राज्यों को उनकी पंचवर्षीय योजनाओं एवं वार्षिक योजनाओं के लिए उदार शर्तों पर केन्द्रीय योजना सहायता मुहैया कराई जाती है। इसके अतिरिक्त क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता प्रदान करने के लिए कई व्यवस्थाएं और पहलें शुरु की गई हैं। केन्द्रीय मंत्रालयों/ विभागों के योजना बजट के कम से कम 10% को उद्दिष्ट करने की नीति पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। मंत्रालयों / विभागों द्वारा अनिवार्य 10% बजटीय आबंटन के खर्च न किए गए शेष में से गैर-व्यपगत केन्द्रीय संसाधन पूल(एनएलसीपीआर) का सृजन भारत सरकार की अन्य महत्वपूर्ण पहल है, अव्यपगत केन्द्रीय संसाधन पूल स्कीम का व्यापक उद्देश्य पूल से निधि उपलब्ध कराते हुए क्षेत्र में मौजूद अवसंरचनात्मक अंतरालो को पाटने के उपाय द्वारा अवसंरचना के तीव्र विकास को सुनिश्चित करना है।

(करोड़ रु.)

योजना स्कीमें	2002 - 07		2007 - 08		2008 - 09
	बजट	व्यय	बजट	व्यय	बजट
क. राज्य योजना स्कीमें					
एनएलसीपीआर	3129.17	3129.17	636.00*	636.00	650.00
एनईसी	2511.50	2494.52	600.00	577.87	624.00
बीटीसी को विशेष पैकेज	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
उप - जोड़(राज्य योजना)	5640.67	5623.69	1336.00	1313.87	1374.00
ख. केन्द्रीय योजना स्कीमें					
एनईडीएफआई	109.11	109.11	60.00	60.00	60.00
एडवोकेसी	20.00	16.74	6.50	6.34	6.50
क्षमता निर्माण	27.00	23.70	12.00	11.60	12.50
एसएमसी	4.01	4.01	--	--	--
पूर्वोत्तर राज्य सड़क परियोजना (एडीबी सहायता प्राप्त)	--	--	0.01	--	1.00
एनईआर जीविकोपार्जन परियोजना(वर्ल्ड बैंक सहायता प्राप्त)					1.00
पूर्वोत्तर में अन्तर्देशीय जलमार्गों का विकास			1.49	--	--
उप जोड़(केन्द्रीय स्कीम)	160.12	153.56	80.00	77.94	81.00
कुल	5800.79	5777.25	1416.00	1391.81	1455.00

* 600 करोड़ रुपए का बजट अनुमान था जिसे संशोधित अनुमान स्तर पर 636 करोड़ कर दिया गया था।

7.2.4 1972 में गठित पूर्वोत्तर परिषद क्षेत्रीय प्राथमिकताओं जैसे अन्तर-राज्यीय परिवहन, संचार, विद्युत, स्वास्थ्य/ चिकित्सक सहायक संस्थानों आदि की परियोजनाओं की शुरुआत करके पूर्वोत्तर क्षेत्र के संतुलित विकास को सुनिश्चित करने का एक क्षेत्रीय आयोजना निकाय है। सितम्बर, 2001 में गठित पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (डीओएनईआर) की भूमिका केन्द्रीय एजेंसियों और राज्य सरकारों, दोनों के प्रयासों का समन्वय करते हुए सहक्रिया का सृजन करना और कार्यक्रमों का अभिसरण सुनिश्चित करना है। डीओएनईआर एनएलसीपीआर से निधियां प्राप्त करके राज्यों को प्राथमिकता वाली परियोजनाएं शुरु करने के लिए निधि उपलब्ध कराती है। मंत्रालय का काम विकास प्रक्रिया को प्रेरित करने, उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना और परियोजनाओं के कार्यान्वयन में जबावदेही सुनिश्चित करने के साथ-साथ उत्पादक रोजगार के लिए अवसर बढ़ाने पर ध्यान केन्द्रित करने, अवसंरचना, विशेष रूप से संपर्क और संचार

को सुदृढ़ करना है। दसवीं योजना (2002-07) के दौरान स्कीम-वार आबंटन, और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय का वय और वार्षिक योजना 2007-08 तथा 2008-09 के आबंटन नीचे दिए गए हैं।

7.2.5 एनएलसीपीआर और एनईसी के अन्तर्गत कार्यक्रम डीओएनईआर द्वारा स्वीकृत किए जाते हैं और राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किए जाते हैं और इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत निधियों को राज्य योजनाओं हेतु केन्द्रीय सहायता के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। डीओएनईआर की केन्द्रीय स्कीमों में चार स्कीमों अर्थात् एडवोकेसी, क्षमता निर्माण, एनईडीएफआई और पूर्वोत्तर राज्य सड़क परियोजना और एनईआर जीविकोपार्जन परियोजना शामिल हैं। एक नई स्कीम अर्थात् पूर्वोत्तर में अन्तर्देशीय जलमार्गों का विकास का 2007 - 08 के दौरान प्रस्ताव किया गया था। यह स्कीम वर्ष 2007 - 08 में जहाजरानी विभाग से डीओएनईआर मंत्रालय को स्थानांतरित की गई थी जिसे अब वापिस उन्हें स्थानांतरित कर दिया गया है।

अध्याय 8

नव प्रवर्तन और प्रौद्योगिकी

8.1 वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी क्षमता एवं योग्यता सृजित करने के साथ-साथ विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवप्रवर्तन देश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति के लिए आवश्यक घटक हैं। इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए वैज्ञानिक विभागों /अभिकरणों द्वारा अनेक पहलें, कार्यक्रम/कार्यक्रम प्रस्तावित किए गए हैं। इस प्रयोजनार्थ योजना संसाधनों में कई गुना वृद्धि की गई है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रस्तावित इन नये प्रयासों को छः वैज्ञानिक विभागों/अभिकरणों अर्थात् परमाणु ऊर्जा विभाग (अनुसंधान एवं विकास क्षेत्र), अंतरिक्ष विभाग, जैव-प्रौद्योगिकी विभाग, भू-विज्ञान मंत्रालय, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान (सीएसआईआर सहित) विभाग तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वार्षिक योजना 2008-09 के दौरान कार्यान्वयन हेतु आगे बढ़ाया गया है। वर्ष 2007-08 के दौरान इन एसएण्डटी विभागों/एजेंसियों की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों और वर्ष 2008-09 हेतु प्रस्तावित कार्यक्रमों पर संक्षिप्त रूप से नीचे प्रकाश डाला गया है।

परमाणु ऊर्जा विभाग (अनुसंधान एवं विकास क्षेत्र)

वर्ष 2007-08 में उपलब्धियों की समीक्षा

8.2 अनुसंधान एवं विकास क्षेत्र के अंतर्गत वार्षिक योजना 2007-08 के दौरान परमाणु ऊर्जा विभाग की मुख्य उपलब्धियों के अंतर्गत : ट्रॉम्बे में थोरियम-प्लूटोनियम मॉक्स फ्यूअल का उपयोग करते हुए एडवांस्ड हेवी वाटर रिएक्टर के लिए महत्वपूर्ण सुविधा परीक्षण करना, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (बीएआरसी) में सुपरक्रिटिकल वाटर रिएक्टर (एससीडब्ल्यूआर) हेतु सुपर क्रिटिकल नेचुरल सर्कुलेशन लूप की डिजाइन, विकास और

प्रतिस्थापन; इच्छित अवधि तक सुपर हीटेड प्रतिस्थापन जेन्सिटी क्लोन साइकिल थर्मल सिस्टम का विकास; बीएआरसी में फ्लूईडाइज्ड बेड रिएक्टर आधारित डी-नाइट्रेशन प्लांट (10 लीटर/घंटा) का प्रदर्शन और स्थापना तथा भारी जल संयंत्र, तालचर में बोरोन और आक्सीजन आइसोटोपिक विश्लेषण हेतु टिवन आयन सोर्स मैग्नेटिक सेक्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर चालू करना शामिल है। इसके अलावा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से प्रथम इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा मास स्पेक्ट्रोमीटर बनाया गया था और यह व्यापारिक क्षेत्र में है। बीएआरसी में अनुपम-अजेय सुपर कम्प्यूटर सिस्टम ने 9 टेराफ्लॉप्स की सतत् स्पीड दी। परमाणु ऊर्जा विभाग का कम्प्यूटिंग ग्रिड डीएई संस्थानों के सभी संसाधनों तक पहुंच प्रदान कराता है और डीआईटी एवं यूरोपियन सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ संपर्क भी स्थापित किया है।

8.3 इस विभाग की अन्य मुख्य-मुख्य उपलब्धियों में उच्च ताप रिएक्टरों में प्रयोग हेतु थर्मो-इलेक्ट्रिक जेनरेटर्स (टीईजी) का विकास, फोल्डेड टैंडेम आयन ऐक्सीलरेटर एक्सपेरिमेंटल बीमलाइन्स, आर्टिक्यूलेटिड एंड एडवांस्ड सर्वो मैनीपुलेटर, एडवांस्ड माइक्रो-ऑरेसिस्टम, पाउडर एक्स-रे डिफरेक्टोमीटर, थर्मल पावर प्लांटो में बायलर ट्यूब्स के इनसुलेशन निरीक्षण के लिए प्रोटोटाइप मैग्नेटिक कॉलर रोबोट, न्यूक्लियर इंस्ट्रुमेंशन आदि के लिए ऐप्लिकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट और हाइब्रिड माइक्रो सर्किट शामिल थे। ये प्रौद्योगिकियां उद्योग को पहले ही स्थानांतरित की जा चुकी है। अनेक नई प्रौद्योगिकियों का भी विकास किया गया है, जिनके अंतर्गत शामिल है : इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र द्वारा विकसित यूरोनियम के दूर संवेदन के

लिए टाइम डोमेन इलेक्ट्रो-मैग्नेटिक (टीडीईएम) सर्वे सिस्टम; इंडस-1 और इंडस-2 बीमलाइन, राजा रमन्ना उन्नत प्रौद्योगिकी केन्द्र द्वारा कटिंग/वेल्डिंग आपरेशन के लिए पम्पड एनडी : वाईएजी लेजर, कम तापमान वाला 60 वाट का औसत पावर कार्बन वेपर लेजर और 40 एमईबी ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन बीम और बैंड हीलिंग की मानीटरिंग के लिए ~ 10 एमआरडी डाइवर्जेंस; साहा परमाणु भौतिकी संस्थान (एसआईएनपी) द्वारा सरफेस इंटरफेस स्टडीज के लिए इंडस-2 सिंक्रोट्रॉन पर मल्टी एलिमेंट चार्ज पार्टिकल डिटेक्टर अरे और ग्रेजिंग इंसिडेन्स बीमलाइन का निर्माण तथा टाटा फंडामेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा हार्ड एक्सरे ऐस्ट्रोनामी के लिए पेलोड और ओडॉ मिक्सचर के ब्रेन एनकोडिंग मॉडल्स आदि। विकिरण प्रौद्योगिकी एवं अनुप्रयोगों के तहत 150 टन विकिरण संसाधित आम संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्यात किया गया और तिलहन एवं दालों की 8 नई ट्राम्बे किस्में व्यापारिक खेती के लिए जारी की गई। टीएमसी ने कैंसर के मरीजों के इलाज के लिए भाभाट्रॉन II विकसित किया है जो आयातित भाभाट्रॉन II की तुलना में लगभग 50% सस्ता है। ऐसी एक मशीन वियतनाम को दान की गई है। पूर्वोत्तर के 7 अस्पतालों और 2 विदेशी अस्पतालों सहित 29 अस्पतालों को टेली-मेडिसीन नेटवर्क के माध्यम से टाटा मेमोरियल अस्पताल के साथ जोड़ा गया है। संयुक्त डीआई-सीआईआरएन कार्यक्रमों के तहत, सीआईआरएन मल्टी-टीईवीई-ई- कोलाइडर अवधारणा की जांच के लिए एक कम्पैक्ट लिनियर कोलाइडर बना रहा है और डीआई ने सीआईआरएन को आपूर्ति करने के लिए डाइपोल वैक्यूम चैम्बर्स और डाइपोल मैग्नेट्स डिजाइन किया है।

8.4 जल निर्लवणन के क्षेत्र में, 50,000 लीटर/दिन क्षमता वाला एक बार्ज माउंटेड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन रिवर्स ऑसमॉसिस डिसेलाइनेशन प्लांट स्थापित करके चालू किया गया है। भारतीय पर्यावरण विकरण मानिटरिंग नेटवर्क के तहत 94 विकरण मानिटरिंग केन्द्र स्थापित किए गए हैं

जिसमें से 76 केन्द्र जीएसएम आधारित डाटा कम्प्युनिकेशन सहित सौर ऊर्जा प्रणाली पर आधारित है।

वर्ष 2008-09 के लिए मुख्य कार्यक्रम

8.5 वार्षिक योजना (2008-09) के दौरान कुछ मुख्य कार्यक्रम शुरु किए जाने का प्रस्ताव है, इनमें शामिल है : यूरेनियम की खोज हेतु दूर संवेदन आधारित एक एडी करेन्ट टाइम डोमेन इलेक्ट्रो-मैग्नेटिक सर्वे सिस्टम का विन्यास और विकास, तारापुर में संकटकालीन सुविधा के लिए (टीएच-पीयू) मॉक्स फ्यूएल एलिमेन्ट्स हेतु फ़ैब्रिकेशन लाइन का हॉट ट्रायल्स और ट्राम्बे में भारी जल रिएक्टर के लिए संकटकालीन सुविधा का परीक्षण और प्रयोग। वर्ष 2008-09 के लिए ~ 50 टेराफ्लाप्स की गति वाला एक पैरलल प्रोसेसिंग सुपर कम्प्यूटर की स्थापना करने संबंधी कार्य, एन्यूनेट से डीआई ग्रिड की सुविधा मुहैया कराने और एन्यूनेट के उन्नयन की भी योजना बनाई गई है। पीवी-टीई उपकरण (प्रचालन ताप = 500 डि. से.) और सी-जी एलॉइ (ताप = 1000° डि.से.) आधारित उपकरण का प्रयोग करते हुए कम्पैक्ट हार्ड टेम्परेचर रिएक्टर में उपयोग के लिए थर्मो-इलेक्ट्रिक जेनरेटर्स (टीईजी) विकसित किया गया है जो ताप को विद्युत में परिवर्तित करता है। इसे चालू वर्ष के दौरान विकास के लिए शुरु किया जाएगा। वर्ष 2008-09 के दौरान एनर्जी डिसपर्सिव एक्स-रे डिफ्रैक्शन (ईडीएक्सआरडी), एक्सटेंडेड एक्स-रे एबजॉर्प्शन फाइन स्ट्रक्चर (ईएक्सएएफएस) और इंग्रा रेड (विज्ञान एवं औद्योगिक विकास) बीमलाइन्स शुरुआत और उपयोग और प्रोटीन क्रिस्टलोग्राफी बीमलाइन के घटकों का परीक्षण एवं संघटन पूरे कर लिए जाएंगे। इसके अलावा, पीएफबीआर मुख्य समुद्री जहाजों के इन-सर्विस निरीक्षण हेतु एमईएमएस आधारित अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर के 128X 128 एलिमेंट के 2-डी ऐरे चिप की डिजाइन बनाई जाएगी। इसके अलावा, वर्ष 2008-09 के दौरान एक्सपेरिमेंटल रॉडेन्ट कैंसर्स, कुत्तों और बिल्लियों

में स्पॉन्टैनियस कैंसर के डायोग्नोसिस एवं उपचार सुविधाओं, कैंसर बायोमार्किंग के वैधीकरण हेतु नैनो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का अध्ययन करने के लिए अत्याधुनिक एनिमल इमैजिंग सिस्टम से संबंधित कार्यकलाप शुरू किए जाएंगे।

8.6 जल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, इस योजना अवधि के दौरान, विविध प्रकार के झिल्लियों के विकास, कुछ छोटे आकार के संयंत्रों और सौर ऊर्जा से संचालित डिसेलाइनेशन प्लांट स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। अनुमोदित कृषि वस्तुओं की सात विभिन्न किस्मों के विकिरण विसंक्रमण से संबंधित कार्य पूरा किया जाएगा। वर्ष 2008-09 के दौरान विशाखापत्तनम में एक रेडियो आइसोटोप प्रसंस्करण सुविधा स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है तथा कलकत्ता में डीएई मेडिकल साइक्लोट्रॉन सुविधा के लिए मुख्य उपकरणों को चालू करने और भवन के निर्माण का कार्य पूरा किया जाएगा। इसके अलावा, वर्ष 2008-09 में रिडन्डेन्सी और मौसम विज्ञान संबंधी पैरामीटर्स के लिए तीन रैडिएशन डिटेक्टर युक्त 100 ईरमॉन प्रणालियां स्थापित की जाएगी।

8.7 भारत इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लीयर रिएक्टर प्रोग्राम में शामिल हो गया है और प्रोटोटाइप डिमॉन्सट्रेशन रिएक्टर डेमो जो कंट्रॉल थर्मोन्यूक्लीयर फ्यूजन की मैग्नेटिक कॉन्फाइनमेंट स्कीम पर आधारित है का निर्माण करने के लिए लगभग 500 मिलियन अमेरिकी डालर मूल्य के उपकरण योगदान देगा। परमाणु ईंधन एवं अन्य पदार्थों का विकास और परीक्षण संबंधी अनुसंधान पूरा करने के लिए बहुउद्देशीय रिसर्च रिएक्टर स्थापित करने का भी प्रस्ताव है। वर्ष 2008-09 के दौरान, मुख्य-मुख्य परियोजनाओं के अनुसंधान संपूरकों को जारी रखने के लिए कार्मिक विभाग के कार्मिकों को स्पर्धा के आधार पर निधियाँ प्रदान करने के लिए भावी अनुसंधान निधि (पर्सपेक्टिव रिसर्च फंड) स्थापित करने की एक नई पहल की जाएगी। विभाग के विस्तृत हो रहे कार्यक्रमों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वर्ष 2008-

09 के दौरान डीएई की वर्तमान यूनिटों में अवसंरचना को सुदृढ़ करने का भी प्रस्ताव है। विशाखापत्तनम में बीएआरसी के लिए कोलकत्ता स्थित राजारखाट में वैरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेन्टर (वीईसीसी) के लिए, गांधीनगर में प्लाजमा अनुसंधान संस्थान के लिए और मुम्बई में टाटा फंडामेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए नये परिसर स्थापित किए जा रहे हैं।

अंतरिक्ष विभाग

वर्ष 2007-08 की उपलब्धियों की समीक्षा

8.8 इस वर्ष की मुख्य-मुख्य उपलब्धियाँ है :- 23 अप्रैल, 2007 को इटैलियन सैटेलाइट एजाईल ऑनबोर्ड पीएसएलवी सी 8 के साथ को-पैसेन्जर के रूप में ऐडवांस्ड एवायोनिक्स मॉड्यूल छोड़ा जाना - कोर-एलोन कॉन्फिगरेशन में पीएसएलवी का प्रथम समर्पित कॉमर्सियल प्रक्षेपण; दिनांक 2 सितम्बर, 2007 को 12 उच्च क्षमता वाले कू बैंड ट्रांसपॉन्डर्स ऑनबोर्ड द्वितीय आपरेशन फ्लाइट ऑफ जीएसएलवी एफजीरोफोर ले जाने वाले इनसैट 4 सीआर सैटेलाइट का छोड़ा जाना और संचालित किया जाना; दिनांक 23 जनवरी, 2008; को वाणिज्यिक आधार पर टिईसीएसएआर सैटेलाइट ले जाने वाले पीएसएलवी सी 10 का प्रक्षेपण; कार्टोसैट-2ए और आईएमएस-1 का असैम्बलिंग, एकीकरण एवं परीक्षण; संभवतः अक्टूबर 2008 में ऑनबोर्ड पीएसएलवी छोड़ने के लिए चंद्रयान-1 उपग्रह की असैम्बलिंग, एकीकरण एवं जांच। स्वदेशी रूप से विकसित क्रायोजेनिक स्टेज पर एलएमएफ, महेन्द्रगिरी में 15 नवम्बर 2007 को पूर्ण अवधि हॉट टेस्ट 720 सेकेन्ड की पूर्ण उड़ान अवधि के लिए सफलतापूर्वक पूरा किया गया। इस प्रकार का यह परीक्षण इस देश में पहला है और लांचर तकनीक में अधिक आत्मनिर्भरता बढ़ाएगा। यह स्वदेशी रूप से विकसित क्रायोजेनिक स्टेज जीएसएलवी फ्लाइट्स में प्रयुक्त रूस से आपूरित वर्तमान क्रायोजेनिक स्टेज की जगह लेगा। वर्ष 2008-09 में स्वदेशी क्रायोजेनिक युक्त

जीएसएलवी फ्लाइट की योजना बनाई गई है। फ्लाइटों को आगे और जारी रखने के लिए जीसैट-9, चन्द्रयान-2 और पीएसएलवी/जीएसएलवी से संबंधित कार्यकलाप शुरू किए गए थे। चालू परियोजनाओं अर्थात् रिसैट, ओशनसैट-2, जीएसएलवी मार्क III, टीडब्ल्यूसैट, इनसैट-3व4 सैटलाइट्स एसआरआई 2, ऐस्ट्रोसैट और मेधा ट्रॉफिक्स के विन्यास एवं विकास कार्य को जारी रखा गया। अंतरिक्ष अनुप्रयोग के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है जिसके अंतर्गत एड्यूसैट उपयोग नेटवर्क का विस्तार, टेलीमेडिसिन नेटवर्क, ग्राम संसाधन केन्द्र की स्थापना करना और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन हेतु आईआरएस इमेजरिज का प्रयोग करना शामिल है। इनसैट सिस्टम से दूरसंचार, प्रसारण, ग्रामीण संचार, व्यापार संचार, टेली-मेडिसिन, टेली शिक्षा, मोबाइल संचार और आपदा प्रबंधन सहायता हेतु आपात संचार सहायता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अनुप्रयोग को सहायता मिली। 211 ट्रांसपॉंडर्स चालू कर दिए गए हैं। टेली-शिक्षा कार्यक्रम के तहत, देश में प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, वयस्क शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण और अनौपचारिक शिक्षा क्षेत्र को कवर करते हुए 33,103 से अधिक कक्षाएं चलाई गईं। 299 केन्द्रों में उपग्रह आधारित टेली-मेडिसिन सुविधा शुरू की गई। टेली-मेडिसिन मोबाइल वैनों जिनके अंतर्गत हम ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों की जांच करते समय विशेषज्ञ डाक्टरों से सलाह ले सकते हैं, ने बड़ी संख्या में ग्रामीण जनसंख्या को लाभान्वित किया है। गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से 378 स्थानों पर ग्राम संसाधन केन्द्र स्थापित किए गए हैं और ये परस्पर व्यावहारिक प्रकृति के होने के कारण दक्षता विकास सहित विभिन्न ग्रामीण आवश्यकताओं को पूरा करने में कारगर साबित हुए हैं। एकल विंडो प्रणाली के माध्यम से टेली-मेडिसिन, टेली-शिक्षा, आपदा प्रबंधन सहायता, मछुआरों को सलाह जैसी अंतरिक्ष समर्थित सेवाएं मुहैया कराकर अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लाभ को ग्रामीण जनसंख्या के दरवाजे तक पहुंचाने के लिए विभाग द्वारा ग्राम संसाधन केन्द्र की स्थापना रूप में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है।

एजाइल उपग्रह और भारतीय उन्नत एविओनिक्स मॉड्यूल (एएएम) के सफल प्रक्षेपण ने वैश्विक लॉच विहिकल मार्किट में पीएसएलवी की वाणिज्यिक संभावनाओं को बढ़ाने में योगदान किया। पीएसएलवी सी 8 में परीक्षित ऐडवांस एविओनिक्स मॉड्यूल भावी लॉच विहिकलस के लिए ऐडवांस एविओनिक्स सिस्टम का अग्रदूत बन गया है। चंद्रयान 1 मिशन के लिए अपेक्षित सभी वैज्ञानिक उपस्कर इसरो उपग्रह केन्द्र पहुँचा दिए गए हैं और अंतरिक्ष यानों के एकीकरण का कार्य पूरा होने ही वाला है। बेंगलूर के पास बामलैलू में चंद्रयान मिशन के लिए 18 एम और 32 एम व्यास का ऐंटिना युक्त दीप स्पेस नेटवर्क चालू किया गया। अन्य उपलब्धियां रडार इमेजिंग सैटलाइट हेतु सिंथेटिक ऐपरेचर रडार के विकास, सैटलाइट नैविगेशन गगन ग्राउंड सेगमेंट की स्थापना और परीक्षण तथा उन्नत जीएसएलवी मार्क III परियोजना के लिए उत्पादन एवं परीक्षण सुविधाओं की स्थापना से संबंधित हैं। भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईएसटी) की वर्ष 2007-08 स्थापना करके इसे इसी वर्ष शैक्षणिक से त्रिवेन्द्रम में उपलब्ध अवसंरचना से ही कार्य करना शुरू कर दिया। प्रथम वर्ष के दौरान अनुप्रयुक्त विज्ञान में समेकित एमएससी सहित तीन विशेष शाखाओं में लगभग 140 विद्यार्थियों को दाखिल किया गया।

वर्ष 2008-09 के मुख्य-मुख्य कार्यक्रम

8.9 चालू वर्ष 2008-09 के मुख्य-मुख्य मिशनों/कार्यक्रम संबंधी लक्ष्यों के अंतर्गत ऑनबोर्ड पीएसएलवी संसाधन सर्वेक्षण अनुप्रयोगों के लिए हाई रिजोल्यूशन कार्टोग्राफी सैटलाइट कार्टोसैट-2ए और भारतीय मिनी सैटलाइट (आईएमएस) का प्रक्षेपण और संचालन; पीएसएलवी की उन्नत प्रतिकृति पर भारत का प्रथम मानवरहित प्लानेटरी मिशन चंद्रयान- I का प्रक्षेपण ; स्वदेशी क्रायोजनिक को ले जाने वाले जीएसएलवी डी 3 की तीसरी विकसित फ्लाइट पर जीएसएटी-4 सैटलाइट का प्रक्षेपण; भारत के पीएसएलवी पर ओशनसैट -2 का प्रक्षेपण एवं संचालन; तथा इनसैट -3डी की

असेंबलिंग, एकीकरण और परीक्षण शामिल हैं। जीसैट-10 और उसके पश्चात् सैटलाइट्स, उन्नत संचार सैटलाइट्स, अर्द्ध क्रायोजिनिक इंजन, वायुमंडलीय अध्ययन हेतु छोटे सैटलाइट्स, आरआईएसएटी, रिसोर्ससैट-2, जीएसएलवी एमके III, इनसैट -3 व 4 सैटलाइट्स, आईआरएनएसएस, चंद्रयान-2, ऐस्ट्रोसैट एवं मेघा-ट्रॉपिक्स के विन्यास और विकास से संबंधित कार्य जारी रहेगा। विकासशील देशों द्वारा भी आईएमएस-I डाटा का उपयोग किया जाएगा। ओशनसैट-1 द्वारा अबतक उपलब्ध कराई गई सेवाओं को ओशनसैट -2 जारी रखेगा। यह सैटलाइट वायुमंडलीय अध्ययन के लिए भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा विकसित ओशन कलर मॉनिटर, कू बैंड स्कैटरोमीटर और रेडियो ओक्लेशन साउंडर अपने पास रखेगा। इसका प्रयोग संभावित मत्स्य क्षेत्रों की पहचान करने, समुद्र की दशा के बारे में पूर्वानुमान करने, तटीय क्षेत्रों के अध्ययन और मौसम पूर्वानुमान एवं जलवायु अध्ययन के लिए किया जाएगा। यह भी योजना बनाई गई है कि रडार इमेजिंग सैटलाइट के लिए सिंथेटिक ऐपर्चर रडार पेलोड विकास पूरा किया जाएगा और अंतरिक्ष यान एकीकरण कार्यकलाप शुरू किए जाएंगे। सभी मौसमों में, दिन एवं रात की परिकल्पना क्षमता, कृषि एवं आपदा प्रबंधन सहायता सहित अनेक अनुप्रयोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण पृथ्वी प्रेक्षण कार्यक्रम में रडार इमेजिंग सैटलाइट एक महत्वपूर्ण पहल होगी। वर्ष 2008-09 के दौरान इनसैट/जीसैट कार्यक्रम का मुख्य ध्यान जीसैट-4 सैटलाइट प्राप्त करने पर केन्द्रित होगा जिसमें उन्नत संचार प्रौद्योगिकी और ऑनबोर्ड जीएसएलवी प्रक्षेपण के लिए सैटलाइट नैविगेशन भी शामिल होगा। उन्नत मौसमविज्ञानी पेलोड्स अर्थात् 6 चैनल इमेजर और इनसैट -3डी हेतु 19 चैनल साउंडर के निर्माण और परीक्षण का कार्य पूरा किया जाएगा। वायुमंडलीय जलवाष्प एवं तापमान एवं क्लाउड वैपर विंड को प्राप्त करने के लिए यह सैटलाइट उन्नत मौसम विज्ञान संबंधी सैटलाइट होगा। इनसैट/जीसैट के लिए पेलोड एवं अंतरिक्षयान प्रणाली विकास संबंधी कार्य के बाद सैटलाइटों अर्थात् इनसैट -

4डी/जीसैट-5, इनसैट -4ई/जीसैट -6, जीसैट -8 और जीसैट -9 का कार्य शुरू किया जाएगा। उपग्रह संचालन के क्षेत्र में जो कार्यक्रम हैं उनमें शामिल हैं : आईआरएनएसएस (भारतीय रिजनल नैविगेशनल सैटलाइट सिस्टम) पेलोड का विन्यास, विकास, निर्माण और परीक्षण और 7 सैटलाइटों का श्रृंखला के प्रथम अंतरिक्षयान, आईआरएनएसएस - I की असेंबलिंग। वर्ष 2009-10 के लिए आईआरएनएसएस - I ऑनबोर्ड पीएसएलवी प्रक्षेपण का लक्ष्य रखा गया है। गगन के अंतिम आपरेशन फेज (फॉप) का कार्य भारतीय विमान प्राधिकरण के सहयोग से प्रारंभ किया जाएगा। प्रक्षेपण वाहन के क्षेत्र में वर्ष 2008-09 के लिए एक महत्वपूर्ण लक्ष्य परियोजना का निर्माण करना और ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम और सेमी क्रायोजिनिक इंजन विकास संबंधी विकासात्मक कार्यकलापों को शुरू करना है। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का मुख्य लक्ष्य पृथ्वी की निचली कक्षा में दो क्रू ले जाने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र रूप से मानव संचालित अंतरिक्ष वाहन विकसित करना होगा। सभी प्रक्षेपण वाहनों के लिए लागत प्रभावी और फ्यूएल इफिसिएन्ट यूनिफाइड लिक्विड स्टेज (फ्यूएल के रूप में ऐविएशन ग्रेड केरोसीन और ऑक्सीडाइजर के रूप में लिक्विड आक्सिजन) प्राप्त करने के लिए सेमी क्रायोजिनिक इंजन पर विचार किया जाएगा। वर्ष 2009-10 में जीएसएलवी मार्क III को प्रथम विकास उड़ान के रूप में हासिल करने के लिए निर्माण, उत्पादन और परीक्षण सुविधाएं शुरू की जाएगी। वैज्ञानिकों को चंद्रयान -1 से प्राप्त सूचना सामग्री का विश्लेषण करने के लिए समर्पित स्पेस साइंस डाटा सेन्टर स्थापित किया जाएगा। स्पेस ऐप्लिकेशन प्रोग्राम को एडयूसैट, टेलीमेडिसिन और वीआरसी नेटवर्क का विस्तार करके सुदृढ़ बनाया जाएगा। आपदा प्रबंधन सहायता के लिए गृह मंत्रालय के साथ राज्य/जिला आपात आपरेशन सेन्टरों को जोड़ने वाला वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन) का विस्तार किया जाएगा।

जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी)

वर्ष 2007-08 की उपलब्धियों की समीक्षा

8.10 जैव प्रौद्योगिकी विभाग जैव प्रौद्योगिकी आधारित उत्पाद, प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी तैयार करने के लिए अनेक स्कीमों/कार्यक्रमों को क्रियान्वित करता रहा है तथा इस क्षेत्र में मानव संसाधनों का विकास करता रहा है। मानव संसाधन सृजित करने के उद्देश्य से वर्ष 2007-08 के दौरान विभिन्न पीएचडी और छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। 12 उत्कृष्ट केन्द्रों के अलावा, व्यावहारिक अनुसंधान के साथ-साथ उन्नत विज्ञान में विभिन्न दीर्घकालिक अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम, उद्योग सहभागिता वाले कार्यक्रम और प्रौद्योगिकी विकास संबंधी परियोजनाओं को सहायता दी गई है। जीनों की पहचान करने और वर्गीकरण करने तथा जंगली सिल्क पतंगों की क्रमवद्धता के लिए सिल्क वर्म जेनेटिक्स और जेनोमिक्स संबंधी उत्कृष्ट केन्द्र स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने विभिन्न जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में लगभग 1200 चालू अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं की सहायता भी की है। वर्ष 2007-08 के दौरान इन परियोजनाओं से प्राप्त कुछ महत्वपूर्ण परिणामों के अंतर्गत शामिल है : - फाइलेरियल ऐंटीबॉडी स्पॉट/इम्यूनोब्लॉट जैसे सिस्टम, वी कंजुगेट टायफाइड टीका, पशुओं में क्लोस्ट्रीडम के लिए डीएनए आधारित टीका इंसुलिन जैसे कंपाउंड के लिए फेनुग्रीक सीडस के एक्सट्रेक्ट हेतु प्रोटोकॉल जैसी प्रौद्योगिकियों का स्थानांतरण। इस अवधि के दौरान अन्य महत्वपूर्ण विकासों में शामिल है :- मोलीक्यूलर प्रजनन के माध्यम से क्वालिटी प्रोटीन मेज हाइब्रिड, आयरन एवं जिंक तत्वों के लिए क्रॉप बायोफोर्टिफिकेशन और मार्कर सहायता प्राप्त प्रजनन-ट्रांसजेनिक दृष्टिकोण के माध्यम से गेहूँ, चावल और मक्का में कम फाइटेट्स। ट्रियोडर्मा विराइड और ट्रिकोग्रामा चिलोनिस और नई पीढ़ी हेतु बहुआयामी जैव प्रौद्योगिकी जैसे जैव कीटनाशकों/ जैव नियंत्रण कारकों को विकसित किया गया है। इसके अलावा,

बैंगन, बंदगोभी, अरंडी, फूलगोभी, कॉर्न, मूंगफली, आलू, चावल और टमाटर जैसी विभिन्न ट्रांसजेनिक फसलें विकास के विविध चरणों में हैं और खेतों में इनका परीक्षण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त विभिन्न संस्थानों और उद्योगों में अवसंरचना, सुविधाओं और सेवाओं को शेरर करने के लिए ट्रांसजेनिक फसलों के संबंध में व्यावहारिक अनुसंधान हेतु एक डीबीटी-आईसीआरआईएसएटी मंच स्थापित किया गया है।

8.11 जैवप्रौद्योगिकी विभाग ने सीएमसी वेलोर जो आटोलोगस स्टेम सेल्स की सुरक्षा और क्षमता का आकलन करने के लिए बहुकेन्द्रित क्लिनिकल अध्ययन मुहैया कराता है, के लिए स्टेम सेल अनुसंधान हेतु एक सीएमसी-डीबीटी केन्द्र स्थापित किया है। उतक अभियांत्रिकी, बायोमैटेरियल्स एवं पेराप्युटिक्स, बायोमेडिकल सेंसर, चिकित्सा उपकरणों, इम्प्लांट्स और बायोइंस्ट्रुमेंटेशन के रूप में जैव अभियांत्रिकी में 35 से अधिक परियोजनाओं को कार्यान्वित किया गया है। नैनो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ड्रग/बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स की आपूर्ति; जलीय पौधों से प्राप्त नैनो-फाइबर्स; जल शुद्धिकरण हेतु नैनो फिल्टर के क्षेत्र में 30 सुपरिभाषित केन्द्रित अनुसंधान एवं विकास को सहायता प्रदान की गई है। विशाल चुनौतीपूर्ण कार्यक्रम के तहत योजना विन्यास द्वारा टीका विकास एवं प्रजनन फसल जैसे अनेक कार्यक्रम बनाए गए हैं।

8.12 डीबीटी के तहत सात स्वायत्तशासी संस्थाएं अपने-अपने शासनादेश के अनुसार अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम शुरु कर रही हैं। वर्तमान आरएंडडी कार्यक्रमों को सहायता देने के लिए और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण एवं विकास में तेजी लाने के लिए नवीन एवं व्यावहारिक केन्द्रों की स्थापना हेतु इन संस्थाओं को क्रमिक रूप से नया प्रतिरूप प्रदान किया गया है। ग्यारहवीं योजना के दौरान नियोजित 11 नई संस्थाओं में राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र तिरुअन्नंतपुरम को डीबीटी द्वारा केरल राज्य सरकार से ले लिया गया है तथा वर्ष 2007-08 के दौरान फरीदाबाद में स्वास्थ्य

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में व्यावहारिक अनुसंधान केन्द्र के लिए मंजूरी प्रदान की गई है। इसके अलावा, तीन और संस्थानों अर्थात् : प्रौद्योगिकी शिक्षा, प्रशिक्षण एवं नवीकरण यूनेस्को क्षेत्रीय जैव-प्रौद्योगिकी केन्द्र, फरीदाबाद; कृषि खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान, मोहाली और स्टेम सेल बायोलोजी एवं रिजेनरेटिव मेडिसिन्स संस्थान, बेंगलूर के लिए ईएफसी/मंत्रिमंडल प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। लघु व्यापार उद्योग अनुसंधान पहल (एसबीआईआरआई) के तहत 398 प्रस्तावों पर विचार किया गया जिसमें से 62 की सिफारिश की गई है और वर्ष 2007-08 के दौरान 37 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए उन्नत एवं नई प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए उद्योग सहभागिता के साथ जैव प्रौद्योगिकी उद्योग सहभागिता कार्यक्रम (वीआईपीपी) शुरू किया गया है ताकि प्रमुख अपूरित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी आशकताओं को पूरा किया जा सके।

वर्ष 2008-09 के लिए मुख्य-मुख्य कार्यक्रम

8.13 वर्ष 2008-09 के दौरान, औषधि, कृषि, पर्यावरण, पशु एवं जैवप्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 6 और उत्कृष्ट केन्द्र, नये पीजी पाठ्यक्रम और 5 स्टार कालेज तथा 12 आरएंडडी कार्यक्रमों को सहायता दी जाएगी। कृषि और चिकित्सा जैव प्रौद्योगिकी में जैव प्रौद्योगिकी एवं तकनीक स्थानान्तरण के लिए तकनीक प्रबंधन प्रणाली भी स्थापित की जाएगी। इसके अलावा वर्ष 2008-09 के दौरान वायरस अनुसंधान की विभिन्न सुविधाएं, कैंडिडेट वैकसीन और बायोथेराप्यूटिक्स एवं डीएनए क्रमबद्धता स्थापित की जाएगी। विश्वविद्यालयों को पशु चिकित्सा एवं कृषि विज्ञान सहित वर्तमान जीवन विज्ञान विभागों को नया प्रतिरूप प्रदान करने और उनके उन्नयन के लिए निधियां प्रदान की जाएगी। योजना अवधि के दौरान कम्प्यूटेशनल बायोलॉजी, जेनोमिक और प्रोटियोमिक्स संबंधी अनेक नये आरएंडडी परियोजनाओं को सहायता प्रदान करने के अलावा, टीबी एवं राइस बायो-इनफॉरमेटिक्स परियोजनाओं के क्रियान्वयन, बायो-आईटी पार्क्स

की स्थापना के लिए सहायता, राष्ट्रीय कम्प्यूटेशनल बायोलॉजी केन्द्र की स्थापना, राइस एवं यक्ष्मा संबंधी सूचना डाटा आधार के विकास, जैव सूचना विज्ञान में पीएचडी हेतु विशेष फेलोशिप स्कीम से संबंधित कार्यकलाप शुरू किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, पीएचडी एवं पॉस्ट डॉक्टरल आरएण्डडी कार्यक्रमों में व्यापक विस्तार अभियान हेतु आरएण्डडी लीडरशिप में वृद्धि करने के लिए नए आरएण्डडी आधारित वेलकम ट्रस्ट-डीबीटी फेलोशिप कार्यक्रम की भी योजना बनाई गई है।

8.14 जैव-प्रौद्योगिकी विभाग विशेष रूप से कृषि, स्वास्थ्य सुरक्षा और औद्योगिक जैवप्रौद्योगिकी आदि में अनुप्रयोग के उभरते क्षेत्रों में ध्यान केन्द्रित करते हुए 600 नई परियोजनाएं भी शुरू करेगा। वार्षिक योजना (2008-09) के दौरान यक्ष्मा एवं उत्पादित औषधियों के संबंध में दो और कार्यक्रम शुरू करने पर भी विचार किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कार्यक्रम के तहत चालू कार्यक्रमों के अलावा, जनसाधन विकास, कृषि एवं खाद्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुरक्षा, अणु जीवविज्ञान, जैव सूचना विज्ञान और कम्प्यूटेशनल जीव विज्ञान आदि के क्षेत्र में फिनलैंड, स्वीडन और यूएसए के सहयोग से नये कार्यक्रम विकसित करने के प्रयास किए जाएंगे। स्वायत्तशासी संस्थाओं को बाहरी निधीकरण के माध्यम से विश्वविद्यालयों एवं सहयोगी संस्थाओं में अनुसंधान संसाधन इकाइयों की स्थापना के लिए और इस क्षेत्र में शैक्षिक उत्कृष्टता निर्मित करने हेतु नए सौंपे गए उत्तरदायित्यों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त सहायता मुहैया कराई जाएगी।

8.15 ग्यारहवीं योजना के दौरान प्रस्तावित नयी संस्थाओं की स्थापना के संबंध में, स्टेम सेल अनुसंधान एवं रिजेनरेटिव मेडिसिन संस्थान, बेंगलूर, मोहाली में यूनेस्को जैव प्रौद्योगिकी शिक्षा, प्रशिक्षण एवं नवीकरण क्षेत्रीय केन्द्र और राष्ट्रीय कृषि खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान एवं कृषि खाद्य क्लस्टर की स्थापना के लिए तथा राजीव गांधी प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्द्रम, पशु प्रौद्योगिकी संस्थान और मेडिकल जेनेटिक्स एवं मोलिक्यूलर मेडिसिन

संस्थान, पश्चिम बंगाल, सिल्क एवं बायोमैटिरियल्स संस्थान एवं समुद्री प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग के प्रबंधन को नियंत्रित करने के लिए एसएफसी/ईएफसी/मंत्रिमंडल नोट जैसी अनुमोदन प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी।

8.16 वर्ष 2008-09 के दौरान एसबीआईआरआई का दृष्टिकोण नई एवं भावी प्रौद्योगिकी में भारतीय उद्योग की वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए उद्योगों की साझेदारी में अनुसंधान संस्थानों और विश्वविद्यालयों की स्थापना की ओर होगा। जैव प्रौद्योगिकी उद्योग साझेदारी कार्यक्रम (बीआईपीपी) स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा और पर्यावरण अनुकूल विनिर्माण में मुख्य तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करेगी। इसके अतिरिक्त, लघु एवं मध्यम उद्यमों की नवीकरण क्षमता को प्रेरित करने, बढ़ाने के लिए जैवप्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (बीआईआरसी) भी स्थापित की जा रही है। वर्ष 2008-09 के दौरान राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी नियामक प्राधिकरण बनाने की भी योजना है जिसके लिए प्रस्तावित संगठनात्मक ढांचे को अंतिम रूप दे दिया गया है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

वर्ष 2007-08 में उपलब्धियों की समीक्षा

8.17 वर्ष 2007-08 के दौरान आर एंड डी सहायता कार्यक्रम के तहत, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान परिषद (एसईआरसी) ने विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के नए उभरते एवं अग्रणी क्षेत्रों में लगभग 900 चालू परियोजनाओं को सहायता दी। देश के आर एंड डी आधार का विस्तार करने और निधि प्रदान करने की कार्यक्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से मॅटरशिप स्कीम लागू की गई है। उत्तर-पूर्व क्षेत्र में विज्ञान के लिए विशेष पैकिज भी विकसित किया गया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अवसंरचना बनाने और उसे सुदृढ़ करने के लिए 58 स्नातक पूर्व कालेजों को प्रति कालेज प्रतिवर्ष 50 लाख रुपये की निधियां मुहैया कराई जाएंगी। विश्वसनीय डाटा आधार सृजित करने के उद्देश्य से

राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रबंधन सूचना प्रणाली, (एनएसटीएमआईएस) आरएंडडी आंकड़ों को प्रकाशित करने के अलावा उद्योग में अनुसंधान, आर एंड डी परियोजनाओं और आर एंड डी निर्देशिका के लिए जन सहयोग के स्तर पर सूचना संगृहित करती रही है। यंत्र विकास कार्यक्रम के तहत उद्योगों के सहयोग से औद्योगिक उपकरण और संवेदी यंत्र विकसित किए गए हैं और इन्हें अनेक कंपनियों और शैक्षिक संस्थाओं/आर एंड डी प्रयोगशालाओं में हस्तांतरित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत दिल्ली में भारत जर्मन विज्ञान केन्द्र की स्थापना; तिरुअन्नंतपुरम में भारत-रूस प्रौद्योगिकी केन्द्र; केईके जापान में भारती ई-बीमलाइन शुरू करना और अंतर्राष्ट्रीय एंटोप्रोटोन आयन रिसर्च सुविधा में भागीदारी वर्ष 2007-08 की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के एक भाग के रूप में 4 ग्रामीण और 16 महिला प्रौद्योगिकी पार्क्स की स्थापना करने के लिए 12 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आधारित स्वयंसेवी समूहों को केन्द्रीय सहायता मुहैया कराई गई थी। इसके अलावा, औषधीय पादपों एवं रेशम उत्पादन, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लाभ के लिए चारा खेती के क्षेत्र में समन्वित कार्यक्रम शुरू किए गए। राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के तहत, कुपोला फर्निश, प्लाजमा पाइरोलिसिस प्लांट में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए लागत प्रभावी प्रौद्योगिकी संबंधी परियोजनाओं और प्लास्टिक बैगों एवं अस्पतालों के अपशिष्टों (15 किलो/घंटा) के निपटान को सहायता प्रदान की गई। सर्वे ऑफ इंडिया ने राष्ट्रव्यापी स्तर पर 1: 50,000 के पैमाने का मानचित्र पूरा किया है और रक्षा मंत्रालय द्वारा ओपन सिरीज मैप के रूप में लगभग 3000 मानचित्रों को मंजूरी प्रदान की गई है।

8.18 15 स्वात्तशासी संस्थाओं और 5 व्यावसायिक निकायों को बुनियादी विज्ञान से उन्नत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की ओर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विविध क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास

कार्यकलाप शुरू करने के लिए भी सहायता मुहैया कराई गई। वर्ष 2007-08 के दौरान इन संस्थाओं की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं : नैनीताल में 3.6 मीटर देवीस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप की स्थापना, मून मिशन हेतु अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप का योजना विन्यास एवं विकास, और श्री चित्रा हार्ट वाल्व के लिए नये प्रतिरूप (माडल) का विकास। आगरकर अनुसंधान संस्थान (एआरआई) ने भूजल से आर्सेनिक दूर करने के लिए तकनीक और जले, घाव, संक्रमण, डायबेटिक फीट, बेड सोर के इलाज के लिए नैने-क्रिस्टलाइन सिल्वर जेल विकसित किया है। वर्ष 2007-08 के दौरान स्वायत्त संस्थाओं ने 2.60 के औसत प्रभाव कारक के साथ 49 प्रौद्योगिकियों का स्थानान्तरण किया है, 90 पीएचडी प्रस्तुत की हैं और 1250 दस्तावेजों को प्रकाशित किया है। द ड्रग्स ऐंड फार्मास्यूटीकल रिसर्च प्रोग्राम इस क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास कार्य शुरू करने के लिए निजी-सार्वजनिक भागीदारी (पीपीपी) स्थापित करने में समर्थ रहा है। चालू वर्ष के दौरान सीसीएमबी में बीएसएल-4 सुविधा के साथ-साथ 9 सहयोगी अनुसंधान परियोजनाओं और 3 राष्ट्रीय सुविधाओं को सहायता प्रदान की गई। वर्ष 2007-08 के दौरान नैनों विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मिशन के अंतर्गत बंगलौर, कोलकाता और मोहाली में तीन नए नैनों साइंस ऐंड टेक्नोलॉजी सेंटर स्थापित किए गए हैं।

वार्षिक योजना (2008-09) के लिए मुख्य कार्यक्रम

8.19 वार्षिक योजना 2008-09 के दौरान, एसईआरसी लगभग 600 नयी आरएंडडी परियोजनाओं और 50 एसईआरसी विद्यालयों/कार्यशालाओं को सहायता प्रदान की जाएगी। 200 वैज्ञानिकों और विज्ञान विद्यार्थियों को भी एसईआरसी फेलोशिप (छात्रवृत्ति) से सहायता दी जाएगी। इसके अलावा, 10 से अधिक इम्पैक्ट फैक्टर प्रकाशन वाले परियोजना अन्वेषकों को प्रति पेपर 1.50 लाख अनुसंधान अनुदान प्रदान किया जाएगा। विश्वविद्यालयों में अनेक नये विभागों को उनकी एसएंडटी अवसंरचना सुदृढ़ करने के लिए

फिस्ट (एफआईएसटी) कार्यक्रम के तहत लाया जाएगा। एनएसटीएमआईएस कार्यकलापों का लक्ष्य 50 वर्षों के दौरान मलेशिया में अनुसंधान पत्र के संबंध में ग्लोबल डाटाबेस बनाना और इसका विश्लेषण करना तथा भारतीय उद्योग एवं शिक्षण संस्थाओं में नैनो टेक्नोलॉजी के स्तर का अध्ययन करना है। प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम के तहत, जैव-ईंधन उपयोग के लिए उचित स्वदेशी तकनीक संबंधी परियोजनाओं, पर्यावरण संरक्षण, जल प्रदूषण और अपशिष्ट प्रबंधन संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी के विकास को सहायता प्रदान की जाएगी। ग्रामीण जनसंख्या की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए निजी-सार्वजनिक भागीदारी को शामिल कर ग्राम संसाधन केन्द्रों की स्थापना की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कार्यक्रम के तहत, 50 संयुक्त अनुसंधान एवं विकास कार्यशालाओं/गोष्ठियों के आयोजन के अलावा कृषि अनुसंधान, जैव प्रौद्योगिकी, ऊर्जा एवं पर्यावरण, माइक्रो-इलेक्ट्रॉनिक्स, एमईएमएस और नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में लगभग 500 चालू परियोजनाओं और 200 नई संयुक्त परियोजनाओं को सहायता प्रदान की जाएगी। भारत जर्मन केन्द्र और इंडो आइसलैंड सेंटर के साथ-साथ तीन नये संयुक्त केन्द्रों को सहायता प्रदान की जाएगी। भारत ने फेयर प्रोजेक्ट में भाग लेने की अपनी इच्छा की पुष्टि कर दी है और डीएसटी परियोजना लागत की 3% राशि अंशदान करता रहेगा।

8.20 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद को सहायता जारी रखी जाएगी और राज्यों के समग्र सामाजिक आर्थिक विकास के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप के क्षेत्र की पहचान करने के लिए राज्यों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभागों के साथ केन्द्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एजेंसियों के संपर्क को सुदृढ़ करने का प्रयास किया जाएगा। वर्ष 2008-09 के दौरान, सर्वे ऑफ इंडिया/नैटमो ने सुनामी चेतावनी प्रणाली हेतु वास्तविक समय सूचना प्रेषण के लिए 10 अतिरिक्त स्थानों पर टाइड गॉज, जीपीएस/वीसैट स्थापित करने और स्मारकों के साथ 2200 उच्च कोटि के भौगोलिक नियंत्रण

प्वाइंट के प्रावधान को पूरा करने का प्रस्ताव रखा है। ड्रग्स एवं फार्मास्यूटिकल्स रिसर्च प्रोग्राम के तहत; अनेक सहयोगी आरएंडडी परियोजनाएं और मेकैनिज्म आधारित ऐंटी डायबेटिक फार्म्यूलेशन, और हर्बल मेडिसिनल फार्म्यूलेशन शुरू किए जाएंगे। इंडियन फार्मा इंडस्ट्री द्वारा विकसित कुछ मोल्युकल्स, जो औषधीय परीक्षण स्तर तक पहुंच चुके हैं, को चरण I, II और III क्लीनिकल परीक्षणों के आईपीआर शुरू करने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मिशन के तहत, नैनो-टेक्नॉलॉजी की स्थापना के अलावा, वर्ष 2008-09 के दौरान कई विश्वविद्यालयों में नैनो साइंस एंड टेक्नॉलॉजी में एमएससी/एमटेक कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। बहुत सारे संयुक्त उद्योग - शैक्षिक /राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं; नैनोटेक्नॉलॉजी विजेनेस इन क्यूरेंट्स और नैनो अनुप्रयोग और प्रौद्योगिकी विकास केन्द्र भी शुरू किए जाएंगे।

8.21 अनेक नई स्कीमें जिन्हें ग्यारहवीं योजना के प्रारंभ में खोले जाने का प्रस्ताव था अर्थात् सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के उपरांत उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति, इंस्पायर्ड रिसर्च के नवीकरण और विज्ञान खोज (आईएनएसपीआईआरई), जल प्रौद्योगिकी पहल, सुरक्षा प्रौद्योगिकी, इनोवेशन क्लस्टर्स और मेगा साइंस प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे। विज्ञान एवं अभियांत्रिकी में मूलभूत अनुसंधान परियोजनाओं को निधियां प्रदान करने और अनुसंधान सुविधाओं और उत्कृष्ट केन्द्रों के सृजन के लिए प्रस्तावित विज्ञान एवं अभियांत्रिकी अनुसंधान बोर्ड (एसईआरबी) की भी स्थापना की जाएगी। अबतक ये कार्य वर्तमान 'विज्ञान एवं अभियांत्रिकी अनुसंधान परिषद' (एसईआरसी) कार्यक्रम के तहत किए जा रहे थे। जल प्रौद्योगिकी पहल के तहत, फिल्टर्स, पेयजल उपचार एवं भण्डारण पॉट्स, वर्षा जल संचयन तकनीक एवं जल परीक्षण किट्स जैसे कार्यकलाप शुरू किए जाएंगे। सुरक्षा प्रौद्योगिकी पहल के तहत सभी संबंधित संगठनों एवं शेयर धारकों के संयुक्त पहल के रूप में एक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।

वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसन्धान विभाग(डीएसआईआर)/वैज्ञानिक अनुसन्धान परिषद(सीएसआईआर)

वर्ष 2007-08 की उपलब्धियों की समीक्षा

8.22 डीएसआईआर प्रौद्योगिकी संवर्धन,विकास और उपयोग(टीपीडीयू) कार्यक्रम,दो सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों अर्थात् राष्ट्रीय अनुसन्धान एवं विकास निगम (एनआरडीसी) और सैन्ट्रल इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड (सीईएल); तथा दो स्वायत्त संगठनों अर्थात् वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसन्धान परिषद (सीएसआईआर) और परामर्शी विकास केन्द्र (सीडीसी) के माध्यम से औद्योगिक अनुसन्धान,प्रौद्योगिकी के विकास को प्रोत्साहित करने, स्थानांतरण और इसके उपयोग में लगा था। प्रौद्योगिकी के स्थानांतरण के लिए एशियन व पैसिफिक सैन्टर के मेजबान सुविधाएं मुहैया कराई गई थी । टीपीडीयू कार्यक्रम के अन्तर्गत इस कार्यक्रम को पूरे देश में लोकप्रिय बनाने के लिए दस टीईपीपी आउटरीच केन्द्र स्थापित किए गए थे। अन्य मुख्य उपलब्धियाँ दृष्टिक रूप से असमर्थ व्यक्तियों को देखने तथा किसी पाठ्य संदेश को पढ़ने और लिखित चित्रों को लेने में समर्थ बनाने,ईंधन के रूप में उपयोग के लिए प्रतिदिन 5 टन उत्पादन क्षमता सहित बबूल के पेड़ों और कांटेदार झाड़ियों की बेकार लकड़ी का बुरादा बनाने के लिए ट्रैक्टर चालित चल मशीन से संबंधित थीं । सीईएल ने 200 एमएम x 200 एमएम आकार के सिलिकोन वेफर्स को संसाधित करने के लिए एसपीवी क्षमता को 2 एमडब्ल्यू से 10 एमडब्ल्यू तक बढ़ाया और 250 डब्ल्यू पी तक बड़े आकार के एसपीवी मोड्यूल के विनिर्माण की सुविधा स्थापित/शुरू की । कन्धार सहित अफगानिस्तान के 101 गावों के विद्युतीकरण की परियोजना पूरी कर ली गई है । एनआरडीसी द्वारा लाइसेन्स प्राप्त प्रौद्योगिकियों में हाइड्रोजैल लार्वीसाइड फार्म्यूलेशन,ऑयल एडजुवेनेटिड फुट एण्ड माउथ डिस्सीज(एफएमडी) वैक्सीन व विजेठा,रेशम कीट पालन रोगाणुनाशक, शामिल थी ।

8.23 सीएसआईआर एक बहुविषयक, बहु अवस्थितिक सैट-अप है जिसमें 37 राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं और 39 आउटरीच केन्द्र हैं जो वर्षों में निष्पादन संचालित और ज्ञान केन्द्रिक संगठन के रूप में विकसित हुआ है। आर एण्ड डी परियोजनाएं अन्तर व अन्तरा प्रयोगशाला नेटवर्क, अन्तर एजेन्सी और सुविधा सृजन मोड में कार्यान्वित की गई थीं। प्रथम सरस प्रोटोटाइप एयरक्राफ्ट ने अब तक 106 परीक्षण उड़ाने पूरी कर ली हैं और निष्पादन डाटा प्राप्त करके मूल्यांकन कर लिया गया है। दूसरा सरस प्रोटोटाइप एयरक्राफ्ट पूरी तरह से संघटित था और उसने कम गति और तेज गति टैक्सी परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं और 11 परीक्षण उड़ाने पूरी कर ली गई हैं। उर्जाचालित कम्प्यूनिटी स्केल आरओ अलवणीकरण यूनिट विकसित की गई थी और राजस्थान के साम्भर लेक क्षेत्र में स्थापित की गई थी जो अधिक फ्लूराइड वाले खारे पानी से 700 लीटर प्रति घण्टा पेयजल का उत्पादन कर रही है। अन्य मुख्य उपलब्धियां मेथेन के गैर-उपचायक सक्रियण (नान आक्सीडेटिव एक्टीवेशन ऑफ मेथेन) के माध्यम से मेथेन को गौसोलाइन में परिवर्तित करने के लिए एक प्रक्रिया के विकास और मेथेनॉल के साथ इसका समकालिक गेसोलाइन-रेंज हाइड्रोकार्बन्स में परिवर्तन, समय परिवर्तन के साथ पुनर्भरण और/अथवा कितने भी पुनर्भरण बेसिनों पंपिंग कुओं से निकास तथा विभिन्न आयामों के स्थलों से प्रेरित अबाधित जलभर में भौम जल स्तर भिन्नता की भविष्यवाणी करने के लिए एक गणितीय माडल, 1.2 एमएम से 2.0 एमएम व्यास के डायोड के निर्माण के लिए डायोड प्रौद्योगिकी, लुगदी व कागज उद्योग के लिए इमेज प्रोसेसिंग तकनीक का प्रयोग करके कागज धूल कण विषलेषक, दोलन मानीटरिंग प्रणाली जो रेल व्हीकलों (रेलकोच, वैगन और लोकोमोटिव्स आदि) और रेलवे ट्रैक के क्षैतिज और उर्ध्वाधार त्वरण को मानीटर करने, उसका पता लगाने और रिकार्ड करने के लिए भी उन्नत सुवाह्य उपकरण है, प्रोस्टेट कैंसर के उपचार और निदान के लिए हर्बल उत्पाद और उसका सत् और समिश्रण, प्राकृतिक आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में कम

लागत के घर, लगभग शून्य अपशिष्ट जल उत्सर्जन चमड़ा प्रसंस्करण, बायोइन्फोमेटिक अर्थात् बायो-स्यूट, जीनो क्लस्टर के क्षेत्र में साफ्टवेयर, उष्णकटिबन्धी क्षेत्रों में मानसून की भविष्यवाणी के साफ्टवेयर के विकास से संबंधित थी। 1126 विदेशी पेटेन्ट और 1161 भारतीय पेटेन्ट प्राप्त करने के अतिरिक्त 3000 भारतीय और 2200 विदेशी पेटेन्ट आवेदन प्रक्रियाधीन हैं। विदेश में 655 पेटेन्ट और भारत में 169 पेटेन्ट फाइल किए गए थे। राष्ट्रीय विज्ञान व प्रौद्योगिकी मानव संसाधन विकास स्कीम के तहत 5946 एनईटी अर्हता प्राप्त फैलोज, 2228 वरिष्ठ अनुसन्धान फैलोज, 484 अनुसन्धान एसोसिएटज़, 375 वरिष्ठ अनुसन्धान एसोसिएटज़, 35 श्यामा प्रसाद मुखर्जी फैलोज को सहायता दी गई थी। 59 मेधावी वैज्ञानिकों को मुख्य रूप से भारत में किए गए उनके उत्कृष्ट अनुसन्धान योगदान के लिए प्रतिष्ठित शान्ति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और 25 सीएसआईआर वैज्ञानिकों को युवा वैज्ञानिक पुरस्कार दिया गया था।

वर्ष 2008-09 के लिए प्रमुख कार्यक्रम

8.24 टीपीडीयू कार्यकलापों में शामिल होंगे: टीडीडीपी कार्यक्रम के तहत फास्ट पहल और लैब टू फील्ड डेमो परियोजनाओं के अन्तर्गत स्टार्ट-अप फर्मज़ द्वारा वेस्ट टू वैल्यू प्रोजेक्टज़ की शुरुआत करना; माइक्रो उद्यमों हेतु आईटीआईज़/पोलीटैक्नीज़/एसएमई क्लस्टर में परामर्शी क्लिनिक स्थापित करना; एसएमईज़ के परा-राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देना; महिला स्व सहायता दलों की दक्षता उन्नयन को सहायता प्रदान करना; विभिन्न संस्थानों में प्रौद्योगिकी प्रबंधन राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र और प्रौद्योगिकी-लिक सैल स्थापित करना और नवीन सूचना डिलीवरी प्रणाली की स्थापना करना। सीईएल बड़ी मात्रा में उत्पादन के लिए और दूसरी पीढ़ी के संकेतन व सुरक्षा उपकरण के परिनियोजन के लिए अवसंरचना का उन्नयन करेगा; वाणिज्यिक उत्पादन के लिए और व्हाइट लेड टेक्नोलोजी का प्रयोग करते हुए नए

एसपीवी अनुप्रयोगों के लिए पतली फिल्म वाले सोलर सैलों के लिए नई एसपीवी प्रौद्योगिकी का विकास। एनआरडीसी इक्विटी के तरीके से निधियन की पहल करेगा। उद्योगों को प्रौद्योगिकी अन्तरण करने के लिए बेसिक इंजीनियरिंग डिजाइन पैकेज विकसित किए जाएंगे। ग्रामीण प्रौद्योगिकी-सह-प्रशिक्षण केन्द्रों के सुदृढ़ किया जाएगा और प्रौद्योगिकी विकास परियोजनाओं अर्थात् एण्टी-एक्जीमेटस फार्म्यूलेशन व बायो-एस्से एफीकेसी टेस्ट फॉर प्लान्ट बेस्ड लर्विसाइड को सहायता दी जाएगी।

8.25 सीएसआईआर विज्ञान, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता, स्थानीय संगतता, नवीनीकरण में उत्कृष्टता के संगठनात्मक मूल्यों और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान और विकास, जो आर्थिक, पर्यावरणात्मक और सामाजिक लाभ को अधिकतम कर देता है, को मुहैया कराने के इसके मिशन को पोषित करना जारी रखेगा। नेटवर्क और पीपीपी पद्धतियों के बीच मजबूत निदर्शनात्मक लिंक होगा। सुपरा संस्थात्मक पद्धति से विकास के लिए व्यवहार्य, परिभाषित और वैज्ञानिक रूप से चुनौतीपूर्ण आर एण्ड डी परियोजनाएं प्रत्येक प्रयोगशाला को सम्बद्ध और घनिष्ठ रूप से जुड़े यूनिट बनाने के लिए शुरू की जाएंगी। प्रत्येक प्रयोगशाला के भीतर संधारणीय विकास के केन्द्र बनाए जाएंगे। ज्ञान जगत की सीमा को सृजित, पोषित और संधारणीय बनाने वाली परियोजनाएं पूरी की जाएंगी और आंतरिक रूप से विकसित अग्रता को और आगे बढ़ाया जाएगा और वैध बनाया जाएगा। केवल आगे बढ़ाने और वैधता कार्यकलाप से उपयुक्त एस एण्ड टी क्षेत्रों से पांच प्रयोगशालाओं में स्थापना हेतु केन्द्रों की पहचान की जाएगी और स्थापित किए जाएंगे। इन केन्द्रों को नैनो से मल्टी, ग्राम से किलोग्राम और मापमान से परे अथवा कुछेक यूनिटों से एसेम्बली लाइन प्रोटोटाइप के सुसंगत सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। छूत की बिमारियों के लिए मुक्त औषधि खोज कार्यक्रम, और प्रयोगशाला आधुनिकीकरण कार्यक्रम जारी रहेंगे और आगे विकास के लिए मुक्त स्रोत औषधि खोज कार्यक्रम

के तहत सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध जानकारी की पहचान की शुरुआत की जाएगी। कोर बुनियादी अनुसन्धान क्षेत्रों में सहायता को प्रोत्साहित किया जाएगा। राष्ट्रीय प्रयोगशाला स्कीम के तहत निच क्षेत्रों में मेगा परियोजनाएं और उर्जा व जलवायु परिवर्तन का समाधान करने वाले कार्यक्रमों की शुरुआत की जाएगी। पीएचडी डिग्री के लिए उच्च अध्ययन कर रहे छात्रों को 1300 फैलोशिप उपलब्ध कराए जाएंगे। बीई/बीटेक/बीआर्क/बीफार्मा डिग्री वाले गेट पास अभ्यर्थियों को 60 फैलोशिप मुहैया कराए जाएंगे। लगभग 200 भारतीय और 150 विदेशी पेटेन्ट फाइल किए जाएंगे। राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय स्तरों पर संरक्षण हेतु केवल वाणिज्यिक रूप से और कार्यनीतिक रूप से महत्वपूर्ण आविष्कारों के फाइल करने पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा। उल्लंघन के लिए निगरानी करने और आईपीआर का प्रवर्तन शुरू किया जाएगा। नए मिलेनियम भारतीय प्रौद्योगिकी नेतृत्व पहल कार्यक्रम के अन्तर्गत नेत्र संक्रमण के लिए मालीक्यूलर डायग्नोस्टिक किट्स के विकास, बागासे और लेक्टिक एसिड को अलग करने के लिए प्रायोगिक संयंत्रों का प्रचालनीकरण; थ्रोस्टो काइटिडिस के प्रत्यक्ष किण्वन (फर्मेंटेशन) से डीएचए उत्पादन का औद्योगिक भागीदार को प्रौद्योगिकी अन्तरण, मधुमेह और जिगर संबंधी विकारों के लिए हर्बल उत्पादों की लाइसेंसिंग, टीबी रोधी मालीक्यूल के चरण-। क्लीनिकल परीक्षण के पूरा होने और सोरिएटिक रोधी फार्म्यूलेशन के क्लीनिकल परीक्षण चरण -III की शुरुआत से संबंधित परियोजनाएं आरम्भ की जाएंगी।

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

2007-08 के दौरान उपलब्धियों की समीक्षा

8.26 अण्टार्टिका की ओर 27 वें भारतीय वैज्ञानिक अभियान की शुरुआत की गई थी। अण्टार्टिका में तीसरे स्थायी स्टेशन की स्थापना के लिए आधार कार्य को पूरा कर लिया गया था। साउदर्न ओशन इण्डिया की ओर तीसरा अभियान शुरू किया गया था और 1983 में भारत द्वारा अण्टार्टिक संधि-

ज्वाइन करने के पश्चात् पहली बार मई, 2007 में 30 वीं अण्टार्टिका संधि-परामर्शी बैठक (एटीसीएम) आयोजित की गई थी। एटीसीएम ने लारसेमन हिल्स, ईस्ट अण्टार्टिका में नए भारतीय अनुसन्धान बेस के लिए भारतीय प्रस्ताव को स्वीकार किया। ज्ञान की खोज और विज्ञान की तलाश में भारत ने नार्वे के स्पिटजबर्जन आइलैंड में नाय-एलेसुण्ड में अन्तरराष्ट्रीय अनुसन्धान सुविधा का प्रयोग करते हुए अगस्त, 2007 के पहले सप्ताह में इस क्षेत्र में पहले वैज्ञानिक अभियान की शुरुआत की थी। वातावरणीय विज्ञान और आर्कटिक माइक्रोब्स के क्षेत्रों में परियोजनाएं शुरु की गई थी। नोड्यूल से कीमती धातु प्राप्त करने के लिए एक प्रायोगिक संयंत्र सफलतापूर्वक पूरा किया गया। डीप सी क्रालर, मृदा परीक्षक और दूर प्रचालनीय व्हीकल (आरओवी) विकसित किए गए थे और 5200 मीटर की गहराई पर उनका परीक्षण किया गया (मृदा परीक्षक) था। मालकन तट 451 मीटर (क्रालर) और मैंगलौर तट 251 मीटर से दूर (आरओवी) महासागर सूचना डाटा के संग्रहण के लिए 30 आर्गो फ्लोट लगाए गए थे। भारतीय ईईजेड में समुद्री स्तनधारियों के वितरण पैटर्न पर अगस्त, 2007 में एक एटलस जारी की गई थी और भारतीय ईईजेड में जूप्लेकटन वितरण पर एटलस और भारतीय ईईजेड में मौसमी जलवायु विज्ञान और उत्पादक पैटर्न पूरे कर लिए गए थे। केन्द्रीय औषध अनुसन्धान संस्थान लखनऊ में समुद्र से प्राप्त होने वाली औषधियों के लिए उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित करने की कार्रवाई शुरु की गई थी। महासागर विज्ञान के क्षेत्रों में नियमित एम टैक/ पीएचडी कार्यक्रम के लिए आईआईटी मद्रास के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया गया था। देश की तट रेखा के साथ 76 स्थानों पर समुद्री प्रदूषण की मानीटरिंग शुरु की गई थी और तट रेखा के साथ जीआईएस आधारित सूचना प्रणाली के विकास की शुरुआत की गई थी। कवारत्ती लक्षद्वीप में समुद्री जल से 1 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले ताजे जल का कम ताप थर्मल डीसेलीनेशन (एलटीडी) प्रौद्योगिकी संयंत्र लगाया गया था। अप्रैल, 2007 में एक बार्ज आधारित एक मिलियन लिटर प्रतिदिन

की क्षमता वाला संयंत्र डिजाइन किया गया था और चैन्नई से 40 किलोमीटर दूर शुरु किया गया था। प्रौद्योगिकी प्रदर्शन पोत (टीडीवी) निर्माण की व्यवस्था की गई थी। जून, 2007 में उसकी शुरुआत की गई थी। पोत समुद्री सजीव और निर्जीव संसाधन कार्यक्रम की क्षमता आवश्यकताओं के संवर्धन के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से सज्जित तटीय और महासागर परामर्शी सेवाओं के रूप में संभावित फिशिंग जोन (पीएफजेड) मानचित्र विकसित किए गए थे और प्रयोक्ताओं में वितरित किए गए थे। 15 अक्टूबर, 2007 को भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना (आईएनसीओआईएस) में राष्ट्रीय सुनामी पूर्व चेतावनी प्रणाली स्थापित की गई थी। अपेक्षित साफ्टवेयर और हार्डवेयर से सुसज्जित यह अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी प्रणाली भारतीय महासागर में सुनामी आने के 20 मिनट के भीतर पूर्व चेतावनी देने में समर्थ है। कई निरीक्षण प्लेटफार्म जैसे कि समय पर डाटा प्राप्त करने के लिए ज्वार भाटा मापक, दबाव रिकार्डर और भूकम्पी स्टेशन स्थापित किए गए हैं। यह केन्द्र समय पर गृह मंत्रालय के नियन्त्रण कक्ष को परामर्श भिजवाता है ताकि उसका आगे आम जनता में प्रचार-प्रसार किया जा सके।

8.27 भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) का आधुनिकीकरण मौसम संबंधी सेवाओं की प्रभावी डिलीवरी के लिए शुरु किया गया था। 550 स्वचालित मौसम स्टेशन (एडब्ल्यूएस) और 1350 स्वचालित वर्षा मापक प्राप्त करने की दिशा में प्रयास किए गए थे और हस्तचालित सतही वैधशालाओं को मानवरहित वैधशालाओं से जोड़ने के व्यापक कार्यक्रम के भाग के रूप में 125 स्वचालित मौसम स्टेशन स्थापित किए गए थे। देश के विभिन्न भागों में कृषि मौसम विज्ञान परामर्श के प्रचार प्रसार के लिए बहुभाषी वेब पोर्टल सृजित किया गया था और पुणे में आईएमडी के एग्रीमैट केन्द्र से नियमित रूप से अद्यतन किया जा रहा है। स्वास्थ्य, कृषि और जल जैसे क्षेत्रों पर प्रभाव सहित जलवायु परिवर्तन से संबंधित विभिन्न वैज्ञानिक मुद्दों के समाधान के लिए आईआईटीएम

पुणे में जलवायु परिवर्तन के लिए एक समर्पित केन्द्र स्थापित करने की पहल की गई थी। जलवायु परिवर्तन के लक्षित विज्ञान-पहलुओं को जो कि भारतीय क्षेत्र के लिए अत्यधिक प्रासंगिक हैं, की खोज और आंकलन करने के उद्देश्य से, साथ ही साथ उनके वैश्विक संपर्कों को आधारिक संरचना के सृजन द्वारा अन्तरराष्ट्रीय संस्थानों और अनुसन्धान ग्रुपों के साथ सहयोगपूर्ण संपर्क विकसित कर, संस्थागत अनुसन्धान नेटवर्क द्वारा समन्वित किया गया जिससे कि अनुसन्धान क्षमता में वृद्धि की जा सके। कम क्षमता वाले भूकम्प का पता लगाने के लिए भूकम्पी नेटवर्क को घनत्व में बढ़ाया गया था और घटित होने और पता लगाने में विलम्ब को कम करने के लिए टेलीमीटरी द्वारा जोड़ा गया था। यह प्रणाली सुनामी जैसे भूकम्प का पता लगाने के लिए उपयोगी होगी। भवन उपनियमों को पुनः परिभाषित करने के लिए उच्च जोखिम वाले महत्वपूर्ण शहरों/नगरों के लिए 1:10,000 के मापपान पर संवेदनशीलता का तकनीकी मूल्यांकन किया गया था। 1:50,000 के रिसोल्यूशन पर भूकम्पी खतरे के संबंध में राष्ट्रीय क्षेत्र, जबलपुर ओर गुवाहाटी का माइक्रोजोनेशन पूरा किया गया था। भारतीय प्रायः द्वीप में 10 ब्रॉड बैंड भूकम्पी प्रेक्षण नेटवर्क को एक सैट में अपग्रेड किया गया था। बहुत अधिक क्षमता वाले भूकम्पी खतरे के मूल्यांकन के लिए नई दिल्ली में भूकम्पी जोखिम मूल्यांकन केन्द्र बनाया गया था ताकि इसके इंजीनियरिंग अनुप्रयोग संभव हो सकें। इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ ट्रापिकल मीटरियोलॉजी (आईआईटीएम) पुणे ने बादल अध्ययन संबंधी एक कार्यक्रम की शुरुआत की जो देश के विभिन्न भागों में विशेष बादल, एरोसोल प्रेक्षणों से संबंधित समस्याओं का समाधान करते हुए बादल माइक्रोफिजिक्स में ज्ञान अंतरालों को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है। मौसम पूर्वानुमान में सैटलाइट डाटा के अनुप्रयोग, जलवायु माडलिंग और गतिकी, सहायक और प्रतिपत्र जलवायु रिकार्ड का प्रयोग करते हुए वैश्विक जलवायु परिवर्तन के क्षेत्रीय पहलुओं, अल्पावधि और दीर्घावधि जलवायु डायग्नोस्टिक्स और भविष्यवाणी, हाइड्रोलॉजिकल

माडलिंग, बादल माडलिंग, वातावरणीय और महासागरीय संचलन का सैद्धांतिक ज्ञान, रेडियोमीट्रिक और स्पेक्ट्रोमीट्रिक दूर संवेदी प्रणालियों, मध्यवर्ती वातावरण और रसायनिक जलवायु, वातावरणीय सीमा स्तरीय प्रयोग, वातावरणीय इलेक्ट्रिकल विशेषताओं, बादल में अनुरूपण तकनीकों का विकास, वातावरणीय विद्युत सतही प्रेक्षण, बादलों की विद्युत विशेषताओं सहित मानसून की बिभिन्नता और भविष्यवाणी पर अध्ययन किए गए थे। देश में 150 किलोमीटर से 51 किलोमीटर तक पूर्वानुमान क्षमता बढ़ाने के लिए सामर्थ्य विकसित की गई थी। 30 किलोमीटर सपाट क्षमता और लम्बाई में 31 स्तरों वाला मौसम अनुसन्धान (पूर्वानुमान) डब्ल्यूआरएफ मॉडल स्थापित किया गया था। चौबीस(24) नए एग्रोमेट एडवाइजरी यूनिट खोले गए थे जिन्होंने अखिल भारतीय नेटवर्क के एएफ यूनिटों को 107 तक बढ़ा दिया था। विभिन्न केन्द्रों अर्थात् विमानन, पर्यटन, रक्षा, परिवहन, विद्युत, खेल, विशेष रूप से 2010 के राष्ट्रकुल खेल और अन्य समाजार्थिक कार्यकलापों में देश के विकास के लिए दिन-प्रतिदिन की मौसम संबंधी सूचना के महत्व को स्वीकारते हुए 24 x 7 आधार पर सूचना उपलब्ध कराने के लिए अत्याधुनिक मौसम चैनल शुरू करने का निर्णय लिया गया है।

वर्ष 2008-09 के लिए प्रमुख कार्यक्रम

8.28 अण्टार्टिका में 28वें भारतीय वैज्ञानिक अभियान की शुरुआत की जाएगी। अण्टार्टिका में मैत्री स्टेशन को सुदृढ़ किया जाएगा और लाजिस्टिक दबाव के कारण लारसेमन हिल्स पर अण्टार्टिका में तीसरे भारतीय बेस स्थल तक निर्धारित अभियान सहित साउदर्न ओशन में बहुविषयक समुद्री यात्राएं शुरू की जाएंगी। पोलीमैटलिक नोड्यूल कार्यक्रम के प्रमुख कार्यकलापों में शामिल होंगे; मल्टीबीम सोनार के साथ माइक्रो - बाथमीटरी आंकड़ा एकत्र करना, वैद्यीकरण और माडलिंग के लिए लम्बे नौबन्ध लगाना; क्लेक्टर क्रशर प्रणाली का परीक्षण और

वैधीकरण; रीचार्जबल बैटरियों में प्रयोग के लिए इलैक्ट्रो लिटिक मैंगनीज डायआक्साइड/मैंगनीज नोड्यूल के प्रसंस्करण के दौरान प्राप्त मैंगनीज केक से मैंगनीज धातु तैयार करना । महासागर निरीक्षण और सूचना सेवाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए बंगाल की खाड़ी में 50 आर्गोफ्लोट और 30 ड्रिफ्टिंग बॉयस लगाए जाएंगे । समुद्री जीवजन्तु संसाधन कार्यक्रम की आवश्यकताओं को पूरा करने के अलावा मायक्टोफिड संसाधनों के आकलन के लिए अरब सागर में फॉर वी सागर सम्पदा पर दो समुद्री यात्राएं शुरू की जाएंगी । इस कार्यक्रम के तहत अन्य महत्वपूर्ण कार्यकलाप ब्लैक लिप पर्ल प्रोडक्शन के लिए प्रौद्योगिकी के विकास से संबंधित होंगे । विभिन्न फार्माकोलोजिकल कार्यकलापों के और आगे इष्टतमीकरण के लिए एण्टी हाम्परग्लाइसीमिक; एण्टी हाइपरलिपिडेमिक; एण्टी फंगल और एण्टी वायरल के क्षेत्रों में औषधियों के लिए समुद्र से बड़ी मात्रा में नमूनों का संग्रहण किया जाएगा । 5 स्थानों के लिए जीआईएस आधारित सूचना प्रणाली और 10 स्थानों के लिए डाटाबेस विकास सहित 76 स्थानों पर समुद्री प्रदूषण की मानीटरिंग और प्रदूषण की प्रवृत्तियों की पहचान के परिणामों के समेकन का कार्यकलाप जारी रहेगा । चिल्का और कोची बैकवाटर्स के लिए इको सिस्टम माडलिंग और जल गुणवत्ता माडल को अंतिम रूप देने के लिए डेटा एकत्र किया जाएगा । कोची बैकवाटर्स के लिए प्रारम्भिक बायोलोजिकल माडल विकसित किया जाएगा और सुन्दरवन में इकोसिस्टम माडलिंग के लिए कार्यकलाप शुरू किए जाएंगे और देशी सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हुए स्टार्म सर्ज माडल विकसित किया जाएगा । राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईओटी) में शामिल होगा; क्लेक्टर क्रशर सिस्टम का डिजाइन और विकास और इसे वर्तमान क्रालर के साथ जोड़ना व सिस्टम का 500 मीटर पानी में परीक्षण; 10 एमएलडी तट से दूर अलवणीकरण संयंत्र के लिए शीतलजल पाइप संरूपीकरण और समुद्री स्थिति में इसका प्रदर्शन । भारतीय तट के लिए समुद्र विज्ञान सम्बन्धी पैरामीटरों की स्थानिक और अस्थायी भिन्नता के लिए एटलस तैयार करना,

मुक्त महासागर जलकृषि के लिए लाभार्थियों की पहचान, मैल रोधी कोटिंग का विकास, टीडीवी सागर निधि सहित सभी पोतों - सागर पूर्वी, सागर पश्चिमी, सागर मंजूषा और सागर शक्ति का परीक्षण और रख - रखाव। सुनामी के संबंध में सुनामी पूर्व चेतावनी सूचना हेतु आर एण्ड डी कार्यकलापों को सुविधाजनक बनाने के लिए महासागर विज्ञान डाटा मुहैया कराने हेतु 40 बॉयस का एक नेटवर्क स्थापित किया जाएगा । भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केन्द्र वायु पैरामीटर के साथ पीएफजेड पूर्वानुमान को प्रचालित करेगा और 200 नए इलक्ट्रॉनिक डिस्पले बोर्ड (ईडीबीज़) खरीदे जाएंगे और संस्थापित किए जाएंगे । आइस कोर अध्ययन/पेलियोक्लाइमेटोलोजी/ ध्रुवीय वातावरण तथा पारिस्थितिकी, समुद्री आइस एटमोस्फेयर इण्टरएक्शन एण्ड माडलिंग, ध्रुवीय दूरसंवेदी के क्षेत्र में राष्ट्रीय अण्टार्टिक तथा महासागर अनुसन्धान केन्द्र (एनसीएओआर) में इन हाउस अनुसन्धान कार्यक्रम और भारतीय आर्कटिक स्टेशन के लिए नाय -एल सुण्ड में स्थायी अनुसन्धान बेस की स्थापना को जारी रखा जाएगा ।

8.29 भारतीय मौसम विज्ञान विभाग इनसैट 3-डी के लिए मौसम विज्ञान संबंधी डाटा की प्राप्ति और उस पर कार्रवाई के लिए जमीनी खण्ड की शुरुआत करेगा और पुरानी चक्रवात चेतावनी प्रसारण प्रणाली (सीडब्ल्यूडीएस) को डिजिटल रिसीवरों से प्रतिस्थापित करेगा । अन्य महत्वपूर्ण कार्यकलाप निम्नलिखित से संबंधित होंगे:- देश के लिए 127 कृषि जलवायु जोनों पर एग्रोमेट एडवाइजरी सेवाओं का प्रचालन; पश्चिमी हिमालय और आइलैण्ड क्षेत्रों में 20 नई भूकम्पीय वेधशालाओं का उन्नयन; दिल्ली सहित 5 शहरों का 1:10,000 मापमान पर भूकम्पी खतरे और जोखिम का माइक्रोजोनेशन, वायु दबाव का पता लगाने के लिए एनीमोमीटर व्यवस्था स्थापित करना, भूकम्पी खतरे पर राष्ट्रीय डाटा का सृजन और क्षेत्रीय जोखिम मूल्यांकन । मौसम पूर्वानुमान सेवाओं के लिए वैश्विक डाटा प्रौसेसिंग और संख्यात्मक मौसम भविष्यवाणी (एनडब्ल्यूपी) के लिए उच्च निष्पादन

कम्प्यूटर सिस्टम प्राप्त किया जाएगा। 20 एयरपोर्टों पर नए एकीकृत और स्वचालित सिस्टम स्थापित किए जाएंगे। 550 स्वचालित मौसम स्टेशन (एडब्ल्यूएस) और 1350 स्वचालित वर्षा मापक (एआरजी) स्थापित किए जाएंगे और शुरू किए जाएंगे। इण्डिया इन्स्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटियरोलोजी एशियाई ग्रीष्म मानसून की तीव्रता के सूचक के विकास, भारतीय ग्रीष्म मानसून और सम्बद्ध वर्षा की भविष्यसूचक संभावना के निर्धारण से सम्बन्धित कार्यकलाप शुरू करेगी। नेशनल सैन्टर फॉर मीडियम रेंज वेदर फॉरकास्ट के

कार्यकलापों में बंगाल की खाड़ी में भू-स्खलित ट्रापिकल चक्रवातों की पूर्वानुमान प्रदर्शन परियोजना के पूर्वानुमान और कार्यान्वयन के लिए मल्टी - माडल सुपर एनसेंबल एप्रोच का विकास शामिल होगा।

8.30 विभिन्न विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभागों के लिए योजना परिव्ययों/व्यय और छह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभागों के संबंध में स्कीम - वार वार्षिक योजना 2008 -09 के परिव्यय संलग्नक 8.1 से 8.7 में दिए गए हैं।

संलग्नक 8.1

केन्द्रीय वैज्ञानिक मंत्रालयों/विभागों/एजेसियों के परिव्यय/व्यय

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	एसएण्डटी विभाग/एजेसियां	वार्षिक योजना 2006-07	वार्षिक योजना 2007-08		वार्षिक योजना 2008-09
		वास्तविक	ब.अ.	संशो.अ.	ब.अ.
1	परमाणु उर्जा विभाग(आरएण्डडी क्षेत्रक)	991.24	1215.00	1040.10	1228.00
2	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	334.44	690.00	437.00	750.00
3	विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग	938.15	1526.00	1270.00	1530.00
4	जैव प्रौद्योगिकी विभाग	488.85	675.00	683.00	900.00
5	वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसन्धान विभाग (सीएसआईआर सहित)	820.58	1070.00	1060.00	1200.00
6	अंतरिक्ष विभाग	2594.17	3420.00	2831.00	3600.00
	कुल जोड़	6167.43	8596.00	7321.10	9208.00

संलग्नक-8.2

परमाणु उर्जा विभाग (आरएण्डडी क्षेत्रक)

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं	स्कीमें/ कार्यक्रम	2008-09 बजट अनुमान
1	एईआरबी	3.00
2	एएमडी	50.00
3	बीएआरसी	420.00
4	आरआरसीएटी	55.00
5	डीएई परियोजनाएं	5.00
6	डीसीएस एण्ड ईएम	25.00
7	अनुसन्धान व शिक्षा को सहायता देने के लिए अनुदान सहायता	340.00
8	आईजीसीएआर	90.00
9	आईपीआर	140.00
10	टीएमसी	50.00
11	वीईसीसी	50.00
	कुल	1228.00

संलग्नक 8.3

अंतरिक्ष विभाग

(करोड़ रूपए में)

क्र.सं.	कार्यक्रम/स्कीम	2008-09 ब.अ.
1.	लांच व्हीकल मिशन	
i.	जीएसएलवी एम के -I	1.00
ii	जीएसएलवी प्रचालनात्मक	255.00
iii	क्रोयोजेनिक अपर स्टेज प्रोजेक्ट(सीयूएसपी)	0.10
iv	जीएसएलवीएमके III विकास	270.00
v	जीएसएलवीएमके III प्रचालनात्मक	
vi	पीएसएलवी -सी	180.00
	उपजोड़ - 1	706.10
2	पृथ्वी प्रेक्षण मिशन	
i.	ओशन सैट 2 व 3	10.00
ii	राडार इमेजिंग सैटलाइट	25.00
iii	रिसोर्स 2 व 3	35.00
iv	जीईओएचआर इमेजर	25.00
v	कार्टो सैट - 3	5.00
vi	अलटिका आर्गोज	25.00
vii	प्रौद्योगिकी प्रयोग सैटलाइट	5.00
viii	आपदा प्रबंधन सैटलाइट(डीएमएसएआर)	5.00
ix	ई ओ फॉलोआन सैटलाई	
	उपजोड़ - 2	135.00
3	अंतरिक्ष विज्ञान मिशन	
i.	चन्द्रयान 1 व 2	78.00
ii	मेघा ट्रिपिक्स	20.00
iii	एस्ट्रोसैट 1 व 2	25.00
iv	एडवांस्ड प्लेनेटरी मिशन	0.00
v	स्माल सैटलाइट फॉर एटमास्फेरिक रिसर्च एण्ड एस्ट्रोनोमी	10.00
	उपजोड़:3	133.00
4	इनसैट सैटलाईट	
i.	इनसैट -3 सैटलाइट	10.00
ii	जीसैट - 4	7.00
iii	जीसैट - 5/इनसैट - 4 डी	10.00
iv	जीसैट - 6/इनसैट - 4 ई	65.00
v	जीसैट - 8/इनसैट - 4 जी	145.00
vi	इनसैट - 4 सी आर	
vii	इनसैट - 4/जीसैट सैटलाइट(जीसैट - 9 से जी सैट - 14)	90.00
viii	एडवांस्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलोजी सैटलाइट	22.50
ix	इनसैट कैपेसिटी आगमेण्टेशन(अल्पकालिक)	30.00
x	इनसैट/जी सैट फालोऑन सैटलाइट	

क्र.सं.	कार्यक्रम/स्कीम	2008-09 ब.अ.
	उपजोड़ 4	379.50
5	सैटलाइट नेवीगेशन	270.00
6	एडवांस्ड लांच व्हीकल विकास	
i.	सेमी क्रायोजेनिक इंजिन/स्टेज विकास	22.50
ii	ह्यूमन स्पेस फ्लाइट	125.00
iii	स्पेस कैपस्योर रिकवरी एक्सेपेरीमेंट(एसआरई)	10.00
iv	रीयूसेबल लांच व्हीकल टेक्नोलॉजी	13.50
	उपजोड़ 6	171.00
7	प्रमुख अंतरिक्ष अनुप्रयोग तथा अंतरिक्ष विज्ञान अनुसन्धान	
i.	दूर संवेदी अनुप्रयोग(एनएनआरएमएस, एनआरसीईएनयूएस, आरएसएएम, एनआरएसए, एनईएसएसी आदि)	55.00
ii	आपदा प्रबन्धन सहायता	65.00
iii	सैटकॉम अनुप्रयोग कार्यक्रम	15.00
iv	अंतरिक्ष विज्ञान व पर्यावरण(पीआरआई, एनएआरएल सहित)	95.00
	उपजोड़ 7	230.00
8	सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी अनुप्रयोग	
i.	राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन डाटा बेस	3.00
ii	ग्राम संसाधन केन्द्र	35.00
iii	एजुसैट आईटी नेटवर्क	8.00
iv	टेली मैडिसिन नेटवर्क	8.00
	उपजोड़ 8	54.00
9	आर एण्ड डी प्रौद्योगिकी व प्रक्रिया विकास	
i.	प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम/आर एण्ड डी/छोटे सैटलाइट/सैमीकण्डक्टर प्रौद्योगिकी का विकास	145.00
ii	अंतरिक्ष सामग्री तथा घटक तथा अग्रिम कार्रवाई का विकास	350.00
iii	प्रायोजित अनुसन्धान	13.00
	उपजोड़ 9	508.00
10	अंतरिक्ष कार्यक्रम हेतु अवसंरचना/सहायक सुविधाएं/क्षमता निर्माण	
i.	भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान व प्रौद्योगिकी संस्थान/एचआरडी	65.25
ii	तकनीकी सुविधा प्रतिस्थापन/संवर्धन	315.00
iii	इण्डस्ट्री इण्टरफेस व प्रोडक्शन इजेंशन	55.00
iv	अन्तरराष्ट्रीय सहकारी कार्यक्रम	3.15
v	तकनीकी व सहायक सुविधा सहायता	445.00
vi	सामान्य सिविल कार्य तथा आवास	130.00
	उपजोड़ 10	1013.40
	कुल जोड़	3600.00

जैव प्रौद्योगिकी विभाग

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं	कार्यक्रम/स्कीमें	2008-09 ब.अ.
1	मानव संसाधन विकास	30.00
2	उत्कृष्टता व नवीनता को बढ़ावा देने हेतु कार्यक्रम	45.00
3	बायोटेक सुविधाएं	25.00
4	बायोइन्फार्मेटिक्स	20.00
5	अनुसन्धान व विकास	315.00
6	बड़ी चुनौती कार्यक्रम	45.00
7	अन्तरराष्ट्रीय सहयोग	15.00
8	सामाजिक विकास हेतु बायोटेक्नोलोजी	10.00
9	स्वायत्त आरएण्डडी संस्थानों को सहायता	235.00
10	आईएण्डएम क्षेत्रक	70.00
10(क)	तकनीकी इन्क्यूबेटर्स के लिए सहायता पायलट प्रोजेक्ट्स बायोटेक्नॉलोजी पार्क, व बायोटेक विकास निधि	
10)	सार्वजनिक निजी भागीदारी(लघु व्यापार) नवीनीकरण अनुसन्धान पहल (एसबीआईआरआई), जैव प्रौद्योगिकी उद्योग भागीदारी कार्यक्रम (बीआईपीपी), जैव प्रौद्योगिकी औद्योगिक अनुसन्धान सहायता परिषद (बीआईआरएसी) की स्थापना	
11	पूर्वोत्तर क्षेत्र	90.00
	कुल	900.00

संलग्नक-8.5

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	कार्यक्रम/स्कीमें	2008-09 ब.अ.
1	अनुसन्धान व विकास सहायता	415.00
2	प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम	35.00
3	समाजार्थिक विकास हेतु एसएण्डटी कार्यक्रम	95.00
4	अन्तरराष्ट्रीय सहयोग	50.00
5	राज्य विज्ञान व प्रौद्योगिकी कार्यक्रम	10.00
6	मैपिंग संगठनों का आधुनिकीकरण(एसओआई एण्ड एनएटीएमओ)	16.00
7	स्वायत्त संस्थान व व्यावसायिक निकाय	421.00
8	व्यावसायिक रोजगार सृजन	1.00
9	बांस उत्पादों के लिए प्रौद्योगिकी(मिशन मोड परियोजना)	20.00
10	सिनर्जी परियोजनाएं(प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय)	8.00
11	सूचना प्रौद्योगिकी	4.00
12	भारत सरकार में कार्यरत वैज्ञानिकों/प्रौद्योगिकीविदों के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	5.00
13	औषधि व औषधीय अनुसन्धान	100.00
14	राष्ट्रीय नैनो साइंस व नैनो प्रौद्योगिकी मिशन	145.00
15	साइंस एण्ड इंजीनियरिंग अनुसन्धान बोर्ड	0.00
16	उच्चतर शिक्षा में विज्ञान हेतु छात्रवृत्तियाँ(निरीक्षण समिति की सिफारिशें)	85.00
17	जल प्रौद्योगिकी पहल	5.00
18	इनोवेशन्स इन साइंस परस्यूट फॉर इन्स्पायर्ड रिसर्च(इंस्पायर)	85.00
19	अभिनव क्लस्टर	5.00
20	सुरक्षा प्रौद्योगिकी पहल	5.00
21	बुनियादी अनुसन्धान के लिए मेगा सुविधाएं	20.00
	कुल	1530.00

संलग्नक - 8.6

सीएसआईआर सहित वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी अनुसन्धान (डीएसआईआर) विभाग

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	स्कीम/कार्यक्रम	2008-09 ब.अ.
	सीएसआईआर	
1	राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं	960.00
2	राष्ट्रीय एसएण्डटी मानव संसाधन विकास	75.00
3	बौद्धिक संपदा व प्रौद्योगिकी विकास	34.00
4	आरएण्डडी प्रबन्धन सहायता	25.00
5	न्यू मिलेनियम इण्डियन टेक्नोलाजी लीडरशिप इनीशिएटिव	60.00
6	स्थानांतरणीय अनुसन्धान संस्थान की स्थापना	1.00
	कुल सीएसआईआर	1155.00
	डीएसआईआर	
1	प्रौद्योगिकी संवर्धन विकास व उपयोग कार्यक्रम	26.00
2	सेण्ट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लि.	5.00
3	राष्ट्रीय अनुसन्धान विकास निगम	10.00
4	परामर्शी विकास केन्द्र	2.00
5	डीएसआईआर भवन व अवसंरचना	2.00
	कुल डीएसआईआर	45.00
	कुल (सीएसआईआर + डीएसआईआर)	1200.00

संलग्नक - 8.7

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	कार्यक्रम/स्कीमें	2008-09 ब.अ.
1	पोलर विज्ञान	35.50
2	पोली मैटालिक नोजचूल्स(पीएमएम)कार्यक्रम	15.00
3	ओशन आब्सर्वेशन एण्ड इन्फोर्मेशन सिस्टम(ओओआईएस)	13.00
4	समुद्री अनुसन्धान व प्रौद्योगिकी विकास(एमआरटीडी)	24.00
5	कण्टीनेंटल शेल्फ की आउटर लिमिटेज़ का डेलिनिएशन	1.00
6	तटीय अनुसन्धान पोत व अन्य अनुसन्धान पोत	5.00
7	राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान(एनआईओटी)	20.00
8	सूचना प्रौद्योगिकी	1.00
9	व्यापक स्थलाकृतिक सर्वेक्षण	5.00
10	गैस हाइड्रेट	12.00
11	अनुसन्धान पोत "सागर निधि " प्राप्त करना	12.00
12	डाटा बाय प्रोग्राम/इंटेग्रेटेड सरस्टेन ओशन आब्सर्वेशन	10.00
13	सुनामी व तूफान लहरें चेतावनी प्रणाली	15.00
14	राष्ट्रीय अंटारटिक व महासागर अनुसन्धान केन्द्र(एनसीएओआर)	15.00
15	भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केन्द्र(आईएनसीओआईएस)	30.00
16	समुद्री फ्रण्ट सुविधा	10.00
17	नेशनल सैण्टर फॉर मीडियम रेंज वेदर फॉरकास्ट	11.00
18	इण्डियन इन्सटिट्यूट ऑफ ट्रापिकल मीटियरोलोजी(आईआईटीएम)	13.00
19	भारतीय मौसम - विज्ञान विभाग(आईएमडी)	
क.	अंतरिक्ष मीटरियोलोजी	10.00
ख.	एग्रो मेट एडवाइजरी सर्विसेज	10.00
ग.	भूकम्पी खतरा व जोखिम मूल्यांकन	15.00
घ.	प्रचालन व रख-रखाव	28.00
ड.	विमानन मीटरियोलोजी	5.00
च.	आईएमडी का आधुनिकीकरण(संचार, पर्यवेक्षण, चक्रवात चेतावनी, पूर्वानुमान, विमान सेवाएं इन्स्ट्रुमेंटेशन, अवसंरचनात्मक विकास)	364.00
20	मानव युक्त सबमर्सिबल का विकास	5.00
21	मल्टी चैनल सिस्मिक सिस्टम ऑन बोर्ड ओआरबी सागर कन्या	5.00
22	आरकटिक की यात्रा	2.00
23	अलवणीकरण परियोजना	10.00
24	नेशनल ओशनेरियम	0.50
25	तट संरक्षण उपायों का प्रदर्शन	0.50
26	एकीकृत महासागर ड्रिलिंग कार्यक्रम(आईओडीपी) व भू तकनीकी अध्ययन	4.00
27	आइस क्लास रिसर्च वेसल	5.00
28	मुख्यालय भवन	20.00
29	बहु-जोखिम पूर्व चेतावनी सहायता प्रणाली	1.00
30	जलवायु परिवर्तन केन्द्र	5.00
31	समर्पित मौसम चैनल व कामनवेल्थ गेम्स	5.00
32	एनआईओडी एक्सटे. सैन्टर पश्चिम बंगाल	0.50
33	पृथ्वी व वातावरणीय विज्ञान में आरएण्डडी	7.00
	कुल जोड़	750.00

अध्याय 9

पर्यावरण एव जलवायु परिवर्तन

9.1 पर्यावरण

9.1.1 इस पृथ्वी पर प्रत्येक जीव स्वास्थ्यप्रद एवं स्वच्छ पर्यावरण का हकदार है। बढ़ती आबादी, तीव्र आर्थिक विकास के साथ पर्यावरण पर दबाव भी बढ़ रहा है। विकास जारी रखने के लिए यह आवश्यक होगा कि तीव्र आर्थिक विकास पर्यावरण के अनुकूल एवं पर्यावरण को बनाए रखने के साथ-साथ हो। इस संदर्भ में नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभावों के शमन के लिए निगरानी एवं समय पर कार्रवाई करना आवश्यक है। विकास में इन तथ्यों को सुनिश्चित करने के लिए अधिक पर्यावरणीय जागरूकता, उपयुक्त नीतियाँ और नियामक प्रक्रिया महत्वपूर्ण साधन हैं। ग्यारहवीं योजना का उद्देश्य पर्यावरणीय महत्व के विषयों के साथ विकासात्मक योजना को समेकित करना है।

9.1.2 प्रदूषण प्रबंधन संबंधी कार्यक्रम एवं नीतियाँ तैयार करने के लिए, वायु एवं जल गुणवत्ता की जांच करना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। नवीनतम और नई प्रौद्योगिकियाँ अपनाकर वर्तमान मानीटरिंग स्टेशनों का विस्तार करने की आवश्यकता है। सभी प्रमुख नदियों के जल की गुणवत्ता को "बी" श्रेणी (स्नान श्रेणी) की स्थिति में लाने के लिए नदियों की साफ-सफाई इस क्षेत्र की प्राथमिकता होगी। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) की वर्तमान कार्यनीति, संचालन पद्धति और संधारणीयता प्रक्रिया की विवेचनात्मक समीक्षा की आवश्यकता है। इसी प्रकार, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन इस क्षेत्र की प्राथमिकता होगी जिसे उद्गम स्थल पर अपशिष्ट को अलग करने, अधिकतम रीसाइक्लिंग और शेष का सुरक्षित निपटान करने के लिए तंत्र विकसित करने में नागरिकों के सहयोग की आवश्यकता है।

9.1.3 देश के वन एवं वन्यजीव संसाधनों से अत्यंत पारिस्थितिकीय एवं विविध महत्व के प्राकृतिक आवास-स्थान विकसित होते हैं। बहरहाल, कम उत्पादकता और इन संसाधनों पर बहुविध दबाव इन्हें असुरक्षित बना देता है। लाभप्रद आजीविका अवसर सृजित करने के लिए वन निवासियों के साथ वन प्रबंधन के संपर्क को मजबूत बनाने की आवश्यकता है। इसके लिए, इन संसाधनों की उत्पादकता को बढ़ाकर ही लाभ सृजित किये जा सकते हैं। बांस संसाधनों, जैव ईंधन और भागीदारी वन प्रबंधन को बढ़ाना - इस दिशा में किए जाने वाले कुछ उपाय हैं।

9.1.4 इसी प्रकार हाल के वर्षों में पाया गया है कि अभ्यारण्यों एवं राष्ट्रीय उद्यानों में वन्य जीवों की आबादी अत्यधिक असुरक्षित हो गई है। चूंकि ये क्षेत्र जैव विविधता का प्रदर्शन स्थल हैं, इसलिए इन क्षेत्रों के संरक्षण के लिए विशेष उपायों की आवश्यकता है। तथापि, छिट-पुट आबादी के सामाजिक-आर्थिक मुद्दों पर विचार किए जाने की आवश्यकता है तथा जैसाकि बाघ कार्यबल द्वारा सिफारिश की गई है, समावेशी संरक्षण को प्रबंधन आयोजना में उचित महत्व दिए जाने की आवश्यकता है। संरक्षित क्षेत्रों के महत्वपूर्ण वन्य जीव प्राकृतिक आवास-स्थलों का संरक्षण सामुदायिक भागीदारी पर केन्द्रित होगा। गहन वन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को वन्य जीवों के लिए अबाध खाली जगह मुहैया कराने के लिए स्वेच्छ से सीमांत क्षेत्रों की ओर जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

9.1.5 कृषि/फार्म वानिकी को प्रोत्साहित करने तथा उद्योग और किसानों के बीच परस्पर क्रिया सृजित करने, फार्म/सामुदायिक भूमि में वृक्षारोपण

को बढ़ावा देने के लिए समुचित वातावरण सृजित करने पर पर्याप्त जोर देने की आवश्यकता है और यह अपेक्षित हरित क्षेत्र हासिल करने के लिए जरूरी है। ग्यारहवीं योजना में मिशन के रूप में बांस संसाधनों और जैव-ईंधन को बढ़ावा देने से हरित क्षेत्र और ग्रामीण समुदायों की आजीविका सहायता का विस्तार होगा।

9.1.6 दसवीं योजना का लक्ष्य वर्ष 2007 तक देश के हरित क्षेत्र को 25 प्रतिशत तक बढ़ाना है। वर्ष 2003 में एफएसआई द्वारा लगाए गए अनुमान के अनुसार, देश का हरित क्षेत्र 23.68 प्रतिशत था जिसमें वर्ष 2001 के बाद 0.65 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। इस दर से वर्ष 2007 में 25 प्रतिशत का योजना लक्ष्य प्राप्त होने की संभावना है। ग्यारहवीं योजना में, वर्ष 2012 तक 30 प्रतिशत हरित क्षेत्र प्राप्त करने का लक्ष्य प्रस्तावित है। वर्तमान हरित क्षेत्र को 33 प्रतिशत के राष्ट्रीय वन नीति लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए अनुमान है कि वानिकीकरण के तहत 31.46 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र कवर किया जाना चाहिए। इसमें से केवल 5 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र अभिलिखित वन क्षेत्र के तहत उपलब्ध होगा और शेष 26.46 मिलियन हैक्टेयर गैर-वन क्षेत्र से कवर किया जाएगा। पंचायती राज संस्थानों सहित स्थानीय निकायों को वर्तमान में अप्रयुक्त सार्वजनिक जमीनें प्राप्त करने और इन्हें सामुदायिक संस्थानों को उपलब्ध कराने के कार्य में लगाया जा सकता है, ताकि सामुदायिक संस्थान अपनी बायोमास आवश्यकताओं के लिए इन जमीनों को सार्वजनिक सम्पत्ति संसाधन के रूप में विकसित कर सकें। इससे न केवल भूसंसाधन की उत्पादकता में सुधार होगा, बल्कि इससे वन पर रहे बायोमास दबाव में बदलाव आएगा, इस प्रकार हरित क्षेत्र में दो तरीकों से विस्तार होगा।

9.1.7 इस तथ्य को देखते हुए कि ग्यारहवीं योजना बनाने की प्रक्रिया वर्ष 2007 के अंत में पूरी हुई थी, वर्ष 2007-08 के कार्यक्रमों को ग्यारहवीं योजना से अलग कर दिया गया है। केन्द्रीय क्षेत्र

योजना कार्यक्रमों को निम्नलिखित व्यापक उपक्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है:-

1. प्रदूषण उपशमन
2. प्राकृतिक संसाधनों एवं पारिस्थितिकी प्रणाली का संरक्षण
3. पर्यावरणीय सूचना शिक्षा अनुसंधान प्रशिक्षण एवं जागरूकता
4. पर्यावरणीय मानीटरिंग व अभिशासन
5. संरक्षण हेतु अनुसंधान व विकास
6. ताज संरक्षण सहित हेरीटेज तीर्थस्थानों और पर्यटन केन्द्रों में पर्यावरण प्रबंधन
7. राष्ट्रीय तट प्रबंधन
8. अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग कार्यक्रमलाप और अन्य परियोजनाएं
9. राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना
10. वानिकी एवं वन्य जीव शिक्षा, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण
11. वानिकी में क्षमता निर्माण
12. पूर्वोत्तर में मूली बांस का सामूहिक पुष्पण
13. वानिकी और प्रबंधन का तीव्रीकरण (पूर्व में एकीकृत वन विकास)
14. वानिकी प्रभागों का सुदृढीकरण
15. वन्य जीव प्रभागों का सुदृढीकरण
16. वन्य जीव हैबीटेट का एकीकृत विकास
17. बाघ परियोजना
18. हाथी परियोजना
19. राष्ट्रीय वनरोपण व पारिस्थितिकी बोर्ड (एनएईबी)
20. राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम
21. सामुदायिक भागीदारी सहित सामाजिक वानिकी

पर्यावरण

परिणामी बजट 2007-08 की निष्पादन समीक्षा

9.1.8 1974 में स्थापित किए गए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) का उद्देश्य उसके राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मॉनीटरिंग कार्यक्रम (एनएक्यूएमपी) और जल गुणवत्ता मॉनीटरिंग (डब्ल्यूक्यूएम) कार्यक्रमों के माध्यम से देश के भीतर वायु और जल गुणवत्ता का मॉनीटरिंग करना है, जिसके वास्ते 2007-08 के लिए प्रदान किए गए मात्रात्मक प्रदाय इस प्रकार थे: 870 स्थानों पर डब्ल्यूक्यूएम केन्द्र, 313 स्थानों पर परिवेशी वायु गुणवत्ता मॉनीटरिंग केन्द्र तथा 16 शहरों में स्वचालित एक्यूएम की स्थापना। इसकी तुलना में 1032 डब्ल्यूक्यूएम स्टेशन, 313 एक्यूएम स्टेशन और 5 स्वचालित एक्यूएम स्टेशन स्थापित किए गए हैं।

9.1.9 बोटैनिकल सर्वे आफ इंडिया ने 1990 के दशक के आरंभ से काम करना शुरू कर दिया था, जिसका लक्ष्य दुर्बल पारिस्थितिकीय प्रणालियों और अन्य संरक्षित क्षेत्रों का अन्वेषण, सामग्री सूचीकरण और प्रलेखन, पादपविविधता का मॉनीटरिंग, परंपरागत आर्थिक उपभोक्ताओं के साथ मिलकर प्रजातियों की पहचान और पौधों/प्रजातियों के एक राष्ट्रीय डेटा आधार का संकलन करना था। मात्रात्मक प्रदाय इस प्रकार थे: 3000 नमूनों का संग्रह और पहचान, हरबेरिया में 300 प्रजातियों का प्रलेखन, 50000 हरबेरियम का डिजिटीकरण, 10 अनुसंधान लेखों और पुस्तकों का प्रकाशन तथा 40 दुर्लभ संकटापन्न और जोखिमग्रस्त (आरईटी) प्रजातियों का संरक्षण, इनसे संबंधित उपलब्धियां इस प्रकार हैं: 7500 नमूनों का डिजिटीकरण तथा 20 आरईटी प्रजातियों के डेटा आधार का विकास।

9.1.10 सूचना प्रौद्योगिकी नामक स्कीम 1998 में शुरू की गई थी। इसके उद्देश्यों में ये शामिल हैं: दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए एक व्यापक प्रबंधन प्रणाली का विकास और कार्यान्वयन, हार्डवेयर और कंप्यूटर पेरीफरल के प्रापण के माध्यम से विनियामक कार्यों और अनुदानों

की मंजूरीयों को संघटित करना, साफ्टवेयर आर्किटेक्चर के अभिकल्पन हेतु उपयुक्त परामर्शदाताओं की नियुक्ति, विभिन्न स्तरों पर कार्मिकों का प्रशिक्षण आदि। परियोजना के चरण III के लिए परामर्श दाता की नियुक्ति, आईटी व गैर-आईटी प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि के लिए परामर्शदाता की नियुक्ति के लक्ष्य के संबंध में यह सूचित किया गया है कि परामर्शदाता की नियुक्ति अभी की जानी है और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए पुनः बिड आमंत्रित किए जा रहे हैं।

9.1.11 नदियों और झीलों के जल की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से पर्यावरण और वन मंत्रालय की राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) और राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना (एनएलसीपी) के अधीन कार्यों की मंजूरी और मॉनीटरिंग पर निगाह रखने के उद्देश्य से मंत्रालय के अंतर्गत 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय (एनआरसीडी) की स्थापना की गई थी। एनआरसीडी के परिव्यय का उपयोग स्टाफ के वेतन और मजदूरी, प्रचार और प्रसार, अनुसंधान व विकास आदि के लिए किया जाता है। एनआरसीपी के अधिकार क्षेत्र के महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जैसे कि इंटरसेप्शन और डाइवर्सन (आई तथा डी), मलजल उपचार संयंत्र (एसटीपी), कम लागत की सफाई, शवदाह गृह, नदी मुख विकास। एनआरसीपी के अंतर्गत एसटीपी क्षमता 355.94 एमएलडी सूचित की गई थी। वर्ष 2007-08 के दौरान 252.77 एमएलडी की अतिरिक्त क्षमता की तुलना में केवल 28 एमएलडी जोड़ने की सूचना प्राप्त हुई है जिससे देश में कुल एसटीपी क्षमता 393.94 एमएलडी हो गई है। एनआरसीपी के कार्यों में 20 राज्यों में फैली 33 नदियों के प्रदूषित खंडों के साथ-साथ 159 कस्बों में चल रही परियोजनाएं शामिल हैं। अभी तक एनआरसीपी के अधीन लगभग 4735.42 करोड़ रुपए की परियोजनाएं मंजूर की गई हैं। एनएलसीपी के अधीन आई एंड डी, एसटीपी, गाद हटाना, घास-फूस हटाना तथा बायोरेमीडिएशन और आवाह क्षेत्र उपचार घटक हैं। 2007-08 में 6 झीलों (2 झीलों उत्तराखण्ड में, 2 कर्नाटक में और राजस्थान और

पश्चिम बंगाल में 1-1 झीलों में) के संरक्षण की वास्तविक पूर्ति के लक्ष्य की तुलना में केवल एक झील पूरी होने की संभावना है। इसके अलावा, जम्मू तथा कश्मीर में डल झील संरक्षण और केरल में वेली अक्कुलम झील के लिए कुल 323.32 करोड़ रुपए की लागत की नई परियोजनाएं कार्यान्वयन के शुरूआती चरणों में हैं।

9.1.12 2007-08 के दौरान नेशनल क्लीन डिवैल्पमेंट मैकेनिज्म (सीडीएम) द्वारा 300 परियोजनाओं (प्रति तिमाही 75 परियोजनाएं) का मूल्यांकन किया जाना लक्षित था, सितम्बर, 2007 तक लगभग 189 परियोजनाएं क्लीयर कर दी गई हैं।

2008-09 के लिए कार्यक्रम और स्कीमें

9.1.13 पर्यावरण क्षेत्र की वर्तमान स्कीमों को 8 छत्रक स्कीमों के तहत रखा गया है। चालू स्कीमों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

प्रदूषण उपशमन

9.1.14 सीपीसीबी की स्थापना विभिन्न विनियामक विधियों में यथा परिकल्पित विनियामक कार्य करने के लिए की गई है। यह बोर्ड पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत बनाए गए नियमों के कार्यान्वयन का समन्वय कर रहा है। व्यापक रूप से कवर किए गए क्षेत्रों में शामिल हैं; वायु व जल गुणवत्ता मानीटरिंग, उपशमन हेतु आकलन और कार्यनीतियाँ, अपशिष्ट प्रबंधन, औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण आदि। बोर्ड देश में उत्सर्जन और निस्सरण मानकों के अनुपालन को भी लागू कर रहा है। जनजागरूकता और प्रशिक्षण की भी शुरूआत की जा रही है। प्रदूषण उपशमन के लिए (सीपीसीबी और पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना को शामिल करते हुए) 2008-09 हेतु 40 करोड़ रुपए का परिव्यय मुहैया कराया गया है।

9.1.15 जोखिमपूर्ण पदार्थ प्रबंधन के अंतर्गत रसायनिक दुर्घटनाओं का प्रभावी प्रबंधन, अपशिष्ट

हैंडलिंग और निपटान, जोखिमपूर्ण पदार्थों के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी प्राधिकरणों को वित्तीय सहायता और क्षेत्र में प्रशिक्षण दिया जाएगा।

9.1.16 सामान्य बहिःस्राव उपचार संयंत्र (सीईटीपीएस) स्कीम वहनीय लागत पर तरल बहिःस्राव उत्सर्जन के लिए निर्धारित मानकों की पूर्ति करने के वास्ते सामान्य बहिःस्राव उपचार संयंत्र स्थापित करने के प्रयोजन से लघु उद्योग समूह को सहायता प्रदान करती है जिससे कि बहिःस्रावों के प्रदूषण स्तर को कम किया जा सके। एसपीसीबी के माध्यम से कार्यान्वयन हेतु महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात और आंध्र प्रदेश में 10 एसईटीपीज को वित्तीय सहायता मुहैया कराने का प्रस्ताव है।

प्राकृतिक संसाधनों और पारिस्थितिकीय प्रणाली का संरक्षण

9.1.17 मैंग्रोव, प्रवाल भित्ति एवं वैटलैंड संरक्षण व प्रबंधन स्कीम रामसर स्थल आर्द्र भूमियों सहित विशिष्ट पारिस्थितिकीय प्रणालियों के लिए राज्यों के संरक्षण प्रयासों का संवर्द्धन करती है। वर्ष 2008-09 के दौरान वर्तमान 50 आर्द्र भूमियों के लिए प्रबंधन कार्य योजनाएं बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अतिरिक्त 25 पहचान किए गए राष्ट्रीय मैंग्रोव तथा प्रवाल भित्ति स्थलों के लिए कार्य योजनाएं और अनुसंधान परियोजनाएं तैयार की जाएंगी।

9.1.18 बायोस्फीयर रिजर्व स्कीम के तहत 14 वर्तमान बायोस्फीयर रिजर्व को वित्तीय सहायता प्रदान करने और इस सूची में एक नया बायोस्फीयर रिजर्व शामिल करने का लक्ष्य है।

9.1.19 बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत वर्ष 2008-09 में नमूनों के संग्रह एवं पहचान के लिए सर्वेक्षण एवं अन्वेषण का कार्य किया जाएगा। पौध नमूनों, हरबेरियम नमूनों, जीवन्त नमूनों, दृष्टान्तों, कृष्ट प्रजातियों के प्रासंगिक और आर्थिक दृष्टि से

महत्वपूर्ण प्रजातियों के राष्ट्रीय डाटाबेस के पूरा होने की आशा है।

9.1.20 जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (जेड एस आई) ने समुद्री प्रणाली की जीव-जन्तु विविधता का आकलन करने के लिए जामनगर, गुजरात में एक नए यूनिट की स्थापना, इसी प्रयोजन के लिए गंगटोक, सिक्किम में एक अन्य यूनिट की स्थापना और कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व सहित पूर्वी हिमालय के जीव-जन्तुओं की विविधता और वितरण को मानीटर करने का प्रस्ताव किया है।

9.1.21 राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय स्कीम के तहत 2008-09 में भुवनेश्वर, मैसूर और भोपाल में क्षेत्रिय संग्रहालयों के चरण II, सवाई माधोपुर और गंगटोक सिक्किम में नए संग्रहालयों और दिल्ली संग्रहालय के लिए स्थान के अर्जन का कार्य किए जाने की उम्मीद है।

9.1.22 राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना (एनएलसीपी) देश के भीतर प्रदूषित और अवक्रमित शहरी झीलों से संबंधित कार्यकलापों का निपटान करती है। अभी तक 632.62 करोड़ रुपए की लागत पर 49 झीलों के संरक्षण कार्यों के लिए 33 परियोजनाएं स्वीकृत की गई थी। जिसमें से लगभग 10 झीलों पर कार्य पूरा कर लिया गया है। जम्मू-कश्मीर में डलझील के संरक्षण कार्य का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी)

9.1.23 राष्ट्रीय झीलसंरक्षण योजना का लक्ष्य देश में प्रमुख नदियों के जल की गुणवत्ता (स्नान करने के मानकों तक) में सुधार लाना है। अभी तक इस कार्यक्रम के अधीन कुल मिलाकर 34 नदियों के अभिज्ञात क्षेत्र कवर किए गए हैं। वर्ष 2007-08 के दौरान, प्रतिदिन 252.77 मिलियन लीटर (एनएलडी) मलजल उपचार क्षमता पैदा करने का प्रस्ताव था जिसकी तुलना में सितम्बर, 2007 तक केवल 38 एमएलडी सृजित की गई है।

पर्यावरणीय शिक्षा, सूचना, प्रशिक्षण एवं जागरूकता

9.1.24 पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा पर्यावरणीय पक्षों पर डाटाबेस और जानकारी उपलब्ध कराने के लिए इच्छुक प्रयोक्ताओं के लाभार्थ पर्यावरणीय सूचना प्रणाली अर्थात विकेन्द्रीकृत वेबसाइट नेटवर्क स्थापित किया गया है। 2008-09 के दौरान 79 ईएनवीआईएस केन्द्रों को सहायता प्रदान की जाएगी।

9.1.25 राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन प्रणाली कार्यक्रम प्राकृतिक संसाधनों के संधारणीय प्रबंधन में प्रमुख मुद्दों की पहचान करने के प्रति लक्षित एक एकीकृत कार्यक्रम का एक अंग है जिसके अधीन पर्यावरण और वन मंत्रालय जैव-संसाधनों और पर्यावरण के लिए सुदूर संवेदी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने वाला प्रमुख बिंदु है। 2008-09 के दौरान पहचान किए गए क्षेत्रों के अंतर्गत जीआईएस और दूर संवेदी प्रौद्योगिकी को शामिल करते हुए अनुसंधान कार्यकलापों को सहायता दिए जाने का प्रस्ताव है। 2008-09 के दौरान 35 चालू परियोजनाओं को मानीटर किए जाने और मूल्यांकित किए जाने की आशा है।

अंतरराष्ट्रीय सहयोग कार्यकलाप एवं अन्य परियोजनाएं

9.1.26 जलवायु परिवर्तन परियोजना संबंधी अनुकूलन एवं क्षमता निर्माण परियोजना देश में जलवायु परिवर्तन क्षमता निर्माण कार्यकलाप शुरू करती है, जिससे कि जलवायु परिवर्तन समस्याओं से जुड़े पणधारियों को विकासात्मक कार्यनीतियां तैयार करने, जलवायु परिवर्तन के परिणामों का जोखिम आकलन तथा प्रबंधन करके, जलवायु परिवर्तन के संबंध में जनजागरूकता बढ़ाने और संधारणीय विकासात्मक प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करने के योग्य बनाया जा सके। साथ ही इस स्कीम का लक्ष्य जलवायु बदलाव के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना है। इस स्कीम के अधीन राष्ट्रीय सफाई विकास प्रक्रिया (सीडीएम) प्राधिकरण

स्थापित किया गया है। वर्ष 2008-09 के दौरान ये कार्यकलाप लगभग 300 परियोजनाओं (75 प्रति तिमाही) को अनुमोदित करने के उसी लक्ष्य के साथ जारी रहने की आशा है।

9.1.27 2008-09 के कार्यकलापों में यूएनएफसीसी और क्योटो प्रोटोकॉल के तहत विभिन्न अंतरराष्ट्रीय समझौतों में भारत की भागीदारी को सुविधाजनक बनाना, राष्ट्रीय सीडीएम प्राधिकरण द्वारा सीडीएम परियोजनाओं का मूल्यांकन करना और परामर्शदात्री समूह एवं उपसमूह की बैठकें आयोजित करना शामिल होगा।

केन्द्र प्रायोजित स्कीमें (सीएसएस)

9.1.28 पर्यावरण और वन मंत्रालय, पर्यावरण तथा वानिकी क्षेत्र से संबंधित उन केन्द्र प्रायोजित स्कीमों की आयोजना, प्रोन्नति, समन्वय और कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए जिम्मेदार है जिनका उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता बढ़ाना, बहु-पणधारी सहभागिता के माध्यम से इन संसाधनों की देखभाल के लिए संधारणीय विधियों को प्रोत्साहित करना है, जिससे कि गरीबों के लिए आजीविका सहायता का संवर्द्धन हो सके।

9.1.29 ग्यारहवीं योजना दस्तावेज में यथा-प्रस्तावित सभी सीएसएस को एक नई सीएसएस, जो पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआईजी) के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में अल्प उपयोग किए गए साझे सम्पत्ति संसाधनों की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए सामाजिक वानिकी को पुनर्जिवित करने के लिए प्रस्तावित है, सहित 10 में पुनः सामूहित किया गया है। कार्यक्रम की कार्यपद्धतियां तैयार की जा रही हैं।

9.2 जलवायु परिवर्तन

9.2.1 समझा जाता है कि वैश्विक उष्णता (ग्लोबल वार्मिंग) और जलवायु परिवर्तन से प्राकृतिक और मानव निर्मित पर्यावरण पर अत्यधिक खतरा उत्पन्न हो रहा है। जलवायु परिवर्तन नीति में

इस बात पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है कि विकास पर कम खर्च कर इन जोखिमों को दूर किया जाए। कृषि-वाणिज्य क्षेत्र और उपयुक्त प्रवर्तन में कार्बन एवं ऊर्जा दक्षता के अनुकूल विधिक शासन प्रणाली को प्रबल बनाने के लिए व्यक्तिगत एवं वैश्विक स्तर पर अत्यधिक प्रयास की आवश्यकता है। इस संबंध में वहनयोग्य लागत वाली कम कार्बन एवं ऊर्जा सक्षम तकनीक के विकास को प्राथमिकता दी जाए। ग्यारहवीं योजना का इससे संबंधित समाजार्थिक लक्ष्य वर्ष 2016-17 तक ऊर्जा क्षमता में 20 प्रतिशतता बिन्दु तक वृद्धि करना है।

9.2.2 वनकटाव से होने वाला उत्सर्जन वैश्विक परिवहन क्षेत्र में होने वाले उत्सर्जन की तुलना में अधिक है। ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन कम करने के लिए वनकटाव पर प्रतिबंध लगाना अत्यधिक लागत प्रभावी तरीका है। वन वायुमण्डलीय कार्बन को दीर्घकालिक पृथक्करण हेतु रोकता भी है। इस संदर्भ में वनों और बहुतायत लकड़ियों की उत्पादकता में सुधार करना प्राथमिकता होगा। कृषि वानिकी एक व्यवहार्य विकल्प हो सकता है क्योंकि यह औद्योगिक लकड़ियों के लिए किसानों और उद्योग के बीच आर्थिक गतिविधि शुरू करता है। फसलों के साथ की गई कृषि वानिकी से उस समय भी आजीविका प्राप्त होती है जब बारिश के अभाव में या कम बारिश के कारण फसलें नहीं हो पाती।

9.2.3 जलवायु परिवर्तन के संभावित खतरों और उनके प्रभाव से निपटने की कार्यनीति समस्याओं की बेहतर समझ के अनुसार बनाए जाने की आवश्यकता है ताकि संसाधनों का इष्टतम और कुशल उपयोग किया जा सके तथा आम जनता के जीवन पर पर्यावरणीय दबाव के प्रभाव को कम किया जा सके।

9.2.4 इस विषय के महत्व एवं अपेक्षित कार्रवाई को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित बातों पर ध्यान देने का प्रयास किया जाएगा।

- जलवायु परिवर्तन को विकास की प्रक्रिया में जोखिम कारक के रूप में स्वीकार किया जाए और विकास आयोजना में इसके संभावित प्रभाव पर विचार किया जाए।
- उपर्युक्त दोनों आवश्यकताओं के संदर्भ में विकास का निरीक्षण और मानीटरिंग करने के लिए सरकार के भीतर ही विशिष्ट संस्थागत प्रबंधन की जरूरत है। इस प्रयोजनार्थ प्रधान मंत्री जलवायु परिवर्तन परिषद को सहायता देने के लिए एक विशेषज्ञ परामर्शदात्री समूह गठित किया गया है।

9.2.5 यूएनएफसीसीसीसी के लिए वन एवं पर्यावरण मंत्रालय राष्ट्रीय केन्द्र बिंदु है। यूएनएफसीसीसीसी और

क्योटो प्रोटोकॉल के तहत विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय समझौतों में भारत की भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के एक भाग के रूप में दलों के पूर्व सम्मेलन (सीओपी)-13 और जी-8 बैठकें आयोजित की गई थीं। 2007-08 में प्रति तिमाही लगभग 75 सीडीएम परियोजनाओं के मूल्यांकन के लक्ष्य की तुलना में लगभग 186 परियोजनाओं का मूल्यांकन किया गया था।

9.2.6 वर्ष 2006-07 और 2007-08 के दौरान सीएसएस के तहत स्कीमवार योजना परिव्यय और व्यय, वास्तविक लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ, राज्यवार दिए गए केन्द्रीय हिस्से, राज्यवार क्षेत्रवार परिव्यय के ब्यौरे क्रमशः **संलग्नक 9.1.1 से 9.1.4** पर दिये गये हैं।

संलग्नक 9.1.1

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

रुपए करोड़

1	2	2006-07	2007-08	2007-08	2008-09
		वास्तविक	परिव्यय	प्रत्याशित	परिव्यय
1	2	3	4	5	6
क	केन्द्र प्रायोजित स्कीमें (सीएसएस)				
1	प्राचीन तीर्थ स्थलों की यात्राओं और ताज संरक्षण समेत पर्यटन केन्द्रों का पर्यावरणीय प्रबंधन	0.00	0.01	0.00	0.01
2	प्राकृतिक संसाधनों और परिस्थितिकी का संरक्षण	78.06	127.59	92.40	110.00
(i)	जैव मंडल भंडार	8.98	10.60	11.00	11.00
(ii)	गरान, प्रवाल भित्ति और आर्द्र भूमि का प्रबंधन और संरक्षण	16.42	16.99	18.19	19.00
(iii)	राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना	52.66	100.00	63.21	80.00
3	राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना	281.10	269.00	269.00	254.00
(i)	राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी)	241.69	269.00	257.70	254.00
(ii)	एनआरसीपी - ईएपी	39.41			
4	वन्य जीव संरक्षण	108.46	146.68	146.87	180.00
(i)	बाघ परियोजना	35.41	65.00	65.40	80.00
(ii)	हाथी परियोजना	15.59	16.68	17.00	20.00
(iii)	राष्ट्रीय पार्कों तथा अभ्यारण्य स्थलों का विकास (अब वन्य जीवन हैवीटेट का एकीकृत विकास)	55.72	62.00	62.00	80.00
(iv)	जैविक विविधता संरक्षण और ग्रामीण आजीविका सुधार परियोजना	1.74	3.00	2.47	
5	राष्ट्रीय वनीकरण तथा वन संरक्षण	366.36	453.78	491.70	505.62
(i)	राष्ट्रीय वनिकी परियोजना (एनएपी)	292.76	355.55	392.95	345.62
(ii)	समेकित वन संरक्षण स्कीम (अब एफएम का तीव्रीकरण)	48.60	71.13	71.65	130.00
(iii)	मूली बांस के फूल समूह उगाना (मेलोकाना बेसीफेरा)	25.00	27.00	27.00	15.00
(iv)	पीआरआई के माध्यम से वृक्षारोपण		0.10	0.10	15.00
	कुल केन्द्र प्रायोजित स्कीमें (क)	833.98	997.06	999.97	1049.63
(ख)	केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमें				
1	पर्यावरणात्मक मानीटरिंग	40.37			40.00

1	2	2006-07	2007-08	2007-08	2008-09
		वास्तविक	परिव्यय	प्रत्याशित	परिव्यय
1	2	3	4	5	6
	तथा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	37.57			34.50
	संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना, आदि	2.80			2.00
	ईआईए के तहत कार्यकलाप				3.50
2	प्रदूषण निवारण	23.43	62.58	20.04	23.00
(i)	निवारक कार्यनीतियों के माध्यम से औद्योगिक प्रदूषण निवारण	1.00	0.98	1.00	1.50
(ii)	प्रदूषण निवारण के लिए सहायता तथा पर्यावरण नीति व कानून	6.40	4.27	4.50	5.00
(iii)	स्वच्छ प्रौद्योगिकी	1.47	1.40	3.50	3.05
(iv)	(सीईटीपी)	4.35			4.45
(v)	जोखिमपूर्ण पदार्थ प्रबंधन	7.66	7.53	8.00	9.00
(vi)	क्षमता निर्माण ईआईए व संशोधित पर्यावरणात्मक स्वीकृति प्रक्रिया	2.55	0.10	3.04	
3	संरक्षण तथा विकास हेतु आर एण्ड डी	194.87	46.79	233.46	60.00
(i)	भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (बीएसआई)	9.59	3.36	10.23	18.00
(ii)	भारतीय प्राणि विज्ञान सर्वेक्षण (जेडएसआई)	10.11	5.63	10.88	11.15
(iii)	जी.बी. पंत हिमालयी पर्यावरण व विकास संस्थान	8.64	8.50	8.50	9.45
(iv)	वनस्पति उद्यान तथा संरक्षण केन्द्रों को सहायता और एण्डेमिक, दुर्लभ और संकरापन्न पौधों का प्रसार	1.75	2.00	2.00	2.20
(v)	जैव विविधता संरक्षण	5.07	3.70	3.70	4.45
(vi)	राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन	9.90			6.00
(vii)	प्रबंधन (एनएनआरएमएस) आर एंड डी	4.69			6.00
(viii)	टेक्सोनामी क्षमता निर्माण परियोजना	2.00	2.50	2.50	2.75
4	पर्यावरणात्मक शिक्षा सूचना अनुसंधान प्रशिक्षण व जागरूकता	58.52	90.06	78.27	95.00
(i)	पर्यावरण शिक्षा, प्रशिक्षण व जागरूकता	34.37	32.23	40.00	53.50
(ii)	राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय (एनएमएनएच)	4.88	5.04	8.30	10.00
(iii)	उत्कृष्टता केन्द्र	7.24	7.50	7.50	8.50
(iv)	पर्यावरण सूचना प्रणाली (ईएनवीआईएस)	4.81	4.27	5.26	6.00
(v)	पर्यावरण परियोजना की स्थिति	0.99	0.50	0.50	0.50
(vi)	सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी)	6.23	26.27	16.71	16.50

1	2	2006-07	2007-08	2007-08	2008-09
		वास्तविक	परिव्यय	प्रत्याशित	परिव्यय
1	2	3	4	5	6
(vii)	पर्यावरण सूचना केन्द्र का सुदृढीकरण		0.10		
5	अंतर राष्ट्रीय सहयोग कार्यक्रम व अन्य परियोजनाएं	13.04	10.45	18.78	12.00
(i)	जीओआई-यूएनडीपी-सीसीएफ कार्यक्रम	3.51	5.00	5.00	5.00
(ii)	अन्तरराष्ट्रीय सहकारी कार्यक्रम	2.96	0.79	5.50	3.00
(iii)	जलवायु परिवर्तन	3.88	2.65	4.23	3.50
(iv)	पर्यावरणात्मक आयोजना तथा समन्वय संगठन (ईपीसीओ)- मध्यप्रदेश का संगठनात्मक सुदृढीकरण व पुनः स्थापना तथा नागालैंड में प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और कृषकों की आजीविका का सुदृढीकरण	0.90	2.00	2.00	0.50
(v)	सिविल कन्स्ट्रक्शन यूनिट	1.79	0.01	2.05	0.00
(vi)	राष्ट्रीय तट प्रबंधन कार्यक्रम		0.10	1.55	1.37
6	राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना	4.48	1.68	6.00	6.00
7	राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय (एनआरसीडी)	4.48	1.68	6.00	6.00
8	वानिकी व वन्य जीव शिक्षा, अनुसंधान व प्रशिक्षण	83.05	110.59	118.61	90.00
(i)	भारतीय वानिकी अनुसंधान व शिक्षा परिषद (आईसीएफआरई)	60.03	59.00	62.00	66.65
(ii)	भारतीय प्लाईवुड उद्योग अनुसंधान एवं संस्थान (आईपीआईआरटीआई)	4.25	4.00	5.00	4.45
(iii)	भारतीय वन प्रबंधन संस्थान (आईआईएफएम)	6.77	6.00	6.90	6.70
(iv)	भारतीय वन्यजीव संस्थान(डब्ल्यूआईआई)	12.00			12.20
9	वानिकी क्षेत्र में क्षमता निर्माण	9.96			20.00
(i)	आईएफएस अधिकारियों को प्रशिक्षण	1.44	1.35	1.50	2.00
(ii)	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी (आईजीएनएफए)	4.59	1.65	4.14	6.00
(iii)	वानिकी शिक्षा निदेशालय (डीएफई)	3.93	2.70	4.75	4.00
(iv)	अन्य सेवाओं के कार्मिकों का प्रशिक्षण				2.00
(v)	वानिकी कार्मिकों का विदेश प्रशिक्षण				5.00
(vi)	अन्य पणधारियों का प्रशिक्षण				1.00
1	वानिकी प्रभागों का सुदृढीकरण	34.25	1.65	6.65	15.00
(i)	भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई)	5.22	0.66	6.17	5.50
(ii)	क्षेत्रीय कार्यालयों का सुदृढीकरण	6.90			7.00

1	2	2006-07	2007-08	2007-08	2008-09
		वास्तविक	परिव्यय	प्रत्याशित	परिव्यय
1	2	3	4	5	6
(iii)	राष्ट्रीय वानिकी सूचना				0.50
(iv)	गैर-टिम्बर के आकलन के लिए				0.50
(v)	राष्ट्रीय समन्वित कार्यक्रम लकड़ी और गैर-लकड़ी वन संसाधनों के लिए				1.50
11	वन्यजीव प्रभागों का सुदृढीकरण				25.00
(i)	वन्यजीव अपराध का नियंत्रण				6.00
(ii)	एनजेडपी सहित केन्द्रीय प्राणि उद्यान प्राधिकरण (सीजेडए)	22.13	18.00	21.50	19.00
12	राष्ट्रीय वानिकीकरण व वन संरक्षण	23.10	27.84	37.16	38.00
(i)	राष्ट्रीय वानिकीकरण व परिस्थितिकी विकास बोर्ड (एनएईबी)	14.44	18.24	26.66	20.00
(ii)	पारिस्थितिकी कार्य बल	8.66	9.60	10.50	18.00
13	पशु कल्याण	20.85	21.00	21.00	25.00
	कुल केन्द्रीय क्षेत्रकों (ख)	49.82	349.99	512.32	450.37
	कुल जोड़ (क + ख)	1199.75	1351.00	1400.00	1500.00
	वन्य जीव प्रभागों और बाहरी पास का सुदृढीकरण	2.77			

संलग्नक - 9.1.2

वास्तविक लक्ष्य और प्राप्ति-पर्यावरण और वन क्षेत्र

क्रम संख्या	प्राचल	11 वीं योजना लक्ष्य	2007-08 (प्रत्याशित)
1	देश में वन और वृक्ष क्षेत्र	दसवीं योजना की तुलना में 5% की वृद्धि	23.39% *

* भारत के वन सर्वेक्षण (एफएसआई) वन रिपोर्ट की स्थिति (एसएफआर), 2005.

संलग्नक 9.1.3

केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के तहत आबंटित निधि

(रुपए करोड़ में)

क्रम सं.	स्कीम का नाम	राज्य का नाम	2007-08	2008-09
1	राष्ट्रीय पार्कों व अभ्यारण्यों का विकास	आन्ध्र प्रदेश	1.69	3.00
		अरुणाचल प्रदेश	1.25	0.80
		असम	0.82	1.30
		बिहार	0.04	1.20
		छत्तीसगढ़	3.79	3.30
		गोवा	0.32	0.85
		गुजरात	3.19	4.75
		हरियाणा	0.70	1.20
		हिमाचल प्रदेश	2.33	3.50
		जम्मू और कश्मीर	2.21	3.55
		झारखंड	0.98	2.00
		कर्नाटक	5.73	6.00
		केरल	4.78	5.00
		मध्य प्रदेश	7.76	6.00
		महाराष्ट्र	3.21	5.00
		मणिपुर	1.05	0.90
		मेघालय	0.64	0.60
		मिजोरम	1.69	1.00
		नागालैण्ड	0.19	0.50
		उड़ीसा	3.49	5.00
		पंजाब	0.00	0.75
		राजस्थान	3.27	4.50
		सिक्किम	1.50	1.00
		तमिलनाडु	2.75	4.00
		त्रिपुरा	0.36	0.90
		उत्तर प्रदेश	3.27	4.00
		उत्तराखंड	0.69	2.00
		पश्चिम बंगाल	3.31	5.00
		अंडमान व निकोबार	0.82	1.40
		चंडीगढ़	0.00	0.20
		दमन व दीव	0.05	0.10

क्रम सं.	स्कीम का नाम	राज्य का नाम	2007-08	2008-09
		दादर एवं नगर हवेली	0.12	0.25
		लक्ष दीप	0.00	0.10
		दिल्ली	0.00	0.35
		कुल	62.00	80.00
2	जैव मंडल भंडार	असम	0.25	0.55
		अरुणाचल प्रदेश	0.35	0.35
		छत्तीसगढ़	0.32	0.60
		कर्नाटक	0.32	0.60
		केरल	2.08	1.50
		मध्य प्रदेश	1.52	1.30
		मेघालय	0.30	0.30
		उड़ीसा	1.09	1.00
		सिक्किम	0.59	0.50
		तमिलनाडु	1.32	1.50
		उत्तराखंड	0.73	0.80
		पश्चिम बंगाल	0.64	0.80
		अनुसंधान परियोजना	1.49	1.00
		संघ राज्य क्षेत्र		0.20
		कुल	11.00	11.00
3	राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना	आन्ध्र प्रदेश	67.98	30.00
		बिहार	0.00	0.50
		गुजरात	0.25	0.00
		गोवा	0.70	0.00
		हरियाणा	6.00	15.00
		झारखंड	0.00	0.50
		कर्नाटक	2.75	10.00
		केरल	1.00	1.00
		मध्य प्रदेश	6.25	7.00
		महाराष्ट्र	5.21	3.50
		उड़ीसा	7.13	10.00
		पंजाब	44.30	5.00
		राजस्थान	0.00	2.00
		तमिलनाडु	21.00	10.00
		उत्तर प्रदेश	38.95	65.00

क्रम सं.	स्कीम का नाम	राज्य का नाम	2007-08	2008-09
		उत्तराखंड	3.37	10.00
		पश्चिम बंगाल	26.11	24.50
		दिल्ली	12.00	50.00
		सिक्किम	4.84	5.00
		डब्ल्यूडब्ल्यूएम एवं आर एण्ड डी		
		एनआरसीडी (एच.क्यू.)	9.86	5.00
		कुल	257.70	254.00
4	राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना	आन्ध्र प्रदेश	0.00	0.00
		जम्मू और कश्मीर	31.66	40.00
		कर्नाटक	2.59	6.00
		महाराष्ट्र	2.00	4.00
		तमिलनाडु	0.00	2.00
		राजस्थान	4.80	10.00
		उत्तराखंड	3.00	2.00
		पश्चिम बंगाल	0.00	2.00
		उत्तर प्रदेश	1.00	5.00
		उड़ीसा	0.00	1.00
		मध्य प्रदेश	8.75	6.00
		केरल	0.00	2.00
		एनएलसीपी (सामान्य)	0.38	
		नये प्रस्ताव	9.03	
		कुल	63.21	80.00
5	गरान, प्रवाल भित्ति और आर्द्र भूमि का प्रबंधन	आन्ध्र प्रदेश	0.34	1.00
		असम	0.50	0.40
		गोवा	0.05	0.50
		गुजरात	2.40	1.50
		हिमाचल प्रदेश	0.40	0.80
		जम्मू और कश्मीर	0.33	0.90
		केरल	0.15	1.00
		कर्नाटक	0.37	1.20
		मणिपुर	0.30	0.30
		उड़ीसा	1.62	1.20
		पंजाब	1.03	1.00
		राजस्थान	1.02	0.80

क्रम सं.	स्कीम का नाम	राज्य का नाम	2007-08	2008-09
		तमिलनाडु	1.43	2.00
		त्रिपुरा		0.20
		पश्चिम बंगाल	2.41	2.50
		अंडमान व निकोबार द्वीप		0.50
		मिजोरम	0.53	0.30
		महाराष्ट्र		0.50
		मध्य प्रदेश	0.49	0.40
		उत्तर प्रदेश	0.29	0.50
		उत्तराखंड		0.20
		आर एवं डी	0.73	0.40
		सिक्किम	0.16	0.40
		परामर्शी कार्य	0.44	0.25
		अन्य	3.20	0.25
		कुल		19.00
6	हाथी परियोजना	आन्ध्र प्रदेश	0.55	0.60
		अरुणाचल प्रदेश	0.45	0.55
		असम	1.25	1.60
		बिहार/झारखंड	1.25	1.60
		छत्तीसगढ़	0.50	0.70
		कर्नाटक	1.80	2.10
		केरल	1.80	2.20
		मेघालय	0.50	0.55
		नागालैंड	0.30	0.40
		उड़ीसा	1.75	2.00
		तमिलनाडु	1.80	2.15
		त्रिपुरा		
		उत्तर प्रदेश	0.50	0.55
		उत्तराखंड	1.50	1.60
		पश्चिम बंगाल	1.75	2.00
		महाराष्ट्र	0.40	0.50
		हरियाणा	0.40	0.40
		पीई (एचक्यू)	0.50	0.50
		कुल	17.00	20.00
7	बाघ परियोजना	आन्ध्र प्रदेश	0.74	0.75

क्रम सं.	स्कीम का नाम	राज्य का नाम	2007-08	2008-09
		अरुणाचल प्रदेश	1.10	2.50
		असम	0.96	2.00
		बिहार	0.98	0.90
		छत्तीसगढ़	0.35	2.00
		झारखंड	0.45	1.25
		कर्नाटक	11.60	9.00
		केरल	1.53	2.75
		मध्य प्रदेश	29.75	18.75
		महाराष्ट्र	2.96	6.75
		मिजोरम	0.83	1.00
		उड़ीसा	0.43	5.75
		राजस्थान	4.93	10.25
		तमिलनाडु	0.45	5.00
		उत्तर प्रदेश	1.35	1.50
		उत्तराखंड	2.02	3.70
		पश्चिम बंगाल	2.99	2.75
		अन्य	2.98	0.40
		कुल	66.40	77.00
8	एकीकृत वन संरक्षण स्कीम	आन्ध्र प्रदेश	1.80	5.70
		अरुणाचल प्रदेश	3.08	4.40
		असम	4.96	4.50
		बिहार	0.84	2.60
		अंडमान व निकोबार द्वीप		0.50
		चंडीगढ़		0.08
		छत्तीसगढ़	6.13	5.80
		दमन दीव		0.25
		दिल्ली		0.05
		दादर व नगर हवेली		0.25
		गोवा	0.18	1.05
		गुजरात	5.69	5.20
		हरियाणा	0.96	2.55
		हिमाचल प्रदेश	1.24	3.70
		जम्मू और कश्मीर		2.10
		झारखंड	2.22	5.10

क्रम सं.	स्कीम का नाम	राज्य का नाम	2007-08	2008-09
		कर्नाटक	1.60	4.90
		लक्षद्वीप		0.10
		केरल	2.84	5.90
		मध्य प्रदेश	6.65	6.70
		महाराष्ट्र	2.33	5.20
		मणिपुर	1.43	3.70
		मेघालय	0.86	3.80
		मिजोरम	4.14	4.30
		नागालैण्ड	3.65	4.20
		उड़ीसा	1.81	4.30
		पंजाब		1.60
		पांडीचेरी		0.05
		राजस्थान	1.00	3.70
		सिक्किम	1.21	3.20
		तमिलनाडु	4.31	5.85
		त्रिपुरा	0.99	3.30
		उत्तर प्रदेश	2.36	3.10
		उत्तराखंड	2.83	4.25
		पश्चिम बंगाल	1.87	3.80
		अन्य	4.67	14.22
		कुल	71.65	130.00
9	राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम	आन्ध्र प्रदेश	12.00	12.62
		अरुणाचल प्रदेश	5.00	5.00
		असम	10.00	7.00
		बिहार	6.50	7.00
		छत्तीसगढ़	35.00	24.00
		गोवा	0.00	0.00
		गुजरात	28.00	20.00
		हरियाणा	9.00	7.50
		हिमाचल प्रदेश	7.50	7.50
		जम्मू और कश्मीर	10.00	10.00
		झारखंड	25.00	25.00
		कर्नाटक	25.00	20.00
		केरल	9.00	9.00

क्रम सं.	स्कीम का नाम	राज्य का नाम	2007-08	2008-09
		मध्य प्रदेश	20.00	21.00
		महाराष्ट्र	35.00	25.00
		मणिपुर	12.00	7.50
		मेघालय	5.00	5.00
		मिजोरम	15.00	10.00
		नागालैण्ड	10.00	7.50
		उड़ीसा	20.00	30.00
		पंजाब	6.00	6.00
		राजस्थान	7.00	10.00
		सिक्किम	10.00	9.00
		तमिलनाडु	17.00	17.00
		त्रिपुरा	5.00	4.00
		उत्तर प्रदेश	30.00	20.00
		उत्तराखंड	11.45	10.00
		पश्चिम बंगाल	7.50	9.00
		कुल	392.95	345.62
10	मूली बांस का समूहों में उत्पादन	अरुणाचल प्रदेश	0.50	0.25
		असम	6.00	5.65
		मणिपुर	3.00	1.00
		मेघालय	3.50	0.50
		मिजोरम	6.50	5.00
		नागालैण्ड	1.00	0.00
		त्रिपुरा	6.30	2.50
		आईसीएफआरई	0.20	0.10
		कुल	27.00	15.00
11	ग्राम वन योजना (पीआरआईज़ के माध्यम से वनीकरण)	आंध्र प्रदेश		0.50
		असम		0.50
		बिहार		0.50
		छत्तीसगढ़		0.50
		गोवा		0.00
		दिल्ली		0.15
		गुजरात		1.00
		हरियाणा		0.50
		हिमाचल प्रदेश		0.25

क्रम सं.	स्कीम का नाम	राज्य का नाम	2007-08	2008-09
		जम्मू और कश्मीर		0.25
		झारखंड		0.50
		कर्नाटक		1.00
		केरल		0.50
		मध्य प्रदेश		1.00
		महाराष्ट्र		1.50
		पांडिचेरी		0.10
		उड़ीसा		1.50
		पंजाब		0.50
		राजस्थान		1.50
		तमिलनाडु		1.00
		उत्तर प्रदेश		1.00
		उत्तराखंड		0.25
		पश्चिम बंगाल		0.50
		कुल	0.10	15.00

* एनईआर

संलग्नक 9.1.4

ई एवं एफ क्षेत्रक के लिए राज्यवार परिव्यय

(लाख रुपए)

राज्य	2006-07	2007-08		2008-09
	वास्तविक	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	बजट अनुमान
आन्ध प्रदेश	एन.ए.	एन.ए.	18555.62	-
अरुणाचल प्रदेश	289.79	3102.50	3102.50	-
असम	509.59	1022.00	1022.00	3060.00
बिहार	2719.60	3014.00	3014.00	-
छत्तीसगढ़	13986.20	16334.83	30321.03	-
दिल्ली	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	1240.00
गोवा	787.46	921.00	1790.59	-
गुजरात	14364.26	2000.00	2000.00	-
हरियाणा	एन.ए.	10227.40	10227.40	11470.00
हिमाचल प्रदेश	10539.04	10353.00	10360.00	11124.78
जम्मू और कश्मीर	1729.25	1863.00	2468.25	-
झारखंड	-	-	-	11500.00
कर्नाटक	-	-	-	-
केरल	3715.95	5278.00	5278.00	5800.00
मध्य प्रदेश	16568.22	24877.00	29443.61	27772.66
महाराष्ट्र	-	-	-	7208.65
मणिपुर	1496.35	1550.00	1555.62	1805.00
मेघालय	1179.17	2550.00	2450.00	2895.00
मिजोरम	1339.00	1339.00	1319.00	1139.00
नागालैण्ड	1342.00	1587.00	1886.00	-
उड़ीसा	4288.31	7390.00	7390.00	16624.00
पंजाब	3876.98	4906.50	4906.50	6887.50
राजस्थान	8654.30	6889.52	5615.24	2820.81
तमिलनाडु	16875.21	18964.65	18964.65	18224.28
त्रिपुरा	1065.04	5452.05	1932.65	4028.72
उत्तर प्रदेश	17130.31	27620.00	23620.00	-
उत्तराखंड	415.48	754.38	13865.17	20264.36
पश्चिम बंगाल	2351.48	4700.00	3800.00	6690.00
अंडमान व निकोबार दीप	1372.24	1540.00	1540.00	-
चंडीगढ़	577.18	1069.00	1069.00	-
दादर एवं नगर हवेली	0.00	414.00	414.00	-
दमन व दीव	64.12	56.00	56.00	-
लक्षदीप	38.42	61.00	61.20	119.00
पुद्दुचेरी	196.56	297.00	297.00	00.55

टिप्पणी 1. एन. ए. का अर्थ है डाटा उपलब्ध नहीं है।

2. '-' इस का भी अर्थ है डाटा उपलब्ध नहीं है।

9.3 आपदा प्रबंधन

सिंहावलोकन

9.3.1 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अधिनियमन और तदन्तर माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) की स्थापना के पश्चात् एनडीएमए द्वारा भूकम्प, बाढ़, संचार नेटवर्क, भू-स्खलन आदि के क्षेत्रों में कुछेक नई अन्य न्यूनीकरण परियोजनाओं सहित राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम न्यूनीकरण (एनसीआरएमपी) की योजना परियोजना शुरू की गई थी। तब से एनडीएमए अधिनियम में आपदा की तैयारी और न्यूनीकरण के लिए यथा अधिदेशित अन्य उत्तरदायित्वों के साथ-साथ संस्थागत समन्वय के माध्यम से इन योजना परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्टें (डीपीआरज) तैयार करने संबंधी कार्रवाई करता आ रहा है।

तालिका 9.3.1

(करोड़ रुपये)

क्रम सं०	परियोजना/कार्यक्रम का नाम	वर्ष 2007-08 में परिव्यय
1.	राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम न्यूनीकरण परियोजना (एनसीआरएमपी)	20.00
2.	राष्ट्रीय भूकम्प न्यूनीकरण परियोजना (एनईआरएमपी)	5.00
3.	राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम न्यूनीकरण परियोजना (एनएलआरएमपी)	2.00
4.	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संचार तंत्र (एनडीसीएम)	4.00
	राष्ट्रीय बाढ़ जोखिम न्यूनीकरण परियोजना (एनएफआरएमपी)	5.00
5.	अन्य आपदा प्रबंधन परियोजनाएं	14.00
	जोड़	50.00

वार्षिक योजना 2007-08 की समीक्षा

9.3.2 जैसा कि तालिका 9.3.1 में दिया गया है एनडीएमए की विभिन्न न्यूनीकरण परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्टें (डीपीआर) तैयार करने के लिए योजना पक्ष के संबंध में 50 करोड़ रुपये मुहैया कराए गए थे। डीपीआर को तैयार करने से पूर्व, एनडीएमए ने न्यूनीकरण परियोजनाओं संबंधी 'अवधारणा नोट' को अंतिम रूप देकर उन्हें 'सिद्धान्त रूप में' अनुमोदन के लिए गृह मंत्रालय (एमएचए) और योजना आयोग को भिजवा दिया था। चूंकि प्रशासनिक कारणों से ये अनुमोदन समय पर प्राप्त नहीं हुए थे इसलिए कोई व्यय किया जाना संभव नहीं था और तदनुसार निधियां अभ्यर्पित कर दी गई थी।

वार्षिक योजना (2008-09) में स्कीमें/परियोजनाएं

9.3.3 एनडीएमए की निम्नलिखित न्यूनीकरण परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्टें (डीपीआरज) तैयार करने हेतु एनडीएमए की योजना परियोजनाओं के लिए 25 करोड़ रुपये मुहैया कराए गए हैं। डीपीआर तैयार करने के लिए परियोजना-वार परिव्यय तालिका 9.3.2 में दिया गया है।

तालिका 9.3.2

(करोड़ रुपये)

क्रम सं०	परियोजना/कार्यक्रम का नाम	वर्ष 2008-09 में परिव्यय
1.	राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम न्यूनीकरण परियोजना (एनसीआरएमपी)	15.00
2.	राष्ट्रीय भूकम्प न्यूनीकरण परियोजना (एनईआरएमपी)	2.00
3.	राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम न्यूनीकरण परियोजना (एनएलआरएमपी)	1.50
4.	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संचार तंत्र (एनडीसीएम)	1.50

क्रम सं०	परियोजना/कार्यक्रम का नाम	वर्ष 2008-09 में परिव्यय
5.	राष्ट्रीय बाढ़ जोखिम न्यूनीकरण परियोजना (एनएफआरएमपी)	2.00
6.	अन्य आपदा प्रबंधन परियोजनाएं	3.00
	जोड़	25.00

9.3.4 गृह मंत्रालय ने एनडीएमए को प्रत्येक परियोजना के लिए लागत को निश्चित करने से पहले प्रत्येक डीपीआर तैयार करने और निवेश पूर्व कार्यकलापों के लिए 2 करोड़ रुपये तक की वित्तीय शक्तियाँ प्रत्यायोजित की थीं। एनडीएमए ने अपनी न्यूनीकरण परियोजनाओं के लिए डीपीआर तैयार करने के संबंध में मई, 2008 में विस्तृत समीक्षा की थी और प्रत्येक परियोजना की प्रगति नीचे दर्शाई गई है :-

i) **राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम न्यूनीकरण परियोजना (एनसीआरएमपी)** : एनडीएमए ने एनसीआरएमपी के लिए परियोजना प्रबन्धन परामर्शदाता की नियुक्ति की है। परामर्शी एजेन्सी ने मई, 2008 में अपना काम शुरू किया था। डीपीआर को फरवरी, 2009 के अंत तक अंतिम रूप दे दिया जाएगा और अनुमोदन से पहले मार्च, 2009 में आवश्यक मूल्यांकन किया जाएगा। एनडीएमए एनसीआरएमपी के लिए परियोजना तैयारी की स्थिति की समीक्षा और अनुवर्ती कार्रवाई, बाधाएं (यदि कोई हों) और परियोजना की शुरूआत के लिए अपेक्षित अतिरिक्त उपायों के लिए लगातार राज्य सरकार के सम्पर्क में है। एनडीएमए ने मूल्यांकन दस्तावेज तैयारी की प्रगति की समीक्षा करने के लिए 17.12.2008, 9.1.2009 और 29.1.2009 को तीन वीडियो सम्मेलन आयोजित किए हैं। वर्ल्ड बैंक मिशन का राज्यों की तैयारी की प्रगति, एवं संस्थागत तत्परता की समीक्षा करने, उनसे न्यासी और सुरक्षा प्रबन्धन

इन्तजामों पर विचार विमर्श करने और सहमति प्रदान करने के लिए फरवरी, 2009 में कार्यान्वयन राज्यों का दौरा करने का कार्यक्रम इस प्रकार एनडीएमए और राज्यों को परियोजना तैयारी को तीव्र करने में सहायता देना है

ii) **राष्ट्रीय भूकम्प जोखिम परियोजना (एनईआरएमपी)** : एनडीएमए ने मई, 2008 में अभिरूचि "अभिव्यक्ति" (ईओआई) आमंत्रित की थी और 12 फर्मा से उत्तर प्राप्त हुए थे। परियोजना प्रबन्धन परामर्शदाता ने दिसम्बर, 2008 में डीपीआर तैयार करने का कार्य शुरू कर दिया है और इसके मार्च, 2009 तक पूरा होने की संभावना है। यह अनुमान है कि इस परियोजना पर वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान 60 लाख रुपये व्यय किए जाएंगे।

iii) **राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन संचार नेटवर्क (एनडीएमसीएन)** : डीपीआर तैयार करने के लिए परामर्शदाताओं की नियुक्ति और उपकरणों की खरीद के लिए टेंडर देने हेतु अगस्त, 2008 में " अभिरूचि अभियुक्ति" जारी की गई थी। एनडीएमए ने "प्रस्ताव अनुरोध" (आरएफपी) जारी करने के लिए सात फर्मा का चयन किया है। 4 फर्मा से प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं और एनडीएमए प्रस्तावों का तकनीकी रूप से मूल्यांकन कर रहा है। प्रक्रिया पूरी हो जाने के पश्चात परियोजना की डीपीआर तैयार करने के लिए एजेन्सी के चयन की अगली कार्रवाई की जाएगी। अनुमान है कि वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान डीपीआर तैयार करने पर 40 लाख रुपये व्यय किए जाएंगे।

iv) **राष्ट्रीय बाढ़ आपदा प्रबन्धन परियोजना (एनएफडीएमपी) और राष्ट्रीय भू-स्खलन जोखिम न्यूनीकरण परियोजना (एनएलआरएमपी)** : एनडीएमए दोनो परियोजनाओं के लिए परामर्शी एजेन्सियों और

परियोजना प्रबन्धन परामर्शदाताओं को नियुक्त करने की कार्यवाही कर रहा है। अनुमान है कि 2008-09 के दौरान एनएफडीएमपी और एनएलआरएमपी प्रत्येक के लिए डीपीआर तैयार करने पर 5-5 लाख रुपये व्यय किए जाएंगे।

- v) **अन्य आपदा प्रबन्धन परियोजनाएं** : अन्य आपदा प्रबन्धन परियोजनाओं में शामिल हैं : विस्तारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण परियोजना, सूचना, शिक्षा व संचार (आईईसी) परियोजना, मुख्य शहरों का माइक्रोजोनेशन, परियोजना तैयारी सुविधा/अनुसंधान कार्यक्रम अध्ययन, असुरक्षा आकलन स्कीमें और स्कूल सुरक्षा परियोजना/एनडीएमए का चालू वित्तीय वर्ष के दौरान " मुख्य शहरों का माइक्रोजोनेशन" और स्कूल सुरक्षा परियोजना जैसी लघु परियोजनाएं शुरू करने का प्रस्ताव है। इन दोनों परियोजनाओं पर प्रारम्भिक कार्य पहले ही शुरू कर दिया गया है। **भारतीय प्रसंभाव्य भूकंप संकट मानचित्र विकास** संबंधी अध्ययन कार्य आईआईटी गुवाहाटी के साथ नोडल एजेसी के रूप में स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर (एसईआरसी) चैन्ने को 56.14 लाख रुपये की लागत पर सहभागी संस्थान के रूप में सौंपा गया है। अध्ययन पूरा करने की समय-सीमा 2 वर्ष है। **भारत में मानचित्र आधार के विकास** के लिए डीपीआर तैयार करने हेतु अन्य अध्ययन कार्य नेशनल एटलस मैपिंग आर्गनाइजेशन (एनएटीएमओ) कलकत्ता को 10 लाख रुपये की लागत पर सौंपा गया। **भू-तकनीकी अन्वेषण** परियोजना भी विचाराधीन है। अनुमान है कि चालू वर्ष के दौरान 10 लाख रुपये की राशि व्यय की जाएगी। इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए **भौगोलिक सूचना प्रणाली** संबंधी डीपीआर तैयार करना होगा। डीपीआर तैयार करने के लिए, परामर्शी एजेंसी और परियोजना प्रबन्धन परामर्शदाता की नियुक्ति

के लिए अपेक्षित समय को ध्यान में रखते हुए चालू वित्त वर्ष में इस परियोजना के लिए 10 लाख रुपये की राशि का प्रस्ताव किया गया है।

वार्षिक योजना 2008-09 में नीतिगत मुद्दे, कार्यक्रम सुधार और नई पहलें

9.3.5 2007-08 के दौरान एनडीएम ने (i) भूकम्प (ii) रासायनिक (औद्योगिक) आपदा (iii) चिकित्सा तैयारी व सामूहिक प्रबन्धन और (iv) राष्ट्र स्तर पर बाढ़ संबंधी दिशा-निर्देश तैयार करके जारी किए थे। इसने राज्य आपदा प्रबन्धन योजनाएं तैयार करने संबंधी दिशा-निर्देश भी तैयार किए थे। वर्ष 2008-09 के दौरान, एनडीएमए द्वारा राष्ट्रीय चक्रवात प्रबंधन दिशा-निर्देश पहले ही जारी किए जा चुके हैं और परमाणु (अवर्गीकृत, भाग-I) संबंधी दिशानिर्देश जारी किए जाने हेतु तैयार हैं। इसके अतिरिक्त, शिक्षा पाठ्यक्रम, सुनामी, न्यूक्लियर-रेडियोलॉजिकल भाग-II (वर्गीकृत), न्यूनतम राहत मानक, शहरी बाढ़ के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए जाने हेतु तैयार हैं।

9.3.6 दिन के समय आने वाले सभी बड़े भूकम्पों का परिणाम बच्चों की पीढ़ियाँ समाप्त होने के रूप में हुआ है। इस प्रकार देश के लिए स्कूल सुरक्षा अतिमहत्वपूर्ण दायित्वों/ उद्देश्यों में से एक बन गई है एनडीएमए का 48.70 करोड़ अनुमानित लागत से स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम संबंधी प्रायोगिक परियोजना शुरू करने का प्रस्ताव है। चालू वित्त वर्ष (2008-09) के दौरान " अन्य आपदा प्रबन्धन परियोजनाओं" के लिए आबंटित 2.40 करोड़ रुपये उपयोग करने का निर्णय लिया गया है।

2008-09 के दौरान कार्यान्वित स्कीमों/ परियोजनाओं का कार्यक्षेत्र, उद्देश्य, लक्षित वर्ग

9.3.7 एनडीएम ने वार्षिक योजना 2008-09 के दौरान निम्नलिखित परियोजनाएं शुरू की हैं :

(क) **राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम न्यूनीकरण परियोजना (एनसीआरएमपी)**- भारत सरकार ने राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रबन्धन परियोजना (एनसीआरएमपी) तैयार की है जिसे 13 चक्रवात संभावित तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विश्व बैंक की सहायता से कार्यान्वित किया जाना है। परियोजना का मुख्य उद्देश्य रचनागत और गैर रचनागत प्रयासों को सुदृढ़ करना और चक्रवातों की संभावना वाले तटीय जिलों के जोखिम और असुरक्षा को कम करना है। एनसीआरएमपी चक्रवात जोखिम न्यूनीकरण के लिए क्षमता निर्माण में असुरक्षित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता करेगा।

(ख) **राष्ट्रीय भूकम्प जोखिम न्यूनीकरण परियोजना (एनईआरएमपी)**- इस परियोजना का उद्देश्य रचनागत और गैर-रचनागत भूकम्प न्यूनीकरण प्रयासों को सुदृढ़ करना और उच्च भूकम्प संभावित जोखिम वाले जिलों में भूकम्प जोखिम और असुरक्षा को कम करना है। गुजरात, असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आवश्यक जोखिम न्यूनीकरण उपाय किए जाएंगे। यह परियोजना एनडीएमए द्वारा तैयार किए गए भूकम्प दिशा-निर्देशों के अनुरूप स्कीमों/कार्यकलापों को शामिल करेगी।

(ग) **राष्ट्रीय भू-स्खलन जोखिम न्यूनीकरण परियोजना (एनएलआरएमपी)**- इस परियोजना का लक्ष्य रचनागत और गैर-रचनागत भू-स्खलन न्यूनीकरण प्रयासों को सुदृढ़ करना और भू-स्खलनों और कीचड़ प्रवाह की संभावना वाले पर्वतीय जिलों में भू-स्खलन जोखिम और असुरक्षा को कम करना और भू-स्खलन से उत्पन्न होने वाली आपदाओं के जोखिम को कम करना है। उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैण्ड, त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर में आवश्यक जोखिम शमन उपाय किए जाएंगे।

(घ) **राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन संचार नेटवर्क (एनडीएमसीएन)**- देश को पूर्व चेतावनी और पूर्वानुमान सहित प्रो-एक्टिव आपदा सहायता कार्यकलापों के लिए समर्पित संचार और आईटी सहायता की आवश्यकता है। सहायता का (वाणी, वीडियो और डाटा) का पर्याप्त और अनुकूल अभिसरण किया जाना है। इसे कमान और नियंत्रण और निष्पादन और पूर्व चेतावनी/पूर्वानुमान दोनों के लिए भी बहुस्तरीय बनाया जाना है। संचार नेटवर्क में आपदाओं से उत्पन्न होने वाले जोखिम को कम करने के उद्देश्य से सभी राज्यों और जिला मुख्यालयों में आवश्यक जोखिम न्यूनीकरण उपाय किए जाएंगे।

(ङ) **राष्ट्रीय बाढ़ जोखिम न्यूनीकरण परियोजना (एनएफआरएमपी)**- यह परियोजना बाढ़ों के जोखिम, प्रचण्डता, परिणामों के न्यूनीकरण बाढ़ों से निपटने की क्षमता में सुधार, बाढ़ से निपटने के लिए प्रभावी तैयारी, बाढ़ के संभावित खतरे अथवा वास्तविक रूप से बाढ़ आने पर तत्परता अनुक्रिया में सुधार और विभिन्न बाढ़ आपदाओं से सम्बद्ध असुरक्षा के आकलन के लिए शुरु की गई है। इसका लक्ष्य राहत, पुनर्वास, पुनर्निर्माण हेतु संसाधन संग्रह एवं क्षमता निर्माण और आपदा से उबरना तथा जागरूकता पैदा करना और तैयारी करना है तथा सलाह देना है तथा बाढ़ के कारण आपदाओं से उत्पन्न होने वाले जोखिम कम करना है। असम, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और त्रिपुरा राज्यों में आवश्यक न्यूनीकरण उपाय किए जाएंगे।

(च) **अन्य आपदा प्रबन्धन परियोजनाएं** : अन्य आपदा प्रबंधन परियोजनाओं/अध्ययनों में शामिल हैं:-

i) **सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) परियोजना** : गृह मंत्रालय ने संसाधन सामग्री का एक सैट संकलित/तैयार किया है जिसे विभिन्न संगठनों/संस्थाओं द्वारा विकसित किया गया है और जिसका क्षमता निर्माण

और जागरूकता उत्पन्न करने वाले कार्यकलापों और सर्वोत्तम प्रक्रियाओं की जानकारी देने समेत विगत अनुभवों से सीख लेने के लिए स्थानीय भाषाओं में अनुवाद करने के पश्चात् राज्य सरकारों द्वारा अपनी असुरक्षा के आधार पर प्रतिकृति तैयार की जाएगी और प्रचार-प्रसार किया जाएगा। शिक्षा और प्रशिक्षण में शामिल है- क्षमता निर्माण के लिए सामग्री और प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजनाएं बनाने और उनके न्यूनीकरण के लिए नीति निर्माताओं, प्रशासकों, प्रशिक्षकों, इंजीनियरिंग आदि की दक्षता का उन्नयन। आईईसी सामग्री जोखिम कम करने के लिए न्यूनीकरण एवं तैयारी उपायों को शामिल करने हेतु जागरूकता सृजन का प्रयास करती है

- ii) **प्रमुख शहरों का माइक्रोजोनेशन** : हालांकि भारत के विभिन्न क्षेत्रों का भू-विज्ञान और सिएस्मोटेक्टोनिक्स का भली भांति प्रलेख तैयार किया गया है, प्रचंड भूकम्प के ग्राउन्ड मोशन डाटा का अभाव है। इसके अलावा वर्तमान भारतीय भूकम्पी क्षेत्र मानचित्र अनुवीक्षित नुकसान पैटर्न पर आधारित है जिसमें भूकम्प आने की स्थिति में स्थानिक और अल्पकालिक अनिश्चितताओं को शामिल नहीं किया गया है। इन कमियों को प्रबोबलिस्टिक सिएस्मिक मैप ऑफ इण्डिया (पीएसएचए) द्वारा विकसित करके दूर किए जाने का प्रस्ताव है। इस परियोजना के प्रमुख चर भूकम्पी जोखिम विश्लेषण के लिए भूकम्पों के राष्ट्रीय डाटाबेस कैटलॉग का सृजन करना है जिसमें देश के छह अथवा सात विभिन्न सिएस्मोजिनिक क्षेत्रों हेतु स्ट्रोंग मोशन अटेंशन रिलेशनशिप का विकास/चुनाव और विभिन्न रिटर्न अवधियों के लिए 0.2 X 0.2 की ग्रिड पर बैडरॉक स्तर पर पीजीए और एसएस के लिए राष्ट्रीय पीएसएचए मैप का विकास करना शामिल होगा। भू-तकनीकी अन्वेषण के साथ जुड़ा

यह अध्ययन मौजूदा डाटाबेस की कमियों को कवर करेगा।

- iii) **असुरक्षा विश्लेषण और जोखिम आकलन परियोजना** इसमें असुरक्षित क्षेत्रों में असुरक्षा विश्लेषण और जोखिम आकलन के लिए कार्यप्रणाली निर्धारित करने और अपनाए जाने वाले विभिन्न प्रोबेवलिस्टिक मॉडलों के लिए तकनीकी दस्तावेज तैयार करना शामिल है।
- iv) **स्कूल सुरक्षा परियोजना-** इस कार्यक्रम में जागरूकता प्रोत्साहन और शिक्षा कार्यकलापों के बुनियादी घटक, आपदा जोखिम प्रबन्धन का प्रदर्शन करना, प्रशिक्षण व क्षमता निर्माण व असुरक्षा का आकलन और न्यूनीकरण विकल्प चुनना शामिल हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राष्ट्र और राज्य स्तर पर विभिन्न पहलें शुरू की गई हैं। तथापि, राष्ट्रीय स्तर पर स्कूल जाने वाले बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समन्वित और समग्र दृष्टिकोण की योजना बनाए जाने की आवश्यकता है। वर्तमान में एनडीएमए राज्य सरकारों, यूएनडीपी, सस्टेनेबल इनवायरनमेंटल एण्ड इकोलोजिकल डिवैल्पमेंट सोसाइटी (सीडस) आदि से परामर्श प्राप्त कर रहा है जिन्हें इस कार्यक्रम में विशेषज्ञता प्राप्त है। दिन के समय आने वाले बड़े भूकम्प का परिणाम बच्चों की पूरी पीढ़ी समाप्त होने के रूप में हुआ है। भुज, मुजफ्फराबाद और हाल ही में चीन में आए भूकम्प से इस बात की पुष्टि हुई है। इस प्रकार स्कूल सुरक्षा देश की अतिमहत्वपूर्ण जिम्मेदारियों/उद्देश्यों में एक बन गई है।

विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं

9.3.8 **राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम न्यूनीकरण परियोजना (एनसीआरएमपी)** : भारत सरकार ने राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम न्यूनीकरण परियोजना (एनसीआरएमपी) तैयार की है जिसे 13 चक्रवात

संभावित तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विश्व बैंक की सहायता से क्रियान्वित किया जाना है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य रचनागत और गैर रचनागत प्रयासों को सुदृढ़ करना और चक्रवात संभावित तटीय जिलों के जोखिम और असुरक्षा को कम करना है। एनसीआरएमपी असुरक्षित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को चक्रवात जोखिम न्यूनीकरण के लिए क्षमता निर्माण करने में सहायता देगा।

9.3.9 डीपीआर तैयार करने और परियोजना के कार्यान्वयन के लिए एक परियोजना प्रबन्धन

परामर्शदाता (पीएमसी) की आवश्यकता है। परियोजना प्रबन्धन परामर्शदाता बाद में तय किया जाएगा। इसे परियोजना के प्रबन्धन में लगाया जाएगा। पीएमसी ने 19.5.2008 से कार्य शुरू कर दिया है। पीएमसी ने एनसीआरएमपी के कार्यान्वयन की दिशा में पर्याप्त प्रगति की है। विश्व बैंक मिशन का राज्य स्तर पर तैयारी की समीक्षा के लिए फरवरी, 2009 में कार्यान्वयन करने वाले राज्यों का दौरा करने का कार्यक्रम है।

अध्याय 10

अभिशासन

10.1 वार्षिक योजना 2008-09 में योजना लक्ष्यों को प्राप्त करने में सुशासन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका पर अत्यधिक बल दिया गया है जो इस प्रकार है:-

"जहां एक ओर, शासन का संबंध उन सारी प्रक्रियाओं के प्रबंधन से है, जो किसी समाज में, ऐसा वातावरण सुनिश्चित करता है, जो व्यक्ति विशेष को अपनी क्षमता स्तर बढ़ाने में समर्थ बनाता है, तथा दूसरी ओर उन्हें अपनी क्षमता प्राप्त करने और उपलब्ध विकल्पों के समूह को व्यापक बनाने का अवसर प्रदान करता है। इन प्रक्रियाओं में जीवन के राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक पक्ष शामिल हैं, जो मानव उद्यम के प्रत्येक स्तर को प्रभावित करते हैं, चाहे यह स्तर व्यक्ति, परिवार, ग्राम, क्षेत्र का हो, अथवा राष्ट्रीय हो। इसमें राज्य, सिविल समाज और बाजार शामिल हैं, और इनमें से प्रत्येक मानव विकास को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण हैं। राज्य व्यक्तिगत क्षमताओं के निर्माण एवं निजी पहल के प्रोत्साहन हेतु अनुकूल राजनीतिक, विधिक और आर्थिक वातावरण सृजित करने के लिए उत्तरदायी है। बाजार से उम्मीद की जाती है कि वह जनता के लिए अवसर सृजित करे। सिविल समाज जनमत संग्रह और आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकलापों में जनभागीदारी को सुविधाजनक बनाता है।"

10.2 शासन में विविध अभिकरणों - राज्य, नागरिक समाज और निजी क्षेत्र की पारस्परिक क्रिया शामिल है। इसमें वे बहुविध प्रक्रियाएं एवं संबंध भी शामिल हैं, जिनके अंतर्गत संस्थान, वितरण प्रणाली और नियमों एवं विनियमों का ढांचा शामिल है। जैसाकि शासन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए पिछली दशाब्दी में शासन के संबंध में

उठती चिंताओं अथवा सामाजिक विज्ञानियों के अवधारणात्मक एवं सैद्धांतिक हस्तक्षेपों, और सरकार द्वारा किए गए विभिन्न व्यावहारिक प्रयासों में प्रकट होता है।

10.3 पिछले वर्षों के दौरान शासन की गुणवत्ता सुधारने के लिए बहुत से कदम उठाए गए थे:-

- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 लागू किया गया। यह उन संघ एवं स्थानीय अभिकरणों, स्थानीय सरकारों और सोसाइटियों पर लागू होता है, जो सार्वजनिक धन प्राप्त कर रहे हैं और यह अधिनियम नागरिकों को सूचना प्राप्त करने का अधिकार देता है।
- राज्य और केन्द्रीय सरकारों द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले विनिर्दिष्ट पदों के लिए एक निश्चित पदावधि का प्रावधान करते हुए अखिल भारतीय सेवा नियमावली में संशोधन किया गया। यह जवाबदेही बढ़ाने में सहायक होगा।
- एक नई मूल्य वर्धित कर व्यवस्था लागू की गई, जो कर प्रणाली को सरल बनाती है और इसके कर ढांचे में प्रमुख सुधार के लिए अत्यधिक सकारात्मक निहितार्थ हैं।
- पारदर्शिता एवं निष्पक्षता बढ़ाने और चुनाव में चंदा देने वालों के लिए कर प्रोत्साहनों का प्रावधान करके तथा सार्वजनिक पदों के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की पारिवारिक एवं सामाजिक पृष्ठभूमि को प्रकट करके निर्वाचक निधियन सुधार लागू किए गए।
- सेवाओं की आपूर्ति में सहायता करने और सुधार करने तथा सूचना का डिजिटिकरण करने

के उद्देश्य से तैयार की गई ई-गवर्नेन्स योजना को 27 प्रमुख क्षेत्रों में अपनाया गया।

- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और अन्य उपायों के तहत भागीदारी शासन संबंधी पहले शुरू की गई।
- भागीदारी व्यवस्था को बढ़ाने में स्वैच्छिक क्षेत्र के महत्व को प्रकट करते हुए केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वैच्छिक संगठनों के लिए नीति घोषित की गई।
- एक राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण स्थापित किया गया ताकि इस महत्वपूर्ण क्षेत्र की ओर अधिक ध्यान केन्द्रित किया जा सके तथा आपदाओं का अधिक कारगर तरीके से समाधान करने के लिए पूर्व तैयारी की जा सके।

10.4 शासन की चुनौतियों का समाधान करने के लिए, माननीय प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में जून, 2005 में अंतरराज्यी परिषद की नौवीं बैठक हुई जिसमें सुशासन के संबंध में 139-सूत्री कार्य योजना को औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया, जो शासन सुधार के संबंध में राज्यों में राजनीतिक सहमति का प्रतीक रहा। इस कार्य योजना की एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिफारिश संस्थागत क्षमता निर्माण के उपाय के रूप में एक राष्ट्रीय सुशासन केन्द्र स्थापित करना था, जो केन्द्रीय, राज्य और स्थानीय सरकारों को सुशासन के आधारभूत सिद्धांतों के अनुसार शासन एवं सार्वजनिक प्रबंधन व्यवस्था को बदलने में सहायता करेगा।

10.5 एनएसजीजी स्थापित करने संबंधी परिषद की सिफारिश को कार्यान्वित करने के लिए अंतर-राज्यीय परिषद सचिवालय (आईएससीएस), गृह मंत्रालय नोडल एजेंसी है। आईएससीएस माननीय गृह मंत्री के अनुमोदन से एक केन्द्रीय क्षेत्र योजना परियोजना की स्थापना के लिए सरकार की आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने के लिए अपेक्षित कार्रवाई कर रहा है।

सुशासन की अवधारणा

10.6 सुशासन शब्द का अर्थ लोकप्रशासन, सिविल सेवा या सरकार से कहीं अत्यधिक अलग है। सुशासन प्रतिमान सरकार और शासन के बीच अंतर करता है। सुशासन प्रतिमान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विचार विषय सुशासन की निर्धारित विशेषताएं हैं जिसमें भागीदारी, विधि का शासन, पारदर्शिता, जवाबदेयता, समता व समावेशन, कारगरता व दक्षता, उत्तरदायित्व, राजनीतिक दृष्टिकोण और सहमति अभिभूखीकरण शामिल है। सुशासन का प्रयोग करने के लिए सार्वजनिक सेवाओं में उन निश्चित आधारभूत मूल्यों की आवश्यकता होती है जिनका समुचित संस्थागत प्रबंधन के द्वारा से सावधानीपूर्वक पालन किया जाना जरूरी है।

10.7 सुशासन के अंतर्गत समाज की उभरती हुई शासन संबंधी चुनौतियों के अनुकूल बदलाव करने और इनके समाधान के लिए राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था में केन्द्रीय सत्ता की क्षमता भी शामिल है, जो वैश्वीकरण, विशेषकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वित्तीय व्यवस्थाओं के एकीकरण के कारण सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो चुका है।

10.8 वर्तमान में सार्वजनिक सेवा आपूर्ति सहित सार्वजनिक नीति एवं शासन की समस्याओं से संबंधित संस्थागत क्षमता, विशेषकर अनुसंधान क्षमता को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। वस्तुतः देश में लोक प्रशासन के क्षेत्र में अनेक संस्थाएं हैं, जिन्होंने लोक प्रशासन या ई-गवर्नेन्स के विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता विकसित की है, तथापि उनका ध्यान मुख्य रूप से लोक प्रशासन के क्षेत्र में विशिष्ट ज्ञान-विज्ञान के विषयों और तकनीकी विधियों पर केन्द्रित रहा है। बहरहाल, वर्तमान संस्थाओं में सार्वजनिक नीति में बहु-विषयक और परस्पर विरोधी विषयक अनुसंधान क्षमता का अधिक अभाव है। उभरती हुई शासन समस्याओं की लगातार पहचान करने वाली संस्थागत क्षमता विविध क्षेत्रों और संस्थाओं से जानकारी प्राप्त करती है, उन्हें संपूर्ण शासन सुधार एजेंडा में एकीकृत और

समायोजित करती है ताकि उन्हें लोक नीति निर्माण में समाहित किया जा सके परन्तु वर्तमान समय में यह पर्याप्त अंतर विषयक निपुणता और नीतिगत स्तर पर सरकार के साथ शिथिल संपर्क दोनों के कारण अविद्यमान है।

10.9 अपने को अनुसंधान कार्य में व्यस्त रखने में उत्साहित होने के बावजूद, कुछ स्वदेशी उत्कृष्ट संस्थाएं लोकनीति संबंधी भाषणों को वैश्विक परिवर्तनों के अनुरूप विकसित करने में सक्षम नहीं रही हैं, अधिकांश संस्थाएं मुख्य रूप से केवल प्रशिक्षण कार्यक्रमों में व्यस्त हैं तथा उनके द्वारा जो कुछ भी प्रदान किया जाता है, उसमें लोकनीति और शासन के क्षेत्र में नए मार्गदर्शी सिद्धांत बनाना शामिल नहीं है। बहुत से गैर-सरकारी संगठन जो अपने आपको वैचारिक आधारभूमि (थिंक टैंक) बताते हैं, के पास केवल क्षेत्र संबंधी विशेषज्ञता है तथा कई तो मात्र शैक्षिक अनुसंधान संस्थान बनाए हैं और वे अनिवार्य रूप से सार्वजनिक शासन के क्षेत्र में नीति उन्मुख कार्य नहीं कर रहे हैं।

10.10 सुशासन सुधार एजेंडा में सभ्य समाज के प्रतिनिधियों के साथ-साथ शासन प्रक्रियाओं में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों, सरकारी सेवकों और अन्य पणधारियों के लिए परिवर्तन प्रबंधन संबंधी महत्वपूर्ण मुद्दों पर अधिक सकेन्द्रित ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है, दुर्भाग्यवश वर्तमान समय में, परिपूर्ण तरीके से शासन सुधार के परिवर्तन प्रबंधन और माइन्डसेट ब्लॉक से संबंधित इन मुद्दों का समाधान करने वाला कोई भी शीर्षस्थ स्तर की संस्था नहीं है।

10.11 प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग ने शासन संहिता के रूप में सुशासन के लिए आधारभूत सिद्धांत प्रस्तावित किया है। इस संहिता के मुख्य घटक इस प्रकार हैं (1) सेवा आपूर्ति में सुधार करना (2) कमजोर वर्गों एवं पिछड़े क्षेत्रों के लिए कार्यक्रम विकसित करना (3) प्रौद्योगिकी एवं पद्धति में सुधार करना (4) वित्तीय प्रबंधन एवं बजट पुनीतता (5) जवाबदेही एवं पारदर्शिता (6) लोक

सेवा मनोबल एवं भ्रष्टाचार रोकथाम और (7) सुधारों का प्रोत्साहन।

संस्थागत क्षमता का सुदृढीकरण

10.12 यह अक्सर तर्क दिया गया है कि ऊपरी तौर पर शासन का सरकार केन्द्रित विचार किसी भी परियोजना के लिए बेहतर शुरुआत नहीं है, इसके लिए शासन की गुणवत्ता में अधिक परिवर्तन की आवश्यकता होती है। शासन का दृष्टिकोण संस्थाओं के बारे में कम है और प्रक्रियाओं एवं परिणामों के बारे में अधिक होता है, ताकि संस्थागत अभिकल्पना अपने आप में साध्य बनने के अलावा साधन बन सके। शासन परिदृश्य पर सरकार के अलावा कर्ता की उपस्थिति से पता चलता है कि शासकीय संरचना के प्रति कम दिलचस्पी है और संरचनाओं के बीच गतिशील परस्पर क्रिया के प्रति अधिक है।

10.13 अतः भारतीय संदर्भ में संस्थागत क्षमता निर्माण की किसी भी रणनीति में लोकनीति और शासन मुद्दों से संबंधित अनुसंधान के बीच अंतर को ध्यान में रखना होगा तथा देश में विद्यमान उत्कृष्ट संस्थाओं, चाहे वे कितनी ही क्षेत्र विषयक और अनुयायी विशिष्ट हों, की क्षेत्र विशेषज्ञता एवं केन्द्रीय क्षमता का अधिकतम उपयोग करना होगा। अतः इस संदर्भ में संस्थागत क्षमता निर्माण की उपयुक्त रणनीति संस्थाओं का एक नेटवर्क तैयार करने की होनी चाहिए, जिसमें महत्वपूर्ण केन्द्र के रूप में एक नयी राष्ट्रीय स्तर की शीर्ष संस्था एनसीजीजी हो तथा इसके निर्णायक साझेदार के रूप में विद्यमान उत्कृष्ट संस्थाएं हों। शीर्ष संस्था एनसीजीजी की भूमिक "मुख्य" संस्था की भूमिका जैसी होगी। समग्र एवं सतत आधार पर सुशासन सुधार एजेंडा को कार्यान्वित करने के लिए तथा सम्पूर्ण नेटवर्क की समग्र क्षेत्र विशेषज्ञता और केन्द्रीय क्षमता को संभालने के लिए नेटवर्क में शामिल ये संस्थाएं पूरकता एवं महत्वपूर्ण समझौता सिद्धांतों के आधार पर एक दूसरे की क्षेत्र विशेषज्ञता और केन्द्रीय क्षमता का उपयोग करेंगी।

10.14 जैसाकि ग्यारहवीं योजना में विचार किया गया है कि सुशासन सुनिश्चित करके ही समावेशी विकास के लक्ष्य को पूर्ण रूप से हासिल किया जा सकता है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज के अनुसार सुशासन के अंतर्गत निम्नलिखित विशिष्ट आयाम शामिल हैं--

- 1) एक प्रजातांत्रिक देश होने के नाते सुशासन की एक मुख्य विशेषता सभी जनसंख्या वर्ग को प्रभावशाली भागीदारी के साथ निष्पक्ष तरीके से विभिन्न स्तरों पर सरकार को चुनने का संविधान द्वारा संरक्षित अधिकार है। यह सरकार की वैधता और निर्वाचकों के प्रति उसकी जवाबदेही के लिए मूलरूप से जरूरी हैं।
- 2) सभी स्तरों पर सरकार को उत्तरदायी एवं पारदर्शी अवश्य होना चाहिए। प्रत्यक्ष जवाबदेही भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए जरूरी है, जिसकी शासन में बड़े पैमाने पर कमी पाई गई है। जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए और उचित भागीदारी को सक्षम बनाने के लिए पारदर्शिता भी महत्वपूर्ण है।
- 3) सरकार को सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं की आपूर्ति में अवश्य ही प्रभावशाली एवं पूर्णतः सक्षम होना चाहिए, जोकि इसका प्राथमिक उत्तरदायित्व है। इसके लिए अपने कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाते समय सतत निगरानी एवं ध्यान की आवश्यकता है। हमारी स्थिति में, जहां प्राथमिक शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी केन्द्रीय सेवाओं की आपूर्ति की जवाबदेही स्थानीय स्तर पर है, इसके लिए स्थानीय सरकार की प्रभावशीलता एवं सक्षमता सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।
- 4) निचले स्तर पर सरकार तभी सक्षम तरीके से कार्य कर सकती है, यदि उन्हें ऐसा करने का अधिकार दिया जाता है। यह विशेष रूप से पंचायती राज संस्थाओं के लिए प्रासंगिक है, जो वर्तमान समय में संवैधानिक सौंपे गए

कार्यों को पूरा करने में अपर्याप्त निधि अंतरण और अपर्याप्त कार्यकर्ता के कारण कष्ट उठाती है।

- 5) एक अत्यंत अत्यधिक आवश्यकता इस बात की है कि विधि सम्मत शासन अवश्य ही दृढ़ता से स्थापित किया जाना चाहिए। यह न केवल व्यक्तियों को अपना हक मांगने में सरकार और व्यक्तियों के बीच संबंधों के लिए प्रासंगिक है, बल्कि व्यक्तियों और व्यवस्थाओं के बीच संबंधों के लिए भी प्रासंगिक है। आधुनिक आर्थिक समाज बड़े पैमाने पर निजी हस्तियों के बीच जटिल परस्पर क्रियाओं पर निर्भर हैं और इन परस्पर क्रियाओं को तभी कुशलतापूर्वक पूरा किया जा सकता है, यदि कानूनी अधिकार स्पष्ट हों और इन अधिकारों को लागू करने के कानूनी उपाय तात्कालिक हों।
- 6) अंततः सम्पूर्ण व्यवस्था इस तरीके से चलनी चाहिए कि वह निष्पक्ष और समावेशी दिखे। यह प्रत्यक्ष बोध का विषय है, परन्तु फिर भी वास्तविक है। सुविधावंचित वर्गों विशेष रूप से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों और अन्य वर्गों को लगे कि उनका भी समान हक है और उन्हें निरंतर पर्याप्त लाभ प्राप्त हो रहा है ताकि राज्य की वैधता सुनिश्चित की जा सके।

विकेन्द्रीकरण और शासन

10.15 विकेन्द्रीकरण सुशासन की एक अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषता है। सेवा प्रावधान और निगरानी के विकेन्द्रीकरण से जनता को अपनी भावनाएं व्यक्त करने का अधिकार मिलता है और अधिक जवाबदेही और पारदर्शिता आती है। संविधान में जिला योजना समितियां स्थापित करने का प्रावधान है, जिनसे जिले भर में पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा बनाई गई योजनाओं को समेकित करने की अपेक्षा की गई है। जिला योजना के लिए योजना आयोग के मार्गदर्शी सिद्धांतों और

जिला योजनाओं को ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना और वार्षिक योजना 2008-09 में शामिल करने से जिला योजनाओं और जिला स्तर पर स्थानीय सरकारी संस्थाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रेरणा प्राप्त होगी ।

10.16 ऐसे महत्वपूर्ण उपाय किए जाने की आवश्यकता है, जिनसे यह सुनिश्चित हो सके कि पंचायतें सेवा आपूर्ति कार्य में कारगर हो जाएं । ये उपाय इस प्रकार हैं'---

- यह सुनिश्चित करना कि पंचायतों को कार्य योजना बनाकर स्पष्ट रूप से निर्धारित भूमिका सौंपी गई है।
- घोषित राष्ट्रीय और राज्य-लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में केन्द्र प्रायोजित और राज्य-स्कीमों को स्थायी बनाना ।
- वित्तीय अंतरण की एक सुगठित प्रक्रिया बनाना, जो पंचायतों को प्रत्येक स्तर पर सौंपे गए कार्यों को करने के लिए उपयुक्त हो।
- पंचायतों को अपने उत्तरदायित्वों को कारगर तरीके से पूरा करने के व्यापक संदर्भ में उन्हें समर्थता प्रदान करना ।
- सेवाओं की बेंचमार्किंग सुनिश्चित करना ताकि परिणामों के संदर्भ में पंचायतों का स्पष्टतया से आकलन किया जा सके।
- जवाबदेही प्रणाली लागू करना, ताकि अंतिम रूप से पंचायतों की सेवाएं प्राप्त करने वाले नागरिक पंचायतों को सेवा आपूर्ति में किसी तरह की कमी के लिए जवाबदेही ठहरा सकें।
- सभी संबंधितों की ओर से जन उत्साह को बढ़ाना ।

10.17 पंचायत उत्तरदायित्व व्यवस्था के मूलभूत तत्व निम्नलिखित हैं:--

- पंचायत कार्य संचालन संबंधी पंचायती राज अधिनियम और नियम जैसे कि कितनी बार और कैसे बैठकों का आयोजन किया जाए, अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाए और उन्हें देखने दिया जाए ।
- ग्राम सभा को योजनाएं अनुमोदित करने, लाभार्थियों का चुनाव करने, योजना कार्यान्वयन की निगरानी करने, भुगतान का अनुमोदन करने और सामाजिक लेखा परीक्षण कराने के लिए अधिकार देने वाला राज्य पंचायती राज विधान ।
- सामाजिक लेखा परीक्षण व्यवस्था ।
- पंचायतों की बजटिंग की स्पष्ट संरचना।
- सूचना के अधिकार और सूचना प्रकाशन को समय-समय पर नियंत्रित करने की संरचना के लिए विधायी प्रावधान ।
- लोकपाल के समान प्राधिकारी के लिए विधायी प्रावधान ।

10.18 इस बात को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि भिन्न-भिन्न पंचायती राज संस्थाओं के प्रस्तावों को जिला योजना में शामिल कर लिया जाए, इसके लिए बहुस्तरीय एवं पुनरावर्तीय योजना प्रक्रिया के द्वारा जिला स्तर पर क्षेत्र संबंधी और अंतर क्षेत्र संबंधी दोनों के लिए एक ढांचा विकसित करना होगा जिसमें सबसे निचले स्तर पर मूल्यांकन और प्राथमिकता देने का कार्य किया जाता है तथा इसके बाद उच्च स्तर पर समेकित किया जाता है।

10.19 एक अर्थ में ग्राम सभा प्रत्यक्ष प्रजातंत्र और प्रत्यक्ष जवाबदेही को सुविधाजनक बनाने वाला शासन का चौथा स्तर है। पंचायती राज संस्थाओं को कारगर बनाने के लिए उनतक विशेषकर गरीब समुदायों की पहुंच हो तथा उन्हें विकास प्रक्रिया में शामिल किया जाए। पंचायती राज संस्थाओं और सीबीओ के बीच संपर्क स्थापित करने के लिए व्यापक क्षमता निर्माण के प्रयास की आवश्यकता है।

ई-गवर्नेन्स

10.20 ई-गवर्नेन्स का लक्ष्य नागरिकों और व्यवसायों दोनों को अधिक कुशल सेवा आपूर्ति के लिए तथा विभिन्न कार्यक्रमों, परियोजनाओं और स्कीमों की अधिक कारगर आपूर्ति के लिए भी तकनीक का प्रयोग करना और रि-इंजीनियरिंग करना है। यदि पारदर्शिता, कार्यकुशलता, प्रतिक्रियाशीलता, लागत प्रभावोत्पादकता और जवाबदेही सुशासन की विशेषताएं हैं, तो ई-गवर्नेन्स तकनीक प्रयोग द्वारा इन विशेषताओं को प्राप्त करने का साधन है।

10.21 भारतीय संदर्भ में, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी), एक नये तकनीक - आर्थिक प्रतिमान के रूप में मानव क्षमता में सुधार करने, समाज के उपेक्षित वर्गों को एकीकृत करने, सेवा प्रावधान को आधुनिक बनाने और बढ़ी हुई पारदर्शिता एवं कार्यकुशलता के कारण किराए पर कार्य कराने का प्रयास कम करने का एक साधन है। संधारणीय वृद्धि एवं विकास के लिए सामाजिक संगठनों को प्रेरित करने और प्रौद्योगिकी में लगातार सुधार करने की आवश्यकता है, ताकि उत्पादन कारकों के संचय को प्रोत्साहित किया जा सके। अतः सुशासन के लिए सूचना एवं संचार के क्षेत्र में समय से पूर्व ही योग्यता अर्जित करने, जटिल सरकारी प्रक्रियाओं एवं पद्धतियों को सरल बनाने के लिए ई-गवर्नेन्स साधन का उपयोग करने, सार्वजनिक सेवा आपूर्ति प्रणाली को सरल बनाने, सरकारी कर्मचारियों के साथ नागरिकों के प्रत्यक्ष मेलजोल को सुकर बनाने और कम करने, सूचना प्रबंधन में सुधार करने एवं सार्वजनिक प्राधिकरणों के निष्पादनों की कारगर तौर पर जानकारी रखने की आवश्यकता है, ताकि तकनीकी लाभ का सार्वजनिक सेवा आपूर्ति एवं शासन में सुधार करने के लिए समुचित रूप से प्रयोग किया जा सके। वर्तमान समय में सभी सरकारी स्तरों पर प्रचलित नियमों/प्रथाओं की आधारीक यथार्थ स्थिति का विश्लेषण करने और तकनीकी विधियों का प्रयोग करके समाधान विकसित करने के लिए जरूरी बहु-

विषयक और परस्पर विरोधी विषयक क्षमता, जो देश में विविध संघीय शासन की समस्याओं को सुलझा सकने में समर्थ होगी, की कमी है। सुशासन का संबंध न केवल ई-शासन सहित शासन के बेहतर ढंग/तरीकों के बारे में दस्तावेज तैयार करने तथा केन्द्र, राज्यों, स्थानीय सरकारों और सिविल समाजिक संगठनों में प्रचार के लिए सुधार प्रक्रिया करने से है, बल्कि इसका संबंध इन तीनों स्तरों पर सरकारों की विविध आवश्यकताओं के अनुरूप सामंजस्य स्थापित करने से भी है।

10.22 ई-गवर्नेन्स के संदर्भ में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का सुझाव था कि नागरिकों पर तत्काल प्रभाव डालने के लिए उन महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं और सेवाओं की पहचान करना और उन्हें सरल बनाया जाना जरूरी है, जो वर्तमान समय में धीमी एवं अकुशल दफ्तरशाही वाली है तथा जिनसे अनावश्यक देशी एवं भ्रष्टाचार की संभावना है। इस एजेंडा का प्रथम एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व विभिन्न सरकारी विभागों की प्रक्रियाओं में बदलाव लाना है।

10.23 सरकार के राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में मूलभूत शासन की गुणवत्ता में सुधार करने को प्राथमिकता दी गई है और इस संदर्भ में आम लोगों के महत्व के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर ई-गवर्नेन्स को बढ़ावा देने का प्रस्ताव है। इस प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीआईटी) और प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरएंडपीजी) द्वारा राष्ट्रीय ई-गवर्नेन्स योजना तैयार की गई है तथा वर्तमान समय में इसमें केन्द्र, राज्य और स्थानीय सरकारों के स्तर पर कार्यान्वित किए जाने के लिए कॉमन कोर एंड सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और अनेक मिशन मोड प्रोजेक्ट्स सहित प्रमुख घटक शामिल हैं। एनईजीपी का लक्ष्य नागरिकों और कारोबार को दी जाने वाली सरकारी सेवाओं की आपूर्ति में सुधार करना है तथा उसकी निम्नलिखित भविष्य की कल्पित योजना (विजन) है:-

"आम लोगों को उनके ही इलाके में सामान्य सेवा आपूर्ति केन्द्रों के द्वारा सभी सरकारी सेवाएं सुलभ कराना तथा आम लोगों की मूलभूत जरूरतों को समझते हुए सस्ती कीमतों पर ऐसी सेवाओं की पर्याप्तता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना है।"

10.24 सरकार ने भविष्य की इस कल्पित योजना (विजन) के लिए दिनांक 18 मई, 2006 को राष्ट्रीय ई-गवर्नेन्स योजना कार्यान्वयन कार्यनीति, मुख्य घटक और कार्यक्रम प्रबंधन संरचना को मंजूरी दे दी है। इसकी मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:--

- (1) केन्द्रित अवधारणा - विकेन्द्रित मनोभाव ।
- (2) केन्द्र, राज्य और स्थानीय सरकारों के स्तर पर 27 मिशन मोड परियोजनाओं का विस्तार ।
- (3) 6 लाख गांवों के लिए एक लाख जनसेवा केन्द्र ।
- (4) स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (स्वान) - ब्लॉक स्तर तक ऑप्टिक फाइबर कनेक्टिविटी।
- (5) दीर्घकालिक संधारणीयता के लिए प्रभावकारी सार्वजनिक - निजी भागीदारी ।

10.25 केन्द्र, राज्य और स्थानीय सरकारों के स्तर पर कार्यान्वयन के लिए एनईजीपी में 27 मिशन मोड परियोजनाएं (एमएमपी) और 10 सहायक घटक शामिल हैं।

10.26 सुशासन का अर्थ (क) नागरिकों (जी2सी) (ख) कारोबार (जी2बी) के साथ सरकार के आपसी मेलजोल से संबंधित सभी पहलुओं से है। सेवा/कार्यक्रम की आपूर्ति के वास्ते एक साझा मंच बनाने के लिए नागरिकों और कारोबार के यूनिक इंटेग्रेटिफायर्स के रूप में क्रमशः जी2सी क्षेत्र में यूआईडी और जी2बी क्षेत्र में सीआईएन बनाने का प्रस्ताव है । यह यूनिक आइडेंटिफिकेशन (यूआईडी) परियोजना अंततः गृह मंत्रालय की सिटिजन स्मार्ट

कार्ड परियोजना का आधार बन जाएगी। इस स्मार्ट कार्ड की मेमोरी होगी जो विशिष्ट मोड्यूल्स में विभाजित होगी जिनमें उन विभिन्न अधिकृत वर्गों का वर्णन होगा जिनके लिए मुफ्त की सेवाएं या अव्यक्त / व्यक्त सब्सिडियां प्रदान की जाती हैं। इनके अंतर्गत खाद्य एवं पोषण, ऊर्जा (कैरोसीन, एलपीजी, बिजली), शिक्षा सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं, नागरिक सुविधाएं एवं सेवाएं (पेयजल, शौचालय/साफ सफाई), रोजगार (एनआरईजी), आर्थिक सेवाएं/फार्मिंग (उर्वरक, सिंचाई, जल, एमएसपी) शामिल हैं।

10.27 जहां एक ओर मिशन मोड परियोजना विभिन्न विभागों के बैकिंग कम्प्यूटरीकरण को सक्षम बनाएगी, जिससे वे किसी भी समय किसी भी जगह सेवा आपूर्ति के लिए सक्षम हो जाएंगे, वहीं दूसरी ओर नागरिकों को दरवाजे पर ही सरकारी सेवाएं मुहैया कराने के विजन को प्राप्त करने के लिए एक जनसेवा आपूर्ति प्लेटफार्म बनाया जा रहा है। तीन महत्वपूर्ण तत्व जो इस कारगर सेवा आपूर्ति के आधार हैं, वे हैं:-- स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (स्वान), सेवा आपूर्ति का अग्रिम केन्द्र, अर्थात् जन सेवा केन्द्र (सीएससी) और स्टेट डाटा केन्द्र (एसडीसी)। सरकार ने देश के 29 राज्यों और 6 संघ राज्य क्षेत्रों में स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (स्वान) स्थापित करने की स्कीम को मंजूरी दे दी है जिसकी कुल लागत 3334 करोड़ रुपए है। स्वान स्कीम का काम पूरा ही होने वाला है और उम्मीद है कि स्वान नेटवर्क वर्ष 2008 के अंत तक सभी राज्यों में तैयार हो जाएगा । सीएससी स्कीम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100,000 ब्राडबैंड इंटरनेटयुक्त सार्वजनिक टेलीफोन गृहों की स्थापना करने का विचार है जो नागरिकों के दरवाजे पर ही सरकारी और निजी सेवाओं की आपूर्ति करेंगे । अर्धशहरी/शहरी क्षेत्रों में 10,000 अतिरिक्त सीएससी स्थापित किए जाएंगे । यह भी आशा की जाती है कि वर्ष 2008 के अंत तक अधिकांश राज्यों में सीएससी चालू हो जाएंगे ।

10.28 नगरपालिकाओं में ई'-गवर्नेन्स स्कीम के तहत जन्म एवं मृत्यु प्रमाण-पत्र, सम्पत्ति कर, भवन निर्माण योजना अनुमोदन, स्वास्थ्य कार्यक्रम, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, लेखा-जोखा प्रणाली आदि से संबंधित आठ सेवाएं शामिल हैं। इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत 787 करोड़ रुपये है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को सिंगल विंडो सर्विस प्रदान करने के लिए नगरपालिकाओं में ई-गवर्नेन्स लागू करना, यूएलबी की क्षमता एवं उत्पादकता बढ़ाना और समय पर एवं विश्वसनीय प्रबंधन जानकारी मुहैया कराना, आदि है। वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान इस स्कीम के तहत श्रेणी 1 स्तर के शहरों (1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले कुल 423) में सभी यूएलबी को कवर करने का विचार है। वर्ष 2007-08 के दौरान मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले 35 शहरों को कवर किए जाने का प्रस्ताव है तथा शेष शहरों को बाद के वर्षों में कवर किया जाएगा।

10.29 वर्ष 2007-08 के दौरान राष्ट्रीय शहरी सूचना स्कीम (एनयूआईएस) के तहत 440 अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए लगभग 22 कार्यक्रम संचालित करने का प्रस्ताव था। वार्षिक योजना 2007-08 के दौरान एनयूआईएस के लिए 9 करोड़ रुपये का परिव्यय आवंटित किया गया है।

स्वैच्छिक संगठन

10.30 केन्द्र सरकार द्वारा जुलाई, 2007 में राष्ट्रीय स्वैच्छिक संगठन नीति अधिसूचित की जा चुकी है जिसका लक्ष्य ऐसी संस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ करना, उन्नत करना और विकसित करना है। इस नीति के निम्नलिखित उद्देश्य हैं--

- (1) स्वैच्छिक संगठनों (वीओज) के लिए एक ऐसा वातावरण बनाना जो उनके उद्यम और प्रभावशीलता को प्रेरित करे और उनकी स्वायत्तता को सुरक्षित रखे।
- (2) स्वैच्छिक संगठनों को भारत और विदेशों से वैध तरीके से जरूरी वित्तीय संसाधन एकत्रित करने में समर्थ बनाना।

(3) ऐसी पद्धतियों की पहचान करना जिनके द्वारा सरकार पारस्परिक विश्वास एवं आदर और साझा जवाबदेही के आधार पर स्वैच्छिक संगठनों के साथ मिलकर कार्य कर सके, और

(4) शासन एवं प्रबंधन की पारदर्शी एवं जवाबदेही पद्धतियों को अपनाने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को प्रोत्साहित करना।

10.31 प्रजातंत्र में, स्वैच्छिक संगठन सार्वजनिक "वाच डॉग" के रूप में कार्य करते हैं और कार्यपालिका एवं अन्य अंगों द्वारा शक्ति का मनमाना प्रयोग किए जाने पर रोक लगाते हैं। इनमें से बहुत संगठन कुछ निश्चित परियोजनाओं के कार्यान्वयन में उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं जिनमें से कुछ को सरकार द्वारा धन प्रदान किया जाता है। शासन सुधार नीति को लागू करने के लिए प्रभावकारी उपाय अवश्य किए जाने चाहिए।

भ्रष्टाचार

10.32 आज सार्वजनिक सेवाओं में भ्रष्टाचार ने गंभीर रूप धारण कर लिया है। अतः दो मोर्चों पर कार्य करना जरूरी है। प्रथम, उन दोषियों की पहचान करने का दंडात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए और उनकी सजा कठोर बनाई जानी चाहिए। द्वितीय, संगठित प्रयास से ऐसी प्रणालियां विकसित करने की आवश्यकता है जिनमें भ्रष्टाचार की संभावना कम हो। कुछ सुझाव जिन पर गंभीरता से कार्य करने की आवश्यकता है, वे हैं:- भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम 1988 और अन्य संबंधित विधियों की समीक्षा करना, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की "वाच डोग" की भूमिका को सुदृढ़ करना, जनोपयोगी सेवाओं में और नगर निगम एवं अन्य सेवाओं में भ्रष्टाचार की समस्या का समाधान ढूंढना, सभी विधानों, नियमों और कार्यपालिका आदेशों की पूरी-पूरी एवं क्रमबद्ध समीक्षा, सरकारी और निजी उद्यमों के बीच संबंधों को नियंत्रित करने के लिए आचार संहिता का निरूपण एवं

प्रवर्तन तथा स्वतंत्र प्राधिकरणों द्वारा स्वयं पुलिस व्यवस्था प्रबंधन विकसित किया जाना चाहिए

सिविल सेवा सुधार

10.33 प्रशासनिक सुधार आयोग ने नियुक्ति, पदोन्नति और स्थानान्तरण के लिए आचार, मापदंड एवं कार्यवाही संहिता, सरकार में पदावधि, कार्य नियमावली की मॉनिटरिंग में लोक सेवा आयोगों/ प्रशासनिक प्राधिकरणों की भूमिका, उन सरकारी कर्मचारियों की सुरक्षा जो भ्रष्ट कार्यों का भंडा-फोड़ करते हैं जैसे विषयों पर व्यापक सिफारिशों की है। कुछ मूल्य जिनके लिए सरकारी कर्मचारियों को शासनादेश दिया जा सकता है कि वे उनका पालन करें। वे हैं-- वस्तुपरकता, निष्ठा, तटस्थता, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण, पारदर्शिता, अनुकरणीय आचरण, सुलभता और कार्यकुशलता।

पुलिस एवं न्यायिक सुधार

10.34 खराब पुलिस व्यवस्था, निम्न स्तरीय जांच, बेमन से चलाई गई अभियोग प्रक्रिया, द्वेषभावपूर्ण गवाही और उच्च रिहाई दर के वर्तमान दुष्चक्र को अत्यधिक व्यावसायिक निपुणतापूर्ण जांच, अत्यधिक जवाबदेह अभियोग प्रक्रिया, उच्च दोष सिद्ध होने दर एवं कम अपराध के सद-चक्र में परिवर्तित किया जाएगा। अपराध करने के समय से लेकर न्याय-निर्णय एवं दोषसिद्ध तक अपराध और अपराधी को समझना और उसका निरीक्षण व परीक्षण करना संभव है। दण्ड दिए जाने के समय तक प्रत्येक मुकदमों की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए एक साझा नेटवर्क पर एकीकृत डेटाबेस की जरूरत है। राज्य सरकारों को अपराध एवं दण्ड खोजी पद्धति और अपराध खोजी पद्धति के साथ-साथ अपराध एवं दण्ड के लिए एक एकीकृत पोर्टल की स्थापना करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

10.35 सरकार ने समय-समय पर विधि आयोग जैसे विशेषज्ञ निकायों की राय एवं सिफारिशों के आधार पर मुकदमों का शीघ्र निपटान करने के लिए-प्रक्रियाओं को सरल बनाने और विभिन्न

प्रक्रियात्मक कानूनों में सुधार करने के लिए बहुत से उपाय किए हैं। सरकार ने न्यायाधीशों/न्यायिक अधिकारियों आदि के पदों की संख्या भी बढ़ाई है और विभिन्न स्थानों पर विशेष न्यायालयों/न्यायाधिकरणों आदि की स्थापना की है तथा विशेष न्यायिक/मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति की है। सरकार ने न्यायालयों के कम्प्यूटीकरण तथा पंच निर्णय एवं सुलह प्रक्रिया जैसे विवाद निपटारा के वैकल्पिक तरीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया है। लोक अदालतों को विवादों के निपटारा के लिए सांविधिक आधार प्रदान किया गया है।

10.36 यद्यपि न्यायिक सुधार के संबंध में कुछ उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं, तथापि अभी बहुत कुछ किया जाना है। सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश और मुख्य न्यायाधीशों के परामर्श के तहत एनआईसी ने कोर्टसिस (कोर्ट इनफॉर्मेशन सिस्टम) की शुरुआत कर दी है, जिसमें सभी 18 उच्च न्यायालयों को शामिल करना भी शुरू कर दिया है। न्यायालयों के कम्प्यूटीकरण, न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति पर अत्यधिक संकेन्द्रित ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है, यदि जरूरी हो, तो पारी पद्धति लागू की जाए।

निगरानी एवं मूल्यांकन

10.37 अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों, विक्लांगों, बेसहारा बच्चों, वृद्ध व्यक्तियों, शराब व ड्रग लत के शिकार व्यक्तियों के विकास हेतु कल्याण स्कीमों के क्रियान्वयन की समय-समय पर मानीटरिंग की जा रही है। योजना आयोग अर्द्धवार्षिक / तिमाही निष्पादन समीक्षाओं के माध्यम से तथा राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्रों के साथ वार्षिक योजना पर चर्चा के दौरान योजना स्कीमों की समीक्षा करता है। योजना आयोग का कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन भी आपूर्ति प्रणाली की प्रभावशीलता और कार्यक्रमों / स्कीमों के प्रभाव के आकलन के लिए मूल्यांकन करवाता है। इसके अलावा, मूल्यांकन अध्ययन कराने/करने का कार्य विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों जैसे स्वतंत्र एजेंसियों को सौंपा गया है। स्कीमों के कार्यान्वयन

संबंधी अनुभवों, राज्य सरकारों, एनजीओ और लाभार्थियों से प्राप्त जानकारी एवं अनुरोधों के आधार पर इन स्कीमों को जरूरतों के अनुसार संशोधित किया जाता है। मूल्यांकन के नवीन महत्व को देखते हुए, सरकार में मूल्यांकन क्षमता सुदृढीकरण नाम की एक नई केन्द्रीय योजना स्कीम वर्ष 2006-07 में शुरू की गई है। वर्ष 2007-08 में इस स्कीम के लिए आबंटन 26.00 करोड़ रुपए किया गया था।

10.38 सरकारी स्कीमों का मूल्यांकन उन पर किए गए खर्च और प्रक्रिया आवश्यकता के अनुपालन के संदर्भ में किया जाता है। वटिकल इनपुट कंट्रोल से ध्यान को हटाकर होरीजेन्टल को-ऑरडिनेशन एवं परिणामों के निरीक्षण की ओर ध्यान देने की जरूरत है। सभी स्तरों पर परिणाम के संबंध में कारगर निगरानी करने पर अत्यधिक जोर दिया जाएगा। पीईओ की वर्तमान कमजोरी और राज्य मूल्यांकन संगठनों की खराब स्थिति को देखते हुए, विद्यमान संगठनों और मूल्यांकन क्षमता वाले उस नेटवर्क को भी जो सरकार के बाहर है, नवीन बनाना जरूरी है। बेसलाइन डेटा की कमी, उपयुक्त सूचकों की पहचान, एम एंड ई परिणामों के संबंध में किसी प्रकार की कार्रवाई में कमी, डाटा विश्लेषण प्रक्रिया संबंधी कमी जैसी समस्याओं का समाधान किए जाने की आवश्यकता है।

विनियामक संरचना

10.39 स्वतंत्र नियामकों की संख्या बढ़ गई है, जो अब सरकार द्वारा पूर्व में किए जाने वाले कार्यों का

करते हैं, अतः उनके लिए शासन निहितार्थ है। इस प्रकार का एक उदाहरण अवसंरचना क्षेत्र में है जहां निजी अवसंरचना सेवा आपूर्तिकर्ताओं को सक्रियता से प्रोत्साहित किया जाता है। अवसंरचना के क्षेत्र में जो विनियामक ढांचा उभर कर प्रकट हुआ है, उसके लिए स्वतंत्र विनियामक आयोगों की स्थापना करके विशिष्ट लक्षण निर्धारित किया गया है।

10.40 पिछले 15 वर्षों में स्वतंत्र विनियामक एजेंसियां क्षेत्र आधार पर बनायी गई हैं, जिनमें प्रत्येक लाइन मंत्रालय अथवा राज्य सरकार ने विशेष अर्थव्यवस्था क्षेत्र में एक-एक नियामक गठित किया है। इस क्षेत्र दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप असमान विनियामक माहौल बन गया है। एक दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि क्या हमें (क) संचार (ख) विद्युत, ईंधन एवं गैस और (ग) परिवहन के लिए बहुक्षेत्र विषयक विनियामकों की स्थापना करने पर विचार करना चाहिए। इससे विनियामक आयोगों की संख्या में कमी होगी, निर्मित क्षमता एवं विशेषज्ञता को मदद मिलेगी, दृष्टिकोण सदैव एक सा बना रहेगा और खर्च में कमी होगी। राज्यों के मामले में प्रत्येक क्षेत्र के लिए क्षेत्र विषयक विनियामकों की तुलना में सभी अवसंरचना क्षेत्रों के लिए केवल एक विनियामक आयोग सर्वाधिक लाभकारी और खर्च की दृष्टि से कारगर होगा। दूसरा दृष्टिकोण सभी विनियामक आयोगों के लिए क्षेत्रीय न्यायालयों के साथ-साथ केवल एक अपीलीय न्यायाधिकरण गठित करना हो सकता है।

अध्याय 11

उपभोक्ता संरक्षण

11.1 उपभोक्ता सभी आर्थिक क्रियाओं का वाहक है। अब यह सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया जाता है कि किसी देश में उपभोक्ता संरक्षण का विस्तार प्रगति के स्तर की सही माप है। उत्पादन एवं वितरण प्रणाली का बड़ा आकार और इसकी जटिलता, विपणन एवं बिक्री प्रथा में उच्च स्तर की आधुनिकता तथा विज्ञापन जैसे प्रचार प्रसार के तरीकों ने उपभोक्ता संरक्षण की बढ़ी हुई जरूरत में योगदान किया है। इसे स्वीकार करते हुए, केन्द्र और राज्य दोनों स्तर पर एक सुस्थापित संगठनात्मक ढांचा सृजित किया गया है। केन्द्रीय स्तर पर उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण, उपभोक्ता शिकायतों के समाधान और वस्तुओं एवं सेवाओं आदि के मानकों के प्रचार-प्रसार के लिए नोडल संगठन है।

11.2 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार के शोषण और अनुचित व्यापारिक व्यवहार के विरुद्ध कारगर सुरक्षा प्रदान करने के लिए अधिनियमित सर्वाधिक महत्वपूर्ण और व्यापक विधान है। इसके अलावा उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए भारतीय संविदा अधिनियम, वस्तु विक्रय अधिनियम, बीआईएस अधिनियम, मानक माप और तौल अधिनियम जैसे विशिष्ट क्षेत्रों अथवा समस्याओं को नियंत्रित करने वाले अन्य कानून/अधिनियम भी प्रचलन में हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ने उपभोक्ता विवादों का शीघ्र एवं कम खर्च में निपटान करने के लिए राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर तीन स्तरीय अर्द्ध-न्यायिक उपभोक्ता विवाद निवारण तंत्र स्थापित किया है। इसकी संरचना और इसके

क्षेत्राधिकार को नीचे दी गयी तालिका 11.1 में दर्शाया गया है।

तालिका-11.1

<p>राष्ट्रीय आयोग : शीर्ष राष्ट्रीय स्तर का न्यायालय</p> <p>अध्यक्ष - सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश (2005 में किए गए संशोधन के अनुसार 9 सदस्य)</p> <p>क्षेत्राधिकार : मौलिक - 1.00 करोड़ रुपए से अधिक, राज्य आयोगों और प्रत्यावर्ती की अपीलें</p>	
<p>राज्य आयोग (35)</p> <p>अध्यक्ष - उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बाद में और अधिक न्यायालय (बेंच) बढ़ाए जा सकते हैं।</p> <p>क्षेत्राधिकार : मौलिक - 20 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक जिला फोरम से अपील</p>	
<p>जिला फोरम (571)</p> <p>अध्यक्ष - जिला न्यायाधीश जहां कहीं जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त फोरम</p> <p>क्षेत्राधिकार : 20 लाख रुपए तक</p>	

11.3 राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा दिनांक 21.12.2004 की अपनी बैठक में उपभोक्ता संरक्षण की एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में पहचान करने के परिणामस्वरूप, विभाग ने उपभोक्ता संरक्षण की एक

पूर्णतः सक्षम संरचना स्थापित करने हेतु प्रयास सुदृढ़ और गहन बनाने के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की है। राष्ट्रीय कार्य योजना के आधार पर, विभाग प्रवर्तन तंत्र को मजबूत बनाने के लिए केन्द्रित दृष्टिकोण के साथ-साथ उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाने, राज्य/जिला स्तर पर उपभोक्ता मंचों (फोरमों) न्यायालयों की अवसंरचना, ई-गवर्नेंस एवं उपभोक्ता फोरमों की कम्प्यूटर नेटवर्किंग सुदृढ़ करने, माप और तौल अवसंरचना का सुधार, वायदा बाजार आयोग की संरचना एवं उसके कार्य संचालन को उन्नत बनाने और सोने की परख करने एवं प्रमाण चिन्ह (हॉलमार्किंग) की सुविधाएं स्थापित करने आदि के क्षेत्र में मुख्य-मुख्य स्कीमों/कार्यकलापों को क्रियान्वित करता रहा है। ग्यारहवीं योजना दस्तावेज में दिए गए महत्व के

अनुसार, विभाग एक राष्ट्रीय मानकीकरण प्रणाली और एक व्यापक राष्ट्रीय उपभोक्ता नीति की स्थापना करने पर विचार कर रहा है। इन पहलों का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित बेहतर प्रणालियों की तुलना में एक सक्षम प्रणाली विकसित करना है।

11.4 देश में बढ़ते हुए उपभोक्ता आंदोलन की सफलता उपभोक्ताओं की अपने अधिकारों और उत्तरदायित्वों के प्रति जागरूकता के स्तर पर निर्भर करता है। उपभोक्ता जागरूकता का स्तर भारत में लोगों की साक्षरता और समाजिक जागरूकता के आधार पर एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न-भिन्न है। उपभोक्ता आंदोलन मजबूत बनाने के उद्देश्य से दसवीं योजना में उत्साहपूर्ण एवं व्यवहार्य केन्द्रीय

तालिका-11.2

सं.	मीडिया	विवरण	संख्या
I.	इलेक्ट्रॉनिक मीडिया		
(i)	दूरदर्शन		
		(क) क्षेत्रीय केन्द्रों, कृषि दर्शन कार्यक्रम एवं कल्याण कार्यक्रम से क्षेत्रीय भाषाओं में 'जागो ग्राहक जागो' कार्यक्रम	426 निर्देश
		(ख) ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित उपभोक्ता समस्याओं पर धारावाहिक प्रसारित करना	26 एपिसोड
(ii)	निजी चैनल		
		(क) लोकप्रिय राष्ट्रीय और साथ ही साथ क्षेत्रीय चैनलों में स्पाट्स का प्रसारण	210 निर्देश
(iii)	आकाशवाणी		
		(क) अशिक्षित/अर्द्धशिक्षित लोगों के लिए विशेषकर दूरस्थ एवं पिछड़े क्षेत्रों में/घोषणाएं/कार्यक्रम	3000 निर्देश
II.	प्रिंट मीडिया		
		(क) स्थानीय क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित क्षेत्रीय समाचारपत्रों में विज्ञापन	260 निर्देश
		(ख) पंचायतों/स्थानीय निकायों के माध्यम से स्थानीय भाषाओं में मुद्रित प्रचार सामग्रियां और आडियो/वीडियो संदेशों का वितरण	
		(ग) मेघदूत पोस्टकार्ड-संदेशों का मुद्रण	15000 कार्ड
III	बाहरी प्रचार		
		(क) मेट्रो स्टेशनों और रेलवे स्टेशनों में मोबाइल वैन कैम्पेन, लोक नृत्य, हाट अभियान वाले पेंटिंग्स एवं होर्डिंग्स	
		(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में गीत एवं नाटक प्रभाग द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम	
		(ग) प्रचार कार्यकलापों के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता	

योजना प्रचार अभियान स्कीम शुरू की गयी। एक व्यापक मूल्यांकन, जिसमें देश के 12 राज्यों और 144 जिले शामिल हैं, से दसवीं योजना के दौरान कराए गए प्रचार अभियान के प्रभाव की उत्साहजनक तस्वीर प्रकट हुई है। तदनुसार स्कीम को 11वीं योजना के लिए जारी रखा गया। अभियान की प्रभावशीलता बढ़ाने के उद्देश्य से विभाग ने वर्षवार आधार पर मीडिया प्लान बनाने के लिए कदम उठाए हैं। वर्ष 2008-09 के लिए 74 करोड़ रुपये का परिव्यय आबंटित किया गया है। वर्ष 2008-09 मीडिया प्लान का एक संक्षिप्त विवरण नीचे तालिका 11.2 में दिया गया है।

11.5 उपभोक्ताओं की शिकायतें दायर करने और समयबद्ध न्याय प्रदान करने के साथ-साथ उपभोक्ता मामलों के समाधान के संबंध में उपभोक्ताओं को सहयोगपूर्ण सहायता मुहैया कराने के दोहरे उद्देश्य से उपभोक्ता मामले विभाग दो स्कीमों अर्थात् राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन और कॉन्फोनेट को कार्यान्वित कर रहा है। 'राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन' की सफल पायलट परियोजना से प्राप्त शिक्षा पर आधारित दो में से पहली राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन स्कीम राज्यों में समान सुविधा प्रदान करेगी और इसके भावी संचालन और अनुरक्षण का भार राज्यों और उनके पीसीओ पर निर्भर होगा। परवर्ती कॉन्फोनेट स्कीम उपभोक्ता फोरमों और न्यायालयों के कम्प्यूटरीकरण और साथ ही तेजी से न्याय देने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए राज्य और जिला के बीच डाटा/सूचना प्रसार का सीमलेस नेटवर्क स्थापित करने पर विचार करता है। इस परियोजना के अंतर्गत 593 जिला फोरमों और 43 राज्य आयोगों को पहले ही कवर किया गया था। भावी गतिविधियों में अन्य बातों के साथ-साथ नये बनाए गए जिलों में सुविधा का

विस्तार करना और जिला अधिकारियों/कर्मचारियों की दक्षता बढ़ाने के लिए तकनीकी सहायता सेवाओं का अनुरक्षण करना शामिल है। कॉन्फोनेट परियोजना को वर्ष 2008-09 के लिए 13.60 करोड़ रुपये का परिव्यय उपलब्ध कराया गया है। अनुवर्ती प्रक्रिया में महत्वपूर्ण सुधार और आवधिक समीक्षा से लंबित शिकायतों में काफी कमी आई है। दिसम्बर, 2007 की स्थिति के अनुसार विभिन्न स्तर के उपभोक्ता आयोगों/फोरमों के निष्पादन का संक्षिप्त विवरण तालिका 11.3 में दिया गया है।

11.6 उपभोक्ता संरक्षण के संबंध में ग्यारहवीं योजना कार्यदल की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, दसवीं योजना के दौरान की गयी कुछ मुख्य-मुख्य पहलों को 11वीं योजना में जारी रखा गया है। उपभोक्ता संरक्षण संबंधी वर्तमान एकीकृत परियोजना जिला और राज्य स्तर पर उपभोक्ता फोरमों/आयोगों की अवसररचना को उन्नत करने के लिए और राज्यों में संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए राज्यों को अनुदान उपलब्ध करा रही है। कानूनी माप विज्ञान के क्षेत्र में, मुख्य योजना गतिविधियों के अंतर्गत क्षेत्रीय संदर्भ मानक प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ करना, तोल सेतुओं (वेब्रिजेज) की परिशुद्धता की मानिट्रिंग करने के लिए राज्यों को मोबाइल किट्स की आपूर्ति करना शामिल है। अन्य मुख्य कार्यकलापों के अंतर्गत राष्ट्रीय जांच गृहों के विभिन्न केन्द्रों की सुविधाओं को अपग्रेड करना, सोना प्रमाण/परख (हॉलमार्किंग/ऐसेइंग) केन्द्रों की स्थापना के लिए सहायता देना शामिल है।

11.7 वायदा संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 के अंतर्गत स्थापित वायदा बाजार आयोग (एफएमसी) एक सांविधिक निकाय है, जो वायदा

तालिका 11.3

क्रम सं.	उपभोक्ता फोरम	दर्ज विवाद	निपटान	लम्बित	% निपटान
1.	राष्ट्रीय आयोग	50656	41576	9080	82.08
2	राज्य आयोग	424047	312975	111072	73.81
3	जिला फोरम	2452682	2224219	228463	90.69
	योग	2927385	2578770	348615	88.09

अथवा भावी व्यापार के क्षेत्र में एक नियामक की भूमिका निभाता है। वायदा संविदा भविष्य में एक निश्चित समय पर एक निश्चित मूल्य में किसी वस्तु अथवा किसी परिसम्पत्ति की खरीद अथवा बिक्री करने के लिए एक समझौता है। वायदा बाजार एक निश्चित वस्तु के संदर्भ में दो महत्वपूर्ण आर्थिक कार्य, अर्थात् मूल्य अन्वेषण और मूल्य जोखिम प्रबंधन का कार्य करता है और इससे उत्पादकों, निर्यातकों, व्यापारियों साथ ही साथ किसानों को लाभ पहुंचाता है तथा वस्तुओं के मूल्यों में होने वाले प्रतिकूल परिवर्तनों से उनकी रक्षा करता है। वायदा बाजार से जुड़े हुए जोखिम कारकों को न्यूनतम करने के उद्देश्य से, वायदा व्यापार का विनियमन त्रिस्तरीय नियामक संरचना अर्थात् केन्द्रीय सरकार, वायदा बाजार आयोग और मान्यताप्राप्त वस्तु विनियम केन्द्रों/संगठनों द्वारा किया जाता है।

11.8 वर्तमान उदारवादी आर्थिक व्यवस्था में, वायदा बाजार ने तीन राष्ट्रीय विनियम केन्द्रों, अर्थात् मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज (मुम्बई), नेशनल

कॉमोडिटी एंड डिरिवेटिव एक्सचेंज (मुम्बई) और नेशनल मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज (अहमदाबाद) में कारोबार की प्रासंगिकता एवं उसके आकार को नया रूप दिया है तथा अन्य क्षेत्रीय विनियम केन्द्रों (एक्सचेंजों) का अनेक रूपों में विस्तार हुआ है। इस बात का और 11वीं योजना कार्यदल द्वारा बताया गए महत्व को ध्यान में रखते हुए, विभाग ने एफएमसी को सुदृढ़ करने के लिए कदम उठाए हैं। तदनुसार, एक योजना स्कीम, जिसके अंतर्गत एफएमसी की अवसंरचना को सुदृढ़ करना, कम्प्यूटरीकरण और क्षमता निर्माण/जागरूकता प्रसार के साथ-साथ एपीएमसी की नेटवर्किंग शामिल है, की परिकल्पना की गई है। इस कारण वर्ष 2008-09 की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 23 करोड़ रुपए का परिव्यय निर्धारित किया गया है। वर्ष 2008-09 के दौरान उपभोक्ता मामले विभाग के कार्यक्रमों और कार्यकलापों की सहायता के लिए 209 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रावधान किया गया है।

अध्याय - 12

अवसंरचना का विकास

12.1 ग्यारहवीं योजना की कार्यनीति के अनुरूप वर्ष 2008-09 के दौरान अवसंरचना परिसंपत्तियों और सेवाओं के विकास में तीव्रता बनाए रखी जाएगी। विकास की गति बनाए रखने के लिए पर्याप्त लागत प्रभावी और गुणवत्तायुक्त अवसंरचना पूर्वापेक्षित है।

12.2 भौतिक अवसंरचना के अंतर्गत विद्युत(उत्पादन, पारेषण और वितरण सहित अपारंपरिक उर्जा (पवन और सौर उर्जा सहित) और विद्युत केंद्रों का नवीकरण और आधुनिकीकरण, सड़कें और पुल, रेलवे (रौलिंग स्टॉक और जन परिवहन प्रणाली सहित) बन्दरगाह, अन्तर्देशीय जल मार्ग, एयर पोर्ट, सिंचाई (जल संभर विकास सहित), जल आपूर्ति, सफाई (टोस अपशिष्ट प्रबंधन,

अपवहन, मल जल निकास सहित), दूर संचार और सड़क प्रकाश व्यवस्था, भण्डारण और तेल एवं गैस पाइप लाइन नेटवर्क शामिल है।

12.3 ग्यारहवीं योजना में अवसंरचना में कुल निवेश को जो वर्ष 2006-07 में जीडीपी का लगभग 5% था, अंतिम वर्ष 2011-12 तक 9% तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। दसवीं योजना में अवसंरचना में उपलब्ध निवेश 887.842 करोड़ रुपए अथवा 40 रुपए/डालर की दर पर 221.96 बिलियन यूएस डालर था। ग्यारहवीं योजना के दौरान अवसंरचना में 20,56,150 करोड़ अथवा 51404 बिलियन यूएस डालर(2006-07 की स्थिर कीमतों पर) अनुमानित कुल निवेश में से केन्द्र का कुल सार्वजनिक क्षेत्रक निवेश 7,65,622 करोड़

तालिका 12.1 ग्यारहवीं योजना के दौरान अवसंरचना में वर्ष - वार अनुमानित निवेश

(2006-07 की कीमतों पर करोड़ रुपए)

क्षेत्रक	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	कुल XI योजना
विद्युत एनसीई सहित	81,954	101,553	126,380	158,027	198,611	666,525
दूरसंचार	31,375	38,134	48,593	61,646	78,690	258,439
सड़कें व पुल	51,822	54,789	59,200	68,370	79,971	314,152
रेलवे(एमटीएस सहित)	34,225	40,964	49,525	60,393	76,701	261,808
बंदरगाह	12,409	14,822	17,374	19,980	23,410	87,995
हवाई अड्डे	5,208	5,520	5,904	6,646	7,690	30,968
सिंचाई(डब्ल्यूडी सहित)	27,497	35,916	47,189	62,266	80,433	253,301
जल आपूर्ति, सफाई	19,298	22,781	27,323	33,266	41,063	143,730
भण्डारण	3,777	4,098	4,446	4,824	5,234	22,378
तेल एवं गैस पाइप लाइन	2,708	3,003	3,332	3,700	4,111	16,855
कुल निवेश(करोड़ रुपए)	270,273	321,579	389,266	479,117	595,913	2,056,150
यूएस डालर बिलियन	67.57	80.39	97.32	119.78	148.98	514.04
जीडीपी के प्रतिशत के रूप में	5.98	6.53	7.25	8.19	9.34	7.60

जल आपूर्ति, सफाई व्यवस्था और सड़क प्रकाश व्यवस्था के संयुक्त अवसंरचना क्षेत्रक में अन्तर्देशीय जल मार्गों और सड़क प्रकाश व्यवस्था पर निवेश को शामिल नहीं किया गया है।

रुपए और राज्यों का 6,70,937 करोड़ रुपए परिकल्पित है। निजी क्षेत्रक द्वारा किया गया निवेश जिसमें सार्वजनिक निजी भागीदारी(पीपीपी) परियोजनाएं शामिल हैं , 6,19,591 करोड़ रुपए के शेष को पूरा करती हैं, जो ग्यारहवीं योजना के दौरान अनुमानित कुल निवेश का 30%, दसवीं योजना के दौरान प्राप्त निवेश के 20% हिस्से से बहुत अधिक है। वर्ष - वार अनुमान संक्षेप में नीचे तालिका 12.1 में दिए गए हैं

12.4 ग्यारहवीं योजना के पहले दो वर्षों के दौरान फोकस ऐसी क्षमता विकसित करने पर रहा है जो विश्व स्तर के निष्पादन मानकों का पालन करे, नीति - प्रेरित दबावों और अत्यधिक कार्य व्यापार लागत को समाप्त करे । अवसंरचना निर्माण में राज्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा । सिंचाई और जल संसाधन प्रबन्धन, अन्तर्देशीय जल मार्ग और बंदरगाहों पर महत्वपूर्ण निकर्षण और कतिपय आर्थिक रूप से अथवा अवस्थितिक रूप से प्रतिकूलता ग्रस्त क्षेत्रों में अधिकांश निवेश सार्वजनिक क्षेत्रक से प्राप्त करना होगा । तथापि, चूंकि अवसंरचना में कमी को पूरा करने के लिए अपेक्षित कुल संसाधन सार्वजनिक क्षेत्रक की क्षमता से अधिक है, कार्यनीति में, जहाँ संभव हो, समग्र निवेश आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयुक्त प्रकार के पीपीपी के माध्यम से निजी निवेश को आकर्षित करने की आवश्यकता का पूर्वानुमान लगाया गया है ।

12.5 वाणिज्यिक संभावना वाली अवसंरचना सेवाएं जैसे कि सड़कें और पुल, हवाई अड्डे, बंदरगाह, रेलवे और मेट्रो परिवहन प्रणाली के निर्माण एवं प्रचालन और शहरी विकास के लिए पीपीपी अधिकाधिक वरीय पद्धति बनती जा रही है । पीपीपी के लिए विकसित किया जा रहा नीतिगत और विनियामक ढांचा ऐसे सिद्धांतों पर आधारित है जो यह सुनिश्चित करते हैं कि पीपीपी विशेष रूप से जनहित में अतिरिक्त क्षमता की उपलब्धि और उचित लागत पर सार्वजनिक सेवाओं की डिलीवरी को ध्यान में रखते हुए तैयार की जाती है और निष्पादित की जाती है क्योंकि बहुत सी अवसंरचना

परियोजनाओं में एकाधिकार तत्व होता है । ऐसा करने में पीपीपीज़ प्रयोक्ताओं के लिए सेवा प्रावधान की क्षमता बढ़ाने में भी भूमिका अदा करती हैं। केन्द्र और राज्य दोनों के लिए यह अनिवार्य किया जा रहा है कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी नीतियों का सूक्ष्म पुनरीक्षण अपेक्षित करें कि नई अवसंरचना चाहे वह सार्वजनिक अथवा निजी क्षेत्रकों द्वारा निर्मित की जाए, इन मानकों के अनुरूप हो । यथोचित पारिश्रमिता, नियन्त्रण और संतुलनों के लिए प्रक्रियाओं और ढांचों के सांस्थानीकरण द्वारा जनहित का संरक्षण सुनिश्चित किया जा रहा है ।

12.6 दसवीं योजना में मात्रा और गुणवत्ता के अंतरों के समाधान के मद्देनजर विभिन्न अवसंरचना क्षेत्रकों के लिए परिणाम आधारित लक्ष्यों की शुरुआत को जारी रखते हुए ग्यारहवीं योजना की प्रत्येक वार्षिक योजना अवधि जारी अवसंरचना सम्बंधी पहलों के सुदृढीकरण तथा समेकन और विशिष्ट उपायों की शुरुआत करने के अलावा त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) जैसी स्कीमों के पुनरुद्धार को अनिवार्य बनाती है ।

12.7 वैश्विक मंदी का असर विशेष रूप से सितम्बर, 2008 के मध्य के पश्चात् मुख्य रूप से पूंजी प्रवाह में नरमी, वित्तीय बाजार और व्यापार के माध्यम से भारत में अवसंरचना विकास पर हुआ है। अभी तक घरेलू मांग की समग्र मजबूती और मुख्य रूप से निवेश वित्त पोषण की घरेलू प्रकृति के कारण प्रभाव तुलनात्मक रूप से कम रहा है। तथापि, कुछ मंदी अपरिहार्य है और निजी निवेश का संभव अवमंदन महसूस किया जा सकता है ।

12.8 अवसंरचना के विस्थापन को न्यूनतम करने के लिए बैंकिंग प्रणाली को लिक्विडिटी पैदा करने और गैर बैंक वित्त कंपनियों (एनबीएफसीज़) की समस्याओं के समाधान के लिए कई उपाय किए गए थे । महत्वपूर्ण ग्रामीण अवसंरचना (जैसे कि प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना, जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन और त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम) और सामाजिक सुरक्षा स्कीमों के लिए 7

दिसम्बर, 2008 को 20,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त योजना व्यय के माध्यम से प्रति-आवर्ती प्रोत्साहन घोषित किया गया था। इस बात को भी स्वीकारते हुए कि पीपीपी पद्धति के माध्यम से स्वीकृत कुछ अवसंरचना परियोजनाएं वित्तीय समापन तक पहुंचने में कठिनता महसूस कर रही होंगी, सरकार ने पात्र अवसंरचना परियोजनाओं, विशेष रूप से राजमार्ग और पत्तन क्षेत्रों में अधिक लम्बी अवधि की परिपक्वता की बैंक उधारी के पुनर्वित्त पोषक की सहायता के लिए 31 मार्च 2009 तक कर - मुक्त बांडों के माध्यम से इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाईनैस कं. लि. (आईआईएफसीएल) को 10,000 करोड़ रुपए इकट्ठे करने के लिए प्राधिकृत किया है। आवश्यकता के आधार पर, आईआईएफसीएल को राजमार्ग और पत्तन क्षेत्रों में 1,00,000 करोड़ रुपए के पीपी कार्यक्रम को सहायता देने के लिए इस प्रकार के बाण्ड जारी करके और संसाधन जुटाने की अनुमति दी जाएगी। विदेशी वाणिज्यिक उधार नीति को अन्य बातों के साथ - साथ आरबीआई की अनुमोदन पद्धति के तहत " आल इन कॉस्ट " उच्चतम सीमा को हटाना, बहुपक्षीय अथवा द्विपक्षीय वित्तीय संस्थानों से ईसीबी प्राप्त करने के लिए अनन्य रूप से अवसंरचना बित्तपोषण का लेन देन करने वाली एनबीएफसीज़ को अनुमति प्रदान करना, यूएस डालर 6 बिलियन से यूएस डालर 15 बिलियन तक रुपया - मूल्यवर्ग में एफ II निवेश सीमा को बढ़ाकर और अधिक उदार बनाया गया है।

अभिशासन

12.9 अवसंरचना संबंधी समिति(सीओआई) का गठन प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में 2004 में किया गया था जिसके उद्देश्य हैं ऐसी नीतियों की शुरुआत करना जो विश्व स्तरीय अवसंरचना के समय बद्ध सृजन को सुनिश्चित करेंगी, अन्तरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सेवाएं प्रदान करना, पीपीपीज़ की भूमिका को अधिकतम करने वाली संरचनाएं विकसित करना और यह सुनिश्चित करने के लिए कि निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किया जाए, महत्वपूर्ण

अवसंरचना परियोजनाओं की प्रगति का मानीटरिंग करना। अवसंरचना संबंधी समिति(सीओआई) को समिति के सचिवालय के माध्यम से योजना आयोग द्वारा सेवा प्रदान की जाती है। सीओआई की कार्यप्रणाली को सुगम बनाने के मद्देनजर मई, 2005 में अवसंरचना संबंधी समिति की अधिकार प्राप्त उप समिति का निम्नलिखित कार्यों के लिए गठन किया गया था।

- (I) सीओआई को प्रस्तुत किए जाने हेतु नीतिगत पत्र और प्रस्ताव तैयार करना, समीक्षा करना और अनुमोदित करना।
- (II) सीओआई के निर्णयों के कार्यान्वयन की मानीटरिंग करना और अनुवर्ती कार्रवाई; और
- (III) उद्देश्यों को और आगे बढ़ाने के लिए यथा आवश्यक अन्य कार्य शुरु करना।

12.10 एक ऐसा अनुकूल वातावरण सृजित करने के लिए जो पूर्णकथनीयता में सुधार करेगा और अधिक इष्टतम निर्धारण हो सकेगा और संव्यवहार लागत और कार्रवाई समय को कम करेगा, सरकार नीति और विनियामक ढांचे में सुधार कर रही है और उपयुक्त संस्थागत तंत्र सृजित कर रही है। इस प्रकार की पहलें सीओआई की सचिवालय रिपोर्टों में दी गई हैं जो सीओआई और/अथवा इसकी अधिकार प्राप्त उपसमिति द्वारा विचार विमर्श और अनुमोदनोपरान्त प्रकाशित की जाती हैं। अब तक प्रकाशित रिपोर्टें नीचे सूचीबद्ध हैं:

- (i) एप्रोच टू रेगुलेशन ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर, सितम्बर, 2008.
- (ii) ग्यारहवीं योजना के दौरान अवसंरचना में निवेश के अनुमान, अगस्त 2008.
- (iii) सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक प्रबन्धन संबंधी विशेषज्ञ समिति, जनवरी 2008.
- (iv) रिपोर्ट ऑन ड्रवैल टाइम इन पोर्टज़, सितम्बर, 2007.

- (v) टॉस्क फोर्स ऑन टैरिफ सैटिंग एण्ड बिडिंग पैरामीटर्ज फॉर पीपीपीजे इन मेजर पोर्टज़, अगस्त 2007.
- (vi) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचआई) का पुनः संरचना अन्तर मंत्रालयी दल, जुलाई 2007.
- (vii) टॉस्क फोर्स ऑन फिनैसिंग प्लान फॉर पोर्टज़, जून 2007.
- (viii) एयर कार्गो और एयरपोर्टज़ में सीमा शुल्क क्रियाविधि के सरलीकरण संबंधी, अन्तर मंत्रालयी दल, जनवरी 2007.
- (ix) टॉस्क फोर्स ऑन फिनैसिंग प्लान फॉर एयर पोर्टज़, जून 2006.
- (x) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) का वित्त पोषण संबंधी कोर ग्रुप, अप्रैल 2006.
- (xi) मुख्य पत्तनों की सड़क रेल सम्पर्कता संबंधी सचिव समिति, फरवरी 2006.
- (xii) टॉस्क फोर्स ऑन द दिल्ली - मुंबई एण्ड दिल्ली - हावड़ा फ्रेट कॉरीडोरज़, फरवरी, 2006.
- (xiii) इन्टर - मिनिस्ट्रियल ग्रुप ऑन कस्टम प्रोसीजर्स एण्ड फंकशनिंग ऑफ कण्टेनर क्रेट स्टेशनज़ एण्ड पोर्टज़, फरवरी 2006.

मूल्यांकन, अनुमोदन और वित्तपोषण ढांचा

12.11 वर्ष 2005 में केन्द्र सरकार की सभी पीपीपी परियोजनाओं के लिए एक सुविधाजनक, सुपरिभाषित, संगत और समयबद्ध प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए एक पीपीपी मूल्यांकन समिति (पीपीपीएसी) गठित की गई थी। आर्थिक कार्य विभाग के सचिव इसके अध्यक्ष हैं और योजना आयोग, व्यय विभाग, विधि कार्य विभाग और संबंधित प्रशासनिक विभाग के सचिव इसमें सदस्यों के रूप में शामिल हैं। 100 करोड़ रुपए

और उससे अधिक परिकल्पित निवेश वाली केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त पीपीपी परियोजनाओं पर पीपीपीएसी द्वारा अनुमोदन हेतु विचार किया जाता है। 100 करोड़ रुपए से कम की लागत वाले पीपीपी परियोजना प्रस्तावों पर अनुमोदन हेतु विचार व्यय वित्त समिति (इएफसी) द्वारा किया जाता है। पीपीपी परियोजनाओं को तैयार करने, मूल्यांकन और अनुमोदन हेतु विस्तृत दिशा - निर्देश नीचे अधिदेशित किए गए हैं

- (i) पीपीपी परियोजनाओं के लिए मॉडल अर्हता अनुरोध (आरएफक्यू) सहित बोली दाताओं की पूर्व अर्हता हेतु दिशा निर्देश, दिसम्बर 2007.
- (ii) पीपीपी परियोजनाओं के लिए मॉडल प्रस्ताव अनुरोध (आरएफपी) सहित वित्तीय बोली आमंत्रित करने हेतु दिशा निर्देश, नवम्बर 2007.
- (iii) अवसंरचना में पीपीपी को वित्तीय सहायता हेतु दिशा - निर्देश, जनवरी 2006.
- (iv) पीपीपीज़ को तैयार करने, मूल्यांकन और अनुमोदन संबंधी दिशा निर्देश, जनवरी, 2006.
- (v) इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फिनेन्स कम्पनी के माध्यम से अवसंरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए स्कीम, जनवरी 2006.
- (vi) 12.12 वर्ष 2006-07 से 2008 - 09 (दिसम्बर, 2008 तक) पीपीपीएसी द्वारा 88,923.23 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश वाली कुल 85 पीपीपी परियोजनाओं को कार्यान्वयन हेतु अनुमोदित किया गया है। सड़कों, राजमार्गों और जन परिवहन प्रणाली (मेट्रो रेल) में 37386.23 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश वाली 27 परियोजनाओं का अनुमोदन किया गया था।

12.13 अनुपूरक रूप में अवसंरचना में पीपीपीज़ के लिए वित्तीय सहायता स्कीम के तहत व्यवहार्यता

अन्तराल निधियन(वीजीएफ)हेतु केन्द्र और राज्य सरकारों से प्राप्त पीपीपी परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए सीओआई,सचिवालय के भीतर एक पीपीपी मूल्यांकन यूनिट(पीपीपीएयू) भी स्थापित की गई है। दिसम्बर ,2008 तक, 26,932.87 करोड़ रुपए के परिकल्पित निवेश सहित कुल 5,307.31 करोड़ वीजीएफ के अनुदान के लिए 32 परियोजनाएं अनुमोदित की गई थी । अन्य 29 पीपीपी परियोजनाएं विचाराधीन है अथवा 23,800.34 करोड़ रुपए के परिकल्पित निवेश सहित वीजीएफ के अनुदान के लिए प्राप्त हुई हैं जिनके लिए 4,128.90 रुपए का वीजीएफ आवश्यक है।

आदर्श रियायत दस्तावेज

12.14 सीओआई ने मॉडल दस्तावेज अपनाने का अधिदेश दिया है । वे परियोजनाएं जो विधिवत् रूप से अनुमोदित आदर्श रियायत अनुबन्ध(एमसीएज़) पर आधारित होती है,उनके लिए रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित करने से पूर्व पीपीपीएसी से सिद्धांत रूप में स्वीकृति लेना आवश्यक नहीं होता है। रियायत दस्तावेजों और बोली प्रक्रिया संबंधी मानकीकृत व्यवस्था जो पूर्वानुमान उपलब्ध कराती है और निजी पूंजी के जोखिम कम करती है,पीपीपी कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए उत्तम विकल्प समझी जाती है । मानक दस्तावेजों का प्रयोग अधिकारियों के निर्णयन कार्य को सरल और तीव्र भी बना देता है ।

12.15 इसके अनुसरण में, सीओआई के तत्वावधान में अंतिम रूप दिए गए निम्नलिखित एमसीए और दिशा निर्देश प्रकाशित किए गए हैं ।

- (i) विशिष्टताओं और मानकों का मैनुअल पीपीपीज़ के माध्यम से राजमार्गों की फोर - लेनिंग, मार्च 2008.
- (ii) विशिष्टताओं और मानकों का मैनुअल,पीपीपी के माध्यम से राजमार्गों की टू - लेनिंग, मई 2007.
- (iii) पोर्टज़ में पीपीपी के लिए एमसीए,अक्टूबर 2006.

- (iv) राजमार्गों के प्रचालन और रख-रखाव में पीपीपीज़ के लिए एमसीए,अक्टू.2006.
- (v) राज्य राजमार्गों में पीपीपीज़ के लिए एमसीए,अक्टूबर 2006. और
- (vi) राष्ट्रीय राजमार्गों में पीपीपीज़ के लिए एमसीए,सितम्बर 2006.

12.16 वार्षिक योजना अवधि के दौरान,निम्नलिखित दस्तावेजों को अंतिम रूप देते हुए उत्तम अन्तरराष्ट्रीय पद्धतियों,और निष्पक्ष और पारदर्शी नियमों पर आधारित और सामान्य विनियामक ढांचा तैयार करने का प्रस्ताव है ।

- (i) राजमार्गों में निर्माण कार्य प्राप्त करने के लिए आदर्श अनुबन्ध ।
- (ii) नॉन मैट्रो एयरपोर्टों के सिटी साइड विकास के लिए एमसीए ।
- (iii) कण्टेनर ट्रेन आपरेशन के लिए एमसीए ।
- (iv) रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के लिए एमसीए ।
- (v) शहरी परिवहन प्रणाली(मैट्रो रेल) के लिए एमसीए ।
- (vi) इलैक्ट्रिक लोकोमोटिव के प्रापण - सह - अनुरक्षण के लिए एमसीए ।
- (vii) आदर्श पारेषण सेवा अनुबंध ।
- (viii) राजमार्गों की व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए परामर्श दाताओं की नियुक्ति हेतु आदर्श आरएफपी ।
- (ix) पारेषण प्रणाली के लिए विधिक परामर्शदाता की नियुक्ति हेतु आदर्श आरएफपी।
- (x) पारेषण प्रणाली व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए तकनीकी परामर्शदाता की नियुक्ति हेतु आदर्श आरएफपी ।

(xi) वित्तीय परामर्शदाता की नियुक्ति के लिए आदर्श आरएफपी ।

वित्त पोषण

12.17 वर्ष 2006 में अधिसूचित वीजीएफ स्कीम का उद्देश्य प्रतिस्पर्धात्मक बोली अवसंरचना परियोजनाओं, जो आर्थिक लाभ की दृष्टि से न्यायसंगत होती है लेकिन वित्तीय लाभ के मानकों पर खरी नहीं उतरती, की वाणिज्यिक व्यवहार्यता में वृद्धि करना है । इस स्कीम के अन्तर्गत पीपीपी परियोजनाओं को प्रायोजक मंत्रालय/राज्य सरकार द्वारा मुहैया कराए गए अतिरिक्त 20% सहित केन्द्र सरकार द्वारा परियोजना पूंजी लागत के 20% तक अनुदान सहायता मुहैया कराई जा सकती है ।

12.18 आईआईएफसीएल जो भारत सरकार की गारन्टी के मुकाबले घरेलू और विदेशी, दोनो, बाजारों से दीर्घावधि निधि प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा सम्पूर्ण स्वामित्व वाले एसपीबी के रूप में स्थापित किया गया था, वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य परियोजनाओं की परियोजना लागत को 20% प्रत्यक्ष रूप से उधार देने के लिए प्राधिकृत हैं । यह वित्तीय संस्थानों को 10 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए दिए गए ऋणों के लिए पुनर्वित्त भी मुहैया करा सकता है । प्रतिस्पर्धात्मक रूप से चुनी गई पीपीपी परियोजनाओं को कम्पनी द्वारा ऋण के लिए प्राथमिकता दी जाती है ।

12.19 अपने संस्थापन से लेकर 30 नवम्बर, 2008 तक, आईआईएफसीएल ने कुल 145,491 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत की 101 पात्र परियोजनाओं को 18,415 करोड़ रुपए की राशि की वित्तीय सहायता को मंजूरी दी थी (जिसमें से 70 परियोजनाएं पीपीपी मोड के अन्तर्गत हैं) क्षेत्रक वार ब्यौरे नीचे तालिका 12.2 में दिए गए हैं । कुल 114,491 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत की 89 परियोजनाओं में वित्तीय समापन की उपलब्धि कर ली गई है और 16072 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए गए हैं । कुल 79,703 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत की 63 परियोजनाओं के

तहत 3057 करोड़ रुपए के ऋण का संवितरण किया गया है ।

तालिका 12.2 आईआईएफसीएल द्वारा अनुमोदित क्षेत्रक वार वित्तीय सहायता ।

(करोड़ रुपए)

क्षेत्रक	परियोजनाओं की संख्या	परियोजना लागत	स्वीकृत ऋण
सड़कें	55	31,712	5723
बंदरगाह	5	3772	580
एयरपोर्ट	2	14716	2150
विद्युत	23	93241	9913
शहरी अवसंरचना	16	2050	49
कुल	101	1,45,491	18,415

क्षेत्रकीय विशिष्टताएं

एयरपोर्ट

12.20 दसवीं योजना में (2006 - 07 के मूल्य पर) 6771 करोड़ रुपए के प्राप्त निवेश की तुलना में, ग्यारहवीं योजना में एयरपोर्टज़ में 30,968 करोड़ रुपए के निवेश का अनुमान है । इस दिशा में सीओआई ने भारत में विश्व - स्तर के एयरपोर्टज़ के समय-बद्ध निर्माण को सुनिश्चित करने के लिए अनेक नीतिगत उपायों की शुरुआत की है । एक व्यापक राष्ट्रीय नागरिक विमानन नीति तैयार की जा रही है जिसका मसौदा मई, 2007 से मंत्री दल के विचाराधीन है । एक स्वतन्त्र आर्थिक नियामक के लिए एयरपोर्ट आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (एईआरए) अधिनियम 5 दिसम्बर, 2008 को अधिसूचित किया गया था ।

12.21 बेंगलुरु और हैदराबाद में ग्रीनफील्ड अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट 2008 में शुरु हो गए हैं । पीपीपी के माध्यम से दिल्ली एयरपोर्ट के आधुनिकीकरण और विस्तार का चरण - । 2008-09 में किए गए 4018 करोड़ रुपए के व्यय सहित 8975 करोड़ रुपए की कुल लागत पर मार्च, 2010 तक पूरा किए जाना है । मुम्बई एयरपोर्ट का चरण - । 2008-09 में किए गए 936 करोड़ रुपए के

व्यय सहित 9500 करोड़ रुपए की कुल लागत पर दिसम्बर, 2012 तक पूरा किया जाना है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इण्डिया (एएआई) द्वारा चैन्नई और कोलकाता एयरपोर्टों का आधुनिकीकरण और विकास 2008 - 09 में क्रमशः व्यय किए गए 63 करोड़ और 133 करोड़ रुपए सहित 1808 करोड़ और 1941 करोड़ रुपए की कुल अनुमानित लागत पर मई, 2011 में पूरा होने की आशा है। ग्यारहवीं योजना का उद्देश्य 35 नान - मैट्रो एयरपोर्टों और 13 अन्य एयरपोर्टों के आधुनिकीकरण और विकास को सुविधाजनक बनाना है। इनमें से, औरंगाबाद, त्रिची, डिब्रुगढ़, उदयपुर, और अहमदाबाद (घरेलू) टर्मिनलों पर 2008-09 में कार्य पूरा हो गया था। 17 एयरपोर्ट 2009 - 10 की पहली छमाही में, 4 एयरपोर्ट 2009 - 10 की दूसरी छमाही में पूरे होने की उम्मीद है और 3 एयरपोर्टों की योजना बनाई जा रही है और निविदा आमंत्रित की जा रही हैं जबकि 6 एयरपोर्टों के लिए भूमि अधिग्रहीत की जा रही है। पूर्वोत्तर में प्रचालनरत 11 एयरपोर्टों के उन्नयन का कार्य शुरू किया जा रहा है। सिक्किम में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जनवरी, 2009 में 309 करोड़ रुपए की कुल लागत पर दिया गया था और दो अन्य पूर्वोत्तर में निर्मित किए जाएंगे।

12.22 मौजूदा व्यवस्था के मानकीकरण के लिए, नॉन मैट्रो एयरपोर्टों के सिटी - साइड विकास के लिए सीओआई की अधिकार प्राप्त समिति द्वारा एफएमसीए अनुमोदित किया गया है। वर्तमान रूप में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए एमसीए तैयार किया जा रहा है। एएआई के नवीनीकरण को शीघ्र ही अनुमोदित किए जाने की उम्मीद है जिसमें वायु यातायात नियन्त्रण सेवाओं का उन्नयन शामिल होगा। एयरपोर्ट प्रयोग, अतिक्रमण, भूमि अधिग्रहण, निष्पादन मानक, एक्सप्रेसवे और/अथवा मैट्रो के माध्यम से शहर सार्थकता और पर्यावरणीय स्वीकृतियों जैसे मुद्दों के समाधान के लिए मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय सरलीकरण (फैसिलिटेशन) समिति का गठन किया गया है। सीओआई द्वारा अप्रैल, 2007 में गठित कार्य दल द्वारा 2008 - 09 में 10 चुनिंदा एयरपोर्टों

की शहर सम्पर्कता के लिए योजना को अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है।

राष्ट्रीय राजमार्ग

12.23 दसवीं योजना में (2006 - 07 की कीमतों पर) 144,892 करोड़ रुपए के प्राप्त निवेश की तुलना में, ग्यारहवीं योजना में सड़क और सेतु क्षेत्रक में 314,152 करोड़ रुपए के निवेश की परिकल्पना की गई है जिसमें से 106,792 करोड़ रुपए पीपीपीज़ के माध्यम से निवेश किए जाने की आशा है। सरकार ने ग्यारहवीं योजना में विशेष रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) के माध्यम से 145,853 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर चरणबद्ध तरीके से राष्ट्रीय राजमार्गों के उन्नयन के लिए महत्वकांक्षी योजनाएं तैयार की हैं। इनका वित्तपोषण प्रमुख रूप से उपकर प्राप्ति, शेष मार्गकर राजस्व, निजी निवेश और बाजार उधार से किया जाएगा। इस क्षेत्रक में पीपीपीज़ को और प्रोत्साहित करने के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- एनएचडीपी चरण - iii से vii में सभी उप - परियोजनाएं पीपीपी पद्धति (बीओटी) आधार पर शुरू की जाएंगी।
- अनेक प्रोत्साहन, जैसे कि कर छूट और सड़क निर्माण मशीनरी का कर-मुक्त आयात, घोषित किए गए हैं।

12.24 स्वर्ण चतुर्भुज की चार - लेनिंग संबंधी कार्यक्रम का 96% पूरा हो गया है। उत्तर - दक्षिण पूर्व - पश्चिम कॉरीडोर का चार लेनिंग कार्य भी पूरा होने वाला है। दिसम्बर, 2008 तक एनएचडीपी-I के अन्तर्गत कुल 7498 किलोमीटर में से 7166 किलोमीटर का निर्माण पूरा हो गया था। एनएचडीपी-II के अन्तर्गत 2,240 किलोमीटर पर चार लेनिंग पूरी हो गई है और शेष 6,647 किलोमीटर में से 5,806 किलोमीटर के लिए ठेके दे दिए गए हैं। एनएचडीपी-III के अन्तर्गत 12,109 किलोमीटर के अत्यधिक यातायात घनत्व खण्ड की

परिकल्पित चार/छह लेनिंग में से 4,815 किलोमीटर दिसम्बर,2009 तक पूरी हो जाएगी। चयनित खण्डों के 20,000 किलो मीटर को 27800 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश से एनएसडीपी -iv के अंतर्गत अपग्रेड करने की परिकल्पना की गई है जिसमें से 5,000 किलामीटर और पर 4000 किलामीटर को बीओटीटी आधार(मार्ग कर) पर और 1000 किलामीटर बीओटी(मार्ग कर/ वार्षिकी) आधार पर, जुलाई, 2008 में ही अपग्रेड करने की मंजूरी दे दी गई है। एनएचडीपी-v के अंतर्गत 6500 किलोमीटर की छह लेनिंग में से सीओआई ने 5700 किलामीटर का अनुमोदन कर दिया है और शेष 800 किलामीटर का अनुमोदित पात्रता मानदंड के आधार पर चुनाव किया जाएगा। 1030 किलामीटर के लिए ठेके दे दिए गए हैं। एनएचडीपी-vi के अंतर्गत 400 किलामीटर वडोडरा - मुंबई एक्सप्रेस वे संरक्षण को पहले ही अंतिम रूप दे दिया गया है और एक्सप्रेस वे के 600 किलोमीटर को बीओटी आधार पर शुरू किया जाएगा। एनएचडीपी-vii के अंतर्गत सीओआई द्वारा 16,680 करोड़ रुपए की लागत के 700 किलोमीटर रिंग रोड, बाय पास, ग्रेड सैपरेटर्स और सर्विस रोडज के निर्माण को अनुमोदित कर दिया गया है।

12.25 राष्ट्रीय राजमार्गों में पीपीपी परियोजनाएं जिन्हें 2008 - 09 के दौरान दिए जाने की संभावना है, नीचे तालिका 12.3 में दर्शाई गई है:

तालिका 12.3 2008-09 के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग लक्ष्य

एनएचडीपी चरण	पूरा होना	मार्ग कर	रियायत
I	220	2,003	-
II	2,522	-	801
III	659	-	6,047
IV	-	-	-
V	118	-	3,754
VI	-	-	-
VII	-	-	40

12.26 उत्तम अन्तरराष्ट्रीय पद्धतियों के आधार पर सामान्य विनियामक ढांचे को प्रोत्साहन देने के लिए राजमार्गों का निर्माण कार्य प्राप्त करने के लिए 2008 - 09 में आदर्श संविदा को अंतिम रूप दिया जाएगा।

बंदरगाह

12.27 यद्यपि, पारंपरिक रूप से बंदरगाहों के स्वामित्व पर सार्वजनिक क्षेत्र का प्रभुत्व रहा है लेकिन अब बंदरगाह सुविधाओं और सेवाओं के निजीकरण में गति आ गई है और पीपीपी सहित निजी भागीदारी के लिए समर्थ नीतिगत ढांचा तैयार किया गया है। राष्ट्रीय समुद्री विकास कार्यक्रम के तहत प्रमुख बंदरगाहों की अवसंरचना के आवर्धन के लिए संयुक्त रूप से सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों से लगभग 61,013 करोड़ का निवेश परिकल्पित है। मौजूदा कण्टेनर बर्थ के पीपीपी पद्धति में चरणबद्ध स्थानांतरण के प्रस्तावों पर मामलेवार आधार पर विचार किया जाएगा। 2006-12 में 52 बर्थों के महत्वाकांक्षी लक्ष्य की तुलना में, जहाजरानी विभाग ने 2006-07 में 6 बर्थों का अधिकारिक निर्णय लिया है। 2008 - 09 में 3390.39 करोड़ रुपए की अनुमानित परियोजना लागत पर 9 बर्थें दी जानी निर्धारित है जैसा कि तालिका 12.4 में दिया गया है।

12.28 सरकार ने 12 प्रमुख बंदरगाहों को विश्व स्तरीय बंदरगाह बनाने का भी निर्णय लिया है। प्रत्येक बंदरगाह ने 20 वर्षीय भावी योजना और सात वर्षीय कार्य योजना बनाई है जिसकी सीओआई की अधिकार प्राप्त उपसमिति द्वारा समीक्षा की जा रही है।

12.29 इस बात को स्वीकार करते हुए कि जहाजरानी उद्योग का झुकाव बड़े - बड़े समुद्री जहाज बनाने की ओर है। प्रमुख बंदरगाहों के तल से मशीनों द्वारा कीचड़ - मिट्टी निकालने की एक योजना योजना आयोग के कार्य दल द्वारा तैयार की जा रही है। एक उच्चस्तरीय समिति ने तीन वर्ष की अवधि में प्रमुख बंदरगाहों की रेल - सड़क

सम्पर्कता में सुधार के लिए एक योजना को अंतिम रूप दिया है। अन्य क्षेत्र जो बीओटी आधार पर निजी क्षेत्र के लिए खुले हैं उनमें ड्राई-डाक्स का निर्माण, वेयर हाउसिंग सुविधाएं और पोत मरम्मत सुविधाएं शामिल हैं।

12.30 बंदरगाहों के विकास के लिए वित्त पोषण योजना की समीक्षा की जा रही है तथा टैरिफ सैटिंग मेकेनिज्म एण्ड बिडिंग पैरामीटर्स के संबंध में कार्यदल की रिपोर्ट का सीओआई की अधिकार प्राप्त उपसमिति ने अनुमोदन कर दिया है।

रेलवे

12.31 भारतीय रेल की वर्तमान कार्यनीति दक्षता में सुधार करने और लागत नियन्त्रण के उद्देश्य से पीपीपी के माध्यम से उन क्षेत्रों में 100,000 करोड़ रुपए के लगभग निजी पूंजी की लीवरेज करना है जो निजी भागीदारी के अनुकूल हैं। इसके लगभग 25000 करोड़ रुपए के निजी निवेश को 2008-09 में विशेष रूप से मुंबई में एलीवेटिड उपनगरीय रेल कॉरीडोर, जिसके लिए पूर्व संभाव्यता अध्ययन किया

जा रहा है, के निर्माण में मल्टीमॉडल लाजिस्टिक पार्क जिसके लिए व्यामक नीति तैयार की जा रही है, और पीपीपी मोड के माध्यम से नई दिल्ली, जयपुर, आगरा, पटना, सिकन्दराबाद, तिरुपति और अमृतसर रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास में व्यय किया जाना लक्षित है। वर्ष 2008-09 में इलैक्ट्रिक और डीजल लोकोमोटिव्स के लिए विनिर्माण यूनिट विकसित करने के लिए बोली प्रक्रिया शुरू हो गई है।

12.32 ग्यारहवीं योजना का मुख्य बल पश्चिमी और पूर्वी उच्च घनत्व वाले मार्गों पर समर्पित रेलवे फ्रेट कॉरीडोर परियोजनाओं के माध्यम से सेवाओं की क्षमता बढ़ाने और उनकी गुणवत्ता में सुधार करने पर है। 28000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर 1469 किलोमीटर लम्बा पश्चिमी कॉरीडोर उत्तर में जवाहर लाल नेहरू बंदरगाह को दादरी और तुगलकाबाद से जोड़ेगा और 1232 किलोमीटर लम्बा पूर्वी कॉरीडोर लुधियाना को दादरी और खुर्जा के मार्ग से सोननगर से जोड़ेगा। पूर्वी कॉरीडोर को इस क्षेत्र में प्रस्तावित डीप-सी पोर्ट से जोड़ने के

तालिका 12.4 2008-09 में बंदरगाहों में दिए जाने के लिए निर्धारित पीपीपी परियोजनाएं

क्र.सं.	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत(करोड़ रुपए)
	पारादीप	
1	डीप ड्राट आयरन ओर बर्थ	504.77
2	डीप ड्राट कोल बर्थ	387.83
	विशाखापत्तनम	
3	वेस्टर्न क्वे(डब्ल्यूक्यू 6) बर्थ फॉर ड्राई बल्क कार्गो	91.00
4	कन्स्ट्रक्शन ऑफ ईक्यू.10 जैटी एट इनर हार्बर फॉर लिक्विड कार्गो	52.66
	एन्नौर	
5	कण्टेनर टर्मिनल	1300.00
	टूटीकार्न	
6	कनवर्जन ऑफ बर्थ न. 8 एट कण्टेनर टर्मिनल	150.00
	न्यू मंगलौर	
7	मैकनाइज्ड आयरन ओर हैण्डलिंग एट बर्थ न. 14	132.00
	मोरमुगांव	
8	डिवैल्पमेंट ऑफ बर्थ न. 7 फॉर हैण्डलिंग बल्क कार्गो	332.00
	काण्डला	
9	13 से 16 मल्टीपरपज। कार्गो बर्थज़	440.13

लिए कलकत्ता तक बढ़ाया जाएगा । एक एसपीवी, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड को अवसंरचना की योजना बनाने, निर्माण करने और रख - रखाव के लिए तथा गाड़ियों के संचालन के लिए संस्थापित किया गया है । जापान इंटरनेशनल कोआपरेशन एजेन्सी ने इन दोनो कॉरिडोरों में संभव सहायता संबंधी अध्ययन पूरा कर लिया है, राइट्स द्वारा प्रारंभिक इंजीनियरिंग सर्वेक्षण कर लिया गया है और 2008 - 09 में उधारदाताओं के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए जाने का लक्ष्य है। उत्तर-दक्षिण मार्गों पर डीएफसीज़ के लिए व्यवहार्यता अध्ययन, सर्वेक्षण और परियोजना रिपोर्ट प्रगति पर हैं । वर्ष 2008 - 09 में भूमि अधिग्रहण पूरा करने और रियायत अनुबन्ध, प्रापण कार्यनीति को अंतिम रूप दिए जाने का लक्ष्य है ।

12.33 26 चुनिंदा रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास और आधुनिकीकरण पीपीपी तरीकें से किया जाना प्रस्तावित है जिसमें स्टेशनों के आस-पास के क्षेत्र और प्लेटफार्म के उपर खाली स्थान के वाणिज्यिक रूप से विकसित किए जाने की संभावना है । बायपनहली और भुवनेश्वर रेलवे स्टेशनों को चाइनीज रेलवे के माध्यम से विकसित किए जाने का प्रस्ताव है । नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के मामले में व्यवहार्यता रिपोर्ट पूरी कर ली गई है और परामर्श दाताओं की नियुक्ति कर दी गई है । पटना रेलवे स्टेशन के लिए अंतिम बोली जून, 2009 के लिए निर्धारित है ।

12.34 सिलसिलेवार संस्थात्मक पहले शुरु की जा रही हैं जिनमें रेलवे स्टेशनों, पुनर्विकास, शहरी परिवहन प्रणाली (मैट्रो रेल) और इलैक्ट्रिक लोकोमोटिव्स की खरीद -सह.रख - रखाव के लिए एपसीएज़ तैयार करना शामिल है ।

विद्युत

12.35 ग्यारहवीं योजना में 2012 तक सभी को बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। उपभोक्ता कल्याण में वृद्धि के लिए प्रतिस्पर्धा शुरु

करने, कमी दूर करने, गुणवत्ता सुधारने एवं लागत नियंत्रित करने के उद्देश्य से विद्युत अधिनियम 2003 को अधिनियमित करके विद्युत क्षेत्रक सुधार शुरु किए गए हैं जिससे निवेश प्रवाह विशेषरूप से निजी पूंजी बढ़ेगी तथा राज्य विद्युत बोर्डों एवं वितरण कंपनियों की वित्तीय व्यवहार्यता सुधरेगी । अब केन्द्रीय सहायता का उपयोग सुधार अनुपालन को, विशेष रूप से पूरे देश में 28.65% (2006-07 में) के पारेषण और वितरण घाटे को कम करते हेतु, प्रोत्साहित किया जा रहा है । पारेषण में निवेश आकर्षित करने के उपायों संबंधी कार्य दल ने राज्य सरकारों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले मानकीकृत बोली दस्तावेजों को तैयार करना शुरु कर दिया है। मॉडल पारेषण सेवा अनुबंध, संभाव्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए तकनीकी परामर्शदाता की नियुक्ति हेतु आरएफपी और विधिक परामर्शदाता की नियुक्ति हेतु आरएफपी को अंतिम रूप दिया जा रहा है । हरियाणा में 600 करोड़ रुपए की सूचक लागत पर पीपीपी मोड में पारेषण प्रणाली के विकास के लिए बोली प्रक्रिया दिसम्बर, 2008 से शुरु कर दी गई है।

12.36 मुक्त पहुंच के प्रचालनीकरण हेतु उपायों संबंधी कार्यदल ने इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है कि यद्यपि विद्युत अधिनियम, 2003 ने मुक्त पहुंच को शुरु कर दिया है ताकि उत्पादक बड़े उपभोक्ताओं को सीधे बिक्री कर सकें इसके बावजूद भारत के किसी भी भाग में अब तक किसी भी उपभोक्ता का मुक्त पहुंच का लाभ नहीं मिला है । वेंडर विकास, कीमत बढ़ोतरी शर्त क्षमता बुकिंग और थर्मल पावर संयंत्र की विशिष्टताओं के मानकीकरण संबंधी दलों ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है ।

12.37 भारत में विद्युत की मांग निरन्तर बढ़ रही है। हालांकि, विश्व मानकों के अनुसार भारत के उर्जा उपयोग का वर्तमान स्तर निम्न है, अधिकतम आपूर्ति से मांग लगातार अधिक रही है और दसवीं योजना के अंत तक उर्जा की कमी क्रमशः 13.8% और 9.6% थी । 2007 - 08 में व्यस्ततमकालीन कमी

16.6% तक हो गई । 30,538 मेगावाट(आठवीं योजना),40,245 मेगावाट (नौवीं योजना) और 41,100 मेगावाट(दसवीं योजना) के योजनाबद्ध की तुलना में क्षमता वृद्धि क्रमशः 46%,47% और 52% रही है । अभी तक निजी क्षेत्रक निवेश छलावा सिद्ध हुआ है क्योंकि (क)लगभग दिवालिए की स्थिति वाले राज्य विद्युत बोर्डों को विश्वसनीय खरीददार नहीं समझा जाता; और (ख) उत्पादक एसईबीज़ के अलावा किसी अन्य को विजली बेच नहीं सकते । दसवीं योजना के अंत तक,कुल उत्पादन क्षमता में निजी क्षेत्रक का हिस्सा केवल 10% था जबकि भारी मात्रा में पारेषण और वितरण कार्य राज्य यूटिलिटीज़ के पास हैं ।

12.38 ग्यारहवीं योजना के लिए यूटिलिटीज़ को आपूर्ति हेतु आयोजित योजनाबद्ध क्षमता वृद्धि,कैप्टिव पावर प्लाण्टज़(सीपीपीज़) को छोड़कर, 78700 मेगावाट है इसमें से 26,783 मेगावाट राज्यों द्वारा, 36,874 मेगावाट केन्द्र द्वारा और पाँच वर्ष की

अवधि में 112,510 मेगावाट की कुल क्षमता अभिवृद्धि की आशा है । शेष 15043 मेगावाट निजी क्षेत्रक द्वारा विकसित करने की योजना है जिसमें अन्य क्षमता(विकेन्द्रीकृत वितरण उत्पादन,नवीन और नवीकरणीय उर्जा स्रोत,और सीपीपीज़) शामिल है । इसमें से 37217 मेगावाट 2008-09 में शुरु किए जाने की आशा है। प्रत्येक 4000 मेगावाट की 9 परियोजनाओं के अल्ट्रा मेगा पावर प्लान्ट्स(यूएसपीपी) के लिए उत्पादन अवसरों के लाभ उठाते हुए तीन परियोजनाओं(मुन्दरा,सासन और कृष्णा पट्ट) को 2008 - 09 में निर्धारित तिलय्या यूएमपीपी की अधिकारिक स्वीकृति दे दी गई है ।

12.39 कुल 666525 करोड़ रुपए के निवेश का अनुमान लगाया गया है जिसमें से 2008-09 में 321579 करोड़ रुपए निवेश किए जाने का अनुमान है जिसके ब्यौरे नीचे तालिका 12.5 में दिए गए हैं ।

तालिका 12.5 ग्यारहवीं योजना के दौरान विद्युत में कार्यकलाप-वार निवेश ।

(2006-07 की कीमतों पर करोड़ रुपए)

कार्यकलाप	उत्पादन	पारेषण	वितरण	कुल ग्यारहवीं योजना
केन्द्र	1,43,976	61,637	49,703	2,55,316
राज्य	91,525	44,825	89,347	2,25,697
निजी	1,41,848	33,961	9,703	1,85,512
कुल	3,77,349	1,40,423	1,48,753	6,66,525

अध्याय 13

बाह्य वातावरण: अवसर, चुनौतियाँ और जोखिम

बाह्य क्षेत्रक आयाम

13.1 वर्ष 2008 में, वैश्विक अर्थव्यवस्था कई उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में, आवास बाजार में प्रमुख सुधारों से वित्तीय बाजार के गभीर संकट और वस्तु कीमतों में बढ़ोतरी के कारण प्रभावित हुई थी।

13.2 वर्तमान वैश्विक संकट 1930 से लेकर अब तक का अपने प्रकार का सबसे गंभीर संकट है। भारतीय अर्थव्यवस्था इस संकट के प्रभाव से अछूती नहीं रह सकती, जो कई चैनलों के माध्यम से अंतरित किया जा रहा है: हमारे निर्यात में गिरावट, घटे हुए विदेशी वित्तीय अन्तर्प्रवाह, हमारी घरेलू वित्तीय प्रणाली में संक्रमण, बढ़े हुए जोखिम बोध के कारण बैंको की भूमि के प्रति अनिच्छा और अत्यधिक अनिश्चितता के चलते व्यवसाय में घटते विश्वास की वजह से निवेश में गिरावट। इसका समग्र प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था में मंदी के रूप में

हुआ है। अर्थव्यवस्था को सक्रिय बनाने के लिए और वैश्विक संकट के प्रभाव को कम करने के लिए निवारक उपाय किए गए हैं। अन्तरराष्ट्रीय तेल और वस्तु कीमतों में गिरावट से कुछ सीमा तक इस संकट से उबरने में सहायता मिल रही है।

वैश्विक आर्थिक स्थिति

13.3 अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने अपने वर्ल्ड इकोनोमिक आउटलुक, 2008 में उन्नत अर्थव्यवस्थाओं और अन्य उभरते हुए और विकासशील देशों में उत्पादन वृद्धि में वर्तमान प्रवृत्ति का व्यापक सिंहावलोकन प्रस्तुत किया है। हाल की कठित वित्तीय स्थिति के कारण बाजार में काफी मंदी आ गई है। उन्नत अर्थव्यवस्थाएं सामूहिक रूप से केवल 1.5% की दर से बढ़ीं। अमरीका ने अमरीकी अर्थव्यवस्था में उत्पन्न वित्तीय संकट के प्रत्यक्ष प्रभाव को झेला था। जबकि वर्ष 2007 की

तालिका-13.1 वर्ल्ड इकोनोमिक आउटलुक प्रोजेक्शन का अवलोकन

	वर्तमान अनुमान (जबतक कि अन्यथा नोट न किया जाए वार्षिक प्रतिशत परिवर्तन)				जुलाई, 2007 अनुमानों से अंतर	
	2006	2007	2008	2009	2007	2008
विश्व उत्पादन	5.1	5.0	3.9	3.0	-0.2	-0.9
उन्नत अर्थव्यवस्थाएं	3.0	2.6	1.5	0.5	-0.2	-0.9
संयुक्त राज्य अमरीका	2.8	2.0	1.6	0.1	0.3	-0.7
यूरो क्षेत्र	2.8	2.6	1.3	0.2	-0.4	-1.0
जर्मनी	3.0	2.5	1.8	---	-0.2	-1.0
फ्रांस	2.2	2.2	0.8	0.2	-0.8	-1.2
जापान	2.4	2.1	0.7	0.5	-0.8	-1.0
यूनाइटेड किंगडम	2.8	3.0	1.0	-0.1	-0.8	-1.8
अन्य उभरते हुए बाजार एवं विकासशील देश	7.9	8.0	6.9	6.1	---	-0.6
अफ्रीका	6.1	6.3	5.9	6.0	-0.5	-0.4
चीन	11.6	11.9	9.7	9.3	---	-0.5
भारत	9.8	9.3	7.9	6.9	-0.1	-1.1

(स्रोत: वर्ल्ड इकोनोमिक आउटलुक, आईएमएफ)

औसत वैश्विक वृद्धि दर 5% के लगभग दर्शाई है, अन्य उभरते हुए बाजारों और विकासशील देशों के लिए यह 8% है। वर्ष 2008 के लिए औसत वृद्धि दर अनुमान 3.9% है। उभरते हुए और विकासशील देशों में यह 6.9% है। वर्ष 2008 में इसके क्रमशः 3% और 6.1% तक गिरने की संभावना है। चीन और भारत 2009 में भी विकासशील देशों में अग्रणी बने रहेंगे।

13.4. भारत के मामले में आईएमएम ने अनुमान लगाया है कि वास्तविक जीडीपी में 2008 में 7.9% की वृद्धि होगी जैसा कि उपर्युक्त तालिका में दर्शाया गया है। यह तालिका यह भी दर्शाती है कि हालांकि वर्ष 2008 में भारत की विकास दर विश्व औसत विकास दर की तुलना में अधिक थी, वर्ष 2007 में इसमें काफी गिरावट हुई है।

विदेश व्यापार नीति

13.5 वर्ष 2008-09 की अवधि के लिए एकीकृत विदेश व्यापार नीति ने वैश्विक माल के प्रतिशत हिस्से को दुगुना करना संभव बनाया है और आर्थिक विकास और रोजगार सृजन के लिए व्यापार विस्तार के उपाय के रूप में प्रयोग करने में उपलब्धि हासिल की है। विदेशी क्षेत्रक को और अधिक मजबूत करने के उद्देश्य से, विदेश व्यापार नीति के वार्षिक परिशिष्ट(सप्लीमेंट), 2008 में कई नीतिगत उपायों की घोषणा की गई है। वे उपाय जिनका वार्षिक परिशिष्ट में प्रस्ताव किया गया है उनमें शामिल हैं— विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों को बढ़ावा देना और इसके मद्देनजर ईपीसीजी के तहत आयात शुल्क को 5% से घटाकर 3% किया जा रहा है। बड़ी संख्या में निर्यात संबंधी सेवाओं पर कर वापसी की घोषणा की गई है। 100% ईओयूज़ को दिया जाने वाला कर लाभ और एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा रहा है। रुपए का मूल्य बढ़ने से प्रभावित क्षेत्रों के लिए ब्याज राहत को और एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा रहा है। डीईपीबी स्कीम मई, 2009 तक बढ़ा दी गई है। ईसीजीसी भुगतान जोखिमों को कम करके निर्यातकों और उनकी वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाने के लिए विभिन्न सेवाएं

मुहैया कराने हेतु अपनी वितरण चैनलों के विस्तृत कर रहा है।

विदेशी व्यापार

13.6 वर्ष 2007-08 के दौरान भारत का भुगतान संतुलन संतोषजनक रहा। 2007-08 के दौरान माल व्यापार का संतुलित रूप से बढ़ना जारी रहा। यह वैश्विक वित्तीय बाजार में अस्थिर स्थिति के बावजूद संभव हुआ है। अन्य उभरते हुए देशों की तुलना में भारत की बेहतर प्रौद्योगिकीय प्रगति ने प्रौद्योगिकी गहन यूनितों में अत्यावश्यक उत्पाद विविधीकरण को संभव बनाया है।

13.7 भारत की निर्यात वृद्धि चीन को छोड़कर एशिया क्षेत्र में इसके प्रमुख प्रतिस्पर्धियों देशों की निर्यात वृद्धि से अधिक रही है। इन वर्षों में टैरिफ में उत्तरोत्तर कमी के कारण आयात में भी नियमित वृद्धि हुई है। सेवा निर्यात में वृद्धि होने से भारत की परोक्ष प्राप्तियों में विस्तार हुआ और अधिक स्थायी हा गई। बढ़ते हुए वैश्वीकरण से, सकल वर्तमान प्राप्ति (माल निर्यात और परोक्ष प्राप्तियाँ) और सकल वर्तमान भुगतान (माल आयात और परोक्ष भुगतान) मिलाकर जीडीपी के आधे से अधिक बैठते हैं।

13.8 गैस-तेल आयात की लगातार मांग के साथ-साथ कच्चे तेल की अन्तरराष्ट्रीय कीमतों में बढ़ोतरी का परिणाम निजी अन्तरणों और सॉफ्टवेयर निर्यात में उच्च वृद्धि के बावजूद वर्ष के दौरान घाटा बढ़ने के रूप में सामने आया। पोर्टफोलियो निवेश, वाणिज्यिक उधार और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में वृद्धि से निवल पूंजी प्रवाह में कई गुना वृद्धि हुई है।

13.9 वर्ष 2007-08 में जीडीपी के अनुपात के रूप में चालू लेखा घाटा गत वर्ष की तुलना में 1.5% अधिक है। नब्बे के दशक के मध्य और 2003-04 के बीच माल व्यापार घाटा जीडीपी के लगभग 3-4% के बीच घटता- बढ़ता रहा। गैस-तेल आयातों के अधिक होने के कारण यह 2006-07 में

6.9% और 2007 की जीडीपी 7.7% तक तेजी से बढ़ा। तथापि, चालू लेखा घाटा इनविजिबल्स के तहत व्यापक अन्तर्प्रवाह के कारण नियंत्रित किया जा सका।

13.10 वैश्विक मंदी ने अपना प्रभाव 2008-09 की तीसरी तिमाही में दर्शाना शुरू कर दिया। माल निर्यात में नकारात्मक वृद्धि और आयात वृद्धि में आई अचानक मंदी का प्रभाव घरेलू कार्यकलापों में मंदी के रूप में हुआ है। माल निर्यात में अक्टूबर

2008 से फरवरी 2009 तक लगातार नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। इस प्रकार 2008-09 के दौरान निर्यात में एक वर्ष पहले 28.4% की वृद्धि की तुलना में 6.4% की कम वृद्धि दर्ज की गई। इसी प्रकार, 2008-09 के दौरान आयात में भी मंदी दर्ज की गयी जिसके परिणामस्वरूप 2008-09 के दौरान (अप्रैल-फरवरी) एक वर्ष पहले के 82.2 बिलियन यूएस डालर से 113.8 बिलियन यूएस डालर तक माल व्यापार घाटा हुआ।

तालिका -13.2 मुख्य वस्तुओं का भारतीय निर्यात

(मिलियन अमरीकी डालर)

वस्तुएं	2005-06	2006-07पी	2007-08पी	प्रतिशतता अंतर	
				(2)/(1)	(3)/(2)
	1	2	3	4	5
1. मुख्य उत्पाद	16,377 (15.9)	19,686 (15.6)	27,065 (17.0)	20.2	37.5
क. कृषि एवं संबंधित उत्पाद	10,214 (9.9)	12,683 (10.0)	18,060 (11.4)	24.2	42.4
1. चावल	1,405	1,555	2,914	10.7	87.4
2. समुद्री उत्पाद	1,589	1,768	1,703	11.3	-3.7
ख. अयस्क एवं खनिज	6,164 (6.0)	7,002 (5.5)	9,005 (5.7)	13.6	28.6
II विनिर्मित वस्तुएं	72,563 (70.4)	84,921 (67.2)	101,099 (63.6)	17.0	19.1
क. चमड़ा एवं विनिर्माण	2,698 (2.6)	3,017 (2.4)	3,432 (2.2)	11.8	13.8
ख. रसायन एवं संबंधित उत्पाद	14,770 (14.3)	17,335 (13.7)	20,453 (12.9)	17.4	18.0
अवशिष्ट रसायन एवं संबंधित उत्पाद					
ग. इंजीनियरिंग सामान	21,719 (21.1)	29,567 (23.4)	36,722 (23.1)	36.1	24.2
घ. वस्त्र एवं वस्त्र उत्पाद	16,402 (15.9)	17,373 (13.7)	19,015 (12.0)	5.9	9.5
ङ. रत्न व आभूषण	15,529 (15.1)	15,977 (12.6)	19,657 (12.4)	2.9	23.0
च. हस्तशिल्प	462 (0.4)	438 (0.3)	461 (0.3)	-5.2	5.2
III. पेट्रोलियम उत्पाद	11,640 (11.3)	18,679 (14.8)	24,869 (15.6)	60.5	33.1
iv. अन्य	2,511 (2.4)	3,076 (2.4)	5,974 (3.8)	22.5	94.2
कुल निर्यात(i+ii+iii+iv)	103,091	126,361	159,007	22.6	25.8

प्रोविजनल (स्रोत: वार्षिक रिपोर्ट 2007-08, आरबीआई)

निर्यात

13.11 2001-08 की अवधि के दौरान माल निर्यात में 20.3% की औसत वृद्धि दर्ज की गई। 2006-07 में 22.6% की तुलना में 2007-08 के दौरान माल निर्यात में 25.8% की वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 2007-08 के वस्तु-वार निर्यात से पता चलता है कि कृषि और सम्बद्ध उत्पादों, इंजीनियरिंग वस्तुओं, रत्न एवं आभूषणों तथा पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात में रत्न और आभूषण, कपड़े और कपड़ा उत्पादों का निर्यात 69% हिस्से के साथ बढ़ा था जब कि इंजीनियरिंग वस्तुओं के निर्यात ने नरमी

दर्शाई। पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात में 33.1% की वृद्धि दर्ज की गई थी जो 2006-07 की 65% की वृद्धि से कम है।

13.12 2000-01 से भारत के माल निर्यात की संरचना में कुछ-कुछ परिवर्तन हुआ है। वर्ष 2000 की शुरुआत से वस्तुओं के अर्थ में भारत की निर्यात बास्केट का विविधीकरण हुआ है। कृषि, सम्बद्ध उत्पाद, हस्तशिल्प, कपड़ा और कपड़ा उत्पाद, रत्न और आभूषण और चमड़ा और विनिर्मित वस्तुओं के पारंपरिक निर्यात से इंजीनियरिंग वस्तुएं और पेट्रोलियम उत्पादों ने अग्रता प्राप्त कर ली।

तालिका 13.3 मुख्य वस्तुओं का भारतीय आयात

वस्तु समूह	मिलियन अमरीकी डालर				
	2005-06	2006-07 R	2007-08 P	प्रतिशतता अंतर	
	1	2	3	(1)/(2) 4	(2)/(3) 5
I. थोक आयात	61,086	84,434	112,687	38.2	33.5
क. पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पाद एवं संबंधित सामग्री	(41.0) 43,963	(45.5) 57,144	(47.0) 79,641	30.0	39.4
ख. थोक उपभोग वस्तुएं	2,767 (1.9)	4,294 (2.3)	4,575 (1.9)	55.2	6.5
ग. अन्य थोक मर्दे	14,356	22,996	28,471	60.2	23.8
1. उर्वरक	2,127	3,144	5,406	47.8	71.9
2. अलौह धातु	1,844	2,605	3,490	41.2	34.0
3. धातुमय अयस्क, धातु स्कैप	3,882	8,346	7,906	115.0	-5.3
4. लोहा एवं इस्पात	4,572	6,425	8,684	40.5	35.2
II. गैर-थोक आयात	88,080	101,315	126,964	15.0	25.3
क. पूंजीगत वस्तुएं	37,666	47,069	58,393	25.0	24.1
1. इलैक्ट्रिक एवं इलैक्ट्रॉनिक्स के अलावा मशीनरी	10,010	13,850	19,661	38.4	42.0
2. कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर सहित इलैक्ट्रॉनिक वस्तुएं	14,144	16,940	21,344	19.8	26.0
ख. मुख्य रूप से निर्यात संबंधित मर्दे	18,641	17,872	20,758	-4.1	16.2
1. मोती, मूल्यवान एवं अर्द्ध मूल्यवान रत्न	9,134	7,488	7,975	-18.0	6.5
2. रसायन, जैविक और अजैविक	6,984	7,831	9,879	12.1	26.2
ग. अन्य	31,772 (21.3)	36,374 (19.6)	47,813 (20.0)	14.5	31.4
1. विद्युतीय को छोड़कर व्यवसायिक उपकरण आदि	1,973	2,341	3,061	18.7	30.8
2. कोल, कोक एवं ब्रिकेट्स आदि	3,869	4,577	6,412	18.3	40.1
कुल आयात (I+II)	149,166	185,749	239,651	24.5	29.0

P: प्रोविजनल

स्रोत: (वार्षिक रिपोर्ट 2007-08, आरबीआई)

आयात

13.13 भारत की निर्यात वृद्धि जो 2006-07 में 24.5% थी, वर्ष 2007-08 के दौरान तेजी से बढ़कर 29.0% हो गई। कच्चे तेल की अन्तरराष्ट्रीय कीमतों के 2006-07 में 12.0% की तुलना में 2007-08 में 27.4% तक वृद्धि से पेट्रोलियम, तेल और लुब्रिकेंट का आयात जो 2006-07 के दौरान 30% था, 2007-08 के दौरान बढ़ कर 39.4% हो गया।

13.14 गैर-तेल आयात वृद्धि में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई यह 2006-07 में 22.2% से बढ़ कर 2007-08 के दौरान 24.4% हो गई। कुल आयात वृद्धि में गैर-तेल आयात का हिस्सा 58% था। पूंजीगत वस्तुओं का आयात घटकर एक वर्ष पहले के 25.0% से घटकर 24.1% हो गया। सोने और चांदी के आयात में 2006-07 के 29.4% की तुलना में 21.8% की बहुत ही कम दर पर वृद्धि हुई। 2007-08 के दौरान सोने और चांदी को छोड़कर गैर-तेल निर्यात में 24.7% की वृद्धि हुई थी। औद्योगिक इनपुटों में वृद्धि 2006 में 19.6% के मुकाबले तेजी से बढ़कर 24.2% हो गई। इस अवधि के दौरान आयात में तेज वृद्धि दर्शाने वाले अन्य गैर-तेल उत्पाद थे खाद्य तेल, उर्वरक, मोती, कीमती व अर्द्ध कीमती जवाहरात, रसायन, कपड़ा और कोयला, कोक और ब्रिकेट।

विदेशी मुद्रा भंडार

13.15 भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में विदेशी करेंसी परिसम्पत्ति, सोना, एसडीआरज़ और आईएमएम के साथ रिजर्व ट्रेंच पोजिशन शामिल है। चालू लेखा घाटे की तुलना में पूंजी प्रवाह अधिक होने के कारण, भारत का विदेशी मुद्रा भण्डार मार्च, 2007 के अंत में 199.2 बिलियन यूएस डालर की तुलना में 2007-08 के दौरान मार्च, 2008 के अंत तक बढ़कर 309.7 बिलियन यूएस डालर हो गया।

13.16 वर्ष 2007-08 के दौरान उभरती हुई बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमईज़) के बीच सबसे बड़े अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा भण्डारों में भारत का स्थान तीसरा था। भारत का मुद्रा भण्डार माल आयात कवर मार्च,

2007 के अंत में 12.5 माह से बढ़कर मार्च, 2008 के अंत तक 15.0 की सुखद स्थिति में आ गया।

13.17 निवल पूंजी बहिर्प्रवाह के साथ-साथ 2008-09 की तीसरी तिमाही में चालू लेखा घाटे में तीव्र वृद्धि के परिणामस्वरुम विदेशी मुद्रा भंडार में 17.9 बिलियन यूएस डालर की सीमा तक कमी आई। निवल मूल्यांकन प्रभाव को ध्यान में रखते हुए विदेशी मुद्रा भण्डार में अप्रैल-दिसम्बर 2007 में 76.1 बिलियन की अभिवृद्धि की तुलना में अप्रैल-दिसम्बर 2008 के दौरान 53.8 बिलियन यूएस डालर की गिरावट दर्ज की गई। मार्च, 2009 के अंत में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 250 बिलियन यूएस डालर था जो मार्च 2008 की तुलना में मार्च 2009 के अंत तक 57.7 बिलियन यूएस डालर की कमी को दर्शाता है।

विदेशी ऋण

13.18 मार्च, 2008 के अंत में भारत का विदेशी ऋण 221.2 बिलियन यूएस डालर तक पहुंच गया जो मार्च, 2007 के अंत तक 51.5 बिलियन यूएस डालर अधिक है। इस अवधि के दौरान विदेशी ऋण में वृद्धि मुख्यतः विदेशी वाणिज्यिक उधार और अल्पावधि ऋण में वृद्धि के कारण यह प्रमुख अन्तरराष्ट्रीय करंसियों और भारतीय रुपए की तुलना में यूएस डालर के अवमूल्यन के मूल्यांकन प्रभाव को दर्शाता है जो 9.9 बिलियन यूएस डालर वृद्धि के रूप में बैठता है।

13.19 विदेशी ऋण भण्डार का सबसे बड़ा घटक यूएस डालर (57.1%) में मापा गया था जिसके बाद भारतीय रुपया (14.5%), जापानी येन (12.1%) और एसडीआर (10.2%) का स्थान है।

13.20 जीडीपी विदेशी ऋण का अनुपात जो मार्च, 2007 के अंत में 17.8% था, मार्च 2008 के अन्त में बढ़कर 18.8% हो गया। यह अनुपात मार्च, 1995 में 38% के समान उच्च था। कुल ऋण की तुलना में अल्प अवधि और भण्डार की तुलना में लघु ऋण का अनुपात क्रमशः बढ़कर 20% और

14.3% हो गया। मार्च, 2008 में विदेशी मुद्रा भण्डार विदेशी ऋण भण्डार से 40.0% अधिक था।

13.21 भारत का विदेशी ऋण अल्प अवधि ऋण में गिरावट के कारण 2008-09 की तीसरी तिमाही में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं दर्शाता। यूएस डालर अग्रणी

करेंसी बना रहा जिसमें भारत का विदेशी ऋण मापा गया था जो दिसम्बर, 2008 तक लगभग कुल 53.1% ऋण बैठता है। भारत का विदेशी मुद्रा भण्डार दिसम्बर 2008 के अंत तक विदेशी ऋण भण्डार से अधिक था।

तालिका 13.4 भारत की ओर विदेशी निवेश प्रवाह

(मिलियन अमरीकी डालर)

मद	2005-06	2006-07 P	20067-08P
1	2	3	4
क. प्रत्यक्ष निवेश	8,961	22,079	32,435
1. इक्विटी (क+ख+ग+घ)	5,975	16,482	25,241
क. सरकारी (एसआईए/ एफआईपीबी)	1,126	2,156	2,298
ख. आरबीआई	2,233	7,151	17,129
ग. शेयरों की अभिप्राप्ति	2,181	6,278	5,148
घ. अनिगमित निकायों की इक्विटी पूंजी	435	897	666
II. पुनर्निवेश आय	2,760	5,091	6,884
III. अन्य पूंजी #	226	506	310
ख पोर्टफोलियों निवेश (क+ख+ ग)	12,492	7,003	29,395
क. जीडीआर/एडीआर	2,552	3,776	8,769
ख. एफआईआई @	9,926	3,225	20,326
ग. ऑफशर फंड और अन्य	14	2	298
ग. कुल (क+ख)	21,453	29,082	61,830

तालिका- 13.5 भारत का विदेशी ऋण

क्र.सं.	मद	मार्च, 2007 का अंत	मार्च, 2008 का अंत	2007-08 के दौरान अंतर	
				राशि	प्रतिशत
1		2	3	4	5
1	बहुपक्षीय	35,337	39,312	3,975	11.2
2	द्विपक्षीय	16,061	19,613	3,552	22.1
3	व्यापार ऋण	7,051	10,267	3,216	45.6
4	बाह्य वाणिज्यिक उधार	41,657	62,019	20,362	48.9
5	एनआरआई जमा	41,240	43,672	2,432	5.9
6	रुपए ऋण	1,947	2,016	69	3.5
7	दीर्घावधि (1 से 6)	143,293	176,899	33,606	23.5
	कुल	169,669	221,212	51,543	30.4

(स्रोत: वार्षिक रिपोर्ट 2007-08, आरबीआई)

तालिका-13.6 बाह्य ऋण सेवा भुगतान

(मिलियन अमरीकी डालर)

क्र.सं.	मद	2006-07	2007-08
1.	जीडीपी अनुपात में बाह्य ऋण	17.8	18.8
2.	कुल ऋण अनुपात में अल्पकालिक ऋण(%)	15.5	20.0
3.	विदेशी मुद्रा भण्डार अनुपात में अल्पकालिक ऋण(%)	13.2	14.3
4.	बाह्य ऋण अनुपात में विदेशी मुद्रा भण्डार(%)	117.4	140.0
5.	ऋण सेवा अनुपात (%)	4.8	5.4
6.	वर्तमान प्राप्त धन अनुपात में ब्याज भुगतान(%)	2.3	2.7
7.	वर्तमान प्राप्त धन अनुपात में ऋण(%)	69.1	73.0
8.	देयता सेवा अनुपात(%)	6.2	6.5

स्रोत: (वार्षिक योजना 2007-08,आरबीआई)

अध्याय - 14

शिक्षा

14.1 प्राथमिक शिक्षा एवं साक्षरता

14.1.1 दसवीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 (वर्ष 1992 में यथासंशोधित) की नीतियों को आगे बढ़ाते हुए शिक्षा के क्षेत्र में विशेष निगरानी योग्य लक्ष्य निर्धारित किए गए थे तथा स्कूली एवं उच्च शिक्षा सहित सभी स्तर पर शिक्षा की सुलभता एवं गुणवत्ता में सुधार करने पर जोर दिया गया था। ग्यारहवीं योजना में दसवीं योजना के अपूर्ण एजेंडा को आगे बढ़ाने के अलावा, शिक्षा के सभी स्तर पर क्षेत्रीय, सामाजिक और लैंगिक अंतर कम करने के साथ - साथ मुख्य चुनौतियों का समाधान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, तेजी से बदलती हुई प्रौद्योगिकी की मांग और ज्ञान अर्थव्यवस्था में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, युवाओं को रोजगार बाजार में प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपेक्षित कुशलता प्राप्त करने के वास्ते मात्र आठ वर्ष की प्रारम्भिक शिक्षा को अत्यंत अपर्याप्त महसूस किया गया है। अतः सर्वशिक्षा अभियान के लाभों को समेकित करने के लिए और ज्ञान समाज की स्थापना में आगे बढ़ने के लिए माध्यमिक शिक्षा मिशन जरूरी है।

विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता

14.1.2 प्रारंभिक शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा सहित शिक्षा (केन्द्रीय क्षेत्र) के लिए आबंटित 2.70 लाख करोड़ रुपए के कुल योजना परिव्यय में से प्रारंभिक शिक्षा के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपए, साक्षरता/वयस्क शिक्षा के लिए 6000 करोड़ रुपए, और माध्यमिक शिक्षा के लिए 53550 करोड़ रुपए सहित विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता के लिए 1.85 लाख करोड़ रुपए की राशि पर विचार किया गया है। इस प्रकार कुल योजना

परिव्यय में शिक्षा का अंश 7.7% से बढ़कर 19.4% हो जाएगा। इस प्रकार, ग्यारहवीं योजना परिव्यय का लगभग 50% योजना परिव्यय प्रारंभिक शिक्षा एवं साक्षरता के लिए है और 20% माध्यमिक शिक्षा के लिए है तथा 30% उच्च शिक्षा के लिए है।

प्रारंभिक शिक्षा एवं प्रौढ़ शिक्षा और साक्षरता

प्रारंभिक शिक्षा

14.1.3 ग्यारहवीं योजना के दौरान स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता (एसई एण्ड एल) विभाग की प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित मुख्य मुख्य स्कीमों और कार्यक्रम हैं - सर्वशिक्षा अभियान (कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कीम और एनवीईजीईएल सहित), राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा पोषाहार सहायता कार्यक्रम (जिसे सामान्य रूप से मध्याह्न भोजन स्कीम के रूप में जाना जाता है), शिक्षक शिक्षा स्कीम और महिला समाख्या।

14.1.4 इस समय सभी बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करने के लिए मुख्य साधन एक व्यापक कार्यक्रम है जिसे सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) कहा जाता है (जो संयोगवश वर्ष 2002 से दसवीं पंचवर्षीय योजना के शुरु होने के साथ ही शुरु हुआ है। यह एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसे स्थानीय निकायों को शामिल करके जिला स्तरीय विकेन्द्रीकृत प्रबंधन व्यवस्था के माध्यम से राज्य सरकारों की भागीदारी के साथ केन्द्र सरकार द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके तहत 6-14 आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की परिकल्पना की गई है। एसएसए के अंतर्गत स्कूल शिक्षा से संबंधित सभी कार्यक्रमों को सम्मिलित हैं, यथा बुनियादी सुविधाएं, बच्चों के लिए मुफ्त पाठ्य पुस्तकें मुहैया कराना, छात्राओं के

दाखिले को प्रोत्साहित करना, शिक्षक शिक्षा और उनका प्रशिक्षण आदि। यह कार्यक्रम 10.60 लाख विद्यमान प्राथमिक और अपर प्राथमिक स्कूलों और अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों (ईजीएस/एआईई केन्द्रों) के माध्यम से 12 लाख बस्तियों में लगभग 20 करोड़ बच्चों की जरूरतों को पूरा करता है।

सर्वशिक्षा अभियान के उद्देश्य(एसएसए)

- सभी बच्चों को वर्ष 2005 (वर्ष 2006-07 तक बढ़ाया गया) तक नियमित स्कूल, शिक्षा गारंटी केन्द्र, वैकल्पिक स्कूल, बैक-टु-शिविर तक लाना।
- प्राथमिक स्तर पर सभी लिंग और सामाजिक श्रेणी के अंतर को 2007 तक और प्रारम्भिक शिक्षा स्तर पर 2010 तक पाटना।
- वर्ष 2010 तक सर्वव्यापक प्रतिधारण।
- जीवन में शिक्षा पर बल देने के साथ-साथ संतोषजनक कोटि की प्रारंभिक शिक्षा पर बल देना।

14.1.5 प्रारम्भिक शिक्षा को न्याययोग्य मौलिक अधिकार बनाने के लिए वर्ष 2002 में भारतीय संविधान में संशोधन किया गया। तथापि प्रारम्भिक स्तर पर 7.6 मिलियन बच्चों का स्कूल न जाना और लगभग 50% बच्चों का बीच में ही पढ़ाई छोड़ देना चिंता का विषय है। अतः साम्यता, प्रतिधारण और उच्च स्तरीय प्रारम्भिक शिक्षा की चुनौतियों का सामना करने के लिए एसएसए को पुनः दिशा प्रदान की जाएगी। विद्यालयों (सरकारी और निजी दोनों)के लिए न्यूनतम मानक सुनिश्चित करने के लिए एसएसए को राष्ट्रीय उच्च स्तरीय प्रारम्भिक शिक्षा मिशन के रूप में पुनर्गठित किया जा रहा है तथा केन्द्र सभी स्कूलों में गुणवत्ता विनियमन की आवश्यकता के साथ - साथ शिक्षा गुणवत्ता की मानीटरिंग करने में अंत तरण और समुदायों एवं स्थानीय निर्वाचित निकायों की भूमिका के व्यापक ढांचे के अंतर्गत इसे पूरा करने के लिए प्रक्रियाओं का निर्धारण करेगा। यह अप्रॉच प्रणाली के माध्यम

से अवसर, गुणवत्ता और साम्यता पर समग्रता से विचार करेगा और उनका समाधान करेगा।

वर्ष 2007 - 08 की समीक्षा

14.1.6 वर्ष 2007 - 08 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का प्रथम वर्ष था। छोटे और निर्धन राज्यों की लगातार मांग को ध्यान में रखते हुए दसवीं योजना योजना में 75:25 के अनुपात में केन्द्र और राज्यों के बीच फंड शेयरिंग व्यवस्था को बदलकर ग्यारहवीं योजना में 50 : 50 के अनुपात में परिवर्तित करने में आनेवाली कठिनाइयों के संबंध में जैसा कि एसएसए की क्रियान्वयन व्यवस्था में विचार किया गया है, की निधियन प्रक्रिया के अनुपात में संशोधन कर इसे ग्यारहवीं योजना के प्रथम दो वर्षों के लिए 65:35, तृतीय वर्ष के लिए 60:40, चौथे वर्ष के लिए 55:45 और इसके बाद 50:50 का अनुपात किया गया। वार्षिक योजना 2007 - 08 में एसएसए के लिए 10671.00 करोड़ रुपए का आबंटन (बजट अनुमान) दिया गया, जिसे संशोधित अनुमान में 13171 करोड़ रुपए कर दिया गया। वार्षिक योजना 2006-07 के तहत प्रारम्भिक शिक्षा एवं साक्षरता के लिए 17128 करोड़ रुपए (बजट अनुमान) के आबंटन को वर्ष 2007 - 08 के दौरान बढ़ाकर 19027 करोड़ रुपए का दिया गया। बुनियादी शिक्षा के वित्त पोषण के लिए वर्ष 2004 से आयकर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और सेवा कर पर दो प्रतिशत का शिक्षा उप - कर लगाया गया है। सर्व शिक्षा अभियान और मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के वित्त पोषण के लिए एक अव्ययगत कोष के रूप में प्रारम्भिक शिक्षा कोष स्थापित किया गया है, तथा शिक्षा उपकर से प्राप्त आय इस कोष में जमा की जाती है।

14.1.7 प्रारम्भिक शिक्षा एवं साक्षरता के लिए आबंटित 19027 करोड़ रुपए में से 18626 करोड़ रुपए प्रारम्भिक शिक्षा के लिए था और 401 करोड़ रुपए प्रौढ़ शिक्षा के लिए था।

14.1.8 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में सर्वशिक्षा अभियान के सकेन्द्रित क्रियान्वयन में शिक्षा अवसर

से गुणवत्ता स्तर की और अंतरण बुनियादी शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास रहा है। स्कूल न जाने वाले बच्चों का औपचारिक प्राथमिक विद्यालयों और शिक्षा गारंटी स्कीम/वैकल्पिक और नवीन शिक्षा (ईजीएस एंड एआईई) केन्द्रों में दाखिला सुनिश्चित करने पर विशेष जोर रहा है। स्कूल रहित बस्तियों के बच्चों और स्कूल न जानेवाले बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा का अवसर मुहैया कराने के लिए ईजीएस/एआईई केन्द्रों की विशेष रूप-रेखा तैयार की गई है। यह स्कीम ब्रिज कोर्स, आवासीय कैंपों, ड्राप इन सेन्टर्स, समर कैंपों, आवासीय कोचिंग के माध्यम से स्कूल न जाने वाले बच्चों के लिए लचीली कार्य नीतियों का समर्थन करती है। नियमित स्कूलों की वर्तमान अवसंरचना में सुधार करने और अनेक कारणों से स्कूली शिक्षा से वंचित बच्चों को मुख्यधारा में लाने के लिए नियमित विद्यालयों की मौजूदा अवसंरचना को सुधारने और वैकल्पिक कार्यनीतियों पर जोर रहा है। वर्ष 2007-08 के दौरान इजीएस/एआईई केन्द्रों में 37.65 लाख बच्चों का नामांकन किया गया था।

सर्व शिक्षा अभियान(एसएसए)

14.1.9 सर्वशिक्षा अभियान के तहत वर्ष 2007-08 के दौरान (मार्च, 2008 तक) हुई प्रगति का उल्लेख नीचे दिया गया है:-

- सर्व शिक्षा अभियान के परिणामस्वरूप, स्कूल न जाने वाले बच्चों की अनुमानित संख्या जो दसवीं योजना की शुरुआत में 3.20 करोड़ थी, वह 2007-08 में घटकर 76 लाख हो गई है।
- उचित छात्र - शिक्षक अनुपात सुनिश्चित करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान के तहत 31.3.2008 तक लगभग 9.09 लाख शिक्षकों की भर्ती की गई।
- सिविल कार्य: कुल 2.41 लाख नये स्कूल खोले गए हैं ; 1.96 लाख स्कूल भवन और 7.79 लाख अतिरिक्त कक्षाएं बनाई गई हैं।

- कुल 1.80 लाख पेयजल सुविधायों और 2.31 लाख शौचालयों को पूरा किया गया।
- 20 दिवसीय प्रशिक्षण व्यवस्था के तहत 25.89 लाख शिक्षकों को कवर किया गया है।
- कुल 6.88 करोड़ बच्चों को पाठ्यपुस्तकें मुफ्त दी गईं।

14.1.10 ग्यारहवीं योजना के दौरान सर्वशिक्षा अभियान के पुनर्गठन के लिए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने विशेष ध्यान केन्द्रित दृष्टिकोण अपनाया है। विशेष ध्यान केन्द्रित जिलों (एसएफडी) की तीन परस्परव्यापी श्रेणियाँ बनाई गई हैं और प्रत्येक के लिए भिन्न-भिन्न पैरामीटर्स हैं। एसएफडी "ए" में अवसंरचना (एसीआर अंतराल ≥ 3000) की कमी और यूपीएस अनुपात (3:1) के हानिप्रद पीएस वाले 245 जिले शामिल हैं। इस जिलों को सिविल कंस्ट्रक्शन के लिए वर्धित परिव्यय (33% के सामान्य परिव्यय की तुलना में जिला के कुल परिव्यय का 50%) दिया गया। एसएफडी "बी" में 314 जिले शामिल हैं जिसके तहत सुविधा वंचित समाजिक समूह (एससी/एसटी $\geq 25%$) अल्पसंख्यक बहुल, नक्सल प्रभावित और सीमावर्ती जिले शामिल हैं। इन जिलों को लक्षित आबंटन अर्थात् कुल शिक्षकों का 61%, नये पीएस का 59%, प्राथमिक स्कूल भवनों के निर्माण का 72%, अतिरिक्त क्लास रूम का 78%, कुल ईजीएस केन्द्रों का 45%, एआईई लक्ष्य का 45%, और कुल वित्तीय परिव्यय का 59% दिया गया है। एसएफडी "सी" के अंतर्गत स्कूल न जानेवाले 40,000 बच्चों सहित 127 जिले, पीएस में लिंग अंतराल $\geq 10%$ प्वाइंट्स और यूपीएस में ≥ 20 पीसी शामिल हैं। इन जिलों की कमियों का समाधान करने के उपायों हेतु वार्षिक जिला कार्य योजना में प्रावधान किया जाता है। एक जिला विभिन्न पैरामीटर्स के संदर्भ में अनेक श्रेणियों में हो सकता है। अतः एसएफडी की कुल संख्या 441 है।

14.1.11 अनुमान है कि प्रारम्भिक शिक्षा की गुणवत्त संबंधी जरूरतों विशेष रूप से, गरीबों,

प्रतिकूलताग्रस्त और बालिकाओं की विशेष समस्याएं जो उन्हें स्कूल जाने में हतोत्साहित करती हैं, के समाधान के लिए एसएफ दृष्टिकोण को पुनः दिशानिर्देशित किया जाएगा। इससे शिक्षक उपस्थिति एवं दक्षता, पठन - पाठन प्रक्रियाओं और परिणामों, एससी/एसटी/बालिकाओं/अल्पसंख्यकों की आवश्यकताओं, अपेक्षित हस्तक्षेपों के लिए स्कूल एवं शिक्षक ग्रेडिंग का समाधान होगा।

14.1.12 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कीम (केजीबीवी) अपर प्राइमरी स्तर पर शिक्षा में लड़कियों की आधिकाधिक भागीदारी को प्रत्सोहित करने के लिए जुलाई 2004 में शुरू की गई थी। इस स्कीम के तहत इस स्तर पर उन शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लाकों, जिनमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यक वर्गों की लड़कियों की संख्या अधिक है तथा जहां राष्ट्रीय औसत की तुलना में लिंग अंतर अधिक है और साक्षरता दर कम है, वहां उनके लिए 2180 आवासीय विद्यालयों की मंजूरी दी गई है। कम-से-कम तीन-चौथाई सीटें कमजोर या अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों के लिए आरक्षित हैं और शेष सीटें गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की लड़कियों के लिए उपलब्ध करायी जाती है। ग्यारहवीं योजना में केजीबीवीएस को सर्वशिक्षा अभियान में विलय कर दिया गया है। मार्च, 2008 तक 1929 केजीबीवी स्कूल संचालित किए गए हैं जिनमें अक्टूबर 2007 तक 1.10 लाख से अधिक बालिकाओं का नामांकन किया, जिसमें से 27% एससी, 33% एसटी, 26% ओबीसी, 5% मुस्लिम और 11% बीपीएल हैं। 2180 स्वीकृत केजीबीवी स्कूलों में से, 272 स्कूल अधिक मुस्लिम आबादी वाले ब्लाकों में हैं, 622 स्कूल एससी बाहुल्य ब्लाकों में हैं और 583 स्कूल एसटी बाहुल्य ब्लाकों में हैं। वर्ष 2008-09 के लिए अतिरिक्त 402 केजीबीवी स्कूलों की योजना बनाई गई है।

14.1.13 मध्याह्न भोजन स्कीम: इस स्कीम को अक्टूबर 2007 में पुनः संशोधित किया गया ताकि प्रारम्भ में 3479 शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लाकों में अपर प्राइमरी के बच्चों का शामिल किया जा सके।

इस विस्तार से अपर प्राइमरी के लगभग 1.7 करोड़ बच्चों को शामिल किए जाने की उम्मीद है। यूपीएस स्तर पर मध्याह्न भोजन का कैलरीय मान प्रति बच्चा/स्कूल दिवस 150 ग्राम खाद्यान्न (चावल/गेहूँ) मुहैया कराते हुए न्यूनतम 700 कैलरी और 20 ग्राम प्रोटीन निर्धारित किया गया है। मध्याह्न भोजन का कुशल प्रबंधन बहुत हद तक कारगर सामुदायिक एकजूटता और पणधारियों के सक्रिय सहभागिता पर निर्भर करता है। भोजन बनाने और खिलाने का यथार्थ निरीक्षण के लिए स्कूली बच्चों की माताओं को शामिल करने की जो पहल 2006 में शुरू की गई थी, वह सफल रही है।

14.1.14 वर्ष 2007-08 के दौरान इस स्कीम के लिए 7324 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया था जिसे बजट अनुमान में संशोधित कर 6678 करोड़ रुपये कर दिया गया। इस वर्ष के दौरान कुल 22.80 लाख मिट्रिक टन खाद्यान्न आबंटित किया गया था। किचन शेड के लिए 2.23 लाख स्कूलों को और किचन हड़िया-बर्तन खरीदने के लिए 2.14 लाख स्कूलों को केन्द्रीय सहायता जारी की गई थी। इस कार्यक्रम में 10.60 लाख स्कूलों/ ईजीएस केन्द्रों (9.7 लाख पीएस और 1.67 लाख यूपीएस) में दाखिला प्राप्त लगभग 11.37 करोड़ बच्चों को कवर किया गया है। इस कार्यक्रम के फीडबैक से बच्चों के दाखिला एवं उपस्थिति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने के संकेत प्राप्त हुए हैं। इस कार्यक्रम ने सुविधांचित वर्गों विशेषकर अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति की महिलाओं, जिन्हें कूक और सहायक के रूप में रखा जा रहा है, को रोजगार अवसर मुहैया कराया है। इस स्कीम का योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा मूल्यांकन किया जा रहा है।

14.1.15 महिला समाख्या (एमएस)- महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए एक विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना है जो वर्ष 1989 में डच सहायता से शुरू की गई थी, इसे वर्ष 2005-06 से भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम महिलाओं को उनकी समर्थता के अनुसार सीखने, अपनी प्राथमिकता निर्धारित करने, विशेष

विषयों की जानकारी रखने के लिए ज्ञान एवं सूचना प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है। इसने ग्राम स्तरीय शिक्षा कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए महिलाओं की योग्यता को सशक्त बनाया है। यह कार्यक्रम नौ राज्यों में कार्यान्वित किया गया है जिसमें 233 ईबीवी और 20,380 ग्राम सहित 83 जिलों, 339 ब्लाक शामिल हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीस गढ़ राज्यों ने एमएस सोसाइटियों को पंजीकृत किया है जिनके माध्यम से यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में किशोर बालिकाओं और महिलाओं के व्यावसायिक शिक्षा एवं दक्षता विकास और शैक्षिक विकास के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराता है। यह एमएस कार्य तक वर्तमान प्रक्रिया के आधार पर जारी है तथा इसका सभी ईबीवी को कवर करने के लिए और साथ ही शहरी और उपनगरीय स्तरों में विस्तार किया गया है, क्योंकि यह गरीब महिलाओं के शैक्षिक सशक्तीकरण में योगदान करता है। ग्यारहवीं योजना के लिए परिव्यय 210 करोड़ रुपये है, जबकि वर्ष 2007-08 के लिए वार्षिक योजना परिव्यय 34 करोड़ रुपये (ईएपी घटक: 30.60 करोड़) है।

14.1.16 शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की गुणवत्ता सुधारने के लिए स्वीकृत जिला शिक्षा संस्थानों (डीआईटी) और शिक्षक शिक्षा महाविद्यालयों को संचालित करने पर जोर देते हुए शिक्षक शिक्षा पुनर्गठन एवं आयोजन स्कीम को दसवीं योजना में संशोधित किया गया। इस स्कीम ने वर्ष 2006-07 तक 571 डीआईटी/डीआईसी, 104 सीटीई और 31 आईएसई सहित वृहद आधारीक ढांचा निर्मित किया है। तथापि शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम का निष्पादन संतोषप्रद नहीं रहा है। डीआईटी की स्थापना का उद्देश्य सेवा पूर्व और सेवा के दौरान नवीन शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करना था, परंतु इस दिशा में डीआईटी के आगे बढ़ने का कोई संकेत देखने को नहीं मिला है। एनसीईआरटी डाइट (डीआईटी) का मूल्यांकन कर रहा है। शिक्षक शिक्षा स्कीम राज्यों की भागीदारी के साथ कार्यान्वित की जानी

चाहिए। वर्ष 2007-08 के दौरान 500 करोड़ रुपये का आबंटन (बजट अनुमान) मुहैया कराया गया जिसे संशोधित अनुमान में घटाकर 312 करोड़ रुपये कर दिया गया।

वार्षिक योजना 2008-09

4.1.17 चालू वर्ष (2008-09) के दौरान योजना आयोग ने प्राथमिक शिक्षा के लिए 20695 करोड़ रुपये का और साक्षरता एवं प्रौढ़ शिक्षा के लिए 451 करोड़ रुपये (कुल 21146 करोड़ रुपये) का परिव्यय (बीई) को अनुमोदित किया है।

14.1.18 सर्वशिक्षा अभियान के तहत, वर्ष 2008-09 के लिए 13100 करोड़ रुपये का परिव्यय (बीई) अनुमोदित किया गया है।

14.1.19 जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम/डीपीईपी, जोकि समापन दौर में है, को 50 करोड़ रुपये का परिव्यय मुहैया कराया गया है।

14.1.20 मध्याह्न भोजन स्कीम को 8000 करोड़ रुपये का बढ़ा हुआ परिव्यय (बीई) मुहैया कराया गया है। स्कीम को 2008-09 से सभी उच्च प्राथमिक विद्यालयों को कवर करने के लिए अद्यतन किया गया है।

14.1.21 शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को सुदृढ़ करने की स्कीम के लिए 500 करोड़ रुपये का परिव्यय (बीई) मुहैया कराया गया है।

14.1.22 महिला समाख्या को 38 करोड़ रुपये का परिव्यय मुहैया कराया गया है, जिसमें 34 करोड़ रुपये का ईएपी घटक शामिल है।

14.1.23 सरकारी/स्थानीय निकाय के विद्यालयों में एक वर्षीय पूर्व - प्राथमिक शिक्षा सहायता की नई स्कीम को 100 करोड़ रुपये का परिव्यय उपलब्ध कराया गया है।

14.1.24 प्रौढ़ शिक्षा एवं दक्षता विकास (एनजीओ/जेएसएस/एसआरसी को विलय करके बनाई गई स्कीम) के लिए एनजीओ/जेएसएस/

एसआरसी को सहायता देने की स्कीम को 70 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं।

14.1.25 प्रौढ़ शिक्षा एवं दक्षता विकास स्कीम(साक्षरता अभियान और सतत शिक्षा को विलय कर बनाई गई स्कीम) को 354 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं, जबकि 35 वर्ष से ऊपर के आयु वर्ग के लिए साक्षरता कार्यक्रम की नई स्कीम को 15 करोड़ रुपए मुहैया कराए गए हैं।

14.1.26 वर्ष 2008-09 के दौरान माध्यमिक शिक्षा क्षेत्र के लिए 4554 करोड़ (ब.अ.) रुपए के परिव्यय की मंजूरी दी गई जो कि वर्ष 2007-08 के संशोधित अनुमान में 178.48%(1635.30 करोड़ रुपए) की वृद्धि है। वर्ष 2007-08 के लिए बजट अनुमान 3164 करोड़ रुपए था।

14.1.27 वर्ष 2007-08 में स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता के लिए 22191 करोड़ रुपए के लिए कुल परिव्यय की तुलना में वर्ष 2008-09 में कुल परिव्यय 26800 करोड़ रुपए है।

14.2 माध्यमिक और व्यावसायिक शिक्षा

14.2.1 माध्यमिक शिक्षा, प्रारंभिक और उच्च शिक्षा के बीच सेतु का काम करती है और 14-18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को उच्च शिक्षा में प्रवेश करने के लिए तैयार करती है। यह कक्षा IX-XII से संबंधित कार्यों को निपटाती है। विद्यमान स्थिति के अनुसार वर्ष 2005-06 के दौरान 14 से 18 वर्ष की आयु समूह की कुल 9.50 करोड़ उपयुक्त जनसंख्या में से मात्र 3.85 करोड़ बच्चों को माध्यमिक/ वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में दाखिला कराया गया। दाखिला की यह संख्या कुल उपयुक्त जनसंख्या का 40.49% है।

14.2.2 वर्ष 2007-08 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का प्रथम वर्ष था। वार्षिक योजना 2007-08 के तहत माध्यमिक शिक्षा क्षेत्र के लिए 3164 करोड़ रुपए का परिव्यय अनुमोदित किया गया। वर्ष 2007-08 के संशोधित अनुमान में व्यय 1635.30

करोड़ रुपए था। स्कीमवार परिव्यय/संशोधित अनुमान संलग्नक में दर्शाया गया है।

14.2.3 माध्यमिक क्षेत्र में, स्कूली शिक्षा के लिए पांच शीर्ष स्तरीय राष्ट्रीय संस्थाएं (केन्द्रीय क्षेत्रक) हैं। ये शीर्ष संस्थाएं हैं - राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी), नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस), केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस), राष्ट्रीय स्कूल शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) और केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन (सीटीएसए)।

केन्द्रीय क्षेत्रक की स्कीमें

14.2.4 केंद्रीय संस्थानों द्वारा शुरू की गई गतिविधियों के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं -

14.2.5 **554 जवाहर नवोदय विद्यालय (जेएनवी)** हैं जो 34 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में क्रियाशील हैं जिनमें 1.96 लाख विद्यार्थी दाखिल हैं। ये मार्ग प्रशस्त करने वाले स्कूल हैं तथा ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों को उच्चतर आधुनिक शिक्षा प्रदान करते हैं। ये स्कूल, वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक पूर्णतः रिहायशी सह-शिक्षा संस्थान हैं, जो सभी छात्रों को मुफ्त आवास, खाना, पाठ्यपुस्तकें और वर्दियां उपलब्ध कराते हैं। वर्ष 2007-08 में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों की बालिकाओं और ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से बहुत अधिक था; अनुसूचित जातियां- 28%; अनुसूचित जन जातियां - 14.91% बालिकाएं - 35.49% ग्रामीण क्षेत्रों में 77.28%। वर्ष 2006 में दसवीं वर्ग में 91.13% की पास प्रतिशतता की तुलना में 2007 में यह बढ़कर 96.41% हो गई। सीबीएसई की समग्र पास प्रतिशतता (84.44%) अच्छी रही। एससी/एसटी बहुल आबादी वाले जिलों में 20 अतिरिक्त नवोदय विद्यालयों की मंजूरी दी गई है, जैसी कि हाल के बजट में घोषणा की गई है।

14.2.6 **केन्द्रीय विद्यालय** मुख्य रूप से केन्द्र सरकार के स्थानान्तरित होने वाले कर्मचारियों के

बच्चों की शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। 979 केन्द्रीय विद्यालय हैं जिनमें 9.79 लाख विद्यार्थी दाखिल हैं। नियमित मॉनीटरिंग और उपचारात्मक उपायों के फलस्वरूप इन स्कूलों ने अपने शिक्षा स्तर और निष्पादन में सुधार किया है। 2007 के दौरान दसवीं और बारहवीं के अखिल भारतीय सी.बी.एस.ई. परीक्षा के परिणामों की तुलना में केन्द्रीय विद्यालय की दसवीं और बारहवीं का परीक्षा परिणाम क्रमशः 95.64% और 93.14% था। 979 केन्द्रीय विद्यालयों में से 92 केन्द्रीय विद्यालय सक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में चल रहे थे जिनमें कुल नामांकन 59266 है।

14.2.7 राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) मानव संसाधन विकास मंत्रालय और राज्य सरकारों को पाठ्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार करने, स्कूली शिक्षा के लिए पाठ्य-पुस्तकें और अध्ययन - अध्यापन सामग्री तैयार करने के लिए तकनीकी एवं शैक्षिक सहायता प्रदान करता है। यह स्कूली शिक्षा के सभी पहलुओं पर कार्य करती है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूप-रेखा (एनसीएफ) - 2005 के अनुमोदन का अनुसरण करते हुए, पाठ्यक्रम ग्रुप ने एनसीएफ-2005 के प्रचार और प्रसार के लिए श्रृंखलाबद्ध कार्यक्रम शुरू किया है। मुख्य कार्यकलापों में शामिल है : संविधान की VIII वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं में एनसीएफ (2005) का अनुवाद कार्य जारी रखना, पाठ्यक्रम सुधार के लिए राज्य सहायता कार्यक्रम, शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए एनसीएफ (2005) के संबंध में अनुकूलन कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षक सम्मेलन। एनसीएफ (2005) पर आधारित 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए कम्प्यूटर एवं संचार तकनीकी पाठ्य विवरण विकसित किए गए। विभिन्न शुरू किए गए/पूरे किए गए अध्ययनों में शामिल हैं : उच्च प्राथमिक स्तर पर अनुसूचित जातियों के बच्चों की कम उपलब्धियों से जुड़े कारकों का अध्ययन, पूर्वोत्तर राज्यों आदि में अनुसूचित जन जाति की बालिकाओं के नामांकन

और प्रतिधारण के लिए सरकारी पहल/स्कीम की स्थिति। शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में, किए गए अध्ययनों में शामिल हैं " ग्रामीण प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की व्यावसायिकता का अध्ययन" और भारत में माध्यमिक स्तर पर सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम का तुलनात्मक अध्ययन।

14.2.8 राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान (एनआईओएस) एक स्वायत्त संगठन है, जो प्राथमिक स्तर से लेकर पूर्व डिग्री तक की सतत शिक्षा उन लोगों को प्रदान करता है, जो स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के अवसर खो बैठे हैं। इस समय इसमें लगभग 15 लाख छात्र नामांकित हैं, इसके 11 क्षेत्रीय केन्द्र और 2700 अध्ययन केन्द्र, मुक्त शिक्षण और दूरवर्ती शिक्षण द्वारा कार्यक्रम पूर्ति के लिए 2000 प्राधिकृत केन्द्र हैं। भारत में अध्ययन केन्द्रों के अलावा, यूएई, कुवैत, नेपाल और कनाडा में अध्ययन केन्द्र स्थापित किए गए हैं। एनआईओएस उन लोगों को जो मुख्यधारा विषयक स्कूली शिक्षा पूरी करने का अवसर खो चुके हैं, को शिक्षा जारी रखने का अवसर प्रदान कर असुलभ को सुलभ बनाने के अपने मिशन को आगे बढ़ा रहा है। एनआईओएस ने व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण में पाठ्यक्रम-रूपरेखा का संशोधित विवरण प्रकाशित किया। इस दस्तावेज पर दिनांक 24 जनवरी, 2004 को राष्ट्रीय परामर्श बैठक में चर्चा हुई थी। इस दस्तावेज की टिप्पणियों और सुझावों पर विचार करते हुए अंतिम रूप दिया जा रहा है। एनसीएफ-2005 के समग्र ढाँचे के तहत, एनआईओएस ओपन स्कूली शिक्षा में शैक्षिक विषयों और अन्य पहलुओं के लिए पाठ्यक्रम की रूप-रेखा भी तैयार कर रहा है। वर्ष 2007-08 के दौरान विकसित नये विषय हैं : मशरूम उत्पादन, कृमि-कूड़ाखद बनाना, सामुदायिक स्वास्थ्य, अग्नि निवारण और औद्योगिक सुरक्षा, सूचना एवं तकनीकी संबंधी प्रतिरूपीय पाठ्यक्रमों के दो प्रतिरूप, अर्थात् कम्प्यूटर एवं इसका कार्यालय अनुप्रयोग और लेखाकरण कम्प्यूटर। शैक्षिक वर्ष 2007-08 से, एनआईओएस ने ऑन लाइन प्रवेश की सुविधा शुरू की है। ऑन-लाइन प्रवेश की मुख्य विशेषताएं हैं : (i) प्रवेश की

तुरंत सुविधा और (ii) अध्ययन केन्द्र चुनने की स्वतंत्रता।

14.2.9 केन्द्रीय तिब्बतन स्कूल प्रशासन (सीटीएसए) मुख्यतः तिब्बतन सैटलमेंट क्षेत्रों में तिब्बती शरणार्थियों के बच्चों के लिए 79 स्कूल चलाता है। आरंभ में प्रशासन ने मुख्यतः तीन स्कूल शुरू किए थे जिनमें विद्यार्थियों की सामान्य संख्या थी। इसके 44 वर्षों के कार्यकाल में स्कूलों की संख्या 79 तक बढ़ गई है और विद्यार्थियों की संख्या लगभग 9974 हो गई है।

संयुक्त मंगोलियन स्कूल परियोजना

14.2.10 उलनबटोर, मंगोलिया में एक स्कूल खोलने के लिए भारत सरकार और मंगोलियन सरकार के बीच 2002 में शिक्षा के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। इसमें भारत सरकार की वचनबद्धता अंग्रेजी, विज्ञान, गणित के 5 स्नातकोत्तर अध्यापक उपलब्ध कराने की है। वेतन, भत्ते, आवास तथा हवाई जहाज का मार्ग व्यय भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नई पहलें

केन्द्र प्रायोजित स्कीमें

सक्सेस

14.2.11 भारत सरकार ने शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने और शिक्षा स्तर में सुधार करने के लिए एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम (सक्सेस) क्रियान्वित करने का निर्णय लिया है। सक्सेस का मुख्य उद्देश्य है :

(i) नामांकन, बीच में पढ़ाई समाप्ति और प्रतिधारण में लिंग, सामाजिक और क्षेत्रीय अंतर में अधिक कमी करके शिक्षा अवसर को सर्व सुलभ बनाना

(ii) विज्ञान और गणित पर अत्यधिक ध्यान केन्द्रित करते हुए शिक्षा स्तर में सुधार करना। विशिष्ट उपायों में शामिल है : माध्यमिक स्कूली शिक्षा में उत्कृष्टता के लिए ब्लाक स्तर पर 6000 उच्च स्तर के मॉडल स्कूल स्थापित करना ताकि ये निर्धारित मानक के रूप में कार्य कर सकें। वर्तमान 15000

मिडिल स्कूलों को उन्नत कर माध्यमिक विद्यालयों का दर्जा प्रदान करना, वर्तमान लगभग 44000 माध्यमिक विद्यालयों की प्रवेश संख्या में वृद्धि करना, अतिरिक्त कक्षाओं और अतिरिक्त शिक्षकों की व्यवस्था कर वर्तमान विद्यालयों की आधारीक अवसंरचना को सुदृढ़ बनाना, उच्च स्तर के विद्यालयों की कमी वाले क्षेत्रों में सार्वजनिक और पीपीपी मोड के तहत उच्च स्तरीय विद्यालयों की स्थापना को प्रोत्साहित करना, सभी विद्यालयों में शत प्रतिशत प्रशिक्षित शिक्षकों की व्यवस्था करना और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में आईसीटी को और अधिक कारगर बनाना। सक्सेस के भाग के रूप में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा (आरएमएसए) और मॉडल स्कूल स्कीमों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन अवस्था में थे।

राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति

14.2.12 इस स्कीम के तहत राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा के माध्यम से उन विद्यार्थियों में से चयन किया जाएगा जिन्होंने आठवीं पास कर ली है। प्रत्येक विद्यार्थी को 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं की कक्षाओं में अध्ययन के लिए 6000 रुपये दिए जाएंगे। प्रत्येक वर्ष एक लाख छात्रवृत्ति की अधिकारिक स्वीकृति दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने पहले ही वर्ष 2008-09 के दौरान 750 करोड़ रुपये का कॉरपस फंड बनाने और आगामी तीन वर्षों के लिए प्रतिवर्ष इस फंड में इतनी ही राशि बढ़ाने की घोषणा की है। तदनुसार, 750 करोड़ की राशि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में रखी जाएगी, इस निधि से होने वाली आय का प्रयोग छात्रवृत्तियां प्रदान करने में किया जाएगा। इस स्कीम को हाल ही में कैबिनेट की मंजूरी प्राप्त हुई है।

माध्यमिक शिक्षा हेतु बालिकाओं के प्रोत्साहन के लिए राष्ट्रीय योजना

14.2.13 वित्त मंत्री द्वारा वर्ष 2007-08 का बजट प्रस्तुत करते हुए की गई घोषणा के अनुसारण में, माध्यमिक शिक्षा जारी रखने वाली बालिकाओं को प्रोत्साहन देने की एक स्कीम बनाई जा रही है। इस स्कीम को हाल ही में मंजूरी भी प्राप्त हो गई है।

बालिका छात्रावास के लिए संशोधित स्कीम

14.2.14 दसवीं योजना के दौरान कार्यान्वित की जा रही माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय हेतु छात्राओं के लिए खान-पान एवं छात्रावास सुदृढीकरण स्कीम को देश के सभी पिछड़े ब्लाकों में विशेषकर केजीबीवी परिसर में छात्रावास बनाने के लिए संशोधित किया जा रहा है तथा यह केन्द्र और राज्य के बीच 90 : 10 के अनुपात में हिस्सा शेयर के आधार पर राज्य सरकार द्वारा सीधे कार्यान्वित किया जाएगा।

स्कूलों में आईसीटी

14.2.15 इस स्कीम का मतलब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आदि के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान देकर कंप्यूटर साक्षरता प्रदान करना है। केन्द्र सरकार इस योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 75% वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जो प्रति स्कूल 5.00 लाख रुपये तक सीमित होगी। शेष 25% राशि का अंशदान संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा किया जाता है। प्रत्येक स्कूल को 6.70 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर 10 पीसी/प्रिंटर/सीपीयू, शिक्षा सॉफ्टवेयर, फर्नीचर, कंप्यूटर स्टेशनरी, अध्यापक प्रशिक्षण, इन्टरनेट सुविधाएं आदि उपलब्ध कराई जाती है। यह योजना दिसम्बर, 2007 में शुरू हो गई थी। वर्ष 2007-08 के दौरान (बूट मॉडल के तहत 20,160 और पूर्णतया खरीद आधार के तहत 2673) पंजाब, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह को छोड़कर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 22,833 विद्यालयों को स्वीकृति दी गई। इस स्कीम को 11वीं योजना के दौरान संशोधित किया जा रहा है।

विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा (आईईडीसी)

14.2.16 आईईडीसी एक ऐसी स्कीम है जो सामान्य स्कूल प्रणाली में विकलांग बच्चों को एकीकृत करने और उन्हें स्कूल में अंततः बने रहने की सुविधा प्रदान करती है। यह स्कीम राज्य

सरकारों के विभागों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों तथा गैर-सरकारी संगठनों द्वारा कार्यान्वित की जाती है। आईईडीसी स्कीम के तहत सामान्य स्कूलों में छोटी-मोटी विकलांगता से पिड़ित बच्चों को, विभिन्न शिक्षा घटकों के तहत 100% सहायता प्रदान की जा रही है। इन घटकों में शामिल हैं - शिक्षा-सहायता, सहायक उपस्कर, विशिष्ट अध्यापकों के लिए वेतन और विकलांग बच्चों के लिए सुविधाएं। इस समय इस योजना में संशोधन किया जा रहा है। प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य मौजूदा भौतिक और वित्तीय मानदंडों तथा अध्यापन प्रणालियों को परिष्कृत करना है, ताकि विकलांग बच्चों की जरूरतों को पूरा किया जा सके। पणधारियों के साथ व्यापक परामर्श किया जा चुका है, ताकि प्रस्तावित संशोधित स्कीम के ब्यौरे तैयार किए जा सकें।

14.2.17 इस स्कीम के तहत वर्ष 2007-08 के अंत तक 2 लाख से अधिक विकलांग बच्चों को लाभ पहुंचाया गया। पहचान किए गए स्कूल पूर्व, प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में इस कथन को विशिष्ट कार्य में परिणत करके बच्चों और विकलांग युवकों की समावेशी शिक्षा के लिए एक व्यापक कार्य योजना बनाई गई है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने ग्यारहवीं योजना में माध्यमिक स्तर पर विकलांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा (आईईडीएसएस) नाम की एक नई स्कीम शुरू करने के लिए प्रयास किया है। यह स्कीम सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनार्थ है।

व्यावसायिक शिक्षा

14.2.18 माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण शैक्षिक अवसरों के विविधीकरण की व्यवस्था करता है, ताकि व्यक्तियों की नियोज्यता बढ़ाई जा सके, दक्ष जनशक्ति की मांग और पूर्ति के बीच असमानता कम हो सके तथा यह उच्च शिक्षा प्राप्त करने वालों के लिए विकल्प प्रदान करता है। + 2 (प्लस टू) स्तर पर माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण की केन्द्र प्रायोजित स्कीम वर्ष 1988 से कार्यान्वित की जा रही है। संशोधित

स्कीम वर्ष 1992-93 से चल रही है। स्कीम के अंतर्गत राज्यों को प्रशासनिक संरचना स्थापित करने, क्षेत्र-व्यावसायिक सर्वेक्षणों, पाठ्यचर्या मार्गदर्शी सिद्धांत, प्रशिक्षण नियमावली, शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करने, अनुसंधान और विकास प्रशिक्षण और मूल्यांकन के लिए तकनीकी सहायता प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अंतर्गत अल्पावधि पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिए विशिष्ट नवीन परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु एनजीओ और स्वैच्छिक संगठनों को भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत अभी तक लगभग 7600 स्कूलों में 21,000 सैक्शन बनाए जा चुके हैं, जिनमें 10 लाख विद्यार्थियों के दाखिला की क्षमता है। इसके शुरुआत के बाद अभी तक स्कीम के तहत कुल 754 करोड़ रुपये की कुल केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराई जा चुकी है। व्यावसायिक शिक्षा स्कीम को दक्षता विकास संबंधी कार्यबल की सिफारिशों के आलोक में पुनर्गठित किया जाएगा।

माध्यमिक शिक्षा में 11वीं योजना हेतु निर्धारित लक्ष्यों के लिए विशेष कार्य योजना

14.2.19 माध्यमिक शिक्षा के लिए ग्यारहवीं योजना के लक्ष्य 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनपीई) और 1992 के कार्रवाई कार्यक्रम के व्यापक पैरामीटर्स और कार्यनीति के अनुरूप हैं। ग्यारहवीं योजना में माध्यमिक शिक्षा से संबंधित जिन मुख्य-मुख्य मुद्दों पर जोर दिया गया है, वे हैं- (i) न्यूनतम शिक्षा का स्तर कक्षा 10 तक बढ़ाना और तदनुसार विज्ञान, गणित और अंग्रेजी पर अधिक ध्यान केन्द्रित करते हुए माध्यमिक शिक्षा के अवसर को सर्वसुलभ बनाना ; और (ii) नामांकन, बीच में पढ़ाई समाप्ति और प्रतिधारण में लिंग, सामाजिक और क्षेत्रीय अंतर में अधिक कमी लाना। समान स्कूल प्रणाली, व्यावसायीकरण और रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों पर अधिक जोर देते हुए पाठ्यक्रमों के नवीकरण, शिक्षक शिक्षा के पुनर्गठन, आईसीटी के अत्यधिक प्रयोग पर सकेन्द्रित ध्यान होगा। 11वीं योजना के लक्ष्यों

को प्राप्त करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पास विशिष्ट स्कीमों/कार्य योजनाएं हैं :

- (क) वर्ष 2011-12 तक माध्यमिक शिक्षा में 75% जीईआर का लक्ष्य प्राप्त करना तथा इसी अवधि में संयुक्त माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक में 65 प्रतिशत का जीईआर का लक्ष्य प्राप्त करना।
- (ख) सक्सेस और आरएमएसए के माध्यम से विज्ञान और गणित पर ध्यान केन्द्रित करते हुए माध्यमिक शिक्षा के स्तर में सुधार करना।
- (ग) उत्कृष्टता हेतु निर्धारित मानक के रूप में कार्य करने के लिए ब्लाक स्तर पर 6000 उच्च स्तर के मॉडल विद्यालयों की स्थापना करना।
- (घ) 15000 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में उन्नत करना।
- (ङ) वर्तमान 44000 माध्यमिक विद्यालयों की प्रवेश संख्या बढ़ाना।
- (च) स्कूलों में नवीनीकृत आईसीटी
- (छ) माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं के लिए राष्ट्रीय प्रोत्साहन योजना शुरू करना।
- (ज) सार्वजनिक क्षेत्र में अतिरिक्त सहायता प्रणाली और शैक्षिक क्षमता में वृद्धि कर शिक्षक शिक्षा सूचना आधार विकसित करके शिक्षक शिक्षा का सुदृढ़ीकरण।

वार्षिक योजना 2008-09

14.2.20 वर्ष 2008-09 के दौरान माध्यमिक शिक्षा क्षेत्र के लिए 4554 करोड़ रुपए के परिव्यय का अनुमोदन किया गया, जो पिछले वर्ष 2007-08 के 1635.30 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमान से 178.48% अधिक है।

14.2.21 वर्ष 2007-08 में स्कूल शिक्षा और साक्षरता के लिए 22191 करोड़ रुपये के कुल

परिव्यय की तुलना में वर्ष 2008-09 में इसके लिए कुल परिव्यय 26800 करोड़ रुपये है।

14.3 उच्चतर एवं तकनीकी शिक्षा

प्रौढ़ शिक्षा एवं साक्षरता

14.3.1 वैयक्तिक सशक्तिकरण के लिए साक्षरता एक अत्यधिक अनिवार्य आवश्यकता है। शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति 1986 और कार्ययोजना 1992 में प्रौढ़ साक्षरता को एक नयी पहल दी गई थी, जिसने निरक्षरता को दूर करने के लिए प्रौढ़ साक्षरता, प्रारम्भिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा की त्रिआयामी पहल को बढ़ावा दिया। 1995 तक 80 मिलियन लोगों को साक्षर बनाने के शुरुआती लक्ष्य के साथ राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 में गठित किया गया था, जोकि बाद में 1997 तक 100 मिलियन तक बढ़ा दी गई और संशोधित लक्ष्य 2007 तक साक्षरता की 75 प्रतिशत शुरुआती स्तर हासिल करना है। एमएलएम और संपूर्ण साक्षरता अभियानों (टीएलसी) की बहुल कार्यनीतियां, " क्षेत्र विशिष्ट, समयबद्ध, स्वेच्छा आधारित, मूल्य प्रभावी और परिणामोन्मुखी है। " टीएलसीज़ और साक्षरता बाद की परियोजनाएं (पीएलपी) द्वारा निरक्षरता उन्मूलन के लिए किए गए प्रयासों ने उत्साहवर्धक परिणाम प्राप्त किए। 1991 में 52.2 प्रतिशत साक्षरता बढ़कर 2001 में 64.8 प्रतिशत हो गई। शहरी ग्रामीण साक्षरता भिन्नता भी अवधि के दौरान घटी। महिलाओं के लिए साक्षरता दर पुरुषों की तुलना में तेजी से बढ़ी। यद्यपि, साक्षरता में लैंगिक एवं क्षेत्रीय असामनताएं अभी भी बनी हुई हैं।

टीएलसी एवं पीएलपी

14.3.2 राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का लक्ष्य 15-35 के आयु वर्ग में निरक्षरों को कामकामजी साक्षरता प्रदान करने के द्वारा 2007 तक 75 प्रतिशत के संधारणीय शुरुआती स्तर को प्राप्त करना है। इस आयु समूह के अलावा, 9-14 वर्ष के आयु समूह में स्कूल छोड़ चुके बच्चे भी लक्षित हैं। टीएलसी निरक्षरता उन्मूलन के लिए एनएलएम की प्रधान कार्यनीति रही है। वीएलसीज़, जिला साक्षरता

समितियों जिनमें समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व होता है, के जरिए कार्यान्वित की जाती हैं। कुल 597 जिले वर्तमान में विभिन्न साक्षरता कार्यक्रमों के तहत कवर किए जाते हैं। केन्द्र : राज्य हिस्सा टीएलसीएवं पीएलपी के लिए सामान्य जिलों हेतु 2:1 और जनजाति जिलों हेतु 4:1 है। दसवीं योजनावधि के दौरान, टीएलसी और पीएलपी के तहत जिलों की संख्या क्रमशः 95 और 174 थी। इन संस्थाओं के द्वारा की जा रही विशेष परियोजनाएं हैं : (1) 30 प्रतिशत से कम स्त्री साक्षरता दर वाले 47 जिलों (मुख्यतः उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और झारखण्ड) में त्वरित स्त्री साक्षरता कार्यक्रम; (2) राजस्थान, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगल में शेष निरक्षरों को कवर करने हेतु टीएलसीज़ के निष्कर्ष पश्चात बकाया निरक्षरता के लिए परियोजनाएं; (3) राष्ट्र में न्यूनतम साक्षरता दरों वाले 150 जिलों (मुख्यतः उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखण्ड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा) में विशेष साक्षरता अभियान; और (4) 300 जिलों से अधिक में अनुवर्ती शिक्षा केन्द्रों (सीईसीज़) को गठित करने के द्वारा नवसाक्षरों को आगामी शिक्षण अवसरों को प्रदान करने के लिए अनुवर्ती शिक्षा योजना जो धरातली साक्षरता, साक्षरता कौशलों का उन्नयन, वैकल्पिक शिक्षण कार्यक्रमों का अनुकरण, व्यावसायिक कौशलों और सामाजिक तथा पेशेवर विकास के लिए क्षेत्र विशिष्ट और आवश्यकता आधारित अवसरों को प्रदान करें। योजना आयोग ने टीएलसी, पीएलपी और सीईपी को सकल साक्षरता शिक्षा और कौशल विकास कार्यक्रम में विलयन का सुझाव दिया था जिससे क्रमानुसार सुधार करने के स्थान पर एक साथ तीनों चरणों का एक समग्र विचार करना संभव हो सके।

जनशिक्षण संस्थान (जेएसएस)

14.3.3 जेएसएस स्कीम का उद्देश्य शहरी/ग्रामीण जनसंख्या, विशेषतः नवसाक्षरों, अर्धसाक्षरों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, महिला

और बालिकाएं, स्लम में रहने वाले, घुमन्तु श्रमिकों इत्यादि के सामाजिक पिछड़ों और शैक्षिक रूप से गैर-लाभान्वित समूहों का शैक्षिक, व्यावसायिक और पेशेवर विकास है। साक्षरता को व्यावसायिक प्रशिक्षण के साथ जोड़ने के द्वारा जेएसएस लाभार्थियों के जीवन की गुणवत्ता को विकसित करने की इच्छा रखता है। जेएसएस ने मामबत्ती और अगरबत्ती बनाने से कम्प्यूटर प्रशिक्षण और अस्पताल/स्वास्थ्य देखभाल तक के विभिन्न प्रकार के करीब 284 व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को पेश किया है। जेएसएस की कुल संख्या 221 है और 26 राज्य संसाधन केन्द्र हैं। जेएसएस का मूल्यांकन हो रहा है।

प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रमों में प्रमुख कमजोरियां

14.3.4 प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में दिक्कतों में राज्य सरकारों की अपर्याप्त भागीदारी स्वैच्छिक शिक्षकों/प्रेरकों को कम प्रोत्साहन और प्रशिक्षण, सीईपी के अंतर्गत कार्यक्रमों के आमेलन में कमी, तथा एनएलएम के लिए कार्यान्वयन हेतु कमजोर प्रबंधन और अधीक्षण संरचना। इसके अलावा एनएलएम स्कीमों के विभिन्न घटकों हेतु निधियन भी अपर्याप्त था और सामुदायिक भागीदारी का स्तर भी कम था। साक्षरता कार्यक्रमों की समीक्षा हो रही है।

प्रौढ़ शिक्षा और साक्षरता : ग्यारहवीं योजना हेतु लक्ष्य, दिशाएं और कार्यनीतियां

14.3.5 एनएलएम कार्यक्रमों को ग्यारहवीं योजना के अंदर पुनः सशक्त बनाया जाएगा। लक्ष्य एवं विशेष जोर वाले क्षेत्र निम्नानुसार हैं: (i) 80 प्रतिशत साक्षरता दर प्राप्त करना, (ii) साक्षरता में लिंग भेद को 10 प्रतिशत तक कम करना, (iii) क्षेत्रीय, सामाजिक एवं लैंगिक विषमताओं को कम करना, (iv) एनएलएम कार्यक्रमों की कवरेज को 35 से अधिक आयु तक विस्तार करना। विशेष ध्यान देने योग्य क्षेत्रों में (i) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों और ग्रामीण महिलाएं तथा (ii) कम साक्षरता वाले राज्य,

आदिवासी क्षेत्र, अन्य गैर लाभ प्राप्त समूह एवं किशोर शामिल हैं।

14.3.6 सशक्त एनएलएम के मुख्य लक्षण ये होंगे:

- जिला सहकारिता समितियों को पंचायती राज संस्थानों के साथ एकीकृत करना।
- खंड/ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायती राज संस्थान संरचनाओं के तहत विभिन्न स्तरों पर पंचायत साक्षरता समितियों के जरिए साक्षरता कार्यक्रमों को लाना।
- एनएलएम को सशक्त करने से टीएलसी, पीएलपी और सीईपी के साथ एकीकृत करना तथा बहुआधारित जीवनपर्यन्त शिक्षा तथा जागरूकता कार्यक्रम (एलईएपी) को शुरू करना। एलईएपी विविध शिक्षण कार्यक्रम, कार्यवाहक कौशल, जीवन की गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम, व्यावसायिक कौशल तथा समानता कार्यक्रमों को प्रस्तुत करेगा।
- जीवनपर्यन्त शिक्षा और जागरूकता केन्द्र (सीएलईएआर) का लाभार्थियों को विभिन्न शिक्षण कार्यक्रमों को मुहैया कराने की कोशिश करने के लिए बहुकार्य और बहुआयामी होना।
- साक्षरता को बढ़ाने के लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटीज़) को ज्यादा प्रयोग में लाना।
- उनके सदुपयोग के संदर्भ में विद्यमान जेएसएस के स्वतंत्र मूल्यांकन पश्चात ग्यारहवीं योजना में करीब 140 नवीन जनशिक्षण संस्थानों को गठित करना। राज्यों के साथ भागीदारी में जेएसएस की कार्यशैली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक संबद्धता प्रक्रिया शुरू करना। केवल अच्छे पिछले रिकार्ड वाले संबद्ध गैर सरकारी संगठन ही जेएसएस को कार्यान्वित करेंगे। प्रशिक्षुओं का स्वरोजगार में नियुक्ति रिकार्ड तैयार रखा जाएगा।

- राज्य संसाधन केन्द्रों (एसआरसीज़) तथा विश्वविद्यालय में प्रौढ़ शिक्षा विभाग अच्छे शैक्षिक और शोध निवेशों के लिए सुदृढ़ एकरूपता शुरू करना।
- नए एसआरसीज़ को मात्र उन राज्यों में गठित करना जहां वे विद्यमान नहीं है। प्रति राज्य में एक से अधिक एसआरसी नहीं, राज्य के जनसंख्या आकार को ध्यान में रखे बिना, जिससे एकरूप मानक बने रहें।
- गैर-सरकारी संगठन संचालित सभी स्कीमें केवल संबद्ध संस्थानों को स्वीकृत की जाएं। संबद्धता प्रक्रिया अभिन्न रूप से राज्य सरकारों को शामिल करेगा और संबद्ध संस्थान मानव संसाधन विकास मंत्रालय की वेबसाइट पर अनुसूचित किए जाएंगे।

14.3.7 सामान्य उच्चतर शिक्षा (विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा) : सार्वजनिक व्यय में वृद्धि कर निजी पहलों को प्रोत्साहित कर और अधिक पुराने मुख्य संस्थागत एवं नीतिगत सुधार की पहल कर पूरी उच्चतर एवं तकनीकी शिक्षा के स्तर में विस्तार, समावेशन और तेजी से सुधार करना ग्यारहवीं योजना प्रयास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सार है।

14.3.8 दसवीं योजना के अंत में, उच्चतर शिक्षा प्रणाली के तहत 378 विश्वविद्यालय, 18064 कालेज 4.92 लाख संकाय क्षमता और 140 लाख अनुमानित नामांकन (14 मिलियन), 11 प्रतिशत के बराबर जीईआर शामिल की है। वर्तमान नामांकन और संस्थाओं की संख्या उच्च शिक्षा और दक्षता प्राप्त देश के जनसंसाधन की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते हैं। तदनुसार, ग्यारहवीं योजना में वर्ष 2011-12 तक 11 प्रतिशत जीईआर को बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने का लक्ष्य है। इसे प्राप्त करने के लिए नयी संस्थाओं की स्थापना कर/वर्तमान संस्थाओं की दाखिला क्षमता में वृद्धि कर प्रणाली में विस्तार करने का अनुमान है। वर्ष 2011-12 तक 21 मिलियन तक पहुँचने के लिए

8.9 प्रतिशत वार्षिक दर से विश्वविद्यालयों/कालेजों में नामांकन में पर्याप्त वृद्धि करने की आवश्यकता है।

14.3.9 सामान्य उच्चतर शिक्षा क्षेत्र में निम्नलिखित मुख्य-मुख्य कार्यक्रम और नीतियां शामिल हैं:

- (क) सुदृढ़ीकरण और सुधार के लिए वर्तमान महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय सहायता बढ़ाना
- (ख) कम जीईआर जिलों में 370 डिग्री कालेजों की स्थापना हेतु केन्द्रीय सहायता
- (ग) विश्व स्तर के 14 विश्वविद्यालयों सहित 30 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना
- (घ) आईसीटी के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन : सभी 378 विश्वविद्यालयों और 18,000 से अधिक कालेजों को कवर करना।
- (ङ) राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय रूप से सहयोगी आरएँडडी हेतु उच्चतर शिक्षा, विज्ञान एवं तकनीकी संस्थाओं को एक एकीकृत राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क से जोड़ना।
- (च) ओएससी की सिफारिशों को शीघ्र लागू करना।
- (छ) संकाय कमियों को दूर करने के लिए छात्रवृत्ति/अद्येता छात्रवृत्ति और पीएचडी कार्यक्रमों में विस्तार करना।
- (ज) शीर्ष संस्थाओं की समीक्षा के साथ-साथ उनके स्तर (शैक्षिक एवं प्रशासनिक) में व्यापक सुधार करना।

ख. तकनीकी शिक्षा

14.3.10 तकनीकी शिक्षा क्षेत्र में आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी, आईआईआईटी, इंजीनियरिंग और तकनीकी कालेज, फार्मसी पोलिटैक्निक संस्थाएं, होटल प्रबंधन एवं वास्तुकला स्कूल, एप्रेंटिसशिप, प्रशिक्षण, तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण बोर्ड आदि शामिल हैं। विकास करती

अर्थव्यवस्था की वैज्ञानिक एवं दक्ष जनसाधन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ग्यारहवीं योजना के दौरान तकनीकी शिक्षा संस्थाओं की नामांकन संख्या को अनुमानित 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से बढ़ाने की आवश्यकता है।

14.3.11 ग्यारहवीं योजना में 8 नए आईआईटी, 7 नए आईआईएम, 10 नए एनआईटी, 20 आईआईटी, 3 भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थाएं और 2 एसपीए स्थापित करने का विचार है। सात चयनित तकनीकी संस्थाओं को उन्नत किया जाएगा। केन्द्रीय वित्तपोषित संस्थाओं की दाखिला क्षमता को ओएससी की सिफारिशों के अनुसार बढ़ाया जाएगा। 200 राज्य इंजीनियरिंग संस्थाओं को टीईक्यूआईपी चरण-II कार्यक्रम के तहत विस्तारित और उन्नत किया जाएगा। कवर न किए गए जिलों में नये पोलिटेक्निक स्थापित किए जाएंगे। वर्तमान सरकारी पोलिटेक्निकों को पीपीपी मोड में आधुनिक बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

ग. वर्ष 2007-08 की समीक्षा

14.3.12 ग्यारहवीं योजना का प्रथम वर्ष होने के नाते ग्यारहवीं योजना के अंतर्गत परिकल्पित नई स्कीमों को शुरू करने की प्रक्रिया पूरी गंभीरता से प्रारंभ की गई। समीक्षाधीन अवधि के दौरान नई स्कीमों के संबंध में निम्नलिखित कार्यकलाप चलाए गए हैं: सक्षम प्राधिकारियों के सैद्धान्तिक अनुमोदन/मूल्यांकन हेतु स्कीमों के डीपीआर, अवधारणा नोट और विस्तृत प्रस्ताव तैयार करना।

14.3.13 सामान्य उच्चतर शिक्षा के तहत निम्नलिखित स्कीमों में तैयार की गईं और उनका मूल्यांकन किया जा रहा है : (i) अपूरित राज्यों में 16 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना, (ii) महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्तियां और (iii) सब्सिडी स्कीम।

14.3.14 चार वर्तमान विश्वविद्यालयों, मध्य प्रदेश में सागर विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ में विलासपुर

विश्वविद्यालय, उत्तराखंड में गढ़वाल विश्वविद्यालय, और गोवा विश्वविद्यालय को नियंत्रण में लिए जाने और उन्हें केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में उन्नत किए जाने का प्रस्ताव है। शेष 12 विश्वविद्यालयों बिहार, झारखंड, उड़ीसा, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में स्थापित किए जाएंगे।

14.3.15 महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की छात्रवृत्ति योजना के तहत जिन्होंने 12वीं बोर्ड परीक्षा/इंटरमिडिएट/पूर्व-विश्वविद्यालय/ पूर्व डिग्री परीक्षाओं में कम से कम कुल 60% और इससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, को बोर्ड वार योग्यता सूची के आधार पर छात्रवृत्तियां देने के लिए विचार किया जाएगा। महाविद्यालय/विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षा में कम-से-कम कुल 60% अंक प्राप्त करने वाले शिक्षा के परवर्ती वर्ष के दौरान छात्रवृत्तियों के लिए उपयुक्त होंगे। इसके अलावा पात्रता मापदंड में माता पिता की प्रतिवर्ष 2.5 लाख आय सीमा शामिल है। स्नातक से स्नातकोत्तर स्तर तक छात्रवृत्तियों की सीमा 1000 से 2000 तक होती है।

14.3.16 ब्याज सब्सिडी स्कीम के तहत, आईबीए की शिक्षा ऋण स्कीम का लाभ उठाने वाले विद्यार्थी द्वारा देय ब्याज राशि का वहन ऋण स्थगन अवधि के लिए सरकार द्वारा किया जाएगा। यह स्कीम भारत में पेशेवर (अर्थात् 12वीं के बाद) पाठ्यक्रम में अध्ययन के लिए लागू होगी, और यह स्कीम यूजीसी, एआईसीटीई, बीसीआई, एमसीआई, डीसीआई जैसे संबंधित सांविधिक निकायों द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं के माध्यम से प्रदान किए जा रहे तकनीकी और व्यवसायिक पाठ्यक्रम तक सीमित होगी।

14.3.17 इस क्षेत्र में परिकल्पित शैक्षिक एवं प्रशासनिक सुधार के संबंध में, यूजीसी और एआईसीटीई के कार्यों की समीक्षा करनेवाली

समिति के साथ-साथ यूजीसी और डीएचइ द्वारा अनेक समितियां गठित की गई हैं।

14.3.18 दूरस्थ शिक्षण : वर्तमान राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों को नए एसओयू स्थापित करने के लिए सहायता दी जाती है और यह सहायता राज्यों को दी जाती है। समीक्षाधीन वर्ष में जिन राज्यों में मीडिया केन्द्र नहीं है, वहां नये मीडिया केन्द्र स्थापित करने के लिए एड्यूसैट नेटवर्क को सुदृढ़ किया जाएगा।

14.3.19 आईसीटी के माध्यम से प्रस्तावित राष्ट्रीय शिक्षण मिशन का विवरण सुनिश्चित करने की प्रक्रिया टीआईटी और डीओटी के साथ परामर्श करके जारी रही। इसी प्रकार, एकीकृत राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क जो प्रथम चरण में 1000 उच्चतर संस्थाओं को सम्पर्कता/नेटवर्क मुहैया कराया करता है, को समीक्षाधीन अवधि के दौरान डिजिटल परिसर, वीडियो-कॉन्फ्रेंस क्लासरूम रखने में समर्थ बनाते हुए सुदृढ़ किया गया।

14.3.20 तकनीकी शिक्षा के तहत, (क) मोहाली, पुणे और कोलकाता में तीन आईआईआईआर (ख) भोपाल और विजयवाड़ा में दो एसपीए (ग) बिहार, राजस्थान और आन्ध्र प्रदेश राज्यों में 3 आईआईटी स्थापित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी दी गई। शेष पहलों/स्कीमों के प्रस्ताव भी तैयार किए गए। इसके अंतर्गत 20 आईआईटी (पीपीपी मोड में), नये पोलिटेकनिकों, शेष नये आईआईटी और विश्व बैंक सहायता प्राप्त टीईक्यूआईपी-चरण-II कार्यक्रम की स्थापना करना शामिल है।

14.3.21 पीपीपी और निजी पहल को सुविधाजनक बनाने के लिए उच्चतर एवं तकनीकी शिक्षा में पीपीपी की अवधारणा, भारतीय स्थिति में इसकी उपयुक्तता, वर्तमान नियामक प्रक्रिया/प्रशासनिक व्यवस्था में अपेक्षित परिवर्तनों पर विचार किया गया तथा समीक्षाधीन वर्ष के दौरान शैक्षिक संस्थानों और उद्योग जगत के विशेषज्ञों से परामर्श करके इसको मजबूत किया गया।

14.3.22 भाषाओं और पुस्तकों का प्रचार- प्रसार : उच्चतर शिक्षा विभाग को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं, शास्त्रीय भाषाओं, अंग्रेजी और विदेशी भाषाओं के प्रचार-प्रसार और विकास के लिए शासनादेश प्राप्त है जिसपर समीक्षाधीन अवधि के दौरान समुचित ध्यान दिया गया है। ग्यारहवीं योजना में भारतीय राष्ट्रीय भाषा सर्वेक्षण और राष्ट्रीय अनुदान मिशन शुरू करने का प्रस्ताव है : एनटीएम अल्पावधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाएगा, अनुवाकों के लिए पाठ्यक्रम तैयार करेगा, अनुवाद प्रौद्योगिकी में विशिष्ट पाठ्यक्रम विकसित करेगा। वर्ष 2007-08 के दौरान एनएलएसआई और एनटीएम का प्रस्ताव तैयार किए गए और उनकी जांच की गई। चेन्नै में केन्द्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई। राष्ट्रीय बुक ट्रस्ट द्वारा वर्तमान में चलाए जा रहे कार्यकलाप हैं (क) विदेशों में भारतीय पुस्तकों का प्रचार-प्रसार, (ख) लेखकों/प्रकाशकों को सहायता (ग) बौद्धिक संपदा शिक्षा, अनुसंधान और सार्वजनिक आउटरीच।

घ वार्षिक योजना 2008-09

14.3.23 वार्षिक योजना 2008-09 के दौरान उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय को 7600 करोड़ रुपये के आबंटन को मंजूरी प्रदान की गई। वार्षिक योजना 2007-08 के दौरान आबंटन (2008-09) और व्यय का क्षेत्रवार ब्यौर संलग्नक-I में दिया गया है।

14.3.24 वर्ष 2008-09 के दौरान 11वीं योजना के लिए परिकल्पित शेष नयी स्कीमों और पहलों को बनाने और उनका मूल्यांकन करने की प्रक्रिया जारी रहेगी।

संलग्नक-14.3.1

क्षेत्रवार/स्कीम वार विवरण : दसवीं योजना, ग्यारहवीं योजना, वार्षिक योजना (2007-08) और वार्षिक योजना (2008-09) का आबंटन : उच्चतर शिक्षा विभाग

(करोड़ रुपये)

स्कीमों का नाम	10वीं योजना (2002-07)	11वीं योजना (2007-12) प्रस्तावित परिव्यय	वार्षिक योजना 2007-08 बजट अनुमान	31.3.08 के अनुसार प्रमाणित निधियां	वार्षिक योजना 2008-09 बजट अनुमान
मदरसा सहित कुल (विश्वविद्यालय एवं उच्चतर शिक्षा)	3746.50	46680.00	1895.00	1880.42	3484.00
दूरस्थ शिक्षण छात्रवृत्ति और आईसीटी	482.00	5334.00	122.00	67.66	672.00
पुस्तक प्रचार-प्रसार एवं कॉपीराइट	67.00	70.00	11.50	13.49\$	13.00
भाषा विकास	434.00	825.00	119.00	103.95	205.00
योजना एवं प्रशासन	70.50	78.00	17.50	7.79	21.00
तकनीकी शिक्षा	4700.00	20228.00	1118.00	1067.02	3205.00
ओएससी सिफारिशों		11728.00	3200.00	-----	*
कुल योग	9500.00	84943.00	6483.00	3140.35	7600.00

* विश्वविद्यालय और प्रौद्योगिकी शिक्षा के तहत ओएससी सिफारिशों के लिए 2522 करोड़ रुपये शामिल हैं।

अध्याय-15

खेल-कूद एवं कला व संस्कृति

15.1 युवा मामले एवं खेल-कूद

15.1.1 भारत को युवकों का देश कहा जाता है। वर्ष 2040 तक भारत में संभवतः विश्व के युवकों का सबसे बड़ा समूह होगा। जबकि विकसित जगत में उच्च निर्भरता अनुपात के कारण युवकों की संख्या कम हो रही है, वहीं भारत का सौभाग्य है कि इसकी लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या 35 वर्ष की उम्र से कम की है जिसमें से लगभग 42 प्रतिशत (48 करोड़) जनसंख्या 19 वर्ष से कम उम्र की है और लगभग 28 प्रतिशत (32 करोड़) जनसंख्या 13-35 वर्ष की आयु वर्ग की है। 13-35 वर्ष के आयु वर्ग के युवक देश की जनसंख्या में सर्वाधिक जीवन्त और उत्साही व सक्रिय हिस्सा हैं और संभवतः सर्वाधिक मूल्यवान मानव संसाधन है। उनकी रचनात्मक और सृजनात्मक ऊर्जा का अधिकतम उपयोग करने के लिए युवा विकास दो उद्देश्यों-व्यक्तित्व निर्माण और राष्ट्र निर्माण, अर्थात् युवाओं के व्यक्तित्व को विकसित करने और विभिन्न राष्ट्र निर्माण गतिविधियों में उनको शामिल करने के उद्देश्य से किया जाता है। किशोर (10-19 वर्ष के आयु वर्ग) कुल जनसंख्या का लगभग 22% (24 करोड़) के बराबर हैं। इसमें से 54% 10-14 वर्ष की आयु वर्ग के हैं जो अबतक युवा वर्ग के लोगों का सर्वाधिक बड़ा समूह है और वयस्क होने की अवस्था में हैं। हमारे युवक उज्ज्वल भविष्य के लिए कठिन श्रम करने को तैयार हैं। वे नये तरीके से सोचने के इच्छुक हैं। वे आधुनिक विचारों और प्राचीन मूल्यों के साथ अपने सपनों का नया भारत बनाना चाहते हैं। "समृद्धशाली भारत का निर्माण करने के लिए हमें युवकों को तैयार करना होगा" के नारे के साथ आर्थिक भविष्यवक्ताओं ने भारत की अर्थव्यवस्था के लिए 'जनसांख्यिकीय लाभांश'

का आकलन किया है, अर्थात्- आगामी दशकों में इन युवा वर्गों की आय और बचत से अर्थव्यवस्था में तेजी आयेगी। अतः राष्ट्र निर्माण में इन युवा वर्गों को सक्रिय एवं प्रभावशाली रूप से भागीदार बनाकर इनकी ऊर्जा का सदुपयोग करने के प्रयासों की आवश्यकता है।

वार्षिक योजना 2007-08 की समीक्षा और 2008-09 के लिए लक्ष्य

15.1.2 वर्ष 2007-08 के लिए अनुमोदित 700 करोड़ रुपये के परिव्यय का (पूर्णतः) उपयोग किया गया है। युवा एवं किशोर विकास और शारीरिक शिक्षा के लिए 200 करोड़ और 500 करोड़ रुपये के अनुमोदित परिव्यय के मुकाबले व्यय क्रमशः 165.23 करोड़ रुपये और 534.77 करोड़ रुपये होने की सूचना है। इसके अलावा इनके कार्यकलापों के लिए एनवाईकेएस की अव्ययित निधियों से भी 40 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई। राष्ट्रमंडल खेल-2010 के लिए निर्धारित 150 करोड़ रुपये के परिव्यय की तुलना में व्यय 237.51 करोड़ रुपये था।

15.1.3 वर्ष 2008-09 के लिए युवा मामले और खेल क्षेत्र के लिए अनुमोदित परिव्यय 890 करोड़ रुपये है जिसमें से युवा एवं किशोर विकास के लिए 242 करोड़ रुपये और खेल एवं व्यायाम शिक्षा हेतु 648 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है जिसमें राष्ट्रमंडल खेल 2010 के लिए निर्धारित 224 करोड़ रुपये का परिव्यय भी शामिल है।

(क) युवा मामले और किशोर

वार्षिक योजना 2007-08

15.1.4 समीक्षाधीन अवधि के दौरान, एनएसवी के तहत 5251 स्वयंसेवकों और आरएसवाई के तहत

5155 स्वयंसेवकों को नियुक्त किया गया। युवा कार्यकलाप और प्रशिक्षण प्रवर्धन स्कीम के तहत सात राज्य सरकारों और 276 एनजीओ को 700 कार्यक्रमों के संचालन के लिए सहायता दी गई जिससे 22,114 युवक लाभान्वित हुए। चैन्नै में दिनांक 12 से 16 जनवरी, 2008 तक राष्ट्रीय युवा उत्सव मनाया गया, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 25 व्यक्तियों और एक स्वयंसेवी संगठन को प्रदान किया गया। आन्ध्र प्रदेश स्थित विजय नगरम में युवा हॉस्टलों का निर्माण पूरा हुआ जबकि चार भिन्न-भिन्न स्थानों पर हास्टल्स का निर्माण चल रहा है। एनएसएस स्वयंसेवकों ने अपने-अपने इंस्ट्रक्शन परिसरों में 18,93,642 पौधे लगाए, 13.39 लाख बच्चे पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान के तहत 13,39,007 बच्चों को लाभ पहुंचाया गया और 3,96,792 स्वयंसेवकों ने रक्तदान किया। किशोर स्वास्थ्य विषय पर एक राष्ट्रीय क्विज प्रतियोगिता आयोजित की गई जिसमें 24 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के विद्यार्थियों ने भाग लिया। सीवाईपी के तहत भिन्न-भिन्न विश्व युवा कार्यक्रमों में भारतीय युवा प्रतिनिधियों ने भाग लिया और देश में विदेशी युवा प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारत स्काउट्स गाइड्स द्वारा 200 से अधिक कार्यक्रम संचालित किए गए। एनवाईकेएस के तहत निम्नलिखित उपलब्धियां प्राप्त हुई :- 597 अभियानों का आयोजन जिसमें 37,000 महिलाओं समेत 1.15 लाख युवकों ने भाग लिया, 4571 युवा क्लब सदस्यों और कार्यालय पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया, 500 जिला लोक संस्कृति महोत्सव आयोजित किए गए, 1310 श्रमदान शिविर संचालित किए गए, स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीय निर्माण के संबंध में 500 जिला युवा सम्मेलन आयोजित किए गए, सदभावना दिवस सहित छः महत्वपूर्ण राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाये गये। एनकेवाईएस ने दिनांक 11 मई, 2007 को देश के विभिन्न भागों के युवकों को शामिल करते हुए समुचित ढंग से राष्ट्रव्यापी कार्यक्रमों के माध्यम से प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 का 150वां वार्षिकोत्सव आयोजित करने के लिए 30,000 से

अधिक युवाओं को शामिल करके भी कदम उठाए। आरजीएनआईवाईडी उपलब्धियों के अंतर्गत शामिल हैं : देशभर में 63 जिलों में जिला किशोर संसाधन टीमों, जिला परियोजना पदाधिकारियों, किशोर पीयर स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण देना, सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता विषय पर प्रशिक्षण के मॉड्यूलस एवं नियम पुस्तिका तैयार करना, शिक्षकों के लिए आजीविका मार्गदर्शी सिद्धान्त, किशोरों के लिए दक्षता, लिंग समानता और युवा, लक्षद्वीप के पंचायती राज सदस्यों के लिए प्रशिक्षण सह-प्रदर्शन दौरा आयोजित करना, आपदा/बचाव प्रबंधन पर कार्यशालाएं/संगोष्ठियां आयोजित करना, युवा विकास सूचकांक (वाईडीआई) तैयार करने के संबंध में एक वर्षीय सहयोगात्मक परियोजना प्रारंभ करने के लिए टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान, मुंबई के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना, नियमित आधार पर पूर्वोत्तर के युवकों के लिए पूर्वोत्तर युवा विचार-विमर्श कार्यक्रम शुरू करना, आदि।

वार्षिक योजना 2008-09

15.1.5 वर्ष 2008-09 के लिए 242 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। इसमें से अधिक राशि एनएसएस (86 करोड़ रुपये), एनवाईकेएस (68 करोड़ रुपये), राष्ट्रीय युवा एवं किशोर विकास कार्यक्रम (24.55 करोड़ रुपये), राष्ट्रीय स्वयंसेवी स्कीम (22.50 करोड़ रुपये) और आरजीएनआईवाईडी (9 करोड़ रुपये) तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युवा प्रतिनिधियों का आदान-प्रदान (3.32 करोड़ रुपये) के लिए मुहैया कराई गई है। स्कीमवार ब्यौरे संलग्नक में दिए गए हैं।

15.1.6 राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) : राष्ट्रीय सेवा योजना एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम है जिसका उद्देश्य विद्यालयों और महाविद्यालयों में विद्यार्थी युवकों के चरित्र और व्यक्तित्व का विकास करना है। जिस एनएसएस को चौथी पंचवर्षीय योजना में आरंभिक परियोजना के रूप में शुरू किया गया था जिस समय 37 विश्वविद्यालयों में इसके स्वयंसेवियों की संख्या 40,000 थी, वही आज 198

विश्वविद्यालयों, 9117 महाविद्यालयों, 1196 तकनीकी संस्थाओं, 7542 (+ 2) विद्यालयों और 41 (+2) उच्चतर माध्यमिक बोर्डों/परिषदों और व्यावसायिक शिक्षा निदेशालयों में स्वयंसेवियों की संख्या 29.15 लाख है। एनएसएस प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत स्वयंसेवियों की संख्या में वृद्धि करता है। 11वीं योजना के अंत तक यह संख्या बढ़ाकर 50.80 लाख तक करना है। नियमित और विशेष अभियान हेतु स्वयंसेवियों के लिए मानदेय में वृद्धि करने के साथ-साथ निधीकरण प्रक्रिया को सामान्य राज्यों के लिए 7 : 5 से संशोधित कर 75 : 25 अनुपात में तथा पूर्वोत्तर एवं अन्य पर्वतीय राज्यों के लिए 3 : 1 से संशोधित कर 90 : 10 अनुपात में करने पर विचार किया जा रहा है। तथापि, जम्मू एवं कश्मीर और बिना विधान सभा वाले संघ राज्य क्षेत्रों, केन्द्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों के लिए शत प्रतिशत निधीकरण जारी रखा जाएगा।

15.1.7 नेहरू युवा केन्द्र संगठन (एनवाईकेएस) : नेहरू युवा केन्द्र संगठन युवा मामले और खेल मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्तशासी निकाय है जिसे सरकार से 100 प्रतिशत अनुदान प्राप्त होता है। एनवाईकेएस की स्थापना और अन्य कार्यक्रमों से संबंधित खर्च को पूरा करने के लिए योजना और गैर-योजना दोनों के तहत ब्लाक अनुदान मुहैया कराया जाता है। यह दुनिया में आधुनिक स्तर पर सबसे बड़ा गैर राजनीतिक संगठन के रूप में विकसित हुआ है, जिसके तहत 2.53 लाख ग्राम आधारित युवा क्लब और देशभर में 500 जिलों में 80 लाख से ज्यादा गैर-विद्यार्थी ग्रामीण युवा स्वयंसेवी हैं। एनवाईकेएस स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, गरीबी उपशमन की विशिष्ट प्रायोजित परियोजनाओं में भी सक्रिय रूप से भाग ले रहा है। 11वीं योजना के दौरान शेष 123 जिलों को कवर करने का प्रस्ताव है।

15.1.8 आरजीएनआईआईडी : यह संस्थान इस देश में प्रलेखन, अनुसंधान और मूल्यांकन तथा युवाओं से संबंधित कार्यकलापों के प्रसार के लिए उत्तरदायी है। इसे सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता को

अंतिम ध्येय के रूप में बनाए रखने के लिए बहुगुणी कार्यक्रमों को विकसित करने के उद्देश्य से युवा कार्यक्रमों, नीतियों और कार्यान्वयन कार्यनीतियों के लिए संसाधन अभिकरण और वैचारिक आधारभूमि के रूप में कार्य हेतु शासनादेश प्राप्त है। ग्यारहवीं योजना के दौरान इसे युवा विकास के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्ट केन्द्र के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है।

15.1.9 यूथ हॉस्टल्स : इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं के लिए पर्यटन को बढ़ावा देना है ताकि वे देश के भीतर समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का अनुभव प्राप्त करने में समर्थ हो सकें और इन युवा हॉस्टलों को केन्द्रीय व राज्य सरकारों के बीच ज्वाइंट वेन्यू समझा जाए। योजना अवधि के दौरान पीपीपी मोड में पूरे देश में युवाओं के लिए और अधिक हास्टल्स स्थापित किए जाएंगे। हॉस्टल का कुछ हिस्सा भिन्न-भिन्न दर सूची और सुविधाओं के साथ विशेष प्रयोजन के लिए अलग किया जा सकता है ताकि समुचित रख-रखाव के लिए आईईबीआर सृजित किया जा सके। मौजूदा चालू परियोजनाओं के पूरा होने पर, इस स्कीम के लिए परिव्यय का प्रावधान नहीं किया जाएगा।

15.1.10 राष्ट्रीय स्वयंसेवक योजना : आधुनिक स्तर पर गैर अध्ययनशील युवा वर्ग में युवा सामाजिक कार्यकर्ता तैयार करने और नेतृत्व क्षमता को बढ़ावा देने के समान उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्र सेवा स्वयंसेवक स्कीम (एनएसवीएस) और राष्ट्रीय सदभावना योजना (आरएसवाई) का विलय कर दिया गया है। इस योजना के तहत एनवाईके वाले प्रत्येक जिला से चुने हुए श्रेष्ठ युवा क्लबों और युवा विभाग केन्द्रों द्वारा नामित स्वयंसेवकों को सदस्य बनाया जाता है और उन्हें 1000/- रुपये का मानदेय दिया जाता है। प्रशिक्षित स्वयंसेवक राष्ट्र निर्माण गतिविधियों के लिए युवाओं को सशक्त बनाने और उत्साहित करने के प्रयास में एक बहुत बड़ी ताकत हैं। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान ऐसे 10000 स्वयंसेवकों को नियुक्त किया जाएगा। वर्ष 2008-09 के दौरान प्रतिमाह 1000/- रुपये के

मानदेय को संशोधित करके 2500/- रुपये किया जाना है।

15.1.11 राष्ट्रीय युवा एवं किशोर विकास कार्यक्रम: शून्य आधारित बजट प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए, इस स्कीम के तहत निम्नलिखित स्कीमों का विलय कर दिया गया है :

- युवा गतिविधियों और प्रशिक्षण को बढ़ावा देना
- राष्ट्रीय अखंडता को बढ़ावा देना
- किशोरों का विकास एवं सशक्तीकरण
- साहस को बढ़ावा देना

15.1.12 वर्ष 2007-08 तक उपर्युक्त प्रत्येक स्कीम के एनवाईकेएस और अन्य पात्र एनजीओ को अनुदान देने के लिए अलग-अलग मानदंड थे। वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए संशोधित मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाए गए हैं ताकि राज्य सरकारें, एनवाईकेएस, एनएसएस, एनजीओ व्यावसायिक प्रशिक्षण, उद्यमशीलता विकास, प्रदर्शनियों और राज्य एवं राष्ट्र स्तरीय अखंडता शिविर व महोत्सव आयोजित करने, जीवन कौशल शिक्षा, आवासीय शिविरों के संचालन, किशोरों के लिए परामर्श देने एवं जीविका मार्गदर्शन संगोष्ठियां, कार्यशालाएं, साहसिक खेल-कूद आदि के क्षेत्र में युवा विकास गतिविधियों में भाग ले सकें।

15.1.13 भारत स्काउट्स और गाइड्स भारत में सबसे बड़ा स्वैच्छिक, गैर-राजनीतिक, शैक्षिक आंदोलन है जिसमें सभी भाग ले सकते हैं। इस स्कीम के तहत प्रशिक्षण शिविरों, दक्षता विकास कार्यक्रमों और जंबुरीज आदि के आयोजन जैसी विभिन्न गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। इन गतिविधियों के अंतर्गत अन्य बातों के साथ-साथ, साक्षरता, पर्यावरण संरक्षण, सामुदायिक सेवा, स्वास्थ्य जागरूकता एवं साफ-सफाई संबंधी कार्यक्रम शामिल हैं। इसका सभी राज्यों को कवर करते हुए शाखाओं का एक नेटवर्क है। इसके अलावा, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय

समिति और भारतीय रेलवे जैसे व्यावहारिक एवं उपयोगी यूनिटे हैं।

खेल-कूद एवं शारीरिक शिक्षा

वार्षिक योजना 2007-08

15.1.14 मुख्य-मुख्य वास्तविक उपलब्धियों के अंतर्गत शामिल हैं : व्यापक राष्ट्रीय खेल-कूद नीति, 2008 का प्रारूपण, राष्ट्रमण्डल खेल-2010 संबंधी आधारभूत ढांचे के विकास हेतु मूल्यांकन एवं अनुमोदन के लिए विभिन्न प्रस्तावों की पहल करना, 250 स्कूलों/कालेजों/विश्वविद्यालयों में खेल-कूद को बढ़ावा देना, भारत में 100 कोचिंग कैंपो, 75 खेल-कूद प्रतियोगिताओं, 50 अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनों और 8 अंतर्राष्ट्रीय खेल-कूद प्रतियोगिताओं के प्रबंध के लिए राष्ट्रीय खेल परिसंघ को सहायता, छात्रवृत्तियों/पुरस्कारों/पेंशन के माध्यम से 11433 खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना और पीवाईकेकेए के अनुमोदन के लिए कार्रवाई शुरू करना। बीसीसीआई ने एनएसडीएफ को 15 करोड़ रुपये का योगदान किया परंतु निधियों के अभाव के कारण उनके समनुरूप हिस्से (मेंचिंग शेयर) का योगदान नहीं कर सका और मात्र 4 करोड़ रुपये का ही योगदान कर सका। एलएनआईपीई, ग्वालियर ने 578 विद्यार्थियों को प्रबंधन, योगा और आईटी में बीपीईडी, एमपीईडी, एमफिल, पीएचडी, पीजी डिप्लोमा कराया। इस संस्थान द्वारा योगा पर संगोष्ठियां आयोजित करने के अलावा, आरोग्यता के प्रति समग्र दृष्टिकोण और शिक्षा और संबंधित विषयों के क्षेत्र में स्कूल स्तर पर पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए शैक्षिक विषयों के संबंध में राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई और यूके, सीवीएसई और एनसीईआरटी और एससीईआरटी के विशेषज्ञों ने इसमें भाग लिया। राष्ट्रमंडल खेलों-2010, दिल्ली से संबंधित परियोजनाओं के लिए प्रस्ताव तैयार किए गए और भारत सरकार से मंजूरी प्राप्त की गई।

वार्षिक योजना 2008-09

15.1.15 पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान (पीवाईकेकेए) : ग्यारहवीं योजना का लक्ष्य खेल कूद को व्यापक आधार प्रदान करना है। 10 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से देश में सभी गांवों और ब्लाक पंचायतों और उनकी समकक्ष यूनिटों को कवर करते हुए आधारिक स्तर पर खेल-कूद अवसंरचना के विकास के लिए एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम, पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान को अधिसूचित किया गया है। इस स्कीम के तहत, किसी गाँव/ब्लाक पंचायत को निम्नलिखित रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी (क) खेल-कूद अवसंरचना विकास के लिए एकबारगी पूंजीगत अनुदान (ख) उपकरण आदि प्राप्त करने के लिए पांच वर्षों के लिए वार्षिक अर्जन अनुदान। (ग) पांच वर्षों के लिए प्रचालन जरूरतों को पूरा करने के लिए परिचालन अनुदान। (घ) प्रतिस्पर्धा अनुदान (ङ) वार्षिक आधार पर पुरस्कार की राशि। सीड कैपिटल सहायता के रूप में 100% वित्तपोषण केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाएगा बशर्ते कि राज्य स्तर से विशेष श्रेणी राज्यों के मामले में सीड कैपिटल का कम से कम 10% और शेष राज्यों के मामले में सीड कैपिटल का कम-से-कम 20% संसाधन जुटाया जाए। शहरी क्षेत्रों में खेल-कूद संबंधी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए इसी प्रकार की एक स्कीम, अर्थात् "नगरपालिका युवा क्रीड़ा और खेल अभियान" तैयार की जा रही है।

15.1.16 राष्ट्रमण्डल युवा खेल-2008 (सीवाईजी-2008) : ये खेल अक्टूबर, 2008 में पुणे में होने वाले हैं। राज्य सरकार द्वारा आवश्यक खेल-कूद आधारिक संरचना विकसित की जा रही है जिसके लिए एसीए/एसपीए के माध्यम से केन्द्रीय सरकार द्वारा जरूरी वित्तीय सहायता मुहैया कराई गई है।

15.1.17 राष्ट्रमण्डल खेल (सीजी)-2010 : ये खेल दिल्ली में दिनांक 3 से 14 अक्टूबर तक आयोजित किए जाएंगे। 17 विविध खेल-कूद प्रतियोगिताओं में भिन्न-भिन्न देशों के लगभग 8000 खिलाड़ियों के

भाग लेने की संभावना है। मुख्य उपलब्धियों अर्थात् विस्तृत योजना-विन्यास और अनुमानों को अंतिम रूप देने, टेंडर की प्रक्रिया शुरू करने, काम देने, काम शुरू करने और पूरा करने तथा आयोजन समिति, सीजी-2010 को सौंपने के संदर्भ में सभी पणधारियों ने खेल-कूद आधारभूत ढांचे के विकास अथवा उन्नयन/नवीकरण से संबंधित विशिष्ट समय-सीमा के बारे में सूचित किया है। सीजी-2010 हेतु खेल-कूद आधारिक संरचना विकास संबंधी परियोजनाओं के लिए भारत सरकार द्वारा आवश्यक अनुमोदन प्रदान किया जा चुका है और सूचना के अनुसार सिविल कार्य समय सूची के अनुसार चल रहा है। खेल विभाग प्रत्येक परियोजना की प्रगति की गंभीरता से मानीटरिंग कर रहा है।

15.1.18 वर्ष 2008-09 के लिए खेल विभाग के लिए 648 करोड़ रुपये के परिव्यय में से 224 करोड़ रुपये सीजी-2010 के लिए निर्धारित किए गए हैं। तथापि, सीजी से जुड़ी हुई परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के उद्देश्य से, वर्ष 2008-09 के दौरान युवा मामले एवं खेल मंत्रालय को 224 करोड़ रुपये के अलावा 669.70 करोड़ रुपये की अतिरिक्त निधि की आवश्यकता होगी।

15.1.19 पूर्वोत्तर राज्य : वर्ष 2007-08 के लिए पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 70 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई थी। वर्ष 1986 से बारी-बारी से प्रतिवर्ष पूर्वोत्तर के राज्य में संबंधित राज्य के सहयोग से भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा पूर्वोत्तर महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। एसएआई द्वारा इस तरह का 22वां महोत्सव गोहाटी में दिनांक 30 जनवरी से 2 फरवरी, 2008 के बीच आयोजित किया गया था। यह कार्यक्रम पूर्वोत्तर खेल-कूद के रूप में मनाया गया। आठ पूर्वोत्तर राज्यों से 1500 से अधिक खिलाड़ियों ने 11 खेल-कूद प्रतियोगिताओं में भाग लिया। सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लिए युवा एवं खेल-कूद गतिविधियों के लिए 67.20 करोड़ रुपये का परिव्यय आवंटित किया गया है। इसमें से 24.20 करोड़ रुपये युवा मामले के लिए और 43 करोड़

रुपये खेल-कूद गतिविधियों के लिए मुहैया कराए गए हैं।

15.2 कला और संस्कृति

15.2.1 भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत इसके बहुधर्मी समाज में मजबूती से स्थापित है और यही इसके समाजिक-आर्थिक विकास का आधार है। लोगों, उनकी भाषाओं, धर्मों और परम्पराओं की विविधता ही सांस्कृतिक एकता का सूत्र है जिससे न केवल सृजनशीलता को बढ़ावा मिला है बल्कि राष्ट्र को एकजुट रखने में सहायता भी मिली है। संस्कृति मंत्रालय ने इस विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को कायम रखने के लिए प्रोत्साहित किया है और सहायता दी है। विभिन्न प्रकार की समसामयिक सृजनात्मक कलाओं को प्रोत्साहित करने के अलावा इसे ऐतिहासिक स्मारकों एवं अभिलेखों को संरक्षित करने, पुरातत्त्वीय महत्व के स्थलों की खोज करने एवं उन्हें खाली करवाने तथा राष्ट्रीय महत्व के पुस्तकालयों तथा संग्रहालयों का अनुसंधान और विस्तार करने का उत्तरदायित्व भी सौंपा गया है। इन कार्यकलापों को अनेक सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों और अन्य संस्थाओं जैसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केन्द्र, देशभर में फैले राष्ट्रीय संग्रहालयों तथा राष्ट्रीय पुस्तकालयों, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार, राष्ट्रीय साहित्य, ललित कला एवं नाट्य अकादमी, बौद्ध और तिब्बती अध्ययन संस्थाओं आदि के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है।

वार्षिक योजना 2007-08 की समीक्षा

15.2.2 संस्कृति मंत्रालय के लिए वर्ष 2007-08 हेतु वार्षिक योजना आबंटन 557.00 करोड़ रुपये था। इस वर्ष के दौरान खर्च केवल 461.83 करोड़ रुपये तक हुआ जो आबंटन का 83% है। फिर भी, मंत्रालय को सुझाव दिया गया है कि वह अपने

नियंत्रणाधीन विभिन्न संस्थाओं के कार्यकलापों और खर्चों को उपयुक्त रूप से चरणबद्ध कर उपयोग गति बढ़ावे।

15.2.3 प्राचीन स्मारकों का संरक्षण : इस वर्ष के दौरान 1500 कार्य शुरू किए गए, जिनमें से 600 पूरे हो गए हैं। केन्द्र संरक्षित स्मारकों के दिन-प्रतिदिन के रख-रखाव के अलावा, संरक्षण एवं ढांचागत सुधार, रसायनिक परिरक्षण और पर्यावरणीय विकास के लिए 800 से अधिक स्मारकों में कार्य शुरू हो चुका है। इसके अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों के स्मारक भी शामिल हैं।

15.2.4 पुरातत्व विषयक खोज और खुदाई : बाराबती फोर्ट कॉम्प्लेक्स, जुआफरडिह, जिला नालंदा, बिहार, बनगढ़, जिला दक्षिण दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल, सालवन कुप्पम, जिला कांचीपुरम, तमिलनाडु, दौलताबाद जिला औरंगाबाद, महाराष्ट्र, द्वारकाधीश फोरकोर्ट की खुदाई का कार्य पूरा किया गया।

15.2.5 संग्रहालयों का प्रबंधन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संबंधित सर्किलों द्वारा किया जाता है। हड़प्पा स्थल पर एक नया पुरातत्व संग्रहालय धौलवीरा खोला गया। चंदेरी और खजुराहो में नये संग्रहालयों का निर्माण कार्य पहले ही पूरा हो चुका है और शिवपुरी में पूरा होने वाला है। हम्पी, नगार्जुन कॉडल, श्रीरंगपत्तनम, फोर्ट सेन्ट जार्ज, चेन्नै, मट्टनचेरी पैलिस, कोची, वेल्हा, गोवा आदि में संग्रहालयों के उन्नयन और आधुनिकीकरण का कार्य शुरू किया गया है। स्मारकों और प्राचीनकालीन कलाकृतियों से संबंधित एक राष्ट्रीय मिशन भी शुरू किया गया है।

15.2.6 इस वर्ष के दौरान, भारतीय संग्रहालय, कोलकाता ने दीर्घाओं के पुनर्निर्माण, नवीकरण और आधुनिकीकरण का कार्य जारी रखा। इसने 812 कला वस्तुओं का रसायनिक उपचार किया। इसने कुछ सांस्कृतिक समारोह भी आयोजित किए।

15.2.7 राष्ट्रीय संग्रहालय लाइब्रेरी में 57,344 पुस्तकों का संग्रह है। वर्तमान संग्रह में 576 नई

पुस्तकें और रखी गईं। 10,930 कलर प्रिंट्स और 6325 (35 एमएम) कलर निगेटिव्स तैयार किए गए। संग्रहालय कला तथ्यों का संरक्षण उपचार किए जाने के पूर्व और बाद का फोटो लिया गया। 782 ब्लैक ऐंड व्हाइट और 663 निगेटिव्स तैयार किए गए। नालंदा अवशेष : भारत, चीन और दक्षिण पूर्व एशिया में बौद्ध धर्म नाम की प्रदर्शनी में 116 कलाकृतियों को प्रदर्शित किया गया। सिंगापुर में प्रदर्शनियां आयोजित की गईं।

15.2.8 सलारजंग संग्रहालय ने ' पवित्र ट्रस्ट, सीरत-ए-तायिबा-मुकमात-ए-मुकरिसा, भारत रत्न डा0 बाबा साहेब बी आर. अम्बेडकर, भगवान बुद्ध, दांडी यात्रा से संबंधित दुर्लभ फोटो प्रदर्शनियां आयोजित की। ताज महल- संगमरमर में काव्य, स्वतंत्रतापूर्व आंदोलन की झलकियां, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और भगवान गणेश पर फोटो-प्रदर्शनी, आयोजित की गईं। हैदराबाद और सिकन्दराबाद स्थित 112 स्कूलों में चल प्रदर्शनी वैनें भेजी गईं। आईआईटी, हैदराबाद की सहायता से लाइब्रेरी की दुर्लभ एवं मूल्यवान पुस्तकों को वेबसाइट पर डालने के लिए डिजिटीकरण का कार्य चल रहा है। अब तक 33570 पुस्तकों को वेब पर डाला जा चुका है।'

15.2.9 राष्ट्रीय कला दीर्घा, जो उत्कृष्ट कलाकृतियों के प्रदर्शन का एक सुगठित आधुनिक कला संग्रहालय है, नई दिल्ली और मुंबई दोनों जगहों पर चालू रखा गया है। एनजीएमए द्वारा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के कलाकारों की 10 विशिष्ट प्रदर्शनियां आयोजित की गईं। स्कूली बच्चों के भ्रमण जैसे शैक्षिक कार्यक्रम संचालित किए गए तथा कला और कलाकारों के संबंध में फिल्में प्रदर्शित की गईं। विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों के लिए आर्टस्केच क्लब और आर्ट वर्कशॉप आयोजित किए गए। कलाप्रेमियों के लाभ के लिए समकालीन कला और कला परम्पराओं के संबंध में व्याख्यान/संगोष्ठियां भी आयोजित की गईं।

15.2.10 राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद ने दनिश साइंस सेंटर इक्सपेरिमेंटरियम में साइंस पार्क और

एनसीएसएम के एक केन्द्र में ' मानव जीव विज्ञान संबंधी नई दीर्घा के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से कार्यक्रम आयोजित किया' । बीआईटीएम, कोलकाता में दूरदर्शन दीर्घा, आरएससी, तिरुपति में प्रवर्तित प्रौद्योगिकियां, वीआईटीएम, बेंगलौर में बाल विज्ञान दीर्घा, एनएससी मुंबई में बाल विज्ञान दीर्घा, आरएससी नागपुर में सूचना एवं संचार तकनीक दीर्घा, आरएससी कालीकट में मिरर मेजिक दीर्घा, आरएससी, भोपाल में ऊर्जा दीर्घा, एनएससी, दिल्ली में भविष्य के प्रति प्रवर्तित प्रौद्योगिकी दृष्टिकोण नाम की नई दीर्घाएं आरंभ की गईं। एनसीएसएम मुख्यालय में नदियों से संबंधित नई प्रदर्शनियां उद्घाटन हेतु तैयार हैं। बीआईटीएम में ग्लोबल वार्मिंग और अंतरिक्ष खोज प्रदर्शनी तथा डीएससी, तिरुनेलवेली में परमाणु शक्ति पर प्रदर्शनी समाप्त हो गईं।

15.2.11 साइंस सिटीज ने जुलाई, 2007 में कल्पना चावला तारामंडल का उद्घाटन किया। एसआरएससी, कलिंगपोंग को सितम्बर, 2007 में स्थानीय प्राधिकरण को सौंप दिया गया। एसआरएससी, गंगटौक का फरवरी, 2008 में उद्घाटन किया गया। आरएससी धारवाड़ और एसआरएससी में नई परियोजना का कार्य चल रहा है।

15.2.12 राष्ट्रीय पुस्तकालय के सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्यों में से एक कार्य पुस्तकालय में रखी दुर्लभ पुस्तकों और अन्य दस्तावेजों का परिरक्षण तथा संरक्षण करना है। राष्ट्रीय पुस्तकालय, केन्द्रीय सचिवालय पुस्तकालय (सीएसएल), राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय, मुंबई पुरानी पुस्तकों तथा पांडुलिपियों के डिजिटीकरण तथा पुस्तक सूचियों के पूर्व संरक्षण के कार्य में लगे हुए हैं।

15.2.13 भारतीय मानव-विज्ञान सर्वेक्षण ने आईआईसी नई दिल्ली में ' सांस्कृतिक बहुलवाद की पहचान एवं राज्य' विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। भारतीय मानव-विज्ञान

सर्वेक्षण नर्मदा घाटी में मानव उत्पत्ति जैसे विशिष्ट अनुसंधान कार्य में व्यस्त रहा।

15.2.14 भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने 113 मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त सूचना के आधार पर डीजीए की अपनी 9वीं रिपोर्ट प्रकाशित की। विभागीय अभिलेख अधिकारियों के लिए सात दिशानिर्देशन पाठ्यक्रम आयोजित किए गए, 57,938 अभिलेखों/फाइलों की मरम्मत की गई, 1580 खण्डों/पुस्तकों पर जिल्द चढ़ाई गई और 2717 खण्डों/पुस्तकों की सिलाई की गई, रिकार्ड सुरक्षा माइक्रोफिल्म के 582 रॉल तैयार किए गए, 14959 चित्रों की माइक्रो फिल्म स्कैनर द्वारा स्कैनिंग की गई, अभिलेखागार एवं अभिलेख प्रबंधन में एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स और अल्पकालिन पाठ्यक्रम आयोजित किए गए, सेवा विभाग की 180687 प्रविष्टियों को पुनर्वैद्यता प्रदान की गई, एनएआई में 601722 संदर्भ मीडिया अभिलेखों की प्रविष्टियां की गईं।

15.2.15 खुदा बक्श ऑरिएन्टल पब्लिक लाइब्रेरी : 15 पाण्डुलिपियों, 6734 पुस्तकों, 18 सिक्कों, 27 समाचार पत्रों और 67 पत्र-पत्रिकाओं को अधिग्रहीत किया गया, 201115 पुस्तकों/पत्र पत्रिकाओं को वर्गीकृत किया गया और उनकी सूची तैयार की गई। 5300 पाण्डुलिपियों की वर्गनात्मक सूची संग्रहित की गई। 120 पाण्डुलिपियों और 2606 पुस्तकों को मरम्मत की गई और जिल्दशाजी की गई।

15.2.16 रामपुर राजा लाइब्रेरी ने चार छात्रवृत्तियां प्रदान कीं। 12 पुस्तकें प्रकाशित हुईं। लाइब्रेरी ने 529 पुस्तकें और पत्रिकाएं खरीदीं तथा 6 एमएसएस और 37 कलाकृतियाँ अधिग्रहित कीं।

15.2.17 20,000 दुर्लभ एमएसएस और 5000 लघु आकार की पेंटिंग्स और चित्रों में से 9000 पुस्तकों को कीटाणुरहित किया गया। 18 लघु आकार की पेंटिंग्स को संरक्षित किया गया और उनपर फ्रेम चढ़ाया गया। एमएसएस के 1444 पृष्ठों का रोगनाशक तरीके से उपचार किया गया और एमएसएस के 2810 पृष्ठों का निवारक उपाय से

उपचार किया गया। 1500 दुर्लभ एमएसएस के लगभग 524000 चित्रों को डिजिटाइज किया गया। नये अद्यतन वेबसाइट शुरू किए गए।

15.2.18 एशियाटिक सोसाइटी, कोलकाता ने 3109 खण्डों और धारावाहिकों के लिए 320 शीर्षकें प्राप्त कीं। 2335 पुस्तकें एवं जनरल और 3062 दुर्लभ पुस्तकों की अनुदर्शी सूची बनाने/प्रलेखन का कार्य किया गया। 2162 पुस्तकों एवं जरनलों (आउटसोर्सिंग) और 493 खण्डों की विभागीय तौर पर, बाइंडिंग, 1981 एमएसएस, 71 अभिलेखागार फाइलें और 4271 पत्र जिनकी सूची बनाई गई/प्रलेखन किया गया के अंतर्गत वर्तमान एवं अनुदर्शी दोनों प्रकार की सामग्रियां शामिल हैं।

15.2.19 एशियाटिक सोसाइटी, मुम्बई : 811 पुस्तकें खरीदी गईं और शैक्षिक स्तर की 101 पत्र-पत्रिकाओं के नियमित ग्राहक बनाए गए। 198 पुस्तकों को कीटाणुरहित बनाया गया व 48648 पुस्तकों के अम्लीय पदार्थों से साफ किया गया और 45623 पुस्तकों पर पतले मुलायम कागज/कपड़े चढ़ाए गए तथा 39 पुस्तकों की मरम्मत की गई।

15.2.20 राष्ट्रीय पाण्डुलिपि संरक्षण मिशन भारत की पाण्डुलिपि धरोहर का पता लगाने, प्रलेखन करने, संरक्षित करने और सुविधाजनक बनाने के कार्य में व्यस्त रहा। मिशन ने 5 लाख पाण्डुलिपियों दस्तावेजों के प्रलेखन का कार्य पूरा किया। निवारक संरक्षण : 80818 पाण्डुलिपियों, 27.78 लाख फोलियोज को निवारक संरक्षण प्रदान किया। सुधारात्मक संरक्षण : 28286 पाण्डुलिपियों, 8.71 लाख फोलियो (वर्ष 2003-08 से संचित) को सुधारात्मक संरक्षण प्रदान किया गया। अबतक 26.64 लाख पृष्ठों की 12961 पाण्डुलिपियों (वर्ष 2003-08 से संचित) का डिजिटलीकरण किया गया।

15.2.21 सभी राज्यों और केन्द्र शासित राज्यों को मिलाकर सात क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों (जैडसीसी); (1) उत्तरी क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, पटियाला (2) उत्तरी केन्द्र क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, इलाहाबाद (3) दक्षिणी क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, थंजावुर (4) दक्षिणी

केन्द्र क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, नागपुर (5) पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, उदयपुर (6) पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, कोलकाता (7) पूर्वोत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, दीमापुर। भारत के लोक एवं पौराणिक शिल्पकारों को स्थानीय, सृजनात्मक सहायता देने के लिए गठित किए गए थे। प्रत्येक केन्द्र एक स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य करता है। राज्य का राज्यपाल, जहां वह स्थित है, उसका पदेन अध्यक्ष के रूप में सेवा करता है।

15.2.22 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र की छः यूनिटें हैं- कलानिधि, बहुरूपीय लाइब्रेरी, कलाकोष, यह मुख्य रूप से भारतीय भाषाओं में मूलभूत पाठ्य पुस्तकों के अध्ययन एवं प्रकाशन के प्रति समर्पित हैं, ज्ञानपद संपदा, यह प्रभाग जीवनशैली के अध्ययन में व्यस्त है, कलादर्शन, यह एक संचालक यूनिट है जो प्रदर्शनियों के माध्यम से आईजीएनसीए से उत्पन्न अनुसंधान एवं अध्ययनों को दृश्य रूप प्रदान करता है, सांस्कृतिक सूचना विज्ञान प्रयोगशाला जो सांस्कृतिक संरक्षण और प्रचार के लिए तकनीकी टूल्स प्रयोग करता है तथा सूत्रधार वह प्रशासनिक अनुभाग है जो सभी कार्यकलापों के मुख्य सहायक और समन्वयक के रूप में कार्य करता है। गेस्ट हाउस ब्लाक सहित कलानिधि कलाकोष भवन को पूरी तरह से संचालित किया गया। संस्कृति संबंधी, विभिन्न विषयों पर 14 पुस्तकें प्रकाशित की गईं। कर्नाटक, राजस्थान और आन्ध्रप्रदेश में रॉक आर्ट कार्यक्रम-क्षेत्र अध्ययन कराया गया। इसी प्रकार, पूर्वोत्तर राज्यों में भी क्षेत्र अध्ययन कराया गया। आईजीएनसीए द्वारा 11 मुख्य-मुख्य संगोष्ठियां और कार्यशालाएं आयोजित की गईं। 10421 पुस्तकों और 7400 जर्नलों के पिछले संस्करण लाइब्रेरी में रखे गये। विभिन्न लाइब्रेरियों से 531 रॉल्स एमएसएस अर्जित किए गए जिसमें 6563 एमएसएस और 332130 फालियो थें। दुर्लभ बंगला साहित्य से संबंधित 10000 डिजिटल चित्र और कुछ वीडियो प्राप्त किए गए।

15.2.23 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) केन्द्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान को भविष्य में

समविश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने पर सक्रियता से विचार कर रहा है। इस संस्थान ने अबतक 40 दुर्लभ एवं मूल्यवान पुस्तकों को प्रकाशित किया है जिन्हें न लाभ न हानि आधार पर बेचा जा रहा है। 26 गोन्पा/ननरी स्कूल कारगर एवं सहज रूप से चल रहे हैं। यह स्कूल 8वीं क्लास तक के लिए है और इसमें नवी की पढ़ाई भी शुरू की गई है, जैसाकि पहले ही संविदा आधार पर पांच टीजीटी शिक्षकों की बहाली का अनुमोदन प्राप्त हो गया था। एक वॉल्यूम में इन्साइक्लोपीडिया हिमालयन बुद्धिस्ट कल्चर के संग्रह का 95% कार्य पूरा हो चुका है। बौद्ध धर्मावलम्बी/तिब्बतीय संस्थान स्कीम के तहत वित्तीय सहायता के विकास के लिए 241 संगठनों/व्यक्तियों को सहायता मुहैया कराई गयी।

15.2.24 गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति ने महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया। परम्परागत कला एवं शिल्प को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम को मणिपुर और असम में सुदृढ़ किया गया। चम्पारण स्थित बुनियादी विद्यालय, बेतिया में और विधरैवा स्थित गांधी आश्रम में गांधीजी के जीवन संदेशों पर बहुत से कार्यक्रम आयोजित किए गए। जीएसडीएस कॉम्प्लेक्सों के विकास का कार्य चल रहा है। गांधी स्मृति स्थित कला दीर्घा का नवीकरण किया गया, पवेलियन के 3 हॉलों की मरम्मत की गई और अद्यतन बनाया गया।

15.2.25 नव नालंदा महाविहार के संकाय भवन के पायलिंग निर्माण का कार्य पूरा होने वाला है। नालंदा महोत्सव के साथ-साथ स्थापना दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। पूर्वोत्तर क्षेत्र के समुदायों के कार्यकलापों से संबंधित अनेक कार्यशालाएं, संगोष्ठियां और प्रलेखन कार्य भी संचालित किए गए।

15.2.26 मौलाना अबुल कलाम आजाद एशियान अध्ययन संस्थान ने विभिन्न क्षेत्रों संबंधी 30/40 फ्लोशिप अनुसंधान करवाया। फेलोशिप प्राप्त

विद्यार्थियों ने नियमित रूप से पूर्वोत्तर एवं अन्य क्षेत्रों से संबंधित गोष्ठियों में भाग लिया।

15.2.27 खालसा विरासत परियोजना को खालसा त्रिशताब्दी जन्म महोत्सव मनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

वार्षिक योजना 2008-09

15.2.28 चालू वित्तीय वर्ष के लिए 600 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान किया गया है। जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए कार्यकलाप शामिल हैं। वर्ष 2007-08 के दौरान स्कीमवार वास्तविक व्यय और वर्ष 2008-09 के परिव्यय के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

वर्ष 2007-08 के दौरान वास्तविक व्यय और 2008-09 के परिव्यय का स्कीमवार ब्यौरा

(करोड़ रुपये में)

स्कीम का नाम	दसवीं योजना		व्यय 2006-07	2007-08		2008-09 (ब.अ.)
	परिव्यय	व्यय		परिव्यय	व्यय	
1	2	3	4	5	6	7
1. आधुनिकीकरण व कम्प्यूटरीकरण	4.39	2.57	0.60	1.00	0.65	1.00
2. प्रोत्साहन व प्रसार	362.43	446.09	98.40	103.10	115.35	123.22
3. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई)	284.83	305.06	74.06	98.00	89.59	111.00
4. अभिलेखागार व अभिलेख	74.11	61.64	17.15	20.85	14.15	26.09
5. संग्राहलय	304.13	312.62	69.85	83.14	65.78	97.80
6. मानवविज्ञान व मानवजाति विज्ञान	40.02	40.42	9.10	11.50	11.56	15.00
7. सार्वजनिक पुस्तकालय	131.05	121.23	30.17	38.20	31.87	42.56
8. आईजीएनसीए	90.00	4.02	3.00	45.00	40.15	25.00
9. बौद्ध व तिब्बती अध्ययन संस्थान	45.70	44.98	10.60	14.51	13.52	16.32
10. अन्य व्यय (स्मारक)	49.35	61.22	21.10	36.00	71.17	38.50
11. पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए गतिविधियां।	154.00	40.00	40.00	55.70	0.00*	60.00
12. पूंजी संघटक (भवन परियोजनाएं)	180.00	128.38	26.03	50.00	8.05	46.32
कुल योग	1720.00	1568.23	400.00	557.00	461.83	600.00

* व्यय संबंधित क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है।

अध्याय-16

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

16.1 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण क्षेत्र

16.1.1 दसवीं योजना में स्वास्थ्य सुरक्षा नीति और कार्यनीति में प्राथमिक और द्वितीयक स्तर पर स्वास्थ्य सुरक्षा वितरण प्रणाली में संरचनात्मक सुधार के साथ-साथ तृतीयक स्वास्थ्य रक्षा सुविधाओं की उपलब्धता में क्षेत्रीय संतुलन में बदलाव की प्रक्रिया देखने को मिली। देश में स्वास्थ्य सुरक्षा वितरण प्रणाली की असमानता को कम करने के लिए अप्रैल, 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) शुरू किया गया। इसके अलावा, तृतीयक स्वास्थ्य देख-भाल सुविधाएं बढ़ाने के लिए प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना शुरू की गई है। रूग्णता और मृत्यु रोकने के लिए बीमारी स्तर पर अनेक उपाय किए गए।

16.1.2 ग्यारहवीं योजना विकास के एक नये विजन की उपलब्धि के लिए नीतियों की पुनः संरचना का ऐसा अवसर उपलब्ध कराती है जो अधिक व्यापक आधार वाला और समावेशी होगा, गरीबी में तीव्रता से कमी लाएगा और अन्तर्गों को पाटने में मदद करेगा। हमारी जनसंख्या के बड़े भाग की बुनियादी सुविधाओं जैसे कि स्वास्थ्य, स्वच्छ पेयजल आदि तक पहुंच, जो अभी उनकी पहुंच में नहीं हैं, के लिए एक बड़े प्रयास की आवश्यकता है। ये अनिवार्य सार्वजनिक सेवाएं न केवल अल्प अवधि में कल्याण को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं बल्कि भविष्य के लिए आर्थिक अवसरों का भी निर्धारण करती हैं।

16.1.3 ग्यारहवीं योजना प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में सुधार के लिए एकीकृत जिला स्वास्थ्य योजनाओं और ब्लॉक विशिष्ट स्वास्थ्य योजनाओं पर बल देगी। वे योजनाएं स्वास्थ्य से संबंधित सभी क्षेत्रों की भागीदारी को सुनिश्चित करेंगी।

16.1.4 ग्यारहवीं योजना में निम्नलिखित के माध्यम से लोगों की स्वास्थ्य स्थिति में सुधार करना मूल उद्देश्य रहा है :-

- सरकारी, निजी और स्वैच्छिक क्षेत्र में वर्तमान स्वास्थ्य सुरक्षा प्रणाली की उन्नत क्षमता।
- सभी स्तरों पर सुरक्षा एवं सेवाओं का उन्नत स्तर।
- आयुष प्रैक्टिशनरों को मुख्य धारा में लाना।
- ड्रग्स एवं डायग्नोस्टिक्स की आपूर्ति का कारगर संभार-तंत्र विकसित करना और ड्रग्स के उचित प्रयोग को बढ़ावा देना।
- स्वास्थ्य परिणामों में वृद्धि करना।
- स्वास्थ्य सुरक्षा वित्तपोषण की वैकल्पिक प्रणाली की खोज करना।

16.1.5 राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएमपी) में स्वास्थ्य क्षेत्र पर विशेष जोर दिया गया था और निम्नलिखित सुझाव दिए गए थे :-

1. प्राथमिक स्वास्थ्य सुरक्षा पर ध्यान केन्द्रित करते हुए आगामी पांच वर्षों में जीडीपी का कम-से-कम 2-3% स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय
2. गरीब परिवारों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा स्कीम शुरू करना
3. सभी संक्रामक बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए कार्यक्रमों में सार्वजनिक निवेश को बढ़ाना

4. राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण अभियान को नेतृत्व प्रदान करना
5. उचित मूल्यों पर जीवन रक्षक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के सभी उपाय करना।

ग्यारहवीं योजना के मानीटरन योग्य समाजार्थिक लक्ष्य

स्वास्थ्य

- प्रति हजार जीवित जन्मों पर शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) को 28 और मातृ मृत्यु दर को 1 तक घटाना।
- कुल प्रजनन दर को 2.1 तक घटाना।
- वर्ष 2009 तक सभी को स्वच्छ पेयजल मुहैया कराना और यह सुनिश्चित करना कि 11वीं योजना के अंत तक कोई भी आवास छूट न जाए।
- 0-3 आयु वर्ग के बच्चों में कुपोषण को इसके वर्तमान स्तर से आधे स्तर तक लाना।
- 11वीं योजना के अंत तक महिलाओं व बालिकाओं में एनीमिया को 50 प्रतिशत तक कम करना।

महिलाएं व बच्चे

- वर्ष 2011-12 तक 0-6 आयु वर्ग में लिंग अनुपात को 935 और 2016-17 तक 950 तक बढ़ाना।

महत्वपूर्ण नए सामाजिक हस्तक्षेप

- प्रत्येक आवास स्थल से 2 घण्टे की यात्रा के भीतर प्राप्त की जा सकने वाली आपात प्रसूति देखभाल सुविधाएं मुहैया कराना।

16.1.6 ग्यारहवीं योजना के दौरान मूल उद्देश्य प्रभावी स्वास्थ्य देखभाल डिलीवरी प्रणाली विकसित

करके देश की सामान्य जनता के लिए अच्छे स्वास्थ्य का स्वीकार्य मानक प्राप्त करना है जिसमें निम्नलिखित शामिल होगा :

- सर्वसुलभ स्वास्थ्य देख-भाल
- कारगर कार्य संचालन/उच्च स्तर की स्वास्थ्य देख-भाल वितरण प्रणाली
- गांव/ब्लॉक/जिला/राज्य स्तर पर पर्याप्त मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाओं के माध्यम से ग्रामीण लोगों व कमजोर वर्गों का संरक्षण।
- चिकित्सा व गैर-चिकित्सा के लिए अपेक्षित जनसाधन तैयार करना।
- क्षेत्रकों, संरचनाओं, राज्य सरकारों और मंत्रालयों के बीच उचित लिकेज की पहचान करना और स्थापित करना।
- तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं का विकास।
- संचारी व गैर-संचारी रोगों का सामना करना व निवारक देखभाल को बढ़ावा देना।

वार्षिक योजना 2007-08 के निष्पादन की समीक्षा

16.1.7 राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को अप्रैल, 2005 में शुरू किया गया और इसे उन 18 राज्यों, जिनके खराब स्वास्थ्य संकेतक हैं, और जो प्राथमिक स्वास्थ्य सुरक्षा पर ध्यान केन्द्रित करने में राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अधिदेशों को क्रियान्वित करने की कोशिश कर रहे हैं, पर अधिक ध्यान केन्द्रित करते हुए पूरे देश में लागू किया गया। जहां तक तृतीयक क्षेत्र का संबंध है, एम्स के समान 6 संस्थानों की स्थापना करने और 13 चिकित्सा संस्थानों को उन्नत करने का प्रारंभिक कार्य चालू है। जहां तक रोग नियंत्रण कार्यक्रमों का संबंध है, उपलब्धियाँ निवारक उपायों को सुदृढ़ करने और सुधारात्मक सुरक्षा की क्षमता को बढ़ाने में रही हैं।

उपलब्धियाँ

16.1.8 पिछले दशक में राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य संकेतकों ने दृष्टिगोचर सुधार दर्ज किए हैं। वर्ष 1991 में पुरुषों के लिए जीवन प्रत्याशा 59.7% थी जो बढ़कर 63.7% हो गई और इस अवधि के दौरान महिलाओं के लिए जीवन प्रत्याशा 60.9% थी जो बढ़कर 66.91% हो गई। इस अवधि के दौरान अशोधित जन्म दर और मृत्यु दर में गिरावट दर्ज की गई। आईएमआर, एमएमआर और टीएफआर के उपलब्ध आंकड़े सकारात्मक रूझान दर्शाते हैं, तथापि, सम्पूर्ण रूप से पूरे देश के लिए यह निष्पादन दसवीं योजना में निर्धारित लक्ष्य के करीब नहीं है।

16.1.9 राज्यवार विवरण को देखने से पता चलता है कि वर्ष 2001-03 के दौरान, उत्तरांचल सहित उत्तर प्रदेश में एमएमआर सबसे अधिक (517) था और केरल में सबसे कम (110) था। 8 ईएजी राज्यों और असम से तीन में से दो मातृ मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई है। एसआरएस 1999-01 की तुलना में एसआरएस 2001-03 से पता चलता है कि असम को छोड़कर सभी राज्यों के एमएमआर में गिरावट आई है। असम में यह 1,00,000 जीवित जन्मों में 398 थी जो बढ़कर 490 हो गई है।

16.1.10 आईएमआर देश के ग्रामीण क्षेत्रों में जीवित जन्म 62/1000 की तुलना में शहरी क्षेत्रों में 39/1000 कम हैं। (एसआरएस, 2007, आरजीआई

कार्यालय)। मणिपुर की सबसे कम आईएमआर (11/1000 जीवित जन्मों) है और मध्य प्रदेश की आईएमआर सबसे अधिक प्रति 1000 जीवित जन्मों में 74 है। प्रसवपूर्व, प्रसव और प्रसव उपरांत अधिक देख-भाल से अक्सर शिशु मृत्यु दर कम होती है। इसी प्रकार की विपरीत स्थिति माताओं की उच्च शिक्षा स्तर और उच्च जीवन स्तर सूचकांक में भी पायी गयी है।

16.1.11 आपात प्रसव देख-भाल, प्रसव पूर्व देख-भाल, महिलाओं में अरक्तता, महिलाओं के शिक्षा स्तर और अन्य मामलों संबंधी सुविधाओं में भिन्नता के कारण राज्यों और क्षेत्रों में एमएमआर और आईएमआर के स्तरों में काफी भिन्नता है। भारत के महापंजीयक ने यह स्पष्ट किया है कि कम संख्या में मातृ मृत्यु के कारण, ये अनुमान केवल बड़े राज्यों और राष्ट्रीय स्तर के संबंध में ही विचार प्रस्तुत करते हैं। आरजीवाई द्वारा छोटे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में अनुमान नहीं लगाए गए हैं। अतः एमएमआर को देश में मातृ स्वास्थ्य स्थिति का केवल रफ संकेतक माना जा सकता है।

16.1.12 राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के तहत, एनआरएचएम (स्वास्थ्य) से बाहर और नये सृजित स्वास्थ्य अनुसंधान विभागों के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना और वार्षिक योजना 2008-09 हेतु अनुमोदित परिव्यय नीचे दिए गए हैं :

राष्ट्रीय स्तर पर एमएमआर, आईएमआर और टीएफआर संबंधी स्कोर कार्ड : तालिका 6.1.1

	एमएमआर		आईएमआर		टीएफआर	
	एसआरएस 1999-01	एसआरएस 2001-03	एसआरएस 2000	एसआरएस 2007	एसआरएस 2000	एसआरएस 2004
भारत	327	301	68	57	3.2	2.9
10वीं योजना लक्ष्य (2002-07)	<200		<45		<2.3	
आरसीएच-II लक्ष्य (2010)	<100		<30		<2.1	
एमडीजी लक्ष्य (2015)	एमएमआर की 3/4 तक कमी (1990-2015)		27			

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	विभाग	अनुमोदित परिव्यय	
		11वीं योजना (2007-12)	2008-09
1	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	131840.92	15580.00
(क)	एनआरएचएम	89478.00	11930.00
(ख)	एनआरएचएम (स्वास्थ्य) से बाहर	42362.92	3650.00
2	स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग	4306.08	420.00
	सकल जोड़	136147.00	16000.00

स्कीमवार ब्यौरे

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

16.1.13 इस मिशन की अवधि 7 वर्ष (2005-2012) है। मिशन के लक्ष्यों के कारगर क्रियान्वयन के लिए राज्य और जिला स्वास्थ्य मिशन और समितियां गठित की गई हैं। मिशन क्षेत्र व्यापक दृष्टिकोण अपनाने का प्रयास करता है और आरसीएच-II कार्यक्रम, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम और एकीकृत रोग निगरानी जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यक्रमों को अपनाने का प्रयत्न करता है।

एनआरएचएम के तहत उप-स्कीमों का ब्यौरा

1. अवसंरचना रख-रखाव

16.1.14 यह आबंटन निर्देशन एवं प्रशासन उप-केन्द्रों के रख-रखाव, शहरी एफडब्ल्यू केन्द्रों, शहरी नवीकरण स्कीम, एनएचएम/एलएचवी के प्रशिक्षण, स्वास्थ्य एवं एफडब्ल्यू प्रशिक्षण केन्द्रों के रख-रखाव और सुदृढीकरण के प्रयोजनार्थ होता है। ये निधियां ट्रेजरी तंत्र के माध्यम से राज्य वित्त विभागों को जारी की जाती हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की लेखाओं का राज्य महालेखाकार द्वारा जांच की जाती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जीएफआर

2005 के द्वारा निम्नलिखित शर्तों के साथ सहायता अनुदान जारी किया जाता है :

1. राज्य महालेखाकार से व्यय का परीक्षित विवरण निर्धारित समय तक अवश्य प्राप्त हो जाना चाहिए;
2. व्यय का विवरण (एसओई) अवश्य प्राप्त हो जाना चाहिए।
3. पिछली जारी निधियों के अव्ययित शेष का समायोजन पहले किया जाना चाहिए।

16.1.15 इस शीर्ष के तहत किए जाने वाले कार्यकलाप उप-केन्द्रों में एनएचएम और एलएचवी को और राज्यों और जिला एफडब्ल्यू ब्यूरो/शहरी परिवार कल्याण केन्द्रों/स्वास्थ्य पोस्ट्स/प्रशिक्षण स्कूलों में स्टाफ को वेतन और प्रशिक्षुओं को स्टाइपेंड देने की प्रकृति के हैं। कुछ राज्य और अतिरिक्त उप-केन्द्र जो वर्ष 2001 के जनसंख्या मापदण्ड के अनुसार परिचालन में होंगे, में प्रचलित अधिक वेतनमान के कारण, वर्ष 2008-09 में बढ़े हुए आबंटन की मांग की गई है।

2. मिशन फ्लैक्सीबल पूल

16.1.16 मिशन फ्लैक्सीबल पूल बजट लाइन को वर्ष 2006-07 में शुरू किया गया।

16.1.17 सभी गतिविधियां, जो नई हैं और वर्तमान जारी स्कीमों के कवरेज से बाहर हैं, को मिशन फ्लैक्सीबल पूल के तहत कवर किया जा रहा है और इसके अंतर्गत शामिल है : - (i) अधिक ध्यान केन्द्रित किए जाने वाले 18 राज्यों में आशा का चयन/प्रशिक्षण/मेंटरिंग, (ii) जिला स्तरीय रोगी कल्याण समिति के लिए 5 लाख रुपये और उपजिला स्तरीय रोगी कल्याण समिति के लिए एक लाख रुपये का कॉरपस अनुदान, (iii) राज्यों के विशिष्ट प्रस्तावों के अनुसार मोबाइल मेडीकल यूनिटें, (iv) एकीकृत जिला स्वास्थ्य कार्य योजना की पूर्व तैयारी, (v) प्रत्येक जिला में बेसलाइन और

सुविधा सर्वेक्षण शुरू करना ; (vi) एससी /पीएचसी /सीएचसी को सामान्य ड्रग की आपूर्ति (vii) ग्राम स्वास्थ्य एवं सफाई समितियों को मुक्त अनुदान (viii) प्रत्येक एससी को 10,000 रुपये, प्रत्येक पीएचसी को 50,000 रुपये और सीएचसी को 1 लाख रुपये वार्षिक अनुरक्षण अनुदान (ix) स्थानीय स्वास्थ्य कार्य के लिए मुक्त अनुदान के रूप में प्रत्येक एससी 10,000 रुपये प्राप्त करेगा, प्रत्येक पीएचसी 25000 रुपये प्राप्त करेगा और प्रत्येक सीएचसी 50000 रुपये प्राप्त करेगा, (x) सीएचसी का उन्नयन, (xi) प्रबंधन लागत के रूप में उस वर्ष के लिए कुल वार्षिक कार्य योजना का 6% (xii) बड़े राज्यों में 1 करोड़ रुपये और छोटे राज्यों में 50 लाख रुपये की एकमुश्त राशि वाले राज्य स्तरीय संसाधन केन्द्र (xiii) सभी पीएचसी/सीएचसी/जिला अस्पतालों को ऐम्बुलेंस (xiv) एससी/पीएचसी/जिला अस्पतालों के लिए टेलीफोन, और स्वतंत्र अभिकरणों द्वारा एनआरएचएम का समवर्ती मूल्यांकन।

3. आरसीएच फ्लेक्सिबल पूल

16.1.18 आरसीएच कार्यक्रम (चरण-I) का मूल्यांकन किया गया और आरसीएच चरण-II तैयार करते समय मुख्य-मुख्य सिफारिशों को ध्यान में रखा गया। आरसीएच कार्यक्रम के दूसरे चरण को सभी 35 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित करने के लिए दिनांक 1 अप्रैल, 2005 (2005-06 के दौरान) को शुरू किया गया और आरसीएच फ्लेक्सिबल पूल स्कीम भी वर्ष 2005-06 के दौरान शुरू की गई। संयुक्त समीक्षा मिशन के तहत इस कार्यक्रम का नियमित अंतराल पर मूल्यांकन किया जाता है।

16.1.19 इस कार्यक्रम की नई रूपरेखा की मुख्य-मुख्य विशेषताओं के अंतर्गत शामिल है :- विकेन्द्रीकृत योजना, राज्यों द्वारा फ्लेक्सिबल प्रोग्रामिंग, प्रारंभ में राज्य एवं तत्पश्चात् जिला स्तरीय पीपीपी का विकास, विकेन्द्रीकृत योजना

और कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए विभिन्न स्तरों पर क्षमता विकास, परिणाम उन्मुखीकरण, गरीबों के हित में ध्यान केन्द्रित करना, सामुदायिक आधार पर मानिट्रिंग और डोनर फंडिंग का मूल्यांकन एवं पूलिंग। आईएमएनसीआई पर अधिक जोर देने और साक्ष्य आधारित परम्परा को अपनाने के साथ-साथ आईएमआर, एमएमआर और टीएफआर कम करने के लिए तकनीकी कार्यनीतियाँ मुख्य रूप से वही हैं।

16.1.20 उपलब्ध संसाधनों पर आधारित अभिकल्पना को क्रियान्वित करने के लिए सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अपने-अपने पीआईपी तैयार करने के लिए विस्तृत दिशानिर्देशों के साथ एक पूर्व निर्धारित (स्वास्थ्य संकेतक आधारित) वित्तीय सुरक्षा प्रदान किया गया। लॉग फ्रेम का मानिट्रिंग और मूल्यांकन टूल के रूप में प्रयोग करते हुए राज्यों के परामर्श से तैयार की गई पूर्व सहमत प्रक्रिया से बचने के लिए राज्य पीआईपी का मूल्यांकन विधिवत गठित एनपीसीसी द्वारा किया गया।

16.1.21 आरसीएच-II के फ्लेक्सिबल पूल के तहत निम्नलिखित स्कीमों में शामिल हैं :

(i) संभार तंत्र सुधार, (ii) संविदा सेवाएं /परामर्श एजेंसियां, (iii) बाल स्वास्थ्य, (iv) आउटरीच सेवाएं, (v) शहरी स्लम परियोजनाएं, (vi) लोक निर्माण, (vii) मातृ स्वास्थ्य, (viii) एमटीपी सेवाएं, (ix) आरटीआई/एसटीआई रोकथाम तथा प्रबंधन, (x) रैफरल परिवहन, (xi) आरसीएच शिविर, (xii) अधिकारप्राप्त कार्य समूह (ईएजी), (xiii) बंध्याकरण के लिए क्षतिपूर्ति, (vi) एनएसवी प्रशिक्षण, (xv) जनानी सुरक्षा योजना।

16.1.22 यह राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को स्कीम आधारित कठिन नियामक आदेशों पर जोर दिए बिना आवश्यकता आधारित योजना बनाने के लिए लचीलता प्रदान करता है। बहरहाल, राज्यों को

आरसीएच-II का क्रियान्वयन करते समय भारत सरकार के दिशा-निर्देशों और अपने अपने वित्तीय एवं प्रशासनिक नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करना होता है।

4. सूचना शिक्षा एवं संचार (आईईसी)

16.1.23 संचार कार्यनीति का लक्ष्य हमारी सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था के अंतर्गत उच्च स्तर की स्वास्थ्य देख-भाल सुविधाओं और अवसर की उपलब्धता के संबंध में जागरूकता प्रदान करना और सूचनाओं का प्रचार-प्रसार करना है। इस कार्यनीति का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य खोजी व्यवहार को प्रोत्साहित करना रहा है जो जनता के रहन-सहन के संदर्भ में कारगर हो। इस कार्यनीति में स्वास्थ्य सेवाओं को प्राप्त करने वालों पर न केवल स्वास्थ्य सेवाओं के प्रयोक्ता के रूप में विचार किया गया है बल्कि सेवाओं की मांग सृजित करने में मुख्य भागीदार की दृष्टि से भी विचार किया गया है।

16.1.24 संचार कार्यनीति में मल्टी मीडिया टूल्स के माध्यम से महत्वपूर्ण स्वास्थ्य समस्याओं के संबंध में सतत व्यवहार परिवर्तन पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है। इसके अंतर्गत केवल सूचना देना और किसी विशेष स्वास्थ्य समस्या के बारे में जागरूकता पैदा करना ही पर्याप्त नहीं है। स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं की पहुँच में सुधार करने हेतु परिवर्तन पर जोर देने के लिए समाज को साधन मुहैया कराने के वास्ते जागरूकता और सूचना प्रचार-प्रसार का साधन के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए।

16.1.25 राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की कार्यान्वयन व्यवस्था के तहत आईईसी गतिविधियों की सहायता करने के लिए मानदंडों पर जोर दिया गया है। इस व्यवस्था के अंतर्गत समुदायों और मीडिया की सक्रियता के साथ-साथ अनेक गतिविधियां शामिल हैं। राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर आबंटनों को निर्धारित करने की आवश्यकता है। इसके अंतर्गत प्रति व्यक्ति दस

रुपये तक का आबंटन शामिल है जिसे तीनों स्तर पर बराबर-बराबर खर्च किया जाना चाहिए।

16.1.26 वर्ष 2008-09 के दौरान निम्नलिखित कदम उठाए गए :-

- डीएवीपी के माध्यम से सैटलाइट चैनलों पर अभियान शुरू करना
- दूरदर्शन के राष्ट्रीय और क्षेत्रीय नेटवर्क पर स्पॉट्स का प्रदर्शन
- वाल कैलेंडर 2008 का डिजाइन तैयार करना
- एनआरएचएम के मुख्य-मुख्य विषयों पर प्रिंट विज्ञापनों की डिजाइनें तैयार करना
- यूनिसेफ टेली-सीरियल शुरू करना
- एफएम चैनलों पर स्पॉट्स का प्रसारण
- नये साफ्टवेयर का निर्माण एवं डिजाइन बनाना
- विशेष विषय-वस्तु आधारित अभियान-जननी सुरक्षा योजना, सामुदायिक बीमा, पीएनडीटी, नियमित टीकाकरण, स्वास्थ्य जीवन शैली परम्पराएं
- स्वास्थ्य मेला - फीडबैक
- प्रिंट मीडिया में एनआरएचएम की सफल कहानियां।

5. कीट (वेक्टर) जनित रोग नियंत्रण

16.1.27 मलेरिया, फाइलेरिया, कालाजार, जापानी मस्तिष्क ज्वर (जेई), डेंगू और चिकनगुनिया जैसी कीट जनित बीमारियों के निवारण एवं नियंत्रण के लिए कीट जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है। इनमें से अधिकांश रोगों से महामारी फैलने की संभावना होती है और इनमें मौसम के अनुसार उतास-चढ़ाव होता रहता है। उपर्युक्त रोगों के निवारण एवं नियंत्रण के लिए तीन तरफा कार्यनीति क्रियान्वित की जा रही है, जिसके अंतर्गत : (i) रोग अन्वेषण एवं प्रबंधन, (ii)

एकीकृत कीट जनित रोग प्रबंधन (प्रेषण खतरे को कम करने के लिए) और (iii) सहायक हस्तक्षेप (व्यवहार बदलाव संदेश, सार्वजनिक निजी भागीदारी, और प्रशिक्षण, मानिट्रिंग और मूल्यांकन के माध्यम से क्षमता निर्माण)।

16.1.28 सरकार ने डेंगू और चिकनगुनिया सहित कीट जनित रोगों का समाधान करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं, जैसाकि नीचे विस्तार से बताया गया है :-

- राज्य सरकार द्वारा चिकनगुनिया के निवारण एवं नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन
- डेंगू, चिकनगुनिया एवं जेई ज्वर की बीमारियों की उन्नत किस्म की डायग्नोसिस और नियमित निगरानी के लिए 13 शीर्ष रेफरल प्रयोगशालाओं की पहचान की गई।
- एनआईवी पुणे को इन संस्थानों को आईजीएम एलिसा टेस्ट किट्स की आपूर्ति करने का कार्य सौंपा गया है।
- सेंटिनल सर्वेलेन्स हॉस्पिटलों और शीर्ष रेफरल प्रयोगशालाओं के संचालन व्यय को पूरा करने के लिए आकस्मिक अनुदान उपलब्ध कराया गया है।
- डेंगू/डीएचएफ बीमारियों के क्लीनिकल प्रबंधन संबंधी दिशा निर्देशों को राज्यों के पास व्यापक परिचालन के लिए भेजा गया है।
- स्थितियों की लगातार मानिट्रिंग
- विस्तृत दिशा निर्देशों और परामर्शों का प्रचार-प्रसार
- डेंगू, चिकनगुनिया और जेई की व्यावहारिक निगरानी के लिए 110 सेंटिनल सर्वेलेन्स अस्पतालों की पहचान की गई।
- समुदाय आधारित उपायों को अपनाने के लिए सिविल सोसाइटी संगठनों (एनजीओ/सीबीओ/

स्वसहायता समूहों), पंचायती राज संस्थाओं सहित प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अंतर-वैयक्तिक संवाद, आउटडोर पब्लिसिटी और अंतर क्षेत्रकीय सहयोग के माध्यम से गहन आईईसी/व्यवहार बदलाव संवाद गतिविधियों पर जोर दिया गया।

- प्रभावित राज्यों में लार्वानाशकों और एडल्टीसाइड्स जैसे संभार तंत्र की आपूर्ति।

16.1.29 इस विजन में एक सु-विज्ञ और स्वतः संधारणीय, स्वस्थ भारत की परिकल्पना की गई है जो उच्च स्तर की समुचित स्वास्थ्य सुरक्षा सुविधाओं के साथ-साथ कीट जनित रोगों से मुक्त हो। जब कभी भी एक निश्चित प्रतिमान के तहत कीट जनित बीमारियां संस्थानिक हो जाती है, तो रोक-थाम उपायों के एकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत लागत प्रभावी दृष्टिकोण महत्वपूर्ण ध्यान का क्षेत्र होगा। कीट जनित रोगों के रोकथाम के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों को एकीकृत दृष्टिकोण के तहत कवर किया जाएगा :-

- स्वास्थ्य कर्मियों और स्वास्थ्य स्वयं सेवियों का प्रशिक्षण
- व्यवहार बदलाव संप्रेषण
- मानिट्रिंग और निरीक्षण
- कम्प्यूटरीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली
- गुणवत्ता आश्वासन एवं गुणवत्ता नियंत्रण
- रोग विशिष्ट हस्तक्षेप

8. तपेदिक (टी.बी.) नियंत्रण

16.1.30 डाइरेक्टली ऑब्जर्वड ट्रीटमेंट शॉर्टकोर्स (डॉट्स) का प्रयोग कर संशोधित तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम को कम से कम 85% नये स्पटम पॉजिटिव रोगियों को ठीक करने और कम से कम 70% ऐसी बीमारियों का पता लगाने के उद्देश्य से क्रियान्वित किया जा रहा है। पूरे देश में मार्च 2006

से निःशुल्क टी.बी. डायग्नोस्टिक और ट्रीटमेंट सेवाओं की सुविधाएं उपलब्ध हैं।

16.1.31 शुरु से अबतक इसने 7-8 मिलियन से अधिक तपेदिक रोगियों का इलाज किया है जिसके परिणामस्वरूप 1: 4 मिलियन अतिरिक्त लोगों के जीवन की रक्षा हुई है। इसके प्रारंभ होने से पहले प्रति वर्ष 5 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु होती थी, जो इस समय घटकर 3.7 लाख प्रतिवर्ष से भी कम हो गई है। देशभर में 12,000 से अधिक प्रयोगशालाओं में डायग्नोस्टिक सुविधाएं सामान्य स्वास्थ्य सुरक्षा सुविधाओं के रूप में उपलब्ध हैं जिसे डेजिनेटिड माइक्रोस्कोपी केन्द्र के रूप में जाना जाता है। रोगीवार ड्रग बॉक्सेज में अच्छी गुणवत्ता वाले आश्वासित ड्रग निःशुल्क मुहैया कराए जाते हैं। जनवरी 2007 से इस कार्यक्रम में बाल रोगियों के अनुसार ड्रग बॉक्सेज मुहैया कराया जाना शुरू किया गया है।

16.1.32 नये संक्रमित टी.बी. मामलों की उपचार सफलता में लगातार 85% के वैश्विक मापदण्ड से अधिक वृद्धि हुई है। वर्ष 2008 में सभी स्वास्थ्य क्षेत्रों के कार्यक्रम और भागीदारों ने 66% नये संक्रमित मामलों का पता लगाया, जो 70% के वैश्विक लक्ष्य के करीब है। विश्व में जितने भी डॉट्स कार्यक्रम हैं, उनमें से यह एक है जिसके पास एनजीओ और निजी प्रेक्टिसनरों की भागीदारी के लिए प्राधिकृत निर्धारित दिशा निर्देश है। आज, इसे 2500 एनजीओ, 16,000 पीपी, 246 मेडिकल कालेजों और 150 कारपोरेट घरानों से मदद मिलती है जो डॉट सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।

16.1.33 टीबी नियंत्रण का लक्ष्य प्राप्त करने में इस कार्यक्रम के लिए एक बड़ी चुनौती मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी (एमडीआर-टीबी) है। हाल में गुजरात और महाराष्ट्र में कराए गए समुदाय आधारित ड्रग रेजिस्टेंट सर्वेलेन्स के अनुमानों के अनुसार नये मामलों में लगभग 3% एमडीआर-टीबी व्याप्त है, पूर्ण संख्या के संदर्भ में यह भार काफी महत्वपूर्ण है। ड्रग रेजिस्टेंट टीबी को और आगे बढ़ने

से रोकने का सर्वाधिक कारगर साधन आरएनटीसीपी डॉट्स के अनुरक्षण और स्तर में सुधार करना है और इससे भी अधिक महत्वपूर्ण सभी स्वास्थ्य देख-भाल सुविधाएं मुहैया कराने वालों के बीच प्रथम चरण और द्वितीय चरण के टीबी रोधी ड्रग्स के उचित प्रयोग को बढ़ावा देना है। राष्ट्रीय कार्यक्रम ने गुजरात और महाराष्ट्र में एमडीआर-टीबी के प्रबंधन के लिए डॉट्स प्लस सेवाएं शुरू की है। इन सेवाओं को 2009-10 से चरणबद्ध तरीके से देशभर के अन्य राज्यों में शुरू किया जाएगा।

वर्ष 2008-09 के लिए कार्य योजना

- टीबी नियंत्रण के लिए निश्चित वैश्विक लक्ष्यों (अर्थात् कम से कम 70% नये स्मीअर पॉजिटिव टीबी रोगों का पता लगाना और उनमें से कम से कम 85% का सफलता पूर्वक उपचार करना) को प्राप्त किया गया और इसे बनाए रखा गया।
- *बाह्य गुणवत्ता का आश्वासन* : गुणवत्ता स्तर में सुधार करने के लिए देशभर में, स्प्यूटम (कफ) माइक्रोस्कोपी के बाह्य गुणवत्ता आश्वासन को शुरू किया जा रहा है। लागू किए जा रहे प्रोटोकॉल में हाल के प्रकाशित अंतर्राष्ट्रीय दिशा-निर्देशों की सिफारिशों पर ध्यान दिया गया है और इसमें स्थल मूल्यांकन, पैनल जांच और ब्लाइंडेड क्रॉस जांच संबंधी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सभी घटक हैं।
- *टीबी एचआईवी सहयोग* : एड्स नियंत्रण के सभी आर्ट (एआरटी) केन्द्रों पर आर्ट-डॉट्स लिंकेज स्थापित किए जा रहे हैं ताकि बीमारी की गंभीर अवस्था में पहुँचे एचआईवी रोगियों को टीबी लक्षण जांच और उपचार सेवाओं का अधिकतम अवसर प्रदान किया जा सके।
- *ड्रग रेजिस्टेन्स सर्वेलेन्स* : नये मामलों और उपचार मामलों में ड्रग प्रतिरोधी शक्ति की व्याप्तता को जानने के लिए गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों में राज्यवार समुदाय आधारित

सर्वेक्षण कराया गया है। निकट भविष्य में तीन और राज्यों में इस प्रकार का सर्वेक्षण कराए जाने की योजनाएं हैं। सर्वेक्षण से रेजिस्ट्रेशन की प्रवृत्ति का निरीक्षण कर इस कार्यक्रम के प्रभाव की मानिट्रिंग करने में मदद मिलेगा।

- एमडीआर-टीवी के लिए डॉट्स प्लस सेवाएं : देशभर में चरणबद्ध तरीके से मल्टी ड्रग रेजिस्ट्रेशन टीबी के लिए डॉट्स प्लस सेवाओं के अनुपात को बढ़ाना।
- समान सेवा डिलीवरी को सुनिश्चित करने हेतु निम्नलिखित गतिविधियों पर बल दिया जाएगा:
 1. अंतःक्षेत्रक सहयोग ।
 2. चिकित्सा महाविद्यालयों की भागीदारी ।
 3. आई ई सी कार्यकलाप ।
 4. जनजातीय और अन्य उपेक्षित वर्गों के लिए सुविधाएं मुहैया कराने के लिए जनजातीय कार्ययोजना।
 - i. जनजातीय/कठिन क्षेत्रों में अतिरिक्त टीबी यूनिटों और डीएमसी का प्रावधान
 - ii. शहरी क्षेत्रों के लिए टीबीएचवी का प्रावधान
 - iii. जनजातीय क्षेत्रों में रोगियों और परिचरों के आवागमन के लिए क्षतिपूर्ति
 - iv. जनजातीय क्षेत्रों में तैनात संविदा आधारित स्टाफ को अधिक वेतन
 - v. जनजातीय क्षेत्रों में बढ़ा हुआ वाहन अनुसंधान एवं यात्रा भत्ता
 - vi. उपेक्षित वर्गों द्वारा दस्तावेज उपयोग अध्ययन

9. अंधता नियंत्रण

16.1.34 विजन 2020 संबंधी कार्यदल द्वारा इस कार्यक्रम का सितम्बर 2003 के दौरान मूल्यांकन किया गया। हाल ही में भारत में आंख देख-भाल

अवसंरचना एवं मानव संसाधन संबंधी अध्ययन कराया गया। 528 जिलों (89%) से सूचना संग्रहित की गई है। यह पाया गया कि 50% सभी आंख सुरक्षा सुविधाएं निजी क्षेत्रों में हैं जबकि 42% सभी आई बेड्स स्वैच्छिक क्षेत्र में हैं। सरकारी क्षेत्र ने 30% सुविधाएं और 28% आई बेड्स प्रदान किया है। 37% आई सर्जन सरकारी क्षेत्र में तैनात थे और शेष निजी और स्वैच्छिक क्षेत्र में थे। अध्ययन में आंख देख-भाल सुविधाओं और मानव संसाधनों में व्यापक अंतर्राज्यीय भिन्नता पाई गई। प्रत्येक राज्य के लिए जिला वार मैप चित्रण से भारत में अल्प सुविधा प्राप्त क्षेत्रों की पहचान करने और विजन 2020 के लिए राज्य/जिला विशिष्ट योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी।

वर्ष 2008-09 के लिए योजना

1. प्रति 50,000 की जनसंख्या के लिए बुनियादी जांच उपकरणों का प्रबंध करते हुए विजन केन्द्रों की स्थापना करना। इन विजन केन्द्रों को नजदीकी जिला अस्पतालों से टेली ऑफथैलमोलॉजी द्वारा जोड़ा जाएगा। विजन केन्द्रों में दो प्रशिक्षित नेत्र सहायकों की तैनाती होनी चाहिए और इसकी आउटसोर्सिंग की जानी चाहिए।
2. मांग के अनुसार पूर्वोत्तर राज्यों, बिहार, झारखंड, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और कुछ अन्य राज्यों के जिला एवं उपजिला अस्पतालों में समर्पित आई वाडर्स और आई आपरेशन थियेटर का निर्माण।
3. नये जिलों, जिला अस्पतालों और उपजिला अस्पतालों में नेत्र सर्जनों और नेत्र सहायकों की नियुक्ति।
4. उन पीएचसी/विजन केन्द्रों में नेत्र सहायकों की नियुक्ति जहां कोई न हो (वर्तमान समय में नेत्र सहायक केवल पीएचसी में उपलब्ध हैं।)

5. सरकारी क्षेत्र और एनजीओ क्षेत्र के अंतर्गत नेत्र बैंकों (आईबैंक्स) में संविदा आधार पर नेत्र दान परामर्शदाताओं की नियुक्ति।
6. लेजर तकनीक, कॉरनीयल प्रत्यारोपण, विटरियोरेन्टियल सर्जरी, बालपन अंधता उपचार के माध्यम से नेत्र रोगों (मोतियाबिंद जैसे डायबेटिक रेटिनोपैथी, ग्लौकोमा प्रबंध को छोड़कर) के प्रबंधन के लिए एनजीओ को सहायता अनुदान आदि (मोतियाबिंद/आईओएल इम्प्लान्टेशन सर्जरी के लिए प्रत्येक मामले में 750 रुपये और अन्य नेत्र रोगों के लिए प्रत्येक मामले में 1000 रुपये जैसा कि ऊपर बताया गया है। पूर्वोत्तर राज्यों, पर्वतीय और रेगीस्तानी क्षेत्रों के लिए मोतियाबिंद हेतु 850 रुपये और बड़े नेत्र रोगों के लिए प्रत्येक मामले में 1100 रुपये जैसा कि ऊपर बताया गया है।)
7. पूर्वोत्तर राज्यों में मोतियाबिंद बैकलॉग पूरा करने और अन्य नेत्र रोगों की सुरक्षा के लिए विशेष ध्यान।
8. आंख सुरक्षा की कवरेज में वृद्धि करने के लिए नेत्रविज्ञान में टेलीमेडिसिन (नेत्र सुरक्षा प्रबंध सूचना एवं संचार नेटवर्क)।
9. उन राज्यों/जिलों में जहां विटामिन ए संपूरकों की पर्याप्त आपूर्ति नहीं है, वहां बालपन अंधता पर ध्यान देने के लिए जरूरत के अनुसार डीबीसीएस कॉरपस फंड के माध्यम से विटामिन ए संपूरकों की पूर्ति करना।
10. बीमारी के लक्षण का पता लगाने और चिकित्सा प्रबंधन के लिए पूर्वोत्तर राज्यों और पर्वतीय राज्यों में चल नेत्र सुरक्षा यूनिटों का विकास।

10. कुष्ठ उन्मूलन

16.1.35 कारगर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान द्वारा कराए गए (2002, 2003 और 2004) कुष्ठ

निवारण मानिट्रिंग के माध्यम से कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम का नियमित रूप से मूल्यांकन किया जाता है। विश्व बैंक सहायता प्राप्त द्वितीय राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण परियोजना के संपर्क से कार्यक्रम की उपलब्धि की स्थिति का आकलन करने के लिए भारतीय स्वास्थ्य प्रबंधन अनुसंधान संस्थान, जयपुर द्वारा फरवरी-मई 2005 के दौरान एनएलईपी का स्वतंत्र मूल्यांकन कराया गया। यह अध्ययन 13 भिन्न-भिन्न स्थानिक राज्यों में कराया गया। इस अध्ययन के मुख्य-मुख्य निष्कर्ष निम्नलिखित हैं :

- व्यापकता मार्च 2001 में 3.74% थी जो घटकर दिसम्बर, 2004 में 1.99% हो गई, अर्थात् 47% की कमी हुई। एमबी अनुपात लगभग सभी राज्यों में बढ़ा और नये मामलों में महिलाओं का प्रतिशत 35.5 से बढ़कर 36.2% हो गया। अधिकांश राज्यों में बाल प्रतिशतता में कमी आई जो सम्प्रेषण नियंत्रण में सफलता का सूचक है। नये मामलों में ग्रेड-II की अपंगता प्रतिशत जो मार्च 2001 में 2.24% था, वह दिसम्बर, 2004 में काफी घटकर 1.5% हो गया।
- डायग्नोसिस में होने वाला 8 महीने का मामूली विलम्ब घटकर 5 महीने हो गया। 80% अधिक सुविधाओं का एकीकरण कर दिया गया था, परंतु शहरी क्षेत्रों में एकीकरण प्रक्रिया कमजोर थी। एमडीटी सेवाओं का स्तर अधिक संतोषजनक पाया गया। समग्र एमबी उपचार दर 88% था और पीबी उपचार दर 94% था। लगभग 80% सामान्य स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने कुष्ठ के संबंध में प्रशिक्षण प्राप्त किया।
- जागरूकता का स्तर उच्च था परंतु न्यूनाधिक रूप से स्थिर था। आईईसी अधिक जोखिम भरा था और समुदाय आधारित कम था। एकीकरण की अड़चनों को दूर करने में भारत सरकार और एनजीओ के बीच भागीदारी अत्यंत उपयोगी रही।

16.1.36 मुख्य-मुख्य सिफारिशें थी - (क) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर आंतरिक मॉनिटरिंग व्यवस्था सुदृढ़ की जानी चाहिए। (ख) बीमारियों के बारे में बीमारों और उनके परिवार के सदस्यों के बीच परामर्श पर जोर दिए जाने की आवश्यकता है। (ग) सामुदायिक जागरूकता फैलाने के लिए उच्च स्थानिक क्षेत्रों में लक्ष्य समूहों की पहचान की जानी चाहिए और परस्पर व्यक्तिक संवाद (आईपीसी) प्रारम्भ किया जाना चाहिए। (घ) तकनीकी सहायता टीमों को जिला न्यूकलस टीम की क्षमता निर्माण पर तीव्रता से ध्यान केन्द्रित करना चाहिए।

वर्ष 2008-09 के लिए कार्य योजना

16.1.37 अक्षमता निवारण और चिकित्सा पुनर्वासन (डीपीएमआर) - ग्यारहवीं योजना के अंतर्गत अक्षमता निवारण और चिकित्सा पुनर्वासन पर अधिक जोर देने का प्रस्ताव है। लगभग 20 चिकित्सा महाविद्यालयों/पीएमआर केन्द्रों को शामिल करते हुए पुनः सृजनात्मक सर्जरी उपलब्ध कराने वाली संस्थाओं की संख्या बढ़ाने के लिए पहले से ही कार्रवाई की जा रही है।

16.1.38 निर्धारित संस्थाओं में बड़ी शल्य चिकित्सा कराने वाले बीपीएल परिवार के प्रत्येक रोगी को 5000/- रुपये (मात्र पांच हजार रुपये) की प्रोत्साहन राशि मुहैया कराने का भी प्रस्ताव है।

16.1.39 कार्यक्रम मॉनिटरिंग : अबतक एक निश्चित क्षेत्र में उस प्रचलित दर पर अत्यधिक जोर दिया गया, जो उन्मूलन स्तर प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ थी। यह संकेतक अभी भी उन क्षेत्रों में जारी है जहां उन्मूलन अभी प्राप्त किया जाना है। स्थिति का बेहतर एपिडिमिऑलॉजिकल विश्लेषण के लिए क्रमशः वार्षिक नई रोग पहचान दर (एएनसीडीआर) पर ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है। राज्यों/जिलों को तिमाही आधार पर इस संकेतक का आंकलन करने की सलाह दी गई है।

9. एकीकृत रोग निगरानी

16.1.40 यह परियोजना केवल नवम्बर 2004 में शुरू की गई थी और इसे मार्च, 2009 तक के लिए मंजूरी दी गई है। यह परियोजना चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वित की जा रही है। अतः इस समय इस परियोजना का व्यापक गहराई से मूल्यांकन करना अनुचित होगा।

वर्ष 2008-09 के लिए कार्य योजना

- चरण-III राज्यों की 202 टीमों के प्रशिक्षण का कार्य समाप्त हो जाएगा और चरण I, II और III राज्यों में अतिरिक्त प्रशिक्षण कार्य शुरू किया जाएगा।
- 800 शहरों (राज्य मुख्यालय, जिला मुख्यालय, सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों और महत्वपूर्ण संस्थानों) के लिए ब्रॉड बैंड नेटवर्क स्थापित किया जाएगा।
- सभी जिला और राज्य प्रयोगशालाओं में सूक्ष्म जीव विज्ञानी, कीट विज्ञानी और महामारी रोग विज्ञानी उपलब्ध कराए जाएंगे।
- आईडी अस्पतालों को रोग निगरानी में शामिल किया जाएगा।
- सभी राज्यों से महामारी संभावित बीमारियों के प्रकोप के आंकड़े संग्रहित किये जाएंगे।

एनआरएचएम से बाहर की स्कीमों का ब्यौरा

1. राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम :

16.1.41 इस कार्यक्रम का समग्र लक्ष्य निवारण, देख-भाल, सहायता और उपचार हेतु कार्यक्रमों को एकीकृत कर भारत में आगामी 5 वर्षों में महामारी को रोकना और इसकी स्थिति में सुधार करना है। इसे चार महत्वपूर्ण उद्देश्यों के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा, अर्थात् :

- अत्यधिक जोखिमपूर्ण वर्गों और सामान्य जनसंख्या में नये संक्रमण की निम्नलिखित के माध्यम से रोक-थाम :
 - लक्षित बीच-बचाव के साथ अत्यधिक जोखिम पूर्ण समूहों को पूर्ण रूप से कवर करना।
 - आम लोगों में अत्यधिक बीच-बचाव
- एचआईवी/एड्स ग्रसित ऐसे रोगी जिनकी देखभाल, सहायता और उपचार किया जा रहा है, के साथ रहने वाले लोगों के अनुपात में वृद्धि करना।
- जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर निवारण, देख-भाल, सहायता और उपचार कार्यक्रमों में अवसंरचना, व्यवस्था और मानव संसाधनों को सुदृढ़ करना।
- राष्ट्रव्यापी महत्वपूर्ण सूचना प्रबंधन प्रणाली को सुदृढ़ बनाना।

16.1.42 इसका विशिष्ट उद्देश्य नये संक्रमणों को निम्नलिखित के द्वारा कम करना है :

- (i) अत्यधिक व्याप्तता वाले राज्यों में 60 प्रतिशत ताकि महामारी में सुधार किया जा सके; और
- (ii) असुरक्षित राज्यों में 40 प्रतिशत ताकि महामारी को स्थिर किया जा सके।

16.1.43 कार्यक्रम कार्यनीति के अंतर्गत एचआरजी (टीआई) और अन्य असुरक्षित लोगों अर्थात् ट्रकवालों, प्रवासियों, जेल सहवासियों, युवाओं/किशोरों, असुरक्षित बच्चों और सेक्स से सक्रिय महिलाओं और पुरुषों के लिए निवारण हस्तक्षेप शामिल है। एसटीआई सेवाओं, कंडोम्स, बीसीसी के माध्यम से और समर्थकारी वातावरण बनाकर 80% एचआरजी को कवर करने के लिए 2100 टीआई साइट्स स्थापित करने का प्रस्ताव है। इस कार्यक्रम में युवा मामले मंत्रालय, मानव

संसाधन विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, और अन्य स्वैच्छिक नेटवर्कस और युवा अनुकूल सूचना केन्द्रों के सहयोग से वर्ष 2011 तक 95% युवा लोगों को कवर करने पर विचार किया गया है। अत्यधिक जोखिमपूर्ण समूहों और अन्य असुरक्षित लोगों के लिए सेवाओं की एक पैकेज का प्रस्ताव है। इसके अंतर्गत निवारक सेवाओं अर्थात् एसटीआई का उपचार, कंडोम का प्रचार-प्रसार, एकीकृत सलाह और जांच, माता-पिता से बच्चों को संक्रमित होने से बचाना (पीपीटीसीटी), सुरक्षित ब्लड की आपूर्ति और संक्रमण नियंत्रण शामिल है।

16.1.44 जिलों की चारो श्रेणियों, अर्थात् श्रेणी ए - उच्च व्यापकता, श्रेणी बी - गहन महामारी, श्रेणी सी - असुरक्षित लोगों की अधिकता और श्रेणी डी - कम और अज्ञात दोषपूर्णता। एकीकृत सलाहकारी और जांच केन्द्रों के माध्यम से एचआरजी और अन्य असुरक्षित लोगों को लक्षित कर प्रतिवर्ष 12 मिलियन जांच की योजना बनाई गई है। संचार और सामाजिक जुटाव के माध्यम से प्रति वर्ष 3.5 बिलियन कंडोम्स के प्रयोग को बढ़ाए जाने की आशा है। इस कार्यक्रम के विभिन्न घटकों को क्रियान्वित करने के लिए संस्थागत प्रबंधन एवं क्षमता को सुदृढ़ किया जाएगा।

2. राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम

16.1.45 कैंसर भारत में मृत्यु के दस मुख्य कारणों में से एक है। यह अनुमान है कि प्रति वर्ष लगभग 7 से 9 लाख कैंसर के मामले पाये जाते हैं। एक निश्चित समय में यह अनुमान है कि इस देश में लगभग 25 लाख कैंसर के मरीज हैं। राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम के तहत जनसंख्या आधारित रजिस्टर से प्राप्त आंकड़े दर्शाते हैं कि विगत वर्षों में कैंसर के मुख्य स्थानों में परिवर्तन नहीं हुआ है, अर्थात् पुरुषों में मुख कैंसरी, फेफड़ा, ग्रासनली और पेट का कैंसर है तथा महिलाओं में गला, छाती और मुख कैंसरी है। सामान्यतः मुख और फेफड़े का कैंसर पुरुषों में पाया जाता है और गला एवं छाती का कैंसर महिलाओं में पाया जाता है,

जिससे भारत में कैंसर से मरने वालों की संख्या 50% है। डब्ल्यूएचओ ने अनुमान लगाया है कि दक्षिण पूर्व एशिया में 91 प्रतिशत मुख का कैंसर मुख्य रूप से तंबाकू के प्रयोग के कारण होता है और यह भारत में मुख के कैंसर और फेफड़े के कैंसर का मुख्य कारण है।

16.1.46 इस कार्यक्रम के तहत स्कीमों की प्रमात्रा और क्षेत्र में वृद्धि के कारण कार्यक्रम को पुनः संशोधित किया गया। संशोधित रणनीति के तहत एनसीसीपी के लक्ष्य एवं उद्देश्य निम्नलिखित हैं :-

- गला कैंसर की रोकथाम के लिए विशेष रूप से तंबाकू सेवन के खतरों और जननेन्द्रियों की साफ-सफाई की आवश्यकता के संबंध में स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से कैंसर की प्राथमिक रोकथाम।
- द्वितीयक रोक थाम, उदाहरण के लिए, स्वतः जांच प्रणाली संबंधी छान-बीन पद्धति और रोगी की शिक्षा के द्वारा गला, छाती और मुख के कैंसर की प्रारंभ में जांच और डायग्नोसिस
- वर्तमान कैंसर सुविधाओं को सुदृढ़ करना जो काफी अपर्याप्त है।
- कैंसर के अंतिम दौर में प्रशामक देख-भाल

16.1.47 संशोधित कार्यक्रम के तहत 5 स्कीमों हैं:-

- नये क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों की पहचान (आरसीसी) : नये आरसीसी के लिए 5.00 करोड़ रुपये की एक-बारगी अनुदान दिया जा रहा है।
- वर्तमान आरसीसी को सुदृढ़ बनाना : वर्तमान आरसीसी को 3.00 करोड़ रुपये का एकबारगी अनुदान दिया गया है।
- ऑनक्लॉजी विंग का विकास : सरकारी संस्थाओं (चिकित्सा कालेजों और सरकारी अस्पतालों) को अनुदान बढ़ाकर 3.00 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

- जिला कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम : 5 वर्षों की अवधि के लिए सहायता अनुदान बढ़ाकर 90.00 लाख कर दिया गया है।
- विकेन्द्रीकृत एनजीओ स्कीम : आईसीसी गतिविधियों के लिए एनजीओ को 8000/- रुपये प्रति कैंप अनुदान दिया जाएगा।

3. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम

16.1.48 अनेक मानसिक बीमारियाँ, जिनमें सिजोफ्रोनिया, बाइपोलर खराबी, ऑरगेनिक साइकोसिस और बड़े अवसाद शामिल हैं, प्रति 1000 की जनसंख्या में लगभग 20 लोगों को प्रभावित करती है। यही वह जनसंख्या है जिसे लगातार उपचार और नियमित अनुवर्ती ध्यान की जरूरत होती है। इस अनुमान के अनुसार हमारे देश में लगभग दस मिलियन लोग बिना पर्याप्त उपचार के गंभीर मानसिक बीमारी से ग्रस्त हैं। आधा से अधिक लोग बिना इलाज के ही रह जाते हैं।

16.1.49 देश भर में 16 राज्यों में 37 राज्य संचालित मनोरोग चिकित्सालय हैं, लगभग 20,000 मनोरोगियों के लिए विस्तर (मनोरोग अस्पतालों और सामान्य अस्पतालों मनोरोग यूनिट) हैं। 18,000 से अधिक मनोरोग विस्तरों में से लगभग आधे विस्तर एलएसपी (लॉग स्टे पेशन्ट्स से भरे पड़े हैं। देशभर में लगभग 3500 प्रशिक्षित मनोरोग विशेषज्ञ उपलब्ध है।

16.1.50 वार्षिक योजना 2008-09 के दौरान निम्नलिखित गतिविधियों को कवर किया जाएगा: -

- 125 नये डीएमएचपी और 100 पुराने डीएमएचपी को वित्तीय सहायता
- 2 वर्तमान मनोरोग चिकित्सालयों को उन्नत कर एनआईएमएचएएनएस के स्तर का बनाना
- 3 मनोरोग अस्पतालों को आधुनिकीकरण के लिए और 12 मेडिकल कालेजों को उनके

मनोरोग विषयक विंग के उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता

4. गोल्डन क्वाड्रैंगल/उत्तर-दक्षिण कॉरीडोर और पूर्व-पश्चिम कॉरीडोर पर ट्रॉमा केयर सुविधाएं

16.1.51 गोल्डन क्वाड्रैंगल/उत्तर-दक्षिण कॉरीडोर और पूर्व-पश्चिम कॉरीडोर स्थित 140 चिह्नित राज सरकार के अस्पतालों के ट्रॉमा देख-भाल सुविधाओं के उन्नयन के लिए एक प्रस्ताव, जिसमें कुल परियोजना लागत 732.75 करोड़ रुपये शामिल है, तैयार किया गया है, जिसका योजना आयोग द्वारा पहले ही मूल्यांकन किया जा चुका है।

16.1.52 राष्ट्रीय राजमार्गों पर ट्रॉमा देखभाल सुविधाओं की स्थापना स्कीम को आगे और समेकित किया जाएगा। पूर्वनिर्धारित एल - III और एल- II स्तरों के उन्नयन के लिए 92 संस्थाओं को निधियां जारी की जाएगी। इसके अलावा, 160 अतिरिक्त संस्थाओं की पहचान की जाएगी और एल- III और एल - II मानक स्तर तक उन्नयन के लिए निरीक्षण किया जाएगा। साथ ही साथ यह मंत्रालय संचालित ट्रॉमा केन्द्रों से हताहतों के संबंध में संग्रहित आंकड़ों को पूरा करेगा और प्रकाशित करेगा। स्कीम में और अधिक सुधार करने के लिए इस डाटा का प्रयोग किया जाएगा।

5. केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना

16.1.53 केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना भारत सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों, पेंशनरों, स्वतंत्रता सेनानियों और अन्य पात्र श्रेणियों के लिए किया गया एक कल्याणकारी उपाय है। मूल रूप से यह योजना दिल्ली में 1954 में शुरू की गई थी और तब से इसका 23 शहरों में विस्तार किया गया है। एक कल्याणकारी उपाय होने के कारण यह स्कीम सभी पात्र व्यक्तियों के लिए वरदान साबित हुआ है और इसके परिणामस्वरूप, विभिन्न हलकों अर्थात् केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य मंत्रालयों, संसद सदस्यों, कर्मचारी संगठनों, पेंशनर संघों, स्वायत्त निकायों

आदि से इस स्कीम के विस्तार की मांग हो रही है। परंतु संसाधन दबाव के कारण सरकार भावी लाभग्राहियों की मांगों को पूरा करने की स्थिति में नहीं है। तथापि, पात्र श्रेणियों को संतुष्ट करने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है।

16.1.54 किसी नये शहर में सीजीएचएस के विस्तार के लिए लाभग्राहियों के अनुरोध और वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) की स्टाफ इंस्पेक्शन यूनिट द्वारा कार्डधारकों के लिए निर्धारित मानदण्डों को ध्यान में रखते हुए चरणबद्ध तरीके से योजनाएं बनाई गई हैं।

16.1.55 वार्षिक योजना 2008-09 के दौरान निम्नलिखित कार्यकलाप कार्यान्वित किए जाएंगे

- दिल्ली से बाहर सीजीएचएस का कम्प्यूटरीकरण
- गुड़गांव औषधालय का निर्माण और भारत भर में सीजीएचएस औषधालयों के अन्य मुख्य-मुख्य निर्माण कार्य
- द्वारका और नोएडा में दो प्लाटों की सरकारी खरीद और श्रीनगर, जम्मू व कश्मीर में सीजीएचएस सुविधाओं का विस्तार
- स्वास्थ्य बीमा, सभी शहरों में विशेषज्ञों की नियुक्ति, डाक्टरों का प्रशिक्षण और कार्यशाला आदि जैसी अन्य गतिविधियां

6. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली

16.1.56 एम्स 1956 में संसद अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। इसने स्वास्थ्य विज्ञान के क्षेत्र में विशिष्ट पहचान बना ली है। चिकित्सा शिक्षा, अनुसंधान और रोगी देखभाल के क्षेत्र में इसे उत्कृष्ट केन्द्र के रूप में मान्यता प्राप्त है। पिछले वर्षों से इस संस्थान की गतिविधियों में अधिक विस्तार हुआ है। एम्स के मुख्य-मुख्य उद्देश्य और कार्य नीचे दिए गए हैं :-

- चिकित्सा और संबंधित भौतिक विषयक और जैविक विज्ञानों में स्नातक पूर्व और स्नातकोत्तर शिक्षा
- उपचर्या और दंत्य शिक्षा
- चिकित्सा शिक्षा में नवीकरण
- देश के लिए मेडिकल शिक्षक तैयार करना
- चिकित्सा एवं संबंधित विज्ञान में अनुसंधान
- स्वास्थ्य देख-भाल : निवारक, संवर्धक और सुधारात्मक, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक
- समुदाय आधारित शिक्षण एवं अनुसंधान

16.1.57 एम्स द्वारा जिन क्षेत्रों में अग्रता प्राप्त है, वे हैं : कार्डिएक कैथेटराइजेशन, हार्ट वैल्व सर्जरी, ब्रेन सर्जरी, स्पाइनल सर्जरी, घूटना प्रत्यारोपण, आई बैंकिंग, स्टीरियोटैटिक, रेडियोथेरेपी, इंडोस्कोपिक सर्जरी, प्रसव पूर्व सर्जरी, कोचलीयर इंप्लांट, हार्ट, कैडेवर, गुर्दा एवं अस्थी मज्जा प्रत्यारोपण, कोरनियल ट्रांसप्लांट सर्जरी, लेजर रिफ्रैक्टिव सर्जरी, इंडोस्कोपिक यूरीनरी और डाइजेस्टिव ट्रैक सर्जरी और कीहोल लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के लिए लेजर अनुप्रयोग।

16.1.58 कार्यकलापों को जारी रखने, सुदृढीकरण/उन्नयन एवं विस्तार, मशीनों और उपकरणों की खरीद के साथ-साथ सीएनसी टावर सेन्टर, डा. आर.पी. सेन्टर, डा. बी.आर.ए. आईआरसीएच (कैंसर अस्पताल), डा. जे.पी.एन अपेक्स ट्रॉमा सेन्टर और डेन्टल एजुकेशन सेन्टर के लिए किताबें तथा सीएनसी टावर सेन्टर, डा. आर.पी. सेन्टर, डा. बी.आर.ए. आईआरसीएच (कैंसर अस्पताल), डा. जे.पी.एन. अपेक्स ट्रॉमा सेन्टर ऐंड डेंटल एजुकेशन सेन्टर में निर्माण कार्यों के लिए तथा पेशन्ट केयर सिस्टम के कम्प्यूटरीकरण के लिए निधियों की आवश्यकता है।

7. पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़

16.1.59 स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया था और यह दिनांक 1 अप्रैल, 1967 को संसद अधिनियम (1996 का अधिनियम 51) द्वारा यह एक स्वायत्तशासी निकाय बना।

16.1.60 इस संस्थान के मुख्य-मुख्य उद्देश्य हैं :-

- (क) स्नातक पूर्व और स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा की शिक्षण प्रक्रिया विकसित करना।
- (ख) स्वास्थ्य क्रिया कलापों की महत्वपूर्ण शाखाओं में कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए उच्च स्तर की शैक्षिक सुविधाओं को एक स्थान पर एकत्रित करना और
- (ग) देश में विशेषज्ञों और चिकित्सा शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा में आत्म निर्भरता प्राप्त करना।

यह अस्पताल चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जम्मू व कश्मीर के पड़ोसी क्षेत्रों के लोगों को चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराता है।

16.1.61 वार्षिक योजना 2008-09 के दौरान निम्नलिखित कार्यकलापों को कवर किया जाएगा :

- नई पहलें
 - नेहरु अस्पताल का आधुनिकीकरण
 - अनुसंधान ब्लाक 'ए' और 'बी' का आधुनिकीकरण
 - माता और शिशु देख-रेख
 - आवासीय घरों और छात्रावासों का नवीकरण एवं निर्माण

- स्टॉर्म वाटर सीवर
- उपकरणों की खरीद
- अर्द्ध चिकित्सा संस्थान की स्थापना करना
- संस्थानों का कम्प्यूटरीकरण

8. जेआईपीएमईआर, पांडिचेरी

16.1.62 पांडिचेरी फ्रेंच कालोनी का भारत संघ में वास्तविक अंतरण के तुरंत बाद यह संस्थान 1956 में धनवंतरी मेडिकल कालेज के रूप में शुरू किया गया था। यह संस्थान पांडिचेरी विश्वविद्यालय से संबद्ध है, जिसका मुख्य उद्देश्य स्नातक पूर्व और स्नातकोत्तर स्तर पर आदर्श चिकित्सा शिक्षा उपलब्ध कराना है। तृतीयक के रूप में रोगी देखभाल और रेफरल अस्पताल मुहैया कराना तथा अनुसंधान संचालन करना है। जेआईपीएमईआर अस्पताल पांडिचेरी और तमिलनाडु के पड़ोसी जिलों के लोगों को मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध करता है। अधिकांश रोगी कमजोर सामाजिक आर्थिक स्थिति के होते हैं। यद्यपि, बाह्य रोगियों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है, तथापि भरती होने वाले रोगियों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि नहीं हुई है, क्योंकि पिछले दस वर्षों में विस्तरों में मामूली सी वृद्धि की गई है। वर्तमान में इस संस्थान में 912 बिस्तर हैं।

16.1.63 वार्षिक योजना 2008-09 के दौरान क्रियाकलापों को जारी रखने/सुदृढीकरण/उन्नयन और विस्तार, क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र (आरसीसी) स्थापित करने, अस्पतालों का आधुनिकीकरण, विस्तार परियोजनाओं (अत्यधिक विशिष्ट ब्लॉक, स्क्रीनिंग ओपीडी, जेरियाट्रिक ब्लॉक, शिक्षण संसाधन केन्द्र), सहायक सेवाओं के विस्तार के लिए निधियों की आवश्यकता है।

9. एनईआईजीआरआईएचएमएस, शिलॉंग

16.1.64 एनईआईजीआरआईएचएमएस को एम्स, नई दिल्ली और पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ की तर्ज पर स्नातकोत्तर चिकित्सा संस्थान के रूप में

डिजाइन किया गया है जिसका उद्देश्य 500 बिस्तरों वाला रेफरल अस्पताल और प्रतिवर्ष 50 विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता वाला नर्सिंग कालेज के साथ-साथ 35 विशिष्ट विषयों/अतिविशिष्ट विषयों में स्नातक स्तर पर शिक्षण की व्यवस्था करना है।

16.1.65 परिव्यय निम्नलिखित कार्यकलापों के लिए हैं :

- (क) एनईआईजीआरआईएचएमएस में चल रहे निर्माण कार्यों को पूरा करना।
- (ख) अस्पताल को पूर्णतः क्रियाशील बनाने के लिए मेडिकल उपकरणों की खरीद।

16.1.66 उपर्युक्त कार्यकलापों के अंतर्गत निर्माण कार्यों के पूरा होने पर होने वाला संभावित व्यय और उपकरणों की खरीद एवं अतिरिक्त कार्यकलाप शामिल हैं जिन्हें नीचे दर्शाया गया है।

- (i) नर्सिंग कालेजों का विस्तार
- (ii) क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों की स्थापना
- (iii) यूजी पाठ्यक्रम शुरू करना

16.1.67 परिकल्पित अनुमानों में वृद्धि वेतन डीए अनुदान, चालू भर्ती में अप्रत्याशित वृद्धि, भवनों/आधारिक संरचना के अनुरक्षण प्रावधान, एचवीएसी के लिए एएमसी, सीएमसी, लिफ्ट्स, अस्पताल के विभिन्न विभागों के लिए जरूरी निर्माण कार्य (परियोजना) में उपलब्ध न कराए गए अतिरिक्त छोटे-छोटे मूल निर्माण कार्यों के कारण है।

10. परिचर्या सेवाओं का विकास

16.1.68 परिचर्या सेवाओं के स्तर में सुधार करने के उद्देश्य से, परिचर्या सेवा विकास स्कीम के तहत निम्नलिखित कार्य कलाप कार्यान्वित किए जा रहे हैं :-

- दाइयों (नर्सों) का प्रशिक्षण
- वर्तमान परिचर्या (नर्सिंग) स्कूलों/कालेजों का सुदृढीकरण
- एक बारगी अनावर्ती सहायता मुहैया कराकर मेडिकल कालेजों से संबद्ध नर्सिंग स्कूलों का नर्सिंग कालेजों के रूप में उन्नयन
- नौवीं योजना के दौरान खोले गए नर्सिंग स्कूलों को आवर्ती सहायता मुहैया कराना
- जेआईजीएमईआर, पांडिचेरी में नर्सिंग कालेज की स्थापना
- प्रतिष्ठित केन्द्र के रूप में आर.एन.के नर्सिंग कालेज का सुदृढीकरण
- नर्सिंग स्कूलों का डा. आर. एम. एल. अस्पताल, एस. जे. अस्पताल और लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज, नई दिल्ली से संबद्ध नर्सिंग कालेजों के रूप में उन्नयन
- नर्सों के लिए नैशनल फ्लोरेन्स नाइटिंगल एवार्ड

16.1.69 वार्षिक योजना के दौरान निम्नलिखित कार्यकलाप कार्यान्वित किए जाएंगे :-

- नर्सों का प्रशिक्षण
- नर्सिंग संस्थाओं का सुदृढीकरण/उन्नयन
- नौवीं योजना के दौरान खोले गए नर्सिंग स्कूलों को आवर्ती सहायता
- नर्सों के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेन्स नाइटिंगल एवार्ड

11. प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई)

16.1.70 भारत सरकार ने इस योजना का आरम्भ वहनीय / भरोसेमंद तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं की उपलब्धता में क्षेत्रीय असंतुलन को सुधारने और साथ ही देश में गुणवत्तायुक्त चिकित्सा शिक्षा सुविधाओं को बढ़ाने के उद्देश्य से किया था। पीएमएसएसवाई स्कीम में दो घटक हैं—

- (क) एम्स जैसे 6 नए संस्थानों की सस्थापना
- (ख) 13 चिकित्सा महाविद्यालयों को उन्नत कर एम्स के स्तर का बनाना।

16.1.71 एम्स के स्तर का बनाने के लिए निम्नलिखित 13 चिकित्सा संस्थानों की पहचान पहले ही की जा चुकी है।

1. शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, जम्मू (जम्मू एवं कश्मीर)
2. शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, श्रीनगर (जम्मू एवं कश्मीर)
3. कोलकाता चिकित्सा महाविद्यालय, कोलकाता (पश्चिम बंगाल)
4. एसजीपीजीआई ऑफ मेडिकल साइंस, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)
5. इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंस, बीएचयू, वाराणसी (उत्तर प्रदेश)
6. निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)
7. श्री वैक्टेश्वर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, तिरुपति, (आंध्र प्रदेश) (उन्नयन की 50 प्रतिशत लागत टीटीडी ट्रस्ट द्वारा वहन की जाएगी)
8. शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, सेलम (तमिलनाडु)
9. राजेन्द्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़, रांची (झारखंड)
10. बी जे चिकित्सा महाविद्यालय, अहमदाबाद (गुजरात)
11. बेंगलोर चिकित्सा महाविद्यालय, बेंगलौर (कर्नाटक)
12. ग्रांट चिकित्सा महाविद्यालय और सर जे.जे. ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, मुम्बई (महाराष्ट्र)
13. चिकित्सा महाविद्यालय, तिरुवनन्तपुरम (केरल)

16.1.72 राज्यों ने एम्स के समान 6 संस्थाओं के लिए 100 एकड़ भूमि मुहैया करायी है। सभी स्थलों पर बाउंडरी वाल का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। निर्माण पूर्व सर्वेक्षण और पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) कार्य चल रहा है। वर्तमान में स्वरूप संकल्पना और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) बनाने के लिए परामर्शदाताओं की नियुक्ति कार्य चल रहा है। 13 सरकारी मेडिकल कालेजों के उन्नयन के मामले में अत्यधिक विशिष्ट ब्लॉकों का निर्माण कार्य मई, 2007 से शुरू किया जाएगा। 11वीं योजना के दौरान मेडिकल संस्थाओं के उन्नयन के लिए सामान्य उपकरणों की खरीद की योजना बनाई गई है।

12. नई पहलें

1. राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम

16.1.73 भारत में प्रति वर्ष अधिक संख्या में ऐसे नये रोगियों के बारे में सूचना है जिनके गुर्दा, कलेजा, हृदय, फेफड़ा, पैक्रियाज और कोर्निया जैसे अंग खराब हो जाते हैं। अधिकांश मामलों में रोगी संबंधित अंग खराब हो जाने से मर जाते हैं, न कि उससे उत्पन्न बीमारी से। इस समस्या के समाधान के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निवारक, सुधारात्मक और शैक्षिक कार्यनीतियां अपनाई जाएंगी।

16.1.74 वर्ष 2008-09 के दौरान नई दिल्ली स्थित सफदरजंग अस्पताल और डा. आरएमएल अस्पताल में गुर्दा प्रत्यारोपण सुविधा स्थापित की जाएगी।

2. फ्लूरोसिस के निवारण और नियंत्रण के लिए कार्यक्रम

16.1.75 फ्लूरोसिस एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है। काफी समय से यह पेयजल, खाद्य उत्पादों और औद्योगिक प्रदूषकों के माध्यम से अधिक मात्रा में फ्लूराइड ग्रहण करने से होता है। देश में फ्लूरोसिस के निवारण और नियंत्रण के लिए एक कार्यक्रम पर विचार किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जिला स्तर पर पेयजल के सभी

स्रोतों, फ्लूअराइड से भरपूर खाद्य पदार्थों और औद्योगिक प्रदूषित पदार्थों के अंतर्ग्रहण में फ्लूअराइड की मात्रा की जांच करना और फ्लूअरोसिस से संबंधित विभिन्न ग्रामीण विकास विभागों/मंत्रालयों, राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन, शिक्षा एवं सामाजिक न्याय और अधिकारिता, एनआईसीडी में की जा रही गतिविधियों में समन्वय स्थापित करना है। सभी स्तरों पर स्वास्थ्य एवं एफडब्ल्यू मंत्रालय विस्तृत आईईसी सामग्री विकसित करेगा।

16.1.76 इस कार्यक्रम के तहत कार्यनीतियां हैं : पेयजल, खाद्य उत्पादों और औद्योगिक उत्सर्जन में फ्लूअराइड स्तर का सर्वेक्षण कराना और जिला मेडिकल एवं पैरामेडिकल कार्मिकों का प्रशिक्षण। प्रस्तावित क्रियाकलाप गांव स्तर से लेकर पीएचसी, सीएचसी, ब्लॉक, जिला, राज्य एवं केन्द्र स्तर तक किए जाएंगे। कार्यक्रम क्षेत्र के प्रत्येक जिलों में पानी, भोजन और खून के फ्लूराइड की जांच करने के लिए फ्लूअराइड जांच प्रयोगशालाएं स्थापित करने का प्रस्ताव है।

वर्ष 2008-09 के लिए कार्य योजना

- दस जिलों में फ्लूअरोसिस मामलों की पहचान करने, फ्लूअराइड स्तर के लिए जल की जांच करने, आहार ग्रहण प्रक्रिया और खाद्य पदार्थों के फ्लूअराइड तत्वों की पहचान करने के लिए सर्वेक्षण कराना।
- दस जिलों में फ्लूअरोसिस की प्रारंभिक जांच के लिए मेडिकल डाक्टरों और पैरा मेडिकल डाक्टरों को प्रशिक्षण देना
- समुदाय के बीच व्यवहार परिवर्तन और जागरूकता के लिए आईईसी सामग्री विकसित करना
- जिला स्तर पर समन्वय बैठकें बुलाना
- आपरेशन रीसर्च और प्रभाव मूल्यांकन कराना

3. नर्सिंग स्कूलों का सुदृढीकरण/उन्नयन

16.1.77 राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ने प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की नर्सों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर विशेष ध्यान देते हुए अतिरिक्त मानव संसाधन आवश्यकताओं का सुस्पष्ट तीरके से उल्लेख किया है। ग्यारहवीं योजना में स्वास्थ्य क्षेत्र में मानव संसाधन विकास पर अधिक ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है। आवश्यक संस्थागत ढांचे का निर्माण कर नर्सिंग सेवाओं को सुदृढ किया जाएगा जिसके लिए 2900.00 करोड़ रुपये का आवंटन पहले ही किया जा चुका है। वार्षिक योजना 2008-09 के दौरान निम्नलिखित कार्यकलाप कवर किए जाएंगे :-

- उत्कृष्ट केन्द्र की स्थापना
- एएनएम स्कूल खोलना
- जीएनएम स्कूल खोलना
- राज्य नर्सिंग परिषदों को सुदृढ करना
- राज्य स्तर पर नर्सिंग प्रकोष्ठों को सुदृढ करना
- नर्सिंग कालेजों की स्थापना

4. अर्द्ध चिकित्सा संस्थाओं की स्थापना

16.1.78 बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सुयोग्य पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स तैयार करने के उद्देश्य से यह प्रस्ताव है कि दो राष्ट्रीय पैरामेडिकल विज्ञान संस्थान स्थापित किए जाएं एक उत्तर भारत में नजफगढ़, नई दिल्ली में और दूसरा दक्षिण भारत में सीएलटीआरआई, चेंगलपट्टु, तमिलनाडु में। इन प्रत्येक संस्थानों के साथ उत्तर में 3 क्षेत्रीय संस्थान और दक्षिण में 3 संस्थान संबद्ध किए जाएंगे।

5. वृद्ध व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य देख-भाल कार्यक्रम

16.1.79 भारत सहित विशेष रूप से विकासशील देशों में 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों की

संख्या तेजी से बढ़ रही है। यह अनुमान है कि इस समय पूरी दुनिया में 600 मिलियन लोग 60 और इससे अधिक की उम्र के हैं। सबसे अधिक वृद्ध (80 वर्ष से अधिक की उम्र के) व्यक्तियों की संख्या में इससे भी अधिक वृद्धि होने की संभावना है, जिनकी संख्या वर्ष 2005 में 86 मिलियन थी जो 2050 में बढ़कर 394 मिलियन होने की संभावना है। विश्व की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश भारत में 60 और इससे अधिक की उम्र वाले 76.6 मिलियन लोग (2001 की जनगणना) हैं जो इसकी पूरी जनसंख्या का लगभग 7.7% हैं। वर्ष 2020 तक जीवन प्रत्याशा 70 वर्ष से ऊपर होने वाली है।

16.1.80 वृद्ध व्यक्तियों के स्वास्थ्य के लिए निवारक, सुधारात्मक और पुनर्वास सेवाओं के साथ-साथ व्यापक देखभाल की जरूरत है। विकसित राज्यों से भिन्न भारत में वृद्ध व्यक्तियों के लिए सुगठित स्वास्थ्य सेवाएं नहीं हैं, इस कारण वृद्ध व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य देख-भाल प्रदान करने की तदर्थ प्रणाली है। इस परिदृश्य में, वृद्ध व्यक्तियों के लिए विशिष्ट स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता है, जो वृद्ध व्यक्तियों की असुरक्षित लोगों के रूप में पहचान करती हो। इस सेवा को चाहिए कि उन्हें शिक्षित करे, विकसित करे और उस जीवन शैली को बनाए रखें जो स्वस्थ हो। इसे बीमार वृद्ध व्यक्तियों की आवश्यकताओं की देख-भाल करने के लिए सलहकारी और मेडिकल देखभाल सुविधाएं और बीमारी की अंतिम स्थिति में उनके पास पहुँचाने और उन्हें अस्पतालों तक पहुँचाने के लिए आपात सुविधा अवश्य मुहैया करानी चाहिए। इसके अंतर्गत बहुत अधिक देखभाल, दीर्घकालिक देखभाल और समुदाय आधारित पुनर्वास शामिल होना चाहिए।

16.1.81 यह प्रस्ताव एक ऐसी सेवा की रूप-रेखा प्रस्तुत करता है जिसका उद्देश्य दो नेशनल इंस्टिट्यूट का एक उत्तर में और दूसरा दक्षिण में विकास कर जरूरतमंद वृद्ध व्यक्तियों को व्यापक जेरिएटिक स्वास्थ्य देखभाल मुहैया कराना, गुणवत्तापूर्ण जेरिएटिक देखभाल करने वालों को प्रशिक्षण देना और वृद्ध रोग विज्ञान में उच्च स्तर के

अनुसंधान को बढ़ावा देना है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है :

1. निवारक, सुधारात्मक और पुनर्वासन सेवाओं के माध्यम से वृद्ध व्यक्तियों को व्यापक स्वास्थ्य देख-भाल मुहैया कराना।
2. सहायक देखभाल और पुनर्वासन के साथ-साथ वृद्ध रोग विज्ञान में स्वास्थ्य व्यवसायियों को प्रशिक्षित करना।
3. वृद्ध रोग विज्ञान में अनुसंधान के माध्यम से वृद्ध व्यक्तियों की विशिष्ट स्वास्थ्य समस्याओं का वैज्ञानिक समाधान विकसित करना।

16.1.82 वार्षिक योजना 2008-09 के दौरान निम्नलिखित कार्यकलापों को कवर किया जाएगा :

- एनआईए (2) की स्थापना
- मोबाइल यूनिटों के साथ-साथ वृद्ध व्यक्तियों के लिए सामुदायिक आउटरीच कार्यक्रम
- प्रशिक्षण
- अनुसंधान
- सूचना, शिक्षा और अनुसंधान

16.1.83 स्वास्थ्य अनुसंधान सहित स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के लिए विस्तृत स्कीम-वार परिव्यय संलग्नक 16.1.1 में दर्शाया गया है। 2008-09 के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत अनुदान आबंटन का राज्य-वार ब्यौरा संलग्नक 16.1.2 पर है।

संलग्नक 16.1.1

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग स्वास्थ्य क्षेत्र और एनआरएचएम वर्ष 2007-08 के लिए अनुमोदित परिव्यय और संशोधित परिव्यय तथा वर्ष 2008-09 के लिए अनुमोदित परिव्यय को दर्शानेवाला विवरण

(करोड़ रुपये)

क्र.सं.	स्कीमों/संस्थाओं का नाम	वार्षिक योजना	वार्षिक योजना	वार्षिक योजना
		2007-08 (ब.अ.)	2007-08 (सं.अ.)	2008-09 (ब.अ.)
		कुल	कुल	कुल
	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग			
क	केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें	2046.01	1387.30	1942.00
1	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	304.01	249.91	350.00
2	निरीक्षण समिति	600.00	0.00	100.00
3	संचरण रोग नियंत्रण संस्थान का सुदृढीकरण	32.85	41.00	50.00
4	अस्पतालों और औषधालयों का सुदृढीकरण	100.00	135.70	150.00
5	चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान का सुदृढीकरण	352.00	331.31	190.00
6	आपात चिकित्सा राहत/आपदा प्रबंधन सहित प्रणाली का सुदृढीकरण	50.70	51.78	55.00
7	प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना	150.00	90.00	490.00
	सीएस के तहत नई पहलें	456.45	487.60	557.00
8	एनआरएचएम के साथ अग्रगामी संपर्क (एनई में नई पहलें)**	1.00	1.00	60.00
9	राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र	1.00	1.00	3.00
10	राष्ट्रीय सलाहकार मानक बोर्ड	1.00	1.00	2.00
11	राष्ट्रीय रक्त एवं रक्त उत्पाद कार्यक्रम	0.00	0.00	2.00
12	अस्पतालों/संस्थाओं का पुनर्विकास	453.45	484.60	550.00
ख	केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रम	11828.99	11112.70	13638.00
1	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम)	10585.99	9918.70	11580.00
2	एसटीडी नियंत्रण सहित राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम	815.00	953.89	1100.00
3	कैंसर नियंत्रण	180.00	99.00	150.00
	राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम	140.00	70.00	120.00
	तंबाकू नियंत्रण	40.00	29.00	30.00
4	राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम	70.00	38.00	70.00
5	क्षमता निर्माण (ट्रॉमा देखभाल) के लिए राज्यों को सहायता	42.73	39.00	121.00
6	ड्रग और पीएफए नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता	52.27	32.25	45.00
	सीएसएस के तहत नई पहलें	83.00	31.86	572.00
7	टेली मेडिसीन	15.00	11.18	15.00

क्र.सं.	स्कीमों/संस्थाओं का नाम	वार्षिक योजना 2007-08 (ब.अ.)	वार्षिक योजना 2007-08 (सं.अ.)	वार्षिक योजना 2008-09 (ब.अ.)
		कुल	कुल	कुल
8	राष्ट्रीय डायबिटीज, कार्डियोवैस्क्यूलर निवारण व नियंत्रण कार्यक्रम	17.58	5.00	30.00
9	वृद्ध व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल स्कीम	1.00	1.00	5.00
10	जिला अस्पताल	35.00	0.00	75.00
11	मानव स्वास्थ्य संसाधन	2.00	2.00	373.00
12	स्वास्थ्य बीमा (शहरी स्वास्थ्य मिशन)	0.00	0.00	50.00
13	पायलट परियोजनाएं	12.42	12.68	24.00
	स्पोर्ट्स मेडिसीन	1.00	1.00	2.00
	बहरापन	5.42	5.68	10.00
	लिटोसपायरोसिस नियंत्रण	1.00	1.00	1.00
	मानव रेबिज नियंत्रण	1.00	1.00	2.00
	चिकित्सा पुनर्वासन	1.00	1.00	0.00
	अंग प्रत्यारोपण	1.00	1.00	4.00
	ओरल हेल्थ	1.00	1.00	3.00
	फ्लूओरोसिस का निवारण व नियंत्रण	1.00	1.00	2.00
ग	स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग	0.00	0.00	420.00
	सकल जोड़ (क+ख+ग)	13875.00	12500.00	16000.00

* पूर्वोत्तर के लिए निर्धारित 10% आबंटन से - जो विभिन्न स्कीमों से प्राप्त होगा

संलग्नक 16.1.2

एनआरएचएम के तहत 2008-09 के दौरान राज्यवार अनुदान आबंटन

(लाख रुपये में)

	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एनआरएचएम कुल निधि (केन्द्रीय हिस्सा)
1	आंध्र प्रदेश	59743.36
2	बिहार	69526.30
3	छत्तीसगढ़	22361.18
4	गोवा	1241.77
5	गुजरात	38273.04
6	हरियाणा	15184.25
7	हिमाचल प्रदेश	7102.93
8	जम्मू एवं कश्मीर	9060.64
9	झारखंड	27034.33
10	कर्नाटक	42465.56
11	केरल	23510.80
12	मध्य प्रदेश	57565.11
13	महाराष्ट्र	70167.40
14	उड़ीसा	33810.20
15	पंजाब	17324.30
16	राजस्थान	53532.54
17	तमिलनाडु	46819.38
18	उत्तर प्रदेश	148037.35
19	उत्तरांचल	9236.61
20	पश्चिम बंगाल	60385.32
	कुल - अन्य राज्य	812382.37
1	अरुणाचल प्रदेश	4594.86
2	असम	58274.34
3	मणिपुर	6261.85
4	मेघालय	6066.52
5	मिजोरम	3787.69
6	नागालैंड	5357.40
7	सिक्किम	2332.25
8	त्रिपुरा	7700.60
	कुल पूर्वोत्तर क्षेत्र	94375.51
	कुल -सभी राज्य	906757.88
	विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र	
1	दिल्ली	8521.11
2	पांडिचेरी	1038.61
	कुल - विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र	9559.72

	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एनआरएचएम कुल निधि (केन्द्रीय हिस्सा)
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप	1083.25
2	चंडीगढ़	776.69
3	दादर व नगर हवेली	400.18
4	दमन एवं दीव	356.85
5	लक्षद्वीप समूह	247.90
		2864.87
	कुल - संघ राज्य क्षेत्र	12424.59
	सकल योग	919182.47

स्रोत : भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

16.2 आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध व होम्योपैथी (आयुष)

प्रस्तावना

16.2.1 आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध व होम्योपैथी (आयुष) विभाग, जिसे पहले आईएसएम ऍंड एच विभाग के रूप में जाना जाता था, की स्थापना 1995 में की गई जिसका उद्देश्य भारतीय जनता की अपूरित स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करने के लिए आयुष स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करना और इस चिकित्सा प्रणाली को मुख्य धारा में लाना है।

16.2.2 भारत में और कई विकसित देशों में भी स्वास्थ्य की कामना करने वाले लोगों के संबंध में कराए गए व्यवहार अध्ययनों से पता चलता है कि 40 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या अपनी स्वास्थ्य सुरक्षा आवश्यकताओं हेतु पारंपरिक औषधि प्रणालियों की सहायता चाहती है। अतः चिकित्सा बहुलवाद उपभोक्ता व्यवहार की एक नई सामाजिक विशेषता है। एक ही चिकित्सा पद्धति से कई पद्धतियों में अंतरण होने का कारण उपभोक्ताओं में यह स्पष्ट हो जाना है कि कोई भी एक ही चिकित्सा प्रणाली उनकी सभी स्वास्थ्य आवश्यकताओं का हल नहीं है। चिकित्सा बहुलवाद के उभरते हुए युग में आयुष क्षेत्रक की महत्वपूर्ण भूमिका है।

वार्षिक योजना, 2007-08 की समीक्षा

16.2.3 वर्ष 2007-08, 11वीं योजना का प्रथम वर्ष होने के कारण बहुत ही चुनौतीपूर्ण वर्ष रहा। 11वीं योजना में कई नई केन्द्रीय क्षेत्रक व केन्द्र प्रायोजित स्कीमें शुरू की गई हैं। वर्ष 2007-08 में बजट अनुमान (बीई) 488 करोड़ रुपये व आरई 390 करोड़ रुपये था। वास्तविक व्यय 383.36 करोड़ रुपये था। महत्वपूर्ण केन्द्र प्रायोजित स्कीमों/केन्द्रीय क्षेत्रक के अंतर्गत निष्पादन निम्नानुसार है :

केन्द्र प्रायोजित स्कीमें

1. आयुष को बढ़ावा देना

16.2.4 आयुष को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित तीन उप स्कीमें हैं।

(क) संस्थानों का विकास

अवसंरचना के सुदृढीकरण, क्षमता निर्माण और आयुष के शिक्षा स्तरों को बढ़ाने के लिए यूजी/पीजी मॉडल कालेजों को सहायता उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2007-08 में 47.00 करोड़ रुपये के परिव्यय सहित, वास्तविक व्यय 43.37 रु0 था।

(ख) अस्पताल और औषधालय

वर्ष 2007-08 में 120.00 करोड़ रु0 के परिव्यय सहित वास्तविक व्यय 128.78 करोड़ रु0 था। राज्यों को चिकित्सा कालेजों/जिला अस्पतालों में आयुष शाखाएं खोलने और सीएचसी/पीएचसी स्तर पर विशिष्ट क्लीनिक खोलने तथा अस्पतालों व औषधालयों में आयुष की अनिवार्य औषधियों के प्रावधान हेतु सहायता उपलब्ध कराने के लिए इसे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में शामिल कर लिया गया है।

(ग) औषधि गुणवत्ता नियंत्रण

राज्यों को एएसयू एवं एच तंत्र के प्रवर्तन के सुदृढीकरण आयुष औषधि उद्योग को इन-हाउस गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं की स्थापना और डब्ल्यूएचओजीएमपी मानकों के अनुसार अपनी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सहायता के प्रावधान हेतु 10.00 करोड़ रु0 का परिव्यय। वर्ष 2007-08 में वास्तविक व्यय 15.90 करोड़ रु0 था।

2. विशिष्ट क्लीनिक/आईपीडीज की स्थापना हेतु सार्वजनिक-निजी भागीदारी

16.2.5 वर्ष 2007-08 में 5.00 करोड़ रु0 का परिव्यय होने पर भी वास्तविक व्यय शून्य था। यह सार्वजनिक निजी भागीदारी स्कीम, ख्याति प्राप्त

आयुष संस्थानों द्वारा विद्यमान आयुष अस्पतालों में विशिष्ट क्लीनिक/आईपीडीज स्थापित करने के लिए तैयार की गई है। यह महसूस किया गया है कि ख्याति प्राप्त आयुष संस्थानों को शामिल किए बिना, सरकारी अस्पतालों/आयुष संस्थानों में आयुष क्षेत्रक में द्वितीयक एवं तृतीयक स्तर की नैदानिक सुरक्षा और अनुसंधान के स्तरों का उन्नयन संभव नहीं होगा।

केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमें

1. प्रणालियों का सुदृढीकरण

16.2.6 आयुष विभाग, सांविधिक संस्थानों, अस्पतालों और औषधालयों के सुदृढीकरण, फार्माकॉपीअॅल प्रयोगशालाओं, आईसी के सुदृढीकरण और अन्य कार्यक्रमों तथा स्कीमों को " प्रणाली सुदृढीकरण" में मिला दिया गया है। वर्ष 2007-08 में, बजट अनुमान (बीई) 31.48 करोड़ रु था और वास्तविक व्यय 16.27 करोड़ रु था।

2. शैक्षिक संस्थान

16.2.7 वर्ष 2007-08 में बजट अनुमान (बीई) 89.02 करोड़ रु था और वास्तविक व्यय 55.06 करोड़ रु था।

3. औषधीय पादपों सहित अनुसंधान एवं विकास

16.2.8 इस स्कीम के अंतर्गत केन्द्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसंधान परिषद, यूनानी औषधि, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, होम्योपैथी, एक्स्ट्रा म्युअॅरल अनुसंधान, आयुष बौद्धिक सम्पदा अधिकार संबंधी पेटेंट सेल, आयुष प्रणाली के उपयोग और उनकी स्वीकार्यता संबंधी सर्वेक्षण और राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड की स्थापना को, शामिल किया गया है। वर्ष 2007-08 में, बजट अनुमान (बीई) 143.95 करोड़ रु था और वास्तविक व्यय 118.19 करोड़ रु था।

16.2.9 औषधीय पौधों के संरक्षण, विकास और संधारणीय प्रबंधन हेतु राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड के गठन और औषधीय पौधों की खेती, प्रसंस्करण तथा विपणन संबंधी स्कीम के लिए 80.00 करोड़ रु का परिव्यय था। वित्तीय आबंटन के लिए इस स्कीम के उप घटक हैं : 75,000 हेक्टेयर से अधिक में प्राथमिकता प्राप्त औषधीय पौधों की किस्मों की खेती, 50 लाख पौध तैयार करना, प्राथमिकता प्राप्त औषधीय पौधों की किस्मों संबंधी पौध सामग्री की खेती हेतु केन्द्रीकृत बीज केन्द्र और नर्सरी की स्थापना करना, देश के छः कृषि जलवायु संबंधी क्षेत्रों में औषधीय पादप क्षेत्रों की स्थापना करना, और योजना निर्माण तथा विपणन सहायता के लिए बाजार विकास सहायता निधि। वर्ष 2007-08 में वास्तविक व्यय 50.15 करोड़ रु था।

4. एचआरडी (प्रशिक्षण कार्यक्रम/अध्येतावृत्ति/एक्सपोजर विजिट/दक्षताओं का उन्नयन)

16.2.10 वर्ष 2007-08 में बजट अनुमान (बीई) 3.00 करोड़ रु था और वास्तविक व्यय 1.94 करोड़ रुपये था।

5. पाण्डुलिपियों एवं आयुष आईटी नेटवर्क का कैटलॉग बनाना, डिजीटलीकरण

16.2.11 वर्ष 2007-08 में बजट अनुमान (बीई) 2.25 करोड़ रुपये था और वास्तविक व्यय 2.00 करोड़ रु था।

6. अंतरराष्ट्रीय सहयोग

16.2.12 वर्ष 2007-08 में, बजट अनुमान (बीई) 4.00 करोड़ रु था और वास्तविक व्यय 1.18 करोड़ रु था।

7. आयुष उद्योग का विकास

16.2.13 वर्ष 2007-08 में बजट अनुमान (बीई) 27.30 करोड़ रु और वास्तविक व्यय केवल 0.13 करोड़ रु था।

8. आयुष के अंतर्गत स्थानीय स्वास्थ्य परंपराओं/प्रसूति विद्या इत्यादि में लगे हुए गैर-सरकारी संगठनों का वित्त पोषण

16.2.14 वर्ष 2007-08 में बजट अनुमान (बीई) 5.00 करोड़ ₹ था और वास्तविक व्यय केवल 0.54 करोड़ ₹ था।

मुख्य उपलब्धियां

16.2.15 निम्नलिखित मुख्य उपलब्धियां वर्ष 2007-08 के दौरान हुईं

- संविदात्मक कृषि स्कीम के अंतर्गत एनएमपीबी द्वारा लगभग 1129 परियोजनाएं संस्वीकृत की गई हैं।
- आयुष प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली और इंदौर में आरोग्य का आयोजन किया गया।
- आयुर्वेद की पंचकर्म/क्षार सूत्र चिकित्सा अथवा यूनानी औषधि की रेजीमेंटल चिकित्सा अथवा सिद्ध अथवा योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अथवा होम्योपैथी संबंधी अस्पताल में भर्ती करने की सुविधा सहित 30 विशिष्ट चिकित्सा केन्द्रों की स्थापना की गई थी।
- आईएसएम एवं एच के 251 विशिष्ट क्लीनिक अर्थात् प्रणाली विशिष्ट बाह्य उपचार केन्द्रों की स्थापना की गई थी।
- जिला एलोपैथिक अस्पतालों में आईएसएम एवं एच की 22 शाखाएं-आईएसएम एवं एच की एक अथवा दो प्रणालियों की आउटडोर और इनडोर सुविधा उपलब्ध कराई गई थी।
- राज्य के ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्र के औषधालयों में अनिवार्य औषधियों की पूर्ति की गई।
- राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं/ फार्मसी/ प्रवर्तन मेकेनिज्म/जीएमपी अनुपालन एककों के सुदृढीकरण हेतु 8 डीटीएलज एवं फार्मसी को सहायता अनुदान दिया गया था।
- सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों जैसे स्लम/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों में 8 कैम्प निःशुल्क आयोजित किए गए हैं।
- पुनः अभिमुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।
- मई, 2007 में 16 ईएसआई औषधालयों में योग का निवारक सुरक्षा एकक आरंभ किया गया।
- पूर्वोत्तर क्षेत्रों में प्राकृतिक चिकित्सा पर 121 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे।
- स्वास्थ्य शिक्षा, जागरूकता और आम जनता, महिलाओं व विद्यार्थियों के प्रशिक्षण संबंधी 669 प्राकृतिक चिकित्सा कार्यक्रम आयोजित किए गए।
- सीसीआरएएस द्वारा जनजातीय स्वास्थ्य सुरक्षा अनुसंधान कार्यक्रम के अंतर्गत 17,446 जनता कवर की गई।
- तीन बीमारियों नामतः, रूमटाइड अर्थराइटिस, एकजिमा और सोराइसिस पर किए गए नैदानिक परीक्षणों को समेकित किया गया और सीसीआरएएस द्वारा सफल कहानियों के रूप में इनका प्रकाशन किया गया।
- सीसीआरएएस के चल नैदानिक अनुसंधान कार्यक्रम के अंतर्गत 13,140 मरीज पंजीकृत किए गए।
- 3720 स्कूली बच्चों की जाँच की गई।
- सीसीआरएएस के औषधि अनुसंधान कार्यक्रम में पाँच अनुसंधान पत्र प्रकाशित किए गए।
- भारतीय यूनानी फार्माकोपिआ-खंड- III और IV प्रकाशित किए गए। पांचवा खंड संकलित किया जा रहा है।
- किताब-अल-हवी के दो खंड प्रकाशित किए गए।

- मैग्जानुल मुफरादात-वमुरक्कबत और मदन-उल-अकसिर किताबे प्रकाशित की गई। सीसीआरयूएम द्वारा पाँच अनुसंधान पत्र प्रकाशित किए गए।

वार्षिक योजना 2008-09

16.2.16 वर्ष 2008-09 के लिए अनुमोदित बजट 534 करोड़ रु0 है। केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत विभाग के लिए 250 करोड़ रु0 और केन्द्रीय क्षेत्रक के लिए 284 करोड़ रु0 का आवंटन किया गया है। स्कीमवार ब्यौरा संलग्नक 16.2.1 में दिया गया है।

केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमें

प्रणाली सुदृढीकरण

16.2.17 चालू स्कीमों नामतः आयुष विभाग, सांविधिक संस्थानों, अस्पतालों और औषधालयों के सुदृढीकरण, फार्माकॉपीअल प्रयोगशालाओं, आईईसी और अन्य कार्यक्रमों तथा स्कीमों को " प्रणाली सुदृढीकरण" में मिला दिया गया है। वार्षिक योजना 2008-09 में 47.59 करोड़ रु0 का प्रावधान किया गया है।

शैक्षणिक संस्थाएं

16.2.18 इन प्रणालियों के उचित विकास के लिए प्रत्येक प्रणाली का एक अलग राष्ट्रीय संस्थान होना आवश्यक है। विद्यमान संस्थानों के अतिरिक्त, आयुष विभाग ने पूर्वोत्तर में स्वास्थ्य सुरक्षा में इन प्रणालियों को मुख्यधारा में लाने के लिए, आयुर्वेद और होम्योपैथी में पूर्वोत्तर क्षेत्र के युवाओं के प्रशिक्षण हेतु 11वीं योजना में नाइग्रिम्स, शिलांग में आयुर्वेद और होम्योपैथी संस्थानों की स्थापना हेतु केन्द्रीय मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त कर लिया है। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने पारंपरिक औषधि प्रयोग के प्रलेखन हेतु पासीघाट में पूर्वोत्तर पारंपरिक औषधि संस्थान की स्थापना हेतु पहले ही अनुमोदन दे दिया

है। वार्षिक योजना 2008-09 में 76.19 करोड़ रु0 का प्रावधान किया गया है।

औषधीय पादपों सहित अनुसंधान एवं विकास

16.2.19 आयुष अनुसंधान परिषदों की अवसंरचना व क्षमताओं का उन्नयन किया जाएगा जिससे उन्हें औषधि मानकीकरण, गुणवत्ता नियंत्रण, वानस्पतिक मानकीकरण और फार्माकॉपीअल मानक निर्धारित करने व नैदानिक परीक्षण करने से संबंधित अत्याधुनिक वैज्ञानिक कार्य कार्यान्वित करने में समर्थ बनाया जा सके। वार्षिक योजना 2008-09 में 117.07 करोड़ रुपये के प्रावधान का अनुमोदन किया गया है।

केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमों के अंतर्गत नई पहलें

16.2.20 केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमों के अंतर्गत की गई नई पहलें निम्नानुसार हैं-

- वर्ष 2008-09 के लिए किए गए 22.30 करोड़ रु0 के परिव्यय सहित आयुष उद्योग क्लस्टरों के विकास के माध्यम से आयुष उद्योग का प्रौद्योगिकीय उन्नयन।
- एएसयू एवं एच विनिर्माण इकाइयों को इनहाउस गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं की स्थापना/डब्ल्यूएचओजीएमपी मानकों के अनुसार सुविधाओं के उन्नयन हेतु 30.00 लाख तक की परियोजना लागत के 30 प्रतिशत का बैंक एन्डेड सब्सिडी प्रावधान।
- एचआरडी (प्रशिक्षण कार्यक्रम/अध्येता वृत्ति/एक्सपोजर विजिट/अध्यापकों और प्रैक्टिशनर्स की दक्षताओं इत्यादि का उन्नयन) वर्ष 2008-09 के लिए 9.00 करोड़ रु0 के प्रावधान सहित।
- वर्ष 2008-09 के लिए 1.85 करोड़ रु0 के प्रावधान सहित पाठ्य पुस्तकों व पांडुलिपियों का अधिग्रहण, कैटलाग बनाना, डिजिटलीकरण और प्रकाशन।

- वर्ष 2008-2009 के लिए 5 करोड़ ₹ के परिव्यय सहित अंतरराष्ट्रीय सहयोग।
- वर्ष 2008-09 के लिए 5.00 करोड़ ₹ के परिव्यय सहित आयुष के अंतर्गत नवीनीकरण/स्थानीय स्वास्थ्य परंपराओं में लगे हुए गैर-सरकारी संगठनों का वित्त पोषण।

केन्द्र प्रायोजित स्कीमें

आयुष को बढ़ावा देना

संस्थानों का विकास

16.2.21 10वीं योजना में किए गए व्यय से सरकारी यूजी/पीजी कालेजों में पर्याप्त सुधार आया है। चूँकि यह स्कीम आयुष क्षेत्रक के लिए महत्वपूर्ण है अतः इस स्कीम का व्यापक संशोधन किया गया है और 550.00 करोड़ ₹ का प्रावधान यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि सरकारी सहायता प्राप्त क्षेत्रक के आयुष संस्थानों को 11वीं योजना अवधि के दौरान सांविधिक निकाय द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानकों के अनुसार बनाया जाए। वार्षिक योजना 2008-09 में, 65.00 करोड़ ₹ का प्रावधान किया गया है।

अस्पताल और औषधालय

16.2.22 स्कीम का समग्र उद्देश्य क्षमता निर्माण और आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी प्रणालियों के लाभ जनता को उपलब्ध कराना है ताकि स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच में लोग अपनी पसंद का प्रयोग कर सकें। अब इसे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) में मिला दिया गया है, क्योंकि इसका उद्देश्य एनआरएचएम के अंतर्गत आयुष को मुख्यधारा में लाने के उद्देश्य से पीएचसीज/सीएचसीज/जिला अस्पतालों में आयुष सुविधाओं का सृजन करना है। वार्षिक योजना 2008-09 में 120.00 करोड़ ₹ के परिव्यय का प्रावधान किया गया है।

औषधि गुणवत्ता नियंत्रण

16.2.23 इसका मुख्य उद्देश्य राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं, फार्मसी का सुदृढीकरण और आईएसएम के गुणवत्ता नियंत्रण हेतु प्रवर्तन मेकेनिज्म के सुदृढीकरण का है। वार्षिक योजना 2008-09 में 30.00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

नई पहलें

(i) विशिष्ट क्लीनिक/आईपीडीज की स्थापना हेतु सार्वजनिक निजी भागीदारी

16.2.24 ख्याति प्राप्त आयुष संस्थानों द्वारा विद्यमान आयुष संस्थानों में विशिष्ट क्लीनिक/आईपीडीज स्थापित करने के लिए पीपीपी मोड अपनाया जाएगा। यह महसूस किया गया है कि ख्याति प्राप्त आयुष संस्थानों को शामिल किए बिना, सरकारी अस्पतालों/आयुष संस्थानों में आयुष क्षेत्रक में द्वितीयक एवं तृतीयक स्तर की नैदानिक सुरक्षा एवं अनुसंधान के स्तरों का उन्नयन संभव नहीं होगा। वार्षिक योजना 2008-09 में 5.00 करोड़ ₹ का प्रावधान किया गया है।

(ii) औषधीय पादप प्रसंस्करण क्षेत्र की स्थापना

16.2.25 इस स्कीम में, 75,000 हेक्टेयर से अधिक में प्राथमिकता प्राप्त औषधीय पौधों की खेती करने, 50 लाख पौध तैयार करने, प्राथमिकता प्राप्त औषधीय पौधों की किस्मों संबंधी पौध सामग्री की खेती हेतु केन्द्रीकृत बीज केन्द्र और नर्सरी की स्थापना करने, देश के छः कृषि जलवायु संबंधी क्षेत्रों में औषधीय पादप क्षेत्रों की स्थापना करने और योजना निर्माण तथा विपणन सहायता हेतु बाजार विकास सहायता निधि के लिए उपघटक होंगे। वार्षिक योजना 2008-09 में 30.00 करोड़ ₹ का प्रावधान किया गया है।

नीति/कार्यक्रम संबंधी मुद्दे

अभिशासन में सुधार करना

16.2.26 (i) 11वीं योजना में प्रभावी गैर-नौकरशाहीकरण का सृजन, पणधारियों को शामिल करके भागीदारी मेकेनिज्म और सभी आयुष कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायित्वों का प्रत्यायोजन।

(ii) मुख्य परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु मौलिक पीपीपी मॉडल आरंभ करना।

(iii) राष्ट्रीय फार्माकॉपीअॅल आयोग के लक्ष्यों, संरचना व कार्यों के संबंध में मतैक्य संबंधी दस्तावेज तैयार करने में पणधारियों को शामिल करना।

शैक्षणिक सुधार कार्यनीति

16.2.27 सीसीआईएम जैसे सांविधिक निकायों की भागीदारी सहित शैक्षणिक सुधार (यूजीऔरपीजी स्तर) की आवश्यकता और विषय के बारे में आयुष शैक्षिक समुदाय में मतैक्य सृजन की प्रभावी प्रक्रिया तैयार करना और उसका कार्यान्वयन करना।

कार्यनीतिक दस्तावेज

16.2.28 विशेषज्ञों द्वारा श्वेत-पत्र तैयार करना जिसमें निम्नलिखित क्षेत्रों के लिए नीति और कार्यनीतिक योजनाओं का उल्लेख किया गया हो:

- (i) अंतरराष्ट्रीय सहयोग
- (ii) देश में चिकित्सा पांडुलिपियों के विपुल ज्ञान संसाधनों का संरक्षण
- (iii) आयुष उद्योग का आधुनिकीकरण
- (iv) जन स्वास्थ्य और आयुष
- (v) निजी और गैर-सरकारी क्षेत्रक में विशिष्ट नैदानिक सेवाओं/अस्पतालों हेतु सहायता।
- (vi) आईपीआर और पारंपरिक चिकित्सा ज्ञान।

आयुष क्षेत्रक हेतु राज्य का वित्तपोषण

16.2.29 आयुष क्षेत्रक हेतु राज्य का वित्त पोषण निम्नानुसार प्रस्तावित है :

- 1) केन्द्र सरकार द्वारा 11वीं योजना में चार गुनी वृद्धि की गई है। राज्य सरकारों को आयुष क्षेत्रक के लिए वित्तपोषण राज्य योजनाओं से प्राप्त करना चाहिए।
- 2) स्वास्थ्य सुरक्षा डिलीवरी में सभी स्तरों पर आधुनिक औषधि व आयुष प्रणालियों की शक्तियों को संयुक्त करके और क्रास सिस्टम रेफरल्स को बढ़ाकर आयुष प्रणालियों के एकीकरण हेतु स्वास्थ्य सुरक्षा नीति व प्रशासन में मूलभूत परिवर्तन।
- 3) एमबीबीएस पाठ्यक्रम में आयुष अभिमुखीकरण को शामिल करना तथा आयुष स्नातक पाठ्यक्रमों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम संबंधी अभिमुखीकरण पाठ्यक्रम।

11वीं योजना में प्राथमिकता/बल दिए जाने वाले क्षेत्र

16.2.30 प्राथमिकता/बल दिए जाने वाले परिकल्पित क्षेत्र निम्नानुसार हैं :

(i) स्वास्थ्य सेवाएं

- स्वास्थ्य सुरक्षा डिलीवरी प्रणाली और राष्ट्रीय कार्यक्रमों में एनआरएचएम के माध्यम से आयुष का एकीकरण और अस्पतालों व औषधालयों की विशाल अवसंरचना व चिकित्सकों का ईष्टतम उपयोग सुनिश्चित करना।
- एक अत्याधुनिक तृतीयक स्वास्थ्य सुरक्षा आयुष अस्पताल की स्थापना करना।
- 11वीं योजना में पूर्वोत्तर में आयुर्वेद व होम्योपैथी संस्थान व जड़ी-बूटी औषधि के विकास हेतु किसी अन्य संस्थान की स्थापना करना।

(ii) शिक्षा और अनुसंधान

- समसामयिक प्रासंगिकता के लिए पाठ्यक्रमों का संशोधन करके आयुष शिक्षा के स्तरों का उन्नयन और मॉडल संस्थानों की स्थापना करके अध्यापकों व चिकित्सकों की गुणवत्ता में सुधार करना।
- गैर सरकारी क्षेत्रक में भी श्रेष्ठ आयुष केन्द्रों का समर्थन करना और अवसंरचना संबंधी सुविधाओं के सृजन हेतु उन्हें सहायता देना।
- थेरेपीज का अनुसमर्थन करने के लिए आयुष अनुसंधान परिषदों में अनुसंधान को प्राथमिकता देना और क्रोनिक तथा नई जीवन शैली से संबंधित बीमारियों के समाधान हेतु औषधियां।
- देश में राष्ट्रीय संस्थानों की कार्य प्रणाली में समग्र विकास/यूजी/पीजी शिक्षा हेतु कम से कम 50 श्रेष्ठ केन्द्रों का विकास।
- टीबी/मलेरिया/एचआईवी/एड्स/कैंसर रोग नियंत्रण कार्यक्रमों व सहायक थेरेपी के लिए मानकीकृत पादप आधारित औषधियां आरंभ करना।

(iii) फार्माकॉपीअॅल मानक

- घरेलू उपभोग और निर्यात तथा फार्माकॉपीअॅल मानक निर्धारित करने में तेजी लाने के लिए एक स्वतंत्र भारतीय औषधि फार्माकॉपीआ

आयोग के गठन हेतु औषधि गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए प्रमाणिक व फार्माकॉपीअॅल मानकों के अनुरूप शुद्ध औषधियों की उपलब्धता को सुकर बनाना।

(iv) उद्योग का आधुनिकीकरण

आयुष उद्योग को 5000 करोड़ से 20000 करोड़ रु० तक ले जाकर इसका उन्नयन और आयुष औषधियों के निर्यात को सन 2020 तक बढ़ाकर 1000.00 तक करना वर्तमान में यह 150.00 करोड़ रु० का है।

(v) अंतरराष्ट्रीय सहयोग

- विश्व के चुनिंदा देशों और क्षेत्रों पर केन्द्रित अंतरराष्ट्रीय सहयोग हेतु एक नई शैक्षिक अनुसंधान व वाणिज्यिक कार्यसूची तैयार करना।

सूचना विज्ञान

- शिक्षण, अनुसंधान, नैदानिक सेवाओं और कम्युनिटी आउटरीच को सहायता देने के लिए आयुष सूचना विज्ञान के विकास का समर्थन करना।

स्कीम-वार ब्यौरा (आयुष)

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	स्कीमों के नाम	11वीं योजना 2007-2012	ब.अ. 2007-08	ई 2007-08	परिव्यय 2008-09
1	2	3	4	6	7
क	केन्द्रीय क्षेत्र				
1	प्रणालियों का सुदृढीकरण	282.75	31.48	15.37	47.59
क)	आयुष विभाग का सुदृढीकरण	47.00	6.50	6.94	7.15
1	सचिवालय समाजिक सेवा	35.00	5.00	5.49	5.50
2	एएसयू के संबंध में फार्मा कॉपीअल समिति को सुदृढ करना	12.00	1.50	1.45	1.65
ख)	सांविधिक संस्थाएं	2.95	0.65	0.24	0.94
1	केन्द्रीय भारतीय औषधि परिषद, नई दिल्ली	0.70	0.20	0.19	0.39
2	केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद, नई दिल्ली	0.25	0.05	0.05	0.05
3	आयुष केन्द्रीय फार्मसी परिषद	2.00	0.40	0.00	0.50
ग)	अस्पताल एवं औषधालय	162.80	12.00	0.54	27.50
1	अखिल भारती आयुर्वेद संस्थान (एआईआईए), नई दिल्ली	150.00	10.00	0.00	25.00
2	सीजीएचएस औषधालयों का विस्तार	6.30	1.00	0.41	1.30
3	आयुर्वेद अस्पताल, लोदी रोड	6.50	1.00	0.13	1.20
घ)	फार्माकॉपीअल प्रयोगशालाओं का सुदृढीकरण	25.00	3.33	1.86	4.00
1	भारतीय औषधि फार्माकॉपीअल प्रयोगशाला, गाजियाबाद	17.00	1.83	1.13	3.50
2	होम्योपैथिक फार्माकॉपीआ प्रयोगशाला, गाजियाबाद	3.00	1.50	0.38	0.50
3	पीएलआईएम/एचपीएल का सुदृढीकरण	0.00	0.00	0.00	0.00
4	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (आईएमपीसीएल, मोहन, यूपी)	5.00	0.00	0.00	0.00
ड)	सूचना, शिक्षा एवं संचार	25.00	7.00	6.01	5.00
च)	आयुष एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य	20.00	2.00	0.68	3.00
2	शैक्षिक संस्थाएं	410.68	89.02	55.06	76.19
1	स्नातकोत्तर शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, जामनगर	10.00	7.00	6.97	5.66
2	राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर	49.18	14.82	8.50	8.20
3	राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, नई दिल्ली	5.00	1.00	0.60	0.96
4	राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान, चेन्नई	20.00	8.00	6.00	7.50
5	राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता	45.00	19.00	16.98	17.00
6	राष्ट्रीय यूनानी औषधी संस्थान, बंगलोर	25.00	10.00	5.38	8.00
7	मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग, संस्थान, नई दिल्ली	20.00	3.12	1.52	3.43
8	विश्वयातन योगाश्रम, नई दिल्ली	1.00	0.20	0.13	0.00
9	राष्ट्रीय प्राकृति चिकित्सा संस्थान, पुणे	13.50	3.88	2.98	4.25
10	पूर्वोत्तर आयुर्वेद एवं होम्योपैथी संस्थान, शिलांग	81.00	8.00	3.00	10.50
11	पूर्वोत्तर लोक औषधि संस्थान, पासीगाट	41.00	7.00		6.69

क्र. सं.	स्कीमों के नाम	11वीं योजना 2007-2012	ब.अ. 2007-08	ई 2007-08	परिव्यय 2008-09
1	2	3	4	6	7
12	उत्कृष्ट आयुष केन्द्रों को सहायता	100.00	7.00	3.00	4.00
3	औषधीय पौध सहित अनुसंधान एवं विकास	719.57	143.95	118.19	117.07
	अनुसंधान परिषदें	359.50	63.95	68.04	74.07
1	केन्द्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली	105.00	20.00	23.99	27.00
2	केन्द्रीय यूनानी औषधि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	85.00	16.70	18.70	18.00
3	केन्द्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	20.00	4.00	3.50	5.00
4	केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	70.00	11.55	11.41	13.43
5	केन्द्रीय परिषद संयुक्त भवन परिसर	10.00	1.70	1.53	2.14
6	एक्स्ट्रा म्यूरल अनुसंधान परियोजना	60.00	8.00	7.75	7.00
7	पेशन्ट सेल फार आयुष इंटेलेक्चुअल प्रोपर्टी राइट्स (टीकेडीएल में)	4.50	1.00	1.00	1.00
8	आयुष प्रणाली के प्रयोग एवं स्वीकार्यता संबंधी सर्वेक्षण	5.00	1.00	0.16	0.50
	औषधीय पौध	360.07	80.00	50.15	43.00
4	एचआरडी (प्रशिक्षण कार्यक्रम/फेलोशिप/प्रदर्शन दौरा/दक्षता उन्नयन आदि	30.00	3.00	1.94	9.00
1	आयुष कर्मिकों के पुनर्अभिमुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम/सतत चिकित्सा शिक्षा (आरओटीपी/सीएमई)	25.00	2.00	1.94	8.00
2	आयुष कर्मियों के प्रशिक्षण/फेलोशिप/प्रदर्शन दौरा/दक्षता उन्नयन के लिए कार्यक्रम	5.00	1.00	0.00	1.00
5	पांडुलिपियों और आयुष आईटी नेटवर्क की सूची बनाना व डिजिटीकरण	40.00	2.25	2.00	1.85
1	सूचीकरण, डिजिटीकरण और आयुष आईटी नेटवर्क	20.00	1.00	2.00	0.00
2	अधिग्रहण, सूचीकरण, डिजिटीकरण और पाठ्यपुस्तकों एवं पांडुलिपियों का प्रकाशन	20.00	1.25	0.00	1.85
6	अंतरराष्ट्रीय सहयोग	40.00	4.00	1.18	5.00
1	आयुष संबंधी अंतरराष्ट्रीय विचार-विमर्श कार्यक्रम/गोष्ठियां/ कार्यशालाएं तथा आयुष में विदेशी विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजना	10.00	2.00	1.18	4.00
2	बाजार विकास सहित आयुष के प्रचार प्रसार के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग सहायता	30.00	2.00	0.00	1.00
7	आयुष उद्योग का विकास	505.00	27.30	0.13	22.30
1	आयुष उद्योग समूहों के लिए सामान्य सुविधाओं का विकास	500.00	27.00	0.00	22.00
2	मेलों में भाग लेने के लिए आयुष उद्योग को प्रोत्साहन देना/ विकासशील बाजार अवसर उपलब्ध कराने के लिए बाजार अध्ययन कराना	5.00	0.30	0.13	0.30

क्र. सं.	स्कीमों के नाम	11वीं योजना 2007-2012	ब.अ. 2007-08	ई 2007-08	परिव्यय 2008-09
1	2	3	4	6	7
8	आयुष के तहत स्थानीय स्वास्थ्य परम्पराओं/धाय कार्यों में लगे एनजीओ को वित्त पोषण	25.00	5.00	0.54	5.00
	कुल : क (केन्द्रीय क्षेत्र)	2053.00	306.00	195.31	284.00
ख	केन्द्र प्रायोजित स्कीमें				
1	आयुष का प्रचार प्रसार	1400.00	177.00	188.05	215.00
क)	संस्थाओं का विकास	550.00	47.00	43.37	65.00
ख)	अस्पतालों और औषधालय (एनआरएचएम के तहत)	625.00	120.00	128.78	120.00
ग)	ड्रग्स गुणवत्ता नियंत्रण	225.00	10.00	15.90	30.00
	नई पहलें	680.00	5.00	0.00	35.00
2	विशिष्ट क्लिनिक/आईपीडी की स्थापना हेतु सार्वजनिक निजी भागीदारी	50.00	5.00		5.00
3	औषधीय पौध प्रसंस्करण जोन	485.00	0.00		30.00
	कुल : ख	1935.00	182.00	188.05	250.00
	कुल केन्द्रीय योजना परिव्यय (क + ख)	3988.00	488.00	383.36	534.00

अध्याय -17

पोषण एवं सामाजिक सुरक्षा तंत्र

17.1 खाद्य एवं पोषण सुरक्षा

17.1.1 स्वास्थ्य और मानव विकास के लिए इष्टतम पोषण का महत्व भली-भांति विदित है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 47 में कहा गया है कि " जनता के पोषण स्तर व जीवन स्तर को उठाने तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार पर ध्यान देना राज्य का मुख्य कर्तव्य होगा । " उत्तरोत्तर पंचवर्षीय योजनाओं में इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नीतियां व कार्यनीतियां बनाई गईं। दशकों से, अल्प पोषण के गंभीर क्रमों में पर्याप्त कमी आई है; तथापि साधारण और मामूली अल्प पोषण तथा सूक्ष्म पोषक कमियों में कमी आने की गति बहुत धीमी रही है ।

17.1.2 कुपोषण जो एक अथवा अधिक अनिवार्य वृहद व सूक्ष्म पोषक तत्वों की सापेक्ष अथवा अत्यन्त कमी के परिणामस्वरूप होता है वह देश के सामाजिक व आर्थिक विकास के लिए एक प्रमुख खतरा है। शैशव काल व प्रारंभिक बाल्यावस्था में घटिया भोजन पद्धतियों के परिणामस्वरूप होने वाला कुपोषण, विकृत मनःशक्ति व सामाजिक विकास में असमानता, स्कूल में खराब प्रदर्शन और बाद के जीवन में उत्पादकता में कमी का कारण बनता है ।

17.1.3 11वीं योजना के दौरान पोषण क्षेत्रक में अंतरालों को पाटते हुए, पोषण संबंधी प्रमुख विकारों और कमियों को समाप्त तथा सामना करते हुए, पिछली योजनावधियों से मिली सीखों को सकारात्मक अनुभवों के सहारे आगे बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। व्यापक आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण, संस्थागत ढांचे के सुदृढीकरण, समुदाय आधारित संगठनों/सिविल सोसाइटियों की साझेदारी, अनुसंधान के प्रचलन और योजनाकारों/

निर्णयकर्ताओं व लाभार्थियों के बीच अग्र-पश्च लिंकेजों के माध्यम से विकास प्रक्रिया में पोषणज दृष्टिकोण को मुख्यधारा में लाना समझदारी होगी।

17.1.4 यह चिन्ता का विषय है कि पिछले तीन दशकों में जनसंख्या के सम्पन्न वर्गों को छोड़कर भोजन ग्रहणक्षमता में अधिक परिवर्तन नहीं आया है। दूसरा चिन्ता का कारण है विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच और देश भर में आबादी के विभिन्न समाजार्थिक स्तरों में व्याप्त व्यापक असमानता । राष्ट्र जिन पोषणज चुनौतियों का सामना कर रहा है उनके निम्नलिखित पहलुओं को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है:

- (i) माँ तथा भ्रूण के अल्प पोषण व कुपोषण के कारण जन्म के समय कम वजन, लगभग 30% भारतीय बच्चों का वजन जन्म के समय कम होता है।
- (ii) बच्चों में अल्प पोषण एवं अवरुद्ध विकास तथा व्यवस्कों में अल्प पोषण ।
- (iii) सूक्ष्म पोषक कुपोषण विशेष रूप से विटामिन ए, आयोडीन और लौह और
- (iv) सतत् उर्जा आधिक्य व अति पोषण तथा संबंधित स्वास्थ्य समस्याएं ।

17.1.5 लोगों के पोषण को बढ़ाने की दृष्टि से सरकार के विभिन्न क्षेत्रकों द्वारा कई प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष पोषण उपाय शुरु किए जा रहे हैं । यह स्पष्ट है कि कुपोषण की समस्या बहु आयामी होने के कारण इसे रोकने और नियंत्रित करने के लिए मल्टी-सेक्टरल अप्रॉच की आवश्यकता है। **प्रत्यक्ष पोषण उपायों** में से कुछ इस प्रकार है:

- (क) एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस)-- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कुपोषण, रुग्णता, घटी हुई अध्ययन क्षमता और मृत्यु दर के दुष्चक्र को तोड़कर स्कूल पूर्व शिक्षा उपलब्ध कराने की भारत की चुनौती की प्रतिक्रिया के रूप में आरंभ की गई ।
- (ख) किशोरियों के लिए पोषण कार्यब्रह्म (एनपीएजी) (एनएफएचएस से उपलब्ध आँकड़े बताते हैं कि अल्प पोषण किशोरियों और गर्भवती व दुग्धपान कराने वाली महिलाओं, दोनों में ही पाया जाता है) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय।
- (ग) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा गर्भवती महिलाओं के लिए आयरन एवं फॉलिक एसिड का अनुपूरण, 9-36 माह के आयु वर्ग के बच्चों के लिए विटामिन ए का अनुपूरण और आयोडीन कमी विकार नियंत्रण कार्यक्रम शुरु किए गए हैं ।
- (घ) प्रारंभिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन(मिड डे मिल)

17.1.6 इन प्रत्यक्ष उपायों के अलावा, विभिन्न अन्य संबंधित मंत्रालयों और विभागों द्वारा शुरु किए गए अनेक अप्रत्यक्ष उपाय भी हैं ।

वार्षिक योजना 2007 - 08 की समीक्षा

अल्प पोषण

17.1.7 हमारी आबादी में (0 - 3 वर्ष) आयु समूह के बच्चों जो पोषण के मामले में सबसे अधिक असुरक्षित हैं, की पोषण स्थिति समाज के स्वास्थ्य और पोषण की संवेदनशील सूचक समझी जाती है। राष्ट्रीय स्तर पर अल्प पोषण में कुछ हल्की और तीव्र कमी आई है । क्षेत्र, राज्य, आयु, लिंग व सामाजिक समूहों में कुपोषण में व्यापक भिन्नता देखी गई है, घनी जनसंख्या वाले उत्तरी राज्यों,

ग्रामीण क्षेत्रों और जनजातीय आबादी तथा अनुसूचित जातियों में दो वर्ष से कम आयु के बच्चों की स्थिति सबसे अधिक खराब है ।

17.1.8 29 राज्यों में वर्ष 2005-06 में कराए गए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार, तीन वर्ष से कम आयु के लगभग 40% बच्चों का वजन कम है और लगभग आधे (44.9 प्रतिशत) बच्चों में अवरूद्ध विकास की समस्या है। क्षय रोग का प्रकोप कम है और इससे तीन वर्ष से कम आयु के लगभग 23% बच्चे प्रभावित हैं (विश्व स्वास्थ्य संगठन मानकों के अनुसार)

सूक्ष्म पोषक कमियों का वर्तमान परिदृश्य

17.1.9 एनएनएमबी की नवीनतम रिपोर्ट (दिसम्बर, 2006) से पता चलता है कि सभी आयु वर्गों/लिंग/ शारीरिक वर्गों में मूल व कंद के सिवाय सभी खाद्यों का उपभोग आरडीआई से कम था। संरक्षी खाद्यों जैसे दालों, हरी पत्तेदार सब्जियों (जीएलवी) दूध व फलों का उपभोग कुल मिलाकर अपर्याप्त था । परिणामस्वरूप, सभी आयु वर्गों में सूक्ष्म पोषकों जैसे लौह (आयरन), विटामिन-ए, राइबो फ्लेविन व फॉलिक एसिड का उपयोग सिफारिश किए गए स्तरों से बहुत कम था। स्कूल पूर्व व स्कूल जाने वाले बच्चों में से केवल एक चौथाई बच्चे ही पर्याप्त प्रोटीन व उर्जा युक्त भोजन खा रहे थे जिसका अनुपात किशोरों में (लगभग 30 - 60 %) और वयस्कों में (लगभग 70 - 80 %) अधिक था ।

17.1.10 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की समनुरूपी पौषणिक स्थिति में यह देखने में आया है कि कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है (सर्वेक्षण किए बच्चों में) जिसमें क्वाशिओरकर के लक्षण देखे गए हों, जबकि मरासमस की विद्यमानता लगभग 0.1% थी। बाइटॉट स्पॉट्स, विटामिन ए की कमी का एक स्पष्ट लक्षण और बी काम्प्लेक्स की कमी के सूचक एंगुलर स्टोमेटाइटिस की विद्यमानता स्कूल-पूर्व बच्चों में क्रमशः लगभग 0.6% और 0.8% थी, स्कूल जाने की आयु वाले बच्चों में कमियों संबंधी

जो आम लक्षण देखे गए वे थे ---कंजक्टाइवल जेरोसिस(2.3%), बाइटॉट स्पॉट्स(1.9%),एंगुलर स्टोमेटाइटिस(2%) और डेंटल फ्लोरोसिस की विद्यमानता 2% थी ।

17.1.11 यहाँ हम देश में कुछ विशिष्ट सूक्ष्म पोषक कमियां देखेंगे जो सार्वजनिक स्वास्थ्य की चिन्ता का कारण बनती हैं ।

(i) **रक्त की कमी(एनीमिया)** एनएफएचएस-3 के अनुसार, पूरे देश में, शहरी क्षेत्रों में **तीन वर्ष की आयु** के बच्चों के लगभग 73 प्रतिशत में और ग्रामीण क्षेत्रों में 81.2 प्रतिशत में खून की कमी है। साथ ही, व्याप्ति 74.2% (1998-99) से बढ़कर 79.2% (2005-06) तक हो गई है। व्याप्ति नागालैंड में सबसे कम(44.3%) उसके बाद व्याप्ति गोआ में(49.3%) और मिजोरम में (51.7%) थी । बिहार में सबसे अधिक (87.6%)थी राजस्थान में इसके नजदीक(85.1%) और कर्नाटक(82.7%) में थी।


17.1.12 चित्र-1 दर्शाता है कि 29 राज्यों में से, 15 राज्य जिनकी जनसंख्या अधिक है(केवल वे राज्य जहाँ पर रक्ताल्पता से ग्रस्त बच्चों का स्तर 70% से अधिक है) में बच्चों(6-35 माह) में 70% से अधिक में रक्त की कमी है। पंजाब को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में गर्भवती महिलाओं में रक्त की कमी की

व्याप्ति 50% से अधिक है। इससे माताओं और बच्चों के रक्ताल्पता स्तरों के बीच एक घनिष्ठ संबंध की पुनरावृत्ति होती है।

17.1.13 एनएफएचएस (29 राज्य, 2005-06) से प्राप्त आंकड़ों से पता चलता है कि रक्त की कमी छोटे बच्चों (0-3 वर्ष की आयु), **विवाहित महिलाओं व गर्भवती महिलाओं** में बहुत अधिक है। शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में शिक्षित परिवारों में भी सामान्य व गंभीर रक्ताल्पता के मामले देखे गए हैं। रक्त की कमी की व्याप्ति में अंतर राज्यीय भिन्नताएं आहार ग्रहणक्षमता तथा स्वास्थ्य सुरक्षा तक पहुँच में अंतर होने के कारण हैं ।

17.1.14 राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत शामिल की गई आयरन फॉलिक एसिड संबंधी वर्तमान कार्यनीति में कमजोर वर्गों के लिए आयरन फॉलिक एसिड सम्पूर्ण संबंधी नीति के बारे में स्पष्ट रूप से बताया गया है। इस कार्यनीति में सिफारिश की गई है कि आईएफए सम्पूर्ण की उपयुक्त खुराकें 6-12 माह के शिशुओं को दी जानी चाहिए क्योंकि इस आयु वर्ग पर आयरन की कमी से होने वाले प्रभाव के पर्याप्त प्रमाण मिले हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि गर्भवती व दुग्धपान कराने वाली महिलाओं के लिए वर्तमान कार्यक्रम में सिफारिशें

चित्र — 1 गर्भवती महिलाओं व बच्चों में रक्त की कमी (वे राज्य जिनमें बच्चों में रक्ताल्पता का स्तर 70% से अधिक है)



स्रोत: एनएफएचएस—3 (2005-06), आईआईपीएस, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ।

जारी रखी जानी चाहिए। अनुशंसित खुराक के अनुसार, स्कूली बच्चों के अतिरिक्त 6-10 वर्ष की आयु और 11-18 वर्ष के किशोरों को भी राष्ट्रीय पोषणिक एनीमिया प्रोफाइलैक्सिस कार्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए।

(ii) आयोडीन की कमी से होने वाले विकार: अन्य सूक्ष्म पोषक कमियों के विपरीत, आयोडीन की कमी से होने वाले विकार जल, मृदा व खाद्य पदार्थों में आयोडीन की कमी के कारण होते हैं और निश्चित भौगोलिक क्षेत्रों में रहने वाले सभी समाजार्थिक समूहों को प्रभावित करते हैं। यद्यपि, भारत में आयोडीन की कमी से होने वाले विकार (आईडीडी) की व्याप्ति अधिकांश दक्षिण एशियाई देशों की तुलना में कम है, फिर भी समस्या सर्वव्यापी है और इससे लाखों व्यक्ति प्रभावित होते हैं।

17.1.15 अन्य विटामिन व खनिज की कमियों की भांति आईडीडी की व्याप्ति राज्यों और उससे बाहर व्यापक रूप से भिन्न है। 17 राज्यों की पहचान घेंघा स्थानिक के रूप में की गई है, इनमें अधिकांश पर्वतीय क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में, मैदानी इलाकों में नए स्थानिक क्षेत्र उभरते हुए प्रतीत हो रहे हैं।

17.1.16 केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद की सिफारिशों के आधार पर, सरकार ने वर्ष 1992 तक देश में सम्पूर्ण खाद्य नमक को आयोडीन युक्त बनाने की नीति का निर्णय लिया था। भारत में विगत कुछ वर्षों में आयोडीन युक्त नमक के उत्पादन की सतत प्रगति हो रही है। अक्टूबर, 2000 में केन्द्र सरकार ने मानव उपभोग संबंधी गैर-आयोडीन युक्त नमक की विक्री पर से प्रतिबन्ध हटा लिया। यद्यपि, केन्द्रीय प्रतिबंध हटाया गया था, फिर भी कुछ राज्यों ने पीएफए अधिनियम के अनुच्छेद 7(iv) के अंतर्गत प्रतिबंध जारी रखा। भारत सरकार ने 25.6.2005 को गैर-आयोडीन युक्त नमक की बिक्री पर पुनः प्रतिबंध लगा दिया।

(iii) विटामिन ए की कमी (वीएडी)

इसकी एक प्रमुख नियंत्रण योग्य सार्वजनिक स्वास्थ्य व पोषणिक समस्या के रूप में पहचान की गई है। भारत में विटामिन-ए की कमी के कारण दृष्टिदोष से संबंधित लक्षणों से ग्रस्त बच्चों की अनुमानित संख्या 5.7% है। हाल ही के प्रमाणों से संकेत मिलते हैं कि विटामिन ए की मामूली कमी भी संभवतः बच्चों में रूग्णता और मृत्यु दर को बढ़ावा देती है जो इस बीमारी के संबंध में सार्वजनिक स्वास्थ्य के महत्व पर बल देती है।

17.1.17 विगत कुछ वर्षों के दौरान, बच्चों में विटामिन ए की कमी की अलग-अलग आयु वार व्याप्ति को ध्यान में रखते हुए पणधारियों के बीच कई दौर में सुविज्ञ परामर्श किए गए (एनएनएमबी रिपोर्ट)। इन सभी पणधारियों ने 5 वर्ष तक के बच्चों को कवर करने के लिए कार्यक्रम को विस्तृत करने की अनुशंसा की। परिणामस्वरूप, भारत सरकार ने 5 वर्ष तक के बच्चों को कवर करने के लिए नवम्बर, 2006 में कार्यक्रम के विस्तार हेतु राज्यों को दिशा-निर्देश जारी किए।

17.1.18 बच्चों में वीएडी की व्याप्ति के संबंध में राज्यों द्वारा दिए गए आकड़ों में भारी अंतर है। यह भी चिन्ता का विषय है कि एनएफएचएस-3 के अनुसार विगत छः महीनों में 12-35 माह की आयु के केवल 21% बच्चों को विटामिन ए की खुराक दी गई। 10% से कम कवरेज नागालैंड (8.7%) और उत्तर प्रदेश (7.3%) में दर्ज की गई है। केवल तमिलनाडु (37.2%) गोआ (37.3%) त्रिपुरा (38.0%) केरल (38.2%) पश्चिम बंगाल (41.2%) और मिजोरम (42.2%) जैसे राज्यों में ही बेहतर कवरेज है, यद्यपि अन्य राज्यों की तुलना में यह काफी कम है।

17.1.19 विटामिन ए की अनुपूर्ति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, इसके उप केन्द्रों और आंगनवाड़ियों के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी। 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों को विटामिन ए की खुराक देने और पोषण संबंधी शिक्षा देने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य

केन्द्रों में कार्यरत सभी स्वास्थ्य कर्मी उत्तरदायी हैं। एकीकृत बाल विकास सेवा(आईसीडीएस) कार्यक्रम की सेवाओं का उपयोग आईसीडीएस ब्लॉकों में बच्चों को विटामिन ए की खुराक देने और माताओं को शिक्षित करने तथा विटामिन ए की कमी से उत्पन्न होने वाले रोगों की रोकथाम हेतु किया जाता है।

अतिपोषण और उसके परिणाम

17.1.20 वर्ष 2005 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अनुमान लगाया था कि कुल 58 मिलियन मौतों में से लगभग 35 मिलियन मौतें प्रमुख गंभीर बीमारियों जैसे सीवीडी,कैंसर,चिरकालिक श्वास संबंधी बीमारियों और मधुमेह के कारण होंगी। इनमें से 30% मौतों के लिए सीवीडी जिम्मेदार होगी। इस समय विकासशील देशों पर मृत्यु दर रुग्णता एवं गैर संक्रामक रोगों के कारण होनेवाली अपंगता का बोझ अधिकतम है और लगातार बढ़ रहा है जहां इनमें से 66 प्रतिशत मौतें होती हैं। सबसे महत्वपूर्ण जोखिम जिनमें उच्च रक्तचाप व रक्त में कोलेस्ट्रॉल की उच्च सांद्रता शामिल हैं, फलों व सब्जियों के अपर्याप्त सेवन, अधिक वजन अथवा मोटापे और शारीरिक अकर्मण्यता जो आहार व पौषणिक अंतर्ग्रहण तथा जीवन शैली से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं, के कारण होते हैं। संचारी रोग व अन्य बीमारियां तथा मातृ व प्रसव पूर्व स्थितियों से जुड़े मृत्यु के मामले व पोषक तत्वों की कमियां बहुत महत्वपूर्ण बनी हुई हैं और जन स्वास्थ्य से संबंधित मुख्य चुनौती के रूप में इस पर विचार करने की आवश्यकता है, विशेषकर विकासशील देशों के संदर्भ में चिरकालिक बीमारियों के वर्तमान खतरे को अधिक समय तक नजरअंदाज नहीं किया जा सकता तथा इसका व्यापक जन स्वास्थ्य प्रतिक्रिया के माध्यम से समाधान किया जाना चाहिए।

17.1.21 भारत में अतिपोषण और अल्प पोषण दोनों साथ-साथ बने हुए हैं। देश में सूक्ष्म पोषक पदार्थों की कमियां जैसे आयरन की कमी से होने वाली रक्ताल्पता, विटामिन ए की कमी तथा आयोडीन की कमी से होने वाले विकार देश में

व्यापक रूप से देखने को मिलते हैं तथा विभिन्न आयु, लिंग, शारीरिक वर्गों के लोगों को बड़ी संख्या में प्रभावित कर रही है, इसके विपरीत, एक तरफ बढ़ती हुई संपन्नता, बदलती जीवन शैली, घटिया खाने(जंक फूड) का उपभोग तथा पर्याप्त व्यायाम का अभाव व बैठे-बैठे किए जाने वाले कार्यकलापों के कारण अधिक वजन व मोटापा की व्याप्ति अधिक होती जा रही है विशेषकर शहरी क्षेत्रों के किशोर वर्ग में। यह युवावस्था में उच्च मानसिक तनाव, टाइप-२ मधुमेह, कैंसर, कॉरोनरी आर्टी डिजीज़ व स्ट्रोक इत्यादि के रूप में चिरकालिक पतनकारक विकारों की अधिक व्याप्ति में सहायक हो रही है।

एकीकृत बाल विकास सेवा के पोषण संबंधी घटक

17.1.22 इस समय इस स्कीम के अंतर्गत लगभग 9.74 लाख प्रचालनात्मक आंगनवाड़ी केन्द्रों के नेटवर्क के माध्यम से लगभग 786.73 लाख लाभार्थियों को सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं जिसमें लगभग 649.90 लाख बच्चे(0-6 वर्ष) और लगभग 136.83 लाख गर्भवती व दुग्धपान कराने वाली महिलाएं शामिल हैं।

17.1.23 यह पूरक पोषण के अतिरिक्त जो राज्यों को अपने संसाधनों से उपलब्ध कराना था सभी इनपुट्स हेतु केन्द्र सरकार की शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के माध्यम से कार्यान्वित की गई, चालू केन्द्र प्रायोजित स्कीम है परन्तु वर्ष 2005-06 से, भारत सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पूरक पोषण के लिए भी राज्यों द्वारा व्यय किए गए वास्तविक व्यय के 50% तक अथवा लागत मानदंडों का 50% जो भी कम हो, केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराती रही है।

17.1.24 चूंकि इस स्कीम की कवरेज सीमित थी, अतः तीव्र सार्वभौमीकरण सुनिश्चित करने के लिए कार्यान्वयन के डिजाइन और आयोजना में सुधार की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिए इसकी सभी मूल छः सेवाएं -- पूरक पोषण, प्रतिरक्षण, स्वास्थ्य

जांच,स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा,रेफरल सेवाएं और प्री-स्कूल शिक्षा,पूर्ण रूप से प्रदान करनी होंगी।

पूरक पोषण मानदंड

17.1.25 नीचे दर्शाए अनुसार, औसतन दैनिक पोषण अनुपूर्ति उपलब्ध कराने के प्रयास किए जाने चाहिए:

लाभार्थी	कैलोरी (सीएल)	प्रोटीन(ग्रा.)
3 वर्ष से कम आयु के बच्चे	300	8-10
3-6 वर्ष की आयु के बच्चे	300	8-10
स्वास्थ्य परीक्षण के बाद चिकित्सा परामर्श के अनुसार गंभीर रूप से कुपोषित बच्चे	600	16-20
गर्भवती व दुग्धपान कराने वाली(पी एंड एल) माताएं	500	20-25

(किशोरियों को गर्भवती व दुग्धपान कराने वाली माताओं को अनुज्ञेय समान अनुपात में पूरक पोषण उपलब्ध कराया जाएगा।)

* आईएमएस अधिनियम में स्तन-पान को बढ़ावा देने संबंधी उपबंध संगत हैं।

किशोरियों के लिए पोषण कार्यक्रम(एनपीएजी)

17.1.26 किशोरावस्था जीवन की एक नाजुक अवस्था होती है;बाल्यावस्था से युवावस्था में आना मानसिक,भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य के लिए अतिमहत्वपूर्ण होता है। किशोरियां विशेषरूप से संवेदनशील होती हैं क्योंकि वे पर्याप्त देखरेख व शिक्षण अवसरों दोनों से ही अक्सर वंचित होती हैं और वे जीवन के इस चक्र में पौषणिक कमियों का शिकार अधिक होती हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण(एनएफएचएस-3) ने किशोरियों और महिलाओं में अल्पपोषण की सीमा का अनुमान लगाया है। 15-49 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं में से एक तिहाई से अधिक(33%) का बीएमआई(बॉडी मास इंडेक्स) 18.5 कि.ग्रा./एम से कम है। एनएफएचएस-3 द्वारा भी रक्त की कमी को अति व्याप्ति बताई गई है। इसने उल्लेख किया है कि 15-49 वर्ष के आयु वर्ग की 56.2% लड़कियां/ महिलाएं रक्ताल्पता से ग्रस्त हैं।

17.1.27 इस समस्या की विशालता का कम करने के लिए,योजना आयोग द्वारा वर्ष 2002-03 में प्रायोगिक परियोजना आधार पर 51 जिलों में किशोरियों के लिए पोषण कार्यक्रम(एनपीएजी) शुरु किया गया था। इस कार्यक्रम को योजना आयोग द्वारा वर्ष 2003-04 में भी जारी रखा गया और इसका कार्यान्वयन किया गया। वर्ष 2005-06 से यह कार्यक्रम महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है और वर्ष 2008-09 में इसे कार्यान्वित किया जाएगा।

17.1.28 वर्ष 2007-08 में इस परियोजना को जारी रखने का प्रस्ताव था। शरीर के वजन के आधार पर पहचान की गई सभी अल्पपोषित किशोरियों(11-19 वर्ष) को, उनके परिवार की वित्तीय स्थिति पर विचार किए बिना,इस परियोजना में कवर किया जाएगा। इस कार्यक्रम के लिए राज्यों को बीपीएल दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। इस परियोजना के अंतर्गत 51 पिछड़े जिलों में अल्पपोषित किशोरियों(35 कि.ग्रा. से कम वजन) को मुफ्त खाद्यान्न,प्रति लाभार्थी प्रति माह 6 कि.ग्रा. की दर से उपलब्ध कराया जाएगा। वर्ष 2007-08 के दौरान भी यह कार्यक्रम 51 जिलों में प्रायोगिक परियोजना के रूप में जारी रहा।

समाधान ढूंढने की ओर

17.1.29 चलाए जा रहे कार्यक्रमों के अतिरिक्त,ग्यारहवीं योजना के दौरान देश में कुपोषण दूर करने के लिए कार्यक्रमों में तीव्रता लाने हेतु एक पांच तरफा कार्यनीति अपनाई जा रही है। ये संबंधित है:

- आहार संबंधी विविधीकरण:** इसका आशय उपभोग किए जाने वाले खाद्य पदार्थों का पोषक प्रचुरता सीमा में अभिवृद्धि करना है। व्यवहारतः इसके लिए ऐसे कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की आवश्यकता है जो पर्याप्त मात्रा में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों(जैसे पशु उत्पाद,फल व सब्जियां) की उपलब्धता व उनके

उपभोग, और उन तक पहुँच में सुधार लाएं, विशेषकर उनके लिए जिनको कुपोषण का ज्यादा खतरा है। यह भी सुनिश्चित करने पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है कि सूक्ष्म-पोषकों की सीमित पूर्ति के उपभोग में अभिवृद्धि करने हेतु तेलों व वसाओं का आहार संबंधी अंतर्ग्रहण पर्याप्त हो। इसमें ऐसे कार्यक्रम शामिल हैं जो सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरपूर और स्थानीय रूप से उत्पादित खाद्य पदार्थों के उत्पादन, उपलब्धता तथा उन तक पहुँच में सुधार करते हैं ऐसा कार्यक्रम इस प्रकार के उपाय का मुख्य केंद्र बिन्दु बनाया जाता है।

(ii) **पोषक अनुपूर्ति** यह स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास तथा स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग से संबंधित है और एनआरएचएम कार्यान्वयन योजनाओं के अंतर्गत इन्हें द्विवार्षिक अभियानों के माध्यम से, 9 माह से 5 वर्ष के बच्चों को विटामिन ए की खुराक देने, 6 माह से 2 वर्ष के बच्चों व 10 - 19 वर्ष की किशोरियों को आयरन व फॉलिक एसिड अनुपूरक उपलब्ध कराने, सभी गर्भवती व दुग्धपान कराने वाली महिलाओं को आयरन की गोलियां देने व 6 माह तक के शिशुओं को स्तन-पान कराने पर बल देकर, प्राप्त किया जा सकता है।

(iii) **बागवानी हस्तक्षेप:** यद्यपि भारत सब्जियों के अग्रणी उत्पादकों में से एक है; परन्तु कुल सब्जी उत्पादन में हरी पत्तेदार सब्जियां केवल 16% है। इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बागवानी हस्तक्षेप में पोषक तत्वों से भरपूर फसलों को बढ़ावा दिया जाएगा। घरेलू स्तर पर इनकी उपलब्धता को बढ़ाने के लिए घरेलू बागवानी को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। हरी पत्तेदार सब्जियों की सदाबहार किस्मों पर बल दिया

जाना चाहिए क्योंकि इनको उगाना अपेक्षाकृत आसान होता है।

(iv) **सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय:** इनमें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, वाणिज्य, ग्रामीण विकास व शहरी विकास मंत्रालयों को शामिल किया जाएगा। इसके लिए प्रापण एवं पूर्ति की क्रियाओं को सुकर बनाने, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमियों की मानीटरिंग व मैपिंग हेतु संगठनों में संस्थागत क्षमता निर्माण, नियमित अंतरालों पर बच्चों में कीड़े नष्ट करने तथा सुरक्षित पेयजल व सफाई के प्रावधान की आवश्यकता है।

(v) **खाद्य पौष्टीकरण:** इन कार्यक्रमों में मंत्रालय और स्वास्थ्य विभाग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण उपभोक्ता मामले, वित्त, पंचायती राज और राज्य सरकारें शामिल होगी प्रस्तावित खाद्य पौष्टी रूपों से संबंधित कुछ मुद्दे अवश्य हैं जैसे पीडीएस के अंतर्गत अनाज के स्थान पर आटा उपलब्ध कराना। स्पष्टतः सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमियों से निपटने हेतु पौष्टीकृत खाद्य उपलब्ध कराने की कार्यनीति में और अधिक अनुसंधान किए जाने की आवश्यकता है। ग्यारहवीं योजना में साक्ष्य आधारित खाद्य पौष्टीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा।

17.2 श्रम कल्याण और सामाजिक सुरक्षा

श्रम क्षेत्रक ने श्रम कल्याण, उत्पादकता, श्रमिकों के जीवन स्तर और सामाजिक सुरक्षा से संबंधित बहु-आयामी समाजार्थिक मुद्दों का समाधान किया है। योजना कार्यक्रमों के माध्यम से संसाधनों का उपयोग, दक्षता निर्माण व विकास, कार्य की परिस्थितियों की निगरानी, स्वास्थ्य अवसंरचना के माध्यम से औद्योगिक सौहार्द के सृजन, औद्योगिक संबंधों और श्रमिकों तथा उनके परिवारों के लिए बीमारी, दुर्घटना और बेरोजगारी के बाबत बीमा, के

लिए किया जाता है। श्रम और श्रम कल्याण के क्षेत्रों में इन लक्ष्यों की उपलब्धि मुख्यतः विद्यमान श्रम बाजार की संरचना और गुणवत्ता के द्वारा निर्धारित की जाती है। कार्य स्थल पर उपयुक्त परिस्थितियां कार्यस्थल पर सुरक्षा बढ़ाने व पेशेगत खतरों को कम करने के लिए किए गए उपायों द्वारा सुनिश्चित की जाती हैं। श्रम कानून जो श्रमिकों को मजदूरी भुगतान का विनियमन व सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान करते हैं वे श्रम संबंधी उपयुक्त प्रतिफल को संभव बनाते हैं। इन सभी क्षेत्रों में, कल्याणकारी राज्य एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

दसवीं योजना लक्ष्य

17.2.2 श्रम उत्पादकता सुधारने और श्रमिकों का कल्याण सुनिश्चित करने में विद्यमान अवसंरचना श्रम बल के केवल बहुत ही छोटे खंड को कवर करती है। अतः दसवीं योजना का उद्देश्य श्रम बाजार संस्थानों की कवरेज में वृद्धि करना है। इसके लिए समूचे श्रम बल के लिए लाभप्रद रोजगार का उपबंध करना अनिवार्य शर्त है।

17.2.3 दसवीं योजना का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि श्रम बाजार संस्थान पाँच से दस वर्षों की अवधि में, उत्पादकता सुधार, श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य व सामाजिक सुरक्षा के लिए सरलीकृत प्रक्रियाओं के माध्यम से भारी संख्या में श्रम बल को कवर करे।

राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम(एनसीएमपी)

17.2.4 श्रम कल्याण और सामाजिक सुरक्षा के संबंध में, राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम घोषणा करता है कि:

"संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन सरकार, सभी श्रमिकों, विशेषकर, जो असंगठित क्षेत्र में हैं और हमारे श्रमिक दल का 93% हैं, का कल्याण और सुख समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए वचनबद्ध है। बुनकरों, हथकरघा श्रमिकों, मछुआरों और मछुआरिनों, ताड़ी

निकालने वाले, चमड़े का काम करने वाले, पौधरोपण करने वाले, बीड़ी आदि बनाने वाले जैसे श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा और अन्य स्कीमों का विस्तार किया जाएगा।"

17.2.5 श्रम और रोजगार मंत्रालय (एमओएल एवं ई) ने असंगठित क्षेत्रक के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा उपायों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं। असंगठित क्षेत्रक के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने की संभावना की जाँच करने के लिए, सरकार द्वारा स्थापित, असंगठित/अनौपचारिक क्षेत्रक राष्ट्रीय उद्यम आयोग (एनसीईयूआईएस) ने भी दो विधेयकों का मसौदा तैयार किया है अर्थात् (i) असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा विधेयक, 2005 ; और (ii) असंगठित क्षेत्रक कामगार (कार्य की स्थिति और आजीविका संवर्धन) विधेयक, 2005. इसके अतिरिक्त, यूपीए सरकार की राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ने भी असंगठित क्षेत्रक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2005 के मसौदे का सुझाव दिया है। ये विधेयक सरकार के विचाराधीन है।

योजना परिव्यय और इसका उपयोग

17.2.6 मंत्रालय का वार्षिक योजना(2007-08)परिव्यय 345 करोड़ रु. अनुमोदित किया गया था। यह केन्द्रीय स्कीमों के लिए 253.55 करोड़ रुपए और केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के लिए 91.45 करोड़ रुपए का अंशदान करता है। वर्ष 2007-08 के दौरान अनुमोदित के हुए निवेश मुख्यतः नई केन्द्र प्रायोजित डीपी एवं टी की नई स्कीमें नामतः आईटीआईज़ को उत्कृष्टता के केन्द्रों में अद्यतन के कारण हैं। इसके अलावा प्रशिक्षण और श्रमिक कल्याण के क्षेत्र में नई पहलों के कुछ प्रावधान हैं।

शून्य आधारित बजट प्रक्रिया(जेडबीवी)

17.2.7 प्रयासों की पुनरावृत्ति से बचने और संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के लिए, एनसीएमपी की प्राथमिकताओं और लक्ष्यों के संदर्भ में श्रम मंत्रालय की चालू और नई केन्द्रीय

क्षेत्रक योजना स्कीमों की व्यापक समीक्षा की गई थी। इसके अतिरिक्त, स्कीमों की संख्या कम करने की दृष्टि से, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय तथा योजना आयोग द्वारा संयुक्त रूप से प्रयास किया गया है। इस प्रयास के माध्यम से, स्कीमों की संख्या 56 से घटाकर 47 की गई है।

मध्यावधि मूल्यांकन:

17.2.8 दसवीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में, राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएमपी) को ध्यान में रखते हुए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से संबंधित निम्नलिखित महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान की गई है।

- (i) श्रम कानूनों में सुधार करना;
- (ii) असंगठित क्षेत्रक के लिए सामाजिक सुरक्षा तंत्र उपलब्ध कराना; और
- (iii) शिक्षण/प्रशिक्षण संस्थानों के लिए एजेंसियों का सुधार करना/पुनर्गठन करना/प्रत्यायित करना।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष स्कीमें

17.2.9 श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की विशिष्ट योजना स्कीमें हैं अर्थात्

- (i) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोचिंग-सह-मार्गदर्शी केन्द्र;
- (ii) विशेष कोचिंग स्कीमें;
- (iii) बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास;
- (iv) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लाभ के लिए श्रम कल्याण स्कीमें।

ये मिलकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए क्रमशः जनजातीय उपयोजना (टीएसपी) और विशेष घटक योजना (एससीपी) का गठन करती हैं। वर्ष 2004-05 के दौरान, इन स्कीमों के बारे में टीएसपी तथा एससीपी के लिए 3.09 करोड़ रु. की राशि निर्धारित की गई है जहां ये संभव है।

17.2.10 श्रम और श्रम कल्याण क्षेत्रक के अतिरिक्त, विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों की योजना स्कीमों के माध्यम से श्रमिकों के लाभ के लिए कई पहलें शुरू की गई हैं।

बाल श्रम समाप्त करना

17.2.11 संवैधानिक अधिदेश को पूरा करने की दृष्टि से, खतरनाक व्यवसायों में लगे हुए बच्चों को हटाने और विशेष स्कूलों के माध्यम से उनको पुनर्वास करने के लिए 15 अगस्त, 1994 को एक, प्रमुख कार्यक्रम अर्थात् राष्ट्रीय बाल श्रम कार्यक्रम (एनसीएलपी), शुरू किया गया था। तदनुसार, 12 चालू परियोजनाओं के अतिरिक्त 64 क्षेत्र आधारित परियोजनाएं मंजूर की गई थीं। 9 वीं योजना के अंत तक, एनसीएलपी स्कीम का विस्तार 13 राज्यों के 100 जिलों में किया गया था। दसवीं योजना का उद्देश्य पहचान किए गए खतरनाक व्यवसायों और कार्यों से बाल श्रम को योजना अवधि के अंत अर्थात् 2007 तक पूर्ण रूप से समाप्त करना है। इसे ध्यान में रखते हुए, इस स्कीम का विस्तार 150 नए जिलों तक किया गया है। इसलिए दसवीं योजना के दौरान एनसीएलपी स्कीम 250 जिलों को कवर करेगी।

17.2.12 एनसीएलपी का मुख्य उद्देश्य पहचान किए गए खतरनाक पेशों में लगे हुए बच्चों को हटाना और उनका पुनर्वास करना है। एनसीएलपी के अंतर्गत, अनौपचारिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, पूरक पोषण, वज़ीफा, स्वास्थ्य सुरक्षा इत्यादि उपलब्ध कराने और उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए विशेष स्कूलों की स्थापना की गई है।

17.2.13 दसवीं योजना में बाल श्रम समाप्त करने संबंधी प्रयासों को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सर्व शिक्षा अभियान के साथ जोड़कर सुदृढ़ बनाया गया है। इसके भाग के रूप में, 5 - 8 वर्ष की आयु समूह के श्रमिक बच्चों को औपचारिक स्कूलों के माध्यम से सीधे मुख्य धारा में लाया जाएगा। 9-14 वर्ष की आयु समूह के कार्यरत बच्चों को एनसीएलपी के विशेष स्कूलों के माध्यम से औपचारिक शिक्षा प्रणाली में लाकर मुख्य धारा में लाया जाएगा।

17.2.14 एनसीएलपी स्कीम हेतु वार्षिक योजना 2004-05 के लिए अनुमोदित परिव्यय और प्रत्याशित व्यय 99.05 करोड़ था। वार्षिक योजनाओं 2002-03 और 2003-04 के लिए किया गया वास्तविक व्यय क्रमशः 65.14 करोड़ रुपए था।

17.2.15 राज्य सरकारों व संबंधित मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ श्रम व रोजगार मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं के समग्र पर्यवेक्षण, मानीटरिंग, मूल्यांकन के लिए एक केन्द्रीय मानीटरिंग समिति का गठन किया गया है। राज्य सरकारों को भी राज्य स्तरीय मानीटरिंग समितियों के गठन का परामर्श दिया गया है।

बाल श्रम की रोकथाम तथा इसे समाप्त करने के लिए इन्डस परियोजना(भारत और यूएस द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित)

17.2.16 श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा 5 राज्यों(मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) के 20 जिलों में कुछ पहचान किए गए उद्योगों में बाल श्रम की रोकथाम तथा इसे समाप्त करने के लिए इन्डस परियोजना संबंधी स्कीम का कार्यान्वयन भी किया जा रहा है। इन्डस परियोजना को एनसीएलपी का एक अतिरिक्त/विशेष घटक समझा जाता है।

17.2.17 यह स्कीम अमरीकी श्रम विभाग और श्रम व रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समान रूप

से वित्त पोषित है। अमरीकी श्रम विभाग और भारतीय श्रम व रोजगार मंत्रालय का यह सहयोगी प्रयास है जिसका उद्देश्य 5 राज्यों नामतः उत्तर प्रदेश, तमिल नाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, प्रत्येक के 4 जिलों में पहचान किए गए खतरनाक पेशों से बाल श्रम समाप्त करने के लिए सहायता देना है।

17.2.18 परियोजना का उद्देश्य बाल श्रमिकों को हटाकर उनके पुनर्वास बाल श्रम की रोकथाम तथा धीरे-धीरे उसे समाप्त करने का है। परियोजना की समग्र एप्रोच अनुकूल वातावरण सृजन की होगी जिसमें बच्चों को काम पर जाने के लिए प्रेरित किया जाएगा और उनके परिवारों को ऐसे विकल्प उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि वे अपने बच्चों को काम के लिए भेजने से रोकें। लक्षित जिलों में यह परियोजना बाल-श्रम के विरुद्ध निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में एजेंसियों की क्षमता संघटित और सुदृढ़ करेगी ताकि वे बहुक्षेत्रकीय सेवा पैकेज का लाभ उठा सकें। यह परियोजना 5-8 वर्ष की आयु समूह के छोटे बच्चों को लक्षित करती है और इसमें 14-17 वर्ष की आयु समूह के बच्चों के लिए विशेष व्यावसायिक घटक है। वर्ष 2004-05 और वर्ष 2005-06 के लिए स्कीम के परिव्यय क्रमशः 10.00 करोड़ और 30.10 करोड़ रुपए हैं।

औद्योगिक संबंध

17.2.19 केन्द्रीय औद्योगिक सम्बद्ध मशीनरी(सीआईआरएम), श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का एक सम्बद्ध कार्यालय है। सीआईआरएम के कार्यों में मोटे तौर पर औद्योगिक विवादों का निपटारा, केन्द्रीय क्षेत्रक में श्रम कानूनों का प्रवर्तन और ट्रेड यूनियनों की सदस्यता का सत्यापन करना शामिल है। वर्ष 2006-07 के दौरान सीआईआरएम ने 454 आशंकित हड़तालों में हस्तक्षेप किया और इसके सुलह संबंधी प्रयास इनमें से 445 हड़तालों को रोकने में सफल रहे, जो कि 28 % सफलता दर को दर्शाता है।

17.2.20 सीआईआरएम का अन्य महत्वपूर्ण कार्य उन स्थापनाओं में श्रम कानूनों का प्रवर्तन करना है जिनके लिए केन्द्रीय सरकार उपयुक्त सरकार है। केन्द्रीय क्षेत्रक में लगभग 1.5 लाख स्थापनाएं हैं। सीआईआरएम के अधिकारी विभिन्न श्रम अधिनियमों के अंतर्गत इन स्थापनाओं का निरीक्षण करते हैं। वर्ष 2006-07 के दौरान सीआईआरएम के अधिकारियों ने 33926 निरीक्षण किए, 37513 अनियमितताओं का सुधार किया और 13556 मुकदमें शुरु किए।

17.2.21 त्रिपक्षीयता को बढ़ावा देने के लिए, कई औद्योगिक त्रिपक्षीय समितियों का गठन किया गया है। ये समितियां कॉटन टेक्सटाइल उद्योग, विद्युत उत्पादन और वितरण, जूट उद्योग, सड़क परिवहन और इंजीनियरिंग उद्योग विशिष्ट समस्याओं संबंधी विचार-विमर्श के लिए उत्तरदायी हैं।

17.2.22 लम्बित मामलों की संख्या कम करने के लिए, वैकल्पिक शिकायत समाधान मशीनरी के रूप में "लोक अदालतों" का आयोजन किया जा रहा है। यह सीजीआईटी-सह-श्रम अदालतों द्वारा औद्योगिक निपटारों के अतिरिक्त है। 25 लोक अदालतें पहले ही आयोजित की जा चुकी है और 787 मामलों पर निर्णय लिया जा चुका है। बकाया मामलों की लंबन संख्या में कमी लाने का यह एक नया और प्रवर्तनकारी तरीका है। इस कार्य को सहायता देने के लिए एक योजना स्कीम अनुमोदित कर दी गई है और सीजीआईटी-सह-श्रम अदालतों को निधियां भी आबंटित कर दी गई हैं।

श्रमिक शिक्षा

17.2.23 राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और यूनिट/ग्राम स्तरों पर श्रमिक शिक्षा स्कीम को कार्यान्वित करने के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन गठित केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीडब्ल्यूई), एक त्रिपक्षीय सोसाइटी कार्य करती है। पूरे देश में इस बोर्ड के 50 क्षेत्रीय और 9 उप क्षेत्रीय निदेशालयों का नेटवर्क है। इस बोर्ड का उद्देश्य देश के समाजार्थिक विकास में उनकी प्रभावी भागीदारी के लिए श्रमिक

दल को शिक्षित करके उनमें जागरूकता पैदा करना है। बोर्ड का प्रशिक्षण कार्यक्रम संगठित, असंगठित, ग्रामीण और अनौपचारिक क्षेत्रों के श्रमिकों को कवर करता है। पर्यवेक्षण और प्रबंधकीय संवर्ग भी संयुक्त शैक्षिक कार्यक्रमों के माध्यम से कवर किए जाते हैं। अतः श्रमिकों के लिए संगठित क्षेत्र में अधिकांश कार्यक्रम और ग्रामीण/असंगठित क्षेत्रों में सभी कार्यक्रम प्रबंधनों/ट्रेड यूनियनों और अन्य एजेंसियों के सहयोग से निशुल्क आयोजित किए जाते हैं जबकि संगठित क्षेत्र में चुनिंदा इकाइयों में केवल कुछ कार्यक्रमों के लिए प्रबंधनों से शुल्क लिया जाता है।

17.2.24 वर्ष 2004-05 के दौरान, इस बोर्ड ने विभिन्न अवधियों के 3321 कार्यक्रम आयोजित किए और अप्रैल, 2004 से सितम्बर, 2004 तक विभिन्न क्षेत्रों के 1,09,188 श्रमिकों को प्रशिक्षित किया है।

श्रम सांख्यिकी

17.2.25 श्रम ब्यूरो श्रम के विभिन्न पहलुओं जिनमें कार्य दशाएं, मजदूरी व आय, औद्योगिक संबंध, श्रम आदि शामिल है संबंधी आंकड़ों के संग्रहण, संकलन और प्रचार-प्रसार के लिए उत्तरदायी है। श्रम ब्यूरो के चंडीगढ़ और शिमला में दो स्कन्ध हैं, अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नै और कानपुर में 4 क्षेत्रीय कार्यालय तथा मुम्बई में एक उपक्षेत्रीय कार्यालय है।

17.2.26 श्रम ब्यूरो प्रति माह निम्नलिखित उपभोक्ता-मूल्य सूचक संख्याओं (सीपीआई) की श्रेणियों का संकलन और उनका अनुसंधान करता है।

- (i) 1982 आधार पर औद्योगिक श्रमिकों को संबंध में उपभोक्ता मूल्य सूचक संख्याएं---
70 चुनिंदा औद्योगिक केन्द्रों और अखिल भारतीय सूचक, सीपीआई (आईडब्ल्यू) के संबंध में 100

- (ii) 1982 आधार पर औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचक संख्या-छः अतिरिक्त केन्द्रों के लिए 100
- (iii) 1986-87 के आधार पर ग्रामीण व कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचक संख्याएं - 20 राज्यों और अखिल भारत के संबंध में 100

17.2.27 दूसरे राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में श्रम ब्यूरो ने 31 वस्तुओं के लिए खुदरा मूल्य सूचक(ग्रामीण) का संकलन भी आरंभ कर दिया है।

अध्याय - 18

पेयजल, सफाई व्यवस्था और स्वच्छ जीवन यापन परिस्थितियां

18.1 ग्यारहवीं योजना के मॉनीटर योग्य लक्ष्यों में से एक है सभी गांवों को पेयजल उपलब्ध करवाना। वर्धित ग्रामीण स्वच्छता की कवरेज भी अप्रत्यक्ष रूप से आईएमआर और एमएमआर में कमी लाने जैसे अन्य लक्ष्यों से जुड़ी हुई है।

वार्षिक योजना 2007-08 की समीक्षा

18.2 वार्षिक योजना 2007-08 में जलापूर्ति और स्वच्छता क्षेत्रक हेतु राज्य और संघ राज्य योजनाओं में परिव्यय 19603.79 करोड़ रुपये था (शहरी जलापूर्ति एवं स्वच्छता सहित) - 11951.29 करोड़ रुपये तथा केन्द्रीय योजना में 7652.50 करोड़ रु. थे। वर्ष के दौरान केन्द्रीय योजना के अंतर्गत जलापूर्ति व सफाई क्षेत्रक के लिए संशोधित परिव्यय (आरई) 7552.50 करोड़ रु. था। (देखें संलग्नक 18.1) राज्य और संघ राज्य क्षेत्र योजनाओं के लिए संशोधित अनुमान 12423.49 करोड़ रु. था (देखें संलग्नक 18.2)

18.3 वर्ष 2007-08 हेतु ग्रामीण जलापूर्ति व सफाई के लिए परिव्यय 7560 करोड़ रु. था। वर्ष के दौरान संशोधित परिव्यय 7460 करोड़ रु. था। ब्योरे संलग्नक 18.1 में दिए गए हैं।

18.4 राज्य सरकारों द्वारा राजीव गांधी राष्ट्रीय पेय जल मिशन को भेजी रिपोर्टों के आधार पर, 2007-08 के दौरान 180788 गांवों/आवासों को स्वच्छ पेय जल आपूर्ति सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं जबकि लक्ष्य 155499 गांवों/आवासों के पेयजल सुविधाएं उपलब्ध कराने का था। राज्यवार लक्ष्य और कवरेज संलग्नक 18.3 में दिए गए हैं।

18.5 राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम ने जलापूर्ति की भौतिक अवसंरचना सीवेज ट्रीटमेंट तथा स्वास्थ्य

व्यवस्था के विकास व प्रसार को उच्च प्राथमिकता देना अनिवार्य बनाया है। शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सभी वर्गों को पेयजल उपलब्ध कराना तथा पेयजल स्रोतों की उपलब्धता बढ़ाना परम अग्रता का मामला था। शहरों में विशेषकर दक्षिणी राज्यों में पेयजल की अत्यधिक कमी को समाप्त करने के लिए चेन्नै से आरंभ करके कोरो मंडल तट के साथ-साथ विलवणीकरण संयंत्रों की स्थापना करने की भी सिफारिश की गई थी।

वार्षिक योजना 2008-09

ग्रामीण जलापूर्ति

18.6 दसवीं योजना उद्देश्यों के साथ साथ चलते हुए, वार्षिक योजना 2008-09 में जलापूर्ति और सफाई क्षेत्रक के तहत केन्द्रीय योजना के अंतर्गत ग्रामीण जलापूर्ति और स्वच्छता हेतु 8500 करोड़ रु. सहित अधिक योजना परिव्यय रखा गया है। केन्द्रीय योजना के अंतर्गत अनुमोदित परिव्ययों के स्कीम वार और राज्य वार ब्योरे संलग्नक 18.1 में दिए गए हैं और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र योजनाओं के राज्य-वार ब्योरे संलग्नक 18.2 में दिए गए हैं।

18.7 वार्षिक योजना 2008-09 में त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (एआरडब्ल्यूएसपी) हेतु 7300 करोड़ रु. का परिव्यय शामिल है। यह केन्द्र प्रायोजित स्कीम है और इसके वित्तपोषण का पैटर्न केन्द्र तथा राज्यों के बीच 50:50 का है। ग्रामीण जलापूर्ति क्षेत्रक के सरोकारों के समाधान हेतु एआरडब्ल्यूएसपी हेतु वर्ष 2007-08 के आबंटन की तुलना में वर्ष 2008-09 में आबंटन 800 करोड़ रु. बढ़ा दिया गया है। स्वजलधारा जिसके लिए एआरडब्ल्यूएसपी में से 20% निधियां उद्दिष्ट हैं, एक समुदाय आधारित क्षेत्र सुधार स्कीम है।

18.8 भारत के राष्ट्रपति ने 25 फरवरी, 2005 को संसद में दिए अपने अभिभाषण में ग्रामीण भारत के पुनर्निर्माण हेतु भारत निर्माण नामक एक प्रमुख योजना की घोषणा की थी। वित्तमंत्री ने 28 फरवरी, 2005 को अपने बजट भाषण में ग्रामीण पेय जलापूर्ति को भारत निर्माण के छः घटकों में से एक घटक के रूप में अभिनिर्धारित किया है। भारत निर्माण के अंतर्गत (2005-06) से 2008-09 तक), 5,81,030 आवासों को कवर करने का प्रस्ताव है, जिसमें (i) व्यापक कार्य योजना, 99 के कवर किए गए 55,067 आवास, (ii) फ्लोराइड, आर्सेनिक व लवणता प्रभावित आवासों पर बल देते हुए जल गुणवत्ता प्रभावित 2,16,968 आवास और (iii) 3,08,995 पूर्व स्थिति में चले गए आवास, शामिल हैं। भारत निर्माण के अंतर्गत 2007-08 और 2008-09 में हुई वास्तविक प्रगति के ब्योरे संलग्नक 18.3 व 18.4 में दर्शाए गए हैं।

18.9 अधिकांश राज्यों में इस समय ग्रामीण जलापूर्ति का प्रचालन एवं अनुक्षण संतोषजनक नहीं है। अतः यह एक चिंता का विषय है तथा समुदाय विशेष रूप से महिलाओं की भागीदारी पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। कुछ राज्यों जैसे तमिल नाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, इत्यादि ने ओ एंड एम का उत्तरदायित्व पंचायती राज संस्थानों को अंतरित कर दिया है, क्योंकि ये बेहतर ढंग से कार्य कर रहे हैं। अन्य सभी राज्यों का भी ओ एवं एम को विकेन्द्रीकृत कर पंचायती राज संस्थानों को सौंप देना चाहिए। ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति (वीडब्ल्यूएससी) का ग्राम पंचायत की स्थायी समिति के रूप में गठन किया जाना चाहिए और उन्हें जलापूर्ति स्कीमों के प्रबंधन व स्रोतों की धारणीयता में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। बारहवें वित्त आयोग ने 2005-10 की अवधि के लिए पंचायती राज संस्थानों हेतु कुल 20,000 करोड़ रु. के अनुदान की सिफारिश की है। इसने यह भी सिफारिश की है कि पंचायती राज संस्थानों को जलापूर्ति व सफाई से संबंधित परिसंपत्तियों को हासिल करने और ओ एंड एम लागतों की तरह ही

मरम्मत/नवीकरण संबंधी अनुदानों के उपयोग हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तथापि पंचायती राज संस्थानों को उपभोक्ता प्रभार के रूप में आवर्ती लागतों का कम से कम 50% वसूल करना चाहिए। जलापूर्ति एवं सफाई के ओ एंड एम लागतों संबंधी व्यय को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

ग्रामीण स्वच्छता

18.10 कई राज्यों में ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम अब गति पकड़ रहा है और सम्पूर्ण सफाई अभियान (टीएससी) के अंतर्गत 590 जिले कवर किए गए हैं। यह एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम है और विभिन्न घटकों के वित्त पोषण के पैटर्न भिन्न-भिन्न हैं। मुख्य घटक अर्थात् व्यक्तिगत आवासों में स्वच्छ शौचालय के निर्माण संबंधी वित्त पोषण का पैटर्न केन्द्र, राज्यों तथा लाभार्थियों के बीच 60:28:12 का अनुपात है। प्रदान की जाने वाली सुविधाएं ग्राम पंचायतों, जनता, विशेष रूप से महिलाओं व गैर सरकारी संगठनों की आवश्यकता तथा पूर्ण भागीदारी पर निर्भर करती है। घरों में कम लागत वाले शौचालय के निर्माण संबंधी कार्यक्रम पर बल देना जारी रहेगा, जिसमें शुष्क शौचालयों को पानी की सुविधायुक्त (वेट) शौचालयों में परिवर्तित किया जाएगा। पूर्ण पर्यावरणीय स्वच्छता की अवधारणा को अपनाए जाने की आवश्यकता है। इस कार्यक्रम की सफलता के लिए, "ग्रामीण सफाई मार्ट" सामाजिक उद्देश्यों वाला एक वाणिज्यिक उद्यम, जो सेल्स आउटलेट के अलावा काउंसलिंग और सेवा केन्द्र के रूप में भी कार्य करता है, के माध्यम से वैकल्पिक डिलीवरी प्रणाली सुनिश्चित करना आवश्यक हो सकता है। वार्षिक योजना 2008-09 में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कवरेज में सुधार के लिए वर्ष 2007-08 में दिए गए 1060 करोड़ रु. की तुलना में केन्द्र प्रायोजित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम (सीआरएसपी) को उपलब्ध कराए गए 1200 करोड़ रु. शामिल हैं।

परिणामी बजट 2007-08 में निर्धारित लक्ष्यों के मुकाबले परिव्ययों की समीक्षा

एआरडब्ल्यूएसपी के अंतर्गत

18.11 6500 करोड़ रु. के परिव्यय की तुलना में वार्षिक योजना 2007-08 के लिए आउटकम/लक्ष्य शेष "एनसी " आवासों, 84915 स्लिड बैक आवासों, 49653 जलगुणवत्ता से प्रभावित आवासों को कवर करना था। वर्ष के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत 6425.83 करोड़ रु. की राशि जारी की गई और वास्तविक कवरेज 11457 यूसी आवासों, 75201 स्लिड बैक आवासों और 94130 गुणवत्ता प्रभावित आवासों की थी। कमी का मुख्य कारण यह है कि शेष यूसी आवास एवं जलगुणवत्ता प्रभावित आवास दूरस्थ क्षेत्रों में हैं और इसके साथ ही अनेक आवासों तक को पानी दूरस्थ स्रोतों से ले जाने की आवश्यकता होती है।

ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत(टीएससी)

18.12 वर्ष 2007-08 के लिए परिव्यय 1060 करोड़ रु. था। मांग आधारित स्कीम होने के

कारण, पहले से कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 590 जिले कवर किए गए हैं। वर्ष के दौरान ----- करोड़ रु. की राशि जारी की गई।

परिणामी बजट 2008-09 में निर्धारित लक्ष्यों के मुकाबले परिणामों की समीक्षा

एआरडब्ल्यूएसपी के अंतर्गत

18.13 7300 करोड़ रु. के परिव्यय की तुलना में वार्षिक योजना 2008-09 के आउटकम/ लक्ष्य 18049 कवर न किए गए, 87279 पूर्व स्थिति में चले गए और 112958 जलगुणवत्ता से प्रभावित आवासों को कवर करना है।

ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत(टीएससी)

18.14 वार्षिक योजना 2008-09 के लिए परिव्यय 1200 करोड़ रु. है। यह मांग आधारित स्कीम है, अतः कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं है।

संलग्नक 18.1

जलापूर्ति एवं स्वच्छता (ग्रामीण एवं शहरी) -- केन्द्रीय योजना-स्कीम वार परिव्यय/व्यय

(करोड़ रु.)

क्र.सं	स्कीम	2006-2007 वास्तविक व्यय	2007-2008		2008-09 अनुमोदित परिव्यय
			अनुमोदित परिव्यय	संशोधित परिव्यय	
	ग्रामीण विकास मंत्रालय				
1	राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन कार्यक्रम सहित केन्द्र प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम	4560.00	6500.00	6400.00	7300.00
2.	केन्द्र प्रायोजित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम	737.23	1060.00	1060.00	1200.00
	उपजोड़ (ग्रामीण विकास मंत्रालय)	5297.23	7560.00	7460.00	8500.00
	शहरी विकास मंत्रालय				
1	देश में कुछ चुनिंदा आईएएफ एअर फील्ड नगरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व जल निकास संबंधी प्रायोगिक परियोजना	60.00	20.00	20.00	0.00
2	20,000 से कम जनसंख्या वाले(वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार)छोटे नगरों में केन्द्र प्रायोजित त्वरित शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम (एयूडब्ल्यूएसपी)	52.51	32.50	32.50	0.00
3	मैला ढोने वालों की मुक्ति के लिए केन्द्र प्रायोजित एकीकृत कम लागत स्वच्छता स्कीम (आईएलसीएस)	40.00	40.00	40.00	150.00
	उप जोड़(शहरी विकास मंत्रालय)	152.51	92.50	92.50	150.00
	कुल	5449.74	7652.50	7552.50	8650.00

संलग्नक 18.2

जलापूर्ति व स्वच्छता(ग्रामीण व शहरी)संबंधी-परिव्यय/व्यय-राज्य व संघ राज्य क्षेत्र

(लाख रु.)

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2006-07 वास्तविक व्यय (आरई)	2007-08		2008-09 अनुमोदित परिव्यय
			अनुमोदित परिव्यय	संशोधित परिव्यय	
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	63626.64	83186.00	73186.00	143497.71
2.	अरुणाचल प्रदेश	4028.00	2905.00	5126.62	4708.00
3.	असम	4303.34	7308.00	6819.00	15265.00
4.	बिहार	20567.94	27657.85	27657.85	34827.85
5.	छत्तीस गढ़	21567.61	32134.89	32134.89	36253.04
6.	गोवा	9811.03	16542.00	16542.00	27736.00*
7.	गुजरात	124569.30	133120.00	133120.00	183925.00
8.	हरियाणा	37173.65	63200.00	56600.00	65300.00
9.	हिमाचल प्रदेश	21476.35	18927.00	18927.00	19989.70
10.	जम्मू व कश्मीर	18516.82	13298.98	13298.98	16000.00
11.	झारखंड	16240.00	20500.00	20500.00	27000.00
12.	कर्णाटक	41819.15	76359.00	76359.00	1393.07
13.	केरल	32930.27	91295.00	91295.00	96960.00
14.	मध्य प्रदेश	18293.91	30739.00	30739.00	32275.95
15.	महाराष्ट्र	71703.17	91695.02	91695.02	53087.97
16.	मणिपुर	8560.05	7849.00	11249.00	10425.00
17.	मेघालय	4292.92	4700.00	5334.00	5875.00
18.	मिजोरम	7203.51	5250.00	9780.00	6032.00
19.	नगालैंड	1132.68	1155.00	1155.00	1363.18
20.	उड़ीसा	13410.41	24357.00	24281.00	31717.00
21.	पंजाब	13994.50	27903.30	27903.30	26173.10
22.	राजस्थान	46308.81	64551.93	83315.94	100174.06
23.	सिक्किम	2036.73	3358.50	3626.00	3940.00
24.	तमिल नाडु	50562.12	57389.42	57389.42	77618.49
25.	त्रिपुरा	5440.60	6689.69	3914.77	11139.34
26.	उत्तर प्रदेश	67787.55	82939.00	82939.00	82513.00
27.	उत्तराखंड	26948.92	27565.04	33800.04	36291.58
28.	पश्चिम बंगाल	11788.30	32570.00	68140.00	36570.00
29.	अं. व नि. द्वीपसमूह	1793.56	2954.80	2954.80	3240.00
30.	दादर व नगर हवेली	483.15	516.00	516.00	975.00
31.	दमन व दीव	376.04	345.00	345.00	983.00
32.	दिल्ली	83350.00	126800.00	126800.00	150700.00
33.	लक्षद्वीप	2940.04	385.00	385.00	2848.00
34.	पांडिचेरी	5254.83	8126.82	3665.70	29.78
35.	चंडीगढ़	1464.00	855.48	855.48	476.00
	कुल	861755.90	1195128.72	1242349.81	1347302.82

* प्रस्तावित परिव्यय

ग्रामीण आवासों में जलापूर्ति की स्थिति - 2007-08

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लक्ष्य 2007-08				कवरेज 2007-08			
		यूसी	एसबी	क्यूए	कुल	यूसी	एसबी	क्यूए	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	आंध्र प्रदेश		8992	1102	10094	0	6382	2334	8716
2	अरुणाचल प्रदेश	168	1311	105	1584	104	356	589	1049
3	असम	2456	5318	5018	12792	2183	1764	14227	18174
4	बिहार		11595	4268	15863	0	5948	9358	15306
5	छत्तीसगढ़		2655	1687	4342	0	3852	613	4465
6	गोवा	4	0	0	4	1			1
7	गुजरात		1901	1870	3771	0	2133	4615	6748
8	हरियाणा		1006	134	1140	0	893	181	1074
9	हिमाचल प्रदेश	1407	3103	0	4510	1407	3103		4510
10	जम्मू व कश्मीर	1191	1024	26	2241	622	125		747
11	झारखंड		5058	421	5479	0	6548	822	7370
12	कर्णाटक	2604	1000	5572	9176	2151	2895	7441	12487
13	केरल	2757	0	501	3258	906		288	1194
14	मध्य प्रदेश		9004	1103	10107	0	10035	3880	13915
15	महाराष्ट्र	8792	2000	4183	14975	3196	3708	4920	11824
16	मणिपुर		150	3	153	0	144	74	218
17	मेघालय	45	1502	11	1558	31	1151	104	1286
18	मिजोरम	26	119	0	145	26	159	52	237
19	नगालैंड	311	68	0	379	40	29	150	219
20	उड़ीसा		6000	4361	10361	0	7733	11210	18943
21	पंजाब	418	1611	816	2845	87	396	1308	1791
22	राजस्थान	677	9230	9216	19123	643	3346	16986	20969
23	सिक्किम		299	8	307	0	299	76	375
24	तमिल नाडु		9482	143	9625	0	9689	1456	11145
25	त्रिपुरा		81	703	784	0	0	2670	2670
26	उत्तर प्रदेश		1000	2479	3479	0	615	3816	4431
27	उत्तरांचल	45	1406	0	1451	30	2087		2117
28	पश्चिम बंगाल		0	5896	5896	0	1806	6928	8734
29	अं.नि. द्वीपसमूह	8	0	6	14	0	0	0	0
30	दादर और नगर हवेली	15	0	0	15	21	0	0	21
31	दमन व दी		0	0	0	0	0	0	0
32	दिल्ली		0	0	0	0	0	0	0
33	लक्षद्वीप	7	0	0	7	0	0	0	0
34	पांडिचेरी	0	0	21	21	0	11	32	52
35	चंडीगढ़		0	0	0	0	0	0	0
	कुल	20931	84915	49653	155499	11457	75201	94130	180788

संलग्नक 18.4

ग्रामीण आवासों में पेयजलापूर्ति की स्थिति - 2008-09

क्रम संख्या	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	लक्ष्य 2008-09				कवरेज 2008-09 (दिसम्बर, 2008 तक)			
		यूसी	एसबी	क्यूए	कुल	यूसी	एसबी	क्यूए	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	आंध्र प्रदेश	0	15,889	697	16586	0	7,305	904	8,209
2	अरुणाचल प्रदेश	65	2,325	0	2,390	100	408	397	905
3	असम	273	8,872	0	3037	45	2,544	513	3,102
4	बिहार	0	24,597	0	16012	0	12,715	6070	18,785
5	छत्तीस गढ़	0	0	4,397	4397	0	7,147	1,031	8,178
6	गोवा	3	0	0	3	0	0	0	0
7	गुजरात	0	73	2926	2999	0	1,514	595	2,109
8	हरियाणा	0	577	33	610	0	295	10	305
9	हिमाचल प्रदेश	861	5,184	0	6045	0	4,443	0	4,443
10	जम्मू व कश्मीर	1,785	2,805	49	4,639	109	14	0	123
11	झारखंड	0	6,724	0	5941	0	6,504	46	6,550
12	कर्णाटक	453	0	12,385	8397	609	2967	1,552	5,128
13	केरल	4,112	0	458	40123	3,012	857	153	4,022
14	मध्य प्रदेश	0	3,718	1283	5001	0	4,486	325	4,811
15	महाराष्ट्र	8,632	5,119	0	12322	2,471	2,298	134	4,903
16	मणिपुर	0	0	0	0	0	43	0	43
17	मेघालय	15	1,867	0	1,876	5	323	7	335
18	मिजोरम	0	0	0	0	0	46	0	46
19	नगालैंड	530	109	0	623	2	23	23	48
20	उड़ीसा	0	0	20474	20474	0	12,805	702	13,507
21	पंजाब	306	3,938	660	4,904	150	645	582	1,377
22	राजस्थान	869	10,888	22990	34747	192	1,389	1,093	2,674
23	सिक्किम	0	300	0	300	0	27	0	27
24	तमिल नाडु	0	19955	3060	23015	0	3,314	78	3,392
25	त्रिपुरा	0	81	4157	4238	0	0	186	186
26	उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	0	22	158	180
27	उत्तरांचल	145	3,197	0	3,342	23	794	0	817
28	पश्चिम बंगाल	0	0	57204	57204	0	178	162	340
29	अं.नि. द्वीपसमूह	8	0	26	34	0	0	0	0
30	दादर व नागर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0
31	दमन व दीव	0	0	0	0	0	0	0	0
32	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	0
33	लक्षद्वीप	10	0	0	10	0	0	0	0
34	पांडिचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0
35	चंडीगढ़		0	0	0	0	0	0	0
		18049	87279	112958	218286	6,718	73,106	14,721	94,545

अध्याय-19

महिला एजेंसी और बाल अधिकार

19.1 महिला एवं बाल विकास 11वीं योजना के लिए अपनाए गए विकास के समावेशी दृष्टिकोण का केन्द्र बिन्दु है। योजना का मानना है कि विकास के लाभ समाज के सभी वर्गों, विशेषकर महिलाओं व बच्चों तक समान रूप से पहुँचने चाहिए। विकास वास्तव में समावेशी है यह सुनिश्चित करने के लिए, 11वीं योजना में महिलाओं व बच्चों की सुरक्षा, कल्याण, विकास, सशक्तिकरण और भागीदारी को योजना प्रक्रिया का अभिन्न भाग बनाने की परिकल्पना की गई है। 11वीं योजना में लिंग समानता का दृष्टिकोण भी इस मान्यता पर आधारित है कि महिलाओं के पक्ष में किए जाने वाले हस्तक्षेप बहु-मुखी होंगे और (i) महिलाओं को मूल अधिकार उपलब्ध कराए जाएंगे, (ii) आर्थिक सशक्तिकरण को प्राथमिकता देकर वैश्वीकरण की यथार्थता और महिलाओं पर इसके प्रभाव का समाधान किया जाए, (iii) महिलाओं के प्रति हिंसा के सभी रूपों-शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक हिंसा मुक्त परिवेश सुनिश्चित किया जाएगा, (iv) उच्चतम नीति स्तरों, विशेषकर संसद और विधायिकाओं में महिलाओं की भागीदारी और उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना, और (v) महिलाओं को मुख्यधारा में लाने और प्रभावी नीति कार्यान्वयन हेतु विद्यमान संस्थागत तंत्रों का सुदृढीकरण और नयों का सृजन होना चाहिए।

19.2 इसी प्रकार ग्यारहवीं योजना में बाल विकास दृष्टिकोण से यह सुनिश्चित करना है कि कार्य, बीमारी और निराशा के कारण बच्चे अपना बचपन न खो दें। योजना में विपरीत परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों समेत सभी बच्चों के अधिकारों को समझने और उनके सामाजिक सुरक्षा नेट को निरापद बनाने के अलावा सदैव एवं सर्वत्र उनके

अधिकारों को संरक्षित करने की परिकल्पना की गई है।

19.3 इसके अतिरिक्त 11 वीं योजना में महिला एवं बाल विकास संबंधी पहलें निम्नानुसार हैं

- प्रत्येक महिला एवं बच्चे को उसकी पूर्ण क्षमता के विकास हेतु उसके अधिकारों को मान्यता देना;
- महिलाओं और बच्चों के विभिन्न समूहों की विशिष्ट आवश्यकताओं की पहचान करना;
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के माध्यम से महिलाओं और बच्चों पर केन्द्रित विशिष्ट उपाय और अंतर-क्षेत्रकीय अभिसरण की आवश्यकता;
- स्थायी संस्थागत तंत्रों के सृजन हेतु उन सिविल सोसाइटी के साथ भागीदारी करना जो विकास आयोजना प्रक्रिया में और महिला समूहों के अनुभव, क्षमताओं एवं ज्ञान को समावेशित करें।

19.4 वार्षिक योजना 2008-09 ग्यारहवीं योजना का द्वितीय वर्ष होने के कारण, 11 वीं योजना में परिकल्पित दृष्टिकोण व कार्यनीति के अनुरूप है।

19.5 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (डब्ल्यू सी डी मंत्रालय) 11 वीं योजना के दौरान नोडल एजेंसी के रूप में महिला एजेंसी को बढ़ावा देने और बाल अधिकारों के प्रोत्साहन एवं सुरक्षा के लिए कार्य करता रहेगा। मंत्रालय में इनके लिए विभिन्न महिला एवं बाल विशिष्ट स्कीमों हैं। यह अन्य भिन्न मंत्रालयों/ विभागों के महिला व बाल कार्यक्रमों के लिए भी समन्वय कर रहा है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की स्कीमें

19.6 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को वार्षिक योजना 2008-09 के लिए 29 स्कीमों हेतु परिव्यय उपलब्ध कराया गया है जिसमें 22 केन्द्रीय क्षेत्रक (सी एस) और 7 केन्द्र प्रायोजित स्कीमों (सी एस एस) शामिल हैं जिनमें से 12 महिलाओं और 12 बच्चों के लिए है तथा 5 "अन्य संयुक्त स्कीमों" हैं। वार्षिक योजना 2008-09 में एक नई स्कीम अर्थात् अल्पसंख्यक महिला नेतृत्व विकास स्कीम शामिल की गई है।

19.7 वार्षिक योजना 2008-09 के दौरान कार्यान्वयनाधीन स्कीमों के ब्योरे संलग्नक-क पर देखे जा सकते हैं।

वार्षिक योजना 2008-09 - परिव्यय और वित्तीय एवं वास्तविक उपलब्धियां :

19.8 वार्षिक योजना 2008-09 के दौरान महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के पास कुल 7200 करोड़ रु० का योजना परिव्यय था। अप्रैल, 08 से सितम्बर, 08 के दौरान किया गया कुल व्यय कुल परिव्यय के मुकाबले 2981.42 करोड़ रुपये अर्थात् 41.41% था। स्कीम-वार परिव्यय और व्यय तथा वास्तविक उपलब्धियां (अप्रैल, 08 से सितम्बर, 08 तक) संलग्नक-क पर दी गई हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा भिन्न प्रमुख स्कीमों के अंतर्गत उपलब्धियों की समीक्षा संक्षेप में निम्नलिखित अनुच्छेदों में प्रस्तुत की गई है :

महिला विकास

कार्यरत महिलाओं के लिए हॉस्टल स्कीम

19.9 कार्यरत महिलाओं के लिए हॉस्टल स्कीम कार्यान्वयनाधीन है, ताकि अपने घरों से दूर रह रही महिलाओं को उनके कार्यस्थल पर सुरक्षित व वहनीय खर्च पर आवास उपलब्ध कराए जा सकें। इस प्रकार यह स्कीम उन्हें सुलभ व सुरक्षित आवास उपलब्ध करवाकर रोजगार बाजार में उसकी गतिशीलता को बढ़ावा देती है, इस स्कीम के

अंतर्गत, गैर-सरकारी संगठनों, सहकारी निकायों व अन्य एजेंसियों को कार्यरत महिलाओं के लिए हॉस्टल निर्माण अथवा बच्चों के लिए डे-केयर सुविधाओं वाली इमारतों को हॉस्टल के रूप में उपयोग हेतु किराए पर लेने के लिए, वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। वार्षिक योजना 2008-09 के दौरान 20.00 करोड़ रु० के परिव्यय के मुकाबले 2.00 करोड़ रु० का व्यय (सितम्बर, 2008 तक) किया गया है। वार्षिक योजना के दौरान, 50 अतिरिक्त हॉस्टल बनाए जाने का लक्ष्य है। इसमें से सितम्बर, 2008 तक 20 हॉस्टल (40% उपलब्धि) बनाए गए हैं। इस संदर्भ में, मंत्रालय ने सूचित किया कि हॉस्टलों के निर्माण के लिए राज्य सरकारें उपयुक्त स्थलों, जहाँ पर सड़क, परिवहन, विद्युत इत्यादि जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं, पर भूमि नहीं देती है।

प्रशिक्षण व रोजगार कार्यक्रम हेतु सहायता (स्टेप)

19.10 यह एक केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीम है जो वर्ष 1987 से कार्यान्वयनाधीन है। यह स्कीम गरीबों और परिसम्पत्तिहीन महिलाओं को दक्षता व नवीन जानकारी उपलब्ध कराने के लिए है। यह स्कीम पारंपरिक क्षेत्रक और गैर-पारंपरिक क्षेत्रक ट्रेडों में प्रशिक्षण उपलब्ध कराती है। इस स्कीम के अंतर्गत महिला लाभार्थियों को व्यवहार्य और सामंजस्यपूर्ण समूहों अथवा सहकारिताओं में संघटित किया जाता है। क्रेडिट के अतिरिक्त व्यापक सेवा पैकेज उपलब्ध कराया जाता है जिसमें स्वास्थ्य सुरक्षा, क्रेच सुविधा, मार्किट लिकेजेज शामिल हैं। वार्षिक योजना 2008-09 के लिए परिव्यय 37.00 करोड़ रु० था जिसके मुकाबले सितम्बर, 2008 तक किया गया व्यय 4.39 करोड़ रु० था। वार्षिक योजना के दौरान महिला लाभार्थियों की लक्ष्य संख्या 70,000 थी और सितम्बर, 08 तक महिला लाभार्थियों की संख्या 5480 थी।

राष्ट्रीय महिला आयोग

19.11 राष्ट्रीय महिला आयोग एक राष्ट्रीय स्तर का सांविधिक निकाय है जिसकी स्थापना वर्ष

1992 में महिलाओं के अधिकारों और हितों की सुरक्षा के लिए की गई थी और यह भारतीय संविधान के अंतर्गत देश में महिलाओं को उपलब्ध कराई गई सुरक्षा से संबंधित सभी मुद्दों की छानबीन, जाँच और समीक्षा के माध्यम से महिलाओं के लिए लैंगिक न्याय के लिए कार्य कर रहा है। आयोग महिला विशिष्ट तथा महिलाओं से संबंधित विधानों के कार्यान्वयन की भी समीक्षा करता है और जहाँ कहीं आवश्यक होता है उपयुक्त संशोधनों की सिफारिश करता है। इस प्रकार आयोग समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने और उनके समग्र सशक्तिकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। इसके अतिरिक्त, आयोग महिलाओं के प्रति हिंसा से संबंधित जाँच कराता रहा है। सेमिनार, कार्यशालाएं आयोजित करना, सार्वजनिक सुनवाई आदि, बाल विवाह विरोध अभियान चलाना महिला संबंधित लम्बित बिलों के मामलों पर सांसदों व अन्य व्यक्तियों से बात-चीत करना, पारिवारिक महिला लोक अदालत और कानूनी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना तथा महिलाओं से संबंधित मुद्दों के अध्ययन प्रायोजित करना इत्यादि कार्य करता रहा है। इस स्कीम के लिए वर्ष 2008-09 संबंधी परिव्यय 5.00 करोड़ रु0 है।

राष्ट्रीय महिला कोष (आरएमके)

19.12 इस स्कीम का उद्देश्य गरीब महिलाओं को माइक्रो-क्रेडिट उपलब्ध कराना है जिससे वे अपना छोटा-मोटा व्यापार कर सकें और आपात स्थिति में उपभोग व अन्य आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। भारत सरकार द्वारा गरीब एवं जरूरतमंद महिलाओं को सरल व न्यूनतम प्रक्रिया के माध्यम से आय सृजन कार्यकलापों अथवा अर्ध अनौपचारिक व ग्राहक अनुकूल तरीके से माइक्रो क्रेडिट उपलब्ध कराने/इसको बढ़ावा देने के लिए वर्ष 1993 में राष्ट्रीय महिला क्रेडिट निधि अथवा आरएमके की स्थापना एक स्वतंत्र पंजीकृत सोसाइटी के रूप में की गई थी। 11वीं योजना में, राष्ट्रीय महिला कोष अपना फोकस बदलते हुए राज्यों में और अधिक गैर सरकारी संगठनों को नोडल एजेंसियों के रूप में

कार्य करने हेतु प्रोत्साहित करके सभी राज्यों में अपने उधार कार्यकलापों को समान रूप से कार्यान्वित करने का प्रयास करेगा। वार्षिक योजना 2008-09 के दौरान इस स्कीम के लिए 31.00 करोड़ रु0 का परिव्यय उपलब्ध कराया गया है। अप्रैल-सितम्बर, 2008 की अवधि के दौरान इस स्कीम के लिए कोई राशि जारी नहीं की गई।

महिलाओं एवं बच्चों के अनैतिक व्यापार को रोकने के लिए व्यापक स्कीम

19.13 इस स्कीम का उद्देश्य गैर-सरकारी संगठनों की भागीदारी से देह व्यापार की शिकार महिलाओं और बच्चों का बचाव करना है। गैर-सरकारी क्षेत्रक की विशेषरूप से सूचना एकत्र करने और बचाव अभियान में भागीदारी, स्कीम का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इस स्कीम के घटक हैं जैसे अवैध व्यापार पीड़ितों की आश्रय गृहों तक परिवहन की लागत, भोजन, कपड़ा, स्वास्थ्य, कानूनी प्रक्रिया और स्व-रोजगार। पुनर्वास हेतु अंतेवासियों का प्रशिक्षण। वार्षिक योजना 2008-09 के लिए 10.00 करोड़ रु0 का परिव्यय उपलब्ध कराया गया है। जिसमें से कोई व्यय नहीं किया जा सका क्योंकि इस विषय पर कार्य करने के लिए केवल कुछ ही गैर-सरकारी संगठन आगे आए। अब कुछ और गैर सरकारी संगठनों ने इस विषय पर कार्य करने के लिए आवेदन किया है और उनके प्रस्तावों पर कार्रवाई की जा रही है।

बलात्कार पीड़ितों को राहत और उनका पुनर्वास :

19.14 यह एक केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीम है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार आपराधिक क्षति प्रतिकार बोर्ड की स्थापना करने और अभिघातज महिलाओं को वित्तीय राहत देने के लिए एक स्कीम का प्रारूप तैयार किया है। वार्षिक योजना 2008-09 के लिए इस स्कीम को 40.00 करोड़ रु0 का परिव्यय उपलब्ध कराया गया है। परन्तु, अप्रैल-सितम्बर, 2008 की अवधि के दौरान कोई व्यय नहीं किया गया। स्कीम अभी तैयार की जा रही है।

लैंगिक न्याय

19.15 मुख्य कार्यनीति लैंगिक न्याय महिला घटक योजना के कार्यान्वयन में अनुसरित है जिसके माध्यम से यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं कि सभी मंत्रालयों/विभागों की विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत महिलाओं के लिए 30% निधियां/लाभ निर्धारित किए जाते हैं। तथापि, 10वीं योजना के दौरान देश में महिला घटक योजना संतोषजनक नहीं रही। 11वीं योजना के दौरान भी, योजना आयोग और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों तथा राज्य सरकारों को भी डब्ल्यूसीपी की रूपरेखा तैयार करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, जिससे महिलाओं के लिए न केवल निधियों और लाभों का निर्धारण हो, अपितु विशेष कार्यक्रम भी तैयार किए जा सकें जिससे सीधे एवं अनन्य रूप से महिलाओं को लाभ हो।

जेंडर बजटिंग और जेंडर डिस एग्रीगेटेड डाटा स्कीम

19.16 देश में लैंगिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए जेंडर बजटिंग को भी एक महत्वपूर्ण उपाय के रूप में अपनाया गया है। वित्त मंत्रालय और योजना आयोग के निर्देशों के अनुसार, अधिकांश केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों में जेंडर बजटिंग प्रकोष्ठ भी स्थापित किए गए हैं चूंकि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय देश में महिला सशक्तिकरण की नोडल एजेंसी है, अतः यह जेंडर बजटिंग को मूर्त रूप देने के लिए मंत्रालयों/विभागों से समन्वय कर रहा है। जेंडर बजटिंग के मामले में सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों को संवेदनशील बनाने के लिए यह मंत्रालय नियमित अंतरालों पर कार्यशालाएं भी आयोजित करता रहा है। वार्षिक योजना 2008-09 के लिए इस स्कीम हेतु 3.00 करोड़ रु का आबंटन किया गया है। परन्तु, सितम्बर, 2009 तक कोई व्यय नहीं किया जा सका क्योंकि एसएफसी द्वारा स्कीम का अनुमोदन जनवरी, 2008 में किया गया।

सूचना, मास मीडिया और प्रकाशन स्कीम

19.17 महिलाओं के प्रति लोगों की सोच में बदलाव लाने और समाज में महिलाओं के संतुलित चित्रण एवं बच्चों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए जागरूकता पैदा करने में स्कीम का विशेष महत्व है। वर्ष 2008-09 के दौरान इस स्कीम के लिए परिव्यय 48.00 करोड़ रु था। जिसमें से (सितम्बर, 08 तक) 28.00 करोड़ रु का व्यय किया गया है।

स्वाधार

19.18 यह स्कीम वर्ष 2001-02 में शुरू की गई थी जिसमें कठिन परिस्थितियों में रह रही उपेक्षित महिलाओं और लड़कियों के लिए आश्रय, भोजन, कपड़ा और देखभाल जैसी सहायता सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए लचीला एवं नवीन दृष्टिकोण अपनाया गया है। इसमें ऐसी महिलाएं शामिल हैं जिन्हें कोई सामाजिक और आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं है जैसे निःसहाय विधवाएं, जेल से छूटी हुई तथा बिना पारिवारिक सहायता प्राप्त महिला कैदी, प्राकृतिक आपदाओं से जीवित बच गई महिलाएं, देह-व्यापार की शिकार महिलाएं और हिंसा की शिकार ऐसी महिलाएं जिन्हें कोई पारिवारिक सहायता प्राप्त नहीं है। कष्ट में रह रही महिलाओं को हेल्पलाइन उपलब्ध कराना भी इस स्कीम का प्रमुख उद्देश्य है। कुछ संशोधनों के साथ यह स्कीम 11वीं योजना में जारी है ताकि यह स्कीम कठिन परिस्थितियों में रह रही महिलाओं की आवश्यकताएं पूरी कर सके। वार्षिक योजना 2008-09 के लिए इस स्कीम हेतु 20.00 करोड़ रु का परिव्यय उपलब्ध कराया गया है, जिसमें से सितम्बर, 08 तक 2.00 करोड़ रु का व्यय किया गया है। इस योजना के दौरान 450 आश्रय गृहों की स्थापना का लक्ष्य है और सितम्बर, 2008 तक महिलाओं के लिए 100 आश्रय गृहों की स्थापना की जा चुकी है। इसी तरह, इस योजना के दौरान महिला लाभार्थियों की संख्या 15000 है और सितम्बर, 2008 तक 1712 महिलाओं को लाभ पहुंचाया गया है।

स्वयंसिद्धा

19.19 यह एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम है और वर्ष 2000-01 में शुरू की गई थी। इस स्कीम का उद्देश्य छोटी बचतों के माध्यम से महिलाओं में मितव्ययिता को प्रोत्साहित करना है। स्वयंसिद्धा महिलाओं के समग्र सशक्तिकरण के लिए है अर्थात् आत्मनिर्भर, स्व सहायता समूहों (एसएचपीज) को बढ़ावा देकर महिलाओं में सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण और संसाधनों तक उनकी सीधी पहुँच और उस पर नियंत्रण सुनिश्चित करना। वर्ष 2008-09 के दौरान स्वयंसिद्धा हेतु 200.00 करोड़ रु० का परिव्यय था परन्तु स्वयंसिद्धा चरण-II तैयार किया जा रहा है।

प्रियदर्शिनी

19.20 प्रियदर्शिनी स्कीम ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण और आजीविका के लिए है। इस स्कीम का उद्देश्य संघारणीय और संशोधित आजीविका अवसरों के माध्यम से और उनके आजीविका विकास से संबंधित स्थानीय संस्थानों के सुदृढीकरण द्वारा ग्रामीण गरीब महिलाओं और किशोरियों का समाजार्थिक सशक्तिकरण करना है। इस स्कीम/परियोजना के चार घटक हैं अर्थात् आधार स्तर पर संस्थान निर्माण (एसएचजीजी), माइक्रो वित्त और आजीविका सहायक सेवाएं, सामाजिक सशक्तिकरण एजेंडा और परियोजना प्रबंधन। वर्ष 2008-09 के लिए इस स्कीम हेतु 23.00 करोड़ रु० का परिव्यय उपलब्ध कराया गया है। यह स्कीम अभी आरंभ नहीं की जा सकी है क्योंकि पूर्ण योजना आयोग का अनुमोदन लम्बित है, जिस पर कार्रवाई की जा रही है।

अल्पसंख्यक महिलाओं का नेतृत्व विकास

19.21 वार्षिक योजना 2008-09 के दौरान, एक नई स्कीम नामतः अल्पसंख्यक महिला नेतृत्व विकास स्कीम आरंभ की गई है। इस स्कीम में मुस्लिम महिलाओं द्वारा सामना किए जा रहे दोहरे भेद-भाव से निपटने और नेतृत्व प्रशिक्षण देने व

दक्षता विकास करने की परिकल्पना की गई है ताकि वे घर व समुदाय की चारदीवारी से बाहर निकल सकें और सेवाएं, दक्षता और अवसर प्राप्त करने में नेतृत्व कर सकें जिससे उनके जीवन व आजीविका में सुधार होगा। वार्षिक योजना 2008-09 के दौरान, इस स्कीम के लिए 5.00 करोड़ रु० का परिव्यय निर्धारित किया गया है। मंत्रालय स्कीम तैयार कर रहा है। इस स्कीम में हाल ही में शामिल किए गए जैन समुदाय सहित सभी अल्पसंख्यक महिलाओं को शामिल किया जाएगा।

बाल अधिकार

बच्चों के लिए राजीव गांधी क्रेच स्कीम

19.22 बेहतर और उन्नत क्रेच/डे-केयर सुविधाएं प्रदान करने के लिए यह स्कीम 1.1.2006 से कार्यान्वयनाधीन है। वार्षिक योजना 2008-09 के दौरान इस स्कीम को 100 करोड़ रु० का परिव्यय दिया गया है। सितम्बर, 08 तक 34.84 करोड़ रु० की राशि खर्च की गई है। अप्रैल-सितम्बर, 2008 के दौरान 31737 क्रेच यूनिटों की स्थापना की गई है और लाभार्थियों की संख्या 7.93 लाख है।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर)

19.23 यह एक केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीम है जो बाल अधिकारों के उपयुक्त प्रवर्तन और बच्चों से संबंधित कानूनों और कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए है। वर्ष 2008-09 के लिए 7.00 करोड़ रु० का परिव्यय दिया गया है। जिसमें से सितम्बर, 08 तक 2.76 करोड़ रु० खर्च किए गए हैं। यह स्कीम कार्यान्वयनाधीन है।

बालिकाओं के लिए सशर्त नकद अंतरण स्कीम

19.24 यह एक नई केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीम है। यह स्कीम मार्च 2008 में शुरू की गई है। इस स्कीम का उद्देश्य बालिकाओं के प्रति पक्षपात पूर्ण मनोवृत्ति के परिणामस्वरूप लिंग अनुपात में आने-वाली गिरावट का समाधान करना है। इस स्कीम में

कतिपय व्यवहार अथवा कार्यों अर्थात् बालिका के जन्म लेने देने, उसके उत्तरजीवन को सुनिश्चित करने, नियमित आधार पर उसे स्वास्थ्य केन्द्र पर ले जाने, उसे स्कूल भेजने इत्यादि के आधार पर गरीब परिवारों को सशर्त नकद अंतरण की परिकल्पना की गई है। इस स्कीम के लिए वार्षिक योजना 2008-09 का परिव्यय 10.00 करोड़ रु. था। जिसमें से सितम्बर, 08 तक 2.00 करोड़ रु. का व्यय किया गया है।

एकीकृत बाल विकास सेवाएं स्कीम (आईसीडीएस)

19.25 यह स्कीम देश के 33 ब्लॉकों में प्रायोगिक परियोजना के रूप में वर्ष 1975 में शुरू की गई थी परन्तु धीरे-धीरे इसके विस्तार के साथ यह एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम बन गई है। इस स्कीम का मूल उद्देश्य छः वर्ष से कम आयु के बच्चों और गर्भवती तथा दुग्धपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य तथा उनकी पौषणिक स्थिति को सुधारने और 3-6 वर्ष के आयु के बच्चों में प्री-स्कूल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए छः मूल सेवाएं उपलब्ध कराना है। स्कीम प्रतिरक्षण, अनुपूरक पोषण, स्वास्थ्य जाँच रेफरल सेवाएं पोषण तथा स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी सेवाएं उपलब्ध करानी है। बाल्यावस्था कुपोषण की समस्याओं का सामना करने के लिए स्कीम की महत्ता को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने इस स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2005-06 से 50 : 50 आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ पूरक पोषण की लागत को साझा करने का कार्य आरंभ किया था।

तदनुसार, वार्षिक योजना 2008-09 के लिए 6300.00 करोड़ रु० का परिव्यय उपलब्ध कराया गया है। सितम्बर, 08 तक 2869.85 करोड़ रु० (45.55%) का व्यय किया गया है। वार्षिक योजना 2008-09 के दौरान प्रचालनात्मक आईसीडीएस परियोजनाओं (संचयी) का लक्ष्य 7076 निर्धारित किया गया था जबकि 30.06.2008 तक की उपलब्धि में 6108 परियोजनाएं थीं। वार्षिक योजना 2008-09 के दौरान एडब्ल्यूखीज (संचयी) संबंधी लक्ष्य 1265000 निर्धारित किया गया था और 30.06.2008 तक की उपलब्धि 1020537 हुई है।

एकीकृत बाल संरक्षण स्कीम (आईसीपीएस)

19.26 यह स्कीम एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम है जिसका उद्देश्य बाल संरक्षण के मुद्दे का समाधान करना तथा सरकारी सिविल सोसाइटी भागीदारी के माध्यम से बच्चों के लिए एक संरक्षणात्मक परिवेश बनाना है। इस स्कीम में विद्यमान संरक्षण स्कीम को संयुक्त करके कई शीर्ष स्कीमों को एक व्यापक बाल संरक्षा कार्यक्रम में लाया गया है और बच्चों की संरक्षण देने तथा हानि से उनके बचाव संबंधी उपायों को एकीकृत किया गया है। वार्षिक योजना 2008-09 के दौरान, इस स्कीम के लिए 200.00 करोड़ रु० का परिव्यय उपलब्ध कराया गया है। यह स्कीम अभी आरंभ नहीं की जा सकी क्योंकि पूर्ण योजना आयोग का अनुमोदन लम्बित है जिस पर कार्रवाई की जा रही है।

अध्याय -20

कृषि

20.1 यद्यपि कृषि का राष्ट्र के सकल घरेलू उत्पाद में योगदान कम है तथापि रोजगार तथा आजीविका सृजन में इसका अधिक हिस्सा होने के कारण यह भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि के हिस्से 1982-83 में 36.4% से गिरकर 2006-07 में 18.5 % तक हो गया है। अभी भी यह 52% श्रमिक दल को रोजगार उपलब्ध कराते हुए आधा बिलियन से अधिक लोगों का सहारा बनी हुई है। यह कच्चे माल का मुख्य स्रोत तथा कई औद्योगिक उत्पादों विशेषकर उर्वरकों, कीटनाशकों, कृषि औजारों तथा अनेक प्रकार की उपभोक्ता वस्तुओं की मांग भी है।

20.2 कृषि में बागवानी क्षेत्रक ने वर्ष 2005-06 में सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 28% का योगदान दिया। वर्ष 2006-07 में कुल बागवानी उत्पादों में सब्जियों, फलों, पौध फसलों तथा मसालों का योगदान क्रमशः 59.8%, 30.9%, 6.5%, तथा 2.1% था । बागवानी फसलों के उत्पाद में वर्ष 2005-06 में 8.9% की बढ़ोतरी दर्ज की गई । वर्ष 2006-07 में उत्पादन में वृद्धि की गति 2.8% तक धीमी हो गई इसके मुख्य कारण प्याज के उत्पादन में कमी तथा मसालों के उत्पादन में स्थिरता थे।

20.3 कुल सकल घरेलू उत्पाद में पशुधन क्षेत्रक का योगदान 4% से अधिक है तथा सकल घरेलू उत्पाद का लगभग एक चौथाई योगदान कृषि तथा संबद्ध कार्यकलापों से प्राप्त होता है। यह क्षेत्रक सूखा तथा अर्द्ध-सूखा क्षेत्रों में परिवारिक आय का मुख्य स्रोत है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में इस क्षेत्रक के लिए प्रति वर्ष 6-7% की समग्र वृद्धि की परिकल्पना की गई है। 2006-07 में इस क्षेत्रक ने 101 मिलियन टन दूध, 51 बिलियन अंडे, 45 मिलियन कि.ग्रा. उन तथा 2.3 मिलियन टन मांस का योगदान दिया है। 17 वीं पशुधन

जनगणना(2003) ने कुल पशुधन जनसंख्या 485 मिलियन तथा कुक्कुट पक्षियों की संख्या 489 मिलियन आंकी है। विश्व में भारत का दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान है यह उत्पादन वर्ष 1950-51 में 17 मिलियन टन(एमटी) से बढ़कर 2007-08 में लगभग 102 मिलियन टन हो गया है। दुध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में भी वृद्धि हुई है। यह 1968-69में 112 ग्राम प्रति दिन से बढ़कर 2006-07 में 246 ग्राम हो गई लेकिन यह अभी भी 265 ग्राम/दिन के विश्व औसत की तुलना में कम है।

20.4 कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रकों में वृद्धि दर:

कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलापों की जीडीपी में हुई वार्षिक वृद्धि का सार निम्नलिखित तालिका में दिया गया है;

तालिका 20.1 (1999-2000)के स्थिर मूल्यों पर कृषि तथा सम्बद्ध क्रिया कलापों के सकल घरेलू उत्पाद में वार्षिक वृद्धि ।

वर्ष/अवधि	पिछले वर्ष में परिवर्तन (प्रतिशत में)
दसवीं योजना (2002-03 से 2006-07)	
2002-03	- 7.2
2003-04	10.0
2004-05	0.0
2002-03 से 2004-05 के दौरान औसत वृद्धि	0.9
2005-06	5.9
2006-07	3.8
ग्यारहवीं योजना (2007-08 से 2011-12)	
2007-08 संशोधित अनुमान	4.5
2005-06 से 2007-08 के दौरान औसत वृद्धि	4.7
स्रोत: केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, नई दिल्ली-30 मई, 2008 को जारी वार्षिक राष्ट्रीय आय, 2007-08 के संशोधित अनुमान	

ग्यारहवीं योजना की कार्यनीति

20.5 राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र में इस बात को स्वीकार किया गया है कि ग्यारहवीं योजना की मुख्य चुनौतियों में से एक चुनौती 1980 और 1996-97 के बीच देखी गई। 3.2 प्रतिशत की कृषि वृद्धि, जो बाद में लगभग 2 प्रतिशत की औसत प्रवृत्ति पर पहुंच गई थी, को पलटना है। यह गिरावट ग्रामीण व्यथा की समस्या का मूल कारण है जो देश के कई भागों में व्याप्त है तथा कहीं-कहीं तो दुर्दशा की स्थिति तक पहुंच गया है। अपर्याप्त उत्पादकता वृद्धि के कारण हुई निम्न खेती आयों को प्रायः निष्पादन की निम्न कीमतों तथा उचित दरों पर ऋण की कमी से जोड़ कर देखा जाता है, जो किसानों को ऋण-ग्रस्तता की ओर धकेल देती है। अन्यथा रूप में यहां तक कि अनिश्चितता में बढ़ोतरी (कीमतों, इनपुट की गुणवत्ता तथा मौसम एवं कीटनाशक के संबंध में भी) देखी गई है, जिसे उचित विस्तार की अनुपलब्धता तथा बीमा जोखिम जिससे किसानों में निराशा पैदा हुई है। इससे व्यापक प्रवास-व्यथाएं बढ़ी हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में महिला प्रधान-गृहों में वृद्धि हुई है और महिलाओं के कार्यसंबंधी भार में सामान्य वृद्धि व असुरक्षा देखी गई है। वर्ष 2004-05 में कृषि में महिला मुख्य कामगारों की संख्या 34 प्रतिशत तथा सहायक कामगार 89 प्रतिशत हो गई, जो राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के किसी भी पहल के दौर से अधिक है।

20.6 कृषि की समस्या न केवल छोटे तथा सीमांत किसानों की रही है, अपितु मध्यम तथा बड़े किसान भी स्थिर उत्पादन से प्रभावित हैं। चूंकि यह क्षेत्रक अब भी 60 प्रतिशत श्रम बल से अधिक लोगों को रोजगार मुहैया कराता है, अतः यह महत्वपूर्ण है कि कृषि आय में बढ़ोतरी की जाए।

20.7 कृषि में ठहराव की जो संकटावस्था है, उस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। यह क्षेत्रक अभी तक हमारे लगभग 60 प्रतिशत लोगों को आजीविका मुहैया कराता है तथा खाद्य सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। कृषि में महिलाओं तथा

पुरुषों के लिए अच्छा जीवन सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि दसवीं योजना की वृद्धि दर को दुगुना कर दी जाए तथा कृषि को लगभग 4 प्रतिशत की वृद्धि पर लाया जाए। इसी के साथ कीमतों एवं लाभकारिता को बनाए रखने के लिए, उत्पादकता सुधारों पर आधारित आपूर्ति पक्ष की प्रतिक्रिया के अनुरूप कृषि निष्पादन के लिए मांग में अनुकूल बढ़ोतरी करने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय किसान आयोग द्वारा उठाए गए मुद्दों पर नई डील करने की आवश्यकता है, जो कृषि के संबंध में नई उम्मीद जगाती है। व्यापक स्तर पर सार्वजनिक जरूरी संसाधनों के अतिरिक्त, राज्य स्तरीय नीति निर्माताओं को उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान करने की आवश्यकता है, जिसमें सहायता तथा सुधार की जरूरत है, जो अधिक निवेश करने के लिए किसानों में विश्वास उत्पन्न करे। कृषि निष्पादन को बढ़ाने के लिए 11वीं योजना की कार्यनीति में निम्नलिखित बातों पर जोर दिया गया है:-

- सिंचाई क्षेत्र की वृद्धि दर को दुगुना करना;
- जल प्रबंधन, वर्षा जल संग्रहण तथा जल संभरण विकास में सुधार;
- अवक्रमित भूमि को कृषि-योग्य बना देना तथा मिट्टी की गुणवत्ता पर ध्यान केन्द्रित करना;
- प्रभावी विस्तार के माध्यम से ज्ञान अंतराल को पाटना;
- उच्च मूल्य निष्पादन, फलों, सब्जियों फूलों, औषधियों तथा मसालों, औषधीय पौधों, बांस, बायो-डीजल आदि में विविधता, लेकिन पर्याप्त उपायों के साथ खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना;
- पशुपालन तथा मतस्यपालन को प्रोत्साहित करना;
- वाजिब दरों पर आसानी से ऋण उपलब्ध कराना;

- बाजार की प्रोत्साहन अवसंरचना तथा कार्य प्रणाली में सुधार करना;
- भूमि सुधार मुद्दों पर पुनः ध्यान केन्द्रित करना;
- राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली को सुदृढ़ बनाना तथा क्षमता में सुधार करना ताकि प्रवर्तनकारी और प्रभावी प्रौद्योगिकियों का विकास कर उन्हें सुलभ कराया जा सके। जो

मौजूदा संदर्भ और आवश्यकता में महत्वपूर्ण हैं।

वर्ष 2007-08 में उत्पादन (आउटपुट)

20.8 आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय कृषि तथा सहकारिता मंत्रालय द्वारा वर्ष 2007-08 में खाद्यान्नों, तिलहनों, एवं वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन के 09.07.2008 को जारी चतुर्थ अग्रिम अनुमान वर्ष 2008-09 के दौरान अभिवृद्ध निष्पादन

तालिका 20.2: वर्ष 2005-06 से 2007-08 तक कृषि मंत्रालय से संबंधित कुछ चुनी हुई वस्तुओं का वास्तविक उत्पादन (आउटपुट)

क्र.सं.	मर्दे	इकाई	2005-06	2006-07	2007-08*
चुने गए महत्वपूर्ण कृषि मर्दों का उत्पादन					
1	खाद्यान्न	मिलियन टन	208.60	217.28	230.67
2	गेंहूँ	मिलियन टन	69.35	75.81	78.40
3	चावल	मिलियन टन	91.79	93.35	96.43
4	मोटे अनाज	मिलियन टन	34.06	33.92	40.73
5	दालें	मिलियन टन	13.39	14.20	15.11
6	नौ मुख्य तिलहन	मिलियन टन	27.98	24.29	28.82
7	कपास	प्रत्येक 170 कि.ग्रा. का लाख बेल्स	184.99	226.32	258.06
8	गन्ना	मिलियन टन	281.17	355.52	340.55

स्रोत: 2007-08 के लिए खाद्यान्न, तिलहन तथा अन्य वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन के चतुर्थ अग्रिम अनुमान, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, नई दिल्ली द्वारा 09.07.2008 को जारी।

तालिका: 20.3 - कृषि मंत्रालय का परिव्यय और व्यय

(करोड़ रुपए में)

		डीएसी	डीएचडीएफ	डीआरआई	कुल	पिछले वर्ष में बढ़ोतरी
क.	दसवीं पंचवर्षीय योजना परिव्यय	13,200.00	2,500.00	5,368.00	21,068.00	
ख.	दसवीं पंचवर्षीय योजना व्यय (चालू कीमतों पर)	15,040.00	2,345.57	4,692.49	22,134.71	
ग.	ग्यारहवीं योजना (चालू कीमतों पर)	41,337.00	8,054.00	12,588.00	61,979.00	
	2007-08 (ब.अ.)	5520.00	910.00	1620.00	8050.00	
	2007-08 (सं.अ.)	5887.94	810.00	1434.00	8131.94	23%
	2008-09	6900.00	1000.00	1760.00	9660.00	18% *

डीएसी: कृषि एवं सहकारिता विभाग; डीएचडीएफ: पशुपालन, दुग्ध उद्योग एवं मात्स्यिकी विभाग; डीआरआई: कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग टिप्पणी: (क) ग्यारहवीं योजना में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के लिए 25000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आवंटन किया गया है। (ख) 2007-08 संशोधित अनुमान में 1000 करोड़ रुपए तथा 2008-09 के बजट अनुमान में 3165.67 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि आरकेवीवाई की एसीए स्कीम के लिए उपलब्ध कराई गई थी; (ग) 2005-06 में 30 करोड़ रुपए, 2007-08 में 40 करोड़ रुपए तथा 2008-09 में 40 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि, पूर्वोत्तर प्रदेशों में झूम खेती के नियंत्रण हेतु राज्य क्षेत्रक स्कीम को उपलब्ध कराई गई। * यदि वर्ष 2008-09 के दौरान आरकेवीवाई के लिए 3165.67 करोड़ रुपए की राशि को भी 9660 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय में जोड़ दी जाए तो बढ़ोतरी बहुत अधिक हो जाएगी।

को प्रस्तुत करता है। यह निष्पादन 7.2.2008 के अनुमान से पहले का है। खाद्यान उत्पादन के 2006-07 में 217 मिलियन टन से बढ़कर 230.67 मिलियन टन की होने का अनुमान लगाया गया है जो 6% से अधिक की वृद्धि दर्शाता है। कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलापों की कुछ चुनी हुई वस्तुओं का वास्तविक उत्पादन(आउटपुट) नीचे तालिका में दिया गया है।

परिव्यय और व्यय

20.9 कृषि एवं सहकारिता विभाग हेतु ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए कुल अनुमानित जीबीएस 36,549 करोड़ रुपए(2006-07 कीमत पर) तथा 41,337 करोड़ रुपए(चालू कीमत पर) है, पशुपालन, दुग्ध उद्योग एवं मत्स्यपालन विभाग के लिए, 7121 करोड़ रुपए(2006-07 कीमत) तथा 8054 करोड़ रुपए(चालू कीमत पर) है, तथा कृषि

अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के लिए 11,131 करोड़ रुपए(2006-07 कीमत) तथा 12,588 करोड़ रुपए(चालू कीमतों पर) हैं। ये आबंटन 25000 करोड़ रुपए के राष्ट्रीय कृषि विकास योजना(आरकेवीवाई) परिव्यय के अतिरिक्त हैं। कृषि मंत्रालय के तीन विभागों अर्थात् कृषि एवं सहकारिता विभाग(डीएसी); पशुपालन, दुग्ध उद्योग एवं मात्स्यिकी विभाग(डीएचडीएफ); कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग(डीएआरई) के योजना परिव्यय में वृद्धि निम्नलिखित तालिका से देखी जा सकती है:-

कृषि में निवेश:

20.10 हाल के वर्षों में कृषि निवेश में क्रांति आई है जिसे निम्नलिखित तालिका से देखा जा सकता है:

तालिका 20.10.1 कृषि में निवेश(1999-2000 कीमतों पर करोड़ रुपए में)

वर्ष	जीडीपी से	सकल पूंजी के रूप निर्माण(जीसीएफ) कृषि में जीसीएफ			कृषि में जीसीएफ कृषि से जीडीपी का प्रतिशत		
		सार्वजनिक क्षेत्रक	निजी क्षेत्रक	कुल	सार्वजनिक क्षेत्रक	निजी क्षेत्रक	कुल
1980-81 to 1984-85*	239678	12007	13132	25139	5.0	5.5	10.5
1985-86 to 1989-90*	274034	9601	14370	23971	3.5	5.2	8.7
1990-91 to 1994-95*	325957	7915	19348	27263	2.4	5.9	8.4
1995-96 to 1999-2000*	383330	7724	22631	30354	2.0	5.9	7.9
2000-01	407176	7155	31872	39027	1.8	7.8	9.6
2001-02	433475	8746	39468	48215	2.0	9.1	11.1
2002-03	398206	7962	38861	46823	2.0	9.8	11.8
2003-04	441360	9376	35457	44833	2.1	8.0	10.2
2004-05	441183	12273	36835	49108	2.8	8.3	11.1
2005-06	468013	15006	39899	54905	3.2	8.5	11.7
2006-07	485939	17749	43013	60762	3.7	8.9	12.5

स्रोत: केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, नई दिल्ली

* ये आंकड़े संबंधित वर्षों की वार्षिक राशियों का औसत है।

11 मुख्य स्कीमों/कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना(आरकेवीवाई)

20.12 अन्य चालू कार्यक्रमों के अतिरिक्त राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को 25000 करोड़ रुपए के आबंटन के साथ शुरु किया गया है; कृषि में अधिक निवेश करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना,राज्य योजनाओं को केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराता है। इसके अतिरिक्त, आरकेवीवाई में जिला कृषि योजनाओं के प्रोत्साहन की परिकल्पना की गई है और इस प्रकार कृषि योजना प्रक्रिया में सुधार आएगा। इस तरह,वित्तीय सीमा तथा आयोजना प्रक्रिया का सुधार दोनों पर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का प्रभाव,ग्यारहवीं योजना के दौरान किए गए 25000 करोड़ रुपए के आबंटन की तुलना में अधिक होगा। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को आबंटन,कृषि मंत्रालय को 11 वीं योजना के परिव्यय के 61,979 रुपए के आबंटन के अतिरिक्त है।

आरकेवीवाई के तहत 1,263 करोड़ रुपए की उपलब्ध निधियों के मुकाबले 1,246.89 करोड़ रुपए की जारी राशियों के साथ 2007-08 के दौरान राज्यों को दिया गया बजट 98.78% था। वत्तर्मान वित्त वर्ष के लिए आरकेवीवाई के अंतर्गत 3165.67 करोड़ रुपए का परिव्यय अनुमोदित किया गया है। 1405.62 करोड़ रुपए की निधियां जिसमें स्ट्रीम -I के तहत 1049.54 करोड़ रुपए; स्कीम-II के तहत 350.15 करोड़ रुपए शामिल हैं) तथा शेष जिला कृषि योजना की तैयारी तथा एनआईआरडी के मॉनीटरिंग/मूल्यांकन के लिए शामिल है।(23.12.2008 की स्थिति के अनुसार जारी की गई है)

जिला कृषि योजना की स्थिति:

20.13 जिला कृषि योजनाएं(डीएपी) तथा राज्य कृषि योजना(एसएपी), राष्ट्रीय कृषि विकास योजना(आरकेवीवाई) के कार्यान्वयन कार्यनीति का

मूल आधार है। चूंकि आरकेवीवाई वित्तीय वर्ष 2007-08 के मध्य से कार्यान्वित की गई थी,इसलिए 2007-08 के दौरान डीएपी को अंतिम रूप देने पर जोर नहीं दिया गया था,परन्तु उनकी तैयारी हेतु राज्यों को रुपरेखा तैयार करने के लिए कहा गया था। डीएपी तैयार करने के लिए प्रत्येक जिला को आरकेवीवाई के तहत 10 लाख रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई है।

डीएपी तैयार करने में राज्यों को सहायता देने के लिए योजना आयोग ने विस्तृत जिला कृषि योजना (सी-डीएपी) के लिए एक मैनुअल (नियमावली) प्रकाशित किया है। सी-डीएपी मैनुअल अन्य बातों के साथ-साथ मुख्य विशेषताएं आयोजना में निम्नतम से शीर्ष तक दृष्टिकोण अपनाने,ग्राम,ब्लॉक एवं जिला स्तर पर कृषि आयोजना यूनिट की स्थापना करना, योजना का ब्लॉक,जिला राज्य कृषि योजना में एकीकरण कार्य,डीएपी तैयार करने में सभी स्तरों पर पंचायती राज संस्थानों की सक्रिय भागीदारी तथा डीएपी का अनुमोदन करना,एसआरईपी तथा पीएलपी के साथ डीएपी को मिलाना । सी-डीएपी मैनुअल की प्रतियां दिनांक 30.7.2008 को उपाध्यक्ष,योजना आयोग की आरकेवीवाई संबंधी समीक्षा बैठक में राज्यों को उपलब्ध कराई गई थीं।

19.11.2008 के अंत तक, 457 डीएपी तैयार की जा चुकी हैं।

आरकेवीवाई की समीक्षा बैठक

20.14 उपाध्यक्ष,योजना आयोग ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना(आरकेवीवाई) के 2007-08 के दौरान कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए 30.7.2008 को नई दिल्ली में एक बैठक ली थी।

बैठक में लिए गए कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों को संक्षेप में नीचे दिया गया है।

1. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत सहायता प्राप्त करने के लिए जिला कृषि

- योजनाओं (डीएपीज़) को तैयार करना पूर्व शर्त है। यह निर्णय लिया गया है कि जिला कृषि योजनाएं तैयार करने हेतु प्रत्येक जिला के लिए आरकेवीवाई के तहत 10 लाख रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई है। अधिकांश राज्यों ने जिला कृषि योजनाओं के मसौदे तैयार कर लिए हैं तथा उन्हें पीआरआईज़ के परामर्श से व्यापक जिला कृषि योजनाओं (सी-डीएपीज़) का आकार देने की अंतिम प्रक्रिया हैं। जिला कृषि योजनाओं की तैयारी को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए तथा तेजी से पूरा किया जाना चाहिए। जिला कृषि योजनाओं को तैयार करने में लगे अधिकारियों तथा पीआरआईज़ कार्यकर्ताओं की क्षमता निर्माण में बढ़ोतरी करने के लिए, राज्य सरकारें, स्ट्रीम-1 की परियोजनाओं हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआरज़) तैयार करने के लिए निर्धारित निधियों का एक हिस्से का उपयोग कर सकती है। स्मरणीय है कि आरकेवीवाई दिशा निर्देशों के पैरा 7.1.2 के अन्तर्गत आरकेवीवाई के स्ट्रीम-1 की कुल निधियों का 5% तक डीपीआर(ज़) तैयार करने के लिए निर्धारित किया गया है।
2. 2007-08 के दौरान आंकड़ों में दर्शाए अनुसार पशुपालन, दुग्ध उद्योग तथा मात्स्यिकी के संबद्ध क्षेत्रों द्वारा आरकेवीवाई निधियों का लो ऑफ टेक चिंता का विषय है। कुछ राज्यों ने इस लो ऑफ टेक के कारणों में से एक कारण इन क्षेत्रों में अच्छी परियोजनाओं की कमी का होना बताया है। इसलिए यदि यह आवश्यकता समझा गया तो डीएपी(ज़) को तैयार करने के लिए उपलब्ध कराई गई 10 लाख राशि डीपीआर(ज़) तैयार करने हेतु पैरा 7.1.2 में उपलब्ध कराई गई निधियों के अतिरिक्त उपयुक्त स्कीमों/परियोजनाओं की पहचान करने तथा तैयार करने में सहायता के लिए परामर्श दाता नियुक्त करने के लिए उपयोग की जा सकती है।
3. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी विकास, कृषि विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों को अधिकांश राज्यों ने राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति में सदस्यों के रूप में नामित किया है। राज्यों से यह अनुरोध किया गया है कि आरकेवीवाई के तहत स्थानीय रूप से उपयुक्त अनुसंधान कार्यकलापों के लिए राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को पर्याप्त संसाधन आबंटित करें।
4. राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि केन्द्र सरकार से निधियां प्राप्त होने की तारीख से 15 दिनों के अंदर राज्य वित्त विभाग द्वारा कार्यान्वयन एजेंसियों/विभागों को समय पर निधियां जारी की जाएं ताकि आरकेवीवाई परियोजनाओं को समय पर कार्यान्वित करना संभव हो सके। राज्यों को वेब-आधारित मॉनिटरिंग प्रणाली स्थापित करनी चाहिए जिसे कृषि एवं सहकारी विभाग में राष्ट्रीय सूचना केन्द्र के परामर्श से विकसित की जा रही प्रणाली से जोड़ा जा सके।
5. जिला आयोजना समितियों को, केन्द्रीय कृषि एवं सहकारी मंत्रालय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज तथा राज्य सरकार के कार्यक्रमों जैसे विभिन्न स्रोतों से प्राप्त संसाधनों का अभिसरण सुनिश्चित करना चाहिए ताकि जिला स्तरीय योजनाएं व्यापक हो।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम)

20.15 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) मिशन-मोड में शुरू किया गया है जिसका उद्देश्य ग्यारहवीं योजना के अंत तक खाद्यान्नों का उत्पादन कम से कम 20 मिलियन टनों तक बढ़ाना है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन(एनएफएसएम) 17 राज्यों के 312 जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है। एनएफएसएम- चावल मिशन 14 राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीस गढ़, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल के 136 जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है। एनएफएसएम - गेहूँ मिशन 9 राज्यों - बिहार, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल के 141 जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है। एनएफएसएम - दालें मिशन 14 राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिल नाडु, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल के पहचान किए गए 171 जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में विशेषरूप से बीज पुर्नस्थापन एवं पुरानी किस्मों के स्थान पर नई किस्मों के प्रतिस्थापन को बढ़ावा देने पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है। कृषि एवं सहकारी विभाग ने लगभग 4882 रुपए के परिव्यय से एनएफएसएम शुरू किया है जिसमें तीन फसलों, नामतः गेहूँ, चावल एवं दालों को कवर किया गया है। एनएफएसएम का उद्देश्य अगले 4 वर्षों में अतिरिक्त 8 मिलियन टन गेहूँ, 10 मिलियन टन चावल एवं 2 मिलियन टन दालों का उत्पादन करना है। वार्षिक योजना 2007-08 के लिए एनएफएसएम का परिव्यय 404 करोड़ रुपए है। वर्ष 2008-09 के लिए एनएफएसएम का परिव्यय 1100 करोड़ रुपए है। यह तिलहन, दलहन, ऑयलपाम तथा मक्का एकीकृत स्कीम (आईएसओपीओएम) तथा मैक्रो कृषि प्रबंधन स्कीम इसमें भी चावल, गेहूँ एवं दलहन उत्पादन के कुछ घटक हैं के 320 करोड़ रुपए के परिव्यय के अतिरिक्त है।

20.16 तिलहनों, दालों, पाम तेल और मक्का (आईएसओपीओएम)के संबंध में एकीकृत स्कीम ।

तिलहनों, दालों, पाम तेल, और मक्का (आईएसओपीओएम) संबंधी एकीकृत स्कीम का

मूल उद्देश्य इन फसलों के अंतर्गत अतिरिक्त क्षेत्र को लेकर तिलहनों, दालों, मक्का और पाम तेल के उत्पादन को बढ़ाना तथा विभिन्न आगम प्रोत्साहनों और प्रौद्योगिकी सहायता के माध्यम से इन फसलों की उत्पादकता को बढ़ाना था। आईएसओपीओएम को निम्नलिखित स्कीमों के साथ मिलाकर 2004 से कार्यान्वित किया जा रहा है: (i) तिलहन उत्पादन कार्यक्रम (ओपीपी), (ii)राष्ट्रीय दाल विकास कार्यक्रम (एनपीडीपी), (iii)त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम (एएमडीपी), (iv)पाम तेल विकास कार्यक्रम (ओपीडीपी)। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आईएसओपीओएम के अंतर्गत 1500 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है, वार्षिक योजना 2008-09 का बजट अनुमान(बीई) 320 करोड़ रुपए रहा।

20.17 कपास प्रौद्योगिकी मिशन

कपास की कम उत्पादकता और घटिया कोटि को देखते हुए, अनुसंधान, उत्पादन, विपणन, तथा प्रसंस्करण अवसंरचना को एकीकृत करते हुए फरवरी 2000 में कपास प्रौद्योगिकी मिशन प्रारंभ किया गया था । कपास प्रौद्योगिकी मिशन को 13 कपास उत्पादक राज्यों में कार्यान्वित किया जा रहा है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान टीएमसी के तहत 450 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है, वार्षिक योजना 2008-09 का बजट अनुमान 90 करोड़ रुपए है।

कृषि आगम और सेवाएं

20.18 कृषि उत्पादन तथा उत्पादकता में संधारणीय वृद्धि के लिए बीज मूलभूत इनपुट होता है। सरकारी और निजी क्षेत्रक में बीज अवसंरचना संबंधी सुविधाओं का विकास करने और सुदृढीकरण करने, किसानों के बचे हुए बीज की गुणवत्ता में सुधार करने, प्राकृतिक आपदाओं के दौरान बीज की अतिरिक्त उपलब्धता की व्यवस्था करने तथा पूर्वोत्तर राज्यों एवं पहाड़ी क्षेत्रों के अन्य दूरवर्ती इलाकों में उत्तम कोटि के बीजों की उचित कीमत पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से " बीजों के

उत्पादन और वितरण के लिए बीज अवसंरचना सुविधाओं के विकास और सुदृढीकरण " नामक एक केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीम 450 करोड़ रुपये के परिव्यय से ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वित की जा रही है 150 करोड़ रुपये वर्ष 2008-09 के लिए बजट अनुमान है ।

20.19 नई पादप किस्मों के अनुसंधान और विकास के लिए ऐसे निवेश को प्रेरित करने जिससे समुचित लाभ सुनिश्चित हो तथा देश में बीज उद्योग के विकास को सुगम बनाने के लिए पादप किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण(पी पी वी एंड एफ आर) अधिनियम 2003 " लागू किया गया। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस स्कीम के तहत 120 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं, वार्षिक योजना 2008-09 के लिए बजट अनुमान 7 करोड़ रुपए है।

20.20 आर्गनिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए, एक नई "केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीम" राष्ट्रीय आर्गनिक खेती परियोजना स्वीकृत की गई है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 115 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है, वार्षिक योजना 2008-09 के लिए 30 करोड़ रुपए का बजट अनुमान है।

पादप संरक्षण तथा संगरोध

20.21 केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीम "भारत में पादप संगरोध सुविधाओं का सुदृढीकरण तथा आधुनिकीकरण" के तहत ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 80 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया । वार्षिक योजना 2008-09 के लिए बजट अनुमान 17 करोड़ रुपये है।

20.22 भारत में कीट प्रबंधन का सुदृढीकरण तथा आधुनिकीकरण " पर एक केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीम को, कीटनाशक अधिनियम, एकीकृत कीट प्रबंधन को बढ़ावा देकर टिड्डी दल केन्द्रों और पादप संरक्षण में अनुसंधान तथा प्रशिक्षण जैसी विद्यमान, स्कीमों द्वारा प्रारंभ की गई है। यह स्कीम कीटनाशक अधिनियम

1968 को कार्यान्वित करने के लिए अंशतः विनियामक तथा अंशतः प्रोत्साहक स्कीम है जिसके अंतर्गत कीटनाशकों के पंजीकरण, कीट नाशकों का परीक्षण, संबंधित अधिकारियों के प्रशिक्षण, टिड्डी केन्द्रों के अनुसंधान, अनुसंधान और निगरानी, कृषक क्षेत्र स्कूलों (एफएफएस) के माध्यम से एकीकृत कीट प्रबंधन(आई पी एम) प्रशिक्षण और जैव-नियंत्रक प्रयोगशालाओं तथा कीटनाशक परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना करने के लिए राज्यों को निधियां भी जारी करने की परिकल्पना की गई है । ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 90 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है, वार्षिक योजना 2008-09 के लिए बजट अनुमान 20 करोड़ रुपए रखा गया है।

20.23 राष्ट्रीय स्तर पर कीट नाशक अपशिष्ट मानीटरिंग स्कीम वर्ष 2005 के दौरान शुरू की गई है। स्कीम में कीटनाशकों के अपशिष्टों संबंधी डाटा के एकत्र व संकलन की परिकल्पना की गई जो घरेलू उपभोग तथा निर्यात की जाने वाली कृषि वस्तुओं में भी कीटनाशक अपशिष्टों को जांच करने के मद्देनजर विभिन्न प्रयोगशालाओं और विभागों द्वारा किए जा रहे हैं। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के तहत 55 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है, वार्षिक योजना 2008-09 के लिए 10 करोड़ रुपए है।

कृषि विस्तार

20.24 केन्द्र प्रायोजित स्कीम, नामतः "विस्तार सुधार हेतु राज्य विस्तार कार्यक्रमों को सहायता" वर्ष 2005 से विकेन्द्रीकृत कृषक आधारित, कृषक जवाबदेयता तथा मांग-आधारित मोड में कृषि विस्तार प्रणाली को पुर्नजीवित करने के लिए प्रचालनरत हैं। स्कीम अनुसंधान विस्तार-कृषक लिकेजेज बहु - एजेन्सी विस्तार सेवाएं तथा कार्यकलापों के अभिसरण एवं को बढ़ावा और जिला स्तर पर सहायता करती है। सितम्बर 2008 तक 28 राज्यों एवं 2 संघ शासित क्षेत्रों में कुल 566 एटीएमएज की स्थापना की गई है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस स्कीम के अन्तर्गत 2000 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है।

2008-09 के दौरान स्कीम के लिए 298 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान है।

20.25 योग्य कृषि स्नातकों के लिए स्व रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने तथा कृषि विस्तार को समर्थन देने के लिए भी, कृषि स्नातकों द्वारा कृषि-क्लिनिकों और कृषि-व्यवसाय केन्द्रों की स्थापना की एक केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीम कार्यान्वित की जा रही है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस स्कीम के तहत 450 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं, स्कीम में 2008-09 के दौरान 87 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान है।

20.26 नई कृषि पद्धतियों तथा आउटपुट एवं इनपुट कीमतों के संबंध में सूचना की जानकारी का प्रसार करने के लिए साइबर किओस्क सहित मीडिया और सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए जन संचार के माध्यमों से " कृषि विस्तार की एक केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीम " कार्यान्वित की जा रही है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस स्कीम के तहत 450 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है, 2008-09 के दौरान इस स्कीम के लिए 87 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया।

20.27 केन्द्रीय संस्थानों को विस्तार सहायता का कार्यान्वयन निम्नलिखित को सहायता देने के लिए किया जा रहा है (i) एमएएनएजीई (ii) चार विस्तार शिक्षा संस्थानों (ई ई आई जे) में प्रशिक्षण कार्यक्रम (iii) मॉडल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिए 52 अन्य संस्थानों को सहायता, (iv) राष्ट्रीय कृषि जेंडर संसाधन केन्द्र तथा (v) कृषि मेलों का आयोजन/ भागीदारी। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस स्कीम के तहत 70 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया, 2008-09 के दौरान स्कीम के लिए 12 करोड़ रुपए का प्रावधान है।

कृषि का मैक्रो प्रबंधन

20.28 केन्द्रीय रुप से प्रायोजित स्कीम में "मैक्रो प्रबंधन" वर्ष 2000-01 से चालू है जिसमें पूर्व में केन्द्रीय रुप से प्रायोजित 27 स्कीमों में विलय की हुई

हैं। स्कीम के अंतर्गत राज्यों को, उनकी क्षेत्रीय प्राथमिकताओं के आधार पर कार्यकलापों को तैयार करने तथा संचालित करने की छूट दी गई है। स्कीम का उद्देश्य, राष्ट्रीय बागवानी मिशन को शुरू करने के साथ राज्यों द्वारा स्वयं तैयार की गई कार्य योजनाओं के माध्यम से कृषि का चहुँमुखी विकास करना है, बागवानी से संबंधित 10 स्कीमों को मैक्रो प्रबंधन के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दी गई है। स्कीम में 2008-09 में संशोधन किया गया है, जिसमें राज्यों को निधियां आबंटन में अधिक पारदर्शिता आई है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस स्कीम के तहत 5500 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान है।

कृषि ऋण

20.29 किसानों की ऋणग्रस्तता

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन ने अपने सर्वेक्षण के 59 वें दौर में (जनवरी - दिसम्बर 2003) किसानों की ऋणग्रस्तता को कवर किया है। इस सर्वेक्षण की कुछ मुख्य टिप्पणियां थीं।

- (i) 48.6% परिवार कर्जदार थे।
- (ii) ऋणग्रस्त कुल किसानों के 61% के पास 1 हेक्टेयर से कम प्रचालनात्मक जोत क्षेत्र था।
- (iii) कुल बकाया राशि का 41.6%, कृषि संबंधी कार्यकलापों को छोड़कर अन्य उद्देश्यों के लिए लिया गया था। कुल ऋण का 30.6% पूंजीगत व्यय के लिए तथा 27.8% कृषि संबंधी वर्तमान व्यय के लिए लिया गया था।
- (iv) बकाया राशि का 57.7% संस्थागत चैनलों (सरकार सहित) से लिया गया था तथा शेष 42.3%, साहूकारों, व्यापारियों, रिश्तेदारों तथा मित्रों से लिया गया था।

- (v) विशेषज्ञ समूह का अनुमान है कि 2003 में किसानों के ऋण का 48,000 करोड़ रुपए गैर - संस्थागत चैनलों से लिया गया था जिसमें से 18,000 करोड़ रुपए 30% अथवा इससे अधिक की वार्षिक ब्याज दर पर लिया गया था।

ऋणग्रस्तता अथवा कर्ज की गैर अदायगी मौसम प्रेरित फसल अनिश्चितता जैसे बहिर्जात कारणों तथा किसानों की उपभोग की जरूरतों से किसानों की पुनर्भुगतान दायित्व से वरीयता प्राप्त कर चुकी है जैसी अंतर्जात तथ्यों दोनों के कारण है। श्री आर.राधाकृष्णा की अध्यक्षता वाले कृषि ऋणग्रस्तता संबंधी विशेषज्ञ समूह ने जुलाई, 2007 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। अन्य समूहों के साथ-साथ इस समूह ने वित्तीय रूप से बहिष्कृत, विशेषकर उधार लेने वाले लघु परिवार को शामिल करने, तथा कृषि के लिए जोखिम कम करने वाले उपायों को अपनाने की सिफारिश की है। पौधारोपण तथा एमएसपी द्वारा कवर न की गई अन्य फसलों के मामले में अत्यधिक कीमत गिरने की स्थिति में किसानों को मुआवजा देने के लिए कीमत जोखिम शमन निधि की स्थापना करने का प्रस्ताव किया है। कृषि ऋणग्रस्तता के मुद्दे से निपटने के लिए सरकार अनेक विकल्पों पर विचार कर रही है।

ऋण का प्रवाह

20.30 कृषि ऋण प्रवाह किसान क्रेडिट कार्ड(केसीसी) स्कीम के बढ़ी हुई कवरेज से बहुत अधिक संभव हुआ। 2004-05 के दौरान 96.81 लाख अतिरिक्त कार्ड जारी किए गए। 11.5 करोड़ किसानों में से अक्टूबर, 2008 तक 7.40 करोड़ किसानों को क्रेडिट कार्ड प्रदान किए गए।

20.31 कृषि क्षेत्रक को संस्थागत क्रेडिट के अधिक प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। कृषि क्षेत्र को संस्थागत (कॉ-ओपरेटिव बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं वाणिज्यिक बैंक) ऋण का प्रवाह निम्नानुसार है।

वर्ष	करोड़ रुपए
2002-03	69,560
2003-04	86,981
2004-05	1,25,309
2005-06	1,8,0485
2006-07	2,03,296
2007-08	1,37,759 (नवम्बर, 2007 तक उपलब्धि)

स्रोत आर्थिक सर्वेक्षण : 2007-08

राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम(एनएआईएस)

20.32 राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम(एनएआईएस) रबी 1999-2000 के दौरान तत्कालीन सीसीआईएस के क्षेत्र एवं विषय वस्तु में सुधार करके शुरु की गई थी। अनिवारणीय जोखिमों के कारण खड़ी फसलों की पैदावार को होने वाली हानियों को कवर करने के लिए व्यापक जोखिम बीमा उपलब्ध कराया जाता है। यह स्कीम भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड(एआईसी) द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। यह स्कीम सभी किसानों ऋणी तथा गैर - ऋणी को उपलब्ध है चाहे उनकी जोत के आकार कुछ भी हो। इसके अंतर्गत सभी खाद्य फसलों(अनाज, ज्वार, बाजरा एवं दालों) तिलहनों एवं वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलों, जिसके संबंध में पिछले वर्षों की पैदावार के आंकड़े पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं, के कवरेज की परिकल्पना की गई है। यह स्कीम " एरिया एप्रोच " के आधार पर संचालित हो रही है। खाद्य एवं तिलहनों के फसलों पर 1.5% से 3.5%(बीमाकृत राशि) के बीच एक समान प्रीमियम दरें वसूल की जाती हैं। वाणिज्यिक/बागवानी फसलों पर बीमा के हिसाब का दरें वसूल की जा रही हैं। वर्तमान में छोटे एवं सीमांत किसानों को प्रीमियम में 10% का सब्सिडी दी जा रही है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए यह स्कीम स्वैच्छिक है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्कीम को अपनाने के लिए स्वतंत्र है। वर्तमान में यह स्कीम 23 राज्यों तथा 2 संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही है। पिछले 15 फसल मौसमों(अर्थात् रबी 1999-2000 से रबी 2006-07 तक) के दौरान, इस स्कीम के तहत लगभग 97181 करोड़ रुपए का

बीमा करते हुए लगभग 1563 लाख हेक्टेयर के क्षेत्र में 971 लाख किसानों को कवर किया गया है। लगभग 2942 करोड़ रुपए की प्रीमियम आय के लिए लगभग 9857 रुपए की राशि देय हो गई है जिससे 270 लाख किसानों को लाभ पहुंचा है।

मौसम आधारित फसल बीमा स्कीम(डबल्यूबीसीआईएस)

डबल्यूबीसीआईएस का आशय कम/अत्यधिक वर्षा, निम्न/उच्च तापमान, पाला आदि, जो फसल के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, जैसी प्रतिकूल मौसमी प्रभाव से किसानों को बीमा सुरक्षा उपलब्ध करना था। यह नैतिक खतरों को न्यूनतम प्रशासनिक लागतों को कम करने, दावों के शीघ्र निपटान आदि में लाभदायक हैं। मौसम आधारित बीमा के संगत लाभों को ध्यान में रखते हुए संघीय बजट ने 2007-08 में प्रायोगिक मौसम आधारित फसल बीमा स्कीम(डबल्यूबीसीआईएस) के कार्यान्वयन की घोषणा की। तदनुसार, प्रायोगिक डबल्यूबीसीआईएस खरीफ 2007 तथा रबी 2007-08 में कार्यान्वित की गई थी तथा इसे खरीफ 2008 में भी जारी रखने का प्रस्ताव है। यह स्कीम एनएआईएस के विकल्प के रूप में शुरू की गई है तथा बीमांकिक पद्धति पर आधारित है। लेकिन स्कीम को प्रतियोगी बनाने के लिए किसानों से वास्तव में चार्ज किए जाने वाले प्रीमियम को एनएआईएस के सममूल्य पर सीमित किया गया है। बीमांकिक दरों तथा किसानों द्वारा वस्तुतः भुगतान की गई दरों के बीच के अंतर का वहन सरकार(केन्द्र तथा राज्य दोनों से संबंधित) करती है। इसके अतिरिक्त, किसानों द्वारा वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलों की देय प्रीमियम की उच्चतम सीमा तय की गई है। इसके अतिरिक्त, किसानों को प्रतियोगी सेवा देने के लिए, भारतीय कृषि बीमा कंपनी(एआईसी) के अतिरिक्त निजी बीमा कंपनियां अर्थात् आईसीआईसीआई-लोमबर्ड तथा इफको-टोकियो सामान्य बीमा

कंपनियों को भी कार्यान्वयन में शामिल किया गया है।

खरीफ- 2007 में प्रायोगिक डबल्यूबीसीआईएस कार्यान्वयन एजेन्सी के पास सीमित समय होने के कारण कर्नाटक राज्य में चुने गए केवल 70 क्षेत्रों(अर्थात् होबली) में कार्यान्वित की गई थी। परन्तु रबी-2007-08 में स्कीम को बड़े पैमाने पर कार्यान्वित किया गया है, तथा चार राज्यों अर्थात् राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, तथा छत्तीस गढ़ के चुने हुए क्षेत्रों में किसानों को कवर किया गया है। इस स्कीम के तहत 6 लाख से अधिक किसानों को कवर करने का उम्मीद है। चूंकि यह स्कीम खरीफ-2008 में जारी रहेगी इसलिए 15 राज्यों के चुने हुए क्षेत्रों में प्रायोगिक डबल्यूबीसीआईएस को शुरू करने का प्रस्ताव है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान डबल्यूबीसीआईएस सहित एनएआईएस के तहत 3500 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है। स्कीम में 2008-09 के दौरान 694 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान है।

कृषि विपणन

कृषि विपणन में सुधार -- राज्य एपीएमसी अधिनियमों में संशोधन

20.33 कृषि एवं सहकारिता विभाग ने 2003 में एक मॉडल एपीएमसी अधिनियम तैयार करके परिचालित किया था जो कृषि उत्पाद विपणन के संबंध में राज्य सरकारों के मार्गदर्शन तथा उनके द्वारा अपनाए जाने के लिए है। मॉडल विधान में निजी बाजारों/यार्डों, प्रत्यक्ष खरीद केन्द्र, प्रत्यक्ष विक्री तथा देश में कृषि बाजारों के प्रबंधन एवं विकास में सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए उपभोक्ता/किसान बाजारों की व्यवस्था की गई है।

अधिनियम में कृषि उत्पाद की ग्रेडिंग, मानकीकरण एवं गुणवत्ता प्रमाणन को बढ़ावा देने के लिए राज्य कृषि उत्पाद विपणन मानक ब्यूरो का भी उपबंध किया गया है। प्रतिबद्ध निधियन, प्रत्यक्ष खरीद, अग्रवर्ती भावी ट्रेडिंग एवं

निर्यात सुगम होंगे। कई राज्य सरकार अपने एपीएमसी अधिनियमों में संशोधन करने के लिए पहले ही कदम उठा चुकी है। बिहार सरकार ने पहली सितम्बर, 2006 से अपने एपीएमसी अधिनियम को निरस्त कर दिया है। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम, तथा त्रिपुरा राज्यों ने अपने एपीएमसी अधिनियमों में संशोधन अधिसूचित किए हैं। समझा जाता है कि तमिल नाडु सरकार द्वारा कार्यान्वित एपीएमसी अधिनियम में, मॉडल अधिनियम में दिए गए सुझाव की व्यवस्था की गई है। केरल, मणिपुर, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, दादरा एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव तथा लक्षद्वीप राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में कोई एपीएमसी अधिनियम नहीं है। अतः उन्हें किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं है। हरियाणा (केवल संविदा खेती), पंजाब (केवल निजी बाजार एवं संविदा खेती) तथा दिल्ली एनसीटी (केवल प्रत्यक्ष विपणन) राज्य सरकारों ने अपने अपने एपीएमसी अधिनियमों में संशोधन करके आंशिक रूप से सुधार किया है। पंजाब का संशोधित अधिनियम चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में भी लागू है। यह भी पता चला है कि उत्तराखंड तथा एनसीटी दिल्ली में संशोधन विधेयक विचाराधीन है। झारखंड, जम्मू एवं कश्मीर, मेघालय, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, तथा पुदुचेरी ने भी कृषि में बाजार सुधारों को लागू करने के लिए कार्रवाई शुरू की है।

20.34 कृषि विपणन अवसंरचना का विकास, श्रेणीकरण तथा मानकीकरण, विपणन अवसंरचना के सुदृढीकरण तथा विकास की एक क्रेडिट लिंक्ड बैंक एन्डेड सब्सिडी केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीम है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस स्कीम के तहत 380 करोड़ रुपए का आबंटन किया है, 2008-09 के दौरान इस स्कीम में 70 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान है।

सहकारिता

20.35 कृषि ऋण वितरण, किसानों को बाजार सहायता उपलब्ध कराने, कृषि इनपुटों का वितरण

तथा सहकारिता शिक्षा/प्रशिक्षण देने के क्षेत्र में सहकारिता क्षेत्रक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। ग्यारहवीं योजना के दौरान इस स्कीम के तहत 150 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है जिसमें 2008-09 के दौरान 35 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान है।

बागवानी

20.36 राष्ट्रीय बागवानी मिशन, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, नारियल विकास बोर्ड एवं सहकारिता विभाग का बागवानी प्रभाग बागवानी क्षेत्रक में विकास संबंधी मुख्य कार्यक्रमों की नोडल कार्यान्वयन एजेन्सियां हैं।

राष्ट्रीय बागवानी मिशन

20.37 राष्ट्रीय बागवानी मिशन 10वीं योजना के 2005-06 से संचालित की गई है जो 18 राज्यों में 344 जिलों को तथा 02 संघ राज्य क्षेत्रों को कवर करती है। केन्द्र तथा राज्य के बीच 85:15 की अनुपात सहायता पैटर्न के साथ, इन केन्द्र प्रायोजित स्कीमों में बागवानी फसलों की विशाल अप्रकट क्षमता का उपयोग करने, रोजगार सृजन को बढ़ावा देने तथा किसानों की आय बढ़ाने की परिकल्पना की गई है। 2007-08 के दौरान 1150.00 करोड़ रुपए के परिव्यय की तुलना में रिपोर्ट किया गया व्यय लगभग 1010.64 करोड़ रुपए है। 11वीं योजना के लिए परिव्यय 8809.00 करोड़ रुपए है तथा वर्ष 2008-09 का मिसल परिव्यय 1100.00 करोड़ रुपए है। वर्ष 2007-08 के दौरान 1415 नर्सरियों (मॉडल+लघु नर्सरियां) की स्थापना की गई थी, तथा 6.14 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को बागवानी फसलों के अंतर्गत लाया गया, 1 लाख हेक्टेयर से अधिक जराजीर्ण/पुराने फलवाटिका का कायाकल्प किया गया था। उसी प्रकार फसलोत्तर प्रबंधन के तहत 2 वर्षों (2005-06 से 2007-08 तक) की अवधि के भीतर 7 थोकविक्रेता बाजारों तथा 45 ग्रामीण बाजार अवसंरचनाओं सहित बैंक हाउस, शीतागार रेफ्रिज़रेटेड वैनों को सहायता दी गई थी।

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड

20.38 राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड(एनएचबी) बागवानी उद्योग के एकीकृत फलों एवं सब्जियों के समन्वयन, उत्पादन धारणीयता एवं प्रक्रमण को प्रोत्साहित करने के लिए फसलोत्तर प्रबंधन सम्बंधी मुद्दों का समाधान करता है। उत्पादन तथा पीएचएम वाणिज्यिक बागवानी के विकास, निर्माण/ विस्तार के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी तथा बागवानी उत्पाद हेतु शीतागार के आधुनिकीकरण, बागवानी को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी विकास तथा अंतरण बागवानी फसलों तथा बागवानी संबर्धन सेवाओं के लिए बाजार सूचना सेवाएं आदि के माध्यम से वाणिज्यिक बागवानी विकास संबंधी केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमें समस्याओं का निदान करती है।

नारियल प्रौद्योगिकी मिशन सहित नारियल विकास बोर्ड

20.39 नारियल प्रौद्योगिकी मिशन सहित, नारियल उद्योग की एकीकृत विकास स्कीम को वर्ष 1982-83 से कृषि मंत्रालय के तहत नारियल विकास बोर्ड द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। मुख्य क्षेत्र है: गुणवत्ता योजना सामग्री का उत्पादन और वितरण, उत्पादन तथा संरक्षण प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन, उत्पाद विविधीकरण के लिए प्रौद्योगिकियों का विकास, नारियल से स्वास्थ्य लाभ आदि के संबंध में जागरूकता पैदा करना। वर्ष 2007-08 के दौरान 52 करोड़ रुपए का परिव्यय उपलब्ध किया गया था जिसके शत-प्रतिशत व्यय की सूचना दी गई। चालू वित्त वर्ष हेतु भारत में नारियल उद्योग के एकीकृत विकास के लिए तथा नारियल प्रौद्योगिकी मिशन के लिए 75 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है।

सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तरांचल सहित पूर्वोत्तर में एकीकृत बागवानी विकास के लिए प्रौद्योगिकी मिशन(टीएमएनई)

20.40 टीएमएनई की केन्द्र प्रायोजित स्कीम, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश

तथा उत्तरांचल तथा अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एवं त्रिपुरा सहित 8 पूर्वोत्तर राज्यों में 2001-02 से चल रही है। टीएमएनई में 4 छोटे मिशन हैं जैसे एमएम-I (अनुसंधान), एमएम-II (उत्पादन एवं उत्पादकता), एमएम-III (पीएचएम एवं विपणन) तथा एमएम-IV (प्रक्रिया)। स्कीम के तहत राज्यों को केन्द्र सरकार द्वारा 100% वित्तीय सहायता दी जाती है। टीएमएनई में बागवानी क्षमता का उपयोग करने, वांछनीय विविधीकरण के माध्यम से अर्थव्यवस्था, पारिस्थितिक तथा सामाजिक लाभों को अधिकतम करने, अवसंरचना का विकास करने, तथा क्षेत्र में दक्षतापूर्ण रोजगार के सृजन की परिकल्पना की गई। 10वीं योजना का परिव्यय 845 करोड़ रुपए था, जिसमें से 585 करोड़ रुपए पूर्वोत्तर राज्य, 100 करोड़ रुपए जम्मू एवं कश्मीर तथा 80 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश तथा 80 करोड़ रुपए उत्तरांचल के लिए थे। 11वीं योजना के लिए 1500.00 करोड़ रुपए का परिव्यय है। वर्ष 2007-08 के दौरान 323.40 करोड़ रुपए का परिव्यय निर्धारित किया गया था (किसी भी राज्य के लिए 227.40 करोड़ रुपए तथा जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तरांचल के लिए 96 करोड़ रुपए) जिसमें से 321.76 करोड़ रुपए के व्यय किए जाने की सूचना दी गई है।

वर्ष 2008-09 के लिए परिव्यय 299 करोड़ रुपए है, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 220 करोड़ रुपए तथा जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तरांचल के लिए 79 करोड़ है। 2007-08 तक बागवानी फसलों के तहत 3 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र से अधिक में 47 थोक विक्रेता बाजारों, 248 ग्रामीण प्राथमिक बाजार, 18 राज्य स्तरीय प्रयोगशालाएं, पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तरांचल में 31 रस्सी आधारित तथा 31 संसाधन ईकाइयों के आरंभ किए जाने की सूचना दी गई है।

राष्ट्रीय बांस मिशन:

20.41 2006-07 से अनुमोदित केन्द्र प्रायोजित स्कीम, राष्ट्रीय बांस मिशन देश के 27 राज्यों में प्रचालनरत है। यह स्कीम 19 आर एंड डी संस्थानों को निधि उपलब्ध कराती है। स्कीम के मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार सृजन के लिए बांस का विकास करना, प्रौद्योगिकी/वित्तीय सहायता के माध्यम से बांस आधारित उद्योगों का विविधिकरण/आधुनिकीकरण तथा पास्थितिकीय सुरक्षा को प्राप्त करने के उपाय रूप में बांस का प्रयोग उपयोग करना है। 2007-08 के दौरान विभिन्न आर एंड डी संस्थानों को दिए गए 3.60 करोड़ रुपए के अतिरिक्त, विभिन्न राज्य सरकारों, बांस प्रौद्योगिकी सहायता समूह, एनएचबी, सीबीटीसी (गुवाहाटी) को 110.80 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई। इसके मुकाबले 75.75 करोड़ रुपए के व्यय की सूचना दी गई। चालू वित्त वर्ष 2008-09 के लिए 70 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान उपलब्ध किया गया है।

केन्द्रीय बागवानी संस्था--नागालैंड:

20.42 वर्ष 2006-07 के दौरान केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीम के रूप में अनुमोदित इस स्कीम में एचआरडी कार्यकलापों श्रमिक, किसान, उद्यमी विस्तार की क्षमता निर्माण उन्नत प्रौद्योगिकी के प्रदर्शन, और आर्गेनिक खेती आदि को बढ़ावा देने की परिकल्पना की गई है। मेडज़ीफेमा (दीमापुर) में स्थापित संस्थान, प्रौद्योगिकी परिष्कार/प्रदर्शन विशिष्ट पर्यटन, गुणवत्ता बीजों एवं पौधरोपण सामग्री के उत्पादन एवं आपूर्ति, एचआरडी, पीएचएम प्रक्रमण एवं मूल्यवर्धन संबंधी अन्य संगठनों के साथ समन्वय करेगी। 2007-08 के दौरान 4.00 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया था तथा कार्य योजना 2008-09 के अनुसार 5.25 करोड़ रुपए की राशि का प्रस्ताव किया गया है।

पशुपालन एवं दुग्ध उद्योग

20.43 मुख्य बिन्दु निम्नानुसार हैं

- 2005-06 के दौरान कुल सकल घरेलू उत्पाद में पशुधन एवं डेयरी क्षेत्रक की योगदान 5.30% था।
- पशुधन क्षेत्रक के मुख्य एवं सहायक स्थिति में रोजगार 22.45 मिलियन था, जिसमें से 22.45 मिलियन पशुपालन क्षेत्रक में कार्यरत थे, इनमें से 16.84 मिलियन महिलाएं हैं। पशुपालन तथा मत्स्यपालन क्षेत्रक दोनों में मिलाकर 23.68 मिलियन जनसंख्या लगी हुई है जो कुल श्रमिक बल का लगभग 5.80% है।
- केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन(सीएसओ) के अनुमानों के अनुसार, पशुधन एवं मात्स्यिकी क्षेत्रक दोनों को मिलाकर 2005-06 के दौरान आउटपुट का मूल्य चालू कीमतों पर लगभग 2,25,581 रुपए था (पशुधन क्षेत्रक के लिए 1,85,166 करोड़ रुपए तथा मात्स्यिकी के लिए 40,675 करोड़ रुपए)। यह कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रकों से होने वाले कुल 7,20,340 करोड़ रुपए के आउटपुट का लगभग 31% है।

भारत का पशुधन संशाधन

20.44 मुख्य बिन्दु निम्नानुसार है:

- भारत विश्व में अधिकतम पशुधन जनसंख्या से संपन्न हैं।
- विश्व की भैंस जनसंख्या का 57% तथा मवेशी जनसंख्या का 15% है।
- देश में लगभग 61 मिलियन भेड़ें, 124 मिलियन बकरियां तथा 13 मिलियन से अधिक सुअर हैं।

ग्यारहवीं योजना के दृष्टिकोण

20.45 पशुधन क्षेत्रक के लिए ग्यारहवीं योजना दृष्टिकोण का लक्ष्य दुग्ध उत्पादन समूह द्वारा 5% प्रति वर्ष की वृद्धि तथा गोशत एवं कुक्कुट पालन द्वारा 10% प्रति वर्ष की वृद्धि को प्राप्त करने के साथ समग्ररूप में पूरे क्षेत्रक के लिए 6 से 7% प्रति वर्ष के बीच समग्र विकास प्राप्त करना है। चालू

कीमत पर पशुपालन दुग्ध व्यवसाय एवं मात्स्यिकी के लिए 11वीं योजना का अनुमान 8174 करोड़ रुपए का है।

वार्षिक योजना 2007-08

20.46 चालू वर्ष के लिए विभाग को 910 रुपए का परिव्यय उपलब्ध कराया गया है जो संशोधित अनुमान चरण पर संशोधित करके 810.00 करोड़ रुपए किया गया था।

वार्षिक योजना 2008-09

20.47 वर्ष 2008-09 के दौरान, विभाग का 29 स्कीमों को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है, जिसमें आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं केरल के 31 आत्महत्या उन्मुख जिलों के लिए विशेष पैकेज भी शामिल है। "राष्ट्रीय डेयरी योजना", जिसे संघ द्वारा कार्यान्वित किया जाना है की समभाव्यता रिपोर्ट योजना आयोग का सिद्धांत रूप में अनुमोदन प्राप्त करने के लिए एनडीबी द्वारा तैयार की गई है। वार्षिक योजना का बजट अनुमान 1000 करोड़ रुपए है जिसमें एवियन इन्फ्लूएनजा को रोकने, नियंत्रण एवं परिसोधन करने के लिए 40.00 करोड़ रुपए का विदेशी सहायता घटक भी शामिल है।

स्कीमों/कार्यक्रम

20.48 वर्ष 2008-09 के दौरान 29 स्कीमों को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है। 2008-09 के दौरान कार्यान्वित की जाने वाली मुख्य स्कीमों का संक्षिप्त सारांश नीचे दिया गया है:

1. पशुपालन

क. केन्द्र प्रायोजित स्कीमों

1. राष्ट्रीय पशुधन विकास परियोजना ।

1.1 मवेशी एवं भैंस प्रजनन परियोजना ।

गोजातीय में आनुवांशिक सुधार एक लंबा कार्यक्रम है तथा भारत सरकार ने 10 वर्षों के लिए पांच -

पांच वर्षों के दो चरणों में, चरण-I के लिए 402 करोड़ रुपए तथा चरण-II के लिए आबंटित किए गए 775.87 करोड़ रुपए के साथ अक्टूबर, 2000 में एक मुख्य कार्यक्रम " राष्ट्रीय मवेशी एवं भैंस प्रजनन परियोजना "(एनपीसीबीबी)शुरु की है। एनपीसीबीबी में महत्वपूर्ण देशी नस्लों के विकास एवं संरक्षण पर विशेष ध्यान देते हुए प्राथमिकता के आधार पर आनुवांशिकी उन्नयन की परिकल्पना की गई है। परियोजना में कार्यान्वयन एजेन्सियों को 100% सहायता अनुदान की परिकल्पना की गई है। राष्ट्रीय पशुधन विकास परियोजना के लिए एनपीसीबीबी सहित 85.00 करोड़ रुपए के बजट परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है।

1.2 लुप्तप्राय पशुधन नस्लों का संरक्षण।

दसवीं योजना के दौरान शुरु की गई इन केन्द्र प्रायोजित स्कीम का लक्ष्य ऐसे पशुधन की लुप्तप्राय नस्लों का संरक्षण एवं सुरक्षा करनी है जिसकी जनसंख्या 10,000 से कम है। प्रस्ताव राज्य सरकार के माध्यम से मांगे जाते हैं। राज्य सरकारों की अर्ध-सरकारी संगठनों, विश्वविद्यालयों, गैर सरकारी संगठनों, प्रजनन/किसान संगठनों आदि की भागीदारी का अवसर उपलब्ध करती हैं। वर्ष 2008-09 के लिए 2.00 करोड़ रुपए के बजट परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है।

2. पशुधन बीमा

पशुधन बीमा स्कीम का लक्ष्य पूरे देश में 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान 15 लाख पशुओं का बीमा करना है। यद्यपि इस स्कीम को इन दो वर्षों के दौरान 100 जिलों में प्रायोगिक आधार पर कार्यान्वित करने के लिए फरवरी 2006 में अनुमोदित किया गया था। लगभग 10.24 लाख पशुओं के लक्ष्य में से 5.15 लाख पशुओं का बीमा किया गया था । अनुमान है कि वर्ष 2008-09 के दौरान 15 लाख पशुओं का बीमा करने के लिए 140.00 करोड़ रुपए की राशि की आवश्यकता होगी। इस राशि में से वर्ष 2008-09 के लिए 16.00 करोड़ रुपए उपलब्ध हैं।:

3. राष्ट्रीय पशुधन रोग नियंत्रण कार्यक्रम(एनएलडीसीपी)

इस स्कीम में चार चालू घटक हैं जैसे:

- (क) पशु रोग नियंत्रण हेतु राज्यों को सहायता(75:25)
- (ख) राष्ट्रीय पशु प्लेग उन्मुलन परियोजना(100%)
- (ग) व्यावसायिक दक्षता विकास (राज्यों को 50:50 तथा वीसीआई को 100%) तथा
- (घ) मुँह एवं खुर पका रोग नियंत्रण कार्यक्रम(100%)

जिसका बजट अनुमान 120 करोड़ रुपए है।

4. पशुधन विस्तार एवं डिलीवरी सेवाएं

पशुधन विस्तार एवं डिलीवरी सेवाओं के तहत 11 वीं योजना के दो घटकों के लिए अनंतिम आबंटन के रूप से 15.00 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया: (क) निजी पशुचिकित्सालयों एवं एआई केन्द्रों के लिए सहायता तथा (ख) पशुधन विस्तार प्रणाली का सुदृढीकरण। तथापि, चालु वित्त वर्ष के दौरान इस घटक के लिए कोई बजट प्रावधान नहीं है।

(ख) केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमें

1. पशुधन गणना

इस स्कीम का उद्देश्य देश में पशुधन जनसंख्या की गणना करना है, इसे पहले केन्द्र प्रायोजित स्कीम के रूप में कृषि एवं सहकारिता विभाग के तहत आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा लागू किया गया था तथा वर्ष 2002-03 में इसे इस विभाग को स्थानांतरित कर दिया गया था। पशुधन गणना का 17वां दौर अक्टूबर 2003 में चलाया गया था। गणनाकर्ताओं एवं पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण देने तथा प्रशिक्षण अनुसूची एवं अनुदेश मैनुअल की प्रिन्टिंग अक्टूबर 2007 में की जाने वाली 18वीं पशुधन गणना अनुसूची के प्रकाशन के

लिए वार्षिक योजना 2007-08 के पहले आधे चरण के दौरान राज्यों को 52.55 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी। दिनांक 15 अक्टूबर 2007 के संदर्भ में पूरे देश में 18वीं पशुधन गणना कराई गई। वर्ष 2008-09 का बजट परिव्यय 130.00 करोड़ रुपए था तथा चूँकि जनवरी, 2009 के दौरान पशुधन गणना परिणामों को प्रकाशित किया जाना है, बजट को बढ़ाने का प्रस्ताव है।

2. केन्द्रीय मवेशी विकास संगठन

इसमें केन्द्रीय मवेशी फार्म, केन्द्रीय रक्षित वीर्य उत्पादन एवं प्रशिक्षण संस्थान (सीएफएसपी एवं टीआई), हेसारघाटा, बैंगलोर, केन्द्रीय समूह पंजीकरण स्कीम (सीएचआरएस) शामिल है-- विभाग रोहतक (हरियाणा), अजमेर(राजस्थान), अहमदाबाद (गुजरात) एवं ऑंगोल(आंध्र प्रदेश) में चार यूनिटों के साथ कार्य करता रहेगा। ये चार यूनिटें मिलकर एक साथ हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र एवं आंध्र प्रदेश को कवर करती है। हरियाणा, गिरि, कांकरेज एवं ऑंगोल की मवेशी प्रजाति तथा मुर्दा, सूरती, मेहसाना एवं जाफराबादी भैंस प्रजाति को स्कीम के तहत पंजीकृत किया गया है जो नस्ल विशिष्टता के पुष्टीकरण तथा दुग्ध उत्पादन के निर्धारित मानकों पर आधारित है। पंजीकृत पशु मालिकों को देशी प्रजातियों का संरक्षण करने तथा अच्छी नस्ल वाली गायों एवं भैंसों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रमाणपत्र तथा इनाम/प्रोत्साहन दिया जाता है। वर्ष 2008-09 के दौरान 14.00 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

3. पशु स्वास्थ्य निदेशालय

इस स्कीम के तीन चालू घटक हैं अर्थात:

- (i) पशु संगरोध एवं प्रमाणीकरण सेवाएं(चालू)
- (ii) केन्द्रीय/क्षेत्रीय रोग निदान प्रयोगशाला(चालू)
- (iii) राष्ट्रीय पशुचिकित्सा जैविक उत्पाद गुणवत्ता नियंत्रण केन्द्र(चालू)

ग्यारहवीं योजना के दौरान "एवियन इन्फ्लूएन्जा" नामक एक नए घटक की तैयारी, नियंत्रण एवं संरोधन को शामिल किया गया। 2008-09 के लिए पशु स्वास्थ्य निदेशालय का बजट अनुमान 10.00 करोड़ रुपए है।

(iv) एवियन इन्फ्लूएन्जा की तैयारी, नियंत्रण एवं संरोधन(नई)

यह पशु स्वास्थ्य निदेशालय के केन्द्रीय प्रशासनिक स्कीम का एक नया घटक है तथा बर्ड फ्लू को नियंत्रण करने के लिए विश्व बैंक को सहायता देने के साथ 11वीं योजना अर्थात् 2007-08 के प्रथम वर्ष से कार्यान्वित किया जा रहा है। 2008-09 के बजट परिव्यय 40.00 करोड़ रुपए का प्रस्तावित किया गया है जिसमें से 38.00 करोड़ रुपए विदेशी सहायता है।

4. सुअरबाड़ा विकास

(100 संभावित जिलों में संसाधन मैपिंग तथा जुगाली करने वाले छोटे पशुओं संबंधी उद्यमशीलता कार्यक्रमों को बढ़ावा देना शामिल)

देश में सुअरबाड़े वाणिज्यिक उत्पादन के लिए बड़ी संभावना का क्षेत्र है। हालांकि, इन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है चाहे किसानों द्वारा उनके पालन पोषण को प्रोत्साहन देना हो या उद्यमशीलता कार्यक्रमों के माध्यम से उनके वाणिज्यिक उपयोग का मामला हो। पूरे देश के लिए स्कीम शुरू करने के बदले, पहले देश के 100 संभावित जिलों में सुअरों के पालन पोषण तथा उनके वाणिज्यिक उत्पादन हेतु अवसरों की पहचान करने के लिए संसाधन मैपिंग किए जाने का प्रस्ताव है। 2008-09 के बजट परिव्यय का प्रस्ताव 8.0 करोड़ रुपए का है।

5. खाद्य सुरक्षा एवं ट्रेसिबिलिटी(प्राप्यता)

आज खाद्य सुरक्षा को पूरे विश्व में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकता के रूप में जाना जाता है। इसे उत्पादन से लेकर उपभोग तक

वैश्विक दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो "स्टैबल से लेकर टेबल तक" तथा "फील्ड से प्लेट तक" अभिव्यक्ति द्वारा उपयुक्त रूप से संप्रेषित होता है। 2008-09 के बजट परिव्यय के लिए 3.00 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है।

2. डेयरी विकास

क. केन्द्र प्रायोजित स्कीम

1. डेयरी विकास परियोजनाएं- डेयरी विकास की तीन स्कीमें हैं अर्थात् गैर-संचालन बाढ़, पर्वतीय एवं पिछड़े क्षेत्रों में एकीकृत डेयरी विकास परियोजना (आईडीडीपी), गुणवत्ता एवं स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के लिए अवसंरचना सुदृढीकरण तथा डेयरी जोखिम पूंजी निधि। डेयरी विकास कार्यक्रम हेतु 98.00 करोड़ रुपए का बजट अनुमान है।

2. राष्ट्रीय डेयरी योजना

इस स्कीम को अभी अनुमोदित किया जाना है। एनडीडीबी ने योजना आयोग का "सिद्धांत रूप में" अनुमोदन प्राप्त करने के लिए एक प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसे पहले ही दिया जा चुका है।

ख. केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमें

1. दिल्ली दुग्ध स्कीम(डीएमएस)

पहली फरवरी 2007 में हुई कैबिनेट की बैठक में दिल्ली कॉरपोरेटाइजेशन के लिए इसे सिद्धांत रूप से स्वीकृति दी गई। कैबिनेट के अनुमोदन के अनुसार सम्भाव्यतः रिपोर्ट, समझौता ज्ञापन तथा एसोसिएशन के अनुच्छेद जैसे मोडलटीज को 12 महीनों के भीतर तैयार किया जाना चाहिए, क्योंकि डीएमएस कॉरपोरेटाइजेशन के लिए इसे कैबिनेट द्वारा औपचारिक अनुमोदन दिया जाना है। तदनुसार 2008-09 के बजट परिव्यय के लिए 1.00 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है।

2. आत्महत्योन्मुखी आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं केरल के जिलों के लिए विशेष पशुधन क्षेत्रक तथा मात्स्यिकी पैकेज ।

- आर्थिक कार्य संबंधी कैबिनेट समिति ने 18 अगस्त, 2006 को हुई अपनी बैठक में आत्महत्योन्मुखी आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा केरल राज्यों के 31 जिलों के लिए पशुधन क्षेत्रक तथा मात्स्यिकी हेतु विशेष पैकेज पर विचार करके अनुमोदन किया है जिसमें 698 करोड़ रुपए का निवेश शामिल है इसमें 510.79 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता तथा 187.21 करोड़ रुपए का क्रेडिट घटक शामिल है इसे 2006-07 से तीन वर्षों की अवधि के दौरान कार्यान्वित किया जाना है। इस परियोजना की घीमी गति से कार्यान्वयन होने के कारण इस अवधि का विस्तार किया गया है।
- विशेष पैकेज के घटक: इस पैकेज के घटक में अधिक लाभ देने वाली दुधारु पशु, मवेशी पालन पोषण कार्यक्रम, मवेशी/भैंस प्रजनन सेवा उपलब्ध कराना, डेयरी पशुओं को स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराना तथा दुग्धशीतन ईकाईयों की स्थापना एवं चारा मिलानेवाले संयंत्र तथा चारा आपूर्ति कार्यक्रम ।

मत्स्यपालन एवं जलकृषि

20.49 मात्स्यिकी क्षेत्रक राष्ट्रीय जीडीपी का लगभग 1.07%, तथा कृषि जीडीपी का 5.34% का योगदान देता है जिसमें वैश्विक मत्स्य उत्पादन का योगदान 4.6% शामिल है। मत्स्य पालन विकास कार्यक्रमों के मुख्य उद्देश्य मुख्यतः स्वच्छ जल तथा तटीय जलकृषि से अभिवृद्ध उत्पादन एवं उत्पादकता, जलाशय मात्स्यिकी सहित समुद्रीय तथा इनलैंड कैप्चर फिशरीज, मेरीकल्चर एवं गहरे समुद्रीय मात्स्यिकी संसाधनों के उपयोग की विविधता, फिशिंग हार्बर एवं मछली लैंडिंग केन्द्रों की बेहतर अवसंरचना सुविधाएं, फसलोत्तर प्रक्रिया, मूल्यवर्धन एवं विपणन नेटवर्क एवं मछली

किसानों एवं मछुआरों के समाजार्थिक विकास के माध्यम से उच्च वृद्धि दरें प्राप्त करना है।

दसवीं योजना के दौरान मात्स्यिकी क्षेत्रक में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हैदराबाद में मुख्यालय के साथ राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (एनएफडीबी) की स्थापना करना था जिसका वर्ष 2006-12 के दौरान कुल बजट 2100 करोड़ रुपए तथा जिसका उद्देश्य मात्स्यिकी से उत्पादन एवं उत्पादकता को ईष्टतम करते हुए जैव प्रौद्योगिकी सहित अनुसंधान एवं विकास के आधुनिक उपकरणों का उपयोग के साथ-साथ मात्स्यिकी क्षेत्रक का समग्र विकास करना है।

वार्षिक योजना 2007-08 की समीक्षा

20.50 वर्ष 2007-08 के दौरान मात्स्यिकी क्षेत्रक में छः केन्द्र प्रायोजित तथा केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए 168.14 (संशोधित अनुमान) करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई थी। 2007-08 के दौरान एनएफडीबी सहित सभी स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए यथार्थ में 162.71 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई थी। 2007-08 की प्रमुख उपलब्धियां हैं -

- (i) मछली उत्पादन में पर्याप्त प्रगति हुई है और 2006-07 के दौरान यह 6.86 मिलियन टनों तक पहुंच गया है तथा मछली निर्यात में 5.6 लाख टनों की बढ़ोतरी हुई है जिसका मूल्य 7296 करोड़ रुपए है।
- (ii) विशिष्ट रोगजनक मुफ्त (एसपीएफ) श्रिम्प बीज हेतु मल्टीप्लीकेशन केन्द्र की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर।
- (iii) राज्यों के मात्स्यिकी विभाग के क्षेत्र कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण आयोजित करना ।

2008-09 के दौरान प्रस्तावित स्कीम/कार्यक्रम

20.51 सभी केन्द्र प्रायोजित स्कीमों जैसे समुद्रीय मात्स्यिकी विकास एवं फसलोत्तर प्रक्रिया,

अन्तर्देशीय मात्स्यिकी एवं जलकृषि तथा राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण स्कीम, मात्स्यिकी प्रशिक्षण एवं विस्तार को एक अथवा दो नए अतिरिक्त उप घटकों के साथ 2008-09 के दौरान जारी रखने का प्रस्ताव है। 2008-09 के दौरान केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमों जारी रखने का प्रस्ताव है - डाटाबेस का सुदृढीकरण एवं मात्स्यिकी सूचना नेटवर्क एवं पशुपालन, मात्स्यिकी संस्थाओं को सहायता तथा एनएफडीबी।

20.52 मात्स्यिकी के तहत 2008-09 के दौरान नए एनएफडीबी की स्थापना के लिए 75 करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ सभी छः केन्द्र प्रायोजित एवं केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमों के लिए 215.00 करोड़ रुपए के आबंटन किया गया है।

20.53 एनएफडीबी के तहत उत्पादन एवं उत्पादकता, आय को बढ़ाने तथा मछली पालन कर्ताओं एवं मछुआरों के लिए रोजगार सृजन हेतु पहचान किए गए मुख्य क्षेत्र --जलकृषि विकास, घरेलू एवं निर्यात, विपणन सुविधाओं सहित अवसंरचना सुविधाएं, जलाशय मछली उत्पादन, गहरे समुद्र में मछली पकड़ना, मैरी कल्चर आदि हैं।

कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा

20.54 कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (डीएआरई) देश में कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा के विकास एवं गर्वनेन्स के लिए उत्तरदायी है। कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित सभी अंतरराष्ट्रीय मुद्दे भी डीएआरई द्वारा शासित होते हैं। देश में इस उत्तरदायित्व को कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा के विकास, निष्पादन एवं समन्वय के लिए एक शीर्ष एवं स्वायत्त संगठन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा पूरा किया जाता है। वर्तमान में आईसीएआर, आठ विषय-वस्तु प्रभागों में संघटित किया गया है जिन्हें उनके विशिष्टीकरण के क्षेत्रों में अनुसंधान/स्कीमों/संस्थानों के नेटवर्क से सहायता प्राप्त होती है। आईसीएआर का उद्देश्य आजीविका एवं पर्यावरणीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, कार्यकुशल एवं प्रभावी संस्थागत अवसंरचना एवं

नीति समर्थन से संपूरित की गई सहक्रिया शिक्षा, अनुसंधान एवं विस्तार पहलों द्वारा देश में धारणीय एवं समावेशी कृषि की वृद्धि एवं विकास को बढ़ावा देना है।

वार्षिक योजना 2007-08 की समीक्षा

20.55 वर्ष 2007-08 के दौरान विभिन्न विषयों संबंधी प्रभागों के अंतर्गत मुख्य अनुसंधान उपलब्धियों का सारांश नीचे दिया गया है। महत्वपूर्ण योगदान है: बैकिटीरिया जनित खराबी की प्रतिरोधी आशाजनक बासमती चावल की दो किस्मों, मक्का की चार संकर (हाईब्रिड) तथा मिश्रित, बाजरा के तीन हाईब्रिड सूरजमुखी की एक किस्म, ऐरन्ड (कासटर) की एक किस्म, मूँगफली की दो किस्में, सोयाबीन की तीन किस्में, सूरजमुखी की दो किस्में, जूट की दो किस्में तथा गायना घास की एक किस्म का विकास।

20.56 ट्राइकोडर्मा विराइड, स्यूडोमोनस फ्लूरोसेस एंड ट्राइकाडर्मा हार्जिएनम संयुक्त रूप से प्रत्येक के 1.5 ग्राम/किलोग्राम के साथ बीज उपचार के परिणामस्वरूप गेहूँ के करनाल बंट (गेहूँ पर डी डब्ल्यू आर/एआईसीआरपी) में भारी कमी देखी गई थी। उत्तर पूर्व राज्यों में जनसंख्या जो बांस पुष्पन (विभिन्न बांस प्रजातियों 17 वर्ष और 50 वर्ष का चक्र) के साथ सिंक्रोनाइज्ड है प्रकोप के रोडेन्ट कृन्तक प्रबन्धन कार्यनीतियों को आइजवाल में संबंधित सरकारी अधिकारियों के परामर्श से अंतिम रूप दिया गया है। गन्ना कृषि के यांत्रिकीकरण के लिए एक ट्रैक्टर द्वारा चालित उठा हुआ बैड-सीडर कम शूगरकेन कटर प्लांटर और टू-रो रोटून प्रबन्धन यन्त्र विकसित किया गया।

20.57 बागवानी में सूक्ष्म सैटेलाइट चिह्नों (मार्करस) का प्रयोग कर आम कृषिजोपजाति के डीएनए फिंगरप्रिंट सहित महत्वपूर्ण उपलब्धि, वाणिज्यिक रूप से प्रसिद्ध अंगूर की 28 किस्मों का सूक्ष्म-सैटेलाइट प्रिन्टर से विश्लेषण किया गया था तथा उनके फिंगर प्रिंट, टमाटर एवं बैंगन में ट्रांसजेनिक लाइन विकसित किए गए, दो टमाटर, दो बैंगन एवं दो मिर्च

हाइब्रिड के लिए आरएपीडी मार्कर्स की पहचान की गई; टमाटर में अधिक उपज देने वाली 3 हाइब्रिड, आलू की दो हाइब्रिड तथा फूलगोभी की दो हाइब्रिड किस्मों का विकास, राष्ट्रीय स्तर पर जारी करने के लिए एक लाल प्याज की किस्म " भीम राज " की राष्ट्रीय सार पहचान की गई थी तथा उनसे दो खरीफ तथा देरी से होने वाले खरीफ मौसम के लिए जारी की गई थी; लीची से शराब तैयार करने की प्रौद्योगिकी को मानकीकृत किया गया था, उनके विलक्षण अलंकारी मूल्य के लिए क्रमशः परिरक्षित पौध तथा माइक्रो कारनेशन के रूप में दो कारनेशन ब्रीडिंग लाइनों की पहचान की गई है।

20.58 आर्कषक लाल फलों, उच्च टीएसएस, उच्च कैरोटीनोइड, पुष्ट गूदा (0.78 कि.ग्रा.), नियमित उत्पादन, बौना एवं एन्थैकनोज सहनशील लाल रंग के हाइब्रिड आम एच - 39 का विकास किया गया।

20.59 " मौसम्बी " मीठा संतरा में स्थान विशेष पोषक प्रबंधन(एसएसएनएम)अध्ययन(800 जीएन-400जीपी-600जीके-250जी प्रत्येक एफईएसओ 4, एमएनएसओ 4 तथा जेडएनएसओ 4/पेड़ में) या तो पारंपरिक किसानों के कार्यों(10.6 टन/हेक्टेयर) अथवा उर्वरक की संस्तुत मात्रा से अधिक फसल की पैदावार में सहायता करती है। जोड़े कतार पौधरोपण के तहत रोबुस्टा केला(1.5x1.5x2.0 मी. अंतराल) ने अधिकतम 65.91 टन प्रति हेक्टेयर उपज दर्ज की है जो पारंपरिक पौधरोपण(47.24 टन/हेक्टेयर) से 39.5% अधिक था। अनार संबंधी एकीकृत पोषक प्रबंधन अध्ययन यह दर्शाता है कि 50 : 50 के अनुपात में कृमि खाद(वर्मा कम्पोस्ट) तथा इनऑर्गेनिक उर्वरकों के संयोजन से 42.5 क्विन्टल/हेक्टेयर उपज हुई तथा पौधे की उँचाई एवं आयतन में बढ़ोतरी हुई।

20.60 सूखे क्षेत्रों के लिए सात कार्यक्षम उपज(क्रोपिंग) प्रणालियों की पहचान की गई। तीन एकीकृत जल पोषक प्रबंधन(आईडब्ल्यूएनएम) पैकेज विकसित किए गए। दो संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिकियों का विकास/परीक्षण किया गया। जटरोफा के दो मुख्य कीटनाशकों(स्कूटेलरिड बग

एवं कैप्सूल बोरर) के नियंत्रण लिए प्राकृतिक जैविक एजेन्ट की पहचान की गई। कटिंग की संभाव्य एव गारा(स्लरी) उपचार के रूप में बेसीलस कोआगुलन्स (पीडी-7) तथा बी.लेन्टस (एएलपी-18) की पहचान की गई।

20.61 आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल के लिए जिक, कॉपर, मँगनीज तथा लौह संबंधी मिट्टी की सूक्ष्म पोषकों की कमी का चित्रण किया गया है। खेती के संरक्षण से कार्बन के पृथक्करण में बढ़ोतरी होती है तथा सोयाबीन गेहूँ वर्टीसोल्स प्रणाली के तहत मिट्टी की संरचना में सुधार होता है। एनपीके के साथ मैक्रोपोषकों (जिक एवं बोरोन) के अनुप्रयोग से केवल मध्य प्रदेश में एनपीके की तुलना में 4.0 क्विन्टल/हेक्टेयर तक कपास के पैदावार में बढ़ोतरी हुई।

20.62 जल उत्पादकता को बढ़ाने के लिए नौ एकीकृत जल प्रबंधन पैकेज विकसित किए गए। ग्रामीण रोजगार योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्रों में उपयुक्त जल प्रबंधन के लिए कार्य योजना को अंतिम रूप दिया गया। माइक्रोवेव उर्जा का प्रयोग करते हुए पूर्ण वसा वाले सोया के आटे का उत्पादन करने के लिए प्रक्रिया प्रौद्योगिकी का विकास किया गया। 100 कि.ग्रा./हेक्टेयर क्षमता वाली जटरोफा डेकोरटिकेटर का विकास किया गया। विभिन्न मूल्यवर्धित उत्पादों जैसे पुर्नगठित चुकन्दर चूर्ण आधारित पेय, गाजर का चूरा, आँवला टॉफी, आँवला श्रेड एवं चूर्ण, अमरुद से बने उत्पादों, सेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए स्ट्रॉबेरी की पैकेजिंग प्रक्रियाओं का विकास किया गया। फलों एवं सब्जियों के लिए वाष्पणिक शीतल अवसंरचना का विकास किया गया। उत्तरांचल में 20 और मेघालय में 2 स्थानों पर किसानों के खेती पर कम लागत वाली बांस ग्रीनहाउस का विकास करके निर्माण किया गया। श्रीनगर में ग्रीनहाउस के अंदर के बढ़े हुए तापमान पर स्ट्रॉबेरी के पैदावार में 2.5 गुणा अधिक उपज तथा 45 दिन पहले फसल होने का परिणाम सामने आया।

20.63 अत्यधिक मूल्य वाले समुद्रीय अलंकारिक मछली एम्फीप्रिऑन ओसेलेरीस के उत्पादन संबंधी प्रौद्योगिकी को व्यापारिक रूप दिया गया। 300 से अधिक किसानों(पुरुष एवं महिलाएं) को सीपियों (मॅसल) तथा ऑइसटर की खेती के लिए प्रशिक्षण दिया गया। अंडज में प्रोबायोटिकस के प्रयोग से मैक्रोबैरिव्यम रोज़नबेरगी लार्वा के विकास एवं उत्तरजीविता में बढ़ोतरी हुई। केज कल्चर प्रयोगों के तहत भारतीय मुख्य कार्पो के साथ छः महीनों की कल्चर अवधि के लिए 19 टन/हेक्टेयर/वर्ष तथा रोहू एवं कोई कार्पो के संयोजन के साथ तीन महीनों की कल्चर अवधि में 28.5 टन/हेक्टेयर/वर्ष का उत्पादन स्तर प्राप्त किया गया।

20.64 देश में कृषि विज्ञान केन्द्रों की कुल संख्या 562 तक(दिसम्बर,2008 के अंत तक) पहुंच गई है तथा ग्यारहवीं योजना के अंत तक केवीकेज़ के विस्तार के तहत 667 जिलों को कवर करने का प्रस्ताव है। जहाँ तक केवीकेज़ की उपलब्धि का संबंध है, इसके मूल्यांकन के लिए फसल उत्पादन, फसल संरक्षण एवं पशुधन उत्पादन तथा प्रबंधन संबंधी 1180 प्रौद्योगिकियों की शुरुआत की गई थी तथा विभिन्न कृषि प्रणालियों के तहत प्रौद्योगिकी की विशिष्टता की पहचान करने के लिए परिमार्जित किया गया था। किसानों के खेतों पर उन्नत प्रौद्योगिकी की उत्पादन संभावयता को स्थापित करने के लिए विभिन्न फसलों की संकर किस्मों सहित एक साथ 71,640 फ्रंटलाइन प्रदर्शन शुरु किए गए। उसी अवधि के दौरान उन्नत कृषि प्रौद्योगिकियों के संबंध में उनके ज्ञान एवं दक्षता को अद्यतन करने के लिए 10.94 लाख किसानों तथा 0.80 लाख विस्तार कार्मिकों को प्रशिक्षित किया गया। किसानों में उन्नत कृषि प्रौद्योगिकियों संबंधी जागरूकता लाने के लिए केवीकेज़ द्वारा विभिन्न विस्तार कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जो 49.63 लाख किसानों तथा अन्य अधिकारियों को लाभ पहुंचा रहे हैं। केवीकेज़ ने 8.94 लाख किग्रा बाई उत्पादों तथा 40.08 लाख फिंगरलिंग्स तथा किसानों की उपलब्धता के लिए अन्य पशुधन/ कुक्कुट नस्लों के अतिरिक्त 111,164 क्विंटल

बीज तथा 91.29 लाख सैपलिंग/सीडलिंग का उत्पादन किया।

20.65 शैक्षणिक सुविधाओं के आधुनिकीकरण एवं सुदृढीकरण तथा कक्षाओं का शिक्षण प्रयोगशालाओं तथा फार्मो जैसी अवसरचना सुविधाओं के नवीनीकरण के लिए 229 करोड़ रुपए, डीयूज को 6.0 करोड़ रुपए तथा सीयूज को 5.50 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी गई। कृषि शिक्षा सुदृढीकरण एवं विकास स्कीम के तहत उन्नत अध्यापन, शिक्षण वातावरण तैयार हुआ। कार्यकलापों में गाँवों में रहने वाले एसएयूज/डीयूज/सीयूज के विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन ग्रामीण कृषि परिस्थिति का व्यावहारिक अनुभव प्रदान करना, ग्रामीण समुदायों के साथ निकट संपर्क में कार्य करना तथा लगातार यह देखना कि कृषि प्रणालियों का प्रबंधन एवं संचालन किस तरह किया जाता है, शामिल है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के उत्तरार्ध के दौरान 148.00 लाख रुपए की राशि जारी की गई थी।

भारतीय कृषि शिक्षा संबंधी चौथी डीन समिति द्वारा प्रस्तुत की गई प्रतिमानकों, मानकों, शैक्षणिक विनियामकों तथा यूजी पाठ्यक्रम तथा सिलेबी रिपोर्ट को, सभी राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में अधिक एकरूपता, ग्राह्यता, गुणवत्ता, संगतता लाने हेतु कार्यान्वयन करने के लिए आईसीएआर द्वारा अनुमोदित किया गया था । कई कृषि विश्वविद्यालयों ने रिपोर्ट की सिफारिशों को स्वीकार किया है। आईसीएआर द्वारा नियुक्त किए गए राष्ट्रीय कोर ग्रुप ने स्नातकोत्तर एवं डॉक्टरेट पाठ्यक्रम तथा सिलेबी के रिवीजन की पहल की है।

20.66 संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली(एनएआरएस), से तेरह बोरलोग फेलो का चयन किया गया था। यूएसडीए को कोकरन फेलोशिप कार्यक्रम के लिए दो नामांकनों की भी सूचना दी गई। कृषि एवं ग्रामीण विकास के उभरते हुए क्षेत्र, संविदा खेती, पद्धति एवं अनुभव, भारतीय पुस्तकालय एवं

सूचना प्रणाली का सुदृढीकरण,एसपीएस क्षमता निर्माण तथा विज्ञान आधारित जोखिम विश्लेषण तथा प्रतिरूपण,कृषि व्यापार एवं विकासशील देशों में खाद्य उद्योग,एवं एवियन वायरल रोग तथा पशु जैवप्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों में पाठ्यक्रम विकास संबंधी कार्यशालाएं(छः) आयोजित की गई।

20.67 राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली से 29 बोरलोग फेलो का चयन किया गया जिसमें से 20 ने पहले ही एकरूप अमेरिकी विश्वविद्यालयों से अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया है। शेष को भाग लेना है तथापि अमेरिका में उनके मेजबान संस्थानों तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों को अंतिम रूप दिया गया है।

20.68 आठ सहयोगी परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है तथा वे चल रही हैं। उनमें से चार भारत में क्षमता निर्माण के लिए हैं तथा चार सहयोगी अनुसंधान परियोजनाएं हैं। ये हैं --

- (i) भूजल रिचार्ज के लिए जल संग्रहण तथा लवणता नियंत्रण के लिए जैव-निकासी;
- (ii) धारणीय जल संसाधन प्रबंधन:अमेरिका भारत सहयोगी अनुसंधान एवं शिक्षा;
- (iii) भारत के पाँच विविध ईको-रीजनों में बेंचमार्क जलसंभ संबंधी वर्षासिंचित कृषि के लिए फार्म जल प्रबंधन;
- (iv) जल प्रबंधन में क्षमता निर्माण मॉडल के लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकियों; अमेरिकी - भारत सहयोगी विस्तार/आउटरीच एवं दूरवर्ती शिक्षा;

- (v) पिजॅन पी जेनोमिक्स पहल;
- (vi) जोखिम विश्लेषण करने के लिए क्षमता निर्माण तथा व्यापार प्रोत्साहन हेतु मॉडलिंग;
- (vii) बौद्धिक संपदा संरक्षण के लिए क्षमता निर्माण तथा कृषि में प्रौद्योगिकी लाइसेंसिंग;
- (viii) शिक्षण एवं ज्ञान उत्कृष्टता;क्षमता निर्माण मॉडल।

वार्षिक योजना 2008-09

20.69 कृषि अनुसंधान व शिक्षा विभाग(डीएआरई) को दी जाने वाली सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) में वर्ष 2008-09 के लिए 8.64% तक, 2007-08 में 1620 करोड़ रुपए से 1760 करोड़ रुपए तक की वृद्धि की गई। वर्ष 2008-09 के दौरान फसल विज्ञान अनुसंधान के लिए-315 करोड़ रुपए का परिव्यय,बागवानी के लिए 90 करोड़ रुपए,प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन - 100 करोड़ रुपए, कृषि इंजीनियरिंग-42 करोड़ रुपए,मात्स्यिकी-45 करोड़ रुपए,कृषि शिक्षा-350 करोड़ रुपए, केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय-134 करोड़ रुपए, कृषि विस्तार-301 करोड़ रुपए, कार्यनीति अनुसंधान-10 करोड़ रुपए,भारत-अमेरिकी ज्ञान पहल-6 करोड़ रुपए,डीएआरई,एमआईएस एवं आईपीआर प्रबंधन-20 करोड़ रुपए तथा राष्ट्रीय कृषि नवीकरण परियोजना-257 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए हैं।

अध्याय 21

जल प्रबंधन और सिंचाई

प्रस्तावना

21.1.1 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में 9 % की समग्र विकास दर प्राप्त करने के लिए कृषि विकास दर 4% (दसवीं योजना में 1.7% की वास्तविक विकास दर की तुलना में) निर्धारित की गई है। ग्यारहवीं योजना कार्यनीति में अन्य बातों के साथ-साथ कृषि आउटपुट में वृद्धि करने के लिए जल प्रबंधन और सिंचाई से संबंधित निम्नलिखित घटकों पर ध्यान केंद्रित किया गया है:

- (i) सिंचित क्षेत्र की विकास दर दुगुनी करना ।
- (ii) जल प्रबंधन, वर्षा जल संचयन और जलसंभर विकास में सुधार करना ।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में बेहतर जल प्रबंधन और सिंचाई के लिए अनेक उपायों का सुझाव दिया गया है। इसमें सिंचाई क्षमता का अधिक प्रभावी उपयोग, कम लागत में सिंचाई का विस्तार तथा ऐसे वर्षा क्षेत्रों, जहां स्थायी सिंचाई संभव न हो, में बेहतर जल प्रबंधन करना शामिल है। उपरोक्त क्षेत्रों में पूर्व नीतियों की अपर्याप्तता को स्वीकार करते समय ग्यारहवीं योजना में उचित प्राथमिकता, वित्त पोषण तथा गहन निगरानी वाली परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर विश्वास व्यक्त किया गया है। जलापूर्ति में समानता तथा प्रणाली के सतत् रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए भागीदारी सिंचाई प्रबंधन (पार्टिसिपेटरी इरीगेशन मैनेजमेंट) के सहवर्ती विस्तार हेतु सिंचाई का विस्तार करना आवश्यक है। अधिकाधिक भूमि की सिंचाई के अंतर्गत लाने के लिए गंगा के मैदानी भूभाग तथा असम में भूजल क्षमता का पता लगाना आवश्यक है। सिंचाई एवं जल प्रबंधन के लिए

अधिक महत्व वाले संसाधनों का दोहन करने के लिए कार्यक्रमों का अभिसरण अनिवार्य है।

21.1.2 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में योजना अवधि 2007-2012 के दौरान नीचे दिए अनुसार, 16 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई क्षेत्र के अंतर्गत लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

विस्तार, नवीनीकरण तथा आधुनिक परियोजनाओं (ई आर एम परियोजनाओं) सहित प्रमुख और मध्यम सिंचाई	9.00 मि.हे.
लघु सिंचाई	
(क) न्यू सरफेस वाटर स्कीम	1.5 मि.हे.
(ख) भू जल स्कीम	4.5 मि.हे.
(ग) जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण तथा पुनर्स्थापन	1.5 मि.हे.
कुल लघु सिंचाई	7.0 मि.हे.
ग्यारहवीं योजना के लिए कुल योग:	16.00 मि.हे.

इसने इस क्षेत्रक के लिए 2,32,311 करोड़ रुपये के समग्र परिव्यय की भी अनुसंशा की है जिसमें से 1,82,050 करोड़ रुपये राज्य योजना और 47,015 करोड़ रुपये राज्य क्षेत्रक स्कीमों त्वरित सिंचाई लाभकारी कार्यक्रम तथा अन्य जल संसाधन कार्यक्रमों के लिए है इसमें कमान क्षेत्र विकास तथा जल प्रबंधन शामिल है तथा विभिन्न उप क्षेत्रकों के तहत परिकल्पित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय क्षेत्रक हेतु 3246 रुपये की अनुसंशा की गई है।

21.2 वार्षिक योजना 2006-07 की समीक्षा

21.2.1 वर्ष 2007-08 के दौरान सिंचाई क्षेत्रक कार्य निष्पादन की समीक्षा तथा वर्ष 2008-09 के

लिए कार्यनीति के बारे में विचार-विमर्श निम्नलिखित पैराग्राफों में किया गया है।

प्रमुख और मध्यम सिंचाई

21.2.2 प्रमुख और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की अंतिम सिंचाई क्षमता 58.46 मि.हे. है। दसवीं योजना के अंत तक की संभाव्य उपलब्धि 36.91 मि. हे. है। 1.77 मि.हे. की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन करने के लिए 2007-08 हेतु 29,397.69 करोड़ रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया था। वास्तविक उपलब्धि के अगले वित्तीय वर्ष तक प्राप्त होने की संभावना है। 2006-07 का राज्य - वार वास्तविक व्यय, 2007-08 का स्वीकृत परिव्यय, 2007-08 का संशोधित परिव्यय तथा 2008-09 का अनुमोदित परिव्यय क्रमशः अनुलग्नक 21.1 से 21.4 में दिया गया है। दसवीं योजना के अंत तक राज्यों द्वारा सूचित की गई वास्तविक उपलब्धियां तथा 2007-08 एवं 2008-09 के लक्ष्य अनुलग्नक 21.5 में दी गई है, जो निवेशों अर्थात् क्षमता सृजन एवं उपयोग को भी दर्शाती हैं। 2008-09 के दौरान राज्यों ने लगभग 1.773 मि. हे. सिंचाई क्षमता के सृजन का प्रस्ताव किया है जिसका अनुमोदित परिव्यय 36,933.34 करोड़ रुपये है। हालांकि, लक्ष्य प्राप्ति वार्षिक योजना के अंत तक की अनुमोदित वास्तविक परिव्यय पर निर्भर करेगा।

21.2.3 तालिका में दसवीं योजना में प्रमुख और मध्यम सिंचाई क्षेत्र की अनुमोदित परिव्यय तथा वास्तविक व्यय तथा वार्षिक योजनाओं 2007-08 के अनुमोदित परिव्यय तथा संशोधित अनुमोदित/परिव्यय तथा 2008-09 के लिए बजट अनुमान/अनुमोदित परिव्यय दिए गए हैं।

अधूरी सिंचाई परियोजनाएं

21.2.4 दसवीं योजना के शुरु में देश में 490 चालू प्रमुख और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं थी (जिसमें विस्तार, नवीकरण तथा आधुनिकीकरण (ई आर एम) परियोजनाएं) शामिल थी। ग्यारहवीं योजना के लिए गठित जल संसाधन संबंधी कार्य समूह द्वारा विभिन्न राज्यों से चालू प्रमुख और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के बारे में एकल जानकारी से पता चला है कि दसवीं योजना के दौरान राज्यों ने 179 नई परियोजनाएं शुरु की हैं। साथ ही 178 नई परियोजनाओं के दसवीं योजना के अंत तक पूरा होने की संभावना थी। स्थगित/विलय की गई/पुनः वर्गीकृत की गई परियोजनाओं को समायोजित करने के पश्चात्, वार्षिक योजना 2007-08 (जो ग्यारहवीं योजना का पहला वर्ष है) के शुरु में 477 परियोजनाएं हैं, जो ग्यारहवीं योजना में आ गई हैं। इन परियोजनाओं की अगली योजना में शामिल किए जाने की लागत 1.25 लाख करोड़ रुपये है। ग्यारहवीं योजना के दौरान राज्यों ने 309 नई परियोजनाओं को शुरु करने का प्रस्ताव किया है। चालू परियोजनाओं को पूरा किए बिना योजना के पश्चात् नई परियोजनाओं/योजना को शुरुआत से संसाधनों की कमी आ रही है जिसके परिणामस्वरूप परियोजनाओं में बिलम्ब हो रहा है और उनकी लागत बढ़ रही है। यद्यपि वर्ष 2006-07 से त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत ऋण और अनुदान के बजाय अनुदान सहायता के रूप में पुनर्गठित किया जा रहा है फिर भी इससे परियोजनाओं को पूरा करने में मदद नहीं मिली है। राष्ट्रीय विकास परिषद ने 29.5.2007 को हुई अपनी 53वीं बैठक में संकल्प किया है कि राज्यों को त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत

तालिका 21.1 प्रमुख एवं मध्यम सिंचाई

(करोड़ रुपये)

अवधि	केन्द्रीय क्षेत्रक		राज्य क्षेत्रक	
	अनुमोदित परिव्यय	वास्तविक/प्रत्याशित व्यय	अनुमोदित परिव्यय	वास्तविक/प्रत्याशित व्यय
दसवीं योजना	351.40	295.19	70861.78	81899.94
2007-08	132.50	84.82	29397.69	29397.69
2008-09	242.90	195.50 (संशोधित अनुमान)	36933.34	

शुरु की गई सभी परियोजनाओं को " अधिक समय और अधिक लागत के बिना पूरा करने और कृषि उत्पादन लक्ष्यों अनुरूप कृषि परियोजनाओं की प्राथमिकता देने के लिए विशेष प्रयास करने चाहिए। राज्य बेहतर जल प्रबंधन को सुनिश्चित करने और जल के उपयोग की क्षमता को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास करेंगे। "

21.2.5 परियोजनाओं को टर्न-की निर्धारित कीमत के आधार पर शुरु किया जाना है जिसमें यह अनुबंध किया गया हो कि लागत में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी ताकि परियोजनाओं को तेजी से पूरा किया जा सके और उनके वांछित लाभ शीघ्र प्राप्त हो सकें ।

त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम एवं राष्ट्रीय परियोजनाएं

21.2.6 सिंचाई के कोर ग्रामीण अवसंरचना क्षेत्रक पर जोर देने के लिए, कैबिनेट ने ग्यारहवीं योजना 2007-12 के दौरान त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम तथा अन्य जल संसाधन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए 43700 करोड़ रुपये के परिव्यय का अनुमोदन किया है। इसमें त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत अनुमानित लागत के 90% की अनुदान घटक के रूप में उदारता पूर्वक सहायता देते हुए 14 सिंचाई एवं बहुउद्देश्यी परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजनाओं के रूप में घोषित किया है। ग्यारहवीं योजना में राष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए 7000 करोड़ रुपये के प्रावधान का प्रस्ताव है। संबंधित राज्यों तथा केन्द्रीय मंत्रालयों को राष्ट्रीय परियोजनाओं हेतु मार्गदर्शी सिद्धांत परिचालित कर दिए गए हैं। वर्ष 2007-08 के लिए 3580 करोड़ रुपये की तुलना में 5445.71 करोड़ रुपये की अनुदान राशि जारी की गई जिससे 6.20 लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता सृजित हुई। वर्ष 2008-09 के लिए इस कार्यक्रम के तहत 7850 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2008-09 के लिए लक्षित क्षमता सृजन 11.65 लाख हेक्टेयर है।

सिंचाई संबंधी कार्यदल

21.2.7 दिनांक 19.12.07 को हुई राष्ट्रीय विकास परिषद् की 54वीं बैठक में प्रधानमंत्री के निदेश से योजना आयोग में सिंचाई संबंधी कार्यदल का गठन किया गया है। यह कार्यदल, सदस्य (जल एवं ऊर्जा) की अध्यक्षता में गठित किया गया है। कार्यदल का मुख्य उद्देश्य, सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अपेक्षित भारी मात्रा में संसाधनों को प्राप्त करने की युक्तियों की पहचान करना है। कार्यदल की रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

सिंचाई एवं जल संसाधन वित्त निगम (आईडब्ल्यूआरएफसी)

21.2.8 वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण 2008-09 में सिंचाई परियोजनाओं तथा राष्ट्रीय परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए आईडब्ल्यूआरएफसी बनाने की घोषणा की। चूंकि सिंचाई परियोजनाओं को निधि के अधिक परिव्यय की आवश्यकता है, इसलिए निगम का विचार इस क्षेत्रक के लिए निधि प्राप्त करने तथा राज्यों को सहायता करना है। मार्च, 2008 में निगम को कंपनी के रूप में समाविष्ट किया गया था तथा सीएमडी की नियुक्ति की जा रही है।

विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं

21.2.9 विभिन्न राज्यों में 15 चालू सिंचाई परियोजनाएं हैं जो विदेशी सहायता प्राप्त कर रही हैं। परियोजना का नाम, सहायता राशि तथा 31 मार्च 2007 तक का वितरण ब्यौरा नीचे दिए गए हैं।

लघु सिंचाई

21.2.10 लघु सतही प्रवाह सिंचाई परियोजनाएं, जिनमें स्टोरेज टैंक, विपथन और सरफेस लिफ्ट आक्यूपाई स्कीम जिसका सिंचित कृषि योजना विशेषकर देश के प्रायद्वीपीय तथा पहाड़ी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण स्थान है, शामिल हैं। तीसरी लघु सिंचाई गणना 2000-01 में देश में 5.56 लाख टैंकों तथा भंडारणों की गणना की गई है जिनकी सिंचाई क्षमता 6.27 मि. हे. हैं। सर्वाधिक संख्या टैंक की है, पश्चिम बंगाल में, उसके बाद महाराष्ट्र

तालिका 21.2 31.3.2008 तक की सहायता प्राप्त चालू परियोजनाएं विश्व बैंक

क्र. सं.	राज्य	परियोजनाओं के नाम	अनुबंध पूरा किए जाने की तारीख	मिलियन डॉलर करंसी में सहायता राशि	सहायता का प्रकार	31 मार्च 2008 तक संचयी संवितरण मिलियन अमेरिकी डालर एस डी आर (करोड़ रुपये में)
1	कर्नाटक	कर्नाटक समुदाय आधारित टैंक प्रबंधन परियोजना सी आर 3635-आईएन	06.06.2002 31.01.2009	एस डी आर 80 संशोधित एस डी आर 63.420	क्रेडिट	एस डी आर 29.514 (रु. 193.639)
2	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश जल क्षेत्रक पुनर्संरचना परियोजना एल एन 4750-आईएन	30.10.2004 30.3.2011	यू एस \$394.02	ऋण	यू एस\$ 45.572 (रु. 194.664)
3	राजस्थान	राजस्थान जल क्षेत्रक पुनर्संरचना परियोजना सी आर.3603-आईएन	15.03.2002 31.03.2008	एस डी आर 100.02	क्रेडिट	एसडीआर 58.415 (रु. 360.536)
4	उत्तर प्रदेश	यू पी जल क्षेत्रक पुनर्संरचना परियोजना सी आ. 3602-आईएन	08.03.2002 31.10.2008	एसडीआर 90.471	क्रेडिट	एसडीआर 30.740 (रु. 200.165)
5	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र जल क्षेत्रक सुधार परियोजना एलएन 4796-आईएन	19.8.2005 31.3.2012	यूएस\$ 325	ऋण	यूएस \$ 43.439 रु. 190.315
6	तमिलनाडु	सिंचित कृषि आधुनिकीकरण एवं जल निकायों का पुनर्स्थापना एवं प्रबंधन	12.2.2007 31.3.2013	यूएस \$ 485	ऋण और क्रेडिट	यूएस \$27.285 रु.110.193
7	हाइड्रोलाजी परियोजना II	बहु राज्य *	19.1.2006 31.1.2012	यूएस \$ 104.98	ऋण	यूएस \$ 13.790 रु. 60.262
8	आन्ध्र प्रदेश	आन्ध्र प्रदेश समुदाय आधारित टैंक प्रबंधन परियोजना	8.6.2007 31.12.2012	यूएस \$ 189	क्रेडिट	यूएस \$8.727 रु. 34.377
9	कर्नाटक	कर्नाटक समुदाय आधारित टैंक प्रबंधन परियोजना सी-4872-आईएन एवं 3635-आईएन	17.1.2008 31.1.2012	यूएस \$64	क्रेडिट	शून्य

और आंध्र प्रदेश का स्थान है। इनके अतिरिक्त, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, झारखंड में टैंको की महत्वपूर्ण संख्या है। उपरोक्त 7 राज्यों में कुल टैंको की लगभग 75% संख्या है। लघु सिंचाई योजनाओं की गर्भ अवधि कम होती है और वे श्रम प्रधान होती हैं तथा गरीबी उन्मूलन के लिए महत्वपूर्ण उपाय है। चतुर्थ लघु सिंचाई गणना के ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं तथा जल्द ही जारी किए जाएंगे।

21.2.11 लघु सिंचाई परियोजनाओं की अंतिम सिंचाई क्षमता लगभग 81.43 मि.हे. आंकी गई है, जिसमें से 17.38 मि. हे. सतही जल लघु सिंचाई तथा 64.08 मि.हे. भू जल की है। दसवीं योजना के अंत तक 60.051 मि. हे. क्षमता सृजित की गयी थी। 2007-08 के लिए अनुमोदित परिव्यय 5384.00 करोड़ था, जिसका उद्देश्य 1.275 मि. हे. की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन करना था।

द्विपक्षीय सहायता
(जे बी आई सी जापान-ऋण)

क्र. सं	राज्य	परियोजनाओं के नाम	अनुबंध पूरा किए जाने की तारीख	मिलियन येन करेंसी में सहायता राशि	31 मार्च 2007 तक संचयी संवितरण मिलियन येन (करोड़ रुपये में)
10	आंध्र प्रदेश	करनूल-कुडप्पा नहर का आधुनिकीकरण (ट्रांस-II)	31.3.2004 22.3.2009	4773 (ऋण)	2350.275 (रु 90.661)
11	आंध्र प्रदेश	सिंचाई एवं आजिविका सुधार परियोजना	30.4.2007 31.3.2013	23974 (ऋण)	38.167 (रु 1.419)
12	उड़ीसा	रेंगाली सिंचाई परियोजना	31.3.2004 31.12.2009	6342 (ऋण)	4041.498 (रु 153.877)
13	राजस्थान	राजस्थान लघु सिंचाई सुधार परियोजना	31.3.2005 31.3.2013	11555 (ऋण)	8.897 रु 0.330
	जर्मनी-ऋण				
14	महाराष्ट्र	लघु सिंचाई परियोजना	31.12.1998 31.12.2008	यूरो 23.008	यूरो 8.83 रु 47.135
15	हिमाचल प्रदेश	लघु सिंचाई एवं ग्रामीण जल आपूर्ति परियोजना	28.11.2002 30.6.2010	यूरो 2.75	यूरो 0.00 (रु. 0.00)
	एसियन विकास बैंक				
16	छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़ सिंचाई विकास क्षेत्रक परियोजना 2159-आईएन	20.3.2006 31.03.2013	यूएस \$ 46.108	यूएस \$ 1.406 (रु. 5.671)

भागीदार राज्य: आंध्रप्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र मध्यप्रदेश, उड़ीसा, अगले वित्तीय वर्ष तक वास्तविक प्रत्यक्ष निष्पादन के प्राप्त होने की संभावना है। वर्ष 2006-07 का राज्यवार वास्तविक व्यय, 2007-08 का अनुमोदित परिव्यय, 2007-08 का संशोधित स्वीकृत परिव्यय तथा 2008-09 का अनुमोदित परिव्यय क्रमशः अनुलग्नक 21.1 से 21.4 में दिया गया है। दसवीं योजना के अंत तक राज्यों द्वारा दर्ज वास्तविक उपलब्धियां तथा 2007-08 एवं 2008-09 के लक्ष्य अनुलग्नक 21.6 में दी गई है जो निवेश के आउटकम अर्थात् संभाव्य उपयोगिता को भी दर्शाता है। 2008-09 के दौरान राज्यों ने लगभग 6.79 मि. हे. की सिंचाई क्षमता सृजन का प्रस्ताव किया है। हालांकि, लक्ष्य का निष्पादन वार्षिक योजना के अंत तक की वास्तविक अनुमोदित परिव्ययों पर निर्भर करेंगे।

21.2.12 लघु सिंचाई योजनाओं का वित्त-पोषण योजना निधियों, संस्थागत वित्त तथा किसानों के निजी निवेश से किया जाता है। इसे सामान्यतः जन कार्यक्रम माना जाता है।

21.2.13 तालिका 21.3 में दसवीं योजना लघु सिंचाई संबंधी अनुमोदित परिव्यय और वास्तविक व्यय तथा वर्ष 2007-08 की वार्षिक योजना के अनुमोदित परिव्यय तथा संशोधित अनुमोदित व्यय

2008-09 के बजट अनुमान/अनुमोदित परिव्यय दिए गए हैं।

कमान क्षेत्र विकास तथा जल प्रबंधन (सी ए डी डब्ल्यू एम)

21.2.14 केन्द्र प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास (सी ए डी) कार्यक्रम सिंचाई परियोजना कमान के अंतर्गत सिंचाई क्षमता के ईष्टतम उपयोग तथा उपलब्ध जल संसाधनों के कद संधारणीय आधार पर ईष्टतम के उपयोग से सिंचित भूमि के बढ़े हुए उत्पादन/उत्पादकता हेतु राष्ट्रीय सिंचाई आयोग(1972) तथा मंत्री समिति (1973) की सिफारिश पर वर्ष 1974 में शुरु किया गया था। इस योजना को ग्यारहवीं योजना में पुनर्गठित करके " कमान क्षेत्र विकास तथा जल प्रबंधन कार्यक्रम " नाम दिया गया था तथा इसे राज्य को स्थानान्तरित किया गया है तथा 2008-09 से इसका वित्त पोषण त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम तथा जल संसाधन कार्यक्रमों से किया जाता है।

21.2.15 कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक 28 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों में 28.58 मि.हे. की कुल सी सी ए की 311 परियोजनाओं को शामिल किया गया है। पुनर्गठित कमान क्षेत्र विकास तथा जल प्रबंधन कार्यक्रम के

अंतर्गत केन्द्रीय सहायता प्राप्त कर रही कैंड परियोजनाओं की संख्या 136 है जिनका सी सी ए 17.3 मि.हे. है। मार्च 2006 तक 9.7 मि.हे. सी सी ए कवर किया गया है तथा शेष 7.2 मि.हे. सी सी ए को कार्यक्रम के अंतर्गत कवर किया जाना है।

21.2.17 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना ने सुझाव दिया है कि क्षमता का शीघ्रतर उपयोग सुनिश्चित करने के लिए कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम सभी नई प्रमुख और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का भाग होना चाहिए। इस प्रकार सीएडीडब्ल्यूएम के तहत सहायता दसवीं योजना के अंत तक शुरु की गई सिंचाई परियोजनाओं तक ही सीमित होगी। ग्यारहवीं योजना में प्रणाली त्रुटियों को दूर करने के लिए परियोजना का दायरा बढ़ाने की भी सिफारिश की है। 10.23 मि. हे. क्षेत्र को कवर हुए अब तक लगभग 55,500 डब्ल्यू यू ए का गठन किया गया है।

21.2.18 तालिका 21.4 में दसवीं योजना में कमान क्षेत्र विकास तथा जल प्रबंधन संबंधी अनुमोदित परिव्यय तथा वास्तविक व्यय, वार्षिक योजना 2007-08 का अनुमोदित परिव्यय तथा संशोधित अनुमोदित परिव्यय तथा वर्ष 2008-09 के लिए बजट अनुमान/अनुमोदित परिव्यय दिए गए हैं।

तालिका 21.3 लघु सिंचाई

(करोड़ रुपये)

वर्ष	केन्द्रीय क्षेत्रक		राज्य क्षेत्रक	
	अनुमोदित परिव्यय	वास्तविक/प्रत्यासित व्यय	अनुमोदित परिव्यय	वास्तविक/प्रत्यासित व्यय
दसवीं योजना	533.80	380.68	13872.86	13760.02
2007-08	67.50	48.71	5383.95	5385.95
2008-09	97.10	66.07(सं. अ.)	6809.68	

तालिका 21.4 कमान क्षेत्र विकास तथा जल प्रबंधन सिंचाई

(करोड़ रुपये)

अवधि	केन्द्रीय क्षेत्रक		राज्य क्षेत्रक	
	अनुमोदित परिव्यय	वास्तविक/प्रत्यासित व्यय	अनुमोदित परिव्यय	वास्तविक/ प्रत्यासित व्यय
दसवीं योजना	1406.80	818.54	2789.88	2985.81
2007-08	300.00	277.84	1781.18	1781.18
2008-09	350.00		674.86	

तालिका 21.5 सी ए डी वास्तविक प्रगति(मिलियन हेक्टेयर)

कार्य की मर्दे	दसवीं योजना तक संभावित संचयी उपलब्धि	2007-2008 के लक्ष्य	2007-08 के दौरान संभावित उपलब्धि	2008-09 का लक्ष्य
खेत चैनल	17.844	1.44	0.394	0.270
वाडाबंदी	11.233	1.60		
भूमि का समतलन/आकार देना	2.23	Deleted		
खेत जल निकासी	1.704	0.16	0.069	0.14
प्रणालियों की कर्मिया सुधारना		1.70	हाल ही में शुरू कोई प्रगति नहीं	0.026
				2.30

* (दिनांक 1.4.2004 से भूमि समतल का कार्य समाप्त किया जा रहा है)

बाढ़ नियंत्रण

21.2.19 राष्ट्रीय बाढ़ आयोग(1972) ने अनुमान लगाया है कि देश में लगभग 40 मि.हे. क्षेत्र बाढ़ प्रवण है, जिसमें से 32 मि.हे. क्षेत्र को पर्याप्त संरक्षण दिया जा सकता है। बाढ़ प्रवण क्षेत्र का पुनः मूल्यांकन किया गया है और इस मूल्यांकन के अनुसार यह 45.36 मि.हे. है। मार्च, 2007 तक तटबंधों के निर्माण, निकासी व्यवस्था, शहर की बचाव हेतु निर्माण कार्य तथा गांवों को बाढ़ स्तर के ऊपर बसाने के माध्यम से लगभग 18.22 मि.हे. को संरक्षित किया गया है। 2.78 मि.हे. क्षेत्र के बचाव के लिए राज्य क्षेत्र में अनुमोदित परिव्यय 4619.00 करोड़ रुपये तथा केन्द्रीय क्षेत्र में 1308.00 करोड़ रुपये है। दसवीं योजना अवधि के दौरान 1.78 मि.हे.क्षेत्र के संरक्षण करने की संभावना है। बाढ़ क्षेत्रक के सरोकारों के समाधान के लिए केन्द्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में बाढ़ प्रबन्धन और आपदा नियंत्रण संबंधी कार्य दल का गठन असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों, बिहार, प. बंगाल, और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बार-बार आने वाली बाढ़ और आपदा के कारणों की जांच, बाढ़ और आपदा का सामना करने के लिए अभी तक किए गए उपायों की समीक्षा और बाढ़ के प्रबन्धन के लिए अल्पावधिक और दीर्घवधिक अन्तरराष्ट्रीय पहलुओं की जांच के लिए किया गया था। समिति ने दिसम्बर 2004 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। कार्य बल द्वारा संस्तुत की गई योजनाओं को

ग्यारहवीं योजना राज्य क्षेत्रक स्कीम बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम में शामिल किया गया है ।

21.2.20 दसवीं योजना में प्रचालनाधीन केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम जो गंगा बेसिन राज्यों की सहायता हेतु थी, का अंतरण राज्य क्षेत्र में कर दिया गया है तथा तटीय आपदा बचाव एवं जल निकासी प्रणालियों के संकुलन से मुक्त करने संबंधी स्कीमों को दसवीं योजना गंगा बेसिन राज्य सी एस एस में विलय कर दिया गया है। राज्य क्षेत्र में दसवीं योजना के दौरान कार्यान्वित की गई ब्रह्मपुत्र घाटी बाढ़ नियंत्रण स्कीम का भी दसवीं योजना गंगा बेसिन राज्य सी एस एस में विलय कर दिया गया है। वर्ष 2007-08 के दौरान इन सभी स्कीमों का बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम नामक एक व्यापक स्कीम में विलय करके राज्य क्षेत्रक में स्थानान्तरण कर दिया गया है। ग्यारहवीं योजना में बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के लिए 8000 करोड़ रुपये अनुमोदित किया गया है।

21.2.21 नीचे दी गई तालिका में दसवीं योजना में बाढ़ नियंत्रण तथा निकासी क्षेत्रक संबंधी अनुमोदित परिव्यय तथा वास्तविक व्यय तथा वार्षिक योजना 2007-08 के लिए अनुमोदित परिव्यय तथा संशोधित अनुमोदित परिव्यय तथा 2008-09 के लिए बजट अनुमान/अनुमोदित परिव्यय दिए गए हैं ।

तालिका 21.6 बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकास प्रणाली

अवधि	केन्द्रीय क्षेत्रक		राज्य क्षेत्रक	
	अनुमोदित परिव्यय	वास्तविक/प्रत्याशित व्यय	अनुमोदित परिव्यय	वास्तविक/प्रत्याशित व्यय
दसवीं योजना	1308	764.23	4619	3873.63
2007-08	100.00	97.69	1467.43	1467.43
2008-09	183.00		2776.91	

ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि

21.2.22 भारतीय अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (इंडियन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक) के लिए अपने कुल ऋण का कम से कम 40% ऋण प्राथमिकता क्षेत्रों को देना अनिवार्य है और इन बैंको को प्राथमिकता क्षेत्र के 40% के समग्र लक्ष्य के भीतर कृषि उप-क्षेत्र के लिए 18% के लक्ष्य को पूरा करना पड़ता है। इस प्रकार ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि वर्ष 1995-96 के केन्द्रीय बजट में की गई घोषणा के साथ में अस्तित्व में आई।

4.2.2.19 निधि की अप्रैल 1995 से नाबार्ड में स्थापना की गई है। वर्ष 1995-96 के लिए यह निधि का प्रारंभिक कार्य 2000 करोड़ रुपये (आर आई डी एफ-1) थी, जो निवल बैंक क्रेडिट की 1.5% की अधिकतम सीमा के अधीन भारतीय अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा प्राथमिकता क्षेत्रक लक्ष्य (40%) के भीतर कृषि उप क्षेत्रक (18%) को ऋण देने में कमी को स्पष्ट करते हुए दी जानी थी। तब से यह योजना बढ़ी हुई प्रतिबद्धताओं के साथ परवर्ती केन्द्रीय बजटों में हुई घोषणाओं के साथ जारी है जो इस प्रकार है :

वर्ष		(करोड़ रुपये में)
1995-96	आर आई डी एफ I	2000
1996-97	आर आई डी एफ II	2500
1997-98	आर आई डी एफ III	2500
1998-99	आर आई डी एफ IV	3000
1999-2000	आर आई डी एफ V	3500
2000-01	आर आई डी एफ VI	4500
2001-02	आर आई डी एफ VII	5000

वर्ष		(करोड़ रुपये में)
2002-03	आर आई डी एफ VIII	5500
2003-04	आर आई डी एफ IX	5500
2004-05	आर आई डी एफ X	8000
2005-06	आर आई डी एफ XI	8000
2006-07	आर आई डी एफ XII	10000
2007-08	आर आई डी एफ XIII	12000
2008-09	आर आई डी एफ XIV	14000

21.2.23 नाबार्ड की वर्ष 2008-09 हेतु ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आर आई डी एफ) को सिंचाई सहित ग्रामीण अवसंरचना की समस्या हल करने के लिए 14000 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए हैं। आर आई डी एफ के अंतर्गत ऋण सहायता बाढ़ नियंत्रण, जल संभर प्रबंधन, भूमि संरक्षण, ग्रामीण सड़कें एवं पुलें, ग्रामीण बाजार, प्राथमिक विद्यालय भवन, ग्रामीण पेय जल संबंधी निर्माण कार्य, निकासी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, वन विकास आदि परियोजनाओं सहित अपूर्ण अथवा चालू मध्यम और लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिए उपलब्ध कराई गई है। आर आई डी एफ के अंतर्गत ऋण परियोजना लागत के 90% अथवा शेष लागत तक, जो भी कम हो, स्वीकृत की जाती है।

भारत निर्माण-सिंचाई

21.2.24 भारत निर्माण के अंतर्गत, 10 मि. हे. क्षेत्र को सिंचाई के अंतर्गत लाने का प्रस्ताव किया जाता है। वर्ष 2005-06 के दौरान राज्यों ने 1.677 मि. हे. के सृजन की रिपोर्ट दी है तथा 2006-07 में अब तक दर्ज 1.942 मि. हे. संभावित सृजन है। तीसरे वर्ष 2007-08 के दौरान दर्ज की गई

उपलब्धि 1.380 मि. हे. थी। तीन वर्षों में दर्ज की गई कुल उपलब्धि 4.999 मि. हे. है। 2008-09 के लिए निष्पादन लक्ष्य 2.85 मि. हे. है। सिंचाई घटक हेतु तीन वर्षों की एआईबीपी सहायता 9648 करोड़ रु थी। सिंचाई घटक के पूर्ण ब्यौरे भारत निर्माण के अध्याय में अलग से दिए गए हैं।

जल संसाधन मंत्रालय का निष्पादन

21.2.25 दसवीं योजना में जल संसाधन मंत्रालय के लिए 3600 करोड़ रु. का आवंटन किया गया है। योजनावधि के दौरान, जल संसाधन मंत्रालय द्वारा अपनी विभिन्न योजनाओं में किया गया संचयी व्यय निम्नवत् है:

(करोड़ रु. में)

वर्ष	अनुमोदित परिव्यय	वास्तविक व्यय
दसवीं योजना	3600.00	1913.61
2007-08	600.00	509.06
2008-09	600.00	

व्यक्तिगत स्कीम वार व्यय अनुबंध 21.5 में दिया गया है। वर्ष 2006-07 के दौरान मंत्रालय के

पास 51 केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमें 3 केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें तथा 4 राज्य क्षेत्रक स्कीमें थी। योजना आयोग द्वारा कार्यान्वित की गई शून्य आधारित बजटिंग के निर्णय के अनुसार वर्ष 2007-08 से अनेक स्कीमें घटा दी गई है। अब केन्द्रीय क्षेत्रक की 15 योजनाएं हैं, जिसमें से 2 नई है। वर्ष 2008-09 से केन्द्र प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास तथा जल प्रबंधन का स्थानांतरण राज्य क्षेत्रक में कर दिया गया है तथा वर्तमान में मंत्रालय कोई भी केन्द्र प्रायोजित स्कीमों को प्रचालित नहीं कर रहा है।

परिणामी बजट 2008-09

21.2.26 आउटकम बजट की परिकल्पना वर्ष 2005-06 में शुरू की गई थी और तब से आउटकम बजट दस्तावेज, संसद में प्रस्तुत किया जा रहा है। वर्ष 2008-09 के दौरान, जल संसाधन मंत्रालय द्वारा समर्थित कुछ महत्वपूर्ण केन्द्रीय क्षेत्रक/राज्य क्षेत्रक स्कीमों के अंतर्गत प्राप्त किए जाने वाले वास्तविक लक्ष्य निम्नानुसार हैं

योजना का नाम	प्रत्याशित परिणाम
1. कमान क्षेत्र विकास तथा जल प्रबंधन कार्यक्रम वर्ष 2008-09 में केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम आबंटन 350 करोड़ रुपये ।	निर्मित और उपयोग की गई क्षमता के बीच अंतर को कम करना, सृजित और उपयोग की गई सिंचाई क्षमता के बीच अंतर को पाटना, जल प्रयोग क्षमता को बढ़ाना तथा माइक्रो स्तरीय जल वितरण अवसंरचना विकास एवं अन्य संबंधित क्रियाकलापों के माध्यम से सिंचाई जल का समुचित वितरण सुनिश्चित करना। (i) क्षेत्र चैनलों का निर्माण- 0.6 मि० हे०। (ii) क्षेत्र निकासी का निर्माण 0.06 मि. हे. (iii) परिवहन की कमी 0.15 मि. हे.
2. केन्द्रीय क्षेत्रक तथा राज्य क्षेत्रक दोनों में बाढ़ प्रबंधन कुल 832 करोड़ रुपये का आबंटन जिसमें से 183 करोड़ रुपये केन्द्रीय स्कीमों तथा 649 करोड़ रुपये राज्य क्षेत्रक स्कीमों के लिए हैं।	(क) (i) बाँधों को ऊँचा सुदृढ़ तथा निर्माण करके महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नदी प्रबंधन कार्य। (ii) बाढ़ प्रबंधन तथा अपरदन नियंत्रण कार्यदल- 2004 के सुझावों के अनुसार गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी-घाटी राज्यों में कटावरोधी कार्य जल निकास सुधार कार्य आदि (iii) तटवर्ती राज्यों में तट कटाव कार्य। (iv) चुने गए स्थानों पर नदी खंडों से गाद निकालना/निकर्षण। (ख) राज्यों को अपनी बाढ़ राहत तथा प्रबंधन की योजना बनाने में सहायता के लिए 6000 बाढ़ पूर्वानुमान जारी किए जाएंगे।
3. भूजल प्रबंधन तथा विनियमन केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम आबंटन 62 करोड़ रुपये ।	योजना का उद्देश्य इस संसाधन की समग्र आयोजना तथा विकास हेतु देश में भूजल स्थिति (उपलब्धता, उपयोग आदि) का निम्नलिखित के माध्यम से पता लगाना है: (i) 1.5 लाख वर्ग कि.मी. में भूजल प्रबंधन अध्ययन (ii) 20000 जल नमूनों का विश्लेषण (iii) 800 कुओं में भूजल का पता लगाना। (iv) भू भौतिकी सर्वेक्षण : वीईएस-2200 लाइन 10 कि० मी० वेल लॉगिंग-एनबी (v) भूजल मॉनीटरिंग-15,600 (vi) अल्पावधि जल आपूर्ति अन्वेषण- पर आवश्यकता आधारित (-300) (vii) 40 जिलों की भूजल रिपोर्ट तैयार करना। भूजल ईयर बुक-23 (viii) जन जागरूकता-57 (ix) जल प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम-57 (x) मूल क्षेत्र में भू-जल विकास का विनियमन (xi) कृत्रिम रिचार्ज का प्रदर्शन अध्ययन-15
5. त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम ।	एआईबीपी के तहत 1.196 मि. हे. की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन करना तथा 15 मुख्य/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करना।

योजना का नाम	प्रत्याशित परिणाम
6. कृषि से संबंधित जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण तथा पुनरुद्धार ।	<ul style="list-style-type: none"> (i) कार्यान्वयन के लिए पहचान की गई 26 अथवा उससे अधिक जिला परियोजनाओं की प्रगति की मॉनीटरिंग करना (ii) स्कीम के पूरा होते ही उसके निष्पादन का मूल्यांकन करना (iii) विदेशी सहायता से आरआरआर स्कीम के विस्तारण के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया गया है।
7. नदी प्रबंधन क्रियाकलाप एवं सीमावर्ती क्षेत्रों से संबंधित कार्य	<ul style="list-style-type: none"> (i) संयुक्त विस्तृत परियोजना रिपोर्टें (डीपीआर) को तैयार करना। (ii) पड़ोसी देशों से प्राप्त करने को भेजने बाढ़ संबंधी आंकड़ा का प्रेषण (iii) बंगलादेश के साथ-साथ गंगा नदी पर संयुक्त जलीय प्रेक्षणों को जारी रखना तथा (iv) ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा भूमिकटाव रोधी कार्य किया जाना।

संलग्नक 21.1

वास्तविक व्यय - 2006-07

(करोड़ रुपए)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	बड़ी एवं मध्यम	लघु सिंचाई	सीएडी	बाढ़ नियंत्रण	कुल
1	आंध्र प्रदेश	8476.05	512.43	11.53	126.07	9126.08
2	अरुणाचल प्रदेश	0.56	48.30	2.39	9.05	60.30
3	असम	20.76	8.34	0.00	55.79	84.89
4	बिहार	423.76	76.20	31.60	111.56	643.12
5	छत्तीगढ़	360.18	300.89	54.23	1.74	717.04
6	गोवा	125.83	20.35	3.25	13.79	163.22
7	गुजरात	3893.55	279.66	4.24	2.37	4179.82
8	हरियाणा	414.58	0.00	20.58	52.46	487.62
9	हिमाचल प्रदेश	77.94	99.22	3.28	18.96	199.40
10	जम्मू एवं कश्मीर	39.05	41.20	12.62	26.03	118.90
11	झारखण्ड	261.48	44.64	33.27	3.68	343.07
12	कर्नाटक	3951.75	357.54	54.56	20.69	4384.54
13	केरल	135.98	17.17	4.61	4.21	161.97
14	मध्य प्रदेश	1062.61	334.82	8.83	3.20	1409.46
15	महाराष्ट्र	3331.42	394.63	63.06	13.51	3802.62
16	मणिपुर	61.31	155.31	5.78	19.19	241.59
17	मेघालय	0.00	7.50	0.28	2.50	10.28
18	मिजोरम	0.01	31.53	0.15	0.00	31.69
19	नागालैण्ड	0.00	21.25	0.13	1.45	22.83
20	उड़ीसा	632.40	109.14	8.61	6.73	756.88
21	पंजाब	148.15	84.15	31.15	5.85	269.30
22	राजस्थान	526.64	152.06	44.17	3.16	726.03
23	सिक्किम	0.00	6.60	0.00	3.68	10.28
24	तमिलनाडु	206.22	102.69	26.26	0.00	335.17
25	त्रिपुरा	17.50	42.50	0.14	13.12	73.26
26	उत्तर प्रदेश	1694.17	282.95	54.48	368.55	2400.15
27	उत्तराखण्ड	122.19	142.60	2.07	38.17	305.03
28	पश्चिम बंगाल	48.32	34.72	32.00	97.72	212.76
	कुल राज्य	26032.41	3708.39	513.27	1023.23	31277.30
	संघ राज्य क्षेत्र					
29	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.94	0.00	2.16	3.10
30	चंडीगढ़	0.00	2.25	0.00	0.00	2.25
31	दादर एवं नगर हवेली	0.00	0.86	0.15	0.00	1.01
32	दमन एवं दीव	0.06	0.16	0.00	0.26	0.48
33	दिल्ली	0.00	0.10	0.00	15.63	15.73
34	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	2.13	2.13
35	पांडिचेरी	0.00	14.41	0.00	38.14	52.55
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	0.06	18.72	0.15	58.32	77.25
	कुल राज्य और संघ राज्य क्षेत्र	26032.47	3727.11	513.42	1081.55	31354.55
	केन्द्रीय क्षेत्र	58.31	79.33	191.60	184.84	514.08
	सकल योग	26090.78	3806.44	705.02	1266.39	31868.63

संलग्नक 21.2

अनुमोदित परिव्यय - 2007-08

(करोड़ रुपए)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	बड़ी एवं मध्यम	लघु सिंचाई	सीएडीडब्ल्यूएम	बाढ़ नियंत्रण	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1	आंध्र प्रदेश	11750.67	873.52	16.82	332.6	12973.61
2	अरुणाचल प्रदेश	0.48	71.80	2.40	4.50	79.18
3	असम	53.00	12.66	1.00	69.00	135.66
4	बिहार	764.85	198.83	55.00	316.80	1335.48
5	छत्तीसगढ़	444.41	509.04	20.98	3.70	978.13
6	गोवा	152.17	37.19	3.65	19.40	212.41
7	गुजरात	4014.03	653.50	4.00	82.95	4754.48
8	हरियाणा	558.00	0.00	90.00	70.00	718.00
9	हिमाचल प्रदेश	116.00	120.62	3.50	19.70	259.82
10	जम्मू एवं कश्मीर	49.90	59.00	19.50	7.23	135.63
11	झारखण्ड	357.00	163.00	2.00	7.00	529.00
12	कर्नाटक	2461.38	617.85	53.98	12.56	3145.77
13	केरल	97.33	64.14	9.15	44.65	215.27
14	मध्य प्रदेश	1372.15	412.47	8.64	3.69	1796.95
15	महाराष्ट्र	2595.44	438.73	1108.15	1.84	4144.16
16	मणिपुर	155.00	24.00	6.50	13.54	199.04
17	मेघालय	0.30	22.00	0.35	2.50	25.15
18	मिजोरम	0.01	34.53	0.20	0.00	34.74
19	नागालैण्ड	0.00	47.66	1.00	1.50	50.16
20	उड़ीसा	657.90	98.20	11.00	17.50	784.60
21	पंजाब	337.47	149.05	80.00	83.48	650.00
22	राजस्थान	974.44	169.81	67.60	8.08	1219.93
23	सिक्किम	0.00	7.50	0.25	6.60	14.35
24	तमिलनाडु	389.12	111.10	22.75	43.00	565.97
25	त्रिपुरा	16.45	31.30	0.50	15.01	63.26
26	उत्तर प्रदेश	1824.73	321.30	176.15	40.00	2362.18
27	उत्तराखण्ड	96.39	23.92	3.50	12.06	135.87
28	पश्चिम बंगाल	158.97	64.00	10.31	140.78	374.06
	कुल राज्य	29397.59	5336.72	1778.88	1379.67	37892.86
	संघ राज्य क्षेत्र					
29	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0.00	7.15	0.00	8.05	15.20
30	चंडीगढ़	0.00	0.65	0.00	0.00	0.65
31	दादर एवं नगर हवेली	0.00	3.11	2.30	1.00	6.41
32	दमन एवं दीव	0.10	0.15	0.00	0.39	0.64
33	दिल्ली	0.00	20.00	0.00	49.00	69.00
34	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	6.03	6.03
35	पांडिचेरी	0.00	16.17	0.00	23.29	39.46
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	0.10	47.23	2.30	87.76	137.39
	कुल राज्य और संघ राज्य क्षेत्र	29397.69	5383.95	1781.18	1467.43	38030.25
	केन्द्रीय क्षेत्र	132.50	67.50	300.00	100.00	600.00
	सकल योग	29530.19	5451.45	2081.18	1567.43	38630.25

संलग्नक 21.3

संशोधित अनुमोदित परिव्यय - 2007-08

(करोड़ रुपए)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	बड़ी एवं मध्यम	लघु सिंचाई	सीएडीडब्ल्यूएम	बाढ़ नियंत्रण	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1	आंध्र प्रदेश	11750.67	873.52	16.82	332.6	12973.61
2	अरुणाचल प्रदेश					104.32
3	असम	68.00	12.66	1.00	72.50	154.16
4	बिहार	764.85	198.83	55.00	316.80	1335.48
5	छत्तीगढ़	444.41	509.04	20.98	3.70	978.13
6	गोवा					172.71
7	गुजरात	4014.03	653.50	4.00	82.95	4754.48
8	हरियाणा	608.00	0.00	72.24	70.00	750.24
9	हिमाचल प्रदेश	116.00	120.62	3.50	19.70	259.82
10	जम्मू एवं कश्मीर	49.90	59.00	19.50	7.23	135.63
11	झारखण्ड	357.00	163.00	2.00	7.00	529.00
12	कर्नाटक	2461.38	617.85	53.98	12.56	3145.77
13	केरल	97.33	64.14	9.15	44.65	215.27
14	मध्य प्रदेश	1372.15	412.47	8.64	3.69	1796.95
15	महाराष्ट्र	2595.44	438.73	1108.15	1.84	4144.16
16	मणिपुर	160.00	60.81	6.50	69.54	296.85
17	मेघालय	0.01	16.00	0.12	2.25	18.38
18	मिजोरम	0.01	34.13	0.19	0.00	34.33
19	नागालैण्ड	0.00	47.66	3.70	1.50	52.86
20	उड़ीसा	1293.00	133.92	14.63	46.62	1488.17
21	पंजाब	337.47	149.05	80.00	83.48	650.00
22	राजस्थान	620.26	173.83	56.64	2.95	853.68
23	सिक्किम	0.00	9.08	5.28	0.10	14.46
24	तमिलनाडु	276.07	127.37	22.75	43.00	469.19
25	त्रिपुरा	6.84	28.47	0.27	6.43	42.01
26	उत्तर प्रदेश	1719.19	321.27	54.46	331.63	2426.55
27	उत्तराखण्ड	127.01	23.92	3.50	12.06	166.49
28	पश्चिम बंगाल	108.24	84.00	10.29	160.81	363.34
	कुल राज्य	29347.26	5332.87	1633.29	1735.59	38326.04
	संघ राज्य क्षेत्र					
29	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह					4.17
30	चंडीगढ़	0.00	7.70	0.00	0.00	7.70
31	दादर एवं नगर हवेली					1.40
32	दमन एवं दीव	0.10	0.15	0.00	0.39	0.64
33	दिल्ली	0.00	20.00	0.00	49.00	69.00
34	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	6.03	6.03
35	पांडिचेरी	0.00	13.05	0.00	27.60	40.65
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	0.10	40.90	0.00	83.02	129.59
	कुल राज्य और संघ राज्य क्षेत्र	29347.36	5373.77	1633.29	1818.61	38455.63
	केन्द्रीय क्षेत्र	105.82	65.44	285.66	105.08	562.00
	सकल योग	29453.18	5439.21	1918.95	1923.69	39017.63

संलग्नक 21.4

अनुमोदित परिव्यय - 2008-09

(करोड़ रुपए)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	बड़ी एवं मध्यम	लघु सिंचाई	सीएडीडब्ल्यूएम	बाढ़ नियंत्रण	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1	आंध्र प्रदेश	14229.85	1646.26	14.5	580.9	16471.51
2	अरुणाचल प्रदेश	0.50	39.02	2.50	6.60	48.62
3	असम	87.30	30.77	6.00	201.51	325.58
4	बिहार	1299.19	150.00	20.00	782.60	2251.79
5	छत्तीगढ़	805.59	108.31	21.06	2.50	937.46
6	गोवा	163.61	55.13	4.18	22.77	245.69
7	गुजरात	4156.03	796.87	10.65	106.65	5070.20
8	हरियाणा	640.00	0.00	75.00	75.00	790.00
9	हिमाचल प्रदेश	130.00	140.63	3.50	22.02	296.15
10	जम्मू एवं कश्मीर	62.10	113.68	23.84	9.23	208.85
11	झारखण्ड	478.00	100.00	2.00	20.00	600.00
12	कर्नाटक	2586.33	789.31	79.40	13.70	3468.74
13	केरल	120.41	70.55	7.15	59.51	257.62
14	मध्य प्रदेश	1559.75	609.06	10.00	6.00	2184.81
15	महाराष्ट्र	5411.81	498.27	36.90	7.86	5954.84
16	मणिपुर	187.58	55.64	7.50	16.48	267.20
17	मेघालय	0.40	37.00	0.45	3.15	41.00
18	मिजोरम	0.01	27.50	0.15	0.00	27.66
19	नागालैण्ड	0.00	64.17	0.50	2.04	66.71
20	उड़ीसा	1077.27	188.94	68.00	46.50	1380.71
21	पंजाब	124.18	86.36	80.04	59.61	350.19
22	राजस्थान	725.59	250.33	96.95	10.07	1082.94
23	सिक्किम	0.00	9.54	0.30	8.00	17.84
24	तमिलनाडु	521.19	57.21	21.69	126.78	726.87
25	त्रिपुरा	27.48	37.01	0.32	10.08	74.89
26	उत्तर प्रदेश	1993.60	348.50	61.87	335.63	2739.60
27	उत्तराखण्ड	285.32	316.51	3.85	8.00	613.68
28	पश्चिम बंगाल	260.15	109.73	16.31	180.50	566.69
	कुल राज्य	36933.24	6736.30	674.61	2723.69	47067.84
	संघ राज्य क्षेत्र					
29	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0.00	2.15	0.00	2.94	5.09
30	चंडीगढ़	0.00	1.40	0.00	0.00	1.40
31	दादर एवं नगर हवेली	0.00	1.10	0.20	0.00	1.30
32	दमन एवं दीव	0.10	0.20	0.05	0.35	0.70
33	दिल्ली	0.00	53.00	0.00	33.60	86.60
34	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00
35	पांडिचेरी	0.00	15.53	0.00	10.33	25.86
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	0.10	73.38	0.25	53.22	126.95
	कुल राज्य और संघ राज्य क्षेत्र	36933.34	6809.68	674.86	2776.91	47194.79
	केन्द्रीय क्षेत्र					0.00
	सकल योग	36933.34	6809.68	674.86	2776.91	47194.79

संलग्नक 21.5

ग्यारहवीं योजना और वार्षिक योजना 2008-09* हेतु बड़े एवं मध्यम सिंचाई लक्ष्य

(000 हेक्टेयर)

क्र. सं.	राज्य/सं.रा. क्षेत्र का नाम	अंतिम सिंचाई संभावना	संचयी पूर्वानुमानित उपलब्धियां 10वीं योजना (मार्च, 2007)		ग्यारहवीं योजना के लक्ष्य		वार्षिक योजना 2007-08				वार्षिक योजना 2008-09 लक्ष्य	
			पीसी	पीयू	पीसी	पीयू	लक्ष्य		संभावित उपलब्धियां		पीसी	पीयू
1	आंध्र प्रदेश	5000.00	3600.21	3244.63	3326.36	एनएफ	394.44	एनएफ	147.78	एनएफ	832.34	एनएफ
2	अरुणाचल प्रदेश	0.00	1.20	0.78	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3	असम	970.00	302.69	210.95	111.99	एनएफ	41.3	एनएफ	एनएफ	एनएफ	5.72	एनएफ
4	बिहार	5223.50	2879.00	1814.93	2622.41	एनएफ	534.86	एनएफ	एनएफ	एनएफ	73.34	एनएफ
5	छत्तीसगढ़	1146.93	1137.00	948.24	196.00	एनएफ	45.00	एनएफ	एनएफ	एनएफ	43	एनएफ
6	गोवा	62.00	33.75	23.33	17.95	25.03	4	एनएफ	2	एनएफ	5.445	एनएफ
7	गुजरात	3000.00	2230.50	1835.36	1769.00	एनएफ	505	एनएफ	505	एनएफ	60	एनएफ
8	हरियाणा	3000.00	2193.70	1893.25	23.55	एनएफ	1.47	एनएफ	एनएफ	एनएफ	एनएफ	एनएफ
9	हिमाचल प्रदेश	50.00	15.45	8.23	16.00	एनएफ	2.00	एनएफ	2	एनएफ	2.5	एनएफ
10	झारखण्ड	1276.50	397.77	245.80	416.65	एनएफ	21.1	एनएफ	एनएफ	एनएफ	एनएफ	एनएफ
11	जम्मू कश्मीर	250.00	187.30	174.60	12.73	12.76	0.72	0.72	3.93	एनएफ	एनएफ	एनएफ
12	कर्नाटक	2500.00	2637.71	2119.69	440.34	328.24	82.50	63.25	82.5	63.25	116.53	69.95
13	केरल	1000.00	669.49	591.37	50.00	एनएफ	10.00	एनएफ	10	एनएफ	10	एनएफ
14	मध्य प्रदेश	4853.07	1931.90	1173.34	777.06	एनएफ	159.9	एनएफ	एनएफ	एनएफ	111	एनएफ
15	महाराष्ट्र	4100.00	3494.15	2313.09	1512.00	एनएफ	NF	एनएफ	एनएफ	एनएफ	120	एनएफ
16	मणिपुर	135.00	106.55	81.41	46.95	एनएफ	17.00	एनएफ	एनएफ	एनएफ	एनएफ	एनएफ
17	मेघालय	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	मिजोरम	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	नागालैण्ड	10.00	-	-	10.00	एनएफ	शून्य	एनएफ	-	-	-	-
20	उड़ीसा	3600.00	1974.36	1878.72	321.73	एनएफ	32.71	एनएफ	4.59	एनएफ	79.97	एनएफ
21	पंजाब	3000.00	2574.67	2510.52	एनएफ	एनएफ	एनएफ	एनएफ	NF	एनएफ	एनएफ	एनएफ
22	राजस्थान	2750.00	2861.58	2526.09	824.30	एनएफ	147.2	एनएफ	124.2	एनएफ	130.64	एनएफ
23	सिक्किम	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	तमिलनाडु	1500.00	1562.56	1556.93	एनएफ	एनएफ	1.30	एनएफ	एनएफ	एनएफ	एनएफ	एनएफ
25	त्रिपुरा	100.00	14.05	10.45	8.97	NF	3.15	एनएफ	एनएफ	एनएफ	एनएफ	एनएफ
26	उत्तर प्रदेश	12154.00	8781.97	6809.36	1203.40	1203.40	220.22	165.00	220	एनएफ	183	एनएफ
27	उत्तराखण्ड	346.00	288.98	191.05	एनएफ	एनएफ	एनएफ	एनएफ	एनएफ	एनएफ	एनएफ	एनएफ
28	पश्चिम बंगाल	2300.00	1754.81	1573.61	एनएफ	एनएफ	एनएफ	एनएफ	एनएफ	एनएफ	एनएफ	एनएफ
29	संघ राज्य क्षेत्र	98.00	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	योग	58465.00	41637.86	33739.64	13707.39	1569.43	2223.87	228.97	1102.00	63.25	1773.49	69.95

* आंकड़ों का राज्यों से समाधान किया जा रहा है।

एनएफ : राज्य द्वारा नहीं प्रस्तुत, पीसी: संभावना सृजित, पीयू: संभावना का उपयोग किया गया।

लघु सिंचाई ग्यारहवीं योजना के लिए वास्तविक विवरण

(000 हेक्टेयर) *

क्र. सं.	राज्य/सं. रा. क्षेत्र का नाम	अंतिम सिंचाई संभावना	संचयी पूर्वानुमानित उपलब्धियां 10वीं योजना		ग्यारहवीं योजना के लक्ष्य		2007-08 के लक्ष्य		संभावित उपलब्धियां 2007-08		लक्ष्य 2008-09	
			पीसी	पीयू	पीसी	पीयू	पीसी	पीयू	पीसी	पीयू	पीसी	पीयू
1	आंध्र प्रदेश	6260.00	3092.42	2843.92	222.70	एनएफ	40.49	एनएफ	40.50	एनएफ	47.50	एनएफ
2	अरुणाचल प्रदेश	168.00	114.37	86.61	42.00	एनएफ	7.65	एनएफ	7.6	एनएफ	7.6	एनएफ
3	असम	1900.00	631.98	508.56	142.54	एनएफ	20.00	एनएफ	एनएफ	एनएफ	14.5	एनएफ
4	बिहार	5663.50	4758.78	3793.33	1384.00	एनएफ	318.00	एनएफ	एनएफ	एनएफ	एनएफ	एनएफ
5	छत्तीसगढ़	571.00	556.76	378.11	450.00	एनएफ	165.00	एनएफ	एनएफ	एनएफ	165	एनएफ
6	गोवा	54.00	24.39	20.92	2.70	2.30	0.45	0.22	0.45	0.22	0.6	0.51
7	गुजरात	3103.00	2019.42	1892.54	704.00	एनएफ	174.00	24.00	174	एनएफ	139	एनएफ
8	हरियाणा	1512.00	1637.67	1583.50	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
9	हिमाचल प्रदेश	303.00	171.09	144.77	15.00	एनएफ	2.50	एनएफ	2.5	एनएफ	2.5	एनएफ
10	जम्मू एवं कश्मीर	1183.50	661.09	500.83	308.23	एनएफ	35.65	एनएफ	एनएफ	एनएफ	एनएफ	एनएफ
11	झारखण्ड	1108.00	390.35	367.63	3.34	3.34	1.80	1.80	3.8	एनएफ	एनएफ	एनएफ
12	कर्नाटक	3474.00	1641.89	1592.22	50.00	50.00	10.00	10.00	20.95	20.95	10	10
13	केरल	1679.00	687.02	629.36	200.00	एनएफ	50.00	एनएफ	50	एनएफ	25	एनएफ
14	मध्य प्रदेश	11361.00	2340.88	2217.28	267.00	एनएफ	30.00	एनएफ	एनएफ	एनएफ	38	एनएफ
15	महाराष्ट्र	4852.00	3055.60	2648.12	276.00	एनएफ	NF	एनएफ	एनएफ	एनएफ	30	एनएफ
16	मणिपुर	469.00	92.69	73.30	22.30	एनएफ	3.90	एनएफ	एनएफ	एनएफ	एनएफ	एनएफ
17	मेघालय	148.00	61.57	53.89	16.50	एनएफ	2.00	एनएफ	1.8	एनएफ	2.07	एनएफ
18	मिजोरम	70.00	21.26	14.95	35.40	एनएफ	8.40	एनएफ	9	एनएफ	8.31	एनएफ
19	नागालैण्ड	75.00	93.17	72.20	22.00	एनएफ	6.18	एनएफ	0.78	-	एनएफ	एनएफ
20	उड़ीसा	5203.00	1648.91	1441.97	207.27	एनएफ	38.83	एनएफ	एनएफ	एनएफ	39.96	एनएफ
21	पंजाब	2967.00	3430.08	3368.20	एनएफ	एनएफ	NF	एनएफ	एनएफ	एनएफ	एनएफ	एनएफ
22	राजस्थान	2378.00	2467.90	2374.44	70.47	एनएफ	15.00	एनएफ	5	एनएफ	12.61	एनएफ
23	सिक्किम	50.00	34.47	25.62	10.00	एनएफ	1.50	एनएफ	1.5	एनएफ	3	एनएफ
24	तमिलनाडु	4032.00	2137.33	2128.40	एनएफ	एनएफ	3.95	एनएफ	एनएफ	एनएफ	एनएफ	एनएफ
25	त्रिपुरा	181.00	134.98	116.35	40.00	एनएफ	6.00	एनएफ	एनएफ	एनएफ	6.8	एनएफ
26	उत्तर प्रदेश	17481.00	23603.67	18871.32	2906.15	एनएफ	543.15	421.80	72	एनएफ	34	एनएफ
27	उत्तराखण्ड	518.00	518.75	408.84	64.40	एनएफ	12.68	एनएफ	एनएफ	एनएफ	एनएफ	एनएफ
28	पश्चिम बंगाल	4618.00	4022.68	3282.25	एनएफ	एनएफ	90.00	एनएफ	एनएफ	एनएफ	90.00	एनएफ
	कुल (राज्य)	81382.00	60051.17	51443.44	7462.00	55.64	1587.13	457.82	389.88	21.17	676.45	10.51
29	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह		2.10	1.88	1.50	एनएफ	0.30	एनएफ	0.058	एनएफ	0.07	एनएफ
30	चंडीगढ़		0.30	0.28	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
31	दादर एवं नगर हवेली		1.35	1.07	0.33	एनएफ	0.04	एनएफ	0.04	एनएफ	0.045	एनएफ
32	दमन एवं दीव		17.76	10.44	2.00	एनएफ	2.00	एनएफ	2	एनएफ	2	एनएफ

क्र. सं.	राज्य/सं. रा. क्षेत्र का नाम	अंतिम सिंचाई संभावना	संचयी पूर्वानुमानित उपलब्धियां 10वीं योजना		ग्यारहवीं योजना के लक्ष्य		2007-08 के लक्ष्य		संभावित उपलब्धियां 2007-08		लक्ष्य 2008-09	
			पीसी	पीयू	पीसी	पीयू	पीसी	पीयू	पीसी	पीयू	पीसी	पीयू
33	दिल्ली		21.64	18.52	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
34	लक्षद्वीप		शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
35	पांडिचेरी		7.97	6.06	2.50	2.50	0.50	0.50	0.5	0.5	0.5	0.5
	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	46.00	51.12	38.26	6.33	2.50	2.84	0.50	2.60	0.50	2.62	0.50
	कुल (राज्य और संघ राज्य क्षेत्र)	81428.00	60102.29	51481.70	7468.33	58.14	1589.97	458.32	392.48	21.67	679.07	11.01

* आंकड़ों का राज्यों से समाधान किया जा रहा है।

एनएफ : राज्य द्वारा नहीं प्रस्तुत पीसी : संभावना सृजित पीयू : संभावना का उपयोग किया गया ।

संलग्नक 21.7

जल संसाधन मंत्रालय का वास्तविक व्यय 2007-08

(करोड़ रुपए)

स्कीमों का नाम	वार्षिक योजना (2007-09) वास्तविक व्यय
1	2
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें	
i) जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास	18.65
ii) भूजल प्रबंधन एवं विनियमन	48.11
iii) जल संसाधन विकास स्कीम का अन्वेषण	25.09
iv) अनुसंधान एवं विकास	33.28
v) राष्ट्रीय जल अकादमी	1.86
vi) राजीव गांधी राष्ट्रीय भूजल प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान	0.60
vii) सूचना, शिक्षा एवं संचार	1.32
viii) पगलडिया बांध परियोजना	1.35
ix) फरक्का बराज परियोजना	30.99
x) बांध सुरक्षा अध्ययन एवं आयोजन	0.48
xi) नदी घाटी संगठन/प्राधिकरण	0.00
xii) बाढ़ पूर्वानुमान	13.91
xiii) सीमा क्षेत्र संबंधी नदी प्रबंधन कार्यकलाप एवं निर्माण	51.44
xiv) अवसंरचना विकास	4.14
xv) हाइड्रोलोजी प्रोजेक्ट	6.98
कुल	238.20

अध्याय-22

वन

वर्ष 2006-07 के निष्पादन की समीक्षा

22.1 वन कवर संवर्धन और संयुक्त वानिकी प्रबंध (जेएफएम) को सार्वभौमिक बनाने के लिए राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम (एनएपी) पर्यावरण और वन मंत्रालय (एमओईएफ) की फ्लैगशिप्स स्कीम है। संयुक्त वन प्रबंध दृष्टिकोण अभी तक 28 राज्यों द्वारा अपनाया गया है। अब तक 20.11 मिलियन हेक्टेयर वन क्षेत्र 99708 जेएफएम समितियों के अधीन लाया जा चुका है इसमें 61347 राजस्व गांवों में 13.74 मिलियन परिवार आते हैं। राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम के अंतर्गत अनुमोदित वनरोपण परियोजनाओं हेतु परियोजना मूल्यांकन और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से निधियां उपलब्ध कराने के लिए वन प्रभाग स्तर पर वन विकास एजेंसिया गठित की जाती है।

22.2 राष्ट्रीय बांस मिशन को कृषि मंत्रालय द्वारा कार्यान्वयन हेतु अनुमोदित किया जा चुका है। यह मिशन बांस आधारित उत्पादों के मूल्यवर्धन तथा विपणन को बढ़ावा देगा। यह मिशन, बांस के आधुनिक उपयोग में प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रयासों को पूरा करेगा। तथा संगठित मूल्यवर्धन एवं मार्केटिंग नेटवर्क द्वारा समुदायों के लिए लाभकारी रोजगार अवसरों को बढ़ाएगा।

22.3 वन्य जीव अभ्यारण्य तथा राष्ट्रीय पार्क विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों के 350 संरक्षित क्षेत्रों को सहायता दी गई है। बाघ परियोजना की प्रधान मंत्री द्वारा स्थापित किए गए बाघ कार्य बल द्वारा समीक्षा की गई है। बाघ कार्य बल ने कुछ उपायों की सिफारिश की है जिसमें जहां भी व्यवहार्य हो, वन्यजीवों के लिए अतिक्रमण रहित स्थान उपलब्ध कराने हेतु समादेशी अभिरक्षा

शासन तैयार करने और स्थानांतरण पर बल देना शामिल है।

वर्ष 2007-08 के लिए कार्यक्रम तथा स्कीमें

22.4 वर्ष 2007-08 के लिए मुख्य कार्यक्रमों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं

राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम (एनएपी)

22.5 पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की फ्लैगशिप स्कीम ग्रीन कवर संवर्धन के लिए संयुक्त वन प्रबंध समितियों (जेएफएमसी) तथा वन विकास एजेंसियों (एफडीए) जैसे सामुदायिक संस्थानों के माध्यम से अवक्रमित वनों की बहाली की परिकल्पना की गई है। निधियां माइक्रो योजना/परियोजना आधार पर सीधे ही एफडीए को उपलब्ध कराई जाती हैं।

22.6 11वीं योजना के अंत में, 9.19 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को उपचारित करने के लिए 1658.09 करोड़ रुपए की लागत से 729 एफडीए स्थापित किए गए थे। इस कार्यक्रम के अंतर्गत झूम खेती के पुनर्वास के लिए विशेष ध्यान दिया गया था और 10वीं योजना के अंत में 25 झूम परियोजनाएं मंजूर की गई थी (24 पूर्वोत्तर राज्यों और 1 उड़ीसा में)। एनएसी के अन्तर्गत, राज्यों को बांस रोपण करने, चिकित्सा पौधे लगाने तथा जैट्रोफा उगाने पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी गई थी। उन्हें जैट्रोफा उगाने के लिए एनएसी के अंतर्गत 10% शिखर घनत्व से कम वाले परियोजना क्षेत्र का 10% कवर करने की भी सलाह दी गई थी। इसी प्रकार एफडीएज को भी बांस और चिकित्सीय पौधो उगाने के लिए उपयुक्त परियोजना क्षेत्र 10% क्षेत्र को उद्दिष्ट करने की सलाह दी गई थी। यद्यपि उपयुक्त

के प्रबंधन तथा इस संबंध में स्थानीय लोगों की क्षमता निर्माण के लिए विकेन्द्रीकरण के अनुरूप एफडीए को पर्याप्त दक्ष पाया गया है, फिर भी निम्नलिखित मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श किए जाने की आवश्यकता है।

- सभी समर्थ 811 एफडीएज को कवर करने तथा सभी 1.73 लाख गावों तक जेएफएम का विस्तार करने के लिए एनएपी के लिए आबंटन पर्याप्त नहीं हो सकता है।
- एनएसी की मानीटरिंग और मूल्यांकन को सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है।

22.7 वर्ष 2008-09 के दौरान, चालू परियोजनाओं को सहायता देने के अलावा, लगभग 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हुए करीब 100 नई एनएपी परियोजनाओं को सहायता दी जाएगी।

राष्ट्रीय पार्कों और अभ्यारण्यों का विकास

22.8 देश के संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क में 340 राष्ट्रीय पार्क एवं अभ्यारण्य हैं। विशिष्ट आवास प्रबंध सुधार के लिए इन क्षेत्रों के प्रबंध के वास्ते राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम के अंतर्गत 326 पीए को सहायता प्रदान की जाती है। इस सहायता का विस्तार और अधिक संरक्षित क्षेत्रों में किया जाएगा जिसमें बाघ कार्य बल द्वारा समर्पित नियमों के आधार पर जहाँ भी संभव हो मानव आवास के स्वैच्छिक पुनःस्थापन का प्रावधान शामिल है। इस कार्यक्रम के लिए 62 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई है।

बाघ परियोजना

22.9 बाघ परियोजना स्कीम के अंतर्गत भारत में बाघों की जीवनक्षम संख्या बनाए रखना सुनिश्चित करने और 37761 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र को कवर करते हुए 17 राज्यों में अवस्थित 28 बाघ प्राकृतिक वासों का संरक्षण करने के लिए वर्ष 1973 से क्रियान्वयनाधीन रही है। परियोजना का

मुख्य बल इन प्राकृतिक वासों में प्राकृतिक पारिस्थितिकीय प्रणालियों पर जैव मानव विकास के प्रभाव से बचाव और उसे कम करने पर है।

22.10 बाघ कार्यबल की संस्तुतियों के आधार पर, वन्य जीव(संरक्षण) अधिनियम 1972 में, संशोधन के माध्यम से राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और राष्ट्रीय वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो का गठन किया गया था।

हाथी परियोजना

22.11 हाथी परियोजना फरवरी, 1992 में उन राज्यों को सहायता देने के लिए शुरू की गई थी जहां अपने प्राकृतिक वास में जंगली हाथी काफी संख्या में रहते हैं ताकि उनका दीर्घ जीवन सुनिश्चित हो सके। मुख्य कार्यकलापों में शामिल है:- हाथियों के प्राकृतिक वासो एवं प्रवासी मार्गों की पारिस्थितिकीय पुनर्स्थापन, मुख्य आवादी क्षेत्रों में मनुष्य एवं हाथी के बीच संघर्ष को कम करने के उपाय, हाथी प्रबंधन संबंधी मुद्दों पर अनुसंधान एवं पशु चिकित्सा देखरेख।

22.12 स्कीम के तहत परियोजना के उद्देश्य की पूर्ति हेतु राज्यों को वित्तीय, तकनीकी और वैज्ञानिक सहायता दी जाती है, यह 12 राज्यों के 61200 वर्ग कि. मी. वन क्षेत्र में 26 हाथी रक्षित भूभाग में 100% केन्द्र प्रायोजित स्कीम के रूप में कार्यान्वित की जा रही है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में मूली बांस के भारी मात्रा में पुष्प उत्पादन का प्रबंधन:

22.13 यह स्कीम पूर्वोत्तर राज्यों में पूर्वोत्तर का आम बांस जिसे मैलोकना बैसीफेरा अथवा मूली बांस कहते हैं भारी मात्रा में खिलने वाले पुष्प उत्पादन का प्रबंधन करने के लिए कार्यान्वयकाधीन है। चूंकि फूल आने के बाद बांस नष्ट हो जाता है इसका परिणाम अवक्रमण, आग और स्वास्थ्य जोखिम और साथ ही विभिन्न आर्थिक क्रियाकलापों के लिए बांस का इस्तेमाल करने वाले समुदायों को आर्थिक हानि के रूप में देखने को मिलता है।

इसलिए फूल आने से पहले संभावित मात्रा में बांस की कटाई किए जाने, बेहतर मूल्य संवर्द्धन की खातिर कुछ क्षेत्रों में नई किस्में पुनः उगाने और चूहों/गिलहरी की बढ़ रही संख्या से निपटने की व्यवस्था करने, स्वास्थ्य जोखिम से निपटने का प्रबंध करने का प्रस्ताव है। पूर्वोत्तर राज्यों को उनकी कार्य योजना क्रियान्वित करने हेतु केन्द्रीय सहायता प्रदान करने के लिए वर्ष 2005-06 में स्वीकृत की गई थी ताकि वे कुछेक चुनिंदा क्रियाकलाप चला सकें। उस कार्यक्रम के लिए 15 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई गई है ताकि इसे वर्ष 2008-09 तक पूरा किया जा सके।

एकीकृत वन संरक्षण

22.14 यह कार्यक्रम दसवीं योजना में प्रबंधन में आधुनिक प्रवृत्तियों को अपनाने तथा जंगलों को अतिक्रमण, आग एवं अवक्रमण से बचाने हेतु राज्यों को उनकी क्षमता निर्माण में सहायता प्रदान करने के लिए शुरु किया गया था। इस स्कीम को, विशेष श्रेणी राज्यों के मामलों में राज्य के 10% हिस्से के उपबंध के साथ राज्यों एवं केन्द्र सरकार के बीच 25:75 की भागीदारी लागत के आधार पर अनुमोदित किया गया है। वर्ष 2008-09 के लिए परिव्यय 130 करोड़ रुपये है।

संस्थागत सहायता

22.15 पर्यावरण एवं वन मंत्रालय निम्नलिखित संगठनों के माध्यम से वानिकी तथा वन्यजीवन के लिए संस्थागत सहायता उपलब्ध कराता है।

- भारतीय वन अनुसंधान तथा शिक्षा परिषद, देहरादून।
- भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून।
- वानिकी शिक्षा निदेशालय, देहरादून।
- भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भोपाल।
- भारतीय फ्लॉइवुड उद्योग अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थान, बैंगलोर।

- भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून।
- राष्ट्रीय पशु कल्याण संस्थान, वल्लभगढ़।

उल्लिखित संगठनों के अतिरिक्त निम्नलिखित स्वायत्त निकाय भी कार्य कर रहे हैं। और क्षेत्र में संरक्षण कार्यकलापों में सहायता करते हैं। सी ए एम पी ए के कार्यक्रम को छोड़कर इन एजेंसियों के कार्यक्रमों को योजना के तहत सहायता दी जाती है जिसका सृजन निधियों का प्रबंधन करने के लिए किया जाता है जो गैर वानिकी उद्देश्यों के लिए वन भूमि का उपयोग करने वाली एजेंसियों द्वारा वनरोपण के लिए उपलब्ध करायी जाती है।

- राष्ट्रीय वनरोपण तथा परिस्थितकीय विकास बोर्ड।
- केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण।
- राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड।
- राष्ट्रीय पशुकल्याण बोर्ड।
- राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण।
- प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण(सी ए एम पी ए)।

राष्ट्रीय बांस और बायोडीजल मिशन

22.17 हरियाली क्षेत्र को मुख्य औद्योगिक विकास, ऊर्जा सुरक्षा और लाभकारी रोजगार अवसरों से जोड़ने के लिए राष्ट्रीय बांस मिशन शुरु किया गया था। राष्ट्रीय बांस मिशन पर कार्यवाई कृषि मंत्रालय में की जाती है। जैट्रोफा से बायोडीजल को प्रोत्साहन देने के लिए परियोजना निदर्शन जिसे बायोडीजल मिशन कहते हैं का समन्वय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों में वनों तथा गैर वनभूमि और समुदाय क्षेत्रों में बांस तथा जैट्रोफा उगाना शामिल है ताकि समुदायों का बढ़ा हुआ मूल्य और आर्थिक लाभ प्राप्त हो सके। ग्रीन कवर का विस्तार इन कार्यक्रमों का अतिरिक्त परिणाम होगा।

पशु कल्याण

22.18 पर्यावरण और वन मंत्रालय के पशु कल्याण प्रभाग पर पशु निर्दयता निवारण अधिनियम (1960) के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी है और वह पशु निर्दयता निवारण समितियों (एसपीसीए) के लिए सहायता प्रदान करता है। इस अधिनियम के अधीन दो सांविधिक संगठन अर्थात् भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (एडब्ल्यूबीआई) और पशुओं पर प्रयोगों के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के प्रयोजन के लिए समिति (सीपीसीएसईए) गठित किए गए हैं। इस कार्यक्रम

के अंतर्गत एक राष्ट्रीय पशु कल्याण संस्थान स्थापित किया गया है। इस संस्थान ने एजूकेशनल कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (एडसिल) की सहायता से प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए हैं। पशु जन्म नियंत्रण/एंटीरेबीज स्कीम, भारत को रेबीज मुक्त बनाने के लिए आवारा कुत्तों का 5 वर्षों के लिए रेबीज रोधी प्रतिरक्षण, स्व निर्वह्न के लिए गौशाला विकास पर 11वीं योजना में विशेष बल दिए जाने को देखते हुए योजना आयोग को आवर्धित प्रस्ताव भेजे जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के लिए परिव्यय 21 करोड़ रुपये होगा ।

अध्याय 23

तीव्रता से गरीबी कम करना

23.1 अखिल भारतीय गरीबी अनुपात जो 1993 में 54.8 प्रतिशत था, कम होकर 2004 में 27.5 प्रतिशत हो गया। उसी अवधि में ग्रामीण तथा शहरी गरीबी अनुपात में क्रमशः 56.4 प्रतिशत से 28.3 प्रतिशत तक तथा 49 प्रतिशत से 25.7 प्रतिशत तक की गिरावट आई है। तथापि, गरीबों की सम्पूर्ण संख्या में मामूली परिवर्तन हुआ है, जो 1973 में 3213 लाख से मामूली रूप से घटकर 2004 में 3017 तक हो गई है। इस अवधि में जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों की संख्या में 2612 लाख से 2209 लाख तक की गिरवट हुई थी। यह संख्या शहरी क्षेत्रों में वास्तविक रूप से 600.4 लाख से बढ़कर 807.9 लाख तक हो गई।

23.2 कुछ राज्यों-उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में गरीबी केन्द्रित है जहाँ अनुपात लगातार उच्च बना हुआ है। ग्रामीण गरीबी कृषि श्रमिकों और दस्तकार परिवारों और शहरी गरीबी नैमित्तिक श्रमिक परिवारों में केन्द्रित है। सामाजिक समूहों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़ी जातियों में वर्ष 1999-2000 में ग्रामीण गरीबों का प्रतिशत 81 प्रतिशत था।

23.3 रोजगार सृजक क्षेत्रों पर बल देते हुए आर्थिक विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, जल आपूर्ति, स्वच्छता आदि न्यूनतम बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था के साथ-साथ, गरीबी को कम करने की कार्यनीति का प्रमुख घटक रहा है। इस कार्यनीति को तीसरे घटक के साथ मिला दिया गया है, जिसमें गरीबी विरोधी कार्यक्रमों के माध्यम से सीधे गरीबों को लक्ष्य बनाया जा रहा है। ग्रामीण आवासन संबंधी स्कीमों के साथ-साथ स्व तथा मजदूरी रोजगार कार्यक्रम गरीबी उपशमन कार्यक्रमों

का मुख्य आधार हैं, जिन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा रहा है।

23.4 ग्यारहवीं योजना में प्रतिवर्ष 9 प्रतिशत की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। इसमें इस विकास का समावेशन दर्शाने वाले निष्पादन के अन्य आयामों के लिए विकास के मॉनीटरन योग्य लक्ष्य भी निश्चित किए गए हैं। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की संभाव्यता के बारे में अनुमान है, ग्यारहवीं योजना अवधि में उपभोग गरीबी का हैडकाउंट अनुपात 10 प्रतिशतता बिन्दु तक कम किया जा सकता है।

23.5 इस अध्याय में, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यान्वित किए जा रहे गरीबी-रोधी कार्यक्रमों की संक्षेप में समीक्षा की गई है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम (एनआरईजीपी)

23.6 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एनआरईजीपी) सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जो सीधे ही गरीबों के जीवन को प्रभावित करते हुए समावेशी विकास को बढ़ावा देता है। इस अधिनियम का उद्देश्य उस प्रत्येक घर के वयस्क सदस्य को स्वेच्छा से अकुशल शारीरिक कार्य करना चाहता है, एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन का निश्चित मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराते हुए देश के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की आजीविका सुरक्षा में बढ़ोत्तरी करना है।

23.7 यह अधिनियम 2 फरवरी, 2006 से लागू हुआ तथा इसे चरणबद्ध पद्धति में कार्यान्वित किया गया। पहले चरण में यह देश के 200 अत्यधिक पिछड़े जिलों में शुरू किया गया था। दूसरे चरण

2007-08 में इसे अतिरिक्त 130 जिलों में कार्यान्वित किया गया था। शुरुआती लक्ष्य के अनुसार, नरेगा को पाँच वर्षों में देश भर में विस्तारित किया जाना था। तथापि, संपूर्ण राष्ट्र को इसके सुरक्षा जाल के तहत-लाने के लिए एवं मांग के मद्देनजर, चरण-III में 1 अप्रैल, 2008 से इस स्कीम का देश के बाकी 274 ग्रामीण जिलों में विस्तार किया गया था।

23.8 यह अधिनियम अभूतपूर्व पैमाने पर मजदूरी रोजगार की गारंटी देता है। अधिनियम का प्रारंभिक उद्देश्य मजदूरी रोजगार में वृद्धि करना है। इसके गौण उद्देश्य उन कार्यों के माध्यम से प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन को सुदृढ़ करना है जो सूखा, वन-कटाव तथा भूमि-कटाव जैसे गरीबी के चिरकालिक कारणों का समाधान करता है तथा इस प्रकार संधारणीय विकास को प्रोत्साहित करता है। इस प्रकार एनआरईजीए (नरेगा) कमजोर वर्गों को सामाजिक सुरक्षा नेट तथा इक्विटी के साथ विकास को जोड़ने का अवसर उपलब्ध कराता है। इसे यह सुनिश्चित करते हुए प्राप्त किया जाता है कि प्रत्येक ग्रामीण परिवार को वित्त वर्ष में कम से कम 100 दिन का स्थानीय रोजगार उपलब्ध हो तथा यह कि रोजगार सृजन की प्रक्रिया में स्थायी परिसम्पत्ति का निर्माण किया जाए जो ग्रामीण गरीबों के आजीविका स्रोत के आधार को सुदृढ़ करे तथा इस प्रकार गरीबी के रूप में परिवर्तन कर दे।

23.9 प्रत्येक वार्षिक योजना में वर्ष के लिए केन्द्र सरकार के बजट परिव्यय के रूप में निधियां उद्दिष्ट की जाती हैं। चूँकि यह एक ओपन-एंडेड रोजगार गारंटी स्कीम है, ये निधियां केवल सांकेतिक हैं। वर्ष 2006-07 के दौरान 11300 करोड़ रुपये का आबंटन उपलब्ध कराया गया था जबकि 8823.36 करोड़ रुपये के व्यय की सूचना दी गई थी। स्कीम में 2.1 करोड़ परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया था। 8.32 लाख कार्य शुरु किए गए थे तथा इनमें से 3.84 लाख कार्य पूरे किए गए हैं। 90.51 करोड़ व्यक्तिदिवस रोजगार सृजित किए गए थे जिसमें महिलाओं, अनुसूचित जातियों तथा

अनुसूचित जनजातियों की भागीदारी क्रमशः 40.65%, 23.36%, तथा 36.45% थी।

23.10 2007-08 के दौरान 12000 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई थी जिसकी तुलना में 15856.89 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। वर्ष के दौरान 3.39 करोड़ परिवारों को रोजगार दिया गया जिसके द्वारा रोजगार के 143.5 करोड़ व्यक्तिदिवसों का सृजन हुआ है। कुल 17.88 लाख कार्य शुरु किए गए हैं, जिसमें से 8.22 लाख कार्य पूरे हो गए हैं। 68% से अधिक निधियों का उपयोग, श्रमिकों को किए गए मजदूरी भुगतान के रूप में था।

23.11 बढ़े हुए मजदूरी उपार्जन से देश में ग्रामीण गरीबों की आजीविका संसाधन आधार सुदृढ़ हुआ है। कुछ राज्यों में जहाँ नरेगा के कार्यान्वयन के बाद न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी हुई है, वे हैं महाराष्ट्र (47 रुपये से 72 रुपये तक), उत्तर प्रदेश (58 रुपये से 100 रु0 तक), बिहार (68 रुपये से 81 रुपये तक), कर्नाटक (62 रु0 से 74 रु0 तक), पश्चिम बंगाल (64 रुपये से 75 रु0 तक), मध्य प्रदेश (58 रुपये से 85 रुपये तक), हिमाचल प्रदेश (65 रु0 से 75 रु0 तक), नागालैण्ड (66 रु0 से 100 रु0 तक), जम्मू एवं कश्मीर (45 रु0 से 70 रु0 तक) तथा छत्तीसगढ़ (58 रु0 से 72.23 रु0 तक)। कार्यक्रम की प्रकृति स्वलक्षित होने के कारण इसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (57%), महिलाओं (43%) जैसे उपेक्षित वर्गों की कार्यों में उच्च भागीदारी है।

23.12 गरीबों की वित्तीय समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को, मजदूरी प्राप्त करने वालों को बैंक तथा डाक घर खातों के माध्यम से मजदूरी का भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित करती रही है। इस प्रकार अब तक मजदूरी के संवितरण के लिए 2.9 करोड़ (जुलाई, 08 तक) नरेगा बैंक तथा डाकघर खाते खोले गए हैं। मंत्रालय ने स्कीम के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं जैसे

कि विकेन्द्रीकृत भागीदारी प्रबंधन, सुपुर्दगी (डिलीवरी) प्रणाली में सुधार तथा सार्वजनिक जवाबदेही।

सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई)

23.13 सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई) का प्राथमिक उद्देश्य सभी ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त श्रम रोजगार उपलब्ध कराना और इसके द्वारा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और पोषण स्तरों में सुधार करना है। इसका गौण उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में टिकाऊ परिसम्पत्तियों का सृजन और अवसंरचना विकास करना है।

23.14 इस स्कीम के लिए वर्ष 2007-08 में 2800 करोड़ रुपये के केन्द्रीय परिव्यय (खाद्यान्न घटक सहित) की व्यवस्था की गई थी। एसजीआरवाई स्कीम पूर्णतः एनआरईजीए में शामिल कर ली गई है तथा वर्ष 2008-09 में समाप्त हो गई है।

स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई)

23.15 स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना एक मुख्य स्वरोजगार स्कीम है जिससे कि बैंक ऋण व सरकारी सब्सिडी के संयोजन मिश्रण के माध्यम से आय सृजक परिसम्पत्तियों के जरिए सहायता प्राप्त गरीब परिवारों (स्वरोजगारियों) को गरीबी रेखा से ऊपर लाया जा सके। तत्कालीन एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आईआरडीपी) तथा इसके संबद्ध कार्यक्रमों की पुनर्संरचना के बाद यह स्कीम अप्रैल 1999 में शुरू की गई थी। इसमें, मुख्य क्रियाकलापों का चयन, क्रिया समूहों की आयोजना, गरीबों व स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) गरीब संगठन तथा सामाजिक संघटन, प्रशिक्षण एवं दक्षता विकास, अवसंरचना निर्माण, प्रौद्योगिकी और विपणन सहायता आदि के माध्यम से उनकी क्षमता निर्माण करना शामिल हैं। इस स्कीम के अंतर्गत सामूहिक पहुंच पर ध्यान केन्द्रित किया गया है।

यद्यपि वैयक्तिक स्वरोजगारियों को भी सहायता दी जाती है। एसजीएसवाई को पंचायती राज संस्थानों, बैंको, समनुरूपी विभागों तथा गैर सरकारी संगठनों की सक्रिय भागीदारी से डीआरडीएज़ द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।

23.16 स्कीम के अन्तर्गत बैंकों द्वारा 25,000/- रुपये की एक चल निधि उपलब्ध कराई जाती है, जिसमें से 10,000/- रुपये की राशि डीआरडीए द्वारा सब्सिडी के रूप में दी जाती है। आय सृजक कार्यकलाप शुरू करने के लिए यदि स्वयं सेवा समूह एक बार अपनी क्षमता प्रदर्शित कर देता है, तो इस स्कीम के अंतर्गत आर्थिक कार्यकलापों हेतु सहायता सब्सिडी व ऋण के रूप में प्रदान की जाती है। सब्सिडी परियोजना लागत के 30% की दर से अधिकतम 7,500 रुपये तक की दी जाती है। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और असमर्थ व्यक्तियों के मामले में सब्सिडी परियोजना लागत के 50% तक की दी जाती है, जिसकी अधिकतम राशि 10,000/- रुपये है। स्वरोजगारियों के समूह के लिए सब्सिडी की राशि स्कीम की लागत की 50% है, जिसकी अधिकतम राशि 10,000/- रुपये प्रति व्यक्ति अथवा 1.25 लाख रुपये है जो भी कम हो। सिंचाई परियोजनाओं के लिए सब्सिडी के संबंध में कोई मौद्रिक सीमा नहीं है। सब्सिडी बैंक से ऋण प्राप्त होने पर ही दी जाएगी।

23.17 स्कीम के अन्तर्गत, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए 50%, महिलाओं के लिए 40% और विकलांग व्यक्तियों के लिए 3% लाभ आरक्षित करके कमजोर वर्गों के लिए विशेष सुरक्षोपाय किए गए हैं। परिकल्पना की गई है कि प्रत्येक ब्लाक में गठित समूहों में से 50 प्रतिशत ब्लॉक अनन्य रूप से महिलाओं के लिए होने चाहिए। इसके अतिरिक्त, एसजीएसवाई के अन्तर्गत राष्ट्रीय स्तर पर निधि के 15 प्रतिशत को विशेष परियोजनाओं के लिए अलग रखा जाता है।

विशेष परियोजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार सृजन संभावना वाले प्रत्येक क्षेत्रक के लिए खुली हैं।

23.18 उपलब्ध सूचना के अनुसार अप्रैल, 1999 में इसके शुरू होने के समय से स्कीम के तहत 28.98 लाख समूहों की रचना की गई है तथा 104 लाख से अधिक स्वरोजगारियों को सहायता दी गई है। पिछले पाँच वर्षों का वर्ष-वार निष्पादन निम्नानुसार रहा है।

23.19 वर्ष 2007-08 के दौरान स्कीम के लिए 1800 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई थी जिसकी तुलना में 1697.08 करोड़ रुपये जारी किए गए थे। इस अवधि के दौरान, 3.06 लाख एसएचजी बनाए गए थे जिसमें से महिला एसएचजी की संख्या 76% थी तथा 16.94 लाख स्वरोजगारियों को सहायता दी गई थी जिसमें से

8% अल्पसंख्यक थे। 4031.66 करोड़ रुपये का कुल निवेश किया गया था जिसमें सब्सिडी तथा क्रेडिट दोनों शामिल हैं। कुल व्यय का 16% अवसंरचना में तथा 10% प्रशिक्षण एवं दक्षता विकास पर खर्च किया गया था। वर्ष 2008-09 के लिए 2150 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई है।

23.20 स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के कार्यान्वयन में कई खामियाँ हैं जो इसके संशोधन को आवश्यक बना देता है। गरीबों में सबसे गरीब को फोकस करने के लक्ष्य के साथ ग्यारहवीं योजना में स्कीम की पुनर्संरचना की जाएगी, लक्षित जनसंख्या में सामाजिक जुटाव, क्षमता निर्माण तथा संस्था निर्माण के लिए उपयुक्त तंत्र बनाया जाएगा तथा इस उद्देश्य के लिए आवश्यक सुविधा और सहायता प्रणाली की स्थापना मौजूदा प्रणाली के अतिरिक्त की जाएगी।

मदें		03-04	04-05	05-06	06-07	07-08	2008-09 @
1	कुल आबंटन (केन्द्र + राज्य) (करोड़ रुपये में)	1065.83	1332.67	1332.67	1466.00	2268.82	2665.67
2	उपयोग (करोड़ रुपये में)	1043.43	1290.83	1338.78	1424.20	1951.19	196.37
3	केन्द्रीय आबंटन (करोड़ रुपये में)	800.00	1000.00	1000.00	1200.00	1697.70	2150.0
4	विशेष परियोजनाओं, यूएनडीपी आदि सहित केन्द्र द्वारा जारी की गई राशि (करोड़ रुपये में)	797.55	996.59	1029.56	1188.35	1697.70	933.76
5	एसएचजी (ओ) का गठन (सं० लाख में)	3.92	2.66	2.76	2.46	3.06	0.63
6	स्वरोजगारी सहायता प्राप्त (सं. लाख में)	निश्चित नहीं	निश्चित नहीं	8.59	10.91	13.53	17.63
	लक्ष्य उपलब्धि	8.97	11.16	11.51	16.92	16.94	2.17
	कुल निवेश (करोड़ रुपये) (सब्सिडी + ऋण)	2015.48	2516.99	2727.99	3262.27	4031.66	479.81

ग्रामीण आवास-इन्दिरा आवास योजना (आईएवाई)

23.21 2001 की जनगणना के आधार पर 2007 में 159.5 लाख आवासों की कमी का अनुमान लगाया गया है। ग्रामीण आवास सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रम भारत निर्माण कार्यक्रम का एक घटक है। भारत निर्माण कार्यक्रम (आईएवाई का उप सेट) में 2005 से 2009 तक प्रति वर्ष 60 लाख घरों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

23.22 आईएवाई अनुसूचित जातियों (एससी) तथा अनुसूचित जनजातियों (एसटी) एवं मुक्त बंधुआ मजदूरों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे गैर-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए रिहायशी ईकाइयों के निर्माण/उन्नयन हेतु सहायता उपलब्ध करने के मूल उद्देश्य के साथ 1985-86 से प्रचालित है। आईएवाई 1.1.1996 से स्वतंत्र स्कीम हो गई थी। वर्ष 1995-96 से आईएवाई के लाभ युद्ध में मारे गए रक्षा कर्मियों की विधवाओं अथवा उनके सगे संबंधितों के लिए भी विस्तारित कर दिए गए हैं। पूर्व सैनिकों तथा अर्ध-सैनिक बलों के सेवानिवृत्त सदस्यों को भी आईएवाई की सामान्य पात्रता शर्तें पूरी करने पर लाभ दिए गए हैं। तीन प्रतिशत निधियां ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अशक्त लोगों के लिए आरक्षित हैं। तथापि,

गैर-अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को दिए जाने वाले लाभ आईएवाई आवंटन के 40% से अधिक नहीं होंगे।

23.23 निर्माण सहायता की अधिकतम सीमा आखिरी बार 1 अप्रैल, 2004 को संशोधित की गई थी। 1.4.2008 से प्रभावी यूनिट सहायता को पुनः संशोधित किया गया है तथा मैदानी क्षेत्रों के लिए 35000 रुपये प्रति ईकाई तथा पर्वतीय/कठिन क्षेत्रों के लिए 38,500 रुपये निर्धारित किए गए हैं। मौजूदा कच्चे घरों के उन्नयन की वित्तीय सहायता में 15,000 रुपये प्रति ईकाई तक बढ़ोतरी की गई है। आईएवाई के निधियन को केन्द्र तथा राज्य के बीच 75 : 25 के अनुपात में बांटा गया है। (संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में 100 प्रतिशत)। वित्तीय संसाधनों के आबंटन हेतु अपनाया गया मापदण्ड, 75% आवास कमी को तथा 25% गरीबी अनुपात को महत्व (वेटेज) देने के साथ आश्रयहीनता के अधिक विस्तार वाले राज्यों को अधिक महत्व देता है। जिला-स्तरीय आबंटन के लिए 75% वेटेज आवास की कमी को तथा 25% वेटेज जनसंख्या के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति घटक दिया गया है।

23.24 दसवीं योजना का कुल व्यय 12159.21 करोड़ रुपये रहा है। 73.34 लाख घरों के निर्माण

वर्षवार एवं कार्यक्रमवार परिव्यय एवं वास्तविक लक्ष्य एवं उपलब्धियां

वर्ष	अनुमोदित परिव्यय	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक	लक्ष्य	उपलब्धि (लाख में)
10 वीं योजना	8603					
2002-03		1725.00	1725.00	1693.14	13.14	15.48
2003-04		1900.00	1900.00	1899.50	14.84	13.61
2004-05		2500.00	2900.00	2900.00	15.62	15.21
2005-06		2750.00	2750.00	2746.57	14.41	15.52
2006-07		2920.00	2920.00	2920.00	15.33	14.98
जोड़		11795.00	12195.00	12159.21	73.34	74.8
2007-08	22882.21	4040.00	4040.00	3885.53	21.27	19.92
2008-09		5400.00			21.27	3.99
जोड़		9440.00			42.54	23.91

के लक्ष्य की तुलना में 74.8 लाख घरों का निर्माण किया गया है। ग्यारहवीं योजना के लिए 22882.21 करोड़ रुपये का अनंतिम आबंटन तथा 30 लाख घरों का प्रति वर्ष निर्माण करने के लक्ष्य को निर्दिष्ट किया गया है। वर्ष-वार वित्तीय एवं वास्तविक प्रगति निम्नलिखित है।

23.25 वार्षिक योजना 2007-08 के लिए 4040 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई थी तथा 3885.53 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी। वर्ष के दौरान राज्यों के शेरर तथा बकाया सहित अतिशेष 6527.17 करोड़ रुपये था इसकी तुलना में 83.27% निधि का उपयोग किया गया था। स्कीम में 21.97 लाख घरों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जिसकी तुलना में 19.92 लाख घरों का निर्माण किया गया था। इनमें से 13.01 लाख घर महिलाओं के लिए, 11.99 लाख अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा 1.56 लाख अल्पसंख्यों के लिए थे।

23.26 वार्षिक योजना 2008-09 के लिए 5400 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं। आईएवाई के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की पहचान करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को बीपीएल सूची 2002 से स्थायी आईएवाई प्रतिक्षासूची-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के लिए एक तथा गैर-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के लिए एक, तैयार करने का निर्देश दिया गया है। इन स्थायी आईएवाई प्रतीक्षासूची को, जिले की वेबसाइट पर डालने तथा पुस्तिका के रूप में निकालने के अतिरिक्त प्रत्येक पंचायत भवन की दिवारों पर लगाने की आवश्यकता है। अनुभव बताता है कि गरीबों में से सबसे गरीब व्यक्ति जिसे आईएवाई के तहत वित्तीय सहायता की आवश्यकता है इस सुविधा का लाभ नहीं उठा सकते हैं क्योंकि उनके पास घर बनाने के लिए जगह नहीं है। ग्रामीण बीपीएल परिवारों को घर के लिए जगह उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकार को प्रोत्साहित करने के लिए चालू वर्ष 2008-09 के लिए ग्रामीण

आवासों के केन्द्रीय परिव्यय में से 100 करोड़ रुपये उद्दिष्ट किए गए हैं। इन निधियों को राज्यों को आबंटित करने संबंधी मूल पैरामीटरों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अन्य प्रोत्साहनों में निम्नलिखित शामिल हैं।

- प्राकृतिक आपदाओं हेतु प्रत्येक जिले की उच्चतम सीमा को आईएवाई के तहत जिले के वार्षिक आबंटन का 10 प्रतिशत अथवा 50.00लाख रुपये तक (राज्य के शेरर सहित) जो भी अधिक हो, रखा गया है।
- आग, दंगे अथवा आगजनी के मामले में कलेक्टर आईएवाई निधियों से अथवा अपने संसाधनों से निधि का उपयोग कर सकते हैं तथा उसके बाद आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करके प्रतिपूर्ति ली जा सकती है।
- राज्यों/डीआरडीएज को अपने वित्तीय एवं वास्तविक लक्ष्यों का 15 प्रतिशत अल्पसंख्यों के लिए निर्धारित करना होगा।
- आईएवाई घरों में स्वच्छ लैटरिन बनाने के लिए पूर्ण सफाई अभियान कार्यक्रम से 1200/- रुपये तक की निधियां प्राप्त की जा सकती है।
- स्थायी आईएवाई प्रतीक्षा सूची में से नए निर्माण के साथ ही उन्नयन की स्वीकृति हेतु लाभार्थियों के चयन का कार्य शुरू किया जाना है।
- भूमिविहीन बीपीएल लाभार्थियों को घर के लिए जगह उपलब्ध कराई जानी है।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी)

23.27 एनएसएपी को वृद्धावस्था, रोजी-रोटी कमाने वाले प्रमुख की मृत्यु और मातृत्व के मामले में गरीब परिवारों को सामाजिक सहायता का लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से 100% केन्द्र प्रायोजित स्कीम के रूप में 15.8.1995 को शुरू किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 41 और 42 में दिए गए

नीति निर्देशक सिद्धान्तों की पूर्ति की दिशा में यह कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण कदम हैं क्योंकि यह कल्याण के न्यूनतम राष्ट्रीय स्तर सुनिश्चित करने के राज्य सरकारों के प्रयासों का पूरक था तथा केन्द्रीय सहायता इस लाभ के अतिरिक्त थी, जिसे राज्य सामाजिक संरक्षण स्कीमों के लिए पहले से ही प्रदान कर रहे हैं।

23.28 वर्ष 2001-02 से एनएसएपी का मातृत्व लाभ घटक परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को हस्तान्तरित कर दिया गया था, ताकि पोषाहार और राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम के साथ इसका बेहतर तालमेल सुनिश्चित किया जा सके। अन्नपूर्णा (एनओएपीएस के तहत कवर न हुए निराश्रित/ वरिष्ठ नागरिकों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए) सहित एनएसएपी के शेष दो घटकों, अर्थात् राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन स्कीम (65 वर्ष और उससे अधिक आयु के निराश्रितों को वृद्धावस्था पेंशन प्रदान करने के लिए) तथा राष्ट्रीय परिवार लाभ स्कीम (प्राकृतिक अथवा दुर्घटना कारणों से बीपीएल परिवार के रोजी-रोटी कमाने वाले किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने की स्थिति में एकमुश्त राशि प्रदान करने के लिए) को 2002-03 से राज्यों को हस्तान्तरित कर दिया गया है।

23.29 परिकल्पना की गई है कि ये स्कीमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को स्कीमों के चयन और कार्यान्वयन में अपेक्षित लचीलापन प्रदान करेंगी। इन स्कीमों के लिए जारी अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) का उपयोग राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा, अपनी खुद की प्राथमिकताओं और जरूरतों के अनुसार एक अथवा दो अथवा सभी तीनों अथवा किसी अन्य प्रकार के मिश्रण के अनुरूप शुरू करके वृद्धावस्था पेंशन, परिवार लाभ अथवा वृद्धों के लिए निःशुल्क खाद्यान्न की व्यवस्था करके कल्याण स्कीमों के लिए किया जा सकता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके अपने बजट के अन्तर्गत इन स्कीमों के लिए एक अनिवार्य न्यूनतम प्रावधान

(एमएमपी) करना अपेक्षित है। इस एमएमपी का परिकलन वर्ष 2000-01 के दौरान इन स्कीमों के लिए राज्य के बजट प्रावधान अथवा वास्तविक व्यय, जो भी अधिक हो, के समकक्ष तथा संबंधित वर्ष के लिए एसीए आवंटन को जोड़कर किया जाएगा।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी)

23.30 राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन स्कीम में नवम्बर, 2007 से संशोधन किया गया है तथा पात्रता मापदंड में उन सभी लोगों को शामिल किया गया है जो 65 वर्ष तथा उससे अधिक आयु के हैं तथा जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों से संबंध रखते हैं। इसके साथ लाभार्थियों की संख्या दुगुनी 150 लाख से अधिक हो गई है। स्कीम को इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन स्कीम (आईजीएनओएपीएस) के रूप में पुनः नामित किया गया।

23.31 2007-08 के दौरान 2891.48 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई थी। जिसकी तुलना में 2806.56 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है। स्कीम के तीनों घटकों के तहत लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या 1.4 करोड़ रुपये है। वर्ष 2008-09 हेतु स्कीम के लिए 3500 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई है।

अन्य स्कीमें

23.32 मंत्रालय अन्य छोटी केन्द्र प्रायोजित स्कीमें तथा केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमें भी कार्यान्वित करता है।

डीआरडीए प्रशासन

23.33 स्कीम के तहत उन जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों, जो जिला तथा पंचायत स्तर पर ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के प्रभावी प्रबंधन के लिए उत्तरदायी हैं, के प्रशासनिक खर्चों को पूरा करने का प्रावधान किया जाता है। इस स्कीम के लिए

केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा 75 : 25 के अनुपात में निधियां दी जाती हैं।

23.34 डीआरडीए प्रशासन की स्कीम का मूल उद्देश्य डीआरडीएज को दी जाने वाली सहायता का व्यावसायीकरण करना है जिससे कि वे ग्रामीण विकास मंत्रालय के गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का प्रभावी रूप से प्रबंधन करने में तथा अन्य एजेंसियों के साथ पारस्परिक क्रिया प्रभावी रूप से करने में सक्षम हो सकें। डीआरडीए(ओ) से जिले में गरीबी घटाने के प्रयास हेतु आवश्यक सहायता एवं संसाधनों को एकत्र करने के मद्देनजर लाइन विभागों, पंचायती राज संस्थानों, बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थानों, गैर-सरकारी संगठनों और तकनीकी संस्थानों के साथ प्रभावी रूप से समन्वय करने की अपेक्षा की जाती है।

23.35 वर्ष 2007-08 के दौरान डीआरडीए प्रशासन के तहत 212.00 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई थी जिसकी तुलना में 250.00 करोड़ रुपये जारी किए गए थे। वर्ष 2008-09 के दौरान 250.00 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं तथा 31 अगस्त, 2008 तक 126.27 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

प्रशिक्षण

23.36 ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) की ग्रामीण विकास कार्यकर्ताओं तथा पंचायती राज संस्थानों (पीआरआईज) के चुने गए प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण के लिए निम्नलिखित स्कीमें हैं।

1. राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान (एनआईआरडी)
2. राज्य ग्रामीण विकास संस्थाओं (एसआईआरडीज) तथा विस्तार प्रशिक्षण केन्द्रों (ईटीसीज) की स्थापना एवं सुदृढीकरण

(क) राज्य ग्रामीण विकास संस्था (एसआईआरडीज) की स्थापना एवं सुदृढीकरण।

(ख) विस्तार प्रशिक्षण केन्द्रों (ईटीसीज) की स्थापना एवं सुदृढीकरण।

3. प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन (ओटीसी)

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था (एनआईआरडी)

23.37 राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान (एनआईआरडी) की स्थापना 1965 में हैदराबाद में हुई थी। यह ग्रामीण विकास में प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं परामर्शों के लिए राष्ट्रीय स्तर का एक स्वायत्त संगठन है। इसे केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीम के रूप में भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा पूरी तरह से वित्तपोषित किया जाता है। इसका एक प्रादेशिक केन्द्र एनआईआरडी पूर्वोत्तर प्रादेशिक केन्द्र (एनईआरसी), गुवाहाटी, असम है जो एनआईआरडी के प्रशिक्षण एवं अनुसंधान क्रियाकलापों को भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र की आवश्यकताओं एवं समस्याओं के अनुकूल बनाने के लिए 1983 से अस्तित्व में आया था। अप्रैल, 2007-मार्च, 2008 की अवधि के दौरान संस्थान ने प्रस्तावित 300 कार्यक्रमों की तुलना में 277 कार्यक्रमों का आयोजन किया है। संस्थान ने 25 अनुसंधान एवं कार्य अनुसंधान परियोजनाओं को भी शुरू किया है जो ग्रामीण विकास के सभी कार्यक्रमों को कवर करती हैं। संस्थान ने ग्रामीण विकास के विभिन्न विषयों पर 10 अनुसंधान अध्ययनों को पूरा कर लिया है तथा शेष प्रगति पर है। संस्थान को वर्ष 2007-08 के लिए 10.00 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। इस आवंटन में से एनआईआरडी को 10.00 करोड़ रुपये जारी किए गए थे। वर्ष 2008-09 के लिए 15.00 करोड़ रुपये आवंटित किए गए जिसमें से 31 जुलाई, 2008 तक 7.50 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

राज्य ग्रामीण विकास संस्थाओं (एसआईआरडीज) तथा विस्तार प्रशिक्षण केन्द्रों (ईटीसीज) की स्थापना एवं सुदृढीकरण

23.38 2007-08 से स्कीमों को नई स्कीम " आरडी कार्यक्रमों को प्रबंधन सहायता तथा जिला योजना प्रणालियों का सुदृढीकरण" के साथ मिला दिया गया है।

(क) राज्य ग्रामीण विकास संस्थाओं (एसआईआरडीज) की स्थापना एवं सुदृढीकरण

23.39 मौजूदा निधियन मानदंडों के अनुसार एसआईआरडीज को दी जाने वाली केन्द्रीय वित्तीय सहायता अवसंरचना के विकास के लिए गैर-आवर्ती व्यय हेतु 100% तथा 50% वेतन, प्रशिक्षण लागत आदि जैसे आवर्ती व्यय के लिए है। आवर्ती व्यय शीर्ष के तहत एसआईआरडी (ओ) के पाँच वरिष्ठ कोर संकाय सदस्यों के लिए 100% निधियन सहायता भी उपलब्ध कराई जाती है। आवर्ती एवं गैर-आवर्ती दोनों शीर्षों के तहत निधियां प्रत्यक्ष रूप से उन एसआईआरडी(ओ) को जारी की जाती हैं, जो ग्रामीण विकास के क्षेत्र में संबंधित राज्य सरकार के स्वायत्त संगठनों के रूप में कार्य कर रहे हैं। उन राज्यों में जहाँ एसआईआरडी स्वायत्त निकायों का दर्जा नहीं प्रदान किया गया है, राज्य ग्रामीण विकास विभाग को निधियां जारी की जाती हैं।

(ख) विस्तार प्रशिक्षण केन्द्रों (ईटीसीज) की स्थापना एवं सुदृढीकरण

23.40 राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, ग्रामीण विकास कार्यकर्ताओं तथा पंचायती राज संस्थाओं के चुने गए प्रतिनिधियों को ग्रामीण विकास के क्षेत्र में प्रशिक्षण देने संबंधी राज्य स्तरीय संस्थान हैं। वर्तमान में पूरे देश में 28 एसआईआरडीज कार्य कर रहे हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय उनसे प्रस्ताव प्राप्त होने पर उनके क्रियाकलापों के लिए एसआईआरडी (ओ) को निधियां जारी करता है। मौजूदा निधियन मापदंडों के अनुसार जारी की गई निधियां, 100%

अवसंरचना विकास हेतु गैर-आवर्ती व्यय के लिए तथा आवर्ती व्यय के लिए 50% हैं। आवर्ती व्यय शीर्ष के तहत एसआईआरडी(ओ) के पाँच वरिष्ठ कोर संकाय सदस्यों के लिए 100% निधियन सहायता भी उपलब्ध कराई जाती है।

23.41 राज्य सरकारों के अंतर्गत विस्तार प्रशिक्षण केन्द्र (ईटीसीज) ग्रामीण/ब्लॉक स्तरीय ग्रामीण विकास कार्यकर्ताओं तथा ग्रामीण स्तर पर पंचायती राज संस्थानों के चुने गए प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण देने का कार्य करते हैं। ग्राम/ब्लॉक स्तरीय विकास कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने संबंधी इस स्कीम को VII योजना अवधि के दौरान कार्यान्वित करने के लिए शुरू किया गया था। पंचायती राज संस्थानों के ग्राम स्तरीय चुने गए प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण एक नया आयाम है जिसे ईटीसीज के अधिदेश में शामिल किया गया है।

23.42 गैर-आवर्ती व्यय के लिए 100% की दर पर तथा आवर्ती व्यय के लिए प्रतिवर्ष प्रति ईटीसी को अधिकतम 10.00 लाख रुपये केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। निधियां, ईटीसी के एसआईआरडी (ओ) प्रभारी को अथवा संबंधित राज्य सरकार को जिनके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन के अंतर्गत ईटीसी(ओ) कार्य कर रहे हैं, को जारी की जाती हैं। वर्तमान में पूरे देश में 89 विस्तार प्रशिक्षण केन्द्र कार्य कर रहे हैं।

23.43 2007-08 में विभिन्न राज्य सरकारों/एसआईआरडी (ओ) को " ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को प्रबंधन सहायता तथा जिला योजना प्रणालियों का सुदृढीकरण" स्कीम की आबंटित बजट प्रावधान से 26.54 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

2007-08 के दौरान 7.59 लाख व्यक्तियों की भागीदारी के साथ 17676 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये थे।

3. प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन (ओटीसीज)

23.44 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजन स्कीम, एसआईआरडी(ओ)/ईटीसी (ओ) के माध्यम से चालू ग्रामीण विकास कार्यक्रमों से संबंधित प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों सम्मेलनों, कार्यशालाओं आदि को आयोजित करने तथा मंत्रालय के अधिकारियों की आजीविका प्रबंधन के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने संबंधी एक केन्द्रीय क्षेत्रक योजना स्कीम है।

2007-08 से स्कीम को नई स्कीम " ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को प्रबंधन सहायता तथा जिला योजना प्रणालियों का सुदृढीकरण" के साथ मिला दिया गया है।

23.45 वर्ष 2007-08 के लिए 0.47 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई थी। इस आबंटन में से, आजीविका प्रबंधन के तहत विभिन्न संस्थानों को 0.50 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी।

सूचना, शिक्षा एवं संचार (आईईसी)

23.46 मंत्रालय, संचार के उपलब्ध अधिकांश साधनों के माध्यम से ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के संबंध में जागरूकता लाने तथा सूचना का प्रचार करने के लिए सम्मिलित प्रयास कर रहा है। आईईसी प्रभाग जिसे यह दायित्व सौंपा गया है ने ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतः लक्षित समूहों के बीच मंत्रालय के कार्यक्रमों के संबंध में जागरूकता लाने के लिए विभिन्न क्रियाकलापों को शुरू किया है। आईईसी के क्रियाकलाप मंत्रालय के उन कार्यक्रमों के संबंध में अधिक महत्वपूर्ण बन जाते हैं, जिनका उद्देश्य लगभग एक तिहाई जनसंख्या जो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रह रही हैं, बड़े भौगोलिक क्षेत्र में फैली हुई है तथा क्षेत्रीय, भाषायी एवं संस्कृति की विविधता से पहचाने जाते हैं की सामाजिक स्थिति में सुधार करना है।

23.47 तीव्र एवं सुनियोजित विकास के शक्तिशाली एजेन्ट के रूप में संचार की भूमिका को पूर्णतया स्वीकार किया गया है। सूचना, शिक्षा एवं

संचार (आईईसी), समर्थन और लोगों को ज्ञान, दक्षता और तकनीक के हस्तांतरण के माध्यम से जागरूकता के सृजन, लोगों के जुटाव और विकास को भागीदार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अतिरिक्त आईईसी दो अति महत्वपूर्ण भूमिकाएँ-सूचनात्मक एवं विश्वासोत्पादक भूमिकाएँ निभाता है और इस प्रकार अपेक्षित सामाजिक जुटाव और भागीदारी विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए महत्वपूर्ण है।

23.48 ग्रामीण विकास कार्यक्रमों संबंधी सूचना के साथ ग्रामीण गरीबों तक पहुँचने के विशाल कार्य तथा ग्रामीण विकास में समाज के अन्य समूहों की भागीदारी का जुटाव करने के मद्देनजर, आईईसी क्रियाकलापों को पर्याप्त रूप से बढ़ाने का प्रस्ताव है। तदनुसार कुछ नई पहलों को भी शुरू किया गया है।

23.49 2007-08 के दौरान 25 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई थी।

जन सहयोग (कापार्ट)

23.50 लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद (कापार्ट) ने दो तत्कालीन समितियों अर्थात् पीपल्ज एक्शन फॉर डिवल्पमेंट इण्डिया (पीएडीआई) तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी की प्रगति संबंधी परिषद (सीएआरटी) के विलयन के साथ 1.9.86 से कार्य करना शुरू किया था। कापार्ट का मुख्य उद्देश्य विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में तथा जरूरत-आधारित नव प्रवर्तन परियोजनाओं में भी गैर-सरकारी स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से लोगों को शामिल करना है। कापार्ट सामाजिक जुटाव के उच्च स्तर, सामाजिक बाधाओं को घटाने और ग्रामीण गरीबों के सशक्तिकरण के उपायों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए लोगों के झुकाव सृजित करने की दिशा में कार्य करता है। मंत्रालय ने एकल शीर्ष अर्थात् " कापार्ट को सहायता" (कापार्ट को अनुदान सहायता) के तहत कापार्ट के लिए बजट प्रावधान किया है। कापार्ट पांच स्कीमें कार्यान्वित कर रहा है अर्थात् जन सहयोग,

लाभभोगियों का संगठन, ग्रामीण प्रौद्योगिकी स्कीम की प्रगति, जलसंभर विकास एवं निशक्तता कार्रवाई।

23.51 वर्ष 2007-08 के दौरान 60.00 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई थी तथा वर्ष के दौरान 58.54 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया था तथा 2008-09 के दौरान 50.00 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान (पीयूआरए)

23.52 ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधा स्कीम (पीयूआरए) के प्रतिपादन, कार्यान्वयन और मॉनीटरिंग के लिए नोडल मंत्रालय है। पीयूआरए स्कीम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण शहरी अंतर को पाटना और देश में संतुलित सामाजिक-आर्थिक विकास की उपलब्धि करना है। इसका फोकस पहचान किए गए ग्रामीण क्लस्टरों में भौतिक और सामाजिक अवसंरचना मुहैया कराया है ताकि निम्नलिखित संपर्कताएं मुहैया कराते हुए उनकी विकास संभावनाओं को बढ़ाया जा सके :-

- सड़क परिवहन और विद्युत कनेक्टिविटी
- विश्वसनीय दूरसंचार इंटरनेट और आईटी सेवाओं के रूप में इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी
- अच्छे शैक्षणिक और प्रशिक्षण संस्थानों के रूप में ज्ञान कनेक्टिविटी
- किसानों को अपने उत्पाद का बेहतर मूल्य प्राप्त करने में समर्थ बनाने के लिए बाजार कनेक्टिविटी
- पेयजल आपूर्ति का प्रावधान और मौजूदा स्वास्थ्य सुविधा का उन्नयन

23.53 इस स्कीम को 2004-05 से 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रायोगिक आधार पर कार्यान्वित किया जा रहा है। इस प्रयोजन के लिए सात

क्लस्टर-आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश प्रत्येक में एक को लिया गया है।

23.54 वर्ष 2007-08 के दौरान 10.00 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई थी तथा 30 करोड़ रुपये वर्ष 2008-09 के दौरान आबंटित किए गए हैं।

मॉनीटरिंग और मूल्यांकन

23.55 ग्रामीण विकास मंत्रालय गरीबी, उपशमन, रोजगार सृजन अवसंरचना के विकास और देश के ग्रामीण क्षेत्रों में क्षेत्र विकास के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से कई कार्यक्रम कार्यान्वित करता है। उल्लिखित उद्देश्यों की उपलब्धि के लिए वार्षिक रूप से पर्याप्त बजट आबंटन मुहैया कराए जाते हैं। जबकि ये कार्यक्रम ग्रामीण गरीबी को कम करने के लिए उपयोगी हैं, प्रभाविता और कुशलता, जो आज हमारे सामने मुख्य चुनौती है, के अर्थ में इनमें डिलीवरी प्रणाली में सुधार करने की गुंजाइश है। यह सुनिश्चित करने की तत्काल आवश्यकता है कि इन कार्यक्रमों को दिशा-निर्देशों के अनुसार निष्पादित किया जाए ताकि इनके लाभ पूर्णरूप से ग्रामीण गरीबों और अल्पविकसित क्षेत्रों तक पहुँचे। मॉनीटरिंग की प्रणाली इस उद्देश्य को पूरा करने और किसी संभव लिंकेज की जाँच के लिए डिजाइन की गई है। मानीटरिंग मैकेनिज्म के महत्वपूर्ण साधन नेशनल लेवल मॉनीटर्स (एनएलएम), सतर्कता और मॉनीटरिंग समिति, समवर्ती मूल्यांकन अध्ययन, प्रभाव आकलन अध्ययन और क्षेत्र अधिकारी स्कीम है।

23.56 वर्ष 2007-08 के दौरान 20.00 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई थी तथा वर्ष के दौरान 11.70 करोड़ रुपये जारी किए गए थे।

संलग्नक -23.1

प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत वित्तीय तथा वास्तविक निष्पादन

क्र. सं.	स्कीम का नाम	वित्तीय (करोड़ रुपये)			वास्तविक	
		2006-07 वास्तविक व्यय	2007-08 बजट अनुमान	2008-09 बजट अनुमान #	2006-07 वास्तविक उपलब्धि	2007-08 वास्तविक उपलब्धि **
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई)	4835.36	2800.00*	\$	42.76 करोड़ रोजगार मानव दिवस	2005.60 लाख रोजगार सृजन मानव दिवस
2	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम (एनआरईजीए)	8823.36	12000.00	16000.00	90.51 करोड़ रोजगार सृजन मानव दिवस	143.59 करोड़ रोजगार सृजन मानव दिवस
3	स्वर्णजयन्ति ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई)	1412.32	1800.00	2150.00	16.91 (लाख स्वरोजगारी सहायता)	16.94 (लाख स्वरोजगारी सहायता)
4	ग्रामीण आवासन (इन्दिरा आवास योजना)	4253.32	4040.00	5400.00	14.98 (लाख रिहायशी इकाईयां)	19.92 (लाख रिहायशी इकाईयां)
5	डीआरडीए प्रशासन	240.00	212.00	250.00	-	-
6	राष्ट्रीय ग्राम विकास संस्थान (एनआईआरडी) को अनुदान	6.83	10.00	15.00	-	-
7	प्रशिक्षण	75.24	68.00		-	-
8	सूचना, शिक्षा और संचार				-	-
9	मानीटरन और मूल्यांकन				-	-
10	“कपार्ट” के लिए सहायता	48.70	60.00	50.00	-	-
11	“पुरा”	@	10.00	30.00	-	-
	जोड़		18200.00	23895.00	-	-

\$ 1.4.08 से एसजीएसवाई को नरेगा के साथ सम्मिलित किया गया।

स्रोत: ग्रामीण विकास मंत्रालय

अध्याय 24

भारत निर्माण एवं महत्वपूर्ण कार्यक्रम

24.1 रूपरेखा एवं उद्देश्य

ग्रामीण भारत के विकास हेतु इसकी वृहद विकास संभावना के द्वार खोलने के लिए अवसंरचना का प्रावधान एक अनिवार्य शर्त है। इसके लिए सरकार ने वर्ष 2005 में भारत निर्माण नामक एक समयबद्ध कार्यक्रम आरम्भ किया था, जिसका कार्यान्वयन 2005-2009 के दौरान चार वर्ष की अवधि में किया जाना है। कार्यक्रम की पहली आधी अवधि दसवीं योजना में थी और बाद की आधी अवधि ग्यारहवीं योजना अवधि (2007-2012) के पहले दो वर्षों के समय में पड़ती है। कार्यक्रम में ग्रामीण अवसंरचना संबंधी छः घटक -- सिंचाई, पेयजल, विद्युतीकरण, सड़क आवास व ग्रामीण टेलिफोन शामिल किए गए हैं।

प्रत्येक घटक के लिए भौतिक लक्ष्य निम्न प्रकार से रखे गए हैं -

इन चार वर्षों की अवधि के दौरान 1,74,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाना प्रस्तावित था। भारत निर्माण के अंतर्गत विभिन्न

घटकों में वास्तविक लक्ष्यों की अप-स्केलिंग द्वारा इन उद्देश्यों को तात्कालिकता का भाव देने का प्रयास है और कार्यक्रम को समयबद्ध, पारदर्शी व जवाबदेह बनाना है। वर्ष 2007-08 के दौरान किए गए 24,603 करोड़ रुपए के आवंटन के मुकाबले वर्ष 2008-09 हेतु सभी कार्यक्रमों के लिए किया गया आवंटन 31,280 करोड़ रुपए है जो कार्यक्रम के लिए 27 प्रतिशत उच्च परिव्यय दर्शाता है।

24.2 भारत निर्माण के घटकों के ब्यौरे

24.2.1 सिंचाई

मुख्य और मध्यम परियोजनाओं के संयोजन, लघु सिंचाई व जल निकायों के पुनरुद्धार के माध्यम से 10 मिलियन हेक्टेयर भूमि को सिंचाई के अंतर्गत लाने का प्रस्ताव है। वर्षवार वास्तविक ब्यौरे निम्नानुसार है:--

भारत निर्माण कार्यक्रम के तीन वर्षों में 7.15 मिलियन हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता के सृजन का लक्ष्य रखा गया था, जिसके मुकाबले

घटक	वर्ष 2009 तक प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्य
सिंचाई	10 मिलियन हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन।
सड़क	1000 और उससे अधिक जनसंख्या (पर्वतीय व जनजातीय क्षेत्रों में 500) वाले क्षेत्रों में प्रत्येक आवास तक सभी मौसमों के अनुकूल सड़क उपलब्ध कराना: शेष 66,802 आवासों को कवर किया जाना है।
विद्युत	शेष 1,25,000 गांवों और 23 मिलियन परिवारों को बिजली उपलब्ध कराना।
आवास	60 लाख घरों का निर्माण करना।
पेयजल	55,067 कवर न किए गए आवासों को वर्ष 2009 तक पेयजल उपलब्ध कराना, जहां पानी के स्रोत असफल हो गए हैं और जल गुणवत्ता की समस्याएं हैं ऐसे सभी आवासों को कवर किया जाएगा।
टेलिफोन कनेक्टिविटी	वर्ष 2007 तक शेष 66,822 गांवों को टेलिफोन सुविधा से सम्बद्ध करना।

उपलब्धि जल संसाधन मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार मार्च, 2008 तक 4.999 मिलियन हेक्टेयर की है जो लक्ष्य की लगभग 70 प्रतिशत है। आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, जम्मू व कश्मीर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल ऐसे राज्य हैं जहां पर उपलब्धियां लक्ष्य से कम हैं। वर्ष 2008-09 के लिए लक्ष्य 2.85 मिलियन हेक्टेयर है।

सिंचाई क्षेत्रक के अंतर्गत निवेश राज्य सरकारों द्वारा किया जाना है, केन्द्रीय सहायता त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है और इस प्रकार यह मुख्य व मध्यम सिंचाई परियोजनाओं और विशेष श्रेणी राज्यों, जनजातीय व सूखा संभावित क्षेत्रों में भी लघु सिंचाई परियोजनाओं तक सीमित है। 2.8 मिलियन हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता के सृजन का लक्ष्य भूजल के माध्यम से तथा 1 मिलियन हेक्टेयर को जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरूद्धार/ लघु सिंचाई स्कीमों की ईआरएम के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। केन्द्र सरकार ने एआईबीपी निधियों को जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरूद्धार के लिए परियोजना लागत के 25 प्रतिशत तक सीमित कर दिया है और शेष 75 प्रतिशत बाह्य सहायता के

माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश ने अब तक बाह्य सहायता प्राप्त की है और उड़ीसा विश्व बैंक से जल निकाय पुनरूद्धार परियोजना हेतु बाह्य निधियां प्राप्त करने की प्रक्रिया में है। जल संसाधन मंत्रालय ने भी विश्व बैंक वित्त पोषण के अंतर्गत कवर नहीं किए गए राज्यों के लिए एआईबीपी वित्त पोषण के अंतर्गत एक स्कीम शुरू की है।

24.2.2 मॉनिटरिंग: सिंचाई क्षेत्रक के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता एआईबीपी के अंतर्गत उपलब्ध कराई जा रही है और इसीलिए एआईबीपी वित्त पोषित परियोजनाओं की निगरानी केन्द्रीय जल आयोग और जल संसाधन मंत्रालय द्वारा की जा रही है। तथापि, ग्रामीण सड़क कार्यक्रम की शैली पर नियमित और तृतीय पार्टी मॉनिटरिंग की सुस्पष्ट आवश्यकता है। योजना आयोग के आग्रह पर, जल संसाधन मंत्रालय ने 5 मिलियन हेक्टेयर की सीसीए को कवर करते हुए 53 एआईबीपी वित्त पोषित परियोजनाओं की उपग्रह मॉनिटरिंग हेतु राष्ट्रीय दूर-संवेदी एजेंसी को काम में लगाया है। अब तक लगभग 50 परियोजनाओं के संबंध में उपलब्ध परिणाम दर्शाते हैं कि राज्यों द्वारा सूचित की गई सृजित क्षमता और जल कनेक्टिविटी के माध्यम से

इकाई मिलियन हेक्टेयर में

	घटक	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	कुल
I	बृहद और मध्यम सिंचाई					
	- चालू परियोजनाओं को तेजी से पूरा करना	0.90	1.10	1.10	1.10	4.20
	- विस्तार, नवीकरण, बृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का आधुनिकीकरण	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00
	मुख्य व मध्यम सिंचाई कुल	1.15	1.35	1.35	1.35	5.20
II	लघु सिंचाई					
	- भूतल जल	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00
	- भू जल	0.45	0.75	0.80	0.80	2.80
	- जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण व पुनरूद्धार/ एमआई स्कीमों का ईआरएम	0.05	0.05	0.45	0.45	1.00
	लघु सिंचाई कुल	0.75	1.05	1.50	1.50	4.80
	कुल जोड़	1.90	2.40	2.85	2.85	10.00

जल संसाधन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत निर्माण के अंतर्गत राज्यवार लक्ष्य संलग्नक 24.1 में दिए गए हैं।

यथा अनुमानित वास्तविक सृजन के बीच अंतर है। जल संसाधन मंत्रालय से इस अंतर के कारण क्षमताओं में अंतराल को पाटने के लिए राज्यों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए कहा गया है।

24.2.3 सिंचाई - तीन वर्षों में वित्तीय प्रगति

वर्ष 2005-06 और 2006-07 के दौरान एआईबीपी के अंतर्गत राज्यों को 1900.31 करोड़ रुपए और 2301.97 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी। वर्ष 2007-08 में एआईबीपी के लिए जारी की गई राशि 5445.09 करोड़ रुपए है। वर्ष 2008-09 के दौरान एआईबीपी के लिए किया गया आवंटन 4300 करोड़ रुपए है। राज्य क्षेत्रक में, राज्यों ने वर्ष 2005-06 के दौरान 25,934 करोड़ रुपए का वास्तविक व्यय होने की सूचना दी है और वर्ष 2006-07 के लिए आरई 31,658 करोड़ रुपए था।

24.2.4 राज्य विशिष्ट मुद्दे

- योजना आयोग के विश्लेषण के अनुसार यह स्पष्ट होता है कि अधिकतम शेष क्षमता आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा राज्यों में उपलब्ध है। भारत निर्माण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए यह उपयुक्त होगा कि इन राज्यों का वित्त पोषण उच्च स्तर पर हो जिसमें उपयुक्त परियोजना प्रबंधन मोड और कार्यान्वयन अनुसूची शामिल हो।

राज्य	परियोजनाओं की संख्या जिन्हें पूरा किया जाना अपेक्षित है	मिलियन हेक्टेयर में संभावित क्षमता सृजन
आंध्र प्रदेश	9	0.55
गुजरात	1	1.54
कर्नाटक	5	0.60
मध्य प्रदेश	7	0.67
उड़ीसा	5	0.24
कुल	27	3.60

- इन राज्यों में परियोजनाओं को पूरा करके बड़ी व मध्यम परियोजनाओं के अंतर्गत 5.2 मिलियन हेक्टेयर में से लगभग 3.56 मिलियन हेक्टेयर का सृजन किया जा सकता है जैसाकि नीचे दर्शाया गया है।
- भारत निर्माण के अंतर्गत भूजल संसाधनों के माध्यम से 1 मिलियन हेक्टेयर को सिंचाई के अंतर्गत लाने का प्रस्ताव है। भूजल विकास के माध्यम से नई सिंचाई संभावना असम, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में मौजूद है। भूजल उपलब्धता के ब्यौरे और संभावित सिंचाई कवरेज निम्नानुसार हैं।

राज्य	सिंचाई के लिए शेष भूजल उपलब्धता बिलियन क्यूबिक मीटर अथवा (केएम3) में	भूजल के माध्यम से संभावित सिंचाई कवरेज (मिलियन हेक्टेयर में) (1.0एम डेल्टा मानकर)
असम	19.06	1.096
बिहार	15.89	1.589
मध्य प्रदेश	17.51	1.751
महाराष्ट्र	16.10	1.610
उड़ीसा	16.78	1.678
पश्चिम बंगाल	15.32	1.532
कुल	100.66	10.066

24.3 सड़कें

24.3.1 ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सीएसएस प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत इस कार्यक्रम के लिए वित्तपोषण उपलब्ध कराया जाता है और यह केन्द्र द्वारा राज्यों को 100 प्रतिशत वित्त पोषण है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, कुल 66802 आवासों को नई कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें लगभग 1,46,185 किलोमीटर नई ग्रामीण सड़कों का निर्माण शामिल होगा। नई कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के अतिरिक्त, इस कार्यक्रम में लगभग 1,94,130 किलोमीटर की विद्यमान ग्रामीण सड़कों के उन्नयन/नवीकरण की

परिकल्पना की गई है। वर्ष 2005-09 के दौरान इस कार्यक्रम पर 48000 करोड़ रुपए के कुल निवेश का अनुमान लगाया गया है। इस कार्यक्रम के लिए वर्षवार लक्ष्य निम्नानुसार हैं।

वर्षवार वास्तविक लक्ष्य

वर्ष	कवर किए गए आवास	नई कनेक्टिविटी (किलोमीटर में)	केन्द्र द्वारा जारी की गई राशि (करोड़ रुपए में)
2005-06	7034	15492.42	11394.408
2006-07	16130	35182.16	54669.26
2007-08	20071	43989.93	59316.28
2008-09	23567	51520.83	68750.74
कुल	66802	146185.34	194130.68

24.3 पहले तीन वर्षों में सड़क प्रगति

24.3.2 तीन वर्षों के दौरान हुई प्रगति तथा उपलब्धियां नीचे दी गई तालिका के अनुसार है:--

वर्ष	कवर किए गए आवास	नई कनेक्टिविटी (किलोमीटर में)	सड़क उन्नयन (किलोमीटर में)	केन्द्र द्वारा जारी की गई राशि (करोड़ रुपए में)
2005-06	5552	18054	3926	4185.60
2006-07	8279	21423	46130	6265.08
2007-08	7040	21902	35471	10833.80
तीन वर्षों में कुल	25068	72186	106284	21284.48

वर्ष 2008-09 के लिए, इस कार्यक्रम हेतु परिव्यय 14530.00 करोड़ रुपए है जिसमें नाबार्ड की ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) के 7000 करोड़ रुपए शामिल हैं।

मॉनीटरिंग

24.3.3 यह कार्यक्रम पहले से ही वेब पर उपलब्ध है और वास्तविक व वित्तीय प्रगति के ब्यौरे राज्यों द्वारा www.omms.nic.in वेबसाइट से अपलोड किए जाते हैं, जो कार्यक्रम की मानीटरिंग के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली है। केन्द्र और राज्य स्तर पर अपेक्षित आवश्यक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पहले से ही जिलों व राज्यों में प्रचालन में हैं। बिहार में इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में केन्द्रीय एजेंसियां शामिल हैं। बनाई गई सड़कों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए तीन स्तरों (केन्द्र, राज्य और कार्यान्वयन एजेंसी) पर स्वतंत्र गुणवत्ता मानीटरिंग संबंधी प्रावधान भी है।

कम निष्पादन वाले राज्यों की पहचान

24.3.4 नौ राज्यों - असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल ने भारत निर्माण के अंतर्गत लगभग 90 प्रतिशत नए कनेक्टिविटी लक्ष्यों को पूरा कर लिया है। भारत निर्माण के अंतर्गत कवर किए जाने हेतु प्रस्तावित कुल 66802 लक्षित आवासों में से इन नौ राज्यों में 61368 आवासों को कनेक्ट करने का लक्ष्य है। तीन वर्षों के दौरान (मार्च, 2008 के अंत तक) इन राज्यों में 23164 संचयी लक्ष्य की तुलना में केवल आवासों को ही कनेक्ट किया गया है।

असम, बिहार, छत्तीसगढ़ झारखण्ड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल द्वारा अपनी परियोजना प्रबंधन क्षमता को बढ़ाने और कार्यान्वयन बाधाओं के समाधान के लिए विशेष निष्पादन हेतु उपाय किए जाने की आवश्यकता है ताकि भारत निर्माण के अंतर्गत लक्ष्य प्राप्त किए जा सकें।

24.4 विद्युत

24.4.1 भारत निर्माण के अंतर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्यान्वयन राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के माध्यम

राज्य	कनेक्ट किए जाने वाले आवासों की कुल संख्या	वर्ष 2005-06 में कनेक्ट किए गए आवास	वर्ष 2006-07 में कनेक्ट किए गए आवास	वर्ष 2007-08 में कनेक्ट किए गए आवास	कनेक्ट किए गए कुल आवास	कनेक्ट किए गए आवासों का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
असम	9132	346	804	656	1806	20
बिहार	9956	0	193	174	367	4
छत्तीसगढ़	6309	497	632	648	1777	28
झारखण्ड	3877	101	108	97	306	8
मध्य प्रदेश	7832	929	1345	1916	4190	53
उड़ीसा	4447	361	332	321	1014	23
राजस्थान	3952	753	1222	889	2864	72
उत्तर प्रदेश	4989	944	979	1023	2946	59
पश्चिम बंगाल	10874	970	960	685	2615	24
कुल	61368	4901	6575	6409	17885	29

से किया जा रहा है। भारत निर्माण के अंतर्गत 1,25,000 गैर विद्युतीकृत गांवों को कवर करने का लक्ष्य था जिसमें से 25,000 को नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा अपारंपरिक स्रोतों के माध्यम से कवर किए जाने का लक्ष्य था। विद्युत मंत्रालय द्वारा वर्ष 2009 तक 1 लाख गैर विद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण करने और 2.34 करोड़ बीपीएल परिवारों को कनेक्शन देने का लक्ष्य था। तदनुसार, विद्युत मंत्रालय ने वर्ष 2005-06 में 10,000 गांवों, वर्ष 2006-07 में 40,000, वर्ष 2007-08 में 40,000 और वर्ष 2008-09 में 10,000 गांवों के विद्युतीकरण की कार्य-योजना बनाई थी।

विद्युतीकरण की स्थिति

24.4.2 गोवा को छोड़कर 27 राज्य आरजीजीवीवाई में भाग ले रहे हैं। वर्ष 2007-08 में लक्ष्य 40,000 गैर विद्युतीकृत गांवों के विद्युतीकरण का था। 31.3.2008 तक, 9301 गैर विद्युतीकृत गांवों का 2007-08 में विद्युतीकरण हो जाने की सूचना है। तीन वर्षों के दौरान 47826 गैर विद्युतीकृत गांवों को कवर किया गया और 22.94 लाख ग्रामीण परिवारों को बिजली के

कनेक्शन दिए गए थे। आरजीजीवीवाई में भाग ले रहे सभी राज्यों ने जिला समितियों के गठन को अधिसूचित किया है। जबकि ग्राम विद्युतीकरण के अंतर्गत प्रगति लगभग 48 प्रतिशत है और बढ़ रही है, वहीं पर बीपीएल परिवारों के कवरेज के अंतर्गत प्रगति लक्ष्यों से बहुत कम है।

वित्तीय निष्पादन

24.4.3 तीन वर्षों 2005-2007 के दौरान राज्यों को 8660.15 करोड़ की राशि जारी की गई है। वर्ष 2008-09 के दौरान बजट में सब्सिडी घटक के रूप में 5500 करोड़ रुपए का परिव्यय किया गया है।

24.4.4 राज्यों द्वारा समाधान किए जाने हेतु मुद्दे

- ऐसी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं की अधिसूचना जो लोड वृद्धि का अनुमान लगाने में सहायक होंगी और ग्रामीण उपभोक्ताओं को विद्युतपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए क्षमता अभिवृद्धि हेतु कदम उठाए जाएं।
- ग्रामीण वितरण में फ्रेंचाइजीजविकसित करने और राजस्व संधारणीयता लाने के लिए व्यवहार्य

व्यापार मॉडल बनाए जाएं। इन मॉडलों को घाटे को कम करने तथा संग्रहण क्षमता में वृद्धि हेतु लक्ष्यों की रूप रेखा भी तैयार करनी चाहिए।

- फ्रेंचाइजी निर्माण और संभाव्य फ्रेंचाइजीज़ में उपयोगी कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण।
- ग्रामीण उपभोक्ताओं को कनेक्शन लेने और फ्रेंचाइजीज़ बनने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु जागरूकता अभियान।
- यह सुनिश्चित करना कि पंचायत प्रमाण पत्र ग्राम विद्युतीकरण के बाद दिए जाएं।
- करों, उत्पाद शुल्क में उपयुक्त संयोजन और राज्यों को भूमि उपलब्ध कराकर विकेन्द्रीकृत उत्पादन में अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करना।
- जिला समितियों की बैठकें नियमित रूप से आयोजित करने की आवश्यकता है।
- राज्य विनियामकों के साथ समन्वय करके राज्यों को लाइफ लाइन उपभोग संबंधी प्रावधान को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त थोक मूल्य स्कीम और टैरिफ स्कीम तैयार करनी चाहिए।
- इस टैरिफ तंत्र के लिए अपेक्षित किसी भी प्रकार की सब्सिडी राज्यों द्वारा उपलब्ध कराई जानी आवश्यक है।

24.5 आवास

24.5.1 ग्रामीण आवास भारत निर्माण पैकेज के छः घटकों में से एक है। भारत निर्माण के लक्ष्य के अनुसार, वर्ष 2005-2009 की अवधि के दौरान 60 लाख घरों का निर्माण किया जाना है। इस प्रकार 15 लाख घर प्रतिवर्ष बनाए जाएंगे। वर्षवार लक्ष्य कार्यक्रम के आरम्भ में निर्धारित किए गए थे और नीचे दी गई तालिका के अनुसार हैं। भारत निर्माण

का आवास कार्यक्रम इन्दिरा आवास योजना (आईएवाई) स्कीम के माध्यम से किया जा रहा है।

वर्षवार वास्तविक लक्ष्य

वर्ष	आवास (लाख में)
2005-06	14.41
2006-07	14.55
2007-08	15.52
2008-09	15.52
कुल	60.00

इन्दिरा आवास योजना स्कीम की विशेषताएं

24.5.2 केन्द्र और राज्यों के बीच इस स्कीम के वित्तीय संसाधन 75:25 आधार पर साझा किए जाते हैं। इसमें संघ राज्य क्षेत्र शामिल नहीं हैं जिन्हें केन्द्र से 100 प्रतिशत वित्त पोषण प्राप्त होता है। मार्च, 2008 तक मैदानी क्षेत्रों में वित्तीय सहायता की राशि 25000/- रुपए प्रति आवास तथा पर्वतीय व दुर्गम क्षेत्रों में 27,500 रुपए है। हाल ही में इसे संशोधित करके 35,000 रुपए और 38500 रुपए किया गया है। यह स्कीम केवल बीपीएल परिवारों के लिए है और निधियों का 60 प्रतिशत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, 3 प्रतिशत शारीरिक रूप से विकलांगों और 15 प्रतिशत अल्पसंख्यकों के लिए उद्दिष्ट है। ये आवास केवल महिलाओं के नाम पर ही स्वीकृत किए जाएंगे। आईएवाई आवासों के निर्माण के भाग के रूप में स्वच्छ शौचालयों और धुंआरहित चूल्हों के निर्माण को प्रोत्साहित किया जाता है। अधिक पारदर्शिता लाने के लिए, राज्य सरकारों को बीपीएल जनगणना 2002 के आधार पर स्थायी आईएवाई प्रतीक्षा सूची तैयार करने के लिए कहा गया है। आशा है कि लाभार्थियों का चयन केवल इन्हीं सूचियों में से किया जाएगा।

तीन वर्षों के दौरान निष्पादन

24.5.3 तीन वर्षों की भारत निर्माण की अवधि के लक्ष्य और उपलब्धियां (निर्माण किए जाने वाले और

किए गए आवासों की संख्या) निम्नलिखित के अनुसार हैं--

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्ध
2005-06	14.41	15.52
2006-07	14.55	14.98
2007-08	15.52	19.92
कुल	44.48	50.42

तीन वर्षों के दौरान जारी की गई राशि 2738.22 करोड़ रुपए, 2907.53 करोड़ रुपए और 3882.37 करोड़ रुपए कुल मिलाकर 9528.32 करोड़ रुपए है।

मानीटरिंग और मूल्यांकन

24.5.4 इन्दिरा आवास योजना की सतत् निगरानी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त मासिक प्रगति रिपोर्टों के आधार पर की जाती है। मंत्रालय में उपसचिव और उससे ऊपर के रैंक के वरिष्ठ अधिकारियों को विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों हेतु अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है। ये क्षेत्र अधिकारी समय-समय पर नियत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों का दौरा करते हैं और क्षेत्र में कार्यक्रम के वास्तविक कार्यान्वयन का निरीक्षण करते हैं। ये अधिकारी राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठकों में भी भाग लेते हैं और इससे नीति निर्माताओं (भारत सरकार) और कार्यान्वयन एजेंसियों (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार) के बीच प्रभावी सम्पर्क के अवसर उपलब्ध कराते हैं। ग्रामीण विकास के राज्य सचिवों और डीआरडीएज़ के परियोजना निदेशकों के साथ हुई बैठकों में इस कार्यक्रम की समीक्षा भी की जाती है। मंत्री (ग्रामीण विकास) की अध्यक्षता में निष्पादन समीक्षा बैठकें भी त्रैमासिक रूप से आयोजित की जाती हैं। इसके अतिरिक्त, जिला स्तरीय एजेंसियां और राष्ट्रीय स्तर के मॉनीटर भी फील्ड निरीक्षण करते हैं और स्कीम के कार्यान्वयन के बारे में फीडबैक उपलब्ध कराते हैं।

24.6 पेयजल

24.6.1 पेयजल घटक में "प्रत्येक आवास में पेयजल का सुरक्षित स्रोत हो: 55067 कवर नहीं किए गए आवासों को वर्ष 2009 तक कवर किया जाना है। इसके अतिरिक्त, स्रोत के विफल हो जाने के कारण पूर्ण रूप से कवर किए गए आवासों की स्थिति से आंशिक कवरेज तक सीमित रह गए सभी आवासों व जल गुणवत्ता की समस्याओं वाले आवासों की समस्या का समाधान किए जाने की परिकल्पना की गई है।" अतः भारत निर्माण में 55067 कवर न किए गए आवासों, 2.8 लाख छूट गए आवासों और 2.17 लाख जल गुणवत्ता प्रभावित आवासों को कवर करने की परिकल्पना की गई थी।

24.6.2 जनता को 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन (एलपीसीडी) पेयजल उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित मानदंड अपनाए गए हैं। स्थायी रूप से बसे 20 ग्रामीण परिवारों अथवा 100 व्यक्तियों की आबादी जिसके पास कोई सुरक्षित स्रोत नहीं है, को कवरेज हेतु एक इकाई माना जाता है।

भारत निर्माण के तीन वर्षों की अवधि के दौरान कवरेज

24.6.3 पेयजल पूर्ति विभाग द्वारा सूचित की गई कवरेज तालिका में दी गई है।

	कवर नहीं किए गए (सीएपी 99)	वंचित रह गए	जल गुणवत्ता प्रभावित आवास	कुल
समग्र भारत निर्माण लक्ष्य	55067	280,000	216,968	552,035
2005-06 लक्ष्य	11897	34373	10000	56270
उपलब्धि	13121	79544	4550	97215
2006-07 लक्ष्य	18120	40000	15000	73120
उपलब्धि	12440	89208	5330	106978

	कवर नहीं किए गए (सीएपी 99)	वंचित रह गए	जल गुणवत्ता प्रभावित आवास	कुल
2007-08 लक्ष्य	20931	84915	49653	155499
उपलब्धि	11457	75201	94130	180788
3 वर्षों में कुल उपलब्धि	37018	243953	104010	384981
प्राप्त किया जाने वाला शेष	18049	36047	115958	167054
वर्ष 2008-09 के लिए प्रस्तावित लक्ष्य	18049	87279	112958	218286

कवर नहीं किए गए 55067 आवासों की कवरेज

24.6.4 कवर नहीं किए गए आवासों को कवर करने के लिए वर्ष 1991 में कराए गए आवास सर्वेक्षण के आधार पर वर्ष 1999 में एक कार्य योजना तैयार की गई थी। उक्त कार्य योजना को व्यापक कार्य योजना, 99 (सीएपी, 99) कहा जाता है। वर्ष 2005 में, जब भारत निर्माण की कल्पना की गई थी, तब 1.4.2005 की स्थिति के अनुसार सीएपी के कवर नहीं किए गए आवास 55067 थे - (4588 कवर नहीं किए गए -- एनसी और 50479 आंशिक रूप से कवर किए गए - पीसी) ।

वर्ष 2005-06 में, सभी 16 राज्यों और 4 संघ राज्य क्षेत्र, जिनमें सीएपी, 99 के कवर नहीं किए गए आवास हैं, से अनुरोध किया गया कि:-

- सीएपी, 99 के कवर नहीं किए गए -- सभी आवासों को वर्ष 2008-09 तक कवर करने के लिए कार्य योजना तैयार करें ।
- ऐसे सभी आवासों की सूची प्रस्तुत करें जिससे उनकी कवरेज की नियमित निगरानी की जा सके।

- ऑनलाइन मानीटरिंग संभव बनाने के आवासों के नामों की डाटा एंट्री आरम्भ करें ।
- वांछित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सभी संसाधनों - केन्द्रीय वित्त पोषण, राज्य योजना, अन्य स्रोतों से प्राप्त निधियों को जुटाएं ।
- कवरेज संबंधी लक्ष्य विशेष सीएपी, 99 आवासों के लिए निर्धारित थे ।

स्लिपेज की समस्या का समाधान

24.6.5 ग्रामीण पेयजल क्षेत्रक में सबसे बड़ी समस्या आवासों का स्लिपेज हो जाना है। उत्तरोत्तर योजना अवधियों में इस क्षेत्रक में भारी मात्रा में निवेश किया गया है। इसके बावजूद, एक बार पेय जलापूर्ति से कवर किए गए आवास अनेक कारणों से बिना कवर की गई स्थिति में चले जाते हैं, जैसे:

- स्रोतों का सूख जाना अथवा भूजल स्तर का नीचे चले जाना ।
- स्रोतों की गुणवत्ता प्रभावित होना ।
- स्रोतों की जीवन अवधि का उनकी सामान्य अवधि से अधिक हो जाना ।
- खराब प्रचालन और रख-रखाव के कारण प्रणालियों का नियत गुणवत्ता से कम काम करना।
- जनसंख्या में वृद्धि के परिणामस्वरूप कम प्रति व्यक्ति उपलब्धता ।
- नए आवासों का आविर्भाव इत्यादि।
- पानी की मौसमी कमी के कारण भी स्लिपेज उत्पन्न होती है।

दीर्घावधिक हल स्रोतों और प्रणालियों की संधारणीयता पर निर्भर हैं। प्रणालियों की संधारणीयता के लिए, विभाग ने वर्ष 1999 में चुनिंदा जिलों में प्रायोगिक आधार पर शुरू की गई क्षेत्रक सुधार परियोजनाओं के माध्यम से सुधार

सिद्धांत शुरू किए और बाद में इसका विस्तार स्वजल धारा के माध्यम से पूरे देश में किया गया। सुधार सिद्धांतों के अंतर्गत, आयोजना और कार्यान्वयन के सभी चरणों में समुदाय को शामिल किया जाता है और प्रचालन तथा रख-रखाव के पूर्ण उत्तरदायित्व सहित उन्हें पूंजी लागत का 10 प्रतिशत वहन करना पड़ता है। स्रोतों की संधारणीयता के लिए, राज्य एआरडब्ल्यूएसपी निधियों का 5 प्रतिशत उपयोग कर सकते हैं और इसके लिए केन्द्र तथा राज्य के बीच वित्त पोषण पैटर्न 75:24 का है। अब इसे संशोधित करके कुल एआरडब्ल्यूएसपी निधियों का 20 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है और इसमें 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता होगी। भू-संसाधन विभाग, जल संसाधन मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, योजना आयोग आदि में जल संरक्षण संबंधी कई अन्य स्कीमें प्रचालन में हैं जिन्हें संधारणीयता प्राप्त करने के लिए अभिसारित करने की आवश्यकता है।

राज्यों को निम्नलिखित कार्यनीति अपनाने का परामर्श दिया गया है:--

- वर्षा जल संचयन संरचनाएं उपलब्ध कराना।
- पारम्परिक स्रोतों को पुनर्जीवित करना।
- अतिजीवी स्कीमों से लाभ प्राप्त आवासों हेतु नई स्कीमें लाना।
- ऐसी अतिजीवी स्कीमों का नवीकरण जो अपनी नियत क्षमता से कम कार्य कर रही हैं।
- नई पाइपलाइन के विस्तार द्वारा वैकल्पिक सुरक्षा स्रोत से क्षेत्रीय स्कीमें उपलब्ध कराना।
- स्रोत सुदृढीकरण के उपाय।
- जल संभर विकास में संबद्ध विभागों के प्रयासों को केन्द्राभिमुखी बनाना।
- जल गुणवत्ता की मानीटरिंग और अंतः ग्राम पेयजल अवसंरचना के ओ एवं एम में समुदाय की भागदारी की शुरुआत करना।

जलगुणवत्ता संबंधी समस्याओं का समाधान

24.6.6 वर्ष 2000 में गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों के संबंध में कराए गए सर्वेक्षण के परिणामों से पता चला है कि देश में 2,16,968 आवास गुणवत्ता प्रभावित थे। राज्यों को डाटा अद्यतन करने का परामर्श दिया गया था। अद्यतन किए गए डाटा दर्शाते हैं कि 1.4.2006 की स्थिति के अनुसार, देश में 195813 आवास गुणवत्ता प्रभावित थे। यह अनुमान लगाया गया है कि 21155 आवास कवर किए गए हैं जिसमें से 4550 आवासों को वर्ष 2005-06 के दौरान कवर करने की सूचना दी गई थी जबकि लक्ष्य 10,000 आवासों को कवर करने का था।

आर्सेनिक (7067 आवास), फ्लोराइड (29070 आवास) और लवणता (12425) से प्रभावित आवासों को प्राथमिकता देने का प्रस्ताव किया गया है। एआरडब्ल्यूएसपी के अंतर्गत राज्यों को जल गुणवत्ता संबंधी समस्याओं का सामना करने हेतु लगभग 20 प्रतिशत निधियां अलग से आवंटित की जाती हैं।

बाधाएं

- जल गुणवत्ता प्रभावित आवासों के अवस्थितिक ब्यौरे अभी वेबसाइट में डाले जाने हैं। कवर नहीं किए गए, पूर्ववत् स्थिति में रह गए और जलगुणवत्ता प्रभावित आवासों के डाटा की अतिव्याप्ति है।
- राज्यों द्वारा अनुमानित लागतें बहुत उच्च हैं। बड़ी परियोजनाओं की पूर्ण होने की अवधि लम्बी होती है।
- कम लागत वाली प्रौद्योगिकी चुनने के प्रति सामान्य अरुचि।
- राज्यों द्वारा निधियों के मैचिंग शेयर का प्रावधान न होने से कार्यान्वयन बाधित होगा।
- कार्यक्रम की सफलता हेतु राज्यों द्वारा कवरेज में प्राथमिकता पालन को अनिवार्य बनाना।

- शोधन संयंत्रों के रखरखाव और पंक-निस्तारण की समस्या ।
- कार्यक्रम की सफलता के अनुरूप कार्यान्वयन अभिलेख और राज्यों की निधि समावेशन क्षमता।

मानिटरिंग

24.6.7 पेयजल विभाग नीचे बताए गए अनुसार मानीटरिंग मैकेनिज्म को सुदृढ़ करने के प्रयास कर रहा है:

- (1) सभी राज्यों में स्कीमों के कार्यान्वयन में वास्तविक और भौतिक प्रगति की समीक्षा करने के लिए आवधिक समीक्षा बैठकें की जाती हैं।
- (2) मंत्रालय द्वारा नामित क्षेत्र अधिकारियों द्वारा पेयजल और स्वच्छता कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का निरीक्षण करने के लिए क्षेत्र निरीक्षण कराए जाते हैं।
- (3) ऑनलाइन डेटा एंट्री आरम्भ कर दी गई है और ऑनलाइन डेटा एंट्री के लिए उत्तरदायी राज्य कर्मचारियों को यह कार्य करने का प्रशिक्षण दिया गया है। वर्ष 2003 सर्वेक्षण के परिमार्जित डेटा के अनुसार स्थिति सूचित करने वाली आवासों की सूची तैयार की गई है और यह सूची ऐसा आधार तैयार करती है जिसके आधार पर राज्यों द्वारा कवरेज की ऑनलाइन डेटा एंट्री और स्लिपेज इत्यादि संबंधी कारण बताए जाएंगे । राज्यों के सहयोग से प्रणाली को और अधिक परिष्कृत बनाना संभव होगा ।
- (4) स्वतंत्र जिला स्तरीय मानीटरिंगकर्ताओं के माध्यम से एआरडब्ल्यूएसपी की मानीटरिंग प्रणाली नवम्बर, 2006 से शुरू की जानी थी ।

- (5) राष्ट्रीय स्तर के मानटरिंगकर्ताओं की भी एक प्रणाली है जो किसी भी ग्रामीण विकास कार्यक्रम के संबंध में प्राप्त विशिष्ट आरोपों की जांच करती है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्थानीय सांसद की अध्यक्षता में जिला सतर्कता समितियों का गठन किया है जिनके द्वारा एआरडब्ल्यूएसपी सहित मंत्रालय के सभी कार्यक्रमों के निष्पादन की समीक्षा की जानी अपेक्षित है।
- (6) आरजीआई कार्यालय के सहयोग से एसआरएस में शामिल किए गए ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजलापूर्ति प्राप्त करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इससे भविष्य में छमाही आधार पर चुनिंदा क्षेत्रों में स्वतंत्र फीडबैक प्राप्त करने में सहायता मिलेगी ।
- (7) सर्वेक्षण 2003 में सूचित की गई स्थिति की तुलना में वर्तमान जल उपलब्धता की तुलना करने के लिए यादृच्छिक आधार पर लगभग 17,000 आवासों का फील्ड निरीक्षण किया जाएगा । तीसरे पक्ष द्वारा की गई इस कार्रवाई से प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता, सेवा डिलीवरी की गुणवत्ता और स्लिपेज संबंधी कारणों की पूरी जानकारी उपलब्ध होने की संभावना है।
- (8) जलापूर्ति स्कीमों, विशेषकर उपमिशन जल गुणवत्ता के अंतर्गत वित्त पोषित परियोजनाओं को समय पर पूरा करना, उनकी गुणवत्ता तथा लागत नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए एक स्वतंत्र एजेंसी को लगाने के औचित्य पर विचार किया जा रहा है।
- (9) एआरडब्ल्यू एसपी का मूल्यांकन कराए जाने का प्रस्ताव है।

24.6.8 केन्द्र द्वारा जारी की गई राशि

वर्ष	आवंटन	जार की गई राशि
2005-06	4060.00	4098.03
2006-07	5200.00	4552.30
2007-08	6500.00	6441.69
2008-09	7300.00	
कुल	24060.00	15092.02

24.6.9 भावी कार्यनीति

- राज्यों में लागत प्रभावी प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने की संभावनाओं का पता लगाना।
- अन्य सरकारी कार्यक्रमों जैसे एनआरईजीए, जल एवं मृदा संरक्षण कार्यक्रमों सहित प्रभावी अभिसरण।
- संसाधनों की बाधाओं संबंधी अंतराल को पाटने के लिए 12वें वित्त आयोग के अंतर्गत निधियों के साथ निधियों का प्रभावी सामंजस्य स्थापित करने हेतु राज्यों से आग्रह करना।
- राज्यों को पेयजल के संबंध में वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण तथा कम लागत वाले प्रौद्योगिकी विकल्प आरम्भ करने हेतु भी प्रेरित किया जा रहा है।
- राज्यों द्वारा निधियों का समयोचित और ईष्टतम उपयोग।
- नई पाइपलाइनों के विस्तार द्वारा वैकल्पिक स्रोतों से क्षेत्रीय स्कीमें तैयार करना। पुरानी स्कीमों द्वारा लाभप्राप्त आवासों के लिए नई स्कीमें जोड़ना।
- ऐसी स्कीमों का नवीकरण जो अपनी नियत क्षमता से कम कार्य कर रही है।
- पारम्परिक स्रोतों को पुनः चालू करना।
- प्रौद्योगिकी को अपनाना एवं आर एवं डी को बढ़ावा देना।

- वैकल्पिक सुरक्षित स्रोतों के साथ स्वस्थाने शोधन को संयुक्त करके एकीकृत एप्रोच अपनाना।

24.7 ग्रामीण टेलिफोन कनेक्टिविटी

24.7.1 भारत निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत 66,822 गांव, जहां पर टेलिफोन कनेक्टिविटी नहीं है, को ग्राम सार्वजनिक टेलिफोन (वीपीटी) सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इन 66,822 कवर नहीं किए गए गांवों में वीपीटीज उपलब्ध कराने के लिए नवम्बर, 2004 में मैसर्स बीएसएनएल के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इनमें से 14,183 दूरस्थ गांवों को डिजिटल सेटलाइट फोन टर्मिनल्स (डीएसपीटीज़) के माध्यम से वीपीटीज उपलब्ध कराई जानी थी जबकि शेष 52,639 गांवों को कोई अन्य प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराई जानी थी। नवम्बर, 2007 को समाप्त तीन वर्ष की अवधि में चरणबद्ध रूप से क्रियान्वयन अवधि में लक्ष्य क्रमशः 20 प्रतिशत, 40 प्रतिशत और 40 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। पांच वर्ष की अवधि में इन वीपीटीज के लिए सब्सिडी के रूप में 451 करोड़ रुपए की कुल अनुमानित राशि संवितरित किए जाने की संभावना है। पूरा वित्त पोषण यूएसओ निधि से पूरा किया जाएगा और सरकार से कोई अलग आवंटन अपेक्षित नहीं है। पहचान किए गए गांवों में वीपीटीज उपलब्ध कराने के लिए सब्सिडी दावों को पूरा करने के लिए पर्याप्त वित्तीय प्रावधान किया गया है।

तीन वर्षों में कार्यक्रम निष्पादन

24.7.2 दिनांक 31.3.2008 की स्थिति के अनुसार कुल 54157 वीपीटीज उपलब्ध कराए गए हैं और मार्च, 2009 तक शेष 12665 वीपीटीज उपलब्ध कराए जाने की संभावना है। मार्च, 2008 तक टेलिफोन कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए कुल 130 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए हैं।

कार्यक्रम संबंधी बाधाएं

24.7.3 उड़ीसा, एनई-1, एनई-2, उत्तरांचल, जम्मू व कश्मीर और झारखण्ड में दूरस्थ गांवों में वीपीटीज़ डिजीटल सेटेलाइन फोन टर्मिनल्स (टीएसपीटीज़) के माध्यम से उपलब्ध कराए जाने हैं। ट्रांसपॉंडर आवंटन आरम्भ में इनसैट 4 सी से किए गए थे। तथापि, इसके असफल हो जाने के कारण, नया आवंटन अगस्त, 2007 में प्राप्त हुआ।

अरुणाचल प्रदेश, झारखण्ड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, उड़ीसा और उत्तरांचल में धीमी प्रगति का कारण भू-भाग का दुर्गम होना है और इसी कारण से सेटेलाइट कनेक्टिविटी के माध्यम से काफी संख्या में वीपीटीज़ उपलब्ध कराए जाने हैं। डीएसपीटी के लिए वैयक्तिक सेटेलाइट टर्मिनल्स के सिवाय एंटेना, स्विच इत्यादि सहित एचयूबी उपस्करों के प्रापण की प्रक्रिया बीएसएनएल द्वारा पूरी कर ली गई है और इन्हें लगाया जा रहा है। कुछ वीपीटीज़ जिन्हें आरम्भ में एसपीटीज़ के माध्यम से उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव था, अब बीएसएनएल द्वारा किए जा रहे नेटवर्क प्रसार के कारण इन गांवों में उपलब्ध वायरलेस कवरेज के माध्यम से भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। शेष क्षेत्रों की आवश्यकता को

पूरा करने के लिए अतिरिक्त बीटीएस उपस्कर की प्राप्ति हेतु आईटीआई को बीएसएनएल द्वारा आदेश भी दे दिए गए हैं। पंचायती राज मंत्रालय के परामर्श से तैयार किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार वीपीटी अभिरक्षक (कस्टोडियन) का चयन किया जा रहा है।

निधि आवंटन

घटक	बजट आवंटन 2008-09
सिंचाई - त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम	5550.00
ग्रामीण विद्युतीकरण - राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना	7300.00
ग्रामीण जलापूर्ति - त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम	5500.00
ग्रामीण सड़ - प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना	7530.00*
ग्रामीण आवास - इंदिरा आवास योजना	5400.00
ग्रामीण टेलिफोन कनेक्टिविटी	मांग आधारित बजट से इतर
कुल	31280.00

* आईईबीआर नाबार्ड विंडो वर्ष 2008-09 के लिए 7000 करोड़ रुपए।

संलग्नक 24.1

राज्यवार समग्र भारत निर्माण सिंचाई लक्ष्य

इकाई हजार हेक्टेयर में

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बड़ी और मध्यम सिंचाई	लघु सिंचाई	कुल
1	आंध्र प्रदेश	441.27	1125.23	1566.49
2	अरुणाचल प्रदेश		22.39	22.39
3	असम	30.30	42.75	73.06
4	बिहार	413.99	1285.80	1699.79
5	छत्तीसगढ़	44.35	146.68	191.03
6	गोवा	24.42	2.60	27.02
7	गुजरात	945.73		945.73
8	हरियाणा	33.73	24.10	57.83
9	हिमाचल प्रदेश	30.97	46.91	77.88
10	झारखण्ड	81.22	253.14	334.36
11	जम्मू एवं कश्मीर	18.01	92.54	110.55
12	कर्नाटक	262.82	124.00	386.82
13	केरल	16.09	21.68	37.77
14	मध्य प्रदेश	611.72	162.00	773.72
15	महाराष्ट्र	465.31	356.51	821.81
16	मणिपुर	51.95	15.50	67.45
17	मेघालय		14.93	14.93
18	मिजोरम		10.96	10.96
19	नागालैण्ड		16.12	16.12
20	उड़ीसा	198.99	132.95	331.94
21	पंजाब	40.34	20.56	60.90
22	राजस्थान	379.74	40.10	419.84
23	सिक्किम		7.03	7.03
24	तमिलनाडु		23.55	23.55
25	त्रिपुरा	26.89	54.29	81.18
26	उत्तर प्रदेश	825.16	152.08	977.24
27	उत्तरांचल		38.29	38.29
28	पश्चिम बंगाल	135.67	563.84	699.51
29	अंडमान व निकोबार		0.33	0.33
30	पांडिचेरी		2.75	2.75
	कुल	5078.67	4799.58	9878.26

अध्याय-25

उद्योग और सेवाएं

25.1 ग्राम व लघु उद्यम सहित उद्योग

औद्योगिक परिदृश्य

25.1.1 वर्ष 2002-03 में धीमे विकास के पश्चात् भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास गति में वर्ष 2003-04 से तेजी आई है तथा वर्ष 2005-06 से 9% से अधिक की दर से बढ़ रही है। उद्योग का जीडीपी में लगभग 29% का योगदान है। उच्च आर्थिक विकास में उद्योग और विनिर्माण की महत्वपूर्ण भूमिका है। वर्ष 2006-07 में जीडीपी में उद्योग क्षेत्र से 11% की विकास दर तथा विनिर्माण क्षेत्र से 12% की विकास दर का योगदान दर्ज किया गया है। वर्ष 2007-08 के दौरान, ग्यारहवीं योजना के प्रथम वर्ष में, उद्योग और विनिर्माण क्षेत्र की विकास दर क्रमशः 8.5% और 8.8% रहने का अनुमान (संशोधित अनुमान) है। अर्थव्यवस्था में उद्योग और सेवाओं का योगदान अब जीडीपी का 82.3 प्रतिशत है। प्रमुख क्षेत्रों अर्थात् उद्योग, कृषि और सेवा क्षेत्र में विकास का रुझान निम्नलिखित तालिका 25.1 तथा 25.2 में देखा जा सकता है

औद्योगिक विकास : औद्योगिक उत्पादन सूचकांक

25.1.2 केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (सीएसओ) द्वारा संकलित एवं जारी औद्योगिक उत्पादन सूचकांक

(आईआईपी) के अर्थों में भी मापित औद्योगिक उत्पादन विकास निम्नानुसार है :

25.1.3 वर्ष 2002-03 (दसवीं योजना के प्रथम वर्ष) से औद्योगिक विकास में तेजी आई है तथा वर्ष 2006-07 (दसवीं योजना का अंतिम वर्ष) में 11.6% तक पहुंच गया है। विनिर्माण क्षेत्रक में विकास दर वर्ष 2002-03 के 6% से दुगुना होकर वर्ष 2006-07 में 12.5% हो गया है। तथापि, औद्योगिक विकास ने अप्रैल, 2007 से गिरावट दिखानी शुरू कर दी थी जब औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) के अनुसार इसमें 11.3% की विकास दर दर्ज की गई थी, तथा मार्च 2008 में 3.9% की न्यूनतम विकास दर दर्ज की गई थी। विनिर्माण क्षेत्रक में भी यही रुझान देखा गया तथा मार्च 2007 में 16% की ऊँचाई पर पहुंच कर इसमें गिरावट होने लगी तथा मार्च 2008 में न्यूनतम 3.9% की विकास दर दर्ज की गई।

औद्योगिक निष्पादन 2007-08

25.1.4 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) के अनुसार समग्र औद्योगिक विकास वर्ष 2006-07 के दौरान 11.6% की तुलना में घट कर वर्ष 2007-08 में 8.3% हो गया है। वर्ष 2007-08 के दौरान उद्योग के अंतर्गत सभी क्षेत्रकीय विकास दरें

तालिका 25.1 - स्थिर (1999-2000) मूल्यों पर जीडीपी विकास दर

उद्योग	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08 (संशोधित अनुमान)
कृषि	(-)7.2	10.0	0.0	5.9	3.8	4.5
उद्योग	7.1	7.4	10.3	10.1	11.0	8.5
विनिर्माण	6.8	6.6	8.7	9.0	12.0	8.8
सेवाएं	7.5	8.5	9.1	10.3	11.1	10.8
कारक लागत पर जीडीपी	3.8	8.5	7.5	9.4	9.6	9.0

स्रोत: केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन

भी घटी हैं। मूलभूत सामग्री की विकास दर वर्ष 2007-08 में 7.0% थी जबकि इसकी तुलना में यह वर्ष 2006-07 में 10.3% थी। पूंजी सामग्री क्षेत्रक में भी वर्ष 2006-07 में 18.2% की तुलना में वर्ष 2007-08 के दौरान 16.9% की निम्न विकास दर दर्ज की गई। विनिर्माण क्षेत्रक में नरमी 17 विनिर्माण उद्योग सामग्रियों में से 11 में गिरावट/नकारात्मक विकास के रूप में देखी गई जिससे आईआईपी में 56.1% प्रभाव पड़ा। सबसे खराब निष्पादन उपभोक्ता सामग्रियों का था जहां वर्ष 2007-08 में 1% की नकारात्मक विकास दर थी जबकि इसकी तुलना में यह वर्ष 2006-07 में 9.2% तथा वर्ष 2005-06 के दौरान 15.3% थी।

25.1.5 उपभोक्ता सामग्रियों का खराब निष्पादन मुख्यतया मोटरसाइकिल, स्कूटर, टीवी सेट्स वार्षिक मशीन आदि जैसे मर्चों में कम मांग होने के कारण था क्योंकि इन सामग्रियों की मांग सस्ते और आसान उपभोक्ता ऋणों की उपलब्धता पर निर्भर है। ब्याज दरों में वृद्धि ने मांग को बहुत अधिक प्रभावित किया है जिसके कारण उपभोक्ता सामग्री उद्योग का विकास कम हुआ है। गैर उपभोक्ता

सामग्रियों में भी वर्ष 2006-07 के दौरान 10.4% की तुलना में वर्ष 2007-08 में 8.5% कम विकास दर दर्ज की गई। टैक्सटाइल्स गारमेण्ट्स जैसे क्षेत्रकों में इनकी निम्न विकास दर वर्ष 2007-08 में रुपये के मूल्य में वृद्धि के कारण थी क्योंकि ये निर्यात अभिमुखी उद्योग है। उपभोक्ता गैर-सामग्री का आईआईपी में 23.3% महत्व है। हाल के महीनों में कम विकास दर उच्च मुद्रा स्फीति के कारण भी हो सकती है जोकि क्रय शक्ति को कम कर रहा है।

औद्योगिक आऊटलुक

25.1.6 औद्योगिक विकास में सामान्य वृद्धि चालू वर्ष (2008-09) में जारी है। सीएसओ द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2008-09 के प्रथम दो महीनों (अप्रैल-मई) के दौरान उद्योग में 5 प्रतिशत की सामान्य वृद्धि दर्ज की गई जबकि गत वर्ष की इसी अवधि में यह 10.9% थी। ब्याज दर में वृद्धि तथा रुपये के मूल्य में वृद्धि के अतिरिक्त, कच्चे तेल, धातु, खनिजों और अन्य प्राथमिक सामग्रियों के वैश्विक मूल्यों का बढ़ना तथा उच्च

तालिका 25.2

मद	(विकास दर प्रतिशत में)						
	भार (%)	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
आईआईपी आधारित क्षेत्रकीय विकास दर							
समग्र	100	5.7	7.0	8.4	8.2	11.6	8.3
खनन एवं उत्खनन	10.5	5.8	5.2	4.4	1.0	5.4	5.1
विनिर्माण	79.4	6.0	7.4	9.2	9.1	12.5	8.8
विद्युत	10.2	3.2	5.1	5.2	5.2	7.2	6.4
प्रयोग आधारित वर्गीकरण							
समग्र	100	5.7	7.0	8.4	8.2	11.6	8.3
मूलभूत सामग्री	35.6	4.9	5.4	5.5	6.7	10.3	7.0
पूंजी सामग्री	9.3	10.5	13.6	13.9	15.8	18.2	16.9
मध्यवर्ती सामग्री	26.5	3.9	6.4	6.1	2.5	12.0	8.9
उपभोक्ता सामग्री	28.7	7.1	7.1	11.7	12.0	10.1	6.1
ड्यूरेबल्स	5.4	(-)6.3	11.6	14.4	15.3	9.2	(-)1.0
नान-ड्यूरेबल्स	23.3	12.0	5.8	10.8	11.0	10.4	8.5

स्रोत : केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन

मुद्रास्फीति के साथ-साथ अमरीकी अर्थव्यवस्था में मंदी का असर औद्योगिक विकास पर पड़ा है तथा अनिश्चितता का माहौल पैदा हुआ है।

औद्योगिक नीति एवं संवर्धन

25.1.7 औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग देश में औद्योगीकरण संवर्धन हेतु निम्नलिखित स्कीमें कार्यान्वित कर रहा है।

25.1.8 वार्षिक योजना 2007-08 के दौरान दसवीं योजना से ग्यारहवीं योजना में चल रहे/स्पिल ओवर विभिन्न स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए 78 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया था। संपूर्ण आबंटन का उपयोग कर लिया गया था।

25.1.9 व्यय वित्त समिति ने 26 मई, 2008 को भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम (आईएलडीपी) का मूल्यांकन किया तथा 912.67 करोड़ रुपये के आबंटन की सिफारिश की है जैसा कि तालिका 25.3 में दर्शाया गया है :

तालिका 25.3

(करोड़ रुपये में)

घटक का नाम	ब्यौरा	परिव्यय
चमड़ा क्षेत्रक का समेकित विकास	स्पिलओवर	253.43
चमड़ा परिसर, नेल्लोर	स्पिलओवर	29.00
एफडीडीआई, फुरसतगंज	स्पिलओवर	7.17
फुटवेयर परिसर, चैन्ने	स्पिलओवर	3.00
साजगीरी (सेडलरी) विकास	स्पिलओवर	10.00
कारीगरों को सहायता	स्पिलओवर	40.00
मानव संसाधन विकास	स्पिलओवर	60.00
संस्थागत सुविधाओं का उन्नयन एवं स्थापना	नई पहल	300.07
पर्यावरण पहलें	नई पहल	200.00
मिशन मोड	नई पहल	10.00
कुल		912.67

25.1.10 आईएलडीपी के कार्यान्वयन पर होने वाले व्यय को बजट अनुमान 2008-09 से पूरा

किया जाएगा जिसके लिए 100 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है। " भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम" में निम्नलिखित शामिल हैं :

- (i) दसवीं पंचवर्षीय योजना की चार स्पिलओवर स्कीमें हैं यदि वे स्कीमें जिन्हें दसवीं पंचवर्षीय योजना में अनुमोदित किया गया था लेकिन संपूर्ण आबंटित निधियों को उस योजना अवधि में जारी नहीं किया जा सका। (क) नेल्लोर में चमड़ा परिसर (29 करोड़ रुपये का परिव्यय) (ख) फुरसतगंज में फुटवेयर डिजाइन और विकास संस्थान (एफडीडीआई) के शाखा की स्थापना (परिव्यय 7.17 करोड़ रुपये), चैन्ने में फुटवेयर परिसर (परिव्यय 3 करोड़ रुपये) तथा (घ) चमड़ा क्षेत्रक का समेकित विकास (आईएलडीएस)- (परिव्यय 253.43 करोड़ रुपये)।
- (ii) तीन चालू स्कीमें जिन्हें दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया तथा इनके लक्ष्यों को प्राप्त किया गया तथा बढ़े हुए आबंटन सहित ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में जिन परियोजनाओं को जारी रखना प्रस्तावित है वे हैं : (क) साजगीरी विकास (परिव्यय 10 करोड़ रुपये) (ख) कारीगरों को सहायता (परिव्यय 40 करोड़ रुपये) और (ग) मानव संसाधन विकास (परिव्यय 60 करोड़ रुपये)।
- (iii) स्कीम के अंतर्गत नए घटक हैं : (क) पर्यावरण संरक्षण (परिव्यय 200 करोड़ रुपये)- स्कीम में सीईटीपीज के उन्नयन/स्थापना, खतरनाक अपशिष्ट, लैंडफिल आदि के लिए सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है। भारत सरकार से सहायता परियोजना लागत के 50% तक सीमित होगी, 15% का योगदान राज्य

सरकार द्वारा तथा लागत का 35% उद्योग क्षेत्र द्वारा वहन किया जाएगा।

(ख) दक्षता विकास संस्थान, डिजाइन केन्द्र और प्रशिक्षण केन्द्र (परिव्यय 300.07 करोड़ रुपये)

फुटवेयर और चमड़ा क्षेत्रक से अगले पांच वर्षों में लगभग आधा मिलियन रोजगार सृजन की संभावना है। चमड़ा क्षेत्रक में अतिरिक्त कुशल और अर्ध-कुशल जनशक्ति की आवश्यकता तथा उद्योग में एफडीडीआई प्रशिक्षित कार्मिकों की मांग को देखते हुए, एफडीडीआई के समान ही चैन्नै, हरियाणा और कोलकाता में एफडीडीआई की तीन शाखाएं खोलने का प्रस्ताव किया गया है।

(ग) कार्यक्रम सहायता हेतु मिशन मोड (परिव्यय 10 करोड़ रुपये)-योजना स्कीम के अंतर्गत विभिन्न घटकों के निष्पादन में सुधार करने हेतु विभाग की सहायता करना।

वार्षिक योजना 2008-09

25.1.11 'पैकेज' शीर्ष के अंतर्गत जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड जैसे विशेष श्रेणी राज्यों के लिए चालू वित्तीय वर्ष में 50.00 करोड़ रुपये का बजट आबंटन किया गया है। इसमें से, अब तक 25.00 करोड़ रुपये अर्थात् हिमाचल प्रदेश के लिए 15.00 करोड़ रुपये और उत्तराखण्ड के लिए 10.00 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।

25.1.12 राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, राज्यों अर्थात् उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर में क्रमशः 7219 करोड़ रुपये, 3598 करोड़ रुपये तथा 1364 करोड़ रुपये का निवेश किया जा चुका है जिसके परिणामस्वरूप उत्तराखण्ड में 88000, हिमाचल प्रदेश में 54733 तथा जम्मू व कश्मीर में 34139 रोजगार सृजित होने का अनुमान है। स्थापित की गई औद्योगिक ईकाईयों की संख्या जम्मू व कश्मीर में 5952, हिमाचल प्रदेश में 4223 तथा उत्तराखण्ड में 12403 है।

III. दिल्ली मुम्बई औद्योगिक कॉरीडोर परियोजना

25.1.13 निवेश को बढ़ावा देने तथा आपसी सहयोग के अवसरों का पता लगाने हेतु प्रधानमंत्री की दिसम्बर, 2006 में टोक्यो यात्रा के दौरान जापान सरकार और भारत सरकार के बीच हुए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के अनुसरण में, केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 16 अगस्त, 2007 को दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक कॉरीडोर (डीएमआईसी) परियोजना का सैद्धान्तिक रूप से अनुमोदन कर दिया था। डीएमआईसी के परियोजना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से कवर किए गए हैं। दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक कॉरीडोर विकास निगम (डीएमआईसीडीसी) एक केन्द्रीय एसपीवी, को 7 जनवरी, 2008 को निगमित किया गया था जहां प्राधिकृत इक्विटी आधार 10 करोड़ रुपये का था जिसमें भारत सरकार की प्रारंभिक इक्विटी संरचना 49% तथा वित्तीय संस्थानों (आईएल और एफएस व आईडीएफसी) की 51% थी।

25.1.14 डीएमआईसीडीसी विभिन्न कार्यों के निष्पादन, वित्तपोषण व्यवस्था का समन्वय करेगी तथा परियोजनाओं के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए परामर्शी सेवाएं देगी। प्रथम चरण में 12 पर्वसंधियां (नॉड्स)- 6 निवेश क्षेत्र तथा 6 औद्योगिक क्षेत्रों को अपेक्षित औद्योगिक अवसंरना जैसे औद्योगिक संपदा, ज्ञान केन्द्र, आईटी/आईटी-ईएस केन्द्रों उपस्कर केन्द्रों तथा भौतिक अवसंरचना से विकसित करने का प्रस्ताव है।

25.1.15 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत परियोजना के लिए 330 करोड़ रुपये का अनुमोदन किया गया है। प्रथम वर्ष 2008-09 के दौरान डीएमआईसी- पीडीएफ स्थापित करने का प्रस्ताव है जिसमें भारत सरकार और जापान सरकार (जेबीआईसी से मुक्त-ऋण) द्वारा समान रूप से 100 आईएनआर करोड़ का अंशदान किया जाएगा।

डीएमआईसीडीसी के लिए वार्षिक योजना 2008-09 में 50 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है।

IV. बौद्धिक संपदा कार्यालयों का आधुनिकीकरण एवं सुदृढीकरण तथा राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईआईपीएम) की स्थापना

25.1.16 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दो परियोजनाएं शुरू की गई हैं तथा कार्यान्वित की जा रही है नामतः (i) बौद्धिक संपदा कार्यालयों का आधुनिकीकरण और सुदृढीकरण (एमएसआईपीओज) तथा (ii) राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईआईपीएम) की स्थापना। परियोजनाओं का उद्देश्य भारत में बौद्धिक संपदा कार्यालयों की क्षमता को सुदृढ करना तथा राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईआईपीएम) की स्थापना करना है।

(i) बौद्धिक संपदा कार्यालयों का आधुनिकीकरण एवं सुदृढीकरण

- 1 अप्रैल, 2007 से शुरू हुई ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान 300 करोड़ रुपये के परिव्यय से बौद्धिक संपदा कार्यालयों की आधुनिकीकरण एवं सुदृढीकरण परियोजना कार्यान्वित की जा रही है। वार्षिक योजना 2008-09 के लिए परिव्यय 40 करोड़ रुपये है।
- परियोजना का उद्देश्य भारत में बौद्धिक संपदा कार्यालयों की क्षमता को सुदृढ करना तथा देश में एक स्पंदनशील (वाइब्रेंट) बौद्धिक संपदा रिजीम विकसित करना है।

(ii) राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा प्रबंधन संस्थान

- ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 21.72* करोड़ रुपये के परिव्यय से बौद्धिक संपदा अधिकार के क्षेत्र में राष्ट्रीय प्रशिक्षण, शिक्षा, अनुसंधान और थिंक टैंक उत्कृष्टता केन्द्र के

रूप में नागपुर में राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईआईपीएम) की स्थापना हेतु स्कीम शुरू की गई है।

V. परिवहन सब्सिडी स्कीम

25.1.17 परिवहन सब्सिडी स्कीम जुलाई 1971 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य देश के पर्वतीय, सुदूर और दुर्गम क्षेत्रों में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देना था। यह स्कीम, आकार चाहे जो भी हो, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, सिक्किम, त्रिपुरा के पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिला, अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह एवं लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के सभी औद्योगिक ईकाइयों के लिए लागू होगी (पौध रोपण रिफाइनरीज और विद्युत उत्पादन ईकाइयों को छोड़कर)। स्कीम का समय-समय पर विस्तार किया गया तथा 31.3.2008 तक वैध थी। 31.3.2008 के बाद इसका विस्तार प्रक्रियाधीन है। एक बाहरी एजेंसी द्वारा स्कीम का मूल्यांकन किया जा रहा है। स्कीम के अंतर्गत औद्योगिक ईकाइयों से निर्धारित रेलहेड तक कच्चा माल तथा तैयार माल के लाने तथा ले जाने में लगी परिवहन लागत पर 50% से 90% के बीच सब्सिडी दी जाती है।

25.1.18 स्कीम के लागू होने के बाद से 31.3.2008 तक कुल 1663.09 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है।

VI. औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन स्कीम (आईआईयूएस)

25.1.19 औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन स्कीम (आईआईयूएस), वर्ष 2003 में शुरू की गई थी जिसका उद्देश्य चयनित कार्यात्मक क्लस्टरों में सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से गुणवत्ता अवसंरचना प्रदान करते हुए उद्योग में प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना है। प्रत्येक परियोजना के

लिए परियोजना लागत की 75% तक अधिकतम 50 करोड़ रुपये तक केन्द्रीय सहायता दी जानी है। शेष परियोजना लागत का वित्तपोषण संबंधित क्लस्टरों के पणधारियों द्वारा किया जाना अपेक्षित होता है जिसमें अनुमोदित परियोजना लागत का न्यूनतम 15% उद्योग अंशदान होता है। आईआईयूएस के अंतर्गत 1088 करोड़ रुपये के केन्द्रीय अनुदान सहित 1906 करोड़ रुपये की कुल लागत सहित अब तक 30 प्रस्ताव स्वीकृत किए जा चुके हैं।

25.1.20 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में आईआईयूएस के लिए 1050 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है। चालू वित्त वर्ष (2008-09) के बजट अनुमान में 180 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। वर्ष 2008-09 के लिए निर्धारित लक्ष्य तथा उनकी उपलब्धियों के लिए की गई कार्रवाई नीचे तालिका में दी गई है :

लक्ष्य	उपलब्धि
औद्योगिक रूप से कम विकसित राज्यों में शेष चार परियोजनाओं की संस्वीकृति	आटोकलस्टर, आदित्यपुर के लिए एक परियोजना संस्वीकृत की गई है। औद्योगिक क्लस्टर, जगदीशपुर के लिए " सैद्धान्तिक रूप से अनुमोदन" दे दिया गया है। शेष परियोजनाओं की संस्वीकृति की प्रक्रिया चल रही है।
आईआईयूएस को नया रूप देना और उसके अंतर्गत 10-15 परियोजना की स्वीकृति	आईआईयूएस को नया रूप देने हेतु ईएफसी नोट अंतर मंत्रालयी/विभागीय परामर्श के लिए परिचालित कर दिया गया है। आशा है कि नवम्बर, 2008 तक मंत्रिमंडल का अंतिम अनुमोदन प्राप्त हो जाएगा, अनुमोदन के पश्चात् नई परियोजनाएं शुरू की जाएंगी।
चालू परियोजनाओं को पूरा करना	दसवीं योजना के दौरान संस्वीकृत 26 परियोजनाओं में से 6 पूरी हो चुकी हैं तथा 10 परियोजनाओं के मार्च, 2009 तक पूरा होने की संभावना है। अन्य परियोजनाएं

लक्ष्य	उपलब्धि
	कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है तथा उनके अगले वित्तीय वर्ष के दौरान पूरा हो जाने की आशा है।

25.1.21 आईआईयूएस के लिए निधियों के वर्षवार आवंटन का ब्यौरा तथा विभिन्न विशेष प्रयोजन वाहन (वेहिकल) के लिए जारी की गई राशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है। (तालिका 25.4)

तालिका 25.4

वर्ष	संस्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	बजट आवंटन (बी. ई.)	बजट आवंटन (आर. ई.)	जारी किया गया अनुदान
2002-03	स्कीम वर्ष 2003-04 में शुरू की गई थी			
2003-04	02	60.00	37.50	37.50
2004-05	24	175.00	175.00	194.97
2005-06	-nil-	275.00	125.00	124.29
2006-07	-nil-	260.00	215.94	222.34
2007-08	03	180.00	117.00	116.24
2008-09	01	180.00	-----	29.10
कुल	30		670.44	724.44

ग्यारहवीं योजना के अंतर्गत सीएमटीआई, बंगलोर द्वारा प्रस्तावित नैनो विनिर्माण प्रौद्योगिकी केन्द्र (एनएमटीसी)

25.1.22 सीएमटीआई विनिर्माण प्रौद्योगिकी, उत्पादकता सुधार और कंसलटैंसी के क्षेत्र में पिछले चार दशकों से अनुप्रयुक्त आर एण्ड डी में शामिल राष्ट्रीय महत्व का एक प्रमुख संगठन है। सीएमटीआई एक उद्योगोन्मुख अनुसंधान एवं विकास संगठन है जिसका वित्तपोषण भारत

सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय औद्योगिक नीति एवं संवर्धन प्राभाग द्वारा किया जाता है।

25.1.23 राष्ट्रीय महत्व की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु नैनो विनिर्माण प्रौद्योगिकी केन्द्र (एनएमटीसी) की स्थापना के लिए सीएमटीआई ने 7 वर्षों की अवधि में (ग्यारहवीं योजना हेतु 119.25 करोड़ रु0) 146.25 करोड़ रुपये की राशि से एक नई परियोजना का प्रस्ताव शुरू किया है।

25.1.24 वर्ष 2008-09 के दौरान डीआईपीपी के लिए आबंटन 600 करोड़ रुपये है जबकि वर्ष 2007-08 के दौरान वास्तविक व्यय 924.85 करोड़ रुपये था। वर्ष 2007-08 के दौरान परिव्यय एवं वास्तविक व्यय तथा वर्ष 2008-09 के लिए परिव्यय के स्कामवार ब्यौरे संलग्नक-25.1 में दिए गए हैं।

उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम

25.1.25 लोक उद्यम सर्वेक्षण 2007-08 के अनुसार सीपीएसईज़ में मूल्य संवर्धन का अंश जी डी पी (बाजार दरों पर) प्रतिशत के रूप में वर्ष 2007-08 में 8.27 प्रतिशत एवं वर्ष 2006-07 में 8.66 प्रतिशत था। दिनांक 31.3.2008 की स्थिति के अनुसार कुल 242 सीपीएसईज़ थे, जिसमें से 214 प्रचालन में थे तथा 28 निर्माणाधीन थे। प्रचालन में रहे 214 सीपीएसईज़ में से 160 लाभ कमाने वाली सीपीएसईज़ थी तथा 54 सीपीएसईज़ घाटे में थी। सभी सीपीएसईज़ की निवल राशि गत वर्ष की 454249 करोड़ रुपये की तुलना में बढ़कर वर्ष 2007-08 के दौरान 520855 करोड़ रुपये हो गई जोकि 14.06% की वृद्धि है। सभी सीपीएसईज़ का कुल टर्न-ओवर गत वर्ष के 964896 करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष 2007-08 के दौरान 1081925 थी, जो कि 12.1% की वृद्धि दर्शाती है।

रूग्ण सीपीएसईज़ का पुनरुज्जीवन

25.1.26 सार्वजनिक क्षेत्रक के उद्यमों (पीएसईज़) को सामान्य रूप से सुदृढ़ बनाने और उन्हें अधिक

स्वायत्तता तथा व्यावसायिक बनाने के उपायों और तरीकों के बारे में सरकार को सलाह देने के लिए, सरकार ने 6 दिसम्बर, 2004 के संकल्प द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआरपीएसई) का गठन किया था।

25.1.27 भारी उद्योग विभाग के अंतर्गत 48 सीपीएसईज़ हैं जो विनिर्माण, परामर्श और कंट्रैक्ट कार्यकलापों में शामिल हैं, जिसमें से 9 सीपीएसईज़ को बंद/समाप्त कर दिया गया है तथा 3 के प्रचालन को रोक दिया गया है। विभाग ने 27 सीपीएसईज़ के पुनरुज्जीवन प्रस्तावों को बीआरपीएसई को भेज दिया है। बीआरपीएसई की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने 13पीएसईज़ के पुनरुज्जीवन/पुनर्संरचना 2सीपीएसईज़ को संयुक्त उद्यम बनाना तथा दो सीपीएसईज़ को बंद करने का अनुमोदन कर दिया है। 17 सीपीएसईज़ की पुनर्संरचना में 1498 करोड़ रुपये की नगद सहायता तथा 4266 करोड़ रुपये की गैर-नगद सहायता शामिल है।

25.1.28 भारी उद्योग विभाग के योजना परिव्यय को चल रही सीपीएसईज़, राष्ट्रीय आटोमोटिव एवं आर एण्ड डी अवसंरचना परियोजना (एनएटीआरआईपी) स्कीमो को कार्यान्वित करने, सीपीएसईज़ का पुनरुज्जीवन तथा संवर्धन, संशोधन और प्रतिस्थापनों (एएमआर) स्कीमों के लिए सहायता आदि में वृद्धि के लिए वर्ष 2007-08 में 2350.22 करोड़ रुपये (315 करोड़ रुपये बजटीय सहायता तथा 2035.22 करोड़ रुपये आंतरिक तथा बाह्य बजटीय संसाधन) को बढ़ाकर वर्ष 2008-09 में 3346.63 करोड़ रुपये (350 करोड़ रुपये बीएस + 2996.63 करोड़ रुपये आईईबीआर) कर दिया गया है।

पूंजीगत सामान (कैपिटल गुड्स) एवं इंजीनियरिंग उद्योग

25.1.29 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) के अर्थों में, पूंजी वस्तु क्षेत्रक ने वर्ष 2006-07 में 18.2 प्रतिशत की तुलना में वर्ष

2007-08 में 16.9 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की है। पूंजी वस्तु क्षेत्रक के मजबूत विकास में मशीनरी और उपस्कर अग्रणी थे। घरेलू एवं विदेशी दोनों की मांग से प्रेरित निवेश कार्यकलापों का विस्तार उच्च पूंजी व्यय और पूंजी वस्तु आयातों में परिलक्षित है जिसके कारण विभिन्न उद्योगों में क्षमता सृजन में वृद्धि हुई है। अवसंरचना क्षेत्रक में अधिक खर्च करने से भी घरेलू पूंजी वस्तु उत्पादन को बढ़ावा मिला है। पूंजी वस्तुओं के आयात से वर्ष 2006-07 (तालिका) के 31 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2007-08 में 9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मशीन टूल्स के आयात में गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2007-08 में 33 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

ऑटोमोबाइल उद्योग

25.1.30 जुलाई 1991 में डि-लाइसेंसिंग के पश्चात् पिछले कुछ वर्षों में भारतीय आटोमोटिव उद्योग में शानदार 17 प्रतिशत की औसत दर वृद्धि हुई है। यह उद्योग अपने आपको पुनर्संरचित करने, नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने, वैश्विक विकास के अनुरूप अपने आपको ढालने तथा अपनी क्षमता को पहचानने में सफल रहा है। इसने देश के समग्र औद्योगिक विकास में उद्योग के योगदान में वृद्धि की है। उद्योग 1.31 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान कर रहा है। इस क्षेत्रक की निर्यात आय वर्ष 2006-07 के 3.7 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर वर्ष 2007-08 में 4.5 बिलियन अमरीकी डालर हो गई है जिसमें ऑटो घटक क्षेत्रक का शेयर 1.5 बिलियन अमरीकी डालर है।

25.1.31 आटोमोटिव क्षेत्रक ने वर्ष 2006-07 में 13.8% की वृद्धि की है। वर्ष 2007-08 के दौरान उद्योग में श्री-व्हीलर और टू-व्हीलर में क्रमशः 9.71 प्रतिशत और 7.9 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि के कारण लगभग 2 प्रतिशत की मामूली गिरावट आई। तथापि यात्री वाहन क्षेत्र में वर्ष 2007-08 में 12.17 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है (तालिका 25.5)।

तालिका 25.5
वाहनों का उत्पादन (,000 में)

वर्ग	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
यात्री वाहन	1210	1309	1545	1777
व्यावसायिक वाहन	354	391	520	549
श्री व्हीलर	374	434	556	501
टू व्हीलर	6530	7609	8467	8027
कुल	8468	9744	11088	10854

स्रोत- एसआईएम

25.1.32 भारत के आटोमोटिव उद्योग की अब विश्वस्तर पर पहचान बढ़ती जा रही है। आटोमोबाइल निर्यात में वर्ष 2007-08 में 22.30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। (तालिका)

राष्ट्रीय ऑटोमोटिव और अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना परियोजना (एनएटीआरआईपी)

25.1.33 भारी उद्योग विभाग की मुख्य पहल राष्ट्रीय आटोमोटिव और अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना परियोजना (एनएटीआरआईपी) के माध्यम से ऑटोमोबाइल क्षेत्रक के निष्पादन को बढ़ाना है तथा इसका उद्देश्य देश में अत्याधुनिक परीक्षण, विधिमान्यकरण और आर एण्ड डी अवसंरचना का सृजन करना है। इसमें भारत में 1718 करोड़ रुपये के कुल निवेश के माध्यम से दो चरणों में विश्वस्तरीय ऑटोमोटिव परीक्षण और अनुसमर्थन सुविधा की परिकल्पना की गई है। प्रमुख सुविधाएं देश के दक्षिण, उत्तर और पश्चिम में तीन ऑटोमोटिव केन्द्रों पर उपलब्ध होगी।

25.1.34 वर्ष 2007-08 (आरई) में एनएटीआरआईपी के लिए योजना परिव्यय 157 करोड़ रुपये था तथापि, निधियों का उपयोग नहीं किया जा सका। परियोजना में अवरोध का कारण विभिन्न स्थानों पर भूमि से संबंधित समस्याएं थी। प्रत्येक केन्द्र पर सुविधाओं की विस्तृत परियोजना कार्यान्वयन रिपोर्ट, स्थानों को अंतिम रूप देने का कार्य, प्रारंभिक सर्वेक्षण पूरे कर लिए गए हैं। सिलचर, चैन्नै तथा इंदौर में आंशिक रूप से जगहों

का अधिग्रहण पहले ही कर लिया गया है। रायबरेली में भूमि आबंटन राज्य सरकार के विचाराधीन है। वर्ष 2008-09 के लिए योजना परिव्यय 125 करोड़ रुपये रखा गया है।

कारपोरेट मामले

25.1.35 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में कारपोरेट मामले मंत्रालय (एमसीए) 211 करोड़ रुपये के परिव्यय से एक भारतीय कारपोरेट मामले संस्थान की स्थापना कर रहा है। संस्थान के लिए मनेसर में भूमि की पहचान पहले ही कर ली गई है। मंत्रिमंडल द्वारा स्कीम का अनुमोदन मई, 2008 में किया गया था वर्ष 2008-09 में भूमि अधिग्रहण करने के लिए 33 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए हैं।

स्टील

25.1.36 कच्चे इस्पात का उत्पादन गत वर्ष की 51 मिलियन टन की तुलना में वर्ष 2007-08 के दौरान 54 मिलियन टन था जोकि 6.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। भारत विश्व में पांचवां सबसे बड़ा कच्चा इस्पात उत्पादक देश बन कर उभरा है। स्टील क्षेत्रक का उत्पादन और खपत दोनों में महत्वपूर्ण वृद्धि के साथ मजबूती से विकास हो रहा है। कूड स्टील के उत्पादन में 10% वार्षिक वृद्धि होते हुए वर्ष 2002-03 में 34.71 मिलियन टन से वर्ष 2007-08 में 53.90 मिलियन टन तक पहुंच गया है। यह विकास क्षमता विस्तार (वर्ष 2002-03

में 40.41 मिलियन टन से वर्ष 2006-07 में 56.84 मिलियन टन) तथा उन्नत क्षमता उपयोगिता (वर्ष 2002-03 में 86% से वर्ष 2006-07 में 89%) दोनों के कारण संभव हुआ है। वर्ष 2011-12 तक देश में स्टील उत्पादन क्षमता लगभग 124 मिलियन टन हो जाने की संभावना है। वर्ष 2002-03 से तैयार (फिनिस्ड) स्टील (मिश्र औरह गैर-मिश्र) तथा कूड स्टील का उत्पादन, खपत आयात और निर्यात संबंधी जानकारी नीचे तालिका में दी गई है

25.1.37 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों- स्टील अथॉरिटी आफ इंडिया लिमिटेड (सेल) तथा राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) की महत्वाकांक्षी विस्तार योजनाएं हैं। विस्तार योजनाओं से सेल की क्षमता प्रतिवर्ष 14.6 मिलियन टन गर्मधातु उत्पादन को बढ़कर वर्ष 2010 तक 26 मिलियन टन तक तथा आरआईएनएल के प्रतिवर्ष 3 मिलियन टन गर्म धातु उत्पादन के वर्तमान स्तर को बढ़ाकर वर्ष 2009-10 तक 6.3 मिलियन टन तक हो जाएगा।

25.1.38 ओवरसीज से मेटलर्जिकल कोल तथा थर्मल कोल हासिल करने की दृष्टि से, सेल, आरआईएनएल, सीआईएल, एनटीपीसी और एनएमडीसी ने एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) प्रस्तावित किया है जिसका नाम कोल वेंचर्स इंटरनेशनल (सीवीआई) है।

25.1.39 इस्पात मंत्रालय का वास्तविक योजना व्यय वर्ष 2007-08 के दौरान मात्र 3831 करोड़

तालिका 25.6

(मिलियन टन में)

		2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (अप्रैल-जुलाई)
मिश्र स्टील सहित तैयार स्टील	उत्पादन	37.166	40.709	43.513	46.566	52.529	65.267	18.048
	खपत	30.677	33.119	36.377	41.433	46.783	61.486	16.491
	आयात	1.663	1.753	2.293	4.305	4.927	6.921	1.912
	निर्यात	4.517	5.207	4.705	4.801	5.242	5.050	1.256
कूड स्टील	उत्पादन	34.707	38.727	43.437	46.460	50.817	53.904	17.435

स्रोत : आर्थिक अनुसंधान यूनिट, इस्पात मंत्रालय

चयनित मुख्य केमिकल्स का उत्पादन

उप-समूह	उत्पादन (,000 मी. टन)	
	2007- 08 (पी)	2008- 09 (वास्तविक) अप्रैल-जून '08
अल्कली केमिकल्स	5739	1353
अजैविक केमिकल्स	690	149
जैविक केमिकल्स	1736	315
पेस्टिसाइड्स	84	11
डाईज एवं डाइ-स्टाफ	39	12
कुल मुख्य केमिकल्स	8288	1840

पी-अनंतिम

रुपये था जबकि परिव्यय 6203 करोड़ रुपये था। गिरावट का मुख्य कारण सेल, आरआईएमएल, एनएमडीसी और आईओएल द्वारा आईईबीआर की योजनाबद्ध उपलब्धि कम होना है। वर्ष 2008-09 में स्टील क्षेत्रक का अनुमोदित योजना परिव्यय 9543 करोड़ रुपये है जिसमें से 34 करोड़ रुपये बजटीय सहायता तथा 9509 करोड़ रुपये आंतरिक एवं अतिरिक्त बजटीय संसाधन (आईईबीआर) है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, 118 करोड़ रुपये के बजटीय प्रावधान सहित एक नई स्कीम, लोहा एवं इस्पात क्षेत्रक में आर एण्ड डी को बढ़ावा शुरू की गई है। वर्ष 2008-09 के दौरान स्कीम के लिए 18.50 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। वर्ष 2007-08 तथा 2008-09 के दौरान इस्पात क्षेत्रक का स्कीमवार/पीएसयूवार परिव्यय एवं व्यय संलग्नक 25.4 में दिया गया है।

केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स और सम्बद्ध उद्योग

25.1.40 केमिकल उद्योग जिसमें जैविक, अजैविक केमिकल्स, डाइस्टफ और डाइ-इंटरमिडियरीज, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स, शीरा आदि शामिल हैं की देश के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। केमिकल उद्योग भारत के सबसे पुराने उद्योग में से एक है तथा केमिकल के विश्व उत्पादन में 12वें स्थान पर है। सामान्य औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में इसका योगदान लगभग 14% तथा विनिर्माण क्षेत्र में 17.6% है। कुल निर्यात में भी इसका हिस्सा लगभग 13-14% तथा देश के कुल आयात में 8-9% है। जीडीपी में

केमिकल उद्योग का योगदान लगभग 3% है। भारत विश्व में पेस्टिसाइड्स का सबसे बड़ा निर्यातक है तथा विविध प्रकार के उत्पादों का निर्माण करने की सुविधा है।

पेट्रोकेमिकल उद्योग

25.1.41 इस क्षेत्रक में सिंथेटिक रबर, सिंथेटिक फाईबर, पालीमर, इलास्टोमर्स, सिंथेटिक डिटर्जेंट्स इंटरमीडिएट्स और निष्पादन प्लास्टिक है तथा यह क्षेत्रक उत्पादन तथा खपत दोनों मामलों में विकास की ओर बढ़ता हुआ रुझान दर्शा रहा है। हाल ही में, पेट्रोकेमिकल उत्पादों ने सभी प्रकार के दैनिक प्रयोग के सामानों में पैठ बना ली है जिसमें कपड़ा, आवास, निर्माण, फर्नीचर, आटोमोबाइल, घरेलू सामान, खिलौने, कृषि बागबानी, सिंचाई, पैकेजिंग, मेडिकल उपकरण आदि शामिल हैं। पेट्रोकेमिकल्स के लिए फीडस्टाक और ईंधन का मुख्य स्रोत प्राकृतिक गैस और नेफ्था है। देश में तीन नेफ्था और तीन गैस आधारित क्रैकर परिसर हैं जिनकी संयुक्त एथिलीन क्षमता 2.6 मिलियन टन प्रति वर्ष है। चार एरोमेटिक परिसर भी हैं जिनकी संयुक्त जाइलीन क्षमता 2.9 मिलियन टन है। वर्ष 2007-08 के दौरान मुख्य पेट्रोकेमिकल्स के उत्पादन में 5.6% वृद्धि होने का अनुमान है जोकि लगभग 8.7 मिलियन टन है। चालू वर्ष के दौरान निम्न विकास दर कच्चे तेल के मूल्यों में तीव्र वृद्धि के कारण हो सकता है।

चयनित मुख्य पेट्रोकेमिकल्स का उत्पादन

उप-समूह	उत्पादन (,000 मी. टन)	
	2007- 08 (पी)	2008- 09 (वास्तविक) अप्रैल-जून '08
सिंथेटिक फाइबर	2524	633
पालीमर्स	5304	1299
इलास्टोमर्स	105	27
सिंथेटिक डिटजेंट, इंटरमीडियरीज	585	149
निष्पादन प्लास्टिक	157	36
कुल (मुख्य पेट्रोकेमिकल्स)	8675	2144

पी- अनंतिम

25.1.42 वर्तमान 8 पेट्रोकेमिकल्स क्रेकर परिसरों की संयुक्त क्षमता 2.6 मिलियन टन एथीलिन प्रति वर्ष है जिसमें गैस अथॉरिटी आफ इंडिया लिमि0 (गेल)- एक पीएसयू के औरिया पेट्रोकेमिकल्स परिसर का योगदान 4 लाख टीपीए है तथा अन्य निजी क्षेत्रों में है।

25.1.43 सरकार ने लेपेटकाटा, जिला-डिब्रूगढ़, असम में कुल 5460.61 करोड़ रुपये की लागत से एक समेकित पेट्रोकेमिकल्स परिसर की स्थापना का अनुमोदन किया है। केमिकल्स और पेट्रोकेमिकल्स विभाग द्वारा परियोजना के लिए निश्चित लागत आधार पर 2138 करोड़ रुपये की पूंजी सब्सिडी दी जाएगी। एक क्रेकर से 2.20 लाख टन एथीलिन का उत्पादन होगा तथा पॉलीप्रोपीलीन (60,000 टीवीए), उच्च घनत्व वाले पॉलीथीलीन/लीनीयर कम घनत्व वाले पॉलीथीलीन (2,20000 टीपीए) प्रमुख अंतिम उत्पाद होंगे। इस परियोजना के लिए वर्ष 2008-09 (बजट अनुमान) में 100 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है।

औषध और भेषज

25.1.44 भारत का भेषजीय उद्योग विकसित देशों में सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक है तथा 11.5 बिलियन अमरीकी डालर के घरेलू उपभोग तथा 6.7 बिलियन अमरीकी डालर के निर्यात सहित

इसका उद्योग 18.2 बिलियन अमरीकी डालर का है। यह उद्योग विभिन्न विनिर्माण प्रक्रियाओं से गुजरने वाले अनेक शीर्ष चिकित्सीय समूहों से संबंधित दवाइयों का थोक में निर्माण करता है तथा इसने टेबलेट्स, कैप्सूल, लिक्विड, ओरल और इंजेक्टाइबल्स आदि जैसे सभी प्रकार की खुराकों के उत्पादन हेतु उत्कृष्ट सुविधा का विकास किया है। नीतिगत इनपुट से भेषजीय उद्योग देश की थोक दवाओं की 70% आवश्यकताओं तथा प्रतिपादन हेतु लगभग संपूर्ण मांग को पूरा कर सका है। औषध और भेषज ने वर्ष 2006-07 में 5867.30 करोड़ रुपये के आयात की तुलना में 24942 करोड़ रुपये का निर्यात किया है।

25.1.45 देश में उत्पाद पेटेंट रिजीम के कार्यान्वयन तथा टीआरआईपी समझौतों के अनुरूप आरएण्डडी पर अत्यधिक फोकस की आवश्यकता को महसूस करते हुए, अधिकांश औषध एवं भेषज ईकाइयों द्वारा आर एण्ड डी व्यय में कई गुणा वृद्धि की गई है। लगभग एक दशक पहले मात्र 1 या 2% औसत वार्षिक टर्नओवर की तुलना में वर्तमान में 75 से अधिक ईकाइयाँ अपने वार्षिक टर्नओवर का 5 से 10% तक अनन्य रूप से आर एण्ड डी के लिए खर्च कर रही है। फार्मा में आर एण्ड डी की सहायता के लिए सरकार विभिन्न राजकोषीय और गैर-राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान कर रही है।

25.1.46 भारत में भेषजीय क्षेत्रक की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने तथा तीव्र विकास हेतु संभावनाएं तलाशने के लिए विशिष्ट और समर्पित प्रशासन तैयार करने हेतु सरकार द्वारा जुलाई 2008 में एक नया भेषज विभाग बनाया गया है। नया भेषज विभाग मुख्य रूप से औषधि और भेषज से संबंधित मुद्दों पर फोकस करेगा जिसमें विशिष्ट रूप से अन्य विभागों को आबंटित मुद्दे, अनुसंधान संवर्धन एवं समन्वय, अवसंरचना विकास, शिक्षा एवं प्रशिक्षण शामिल नहीं होंगे।

25.1.47 सरकार राष्ट्रीय भेषज मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) के माध्यम से औषध मूल्यों का नियंत्रण कर रही है। विशिष्ट औषधियों के मूल्य

नियंत्रण में एनपीपीए अपनी भूमिका प्रभावी रूप से निभा रही है। सरकार एनपीपीए को सुदृढ़ करने तथा बेहतर उपभोक्ता जागरूकता के लिए कार्य कर रही है। एनपीपीए द्वारा विनिर्माताओं/उपभोक्ताओं को सुविधा दिए जाने के लिए की गई कुछ कार्रवाईयाँ हैं : भेषज उद्योग गणना, निर्माताओं द्वारा प्रतिपादन मूल्यों के निर्धारण/संशोधन हेतु आवेदन को स्वेच्छा से आन-लाईन भरने के लिए आन-लाईन सुविधा का सृजन, भेषज डायरेक्टरी का प्रकाशन जिसमें भेषज निर्माताओं आदि का राज्यवार पता दिया गया हो।

25.1.48 वर्ष 1998 में संसद के अधिनियम के अंतर्गत एक राष्ट्रीय भेषज शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (एनआईपीईआर) की एसएस नगर (मोहाली), पंजाब में स्थापना की गई जिसका घोषित उद्देश्य भेषज विज्ञान में उच्च स्तर का अध्ययन और अनुसंधान हेतु एक उत्कृष्ट केन्द्र बनाना था। संस्थान चौदह विषयों में मास्टर्स और डाक्टोरल कार्यक्रम चला रहा है तथा भारतीय भेषज उद्योग को उसके विकास तथा उनकी आर एण्ड डी से जुड़ी समस्याओं के समाधान में सहायता कर रहा है।

25.1.49 केन्द्र सरकार ने अगस्त, 2007 में अहमदाबाद (गुजरात), हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश), हाजीपुर (बिहार), कोलकाता (पश्चिम बंगाल), गुवाहाटी (असम) और रायबरेली (उत्तर प्रदेश) में छः नए एनआईपीईआर स्थापित करने का निर्णय लिया था। हैदराबाद, अहमदाबाद, कोलकाता, हाजीपुर के चार एनआईपीईआर्स में अग्रणी संस्थानों की सहायता से वर्ष 2007-08 में ही मास्टर्स स्तर के पाठ्यक्रम शुरू किए गए थे। चालू वर्ष 2008-09 के दौरान कुछ फार्मास्यूटिकल्स विभागों में शेष दो एनआईपीईआर्स में पाठ्यक्रम शुरू किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। वर्ष 2007-08 के दौरान चार नए एनआईपीईआर में कुल 134 छात्रों का नामांकन हुआ था। नए एनआईपीईआर के लिए वार्षिक योजना 2008-09 में परिव्यय 35.00 करोड़ रुपये तथा एनआईपीईआर, एसएस नगर मोहाली के लिए 40 करोड़ रुपये है।

उर्वरक

25.1.50 उर्वरक विभाग (डीओएफ) ने वर्ष 2008-09 के दौरान कई नई पहलें शुरू करने का प्रस्ताव किया था जैसे एफओ/एलएसएचएस आधारित संयंत्रों को गैस में परिवर्तित करने हेतु पूंजी सब्सिडी तथा देश में बंद पड़ी यूरिया ईकाइयों को पुनरुज्जीवित करना। चूंकि चार एलएसएचएस संयंत्रों के लिए अनुमानित 3800 करोड़ रुपये की कुल आवश्यकता की तुलना में ग्यारहवीं योजना के अंतर्गत एफओ/एलएसएचएस आधारित ईकाइयों को गैस में परिवर्तित करने हेतु कुल आवंटन मात्र 885 करोड़ रुपये हैं, अतः वैकल्पिक उपायों के माध्यम से कन्वर्सन परियोजनाओं की वित्तपोषण की संभावनाओं का पता लगाने का निर्णय लिया गया। तदनुसार, कंपनियों द्वारा ही कन्वर्सन परियोजनाओं के वित्त पोषण हेतु संशोधित नीति तथा सरकार द्वारा कन्वर्सन के पश्चात 5 वर्षों के अवधि के लिए एक विशेष निश्चित लागत के माध्यम से भुगतान की जा रही लागत संबंधी मुद्दे सरकार के विचाराधीन है।

25.1.51 उर्वरक विभाग आस्ट्रेलिया, नाइजीरिया, मोजाम्बिक, सउदी अरब, कतर, ओमान आदि जैसे देशों के साथ बात-चीत कर रहा है जिससे कि जेवी यूरिया अमोनिया परियोजनाओं को इन स्थानों पर लगाया जा सके। इस पर वर्ष 2008-09 में कोई व्यय नहीं किया गया है क्योंकि परियोजनाओं पर अभी चर्चा चल रही है।

मध्यम एवं बड़े कपड़ा उद्योग

25.1.52 भारतीय कपड़ा उद्योग का देश की आर्थिक स्थिति में व्यापक योगदान है तथा पिछले छः दशकों की तुलना में अब मजबूत स्थिति में है। पिछले छः दशकों के दौरान 3-4% की दर से बढ़ रहे उद्योग में अब तेजी आ गई है तथा अब इसकी वार्षिक विकास दर 9-10% प्रतिशत है।

25.1.53 भारतीय कपड़ा उद्योग का अपने बड़े एवं विविधतापूर्ण कच्चे माल आधार (कपास का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक, मानव निर्मित रेशे एवं धागे का

पांचवाँ सबसे बड़ा उत्पादक) सहित हमारे कुल औद्योगिक उत्पादन में 14 प्रतिशत योगदान है तथा देश के निर्यात बास्केट में लगभग 17 प्रतिशत का शेयर है (18.73 बिलियन अमरीकी डॉलर)। कृषि के बाद, यह क्षेत्रक देश में रोजगार का मुख्य स्रोत है। लगभग 35 मिलियन लोग प्रत्यक्ष रूप से काम में लगे हुए हैं जिसमें काफी संख्या में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं महिलाएं हैं (कुल 93 मिलियन लोग)। कपड़ा उद्योग का जीडीपी में 4 प्रतिशत शेयर है तथा औद्योगिक रोजगार में 14 प्रतिशत हिस्सा है तथा देश के निर्यात में 17% आय है।

25.1.54 इस उद्योग को इस प्रकार के विकास पथ पर लाने में जो उत्प्रेरक है वे हैं उभरती हुई घरेलू अर्थव्यवस्था, कपास उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि, सरकार द्वारा सुलभ कराई गई अनुकूल नीतिगत माहौल तथा दिनांक 31 दिसम्बर, 2004 को मल्टी फाइबर एग्रीमेण्ट (एमएफए) का समाप्त हो जाना ।

25.1.55 कपड़ा उद्योग के लिए मूल्यांकन की दृष्टि में 16 प्रतिशत की दर से विकास करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे कि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष तक यह 115 बिलियन अमरीकी डॉलर के स्तर पर पहुंच जाए (निर्यात 55 बिलियन यूएस डॉलर, घरेलू विपणन 60 बिलियन यूएस डॉलर), ग्लोबल कपड़ा व्यापार में मौजूदा 3.5 प्रतिशत से 7 प्रतिशत का शेयर हासिल हो तथा मौद्रिक अर्थों में 22% की दर से निर्यात बढ़ने की संभावना हो, 12 मिलियन लोगों के लिए अतिरिक्त रोजगार का सृजन हो ; अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता हेतु आधुनिक विनिर्माण क्षमताएं हासिल हो।

25.1.56 कपड़ा क्षेत्रक में शामिल मुख्य उप-क्षेत्रक हैं- संगठित सूती/मानव निर्मित फाइबर टेक्सटाइल मिल उद्योग, मानवनिर्मित फाइबर/फिलामेंट यार्न उद्योग, ऊन और ऊनी कपड़ा उद्योग, रेशम उत्पादन और सिल्क कपड़ा उद्योग, हथकरघा, हस्तशिल्प, जूट एवं जूट कपड़ा उद्योग और कपड़ा निर्यात।

25.1.57 कॉटन अनुसंधान एवं विकास पर अधिक ध्यान केन्द्रित करने तथा इसकी अर्थव्यवस्था को ठोस आधार देने के लिए कॉटन प्रौद्योगिकी मिशन (टीएमसी) फरवरी, 2000 में शुरू किया गया था। बाजार अवसंरचना में सुधार हेतु मिनि मिशन-III बनाया गया है जबकि गिनिग एवं प्रेसिंग क्षेत्रक के आधुनिकीकरण के लिए मिनि-मिशन-IV बनाया गया है।

25.1.58 एमएम-III का प्रारंभिक लक्ष्य 111 मार्केट यार्ड विकसित करना था (नौवीं पंचवर्षीय योजना में 51 तथा दसवीं पंचवर्षीय योजना में 60) इसे बढ़ाकर जून, 2005 में 250 कर दिया गया। सितम्बर, 2008 तक 250 मार्केट यार्ड (नए मार्केट यार्डों तथा वर्तमान यार्डों में सुधार सहित) की संस्वीकृति दी गई थी जिसमें से 142 मार्केट यार्डों पर काम पूरा हो चुका है।

25.1.59 एम-एम IV का कुल लक्ष्य 500 गिनिग एवं प्रेसिंग (जी एण्ड पी) फैक्टरियों का आधुनिकीकरण करना था (नौवीं पंचवर्षीय योजना में 150 तथा दसवीं पंचवर्षीय योजना में 350)। इसे बढ़ाकर जून, 2005 में 1000 जी एण्ड पी फैक्टरियों तक कर दिया गया था। सितम्बर, 2008 तक 992 गिनिग एवं प्रेसिंग फैक्टरियों के आधुनिकीकरण की संस्वीकृति दे दी गई है।

25.1.60 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-08 और 2008-09) के दौरान टीएमसी के एमएम-III और IV के लिए 241.35 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है जिसमें से 50 करोड़ रुपये की राशि वित्त वर्ष 2007-08 में तथा 50 करोड़ रुपये की राशि चालू वित्त वर्ष 2008-09 में जारी की गई है।

25.1.61 प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि स्कीम 1.4.1999 को शुरू की गई थी जिसका उद्देश्य घरेलू कपड़ा उद्योग की वर्तमान ईकाइयों की प्रौद्योगिकी को अपग्रेड करने हेतु निधियां उपलब्ध कराना तथा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में

व्यवहार्यता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने हेतु अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी सहित नई ईकाइयां स्थापित करना है। स्कीम में ब्याज भुगतान/पूंजी सब्सिडी/मार्जिन मनी सब्सिडी दी जाती है। टीयूएफएस की संशोधित संरचना का फोकस अतिरिक्त क्षमता निर्माण, प्रौद्योगिकी का बेहतर अनुकूलन तथा गारमेंटिंग, तकनीकी टेक्सटाइल्स और प्रसंस्करण जैसे व्यापक विकास संभाव्यता वाले खण्डों को उच्च स्तरीय सहायता प्रदान करने पर है।

25.1.62 प्रारंभ में, टीयूएफएस की अवधि 31 मार्च 2004 तक वैध थी तथा उसे 31.3.2007 तक बढ़ाया गया था। उद्योग से जोरदार प्रतिक्रिया मिलने के कारण, सरकार ने इसे ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना तक बढ़ाने का निर्णय लिया इस शर्त पर कि वर्ष 2009-10 में इसकी समीक्षा की जाएगी तथा नए ऋणों के संदर्भ में कुछ वित्तीय एवं आपरेशनल मानदंडों को पुनः तैयार किया जाएगा।

25.1.63 स्कीम ने प्रारंभ से 31 मार्च, 2008 तक निवेश को 116981 करोड़ रुपये तक पहुंचा दिया है। 31 मार्च 2008 की स्थिति के अनुसार स्कीम के अंतर्गत कुल 19775 आवेदन प्राप्त हुए हैं जिसकी परियोजना लागत 125611 करोड़ रुपये है। 124033 करोड़ रुपये की परियोजना लागत से कुल 19623 आवेदन संस्वीकृत किए गए हैं जिसमें 54230 करोड़ रुपये की ऋण राशि शामिल है। 19469 आवेदनों के मामले में 44917 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया गया है।

25.1.64 वर्ष 2008-09 के लिए स्कीम के अंतर्गत बजट आबंटन को बढ़ाकर 1140 करोड़ रुपये कर दिया गया है तथा 20.9.2008 तक 1043.29 करोड़ रुपये खर्च किया जा चके हैं। वार्षिक योजना 2007-08 और 2008-09 के लिए भारत सरकार द्वारा दिए गए 3987.23 करोड़ रुपये के अनुदान में टीयूएफएस के अंतर्गत जून 2008 तक प्रतिबद्ध देयताएं शामिल की गई हैं। देयताएं 12वीं और 13वीं पंचवर्षीय योजनाओं में भी जारी रहेगी। टीयूएफएस के अंतर्गत लाभ के लिए जिन मुख्य क्षेत्रों ने योगदान दिया है वे हैं, कताई,

संयुक्त उन्नयन, प्रसंस्करण, बुनाई और गारमेंटिंग आदि। ये खण्ड संवितरित राशि के लगभग 76% के लिए उत्तरदायी हैं। टीयूएफएस के अंतर्गत संस्वीकृत एवं भुगतान की गई राशि प्राप्त करने वाले मुख्य राज्य हैं तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात। ये राज्य भुगतान की गई राशि के 81% के लिए उत्तरदायी हैं। टीयूएफएस की एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा मूल्यांकन लंबित है।

एकीकृत कपड़ा पार्क स्कीम (एसआईटीपी)

25.1.65 उद्योग को उनके टैक्सटाइल्स यूनिटों की स्थापना हेतु विश्वस्तरीय अवसंरचना उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने 25 जुलाई, 2005 को एकीकृत कपड़ा पार्क स्कीम (एसआईटीपी) शुरू की थी। उद्योग संघ/उद्यमियों का समूह एकीकृत कपड़ा पार्क (आईटीपी) के मुख्य अभियोजक है जिन्होंने एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) तैयार किया है जिसका कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण किया जाएगा। स्कीम में उच्च विकास संभाव्यता वाले औद्योगिक क्लस्टरों/स्थानों को लक्षित किया गया है जिन्हें विश्वस्तरीय अवसंरचना सहायता से कार्यनीतिक हस्तक्षेपों की आवश्यकता है। परियोजना लागत में आईटीपी की आवश्यकता के अनुसार उत्पादन/सहायता कार्यों हेतु सामान्य अवसंरचना एवं भवनों को कवर किया गया है।

25.1.66 दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए लक्ष्य के अनुसार, भारत सरकार द्वारा 30 परियोजनाओं का अनुमोदन किया गया है। सरकार ने एकीकृत कपड़ा पार्क स्कीम को ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में जारी रखने का निर्णय लिया है। इसके अलावा पार्कों को संस्वीकृति वर्ष 2005-06 में अनुमोदित 4-5 पार्कों की विवेचनात्मक मूल्यांकन की शर्तों पर की जाएगी। 40 अनुमोदित पार्कों में से राज्यवार संस्वीकृत परियोजनाओं में निम्नलिखित शामिल हैं- आन्ध्र प्रदेश (6), गुजरात (7), कर्नाटक (1), महाराष्ट्र (10), पंजाब (2), राजस्थान (4), तमिलनाडु (6), पश्चिम बंगाल (1), उत्तर प्रदेश (1) और असम (1)। इन पार्कों में कताई, साइजिंग,

टेक्सचरिंग बुनाई, प्रोसेसिंग, एपरेल्स आदि सुविधाएं होगी। वर्ष 2008-09 के लिए 450 करोड़ रुपये के बजट आबंटन में से 12.01.2009 तक 169.83 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।

जूट प्रौद्योगिकी मिशन

25.1.67 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में जूट उद्योग का एक महत्वपूर्ण स्थान है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विशेषकर पश्चिम बंगाल में यह एक प्रमुख उद्योग है। लगभग 4 मिलियन किसान परिवारों के लिए यह जीविका का आधार है। इसके अतिरिक्त लगभग 2.6 लाख औद्योगिक कामगारों को प्रत्यक्ष रोजगार एवं तृतीयक और संबद्ध कार्यकलापों में 1.4 लाख अन्य लोगों को आजीविका प्रदान करता है।

25.1.68 भारत में संयुक्त रूप से 77 जूट मिलें हैं जिसमें से 60 जूट मिल पश्चिम बंगाल में, बिहार और उत्तर प्रदेश प्रत्येक में तीन-तीन, आन्ध्र प्रदेश में सात तथा असम, उड़ीसा, त्रिपुरा और छत्तीसगढ़ में एक मिल स्थित है।

जूट प्रौद्योगिकी मिशन

25.1.69 सरकार ने 2 जून, 2006 को जूट प्रौद्योगिकी मिशन (जेटीएम) का अनुमोदन किया था। कपड़ा मंत्रालय द्वारा 6 फरवरी, 2007 को जेटीएम का मिनिमिशन-III एवं IV शुरू किया गया था।

25.1.70 जूट प्रौद्योगिकी मिशन (जेटीएम) को 355.55 करोड़ रुपये के समग्र परिव्यय सहित ग्यारहवीं योजना के दौरान निष्पादित किया जाएगा। जेटीएम का उद्देश्य जूट फाइबर की उपज और गुणवत्ता में सुधार करना तथा गुणवत्ता वाले बीजों का विकास एवं आपूर्ति हेतु वर्तमान अवसंरचना को सुदृढ़ करना होगा।

25.1.71 मार्केट यार्ड विकास स्कीम के एमएम-III के अंतर्गत देश के प्रमुख जूट उत्पादन वाले जिलों में 10 मार्केट यार्डों का निर्माण करना

प्रस्तावित है। स्कीम के अंतर्गत 60% का वित्त पोषण किया जाएगा तथा एपीएमसी कुल लागत का शेष 40% का वित्त पोषण करेगा। इसके अतिरिक्त, मार्केट यार्डों की स्थापना के उद्देश्य से भूमि प्रदान/अधिग्रहीत की जाएगी।

25.1.72 चूंकि गुणवत्ता फाइबर उत्पादन के मामले में रेटिंग जूट खेती का महत्वपूर्ण भाग है, गुणवत्ता आऊटपुट उत्पादन में पर्याप्त रेटिंग वाटर की अनुपलब्धता एक अवरोध है। अतः भारत के कम से कम एक जूट उत्पादक जिले में चरणबद्ध तरीके से रेटिंग सुलभ कराने हेतु रेटिंग टैंकों का निर्माण प्रस्तावित है। अगले पांच वर्षों में जूट उत्पादकों के लिए अलग-अलग 50 रेटिंग टैंकों का निर्माण करने का प्रस्ताव है। इस स्कीम के अंतर्गत रेटिंग टैंक निर्माण के लागत का 90% दिया जाएगा तथा शेष 10% का योगदान लाभार्थी द्वारा किया जाएगा।

तकनीकी टेक्सटाइल्स एक उभरता हुआ क्षेत्र है। टेक्सटाइल सामग्री एवं उत्पादों का प्रयोग उनके तकनीकी निष्पादन और कार्यान्वयन गुणों के लिए किया जाता है। परम्परागत रूप से प्रयोग में लाए जाने वाले कपड़ों अथवा फर्नीशिंग के समान तकनीकी टेक्सटाइल्स का प्रयोग मूल रूप से उनके विशिष्ट वास्तविक एवं कार्यात्मक गुणों के आधार पर तथा अधिकांश अन्य प्रयोक्ता उद्योगों द्वारा किया जाता है।

25.1.73 विभिन्न तकनीकी अनुसंधान संगठनों (टीआर) के लिए चार तकनीकी टेक्सटाइल्स खण्डों अर्थात् जिओटेक, एग्रोटेक, प्रोटैक और मेडिटेक में चार उत्कृष्टता केन्द्र बनाए गए हैं जिसमें आईआईटी, दिल्ली, जोकि पूरा होने के अंतिम चरण में है, शामिल है।

निर्यात

25.1.74 वर्ष 2008-09 के दौरान आरईस्तर पर 1800 करोड़ रुपये के बजट अनुमान आवंटन को बढ़ाकर 3365.90 करोड़ रुपये किया गया। बजट अनुमान स्तर पर मुख्य परिव्यय में टीयूएफएस के

अंतर्गत 1140 करोड़ रुपये तथा एकीकृत कपड़ा पार्क स्कीम के अंतर्गत 450 करोड़ रुपये शामिल है।

कपड़ा- ग्राम एवं लघु उद्यम क्षेत्रक

हथकरघा

25.1.75 हथकरघा क्षेत्रक, जो लगभग 65 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्रदान कर रहा है तथा संस्वीकृत धरोहर का संरक्षण कर रहा है, का देश के कुल कपड़ा उत्पादन में लगभग 13% का योगदान है। यह उद्योग देश के सभी भागों में फैला है जिसमें पूर्वोत्तर राज्य जहां यह घर-घर में है, शामिल है। वर्ष 1995-96 में कराई गई पिछली हथकरघा गणना के अनुसार 470 क्लस्टरों में 1000 से कम से लेकर 50000 करघे तथा इससे अधिक करघे हैं।

25.1.76 हथकरघा फेब्रिक के उत्पादन में भी वर्ष 2004-05 से वृद्धि देखी जा रही है तथा वर्ष 2007-08 के दौरान उत्पादन 7000 मिलियन वर्ग मीटर था जोकि वर्ष 2006-07 के 6536 मिलियन वर्गमीटर से अधिक है।

25.1.77 हथकरघा बुनकरों को सतत सहायता देने तथा चुनौतियों का सामना करने में उन्हें सशक्त बनाने के लिए ग्यारहवीं योजना के दौरान कई विकासआत्मक एवं कल्याणकारी स्कीमें चलाई गई है। ये हैं (क) एकीकृत हथकरघा विकास (ख) विपणन एवं निर्यात संवर्धन सुविधाएं (ग) हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण (घ) इनपुट आपूर्ति की उपलब्धता तथा (ङ) विविधीकरण उपाय

25.1.78 वर्ष 2007-08 के दौरान एकीकृत हथकरघा विकास स्कीम का दायरा और भी बढ़ा है तथा इसे केन्द्र प्रायोजित स्कीम बनाया गया है जिसे राज्यों की सहायता से कार्यान्वित किया जाता है। वर्ष 2007-08 के दौरान 251 क्लस्टरों के विकास के प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं जिसमें 15 सामान्य राज्यों और 6 पूर्वोत्तर राज्यों को कवर

किया गया है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2008-09 के दौरान 131 क्लस्टरों की संस्वीकृति दे दी गई है।

25.1.79 हथकरघा एजेंसियों और बुनकरों को विपणन सहायता प्रदान करने के लिए विकास आयुक्त कार्यालय (हथकरघा), कपड़ा मंत्रालय राष्ट्रीय हथकरघा एक्सपो/विशेष एक्सपो आदि जैसे विपणन कार्यक्रमों के आयोजन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

25.1.80 हथकरघा बुनकरों को बीमा स्कीमों नामतः (क) स्वास्थ्य बीमा योजना और (ख) महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा भी दी गई। स्वास्थ्य बीमा योजना बुनकर एवं उसके परिवार (स्वयं, पत्नी और दो बच्चे) को 15000/- रुपये की सुविधा प्रदान करता है जिसमें पूर्व से ग्रस्त किसी रोग को कवर किया गया है तथा ओपीडी देखभाल के लिए प्रावधान किया गया है। वर्ष 2007-08 में 17.37 लाख बुनकर कवर किए गए जिसमें भारत सरकार का योगदान 800/- रुपये प्रति बुनकर था। महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना प्राकृतिक/दुर्घटनावश मृत्यु, दुर्घटना के कारण संपूर्ण/आंशिक अपंगता के मामले में जीवन बीमा कवर प्रदान करता है। वर्ष 2007-08 के दौरान, 4.66 लाख बुनकर कवर किए गए।

25.1.81 हथकरघा बुनकरों को उचित दर पर सूत के लच्छों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने की दृष्टि से सरकार लच्छा बाध्यता स्कीम (हैंक यार्न आब्लिगेशन स्कीम) लागू कर रही है तथा राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम (एनएचडीसी) के माध्यम से मिलगेट मूल्यों पर सूत की आपूर्ति कर रही है।

हस्तशिल्प

25.1.82 इस क्षेत्रक की देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका है तथा यह क्षेत्रक लगभग 20963 करोड़ रुपये प्रति वर्ष का पर्याप्त विदेशी मुद्रा का सृजन कर रहा है। इसके साथ ही सांस्कृतिक धरोहर बनाए रखते हुए ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में 67 लाख शिल्पकारों को रोजगार

प्रदान कर रहा है। इस क्षेत्रक में कार्य कर रहे शिल्पकारों में 47.42% महिलाएं, 22.99% अल्पसंख्यक, 12.38% अनुसूचित जनजाति तथा 4.73% अनुसूचित जाति है।

25.1.83 अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना (एएचवीवाई) एक प्रमुख स्कीम है जिसका फोकस क्लस्टर विकास के माध्यम से कारीगरों का सशक्तीकरण करना है।

25.1.84 दसवीं योजना के अंत तक लगभग 400 क्लस्टर कवर किए जा चुके हैं, ग्यारहवीं योजना के दौरान 322 जिलों में 375 नए क्लस्टरों को कवर किया जाएगा। वर्ष 2007-08 में 147 क्लस्टरों की एकीकृत विकास के लिए चुना गया है।

25.1.85 हथकरघा कारीगरों एवं उनके परिवार वालों को बीमा कवर एवं स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए हथकरघा कारीगर व्यापक कल्याण स्कीम कार्यान्वित की जा रही है। इसके दो घटक हैं (i) राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना (आरजीएसएसबीवाई) और (ii) हथकरघा कारीगरों के लिए बीमा योजना।

25.1.86 कारीगरों, गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ), राज्य सरकारों, निर्यातकों और व्यापारियों के साथ बेहतर और सार्थक सहक्रिया के लिए विपणन सहायता और सेवा स्कीम सहायता प्रदान करता है। वर्ष 2007-08 के दौरान, कारीगरों को विपणन सहायता प्रदान करने के लिए 131 शिल्पकार/एक्सपो तथा 313 प्रदर्शनियां आयोजित की गई थी।

रेशम उत्पादन

25.1.87 रेशम उत्पादन, सिल्क उत्पादन की तकनीकी, एक कृषि आधारित कुटीर उद्योग है जिसमें परजीवी पौधों की खेती, रेशम के कीड़ों के बीज का उत्पादन/रेशम उत्पादन और रेशम कोष शामिल है। रेशम उत्पादन में विश्व में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है तथा सिल्क का वार्षिक

उत्पादन 18475 एमटी है। इसे मलबेरी, तसर, इरी और मूगा सिल्क जैसे सभी प्रकार के सिल्क उत्पादन में विशिष्टता हासिल है।

25.1.88 मलबेरी सिल्क कुल सिल्क उत्पादन का 89% है तथा ग्रामीण व अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में लगभग 60 लाख व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराता है। रेशम उत्पादन कार्यकलापों में रोजगार प्राप्त लोगों में 60% से अधिक महिलाएं हैं।

25.1.89 केन्द्रीय सिल्क बोर्ड (सीएसबी) बंगलोर, जोकि भारत सरकार की एक नोडल एजेंसी के रूप में है, रेशम उत्पादन क्षेत्रक के विकास के लिए संवर्धनात्मक एवं विकास नीतियां तैयार करता है। उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम (सीडीपी) एक फ्लैगशिप कार्यक्रम है इसमें अन्य बातों के साथ-साथ उच्च उपज वाले मलबेरी के पौधे लगाने, सिंचाई सुविधाएं स्थापित करने, पालन गृहों का निर्माण आदि शुरू करने के लिए सहायता शामिल है। वर्ष 2007-08 के दौरान ही सीएसबी ने सीडीपी के अंतर्गत राज्यों को 80.82 करोड़ रुपये की राशि जारी किया है। इसमें से पूर्वोत्तर का शेयर 37.32 करोड़ रुपये (यानि 46%) है।

25.1.90 सीएसबी ने 24 कियोस्क स्थापित किया है (कर्नाटक में 7, आन्ध्र प्रदेश 4, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, जम्मू व कश्मीर, पश्चिम बंगाल प्रत्येक में 3 तथा केरल में 1) जो रेशम कोष और सिल्क मूल्यों, मलबेरी पौधा रोपण रेशम के कीट का पालन, पेस्ट और रोग नियंत्रण उपायों आदि के संबंध में सूचना प्रदान करता है।

25.1.91 सीएसडी ने सीड/कोकून उगाने वाले तथा उत्पादकों के लिए विस्तार एवं क्षेत्र प्रशिक्षण कार्यकलाप शुरू किया है तथा स्कीमों के कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग की है।

पावरलूम

25.1.92 फ़ैब्रिक उत्पादन और रोजगार सृजन के मामले में विकेन्द्रीकृत पावर लूम क्षेत्रक कपड़ा

उद्योग का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यह क्षेत्रक विभिन्न प्रकार के कपड़े, ग्रे तथा प्रसंस्कृत दोनों का उत्पादन करता है एवं लगभग 46.60 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करता है। इसका देश के कुल कपड़ा उत्पादन में 62% प्रतिशत का योगदान है। निर्यात के लिए 60% प्रतिशत से अधिक फैब्रिक इसी क्षेत्रक से आता है। 31 मार्च, 2006 की स्थिति के अनुसार 19.44 लाख पावरलूम सहित लगभग 4.30 लाख पावर लूम ईकाइयां हैं जिसमें से 14.72 लाख प्लेन शटल लूम है। अनुमान है कि इसमें से 75 प्रतिशत से अधिक लुप्तप्राय तथा पुरानी है जहां कोई भी प्रक्रिया अथवा गुणवत्ता नियंत्रण उपकरण/एटैचमेंट नहीं है। क्षेत्रक अभी भी विभिन्न समस्याओं से ग्रस्त है जैसे अलग-अलग और छोटे आकार की ईकाइयां, विद्युत की अनुपलब्धता, बिजली की बार-बार कटौती एवं उच्च बिजली दर, बुनकरों के कौशल का निम्नस्तर, अपर्याप्त क्रेडिट उपलब्धता तथा खराब विपणन तकनीकी।

25.1.93 प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि स्कीम (टीयूएफएस) का प्रयोग पावरलूम के आधुनिकीकरण के लिए भी किया जाता है जिसके अंतर्गत एसएसआई क्षेत्रक में पावरलूम के लिए 20% क्रेडिट लिंक्ड पूंजी सब्सिडी प्रदान की जा रही है। वर्ष 2007-08 के दौरान 44.95 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गई थी जिससे 567 यूनिटों को लाभ हुआ था।

25.1.94 पावरलूम कामगारों के लिए समूह बीमा योजना को संशोधित किया गया है। पूर्व स्कीम के दोनों घटकों (i) जनश्री बीमा योजना (जेबीवाई) तथा (ii) एड आन-समूह बीमा योजना (एजीआईएस) में लाभ को बढ़ाते हुए एकल घटक में विलय कर दिया गया है। संशोधित स्कीम के अंतर्गत कुल प्रीमियम 380/- रुपये से घटाकर 330/- रुपये कर दिया गया है। जबकि भारत सरकार और एलआईसी का शेयर पूर्ववर्ती अर्थात् क्रमशः 150/- रुपये और 100/- रुपये रहा है,

कामगारों का शेयर पूर्व में 130/- रुपये की तुलना में 80/- रुपये है।

25.1.95 क्षेत्रक के समग्र विकास के लिए वर्ष 2007-08 से तीन वर्षों के लिए अर्थात् वर्ष 2009-10 तक एक एकीकृत पावरलूम क्लस्टर विकास स्कीम शुरू की गई है। स्कीम में विपणन विकास, पावरलूम बुनकरों का अन्य क्लस्टरों तक जानकारी संबंधी यात्रा, पावरलूम क्षेत्रक का सर्वेक्षण, पावरलूम क्लस्टर विकास आदि कवर किए गए हैं।

25.1.96 वर्तमान अथवा नए क्लस्टर में आधुनिक लूम हेतु वर्क शेड की स्थापना सुलभ कराने तथा अधिक स्थान के मामले में वर्किंग कंडिशन, कार्य के माहौल में सुधार, विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने हेतु कार्य क्षमता में सुधार करने के उद्देश्य से वर्ष 2007-08 के दौरान संशोधित समूह कार्य शेड स्कीम शुरू की गई थी। समूह में कम से कम 4 बुनकर/उद्यमी होंगे। वर्ष 2007-08 के दौरान पांच समूहों के लिए 112.50 लाख की राशि संस्वीकृत की गई थी तथा वर्ष 2008-09 के लिए 86.50 लाख रुपये प्रदान किए गए हैं।

25.1.97 44 पावरलूम सर्विस केन्द्रों जिन्हें कपड़ा आयुक्त कार्यालय तथा अन्य एजेंसियों द्वारा शासित किया जाता है, में से 43 पावरलूम सेवा केन्द्रों का आधुनिक मशीनरी एवं उपकरणों सहित आधुनिकीकरण कर दिया गया है।

ऊन और ऊनी वस्त्र

25.1.98 ऊन उद्योग सामान्य रूप से संगठित और विकेन्द्रीकृत क्षेत्रकों में विभाजित किया गया है। संगठित क्षेत्रक में 718 इकाइयां हैं जिसमें आधुनिक/परिष्कृत/संयुक्त मिलें, धुनाई इकाइयां, निटवियर और बुने वस्त्र इकाइयां आदि शामिल हैं। उप-शहरी/ग्रामीण स्तर पर हाथ से बने हुए गलीचे, दरियां, नमदाह विनिर्माण, हौजरी और बुनाई, विद्युतकरघा इकाइयां विकेन्द्रीकृत क्षेत्रक में हैं। ऊन क्षेत्रक मुख्य रूप से राजस्थान, गुजरात, जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा,

उत्तरांचल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक राज्यों में संकेन्द्रित है। ऊन क्षेत्रक कुल मिलाकर 27 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है। भारत में ऊन उत्पादकता अंतरराष्ट्रीय औसत 3.5 कि० ग्रा०/भेड़/वर्ष की तुलना में काफी कम 0.8 कि. ग्रा./भेड़/वर्ष है।

25.1.99 केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड (सीडब्ल्यूडीबी), जोधपुर कपड़ा मंत्रालय का एक स्वायत्त निकाय है जिसकी स्थापना 1987 में ऊन क्षेत्रक के एकीकृत विकास को बढ़ावा देने के लिए की गई थी।

25.1.100 केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड एकीकृत ऊन सुधार और विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रहा है जिसके अंतर्गत यह भेड़ पालकों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराता रहा है और आवश्यक इनपुट्स जैसे नस्ल सुधार के लिए भेड़े, स्वास्थ्य कवरेज, उत्पाद सुधार एवं विकास, विपणन सहायता, अनुसंधान विकास और कार्यकलाप शुरू करना और सूचना/ज्ञान का प्रसार, उपलब्ध करा रहा है। वर्ष 2007-08 के दौरान, सीडब्ल्यूडीबी ने 6.75 लाख भेड़ों को कवर किया, 6750 स्टड भेड़ों का वितरण किया और राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश राज्यों में बहुउद्देशीय विस्तार केन्द्रों की स्थापना की। अंगोरा और पशमीना ऊन के विकास के लिए, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल और जम्मू व कश्मीर के पर्वतीय क्षेत्रों में एकीकृत परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन हैं। सीडब्ल्यूडीबी ने 206 व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण का भी आयोजन किया और विभिन्न स्थानों पर 15 ऊनी वस्त्र प्रदर्शनियां भी लगाईं। इसने कुल्लू, हिमाचल प्रदेश में एक बुनाई व अभिकल्प प्रशिक्षण केन्द्र, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और पंजाब राज्यों में पूर्व-करघा कार्यकलापों के लिए सात-साझा सुविधा केन्द्रों (सीएफसीज) और सार्वजनिक निजी भागीदारी आधार पर लुधियाना में एक ऊनी शॉल फिनिशिंग केन्द्र की भी स्थापना की है।

25.1.101 वर्ष 2007-08 के दौरान भेड़ पालकों और उनके भेड़ समूहों को बीमा कवरेज उपलब्ध

करवाकर एक नई स्कीम नामतः "भेड़ पालकों हेतु सामाजिक सुरक्षा स्कीम" शुरू की गई थी।

25.1.102 वित्त वर्ष 2007-08 के दौरान, 45000 भेड़ पालकों और 8 लाख भेड़ों, सीडब्ल्यूडीबी को क्रमशः भेड़ पालक बीमा और भेड़ बीमा स्कीमों के अंतर्गत कवर किया गया है।

25.1.103 वीएसई क्षेत्रक के अंतर्गत वर्ष 2007-08 के दौरान परिव्यय और कपड़ा मंत्रालय की विभिन्न योजना स्कीमों संबंधी वास्तविक व्यय और वर्ष 2008-09 के दौरान परिव्यय संलग्नक 25.11 एवं 25.12 में दिए गए हैं।

माइक्रो, लघु एवं मध्यम उद्यम

25.1.104 पूरे विश्व में, माइक्रो, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के उचित विकास को बढ़ावा देने में आर्थिक विकास के इंजन के रूप में स्वीकारा गया है। अर्थव्यवस्था के उदारीकरण और वैश्वीकरण तथा डब्ल्यूटीओ मानदंडों के अनुसरण में विगत डेढ़ दशक में लघु क्षेत्रकों के समक्ष बड़ी चुनौतियां खड़ी की हैं। परंतु, आश्चर्यजनक रूप से इस क्षेत्रक ने तेजी से बदल रही अर्थव्यवस्था और तकनीकी परिदृश्य को अपनाकर एक विशिष्ट लचीलापन प्रदर्शित किया है।

25.1.105 यह क्षेत्रक लागत प्रभाव, व्यापक रोजगार का सृजन करता है जिससे निर्धनता की समस्या का समाधान और समावेशी विकास को प्रोत्साहन मिलता है।

25.1.106 एमएसई क्षेत्रक द्वारा उत्पादन, रोजगार और निर्यात के संबंध में निर्देशात्मक वास्तविक सूचक लक्ष्य और उपलब्धियां संलग्नक 25.1.12 में दी गई हैं।

25.1.107 राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में किए गए विचार के अनुसार, बड़ी औद्योगिक अवसंरचना में क्रेडिट, प्रौद्योगिकीय उन्नयन, विपणन और अवसंरचनात्मक उन्नयन के क्षेत्रों में सहायता

उपलब्ध कराने के उद्देश्य से माइक्रो एवं लघु उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए लोक सभा में 27 फरवरी, 2007 और राज्य सभा में 2 मार्च, 2007 को पैकेज की घोषणा की गई थी। उक्त पैकेज में अन्य बातों के साथ-साथ, क्रेडिट, वित्त, क्लस्टर आधारित विकास, प्रौद्योगिकी एवं गुणवत्ता उन्नयन, विपणन, उद्यमीय और प्रबंधकीय विकास, महिलाओं के स्वामित्व वाले उद्यमों की अधिकारिता, एमएसएमई क्षेत्रक संबंधी डाटा के सुदृढीकरण के क्षेत्र में सहायता संबंधी उपाय दिए गए हैं। इस पैकेज में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, महिलाओं और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों सहित कमजोर वर्गों के लिए 20% एंटरप्राइज विकास कार्यक्रम (ईडीपीज) आरक्षित करके और प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि में 500 रु0 प्रतिमाह वजीफा उपलब्ध करवाकर इनके दक्षता विकास पर विशेष बल दिया गया है।

राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम

25.1.108 विनिर्माण क्षेत्रक विशेषकर लघु एवं मध्यम उद्यमों में नवीन जीवन का संचार करने और वैश्विक बाजार में उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने में उन्हें समर्थ बनाने की दृष्टि से, राष्ट्रीय विनिर्माण स्पर्धात्मकता कार्यक्रम (एनएमसीपी) की घोषणा बजट (2006-07) में की गई थी।

25.1.109 एनएमसीपी के दस घटक हैं जो नए उपकरण कक्षाओं की स्थापना, ग्लोबल प्रतिस्पर्धियों की बेंच मार्किंग, उत्पाद वृद्धि और लीन (एलईएएन) विनिर्माण तकनीकों आदि के माध्यम से गुणवत्ता संसाधन, लागत में कमी जैसे मुद्दों का समाधान करते हैं।

25.1.110 विपणन सहायता/एमएसएमईज को सहायता (बार कोड) एनएमसीपी की स्कीम "विपणन सहायता/ एमएसएमईज को सहायता" का उद्देश्य बारकोड पंजीकरण को प्रचलित बनाने और लघु व माइक्रो विनिर्माण उद्यमों को व्यापक पैमाने पर बार कोड प्रमाणन को अपनाने व अपने मूल्यवर्धित उत्पादों को पूरे विश्व में बेचने तथा उच्च

निर्यात मूल्य प्राप्त करने के लिए अभिप्रेरित करने का है। यह घरेलू विपणन (थोक एवं खुदरा) में भी सहायता करता है। स्कीम के अंतर्गत, माइक्रो एवं लघु उद्यमियों को प्रथम तीन वर्षों के लिए बार कोड प्रमाणन की वार्षिक फीस (आवती) के 75% की प्रतिपूर्ति की जाती है।

25.1.111 एमएसएमईज के उद्यमीय और प्रबंधकीय विकास हेतु सहायता (इनक्यूबेटर) : स्कीम के अंतर्गत, ज्ञान संबंधी संस्थानों जैसे इंजीनियरिंग कालेजों, नए विचार/उद्यमियों को अपनाने के लिए 6.25 लाख रु0 तक उपलब्ध कराए जाते हैं। इनक्यूबेटर प्रौद्योगिकी मार्गदर्शन, वर्कशॉप और प्रयोगशाला सहायता तथा सफलतापूर्वक बिजनेस शुरू करने के लिए अन्य एजेंसियों को लिंकेज व उद्यमी को अगले 2-3 वर्षों तक शो चलाने के लिए मार्गदर्शन देता है। 11वीं योजना के दौरान 2000 योजनाएं इन्क्यूबेट करने के मिशन सहित स्कीम के अंतर्गत अनुमोदित योजना व्यय 135 करोड़ रु0 है।

25.1.112 मिनी टूल रूम (एमटीआर) एनएमसीपी की मिनी टूल एक स्कीम के अंतर्गत, 11वीं योजना अवधि के दौरान 9 करोड़ रु0 तक की सरकारी सहायता के साथ प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से 15 मिनी टूल रूम स्थापित किए जाएंगे।

25.1.113 बौद्धिक सम्पदा अधिकार (आईपीआर) जागरूकता सृजन : पारंपरिक उद्यमियों की अमूर्त परिसम्पत्तियों की सुरक्षा के लिए, "बौद्धिक सम्पदा अधिकार (आईपीआर) जागरूकता सृजन" के अंतर्गत आईपीआर संबंधी जागरूकता कार्यक्रम और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के अतिरिक्त पेटेंट्स के पंजीकरण और भौगोलिक संकेतों हेतु सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

25.1.114 राष्ट्रीय लीन (एलईएएन) विनिर्माण अनुप्रयोग कार्यक्रम इस स्कीम के अंतर्गत, एम एस एम ईज अपनी विनिर्माण लागतें कम कर सकें, इसके लिए उपयुक्त कार्मिक प्रबंधन खाली जगह

के बेहतर उपयोग, कुशल सूची प्रबंधन, उन्नत संसाधित प्रवाहों, कम इंजीनियरिंग समय इत्यादि के माध्यम से इसकी सहायता की जाएगी।

25.1.115 गुणवत्ता प्रबंधन स्तर और गुणवत्ता प्रौद्योगिकी उपकरण (क्यूएमएस/क्यूटीटी): इस स्कीम के अंतर्गत, उत्पादों में वैश्विक बाजार के उन उत्पादकों की बेंचमार्किंग की योजना बनाई गई है जो कभी भारतीय एमएसएमईज में विशिष्ट स्थान रखते थे। स्कीम के अंतर्गत हमारे प्रतिस्पर्धियों की सम्पूर्ण बिजनेस प्रक्रिया का अध्ययन करने, हमारी विनिर्माण प्रणाली में अंतरालों की पहचान करने और प्रतिस्पर्धी उत्पादों के उत्पादन हेतु एक कार्य योजना तैयार करने के लिए अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों को लगाया जाएगा। क्यूएमएस/क्यूटीटी के अंतर्गत एमएमएमईज को सतत गुणवत्ता उन्नयन तकनीकों के बारे में जागरूक बनाने के लिए क्लस्टर स्तर पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। 11वीं योजना अवधि के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत अनुमोदित योजना व्यय 40.00 करोड़ रु0 है।

25.1.116 भारतीय विनिर्माण क्षेत्रक में आईसीटी को बढ़ावा देना (आईसीटी): इस स्कीम के अंतर्गत, इनकी उत्पादकता बढ़ाने हेतु एमएसएमई क्लस्टर की पहचान करने के लिए अति आधुनिक सूचना और संचार सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराए जाएंगे।

25.1.117 एमएमएमई क्षेत्रक को क्रेडिट: वर्तमान दिशा निर्देशों के अनुसार, माइक्रो और लघु उद्यम (एमएसएमईज) प्राथमिकता क्षेत्रक उधार के अंतर्गत कार्यशील पूंजी/आवधिक ऋण हेतु बैंको/वित्तीय संस्थानों से क्रेडिट प्राप्त कर रहे हैं। सार्वजनिक और निजी बैंकों के संबंध में, निवल बैंक क्रेडिट (एनबीसी) का 40% प्राथमिकता क्षेत्रक उधार हेतु उद्दिष्ट है। विदेशी बैंकों के संबंध में एनबीसी का 32 प्रतिशत प्राथमिकता क्षेत्र के लिए उद्दिष्ट किया जाता है जसमें से 10% लघु उद्यमों (एसई) क्षेत्रक के लिए होता है। इसमें होने वाली कमी को सिडबी (एसआईडीबीआई) द्वारा स्थापित की जाने वाली

लघु उद्यम विकास निधि (एसईडीएफ) को विदेशी बैंको द्वारा दिए गए योगदान से पूरा करना होता है। आरबीआई द्वारा जारी किए गए अनंतिम आंकड़ों के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्रक के बैंकों से एमएसई क्षेत्रक के क्रेडिट मार्च, 2007 और मार्च, 2008 के अंत तक क्रमशः 1,04,703 करोड़ रु0 और 1,48,651 करोड़ रु0 था। यह देखा गया है कि एनबीसी के प्रतिशत के रूप में एमएसई क्षेत्रक को क्रेडिट का शेयर, एमएसएमईडी अधिनियम 2006 के अंतर्गत दिए गए यथा उपबंधित एमएसएमई की संशोधित परिभाषा के अनुसार वर्ष-दर-वर्ष कम होता रहा है। एनबीसी की प्रतिशतता के रूप में एनएसई क्षेत्रक के क्रेडिट प्रवाह का गिरता हुआ शेयर चिन्ता का विषय है और प्राथमिकता आधार पर इसका समाधान किए जाने की आवश्यकता है।

25.1.118 यह ज्ञात होने पर कि क्रेडिट की डिलीवरी इस क्षेत्रक की एक गंभीर समस्या है, सरकार ने इस क्षेत्रक के लिए 5 वर्ष की अवधि में क्रेडिट प्रवाह को दुगुना करने के उद्देश्य से लघु व मध्यम उद्यमों (एसएमएमईज) का क्रेडिट बढ़ाने के लिए अगस्त, 2005 में एक नीतिगत पैकेज की घोषणा की थी। वर्ष 2007-08 के दौरान 26 सार्वजनिक क्षेत्रक के बैंको ने एमएसई क्रेडिट में वर्ष-दर-वर्ष 20 प्रतिशत के न्यूनतम नियत लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है।

25.1.119 समर्थक ऋणाधार के बिना क्रेडिट प्राप्त करने में क्षेत्रक की सहायता करने के लिए, एक क्रेडिट गारंटी निधि स्कीम कार्यान्वयनाधीन है जिसके अंतर्गत, माइक्रो व लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट (सीजीजीएमएसई) द्वारा 50 लाख रु0 तक के ऋणों की गारंटी दी जा रही है। उधार देने वाले संस्थान ट्रस्ट को 1.5 प्रतिशत एक मुश्त गारंटी फीस (5 लाख रु0 के ऋण के लिए 1%) और पूर्वोत्तर क्षेत्र में उधार लेने वालों को ऋण के लिए 0.75% और कर्जदार को स्वीकृत क्रेडिट सुविधा का प्रतिवर्ष 0.75 प्रतिवर्ष सेवा शुल्क (5 लाख रु0 तक के ऋण के लिए 0.5%) दे रहे हैं। इस स्कीम के लिए संग्रह निधि मार्च, 2008 के

अंत तक 1584.05 करोड़ ₹ थी। अब तक, पैसठ संस्थान क्रेडिट गारंटी निधि स्कीम के अंतर्गत सीजीटीएमएसई के सदस्य उधारदाता संस्थान बन चुके हैं जिनमें 28 सार्वजनिक क्षेत्रक के बैंक, 14 निजी क्षेत्रक के बैंक, 20 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और एनएसआईसी, पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम और सिडबी शामिल हैं। संचयी रूप से, स्कीम के अंतर्गत 30 जून, 2008 तक 3,044.34 करोड़ ₹ के कुल क्रेडिट के गारंटी कवर के लिए 1,08,711 प्रस्ताव अनुमोदित किए गए हैं।

आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी उन्नयन

25.1.120 आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकीय उन्नयन में एमएसईज की सहायता के लिए, सरकार एक क्रेडिटलिंक्ड पूंजी सब्सिडी स्कीम (सीएलसीएसएस) का प्रचालन कर रही है जिसके अंतर्गत 100 लाख ₹ की ऋण सीमा के अधीन अप्रॉफिट 15 प्रतिशत पूंजी सब्सिडी और नाबार्ड सहित 11 नोडल बैंको/एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। स्कीम अक्टूबर, 2000 से कार्यान्वयनाधीन है और 31 जुलाई, 2008 तक 5,400 एमएसईज इससे लाभान्वित हो चुके हैं। एमएसईज को संवितरित सब्सिडी राशि लगभग 217 करोड़ ₹ है।

25.1.121 प्रौद्योगिकी अंतरण को सुगम बनाने अथवा एमएसईज के प्रौद्योगिकीय उन्नयन की दृष्टि से, सभी 30 एमएसएमई-डी आईज़ में प्रौद्योगिकी संसाधन केन्द्रों (टीआरसीज) की स्थापना की गई है। टीआरसीज, एमएसई द्वारा अपनाए जाने वाली उपयुक्त प्रौद्योगिकी की डिलीवरी हेतु छोटे उद्यमों के क्लस्टरों पर, ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं।

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड

25.1.122 राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी), 1955 में हुए अपने आरंभ से ही माइक्रो एवं लघु उद्यमों को बढ़ावा देने, सहायता करने और विकास को प्रोत्साहित करने के लिए अपने मिशन के साथ कार्य कर रहा है। यह माइक्रो

एवं लघु उद्यमों के हितों को बढ़ावा देने और विपणन, प्रौद्योगिकी, वित्त और सहायता सेवाओं के अंतर्गत एकीकृत सहायता सेवाएं उपलब्ध करवाकर उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि के लिए कार्य कर रहा है।

25.1.123 11वीं योजना अवधि के दौरान एनएसआईसी सरकार की सहायता से दो स्कीमों कार्यान्वित कर रहा है वे निम्नानुसार हैं :

- (i) **विपणन सहायता स्कीम** : एनएसआईसी विपणन प्रयासों को बढ़ावा देने और लघु उद्यमों की क्षमता में वृद्धि के लिए एक फसिलिटेटर के रूप में कार्य करता है जिससे वे विभिन्न घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों/व्यापार मेलों, क्रेता-विक्रेता सम्मेलनों, गहन अभियानों/सेमिनारों और संकाय निर्माण आयोजित करके/उनमें भाग लेकर नए बाजार अवसरों को प्राप्त कर सकें।
- (ii) **निष्पादन एवं क्रेडिट निर्धारण स्कीम** : स्कीम का उद्देश्य लघु उद्यमों में उनके विद्यमान प्रचालनों की शक्तियों और कमजोरियों के बारे में जागरूकता सृजन करना और उनकी संगठनात्मक शक्तियों व क्रेडिट योग्यता में वृद्धि करने के लिए उन्हें अवसर प्रदान करना है। इस स्कीम में रेटिंग लघु उद्यमों की क्षमताओं और क्रेडिट योग्यता के संबंध में एक विश्वसनीय तीसरे पक्ष की राय के रूप में कार्य करती है। अधिकृत रेटिंग एजेंसी द्वारा की गई स्वतंत्र रेटिंग को बैंकों/वित्तीय संस्थानों, ग्राहकों/खरीददारों और विक्रेताओं की स्वीकृति प्राप्त है।

अन्य स्कीमों

- (i) **प्रशिक्षण संस्थान** : स्कीम के अंतर्गत विद्यमान और नई राज्यस्तरीय एंटरप्रेनरशिप विकास संस्थानों के प्रशिक्षण

अवसंरचना की सुदृढीकरण हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

- (ii) **अंतरराष्ट्रीय सहयोग स्कीम** : प्रौद्योगिकी उन्नयन, आधुनिकीकरण और माइक्रो व लघु उद्यम (एमएसई) क्षेत्रक के निर्यात को बढ़ावा देना स्कीम के महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं।

25.1.124 स्कीम में निम्नलिखित कार्यकलाप शामिल हैं :-

- (क) अंतरराष्ट्रीय घटक सहित प्रदर्शनियों, मेलों और क्रेता-विक्रेता सम्मेलनों में भारतीय एमएसईज की भागीदारी।
- ख) प्रौद्योगिकी प्रेरण/उन्नयन के नए क्षेत्रों का पता लगाने के लिए, संयुक्त उद्यमों को सुकर बनाने, एमएसई उत्पादों के बाजार में सुधार, विदेशी सहयोग इत्यादि के लिए एमएसई के बिजनेस प्रतिनिधि मंडलों की अन्य देशों में प्रतिनियुक्ति।
- (ग) एमएसई की अभिरूचि के विषयों और विषयवस्तु संबंधी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन व सेमिनार आयोजित करना।

- (iii) **सर्वेक्षण, अध्ययन और नीतिगत अनुसंधान** : स्कीम के अंतर्गत, अध्ययन स्वतंत्र एजेंसियों, संस्थानों, परामर्शी फर्मों इत्यादि को सौंपे जाते हैं और वित्तीय सहायता से दी जाती है। स्कीम के मुख्य उद्देश्य हैं-

(i) माइक्रो, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के विभिन्न पहलुओं और विशेषताओं संबंधी संगत व विश्वसनीय डाटा एकत्र करना, (ii) प्रयोग आधारित डाटा अथवा एमएसएमई के सामने आने वाली बाधाओं और चुनौतियों और अर्थव्यवस्था के उदारीकरण व वैश्वीकरण के संदर्भ में उन्हें प्राप्त अवसरों के आधार पर भी अध्ययन करना और विश्लेषण करना, और (iii) इन सर्वेक्षणों और विश्लेषणात्मक अध्ययनों के परिणामों को सरकार द्वारा नीतिगत अनुसंधान व उपयुक्त

कार्यनीति तैयार करने और सुधार के उपायों के लिए प्रयोग में लाया जाना।

- (iv) **राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना (आरजीयूएमवाई)** : स्कीम का मुख्य उद्देश्य, प्रथम पीढ़ी के उन उद्यमियों, जो पहले ही सफलता पूर्वक दो सप्ताह की अवधि का उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी)/दक्षता विकास कार्यक्रम (एसडीपी)/उद्यमिता-सह-दक्षता विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी) पूरा कर चुके हैं अथवा आइटीआईज से व्यावसायिक प्रशिक्षण ले चुके हैं, की क्षमताओं को अपनाने के माध्यम से माइक्रो और लघु उद्यम स्थापनाओं को बढ़ावा देना व उनकी सहायता करना है। अपेक्षित स्वीकृतियों के अभाव में विभिन्न विनियामक एजेंसियों द्वारा किए जाने वाले उत्पीड़न से बचाने के लिए सक्षम उद्यमियों को मार्गदर्शन देना और विभिन्न प्रक्रियात्मक व विधिक बाधाओं को सुकर बनाना एवं उद्यम लगाने तथा उसे सफलतापूर्वक चलाने में अपेक्षित विभिन्न औपचारिकताओं को पूरा करना इस स्कीम के कुछ उद्देश्य हैं।

राष्ट्रीय असंगठित क्षेत्रक उद्यम आयोग (एनसीईयूएस)

25.1.125 आयोग ने अधोलिखित उद्यमों की उत्पादकता में सुधार लाने के लिए आवश्यक समझे जाने वाले उपायों की सिफारिश की है, साथ ही संघारणीय आधार पर विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रोजगार अवसरों का सृजन, उभरते वैश्विक वातावरण में क्षेत्रक की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना, क्रेडिट, कच्ची सामग्री, अवसंरचना, प्रौद्योगिकी, उन्नयन, विपणन जैसे क्षेत्रों में संस्थागत ढांचा सहित क्षेत्रक की लिकेज और दक्षता विकास हेतु उपयुक्त प्रबंध करना शामिल है।

वास्तविक निष्पादन और उपलब्धि

क्षेत्रक/उप क्षेत्रक	इकाई	वार्षिक योजना 2006-07 वास्तविक	वार्षिक योजना 2007-08		वार्षिक योजना 2008-09
			लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य
उत्पादन					
एमएसएमई क्षेत्रक	करोड़ रु0	587196	616174	695126	705211
रोजगार					
एमएसएमई क्षेत्रक	लाख व्यक्ति	312.52	316.79	322.28	329.69

टिप्पणी : वर्ष 2007-08 के दौरान उपलब्धि संबंधी आंकड़े अनुमानित हैं। उत्पादन, निर्यात और रोजगार संबंधी सही आंकड़े एमएसएमईज की चौथी गणना जो इस समय की जा रही है के बाद उपलब्ध होंगे।

खादी एवं ग्राम उद्योग (केवीआई) क्षेत्रक

25.1.126 खादी एवं ग्राम उद्योग (केवीआई) क्षेत्रक गैर कृषि कार्यकलापों पर बल देने के साथ खादी के उत्पादन और ग्राम/ग्रामीण उद्योगों को कवर करता है और इसके द्वारा ग्रामीण जनसंख्या के विशेष सुविधावंचित वर्गों की आर्थिक व सामाजिक स्थिति में सुधार करने में सहायता करता है।

खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग

25.1.127 खादी एवं ग्राम उद्योग (केवीआईसी) खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग अधिनियम, 1956 के तहत स्थापित एक सांविधिक संगठन है जो कम प्रतिव्यक्ति निवेश पर ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्रों में रोजगार अवसरों के सृजन हेतु खादी और ग्राम उद्योगों को बढ़ावा देने और उन्हें विकसित करने के कार्य में लगा है और इस प्रकार लोगों में आत्म-निर्भरता के सृजन और एक सशक्त ग्रामीण सामुदायिक भावना का निर्माण करता है।

25.1.128 केवीआईसी द्वारा कार्यान्वित की जा रही मुख्य स्कीमें निम्नानुसार हैं :

(i) **प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)** : दो तत्कालीन रोजगार सृजन स्कीमों नामतः आरईजीपी और पीएमआरवाई को आमेलित करके वर्ष 2008-09 से इस स्कीम का कार्यान्वयन किया जा रहा है 250 करोड़ रु0 के पश्च व अग्र लिंकेजों सहित 4735 करोड़ रु0 के

कुल योजना परिव्यय के साथ 11वीं योजना के कुल योजना परिव्यय के साथ 11वीं योजना के दौरान अतिरिक्त रोजगार अवसरों के सृजन के लिए इसमें पूर्व कार्यक्रमों की तुलना में अधिक सब्सिडी दी जाती है। स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2008-09 के दौरान 823 करोड़ रु0 का परिव्यय उपलब्ध कराया गया है।

(ii) **खादी शिल्पकारों के लिए वर्कशेड स्कीम** खादी शिल्पकारों के लिए वर्कशेड के निर्माण से बेहतर कार्य वातावरण होने से उत्पादकता में वृद्धि हुई। वर्ष 2008-09 के लिए 25 करोड़ रु0 का परिव्यय रखा गया है जिसमें से 0.05 करोड़ रु0 पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए उद्दिष्ट है।

(iii) **खादी उद्योगों और शिल्पकारों का उत्पादकता व प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि हेतु स्कीम** अप्रचलित/पुराने चरखों और करघों, पुरानी मशीनरी व उपस्करों का बदलकर, साझा सुविधा केन्द्रों की स्थापना करके आवश्यकता आधारित रंगाई व छपाई सुविधा प्रदान करने और दक्षता उन्नयन सहित शिल्पकारों को बेहतर मजदूरी देकर 200 खादी संस्थानों को सहायता करना और उन्हें बाजार आधारित व अधिक लाभप्रद उत्पादन के साथ प्रतिस्पर्धी बनाना। वर्ष 2008-09 में 10 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है जिसमें से 0.05 करोड़ रुपए पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए उद्दिष्ट हैं।

- (iv) "विद्यमान कमजोर खादी संस्थानों की अवसंरचना का सुदृढीकरण और विपणन अवसंरचना हेतु सहायता । " इसमें 30 चुनिंदा खादी बिक्री केन्द्रों के नवीकरण और विद्यमान 100 कमजोर चुनिंदा संस्थानों का अवसंरचना के सुदृढीकरण हेतु सहायता उपलब्ध कराने की परिकल्पना की गई है।
- (v) खादी और ग्राम उद्योग क्षेत्रों में आर एंड डी कार्यकलापों के सुदृढीकरण के लिए आईआईटी, दिल्ली के सहयोग से जमनालाल बजाज केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, वर्धा, महाराष्ट्र का पुनरुद्धार करके एक राष्ट्रीय स्तर के संस्थान " महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकरण संस्थान " की स्थापना करना ।
- (vi) ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाण पत्र(आईएसईसी) खादी और पोली वस्त्र कार्यकलापों की कार्यशील पूंजी आवश्यकता को पूरा करने के लिए 4% की दर पर ब्याज और 4% व वास्तविक उधार दर के बीच अंतर के लिए केवीआईसी द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
- (vii) खादी शिल्पकारों को बीमा उपलब्ध कराने के लिए **खादी जन श्री बीमा योजना** ।
- (viii) खादी एवं ग्राम उद्योगों के अंतर्गत उत्पादों का विविधीकरण और उनका विकास करने तथा विभिन्न केवीआई उत्पादों की पैकेजिंग में सुधार के लिए भी **उत्पाद विकास डिजाइन इनपुट और पैकेजिंग (पीआरओडीआईपी)**
- (ix) केवीआई कार्यक्रमों को समान सुविधा सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए **ग्रामीण उद्योग सेवा केन्द्र (आरआईएससी) स्कीम**।
- (x) केवीआईसी के माध्यम से खादी व खादी उत्पादों की विक्री पर छूट उपलब्ध कराने के लिए **छूट स्कीम** ।
- (xi) खादी ग्राम उद्योगों और नारियल जटा क्षेत्रों में पारंपरिक उद्योगों, पहचान किए गए क्लस्टरों, में सुधार करने के लिए **पारंपरिक उद्योग सुधार निधि स्कीम(एसएफयूआरटीआई)**
- (xii) राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शनियां आयोजित करने/उनमें भाग लेने के लिए खादी संस्थानों को सहायता भी उपलब्ध कराई जाती है।

नारियल जटा बोर्ड(काँइ बोर्ड)

25.1.129 नारियल जटा बोर्ड नारियल जटा उद्योग अधिनियम, 1953 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय है, इसका कार्य नारियल जटा उद्योग के समग्र विकास को बढ़ावा देना और इस पारंपरिक उद्योग में लगे हुए कामगारों की जीवन दशाओं में सुधार करना है। नारियल जटा बोर्ड ने नारियल जटा उद्योग के विभिन्न पहलुओं के संबंध में अनुसंधान कार्यकलाप शुरू करने के लिए दो अनुसंधान संस्थानों नामतः केन्द्रीय नारियल जटा अनुसंधान संस्थान(सीसीआरआई), कलावूर अलेप्पी, और केन्द्रीय नारियल जटा प्रौद्योगिकी संस्थान(सीआईसीटी), बेंगलूर को प्रोन्नत किया है। नारियल जटा उद्योग देश का एक प्रमुख कृषि आधारित ग्रामीण उद्योग है। यह एक अत्यधिक श्रम गहन और निर्यात उन्मुखी उद्योग है जिसने नारियल उत्पादक राज्यों में 6.5 लाख से अधिक कामगारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है उनमें से रेशा निकालने और कताई क्षेत्रक में लगभग 80% महिलाएं हैं। नारियल जटा उद्योगों के विकास हेतु नारियल जटा बोर्ड द्वारा कार्यान्वित की जा रही मुख्य स्कीमें हैं:--

- (i) **निर्यात बाजार प्रोत्साहन** व्यापार और उद्योग के सहयोग से नारियल जटा बोर्ड देश/उत्पाद विशिष्ट आधार बड़े अंतरराष्ट्रीय मेलों/प्रदर्शनियों में भाग ले रहा है, उत्पाद प्रोन्नयन कार्यक्रमों, कैटलॉग शोज़ आयोजित कर रहा है और निर्यातकों आदि को बाह्य

- बाजार विकास सहायता उपलब्ध करा रहा है।
- (ii) बोर्ड के शो रूमों और बिक्री केन्द्रों के माध्यम से नारियल जटा उत्पादों की बिक्री में वृद्धि और नारियल जटा व नारियल जटा उत्पादों को भी प्रचलित बनाने हेतु घरेलू बाजार प्रोत्साहन । इसके अतिरिक्त, सहकारिताओं और सार्वजनिक क्षेत्रक के उद्यमों द्वारा विनिर्मित नारियल जटा व नारियल जटा उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए, एक बाजार विकास सहायता (एमडीए) स्कीम वर्ष 2000-2001 में शुरू की गई थी जिसके अंतर्गत नारियल जटा उत्पादों की वार्षिक बिक्री टर्न ओवर के आधार पर सहकारिता व सार्वजनिक क्षेत्रक में बिक्री केन्द्रों को 10% की दर पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
- (iii) नारियल जटा इकाइयों की स्थापना हेतु 1.5 लाख की सीमा तक उपस्कर व अवसंरचनात्मक सुविधाओं के लागत के 25% तक और विद्यमान नारियल जटा इकाइयों (11वीं योजना की शेष अवधि में कार्यान्वयन किए जाने के लिए स्कीम का संशोधन किया जा रहा है) के आधुनिकीकरण हेतु 50,000 रुपए की वित्तीय सहायता देने के लिए **उत्पादन अवसंरचना विकास** ।
- (iv) **महिला नारियल जटा योजना** इसमें महिला शिल्पकारों को प्रशिक्षण देने के पश्चात् नारियल जटा यार्न की कताई हेतु मोटर लगे हुए रट्ट के वितरण की परिकल्पना की गई है। इस स्कीम के अंतर्गत लाभार्थी को मोटर लगे हुए रट्ट की लागत के 75% के बराबर सब्सिडी मिलती है। मोटर लगे हुए पारंपरिक रट्ट के संबंध में यह अधिकतम 7,500 रुपए और लागत का 75% अथवा 2,965 रुपया जो भी कम हो, होती है।
- (v) **कताई करने वालों और छोटे घरेलू क्षेत्रक की सहायता करने के लिए नारियल जटा उद्योग के नवीकरण -आधुनिकीकरण व प्रौद्योगिकीय उन्नयन संबंधी स्कीम।** इस स्कीम के अंतर्गत पुराने रट्ट/करघों को बदलने और वर्कशेड के निर्माण हेतु सहायता उपलब्ध कराई जाती है ताकि उत्पादन और कामगारों की आमदनी में वृद्धि हो सके।
- (vi) नारियल जटा बोर्ड नारियल जटा के प्रसंस्करण में लगे हुए शिल्पकारों और नारियल जटा उद्योग में लगे हुए कामगारों को अपने विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से प्रशिक्षण भी दे रहा है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

25.1.130 भारत फलों और सब्जियों, दूध, मांस, समुद्री उत्पादों व अन्य कृषि जिनो का अग्रणी उत्पादक है। तथापि वैश्विक खाद्य व्यापार में देश का लगभग 1.5% शेयर ही है। भारत का सशक्त कृषि उत्पादन आधार होने के बावजूद प्रसंस्करण स्तर काफी कम है, अर्थात् फलों और सब्जियों में लगभग 2.20%, दूध में 35%, मांस में 21%, पोल्ट्री उत्पादों में 6% जो कि यूएसए (65%), मलेशिया (83%), दक्षिण अफ्रीका (80%), थाइलैंड (30%), चीन (23%) व अन्य देशों की तुलना में काफी कम है। यह और भी अधिक महत्वपूर्ण है कि फलों और सब्जियों के प्रसंस्करण व भंडारण के अभाव के परिणामस्वरूप उत्पादन का अनुमानित क्षरण लगभग 35% और मूल्य के संदर्भ में यह लगभग 54,000 करोड़ रुपए है।

25.1.131 खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रक महत्वपूर्ण रोजगार का सृजन करता है। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रक में रोजगार सृजन संबंधी निवेश के प्रभाव अन्य औद्योगिक क्षेत्रक की तुलना में 2.5 गुणा अधिक है।

25.1.132 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग बड़ी बाधाओं का सामना करता है जैसे पर्याप्त अवसंरचनात्मक सुविधाओं की अनुपलब्धता, उद्यमियों/संस्थानों द्वारा निवेश की कमी, पर्याप्त गुणवत्ता नियंत्रण और अवसंरचना जाँच की कमी, अपर्याप्त पूर्ति चेन और कृषि उत्पादों की प्रसंस्करण योग्य किस्मों की कमी, कच्ची सामग्री की ऋतुनिष्ठता, उच्च पैकेजिंग लागत और शीघ्र सड़ना-गलना।

25.1.133 क्षेत्रक की जरूरत और अवसर दोनों पर विचार करते हुए और अपव्यय स्तरों को भी पर्याप्त रूप से कम करने के लिए एमएफपीआई ने विजन 2015 तैयार किया है जिसके अंतर्गत वर्ष 2015 तक खराब होने वाली वस्तुओं के प्रसंस्करण को वर्तमान में 6% से बढ़ाकर 20%, मूल्य वर्धन को 20% से 35% तथा वैश्विक खाद्य व्यापार हिस्से को 1.5% से 3% तक करने का प्रस्ताव है।

25.1.134 विद्यमान अवसंरचना सुविधाएं अपर्याप्त हैं तथा इनका उन्नयन व आधुनिकीकरण करने की आवश्यकता है। अवसंरचना विकास स्कीम का संशोधन किया गया है जिसमें चार मुख्य घटक होंगे नामतः मेगा फूड पार्कों की स्थापना, बूचड़ खानों का आधुनिकीकरण, एकीकृत कोल्ड चेन और मूल्यवर्धित केन्द्र। हस्तक्षेपों का प्राथमिक उद्देश्य कोर स्तर प्रसंस्करण सहित एकीकृत मूल्य चेन की स्थापना को सुकर बनाना और अपेक्षित अग्र व पश्च लिंकेजो को सहायता करना है।

25.1.135 मेगा फूड पार्कों की स्थापना का उद्देश्य किसानों, प्रसंस्करणकर्ताओं एवं खुदरा व्यापारियों को समीप लाने तथा कृषि उत्पादों को बाजार से जोड़ने का है ताकि अधिकतम मूल्य वर्धन, अपव्यय में कमी और किसानों की आय में सुधार सुनिश्चित किया जा सके। मेगा फूड पार्कों में सुपरिभाषित कृषि/बागवानी प्रसंस्करण जोन की परिकल्पना की गई है जिसमें आधार अवसंरचना सहित अति आधुनिक प्रसंस्करण सुविधाएं और सुस्थापित पूर्ति चेन हो। स्कीम के अंतर्गत, सामान्य क्षेत्रों ने परियोजना लागत का 50% और विशेष श्रेणी राज्यों में समान अवसंरचना सुविधाओं के सृजन के लिए

परियोजना लागत के 75% तक वित्तीय सहायता(सहायता अनुदान) दी जाती है जो 50 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होती है और पश्च व अग्र लिंकेजो के लिए सुविधाएं दी जाती है।

25.1.136 पूरे देश में बूचड़खानों के आधुनिकीकरण का उद्देश्य बूचड़खानों की क्षमताओं का गुणात्मक और मात्रात्मक उन्नयन करना, वैज्ञानिक व कम कष्टकर पशुवध, द्रुतशीतन, उपगामी उपचार संयंत्र, जल निकास, गौण उत्पाद उपयोग, अपेक्षित स्वच्छता दशाओं सहित पानी और बिजली हेतु सुविधाएं उपलब्ध कराना और बूचड़खानों के आधुनिकीकरण हेतु मांस के वाणिज्यिक प्रसंस्करण व घरेलू बाजारों में सम्पर्क स्थापित करना भी है। बूचड़खाने सामान्यतः स्थानीय निकायों के नियंत्रण में होते हैं और वाणिज्यिक संधारणीयता के लिए पूंजी लगाने तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी/प्रबंधन पद्धतियां उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। सामान्य क्षेत्रों और दुर्गम क्षेत्रों में प्रस्तावित सहायता की मांग 15 करोड़ रु. की सीलिंग सहित प्रति बूचड़खाने क्रमशः संयंत्र तथा मशीनरी की लागत का 50% और 75% तक बढ़ाई जाएगी।

25.1.137 खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रक में बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए इरिडिएशन सुविधाओं सहित कोल्ड चेन, मूल्य वर्धन केन्द्रों/पैकेजिंग केन्द्रों की आवश्यकता है। वैयक्तिक पहलों को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता है। मूल्य वर्धन केन्द्रों सहित एकीकृत कोल्ड चेन स्कीम के माध्यम से इन मुद्दों का समाधान किया जा रहा है। स्कीम का उद्देश्य विद्यमान कोल्ड स्टोरेज की व्यवहार्यता में सुधार करना और कोल्ड स्टोरेज क्षमताओं को भी बढ़ाना है। कोल्ड चेन सुविधाओं की स्थापना हेतु सामान्य क्षेत्रों में परियोजना लागत का 50% और दुर्गम क्षेत्रों में 75% की दर से सहायता उपलब्ध कराई जाती है जिसकी अधिकतम सीमा 10 करोड़ रुपए है। वर्ष 2008-09 के लिए अवसंरचना विकास की महत्वाकांक्षी स्कीम हेतु 100.00 करोड़ रु. का प्रावधान रखा गया है।

25.1.138 देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों पर बल देने और उनकी व्यापक कवरेज के लिए ई-पोर्टल समर्थित इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के आधार पर बैंको/वित्तीय संस्थानों के माध्यम से प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/ खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के प्रसंस्करण के आधुनिकीकरण की स्कीम को विकेंद्रीकृत किया गया है। यह स्कीम सामान्य क्षेत्रों में संयंत्र और मशीनरी की लागत व तकनीकी सिविल कार्यों का 25%, अधिकतम 50 लाख की सीमा और दुर्गम क्षेत्रों में 33% अधिकतम 75 लाख रु. उपलब्ध कराती है। वर्ष 2007-08 के दौरान, 200 प्रस्तावों पर सीधे और 181 प्रस्तावों पर ई-पोर्टल के माध्यम से विचार किया गया था। वर्ष 2007-08 के 80 करोड़ रु. के बीई के मुकाबले, वर्ष 2008-09 के लिए 100 करोड़ रु. की राशि रखी गई है।

25.1.139 राष्ट्रीय खाद्य मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, वर्तमान में विनियामक प्राधिकरण द्वारा सरकारी खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं के रूप में निकायों की स्थापना करना ही खाद्य उत्पादों की सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करने का एकमात्र रास्ता है। गुणवत्ता प्रबंधन प्रणालियों जैसे आईएसओ 9000 एचएससीसीपी आदि को विकसित और कार्यान्वित करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों से प्राप्त नमूनों का विश्लेषण करना, क्षेत्रों में प्रशिक्षण देना, गुणवत्ता मानकों के संबंध में सूचना उपलब्ध कराना, नमूनों के विश्लेषण में लगने वाले समय को कम करना और संदूषकों, कीटनाशक अवशेष इत्यादि के स्तरों पर वैज्ञानिक डाटा तैयार करना और घरेलू उद्योग, निर्यातकों, उद्यमियों, लघु व मध्यम उद्यमों, विद्यमान शैक्षणिक व अनुसंधान संस्थानों सहित पणधारियों को लाभ पहुंचाना। गुणवत्ता नियंत्रण/खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना/उन्नयन और आर एंड डी प्रोत्साहक कार्यक्रमों संबंधी स्कीम का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस स्कीम के अंतर्गत केन्द्र/राज्य सरकार के संगठन, आईआईटीज़ और विश्वविद्यालय अपेक्षित पूंजी उपस्करों की पूर्ण लागत पर सीमित

सहायता अनुदान के पात्र हैं। अन्य सभी कार्यान्वयन एजेंसियां सामान्य क्षेत्रों में अपेक्षित पूंजी उपस्करों की लागत 33% व दुर्गम क्षेत्रों में 50% तक सीमित सहायता अनुदान की पात्र हैं। वर्ष 2008-09 के लिए परिव्यय 20.00 करोड़ रु. है।

25.1.140 मानव संसाधन विकास स्कीम के सामने निम्नानुसार वित्तीय सहायता दी गई है :

- (i) खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केन्द्रों (एफपीटीसी),
- (ii) विश्वविद्यालयों में खाद्य प्रसंस्करण में डिग्री/ डिप्लोमा पाठ्यक्रम चलाने के लिए अवसंरचना के सृजन
- (iii) उद्यमशीलता विकास कार्यक्रमों (ईडीपीज़) और
- (iv) एमएफपीआई द्वारा प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों को अनुदान के माध्यम से वित्तीय सहायता की परिकल्पना की गई है। अभीष्ट परिणामों को अधिकतम बनाने के लिए विभिन्न घटकों, जो अंतर आश्रित हैं, के बीच सह क्रिया आरंभ करने का भी प्रस्ताव है। वर्ष 2008-09 के लिए 5 करोड़ रु. की राशि रखी गई है।

25.1.141 संस्थानों के सुदृढीकरण की स्कीम खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रक में मानव संसाधन विकास के लिए नए संस्थान स्थापित करने और विद्यमान संस्थागत तंत्रों के सुदृढीकरण और अंगूर, मांस, पोल्ट्री प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में विकासात्मक कार्यकलाप आरंभ करने पर भी ध्यान केन्द्रित करेगी और निम्नलिखित घटकों को कवर करेगी:

- (i) राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता व प्रबंधन संस्थान (एनआईएफटीईएम) की स्थापना।
- (ii) राष्ट्रीय वाइन बोर्ड की स्थापना,
- (iii) राष्ट्रीय मांस एवं पोल्ट्री प्रसंस्करण बोर्ड की स्थापना,
- (iv) धान प्रसंस्करण अनुसंधान केन्द्र (पीपीआरएफसी) का सुदृढीकरण,
- (v) राज्य नोडल एजेंसियों (एसएनए) का सुदृढीकरण,
- (vi) सूचना प्रौद्योगिकी,

(vii) योजना पदों के लिए वेतन और भत्तों के व्यय को पूरा करना।

25.1.142 वर्ष 2008-09 में बजट अनुमान स्तर पर 60 करोड़ रु. की राशि रखी गई है। स्ट्रीट्स(सड़क बाजारों) में खाद्य की सुरक्षा में सुधार के लिए एमएफपीआई ने उद्योग एसोसिएशनों, गैर-सरकारी संगठनों, नगर निगम निकायों इत्यादि के साथ मिलकर पहलें की हैं। स्कीम का उद्देश्य देश में 50 शहरों में गली में घूमने वाले खाद्य विक्रेताओं के गुणवत्ता उन्नयन व क्षमता निर्माण तथा देश में पर्यटक महत्व के प्रत्येक 25 शहरों में एक फूड स्ट्रीट का उन्नयन करना है। इस स्कीम में स्थानीय

प्राधिकरणों के सहयोग से गली में घूमने वाले खाद्य विक्रेताओं में क्षमता निर्माण कार्यकलापों और व्यवहार्य माइक्रो वित्त लिंकेजों तथा विनियामक तंत्रों की स्थापना की परिकल्पना की गई है। वेंडर्स की समाजार्थिक स्थिति सहित स्टोरेज, हैंडलिंग, तैयारी व प्रजेन्टेशन के संबंध में गलियों में खाद्य बिक्री की विद्यमान स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए दिल्ली, चेन्नै, कोलकाता, आगरा, मुम्बई, गुआहाटी अगरतला, बेंगलूर और जयपुर में 9 प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू की गई हैं। इन प्रायोगिक अध्ययनों के आधार पर, स्कीम तैयार की गई थी। बजट अनुमान 2008-09 में 5 करोड़ रु. की राशि रखी गई है।

संलग्नक - 25.1.1

उद्योग प्रभाग के अंतर्गत मंत्रालय/विभाग

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	स्कीम/परियोजना	11वीं योजना (2007-12) परिव्यय	वार्षिक योजना 2007-08				वार्षिक योजना 2008-09		
			जीवीएस	आईई बीआर	कुल परिव्यय	वास्तविक व्यय	जीवीएस	आईईबीआर	कुल परिव्यय
1	औद्योगिक नीति एवं प्रोत्साहन विभाग	4183.00	500.00	-	500.00	924.85	600.00	-	600.00
2	उपभोक्ता कार्य विभाग	1083.00	213.00	-	213.00	105.83	209.00	-	209.00
3	भारी उद्योग विभाग	11302.00	450.00	2035.22	2485.22	878.33	350.00	2996.63	3346.63
4	सार्वजनिक उद्यम विभाग	54.00	10.00	-	10.00	8.38	10.00	-	10.00
5	कॉरपोरेट कार्य विभाग	211.00	47.00	-	47.00	0.00	33.00	-	33.00
6	इस्पात मंत्रालय	45607.08	65.00	6137.7	6202.7	3831.03*	34.00	9509.00	9543.00
7	रसायन और पेट्रो रसायन विभाग	1960.00	209.00	35.40	244.40	167.37	295.00	-	295.00
8	उर्वरक विभाग	1492.00	45.00	394.21	439.21	273.34	200.00	1678.93	1878.93
9	कपड़ा मंत्रालय-मध्यम एवं बड़ा	11000.00	1573.00	-	1573.00	1622.84	1800.00	-	1800.00
	कुल	76892.08	3112.00	8602.53	11714.53	7811.97	3531.00	14184.56	17715.56

* जीवीएस 70 ₹ + आईईबीआर 3761.03 ₹

वीएसई प्रभाग के अंतर्गत मंत्रालय/विभाग

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	स्कीम/परियोजना	11वीं योजना (2007-12) परिव्यय	वार्षिक योजना 2007-08				वार्षिक योजना 2008-09		
			जीबीएस	आईई बीआर	कुल परिव्यय	वास्तविक व्यय	जीबीएस	आईईबी आर	कुल परिव्यय
10	कपड़ा मंत्रालय-वीएसई	3420.00	670.00		670.00	588.45	700.00		700.00
	हैण्डलूम	1370.45	315.00		315.00	292.58	340.00		340.00
	हस्तशिल्प	975.07	220.00		220.00	162.85	220.00		220.00
	रेशम-उत्पादन	472.54	110.00		110.00	110.00	115.00		115.00
	विद्युत हथकरघा	114.78	10.00		10.00	9.67	10.00		10.00
	ऊन एवं ऊनी कपड़ा	67.16	15.00		15.00	13.35	15.00		15.00
	मेगा कलस्टर	* 420.00	--		--	--	--		--
11	एमएसएमई मंत्रालय	11500.00	1642.00	48.25	1690.25	1420.07	1794.00	60.00	1854.00
	डीसी (एमएसएमई)	3750.00	490.00		490.00	396.51	540.00		540.00
	एआरई/केवीआईसी	7500.00	1112.00		1112.00	994.58	1204.00		1204.00
	एनएसआईसी/अन्य स्कीमें	250.00	40.00	48.25	88.25	29.08	50.00	60.00	110.00
12	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	4031.00	250.00		250.00	182.97	290		290
	कुल	18951.00	2562.00	48.25	2610.25	2191.49	2784.00	60.00	2844.00

* स्कीम के अनुमोदन के समय अनंतिम

संलग्नक 25.1-2

औद्योगिक नीति एवं प्रोन्नति विभाग

(करोड़ रुपये में)

सं०	नाम	11 वीं योजना	2007-08 (बीईआई)	2007-08 (वास्तविक)	2008-09 (बी.ई.)
1	औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन स्कीम (आईआईयूएस)	1050.00	180.00	116.71	180.00
2	दिल्ली मुम्बई औद्योगिक कॉरीडोर विकास कॉरपोरेशन (डीएमआईसीडीसी)	330.00	-	4.90	50.00
3	भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम	1300.00	78.00	77.99	100.00
4	तकनीकी उन्नयन (पेपर एवं अन्य)	0.00	1.00	0.00	0.00
5	पूर्वोत्तर राज्यों के लिए पैकेज	300.00	90.00	25.70	100.00
6	पूंजी निवेश सब्सिडी				
7	केन्द्रीय ब्याज सब्सिडी				
8	सीओएमपी बीमा स्कीम				
9	परिवहन सब्सिडी	1.00	1.00	619.29	1.00
10	विशेष श्रेणी राज्यों के लिए पैकेज	200.00	30.00	29.00	50.00
11	विकास केन्द्र स्कीम	10.00	5.00	0.00	5.00
12	आईपी कार्यालयों का आधुनिकीकरण	320.00	30.00	9.06	40.00
13	आईसी एवं जेवी	97.00	9.00	2.65	14.00
14	नमक आयुक्त का कार्यालय	5.00	20.60	0.21	5.00
16	विस्फोटक विभाग	12.00	2.00	1.68	3.00
17	सचिवालय/आईटी/आर्थिक सलाहकार का कार्यालय/टैरिफ आयोग	0.00	0.00	0.13	2.00
18	स्वायत्त संस्थानों को परियोजना आधारित सहायता	558.00	53.40	37.53	50.00
	कुल	4183.00	500.00	924.85	600.00

संलग्नक 25.1.3

उपभोक्ता कार्य विभाग

(करोड़ रुपये में)

सं.	स्कीम/परियोजना	11वीं योजना	2007-08 बी.ई.	2007-08 वास्तविक	2008-09 बी.ई.
1	उपभोक्ता जागरूकता - प्रचार अभियान	409.00	67.00	42.62	74.00
2	उपभोक्ता संरक्षण उपभोक्ता संरक्षण के लिए एकीकृत परियोजना - कॉन्फोनेट एनसीडीआरसी, एनसीपीए, उपभोक्ता संरक्षण सेल - राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन - राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण	88.00 34.22 37.25 25.00	33.50 10.00 6.50 5.00	42.11	24.50 8.61 13.60 7.00
3	शायदा बाजार आयोग	94.20	12.00	2.46	22.75
4	भार एवं तौल - प्रयोगशालाओं की स्थापना - अवसंरचना का सुदृढीकरण	187.00	18.00	11.76	18.00
5	राष्ट्रीय टेस्ट हाउस	88.00	25.00	5.38	13.49
6	भारतीय मानक ब्यूरो (मानक, गुणवत्ता कैम्पेन आदि की राष्ट्रीय प्रणाली)	94.83	12.00	0.50	22.26
7	उपभोक्ता शिक्षा, एचआरडी एवं प्रशिक्षण	15.00	12.00	0.00	1.37
8	गोल्ड हॉलमार्किंग	10.50	4.00	1.00	3.42
	कुल	1083.00	213.00	105.83	209.00

संलग्नक 25.1.4

भारी उद्योग विभाग

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	स्कीम/परियोजना	11वीं योजना (2007-12) परिव्यय	वार्षिक योजना 2007-08				वार्षिक योजना 2008-09		
			जीबीएस	आईईबीआर	कुल परिव्यय	प्रत्याशित व्यय	जीबीएस	आईईबीआर	कुल परिव्यय
1	ऑटोमोबाइल के लिए परीक्षण सुविधाएं	1418	200.00	0.00	200.00	0.00	125.00	0.00	125.00
2	सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यम की पुर्नसंरचना तथा सीपीएसईज / स्वायत्त संस्थानों को परियोजना आधारित सहायता	8962	203.59	2035.22	2238.81	861.23	191.29	2996.63	3187.92
3	पूजी माल क्षेत्रक के लिए आधुनिकीकरण निधि	300	20.00	0.00	20.00	1.13	24.00	0.00	24.00
4	ए.एम.आर. के लिए एकमुश्त प्रावधान	50	25.00	0.00	25.00	14.81	5.00	0.00	5.00
5	व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएं	10	-	-	-	1.15	3.00	0.00	3.00
6	कोयला गैसीकरण परियोजना	558	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01
7	सचिवालय, आर्थिक सेवाएं	4	1.40	0.00	1.40	0.00	1.70	0.00	1.70
	कुल	11302	450.00	2035.22	2485.22	878.33	350.00	2996.63	3346.63

संलग्नक 25.1.5

सार्वजनिक उद्यम विभाग

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	स्कीम/परियोजना	11वीं योजना (2007-12) परिव्यय	वार्षिक योजना 2007-08				वार्षिक योजना 2008-09		
			जीबीएस	आईई बीआर	कुल परिव्यय	प्रत्याशित व्यय	जीबीएस	आईईबीआर	कुल परिव्यय
1.	केन्द्रीय पीएसयूज+ आईटी निधियों के सुव्यवस्थित कर्मचारियों की कांउसलिंग प्रतिधारण एवं तैनाती	54.00	10.00	-	10.00	8.38	10.00	0.00	10.00
	कुल	54.00	10.00	-	10.00	8.38	10.00	0.00	10.00

संलग्नक 25.1.6

कॉरपोरेट कार्य विभाग

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	स्कीम/परियोजना	11वीं योजना (2007-12) परिव्यय	वार्षिक योजना 2007-08				वार्षिक योजना 2008-09		
			जीबीएस	आईई बीआर	कुल परिव्यय	प्रत्याशित व्यय	जीबीएस	आईईबीआर	कुल परिव्यय
1.	भारतीय कॉरपोरेट कार्य संस्थान की स्थापना (आईआईसीए)	211.00	47.00		47.00	0.00	33.00	0.00	33.00
	कुल	211.00	47.00		47.00	0.00	33.00	0.00	33.00

संलग्नक 25.1.7

इस्पात मंत्रालय

(करोड़ रुपये में)

सं.	नाम	11वीं योजना (2007-12) परिव्यय			2007-08 ब.अ.			2007-08 वास्तविक		
		बीएस	आईईबीआर	कुल	बीएस	आईईबीआर	कुल	बीएस	आईईबीआर	कुल
1	भारतीय इस्पात प्राधिकरण (सेल)	0.00	27409.00	27409.00	0.00	2641.00	2641.00	0.00	2181.00	2181.00
2	राष्ट्रीय इस्पात निगम लि० (आरआईएनएल)	0.00	9569.18	9569.18	0.00	3056.70	3056.70	0.00	1309.18	1309.18
3	भारत रेफ्रेटरीज लि० (बीआरएल)	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	7.00	0.00	7.00
4	फेरो स्क्रेप निगम लि० (एफएसएनएल)	0.00	60.00	60.00	0.00	12.00	12.00	0.00	13.20	13.20
5	मेकॉन लि०	63.00	9.00	72.00	63.00	3.00	66.00	63.00	0.00	63.00
6	एमएसटीसी लि०	0.00	30.00	30.00	0.00	5.00	5.00	0.00	6.54	6.54
7	हिन्दुस्तान इस्पात कार्य निर्माण लि० (एचएससीएल)	35.00	0.00	35.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
8	स्पन्ज आयरन इंडिया लि० (एसआईआईएल)	0.00	25.00	25.00	0.00	5.00	5.00	0.00	3.32	3.32
9	आर एंड डी स्कीमें	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	उप-जोड़	216	37102.18	37328.18	65.00	5722.70	5787.70	70.00	3513.24	3583.24
	खनिज क्षेत्रक									
10	एनएमडीसी लि०	0.00	7147.00	7147.00	0.00	250.00	250.00	0.00	134.34	134.34
11	केआईओसीएल लि०	0.00	650.00	650.00	0.00	75.00	75.00	0.00	7.25	7.25
12	मैंगनीज अयस्क (भारत) लि० (एमओआईएल)	0.00	342.90	342.90	0.00	65.00	65.00	0.00	90.85	90.85
13	कंपनियों का बर्ड ग्रूप	1.00	148.00	149.00	0.00	25.00	25.00	0.00	15.35	15.35
	उप-जोड़	1.00	8287.90	8288.90	0.00	415.00	415.00	0.00	247.79	247.79
	कुल जोड़	217.00	45390.08	45607.08	65.00	6137.70	6202.70	70.00	3761.03	3831.03

जारी....

संलग्नक 25.1.7 ए

इस्पात मंत्रालय

(करोड़ रुपये में)

सं.	नाम	2007-08 ब.अ.			2007-08 सं. अ.		
		बीएस	आईईबीआर	कुल	बीएस	आईईबीआर	कुल
1	भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० (सेल)	0.00	4674.00	4674.00	0.00	4674.00	4674.00
2	राष्ट्रीय इस्पात निगम लि० (आरआईएनएल)	0.00	4166.00	4166.00	0.00	2815.50	2815.50
3	भारत रेफरैक्टरीज लि० (बीआरएल)	8.00	0.00	8.00	0.01	8.00	8.01
4	फेरो स्क्रेप निगम लि० (एफएसएनएल)	0.00	11.80	11.80	0.00	11.80	11.80
5	मेकॉन लि०	0.00	0.00	0.00	0.00	16.92	16.92
6	एमएसटीसी लि०	0.00	5.00	5.00	0.00	11.00	11.00
7	हिन्दुस्तान इस्पात कार्य निर्माण लि० (एचएससीएल)	6.50	0.00	6.50	6.50	0.00	6.50
8	स्पन्ज आयरन इंडिया लि० (एसआईआइएल)	0.00	5.00	5.00	0.00	1.04	1.04
9	आर एंड डी स्कीमें	18.50	0.00	18.50	18.49	0.00	18.49
	उप-जोड़	33.00	8861.80	8894.80	25.00	7538.26	7563.26
	खनिज क्षेत्रक						
10	एनएमडीसी लि०	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00
11	केआईओसीएल लि०	0.00	100.00	100.00	0.00	40.00	40.00
12	मैंगनीज अयस्क (भारत) लि० (एमओआईएल)	0.00	117.20	117.20	0.00	84.90	84.90
13	कंपनियों का बर्ड ग्रूप	1.00	30.00	31.00	1.00	2.66	3.66
	उप-जोड़	1.00	647.20	648.20	1.00	528.56	529.56
	कुल जोड़	34.00	9509.00	9543.00	26.00	8065.82	8091.82

रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	स्कीम/परियोजना	11वीं योजना (2007-12) परिव्यय	वार्षिक योजना 2007-08				वार्षिक योजना 2008-09		
			जीबीएस	आईई बीआर	कुल परिव्यय	वास्तविक व्यय	जीबीएस	आईईबीआर	कुल परिव्यय
1	परियोजना आधार पर मौजूदा पीएसयूज को सहायता	360.00	30.01	35.40	65.41	52.17*	30.00	-	30.00
2	परियोजना आधार पर मौजूदा स्वायत्त निकायों को सहायता	187.00	93.67	-	93.67	64.81	46.50	-	46.50
3	असम गैस	200.00	60.52	-	60.52	19.53	100.00	-	100.00
4	रसायन प्रोत्साहन एवं विकास स्कीम (सीपीडीएस)	15.00	3.10	-	3.10	1.89	2.00	-	2.00
5	केमिकल वैपन कंवैशन (सीडब्ल्यूसी)	4.00	0.40	-	0.40	0.40	0.50	-	0.50
6	सचिवालय/आईटी	1.00	2.00	-	2.00	0.45	0.50	-	0.50
7	नई स्कीमें	1188.00	19.30	-	19.30	7.20	115.50	-	115.50
	कुल	1960.00	209.00	35.40	244.40	167.37	295.00	-	295.00

* पीएसयूज द्वारा 2007-08 में कोई आईईबीआर तैयार नहीं किया।

संलग्नक 251.8 ए

रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग

(करोड़ रुपये में)

	स्कीमें/कार्यक्रम	2007-08 अनुमोदित परिव्यय/व्यय				2008-09 ब. अ.		
		जीबीएस	आईई बीआर	कुल	वास्तविक	जीबीएस	आईई बीआर	कुल
1	परियोजना आधार पर पीएसयूज को सहायता	30.01	35.40	65.41	52.17	30.00	6.68	36.68
2	परियोजना आधार पर स्वायत्त संस्थानों को सहायता							
2.1	सीआईपीईटी	27.25	0.00	27.25	28.11	15.00	0.00	15.00
2.2	आईपीएफटी	5.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	5.00
2.3	एनआईपीईआर	8.66	0.00	8.66	33.85	25.00	0.00	25.00
2.4	एनपीपीए	1.50	0.00	1.50	0.85	1.50	0.00	1.50
	उप जोड़ स्वायत्त संस्थान	42.41	0.00	42.41	67.81	46.50	0.00	46.50
3	अन्य चालू स्कीमें							
3.1	असम गैस क्रैकर परियोजना	60.52	0.00	60.52	37.43	100.00	0.00	100.00
3.2	फार्मा एवं रसायन प्रोत्साहन एवं विकास स्कीम (पीसीपीडीएस)	3.10	0.00	3.10	1.91	2.00	0.00	2.00
3.3	केमीकल वेपन कंवेन्शन (सीडब्ल्यूसी)	0.40	0.00	0.40	0.40	0.50	0.00	0.50
3.4	आईटी/सचिवालय	0.00	0.00	0.00	0.45	0.50	0.00	0.50
	उपजोड़ चालू स्कीमें	64.02	0.00	64.02	40.19	103.00	0.00	103.00
4	पेट्रोलियम की नई स्कीमें (11वीं योजना में शुरू)							
4.1	सीआईपीईटी की नई स्कीमें	11.26	0.00	11.26	3.00	16.00	0.00	16.00
4.2	पेट्रोरसायन की अन्य नई स्कीमें	5.25	0.00	5.25	3.00	2.00	0.00	2.00
	उप जोड़- पेट्रोरसायनों के लिए नई स्कीमें	16.51	0.00	16.51	6.00	18.00	0.00	18.00
5	औषध विज्ञान की नई स्कीमें (11वीं योजना में शुरू)							
5.1	एनआईपीईआर के लिए नई स्कीमें, मोहाली	20.00	0.00	20.00	*	15.00	0.00	15.00
5.2	नई एनआईपीईआर जैसी संस्थाएं	10.00	0.00	10.00	*	35.00	0.00	35.00
5.3	एम अनुकालिन सूची हेतु ब्याज सब्सिडी	15.00	0.00	15.00	0.00	27.00	0.00	27.00
5.4	एनपीपीए का सुदृढीकरण	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00
5.5	फार्माएक्सिल में आईपीआर सरलीकरण केन्द्र का निर्माण	0.01	0.00	0.01	0.20	0.50	0.00	0.50
5.6	ईआरपी, आर एंड डी पार्क	0.01	0.00	0.01	1.00	0.00	0.00	0.00
5.7	औषधीय पीएसयूज/आर एंड डी हेतु डब्ल्यूएचओ पूर्वअर्हता के लिए	0.01	0.00	0.01	0.00	10.00	0.00	10.00

स्कीमें/कार्यक्रम	2007-08 अनुमोदित परिव्यय/व्यय				2008-09 ब. अ.		
	जीबीएस	आईई बीआर	कुल	वास्तविक	जीबीएस	आईई बीआर	कुल
महत्वपूर्ण सहायता							
उप जोड़- औषध विज्ञान के लिए नई स्कीमें	56.05	0.00	56.05	1.20	97.50	0.00	97.50
कुल	209.0	35.40	244.40	167.37	295.00	6.68	301.68

* नई स्कीमों के संबंध में वास्तविक वित्तीय व्यय, चालू स्कीमों में शामिल किया गया।

@ जबसे दो विभागों पेट्रोरेसायन विभाग तथा औषध विज्ञान विभाग में विभक्त हुआ।

संलग्नक 25.1.9

उर्वरक विभाग

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	सीपीएसयू	वार्षिक योजना 2007-08					वार्षिक योजना 2008-09			
		परिव्यय	जीबीएस	(ब.अ.)		वास्तविक व्यय	(ब.अ.)			प्रत्याशित
				आईईवी आर	कुल		जीबीएस	आईईवी आर	कुल	
1	परियोजना आधार पर मौजूदा पीएसयूज को सहायता									
1.1	राष्ट्रीय रसायन एवं उर्वरक लि० (आरसीएफ)			253.24	253.24	118.57		812.43	812.43	469.06
1.2	भारतीय एफसीआई अरावली जिप्सम एवं खनिज लि० (एफएजीएमआईएल)			3.23	3.23	3.23		22.40	22.40	22.40
1.3	भारतीय परियोजना एवं विकास लि० (पीडीआईएल)			6.74	6.74	4.77		4.85	4.85	4.65
1.4	राष्ट्रीय उर्वरक लि० (एनएफएल)			25.00	25.00	22.04		154.25	154.25	48.05
1.5	ब्रह्मपुत्र घाटी उर्वरक कॉरपोरेशन लि० (बीवीएफसीएल)	607.00	4.50		4.50	7.47	20.00		20.00	20.00
1.6	उर्वरक एवं रसायन त्रावणकोर लि० (एफएसीटी)		15.00		15.00	15.00	13.00		13.00	13.00
1.7	मद्रास उर्वरक लि० (एमएफएल)		9.00		9.00	9.00	12.97		12.97	12.97
1.8	रूग्ण पीएसयूज का पुनरुद्धार (एफसीआईएल, एचएफसीएल एवं पीपीसीएल)		3.00		3.00	0.03	0.03		0.03	
1.9	4 मौजूदा एफओ/एलएसएचएस प्लांट को एनजी/आरएलएनजी में बदलने के लिए पूंजी सस्बिडी	885.00	5.00		5.00	5.00	150.00		150.00	0.01
	उप-जोड़	1492.00	36.50	288.21	324.71	185.11	196.00	993.93	1189.93	590.14

क्र. सं.	सीपीएसयू	वार्षिक योजना 2007-08					वार्षिक योजना 2008-09			
		परिव्यय	(ब.अ.)			वास्तविक व्यय	(ब.अ.)			प्रत्याशित
			जीवीएस	आईईवी आर	कुल		जीवीएस	आईईवी आर	कुल	
2	परियोजना आधार पर मौजूदा सहकारिताओं को सहायता									
	केआरआईबीएचसीओ			106.00	106.00	79.73		685.00	685.00	105.00
3	विविध स्कीमें (एस एंड टी एवं प्रबंधन एवं सूचना प्रौद्योगिकी)		8.50		8.50	8.50	4.00		4.00	4.00
	कुल	1492.00	45.00	394.21	439.21	273.34	200.00	1678.93	1878.93	699.14

संलग्नक 25.1.10

कपड़ा मंत्रालय

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	स्कीम/परियोजना	11वीं योजना (2007-12) परिव्यय	वार्षिक योजना 2007-08			वार्षिक योजना 2008-09	
			जीबीएस	कुल परिव्यय	प्रत्याशित व्यय	जीबीएस	कुल परिव्यय
क. ग्राम एवं लघु उद्योग							
1.	हैण्डलूम	1370.45	315.00	315.00	292.58	340.00	340.00
2.	हस्तशिल्प	975.07	220.00	220.00	162.85	220.00	220.00
3.	रेशम उत्पादन	472.54	110.00	110.00	110.00	115.00	115.00
4.	बिजली करघा	114.78	10.00	10.00	9.67	10.00	10.00
5.	ऊन एवं ऊनी कपड़ा	67.16	15.00	15.00	13.35	15.00	15.00
उप जोड़		3000.00	670.00	670.00	588.45	700.00	700.00
मेगा कलस्टर (नई स्कीम)		420.00	--	--	--	--	--
कुल		3420.00	670.00	670.00	588.45	700.00	700.00
ख. बड़ा एवं मध्यम उद्योग							
6.	एनआईएफटी	50.00	20.00	20.00	9.00	32.25	32.25
7.	एनसीजेडी	-	-	-	-	-	-
8.	जेएमडीसी	-	-	-	-	-	-
9.	टीआरए(ऑ) सहित आर एंड डी	10.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
10	निर्यात प्रोन्नत अध्ययन	5.00	1.00	1.00	0.66	1.00	1.00
11	कॉटन प्रौद्योगिकी मिशन	241.00	60.00	60.00	50.00	60.00	60.00
12	आर्थिक सेवा सचिवालय	-	-	-	-	-	-
13	परिधान पार्क	-	-	-	-	-	-
14	अवसंरचना विकास	-	-	-	-	-	-
15	एकीकृत वस्त्र पार्क हेतु स्कीम (एसआईटीपी)	2000.00	450.00	450.00	371.17	450.00	450.00
16	तकनीकी टेक्सटाइल	96.00	1.00	1.00	1.00	13.00	13.00
17	एसजेडीएफ	-	-	-	-	-	-
18	टीयूएफएस	8000.00	945.00	945.00	1142.33	1140.00	1140.00
19	जूट प्रौद्योगिकी मिशन	356.00	80.00	80.00	37.50	80.00	80.00
20	एसवीआईटीएम, कोयम्बटूर	13.00	5.00	5.00	9.18	5.25	5.25
21	ब्रांड उन्नयन स्कीम		5.00	5.00	0.00		
22	विदेशी निवेश प्रोन्नत स्कीम (एफडीआई स्रोत)		0.50	0.50	0.00		
23	टेकस्टीपोलीस		0.50	0.50	0.00		
24	फैशन हब		1.00	1.00	0.00		
25	सामान्य अनुवृत्ति कोड		1.00	1.00	0.00		
26	मानव संसाधन विकास		0.50	0.50	0.00		

क्र. सं.	स्कीम/परियोजना	11वीं योजना (2007-12) परिव्यय	वार्षिक योजना 2007-08			वार्षिक योजना 2008-09	
			जीबीएस	कुल परिव्यय	प्रत्याशित व्यय	जीबीएस	कुल परिव्यय
27	वस्त्र इंजीनियरी उद्योग	229.00	0.50	0.50	0.00	16.50	16.50
	उप जोड़ ख	11000.00	1573.00	1573.00	1622.84	1800.00	1800.00
	कुल (क + ख)	14420.00	2243.00	2243.00		2500.00	2500.00

संलग्नक 25.1.10 ए

कपड़ा मंत्रालय (उपभोक्ता उद्योग) : परिव्यय एवं व्यय

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	परियोजनाएं/स्कीमें	11वीं योजना (2007-12)	वार्षिक योजना 2007-08		वार्षिक योजना 2008-09		
			ब.अ.	वास्तविक	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक व्यय 12.01.2009
1	निफ्ट	50	20	9	32.25	38.25	11.76
2	प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि स्कीम (टीयूएफएस)	8000	945	1142.33	1140	2844.9	1060.52
3	एकीकृत वस्त्र पार्क संबंधी स्कीम	2000	450	371.17	450	305	169.83
4	जूट प्रौद्योगिकी मिशन (जेटीएम)	356	80	37.5	80	80	30.09
5	कॉटन प्रौद्योगिकी मिशन (सीटीएम)	241	60	50	60	60	50
6	तकनीकी वस्त्र	96	1	1	13	13.00	12.17
7	अन्य (टीआरएज, एसवीआईपीटीएम एवं आयात प्रोन्नत अध्ययन सहित आर एंड डी)	28	8	11.84	8.25	8.25	2.31
8	नई स्कीमें (i) विदेशी निवेश प्रोन्नत सेल (एफडीआई सेल) (ii) ब्रांड प्रोन्नत स्कीम (iii) सामान्य अनुवृत्ति कोड (iv) टेक्सटीपोलिस (v) फैशन हब की स्थापना एवं (vi) एचआरडी	229	9	0	16.5	16.5	0
कुल		11000	1573	1622.84	1800	3365.9	1336.68

कपड़ा-ग्राम एवं लघु उद्यम

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	2007-08		2008-09	
		ब. अ.	वास्तविक व्यय	ब.अ.	व्यय/सं.अ.
हैण्डलूम					
1	एकीकृत हैण्डलूम विकास स्कीम	120.00	110.50	125.00	108.98
2	बुनकर व्यापक कल्याण स्कीम (बीमा)	130.00	126.09	120.00	124.87
3	विपणन एवं आयात प्रोन्नत स्कीम	35.00	23.42	50.00	45.00
4	मिल गेट कीमत स्कीम	15.00	23.50	25.00	29.59
5	विविधीकरण हैण्डलूम विकास स्कीम	15.00	9.07	20.00	16.00
	उप जोड़	315.00	292.58	340.00	324.44
हस्तशिल्प					
1	बाबा साहेब अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना	44.00	34.19	60.09	53.89
2	डिजाइन एवं तकनीकी उन्नयन	11.00	10.35	14.00	16.00
3	विपणन सहायता एवं सेवाएं	42.00	34.40	52.46	48.46
4	अनुसंधान एवं विकास	6.00	2.03	9.13	8.18
5	मानव संसाधन विकास	6.00	4.64	6.22	5.72
6	जम्मू एवं कश्मीर के लिए एकीकृत विकास पैकेज	5.00	4.04	-	
7	हस्तशिल्प कारीगर व्यापक कल्याण स्कीम	96.00	71.17	71.60	83.24
8	अवसंरचना/पूंजी	10.00	2.03	4.50	4.50
	उप-जोड़	220.00	162.85	220.00	219.99
रेशम उत्पादन					
1	अनुसंधान एवं विकास प्रशिक्षण एवं आईटी पहलें	13.88	16.06	20.71	23.07
2	बीज संगठन/एचआरडी	13.08	11.30	16.11	13.75
3	गुणवत्ता प्रमाणीकरण प्रणाली	2.03	1.82	1.45	1.45
4	उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम	81.01	80.82	76.73	76.73
	उप जोड़	110.00	110.00	115.00	115.00
ऊन एवं ऊनी वस्त्र					
1(क)	1.1 भेड़ एवं ऊन सुधार स्कीम	4.570	4.570	9.59	12.50
	1.2 अंगोरा ऊन विकास स्कीम	0.139	0.139	0.69	
	1.3 पश्मीना ऊन विकास स्कीम	0.151	0.151	0.41	
	मानव संसाधन विकास एवं प्रोत्साहन कार्यक्रम	1.14	1.140	1.81	
1(ख)	2.1 एकीकृत ऊन प्रक्रिया के लिए सीएफसी (पूर्व-करघा)	3.35		1.00	1.00
	2.2 ऊन की गुणवत्ता प्रक्रिया (पश्च-करघा क्रियाकलाप)	1.65	3.350		

3	3.1 भेड़ प्रजनक बीमा स्कीम	2.00	2.00		
	3.2 भेड़ बीम स्कीम	2.00	2.00	1.50	1.50
	उप-जोड़ (1 + 2 + 3)	15.00	13.35	15.00	15.00
विद्युत करघा					
1	विद्युत करघा कामगारों के लिए समूह बीमा स्कीम	0.99	0.974	1.100	1.40
2.	आधुनिक वर्ग कार्य शेड स्कीम	1.125	1.125	0.865	0.865
3.	विद्युत करघा सेवा केन्द्र आदि का आधुनिकीकरण एवं उन्नयन	7.885	7.571	8.035	8.331
4.	एकीकृत विद्युत करघा कलस्टर विकास स्कीम एवं समूह कार्य शेड स्कीम	----			
	उप-जोड़	10.00	9.67	10.00	10.60
	मौजूदा स्कीमों की तुलना में जोड़	670.00	588.45	700.00	685.03
	मेगा कलस्टर का विकास (2008-09 में नई स्कीम शुरू हुआ)	--	--	0.00	1.30
	कुल				686.33

संलग्नक 25.11.12

एम.एस.एम.ई. मंत्रालय

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	उद्योग/ क्षेत्रक	11वीं योजना 2007-12	वार्षिक योजना 2007-08				वार्षिक योजना 2008-09			
			बीएस	आईईबीआर	बजट परिव्यय	वास्तविक व्यय	बीएस	आईईबीआर	बजट परिव्यय	प्रत्याशित व्यय
1	डीसी (एमएसएमई)	3750.00	490.00	00	490.00	396.51	540.00	00	540.00	460.00
2	एनएसआईसी	134.00	20.00	48.25	68.25	20.00	23.00	60.00	83.00	19.81
3	अन्य स्कीम	116.00	20.00	00	20.00	9.08	27.00	00	27.00	25.94
	उप-जोड़ (2 + 3)	250.00	40.00	48.25	88.25	29.08	50.00	60.00	110.00	502.86
4	केवीआईसी	1591.48	708.00	-	708.00	622.99	1125.00	-	1125.0	-
5	आरईजीपी/पीएमईजीपी	3250.00		-				-		1172.49
6	पीएमआरवाई	2290.00	320.00	-	320.00	318.78	-	-	-	-
7	एमजीआईआरआई की स्थापना	16.33	3.00	-	3.00	1.80	3.00	-	3.00	-
8	कोयर बोर्ड	282.41	55.00	-	55.00	35.70	55.00	-	55.00	-
9	स्फूर्ति	69.78	26.00	-	26.00	15.31	21.00	-	21.00	-
	उप-जोड़ (4..9)	7500.00	1112.00	48.25	1112.00	994.58	1204.00	60.00	1204	1172.49
	कुल जोड़	11500.0	1642.00	48.25	1690.25	1420.07	1794.00	60.00	1854.0	1678.24

अगस्त 2008 में पीएमआरवाई एवं आरईजीपी का आमेलन करके पीएमईजीपी शुरू किया गया तथा 2008-09 में प्रत्याशित व्यय में पीएमईजीपी संबंधी 823 करोड़ रुपये शामिल है।

संलग्नक 25.1.13

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

(करोड़ रुपये में)

स्कीम	11वीं योजना	वार्षिक योजना 2008-09	2007-08				2008-09		
	2007-12	जीबीएस	आईईबीआर	कुल	व्यय	जीबीएस	आईईबीआर	कुल	व्यय/सं.अ.
1. अवसंरचना विकास	2613.00	100.00		100.00	14.79	100.00		100.00	49.00
2. प्रौद्योगिकी उन्नयन, स्था. एवं एफपीआई का आधुनिकीकरण	600.00	80.00		80.00	119.36	100.00		100.00	100.00
3. स्ट्रीट फूड की गुणवत्ता में सुधार	178.00	1.00		1.00	0.72	5.00		5.00	6.20
4. गुणवत्ता आश्वासन, कोडेक्स, मानक एवं आर एंड डी	250.00	20.00		20.00	16.73	20.00		20.00	25.00
6. एनआईएफटीईएम संस्थानों का सुदृढीकरण	325.00	39.00		39.00	9.51	60.00		60.00	56.00
कुल	4031.00	250.00		250.00	182.97	290.00		290.00	242.00

25.2 खनिज

सिंहावलोकन

25.2.1 ठोस आर्थिक विकास होने के साथ ही हाल के वर्षों में धातु और खनिज की मांग में कई गुणा वृद्धि हुई है। इससे घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों मूल्यों में लगातार वृद्धि हो रही है। यद्यपि लौह अयस्क, बॉक्साइट, टाइटेनियम खनिज, लाइम स्टोन, डोलोमाइट, मँगनीज अयस्क, क्रोमाइट, वेराइट्स तथा माइका और अन्य खनिज समूह के संसाधनों के मामले में भारत की स्थिति ठीक है, किन्तु सोने, हीरे, कॉपर अयस्क और चट्टान फास्फेट आदि जैसे खनिजों के मामले में ज्ञात संसाधन कम हैं। इन खनिजों के आयात से विदेशी विनिमय का प्रचुर मात्रा में निवकासन होता है। अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करके इन खनिजों की खनिज सम्पत्ति सूची को बढ़ाने हेतु खनिज अन्वेषण की गतिविधियों को तेज करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त यह समान रूप से आवश्यक है कि खनिज क्षेत्रक के विकास में अवरोधों की पहचान की जाए तथा उपयुक्त कदम उठाए जाए।

वार्षिक योजना 2007-08 की समीक्षा

25.2.2 अब तक समग्र रूझान पर आधारित वर्ष 2007-08 के लिए खनिज उत्पादन का सूचकांक (आधारवर्ष 1993-94 = 100) वर्ष 2006-07 के 163.21 की तुलना में 4.4 प्रतिशत का सकारात्मक वृद्धि दर्ज करते हुए 170.39 होने की संभावना है। वर्ष 2007-08 के दौरान खनिज उत्पादन का कुल मूल्य (एटामिक खनिज को छोड़कर) 99533.10 करोड़ रुपये होने का अनुमान है जो कि गत वर्ष की तुलना में लगभग 9.0 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। वर्ष 2007-08 के दौरान ईंधन खनिज का अनंतिम मूल्य 68229.40 करोड़ रुपये (कुल मूल्य का 69 प्रतिशत) धातु खनिजों का 19,755.66 करोड़ रुपये (कुल मूल्य का 20 प्रतिशत) तथा अधातु खनिजों (लघु खनिजों सहित) का मूल्य 11,548.04 करोड़ रुपये (कुल मूल्य का 11 प्रतिशत) होगा।

25.2.3 केन्द्रीय मंत्रिमंडल के निर्देशों के अनुसार खान मंत्रालय ने भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण की कार्यप्रणाली की पूरी तरह समीक्षा करने तथा उभरती हुई चुनौतियों का सामना करने के लिए इसकी भूमिका को पुनः परिभाषित करने हेतु अपर सचिव, खान मंत्रालय की अध्यक्षता में 7 जनवरी, 2008 को एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है।

25.2.4 राष्ट्रीय खनिज नीति की व्यापक समीक्षा तथा देश में खनन हेतु निवेश परिवेश में और सुधार करने के लिए योजना आयोग ने सदस्य (उद्योग) योजना आयोग की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है। उच्च स्तरीय समिति ने 19 जुलाई, 2006 को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है जिसमें राष्ट्रीय खनिज नीति में परिवर्तन संबंधी सिफारिशें दी गई हैं जिससे कि इसे विश्व अर्थव्यवस्था की वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जा सके, सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में अपनाए गए खनन कोड के अनुरूप एक खनन कोड बनाना, खनिज राहत अनुदान में विलम्ब कम करने हेतु प्रक्रिया को सुचारु एवं सरल बनाना, खनन कार्यकलापों हेतु अवसंरचना सुदृढ़ करना तथा खनन क्षेत्रक को पर्यावरण सुधार हेतु अन्य मुद्दों संबंधी सिफारिशें शामिल हैं। उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर तथा राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ विचार विमर्श के पश्चात् सरकार ने एक नई राष्ट्रीय खनिज नीति 2008 का अनुमोदन कर दिया है।

25.2.5 रॉयल्टी और डेड रेंट की दरों की समीक्षा करने के क्रम में प्रमुख खनिजों (कोयला, लघु खनिज, लिग्नाइट और स्टॉईंग के लिए मिट्टी को छोड़कर) की रॉयल्टी एवं डेड रेंट की दरों का पुनरीक्षण करने तथा सरकार को उपयुक्त सिफारिशें करने के लिए खान मंत्रालय ने 24.8.2006 को एक अध्ययन समूह का गठन किया था। अध्ययन समूह ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है। केन्द्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों के

परामर्श से रिपोर्ट की जांच कर ली गई है तथा प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

25.2.6 अवैध खनन रोकने के लिए खान मंत्रालय ने राज्य सरकारों के साथ मुद्दे की समीक्षा की है तथा अवैध खनन रोकने के लिए 20 राज्य सरकारों ने कार्यबलों का गठन किया है। इसके अतिरिक्त अवैध खनन यातायात की रोकथाम एवं खनिज के भण्डारण के लिए 16 राज्यों ने एमएमडीआर अधिनियम 1957 की धारा 23 सी के अंतर्गत नियम बनाया है तथा राजपत्र में अधिसूचित किया है।

25.2.7 खनन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत संगठनों/सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों के भौतिक तथा वित्तीय निष्पादन का मानीटरण शून्य आधार बजटिंग पर आधारित वार्षिक योजना वर्ष 2007-08 के दौरान अर्द्धवार्षिक निष्पादन समीक्षा (एचपीआर) मीटिंगों के माध्यम से योजना आयोग द्वारा किया गया।

25.2.8 योजना आयोग में खान मंत्रालय के मामले में शून्य आधार बजटिंग पर कार्य शुरू किया गया तथा दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) के दौरान शुरू की गई सात स्कीमों को वार्षिक योजना 2007-08 के लिए 6 स्कीमों के समूह में रखा गया।

25.2.9 सर्वेक्षण परमिट की अवधारणा 1999 में प्रारम्भ की गई थी और तब से 31.12.2007 तक 3,62,217.322 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करने के लिए 263 सर्वेक्षण परमिट को अनुमोदन दिया जा चुका है, वर्ष 2007-08 में 76482.58 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के लिए 56 सर्वेक्षण परमितों को अनुमोदित किया गया जो क्षेत्रक के नीतिगत उपायों के प्रति उत्साहजनक संकेत को दर्शाता है।

25.2.10 दिनांक 03.05.2007 से 62 प्रतिशत तथा इससे अधिक एफई वाले लौह अयस्क फाईन्स तथा सभी प्रकार के लौह अयस्क के निर्यात पर प्रतिटन 300 रुपये तथा 62 प्रतिशत से नीचे एफई वाले

लौह अयस्क फाईन्स के लिए 50 रुपये प्रति टन का निर्यात शुल्क लगाया गया है। जून, 2008 में सभी श्रेणी के लौह अयस्क के निर्यात पर 15 प्रतिशत का मूल्यानुसार शुल्क लगाया गया है।

25.2.11 केन्द्रीय बजट 2007-08 में क्रोम अयस्क पर भी 2000 रुपये प्रति टन का निर्यात शुल्क शुरू किया गया जिसे बढ़ाकर केन्द्रीय बजट 2008-09 में 3000 रुपये प्रतिटन कर दिया गया है जिससे कि उसे भारत में मूल्य संवर्धन निर्माण के लिए संरक्षित एवं उपलब्ध कराया जा सके।

उप-क्षेत्रकीय रूपरेखा

25.2.12 वार्षिक योजना 2007-08 के दौरान विभिन्न लौह और अलौह धातुओं का वास्तविक निष्पादन संलग्नक 25.2.1 में दर्शाया गया है। उप क्षेत्रक वार संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है -

लौह अयस्क

25.2.13 भारत में हीमाटाइट एवं मैग्नेटाइट अत्यधिक महत्वपूर्ण लौह अयस्क है। पूर्वी क्षेत्र में लगभग 60 प्रतिशत हीमाटाइट अयस्क डिपाजिट्स पाए जाते हैं। दक्षिणी क्षेत्र में, विशेष रूप से कर्नाटक में लगभग 80 प्रतिशत मैग्नेटाइट अयस्क डिपाजिट्स पाए जाते हैं। यूएनएफसी प्रणाली के अनुसार 01.04.2005 की स्थिति के अनुसार, भारत में हैमेटाइट के 14630 मिलियन टन हैं और मैग्नेटाइट अयस्क के 10619 मिलियन टन रिजर्व और संसाधन हैं। पश्चिमी घाटों के जैवविविधता वाले क्षेत्र का लगभग संपूर्ण मैग्नेटाइट संसाधन अभी खनन के लिए उपलब्ध नहीं है, क्योंकि पर्यावरणीय संरक्षण के कारणों हेतु उच्चतम न्यायालय ने प्रतिबंध लगाया हुआ है। हैमेटाइट संसाधनों में, 65 प्रतिशत लौह अयस्क से अधिक उच्च गुणवत्ता वाले रिजर्व संसाधन लगभग 1.30 बिलियन टन के लिए ही हैं। विवरण तालिका 25.2.1 और 25.2.2 में दिया गया है।

तालिका : 25.2.1 लौह अयस्क उपलब्धता हीमाटाइट
1.4.2005 की स्थिति

(मात्रा मिलियन टन में)

श्रेणी (ग्रेड)	रिजर्व	शेष संसाधन	कुल
उच्च ग्रेड (एफई +65%)	1304.3	629.03	1933.33
मध्यम ग्रेड (एफई 62-65%)	3544.03	3062.02	6606.05
मध्यम ग्रेड (एफई 62% से नीचे एफई)	1989.75	1686.94	3676.69
अवर्गीकृत	159.23	743.67	902.90
काला लौह अयस्क	2.52	12.72	15.24
अन्य	1.62	5.05	6.67
अवर्गीकृत	1.98	0	1.98
ज्ञात नहीं	0.73	1486.79	1487.52
कुल योग	7004.17	7626.22	14630.39

(स्रोत : भारतीय खान ब्यूरो)

तालिका : 25.2.2 लौह अयस्क उपलब्धता मैग्नेटाइट
1.4.2005 की स्थिति

(मात्रा मिलियन टन में)

श्रेणी (ग्रेड)	रिजर्व	शेष संसाधन	कुल
मेटलर्जिकल	0.67	2185.05	2185.74
कोयला वाशरी	3.33	5.00	8.33
फाउण्डरी	0.46	0.30	0.76
अन्य	0.97	24.16	25.13
अवर्गीकृत	52.64	8060.34	8112.98
ज्ञात नहीं	0.43	286.12	286.55
कुल योग	58.50	10560.98	10619.48

(स्रोत : भारतीय खान ब्यूरो)

25.2.14 वार्षिक योजना 2007-08 में लौह अयस्क उत्पादन 206.94 मिलियन टन था जबकि वर्ष 2006-07 में 180.92 मिलियन टन था। तथापि, लौह अयस्क का निर्यात वर्ष 2006-07 में 91.43 मिलियन टन के स्तर से मामूली रूप से बढ़कर वर्ष 2007-08 में लगभग 92 मिलियन टन (अनुमानित)

हो गया है। लौह अयस्क का घरेलू उपभोग वर्ष 2006-07 में 68.45 मिलियन टन की तुलना में 2007-08 में 75 मिलियन टन था। (स्रोत : भारतीय खान ब्यूरो) तैयार स्टील का उत्पादन वर्ष 2006-07 में 52.53 मिलियन टन की तुलना में वार्षिक योजना 2007-08 में 55.27 मिलियन टन था जैसा कि संलग्नक 25.2.1 में दिया गया है।

क्रोमाइट अयस्क

25.2.15 संयुक्त राष्ट्र ढांचा वर्गीकरण (यूएनएफसी) प्रणाली के अनुसार 1.4.2005 की स्थिति के अनुसार देश में क्रोमाइट का कुल संसाधन 213 मिलियन टन अनुमानित है जिसमें 66 मिलियन टन रिजर्वस (31%) तथा 147 मिलियन टन शेष संसाधन (69%) है। क्रोमाइट का 95% से अधिक संसाधन उड़ीसा में स्थित है, अधिकांश कटक और जाजपुर जिलों के सुकिंडा घाटी में। मणिपुर, कर्नाटक, झारखंड, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में हल्के डिपाजिट्स छिट-पुट रूप से फैला हुआ है।

25.2.16 वर्ष 2007-08 में क्रोमाइट का उत्पादन 4.82 मिलियन टन (अंतिम) था जबकि इसकी तुलना में वर्ष 2006-07 के दौरान 4.096 मिलियन टन था। वार्षिक योजना 2006-07 में घरेलू उपभोग लगभग 1.67 मिलियन टन तथा निर्यात लगभग 1.20 मिलियन टन था। अप्रैल-दिसम्बर, 2007 के दौरान क्रोमाइट का निर्यात लगभग 0.77 मिलियन टन था।

मैग्नीज अयस्क

25.2.17 यूएनएफसी प्रणाली के अनुसार देश में 1.4.2005 की स्थिति के अनुसार कुल मैग्नीज अयस्क संसाधन 378.6 मिलियन टन है। इसमें से 138.2 मिलियन टन का वर्गीकरण रिजर्वस के रूप में तथा शेष 240.4 मिलियन टन को शेष संसाधन के वर्ग में रखा गया है।

25.2.18 मैगनीज अयस्क का उत्पादन वर्ष 2007-08 के दौरान 2.47 मिलियन टन (अनंतिम) था जबकि इसकी तुलना में वर्ष 2006-07 में 2.143 मिलियन टन (पी) का उत्पादन हुआ। वार्षिक योजना 2006-07 में घरेलू उपभोग लगभग 0.72 मिलियन था तथा निर्यात 0.157 मिलियन टन था। मैगनीज अयस्क का निर्यात अप्रैल-दिसम्बर 2007 के दौरान लगभग 0.11 मिलियन टन था।

एल्यूमिनियम

25.2.19 यूएनएफसी प्रणाली के अनुसार 1.4.2005 को भारत में बॉक्साइट का कुल संसाधन 3290 मिलियन टन था। इन संसाधनों में 899 मिलियन टन रिजर्वस तथा शेष 2390 मिलियन टन संसाधन है। रिजर्वस में 530 मिलियन टन परीक्षित श्रेणी के तथा 360 मिलियन टन संभाव्य श्रेणी रिजर्वस है। ग्रेड के रूप में लगभग 86 प्रतिशत संसाधन मेटलर्जिकल ग्रेड में है। परावर्तनीय और केमिकल ग्रेड के संसाधन सीमित है तथा दोनों मिलाकर लगभग 3 प्रतिशत है। देश के बॉक्साइट संसाधनों का 55 प्रतिशत उड़ीसा में है उसके बाद आंध्र प्रदेश में 19 प्रतिशत, गुजरात में 6 प्रतिशत छत्तीसगढ़ 5 प्रतिशत, मध्यप्रदेश 4 प्रतिशत, झारखंड 4 प्रतिशत तथा महाराष्ट्र में 3 प्रतिशत है।

25.2.20 देश में एल्यूमिना के उत्पादन की प्रक्षेपित क्षमता 30,20,000 टन प्रतिवर्ष की है और एल्यूमीनियम की उत्पादन क्षमता 11,83,000 टन प्रतिवर्ष है। एल्यूमिना और एल्यूमिनियम का उत्पादन करने वाली पांच कंपनियां हैं, जिनके नाम हैं नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड (नाल्को) - एक सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम; भारत एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड (बाल्को) - एक संयुक्त क्षेत्रक उपक्रम; हिन्दुस्तान एल्यूमिनियम कारपोरेशन लिमिटेड (हिंडालको), इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (इन्डाल) और मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (माल्को) ये तीनों कंपनियां निजी क्षेत्रक की हैं। प्रक्षेपित क्षमता का विवरण तालिका 25.2.3 में है।

तालिका : 25.2.3 स्थापित क्षमता - एल्यूमीनियम (प्रति वर्ष टन)

कम्पनी	स्थापित क्षमता
नाल्को	3,45,000
बाल्को	3,45,000
हिण्डालको	4,55,000
माल्को	38,000
कुल	11,83,000

स्रोत : खान मंत्रालय, वार्षिक रिपोर्ट 2007-08

25.2.21 वर्ष 2006-07 के दौरान एल्यूमिनियम का उत्पादन 1152261 टन था जिसमें मात्र नाल्को से ही 358734 टन उत्पादन हुआ था। यह दर्शाता है कि कुल एल्यूमिनियम उत्पादन में नाल्को का योगदान 31.13 प्रतिशत है तथा शेष 68.87 प्रतिशत का योगदान निजी क्षेत्रक कंपनियों जैसे हिंडालको, बाल्को और माल्को द्वारा किया गया है।

25.2.22 वार्षिक योजना 2007-08 में एल्यूमिनियम का उत्पादन 1236.704 हजार टन था जबकि इसकी तुलना में वार्षिक योजना 2006-07 में यह 1152.529 हजार टन था जैसा कि संलग्नक 25.2.1 में दर्शाया गया है। एल्यूमिनियम के प्राथमिक उत्पादकों ने अप्रैल-दिसम्बर 2007 के दौरान 231,236 टन का निर्यात किया था।

तांबा

25.2.23 तांबा एक महत्वपूर्ण धातु है तथा इसका प्रयोग रक्षा, अंतरिक्ष कार्यक्रम, रेलवे, विद्युत केबलों और मिट आदि में किया जाता है। 1.4.2005 की स्थिति के अनुसार तांबा अयस्क का कुल संसाधन 1.39 बिलियन टन होने का अनुमान है जिसमें 11.4 मिलियन टन धातु है। इसमें से 369.49 मिलियन टन (26.5%) रिजर्वस (परीक्षित एवं समान्य श्रेणी) श्रेणी के अंतर्गत आते हैं जबकि शेष 1.02 बिलियन टन (73.5%) बचे हुए संसाधन है। कुल अयस्क संसाधनों में से 28.03 मिलियन टन अयस्क में 1.83% अथवा इससे अधिक तांबा (cu) है तथा 622 मिलियन टन में 1 प्रतिशत से 1.85% के नीचे तक तांबे के ग्रेड वाला अयस्क है, 604.49

मिलियन टन अयस्क में 0.5 से 1% तांबा तथा शेष 139.92 मिलियन टन में 0.5% से कम तांबा है।

25.2.24 वार्षिक योजना 2007-08 के लिए देश में कॉपर कैथोड के उत्पादन की प्रक्षेपित क्षमता 9,47,500 टन प्रतिवर्ष थी जिसमें हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड की 47,500 टन प्रतिवर्ष की क्षमता शामिल है। वर्ष 2007-08 के दौरान मेटल इन कॉन्सॉल्टेंट (एमआईसी) का उत्पादन 31378 टन था जो 31,000 टन के लक्ष्य की तुलना में था तथा एचसीएल का कैथोड उत्पादन 40000 टन के लक्ष्य की तुलना में 44742 टन था। प्राइवेट कंपनियां अर्थात् हिंडाल्को और स्टरलाईट इंडस्ट्रीज लिमिटेड (एसआईएल) देश में इस्तेमाल किए जा सकने वाले तांबे के उत्पादन के पिघलाने और परिष्करण के अपने प्रचालनों के लिए तांबा सान्द्रण (कॉन्सन्ट्रेट) का आयात करती हैं।

25.2.25 वार्षिक योजना 2007-08 में कैथोड का उत्पादन 704.966 हजार टन था जबकि इसकी तुलना में वर्ष 2006-07 में यह 641.668 हजार टन था जैसाकि संलग्नक 25.2.1 में दर्शाया गया है। परिष्कृत तांबे का निर्यात 200 हजार टन अनुमानित था।

तांबे की कीमत

25.2.26 तांबे की एलएमई कीमत में 1995-96 के 2844 अमेरिकन डॉलर प्रति टन से 1998-99 में 1581 अमेरिकी डॉलर प्रति टन की तीव्र गिरावट आई है। 1999-2001 में आंशिक बढ़त के साथ 2001-02 में यह गिरकर 1527 अमेरिकन डॉलर प्रति टन तक आ गई। फिर भी कॉपर की एलएमई कीमतों में पिछले तीन वर्षों में बढ़त की प्रवृत्ति देखी गई है और 2007-08 में यह 8456 अमेरिकन डॉलर प्रति टन तक पहुंच गई। इसने हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड की वित्तीय स्थिति में सुधार किया है। कम एलएमई अवधि के दौरान अव्यवहार्य होने के कारण झारखंड में बंद हुई सूरद कॉपर खदान को पुनः खोल दिया गया है।

सीसा और जस्ता

25.2.27 यूएनएफसी प्रणाली के अनुसार 01.04.2005 को देश में सीसा जस्ता अयस्क के 522.58 मिलियन टन के संसाधन हैं। इनमें से 125.75 मिलियन टन (24%) संसाधन निक्षेप की श्रेणी के अंतर्गत जबकि बाकि 396.83 मिलियन टन (76%) को शेष संसाधनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। 10% से अधिक अयस्क वाले संसाधन 86.82 मिलियन टन, 5-10% तक सीसा और जस्ता वाले अयस्क 144.68 मिलियन टन तथा 5% से कम सीसा और जस्ता वाले अयस्क 291.08 मिलियन टन था।

25.2.28 देश में प्राइमरी जस्ता और प्राइमरी सीसा धातु को पिघलाने की वर्तमान क्षमता 619000 टन है जिसमें 581000 टन एचजैडएल और 38000 टन विनानी इंडस्ट्रीज लिमिटेड (बीआईएल) का है तथा सीसा के मामले में प्रतिवर्ष 135000 टन है (प्राइमरी से 85000 टन तथा सेकेण्डरी मार्ग से 50000 टन)।

25.2.29 वार्षिक योजना 2007-08 में जस्ते का उत्पादन 457.075 हजार टन था जबकि इसकी तुलना में यह वर्ष 2006-07 में 380.940 हजार टन था। सीसा के मामले में उत्पादन वार्षिक योजना 2007-08 में 58.247 हजार टन था जबकि वर्ष 2006-07 में यह 44.553 हजार टन था जैसाकि संलग्नक 25.2.1 में दर्शाया गया है।

भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम)

25.2.30 भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम) के कार्यकलापों को चार स्कीमों के समूह में रखा गया है नामतः (i) वैज्ञानिक व प्रणालीवार खनन, खनिज संरक्षण, तथा खान पर्यावरण हेतु खानों का निरीक्षण; (ii) निम्न ग्रेड व उप ग्रेड अयस्कों की उपयोगिता हेतु खनिज हितकारी अध्ययन तथा पर्यावरण प्रतिदर्श का विश्लेषण; (iii) प्रौद्योगिकी उन्नयन व आधुनिकीकरण तथा (iv) विभिन्न प्रकाशनों के माध्यम से खान एवं खनिज संबंधी डाटा का संग्रहण प्रोसेसिंग एवं प्रसार।

25.2.31 वार्षिक योजना 2007-08 के दौरान महाराष्ट्र (43) और तमिलनाडु (77) के लिए निर्धारित 100 नक्शों के लक्ष्य की तुलना में 1,50000 के स्केल पर कुल 120 बहु खनिज नक्शों का वन अधिचित्र तैयार किया गया।

25.2.32 वार्षिक योजना 2007-08 में निर्धारित 50000 धातुओं के लक्ष्यों की तुलना में 46804 धातुओं का केमिकल विश्लेषण किया गया।

25.2.33 परित्यक्त खानों का सुधार तथा साथ ही वर्किंग खानों में सुधार प्रभावी भूमि उपयोग हेतु आईबीएम का एक प्रमुख कार्यकलाप है। वार्षिक योजना 2007-08 के दौरान लगभग 108 हेक्टेयर क्षेत्र का सुधार वर्किंग खानों में किया गया तथा 660 हेक्टेयर का क्षेत्र कवर करते हुए 53 परित्यक्त खानों में सुधार/पुनरुद्धार किया गया।

भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण संगठन (जीएसआई)

25.2.34 दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण संगठन द्वारा प्रमुख रूप से ध्यान केन्द्रण के लिए जो क्षेत्र निर्धारित किए गए थे उनमें शामिल हैं : विशिष्ट विषयों वाले अध्ययनों के जरिए राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक डाटाबेस तैयार करना और उसे अद्यतन करना, भू-वैज्ञानिक भू-रसायनिक और भू-भौतिकीय मानचित्रण, कमी वाले और हाईटेक खनिजों पर जोर देते हुए छुपे हुए खनिज निक्षेपों के लिए अवधारणा उन्मुख खोज, शहरी समूहों का भूकम्पीय सूक्ष्म क्षेत्र निर्धारण, भू-संकट प्रबंधन हेतु जोखिम संभाव्य क्षेत्रों के रेखा-चित्रण के लिए सक्रिय फाल्ट मानचित्रण और प्रेक्षणात्मक भूकंप विज्ञान, जमीन खिसकने का अध्ययन, संग्रहालीय नक्शों का संकलन और डिजीटाइजेशन और सूचना प्रसार तथा आधुनिकीकरण कार्यक्रम।

25.2.35 सरकार ने समुद्रतल पर सर्वेक्षण करने तथा नान-लिविंग संसाधनों का पता लगाने के लिए भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण के लिए 448 करोड़ रुपए की लागत से गहरे समुद्र में जाने वाले नए अनुसंधान वेसल्स हासिल करने की अनुमति दे दी

है। अनुसंधान वेसल्स हासिल करने की प्रक्रिया चल रही है।

25.2.36 देश के लगभग सभी राज्यों में जल संसाधन विकास, संचार नेटवर्क के सृजन, नदियों को जोड़ने वाली परियोजनाओं, परिवहन और अन्य अवसंरचनात्मक सुविधाओं के संबंध में सिविल इंजीनियरिंग परियोजनाओं से संबंधित 266 अन्वेषणों के माध्यम से जीएसआई ने भू-तकनीकी और इंजीनियरिंग भू-विज्ञान अध्ययन के 34 मदों को हाथ में लिया है। इसके अतिरिक्त जीएसआई ने पुनत्सांगचू पन विद्युत परियोजना I या II भूटान तथा सनकोसी-सप्तकोसी परियोजना नेपाल जैसी अन्तर्राष्ट्रीय परियोजनाओं में अपनी विशेषज्ञता उपलब्ध कराई है।

25.2.37 भारत सरकार द्वारा भू-स्खलन के संबंध में नोडल एजेंसी घोषित किए जाने के बाद जीएसआई ने क्रम से विभिन्न स्केलों पर भू-स्खलन आपदा क्षेत्र (एचएलजैड) का मानचित्रण, स्थिरीकरण हेतु भू-स्खलन का कार्यस्थल विशिष्ट अध्ययन तथा भू-स्खलन की एक सूची तैयार किया है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और गोवा तथा महाराष्ट्र में भू-स्खलन अध्ययन कराए गए थे।

25.2.38 भू-स्खलन आपदा शमन कार्यक्रम के भाग के रूप में जीएसआई को प्रारंभिक शिरोबिन्दु (नाड) आबंटित किया गया। जीएसआई, नई दिल्ली में एक आपदा प्रबंधन नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया था जिसे 24x7 आधार पर कार्य करते रहना है तथा इसका सम्पर्क आपदा प्रबंधन सहायता नेटवर्क, एनआईएमए, एमएचए और कुछ राज्य सरकारों से जुड़ा हुआ है।

25.2.39 26वें अंटार्क्टिका अभियान के दौरान जीएसआई ने बर्फ के सतह के उपर लगभग 77 मीटर और 55 मीटर की गहराई के दो बोर के छिद्र की खुदाई की थी। टीम ने लार्कमन पर्वत 'भारती' मैक्लीओड स्ट्रोन्स और फिशर द्वीप में 50 वर्ग

किमी. क्षेत्र कवर करते हुए पारगमन मानचित्रण किया।

25.2.40 जीएसआई प्रशिक्षण संस्थान ने भू-विज्ञानिकों के लिए एक अभिमुखी पाठ्यक्रम, 6 बेसिक पाठ्यक्रम, 8 पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, 4 एडवांस पाठ्यक्रम, 5 कार्यशालाएं डिजीटल तकनीकी से संबंधित 5 पाठ्यक्रम इसरो द्वारा प्रायोजित 2 कार्यक्रम तथा आईजी की एक पाठ्यक्रम सहित 32 प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए। सभी कार्यक्रम सफलता पूर्वक पूरे किए गए।

खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड (एमईसीएल)

25.2.41 खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड (एमईसीएल) जो एक शीर्ष अन्वेषण कंपनी है, ने भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित संवर्धन कार्यक्रम तथा सहमत निबंधन व शर्तों पर सार्वजनिक क्षेत्रक, निजी क्षेत्रक और राज्य सरकारों सहित अन्य एजेंसियों की तरफ से संविदात्मक कार्यक्रम के अंतर्गत अपना अन्वेषण कार्यकलाप पूरा किया है इसके कुल टर्न ओवर में संवर्धनात्मक और संविदात्मक कार्यों का शेयर क्रमशः 60 प्रतिशत और 40 प्रतिशत है। एमईसीएल ने अपनी कार्यकलापों का कोल बेड मिथेन (सीबीएम) के लिए पतले छिद्र की ड्रिलिंग, कोयला नमूना एवं विश्लेषण तथा रेलवे को बैलेंट पत्थर की आपूर्ति के क्षेत्र में भी विविधीकरण किया है। वार्षिक योजना 2007-08 के लिए 195000 मीटर ड्रिलिंग के लक्ष्य की तुलना में कंपनी ने 205879 मीटर का ड्रिलिंग किया है जो कि 106 प्रतिशत की उपलब्धि दर्शाता है। अन्वेषणात्मक खनन के मामले में कंपनी ने वार्षिक योजना 2007-08 के लिए निर्धारित लक्ष्य 6600 मीटर की तुलना में 6640 मीटर का खनन किया है तथा 2.79 लाख रुपये के निवल लाभ की तुलना में 602 लाख रुपये का लाभ हुआ है।

हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड (एचसीएल)

25.2.42 देश में कॉपर अयस्क का उत्खनन करने वाला एचसीएल एक मात्र केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यम (सीपीएसई) है। कंपनी की स्थापित

क्षमता 47,500 टन प्रति वर्ष है जिसमें झारखंड के घाटशिला में भारतीय कापर कम्लेक्स के स्मेल्टरों की स्थापित क्षमता 16,500 टन तथा राजस्थान में खेत्री कापर काम्लेक्स की स्थापित क्षमता 31,000 टन प्रतिवर्ष है। स्वदेशी स्रोतों से कॉपर अयस्क आपूर्ति में तेजी लाने हेतु यह आवश्यक है कि कॉपर अयस्क के लिए खनन गतिविधियों में तेजी लाई जाए और इसके लिए एचसीएल विदेशों में उन विशेषज्ञ कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यमकर सकती है जिनके पास खनन कार्यकलापों के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकियां हो। वार्षिक योजना 2007-08 में कर (टैक्स) देने के पश्चात् कंपनी का निवल लाभ 267.40 करोड़ रुपये था जबकि इसकी तुलना में वार्षिक योजना 2006-07 में लाभ 313.94 करोड़ रुपये था।

हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड के लिए भारत सरकार ने वित्तीय पुनर्संरचना प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड (एचसीएल) की वित्तीय पुनर्संरचना की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं :

- (i) 50.00 करोड़ रुपये गैर-योजनागत ऋण का इक्विटी में परिवर्तन (वर्ष 2005-06 और 2006-07 में प्रत्येक वर्ष 25 करोड़ रुपये जारी किए गए)
- (ii) 180.73 करोड़ रुपये की राशि तक 7.5% गैर संयची प्रतिदान वरीयता शेयर की माफी तथा संयची घाटे से बचने के लिए इसका समायोजन
- (iii) 10 रुपये के इक्विटी शेयर को घटाकर 5 रुपये करके 382.21 करोड़ रुपये के माध्यम से पूंजी का पुनर्गठन तथा संयची घाटे से बचने के लिए इसका समायोजन।
- (iv) दक्षता बनाए रखने तथा समुचित उत्तरावर्तन (सम्सेसन) योजना के प्रतिपादन हेतु संगठन को राहत देने के लिए अधिवर्षिता की उम्र 60 वर्ष पर बहाल करना।

- (v) खनन क्षेत्र में विकास एजेंडा को लागू करने के लिए निदेशक (खनन) के पद का सृजन।

राष्ट्रीय एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड

25.2.43 भारत सरकार द्वारा 4091.51 करोड़ रुपये की लागत से अक्टूबर 2004 में अनुमोदित नालको के विस्तार का दूसरा चरण अभी चल रहा है। प्रस्तावित विस्तार से बॉक्साइट खान की क्षमता 4.8 मिलियन टन प्रतिवर्ष से 6.3 मिलियन टन, एल्यूमिना रिफाइनरी 1.575 मिलियन टन प्रतिवर्ष से 2.1 मिलियन टन, स्मेल्टर 0.345 मिलियन टन प्रतिवर्ष से 0.460 मिलियन टन तथा विद्युत उत्पादन 960 मेगावाट से 1200 मेगावाट तक बढ़ जाएगी। विस्तार दिसम्बर 2008 तक पूरा कर लेना निर्धारित है। टैक्स के पश्चात् लाभ वार्षिक योजना 2007-08 में 1632 करोड़ रुपये था जबकि वर्ष 2006-07 में यह 2381 करोड़ रुपये था जोकि गत वर्ष की तुलना में वार्षिक योजना 2007-08 में 31.45 प्रतिशत की कमी दर्शाता है।

विभिन्न संगठनों/पीएसयूज में कर्मचारियों को रोजगार

25.2.44 वर्ष 2006-07 के दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों आदि जैसे विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों के रोजगार का संगठनवार ब्यौरे संलग्नक 25.2.2 पर दिए गए हैं।

वार्षिक योजना 2008-09

25.2.45 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) के उद्देश्यों में शामिल है : छोटे आकार वाले अधिक मूल्य वाले खनिज जैसे सोना, हीरा, बेसमेटल, और प्लेटिनम धातु समूह का गहन खोज तथा लौह और अलौह खनिजों और औद्योगिक खनिजों के संदर्भ में वर्तमान संसाधनों में तेजी लाने तथा राष्ट्रीय खनिज फेहरिस्त में सुधार विशेषकर उन स्कीमों में जिनका रिजर्व कम है जैसे बेस मेटल, निकल, टिन, ग्रेफाइट, नोबल मेटल, बहुमूल्य पत्थर और रॉक

फास्फेट; जमीनी और हवाई सर्वेक्षण दोनों के लिए इंस्ट्रुमेंटेशन के क्षेत्र में जीएसआई की पुनर्संरचना एवं आधुनिकीकरण; तथा उच्च सूक्ष्मता क्षमता सहित अत्याधुनिक प्रयोगशाला सुविधा हासिल करना, जीएसआई द्वारा मेटा-डाटा देते हुए एक व्यापक पोर्टल की स्थापना तथा ऐसे कार्य के आधार पर निवेश की संभावना; आईबीएम और एक राष्ट्रीय रजिस्ट्री (कैडास्ट्री) तथा एक खनिज एटलस की स्थापना हेतु राज्य निदेशालयों का आधुनिकीकरण; खनिज संसाधनों के वर्गीकरण हेतु संयुक्त राष्ट्र ढांचा वर्गीकरण (यूएनएफसी) अपनाए जाने हेतु प्रक्रिया में तेजी लाना जिससे कि खनिजों के रिजर्व/संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय यूनिफार्म प्रणाली में ढाला जा सके जिससे इस क्षेत्रक में और अधिक निजी निवेश आकर्षित किया जा सके, पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में खनिजों का विकास और खनन के सभी क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास (आरएण्डडी) कार्यकलापों के सुदृढीकरण का प्रयास किया जा रहा है।

25.2.46 वार्षिक योजना 2008-09 के लिए 2160.00 करोड़ रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया था जिसका वित्तपोषण 1960.00 करोड़ रुपये के आईईबीआर और 200.00 करोड़ रुपये के जीबीएस द्वारा किया जाना था। वार्षिक योजना 2007-08 में अनुमानित व्यय 1380.29 करोड़ रुपये की अनुमोदित परिव्यय की तुलना में 1644.30 करोड़ रुपये था जो कि नालको के दूसरे चरण के विस्तार, एचसीएल की नवीकरण एवं प्रतिस्थापन स्कीम तथा जीएसआई और आईबीएम के लिए पूरक अनुदान के रूप में जीबीएस में बढ़ोत्तरी के कारण संभावित व्यय में 19.12 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी दर्शाता है। खान मंत्रालय के संदर्भ में वर्ष 2008-09 के लिए स्कीम/कार्यक्रम वार परिव्यय के ब्यौरे संलग्नक 25.2.3 पर दिए गए हैं। खान मंत्रालय के परिणामी बजट 2008-09 का स्कीम/कार्यक्रम वार ब्यौरे संलग्नक 25.2.4 पर दिए गए हैं।

संलग्नक- 25.2.1

वार्षिक योजना 2004-05 का वास्तविक निष्पादन (वास्तविक), वार्षिक योजना 2005-06 (वास्तविक), वार्षिक योजना 2006-07 (अनंतिम) वार्षिक योजना 2007-08 (अनुमानित)

क्रम सं०	मर्दे	ईकाई	2004-05 वास्तविक	2005-06 वास्तविक	2006-07	2007-08
1.	तैयार स्टील \$	मिलियन टन	43.51	46.57	52.53	55.27
2.	एल्युमिनियम**	हजार टन	883.472	1003.182	1152.529	1236.704
3.	कॉपर कैथोड #	हजार टन	408.404	518.900	641.668	704.966
4.	जिंक (प्राइमरी)@	हजार टन	265.924	317.558	380.940	457.075
5.	लैड @	हजार टन	15.727	23.636	44.553	58.247

** निजी क्षेत्रक कंपनियों अर्थात बाल्को, हिंडाल्को, इन्डाल और माल्को का उत्पादन शामिल है।

निजी क्षेत्रक कंपनियों अर्थात स्टरलाइट इंडस्ट्रीज

@ एचजैडएल का वास्तविक निष्पादन

P- अनंतिम

स्रोत : 1. खान मंत्रालय

2. संयुक्त संयंत्र समिति

संलग्नक- 25.2.2

31.12.2007 की स्थिति के अनुसार विभिन्न श्रेणियों में संगठनवार रोजगार विवरण

क्र.सं.	संगठन/पीएसयूज़	कर्मचारियों की कुल सं०	भूतपूर्व कर्मचारी	भूतपूर्व कर्मचारी	ओबीसी	महिला	अल्पसंख्यक	भूतपूर्व कर्मचारी	विकलांग	एलडीपी	पीडब्ल्यूडी
1	जीएसआई	9825	1961	840	496	907	*	*	*	*	
2	आईबीएम	1282	292	116	62	157	84	*	*	*	
3	नाल्को	7384	1178	1325	*	*	281	45	70	1969	70
4	एचसीएल	5415	886	678	661	307	331			409	
5	एमईसीएल	2040	302	142	104	48	163	*	*	*	

पीडब्ल्यूडी - अशक्त व्यक्ति

एलडीपी - भूमि विस्थापित व्यक्ति

इएक्स-एसएम - भूतपूर्व सैनिक

* दर्शाया नहीं गया ।

स्रोत: वार्षिक रिपोर्ट 2007-08, खान मंत्रालय

वास्तविक व्यय (2006-07), अनुमोदित परिव्यय और वास्तविक व्यय 2006-07 और
बजट अनुमान 2008-09 खान मंत्रालय

(Rs. in crores)

क्र. सं.	सार्वजनिक क्षेत्रक/संस्थान का नाम	वास्तविक व्यय 2006-07	2007-08		बजट अनुमान 2008-09
			अनुमोदित परिव्यय	संशोधित अनुमान	
1	नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड	649.77	1158.00	1358.00	1888.00
2	हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड	28.50	50.00	78.01	60.00
3	खनिज अन्वेषण कारपोरेशन लिमिटेड	15.89	19.00	19.00	20.00
4	भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण	108.66	128.00	162.00	165.00@
5	भारतीय खान ब्यूरो	16.40	18.00	20.00	20.00#
6	विज्ञान एवं तकनीकी	6.02	7.29	7.29	7.00
7	निर्माण (जीएसआई और आईबीएम)	5.33		-	
	जोड़	830.57	1380.29	1644.30	2160.00

@ जीएसआई के निर्माण हेतु 5.00 करोड़ रुपए शामिल है।

आईबीएम के निर्माण हेतु 1.00 करोड़ रुपए शामिल है।

स्रोत : परिणामी बजट, 2008-09, खान मंत्रालय

संलग्नक -25.2.4

परिणाम बजट 2008-09

स्कीम/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	वार्षिक योजना परिव्यय (2008- 09) (करोड़ रुपये)	अनुमानित परिणाम अनुमान्य प्रदेय/वास्तविक आऊटपुट	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1. भारतीय भू-वैज्ञानिक संगठन (i) सर्वेक्षण और मानचित्रण	स्थलीय, समुद्री और हवाई सर्वेक्षणों के जरिए राष्ट्रीय भू-वैज्ञानिक सूचना और ज्ञान आधार का निर्माण और उन्नयन	45.15	(i) सुव्यवस्थित भू-वैज्ञानिक मानचित्रण (वर्ग किलोमीटर में) 600 (ii) विशिष्ट विषयगत मानचित्रण (वर्ग किलोमीटर में) 6000 (iii) भू-रासायनिक मानचित्रण (वर्ग किलोमीटर में) 25000 (iv) भू-भौतिकीय मानचित्रण (वर्ग किलोमीटर में) 20000 (v) बहु-संसर सर्वेक्षण (लाइन किलोमीटर में) 28000 समुद्रयान सर्वेक्षण : ई.ई.जेड के भीतर और बाहर पैरामीट्रिक अध्ययन क) वैथीमीटरी (I किमी) 10000 ख) मैग्नेटिक (I किमी) 10000 (vi) टी.डब्ल्यू. के भीतर सुव्यवस्थित कवरेज (वर्ग किलोमीटर) 2500+ पैरामीट्रिक सर्वेक्षण	निम्न कारणों से कमी रह सकती है: क. नीला पानी अनुसंधान पोतों और भू- तकनीकी पोतों का पुराना हो जाना। ख. हवाई सर्वेक्षणों के लिए रक्षा मंत्रालय और डी.जी.सी.ए. की स्वीकृति ग. वन स्वीकृति
(ii) खनिज सर्वेक्षण	खनिज संसाधनों की पहचान और प्रारम्भिक रूप से आंका जाना	21.70	(i) बड़े पैमाने पर मानचित्रण (वर्ग किलोमीटर) 1000 (ii) विस्तृत मानचित्रण (वर्ग किलोमीटर) 35 (iii) ड्रिलिंग (एम) - 75000	-
(iii) विशिष्ट जांच	जल संसाधन विकास के लिए भू-वैज्ञानिक निविष्टि, परिवहन एवं विविध सिविल इंजीनियरिंग परियोजनाएं भू-पर्यावरणिक अध्ययन, भूकम्प और लैंड स्लाइड क्षेत्र-निर्धारण अध्ययन सहित आपदा प्रबंधन	2.72	संख्या - 90	

स्कीम/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	वार्षिक योजना परिव्यय (2008- 09) (करोड़ रुपये)	अनुमानित परिणाम अनुमान्य प्रदेय/वास्तविक आऊटपुट	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
(iv) अनुसन्धान, विकास और अन्य अन्वेषण	अंटार्कटिका महाद्वीप का अध्ययन विभिन्न कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं की सहायता के लिए और अभिज्ञात समस्याओं को सुलझाने के लिए पेट्रोलाजी, पैलीआनटोलाजी, जियोक्रोनोलाजी, फोटोजियोलाजी और दूरस्थ संवेदन	6.37	1,50,000 स्केल पर 1000 (वर्ग किलोमीटर में) 65 (संख्या)	
(v) सूचना प्रसार	कम्प्यूटरीकृत आर्किवल विश्लेषण, भू-वैज्ञानिक डाटा की पुन-प्राप्ति और विषय- आधारित सम्बन्धात्मक डाटा-आधार का निर्माण, नक्शों, प्रकाशनों ओर कस्टमाइज़ेशन द्वारा डाटा का प्रसार	13.96	40 (संख्या)	
(vi) मानव संसाधन विकास	प्रौद्योगिकी और विशेषज्ञता के उन्नयन के लिए विशेषता वाले क्षेत्रों में प्रशिक्षण	2.60	30 (35) (किस्मों की संख्या/ पाठ्यक्रमों की संख्या)	
(vii) आधुनिकीकरण और प्रतिस्थापन	जी.एस.आई. की आंतरिक क्षमताओं का उन्नयन करने और उनमें सुधार करने के उद्देश्य से प्रयोगशालाओं और सर्वेक्षण सुविधाओं का आधुनिकीकरण और विस्तार	51.50		

स्कीम/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	वार्षिक योजना परिव्यय (2008- 09) (करोड़ रुपये)	अनुमानित परिणाम अनुमान्य प्रदेय/वास्तविक आऊटपुट	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
(viii) एन.ई.आर. के लिए व्यवस्था	उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों का विकास	16.00	1. सर्वेक्षण मानचित्रण (i) सुव्यवस्थित भू-वैज्ञानिक मानचित्रण (वर्ग किलोमीटर) 665 (ii) विशिष्ट विषयगत मानचित्रण (375 वर्ग किलोमीटर) (iii) भू-रासायनिक मानचित्रण (वर्ग किलोमीटर) 1992 (iv) भू-भौतिकीय मानचित्रण (वर्ग किलोमीटर में) 1400 (2) खनिज अन्वेषण: (i) बड़े पैमाने पर मानचित्रण (वर्ग किलोमीटर) 3.00 (ii) विस्तृत मानचित्रण (वर्ग किलोमीटर) एक (iii) ड्रिलिंग (मीटर) 1000	-
	कुल जी.एस.आई. (योजना)	160.00		
2. खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड (i) संवर्धनात्मक	खनिज भण्डारण को प्रमाणित करना	12.00	(i) ड्रिलिंग 15500 मीटर (ii) सम्बद्ध भू-वैज्ञानिक क्रियाकलाप (मानचित्रण, सर्वेक्षण, सैम्पलिंग विश्लेषण, भू-वैज्ञानिक रिपोर्ट और अयस्क बाडी माडलिंग	वन स्वीकृति मिलने पर
(ii) पूंजी		8.00	पुराने संयंत्रों और उपस्करों का प्रतिस्थापन	
	जोड़ : खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड	20.00		

स्कीम/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	वार्षिक योजना परिव्यय (2008- 09) (करोड़ रुपये)	अनुमानित परिणाम अनुमान्य प्रदेय/वास्तविक आऊटपुट	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
<p>3. भारतीय खान ब्यूरो (i) वैज्ञानिक और सुव्यवस्थित खनन, खनिज संरक्षण और खानों के पर्यावरण के लिए खानों का निरीक्षण</p>	<p>एम.एम. (डी. ऐण्ड आर.) अधिनियम, 1957, एम.सी.डी.आर., 1988 तथा एम.सी.आर. 1960 के संगत भागों के सांविधिक प्रवर्तन के जरिए खनिज संसाधनों का सुव्यवस्थित और संधारणीय विकास सुनिश्चित करना, खनिजों के संरक्षण को बढ़ावा देना, खान पर्यावरण की सुरक्षा करना और खनन क्षेत्रों में सामुदायिक विकास</p>	6.23	<p>एम.सी.डी.आर. के प्रवर्तन और खनन योजनाओं/स्कीमों के अनुमोदन के लिए वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार 2600 खानों का निरीक्षण किया जाएगा और 12 क्षेत्रीय खनन भू-वैज्ञानिक अव्ययन किए जाएंगे, जिनमें सामुदायिक विकास के पहलू को कवर किया जाएगा। इस स्कीम का परिणाम खनिज निक्षेपों का सुनियोजित और वैज्ञानिक विकास, खनिजों का संरक्षण, पर्यावरण की सुरक्षा और खानों को सतत बन्द रखना है। इस प्रयोजन से पट्टाधारियों द्वारा तैयार की गई खनन योजनाओं, खानों को बन्द करने की स्कीमों को भारतीय खान ब्यूरो द्वारा अनुमोदित किया जा रहा है और उनके कारगर कार्यान्वयन के लिए उनका मानीटरन किया जा रहा है।</p>	<p>लक्ष्य को निरीक्षण करने वाले अधिकारियों के मौजूदा संख्या में उपलब्ध होने पर प्राप्त किया जा सकता है। वर्ष के दौरान आई.बी.एम. की विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों के तहत सभी क्रियाकलाप सरकार द्वारा 6 मार्च 2003 को घोषित कार्यो के चार्टर के अनुरूप हैं। इस शीर्ष के अन्तर्गत क्रियाकलाप विनियमनकारी होते हैं और उनका मात्राकरण नहीं किया जा सकता।</p>

स्कीम/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	वार्षिक योजना परिव्यय (2008- 09) (करोड़ रुपये)	अनुमानित परिणाम अनुमान्य प्रदेय/वास्तविक आऊटपुट	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
(ii) खनिज परिष्करण अध्ययन, निचले ग्रेड और उप-ग्रेड के अयस्कों का उपयोग और पर्यावरणिक नमूनों का विश्लेषण	देश के खनिज संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए खनिज उद्योग को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सहायता देना। इसके अलावा खानों के निस्त्राव के प्राचलों के मानीटरन के लिए वायु, जल और ठोस अपशिष्टों, आदि का विश्लेषण भी किया जा रहा है।	5.31	अयस्क प्रतिसारण अन्वेषण-60 रासायनिक विश्लेषण-40,000 खनिज-वैज्ञानिक परीक्षण- 2000 कोलकाता के मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला को कार्यात्मक बनाया जाएगा। एसएण्डटी अनुमान बीच सैण्ड से इलेमिनाइट, रुटाईल, जिस्कन, सिलिमनाइट और गारनेट को हस्तगत करने का कार्य भी शुरू किया जाएगा।	
(iii) प्रौद्योगिकीय उन्नयन और आधुनिकीकरण	राष्ट्रीय खनिज निक्षेपों का अनुमान लगाना एवं खनिज एवं वन मानचित्रों के ओवरले तैयार करना। नए खनन पद्धतियों का विकास करना, खानों का पर्यावरणीय प्रबंधन और मानव संसाधन एवं अवसंरचना का विकास करना।	3.12	1.4.2005 की स्थिति के अनुसार खनिजों के बारे में एन.एम.आई. को अद्यतन बनाने का काम पूरा किया जाएगा। राजस्थान के लिए वन मानचित्रों के ओवरले के साथ 100 बहु-खनिज नक्शे तैयार किए जाएंगे। 16 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरे किए जाएंगे।	बहु खनिज नक्शों को पूर्ण करने और वन मानचित्रों को बनाने का कार्य भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई) से वन नक्शों की समयबद्ध उपलब्धता पर निर्भर है।

स्कीम/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	वार्षिक योजना परिव्यय (2008- 09) (करोड़ रुपये)	अनुमानित परिणाम अनुमान्य प्रदेय/वास्तविक आऊटपुट	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
(iv) विभिन्न प्रकाशनों द्वारा वनों/खानों एवं धातुओं के आंकड़ों का संग्रह, प्रोसेसिंग और प्रसार	डाटा को प्रोसेस, विश्लेषण करने और विभिन्न सांख्यिकीय और तकनीकी प्रकाशनों के जरिए उनका प्रसार करने के लिए खानों और खनिजों का डाटा एकत्र करना	1.34	तैयार/जारी किए जाने वाले प्रकाशन (i) मंथली स्टेटिस्टिक्स ऑफ मिनरल प्रॉडक्ट 12 अंक (जनवरी से दिसम्बर 2007) (ii) भारतीय खनिज उद्योग एव नजर में - एक अंक (iii) खनिजों की सांख्यिकीय जानकारी - एक अंक (iv) खनिज सूचना बुलेटिन (v) बुलेटिन ऑन माइनिंग लीज आरपीस और पीएल 2007 (v) 31.3.2008 के अनुसार खानों की निर्देशिका (vi) 31.3.2008 के अनुसार खनन लीक्जेज की निर्देशिका (vii) इंडियन मिनरल ईयर बुक 2007	
(v) भारत में खनन से उत्पन्न ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन	अपशिष्ट प्रबंधन का आर्थिक रूप से व्यवहार्य समाधान निकालने के लिए विभिन्न भू-आकारिकी समाधानों में पर्यावरणीय समस्याओं पर विचार करना	0.60	आईबीएम-ग्लोबल परामर्शदाता द्वारा खान स्थलों पर यात्रा से जुड़े प्रारंभिक कार्य आईबीएम-ग्लोबल परामर्शदाता द्वारा स्थल का दौरा, आईबीएम अधिकारियों के लिए विदेशों में प्रशिक्षण, उपकरण चयन, कोटेशन मंगाना, ठोस अपशिष्ट और अपशिष्ट विशिष्टता संबंधी सूचना प्राप्त करने हेतु फार्मेट तैयार करना उपकरण और उपग्रह चित्र हासिल करने के लिए कार्य शुरू करना, खान स्थलों की व्यापक विवरण सूची एवं अपशिष्ट स्रोत का चित्रण।	

स्कीम/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	वार्षिक योजना परिव्यय (2008- 09) (करोड़ रुपये)	अनुमानित परिणाम अनुमान्य प्रदेय/वास्तविक आऊटपुट	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
(vi) खनन भू-खण्ड प्रणाली संबंधी कम्प्यूटरीकृत आनलाईन रजिस्टर	देश में खनिज संसाधनों (परमाणु खनिज, तेल व प्राकृतिक गैस को छोड़कर) में लगे केन्द्रीय व राज्य सरकार के संगठनों को जोड़ते हुए आन-लाईन राष्ट्रीय खनिज सूचना प्रणाली विकसित करना।	0.50	हार्डवेयर और वेसिक सॉफ्ट वेयर हासिल करना व स्थापित करना, सॉफ्ट वेयर विकसित करना तथा उसे आईबीएम के पास उपलब्ध मौजूदा डाटा बेस से जोड़ना। खनिज बहुल राज्यों के ग्रामीण मानचित्रों का डिजीटाइजेशन खनन भूखण्डों से संबंधित सूचना को ग्राफिकल के रूप में तथा अन्य ब्यौरों को विषय वस्तु के रूप में प्रदर्शित करना।	
(vii) एन.ई.आर. के लिए व्यवस्था	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में खनिज क्षेत्रक का विकास	1.90	(i) खानों का निरीक्षण (ii) निचले ग्रेड के अयस्कों के परिष्करण परीक्षण (iii) खनन उद्योग को परामर्शी सेवाएं प्रदान करना (iv) खनन उद्योग और राज्य सरकारों के कार्मिकों को प्रशिक्षण (v) राज्य में खनिज विकास की अपनी क्षमता को सुदृढ़ करने हेतु पूर्वोत्तर राज्यों की राज्य सरकारों को उपस्कर/उपकरण उपलब्ध कराना।	-
जोड़ भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम) (योजना)		19.00		
4. हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड प्रतिस्थापन और नवीकरण	प्रतिस्थापन और नवीकरण द्वारा मौजूदा संयंत्र और खान-मशीनों का अधिकतम उपयोग	60.00	खरीद किए जाने वाले प्रस्तावित कुछ प्रमुख उपस्कर ये हैं: बैटरी लोकोमोटिव, डीटीएच मशीन, एलएचडी, रेक्टिफायर, डम्पर, इंजन, ट्रांसमिशन टर्शियरी क्रशर और थिकेण्ड टेलिंग सिस्टम	

स्कीम/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	वार्षिक योजना परिचय (2008- 09) (करोड़ रुपये)	अनुमानित परिणाम अनुमान्य प्रदेय/वास्तविक आऊटपुट	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
5. अन्य कार्यक्रम : एस एण्ड टी	अलौह धातुओं के खनन संबंधी अनुसंधान एवं विकास कार्य	7.00	देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तथा खनिज व अलौह धातुओं के क्षमता निर्माण व सुदृढ़ता हेतु आर एंड डी परियोजनाएं	
6. नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड				
क. लाभों को अधिकम बनाने की स्कीमें	कंपनी के विभिन्न खण्डों में उत्पादन/उत्पादकता बनाए रखना	241.00	निम्नलिखित प्रत्येक मुख्य संयंत्र यूनिट में निर्धारित क्षमता बरकरार रखी जाएगी : बॉक्साइट : 4.8 मिलियन टन एल्यूमिना : 1.575 मिलियन टन एल्यूमिनियम : 352000 टन बिजली : 5671 मेगावाट	वर्ष 2008-09 में पूरा किया जाएगा
ख. नई स्कीमें: चरण II का विस्तार: (i) एल्यूमिना चौथा स्ट्रीम (ii) एल्यूमिनियम चौथा पाटलाइन (iii) कैप्टिव पावर प्लांट की नौवीं एवं दसवीं ईकाइयां	क्षमता में वृद्धि: (1) बाक्साइट खाने: 4.8 से 6.3 मिलियन टन, (2) एल्यूमिना रिफाइनरी: 1575 हजार टन से 2100 हजार टन, (3) स्मेल्टर: 345 हजार टन से 460 हजार टन., (4) कैप्टिव पावर प्लांट नौवीं और 10वीं इकाई 120 मेगावाट प्रत्येक को वर्तमान 960 मेगावाट से बढ़ाकर 1200 मेगावाट करना।	1600.00	परियोजना वर्ष 2008-09 के अंतिम तिमाही में पूरी कर ली जाएगी। निम्नलिखित मुख्य संयंत्र यूनिटों में उत्पादन : बॉक्साइट : 125000 एमटी एल्यूमिना : 45000 एमटी एल्यूमिनियम : 7000 एमटी विद्युत : 55 मेगावाट	
2. उत्कल ई- कोयला	भारत सरकार द्वारा एक नए कोल माइन का आवंटन	30.00	परियोजना को वर्ष 2009-10 के दौरान पूरा करना निर्धारित किया गया है।	

स्कीम/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	वार्षिक योजना परिव्यय (2008- 09) (करोड़ रुपये)	अनुमानित परिणाम अनुमान्य प्रदेय/वास्तविक आऊटपुट	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
3. ग्रीन फील्ड स्मेल्टर परियोजना	ऊर्जा समृद्ध देशों (सउदी अरब, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, ईरान) में एल्यूमीनियम का उत्पादन करने हेतु स्मेल्टर संयंत्र स्थापित करने की संभावनाओं का पता लगाना तथा क्षेत्र में विद्युत संयंत्र की स्थापना में सस्ती गैस का उपयोग और दूसरे चरण के विस्तार के पश्चात् उपलब्ध 1.2 मिलियन टन अतिरिक्त एल्यूमिना का उपयोग करना।	3.00	परियोजना पूरा होने के बारे में डीपीआर तैयार करने, स्थान का चयन, संभाव्यता रिपोर्ट, पीआईबी अनुमति आदि के पश्चात् ही कुछ कहा जा सकता है।	
ड एल्यूमिना संयंत्र का उन्नयन	एल्यूमिना पेशिने से प्राप्त प्रौद्योगिकी में सुधार के माध्यम से एल्यूमिना संयंत्र क्षमता के चौथे स्ट्रीम को 5.25 से 7.0 लाख टन तक विस्तार करना	5.00	परियोजना नवम्बर 2007 से 33 महीनों में पूरी हो जाने की संभावना है।	
च. पोतंगी खानें	चौथे स्ट्रीम से उत्पादन बंद हो जाने के पश्चात् एल्यूमिना रिफाइनरी के बॉक्साइट आवश्यकता को पूरा करना	4.00	खानों के निश्चित आवंटन के पश्चात् ही परियोजना पूरा होने के बारे में कुछ कहा जा सकता है।	
तीसरे चरण की परियोजना	अतिरिक्त स्ट्रीम और विद्युत संयंत्र के माध्यम से खान एल्यूमिना और प्रदावक की क्षमता का विस्तार करना	5.00	डीपीआर तैयार होने, संभाव्यता रिपोर्ट पीआईबी अनुमति मिलने के पश्चात् ही परियोजना पूरा होने के बारे में कुछ कहा जा सकता है।	
कुल राष्ट्रीय एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड (नालको)		1888.00		

स्कीम/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	वार्षिक योजना परिव्यय (2008- 09) (करोड़ रुपये)	अनुमानित परिणाम अनुमान्य प्रदेय/वास्तविक आऊटपुट	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
निर्माण	भारतीय खान ब्यूरो और भारतीय भू-गर्भ सर्वेक्षण में भवनों का निर्माण	6.00	जीएसआई : i) बांडलागुडा, हैदराबाद में प्रशिक्षण संस्थान परिसर का निर्माण ii) बंगलोर में सभागार-सह-संगोष्ठी कक्ष अतिथि गृह और डाकघर सहित केमिकल लेबोरेटरी परिसर का निर्माण iii) शिलांग में आफिस-सह-लैब परिसर का निर्माण iv) ओपी कार्यालय भवन का निर्माण : तमिलनाडु, पांडिचेरी और केरल v) गुवाहाटी और सिक्किम परियोजना के लिए कार्यालय हेतु भूमि की खरीद आईबीएम : भुवनेश्वर, गुवाहाटी में कार्यालय भवन का निर्माण	
कुल योजना परिव्यय खान मंत्रालय		2160.00		

अध्याय 26

पर्यटन

परिचय

26.1 पर्यटन देश का सबसे बड़ा सेवा उद्योग है तथा अपने अग्रगामी और पश्चगामी सम्पर्कों और अन्य क्षेत्रकों के साथ सहक्रिया के माध्यम से इसमें देश के आर्थिक विकास में तेजी लाने की क्षमता है। इस प्रकार इस क्षेत्रक का मुख्य उद्देश्य पर्यटन विकास को एक राष्ट्रीय प्राथमिकता कार्यकलाप के रूप में स्थापित व बनाए रखने ; पर्यटन स्थान के रूप में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि करने व बनाए रखने ; वर्तमान पर्यटन उत्पादों में सुधार करने पर बल देना होगा तथा विश्वस्तरीय अवसंरचना के सृजन, धारणीय और प्रभावी विपणन योजनाएं एवं कार्यक्रम तैयार करने और ग्रामीण व लघु खण्ड पर्यटन पर विशेष बल देते हुए नई विपणन आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु इनका विस्तार करना होगा।

वार्षिक योजना 2007-08 की समीक्षा

26.2 पर्यटन मंत्रालय 13 केन्द्रीय क्षेत्रक और एक सीएसएस स्कीम पर कार्रवाई करता है। मंत्रालय ने वार्षिक योजना 2007-08 के दौरान 953.00 करोड़ रुपए के अनुमोदित परिव्यय के मुकाबले 951.82 करोड़ रुपए खर्च किए हैं जोकि 99.88% है। वर्ष 2007-08 के दौरान स्कीमवार परिव्यय और व्यय संलग्नक 26.1 पर दिए गए हैं।

26.3 इसके अतिरिक्त राज्य क्षेत्रक के अंतर्गत पर्यटन क्षेत्रक के लिए वार्षिक योजना 2008-09 1283.03 करोड़ रुपए का अनुमोदन किया गया था। राज्य-वार ब्यौरा संलग्नक 26.2 में दिया गया है।

26.4 वर्ष 2007-08 के दौरान पर्यटन डेस्टीनेशनों/सर्किटों पर अवसंरचना सुविधाओं में

वृद्धि करने तथा सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण की दृष्टि से 181 नई अवसंरचना परियोजनाओं और 8 नए आईएचएम व 6 एफसीआई(ज़) को स्वीकृति दी गई थी। वर्ष 2007-08 के दौरान संस्वीकृत राज्यवार अवसंरचना परियोजनाएं और आवंटित/जारी की गई निधियों का विवरण संलग्नक 26.3 में दिया गया है। वर्ष 2007-08 के दौरान मंत्रालय द्वारा संचालित प्रोत्साहन अभियान से देश को कई प्रतिष्ठित सम्मान मिले हैं। इनमें प्रमुख है (क) यात्रा व्यापार में एक प्रतिष्ठित पत्र 'कॉन्डे नास्ट ट्रेवलर रीडर्स ट्रवल अवाडर्स 2007' में भारत को 'वर्ष का प्रिय देश' का सम्मान दिया गया है ; (ख) वर्ष 2007 में भारत ने डब्ल्यू टीए की "एशियाज बेस्ट डेस्टीनेशन अवार्ड" भी जीता है और (ग) भारत को सर्व सम्मति से संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन कार्यकारी परिषद का अध्यक्ष चुना गया है।

26.5 इसके अतिरिक्त वर्ष 2007-08 के दौरान विदेशी पर्यटकों के आगमन (एफटीए) और विदेशी मुद्रा आय (एफईई) में वृद्धि काफी महत्वपूर्ण है। लगभग 13% की वृद्धि के साथ वर्ष 2007-08 में एफटीए की संख्या 5.3 मिलियन पहुंच गई जो वर्ष 2006-07 में 4.7 मिलियन थी। इसी प्रकार, वर्ष 2007-08 के दौरान एफईई 27.85% की वृद्धि के साथ 11.66 बिलियन अमरीकी डालर हो गई जो वर्ष 2006-07 में 9.12 बिलियन अमरीकी डालर थी।

वार्षिक योजना 2008-09

26.6 वर्ष 2008-09 के दौरान पर्यटन मंत्रालय के लिए 1000.00 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है। परिव्यय का स्कीमवार ब्यौरा संलग्नक 26.4 में दिया गया है।

26.7 पर्यटन मंत्रालय 13 केन्द्रीय क्षेत्रकों और एक सीएसएस की स्कीम पर कार्य कर रहा है उनमें से मुख्य निम्नलिखित है :

डेस्टीनेशन और सर्किट्स (सीएसएस) के लिए उत्पाद/अवसंरचना विकास

26.8 यह एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम हैं तथा स्कीम का फोकस वर्तमान उत्पाद में सुधार और विश्वस्तरीय नए पर्यटन उत्पाद विकसित करना होगा। पहचान किए गए पर्यटन स्थलों के एकीकृत अवसंरचना विकास पर भी ध्यान केन्द्रित किया जाएगा। स्कीम में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र तथा निजी क्षेत्रक की समन्वित कार्रवाई के माध्यम से संसाधनों और विशेषज्ञता के अभिसरण की भी परिकल्पना की गई है। इस स्कीम के अंतर्गत वार्षिक योजना 2007-08 के दौरान 610.51 करोड़ रुपए की लागत से 181 नई परियोजनाएं संस्वीकृत की गईं जिनमें पूर्वोत्तर राज्यों की 53 परियोजनाएं शामिल हैं।

26.9 वार्षिक योजना 2008-09 के लिए इस स्कीम के अंतर्गत 522 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है। जिसमें से 89.00 करोड़ रुपए सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लिए होगा।

विपणन विकास सहायता सहित विदेशों में बढ़ावा एवं प्रचार

26.10 इस स्कीम का उद्देश्य जोरदार अभियान के माध्यम से विदेशी यात्रा बाजार में भारत को एक प्रिय स्थान के रूप में स्थापित करना है। वर्ष 2008-09 के दौरान मुख्य बल अभियान की गति को बनाए रखना तथा ' अतुल्य भारत ' अभियान में तेजी लाना और महत्वपूर्ण पर्यटन विपणनों तथा उभरते हुए बाजार विशेषकर, पूर्व एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, सीआईएस देशों और दक्षिण अमरीका में भी प्रिण्ट व इलैक्ट्रॉनिक मीडिया अभियान जारी रखना होगा। इसके अतिरिक्त प्रोत्साहन कार्यक्रमों के दायरे को व्यापक बनाने के लिए मंत्रालय द्वारा संयुक्त प्रचार अभियान भी चलाए जाएंगे।

26.11 वर्ष 2008-09 के दौरान इस स्कीम के लिए 220.00 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है।

आवभगत सहित घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देना और प्रचार

26.12 इस योजना का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को अधिक संख्या में भारत में लाना तथा पर्यटकों को विभिन्न प्रोत्साहन उपायों के माध्यमों से सूचना उपलब्ध करा कर तथा इसके प्रचार के माध्यम से घरेलू यात्रा को बढ़ावा देना है। वर्ष 2008-09 के दौरान विषय आधारित घरेलू मीडिया अभियानों, व्यापक सामाजिक जागरूकता कार्यक्रमों, प्रचार सामग्री और कोलेटरल्स के उत्पादन और विण्डो डिस्प्ले आदि के माध्यम से पर्यटन डेस्टीनेशनों के बारे जागरूकता पैदा की जाएगी।

26.13 इस स्कीम के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम के लिए 7.00 करोड़ रुपये सहित 72.00 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है।

आईएचएम/एफसीआई/आईआईटीएम/एनआईडब्ल्यूएस आदि को सहायता

26.14 इस स्कीम में प्रशिक्षित पर्यटन जनशक्ति संसाधन के लिए पर्याप्त अवसंरचना का सृजन करने की दृष्टि से नए संस्थान स्थापित करने तथा वर्तमान संस्थानों का विस्तार करने हेतु सहायता दी जाती है। वार्षिक योजना 2008-09 के प्रस्तावों में होटल प्रबंधन हेतु नए संस्थानों की स्थापना, आईएचएम/एफसीआई की वर्तमान अवसंरचना में सुधार एवं उन्नयन करने हेतु वित्तीय सहायता, भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान, नई दिल्ली के भवन निर्माण हेतु वित्तीय सहायता, भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान हेतु पर्याप्त अवसंरचना सृजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2007-08 के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत 9 नए राज्य आईएचएमए और 4 एफसीआईज़ की संस्वीकृति दी गई थी।

26.15 इस स्कीम के अंतर्गत 54.00 करोड़ रुपए का परिव्यय प्रदान किया गया है। इसमें सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 4.00 करोड़ रुपये शामिल होगा।

26.17 इस स्कीम के लिए अनुमोदित परिव्यय 40.00 करोड़ रुपये है तथा इससे वर्ष 2008-09 के दौरान 2000 अतिरिक्त कमरों के निर्माण की आशा है।

आवास अवसंरचना हेतु प्रोत्साहन

26.16 इस स्कीम में अनुदान के रूप में सहायता प्रदान कर बजट श्रेणी में अतिरिक्त कमरों के निर्माण की सुविधा दी गई है।

वार्षिक योजना 2007-08 के दौरान स्कीमवार परिव्यय और व्यय

(करोड़ रुपए)

क्रम सं.	स्कीमों के नाम	वार्षिक योजना 2007-08	
		परिव्यय	व्यय
I	केन्द्र प्रायोजित स्कीमें (सीएसएस)		
1	डेस्टिनेशन्स और सर्किट्स हेतु उत्पाद/अवसंरचना विकास	460.00	517.98
II	केन्द्रीय क्षेत्रक (सीएस)		
1	विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं	8.00	8.46
	क) बौद्ध केन्द्र	6.00	5.98
	ख) यूएनडीपी एन्डोजिनियस परियोजनाएं	2.00	2.48
2	आईएचएमएस/एफसीआईज़/आईआईटीएम/एनआईडब्ल्यूएस को सहायता	50.00	53.00
3	सेवा प्रदाताओं की क्षमता निर्माण	15.00	7.45
4	बाजार विकास सहायता सहित ओवरसीज प्रोत्साहन और प्रचार	165.00	170.89
5	आवभगत सहित घरेलू संवर्धन और प्रचार	70.00	64.11
6	आवास अवसंरचना को प्रोत्साहन	20.00	23.70
7	गुलमर्ग कश्मीर में आईआईएस भवन का निर्माण	7.00	3.00
8	कम्प्यूटरीकरण और सूचना प्रौद्योगिकी	20.00	21.56
9	20 वर्ष की भावी योजना सहित बाजार अनुसंधान	5.00	2.46
10	अधिक राजस्व कमाने वाली परियोजनाओं को सहायता	40.00	2.21
11	होटलों में लिए लैंड बैंक का सृजन	10.00	0.00
12	आईटीडीसी को इक्विटी अंशदान	73.00	73.00
13	पर्यटन अवसंरचना विकास हेतु केन्द्रीय एजेंसियों को सहायता	10.00	4.00
	कुल (सीएस + सीएसएस)	953.00	951.82

संलग्नक 26.2

वर्ष 2008-09 के दौरान पर्यटन क्षेत्र के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार अनुमोदित परिव्यय

राज्य	2008-09 (अनुमोदित परिव्यय)
आन्ध्र प्रदेश	54.00
अरुणाचल प्रदेश	4.22
असम	13.92
बिहार	25.13
छत्तीसगढ़	41.01
गोवा	35.00
गुजरात	104.48
हरियाणा	9.70
हिमाचल प्रदेश	7.33
जम्मू और कश्मीर	89.43
झारखंड	16.00
कर्नाटक	287.80
केरल	97.54
मध्य प्रदेश	38.50
महाराष्ट्र	118.08
मणिपुर	1.60
मेघालय	3.75
मिजोरम	3.30
नागालैण्ड	5.30
उड़ीसा	33.40
पंजाब	15.30
राजस्थान	30.94
सिक्किम	18.50
तमिलनाडु	40.85
त्रिपुरा	3.73
उत्तर प्रदेश	42.01
उत्तराखंड	62.80
पश्चिम बंगाल	24.50
अंडमान व निकोबार	9.68
चंडीगढ़	2.10
दादरा व नागर हवेली	1.62
दमन और दीव	4.00
दिल्ली	15.25
लक्षद्वीप	2.25
पुदुचेरी	20.01
कुल जोड़	1283.03

पर्यटन विभाग द्वारा स्वीकृत राज्यवार अवसंरचना परियोजनाएं और
वर्ष 2007-08 में जारी की गई निधियां

(रुपए करोड़ में)

क्रम सं.	राज्य	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत राशि	दी गई राशि
1	आन्ध्र प्रदेश	8	26.14	20.93
2	अरुणाचल प्रदेश	8	33.15	26.52
3	असम	3	12.62	10.10
4	बिहार	3	11.95	10.38
5	छत्तीसगढ़	4	12.74	10.19
6	दिल्ली	2	7.14	5.71
7	गुजरात	2	5.24	4.19
8	हरियाणा	7	22.35	16.79
9	हिमाचल प्रदेश	5	22.01	17.61
10	जम्मू और कश्मीर	24	59.20	44.73
11	झारखंड	5	10.96	8.76
12	केरल	9	30.98	24.79
13	कर्नाटक	5	20.05	16.04
14	लक्षद्वीप	1	7.83	6.26
15	महाराष्ट्र	3	12.59	10.07
16	मेघालय	2	6.74	5.40
17	मिजोरम	3	16.78	13.42
18	मध्य प्रदेश	12	38.97	29.40
19	मणिपुर	3	10.86	8.69
20	नागालैण्ड	9	20.23	16.19
21	उड़ीसा	6	22.77	18.21
22	पांडिचेरी	4	15.91	12.73
23	पंजाब	1	3.98	3.18
24	राजस्थान	2	15.54	12.44
25	सिक्किम	19	59.19	47.26
26	तमिलनाडु	8	27.37	21.89
27	त्रिपुरा	6	10.41	8.33
28	उत्तर प्रदेश	5	14.41	11.23
29	उत्तराखंड	4	20.76	16.17
30	पश्चिम बंगाल	8	31.63	25.30
	कुल	181	610.51	482.91

वार्षिक योजना 2008-09 के लिए स्कीमवार परिव्यय

(रुपए करोड़ में)

क्रम सं.	स्कीमों का नाम	वार्षिक योजना 2008-09 अनुमोदित परिव्यय
I	केन्द्र प्रायोजित स्कीमें (सीएसएस)	
1	डेस्टीनेशन्स और सर्किट्स हेतु उत्पाद/अवसंरचना विकास	522.00
II	केन्द्रीय क्षेत्रक (सीएस)	
1	विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं	10.00
	क) बौद्ध केन्द्र	8.00
	ख) यूएनडीपी एन्डोजिनियस परियोजनाएं	2.00
2	आईएचएमएस/एफसीआईज़/आईआईटीएम/एनआईडब्ल्यूएस को सहायता	58.00
3	सेवा प्रदाताओं की क्षमता निर्माण	17.00
4	बाजार विकास सहायता सहित ओवरसीज प्रोत्साहन और प्रचार	220.00
5	आवभगत सहित घरेलू संवर्धन और प्रचार	72.00
6	आवास अवसंरचना को प्रोत्साहन	40.00
7	गुलमर्ग कश्मीर में आईआईएस भवन का निर्माण	3.00
8	कम्प्यूटरीकरण और सूचना प्रौद्योगिकी	25.00
9	20 वर्ष की भावी योजना सहित बाजार अनुसंधान	5.00
10	अधिक राजस्व कमाने वाली परियोजनाओं को सहायता	15.00
11	होटलों में लिए लैंड बैंक का सृजन	1.00
12	आईटीडीसी को इक्विटी अंशदान	0.00
13	पर्यटन अवसंरचना विकास हेतु केन्द्रीय एजेंसियों को सहायता	12.00
	कुल (सीएस + सीएसएस)	1000.00

अध्याय 27

परिवहन

रेलवे

परिचय

27.1.1 भारतीय रेलवे, बड़ी मात्रा में माल के परिवहन और लम्बी दूरी के यात्री यातायात के परिवहन का एक मुख्य साधन है। ग्यारहवीं योजना के दौरान भारतीय रेल के समक्ष मुख्य चुनौती स्पंदनशील अर्थव्यवस्था द्वारा सृजित उच्च गुणवत्ता सेवाओं की तीव्र मांग को पूरा करना है जिसके लिए इसे क्षमता बढ़ाने के लिए उपाय करने हैं। इस प्रकार ग्यारहवीं योजना की प्रमुख दीर्घावधिक कार्यनीति बल्क क्षमता में वृद्धि हासिल करना तथा चयनित मार्गों पर डेडीकेटिड फ्रेट कॉरीडोर निर्माण करके प्रमुख सेवाएं प्रदान करना होगा साथ ही अल्पावधिक और कम लागत क्षमता सृजन पर भी समान रूप से बल देना होगा। ग्यारहवीं योजना में ध्यान दिए जाने वाले अन्य क्षेत्र हैं समयबद्ध प्रतिस्थापनों के माध्यम से वर्तमान परिसम्पत्तियों को सुदृढ़ करना, प्रौद्योगिकी उन्नयन और प्रणाली का आधुनिकीकरण उन्नत सेवा प्रदायगी, अनेक क्षेत्रों में पीपीपी के स्तर में वृद्धि तथा रेल शेयर सुधारने और लागत के अनुसार किराया निर्धारित करने दोनों के लिए उपयुक्त मूल्य निर्धारण कार्यनीति।

27.1.2 अतः अनुमान है कि भारतीय रेल को अगले 5 वर्षों में विभिन्न क्षमता प्रसार और अन्य उपायों पर लगभग 2,51,000 करोड़ रुपये खर्च करने की आवश्यकता होगी। निवेश का अधिकांश हिस्सा आंतरिक रूप से सृजित संसाधनों तथा यथासंभाव्य बजटीय सहायता से प्राप्त होगा। तथापि, व्यापक आवश्यक निवेश पूरा करने हेतु, अतिरिक्त बजटीय संसाधनों को पर्याप्त रूप से जुटाने की आवश्यकता

होगी। सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) सहित अतिरिक्त बजटीय संसाधनों से लगभग 1,00,000 करोड़ रुपये प्राप्त होने की संभावना है।

27.1.3 भारतीय रेल में दसवीं योजना अवधि के दौरान देखा गया महत्वपूर्ण बदलाव विभिन्न उपायों जैसे चयनित मार्गों पर वैगनों की भारवहनीयता में वृद्धि, बाजार में प्रतिस्पर्धी माहौल के अनुरूप टैरिफ दरों का पुनर्निर्धारण तथा लाभरहित (लोन) और खानी सीजन में लोडिंग हेतु प्रोत्साहनों के कारण आया जिसे चालू योजना अवधि के दौरान भी जारी रखा गया है। वर्ष 2007-08 के दौरान, माल यातायात में वृद्धि 8.9 प्रतिशत तथा गैर-उपनगरीय यात्री यातायात 10.5 प्रतिशत रहा है। इस विकास को जारी रखने के लिए सेवा गुणवत्ता में सुधार तथा यातायात की यूनिट लागत में और अधिक कमी करके और उपरोक्त पहलों को आगे बढ़ाते हुए रेल परिवहन के वस्तु आधार को विस्तृत करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

वार्षिक योजना 2007-08 की समीक्षा

27.1.4 वार्षिक योजना 2007-08 (बीई) में रुपये 31000 करोड़ परिव्यय की व्यवस्था की गई, जिसमें आन्तरिक संसाधन सृजन के लिए 17323 करोड़ रु०, मार्किट उधार के 5740 करोड़ रुपये, तथा सामान्य एक्सचेंजर पूंजी 7937 करोड़ रु० शामिल हैं। वर्ष 2007-08 में वास्तविक योजना व्यय रु० 28980 करोड़ का था, जिसमें आंतरिक स्रोत सृजन के लिए 14948 करोड़ रुपए, मार्किट उधार के लिए 5064 करोड़ रुपए तथा सकल बजटरी सहायता हेतु 8668 करोड़ रुपये शामिल हैं (संलग्नक-27.1.1)। वास्तविक व्यय में राष्ट्रीय

परियोजनाओं हेतु 1231 करोड़ रुपये की अतिरिक्त जीबीएस शामिल है जिसे बीई चरण पर नहीं दिया गया था परंतु वर्ष के दौरान उपलब्ध कराया गया। इस प्रकार बाजार के लिए ऋण जुटाने में 3251 करोड़ रुपये की कमी आई जिससे रोलिंग स्टॉक अधिग्रहण प्रभावित हुआ तथा वर्ष के शुरुआत में परिकल्पित वास्तविक प्रगति हासिल न होने के कारण डेडीकेटेड फ्रेट कारीडोर परियोजना पर आंतरिक संसाधनों से परिव्यय में बचत भी प्रभावित हुई। विशेष रेलवे सुरक्षा कोष (पुरानी परिसम्पत्ति को बदलने हेतु सृजित) तथा सड़क सुरक्षा कार्य (डीजल उपकरण से) दोनों सुरक्षा कार्यों में भी गिरावट आई है।

27.1.5 जहाँ तक वास्तविक उपलब्धियों का संबंध है, 2007-08 के दौरान मूल परिवहन भाड़े के रूप में राजस्व कमाई के लिए 793 मिलियन टन दुलाई की गई, जबकि 2006-07 के दौरान मूल परिवहन भाड़े के लिए राजस्व कमाई के रूप में 727.75 मिलियन टन माल की दुलाई की गई थी। 2007-08 में बजट अनुमान का लक्ष्य 785 मिलियन टन था। यात्री परिवहन के मामले में वर्ष 2007-08 में उपलब्धि 6678.91 मिलियन यात्रियों की थी, जबकि 2006-07 के दौरान 6333.73 मिलियन यात्री तथा बजट अनुमान का लक्ष्य (2007-08) 6606 मिलियन यात्री थे। रेलवे द्वारा कुछ वर्षों में भाड़े/ यात्रियों की आवागमन के बारे में की गई प्रगति के ब्यौरे परिशिष्ट 27.1.2 तथा 27.1.3 पर दिए गए हैं।

27.1.6 2007-08 के मुख्य कार्यक्रमों में शामिल थे - रोलिंग स्टॉक का अधिग्रहण, रेलवे लाइनों (ट्रैकों) का नवीनीकरण, लाइन(गेज) परिवर्तन, रेलवे विद्युतीकरण, और नई रेल लाइनों का निर्माण (संलग्नक 27.1.4) वास्तविक लक्ष्यों की उपलब्धियां नीचे दी गई हैं :

	लक्ष्य	उपलब्धियां
नई लाइनों का निर्माण (रूट कि.मी.)	500	150
गेज परिवर्तन (रूट किलोमीटर)	1800	1549
डबलिंग (रूट किलोमीटर)	700	426
विद्युतीकरण (रूट किलोमीटर)	500	502
लाइनों का (ट्रैक) नवीनीकरण (ट्रैक कि.मी.)	3789	4002
रोलिंग स्टॉक		
1. लोकोमोटिव्स	420	315
डीजल	220	165
विद्युत	200	150
2. कोच	3694	3101
3. वैगन(4 वीलरज के संदर्भ में)	10200	9101

27.1.7 कमियां मुख्य रूप से नई लाइने बिछाने, डबलिंग व गेज परिवर्तन तथा कोच व वैगनों में रही है। कमियों का कारण सीमेंट और स्टील के दामों में अत्यधिक वृद्धि के कारण ठेकों के निष्पादन में विलम्ब, खराब कानून व व्यवस्था स्थिति विशेष रूप से पूर्वोत्तर में तथा आपूर्ति में बाधा रही है। भारतीय रेल इन कमियों को चालू वर्ष में दूर करने का प्रयास करेगा।

वार्षिक योजना 2008-09

27.1.8 रेल बजट में 37500 करोड़ ₹ का परिव्यय रखा गया, जिसमें 7873.90 (तथा आरएसएफ से आहरित 526.10 करोड़ रुपये) की सकल बजटीय सहायता, आन्तरिक संसाधन सृजन के लिए ₹ 20600 करोड़ तथा बाजारी उधार हेतु ₹ 8500 करोड़ शामिल है (संलग्नक-1)। चालू वर्ष (2008-09) के दौरान यातायात योजना अनुमान में माल भाड़ा से होने वाली 793 मिलियन टन राजस्व अर्जन हेतु 850 मिलियन टन परिवहन का लक्ष्य रखा गया, जबकि 2007-08 के दौरान राजस्व अर्जन हेतु मूल भाड़ा परिवहन वास्तव में 728.4 मिलियन टन रहा। यात्री परिवहन के लिए 7056.38 मिलियन यात्रियों का उच्चतर लक्ष्य रखा

गया, जबकि वर्ष 2007-08 के दौरान वास्तव में आंकड़े 6678.91 मिलियन यात्री तक पहुँच थे। भाड़े तथा रेलवे द्वारा यात्री यातायात का ब्यौरा परिशिष्ट 27.1.2 तथा 27.1.3 पर देखा जा सकता है। 2008-09 के मुख्य कार्यक्रमों में 350 कि. मी. नई रेल लाइनों का निर्माण, 2150 कि. मी. गेज परिवर्तन, 1000 कि. मी. सिंगल लाईन ट्रैक का डबलिंग, 700 कि. मी. रेल लाइनों का विद्युतीकरण, 3795 कि. मी. ट्रैक नवीकरण तथा 250 डीजल और 220 इलैक्ट्रिकल लोकेमोटिव्स, 4022 कोचेज तथा 20900 वैगनों (4 व्हीलर यूनिट में) का अधिग्रहण शामिल है। विभिन्न परियोजना योजना शीर्ष पर खर्च की जाने वाली प्रस्तावित राशि के ब्यौरे संलग्नक 27.1.4 पर दिए गए हैं।

डेडीकेटिड फ्रेट कॉरीडोर का निर्माण

27.1.9 डेडीकेटिड फ्रेट कारीडोर कारपोरेशन इंडिया लिमिटेड जोकि एक एसपीवी है, का गठन पश्चिमी भारत के बन्दरगाहों तथा पूर्वी भारत के बंदरगाहों और खानों को क्रमशः दिल्ली और पंजाब से जोड़ने हेतु डेडीकेटिड फ्रेट कॉरीडोर के निर्माण और प्रचालन के लिए किया गया था। भूमि अधिग्रहण सहित वित्त पोषण एवं अन्य मुद्दों पर चर्चा चल रही है। इन कारीडोर्स में 2700 रूट कि. मी. के निर्माण जो कि लगभग 5000 ट्रैक कि. मी. के बराबर है, पर 28000 करोड़ रुपये की लागत आएगी जिससे दीर्घ से मध्यम अवधि के दौरान यातायात मांग में वृद्धि से निपटने के लिए रेलवे की बल्क क्षमता आवश्यकता को पूरा किया जा सकेगा तथा सेवा गुणवत्ता में वृद्धि के अलावा यूनिट परिवहन लागत में कमी आएगी। अन्य उच्च घनत्व वाले मार्गों पर इसी प्रकार के कॉरीडोर्स के लिए पूर्व-संभाव्यता अध्ययन प्रगति पर है।

विश्वस्तरीय रेलवे स्टेशन

27.1.10 महानगरों और महत्वपूर्ण पर्यटन केन्द्रों के रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को विश्वस्तरीय यात्री

सुविधा और सेवाएं प्रदान करने हेतु इनका आधुनिकीकरण किए जाने की आवश्यकता है। ऐसा करने के लिए भारतीय रेल ने स्टेशनों से सटी जमीन और स्टेशनों के ऊपर एयरस्पेस का उपयोग करने के लिए इस क्षेत्र में निजी निवेश आकर्षित किया है। छूटग्राही व्यक्ति से आशा की जाती है कि वह परिचालनीय और यात्री क्षेत्रों का निर्माण व उसकी अनुसंधान लागत मुक्त करेगा, रीयल एस्टेट से अर्जित राजस्व को शेयर करेगा तथा रियायती अवधि की समाप्ति के पश्चात् इसे सौंप देगा। प्रथम चरण में कुल 24 स्टेशनों की पहचान की गई है। ये हैं- सीएसटी मुम्बई (करनाक बंडर), पुणे, हावड़ा (कोलकाता), लखनऊ, नई दिल्ली, आनंद विहार, बिजवासन दिल्ली, अमृतसर, चण्डीगढ़, वाराणसी, चेन्नई, तिरुअनन्तपुरम, सिकन्दराबाद, अहमराबाद, पटना, भुवनेश्वर, मथुरा, आगरा, गया, जयपुर, नागपुर, तिरुपति, बंगलोर और भोपाल। नई दिल्ली स्टेशन की प्रायोगिक परियोजना हेतु बोली लगाने वालों के लिए पूर्व-अर्हता प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वर्ष 2008-09 के दौरान पटना, सिकन्दराबाद और मुम्बई के पुनर्विकास का कार्य भी शुरू किया जाएगा। तत्पश्चात अन्य स्टेशनों तथा ग्रीन फील्ड यात्री टर्मिनलों के विकास का कार्य भी शुरू किया जाएगा।

हाई स्पीड कारीडोर

27.1.11 हाई स्पीड यात्री परिवहन हेतु चयनित मार्गों पर एक पर्यावरणीय अनुकूल हाईस्पीड कॉरीडोर विकसित करने की संभावनाएं तलाश की जा रही हैं। कुछ अत्यधिक व्यस्त महानगरों को 2.5 से 4 घण्टे के बीच 600-1000 कि. मी. की दूरी तक रेल यात्रा सुलभ कराने हेतु हाई स्पीड रेल लिंक से जोड़ने के लिए जांच हेतु कुछ पहचान किए गए कॉरीडोर्स की पूर्व अर्हता अध्ययन कराए जा रहे हैं। इसके लिए पीपीपी सहित सभी विकल्पों पर विचार किया जाएगा।

सड़कें

प्रस्तावना

27.2.1 सड़कें मूल भूत अवसंरचना होती है तथा किसी देश के विकास में इनकी प्रमुख भूमिका होती है। यद्यपि, भारत में सड़क नेटवर्क बहुत बड़ा है तथा अर्थव्यवस्था के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, तथापि इसमें अनेक कमियां हैं। कई स्थानों पर उच्च यातायात घनत्व के संचालन में असमर्थ है तथा ये खराब स्थिति में है। तीव्रता से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था के लिए अपेक्षित उच्च गति का यातायात इन सड़कों पर संभव नहीं है। देश की विकास आयोजना में सड़क नेटवर्क में सुधार को उच्च प्राथमिकता दी गई है। भारत में वर्तमान सड़क नीति के दो मूलभूत सिद्धान्त हैं - अभिगम्यता और गतिशीलता। अभिगम्यता के लक्ष्य को उन्नत ग्रामीण सड़क नेटवर्क से हासिल किया जाएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी एम जी एस वाई) को, ग्रामीण क्षेत्रों में पक्की सड़क कनेक्टिविटी प्रदान करने के उद्देश्य से आरम्भ किया गया है। पी एम जी एस वाई को 2009 तक 1000 से अधिक आवास स्थानों (500 से अधिक पहाड़ी अथवा जनजातीय क्षेत्रों) को जोड़ने के भारत निर्माण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पुनः चरणबद्ध किया गया है। क्षमता में सुधार करके और उच्च घनत्व वाले कॉरिडोरों को सुदृढ़ करके गतिशीलता की कठिनाई को दूर किया जाएगा। इस संबंध में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना एक मुख्य पहल है इस राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) नेटवर्क में चरणबद्ध तरीके से सुधार लाने के लिए आरम्भ किया गया है। इस संबंध में प्रथम पहल, स्वर्णिम चतुर्भुज को 4/6 लेन का करना था और तत्पश्चात् एन एस - ई डब्ल्यू कॉरिडोर का निर्माण करना था। अनुरक्षण और सड़कों की (राइडिंग) गुणवत्ता में सुधार करने पर लगातार बल दिया जा रहा है।

27.2.2 इसके अतिरिक्त, देशव्यापी सम्पर्कता की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, प्रधानमंत्री की

अध्यक्षता वाली अवसंरचना संबंधी समिति ने वर्ष 2005-2012 तक की अवधि के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों का चरणबद्ध तरीके से सुधार एवं विकास करने हेतु एक व्यापक कार्यक्रम का अनुमोदन किया है तथा इस प्रयोजन हेतु 2,20,000 करोड़ रुपये के निवेश की परिकल्पना की गई है। एनएचडीपी-III के अंतर्गत कुल राजमार्ग विकास की लम्बाई में वृद्धि के कारण यह राशि 2,47,635 करोड़ तक पहुँच गई है। वित्तपोषण मुख्य रूप से उपकर प्राप्ति, टॉल राजस्व से अधिशेष, निजी निवेश और बाजार से उधार के माध्यम से किया जाएगा।

27.2.3 कार्यक्रम में निम्नलिखित शामिल हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एनएचडीपी) चरण I और II को पूरा करना, 10000 कि. मी. राष्ट्रीय राजमार्ग का बनाओ, चलाओ और हटाओ (बीओटी) आधार पर चार/छः लेन का करने हेतु एचएचडीपी चरण III को पूरा करना (कुल अनुमोदित लम्बाई बाद में 12,109 कि. मी. तक पहुँच गई है), 20000 कि. मी. राष्ट्रीय राजमार्ग को दोनों तरफ खड़जा सहित दो लेन में चौड़ा करने हेतु एनएचडीपी चरण IV को पूरा करना, 6500 कि० मी० चयनित राष्ट्रीय राजमार्ग को छः लेन में परिवर्तित करने हेतु एनएचडीपी चरण V को पूरा करना, 1000 कि. मी. एक्सप्रेस वे के विकास हेतु एनएचडीपी चरण VI तथा राष्ट्रीय राजमार्गों पर मुख्य शहरों एवं वाईपासों पर रिंग रोड, फ्लाईओवर आदि के निर्माण हेतु एनएचडीपी चरण VII को पूरा करना।

27.2.4 लक्ष्यों की समय-समय पर विभिन्न स्तरों पर सीओआई द्वारा मानीटरिंग की जाती है। इस प्रयोजन हेतु, अगले दो वर्षों के लिए मानीटरन योग्य लक्ष्यों सहित राजमार्ग विकास हेतु एक विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया गया है।

वार्षिक योजना 2007-08 की समीक्षा

27.2.5 वर्ष 2007-08 के लिए रू० 12440.00 करोड़ के परिव्यय के मुकाबले व्यय रू० 12339.76

करोड़ रुपये का था। 2007-08 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यों की वास्तविक प्रगति तथा 2008-09 के लिए लक्ष्य, जो आउटकम बजट के अनुरूप हैं, परिशिष्ट 27.2.1 पर दिए गए हैं। पुलों के निर्माण/पुनर्स्थापन के मामले में लक्ष्य हासिल करने में 24.21 प्रतिशत की कमी आई है। वर्ष 2007-08 के दौरान दो लेन सड़कों को चौड़ा करना, कमजोर 2-लेन सड़कों का सुदृढीकरण, वाईपासों और आईआरक्यूपी कार्य क्रमशः लगभग 112.22 प्रतिशत, 158.84 प्रतिशत, 200 प्रतिशत, 111.59 प्रतिशत हो गया है जो लक्ष्य से अधिक है।

वार्षिक योजना 2008-09

27.2.6 वार्षिक योजना 2008-09 में कमियों को दूर करने के लिए लगातार ध्यान दिया जाएगा। अतः मुख्य जोर गायब हुए लिंको के निर्माण, घटिया स्तर के सैक्शन में सुधार करने, कमजोर पुलों की बहाली/पुनः निर्माण, उप मार्गों का निर्माण, 4 लेन, 2 लेन के निर्माण तथा 2 लेन की कमजोर सड़कों के सुदृढीकरण पर होगा। जोर विद्यमान राजमार्गों की राइडिंग गुणवत्ता में सुधार करने पर भी होगा। योजना में पिछड़े और दूर-दराज के क्षेत्रों में जैसे पूर्वोत्तर क्षेत्र पर योजना में अधिक ध्यान दिया जाएगा। इन क्षेत्रों में सड़क नैट-वर्क सुधार क्षेत्र के विकास हेतु एक उत्प्रेरक का कार्य करेगा।

27.2.7 वर्ष 2008-09 के दौरान केंद्रीय क्षेत्र में सड़कों के विकास के लिए ₹ 17370.00 करोड़ के परिव्यय का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2007-08 (बीई और व्यय) तथा 2008-09 (बीई) के लिए स्कीम वार ब्यौरे परिशिष्ट 27.2.2 में दिए गए हैं।

बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं

27.2.8 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन एच ए आई) में विश्व बैंक, ए डी बी, जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल को-आपरेशन (जे बी आई सी) से ऋण के रूप में विदेशी सहायता से अनेक

परियोजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है। बाह्य सहायता प्राप्त राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं, जिनका वित्तपोषण बहुराष्ट्रीय एजेसियों द्वारा किया जा रहा है का ब्यौरा संभावित लागत तथा पूरी होने की तारीख सहित परिशिष्ट 27.2.3 पर दिया गया है। एन एच डी पी फेज-I के तहत 15 परियोजनाओं को 3558.16 करोड़ रुपये की लागत पर 31.3.2008 तक पूरा कर दिया गया है। एनएचडीपी फेज I के अंतर्गत 663.00 करोड़ रुपये की लागत की 3 परियोजनाओं की संविदा समाप्त कर दी गई है। वर्तमान 58 बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं चल रही हैं। इनमें से एन एच डी पी फेज- I के तहत चल रही 16 परियोजनाओं की लागत 5254.13 करोड़ रुपये है, जबकि एन एच डी पी फेज- II की 42 परियोजनाओं की अनुमानित लागत 11653.17 करोड़ रुपये है।

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजनाएं (एन एच डी पी)

27.2.9 राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना, जिसमें गोल्डन क्वाड्रीलेटरल (जीक्यू) तथा उत्तर-दक्षिण, पूर्व-पश्चिम (एन एस ई डब्ल्यू) परियोजनाएं शामिल हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी आफ इंडिया द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं और वर्तमान नेटवर्क को चार/छः लेन का करना परिकल्पित है। कुल जी क्यू 5,846 किलोमीटर लम्बाई दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ेगा अर्थात् दिनांक 30.4.2008 तक 96.97 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। एनएस, इडब्ल्यू कारिडोरों की लम्बाई 7,300 किलोमीटर होगी और यह कश्मीर को कन्याकुमारी से और सिलचर को पोखर से जोड़ेगी। एनएस, ईडब्ल्यू कॉरिडोर परियोजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य दिसम्बर 2008 है।

27.2.10 जीक्यू के सभी निर्माण कार्य एजेसियों को सौंप दिए गए हैं, परन्तु जीक्यू के पूरा होने में कुछ चूकें हुई हैं। जीक्यू की 5846 किलोमीटर की कुल लम्बाई के मुकाबले, 5669 किलोमीटर

(96.97 प्रतिशत) को 4-लेन बना दिया गया है और शेष 177 किलोमीटर को पूरा किया जाना है।

27.2.11 एन एच डी पी के चरण -I और II की वास्तविक प्रगति (उत्तर - दक्षिण व पूर्व-पश्चिम कॉरिडोर) : 7300 किलोमीटर (7200 कि.मी. आज तक) की कुल लम्बाई के मुकाबले 2208 किलोमीटर यानि 30.4.2008 की समाप्ति तक 30.24 प्रतिशत 4-लेन का बना दिया गया है। 4113 किलोमीटर की कुल लम्बाई पर निर्माण कार्य प्रगति पर हैं। शेष 821 किलोमीटर के लिए निर्माण कार्यों को अभी सौंपा जाना है।

27.2.12 वर्ष 2007-08 के दौरान निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने में कमियों के मुख्य कारणों में अन्य बातों के साथ-साथ भूमि अधिग्रहण में विलम्ब, पर्यावरण एवं वन अनुमति, आर ओ बी डिजाइन हेतु रेलवे की अनुमति, यूटिलिटीज शिफ्ट करने में विलम्ब, स्थानीय कानून व्यवस्था की समस्याएं बोली लगाने वालों की कमी और कुछ ठेकेदारों का खराब निष्पादन शामिल है।

27.2.13 एन एच डी पी चरण-III जिसमें वर्तमान राष्ट्रीय राजमार्गों (एचएचडीपी के अलावा) के लगभग 10000 किलोमीटर जिसे बाद में बढ़ाकर 12109 कि. मी. किया गया को 4 - लेन का बनाने की परिकल्पना की गई है, चरण I व चरण II को बीओटी आधार पर आरम्भ किया जाना प्रस्तावित है। इसे दो चरणों में कार्यान्वित किया जाना है। कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित राष्ट्रीय राजमार्गों का 4815 किलोमीटर का प्रथम चरण दिसम्बर 2009 में पूरा कर लिया जाएगा। दूसरे चरण के रूप में, शेष के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए भी अनुमोदन मिल गया है।

27.2.14 एन एच डी पी III ए के तहत 428 कि. मी. लम्बी एक परियोजना पूरी की गई है। कुल 1647 कि.मी. के लिए या तो कार्य जारी है अथवा करार पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं। 30.4.2008

की स्थिति के अनुसार 10034 कि.मी. लम्बी सड़क के लिए कार्य अभी सौंपा जाना शेष है। विलम्ब का कारण आरएफपी जारी करने हेतु बोलीदाताओं को छॉटने में तथा आरएफक्यू आदि वनों के मूल्यांकन में लगा समय है।

27.2.15 एन एच डी पी फेज V ए के लिए हाल ही में अनुमोदन प्राप्त किया गया है जिसमें 5000 कि. मी. को बीओटी (वार्षिकी) आधार पर तथा 400 कि. मी. बीओटी (टाल) आधार पर कवर करते हुए कार्यान्वित किया जाएगा।

27.2.16 एनएचडीपी फेज V के तहत पूरी की जाने वाली कुल 6500 कि. मी. सड़क में से दो परियोजनाएं जिनके तहत 1020 कि. मी. लम्बी सड़क बनानी हैं, का कार्य पहले ही सौंप दिया गया है, शेष 5470 कि. मी. सड़क हेतु कार्य सौंपा जाना शेष है। विलम्ब का कारण संभाव्यता रिपोर्ट तैयार करने, आरएफपी जारी करने हेतु बोलीदाताओं को छॉटने में तथा आरएफक्यू आवेदनों के मूल्यांकन में लगा समय है।

27.2.17 एन एच डी पी फेज VI के अंतर्गत नए मार्गों पर पूर्ण नियंत्रण सहित 1000 कि. मी. एक्सप्रेसवेज के निर्माण का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। सर्व प्रथम बड़ोदरा - मुम्बई मार्ग का कार्य शुरू किया जाएगा। तीन बार मांगने के बावजूद संभाव्यता अध्ययन हेतु परामर्शदाताओं के प्रस्तावों से अब तक कोई परिणाम नहीं निकला है। कार्यान्वयन हेतु जिन मार्गों को अंतिम रूप दिया गया है वे हैं - दिल्ली - मेरठ, बंगलोर - चैन्नई तथा कोलकाता - धनबाद। एनएचडीपी फेज-VII का अनुमोदन अभी प्राप्त किया जाना है। वर्ष 2007-08 के दौरान एनएचडीपी के विभिन्न फेजों की वास्तविक प्रगति संलग्नक 27.2.4 पर दी गई है।

27.2.18 पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु विशेष त्वरित विकास सड़क कार्यक्रम (एसएआरडीपी-एनई) के अंतर्गत विकास हेतु कुल 8737 कि. मी. लम्बी सड़क का

अनुमोदन दिया गया है। इसे दो चरणों में शुरू किया जाएगा। एसएआरडीपी के फेज 'ए' का कार्यान्वयन जिसकी कुल लम्बाई 2454 कि. मी. है तथा फेज 'बी' के अंतर्गत 6283 कि. मी. लम्बाई के लिए अनुमोदन प्राप्त करने हेतु डीपीआर तैयार करने की कार्रवाई भी शुरू हो गई है। डीपीआर अभी एनएचएआई, बीआरओ और राज्य पीडब्ल्यूडी में तैयार किए जा रहे हैं। अरुणाचल पैकेज में है (i) ट्रांस-अरुणाचल राजमार्ग (टीएएच) जिसमें 1800 कि.मी. लम्बी सड़क को कवर किया गया है तथा 12 जिलों को जोड़ा गया है। (ii) 2 लेन की सड़क तथा ढोला सड़िया पुलों के लिए एचएच-37 और एनएच-52 का मिसिंग लिंक (iii) शेष 4 जिलों का 2 लेन कनेक्टिविटी तथा (iv) एसएआरडीपी-एनई फेज-ए में दो स्थानों पर एचएच-52 से टीएएच के इंटर कनेक्टिविटी को शामिल किया गया है। कार्यक्रम का समन्वय करने, विभिन्न प्रस्तावों की अतिव्याप्ति से बचने तथा एस ए आर डी पी-एनई के अंतर्गत उप-परियोजनाओं की संस्वीकृति के लिए एक उच्च अधिकार प्राप्त अंतर मंत्रालयी समिति (एचपीसी) गठित की गई है। एचपीसी ने 30.4.2008 की स्थिति के अनुसार असम के राष्ट्रीय राजमार्गों तथा मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की राज्य सड़कों के विभिन्न मार्गों पर खड़जा सहित 2 लेनों की सड़कों के निर्माण/चौड़ा करने के कार्यों हेतु 2374 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से कुल 900 कि. मी. की लम्बाई के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है।

केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीमें

(i) प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पी एम जी एस वाई)

27.2.19 ग्रामीण संयोजन (कनेक्टिविटी) भारत में ग्रामीण विकास का मुख्य घटक है। ग्रामीण संयोजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) नामक एक ग्रामीण सड़क कार्यक्रम आरम्भ किया गया था। इस स्कीम का मूल उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पक्की उपयुक्त सड़कों

के जरिए 1000 और उससे अधिक जनसंख्या वाले आवास क्षेत्रों को 2003 तक और 500 और उससे अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों को 2007 तक संयोजन (कनेक्टिविटी) प्रदान करना है। पहाड़ी/रेगिस्तानी/जनजातीय क्षेत्रों के मामले में 250 और उससे अधिक जनसंख्या वाले आवास क्षेत्रों को सड़कों से जोड़ने का उद्देश्य है। पीएमजीएसवाई कार्यक्रम को 1000 से अधिक आवास क्षेत्रों (500 से अधिक पहाड़ी राज्यों, रेगिस्तानी और जनजातीय क्षेत्रों के लिए) को 2009 तक जोड़ने के भारत निर्माण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पुनः चरणबद्ध किया गया है।

27.2.20 2007-08 के दौरान 43989.93 कि.मी. लम्बाई को कवर करने वाली 20071 (तत्पश्चात् संशोधित 12100 आवास) आवास क्षेत्रों को जोड़ने की नई कनेक्टिविटी और 59316.28 कि.मी. के क्रमोन्नयन के लक्ष्य की तुलना में, 21902 कि. मी. लम्बाई को कवर करते हुए 7040 आवास क्षेत्रों को नई कनेक्टिविटी प्राप्त कर ली गई है और 35471 कि.मी. का क्रमोन्नयन कर लिया गया है।

27.2.21 वर्ष 2008-09 का लक्ष्य 23567 (तत्पश्चात् संशोधित 18100) आवास क्षेत्रों को संयोजन प्रदान करना और नई कनेक्टिविटी हेतु 64440.00 किलोमीटर लम्बाई कवर करना है तथा 27720.00 कि. मी. ग्रामीण सड़क कार्यों का क्रमोन्नयन करना है।

27.2.22 दसवीं योजना और वार्षिक योजना 2007-08 तथा 2008-09 (बीई) तक पी एम जी एस वाई के तहत राज्य-वार आबंटन/व्यय दर्शाने वाला विवरण संलग्नक-27.2.5 पर दिया गया है।

(ii) आर्थिक एवं अन्तर्राज्यीय महत्व की सड़कें

27.2.23 अन्तर-राज्यीय अथवा आर्थिक महत्व (ई एण्ड आई सड़के) वाली सड़कों और पुलों का विकास करने के लिए राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। केन्द्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 में यह प्रावधान है कि राज्य

बॉक्स-27.2.1

निजी क्षेत्रक निवेश सुलभ कराने हेतु उपाय

- यह निर्णय लिया गया है कि एनएचडीपी फेज-III से फेज-VII तक सभी उप परियोजनाएं पीपीपी आधार पर बनाओ, चलाओ और हटाओ (बीओटी) तरीके से शुरू की जाएंगी।
- निजी क्षेत्रक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कर में छूट तथा सड़क बनाने वाले उपस्करों एवं मशीनों के आयात को शुल्क मुक्त करने जैसे अनेक प्रत्साहनों की घोषणा की है।
- राष्ट्रीय राजमार्गों हेतु माडल राहत समझौता, जिसे सीओआई द्वारा वर्ष 2005 में अनुमोदित किया गया था, को एमओएसआरटीएच/एनएचएआई द्वारा पीपीपी परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु अपना लिया गया है। योजना आयोग द्वारा राज्य राजमार्गों हेतु एमसीए प्रकाशित कर दी गई है।
- राष्ट्रीय राजमार्गों के संबंध में टॉलिंग नीति की हाल ही में समीक्षा की गई। रिपोर्ट को अंतरूप रूप देने के पश्चात् राहत के लिए राजस्व अनुमानों को व्यापक रूप से निश्चित किया जा सकता है।
- पीपीपी के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्गों को चार लैन तथा छः लैन का बनाने हेतु मानक एवं विनिर्देश मैनुअल को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग द्वारा अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस मैनुअल को अपनाने से परियोजना तैयार करने में समय कम लगेगा तथा परियोजना विशिष्ट मैनुअल की कोई आवश्यकता नहीं होगी।
- एनएचडीपी फेज I यानि स्वर्णिम चतुर्भुज के बड़े भाग के पूरा हो जाने के कारण अब ध्यान कोरीडोर प्रबंधन पर चला गया है जिससे कि प्रचालनात्मक लागत कम तथा सड़क सुरक्षा बढ़ाते हुए गति एवं यातायात आकार के मामले में अधिकतम थू-पुट दिया जा सके। इस संबंध में राजमार्गों के प्रचालन और अनुरक्षण के लिए एक एमसीए योजना आयोग द्वारा प्रकाशित की जा रही है।

सड़कों के लिए सी आर एफ के उपचय का 10% ई एण्ड आई सड़कों के लिए रखा जाना चाहिए। इस स्कीम के तहत अंतर-राज्यीय संयोजन परियोजनाओं के लिए 100% अनुदान दिया जाता है और आर्थिक महत्त्व की परियोजनाओं के लिए 50% अनुदान दिया जाता है।

27.2.24 इस स्कीम के लिए ग्यारहवीं योजना (2007-12) के लिए 900 करोड़ रूपए और वार्षिक योजना 2007-08 तथा वर्ष 2008-09 के लिए क्रमशः 173.93 करोड़ रूपए तथा 185.74 करोड़ रूपए के परिव्यय का प्रावधान किया गया है। दसवीं योजना तथा 2007-08 तक जारी राज्य-वार निधियों का एक विवरण संलग्नक 27.2.6 पर दिया गया है।

निजी क्षेत्रक सहभागिता

27.2.25 सड़क विकास में निजी सहभागिता को आकर्षित करने के लिए सरकार ने निजी क्षेत्र

सहभागिता की अवधारणा को एक्सप्रेसवे सहित राजमार्गों का विकास, अनुरक्षण, प्रचालन हेतु अनुमोदित किया था। उसके बाद सड़क विकास कार्यक्रम के तहत निजी क्षेत्र की सहभागिता को सुविधाजनक बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं (बॉक्स 27.2.1)।

27.2.26 पूर्वानुमान में सुधार और पीपीपी के लिए जोखिम कम करने वाला वातावरण बनाने तथा ट्रांजेक्शन लागत और समय को घटाने के लिए, सरकार उपयुक्त संस्थागत तंत्र का सृजन कर रही है और नीति तथा विनियामक ढांचे का आधुनिकीकरण कर रही है। निष्पक्ष और पारदर्शी आधार पर नीति और नियामक फ्रेमवर्क को विनिर्दिष्ट करने हेतु पीओटी परियोजनाओं के लिए मांडल कन्सेशन एग्रीमेंट (एमसीए) पहले से ही स्थापित किया जा चुका है और रोल आउट परियोजनाओं में तेजी लाई जा रही है। इसके

स्तर	कंट्रैक्ट (सं०)		लम्बाई कि. मी.		लागत (करोड़ रुपये)	
	मोर्थ	एनएचएआई	मोर्थ	एनएचएआई	मोर्थ	एनएचएआई
पूर्ण	24	9	355.89	454.10	1307.31	3598.00
प्रगति पर	2	64।	31.00	4222.43	120.60	27342.63
कुल	26	73	386.89	4676.53	1427.91	30940.63

अतिरिक्त, (i) राज्य राजमार्गों और राजमार्गों के आपरेशन एवं अनुरक्षण हेतु पीपीपी शुरू करने के लिए मंत्रालयों और राज्य सरकारों के लिए सर्वोत्तम मार्ग दर्शन तथा (ii) वार्षिकी परियोजनाओं के लिए एमसीए को अभी अंतिम रूप दिया जा रहा है।

27.2.27 31.3.2008 की स्थिति के अनुसार बीओटी टोल परियोजनाओं की स्थिति इस प्रकार है

27.2.28 निजी क्षेत्र की भागीदारी में भारी मात्रा में अग्रिम पूंजी निवेश और राजस्व इकट्ठा करने के अधिक जोखिमों संबंधी मुख्य समस्या से निपटने के लिए 28 परियोजनाएं दी गई हैं, जिनकी लागत 10841.49 करोड़ रुपये है। इनमें से वार्षिक आधार पर 2353.70 करोड़ रु० लागत की आठ परियोजनाएं हैं, को एन एच डी पी फेज-I के तहत पूरा कर लिया गया है। एनएचडीपी फेज II के तहत शेष 19 परियोजनाओं जिनकी लागत 8281.91 करोड़ है, तथा एनएचडीपी फेज-III के तहत 205.88 करोड़ रुपये की लागत से एक परियोजना का कार्य चल रहा है।

27.2.29 इसके अतिरिक्त, एनएचएआई ने सड़क परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए एस पी वी का गठन किया है। 2670.13 करोड़ रूपए की 13 परियोजनाओं की एस पी वी वित्तपोषण के तहत पहचान की गई इनमें से 904.00 करोड़ रूपए की 05 परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं, जबकि 1766.13 करोड़ रूपए लागत की 8 परियोजनाएं प्रगति पर हैं।

सड़क परिवहन

प्रस्तावना

27.2.30 सड़क परिवहन की अपने सुलभता, नमनीयता डोर-टू-डोर सेवा तथा विश्वसनीयता के

कारण देश में माल एवं यात्री यातायात में महत्वपूर्ण भूमिका है। यात्री एवं फ्रेट यातायात में सड़क परिवहन का शेयर क्रमशः 87 प्रतिशत और 61 प्रतिशत है तथा जीडीपी में इसका योगदान लगभग 4.5 प्रतिशत है। वर्तमान सड़कों के सुधार और नई सड़कों के निर्माण में हो रहे अत्यधिक निवेश को देखते हुए इसके शेयर में वृद्धि की आशा है।

27.2.31 सड़क परिवहन कार्यक्रम केन्द्र व राज्य दोनों द्वारा कार्यान्वित किए जाते हैं। केन्द्रीय क्षेत्रक के अंतर्गत मुख्य कार्यक्रम में सड़क सुरक्षा (ड्राइवर प्रशिक्षण सहित एचआरडी, प्रचार उपाय एवं जागरूकता अभियान, सड़क सुरक्षा उपकरण और प्रदूषण परीक्षण एवं नियंत्रण, राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना राहत सेवा स्कीम) राष्ट्रीय डाटा बेस नेटवर्क और अध्ययन शामिल है। इसके अतिरिक्त ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कुछ नई स्कीमें आ सकती है क्योंकि सड़क परिवहन विभाग कुछ समय से इस प्रकार के प्रस्ताव लाता रहा है।

27.2.32 राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों द्वारा यात्री सेवाओं का संचालन तथा परिवहन सेवाओं का विनियमन राज्य क्षेत्रक के अंतर्गत कवर की गई कुछ महत्वपूर्ण स्कीमें हैं।

वार्षिक योजना 2007-08 की समीक्षा

27.2.33 वार्षिक योजना 2007-08 के लिए केन्द्रीय सड़क परिवहन क्षेत्रक हेतु अनुमोदित 60.00 करोड़ रुपये के परिव्यय में से 47.93 करोड़ रुपये व्यय हुआ है। अधिकांश व्यय सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए है। स्कीम-वार वित्तीय एवं वास्तविक निष्पादन निम्नलिखित है :

सड़क सुरक्षा

27.2.34 इस स्कीम के अंतर्गत 42.87 (लगभग 42 प्रतिशत) करोड़ रुपये व्यय किए गए जबकि अनुमोदित परिव्यय 52.00 करोड़ रुपये था। सड़क सुरक्षा जागरूकता पैदा करने की दृष्टि से असंगठित क्षेत्रक में 57850 भारी वाहन ड्राइवरों को प्रशिक्षित किया गया, 180 वीडियो स्पॉट और 600 रेडियो स्पॉट प्रसारित/टेलीकास्ट किए गए, दुर्घटना से प्रभावित लोगों को बचाने के लिए राज्य सरकार/पुलिस विभागों को 49 क्रेंने और 100 एम्बुलेंसें उपलब्ध कराई गईं। इसके अतिरिक्त 121 एनजीओज को सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रमों हेतु सहायता अनुदान की संस्वीकृति दी गई।

राष्ट्रीय डाटाबेस नेटवर्क

27.2.35 इस स्कीम के अंतर्गत, 4.66 करोड़ रुपये व्यय किए गए जबकि आवंटन राशि 5.00 करोड़ रुपये थी। इस स्कीम का उद्देश्य सभी सड़क परिवहन कार्यालयों/राज्य परिवहन प्राधिकरणों का नेटवर्किंग करना तथा विभिन्न नीतिगत अनुसंधान अध्ययन शुरू करना था। वर्ष 2007-08 के दौरान मैसर्स जेपीएस एसोसिएट प्राइवेट लिमिटेड को तीन अध्ययन कार्य सौंपे गए। वे हैं- (i) भारतीय सड़कों पर माल एवं यात्रियों का आकार (ii) ट्रकिंग उद्योग का अर्थशास्त्र ; तथा (iii) अंतर-राज्यीय बैरियर की आर्थिक लागत।

राज्य सड़क परिवहन निगम/उपक्रमों (एसआरटीयू) का निष्पादन

27.2.36 राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों का वास्तविक निष्पादन संतोषजनक रहा है। वर्ष 2007-08 के दौरान फ्लीट उपयोगिता, वाहन उत्पादकता, स्टाफ उत्पादकता, ईंधन क्षमता आदि में काफी सुधार हुआ है। यद्यपि एसआरटीयू के वित्तीय निष्पादन में वर्ष 2007-08 के दौरान काफी सुधार हुआ है (वर्ष 2006-07 में निवल घाटा 1703.76 करोड़ से घटकर वर्ष 2007-08 में 1422.28 करोड़

रुपये हो गया), फिर भी वर्ष 2007-08 में 1422.28 करोड़ रुपये है।

वार्षिक योजना 2008-09

27.2.37 वार्षिक योजना 2008-09 के दौरान केन्द्रीय क्षेत्रक में सड़क परिवहन के विकास के लिए 180.00 करोड़ रुपये का परिव्यय उपलब्ध कराया गया है। स्कीमवार ब्यौरे संलग्नक 27.2.7 में दिए गए हैं। केन्द्रीय क्षेत्रक में सड़क सुरक्षा एक मुख्य स्कीम है तथा इसके लिए वार्षिक योजना 2008-09 में 73 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। सड़क सुरक्षा स्कीम के अंतर्गत 75,000 ड्राइवरों को प्रशिक्षित किया जाना प्रस्तावित है, राज्य परिवहन कार्मिकों के लिए 20 प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएंगे, 350 वीडियो स्पॉट और 1200 रेडियो स्पॉट टेलीकास्ट किए जाएंगे। 15 इंटरसेप्टर, 30 क्रेंने और 70 एम्बुलेंसेज राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों/एनजीओज को दी जाएंगी। राष्ट्रीय डाटा वेस नेटवर्क के लिए वर्ष 2008-09 में 75 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस स्कीम के अंतर्गत राज्य और केन्द्रीय स्तर पर सभी आरटीओज को जोड़ते हुए ड्राइविंग लाइसेंसों और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेटों के राज्य रजिस्टर तथा राष्ट्रीय रजिस्टर बनाए जाएंगे तथा 3 अध्ययन/आरएण्डडी परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। इसके अतिरिक्त केन्द्रिय क्षेत्रक के अंतर्गत तीन नई स्कीमों यथा निरीक्षण एवं अनुरक्षण केन्द्र की स्थापना, सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का सुदृढीकरण तथा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड के सृजन को वर्ष 2008-09 के दौरान शुरू किए जाने का प्रस्ताव है। संबंधित स्कीमों के लिए 1.00 करोड़ रुपये, 30.00 करोड़ रुपये तथा 1.00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

पोत परिवहन

प्रस्तावना

27.3.1 31 मार्च, 2008 की स्थिति के अनुसार, भारतीय टॅनेज लगभग 9.00 मिलियन जीआरटी है

(14.89 मी.डीडब्ल्यूटी)। सार्वजनिक क्षेत्र की शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया (एससीआई) देश की सबसे बड़ी कैरियर है जिसके पास 2.73 मिलियन जीटी (4.76 एमडीडब्ल्यूटी) सहित 79 पोत हैं जो राष्ट्रीय टनेज का 32 प्रतिशत है। देश के ओवरसीज व्यापार में भारतीय फ्लैगशिप का शेयर वर्ष 2007-08 में लगभग 12 प्रतिशत (अनंतिम) था। जोकि वर्ष 2005-06 के 13.7 प्रतिशत से कमी दर्शाता है। इस कमी का एक मुख्य कारण यह है कि पोत के मालिक टैक्स रेजीम की तरफ शिफ्ट हुए हैं जोकि कम कष्टप्रद है। अतः भारत में पंजीकृत जहाजों के टैक्स के संचयी मामलों की तुलना में अन्य अधिकार क्षेत्र के मामलों का तुरंत अध्ययन करने की आवश्यकता है जिससे कि भारतीय पोत परिवहन को बढ़ावा देने के उपायों की पहचान की जा सके।

वित्तीय निष्पादन

27.3.2 2067.00 करोड़ रुपये परिव्यय (231.00 बीएस + 1836.00 करोड़ रुपये आईईबीआर) के मुकाबले वास्तविक व्यय 1309.72 करोड़ रुपये था जो कि वर्ष 2007-08 के दौरान अनुमोदित परिव्यय का 63.4 प्रतिशत है। बजटीय सहायता की उपयोगिता मात्र 50.7 प्रतिशत थी (117.18 करोड़ रुपये)।

शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया (एससीआई)

27.3.3 वर्ष 2007-08 में 1836.00 करोड़ रुपये के परिव्यय में से 1192.54 करोड़ रुपये की राशि खर्च हुई। वर्ष 2007-08 के दौरान मुख्य कार्यक्रम 2 बहुत बड़े क्रूड वेसल्स (वीएलसीसी) सहित 12 वेसल्स हासिल करना था जिसके लिए पहले आर्डर दिए गए थे तथा 31 वेसल्स जिनके लिए वर्ष 2007-08 में आर्डर दिए जाने हैं प्राप्त करना है। 2 नए वीएलसीसी सहित 12 वेसल्स हासिल करने का व्यय 16 प्रतिशत के व्यय से अधिक हो गया जबकि एससीआई मात्र 16 नए वेसल्स हासिल करने पर

ही अंतिम निर्णय ले सका जिसमें 2 उत्पाद टैंकर और 4 अफ्रामैक्स टैंकर शामिल थे। वेसल्स हासिल करने में कमी का मुख्य कारण खरीददारों के साथ सीधी बातचीत के बजाय निविदा प्रक्रिया में अंतर्राष्ट्रीय शिपयार्ड की उदासीनता तथा अन्य पोत आकार की तुलना में बल्क कैरियर्स के मामले में शिपयार्ड की निम्न लाभप्रदता भी थी।

27.3.4 वार्षिक योजना 2008-09 में 2342.50 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान किया गया है। पूरे परिव्यय को आंतरिक एवं अतिरिक्त बजटीय संसाधनों (आईईबीआर) के माध्यम से वित्त पोषित किया जाना है। परिव्यय को 38 वेसल्स का वित्त पोषण करने के लिए उपयोग किए जाने का प्रस्ताव है जिसमें 28 वेसल्स वैसे हैं जिनके लिए आर्डर दिए जा चुके हैं।

महानिदेशक (प्रकाशस्तंभ और प्रकाश पोत)

27.3.5 महानिदेशक, प्रकाश स्तंभ और प्रकाश पोत एक राजस्व कमाने वाला विभाग है जो अपनी आय का सृजन भारतीय बंदरगाहों पर आने व जाने वाली पोतों से लाइट ड्यूज और लाईट चार्ज के माध्यम से करता है।

27.3.6 वर्ष 2007-08 के दौरान 25.00 करोड़ रुपये के परिव्यय में से 18.78 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई थी। अधिकांश व्यय चालू स्कीमों पर किया गया था जैसे कच्छ की खाड़ी (जीओके) में वेसल ट्राफिक सर्विस (वीटीएस) तथा एमवी दीप स्तंभ का प्रतिस्थापन। वीटीएस स्कीम के कार्य निष्पादन करने वाली प्राइवेट एजेंसी द्वारा इनपुट लागत में बढ़ोत्तरी के कारण धीमी पड़ी हुई है। कार्य पूरा करने के लिए उपचारात्मक उपाय सुझाने हेतु डीओएस ने एक समिति गठित की है। 3 मुख्य लाईट हाउसों और 10 लाईट हाउसों में रैकन्स की स्थापना की गई थी। 13 लाईट हाउसों के स्थापना का कार्य प्रगति पर था।

27.3.7 वार्षिक योजना 2008-09 के लिए 40 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है। जीओके में वीटीएस के लिए 20 करोड़ रुपये की राशि दी गई है। एमवी दीप स्तंभ के प्रतिस्थापन के लिए 5 करोड़ रुपये का परिव्यय दिया गया है। 10 नए स्थानों पर नए लाईट हाउस तथा सुरक्षित नेविगेशन के लिए 5 नए स्थानों पर लाईट बीकंस की स्थापना हेतु भी प्रावधान किए गए हैं।

महानिदेशक (पोत परिवहन)

27.3.8 वार्षिक योजना 2007-08 में भारतीय मेरीटाइम विश्वविद्यालय (आईएमयू) के विकास हेतु निर्धारित 40 करोड़ रुपये की राशि सहित 48 करोड़ रुपये के परिव्यय के मुकाबले 18.75 करोड़ रुपये का व्यय हुआ जिसमें भारतीय मेरीटाइम विश्वविद्यालय (आईएमयू) के प्रारंभिक कार्यों हेतु 14 करोड़ रुपये का व्यय शामिल है। आईएमयू के मेरीटाइम शिक्षा एवं प्रशिक्षण हेतु उत्कृष्टता का केन्द्र होने की परिकल्पना की गई है। इस अवधि के दौरान शुरू किए गए अन्य कार्यों में डीजी (मुख्यालय) एवं इससे संबद्ध कार्यालय के लिए ई-गवर्नेंस स्कीम तथा एलवीएस मुम्बई में होस्टल भवन का निर्माण शामिल है।

27.3.9 वर्ष 2008-09 के दौरान डीजी (पोत परिवहन) के विकास हेतु 12.00 करोड़ रुपये का परिव्यय उपलब्ध कराया गया है। डीजी (मुख्यालय) और सिविल कार्य निष्पादन हेतु स्कीम के अंतर्गत तथा डीजी (पोत परिवहन) के अंतर्गत संबद्ध कार्यालयों में अवसंरचना सुविधाओं के उन्नयन और

विकास हेतु भी प्रावधान किया गया है।

अंतर्देशीय जल परिवहन (आईडब्ल्यूटी)

27.3.10 वर्ष 2007-08 के दौरान 158 करोड़ रुपये के परिव्यय में से 79.64 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जा सकी। राष्ट्रीय जलमार्ग-2 के विकास हेतु व्यय में अधिक कमी रही। व्यय मुख्य रूप से फेयरवे के प्रावधान/अनुरक्षण पर, तीन राष्ट्रीय जलमार्गों के टर्मिनल व नेविगेशनल सहायता पर, तकनीकी-आर्थिक संभाव्यता अध्ययन पर हुआ है। वर्ष के दौरान 3 सर्वेक्षण नावों एवं 6 सर्वेक्षण लांच हासिल किए गए तथा 8 ड्रेजर्स हासिल करने के लिए आर्डर दिए गए। संयुक्त उद्यम शुरू करने तथा पूर्वोत्तर में जेटीज के निर्माण हेतु परियोजनाओं तथा 2000 टन क्षमता के 6 कार्गो वेसल्स का स्वामित्व एवं बर्जेज के अधिग्रहण, प्रबंधन एवं संचालन के लिए आईडब्ल्यूएआई और निजी पार्टियों के बीच छः समझौता ज्ञापनों को अंतिम रूप दिया गया।

27.3.11 वार्षिक योजना 2008-09 के लिए आईडब्ल्यूएआई को तीन राष्ट्रीय जलमार्गों, नई तकनीकी अध्ययनों एवं आरण्डडी आदि के विकास हेतु सहायता अनुदान के रूप में 180 करोड़ रुपये का परिव्यय उपलब्ध कराया गया है।

27.3.12 निम्नलिखित तालिका में वार्षिक योजना 2007-08 के दौरान पोत परिवहन क्षेत्रक के लिए परिव्यय एवं व्यय तथा ग्यारहवीं योजना और वार्षिक योजना 2008-09 के लिए परिव्यय दर्शाया गया है।

क्र. सं.	स्कीम/ कार्यक्रम	11वीं योजना	वार्षिक योजना 2007-08						वार्षिक योजना 2008-09		
			परिव्यय			व्यय			परिव्यय		
			जीवीएस	आईईवीआर	कुल	जीवीएस	आईईवीआर	कुल	जीवीएस	आईईवीआर	कुल
1	एससीआई	13135.00	0.00	1836.00	1836.00	0.00	1192.54	1192.54	0.00	2342.01	2342.01
2	डीजी (एस)	66.00	8.00	0.00	8.00	4.75	0.00	4.75	11.00	0.00	11.00
3	आईएमयू	300.00	40.00	0.00	40.00	14.00	0.00	14.00	1.00	0.00	1.00
4	डीजी (एलएल)	150.00	25.00	0.00	25.00	18.79	0.00	18.79	40.00	0.00	40.00
5	आईडब्ल्यूएआई	615.00	158.00	0.00	158.00	79.64	0.00	79.64	180.00	0.00	180.00
	कुल	14266.00	231.00	1836.00	2067.00	117.18	1192.54	1309.72	232.00	2342.01	2574.01

बंदरगाह

प्रस्तावना

27.4.1 बंदरगाह जल परिवहन और भूतल परिवहन के बीच एक यानांतरण स्थल का कार्य करता है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सुगम बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। समुद्री यातायात के माध्यम से भारत के व्यापार की लगभग 95 प्रतिशत मात्रा तथा 70 प्रतिशत मूल्य का यातायात होता है। देश का लगभग 75 प्रतिशत पोत यातायात भारत के तटीय क्षेत्रों में स्थित 12 प्रमुख बंदरगाहों द्वारा किया जाता है तथा शेष 25 प्रतिशत लघु/राज्य बंदरगाहों द्वारा किया जाता है। ये बंदरगाह व्यापार हेतु न केवल यानांतरण स्थल के रूप में कार्य करते हैं बल्कि अपने आस-पास के क्षेत्रों एवं भीतरी प्रदेशों में आर्थिक कार्यकलापों के केन्द्र के रूप में भी कार्य करते हैं।

वार्षिक योजना 2007-08 की समीक्षा

वित्तीय निष्पादन

27.4.2 1364.25 करोड़ रुपये (476.12 करोड़ रुपये बीएस + 888.13 करोड़ रुपये आईईबीआर) परिव्यय में वास्तविक व्यय 1000.81 करोड़ रुपये था जो कि 2007-08 के दौरान अनुमोदित परिव्यय का 73.36 प्रतिशत था। बजटीय सहायता की उपयोगिता मात्र 56 प्रतिशत (278.50 करोड़ रुपये) थी। तथापि, इससे स्पष्ट होता है कि उपयोगिता में गत वर्षों की तुलना में पर्याप्त सुधार हुआ है। गिरावट मुख्य रूप से कुछ परियोजनाओं के कार्यान्वयन में धीमी प्रगति के कारण थी जैसे नदी नियामक स्कीम, कोलकाता, पारादीप में कैपिटल ड्रेजिंग और सेतुसमुंद्रम परियोजना। वार्षिक योजना 2007-08 के दौरान बंदरगाहवार परिव्यय और व्यय संलग्नक-27.4.1 पर दिए गए हैं।

वास्तविक निष्पादन

27.4.3 वर्ष 2007-08 के दौरान उत्पादकता में सुधार के कारण 24 मि.ट. की अतिरिक्त क्षमता

सृजन वास्तविक क्षमता अभिवृद्धि से चार नए बर्थ चालू किए जाने की आशा थी। प्रमुख बंदरगाहों की कुल कारगो क्षमता 31.3.2007 को 504.75 एमटी था जो कि 5.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हुए 31.3.2008 की स्थिति के अनुसार 532.07 एमटी हो गई तथा बर्थों की संख्या 233 से 235 हो गई। नए बर्थों के जुड़ने तथा पोर्ट कार्य कुशलता में सुधार के माध्यम से 27.32 एमटी क्षमता अभिवृद्धि हासिल की गई। हल्दिया डॉक परिसर में 2 नए बर्थ (एक लौह अयस्क तथा दूसरा सामान्य/ब्रेक-वल्क बर्थ) चालू किए गए जिससे कारगो हैण्डलिंग क्षमता में 3.20 एमटी की वृद्धि हुई। 8.22 एमटी (कोचीन), 3.35 एमटी (चैन्नई), 3.05 एमटी (मोरमुगाँव), 2.60 एमटी (वैजाग) पोर्टों की क्षमता में सुधार आदि हुआ था। 43.30 मि. सीयूम की लक्ष्य की तुलना में डीसीआई ने 33.79 मि. सीयूम का ड्रेजिंग किया।

27.4.4 प्रमुख बंदरगाहों पर यातायात 31 मार्च, 2007 के 463.80 मीट्रिक टन से बढ़कर 31 मार्च, 2008 में 575.31 मीट्रिक टन होने का अनुमान था। वास्तविक उपलब्धि 519.15 मीट्रिक टन थी जो कि वर्ष 2006-07 से लगभग 12 प्रतिशत से अधिक विकास दर दर्शाती है। बंदरगाह-वार यातायात का विश्लेषण दर्शाता है कि अधिकतम विकास से जेएनपीटी (24.6 प्रतिशत) में हुआ उसके बाद कांडला पोर्ट (22.53 प्रतिशत), विशाखापत्तनम (14.5 प्रतिशत)। आधे बंदरगाहों की उपलब्धियां मिश्रित थी जहां का निष्पादन लक्ष्य से अधिक था तथा आधे का लक्ष्य से कम, इनमें हल्दिया, न्यूमंगलोर और परादीप मुख्य थे। सामग्रीवार विश्लेषण यह दर्शाता है कि कंटेनरयुक्त कारगो ट्रैफिक 78.87 एमटी लक्ष्य के मुकाबले 92.27 एमटी था। इस प्रकार वास्तविक कंटेनरयुक्त कारगो तथा वर्ष 2006-07 में 73.44 एमटी के स्तर लक्ष्य से 17 प्रतिशत अधिक होकर वर्ष 2006-07 के दौरान 25.6 प्रतिशत तक पहुंच गया जबकि अन्य कारगो उपलब्धि 86.59 एमटी के लक्ष्य से 3.6 प्रतिशत कम थी।

27.4.5 पोर्ट उत्पादकता मानदण्ड दर्शाते हैं कि सभी कारगो के लिए, वर्ष 2006-07 के दौरान औसत स्थिति परिवर्तन समय 3.62 दिन से 7.9 प्रतिशत की बढ़कर वर्ष 2007-08 में 3.93 दिन हो गया तथा औसत प्री-बर्थिंग प्रतीक्षा समय में 27.8 प्रतिशत की वृद्धि होकर 29.47 से 37.66 घण्टे हो गया। तथापि, निष्पादन में गिरावट के साथ ही प्रति शिप बर्थ दिन औसत आऊटपुट निष्पादन में सुधार हुआ है जिसमें 9745 टन से 10071 टन तक 3.35 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। कंटेनर कारगो के लिए औसत स्थिति परिवर्तन समय 1.80 से 2.36 दिन तक 31.1 प्रतिशत तक बढ़ा है तथा औसत प्री-बर्थिंग प्रतीक्षा समय 12.74 से 20.76 तक 63 प्रतिशत तक बढ़ा है। जबकि 11714-11744 टन के साथ औसत आऊटपुट प्रति शिप बर्थ दिन लगभग वैसा ही रहा है। पोर्टवार निष्पादन मिश्रित रहा है। औसत स्थिति परिवर्तन समय में वृद्धि मुख्य रूप से 56.5 प्रतिशत (पारादीप पोर्ट) 35 प्रतिशत (चैन्नई पोर्ट), 25 प्रतिशत (कोलकाता पोर्ट) आदि के कारण हुई जबकि गिरावट 10.7 प्रतिशत (मोरयुगांव पोर्ट), 10 प्रतिशत (कोचीन पोर्ट), 6.4 प्रतिशत (कांडला पोर्ट) आदि के कारण आई। अधिकांश पोर्टों में औसत प्री-बर्थिंग प्रतीक्षा समय में वृद्धि हुई तथा तुतीकोरिन, कोचीन, न्यूमंगलोर और कांडला जैसे पोर्टों में लगभग वैसा ही रहा। परंतु 17.8 प्रतिशत (मुम्बई पोर्ट) और 13.3 प्रतिशत (मरयुगांव पोर्ट) में गिरावट दर्ज की गई। प्रतिशिप बर्थ दिन के औसत आऊटपुट में मुख्य रूप से 32 प्रतिशत (कोचीन पोर्ट) 20 प्रतिशत (जेएनपीटी), 12.6 प्रतिशत (कांडला पोर्ट) आदि के कारण वृद्धि हुई जबकि 17.54 प्रतिशत (कोलकाता पोर्ट), 5.2 प्रतिशत (पारादीप पोर्ट) 4.8 प्रतिशत (हल्दिया पोर्ट),

3.9 प्रतिशत (मुरमुगांव पोर्ट) आदि में गिरावट देखी गई।

27.4.6 पोर्टवार जेएनपीटी के प्रतिशिप बर्थ दिन के औसत आऊटपुट के निष्पादन में सुधार हुआ है इसका मुख्य कारण इसके न्यूनतम औसत स्थिति परिवर्तन समय 1.85 दिन तथा न्यूनतम प्रीबर्थिंग प्रतीक्षा समय औसत 27.66 घण्टे का 53.74 प्रतिशत तक बने रहना है। मुम्बई पोर्ट ने उत्पादकता सूचकों के सभी तीन मोर्चों पर निष्पादन में सुधार किया है। कोचीन और कांडला पोर्टों ने अपने औसत प्री-बर्थिंग प्रतीक्षा समय के लगभग समान रहने के बावजूद औसत परिस्थिति परिवर्तन समय और औसत आऊटपुट प्रति शिप बर्थ दिन में सुधार किया है। मुरमुगांव पोर्ट ने औसत स्थिति परिवर्तन समय और औसत प्री-बर्थिंग प्रतीक्षा समय दोनों में सुधार किया है फिर भी इसके औसत आऊटपुट प्रति शिप बर्थ दिन में लगभग 4 प्रतिशत की कमी आई है। चैन्नई पोर्ट का निष्पादन दोनों मोर्चों पर अर्थात् औसत स्थिति परिवर्तन समय और प्री-बर्थिंग प्रतीक्षा समय में गिरावट आई है फिर भी इसके औसत आऊटपुट प्रतिशिप बर्थ दिन में 2 प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई है। पारादीप और कोलकाता पोर्टों का सभी तीन उत्पादकता सूचकों में निष्पादन सबसे खराब रहा है। अन्य पोर्टों का निष्पादन मिश्रित रहा।

वार्षिक योजना 2008-09

27.4.7 निम्नलिखित तालिका में वार्षिक योजना 2007-08 के दौरान बंदरगाह क्षेत्रक के लिए परिव्यय एवं व्यय तथा ग्यारहवीं योजना और वार्षिक योजना 2008-09 के लिए परिव्यय दर्शाया गया है।

क्र. सं.	स्कीम/कार्यक्रम	11वीं योजना परिव्यय (जीबीएस)	वार्षिक योजना 2007-08						(करोड़ रुपये में)		
			परिव्यय			व्यय			वार्षिक योजना 2008-09		
			जीबीएस	आईईबीआर	कुल	जीबीएस	आईईबीआर	कुल	जीबीएस	आईईबीआर	कुल
1	मुख्य बंदरगाह	2056.98	154.02	787.27	941.29	89.37	501.37	590.74	149.00	1238.52	1387.52
2	एएलएचडब्ल्यू	266.37	53.16	0.00	53.16	21.65	0.00	21.65	36.00	0.00	36.00
3	डीसीआई		0.00	300.00	300.00	0.00	123.30	123.30	0.00	494.40	494.40
4	अन्य *	1425.65	290.82	524.00	814.82	167.48	133.74	301.22	153.00	1580.07	1733.07
	कुल	3749.00	498.49	1611.49	2109.98	278.50	758.41	1036.91	338.00	3312.99	3650.99

* सुनामी के बाद का कार्य, गहरे समुद्र में बंदरगाहों का विकास, सर्वेक्षण वेसल्स, आर एण्ड डी, सेतुसमुद्रम परियोजना और वेब आधारित ईडीआई आदि शामिल हैं।

वास्तविक लक्ष्य

27.4.8 वर्ष 2008-09 के दौरान 29.3 एमटी क्षमता अभिवृद्धि किए जाने की आशा है। वर्ष 2007-08 में हासिल 519.3 एमटी यातायात स्तर की तुलना में वर्ष 2008-09 के दौरान लक्ष्य 576.09 एमटी है। इसे काम के ठेको को अंतिम रूप देने/निष्पादन में तेजी लाकर तथा उत्पादकता में सुधार लाकर प्राप्त किया जाएगा जैसे जहाजों का बर्थिंग, कारगो आदि की अनलोडिंग और खाली करना आदि। प्रमुख परियोजनाएं हैं- चेन्नई में दूसरा कंटेनर टर्मिनल (1 एमटीईयूज), कोचीन में मत्तनचेरी वार्फ का प्रतिस्थापन-15 एमटी, विशाखापत्तनम में अयस्क हैंडलिंग परिसर का आधुनिकीकरण- 4.0 एमटी एवं कांडला में 12वें कारगो बर्थ का निर्माण- 2.0 एमटी। इसके अतिरिक्त प्रतिस्थापन संबंधी कुछ अन्य स्कीमें, उपकरणों का आधुनिकीकरण आदि से बर्थों की क्षमता में वृद्धि होने की आशा है। डीसीआई के लिए ड्रेजिंग का लक्ष्य 61.30 एमसीयूएम मात्रा है।

सार्वजनिक निजी क्षेत्रक भागीदारी (पीपीपी)

27.4.9 वर्ष 2007-08 के दौरान 18 बर्थ दिए जाने के लक्ष्य की तुलना में कोई बर्थ नहीं दिया गया क्योंकि बंदरगाहों में पीपीपी परियोजनाओं हेतु एमसीए को अभी अंतिम रूप दिया जाना था। इसके साथ ही यातायात में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप किसी-किसी बंदरगाह पर दबाव बढ़ गया तथा बंदरगाह विकास सूचकों में गिरावट आई। तथापि, नए एमसीए हो जाने से अवसंरचनात्मक सुविधा के विकास में निजी निवेश बढ़ेगा जिसके फलस्वरूप बंदरगाह क्षमता में वृद्धि होगी। वर्ष 2008-09 के दौरान पीपीपी आधार पर कार्यान्वयन हेतु 9 परियोजनाओं को योजनाबद्ध किया गया है जिसमें 3934 करोड़ रुपये का निवेश शामिल होगा।

नागर विमानन

प्रस्तावना

27.5.1 ग्यारहवीं योजना में वर्तमान हवाईअड्डों के आधुनिकीकरण/उन्नयन, ग्रीन फील्ड हवाई अड्डों

के निर्माण, हवाई यातायात प्रबंधन (एटीएम) प्रणाली का उन्नयन/आधुनिकीकरण प्रशिक्षण सुविधाओं में वृद्धि और नवीनतम उपकरणों से लैस आधुनिक ईंधन बचत वायुयान के अधिग्रहण आदि पर बल दिया जाएगा।

वार्षिक योजना 2007-08 की समीक्षा

27.5.2 वर्ष 2007-08 के दौरान नागर विमानन के लिए 12347.09 करोड़ रुपये के परिव्यय का अनुमोदन किया गया था जिसमें से 10509.54 करोड़ रुपये (लगभग 85 प्रतिशत) खर्च किए गए थे। मंत्रालय के कुछ संगठनों द्वारा किए गए व्यय के मामले में वित्तीय निष्पादन उत्साहजनक नहीं था। एयरो क्लब आफ इंडिया, नागर विमानन महानिदेशालय और पवन हंस हेलीकाप्टर्स लिमिटेड अनुमोदित बजट का क्रमशः 64 प्रतिशत, 61 प्रतिशत और 39 प्रतिशत ही खर्च कर सके जोकि मुख्य रूप से एसीआई और डीजीसीए द्वारा निवेश प्रस्तावों के अंतिम रूप देने में विलम्ब तथा पीएचएचएल द्वारा हेलीकाप्टरों के अधिग्रहण को स्थगित करने के कारण हुआ। इसी प्रकार, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो कुछ स्कीमों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण लगभग 3 प्रतिशत ही खर्च कर सका। ये स्कीमें है नागर विमानन सुरक्षा अकाडमी की स्थापना तथा वीसीएस का पुनर्गठन और मुख्यालय भवन आदि का निर्माण। नागर विमानन के परिव्यय और किए गए खर्च का ब्यौरा संलग्नक 27.5.1 पर दिया गया है।

27.5.3 नागर विमानन मंत्रालय के विभिन्न संगठनों की लाभ प्रदता के मामले में वित्तीय निष्पादन दर्शाते हैं कि एनएसीआईएल को छोड़कर अधिकांश संगठनों का निष्पादन वर्ष 2007-08 के दौरान अच्छा रहा है। वर्ष के दौरान एनसीआईएल को 2226.16 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। (लाभप्रदता के मामले में) वित्तीय निष्पादन का ब्यौरा संलग्नक-27.5.2 पर दिया गया है।

27.5.4 वर्ष 2007-08 के दौरान विमानन क्षेत्रक में कई घटनाक्रम होते हुए देखे गए हैं। उनमें से

महत्वपूर्ण हैं (i) यात्री और फ्रेट यातायात विकास दर जो कि क्रमशः 21.3 प्रतिशत (23.3 प्रतिशत घरेलू यातायात और 15.7 प्रतिशत अंतर्राष्ट्रीय यातायात) तथा 10.5 प्रतिशत (12.3 प्रतिशत घरेलू यातायात और 7.1 प्रतिशत अंतर्राष्ट्रीय यातायात) है। (ii) कोलकाता और चेन्नई हवाईअड्डों के एआई के आंतरिक संसाधनों के माध्यम से आधुनिकीकरण पुनर्संचित करने का निर्णय (iii) 35 नान-मेट्रो हवाईअड्डों का विश्व स्तर के मानकों के अनुरूप अपग्रेड करने हेतु 13 अतिरिक्त हवाईअड्डों की पहचान, (iv) गोंदिया में नए उड़ान प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना (v) सीआई कनाडा के साथ प्रबंधन करार करना (vi) इंडियन और एयर इंडिया लिमिटेड का विलय तथा (vii) मोपा (गोवा) नवी मुम्बई (महाराष्ट्र) तथा कन्नूर (केरल) में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट निर्माण करने का निर्णय।

वार्षिक योजना 2008-09

27.5.5 वर्ष 2008-09 के दौरान नागर विमानन मंत्रालय के लिए 10031.00 करोड़ रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया है जिसमें से 190.00 करोड़ रुपये सकल बजटीय सहायता होगी।

27.5.6 नागर विमानन मंत्रालय के लिए अनुमोदित कुल परिव्यय में से 6544.78 करोड़ रुपये 65 प्रतिशत से अधिक की राशि हवाई यातायात के विकास के लिए होगी तथा शेष राशि हवाई अड्डा अवसंरचना के विकास, सुरक्षा तथा सुरक्षा उपायों और कुशलता बढ़ाने आदि के लिए होगी।

27.5.7 परिव्यय का संगठन-वार ब्यौरा संलग्नक

27.5.3 पर दिया गया है।

नेशनल एविएशन कंपनी आफ इंडिया लिमिटेड (एनएसीआईएल)

27.5.8 एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स का वर्ष 2007-08 में एक नई कंपनी नामतः नेशनल एविएशन कंपनी आफ इंडिया लिमिटेड (एनएसीआईएल) में विलय किया गया है जिसका उद्देश्य दोनों कंपनियों की संयुक्त क्षमता से विभिन्न सहक्रिया लाभ प्राप्त करना है। इसके कारण एनएसीआईएल स्टार अलाएन्स जोकि सही मायने में एक ग्लोबल एयर लाईन अलाएन्स है, का सदस्य बन गया है।

27.5.9 एनएसीआईएल के लिए वर्ष 2008-09 का अनुमोदित परिव्यय 5786.48 करोड़ रुपये है जिसमें से नए वायुयान खरीदने के लिए 5130.45 करोड़ रुपये है जिसमें अग्रिम भुगतान के लिए 1625.40 करोड़ रुपये डिलीवरी भुगतान के लिए 2922.35 करोड़ रुपये तथा नए वायुयान के लिए सहायक उपस्करों तथा अतिरिक्त इंजन/वर्कशाप आदि के लिए 924.27 करोड़ रुपये है। इसके अतिरिक्त 314.03 करोड़ रुपये की राशि वायुयान निर्माताओं को भुगतान की जाने वाली राशि पर ब्याज के लिए है। ग्यारहवीं योजना और वर्ष 2008-09 के लक्ष्यों सहित वर्ष 2007-08 के वास्तविक लक्ष्य/उपलब्धियां नीचे दी गई है।

एयर इंडिया चार्टर्स लिमिटेड

27.5.10 एयर इंडिया चार्टर्स लिमिटेड, एयर इंडिया लिमिटेड की कम लागत वाली एक सहायक कंपनी है जिसका सृजन वर्ष 2005-06 के दौरान हुआ था।

एनएसीआईएल का वास्तविक निष्पादन

विवरण	11वीं योजना	2007-08		2008-09
	लक्ष्य	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य
उपलब्ध टन कि. मी. (मिलियन)	54111	6086	6188	6471
राजस्व टन कि. मी. (मिलियन)	38217	3500	3689	4027
समग्र लोड फैक्टर (%)	70.6	57.5	59.8	62.2

इस कम्पनी को वर्ष 2008-09 के दौरान दिया गया परिव्यय 634.50 करोड़ रुपये है जिसमें से नए वायुयानों की खरीद के भुगतान हेतु 579.18 करोड़ रुपये जिसमें अग्रिम भुगतान हेतु 16.09 करोड़ रुपये डिलीवरी के पश्चात भुगतान हेतु 503.89 करोड़ रुपये और स्पेयर इंजन के भुगतान एवं वर्कशाप के लिए 59.20 करोड़ शामिल हैं। ग्यारहवीं योजना और वर्ष 2008-09 के लक्ष्यों सहित वर्ष 2007-08 के लिए वास्तविक लक्ष्य व उपलब्धियां नीचे दी गई हैं-

एयर इंडिया चार्टर्स लिमिटेड का वास्तविक लक्ष्य

विवरण	11वीं योजना	2007-08		2008-09
	लक्ष्य	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य
उपलब्ध टन कि. मी. (मिलियन)	6859	637	644	937
राजस्व टन कि. मी. (मिलियन)	4602	438	437	662
समग्र लोड फैक्टर (%)	78.5	88.8	67.8	70.7

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

27.5.11 देश में हवाई अड्डों का प्रबंधन व विकास/उन्नयन करने तथा भारत में हवाई जहाजों के लिए नेविगेशनल सुविधाएं प्रदान करने में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की नागरिक उड्डयन क्षेत्रक में महत्वपूर्ण भूमिका है। वर्तमान में एएआई 15 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों, 8 कस्टम हवाई अड्डों, रक्षा हवाई क्षेत्रों में 25 सिविल एन्क्लेव्स तथा 79 घरेलू हवाई अड्डों सहित कुल 127 हवाईअड्डों का प्रबंधन कर रहा है। तथापि, मात्र 17 हवाई अड्डे ही लाभ में हैं।

27.5.12 वर्ष 2008-09 के दौरान एएआई के लिए 95.88 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता सहित 3377.10 करोड़ रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया है जिसमें से 2538.79 करोड़ रुपये की राशि विभिन्न हवाई अड्डों पर हवाई अड्डा अवसंरचना विकास के लिए होगी।

27.5.13 95.88 करोड़ रुपये का जीबीएस कुछ विशेष स्कीमों के लिए जैसे कि (क) पूर्वोत्तर क्षेत्र में निवेश (20.00 करोड़ रुपये), (ख) जम्मू, श्रीनगर, लेह एवं पोर्टब्लेयर आदि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश और (ग) औरंगाबाद हवाईअड्डा के विकास के लिए जेबीआईसी, जापान से सहायता (45.00 करोड़ रुपये)। ग्यारहवीं योजना और वर्ष 2008-09 के लिए लक्ष्यों सहित वर्ष 2007-08 के लिए वास्तविक लक्ष्य/उपलब्धियां नीचे दी गई हैं-

भारतीय वायुपत्तन प्राधिकरण का वास्तविक लक्ष्य

विवरण	11वीं योजना	2007-08		2008-09
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य
ट्रैफिक हैण्डलिंग क्षमता	लक्ष्य			लक्ष्य
यात्री* (लाख में)	733.57	525.56	439.96	441.53
कार्गो ** (000टन)	817.50	510.80	510.80	510.80

* यात्री-2007-08 में मुंबई, दिल्ली और कोचीन हवाई अड्डे शामिल नहीं है तथा वर्ष 2008-09 और ग्यारहवीं योजना में मुंबई, दिल्ली, कोचीन, बंगलोर और हैदराबाद हवाई अड्डे शामिल नहीं है।

** फ्रेट (ट्रैफिक एवं क्षमता) में सभी हवाई अड्डों पर अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू कार्गो शामिल हैं।

पवन हंस हेलीकाप्टर लिमिटेड

27.5.14 पवन हंस हेलीकाप्टर लिमिटेड ओएनजीसी, राज्य सरकारों विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों एवं संघ राज्यों के सुदूर एवं दुर्गम क्षेत्रों, गृह मंत्रालय एवं एनएचपीसी को हेलीकाप्टर सहायता सेवाएं उपलब्ध कराती है। पीएचएचएल के लिए 123.80 करोड़ रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया है जिसे अधिकांशतः हेलीकाप्टर हासिल करने तथा उन्नयन पर खर्च किया जाएगा। पीएचएचएल ने वर्ष 2008-09 के दौरान 20 हेलीकाप्टर हासिल करने तथा 11 वायुयानों को अपग्रेड करने की योजना बनाई है।

भारतीय होटल निगम (एचसीआई)

27.5.15 एचसीआई एयर इंडिया लिमिटेड की सहायक है। वर्ष 2008-09 के दौरान एचसीआई को उपलब्ध कराया गया योजना परिव्यय 15.00 करोड़ रुपये है। इसे मुख्यतः दिल्ली हवाई अड्डे पर सेंटूर होटल के जीनोद्धार तथा श्रीनगर में सेंटूर होटल के कमरों एवं अन्य सुविधाओं तथा दिल्ली और मुंबई के फ्लाइट किचन के उन्नयन पर खर्च किया जाएगा।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी

27.5.16 आईजीआरयूए व्यावसायिक पायलटों को उड़ान प्रशिक्षण देने के लिए एक शीर्ष संस्थान है। वर्ष 2008-09 के दौरान चल रहे कार्यों को पूरा करने की दृष्टि से 1.12 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है।

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय

27.5.17 डीजीसीए वायुयान प्रचालन में गुणवत्ता एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु उत्तरदायी है। वर्ष 2008-09 के लिए 63.00 करोड़ रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया है जिसे गोंडिया में उड़ान प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना, मशीनरी एवं उपस्करों की खरीद, फ्लाईंग/ग्लाइडिंग क्लब्स/संस्थानों की पुनर्संरचना हेतु हल्के वायुयान,

सेलप्लेन एवं सिमुलेटरों की खरीद के भुगतान, डीजीसीए मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में सिविल कार्य प्रशिक्षण एवं सीओएससीएपी परियोजनाओं के लिए अंशदान के रूप में खर्च किया जाएगा।

नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस)

27.5.18 नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो वायुयान प्रचालनों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है। वर्ष 2008-09 के लिए अनुमोदित परिव्यय 15.00 करोड़ रुपये है। इसमें से 12.35 करोड़ रुपये बीसीएएस की पुनर्संरचना एवं मुख्यालय भवन के निर्माण, 1.00 करोड़ रुपये सुरक्षा से संबंधित उपकरणों की खरीद तथा शेष राशि नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण अकादमी स्थापित करने, क्षेत्रीय कार्यालयों के निर्माण एवं सूचना प्रौद्योगिकी पर खर्च की जाएगी।

एयरो क्लब आफ इंडिया (एसीआई)

27.5.19 एसीआई के लिए 15.00 करोड़ रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया है जिसे देश में उड़ान प्रशिक्षण और एयरो स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने पर खर्च किया जाएगा। वर्ष के दौरान तीन सिंगल इंजन एवं एक मल्टी इंजन वायुयान तथा एक सिंगल इंजन सिमुलेटर हासिल किए जाएंगे।

योजना का वित्त पोषण

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	निधिकरण का स्रोत	दसवीं योजना परिव्यय	वार्षिक योजना 2006-07 व्यय	10वीं योजना (वास्तविक)	11वीं योजना परिव्यय	वार्षिक योजना 2007-08			वार्षिक योजना 2008-09 (ब. अ.)
						परिव्यय (बजट अनुमान)	संशोधित अनुमान	कुल वास्तविक	
	कुल जीबीएस*	27600	7914	33888	50063	7937	7937	7437	8400
	आंतरिक संसाधन	33000	12233	29568	90000	17323	16237	14948	20600
	बाजार से उधार		4855	16980	79654	5740	5209	5064	8500
	कुल योग	60600	23952	80436	219717**	31000	29383	27449	37500
	राष्ट्रीय परियोजनाएं		1050	3628	12000		1235	1231	

* वित्त मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय परियोजनाओं हेतु सीधे दी जाने वाली राशि शामिल नहीं है।

** 20,000 करोड़ रुपये के निजी भागीदारी को छोड़कर

संलग्नक-27.1.2

भारतीय रेलवे द्वारा ढोया गया माल यातायात

वर्ष	मूल यातायात (मिलियन टन में)			निवल टन किलोमीटर (बिलियन में)		
	राजस्व अर्जन	गैर-राजस्व अर्जन	कुल	राजस्व अर्जन	गैर-राजस्व अर्जन	कुल
	1991-92	338	22	360	250.2	6.7
1992-93	350	20.8	370.8	252.4	5.7	258
1993-94	358.7	18.8	377.5	252.4	4.7	257
1994-95	365	16.6	381.6	249.6	3.4	253
1995-96	390.6	14.3	405	271.1	2.6	274
1996-97	409	14.4	423.4	277.6	2.4	280
1997-98	429.4	16.1	445.5	284.3	2.5	287
1998-99	420.9	20.7	441.6	281.5	2.8	284
1999-2000	456.4	21.8	478.2	305.2	2.8	308
2000-2001	473.5	30.7	504.2	312.4	3.1	316
2001-02	492.5	29.7	522.2	333.2	3.2	336
दसवीं योजना लक्ष्य 624 मिलियन टन			396 बिलियन टन किलोमीटर			
2002-03	518.74	23.95	542.69	353.2	2.83	356.03
2003-04	557.39	24.00	581.39	381.24	2.83	384.07
2004-05	602.1	24.08	626.18	407.4	3.88	411.28
2005-06	666.5	15.87	682.38	439.6	2.16	441.76
2006-07	727.75	16.81	744.56	480.99	2.43	483.42
ग्यारहवीं योजना लक्ष्य 1100 मिलियन टन			702 बिलियन टन किलोमीटर			
2007-08 (ब.अ.)	785	एन.ए.	785	515.67	एन.ए.	515.59
2007-08 (सं.अ.)	790	एन.ए.	790	512.59	एन.ए.	512.59
2007-08 वास्तविक (अनंतिम)	793	एन.ए.	793	511.8	एन.ए.	511.8
2008-09 (ब.अ.)	850	एन.ए.	850	549.42	एन.ए.	549.42

भारतीय रेलवे द्वारा यात्री परिवहन

वर्ष	यात्रियों की संख्या (मिलियन में)			यात्रियों की संख (बिलियन में)		
	उप-नगरीय	गैर-उप नगरीय	कुल	उप-नगरीय	गैर-उप नगरीय	कुल
	1991-92	2411	1637.1	4048.1	63.4	251.2
1992-93	2282	1467	3749	60.5	239.7	300.2
1993-94	2302	1406	3708	63.1	233.2	296.3
1994-95	2430	1485	3915	68	251	319
1995-96	2481	1557	4038	72.6	261.4	334
1996-97	2578	1575	4153	76.5	280.5	357
1997-98	2657	1691	4348	78.8	301.1	379.9
1998-99	2724.8	1743.7	4468.5	83.5	321.1	404.6
1999-2000	2836.4	1814.3	4650.7	85.8	345.6	431.4
2000-2001	2867.9	1971.9	4839.8	89.5	368.2	457.7
2001-02	3075.5	2093.8	5169.3	93.6	400.6	494.2
10वीं योजना लक्ष्य 5885 मिलियन यात्री, 625 बिलियन यात्री किलोमीटर						
2002-03	3011.4	2036.75	5048.15	91	424.78	515.38
2003-04	3076.76	2126	5202.91	96.82	445.23	542.05
2004-05	3275.12	2200.38	5475.5	104.66	471.94	576.6
2005-06	3437.11	2395.28	5832.39	107.42	509.21	616.63
2006-07	3628.63	2705.1	6333.73	112.95	582.87	695.82
11वीं योजना लक्ष्य 8400 मिलियन यात्री, 942 बिलियन यात्री किलोमीटर						
2007-08 (ब.अ.)	3828.87	2777.36	6606.23	133.46	638.58	772.04
2007-08 (सं.अ.)	3816.36	2871.92	6688.28	137.03	631.725	768.755
2007-08 वास्तविक (अनंतिम)	3688.22	2990.69	6678.91	120.96	653	773.96
2008-09 (ब.अ.)	3879.1	3177.28	7056.38	159.495	670.86	830.355

संलग्नक-27.1.4

भारतीय रेल का योजना शीर्षवार परिव्यय एवं व्यय

करोड़ रुपये

क्र. सं.	योजना शीर्ष	10वीं योजना परिव्यय	वार्षिक योजना 2006-07		10वीं योजना व्यय	11वीं योजना परिव्यय	वार्षिक योजना 2007-08	वार्षिक योजना 2008-09
			परिव्यय (बीई)	व्यय				
1	नई लाइनें	2500	1500	2488	8977	9813	2667	1700
2	पुनः स्थापन	-	10	11	189	0	36	30
3	गेज परिवर्तन	2500	1300	2136	6525	14100	3022	2489
4	दोहरीकरण	4000	1052	1202	3487	16000	1671	2521
5	यातायात सुविधाएं यार्ड पुनः अशोधन	1500	615	548	1576	6630	826	984
6	कम्प्यूटरीकरण	500	273	196	532	3937	118	360
7	रेल अनुसंधान	100	61	33	64	425	20	62
8	रौलिंग स्टाक	16175	6800	6340	23100	58500	7829	11045
9	लीज पर परिसम्पत्तियां- पूंजी घटक का भुगतान	-	1720	1720	3336	0	1677	1810
10	सड़क सुरक्षा- लेवल क्रॉसिंग	2150	275	145	512	700	186	600
11	सड़क सुरक्षा- आरओबी/आरयूवी		436	215	642	3540	347	700
12	ट्रैक नवीकरण	7420	2922	3796	15741	21405	3035	3600
13	पुल निर्माण कार्य	425	590	469	1697	3405	457	601
14	सिगनलिंग एवं दूर संचार कार्य	610	1518	1179	4279	9900	1343	1520
15	विद्युतीकरण परियोजना	1500	226	241	828	3000	464	626
16	अन्य विद्युत कार्य	1000	215	211	764	2160	245	340
17	मशीनरी एवं संयंत्र	555	255	174	763	2000	192	440
18	उत्पादन यूनिट सहित कार्यशाला	1000	442	359	1200	8700	495	1757
19	स्टाफ क्वार्टर्स	250	115	88	297	788	168	220
20	स्टाफ के लिए सुविधाएं	250	140	128	398	1455	183	223
21	यात्री एवं अन्य प्रयोक्ता सुविधाएं	650	353	408	1242	7208	668	852
22	पीएसयू में निवेश	50	1750	1710	3405	38500	1582	3235
23	अन्य विशिष्ट कार्य	365	249	241	739	900	294	335
24	एमटीपी	2500	308	253	1445	4450	401	650
25	इनवेंटरीज	3100	350	711	2328	2200	754	800
26	कुल	60600*	23475	25002	84066	219717**	28680	37500

* दसवीं योजना में कुल अनुमोदित परिव्यय 60600 करोड़ रुपये है। 11500 करोड़ रुपये की राशि आवंटित नहीं की गई है।

** योजना के दौरान राष्ट्रीय परियोजनाओं हेतु 12000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त जीबीएस उपलब्ध कराई जाएगी।

वास्तविक लक्ष्य/उपलब्धियां- सड़कें और पुल (केन्द्रीय क्षेत्रक)
(बीआरडीबी और एनएचएआई को छोड़कर)

क्र. सं.	स्कीम	यूनिट	10वीं योजना		11वीं योजना	2007-08		2008-09
			लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	चौड़ा करते हुए 4 लेन का बनाना	किलोमीटर	800	157.01	100	33	31	50
2	चौड़ा करते हुए दो लेन की बनाना	किलोमीटर	4000	3240.88	6000	736	826	1056
3	दो लेन वाली कमजोर सड़कों को मजबूत बनाना	किलोमीटर	2000	3346.14	3000	571	907	680
4	बाईपास	किलोमीटर	25	13	25	3	6	15
5	पुलों का निर्माण/ पुर्नस्थापन	संख्या	300	548	362	95	72	75
6	राईडिंग गुणवत्ता में सुधार	किलोमीटर	10000	15326.62	7000	1372	1531	1135

संलग्नक-27.2.2

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग-सड़क क्षेत्र के लिए वर्ष 2007-08 हेतु अनुमोदित परिव्यय एवं संशोधित व्यय तथा वर्ष 2008-09 हेतु अनुमोदित परिव्यय का स्कीमवार ब्यौरा

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	स्कीम/कार्यक्रम	2007-08		2008-09
		ब. अ.	व्यय	ब. अ.
1	2	3	4	5
I	केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीम			
	क. सड़क क्षेत्र			
1	बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाएं			
क	बाहरी सहायता प्राप्त (आर डब्ल्यू)	0.00	0.00	0.00
ख	काउंटर पार्ट निधि (आर डब्ल्यू)	0.00	0.00	0.00
क	ईएपी मंत्रालय	0.00	0.00	0.00
ग	बाहरी सहायता प्राप्त (एनएचएआई)	1788.80	1776.00	1515.00
घ	काउंटर पार्ट निधि (एनएचएआई)	0.00	0.00	0.00
ङ	एनएचएआई को ऋण	447.20	444.00	379.00
ख	ईएपी-एनएचएआई	2236.00	2220.00	1894.00
च	पीआईसी को सुदृढ़ करना	0.00	0.00	
2	अन्य स्कीमें (क+ ख+ ग + घ)			
क	अन्य स्कीमें- एनएच (ओ)			
ख	यात्रा व्यय (घरेलू)			
ग	मशीनरी एवं उपस्कर	1979.01	2010.35	2194.79
घ	एनएचडीपी फेज III			
3	बीआरडीपी के अंतर्गत कार्य	600.00	623.93	650.00
4	अन्य प्रभार और आईटी (क + ख)			
क	अन्य प्रभार			
ख	सूचना प्रौद्योगिकी विकास	10.00	0.82	4.00
5	आर डब्ल्यू के अंतर्गत अर्थनीतिक सड़कें	0.00	0.00	0.00
6	बीआरडीबी के तहत कार्यनीतिक सड़कें	74.00	67.80	78.00
7	आर एण्ड डी और प्रशिक्षण			
क	आर एण्ड डी योजना अध्ययन			
ख	प्रशिक्षण सहित व्यावसायिक सेवाएं	10.00	0.55	10.00
8	चार्ज किया गया व्यय	6.00	5.93	6.00
9	एनएचएआई (निवेश)	6541.06	6541.06	6972.47
10	एसएआरडीपी-पूर्वोत्तर	710.00	698.02	1200.00
	कुल सीएस (क) + (ख)	12166.07	12168.46	13009.26
II	केन्द्र प्रायोजित स्कीमें			
क	सीआरएफ से राज्यों हेतु ई एण्ड आई	264.93		250.74
ख	सीआरएफ से सं. रा. क्षे. हेतु ई एण्ड आई	9.00	171.30	10.00
	कुल-सीएसएस	273.93	171.30	260.74
III	आईईबीआर	2090.00	2090.00	4100.00
	कुल योग	14530.00	14429.76	17370.00

संलग्नक-27.2.3

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं का ब्यौरा

क्र. सं.	परियोजना का नाम	लम्बाई	एनएच सं०	श्रेणी	द्वारा वित्त पोषित	कुल परियोजना की लागत	पूर्ण होने की संभावित तिथि	मार्च 2008 तक व्यय	बजट अनुमान 2008-09 के अनुसार अनुमानित व्यय		अक्टूबर-मार्च, 2008 में किया गया वास्तविक व्यय	
									बाहरी सहायता	बिना सहायता का हिस्सा	बाहरी सहायता	बिना सहायता का हिस्सा
	एनएचडीपी फेस I											
	(क) पूरी हुई परियोजना											
1	गुडगांव कोटपुतली (एडीबी पैकेज- I)	126.00	8	जीक्यू(डीएम)	एडीबी	251.00	पूरा	370.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2	विजयवाड़ा-एलुरु (एडीबी पैकेज-V) (कि. मी. 3.4 से 75)	72.00	5	जीक्यू(सीके)	एडीबी	134.00	पूरा	350.06	0.00	0.00	1.86	0.96
3	रानीगंज-पानागढ़ (एडीबी पैकेज-II)	42.00	2	जीक्यू (डीके)	एडीबी	137.00	पूरा	231.86	0.00	0.00	0.00	0.00
4	बरवा अड्डा-वराकर (एडीबी पैकेज- III)	43.00	2	जीक्यू(डीके)	एडीबी	120.00	पूरा	200.15	0.00	0.00	0.00	0.00
5	नंदीगामा-विजयवाड़ा (एडीबी पैकेज-IV)	35.00	9	अन्य	एडीबी	138.65	पूरा	80.95	0.00	0.00	0.00	0.00
6	सूरत-मनोर पैकेज- I (सूरत-अतुल)	79.60	8	जीक्यू(डीएम)	एडीबी	504.60	पूरा	472.79	0.00	0.00	0.00	0.00
7	सूरत-मनोर पैकेज- II (अतुल-कजली)	38.60	8	जीक्यू(डीएम)	एडीबी	174.59	पूरा	289.34	0.00	0.00	0.00	0.00

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	लम्बाई	एनएच सं०	श्रेणी	द्वारा वित्त पोषित	कुल परियोजना की लागत	पूर्ण होने की संभावित तिथि	मार्च 2008 तक व्यय	बजट अनुमान 2008-09 के अनुसार अनुमानित व्यय			अक्टूबर-मार्च, 2008 में किया गया वास्तविक व्यय		
									बाहरी सहायता	बिना सहायता का हिस्सा	योग	बाहरी सहायता	बिना सहायता का हिस्सा	योग
8	सुरत-मनोर पैकेज- III (कजली-मनोर)	57.40	8	जीक्यू (डीएम)	एडीबी	192.71	पूरा	287.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	तुमकुर-हवरी (तुमकुर-सिरसा) पैकेज- I	41.40	4	जीक्यू (एमसी)	एडीबी	184.00	पूरा	224.14	0.69	0.35	1.04	0.03	0.01	0.04
10	सिकन्द्रा-भौती (टीएनएचपी-1) पैकेज-II-ए	62.00	2	जीक्यू (डीके)	डब्ल्यूबी	323.62	पूरा	318.48	8.00	2.00	10.00	2.85	0.71	3.56
11	खागा-कोखराज (टीएनएचपी-3) पैकेज III-ए (यूपी)	43.00	2	जीक्यू (डीके)	डब्ल्यूबी	151.70	पूरा	209.64	0.00	0.00	0.00	0.94	0.24	1.18
12	मोहनिया-सासाराम (टीएनएचपी-5) पैकेज-IV बी बिहार में	45.00	2	जीक्यू (डीके)	डब्ल्यूबी	230.55	पूरा	275.78	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02
13	डेहरी-आन-सोन-औरंगाबाद (टीएनएचपी-6) पैकेज IV-डी	40.00	2	जीक्यू (डीके)	डब्ल्यूबी	242.61	पूरा	274.19	1.60	0.40	2.00	0.58	0.14	0.72
14	औरंगाबाद-बरवा अड्डा (टीएनएचपी-7) पैकेज- V ए (औरंगाबाद-वाराचट्टी)	60.00	2	जीक्यू (डीके)	डब्ल्यूबी	320.42	पूरा	333.72	7.98	1.99	9.97	7.98	1.99	9.97

क्र. सं.	परियोजना का नाम	लम्बाई	एनएच सं०	श्रेणी	द्वारा वित्त पोषित	कुल परियोजना की लागत	पूर्ण होने की संभावित तिथि	मार्च 2008 तक व्यय	बजट अनुमान 2008-09 के अनुसार अनुमानित व्यय			अक्टूबर-मार्च, 2008 में किया गया वास्तविक व्यय		
									बाहरी सहायता	बिना सहायता का हिस्सा	योग	बाहरी सहायता	बिना सहायता का हिस्सा	योग
15	औरंगाबाद-बरवा अड्डा (जीएमआरआईपी-7) (V -बी) (बाराबट्टी-गोरहर)	80.00	2	जीक्यू (डीके)	डब्ल्यूबी	452.71	पूरा	514.68	27.20	6.80	34.00	7.62	1.91	9.53
	कुल (क)	865.00				3558.16		4434.21	45.47	11.54	57.01	21.88	5.96	27.84
(ख)	चालू परियोजनाएं													
16	दुमकुर-हवरी (सिरा-चित्रदुर्गा) पैकेज-II	66.70	4	जीक्यू (एमसी)	एडीबी	304.00	चालू	371.39	3.36	1.72	5.08	31.13	15.98	47.11
17	दुमकुर-हवरी (चित्रदुर्गा सेक्शन) पैकेज-III	18.00	4	जीक्यू (एमसी)	एडीबी	104.00	चालू	90.95	23.02	11.82	34.84	5.26	2.70	7.96
18	दुमकुर-हवरी (चित्रदुर्गा-हरिहर) पैकेज-IV	77.00	4	जीक्यू (एमसी)	एडीबी	318.00	चालू	269.28	0.00	0.00	0.00	2.00	1.02	3.02
19	दुमकुर-हवरी (दावनगिरि-हवरी) पैकेज-V	56.00	4	जीक्यू (एमसी)	एडीबी	241.00	चालू	203.79	0.00	0.00	0.00	0.71	0.36	1.07
20	फतेहपुर-खागा (टीएनएचपी-2) पैकेज-II सी	77.00	2	जीक्यू (डीके)	डब्ल्यूबी	372.40	चालू	324.43	46.40	11.60	58.00	14.92	3.73	18.65
21	हदिया-बाराणसवी (टीएनएचपी-4) पैकेज- III सी	72.00	2	जीक्यू (डीके)	डब्ल्यूबी	286.00	चालू	312.68	6.08	1.52	7.60	4.63	1.16	5.79

क्र. सं.	परियोजना का नाम	लम्बाई	एनएच सं०	श्रेणी	द्वारा वित्त पोषित	कुल परियोजना की लागत	पूर्ण होने की संभावित तिथि	मार्च 2008 तक व्यय	बजट अनुमान 2008-09 के अनुसार अनुमानित व्यय			अक्टूबर-मार्च, 2008 में किया गया वास्तविक व्यय		
									बाहरी सहायता	बिना सहायता का हिस्सा	योग	बाहरी सहायता	बिना सहायता का हिस्सा	योग
22	औरंगाबाद-बरवा-अड्डा (टीएनएचपी-8) (गोरहर-बरवा अड्डा) पैकेज-V सी (कि. मी. 320-398.75)	78.75	2	जीक्यू (डीके)	डब्ल्यूबी	399.75	चालू	330.33	53.80	13.45	67.25	15.72	3.93	19.65
23	आगरा-शिकोहाबाद (जीटीआरआईपी-I) पैकेज-1ए (कि. मी. 199.66-250.50)	50.83	2	जीक्यू (डीके)	डब्ल्यूबी	367.49	चालू	399.80	0.80	0.20	1.00	5.87	1.47	7.34
24	शिकोहाबाद-इटावा (जीटीआरआईपी-2) पैकेज-1 बी (कि. मी. 250.50 से 307.50)	59.02	2	जीक्यू (डीके)	डब्ल्यूबी	261.22	चालू	298.87	5.16	1.29	6.45	28.16	7.04	35.20
25	इटावा-राजपुर (जीटीआरआईपी-3) पैकेज-I सी (कि. मी. 321.10-393)	72.83	2	जीक्यू (डीके)	डब्ल्यूबी	348.44	चालू	395.65	130.39	32.60	162.99	16.60	4.15	20.75
26	भौती-फतेहपुर (जीटीआरआईपी-4) पैकेज- II बी	51.50	2	जीक्यू (डीके)	डब्ल्यूबी	495.35	चालू	618.07	20.00	5.00	25.00	10.66	2.66	13.32
27	वाराणसी-मोहनियां (जीटीआरआईपी-5) पैकेज- IV ए	76.00	2	जीक्यू (डीके)	डब्ल्यूबी	467.93	चालू	424.90	4.00	1.00	5.00	0.30	0.07	0.37

क्र. सं.	परियोजना का नाम	लम्बाई	एनएच सं०	श्रेणी	द्वारा वित्त पोषित	कुल परियोजना की लागत	पूर्ण होने की संभावित तिथि	मार्च 2008 तक व्यय	बजट अनुमान 2008-09 के अनुसार अनुमानित व्यय			अक्टूबर-मार्च, 2008 में किया गया वास्तविक व्यय		
									बाहरी सहायता	बिना सहायता का हिस्सा	योग	बाहरी सहायता	बिना सहायता का हिस्सा	योग
28	सासाराम-डेहरी-ऑन-सोन (जीटीआरआईपी-6) पैकेज-IV सी	30.00	2	जीक्यू (डीके)	डब्ल्यूबी	221.87	चालू	234.19	8.00	2.00	10.00	19.68	4.92	24.60
29	इलाहाबाद बाईपास परियोजना (पैकेज एबीपी-I) (कि. मी. 163.28 से 164.30 एनएच-2) गंगापुल	1.02	2	जीक्यू (डीके)	डब्ल्यूबी	91.36	चालू	129.66	11.20	2.80	14.00	10.71	2.68	13.39
30	इलाहाबाद बाईपास परियोजना (पैकेज एबीपी-II) (कि. मी. 158-198 एनएच-2)	38.99	2	जीक्यू (डीके)	डब्ल्यूबी	440.93	चालू	457.42	93.60	23.40	117.00	46.08	11.52	57.60
31	इलाहाबाद बाईपास परियोजना (पैकेज एबीपी- III) (कि. मी. 198-242.708 एनएच-2)	44.71	2	जीक्यू (डीके)	डब्ल्यूबी	534.39	चालू	473.01	115.79	28.95	144.74	68.03	17.01	85.04
	कुल (ख)	870.35				5254.13		5334.41	521.60	137.35	658.95	280.46	80.40	360.86
	कुल फेज-I	1735.35				8812.29		9768.61	567.07	148.89	715.96	302.34	86.36	388.70
	एनएचडीपी फेस II													
	(क) पूरी की गई परियोजनाएं													

क्र. सं.	परियोजना का नाम	लम्बाई	एनएच सं०	श्रेणी	द्वारा वित्त पोषित	कुल परियोजना की लागत	पूर्ण होने की संभावित तिथि	मार्च 2008 तक व्यय	बजट अनुमान 2008-09 के अनुसार अनुमानित व्यय			अक्टूबर-मार्च, 2008 में किया गया वास्तविक व्यय		
									बाहरी सहायता	बिना सहायता का हिस्सा	योग	बाहरी सहायता	बिना सहायता का हिस्सा	योग
32	भिलाडी से पोरबंदर (कि. मी. 52.5-2) एनएच 8बी-पैकेज- I	50.50	8B	एनएसईडब्ल्यू (एनएस)	एडीबी	255.96	पूरा	238.74	0.66	0.34	1.00	4.37	2.24	6.61
	कुल (क)	50.50				255.96		238.74	0.66	0.34	1.00	4.37	2.24	6.61
(ख)	चालू परियोजनाएं													
33	करसूल-अनंतपुर (एपी-10) एडीबी कि. मी. 211.000-251.000 एडीबी सेक्टर-II/सी-10	40.00	7.00	एनएसईडब्ल्यू (एनएस)	एडीबी	194.80	चालू	38.87	44.48	22.84	67.32	13.11	6.73	19.84
34	अनंतपुर-एपी/कर्नाटक बार्डर (एपी-II) एडीबी कि. मी. 251.000-293.40 एडीबी सेक्टर II/ सी-11	42.40	7.00	एनएसईडब्ल्यू (एनएस)	एडीबी	208.46	चालू	47.08	30.84	15.84	46.68	14.41	7.40	21.81
35	करसूल-अनंतपुर (एनएच-7) कि. मी. 336.000-376.000-एडीबी सेक्टर-II/ सी-13 आ. प्र.	42.60	7.00	एनएसईडब्ल्यू (एनएस)	एडीबी	239.19	चालू	27.28	41.97	21.55	63.52	11.84	6.08	17.92

क्र. सं.	परियोजना का नाम	लम्बाई	एनएच सं०	श्रेणी	द्वारा वित्त पोषित	कुल परियोजना की लागत	पूर्ण होने की संभावित तिथि	मार्च 2008 तक व्यय	बजट अनुमान 2008-09 के अनुसार अनुमानित व्यय			अक्टूबर-मार्च, 2008 में किया गया वास्तविक व्यय		
									बाहरी सहायता	बिना सहायता का हिस्सा	योग	बाहरी सहायता	बिना सहायता का हिस्सा	योग
36	अनंतपुर-एपी/कर्नाटक (एनएच-7) कि.मी. 336.000-376.000-एडीबी सेक्टर-II /सी-13 आ. प्र.	40.00	7.00	एनएसईडब्ल्यू (एनएस)	एडीबी	243.38	चालू	20.28	48.55	24.93	73.48	8.68	4.46	13.14
37	अनंतपुर-एपी/कर्नाटक (एनएच-7) कि.मी. 376.000-418.000-एडीबी सेक्टर-II /सी-14 आ. प्र.	42.00	7.00	एनएसईडब्ल्यू (एनएस)	एडीबी	205.92	चालू	47.96	32.17	16.51	48.68	17.86	9.17	27.03
38	अनंतपुर-एपी/कर्नाटक (एनएच-7) कि.मी. 418.000-463.000-एडीबी सेक्टर-II /सी-15 आ. प्र.	45.60	7.00	एनएसईडब्ल्यू (एनएस)	एडीबी	243.64	चालू	52.19	48.80	25.05	73.85	20.21	10.37	30.58
39	जेतपुर से भिलाडी (कि.मी. 117-52.5) एनएच-8बी, पैकेज- II	64.50	8B	एनएसईडब्ल्यू (एनएस)	एडीबी	399.89	चालू	310.24	28.27	14.52	42.79	54.83	28.15	82.98

क्र. सं.	परियोजना का नाम	लम्बाई	एनएच सं०	श्रेणी	द्वारा वित्त पोषित	कुल परियोजना की लागत	पूर्ण होने की संभावित तिथि	मार्च 2008 तक व्यय	बजट अनुमान 2008-09 के अनुसार अनुमानित व्यय			अक्टूबर-मार्च, 2008 में किया गया वास्तविक व्यय		
									बाहरी सहायता	बिना सहायता का हिस्सा	योग	बाहरी सहायता	बिना सहायता का हिस्सा	योग
40	गारामोर-बामनचौर (कि. मी. 254.182.60) एनएच-8ए, पैकेज- III	71.40	8A	एनएसईडब्ल्यू (एनएस)	एडीबी	360.70	चालू	245.35	18.01	9.24	27.25	14.23	7.30	21.53
41	गारामोर-गगाधर (कि. मी. 254-308 एनएच-8ए) एवं (कि. मी. 281.30-245 एनएच-15), पैकेज-IV	90.30	8A & 15	एनएसईडब्ल्यू (एनएस)	एडीबी	412.78	चालू	300.77	47.15	24.21	71.36	34.82	17.87	52.69
42	राधनपुर-गगाधर, (कि. मी. 138.80-245 एनएच-15), पैकेज- V	106.20	15.00	एनएसईडब्ल्यू (एनएस)	एडीबी	429.40	चालू	360.83	4.20	2.16	6.36	43.07	22.11	65.18
43	राधनपुर-दीसा (कि. मी. 458-372.60 एनएच-14), पैकेज-VI	85.40	14.00	एनएसईडब्ल्यू (एनएस)	एडीबी	399.89	चालू	383.99	4.20	2.16	6.36	49.25	25.29	74.54
44	ललितपुर-सागर (कि. मी. 94-132 एनएच-26) एमपी/एडीबी सी- II ए/3	38.00	26.00	एनएसईडब्ल्यू (एनएस)	एडीबी	198.00	चालू	31.91	61.76	31.71	93.47	13.83	7.10	20.93

क्र. सं.	परियोजना का नाम	लम्बाई	एनएच सं०	श्रेणी	द्वारा वित्त पोषित	कुल परियोजना की लागत	पूर्ण होने की संभावित तिथि	मार्च 2008 तक व्यय	बजट अनुमान 2008-09 के अनुसार अनुमानित व्यय			अक्टूबर-मार्च, 2008 में किया गया वास्तविक व्यय		
									बाहरी सहायता	बिना सहायता का हिस्सा	योग	बाहरी सहायता	बिना सहायता का हिस्सा	योग
45	ललितपुर-सागर (कि. मी. 132-187, एनएच-26) एमपी/एडीबी सी-II ए/4	55.00	26.00	एनएसईडब्ल्यू (एनएस)	एडीबी	255.00	चालू	78.22	25.31	13.00	38.31	18.51	9.50	28.01
46	ललितपुर-सागर (कि. मी. 187-211, एनएच-26) एमपी/एडीबी सी-II ए/5	26.00	26.00	एनएसईडब्ल्यू (एनएस)	एडीबी	151.30	चालू	37.40	32.64	16.76	49.40	6.96	3.58	10.54
47	ललितपुर-सागर-राजमार्ग चौराहा (कि. मी. 211-255, एनएच-26) एमपी/एडीबी सी-II ए/6	44.00	26.00	एनएसईडब्ल्यू (एनएस)	एडीबी	203.43	चालू	40.38	65.05	33.40	98.45	7.06	3.62	10.68
48	ललितपुर-सागर राजमार्ग चौराहा (कि. मी. 255.297, एनएच-26) म. प्र./एडीबीसी-11 ए/7	42.00	26.00	एनएसईडब्ल्यू (एनएस)	एडीबी	206.96	चालू	51.79	23.13	11.87	35.00	0.00	0.00	0.00
49	राजमार्ग चौराहा-लखनाडान (कि. मी. 297-351, एनएच-26) म. प्र./एडीबीसी-II ए/8	54.00	26.00	एनएसईडब्ल्यू (एनएस)	एडीबी	251.03	चालू	21.15	99.11	50.89	150.00	6.71	3.44	10.15

क्र. सं.	परियोजना का नाम	लम्बाई	एनएच सं०	श्रेणी	द्वारा वित्त पोषित	कुल परियोजना की लागत	पूर्ण होने की संभावित तिथि	मार्च 2008 तक व्यय	बजट अनुमान 2008-09 के अनुसार अनुमानित व्यय			अक्टूबर-मार्च, 2008 में किया गया वास्तविक व्यय			
									बाहरी सहायता	बिना सहायता का हिस्सा	योग	बाहरी सहायता	बिना सहायता का हिस्सा	योग	
50	राजमार्ग चौराहा-लखनाजान (कि. मी. 351-405.70, एनएच-26) एमपी/एडीबी सी-II ए/9	54.70	26.00	एनएसईडब्ल्यू (एनएस)	एडीबी	229.91	चालू	10.21	99.11	50.89	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51	चित्तौड़गढ़ बाईपास (आरजे-6)	40.00	76.00	एनएसईडब्ल्यू (एनएस)	एडीबी	384.25	चालू	227.65	56.06	28.78	84.84	41.58	21.35	62.93	
52	कोटा-चित्तौड़गढ़ (आरजे-7)	63.00	76.00	एनएसईडब्ल्यू (एनएस)	एडीबी	440.50	चालू	274.96	56.06	28.78	84.84	63.33	32.52	95.85	
53	कोटा-चित्तौड़गढ़ (आरजे-8)	65.00	76.00	एनएसईडब्ल्यू (एनएस)	एडीबी	446.40	चालू	237.44	56.06	28.78	84.84	58.67	30.12	88.79	
54	आरजे/एमपी बाईर-कोटा (आरजे-9) कि.मी. 406 से 449	43.15	76.00	एनएसईडब्ल्यू (एनएस)	एडीबी	297.72	चालू	146.72	40.25	20.67	60.92	26.14	13.42	39.56	
55	आरजे/एमपी बाईर-कोटा (आरजे-10) कि.मी. 449 से 509	59.85	76.00	एनएसईडब्ल्यू (एनएस)	एडीबी	378.22	चालू	235.21	40.25	20.67	60.92	30.54	15.68	46.22	
56	आरजे/एमपी बाईर-कोटा (आरजे-9) कि.मी. 509 से 579	70.00	76.00	एनएसईडब्ल्यू (एनएस)	एडीबी	311.35	चालू	247.94	20.14	10.34	30.48	35.37	18.16	53.53	
57	शिवपुरी बाईपास-एमपी/आरजे बाईर (एमपी-1)	53.00	25 & 76	एनएसईडब्ल्यू (एनएस)	एडीबी	360.34	चालू	277.78	0.00	0.00	0.00	31.43	16.13	47.56	

क्र. सं.	परियोजना का नाम	लम्बाई	एनएच सं०	श्रेणी	द्वारा वित्त पोषित	कुल परियोजना की लागत	पूर्ण होने की संभावित तिथि	मार्च 2008 तक व्यय	बजट अनुमान 2008-09 के अनुसार अनुमानित व्यय			अक्टूबर-मार्च, 2008 में किया गया वास्तविक व्यय		
									बाहरी सहायता	बिना सहायता का हिस्सा	योग	बाहरी सहायता	बिना सहायता का हिस्सा	योग
58	झाँसी-शिवपुरी (एमपी-2)	35.00	25.00	एनएसईडब्ल्यू (एनएस)	एडीबी	213.69	चालू	131.91	0.00	0.00	0.00	27.70	14.22	41.92
59	झाँसी-शिवपुरी (यूपी/एमपी-1)	41.00	25.00	एनएसईडब्ल्यू (एनएस)	एडीबी	220.31	चालू	98.29	0.00	0.00	0.00	17.79	9.14	26.93
60	झाँसी बाईपास (यूपी-3)	15.00	25.00	एनएसईडब्ल्यू (एनएस)	एडीबी	158.06	चालू	63.53	70.78	36.34	107.12	13.49	6.92	20.41
61	ऊर्ई-झाँसी (यूपी-4)	66.00	25.00	एनएसईडब्ल्यू (एनएस)	एडीबी	451.97	चालू	200.68	0.00	0.00	0.00	24.24	12.44	36.68
62	ऊर्ई-झाँसी (यूपी-5)	50.00	25.00	एनएसईडब्ल्यू (एनएस)	एडीबी	340.68	चालू	61.01	0.00	0.00	0.00	14.48	7.43	21.91
63	लखनऊ-अयोध्या (कि.मी. 8.25 से 45, एनएच-28 उ.प्र.) पैकेज-I	36.00	28.00	एनएसईडब्ल्यू (एनएस)	डब्ल्यूबी	193.00	चालू	129.56	66.18	16.54	82.72	34.83	8.71	43.54
64	लखनऊ-अयोध्या (कि.मी. 45 से 93, एनएच-28 उ.प्र.) पैकेज-II	47.00	28.00	एनएसईडब्ल्यू (एनएस)	डब्ल्यूबी	217.00	चालू	148.39	63.06	15.77	78.83	36.18	9.04	45.22
65	लखनऊ-अयोध्या (कि.मी. 93 से 135, एनएच-28 उ.प्र.) पैकेज-III	41.93	28.00	एनएसईडब्ल्यू (एनएस)	डब्ल्यूबी	212.00	चालू	147.29	62.02	15.51	77.53	44.52	11.13	55.65
66	अयोध्या-गोरखपुर (कि.मी. 135 से 164, एनएच-28, उ.प्र.) पैकेज-IV	29.00	28.00	एनएसईडब्ल्यू (एनएस)	डब्ल्यूबी	205.00	चालू	131.10	52.48	13.12	65.60	6.82	1.70	8.52
67	अयोध्या-गोरखपुर (कि.मी. 164 से 208, एनएच-28, उ.प्र.) पैकेज-V	44.00	28.00	एनएसईडब्ल्यू (एनएस)	डब्ल्यूबी	227.00	चालू	81.74	46.88	11.72	58.60	14.70	3.67	18.37

क्र. सं.	परियोजना का नाम	लम्बाई	एनएच सं०	श्रेणी	द्वारा वित्त पोषित	कुल परियोजना की लागत	पूर्ण होने की संभावित तिथि	मार्च 2008 तक व्यय	बजट अनुमान 2008-09 के अनुसार अनुमानित व्यय			अक्टूबर-मार्च, 2008 में किया गया वास्तविक व्यय		
									बाहरी सहायता	बिना सहायता का हिस्सा	योग	बाहरी सहायता	बिना सहायता का हिस्सा	योग
68	अयोध्या-गोरखपुर (कि.मी. 208-251.70, एनएच-28, उ.प्र. पैकेज-VI)	43.70	28.00	एनएसईडब्ल्यू (एनएस)	डब्ल्यूबी	239.00	चालू	138.33	50.88	12.72	63.60	33.97	8.49	42.46
69	गोरखपुर-कसिया (कि.मी. 279.80-319.80, एनएच-28, उ. प्र. पैकेज-VII)	40.00	28.00	एनएसईडब्ल्यू (एनएस)	डब्ल्यूबी	242.00	चालू	154.62	96.99	24.25	121.24	20.82	5.21	26.03
70	कसिया-बिहार-यूपी बार्डर (कि.मी. 319.80 से 360.91, एनएच-28, उ. प्र.) पैकेज-VIII	41.12	28.00	एनएसईडब्ल्यू (एनएस)	डब्ल्यूबी	227.00	चालू	108.96	57.02	14.26	71.28	14.46	3.62	18.08
71	यूपी/बिहार बार्डर-दीवापुर (कि.मी. 360.91 से 402, एनएच-28, बिहार) पैकेज - IX	41.09	28.00	एनएसईडब्ल्यू (एनएस)	डब्ल्यूबी	300.00	चालू	121.52	53.15	13.29	66.44	44.58	11.14	55.72
72	दीवापुर-कोटवा (कि.मी. 402 से 440, एनएच-28, बिहार) पैकेज- X	38.00	28.00	एनएसईडब्ल्यू (एनएस)	डब्ल्यूबी	240.00	चालू	59.22	53.15	13.29	66.44	7.57	1.89	9.46

क्र. सं.	परियोजना का नाम	लम्बाई	एनएच सं०	श्रेणी	द्वारा वित्त पोषित	कुल परियोजना की लागत	पूर्ण होने की संभावित तिथि	मार्च 2008 तक व्यय	बजट अनुमान 2008-09 के अनुसार अनुमानित व्यय			अक्टूबर-मार्च, 2008 में किया गया वास्तविक व्यय		
									बाहरी सहायता	बिना सहायता का हिस्सा	योग	बाहरी सहायता	बिना सहायता का हिस्सा	योग
73	कोटवा-मेहसी (कि.मी. 440 से 480, एनएच-28, बिहार) पैकेज-XI	40.00	28.00	एनएसईडब्ल्यू (एनएस)	डब्ल्यूबी	239.00	चालू	63.53	73.15	18.29	91.44	7.72	1.93	9.65
74	मेहसी-मुजफ्फरपुर (कि.मी. 480-520, एनएच-28, बिहार) पैकेज-XII	40.00	28.00	एनएसईडब्ल्यू (एनएस)	डब्ल्यूबी	275.00	चालू	67.70	83.56	20.89	104.45	8.69	2.17	10.86
	कुल (ख)	2066.94				11653.17		5660.95	1852.87	751.54	2604.41	995.00	438.40	1433.40
	कुल फेज- II	2117.44				11909.13		5899.69	1853.53	751.88	2605.41	999.37	440.64	1440.01
	कुल योग (फेज I+II)	3852.79				20721.42		15668.31	2420.60	900.77	3321.37	1301.71	527.00	1828.71

संलग्नक- 27.2.4

वर्ष 2007-08 के दौरान एनएचडीपी के विभिन्न चरणों की वास्तविक प्रगति

(कि. मी. में)

		फेज I जीक्यू एवं अन्य	फेज II एनएस-ईडब्ल्यू एवं अन्य	फेज III ए	फेज IV	फेज V	कुल
निर्माण पूरा	लक्ष्य	437	2013	435	-	-	2885
	उपलब्धि	213 (49)	1020 (51)	381 (88)			1614 (56)
टाल लगाए गए राजमार्ग की लम्बाई	लक्ष्य	1896	-	-	-	-	1038
	उपलब्धि	1038 (55)					
निर्माण ठेका दिए गए	लक्ष्य	-	811	2066	-	2861	5738
	उपलब्धि	-	43 (5)	278 (13)	-	582 (20)	1202 (21)

पीएमजीएसवाई- आबंटन/जारी किया गया/व्यय

क्र. सं.	राज्यों के नाम	आबंटन			जारी किया गया	
		10वीं योजना	2007-08	2008-09	10th Plan	2007-08
1	2	3	4	5	6	7
1	आन्ध्र प्रदेश	570.00	105.00	105.00	752.22	316.57
2	अरुणाचल प्रदेश	209.00	77.00	117.00	149.54	102.03
3	असम	677.00	456.00	731.00	998.87	555.00
4	बिहार	1114.00	457.00	687.00	985.88	733.06
5	छत्तीसगढ़	1026.00	690.00	540.00	1505.03	1050.89
6	गोवा	25.00	5.00	5.00	0.11	0.00
7	गुजरात	270.00	65.00	65.00	285.13	144.56
8	हरियाणा	110.00	30.00	30.00	303.34	216.21
9	हिमाचल प्रदेश	544.00	287.00	207.00	496.68	320.58
10	जम्मू और कश्मीर	180.00	115.00	315.00	126.09	72.74
11	झारखंड	770.00	225.00	205.00	334.90	0.00
12	कर्नाटक	495.00	110.00	110.00	347.33	271.49
13	केरल	110.00	30.00	30.00	90.35	24.68
14	मध्य प्रदेश	1859.00	890.00	590.00	2545.64	1615.66
15	महाराष्ट्र	670.00	145.00	145.00	442.60	563.96
16	मणिपुर	136.00	33.00	33.00	24.33	78.99
17	मेघालय	185.00	45.00	45.00	42.88	0.00
18	मिजोरम	114.00	52.00	62.00	207.93	21.96
19	नागालैण्ड	110.00	30.00	30.00	118.13	12.51
20	उड़ीसा	1161.00	543.00	973.00	1472.10	546.83
21	पंजाब	135.00	35.00	35.00	178.17	360.21
22	राजस्थान	1280.00	434.00	244.00	2676.46	1646.64
23	सिक्किम	110.00	30.00	30.00	116.08	174.51
24	तमिलनाडु	410.00	90.00	90.00	326.02	71.03
25	त्रिपुरा	145.00	40.00	40.00	121.49	143.00
26	उत्तर प्रदेश	1910.00	675.00	465.00	1877.29	1228.40
27	उत्तरांचल	370.00	130.00	160.00	98.18	78.74
28	पश्चिम बंगाल	947.00	376.00	526.00	1050.99	549.69
	जोड़	15642.00	6200.00	6615.00	17673.76	10899.94
29	एलडब्ल्यूई, सीमावर्ती जिले आर एण्ड डी (यथा अनुमोदित)	225.00	180.00	130.00	0.00	0.11
30	प्रशासनिक व्यय, क्यूसी, पीएमसी/पीआईसी (5%)	330.62	84.80	119.00	0.00	0.12
31	एनआरआरडीए	28.00	25.00	12.00	0.00	10.00
32	संघ राज्य क्षेत्र	0.00	10.00	10.00	5.00	3.89
33	अन्य चार्ज	0.00	0.20	0.00	0.00	0.20
34	नाबार्ड लोन पर ब्याज	0.00	0.00	644.00	0.00	85.76
	कुल जोड़	16225.62	6500.00	7530.00	17678.76	11000.02

संलग्नक-27.2.6

केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के तहत राज्य-वार आबंटन एवं जारी निधियां
अंतर-राज्यीय एवं आर्थिक महत्व की सड़कें

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	10वीं योजना		11वीं योजना	2007-08		2008-09
		आबंटन	जारी राशि	आबंटन	आबंटन	जारी राशि	आबंटन
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आन्ध्र प्रदेश	500.00	17.48	900.00	5.91	5.20	5.29
2	अरुणाचल प्रदेश		20.53		6.38	0.00	1.57
3	असम		9.48		6.38	0.00	1.56
4	बिहार		0.00		3.15	0.00	1.68
5	छत्तीसगढ़		7.45		2.00	0.00	0.70
6	गोवा		0.32		0.00	0.00	0.13
7	गुजरात		28.09		6.40	14.06	1.62
8	हरियाणा		2.57		6.62	6.62	15.20
9	हिमाचल प्रदेश		0.00		2.05	1.89	2.06
10	जम्मू और कश्मीर		0.13		1.73	0.00	4.77
11	झारखंड		0.00		0.94	0.00	3.19
12	कर्नाटक		42.94		23.32	22.64	20.37
13	केरल		0.00		2.68	0.00	1.27
14	मध्य प्रदेश		0.00		12.81	6.89	6.12
15	महाराष्ट्र		2.01		20.71	18.84	8.35
16	मणिपुर		2.35		0.08	0.00	2.14
17	मेघालय		1.50		0.72	0.64	0.44
18	मिजोरम		7.80		2.92	4.41	3.36
19	नागालैण्ड		16.33		5.75	5.20	5.45
20	उड़ीसा		35.61		12.08	1.90	33.74
21	पंजाब		5.44		2.83	2.52	3.47
22	राजस्थान		13.95		5.91	10.97	18.00
23	सिक्किम		12.17		12.70	15.72	4.70
24	तमिलनाडु		4.02		0.16	0.00	8.43
25	त्रिपुरा		3.01		1.97	1.70	0.45
26	उत्तर प्रदेश		33.55		6.38	5.50	2.83
27	उत्तरांचल		11.95		6.65	0.00	4.47
28	पश्चिम बंगाल		7.00		5.70	5.00	1.31
	राज्यों के लिए आरक्षित						13.07
	उप जोड़		285.68		164.93	129.70	175.74
	संघ राज्य क्षेत्र						
1	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह		0.00		0.00	0.00	0.00

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	10वीं योजना		11वीं योजना	2007-08		2008-09
		आबंटन	जारी राशि	आबंटन	आबंटन	जारी राशि	आबंटन
1	2	3	4	5	6	7	8
2	चंडीगढ़		0.00		1.00	0.00	3.00
3	दादरा और नागर हवेली		0.00		2.00	0.00	0.50
4	दमन और दीव		0.50		2.00	1.60	1.50
5	दिल्ली		0.00		0.00	0.00	0.00
6	लक्षद्वीप		0.00		0.00	0.00	0.00
7	पांडिचेरी		0.00		0.00	0.00	0.00
	संघ राज्य क्षेत्र के लिए आरक्षित				4.00	0.00	5.00
	उप जोड़		0.50		9.00	1.60	10.00
	कुल जोड़		286.18		173.93	131.30	185.74

संलग्नक-27.2.7

सड़क परिवहन क्षेत्रक के संबंध में वार्षिक योजना 2008-09 के लिए स्कीम-वार परिव्यय

क्र. सं.	स्कीम का नाम	2008-09
1.	सड़क सुरक्षा	73.00
i	असंगठित क्षेत्रक में ड्राइवरों को पुनश्चर्या प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास	20.00
ii	प्रचार उपाय एवं जागरूकता अभियान	25.00
iii	सड़क सुरक्षा उपस्कर एवं प्रदूषण परीक्षण और नियंत्रण	5.80
iv	राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना सहायता सेवा स्कीम	22.20
2	राष्ट्रीय डाटा बेस-नेटवर्क	75.00
	नई स्कीमें	
1	निरीक्षण और अनुरक्षण	1.00
2	सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का सुदृढीकरण	30.00
3	राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड का गठन	1.00
	कुल योग	180.00

वार्षिक योजना 2007-08 के दौरान बंदरगाह परिव्यय एवं व्यय

क्र. सं.	बंदरगाह/संगठन का नाम	बी ई 2007-08			वास्तविक व्यय (2007-08)		
		बीएस	आईबीआर	कुल	बीएस	आईबीआर	कुल
(क)							
1	कोलकाता	0.00	30.31	30.31	0.00	26.02	26.02
2	हल्दिया	0.00	7.05	7.05	0.00	30.58	30.58
3	आर.आर. स्कीमें	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
	कुल	0.01	37.36	37.37	0.00	56.60	56.60
	मुम्बई	0.00	50.36	50.36	0.00	29.32	29.32
4	जेएनपीटी	0.00	188.18	188.18	0.00	70.29	70.29
5	चेन्नई	0.00	47.81	47.81	0.00	46.72	46.72
6	कोचीन	100.01	58.51	158.52	89.37	49.71	139.08
7	विशाखापत्तन	8.00	75.00	83.00	0.00	37.32	37.32
8	कांडला	0.00	89.49	89.49	0.00	41.39	41.39
9	मोरमुगांव	0.00	10.10	10.10	0.00	11.48	11.48
10	पारादीप	45.00	55.00	100.00	0.00	42.05	42.05
11	नया मंगलौर	0.00	36.00	36.00	0.00	29.25	29.25
12	तूतीकोरिन	1.00	78.46	79.46	0.00	52.71	52.71
13	एन्नौर	0.00	61.00	61.00	0.00	34.53	34.53
	उप-जोड़ (क)	154.02	787.27	941.29	89.37	501.37	590.74
	अन्य						
16	डीसीआई	0.00	300.00	300.00	0.00	123.30	123.30
17	एएलएचडब्ल्यू	53.16	0.00	53.16	21.65	0.00	21.65
18	आर एण्ड डी	17.74	0.00	17.74	3.36	0.00	3.36
19	गैर-शीर्ष बंदरगाहों एवं एमएसडीसी संबंधी अध्ययन हेतु सहायता	1.27	0.00	1.27	0.00	0.00	0.00
20	एसएससीपी	140.22	524.22	664.44	139.22	133.54	272.96
21	सुनामी के बाद का कार्य	105.09	0.00	105.09	19.51	0.00	19.51
22	वेब आधारित ईडीआई	7.50	0.00	7.50	0.04	0.00	0.04
23	शिपिंग विभाग के लिए आईटी	0.49	0.00	0.49	0.35	0.00	0.35
	उप जोड़ (ख)	325.47	824.22	1149.47	184.13	257.04	441.17
	उप जोड़ (क + ख)	479.49	1611.49	2090.98	273.50	758.41	1031.91
24	सर्वेक्षण जहाज	19.00	0.00	19.00	5.00	0.00	5.00
	कुल योग	498.49	1611.49	2109.98	278.50	758.41	1036.91

संलग्नक-27.5.1

वर्ष 2007-08 के दौरान नागर-विमानन क्षेत्रक की वित्तीय प्रगति

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	संगठन	2007-08	
		परिव्यय	व्यय (अनंतिम)
1	2	3	4
1	एयर इंडिया लिमि0	6337.01	5148.19
2	इंडियन एयरलाइन लि0	2507.70	2250.79
3	भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण	1961.41 (45.00)*	1980.23 (55.00)*
4	पवन हंस हेलिकॉप्टर्स लि0	246.50	97.36
5	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी	(39.00)	(32.90)
6	नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए)	(87.00)	(52.99)
7	नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो	(12.00)	(0.37)
8	भारतीय होटल निगम लि0	15.00	15.00
9	एयर इंडिया चार्टर्ड लि0	1124.47	920.79
10	भारतीय एयरो क्लब	(17.00)	(10.92)
	कुल	12347.09 (200.00)	10509.54 (152.18)

* ईएपी शामिल

i) कोष्ठक में दिए गए आंकड़े बजटीय सहायता घटक दर्शाते हैं।

संलग्नक-27.5.2

नागर विमानन मंत्रालय के संगठनों का वित्तीय निष्पादन

(करोड़ रुपये)

विवरण	ग्यारहवीं योजना	2007-08		2008-09
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य
एनएसीआईएल	लक्ष्य	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य
कुल राजस्व	113367.15	15374.00	15257.47	17314.00
कुल व्यय	111925.73	17518.00	17483.63	19470.50
कर के पश्चात लाभ/हानि	1441.42	(2144.00)	(2226.16)	(2156.50)
एयर इंडिया चार्टर्ड लि०				
कुल राजस्व	14044.93	2263.10	110.31	1744.00
कुल व्यय	13174.10	2193.23	1094.37	1691.00
कर के पश्चात लाभ/हानि	870.83	69.87	65.94	53.00
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण				
कुल राजस्व	23782.70	3477.18	4289.21	4117.40
कुल व्यय	14419.09	2150.69	2549.84	2714.70
कर के पश्चात लाभ/हानि	5149.99	795.89	1081.87	841.55
पवन हंस हेलीकाप्टर लिमिटेड				
कुल राजस्व	1800.00	243.31	220.11	238.52
कुल व्यय	1465.62	219.31	213.90	226.02
कर के पश्चात लाभ/हानि	209.52	22.13	23.17	14.45

संलग्नक-27.5.3

वर्ष 2007-08 के लिए संगठनवार परिव्यय

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	संगठन	2008-09
1	नेशनल एविएशन कंपनी आफ इंडिया लिमिटेड	5786.48
2	भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण	3377.10 (95.88)*
3	पवन हंस हेलिकॉप्टर्स लि0	123.80
4	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी	1.12 (1.12)
5	नागर विमानन महानिदेशक (डीजीसीए)	63.00 (63.00)
i)	डीजीसीए	58.00 (58.00)
ii)	राष्ट्रीय उड़ान प्रशिक्षण संस्थान गोंडिया	5.00 (5.00)
6	नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो	15.00 (15.00)
7	भारतीय होटल निगम लि0	15.00
8	भारतीय होटल निगम लि0	15.00 (15.00)
9	एयर इंडिया चार्टर्ड लि0	634.50
	कुल	10031.00 (190.00)

* ईएपी शामिल.

i) कोष्टक में दिए गए आंकड़े बजटीय सहायता घटक दर्शाते हैं।

अध्याय 28

ऊर्जा

28.1 ऊर्जा की उपलब्धता और उस तक पहुंच को आर्थिक विकास के लिए उत्प्रेरक माना जाता है। अर्थव्यवस्था की परिकल्पित 9 प्रतिशत विकास हासिल करने के लिए ग्यारहवीं योजना में ऊर्जा की उपलब्धता में पर्याप्त वृद्धि का अनुमान लगाया गया है और वार्षिक योजनाएं इन योजना अनुमानों के अनुसार तैयार की जा रही हैं। स्वतंत्रता के बाद देश में कुल ऊर्जा उपयोग में महत्वपूर्ण विस्तार देखने में आया है। यह उपयोग गैर वाणिज्यिक स्रोतों से वाणिज्यिक स्रोतों की तरफ हुआ है। कुल प्राथमिक ऊर्जा खपत में वाणिज्यिक ऊर्जा का हिस्सा 1980-81 के 59.7 प्रतिशत से बढ़कर 2006-07 में 72.6 प्रतिशत हो गया। मूल्य प्रभावी तरीके से ऊर्जा आपूर्ति बढ़ाने की चुनौती को स्वीकार करते हुए ऊर्जा क्षेत्रक ने अपना विकास जारी रखा और 2007-08 में प्रारम्भिक वाणिज्यिक ऊर्जा आपूर्ति 7.42 प्रतिशत बढ़ी जबकि कुल प्राथमिक ऊर्जा आपूर्ति 5.75 प्रतिशत बढ़ी। कुल प्राथमिक ऊर्जा आपूर्ति 2006-07 में 27 प्रतिशत से गिरकर 2007-08 में 26 प्रतिशत हो गई।

28.2 हमारे दीर्घावधि लक्ष्य को हासिल करने के लिए, ऊर्जा उत्पादन क्षमता को सभी कैप्टिव संयंत्रों को मिलाकर 2006-07 के लगभग 16000 मेगावाट के स्तर से बढ़ाकर 2031-32 तक 9,60,000 मेगावाट तक किए जाने की आवश्यकता है। 2007-08 में वास्तविक उपलब्धि 8963 मेगावाट थी। हाइड्रो सेक्टर के अच्छे निष्पादन ने 2007-08 के उत्पादन लक्ष्य को लगभग हासिल करने में सहायता की है। 2008-09 के लिए उत्पादन क्षमता की वृद्धि लक्ष्य 11021 मेगावाट निर्धारित किया गया है। 2007-08 में ऊर्जा मिश्र में एक प्रमुख ईंधन कोयले का उत्पादन 5.9 प्रतिशत बढ़ा और कोकिंग और ताप विद्युत संयंत्रों में उपयोग में लाए जाने वाला दोनों प्रकार का लगभग 50

मिलियन टन कोयला आयात किया गया। 2008-09 में भारत की कोयला आवश्यकता 555 मिलियन टन पहुंच जाने का अनुमान है परन्तु 2008-09 में घरेलू कोयला उत्पादन में 8.8 प्रतिशत की महत्वाकांक्षी वृद्धि अनुमान के बावजूद घरेलू कोयला आपूर्ति लगभग 58 मिलियन टन कम रहेगी। 2008-09 में घरेलू तेल उत्पादन में 5.8 प्रतिशत की वृद्धि और गैस उत्पादन में 37 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया गया है जबकि इस अवधि में पेट्रोलियम उत्पादों की मांग में 6.5 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। दसवीं योजना के अंत में कुल ऊर्जा उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा सिर्फ 3.14 प्रतिशत था। ग्यारहवीं योजना में नवीकरणीय ऊर्जा के हिस्से को 5.27 प्रतिशत तक बढ़ाने की परिकल्पना की गई है। नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता को 2007-08 की 9 प्रतिशत से बढ़ाकर 2008-09 में 10 प्रतिशत किए जाने का अनुमान है।

विद्युत

प्रस्तावना

28.3 विद्युत एक महत्वपूर्ण बुनियादी अवसंरचना है और आर्थिक विकास का प्रमुख प्रेरक है। आजादी के बाद से प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में इस क्षेत्रक को सबसे ज्यादा प्रमुखता दी गई है जिसके परिणामस्वरूप उपयोग आधारित अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता, जो स्वतंत्रता के समय 1362 मेगावाट थी आज बढ़कर 1,45,000 मेगावाट से अधिक हो गई है। अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता में वृद्धि के साथ संचरण और वितरण (टीएंडडी) में भी महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। फिर भी, इन उपलब्धियों के बावजूद, विद्युत क्षेत्रक की वृद्धि मांग के अनुरूप नहीं हुई, जिसमें निरंतर कमी रही और अतिविश्वसनीयता उत्पन्न होती है।

28.4 विद्युत अधिनियम 2003 में इस क्षेत्रक में सुधार और प्रोत्साहित करने वाले एवं खपत में ऊर्जा दक्षता प्रबंधन उपायों हेतु आवश्यक संरचना की व्यवस्था की गई। जून 2003 में इस अधिनियम का लागू होना एक प्रमुख उपलब्धि थी जिसने एक प्रतिस्पर्धी और उदार ढांचे के अंदर विद्युत क्षेत्रक के विकास का रास्ता तैयार किया और साथ ही उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण किया और साथ-साथ निवेश आकर्षित करने हेतु अनुकूल वातावरण भी तैयार किया। विद्युत अधिनियम की परिधि के भीतर ऊर्जा क्षेत्रक को दिशा देने के लिए, राष्ट्रीय ऊर्जा नीति और राष्ट्रीय टैरिफ नीति बनाई गई थी। नियामक संरचना स्थापित की जा चुकी है और 4-9 वर्षों से प्रचालन में है। फिर भी प्रतिस्पर्धामय एवं प्रभावी नियामक तंत्र, जो एसी प्रतिस्पर्धा में सहायक है, को अभी मूर्तरूप दिया जाना है।

वार्षिक योजना (2007-08) की समीक्षा और वार्षिक योजना (2008-09)

विद्युत उत्पादन एवं संयंत्र भार गुणक (उपयोगिताएं)

28.5 710.00 बिलियन यूनिटों के निर्धारित लक्ष्य की तुलना में, वर्ष 2007-08 में वास्तविक उत्पादन 704.47 बिलियन यूनिटों का हुआ, जो कि 0.78 प्रतिशत की नगण्य कमी को दर्शाता है। जल विद्युत उत्पादन में लक्ष्य से 12.76 प्रतिशत अधिक का उत्पादन हुआ परन्तु ताप विद्युत उत्पादन लक्ष्य से कुछ कम रहा और नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन लक्ष्य से 26.13 प्रतिशत कम हुआ।

28.6 जल विद्युत उत्पादन में वृद्धि में भूटान की चूखा, कुडिचु हाइडल और ताला हाइडल परियोजनाओं से प्राप्त 5.27 बिलियन यूनिट विद्युत भी शामिल है।

28.7 2008-09 के लिए अनुमानित कुल उत्पादन 774.34 बिलियन यूनिट है, जो कि पिछले वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य से 9.06 प्रतिशत अधिक है। 2008-09 के उत्पादन कार्यक्रम में भूटान की चूखा, कुडिचु और ताला हायडल

परियोजनाओं से प्राप्त होने वाली 5.62 बी.यू. बिजली शामिल है।

28.8 तालिका 28.1 में वर्ष 2007-08 हेतु निर्धारित लक्ष्य और स्रोतवार उत्पादन एवं वर्ष 2008-09 हेतु पावर उपयोग के अनुमान दिए गए हैं। इन संख्याओं का विस्तृत क्षेत्रवार विवरण संलग्नक-28.1 में दिया गया है।

तालिका 28.1 स्रोत वार विद्युत उत्पादन

(लाख इकाई)

	2006-07	2007-08		2008-09
	वास्तविक	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य
हाइड्रो	113315	109450	123424	118450
थर्मल	527499	572194	558990	631270
आणविक	18605	22713	16777	19000
भूटान से आयात	3010	5643	5278	5624
कुल	662429	710000	704469	774344

28.9 2007-08 के दौरान, विद्युत स्टेशनों के लिए अखिल भारतीय प्लांट लोड फैक्टर (पी.एल.एफ.) 77.14 था और वास्तविक उपलब्धि 78.61 प्रतिशत रही। कोयला आधारित 27 उष्णतापीय संयंत्रों ने महाराष्ट्र राज्य में स्थित रिलायंस ऊर्जा के दहानु ताप ऊर्जा संयंत्र के लिए 101.24 प्रतिशत के अधिकतम राष्ट्रीय औसत से अधिक पीएलएफ दिया। वर्ष 2006-07, 2007-08 और 2008-09 के लक्ष्यों का वर्षवार पीएलएफ तालिका 28.2 में दिया गया है। सभी विद्युत बोर्डों, केन्द्रीय विद्युत संघटनों और निजी क्षेत्रक के पीएलएफ के संदर्भ में लक्ष्य एवं उपलब्धि संलग्नक-28.2 में दर्शाए गए हैं।

तालिका 28.2 क्षेत्रवार प्लांट लोड फैक्टर (प्रतिशत)

	2006-07	2007-08		2008-09
	वास्तविक	लक्ष्य	उपलब्धि	अनुमानित लक्ष्य
केन्द्रीय क्षेत्रक	84.80	82.74	86.74	83.40
राज्य क्षेत्रक	70.60	72.51	71.89	75.40
निजी क्षेत्रक	86.40	86.77	90.79	87.10
अखिल भारत	76.80	77.14	78.61	79.00

क्षमता वृद्धि

28.10 वर्ष 2007-08 में केवल 9263 मेगावाट उत्पादन क्षमता जोड़ी जा सकी जो लक्ष्य की लगभग 56.70 प्रतिशत थी। तालिका 28.3 में वर्ष 2007-08 के दौरान हासिल की गई क्षमता वृद्धि और 2008-09 के लक्ष्यों को दर्शाया गया है।

तालिका 28.3 क्षमता में वृद्धि (मेगावाट)

	2006-2007 वास्तविक	2007-2008		2008-09 लक्ष्य
		लक्ष्य	उपलब्धि	
हाइड्रो	2306.00	2751.00	2423.00	1097.00
थर्मल	4006.80	12704.20	6620.00	9304.20
आणविक	540.00	880.00	220.00	660.00
जोड़	6852.80	16335.20	9263.00	11061.20

28.11 संलग्नक-III में क्षमता वृद्धि का परियोजनावार विवरण दिया गया है। कुल 31 उत्पादक इकाइयां ऐसी थी जिनका योग 7072.20 मेगावाट था और जो वर्ष 2007-08 के उत्पादक क्षमता वृद्धि कार्यक्रम के लक्ष्य को हासिल करने में असफल रही थी। लंबित परियोजनाओं में, 328 मेगावाट की जलक्षमता (4 उत्पादक इकाइयां), 6084.20 मेगावाट की थर्मल क्षमता (24 उत्पादक इकाइयां) और न्यूक्लियर क्षमता की 660 मेगावाट की तीन इकाई शामिल हैं। लंबित परियोजनाओं की पूर्ण सूची संलग्नक-29.4 में दी गई है।

28.12 2008-09 हेतु 11061.20 मेगावाट की उत्पादक क्षमता वृद्धि के लक्ष्य में केन्द्रीय क्षेत्रक में 3570 मेगावाट, राज्य क्षेत्रक में 4054.20 मेगावाट और निजी क्षेत्रक में 3437 मेगावाट क्षमता वृद्धि शामिल है। वर्ष 2008-09 के शेष रहे 7072.20 मेगावाट की परियोजनाएं भी 2007-08 के लक्ष्यों में शामिल हैं। 2008-09 में प्रक्षेपित क्षमता में प्रत्याशित वृद्धि का योजनावार ब्यौरा संलग्नक-29.5 में दिया गया है।

पारेषण एवं वितरण

28.13 तालिका 28.4 में वर्ष 2007-08 हेतु 765 केवी/400 केवी/220 केवी की ट्रांसमिशन लाइनों के निर्माण/संधारीकरण हेतु कार्यक्रम एवं उपलब्धियां वर्ष 2008-09 के लक्ष्यों के साथ दी गई हैं। 2007-08 की वास्तविक उपलब्धि दर्शाती है कि ट्रांसमिशन लाइनों के 400 केवी और 765 केवी क्षेत्रक में लक्ष्य से अधिक हासिल किया गया है।

तालिका 28.4 ट्रांसमिशन लाइनों में वृद्धि (मेगावाट) (Ckt. kms)

	2006-2007 वास्तविक	2007-2008		2008-2009 लक्ष्य
		लक्ष्य	उपलब्धि	
+/-500 केवी एचवीडीसी	0	0	120	1250
765 केवी	580	160	370	519
400 केवी	7940	6907	6947	7061
220 केवी	5199	5448	4160	4269

विद्युत क्षेत्रक सुधार

28.14 एक दशक से अधिक समय से विद्युत क्षेत्रक सुधार जारी हैं। कुछ महत्वपूर्ण बदलाव निम्न प्रकार हुए हैं

- 14 राज्यों ने अपने विद्युत क्षेत्रक को पुनर्गठित किया है या कारपोरेट को सौंप दिया है और अपने बोर्डों को उत्सर्जन, वितरण और उत्पादन जैसी पृथक इकाइयों में विभाजित कर दिया है। ये राज्य हैं— उड़ीसा, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, असम, त्रिपुरा, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। फिर भी हिमाचल प्रदेश, पंजाब, केरल, तमिलनाडु, बिहार और मेघालय के एसईबी ने विस्तार की मांग की है और यह कुछ और समय तक बने रहेंगे जैसाकि राज्य एवं केन्द्र सरकार के परस्पर समझौते में तय हुआ है।

- सत्ताईस राज्यों ने या तो एस.ई.आर.सी. का गठन कर लिया है या इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है और 21 एसईआरसी ने दसों संबंधी आदेश विद्युत विनियामक आयोग (जेईआरसी) का गठन किया है। मणिपुर और मिजोरम ने एक संयुक्त विद्युत नियामक आयोग का गठन किया है (जेईआरसी)। विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रभावी होने के साथ ही एसईआरसी के गठन को अनिवार्य कर दिया गया है, जिन राज्यों में एसईआरसी नहीं है उन्हें एसईआरसी के गठन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने की सलाह दी गई है। यह राज्य हैं नागालैण्ड और अरुणाचल प्रदेश।
- उड़ीसा एवं दिल्ली में वितरण को निजी हाथों में सौंप दिया गया है।
- अधिनियम के सेक्शन 14 के अंतर्गत 27 राज्यों ने ग्रामीण क्षेत्रों को अधिसूचित किया है, जहां कि बिना लाइसेंस के उत्पादन और वितरण की एकीकृत स्कीम लेने का प्रावधान है।

विद्युत (संशोधन) अधिनियम, 2007

28.15 विद्युत (संशोधन) अधिनियम 2007, 29 मई, 2007 को अधिनियमित किया गया और विद्युत अधिनियम 2003 के कुछ उपबंधों को संशोधित करते हुए, 15-6-2007 से लागू किया गया। इस संशोधन अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं हैं---

- ग्रामीण विद्युत अवसंरचना और परिवारों के विद्युतीकरण के माध्यम से गांवों एवं झुग्गियों सहित सभी क्षेत्रों तक विद्युत पहुंचाने के लिए केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों के साथ मिलकर प्रयास करेगी।
- कैप्टिव इकाइयों से विद्युत विक्रय हेतु किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी।
- चोरी की परिभाषा की छेड़छाड़ किए गए मीटरों के उपयोग और अनाधिकृत उद्देश्य के लिए

उपयोग को कवर करने के लिए विस्तृत किया गया।

- चोरी को स्पष्टता संज्ञेय और गैर जमानती बनाया गया।
- क्रास सब्सिडी को हटाने के प्रावधान का विलोपन किया गया। क्रास सब्सिडी को कम करने का प्रावधान जारी रहेगा।

मुक्त पहुंच का प्रचालनीकरण

28.16 मुक्त पहुंच बिजली अधिनियम 2003 की एक प्रमुख विशेषता है जो बिजली उद्योग को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए है। अंतर राज्य संचरण में मुक्त पहुंच पूर्णतः प्रचालन में है। राज्य यूटीलिटीज की संचरण लाइन तथा वितरण नेटवर्क मुक्त पहुंच के कार्यान्वयन की नई गति देने के लिए, विद्युत मंत्रालय ने अप्रैल 2007 में मुख्य सचिवों का सम्मेलन आयोजित किया और मई 2007 में मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया जिसमें मुक्त पहुंच कार्यसूची मदों में से एक मद थी। मंत्रालय ने विनियामक फोरम तथा राज्य विद्युत सचिवों के विचार विमर्श करने के लिए 5-11-2007 को भी बैठक बुलाई थी जो राज्य स्तर पर पूर्णतः मुक्त पहुंच के बारे में थी। एसईआरसी(ज़) ने सक्रिय रूप से मुक्त पहुंच के प्रचालनीकरण का संकल्प लिया है।

विद्युत ट्रेडिंग

28.17 विद्युत ट्रेडिंग वर्ष 1999 में भारतीय विद्युत ट्रेडिंग निगम को समाविष्ट करके आरम्भ की गई है। विद्युत अधिनियम 2003 के अधिनियमन ने ऊर्जा के ईष्टतम उपयोग के लिए विकासशील बाजार का रास्ता प्रशस्त किया। पड़ोसी देशों के साथ विद्युत विनिमय, देश के भीतर घाटे की प्रणाली को अधिशेष विद्युत के विनिमय की सुगम पहुंच को प्रोत्साहित किया है। 31 मार्च, 2007 को 22 ट्रेडिंग कंपनियों को ट्रेडिंग लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं। वर्ष 2006-07 के दौरान केवल 9 कंपनियां ही पावर ट्रेडिंग में शामिल रही हैं। इन

कंपनियों के द्वारा ट्रेड की गई कुल विद्युत मात्रा 15.02 बीयू थी जो 14.18 बीयू की तुलना में यूटिलिटीज के कुल उत्पादन का 2.24 प्रतिशत है तथा यह गत वर्ष 2005-06 में उपयोगिता से कुल उत्पादन का 2.27 प्रतिशत है।

विद्युत विनिमय केन्द्र

28.18 सीईआरसी ने विद्युत विनिमय केन्द्रों को स्थापित करने के लिए एक आवेदन का भी अनुमोदन दे दिया है। इससे आगे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी।

विद्युत प्रापण के लिए दिशानिर्देश

28.19 विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 63 के अनुपालन में केंद्र सरकार ने 19 जनवरी 2005 को प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से वितरक लाइसेंस धारकों द्वारा विद्युत प्रापण के लिए दिशा-निर्देश अधिसूचित किए थे। 31 मार्च 2006 को केंद्र सरकार ने बोली के मानक दस्तावेज भी जारी किए हैं, जिनमें प्रतिस्पर्धी बोली पर आधारित टैरिफ के माध्यम से विनिर्दिष्ट स्थल और स्थिति वाली परियोजनाओं से विद्युत के दीर्घावधि प्रापण के लिए योग्यता अनुरोध पत्र (आरएफक्यू), प्रस्ताव अनुरोध पत्र (आरएफपी) एवं आदर्श विद्युत खण्ड समझौता (पीपीए) शामिल हैं, अब तक प्राप्त फीडबैक के आधार पर और पणधारियों के केंद्र सरकार ने 21 सितम्बर 2007 को मानक बोली दस्तावेजों को संशोधित किया है।

अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाओं की स्थापना

28.20 इस तथ्य को स्वीकारते हुए कि वृहद आकार की विद्युत परियोजनाओं के विकास के माध्यम से अधिक सस्ती बिजली देने वाली इकॉनोमी स्केल प्राप्त किए जा सकते हैं, मंत्रालय ने कोयला आधारित अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाओं (यूएमपीएस) के विकास हेतु पहल की है जिसकी क्षमता 4000 मेगावाट या इससे अधिक होगी। इन परियोजनाओं को टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोलियों द्वारा मूर्तरूप दिया जाएगा। इन परियोजनाओं का आकार बढ़ा होने की वजह से ये

क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय आधार पर विद्युत संचरण के माध्यम से पूरा करेंगी। इन परियोजनाओं में विद्युत परियोजनाओं का विकास तथा पिटहैड साइट की सम्बद्ध कोयला खदानों और तटीय क्षेत्रों के आयातित कोयला स्रोत शामिल होंगे। ये परियोजनाएं निर्माण, स्वामित्व एवं प्रचालन (बीओओ) के आधार पर डेवलपर्स को दी जाएगी। ससान, मुन्द्रा और कृष्णापट्टनम यूएमपीएस की बोली प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है। मेसर्स टाटा पावर को मुन्द्रा परियोजना 2.26 रुपए प्रति किलोवाट दर पर दे दी गई है। मेसर्स रिलायंस पावर को ससान और कृष्णापट्टनम यूएमपीएस क्रमशः 1.19 रुपए प्रति किलोवाट और 2.33 रुपए प्रति किलोवाट की दर से दी गई है। ससान, मुन्द्रा और कृष्णापट्टनम से संबंधित विशेष उद्देश्य वाहन (एसपीवीज़) को सफल बोलीकर्ताओं को स्थानान्तरित किया जा चुके हैं। तिलइया यूएमपीवी के संबंध में बोली प्रक्रिया प्रारम्भ की जा चुकी है। अन्य परियोजनाओं का विकास संबंधित राज्य सरकारों की विभिन्न स्वीकृतियों पर निर्भर है।

संचरण परियोजनाओं के विकास में प्रतिस्पर्धा प्रोत्साहित करने के लिए जारी किए गए दिशानिर्देश

28.21 संचरण परियोजनाओं में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने हेतु केंद्र सरकार ने दिशा-निर्देश अधिसूचित कर दिए हैं। इसी प्रकार संचरण परियोजनाओं के लिए टैरिफ आधारित बोली हेतु भी दिशा-निर्देश अधिसूचित किए जा चुके हैं। इसके अलावा, परियोजनाओं के विकास में प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रोत्साहित करने के लिए दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार परियोजनाओं की पहचान और विकासकर्ताओं के चयन हेतु एक अधिकार प्राप्त समिति गठित की गई है। इस अधिकार प्राप्त समिति ने प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से विकास करने हेतु 14 संचरण परियोजनाओं की पहचान की है। पीएफसी और आरईसी द्वारा चार संचरण परियोजनाओं से टैरिफ आधारित स्पर्धात्मक बोली हेतु अभिव्यक्तियों पत्र आमंत्रित किए गए हैं।

त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरवी)

28.22 एपीडीआरपी मार्च 2003 में प्रचालन में आई। इस स्कीम के दो घटक हैं – निवेश एवं प्रोत्साहन। निवेश घटक के अधीन 19180 करोड़ रुपए लागत की परियोजनाएं स्वीकृत की गई थीं। फिर भी जैसाकि नीचे तालिका 29.5 में दिए गए निवेश सारांश से स्पष्ट है कि एपीडीआरपी के अधीन निवेशों में पर्याप्त प्रगति नहीं हुई है।

28.23 एपीडीआरपी स्कीम के प्रोत्साहन घटकों के संबंध में नौ राज्यों, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान और पश्चिम बंगाल, ने 2665.94 करोड़ रुपए (31.10.2008 को) की राशि प्राप्त की है, जो इन 9 राज्यों के 2001-02 के मुकाबले क्षति स्तर में 5753.22 करोड़ रुपए की कमी देखी गई है। तथापि ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जो यह दर्शाए कि सभी रिपोर्टेड क्षति स्थायी प्रकृति की हैं। वर्ष

2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07 और 2007-08 के लिए राज्यवार प्रोत्साहन वितरण का ब्यौरा तालिका 28.6 में दिया गया है।

एपीडीआरपी की पुनःसंरचना

28.24 28 मई 2007 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में "एटी एंड सी हानियों को 15 प्रतिशत तक कम करने" का प्रस्ताव पारित किया गया था। यह संकल्प लिया गया था कि राज्य अगले पांच वर्षों के दौरान समग्र एटी एंड सी हानियों में तीव्र कमी करके उसे बनाए रखने की प्रतिबद्धता पूरी करेंगे, और एपीडीआरपी क्षेत्र में 15 प्रतिशत के स्तर तक कम करेंगे और जैसाकि एपीडीआरपी कस्बों और शहरों में प्रतिभागी राज्यों द्वारा प्रदर्शन किया गया है। इस उद्देश्य हेतु केन्द्र से उपयुक्त सहायता प्राप्त करने वाले राज्य ऊर्जा लेखा करने एवं लेखा परीक्षा हेतु आवश्यक बेसलाइन डाटा स्थापित करेंगे और आईटी

तालिका 28.5: 31 अक्टूबर, 2008 को एपीडीआरपी में निवेश की स्थिति

(करोड़ रुपए)

	राज्य की श्रेणी	परियोजना परिव्यय	एपीडी आरपी संघटक	जारी राशि	प्रतिपक्ष निकासी	कुल उपयोग
1	गैर-विशेष	13668.28	5567.26	5103.83	4951.36	9883.01
2	विशेष	3365.30	3152.81	2571.68	66.52	2276.85
	कुल योग	17033.58	8720.07	7675.51	5014.32	12159.86

तालिका 28.6 एपीडीआरपी के अंतर्गत प्रोत्साहन भुगतान की स्थिति

(करोड़ रुपए)

राज्य	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	जोड़
आंध्र प्रदेश		265.11					265.11
गुजरात	236.38			148.08	76.87	577.98	1039.31
हरियाणा	5.01	100.48					105.49
महाराष्ट्र	137.89						137.89
राजस्थान		137.71					137.71
पश्चिम बंगाल			73.00	302.76	5.88	115.10	496.74
केरल				64.94	31.44	51.55	147.93
पंजाब				65.28	44.14	142.52	251.94
मध्य प्रदेश					54.06	243.55	297.61
जोड़	379.28	503.30	73.00	581.06	212.39	1130.70	2879.73

अनुप्रयोगों को अपनाएंगे। इसके साथ ही बिजली की चोरी को पूर्णतः समाप्त करना सुनिश्चित करेंगे जिसके कारण विभिन्न निवेशों और ऊर्जा क्षेत्रक के सुधारों की पहलें नकारात्मक हो गई हैं। इस बात पर पुनः बल दिया जा रहा है कि जहां भी उपभोक्ताओं के किसी वर्ग को मुफ्त अथवा सब्सिडी दर पर विद्युत उपलब्ध कराई जा रही है वहां राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसका अपफ्रंट भुगतान यूटीलिटीज को किया जाए। 11वीं योजना के दौरान पुनर्गठित एपीडीआरपी का फोकस हानि में कमी में वास्तविक प्रदर्शनीय निष्पादन पर होगा।

नवीकरण एवं आधुनिकीकरण (आरएंडएम)

28.25 ग्यारहवीं योजना में 16574 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर लाइफ एक्सटेंशन (एलई) कार्य हेतु लगभग 13032 मेगावाट की कुल क्षमता वाली 81 पुरानी तापविद्युत इकाइयों की पहचान की गई है जिसमें 10वीं योजना में छूट गई इकाइयां शामिल हैं, उपर्युक्त में से 50 इकाइयां (8362 मेगावाट) राज्य क्षेत्रक में और 31 इकाइयां (4670 मेगावाट) केन्द्रीय क्षेत्रक में हैं। एलई स्कीमों के कार्यान्वयन के बाद, इकाइयों की आर्थिक प्रचालन जीवन अवधि के 15-70 वर्षों तक बढ़ जाने की उम्मीद थी जिसमें यूनिटों के समग्र निष्पादन में सुधार शामिल नहीं होगा। साथ ही ग्यारहवीं योजना के दौरान 3090 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 77 ताप विद्युत इकाइयों (19205 मेगावाट) जिनमें से 25 इकाइयां (5035 मेगावाट) राज्य क्षेत्र की और 52 इकाइयां (14170 मेगावाट) केन्द्रीय क्षेत्रक की हैं, की पहचान आर एंड एम कार्यों के कार्यान्वयन के लिए की गई है।

ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान इकाई यूनिट - 1(120 मेगावाट) का जीवन विस्तारण कार्य और आबरा इकाई -6(94 मेगावाट) तथा हरदुआगंज इकाई (60 मेगावाट) का एलई कार्य अभी तक पूर्ण किया जा चुका है। पानीपत इकाई -1 (110 मेगावाट) पर कार्य समाप्ति के अंतिम चरण में है। 19 अन्य इकाइयों (3043 मेगावाट) के जीवन विस्तारण कार्यों का आदेश संयंत्र शट डाउन उपलब्धता के दौरान लिया गया है। 10 इकाइयों (2090 मेगावाट) का आर एंड एम कार्य अभी तक पूर्ण किया जा चुका है। तीन पावर स्टेशनों जो हैं - बोकारो बी टीपीज़ (3 x 210 मेगावाट) कोलाघाट टीपीएस (3 x 210 मेगावाट) और नासिक टीपीएस इकाई -3 (1 x 210 मेगावाट) की पहचान के एक डब्ल्यू जर्मनी से प्राप्त फंडिंग के द्वारा द्विपक्षीय सहयोग के माध्यम से समेकित क्षमता वाले आर एंड एम अध्ययन के लिए की गई है। इसके अलावा कुछ इकाइयों जैसे बान्डेल टीपीएस इकाई -5 (210 मेगावाट) कोरडी टीपीएस इकाई-1 (210 मेगावाट) और पानीपत टीपीएस (2 x 210 मेगावाट) की पहचान भी विश्व बैंक की सहायता से दक्ष समेकित क्षमता आर एंड एम हेतु की गई है।

28.26 ग्यारहवीं योजना के लिए कुल 56 हाइड्रो आर एंड एम स्कीम्स (पूर्व कार्यक्रम में 60 स्कीमों को संशोधित कर) जिनकी अधिष्ठापित क्षमता लगभग 10810 मेगावाट होगी, को 4178 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 4097 मेगावाट के लाभ के लिए जवीन विस्तारण, उन्नयन और पुनर्स्थापन के माध्यम से हासिल करने का कार्यक्रम था। इन 56 स्कीमों में से अभी तक सिर्फ 2 स्कीमों (1 केन्द्रीय क्षेत्रक में और 1 राज्य क्षेत्रक में) जिनकी अधिष्ठापित क्षमता 134 मेगावाट है, को

तालिका 28.7 वार्षिक योजना परिव्यय

(करोड़ रुपए)

	2006-2007 (वास्तविक)	2007-2008		2008-2009
		अनुमोदित परिव्यय	व्यय (अनुमानित)	
राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र	22187.74	26941.27	28484.75	33413.96
केन्द्रीय क्षेत्रक	27271.04	38489.55	29746.15	45838.10
जोड़ (अखिल भारत)	49458.78	65430.82	58230.90	79252.06

तालिका 28.8 पूर्वोत्तर परिषद में उपयोग

(करोड़ रुपए)

	2006-2007 वास्तविक व्यय	2007-2008		2008-2009 अनुमोदित परिव्यय
		अनुमोदित परिव्यय	योजना आवंटन	
पूर्वोत्तर परिषद के विशेष क्षेत्र कार्यक्रम का विद्युत संघटक	39.50	55	--	68.70

लगभग 36 करोड़ रुपए की लागत से पूर्ण किया है और जीवन विस्तारण और अपरेटिंग के माध्यम से 50 मेगावाट का लाभ प्राप्त किया गया है। 54 जारी स्कीमों में आर एंड एम कार्य समाप्ति के विभिन्न चरणों में है जैसे कार्यान्वयन, टेंडरिंग, डीपीआर निर्माण/निर्धारण तथा आरएलए अध्ययन।

योजना परिव्यय

28.27 केन्द्रीय क्षेत्रक में विद्युत क्षेत्रक पर कुल व्यय वर्ष 2006-07 में अनुमोदित परिव्यय 32051.80 रुपए के मुकाबले 27271.04 करोड़ रुपए था। राज्य क्षेत्रक के मामले में वर्ष 2006-07

में प्रत्याशित व्यय 20719.94 करोड़ रुपए के अनुमोदित परिव्यय की बजाय 22187.74 करोड़ रुपए था। तालिका 29.7 में राज्य एवं केन्द्रीय क्षेत्रकों में 2006-07 से योजना परिव्ययों का सारांश दिया गया है। प्रत्येक राज्य एवं सीपीएसयू(ज़) हेतु विस्तृत परिव्यय संलग्नक-28.6 में दिया गया है।

28.28 उत्तर पूर्व परिषद (एनईसी) के विशेष क्षेत्र कार्यक्रम में विद्युत क्षेत्रक विकास हेतु उपलब्ध कराई गई राशि के उपयोगिता संबंधी विवरण तालिका 28.8 में दिया गया है।

तालिका 28.9 वर्ष 2003-04 से 2007-08 तक वर्षवार आवंटन और वास्तविक सदुपयोग

(रुपए करोड़ में)

वर्ष	आवंटन	उपयोग	उपयोग (%)
2003-04			
केन्द्रीय क्षेत्रक	1007.72	1035.65	102.77
राज्य क्षेत्रक	2036.28	2519.39	123.72
जोड़	3044.00	3555.04	116.79
2004-05			
केन्द्रीय क्षेत्रक	993.50	684.78	68.93
राज्य क्षेत्रक	1352.22	1728.63	127.84
जोड़	2345.72	2413.41	102.89
2005-06			
केन्द्रीय क्षेत्रक	897.21	695.86	77.56
राज्य क्षेत्रक	1402.85	1475.85	105.20
जोड़	2300.06	2171.71	94.42
2006-07			
केन्द्रीय क्षेत्रक	1195.81	1272.06	106.38
राज्य क्षेत्रक	1416.38	1136.09	80.21
जोड़	2612.19	2408.15	92.19
2007-08			
केन्द्रीय क्षेत्रक	1907.00	1956.46	102.59
राज्य क्षेत्रक	923.68	874.34	94.66
जोड़	2830.68	2830.80	100.00

बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं

28.29 विद्युत मंत्रालय द्वारा वर्ष 2003-04 से लेकर वर्ष 2007-08 तक द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय व्यवस्था के माध्यम से बाह्य सहायता का वर्षवार आवंटन एवं वास्तविक सदुपयोग तालिका 28.9 में दिया गया है।

ग्रामीण विद्युतीकरण (आरई) कार्यक्रम

दसवीं योजना में आरजीजीवीवाई

28.30 अप्रैल 2005 में भारत सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) प्रारंभ की ताकि वर्ष 2009 तक सभी ग्रामीण परिवारों को बिजली उपलब्ध कराई जा सके और गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले सभी परिवारों (अनुमानित 2.3 करोड़ परिवार) को मुक्त कनेक्शन दिए जा सकें। आरजीजीवीवाई में भारत सरकार के अनुदान द्वारा कुल पूंजी लागत के 90 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाती है। आरजीजीवीवाई के लिए अनुमोदित पूंजी लागत अनुमान 16000 करोड़ रुपए है जिसमें 14750 करोड़ रुपए के सब्सिडी घटक शामिल है। वास्तविक लक्ष्यों में 1,25,000 विद्युत रहित गांवों का विद्युतीकरण जिससे कि ग्रामीण विद्युत वितरण और ग्रामीण विद्युतीकरण अवसंरचना का आधार निर्मित हो सके तथा अंतिम मील सेवा कनेक्टिविटी गांवों के 10 प्रतिशत परिवारों को 6.50 लाख रुपए प्रति गांव की दर से उपलब्ध कराई जा सके, शामिल है। उपर्युक्त अनुमानों में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे 2.34 करोड़ परिवारों को मुक्त कनेक्शन देने का लक्ष्य भी शामिल था साथ ही अनुमानों में पहले से विद्युतीकृत गांवों में सधनीकरण कार्य हेतु एक लाख रुपए प्रति गांव की दर से 4.62 लाख गांवों को शामिल किया गया। स्कीम के पहले चरण को दसवीं योजना में विद्युत मंत्रालय के योजना बजट के अंतर्गत सब्सिडी के रूप में 5000 करोड़ के उपबंध के साथ कार्यान्वित किया गया। दसवीं योजना के अंतिम 2 वर्षों (अर्थात् 2005-06 और 2006-07) में विभिन्न राज्यों को अनुदान सहित कुल 4903.95 करोड़ रुपए की

राशि जारी की गई थी। इस अवधि के दौरान विद्युत मंत्रालय ने 38,875 गैर विद्युतीकरा, 11527 विद्युतीकृत गांवों में लोड इंटेसिफिकेशन कार्य किए जाने और गरीबी रेखा से नीचे रह रहे 6,72,588 परिवारों को मुक्त कनेक्शन दिए जाने की रिपोर्ट दी।

ग्यारहवीं योजना में आरजीजीवीवाई

28.31 भारत सरकार ने ग्यारहवीं योजना में “राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना ग्रामीण बिजली अवसंरचना और परिवारों के विद्युतीकृत की स्कीम” को जारी रखने की मंजूरी दी जिससे कि वर्ष 2009 तक सभी परिवारों को विद्युत पहुंच प्रदान करने, लगभग 1.15 लाख गैर विद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण करने और 2.34 करोड़ बीपीएल परिवारों को विद्युत कनेक्शन देने का लक्ष्य हासिल किया जा सके। ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान 28000 करोड़ रुपए की पूंजी सब्सिडी का अनुमोदन दिया गया है। संपूर्ण कार्यक्रम के लिए संशोधित अनुमान 51,995 करोड़ रुपए का है जिसमें 46,812 करोड़ रुपए की पूंजी सब्सिडी शामिल है। दसवीं योजना में दी गई 5000 करोड़ रुपए की सब्सिडी के बाद ग्यारहवीं योजना में सब्सिडी की अनुमानित आवश्यकता 41,812 करोड़ रुपए आंकी गई है। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन (आरईसी) इस स्कीम के लिए नोडल एजेंसी होगी। स्कीम के अंतर्गत परियोजनाओं की कुल लागत की 90 प्रतिशत पूंजी सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें स्थानीय करों और राज्यों की वह राशि शामिल नहीं होगी जो संबंधित राज्य। राज्य यूटीलिटी द्वारा वहन की जाएगी। परियोजना लागत का शेष 10% राज्यों द्वारा स्वयं के स्रोतों/वित्तीय संस्थानों से ऋण द्वारा की जाएगी। स्कीम की निम्नांकित विशेषताएं होगी जिससे कि इसके उद्देश्यों को हासिल किया जा सके जिनके लिए यह स्थापित की गई है।

- विद्युत मंत्रालय के परामर्श से राज्य द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं को अंतिम रूप

दिया जाएगा और उन्हें 6 महीने के अंदर अधिसूचित करेंगे। ग्रामीण विद्युतीकरण योजना राज्य में विद्युत के उत्पादन, संचरण, अवसंचरण और वितरण का रोड मैप होगी जो स्कीम के उद्देश्यों की उपलब्धि सुनिश्चित करेगी।

- स्कीम के अंतर्गत पूंजी सब्सिडी के लिए होने के लिए निम्नलिखित हेतु स्कीम के अंतर्गत परियोजनाओं के अनुमोदन के पूर्व राज्यों से वचन भी लेना होगा। i) राज्य सरकार को आरजीजीवीवाई नेटवर्क में रोजाना कम से कम 6-8 घंटों की आपूर्ति की गारंटी देनी होगी साथ ही इस में कोई कमी होने पर विद्युत अधिनियम 2003 के अधीन आवश्यक सब्सिडाइज्ड टेरिफ पर विद्युत आपूर्ति करनी होगी ii) स्कीम के अंतर्गत वित्तपोषित परियोजनाओं में ग्रामीण वितरण के प्रबंधन हेतु फ्रेचाइजीस की तैनाती और स्कीम के प्रचालन के लिए आवश्यक कदम उठाना।
- विद्युत मंत्रालय द्वारा सचिव (विद्युत), भारत सरकार, की अध्यक्षता में गठित निगरानी समिति संशोधित लागत अनुमान सहित परियोजनाओं को स्वीकृत करेगी। स्कीम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए समय-समय पर आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने के अलावा इसके कार्यान्वयन की मानीटरिंग एवं समीक्षा करेगी।
- ऐसे गावों के लिए, जहां कि ग्रिड कनेक्टिविटी संभव नहीं है या लागत प्रभावी नहीं है, पारंपरिक नवीकरणीय अथवा गैर पारंपरिक स्रोतों जैसे बायोमास, बायोडीजल, बायोगैस, मिनी हायड्रो, भूतानीय और सौर विकेन्द्रीकृत वितरण सह-उत्पादनों वित्तपोषण का पैटर्न 90% भारत सरकार द्वारा तथा 10% आरईसी अथवा राज्य के स्वयं के फंड/वित्तीय संस्थानों के ऋण का होगा। डीजीजी के लिए सब्सिडी आवश्यकता का प्रावधान 540 करोड़ रुपए है।

- आरजीजीवीवाई के लिए प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के पैटर्न पर त्रिस्तरीय मॉनीटरिंग प्रक्रिया स्थापित की गई है।

2007-08 में आरजीजीवीवाई की समीक्षा

28.32 विद्युत मंत्रालय ने 2007-08 के दौरान आरजीजीवीवाई के अंतर्गत 40,000 बिजली रहित गांवों को विद्युतीकृत करने तथा लगभग 40 लाख बीपीएल घरों में मुफ्त बिजली कनेक्शन कराने का लक्ष्य निर्धारित किया था। वर्ष के दौरान आरजीजीवीवाई की अनुदान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विद्युत मंत्रालय के बजट में 3983 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। 31 मार्च, 2008 की स्थिति के अनुसार विद्युत मंत्रालय ने संचयी रूप से 88664 गांवों के विद्युतीकरण की उपलब्धि हासिल कर ली थी, इसमें वे 40838 विद्युतीकृत गांव भी शामिल हैं, जहां की तीव्र विद्युतीकरण किया जा चुका था। दूसरे शब्दों में 2007-08 में उन बिजली रहित गांवों की संख्या, जिन्हें कि विद्युतीकृत किया गया सिर्फ 9301 तक सीमित थी, अर्थात निर्धारित लक्ष्य 40000 गांवों का 23.25 प्रतिशत ही पूर्ण किया गया। 29311 गांवों में तीव्रीकरण का कार्य किया गया। समीक्षा वर्ष के दौरान 16,21,182 बीपीएल परिवारों को मुफ्त कनेक्शन दिए गए। स्कीम हेतु आरजीजीवीवाई को कुल 3756.20 करोड़ की कुल राशि जारी की जा चुकी है जिसमें पूंजी सहायता शामिल है।

2008-09 के लिए आरजीजीवीवाई

28.33 आरजीजीवीवाई के अंतर्गत पूंजी सहायता को पूर्ण करने के लिए विद्युत मंत्रालय के बजट में 5500 करोड़ रुपए प्रदान किए गए थे। 2008-09 के दौरान विद्युत मंत्रालय ने 25,000 बिजली रहित गांवों को विद्युतीकृत करने तथा 60 लाख बीपीएल घरों में मुफ्त बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है। 1.9.2008 तक रिपोर्ट की गई उपलब्धि में 2891 गैर विद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण और 9,85,717 बीपीएल परिवारों को

मुफ्त बिजली कराए गए बिजली कनेक्शन शामिल हैं।

28.34 भारत निर्माण के अंतर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण संघटक में बिजली रहित सभी 1,25,000 गांवों के विद्युतीकरण और 2.3 करोड़ परिवारों (देश के 7.8 करोड़ विद्युत रहित परिवारों में से) को 2009 तक बिजली पहुंचाने की परिकल्पना की गई है। अतः भारत निर्माण के अंतर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण संघटक आरजीजीवीवाई का उपसमूह है। इन दो कार्यक्रमों की समय सीमा मिलती जुलती है।

ऊर्जा के नए एवं नवीकरणीय स्रोत

28.35 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों संबंधी कार्यक्रमों हेतु जिम्मेदार है जैसे कि (क) छोटे हाइड्रो, विंड और बायोमास और औद्योगिक/शहरी अपशिष्ट से ग्रिड कनेक्टेड या एकाकी विद्युत उत्पादन, (ख) ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम जैसे कि दूरस्थ ग्रामों का विद्युतीकरण, बायोगैस और खाना पकाने के लिए उन्नत चूल्हे, (ग) सौर ऊर्जा प्रयोग जैसेकि ऊष्ण जल हीटर्स, पानी पम्प करने और प्रकाश के लिए सौर फोटोवोल्टैक प्रयोग, और (घ) समेकित ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम (आईआरईपी)। एमएनआरईपी द्वारा जियो थर्मल हाइड्रोजन ऊर्जा, ईंधन सेल्स, सतही यातायात हेतु वैकल्पिक ईंधन जैसी नई तकनीकों में अनुसंधान, विकास और प्रदर्शन जैसे कार्यक्रमों को भी शुरू किया गया है। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (आईआरईडीए) जोकि एमएनआरई के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक वित्तीय संस्थान है, नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमों हेतु छूट योग्य निधि उपलब्ध कराकर सहायता करती है। 10वीं योजना के अंत तक (31.3.2007 तक) प्रतिष्ठापित नवीकरणीय विद्युत उत्पादन क्षमता 10,406.69 मेगावाट तक पहुंच गई थी जो कुल प्रतिष्ठापित उत्पादन क्षमता का लगभग 8.1% था। 30 सितम्बर, 2008 की स्थिति के अनुसार नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत उत्पादन 13,451.09 मेगावाट तक

पहुंच गया था जो कुल प्रतिष्ठापित उत्पादन क्षमता का लगभग 9.2 प्रतिशत था। इसमें से विंड पावर का योगदान 9521.80 मेगावाट (70.79 प्रतिशत) और छोटे जल विद्युत का 2220.99 मेगावाट (16.51 प्रतिशत) तथा बायोमास (कोजनरेशन सहित) 1650.43 मेगावाट (12.27 प्रतिशत) था। लगभग नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता और वास्तविक उपलब्धियों को संलग्नक-28.7 में दर्शाया गया है।

वार्षिक योजना 2007-08 की समीक्षा

28.36 एमएनआरई के लिए वर्ष 2007-08 हेतु वित्तीय परिव्यय तालिका में दिया गया है। इस परिव्यय में एमएनआरई के अधीन संस्थानों का प्रावधान शामिल है और आईआरईडीए के लिए इक्विटी सहायता भी शामिल है।

तालिका 28.10 2007-08 के लिए वित्तीय परिव्यय
(करोड़ रुपए)

परिव्यय	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान
घरेलू बजटीय सहायता (डीबीएस)	605.00	461.00
योजना में बाह्य सहायता (ईएपी)	23.00	23.00
सकल बजटीय सहायता (जीबीएस)	628.00	484.00
आई.ई.बी.आर.	384.16	637.58
कुल परिव्यय	1012.16	1121.58

वार्षिक योजना 2008-09

28.37 वर्ष 2008-09 हेतु एमएनआरईपी का कुल परिव्यय तालिका-11 में दिया गया है। 620.00 करोड़ रुपए की सकल बजटीय सहायता में पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम द्वारा उपयोग के लिए एमएनआरई के विभिन्न कार्यक्रमों हेतु निर्धारित राशि की 10 प्रतिशत चिह्नित राशि भी शामिल है। कार्यक्रमवार ब्यौरा संलग्नक-VIII में दिया गया है। 2008-09 के वास्तविक लक्ष्यों में 1.50 लाख बायोमास संयंत्र, 30,000 सौर लालटेन, 60,000

एसपीवी घरेलू लाइट, 1250 एसपीवी स्ट्रीट लाइट, 400 केडब्ल्यूपी एसपीवी विद्युत संयंत्र और 300 एसपीवी पम्पस सिर्फ सामुदायिक उद्देश्यों के लिए शामिल है। 400,000 वर्ग किलोमीटर की कुल संग्रहण क्षमता वाले और 22,000 सोलर कुकरो के साथ और वाटर हीटिंग व्यवस्था का प्रक्षेपण भी सोलर थर्मल कार्यक्रम के लक्ष्यों के रूप में निर्धारित किया गया है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन के लक्ष्यों में विंड पावर से 2000 मेगावाट, बायोमास पावर से 250 मेगावाट, 16.00 मेगावाट समतुल्य पावर क्षमता शहरी एवं औद्योगिक अपशिष्ट से शामिल हैं। दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम में 1500 दूरस्थ गांवों के विद्युतीकरण हेतु नई परियोजनाएं अनुमोदित करना शामिल हैं। इसके अतिरिक्त ग्रामीण ऊर्जा सुरक्षा कार्यक्रम (वीईएसपी) टेस्ट परियोजनाएं भी प्रारम्भ की गई हैं। छोटी पवन ऊर्जा और हाईब्रिड सिस्टम के कार्यक्रम में 50 मेगावाट समतुल्य हाईब्रिड सिस्टम्स का प्रक्षेपण द्वारा शामिल है।

तालिका 28.11 2008-09 के लिए वित्त परिव्यय
(करोड़ रुपए)

परिव्यय	बजट अनुमान
घरेलू बजटीय सहायता (जीबीएस)	611.00
योजना में बाह्य सहायता (ईएपी)	9.00
सकल बजटीय सहायता (जीबीएस)	620.00
आई.ई.बी.आर.	647.00
कुल परिव्यय	1267.00

केन्द्र प्रायोजित स्कीमें (सीएसएस)

28.38 ग्यारहवीं योजना के दौरान एमएनआरई के अंतर्गत कोई केन्द्र प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) नहीं है।

11वीं योजना के लिए जेडबीबी कार्रवाई

28.39 ग्यारहवीं योजना के लिए मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों को योजना आयोग द्वारा की गई सिफारिशों और एकीकृत ऊर्जा नीति रिपोर्ट

(आईईपीआर) के अनुसार तैयार किया गया है। तदनुसार, विकास एवं प्रस्थापन नीति को युक्तियुक्त बनाने का प्रस्ताव है और 10वीं योजना में अपनाई गई व्यक्तिगत तकनीक एप्रोच के स्थान पर क्षेत्रक आधारित अवधारणा पर ध्यान दिए जाने पर जोर दिए जाने का प्रस्ताव है। अभी तक अपनाए गए दृष्टिकोण में ध्यान केंद्रण और प्रभावी समन्वय में कमी रही और कुछ मामलों में प्रयासों की पुनरावृत्ति ही हुई है, जिससे कि इच्छित परिणाम नहीं निकल सके। इन कमियों को स्पष्ट रूप में निर्धारित उद्देश्यों, लक्ष्यों, एकीकृत प्रयासों और विभिन्न कार्यक्रमों में उचित समन्वय से दूर किया जाना अपेक्षित है। इसके लिए मौजूदा कार्यक्रमों को युक्तिसंगत बनाया जा रहा है या एक साथ मिलाया जा रहा है, जिससे कि प्रभावी लक्ष्य प्राप्त किए जा सकें और संचालन भी कारगर रहे। ग्यारहवीं योजना के प्रारम्भ से ही जारी 5 कार्यक्रम हैं-

- (i) ग्रिड इन्टरएक्टिव और वितरित नवीकरणीय ऊर्जा ।
- (ii) ग्रामीण उपयोग हेतु नवीकरणीय ऊर्जा ।
- (iii) शहरी, औद्योगिक और व्यावसायिक उपयोगों हेतु नवीकरणीय ऊर्जा ।
- (iv) नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा हेतु अनुसंधान, निर्माण एवं विकास ।
- (v) सहायक कार्यक्रम ।

28.40 वार्षिक योजना 2008-09 में उनके अनुमोदित परिव्यय का कार्यक्रम ब्यौरा संलग्नक 28.8 में दिया गया है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्रक

28.41 जीडीपी वृद्धि लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता महत्वपूर्ण होगी। तेल के आयात पर बढ़ती निर्भरता और कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों के उतार चढ़ाव ने तेल सुरक्षा की चिंताओं को बढ़ा दिया है पहचान किए गए कुछ नीतिगत

उपायों में शामिल है तेल एवं गैस की उपलब्धता को सुनिश्चित करना, घरेलू आपूर्ति को बढ़ाना, आपूर्ति स्रोतों का विविधीकरण और लागत प्रभावी ओवरसीज तेल एवं गैस इक्विटी प्राप्त करना। देश में अतिरिक्त परिशोधन क्षमता है और अतिरिक्त उत्पादों का निर्यात किया जाता है। वर्ष 2007-08 में पेट्रोलियम उत्पादों की खपत 6.8% बढ़ी है। वर्ष 2007-08 में तेल एवं गैस की वैश्विक कीमतों में भी तीव्र बढ़ोत्तरी देखी गई है जिससे बहिर्देशों में 43% अधिक वृद्धि हो गई है और यह बढ़कर 56.43 बिलियन यूएस डॉलर हो गई है। वर्ष 2007-08 के दौरान भारत का औसत कच्चा तेल आयात 79.46\$/ बैरल था।

28.42 तेल एवं गैस के स्वदेशी उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार नई अन्वेषण लाइसेंस नीति (एनईएलपी) अपना रही है। अपस्ट्रीम नेशनल आयल, कंपनियों ओएनजीसी और ओआईएल ने आईओआर/ईओआर का कार्यान्वयन मौजूदा क्षेत्रों से उत्पादन बढ़ाने के लिए उपाए किए हैं। इसके अतिरिक्त सरकार इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल और बायो डीजल को बढ़ावा देने पर विचार कर रही हैं। ट्रांजीशनल पाइपलाइन के जरिये भारत में प्राकृतिक गैस का आयात करने के प्रयास किये जा रहे हैं। देश कच्चे तेल के लिए पांच मिलियन टन की कार्यनीतिक भण्डार क्षमता भी स्थापित की जा रही है।

28.43 ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, जो कि तेल एवं प्राकृतिक गैस कारपोरेशन (ओएनजीसी) का विदेश स्थित भाग है, ने विदेशों में उत्पादक परिसंपत्तियाँ और अन्वेषणात्मक ब्लॉकों को अधिगृहित किया है। ओआईएल, आईओसी और गेल भी विदेशों में अन्वेषणात्मक और उत्पादक परिसंपत्तियों को अर्जित करने के प्रयास में लगे हुए हैं। ओवीएल पिछले दो दशकों से तेल एवं गैस परिसंपत्तियों को अधिगृह करने के लिए सक्रिय है और 17 देशों में 37 परियोजनाओं में इसकी साझेदारी है। वर्ष 2007-08 के दौरान ओवीएस का

कुल इक्विटी ऑइल और गैस शेयर 8.8 एमएमटीओई था।

28.44 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना ने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस क्षेत्रक में निम्नलिखित महत्वपूर्ण मुद्दों की पहचान की है।

- (1) पेट्रोलियम उत्पादों का मूल्य निर्धारण । इसका उद्देश्य पूर्ण मूल्य प्रतिस्पर्धा को रिफाइनरी गेट और फुटकर स्तर तक हासिल करना है।
- (2) घरेलू रूप में उत्पन्न प्राकृतिक गैस का मूल्य निर्धारण और विद्युत तथा खाद उद्योग को आवंटित करना।
- (3) तेल एवं गैस क्षेत्रक में विकास की धारा को नियमित एवं मजबूत करना ।
- (4) प्रस्तावित पाइप लाइन यातायात एवं वितरण ग्रिड में प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना और खुली पहुंच बनाना।
- (5) ट्रांसनेशनल गैस पाइप लाइनों का निर्माण करना।
- (6) प्रतिस्पर्धी दर पर एलएनजी का आयात जिससे कि लंबी अवधि के लिए सुरक्षित गैस आपूर्ति हो सके ।
- (7) भोजन पकाने और रोशनी के ईंधनों पर प्रत्यक्ष अनुदान ।

वार्षिक योजना 2007-08 की समीक्षा

पेट्रोलियम उत्पादों की मांग/खपत

28.45 वर्ष 2007-08 में पेट्रोलियम उत्पादों की अनुमानित खपत 129.23 एमटी थी। इससे 2006-07 में 6.8% अधिक वृद्धि हुई थी। वर्ष 2006-07 और 2007-08 के दौरान लगभग सभी पेट्रोलियम उत्पादों की खपत में तीव्र वृद्धि देखी गई। वृद्धि की यह दर हाल के वर्षों में अभूतपूर्व है। वर्ष 2002-03 से प्रमुख उत्पादों की खपत की वृद्धि की तालिका 12 में दी गई है। वर्ष 2006-07 और 2007-08 में

तालिका 28.12 पेट्रोलियम उत्पादों की खपत में वृद्धि (हजार टन)

उत्पाद	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
	मात्रा	मात्रा	मात्रा	मात्रा	मात्रा	मात्रा
एलपीजी	8351	9305	10245	10456	10849	12165
एमएस	7570	7897	8251	8647	9286	10332
नाफता/एनजीएल	11962	11868	13993	12194	13886	13294
एटीएफ	2271	2484	2813	3299	3983	4543
एसकेओ	10404	10230	9395	9541	9505	9365
एचएसडी	36645	37074	39650	40191	42897	47669
एलडीओ	2064	1619	1477	883	720	667
एलयूबीईएस	1250	1427	1336	2081	1900	2290
एफओ/एलएसएचएस	12738	12945	13540	12829	12618	12717
बिट्टूमिन	2986	3373	3339	3508	3833	4506
अन्य	7885	9529	7596	9586	11274	11399
जोड़	104126	107751	111635	113215	120751	128947
वार्षिक विकास %	3.7	3.5	3.6	1.4	6.6	6.8

स्रोत: पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण सेल, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय।

खपत में आई तेजी का कोई स्पष्ट कारण उपलब्ध नहीं है। स्पष्ट किया जाता है कि इस अवधि के दौरान भारत में पेट्रोलियम उत्पाद और उर्वरक की किमतों शार्क देशों की तुलना में काफी कम थीं।

अन्वेषण एवं उत्पादन

अन्वेषणात्मक एवं विकासात्मक ड्रिलिंग

28.46 दो बड़ी राष्ट्रीय तेल कंपनियां ओएनजीसी और ऑयल इंडिया लिमिटेड अन्वेषण और उत्पादन क्रियाकलाप कर रही हैं। इसके अलावा गेल इंडिया लिमिटेड, आईओसी, बीपीपीसीएल और एचपीसीएल भी संयुक्त / निजी कंपनी समूह के गठन द्वारा व्यापार में शामिल हुई हैं। अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग के मामले में 481.01 हजार मीटर के निर्धारित लक्ष्य की तुलना में ओएनजीसी और तेल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) की प्रत्याशित उपलब्धि 482.54 हजार मीटर थी।

28.47 दो अपस्ट्रीम पीएसयूज द्वारा विकास ड्रिलिंग का लक्ष्य 542.07 हजार मीटर निर्धारित किया गया

जिसकी तुलना में प्रत्याशित उपलब्धि 579 हजार मीटर रही।

कच्चे तेल का उत्पादन

28.48 वर्ष 2007-08 के दौरान कच्चे तेल का प्रत्याशित उत्पादन 34.96 मिलियन टन के निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले 34.76 मिलियन टन था। उपलब्धि में कमी का कारण पूर्वोत्तर क्षेत्रों में कानून व्यवस्था की समस्या थी। कुल उत्पादन में निजी संयुक्त कंपनियों का योगदान लक्ष्य से अधिक था (संलग्न IX)।

प्राकृतिक गैस उत्पादन

28.49 2007-08 के लिए प्राकृतिक गैस उत्पादन का लक्ष्य 33.35 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) रखा गया था जिसकी तुलना में प्रत्याशित उत्पादन 31.66 बीसीएम था। ओएनजीसी के अवतलीय फील्डों के उम्रदराज होने के कारण उनका योगदान कम हो चुका है। निजी/संयुक्त कम्पनियों का योगदान भी लक्ष्य से थोड़ा कम ही रहा (संलग्नक 29.9)।

परिष्करण एवं विपणन

28.50 वर्ष 2007-08 के दौरान घरेलू परिष्करण क्षमता 148.97 मिलियन टन प्रति वर्ष बनी रही। घरेलू रिफाइनरियों से पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता संपूर्ण आधार पर घरेलू मांग से अधिक रही। देश अब पेट्रोलियम उत्पादों का निवल निर्यातक है। वर्ष 2007-08 के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों का निवल निर्यात 24.89 एमटी था (अप्रैल 2007 - मार्च 2008)।

नीतिगत पहलें/कार्यान्वयन

- सरकार ने एनईएलपी के अंतर्गत अभी तक 162 उत्पादन भागीदारी संविदाओं पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें एनईएलपी के 6वें दौर की नीलामी के दौरान 52 पीएससीज़ शामिल हैं। एनईएलपी के 7वें दौर के दौरान घोषित ब्लॉक्स को देने की प्रक्रिया सरकार द्वारा आरम्भ की जा चुकी है।
- कोयला तल मीथेन (सीबीएम) नीलामी के अंतर्गत प्रथम तीन दौर की नीलामी में कुल 23 ब्लॉक प्रदान कर दिए गए हैं।
- डाउन स्ट्रीम तेल एवं गैस पीयूएस को अपस्ट्रीम के द्वारा भारत और विदेशों में खनन एवं उत्पादन परिसंपत्तियों को हासिल करने की अनुमति दी गई है।
- विभिन्न देशों जैसे ईरान, म्यांमार, और तुर्कमेनिस्तान से अंतरराष्ट्रीय पाइपलाइनों के माध्यम से प्राकृतिक गैस आयात करने के लिए द्विपक्षीय बातचीत जारी है। तथापि पाइपलाइन साकार होने का समय अनिश्चित है।
- स्वदेशी रिफाइनरीज़ में उत्पाद गुणवत्ता मानक स्थापित करना जिससे कि पर्यावरणीय मानक हासिल किए जा सकें और ऑटोईंधन नीति रिपोर्ट द्वारा स्थापित रोडमैप को अपनाना।
- प्राकृतिक गैस की बढ़ती हुई मांग और पावर तथा उर्वरक क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए भारत ने स्पॉट और लघु अवधि

के कॉन्ट्रैक्ट्स के माध्यम से 3.24 एमएमटी गैस का आयात किया। यह मात्रा दीर्घावधि कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर आयातित 5 एमएमटीपीए एलएनजी के अतिरिक्त है।

- स्वदेशी उत्पादों पर, अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल के दामों के उतार चढ़ाव से होने वाले प्रभाव को न्यूनतम करने हेतु, टैक्स और ड्यूटीज को संशोधित करना।
- एलएनजी के रूप में अतिरिक्त गैस आयात करने की पहल की जा चुकी है और एलएनजी टर्मिनल्स का निर्माण कार्य हाथ में लिया जा चुका है।

परिव्यय एवं व्यय

28.51 वर्ष 2006-07 के लिए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस क्षेत्रक के लिए 33063.04 करोड़ रुपए का परिव्यय अनुमोदित किया गया था जिसकी तुलना में प्रत्याशित व्यय 34782.10 करोड़ रुपए था जो कि लक्ष्य का 105% है।

वार्षिक योजना 2008-09

पेट्रोलियम उत्पादों की मांग

28.52 ग्यारहवीं योजना में पेट्रोलियम उत्पादों की खपत में 2.9% के सीएजीआर पर वृद्धि की परिकल्पना की गई है। परंतु वर्ष 2006-07 और 2007-08 के दौरान वास्तविक खपत काफी अधिक रही है। 2008-09 में पेट्रोलियम उत्पादों की मांग का अनुमान 137.3 मिलियन टन था जबकि 2007-08 में वास्तविक खपत 128.9 मिलियन टन थी जो 6.5% की वार्षिक वृद्धि को दर्शाती है।

अन्वेषण एवं उत्पादन

अन्वेषण और विकास ड्रिलिंग

28.53 वर्ष 2007-08 के लिए ओएनजीसी और ओआईएल के वास्ते अन्वेषणात्मक और विकासात्मक ड्रिलिंग के लक्ष्य क्रमशः 491.46 और 597.66 हजार मीटर है। यह लक्ष्य वर्ष 2006-07

की प्रत्याशित उपलब्धियों क्रमशः 482.54 हजार मीटर और 500.08 हजार मीटर से 1.85 और 19.5 प्रतिशत अधिक है। ड्रिलिंग के क्रियाकलापों का कंपनीवार ब्यौरा संलग्नक-28.12 में दिया गया है।

कच्चे तेल का उत्पादन

28.54 वर्ष 2008-09 के लिए कच्चे तेल उत्पादन का लक्ष्य 36.80 मिलियन टन है। कच्चे तेल का बढ़ता हुआ उत्पादन निजी क्षेत्रक और संयुक्त उद्यमों से प्राप्त किए जाने का प्रस्ताव है। कच्चे तेल के उत्पादन का विवरण संलग्नक 28.13 में दिया गया है।

प्राकृतिक गैस उत्पादन

28.55 वर्ष 2008-09 के लिए प्राकृतिक गैस उत्पादन का लक्ष्य 43.06 बीसीएम निर्धारित किया गया है। यह 2007-08 की प्रत्याशित उपलब्धि 31.66 बीसीएम की तुलना में है। 2008-09 में यह लक्ष्य रिलायंस के केजी बेसिन गैस और निजी/संयुक्त उद्यमी प्रतिस्पर्धियों द्वारा प्रस्तावित परियोजनाओं पर निर्भर है। उत्पादन का विवरण संलग्नक-28.14 में दिया गया है।

परिशोधन क्षमता

28.56 1 अप्रैल 2008 को परिशोधन क्षमता 148.97 मिलियन टन प्रतिवर्ष थी और इसके 1 अप्रैल, 2009 तक बढ़कर 204.21 मिलियन टन प्रतिवर्ष हो जाने का अनुमान है। परिशोधन क्षमता में वृद्धि मुख्यतः एस्सार ऑइल और रिलायंस की रिफाइनरियों के कारण हुई है। परिशोधन का विवरण संलग्नक 29.15 में दिया गया है।

योजना परिव्यय

28.57 पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस क्षेत्रक हेतु वार्षिक योजना 2008-09 के लिए 42424.65 करोड़ रुपए के परिव्यय का अनुमोदन किया गया है। (32387.82 करोड़ रुपए अन्वेषण एवं उत्पादन और 10036.83 करोड़ रुपए परिशोधन एवं विपणन क्षेत्रक हेतु)। राजीव गांधी पेट्रोलियम तकनीकी

संस्थान को 25 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता प्रदान की गई है। कंपनीवार परिव्यय एवं व्यय का ब्यौरा संलग्नक 28.16 में दिया गया है।

कोयला एवं लिग्नाइट क्षेत्रक

सिंहावलोकन

28.58 देश में कोयला एवं लिग्नाइट वाणिज्य ऊर्जा के प्रमुख स्रोत है। दसवीं योजना अवधि में कोयले की मांग 5% में अधिक की दर से बढ़ी है और अनुमान है कि यह ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान 9% से अधिक की दर से बढ़ेगी। अनुमानित कोयला मांग को पूरा करने के लिए ग्यारहवीं योजना में इस क्षेत्रक के तीव्र विकास की परिकल्पना की गई है। ग्यारहवीं योजना के प्रमुख नीतिगत मुद्दे हैं केपटिव खानों से कोयला उत्पादन महत्वपूर्ण ढंग से बढ़ाने हेतु उपयोगकर्ताओं को ब्लॉकों का सुविधाजनक बनाना, कोयला क्षेत्रक के लिए नियामक प्रक्रिया निर्मित करना, जीसीवी आधारित पूर्ण परिवर्तनीय कोयला मूल्य पद्धति की ओर जाना और सीआइएल का पुर्नगठन करना। अनुमानित ऊर्जा आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए कोयले की उपलब्धता कराने, कोयला संसाधनों का त्वरित अन्वेषण कार्यक्रम द्वारा संबंधी करने, झरिया और रानीगंज कोल क्षेत्रों के पुराने खुदाई किए जा चुके क्षेत्रों में कोयला खनन के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने, सुरक्षा एवं संरक्षण में सुधार करने, सभी गतिविधियों में सूचना प्रौद्योगिकी का अधिक उपयोग करने, स्वच्छ कोयला तकनीकों का विकास करने, विद्युत उत्पादन हेतु घुले हुए कोयले की आपूर्ति बढ़ाने, उन्नत कोयला परिवहन के लिए अवसंरचना सुविधाओं को बढ़ाने, रेल भाड़े को तर्क संगत बनाने तथा उन्नत परियोजना कार्यान्वयन पर भी बल दिया जा रहा है।

वार्षिक योजना 2007-08 की समीक्षा

28.59 घरेलू कोयला उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कोयला परियोजनाओं की मंजूरी देने में होने वाले प्रक्रिया संबंधी विलंब को न्यूनतम करने के प्रयास किए गए थे। 2007-08 में कच्चे

कोयले का मांग/उठान लक्ष्य लगभग 2% अधिक रहा जबकि कोयला उत्पादन लक्ष्य से 1% कम रहा। नेवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन लिमिटेड (एलएनसी) के लिग्नाइट उत्पादन और सकल विद्युत उत्पादन के वर्ष 2007-08 के लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए हैं। क्षेत्रक का विस्तृत निष्पादन और केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमों का निष्पादन संलग्नक 28.12 और 28.13 में दिया गया है।

वार्षिक योजना 2008-09

कोयले की मांग

28.60 वार्षिक योजना 2008-09 के लिए प्रत्याशित कोयला मांग 555.00 मीट्रिक टन है, जो वर्ष 2007-08 के संभावित उत्पादन से 9 प्रतिशत अधिक है। कोकिंग कोयले की मांग लगभग 8 प्रतिशत है, जो ऊष्ण धातु उत्पादन के लिए है। 2008-09 गैर-कोकिंग कोयले की कुल अनुमानित मांग का 68 प्रतिशत विद्युत क्षेत्रक उपयोग के लिए है, लगभग 5 प्रतिशत मांग सीमेंट क्षेत्रक के लिए, लगभग 7 प्रतिशत मांग केप्टिव विद्युत और शेष 20 प्रतिशत अन्य क्षेत्रकों के लिए है। कोयले की अनुमानित मांग का ब्यौरा संलग्नक-28.9 में दिया गया है।

कोयला उत्पादन

28.61 वार्षिक योजना 2008-09 के लिए कोयला उत्पादन का लक्ष्य 496 मिलियन टन रखा गया है, जो वर्ष 2007-08 के उत्पादन से 8 प्रतिशत अधिक है। इसमें सीआईएल से 405 मिलियन टन, एससीसीएल से 41.50 मिलियन टन, अन्य स्रोतों से 50.34 मिलियन टन का उत्पादन शामिल है। कंपनीवार कोयला उत्पादन की जानकारी संलग्नक-28.12 में दी गई है।

धुले कोयले का उत्पादन

28.62 सीआईएल स्रोतों से धुले हुए कोकिंग कोयले और धुले तापीय कोयले का उत्पादन लक्ष्य से निरन्तर कम हो रहा है। बीसीसीएल क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण और आर एंड आर मुद्दों की ओर

उपयुक्त रूप से ध्यान देकर कोकिंग कोयले के उत्पादन को बढ़ाया जाना आवश्यक है। इसके अलावा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एमओईएफ) की पर्यावरणिक शर्तों को पूरा करने के लिए यह आवश्यक है कि धुले हुए तापीय कोयले को बढ़ाने के लिए और अधिक वाशरियों की स्थापना की जाए।

मांग आपूर्ति और कोयले का आवागमन

28.63 प्रक्षेपित मांग को घरेलू उत्पादन और आयात के जरिए पूरा किए जाने की योजना बनाई गई है। इस वर्ष का प्रस्तावित आयात 45 मिलियन टन (कोकिंग का 17.80 मिलियन टन और गैर कोकिंग कोयले का 27.20 मिलियन टन) है। 224.31 मिलियन टन घरेलू कोयले की दुलाई रेल द्वारा किए जाने का प्रस्ताव है जिसके लिए प्रतिदिन 26942 चार पहियों वाले माल डिब्बे (एफडब्ल्यूडब्ल्यू) की आवश्यकता होगी और 90.89 मिलियन टन कोयले की दुलाई एमजीआर द्वारा किए जाने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त आयातित कोयले को अंतर्देशीय संयंत्रों तक आपूर्ति हेतु पहुँचाना है।

जनसाधन और रोजगार की स्थिति

28.64 वर्ष 2007-08 (31.3.2008 तक) के दौरान सीआईएल में कर्मचारियों की संख्या 426979 भी इसे 2008-09 (31.3.2009) के दौरान कम करके 413585 तक लाने का प्रस्ताव है जो 3.14% की कमी होगी। एससीसीएल में रोजगार को 75,800 से घटाकर 71300 तक लाने का प्रस्ताव है (जो 6% की कमी हो गई है) एनएलसी में वर्ष 2008-09 के दौरान जनसाधन की आवश्यकता के 19363 बने रहने का अनुमान है या 31.3.2008 तक के स्तर दर के रहने का अनुमान है।

उत्पादकता

28.65 2007-08 3.79 टन (यूजी-0.73 टन, ओसी 8.57 टन) के सीआईएल में प्रति व्यक्ति

शिफ्ट (ओएमएस) की समस्त उत्पादकता के विरुद्ध वर्ष 2008-09 के लिए ओएमएस का लक्ष्य 4.09 टन (यूजी 0.81 टन ओसी 9.84 टन) पर तय किया है जो कि समूची उत्पादकता की लगभग 8 प्रतिशत वृद्धि को दर्शाता है। एससीसीएल के मामले में (समूचे प्रति व्यक्ति प्रति शिफ्ट उत्पादकता (ओएमएस)) वर्ष 2007-08 के समूचे 2.63 टन (यूजी 1.02 टन, ओसी-10.57 टन) ओएमएस के विरुद्ध 2008-09 में ओएमएस का लक्ष्य 2.97 टन (यूजी 1.17 टन, ओसी 10.73 टन) निर्धारित किया गया है जो सम्पूर्ण उत्पादकता में 9 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। एनएलसी में आरई 2007-08 के समूचे ओएमएस 8-11 की तुलना में 2008-09 के ओएमएस को 8.52 निर्धारित किया गया है जो संपूर्ण उत्पादकता में लगभग 5 प्रतिशत की वृद्धि दिखाता है।

केन्द्रीय क्षेत्रक की स्कीमें

संवर्धनात्मक अन्वेषण

28.66 वर्ष 2007-08 में संवर्धनात्मक अन्वेषण के लिए निर्धारित 1,50,000 मीटर के लक्ष्य की तुलना में उपलब्धि 1,15,500 मीटर है। इसकी तुलना में 2008-09 में ड्रिलिंग का लक्ष्य 1,50,000 मीटर निर्धारित किया गया है।

गैर सीआईएल ब्लॉकों में विस्तृत ड्रिलिंग

28.67 सम्भाव्य उद्यमियों को खनन ब्लॉकों का आबंटन करने के बीच समय के अंतराल को कम करने हेतु गैर सीआईएल ब्लॉकों में विस्तृत ड्रिलिंग करने की स्कीम हाथ में ली गई थी। 2007-08 में 186000 मीटर ड्रिलिंग के लक्ष्य की तुलना में उपलब्धि 45200 मीटर है। वर्ष 2008-09 के लिए 2,49000 मीटर ड्रिलिंग का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी (आर एंड डी)

28.68 कोयला अनुसंधान और विकास (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी) कार्यक्रम यह स्कीम 1975 से जानी है, पर मुख्य रूप से जोर दिए जाने के बावजूद नई

परियोजनाओं को शुरू करने और जारी विभिन्न परियोजनाओं के परिव्यय को उपलब्ध कराए गए परिव्यय के उपयोग दोनों में प्रगति संतोषजनक नहीं रही है। इस स्कीम के लिए वर्ष 2008-09 में 10.00 करोड़ रुपए का परिव्यय उपलब्ध कराना गया है।

पर्यावरणीय उपाय और धसान नियंत्रण (ईएमएससी)

28.69 कोयला खदानों के राष्ट्रीयकरण से पूर्व अवैज्ञानिक खनन किए जाने के कारण हुई क्षतियों को कम करने के लिए कई परियोजनाओं को कार्यान्वित करने से, स्कीम का उद्देश्य पुराने खनन किए गए क्षेत्रों, खासतौर से झरिया और रानीगंज कोयला खदानों में पर्यावरणीय स्थितियों का सुधार करना है। भूमि अधिग्रहण में कठिनाइयों, स्थानीय लोगों द्वारा आंदोलनों/बारम्बार व्यवधानों, स्थानीय अधिकारियों द्वारा पुनर्वास हेतु स्थानों को अंतिम रूप न देने तथा तकनीकी समस्याओं आदि के कारण इस स्कीम का कार्यान्वयन संतोषजनक नहीं रहा है। इस समय धसान नियंत्रण के अंतर्गत 9 चालू स्कीमें, पर्यावरणीय उपायों के अंतर्गत 4 स्कीमें, पुनर्वास (सामाजिक न्यूनीकरण) के अंतर्गत 2 स्कीमें और अग्नि नियंत्रण के अंतर्गत 3 स्कीमें हैं। 2007-08 के 18.04 करोड़ रुपए के व्यय के मुकाबले 2008-09 में 10.00 करोड़ रुपए का परिव्यय उपलब्ध कराया गया है।

कोयला खदानों में रक्षण एवं सुरक्षा तथा कोयला खदानों में परिवहन तथा अवसंरचना का विकास

28.70 वित्त मंत्रालय के निर्देशों पर, कोयला मंत्रालय ने दो प्लान स्कीमों का प्रस्ताव किया था जिसके नाम हैं : (i) कोयला खदानों में संरक्षण और सुरक्षा (ii) 2007-08 में योजना स्कीमों के रूप में कोयला खदानों में परिवहन और अवसंरचना का विकास की योजना आयोग द्वारा पूर्व में जांच की गई थी और उनकी प्रकृति को ध्यान में रखते हुए गैर योजना स्कीमों के रूप में संस्तुति दी थी। तथापित, इन स्कीमों के विपरीत, लाइन एंट्री बनाए रखने हेतु वार्षिक योजना 2007-08 में प्रत्येक

स्कीम के लिए 0.01 करोड़ रुपए का टोकन प्रावधान किया गया है। अब वित्त मंत्रालय (एमओएफ) की राय है कि चूंकि इन स्कीमों के वित्तपोषण का स्रोत सीसीडीए के अंतर्गत एकत्रित समर्पित धंसान उत्पाद शुल्क है अतः वित्तपोषण में कोई समस्या नहीं होगी। फिर भी वित्त मंत्रालय का आग्रह है कि बेहतर मॉनीटरिंग के लिए इन स्कीमों को योजना स्कीम माना जाए। तदनुसार वार्षिक योजना 2008-09 में इन स्कीमों के लिए क्रमशः 135 करोड़ का परिव्यय और 21.80 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए हैं।

सुरक्षा और कल्याण उपाय

28.71 कोयला खनिकों की सुरक्षा उच्च प्राथमिकता वाला क्षेत्र है विशेषकर तब जब कि विद्यमान खदानों से ही कोयले के उत्पादन में वृद्धि की जा रही है। खदानों के प्रचालक के रूप में कोयला कंपनियां मुख्य रूप से सुरक्षित खान कार्य संचालन और खनिकों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य सुधार के लिए जिम्मेदार है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत खान सुरक्षा महानिदेशालय सुरक्षा नियामक प्राधिकरण है, और खदानों में सुरक्षा को कानूनों को लागू करना है। कई सालों से देश में कोयला खदानों सुरक्षा निष्पादन में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।

28.72 सीआईएल में वर्ष 2007 के दौरान प्रति मिलियन टन कोयला उत्पादन पर दुर्घटना मृत्युदर 0.15 दर्ज की गई थी। इसी प्रकार एससीसीएल और एनएलसी में प्रति मिलियन टन कोयला उत्पादन पर दुर्घटना मृत्यु दर क्रमशः 0.24 तथा 0.09 थी।

28.73 संशोधित अनुमान 2007-08 के लिए समग्र आवास संतुष्टि सीआईएल में 98% और एससीसीएल में 68% थी। इसके वर्ष 2008-09 में सीआईएल में 100% और एससीसीएल में 72% तक पहुंचने की प्रत्याशा है। एनएलसी में कई सालों से आवास संतुष्टि 100% है।

28.74 संशोधित अनुमान 2007-08 में जल आपूर्ति स्कीम के अंतर्गत कवर की गई कुल जनसंख्या सीआईएल में 23.04 लाख, एससीसीएल में 6.5 लाख और एनएलसी में 2 लाख थी। इस कवरेज को 2008-09 में सीआईएल में 23.17 लाख जनसंख्या तक बताए जाने की उम्मीद है। फिर भी एससीसीएल और एनएलसी के मामले में वर्ष 2008-09 में इस स्कीम के अंतर्गत कवर की गई जनसंख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

28.75 वर्तमान में सीआईएल में 5970 बिस्तर वाले 85 चिकित्सालय, एससीसीएल में 1058 बिस्तर वाले 8 चिकित्सालय और एनएलसी में 369 बिस्तर वाला एक चिकित्सालय प्रचालन में हैं। इसके अतिरिक्त, सीआईएल में 428, एससीसीएल में 40 और एनएलसी में 5 डिस्पेंसरीज भी हैं।

योजना परिव्यय

28.76 वार्षिक योजना 2007-08 के दौरान कोयला मंत्रालय के लिए 5299.69 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रावधान किया गया है, जिसका वित्तपोषण 5049.69 करोड़ रुपए के आईईबीआर और 250 करोड़ रुपए के जीबीएस द्वारा किया जाएगा। कम्पनीवार/स्कीमवार विवरण संलग्नक-10 में दिया गया है।

28.77 वार्षिक योजना 2008-09 के दौरान कोयला मंत्रालय के लिए 6896.61 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रावधान किया गया है, जिसका वित्त पोषण 6396.91 करोड़ रुपए के आईईबीआर और 300 करोड़ रुपए के जीबीएस द्वारा किया जाएगा। ईएपी का कोई घटक नहीं है एवं बजटीय सहायता कोयला मंत्रालय की केन्द्रीय स्कीमों के लिए है। कम्पनीवार/ स्कीमवार विवरण संलग्नक-28.13 में दिया गया है।

बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं

28.78 कोयला क्षेत्रक में बाहरी सहायता प्राप्त कोई परियोजना नहीं है।

संलग्नक - 28.1

2006-07, 2007-08 और 2008-09 में ऊर्जा उत्पादन (उपयोग)

(एमयू)

वर्ष	श्रेणी		क्षेत्र					उत्तर पूर्व	भारत
			उत्तरी	पश्चिमी	दक्षिणी	पश्चिमी	उत्तर पूर्व		
2006-07	: जल		44757.31	18183.45	38847.14	8508.60	3018.36	113314.86	
	: थर्मल	वास्तविक	141599.08	170621.36	117289.54	94056.22	3932.94	527499.14	
	: आणविक		4520.06	8941.79	5143.51	0.00	0.00	18605.36	
		भूटान ईम्प						3010.08	
	: जोड़		190876.45	197746.60	161280.19	102564.82	6951.30	662429.44	
	: जल		48973.00	17076.00	31732.00	7063.00	4606.00	109450.00	
	: थर्मल	लक्ष्य	145159.00	196715.00	122130.00	103842.00	4348.00	572194.00	
	: आणविक		5557.00	11441.00	5715.00	0.00	0.00	22713.00	
		भूटान ईम्प						5643.00	
	: जोड़		199689.00	225232.00	159577.00	110905.00	8954.00	710000.00	
2007-08	: जल		50734.71	18340.76	39514.84	9835.73	4998.08	123424.12	
	: थर्मल	वास्तविक	146846.64	187933.27	123224.99	96885.82	4099.33	558990.05	
	: आणविक		3154.28	9375.35	4247.28			16776.91	
		भूटान ईम्प						5277.94	
	: TOTAL		200735.63	215649.38	166987.11	106721.55	9097.41	704469.02	
2008-09	: जल		52067.00	18616.00	32345.00	10527.00	4998.08	118450.00	
	: थर्मल	लक्ष्य	154234.00	220424.00	130904.00	121642.00	4099.33	631270.00	
	: आणविक		4744.00	8266.00	5990.00			19000.00	
		भूटान ईम्प						5624.00	
	: जोड़		211045.00	247306.00	169239.00	132169.00	9097.41	774344.00	

2007-08 के दौरान थर्मल पावर संयंत्र का संयंत्र लोड फैक्टर

(प्रतिशत)

क्रम सं०	एसईबी/ संगठन	लक्ष्य	उपलब्धि
राज्य क्षेत्रक			
1	आईपीजीपीसीएल (दिल्ली)	55.06	57.30
2	एचपीजीसी (हरियाणा)	76.60	78.18
3	आरआरवीयूएनएल (राजस्थान)	88.49	90.35
4	पीएसईबी (पंजाब)	79.99	87.65
5	यूपीआरवीयूएनएल (उत्तर प्रदेश)	58.78	56.33
6	जीएसईसीएल (गुजरात)	72.29	76.32
7	जीएमडीसीएल (गुजरात)	31.88	45.95
8	एमएसईबी (महाराष्ट्र)	78.63	76.09
9	एमपीजीपीसीएल (मध्य प्रदेश)	72.16	67.28
10	सीएसईबी (छत्तीसगढ़)	80.92	80.75
11	एपीजीईएनसीओ (आंध्र प्रदेश)	90.29	86.83
12	टीएनईबी (तमिलनाडु)	83.47	81.83
13	केपीसीएल (कर्नाटक)	80.00	84.20
14	बीएसईबी (बिहार)	11.21	4.71
15	जेएसईबी (झारखण्ड)	18.43	9.44
16	टीवीएनएल (झारखण्ड)	62.61	48.71
17	ओपीजीसी (उड़ीसा)	89.99	82.59
18	डब्ल्यूबीपी विकास प्राधिकरण (पश्चिम बंगाल)	60.47	67.85
19	डीपीएल (पश्चिम बंगाल)	61.74	42.21
20	एएसईबी (असम)	30.23	20.37
21	वीपीजीएसएल	24.68	0.60
	औसत: एसईबीज़	72.51	71.89
केन्द्रीय क्षेत्रक			
1	एनटीपीसी	86.21	90.42
2	नेवेली	72.31	79.76
3	डी. वी. सी.	63.87	62.76
	औसत: केन्द्रीय क्षेत्रक	82.74	86.74
निजी क्षेत्रक उपयोगिता			
1	ए.ई. कम्पनी / साबरमती	87.05	100.00
2	बीएसईएस/धन्नु	94.40	101.24
3	टाटा/ ट्राम्बे	86.61	85.78
4	सीईएससी/टीटागढ़	83.16	87.77
	औसत: निजी उपयोगिता	86.77	90.79
	औसत: अखिल भारत	77.14	78.61

o"K 2007&08 ds nKku deh' KUM @ jkYM dh xbZ mRi knu bdkb; la

de l 0	ifj;stuk dk uke	;fuV la	izdkj	{skd	jkT;	dk; kb; u , tñl ; la	jkYM@ deh' KUM ; fuV {lerk (, e MGY;)	rkjh[k
mRrjh {sk								
1	xq gjxkcm (yjk ekjcr) Vhih, l & 2	3	rki h;	jkT;	iatk	ih, l bZch	250	03.01.08
2	/kYij l hl hi hi h (pj.k 1)	thVh&2	rki h;	jkT;	jkTlFku	vkjvkjoh; w u, y	110	16.06.07
3	/kYij l hl hi hi h (pj.k 1)	, l Vh	rki h;	jkT;	jkTlFku	vkjvkjoh; w u, y	110	27.12.07
4	; eqk uxj Vhi hi h	1	rki h;	jkT;	gfj; k. k	, pi hthl h, y	300	13.11.07
5	; eqk uxj Vhi hi h	1	rki h;	jkT;	gfj; k. k	, pi hthl h, y	300	29.03.08
6	eujh Hkkyh&2	1	tyh;	jkT;	mRrjk[k. M	; utoh, u, y	76	21.01.08
7	eujh Hkkyh&3	2	tyh;	jkT;	mRrjk[k. M	; utoh, u, y	76	10.03.08
8	eujh Hkkyh&4	3	tyh;	jkT;	mRrjk[k. M	; utoh, u, y	76	25.01.08
9	eujh Hkkyh&5	4	tyh;	jkT;	mRrjk[k. M	; utoh, u, y	76	16.01.08
			dlbh;	jkT;	futh	tM+		
			tyh;	0	304	0	304	
			rki h;	0	1070	0	1070	
			ukfkhch;	0	0	0	0	
			tM+ (m-{s)	0	1374	0	1374	
if'peh {sk								
1	l hir , l Vhi h, l & 2	4	rki h;	dlbh;	NRrhl x<+	, uVhi hl h	500	27.05.07
2	jRukfxjh l hl hi hi h&2 (thVh vkj , l Vh)	Cykd 3	rki h;	dlbh;	egkj"Vz	jRukfxjh xS , oa i hi h, y	740	28.10.07
3	vkedkjs'oj	1	tyh;	dlbh;	eè; i n's k	, u, pMhl h	65	21.07.07
4	vkedkjs'oj	2	tyh;	dlbh;	eè; i n's k	, u, pMhl h	65	09.08.07
5	vkedkjs'oj	3	tyh;	dlbh;	eè; i n's k	, u, pMhl h	65	29.08.07
6	vkedkjs'oj	4	tyh;	dlbh;	eè; i n's k	, u, pMhl h	65	13.09.07
7	vkedkjs'oj	5	tyh;	dlbh;	eè; i n's k	, u, pMhl h	65	29.09.07
8	vkedkjs'oj	6	tyh;	dlbh;	eè; i n's k	, u, pMhl h	65	18.10.07
9	vkedkjs'oj	7	tyh;	dlbh;	eè; i n's k	, u, pMhl h	65	27.10.07
10	vkedkjs'oj	8	tyh;	dlbh;	eè; i n's k	, u, pMhl h	65	04.11.07
11	dljck i nZ Vhi hi h LVs'ku 5	2	rki h;	jkT;	NRrhl x<+	l h, l bZch	250	11.12.07

de 10	ifj;lstuk dk uke	;fuV la	izdkj	{lskd	jkT;	dk; llo; u , tfl ; ka	jkM@ deh' KM ; fuV {lerk (, e MGY;)	rkjh[k
12	/dkju lhl hih h foLrkj	, l Vh	rki h;	jkT;	xqjkr	th, l bl h, y	40	13.08.07
13	ikjl Vhi h, l foLrkj	1	rki h;	jkT;	egkj'Vz	, e, l i hthl h, y	250	31.05.07
14	l a; xka/h (chjfl gij) Vhi h foLrkj LVSk u 3	5	rki h;	jkT;	eè; i nsk	, e, l i hthl h, y	500	18.06.07
15	vki h ftmy (jk; x<) Vhi h pj.k 1 o 2	1	rki h;	futh	NRrh l x<+	ftmy i koj	250	02.09.07
16	vki h ftmy (jk; x<) Vhi h pj.k 1 o 3	2	rki h;	futh	NRrh l x<+	ftmy i koj	250	06.03.08
17	vki h ftmy (jk; x<) Vhi h pj.k 1 o 4	3	rki h;	futh	NRrh l x<+	ftmy i koj	250	10.02.08
			dkb;h;	jkT;	futh	tM+		
		tyh;	520	0	0	520		
		rki h;	1240	1040	750	3030		
		ukfkhch;	0	0	0	0		
		tM+ (i-{s)	1760	1040	750	3550		
nf{k.k. kh {lsk								
1	dSk , i h h	3	ukfkhch	; dkb;h;	duk/d	, uihl h	220	11.04.07
2	jk; yl hek Vhi h, l 2	4	rki h;	jkT;	vle/z i nsk	, i hthb/, ul hvls	210	20.11.07
3	cYykh Vhi h h	1	rki h;	jkT;	duk/d	di hl h, y	500	03.12.07
4	fiz nf'kuh tjkyk	1	tyh;	jkT;	vle/z i nsk	, i hthb/, ul hvls	39	28.03.08
			dkb;h;	jkT;	i lboV	tM+		
		tyh;	0.0	39.0	0.0	39.0		
		rki h;	0.0	710.0	0.0	710.0		
		ukfkhch;	0.0	220.0	0.0	220.0		
		tM+(n- {s)	0.0	969.0	0.0	969.0		
i d'z {lsk								
1	dgyxko , l Vhi h, l 2	6	rki h;	dkb;h;	fcgj	, uVhi hl h	500	16.03.08
2	eft; k Vhi h, l	6	rki h;	dkb;h;	if'pe cakly	Mhohl h	250	01.10.07

de 10	ifj;ktuk dk ule	;fuv la	izdkj	{skd	jkt;	dk; kbo; u , tfl ; ka	jkm@ deh' km ; fuv {terk (, e MCY;)	rkjh[k
3	l rMhg	5	rki h;	jkt;	if'pe cakly	MCY; wchi hMhl h, y	250	07.11.07
4	l kxjfmXhg Vhi hi h	1	rki h;	jkt;	if'pe cakly	MCY; wchi hMhl h, y	300	21.12.07
5	ngkLj Vhi h, l foLrkj	7	rki h;	jkt;	if'pe cakly	MCY; wchi hMhl h, y	300	24.11.07
6	cdjsOj Vhi h, l 2	4	rki h;	jkt;	if'pe cakly	MCY; wchi hMhl h, y	210	23.12.07
7	ijdfy; k ih, l , l	4	tyh;	jkt;	if'pe cakly	MCY; wch, l bMhl h, y	225	18.07.07
8	ijdfy; k ih, l , l	3	tyh;	jkt;	if'pe cakly	MCY; wch, l bMhl h, y	225	27.08.07
9	ijdfy; k ih, l , l	2	tyh;	jkt;	if'pe cakly	MCY; wch, l bMhl h, y	225	23.11.07
10	ijdfy; k ih, l , l	1	tyh;	jkt;	if'pe cakly	MCY; wch, l bMhl h, y	225	20.01.08
11	ckyhesyk 2 foLrkj	7	tyh;	jkt;	mMhl k	vls pi hl h	75	05.01.08
12	ckyhesyk 2 foLrkj	8	tyh;	jkt;	mMhl k	vls pi hl h	75	27.03.08
			dlnh;	jkt;	ikboV	tM+		
		tyh;	0	1050	0	1050		
		rki h;	750	1060	0	1810		
		ukfklch;	0	0	0	0		
		tM+ (i w(s)	750	2110	0	2860		
mRrj&i whZ {sk								
1	rhLrk 5	1	tyh;	dlnh;	fl fDde	, u, pi hl h	170	28.03.08
2	rhLrk 5	2	tyh;	dlnh;	fl fDde	, u, pi hl h	170	06.02.08
3	rhLrk 5	3	tyh;	dlnh;	fl fDde	, u, pi hl h	170	20.03.08
			dlnh;	jkt;	ikboV	tM+		
		tyh;	510	0	0	510		
		rki h;	0	0	0	0		
		ukfklch;	0	0	0	0		
		tM+ (m-i w(s))	510	0	0	510		

दशक	वर्ष	कुल	घर	शहरी	ग्रामीण	कुल	घर	शहरी	ग्रामीण
2008-12	2008-09	1030.00	1393.00	0.00	2423.00	0.00	750.00	6620.00	220.00
2009-12	2009-10	1990.00	3880.00	750.00	6620.00	0.00	220.00	220.00	0.00
2010-12	2010-11	3020.00	5493.00	750.00	9263.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल		4040.00	7766.00	1500.00	15263.00	0.00	1500.00	15263.00	220.00

संलग्नक 28.4

2007&08 ds dk; Zte I s NWh gBZ mRi knu bdkb; la

de- la	ifj; ktuk dk uke	; uV	idkj	{skd	jkT;	dk; Zo; u , tih	{kerk (esok)
1	fHkykbZ Vhi hi h	1	rki h;	dlnh;	NRrhl x<+	, uVhi hl hē sy (tōh)	250.00
2	fHkykbZ Vhi hi h	2	rki h;	dlnh;	NRrhl x<+	, uVhi hl hē sy (tōh)	250.00
3	I hi r , I Vhi h, I 1	1	rki h;	dlnh;	NRrhl x<+	, uVhi hl h	660.00
4	I hi r , I Vhi h, I 2	5	rki h;	dlnh;	NRrhl x<+	, uVhi hl h	500.00
5	dgyxkō , I Vhi h, I 2	7	rki h;	dlnh;	fcgkj	, uVhi hl h	500.00
6	pUnā gk Vhi h, I foLrkj	7	rki h;	dlnh;	>kj [k. M	Mhohl h	250.00
7	pUnā gk Vhi h, I foLrkj	8	rki h;	dlnh;	>kj [k. M	Mhohl h	250.00
8	vkj, i hi h	5	ukfHkdh;	dlnh;	jkT Lfku	, ui hl h	220.00
9	vkj, i hi h	6	ukfHkdh;	dlnh;	jkT Lfku	, ui hl h	220.00
10	dSk , i hi h	4	ukfHkdh;	dlnh;	duk/d	, ui hl h	220.00
11	xq gjxkōcm (ygjk ekgcr) Vhi h, I 2	4	rki h;	jkT;	i atkc	i h, I bZch	250.00
12	dPN fyXukbV foLrkj	4	rki h;	jkT;	xq jkr	th, I bZ h, y	75.00
13	vejd/d Vhi h, I	5	rki h;	jkT;	e?; inSk	, ei hi ht hl h, y	210.00
14	oyfVkj I hl hi hi h foLrkj , I Vh	thVh	rki h;	jkT;	rfeyukMq	Vh, ubZch	60.00
15	oyfVkj I hl hi hi h foLrkj , I Vh	, I Vh	rki h;	jkT;	rfeyukMq	Vh, ubZch	32.20
16	I kxjfmgh Vhi hi h	2	rki h;	jkT;	if'pe cakky	MCY; mhi hmhl h, y	300.00
17	cdjsoj Vhi h, I 2	5	rki h;	jkT;	if'pe cakky	MCY; mhi hmhl h, y	210.00
18	?kV?kj i h, I , I	2	tyh;	jkT;	egkj"Vz	MCY; mVkjMh	125.00
19	?kV?kj i h, I , I	1	tyh;	jkT;	egkj"Vz	MCY; mVkjMh	125.00
20	fiz nf' kZ h t gkyk	2	tyh;	jkT;	vka/z inSk	, i ht hbZ, ul hvks	39.00
21	fiz nf' kZ h t gkyk	3	tyh;	jkT;	vka/z inSk	, i ht hbZ, ul hvks	39.00
22	vksh ftany Vhi hi h pj.k 1 vkj 2	4	rki h;	futh	NRrhl x<+	ftany i koj	250.00
23	I qsu I hl hi hi h CykMh 1	ch&1	rki h;	futh	xq jkr	VkjV i koj	376.00
24	I qsu I hl hi hi h CykMh 2	ch&2	rki h;	futh	xq jkr	VkjV i koj	376.00
25	I qsu I hl hi hi h CykMh 3	ch&3	rki h;	futh	xq jkr	VkjV i koj	376.00
26	xkseh I hl hi hi h	thVh 1	rki h;	futh	vka/z inSk	xkseh i koj	145.00

de- la	ifj;ktuk dk uke	;fuV	idkj	{lskd	jkt;	dk;zo;u , tdl h	{kerk (esok)
27	xkseh lhlhihih	thVh 2	rkih;	futh	vka/z insk	xkseh i koj	145.00
28	xkseh lhlhihih	, lVh	rkih;	futh	vka/z insk	xkseh i koj	174.00
29	dkukl hek lhlhihih	thVh 1	rkih;	futh	vka/z insk	dkukl hek bhl, l	140.00
30	dkukl hek lhlhihih	thVh 2	rkih;	futh	vka/z insk	dkukl hek bhl, l	140.00
31	dkukl hek lhlhihih	, lVh	rkih;	futh	vka/z insk	dkukl hek bhl, l	165.00
		tkM- 31 ;fuV					7072.20

संलग्नक 28.5

2008&09 ds fy, mRiknu {kerk ofn/ dk; bE

de- la	ifj;ktuk dk ule	;fuV	izkj	{skd	jkt;	dk;uo;u , t d h	{kerk (esok)	I Mkrfor deh' M 'M; y
mRrjh {sk								
1	cjfl x l j fyXukbV	1	rki h;	dlnh;	jkt LFKku	, u, y l h	125	fnl Ecj 2008
2	cjfl x l j fyXukbV	2	rki h;	dlnh;	jkt LFKku	, u, y l h	125	tuojhj 2009
3	vlj, i hi h	5	ukfHkdh;	dlnh;	jkt LFKku	, ui hl hvkbZ, y	220	tu] 2008
4	vlj, i hi h	6	ukfHkdh;	dlnh;	jkt LFKku	, ui hl hvkbZ, y	220	ekp] 2009
5	th, pVh (ysjk elgr) Vhi h, l 2	4	rki h;	jkt;	i akc	i h, l bzh	250	tykb] 2008
6	fxjy fyXukbV 2	2	rki h;	jkt;	jkt LFKku	vkjvkjoh; w y, y	125	fl rEej] 2008
7	NkcMk Vhi h, l	1	rki h;	jkt;	jkt LFKku	vkjvkjoh; w y, y	250	vDncj] 2008
8	NkcMk Vhi h, l	2	rki h;	jkt;	jkt LFKku	vkjvkjoh; w y, y	250	tuojhj 2009
9	dkk Vhi hi h	7	rki h;	jkt;	jkt LFKku	vkjvkjoh; w y, y	195	uoEej] 2008
10	l jrx<+Vhi hi h 4	6	rki h;	jkt;	jkt LFKku	vkjvkjoh; w y, y	250	uoEej] 2009
11	cxyhgkj , pbZ h	1	tyh;	jkt;	tEewo d'ehj	t d i hMh l h	150	fl rEej] 2008
12	cxyhgkj , pbZ h	2	tyh;	jkt;	tEewo d'ehj	t d i hMh l h	150	vDncj] 2008
13	cxyhgkj , pbZ h	3	tyh;	jkt;	tEewo d'ehj	t d i hMh l h	150	vDncj] 2009
			dlnh;	jkt;	futh	tM+		
		tyh;	0	450	0	450		
		rki h;	250	1320	0	1570		
		ukfHkdh;	440	0	0	440		
		tM+ (m-{s)	690	1770	0	2460		
if'peh {sk								
1	fHkykbZ Vhi hi h	1	rki h;	dlnh;	NRrhl x<+	, uVhi hl h e y (toh)	250	vi b] 2008

de- la	ifj; ktuk dk ule	; fuV	izkj	{skd	jkT;	dk; ūo; u , t d h	{terk (esok-)	I Mkrfor deh' KM 'KM; y
2	fhkykbZ Vhi hi h	2	rki h;	dŋnb;	NRrhl x<+	, uVhi hl hē y (tōh)	250	fl rEcj] 2008
3	fl ir , l Vhi h, l 2	5	rki h;	dŋnb;	NRrhl x<+	, uVhi hl h	500	tu] 2008
4	fl ir , l Vhi h, l 1	1	rki h;	dŋnb;	NRrhl x<+	, uVhi hl h	660	uoEcj] 2008
5	dPN fyXukbZ foLrkj	4	rki h;	jkT;	xqjkr	th, l bā h, y	75	tu] 2008
6	l jir fyXukbV Vhi hi h foLrkj	3	rki h;	jkT;	xqjkr	thvkbā hl h, y	125	uoEcj] 2008
7	l jir fyXukbV Vhi hi h foLrkj	4	rki h;	jkT;	xqjkr	thvkbā hl h, y	125	tuojh] 2009
8	vejdVd Vhi h, l foLrkj	5	rki h;	jkT;	e?; in'sk	, ei hi ht hl h, y	210	eb] 2008
9	?kVxj ih, l, l	1	tyh;	jkT;	egkjK'Vz	egkjK'Vz fl pkbZ foHkx	125	eb] 2009
10	?kVxj ih, l, l	2	tyh;	jkT;	egkjK'Vz	egkjK'Vz fl pkbZ foHkx	125	tykb] 2008
11	vks h ftmy (jk; x<-) pj.k 1 vŋ 2	4	rki h;	futh	NRrhl x<+	ftmy ikoj	250	tu] 2008
12	l qsu l hl hi hi h	ch, yds 1	rki h;	futh	xqjkr	VkjV ikoj	376	vxLr] 2008
13	l qsu l hl hi hi h	ch, yds 2	rki h;	futh	xqjkr	VkjV ikoj	376	vDncj] 2008
14	l qsu l hl hi hi h	ch, yds 3	rki h;	futh	xqjkr	VkjV ikoj	376	fnl Ecj 2008
15	iFKMh Vhi h, l pj.k 1 (ydkls vejdv d exk Vhi hi h)	1	rki h;	jkT;	NRrhl x<+	ydkls vejdv d i kboV fy-	300	fl rEcj] 2008
16	VKEcs Vhi h, l foLrkj	8	rki h;	jkT;	egkjK'Vz	VKk ikoj dkj i kjs ku	250	vDncj] 2008
			dŋnb;	jkT;	futh	tM+		
		tyh;	0	250	0	250		
		rki h;	1660	535	1928	4123		
		ukfHkdh;	0	0	0	0		
		tM+ (lk-{ls)	1660	785	1928	4373		

de- la	ifj; ktuk dk ule	; fuV	izkj	{lskd	jkT;	dk; ūo; u , tđ h	{lerk (esok-)	I Mkrfor deh' KM 'KM; y
nf{k. kh {sk								
1	xSk , i hi h	4	ukfHkch;	dlnh;	duk/d	, uih hvkbz, y	220	tu] 2008
2	osyflj I hl hi hi h foLrkj	thVh	rki h;	jkT;	rfeyukMq	Vh, ubzh	59.8	viŷ] 2008
3	osyflj I hl hi hi h foLrkj	, I Vh	rki h;	jkT;	rfeyukMq	Vh, ubzh	32.4	tu] 2008
4	fot; oMk- Vhi hi h 4	1	rki h;	jkT;	vka/z i nsk	, i ht hbz, ul hvks	500	fnl Ecj] 2008
5	fiz nf' kzh tjkkyk	2	tyh;	jkT;	vka/z i nsk	, i ht hbz, ul hvks	39	tykb] 2008
6	fiz nf' kzh tjkkyk	3	tyh;	jkT;	vka/z i nsk	, i ht hbz, ul hvks	39	uoEcj] 2008
7	fiz nf' kzh tjkkyk	4	tyh;	jkT;	vka/z i nsk	, i ht hbz, ul hvks	39	ekp] 2009
8	ojkgh foLrkj	1	tyh;	jkT;	duk/d	ds hl h, y	115	fnl Ecj] 2008
9	ojkgh foLrkj	2	tyh;	jkT;	duk/d	ds hl h, y	115	i ōjoh] 2009
10	dyVh; kMh vfrfjDr foLrkj	1	tyh;	jkT;	djy	ds l bzh	50	ekp] 2009
11	xlŷeh I hl hi hi h	thVh 1	rki h;	futh	vka/z i nsk	xlŷeh i koj	145	fl rEcj] 2008
12	xlŷeh I hl hi hi h	thVh 2	rki h;	futh	vka/z i nsk	xlŷeh i koj	145	fl rEcj] 2008
13	xlŷeh I hl hi hi h	, I Vh	rki h;	futh	vka/z i nsk	xlŷeh i koj	174	fl rEcj] 2008
14	dkukl hek I hl hi hi h	thVh 1	rki h;	futh	vka/z i nsk	dkukl hek bñ h, l	140	fl rEcj] 2008
15	dkukl hek I hl hi hi h	thVh 2	rki h;	futh	vka/z i nsk	dkukl hek bñ h, l	140	fl rEcj] 2008
16	dkukl hek I hl hi hi h	, I Vh	rki h;	futh	vka/z i nsk	dkukl hek bñ h, l	165	fl rEcj] 2008
17	rljxkyq foLrkj	1	rki h;	futh	duk/d	tŷ l MCY; w , utñz fy0	300	vDrw] 2008
18	rljxkyq foLrkj	2	rki h;	futh	duk/d	tŷ l MCY; w , utñz fy0	300	tuojh] 2009
			dlnh;	jkT;	futh	tM+		
		tyh;	0.0	397.0	0.0	397.0		

de- la	ifj; ktuk dk ule	; fuV	izkj	{lskd	jkT;	dk; ūo; u , tđ h	{terk (esok-)	I Mhfor deh' M 'M; y
		rki h;	0.0	592.2	1509.0	2101.2		
		ukfHkch;	220.0	0.0	0.0	220.0		
		tM+ (n-{s)	220.0	989.2	1509.0	2718.2		
i w h {lsk								
1	dgyxkđ , l Vhi h, l 2 (pj.k 1 o 2)	7	rki h;	dłbñb;	fcgkj	, uVhi hl h	500	vDncj] 2008
2	płni jk Vhi h, l foLrkj	7	rki h;	dłbñb;	>kj [k.M	Mhohl h	250	vxLr] 2008
3	płni jk Vhi h, l foLrkj	8	rki h;	dłbñb;	>kj [k.M	Mhohl h	250	i Qjoj] 2009
4	l kxjfm?ñ Vhi hi h	2	rki h;	jkT;	if'pe cakky	MCY; ñhi hMhl h, y	300	tgykb] 2008
5	cjdśoj Vhi h, l 2	5	rki h;	jkT;	if'pe cakky	MCY; ñhi hMhl h, y	210	fl rEcj] 2008
			dłbñb;	jkT;	futh	tM+		
		tyh;	0	0	0	0		
		rki h;	1000	510	0	1510		
		ukfHkch;	0	0	0	0		
		tM+ (i w {s)	1000	510	0	1510		
vf[ky Hkjr								
			dłbñb;	jkT;	futh	tM+		
		tyh;	0.00	1097.00	0.00	1097.00		
		rki h;	2910.00	2957.20	3437.00	9304.20		
		ukfHkch;	660.00	0.00	0.00	660.00		
		tM+(vf[ky Hkjr)	3570.00	4054.20	3437.00	11061.20		

संलग्नक 28.6

मूल्य (₹) करोड़ ; @ 0 ; ;

दे- ला	वर्ग; एलई वर्ग; (₹)	वृद्धि 100% ; स्तु	2002-03 (₹ करोड़)	2003-04 (₹ करोड़)	2004-05 (₹ करोड़)	2005-06 (₹ करोड़)	2006-07 (₹ करोड़)	2006-07 (₹ करोड़ वृद्धि)	2007-08 (₹ करोड़ वृद्धि)	2007-08 (₹ करोड़ वृद्धि)	2008-09 (₹ करोड़ वृद्धि)
1	वर्ग; एलई	7139.47	2167.96	2966.34	2094.92	55.37	224.69	224.69	257.19	117.69	389.72
2	वर्ग; एलई	491.19	72.77	84.81	119.65	122.65	97.52	106.72	84.87	84.87	255.51
3	वर्ग; एलई	835.42	82.77	73.09	290.48	255.60	425.59	245.30	398.19	398.19	416.97
4	वर्ग; एलई	2719.58	131.68	498.28	322.84	499.53	739.61	557.26	832.88	832.88	774.47
5	वर्ग; एलई	99.19	13.75	43.81	104.65	248.20	112.90	36.55	91.10	91.10	50.42
6	वर्ग; एलई	400.00	58.53	59.84	98.05	112.03	115.00	114.22	124.00	124.00	142.29
7	वर्ग; एलई	5958.49	571.39	1108.18	635.45	830.49	1011.70	1925.17	602.61	602.61	733.67
8	वर्ग; एलई	1395.33	202.97	221.61	264.42	303.16	445.00	445.00	840.00	868.20	862.13
9	वर्ग; एलई	1235.00	363.79	169.90	67.91	90.61	77.01	80.29	153.50	153.50	322.80
10	वर्ग; एलई	2879.49	437.75	546.16	695.85	708.31	971.78	485.55	1017.26	1017.26	1096.14
11	वर्ग; एलई	814.00	142.32	43.10	304.34	412.51	1059.00	385.00	902.53	902.53	700.00
12	वर्ग; एलई	2206.99	860.06	1273.75	1623.44	1372.76	2433.04	1821.02	2098.61	2098.61	2410.73
13	वर्ग; एलई	3425.00	728.92	328.90	453.01	559.73	900.39	637.01	996.43	996.43	914.35
14	वर्ग; एलई	5503.78	1481.80	1145.03	1095.04	1002.25	1164.29	1017.76	1539.72	1539.72	1619.78
15	वर्ग; एलई	10149.71	2746.68	1334.94	759.81	1493.99	1399.99	1399.99	1916.55	1916.55	1431.00
16	वर्ग; एलई	228.86	10.43	9.62	26.07	18.43	73.89	59.97	87.73	101.73	120.00
17	वर्ग; एलई	501.37	55.81	78.51	94.39	129.27	227.00	171.76	331.24	248.85	425.93
18	वर्ग; एलई	192.80	38.98	56.41	55.60	90.26	72.00	68.34	79.53	77.84	67.50
19	वर्ग; एलई	247.95	24.31	41.59	31.49	72.63	67.31	31.91	78.49	80.86	104.28
20	वर्ग; एलई	2858.54	322.16	429.26	269.26	150.78	501.79	118.39	595.78	331.98	750.21
21	वर्ग; एलई	5963.65	532.78	528.76	843.33	1445.67	919.26	1803.83	1057.00	1057.00	2200.00
22	वर्ग; एलई	6674.22	1220.07	2102.88	1982.75	2199.28	1991.00	2906.95	5107.00	5240.95	6196.68
23	वर्ग; एलई	240.00	37.49	39.57	89.13	24.01	32.04	28.83	54.00	54.66	71.00
24	वर्ग; एलई	8000.00	1197.78	1002.61	1261.27	1544.47	1007.24	1950.30	1011.00	2051.10	2162.23
25	वर्ग; एलई	223.30	29.63	31.65	21.32	42.13	90.00	53.07	103.00	58.54	98.05
26	वर्ग; एलई	9082.49	925.81	1037.97	859.38	972.29	1608.06	1700.00	3175.95	3959.89	5370.70
27	वर्ग; एलई	1847.05	210.21	118.74	285.38	396.18	436.74	264.99	383.31	286.06	499.81
28	वर्ग; एलई	7846.45	754.92	652.02	1560.20	1794.05	2118.23	1868.60	1627.50	1797.29	2048.73
	मि. (₹ करोड़)	89159.32	15423.52	16027.33	16309.43	16946.64	20322.07	20508.47	25546.97	27090.89	32235.10
1	वर्ग; एलई	193.80	20.78	23.03	27.90	23.38	75.00	22.49	27.50	27.50	30.00
2	वर्ग; एलई	108.94	16.52	19.60	19.95	21.65	19.16	20.85	25.10	25.10	21.50
3	वर्ग; एलई	77.50	18.85	12.79	9.36	9.49	10.42	11.55	15.33	15.33	32.17
4	वर्ग; एलई	51.26	19.30	13.00	10.46	13.80	13.25	13.19	10.35	10.35	24.69
5	वर्ग; एलई	3456.00	1575.86	1705.99	624.76	270.67	216.04	258.54	1250.00	1250.00	1015.65
6	वर्ग; एलई	13.89	2.78	8.50	2.55	9.90	28.00	25.31	21.72	21.72	16.77
7	वर्ग; एलई	165.00	24.97	26.65	30.87	34.54	36.00	44.32	44.30	43.86	38.08

de- la	jkT; @ l 2k jkT; {sk	vupkfnr 10ohn; kstuk	2002-03 (okLrfod)	2003-04 (okLrfod)	2004-05 (okLrfod)	2005-06 (okLrfod)	2006-07 (vupkfnr)	2006-07 (l 2ks vuq)	2007-08 (vupkfnr)	2007-08 (l 2ks vuq)	2008-09 (vupkfnr)
	mi tMM+ (l ajk-(ks)	4066.39	1679.06	1809.56	725.85	383.43	397.87	396.25	1394.30	1393.86	1178.86
	tMM+ (jkT; o l ajk-(ks)	93225.71	17102.58	17836.89	17035.28	17330.07	20719.94	20904.72	26941.27	28484.75	33413.96
1	, uVhi h h	61680.00	2945.26	4549.85	5297.05	7187.92	11325.00	7820.58	12792.00	8621.00	13588.00
2	, u, pi h h	32226.00	1830.74	2087.11	2424.34	2040.54	3183.64	2387.64	2501.95	2568.00	4385.19
3	iko jfxM	21370.00	2671.20	2351.26	3218.18	4110.93	4849.00	6329.06	6500.00	6615.00	8040.00
4	Mhoh h	13519.50	146.02	316.51	626.46	976.93	2302.69	1542.42	4271.38	2523.87	6612.65
5	Vh, pMhi h	3646.50	339.68	560.05	1000.41	823.18	788.17	828.28	420.90	828.42	804.92
6	, l toh, u (, uti h h)	3254.00	10.06	504.00	84.65	45.72	290.51	108.64	642.80	219.23	556.84
7	fui dks	4224.00	71.77	61.17	166.53	206.00	1181.13	233.95	1258.70	197.69	772.50
8	ih, iQl h	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	vkj b h	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	vkj t h h o h o b z	0.00				1100.00	3000.00	3000.00	3983.00	3913.45	5500.00
11	, evki h (fofo/)	3479.00	634.49	311.35	694.14	356.32	703.56	598.14	782.53	161.21	200.00
	mi tMM+ (, evki h)	143399.00	8649.22	10741.30	13511.76	16847.54	27623.70	22848.71	33153.26	25647.87	40460.10
	Mh, bz (i h o j)	25644.00	2141.50	3508.96	4006.94	3927.95	3897.10	3938.98	4125.15	2865.00	3433.00
	, u, y l h (i h o j)	8007.64	202.70	77.24	85.45	270.44	531.00	483.35	1211.14	1233.28	1945.00
	dy d h h; {sk d	177050.64	10993.42	14327.50	17604.15	21045.93	32051.80	27271.04	38489.55	29746.15	45838.10
	vf [ky H h j r	270276.35	28096.00	32164.39	34639.43	38376.00	52771.74	48175.76	65430.82	58230.90	79252.06

संलग्नक 28.7

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा 30.9.2008 को संचयी उपलब्धियां

सं०	स्रोत / सिस्टम	2008-09 के दौरान उपलब्धियां (30.9.2008 तक)	संचयी उपलब्धियां
I. नवीकरणीय स्रोतों से ऊर्जा			
क. ग्रिड इंटरएक्टिव नवीकरणीय ऊर्जा			
1.	बायोमास ऊर्जा (कृषि अपशिष्ट)	50.80 मेगावाट	656.60 मेगावाट
2.	पवर ऊर्जा	764.80 मेगावाट	9521.80 मेगावाट
3.	लघु जलीय ऊर्जा (25 मेगावाट तक)	40.15 मेगावाट	2220.99 मेगावाट
4.	सह-उत्पादन - बागास	193.00 मेगावाट	993.83 मेगावाट
5.	अपशिष्ट से ऊर्जा		55.75 मेगावाट
6.	सौर ऊर्जा		2.12 मेगावाट
	उपजोड़ (मेगावाट में) (क)	1,048.75 मेगावाट	13,451.09 मेगावाट
ख. ऑफग्रिड / वितरित नवीकरणीय ऊर्जा (कैप्टिव/सीएचपी संयंत्रों को मिलाकर)			
7	बायोमास ऊर्जा/ सह उत्पादक (गैर बागास)	41.70 मेगावाट	136.70 मेगावाट
8.	बायोमास गैसीफायर	2.42 मेगावाट eq.	102.21 मेगावाट eq
9.	अपशिष्ट से ऊर्जा	4.36 मेगावाट eq.	31.07 मेगावाट eq
10.	सौर पीवी ऊर्जा संयंत्र और स्ट्रीट लाइटें	0.29 मेगावाट p	8.01 मेगावाट p
11.	ऐरोजेनरेटर/हाईब्रिड सिस्टम		0.72 मेगावाट
	उपजोड़ (ख)	48.77 मेगावाट eq	278.71 मेगावाट eq
	जोड़ (क + ख)		13,729.30 मेगावाट
II.	सुदूर गांवों का विद्युतीकरण	252/ शून्य गांव/ खेड़े	4237 गांव + 1142 खेड़े
III. विकेन्द्रीकृत ऊर्जा सिस्टम्स			
12.	पारिवारिक बायोगैस संयंत्र	0.66 लाख	40.32 लाख
13.	घरेलू प्रकाश व्यवस्था	31,754 संख्या	4,34,692 संख्या
14.	सौर लालटेन	27,360 संख्या	6,97,419 संख्या
15.	एसपीवी पम्प		7,148 संख्या
16.	सौर जल उष्णता संग्रहण क्षेत्र	0.15 मिलियन वर्ग मीटर	2.45 मिलियन वर्ग मीटर
17.	सौर कुक्कर		6.37 लाख
18.	विंड पम्प		1342 संख्या
IV. अन्य कार्यक्रम			
19.	ऊर्जा पार्क	18 संख्या	516 संख्या
20.	अक्षय ऊर्जा दुकानें		269 संख्या
MWe = मेगावाट इक्विवलेंट; kW = किलोवाट; kWp = किलोवाट पीक; sq. m. = वर्ग मीटर			

वार्षिक योजना के लिए अनुमोदित परिव्यय का कार्यक्रमवार विवरण (2008-09)

क्रम सं०	कार्यक्रम घटक	अनुमोदित परिव्यय (करोड़ रुपए में)
1	ग्रिड इंटर ऐक्टिव और वितरित नवीकरणीय ऊजा	
	ग्रिड इंटर ऐक्टिव नवीकरणीय ऊर्जा	105.00
	ऑफ ग्रिड/डीआरपीएस	45.00
	उप-जोड़ (1)	150.00
2	ग्रामीण उपयोगों हेतु नवीकरणीय ऊर्जा	
	सुदूर गांवों के लिए कार्यक्रम	95.00
	ग्रिड से जुड़े गांवों के लिए कार्यक्रम	65.00
	उप-जोड़ (2)	160.00
3	शहरी, औद्योगिक और व्यावसायिक उपयोग के लिए नवीकरणीय ऊर्जा	
	सौर तापीय प्रणालियां	26.00
	सौर तापीय/एसपीवी प्रणालियों का प्रदर्शन एवं अन्य कार्यकलाप	(4.50) *
	अपशिष्ट से ऊर्जा प्राप्ति	(35.50) **
	उप- जोड़ (3)	26.00
4	नवीकरणीय ऊर्जा में अनुसंधान, डिजाइन एवं विकास	
	नई एवं नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में आर एंड डी	70.00
	संस्थान/केन्द्र (एमएनआरई संस्थानों सहित: एसईसी, सी-डब्ल्यूईटी, एनआईआरई)	30.00
	उप- जोड़ (4)	100.00
5	सहायक कार्यक्रम	
	सूचना, प्रचार एवं विस्तार (आईपीई)	91.50
	अंतरराष्ट्रीय संबंध	10.00
	एचआरडी एवं प्रशिक्षण सहित प्रशासन एवं मानीटरिंग	15.50
	सार्वजनिक उद्यम एवं उद्योग और सहायता	50.00
	राज्यों को सहायता	3.00
	उप- जोड़ ((5)	170.00
6	दसवीं योजना के कार्यक्रम (आईआरईपी एवं एसएनए - एनई स्कीम) स्पिल ओवर जिम्मेदारियां	5.00
	घरेलू बजटीय सहायता (डीबीएस)	611.00
	बाह्य सहायता प्राप्त योजना (ईएपी)	9.00
	कुल समग्र बजटीय सहायता (जीबीएस)	620.00
	आंतरिक स्रोतों से उत्पन्न एवं बजटोत्तर संसाधन (आईईबीआर)	647.00
	कुल परिव्यय	1267.00

* क्रम संख्या 5 के अंतर्गत आईपीई की मदें शामिल हैं।

** क्रम सं. 1 के अंतर्गत ग्रिड इंटर ऐक्टिव एवं वितरित विद्युत की मदें शामिल हैं ।

संलग्नक - 28.9

dPpk rsy mRi knu

(एमएमटी)

{ksk	2006-07	11oha ;kst uk	2007-08		2008-09
	okLrfod	y{;	y{;	iR; kf'kr	iLrkfor
d) vls ,u th lh					
1) rVorh	8.058	42.44	8.57	8.06	8.16
2) virVorh	17.99	97.62	18.58	18.40	18.90
mi tM+(d)	26.05	140.06	27.15	26.46	27.05
[k) vls/kb, y	3.107	18.99	3.50	3.20	3.50
tM+(vls uthl h vls/kb, y)	29.16	159.05	30.65	29.66	30.55
x) tohl h futh dEifu; ka	4.83	47.71	4.31	5.10	6.25
tM+(d + [k + x)	33.99	206.76	34.96	34.76	36.80

ikdfrd xJ mRi knu

(chl h, e)

{ksk	2006-07	11oha ;kst uk	2007-08		2008-09
	okLrfod	y{;	y{;	iR; kf'kr	iLrkfor
1) rVorh	5.88	32.84	5.72	5.70	5.43
2) virVorh	16.57	79.549	16.38	15.95	16.24
mi tM+(d)	22.44	112.39	22.10	21.65	21.67
[k) vls/kb, y	2.265	16.43	2.98	2.37	2.50
tM+(vls uthl h vls/kb, y)	24.71	128.82	25.08	24.01	24.17
x) tohl h futh dEifu; ka	7.04	126.95	8.27	7.65	18.89
tM+(d + [k + x)	31.75	255.77	33.35	31.66	43.06

11; ktuk rFk ok'kd ; ktuk 2007&08
iVky;e ,oa ikdfrd x\$ ij'k\$u {kerk

(1 अप्रैल को एमटीपीए में)

	fji Qbujh dk uke	2006	2007	2008	2012
				iLrkfor	iLrkfor
1	vtb&/kl hj xpkglVh	1.00	1.00	1.00	1.00
2	vtb&/kl hj cjK&h	6.00	6.00	6.00	6.00
3	vtb&/kl hj xq'jkr	13.70	13.70	13.70	13.70
4	vtb&/kl hj gfYn; k	6.00	6.00	6.00	7.50
5	vtb&/kl hj eFljk	8.00	8.00	8.00	8.00
6	vtb&/kl hj fMxckbz	0.65	0.65	0.65	0.65
7	vtb&/kl hj i kuh r	12.00	12.00	15.00	15.00
8	vtb&/kl hj i kjnhi				15.00
9	chi hl h, y] eLcbz	12.00	12.00	12.00	12.00
10	chi hl h, y] chuk				6.00
11	, pi hl h, y] eLcbz	5.50	5.50	7.90	7.90
12	, pi hl h, y] fo' k[k	7.50	7.50	8.33	15.00
13	, pi hl h, y] HkV&Mk				9.00
14	dsvkj, y] dLpPh	7.50	7.50	7.50	9.50
15	l hi hl h, y] eukyh	9.50	9.50	9.50	11.20
16	l hi hl h, y] ukjheue	1.00	1.00	1.00	1.00
17	chvkj ih, y] ck&bk&	2.35	2.35	2.35	2.35
18	, uvkj, y] uekyhx<+	3.00	3.00	3.00	3.00
19	, evkj ih, y] ekykj (toh)	9.69	9.69	9.69	15.00
20	vk\$ uthl hj V&hi kdk	0.08	0.08	0.08	0.16
21	vkj ih, y] tleuxj	33.00	33.00	33.00	62.00
22	, l vkj v&ly		10.5	14.00	14.00
	tM+	138.47	148.97	158.70	234.96

I aXud&28-11

i vky; e vj i k d f r d x j e a k y ;
o k f z k d ; k s t u k i j f 0 ; ; (2008&09)

(d j k M + j 0 i ,)

I ko z f u d m i d e d k u k e	2007-08		2008-09		
	ctV v u e k u	I a k s / r v u e k u	i L r k f o r (e w)	I a k s / r i L r q h d j . k	i L r k f o r i j f 0 ; ;
1	3	5	6	7	
d- v l o s k . k , o a m R i k n u					
v k s u t h l h & v k o h , y	5287.87	4758.94	6825.14	6825.14	6825.14
v k s u t h l h	17887.06	18346.12	19337.53	19337.53	19338.00
v k s v k b z , y	1705.68	1519.68	2230.67	2230.67	2230.67
x y	2572.83	2235.45	3966.31	3226.01	3226.01
v k b z / k d h	264.00	282.00	256.00	256.00	256.00
, p i h l h , y	400.00	84.00	200.00	200.00	200.00
ch i h l h , y	126.00	740.00	312.00	312.00	312.00
m i t k M + (d)	28243.44	27966.19	33127.65	32387.35	32387.82
[k i k j ' k s / u , o a f o i k . k u					
, p i h l h , y	2593.00	1522.00	1926.50	1926.50	1926.50
ch i h l h , y] d s v k j , y l f g r	1439.90	685.45	1660.00	1660.00	1660.00
l h i h l h , y	284.00	210.24	519.94	519.94	519.94
ch v k j i h , y	518.86	471.19	557.39	557.39	557.39
v k b z / k d h	2379.34	2145.00	5048.23	4483.00	4483.00
, u v k j , y	178.00	100.00	80.00	80.00	80.00
, e v k j i h , y	727.02	87.00	810.00	810.00	810.00
m i t k M + (2)	8120.12	5220.88	10602.06	10036.83	10036.83
t k M + i k d f r d , o a x j { k d (I + I I)	36363.56	33187.07	43729.71	42424.18	42424.65
d- i v k j l k ; u					
, p i h l h , y	57.00	126.00	15.00	15.00	15.00
x y	171.00	146.82	187.35	187.35	187.35
v k b z / k d h	2175.00	2200.90	3955.20	3761.00	3761.00
ch i h l h , y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

I kołfud mi de dk uke	2007-08		2008-09		
	ctV vuęku	I ałk/r vuęku	iLrkfor (ęy)	I ałk/r iLrkfor d.j.k	iLrkfor ifj0; ;
chvkjih, y	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
I hi hl h, y	5.00	0.76	8.00	8.00	8.00
, evkjih, y	83.00	28.00	15.00	15.00	15.00
, uvkj, y	10.00	9.00	21.00	21.00	21.00
mi tM+(d)	2508.50	2511.48	4201.55	4007.35	4007.35
[k bātfu; fja					
ckeuykjh	25.00	25.00	100.00	100.00	100.00
ckeuykjh	5.00	0.00	8.00	8.00	8.00
mi tM+ ([k)	30.00	25.00	108.00	108.00	108.00
mi tM+ (d vļ [k)	2538.50	2536.48	4309.55	4115.35	4115.35
dly ; lx	38902.06	35723.55	48039.26	48539.53	46540.00
vkj thvkbā hVh& thch, l	0.00	0.00	105.00	105.00	25.00
dly i vļfy; e , oa ikdfrd xļ eāky;	38902.06	35723.55	48144.26	48644.53	46565.00

संलग्नक 28.12

भौतिक निष्पादन (मीट्रिक टन)

	2003-04 वास्तविक	2004- 05वास्तविक	2005- 06वास्तविक	2006- 07वास्तविक	2007- 08अनंतिम	2008-09 बजट अनुमान	2011-12 लक्ष्य
कोयला मांग/ऑफटेक							
कोकिंग:							
इस्पात	29.67	34.744	34.10	34.90	38.58	44.00	68.50
गैर कोकिंग:							
विद्युत (यूटिलीटीज़)	268.21	285.55	299.76	331.58*	360.15*	378.00	483.00
विद्युत (कैप्टिव)	18.19	27.10	26.58	19.67	19.30	38.00	57.06
सीमेंट	16.64	18.33	18.71	76.17	86.78	25.00	31.90
अन्य	48.21	43.38	54.37	427.42	466.23	70.00	90.54
कुल गैर कोकिंग:	351.25	374.36	399.42	462.32	504.81	511.00	662.50
कुल मांग/ ऑफटेक आयात:	380.92	408.80	433.52	17.87	21.50	555.00	731.00
कोकिंग कोयला	12.99	16.92	16.89	25.20	28.50	17.80	40.85
गैर कोकिंग कोयला	8.69	12.02	21.69	43.08	50.00	40.36^	10.15^
कुल आयात	21.68	28.95	38.58			~ 45.00	~ 48.00
कोयला उत्पादन:							
ईसीएल	28.00	27.25	31.11	30.46	24.06	31.00	46.00
बीसीसीएल	22.68	22.31	23.31	24.20	25.22	26.50	30.00
सीसलएल	37.33	37.39	40.51	41.31	44.16	47.00	78.00
एनसीएल	47.03	49.95	51.51	52.15	59.62	61.25	70.00
डब्ल्यूसीएल	39.52	41.41	43.20	43.21	43.51	43.05	45.00
एसईसीएल	71.00	78.55	83.02	88.50	93.79	96.00	111.00
एमसीएल	60.04	66.08	69.60	80.00	88.01	99.00	137.00
एनईसी	0.73	0.628	1.10	1.05	1.10	1.20	3.50
कुल सीआईएल	306.36	323.57	343.38	360.91	379.48	405.00	520.50
एससीसीएल	33.85	35.30	36.13	37.70	40.60	41.50	40.80
अन्य #	21.03	23.74	27.52	32.22	36.31	50.34	118.70
अखिल भारत स्तर पर कुल उत्पादन	361.24	382.61	407.03	430.83	456.39	496.84	680.00
एनएलसी लिग्नाइट उत्पादन (मीट्रिक टन)	20.55	21.56	20.43	21.01	21.58	20.40	27.03
एनएलसी समग्र विद्युत उत्पादन (मिलियन यूनिट)	16389	16740	15705	15786	17456	15705	26077

^ भारतीय कोयले के अर्थ में (ऊर्जा के अर्थ में आयातित गैर कोकिंग कोयला भारतीय कोयले से पांच गुना श्रेष्ठ है।

* कैप्टिव विद्युत के लिए मांग शामिल है।

टिस्को/ईस्को/ डीवीसी/जेएसएमडीसीएल/ जेकेएमएल/ कैप्टिव खानें/मेघालय शामिल हैं ।

कम्पनीवार / स्कीमवार परिव्यय/व्यय

(करोड़ रूपए)

विवरण	2003-04 वास्तविक	2004-05 वास्तविक	2005-06 वास्तविक	2006-07 अंतिम	2007-08 अंतिम	2008-09 बजट अनुमान	2011-12 लक्ष्य
सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा निवेश (आईबीबीआर)							
सीआईएल	1156.82	1188.31	1611.23	2059.69	1969.32	3214.31	17390.00
एससीसीएल	163.42	274.87	424.18	448.64	485.42	665.30	3340.00
एनएलसी (खानें)	80.80	133.56	109.23	669.18	578.54	772.00	2993.00
एनएलसी (विद्युत)	77.24	85.45	270.45	454.47	1188.17	1945.00	12051.00
कुल (आईबीबीआर)	1478.28	1682.19	2415.09	3631.98	4221.45	6596.61	35774.00
योजना स्कीमें (जीबीएस)							
सूचना प्रौद्योगिकी	0.00	2.49	0.72			3.00	10.00
कोयला उत्पादन नियंत्रक संगठन	0.20	0.15	0.18			0.20	1.20
अनुसंधान एवं विकास	9.82	12.74	14.74		12.73	10.00	100.00
क्षेत्रीय/प्रोत्साहन संबंधी अन्वेषण	36.20	43.00	48.46	40.00	34.99	30.00	383.50
विस्तृत ड्रिलिंग नॉन सीआईएल ब्लॉक्स	15.06	22.50	22.76	20.98	40.00	60.00	893.39
पर्यावरणीय उपाय एवं प्रशमन नियंत्रण \$	0	4.85	25.23	7.94	18.07	10.00	2814.07
कोयला खानों में संरक्षण एवं सुरक्षा #	0	0	66.11			135.00	692.95
कोयला क्षेत्रों में परिवहन अवसंरचना का विकास #	0	0	50.00			21.80	972.65
वीआरएस	0	103.50	0			0	0
एनई घटक	0	0	0			27.00	*
कुल (जीबीएस)	61.28	189.23	228.20	68.92	105.79	300.00	5867.76
कुल (आईबीबीआर+जीबीएस)	1539.56	1871.42	2643.29	3700.90	4327.24	6896.61	41641.76

* संबंधित परिव्ययों में शामिल ।

\$ कार्यान्वयन के दौरान इस स्कीम के माध्यम से 9000 करोड़ रूपए की झरिया- रानीगंज कार्रवाई योजना को आंशिक रूप से निधि उपलब्ध कराई जाएगी । इस उद्देश्य के लिए एसईडी (उपकर) एकत्रित किया जा रहा है।

सीसीडीए से वित्त पोषित स्कीमें । खदानों से उत्पादित एवं भेजे गए प्रति टन कोयले के घटे हुए उत्पाद शुल्क एकत्रण के माध्यम से प्राप्त समर्पित निधि से व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी ।

अध्याय 29

शहरी अवसंरचना, आवास, मूलभूत सुविधाएं तथा गरीबी उपशमन

29.1 शहरी विकास के अन्तर्गत क्षेत्रकीय विषय-वस्तु में शहरों और कस्बों में जनांकिकी, भूमि विकास, बुनियादी भौतिक अवसंरचनात्मक सुविधाओं की व्यवस्था, नागरिक सुविधाएं, परिवहन, आदि के बहुत से विषय शामिल हैं। चौहतरवें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 में शहरी स्थानीय निकायों को सशक्त बनाने की परिकल्पना की गई है, ताकि वे विकास के कार्यों को हाथ में ले सकें और उन्हें संवैधानिक/वैधानिक उपबन्धों के जरिए कार्य करने की स्वायत्तता प्रदान करने का आश्वासन दिया गया है, ताकि वे पर्याप्त कर राजस्व और कर-भिन्न राजस्व जुटाने के लिए स्वयं सक्षम बन सकें। चुनौती यह है कि निर्वाचित निकायों को कायिक रूप से विकास करने में सहायता दी जाए, जिससे कि वे शहरों में रहने वाले लोगों की विश्व स्तर के गुणवत्ता वाले जीवन की मांगों को पूरा कर सकें। सरकार के सांझा न्यूनतम कार्यक्रम में शहरी बुनियादी ढांचे के विकास को उच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है, जिसमें जल आपूर्ति और सफाई भी शामिल है।

29.2 लोकतांत्रिक व्यवस्था सुशासन की बुनियादी आवश्यकता है। इसके लिए पर्याप्त नीतिगत और कानूनी ढांचा, विनियमन और आयोजना प्राधिकरणों की मौजूदगी, मानव दक्षता, सुदृढ़ राजस्व आधार, आधुनिक लेखांकन मानदण्ड और सर्वाधिक लोगों के प्रति जिम्मेदारी, आदि का होना जरूरी है। शहरी अवसंरचना के स्तर को अपग्रेड करने के लिए महत्वपूर्ण कार्य शुरू किया गया है। बहुत से परा-राजकीय और शहरी विकास प्राधिकरण परियोजनाएं तैयार करने और उन्हें

कार्यान्वित करने में काफी अधिक निपुणता प्राप्त कर चुके हैं। यह स्वीकार किया गया है कि शहर हर जगह पर देश की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और अवसंरचनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने में काफी अधिक योगदान दे रहे हैं। चूंकि वे शहरों में रहने वाले लोगों को उच्च स्तर की सुविधाएं प्रदान करते हैं, अतः ग्रामीण उत्पादन के लिए मांग पैदा करके और इसके अलावा निविष्टियों तक पहुंच के मार्गों की व्यवस्था करके ग्रामीण पृष्ठ प्रदेश के लिए विभिन्न प्रकार की सेवाएं सुनिश्चित करने में भी उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। कस्बे और शहर विपणन, स्वास्थ्य की देखभाल, शिक्षा के क्षेत्रों की सेवाओं के नोडल केन्द्रों के रूप में कार्य करते हैं और व्यापक विश्व का झरोखा खोलने का काम भी करते हैं। भूतकाल में पांच चुने हुए शहरों के लिए महानगर परियोजना, एकीकृत लघु एवं मध्यम टाउन एकीकृत विकास (आई.डी.एम.एस.टी.), आदि जैसे कार्यक्रमों को कुछ शहरी आवश्यकताओं को पूरा करने में अलग-अलग सफलता प्रदर्शित की है। परा-राजकीय और विकास प्राधिकरणों के गठन का उद्देश्य यह है कि वे उन कार्यों को हाथ में लेने की बजाय, जो वस्तुतः शहरी स्थानीय निकायों के हैं, निर्वाचित निकायों को समर्थन और सहायता देने की भूमिका निभाएं।

29.3 शहरी शासन को अधिक दक्ष और प्रभावी बनाने के लिए शहरी विकास मंत्रालय द्वारा सम्बन्धित मंत्रालयों/विभागों के साथ परामर्श करते हुए नगरपालिकाओं में इलेक्ट्रानिक ई-शासन (ई. गवर्नेंस) के बारे में एक मिशन मोड परियोजना तैयार की गई है। आशा है कि इससे सेवा सुपुर्दगी

में सुधार करने, विकेन्द्रीकरण, बेहतर सूचना प्रबंधन तथा पारदर्शिता, शासन में नागरिकों के शामिल होने, स्थानीय शासन के बीच बेहतर संबंध स्थापित करने में सहायता मिलेगी। शुरु में, इस परियोजना को जेएनएनयूआरएम के भाग के रूप में 35 मिलियन प्लस शहरों और कस्बों में प्रारम्भ किया गया है। यह 35 शहरों के अतिरिक्त, शहरों और कस्बों के लिए एक नई सीएसएस होगी और फिलहाल जेएनएनयूआरएम के भाग के रूप में 35 शहरों में कार्यान्वयन पर नजर रखे जाने तक इंतजार किया जाएगा। वर्ष 2008-2009 के दौरान, स्कीम के लिए 10.00 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है।

29.4 शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाने के लिए यूएलबीज़ द्वारा लेखांकन की उपार्जन-आधारित दोहरी प्रविष्टि प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक शासन, सम्पत्ति कर सुधार, उपयुक्त प्रयोक्ता प्रभार, आदि लागू करके सुधार किए जा रहे हैं। शहरी स्थानीय निकायों की धनराशियों सम्बन्धी आवश्यकताओं और उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के बीच के अन्तर को पाटने के लिए, बारहवें वित्त आयोग ने स्थानीय निकायों के लिए वर्ष 2005 से 2010 तक की अवधि के लिए सहायता अनुदान के रूप में 5,000 करोड़ रुपए की सिफारिश की है, जिसमें से 2500 करोड़ रुपए शहरी स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबन्ध के लिए विशिष्ट रूप से निर्धारित किए गए हैं। राज्य स्तर पर, शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति में सुधार करने के लिए करों, शुल्कों, और फीसों आदि के न्यागमन के जरिए राज्य वित्त आयोगों की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए कार्रवाई की गई है।

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम)

29.5 दिसम्बर 2005 में प्रारम्भ हुए जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के प्रति देश भर के शहरों एवं

राज्यों ने अति उत्साह प्रदर्शित किया है। सभी 63 मिशन शहरों ने शहरी शासन और विकास में लक्ष्यों और दीर्घावधिक दृष्टिकोण चार्ट-आऊट करते हुए समग्र शहरी विकास योजना निर्मित की है। इन योजनाओं में निवेश योजनाएं भी शामिल हैं जिनमें शहरी अवसंरचना सुविधाओं जैसे जल आपूर्ति सेनिटेशन, ड्रेनेज और शहरी गरीबों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान कराने पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। इसके कारण पूर्वोत्तर क्षेत्रों में स्थानीय निकायों का गठन हुआ है और लम्बे समय से प्रतीलंबित नगरपालिका चुनाव हुए हैं।

शहरी अवसंरचना और प्रशासन (यूआईजी)

29.6 31 मार्च, 2008 की स्थिति के अनुसार, यूआईजी के अंतर्गत 30,135.23 करोड़ रुपए की लागत वाली 324 परियोजनाओं को 14612.51 करोड़ रुपए की एसीए प्रतिबद्धता के साथ अनुमोदित किया गया। इन परियोजनाओं को अनुमोदित करते समय उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है जो शहरी गरीबों और आम आदमी के जीवन को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं जैसे - जल आपूर्ति, सेनिटेशन और स्टोर्म जल निकासी। 31 मार्च, 2008 की स्थिति के अनुसार शहरी अवसंरचना और प्रशासन पर उपमिशन के लिए सात वर्षीय अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) प्रतिबद्धता का लगभग 50 प्रतिशत पहले ही दिया जा चुका है। जेएनएनयूआरएम सुधारों के अंतर्गत बिन्दुओं पड़ावों का पांचवा हिस्सा हासिल किया जा चुका है।

29.7 वर्ष 2007-08 में 5500 करोड़ रुपए के आवंटन के विरुद्ध 2008-09 के लिए 6890 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। वर्ष 2008-09 के लिए घटकवार आवंटन निम्नानुसार हैं --

एमओयूडी घटकों के लिए

- (1) यूआईजी - 3513.89 करोड़ रुपए
- (2) यूआईडीएसएसएमटी- 881.92 करोड़ रुपए

एमओएचयूपीए घटकों के लिए

- (1) बीएसयूपी - 1880.35 करोड़ रुपए
- (2) आईएचएसडीपी - 613.84 करोड़ रुपए

वार्षिक योजना 2008-09 के दौरान यूआईडीएसएसएमटी के लिए 2400 करोड़ रुपए और यूआईजी के लिए 1300 करोड़ रुपए तथा आईएचएसडीपी के लिए 500 करोड़ रुपए का अनुपूरक आवंटन भी किया गया था।

लघु एवं मध्यम नगरों के लिए शहरी अवसंरचना विकास स्कीम (यूआईडीएसएसएमटी)

29.8 लघु एवं मध्यम नगरों के लिए शहरी अवसंरचना विकास स्कीम (यूआईडीएसएसएमटी) जेएनएनयूआरएम का एक अन्य घटक है जो लघु एवं मध्यम नगरों के लिए समेकित विकास स्कीम (आईडीएसएमटी) और त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम (एयूडब्ल्यूएसपी) को मिलाकर बनाई गई है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 63 मिशन शहरों को छोड़कर सभी नगरों और शहरों को शामिल किया गया है और शहरी अवसंरचना परियोजनाओं के लिए सभी राज्यों में इसकी भारी मांग है। वित्त पोषण पैटर्न के अनुसार परियोजना लागत का 80 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता से देय है सिवाय पूर्वोत्तर क्षेत्रों के जहां कि यह 90 प्रतिशत देय है।

29.9 31.3.2008 की स्थिति के अनुसार 5267.40 करोड़ रुपए की एसीए प्रतिबद्धता के साथ 6615.02 करोड़ रुपए की लागत की 448 परियोजनाओं को अनुमोदन दिया गया है। 2008-09 के लिए यूआईडीएसएसएमटी आवंटन, 2007-08 के 704 करोड़ रुपए की तुलना में 3281.92 करोड़ रुपए है जिसमें 2400 करोड़ रुपए का अनुपूरक आवंटन भी शामिल है।

साझा वित्त विकास निधि (पीएफडीएफ) स्कीम

29.10 शहरी स्थानीय निकायों के लिए ऋण में वृद्धि करने हेतु सरकार द्वारा साझा वित्त विकास निधि की स्थापना की गई है ताकि वे बैंक स्वीकार्य शहरी अवसंरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए ऋण प्राप्त करने की अपनी योग्यता के आधार पर पूंजी बाजार से उधार ले सकें। यह स्कीम

सितम्बर, 2006 में अनुमोदित की गई थी। पीएफडीएफ के व्यापक उद्देश्य निम्नानुसार हैं :-

- क्षमता निर्माण के उपयुक्त उपायों द्वारा तथा परियोजनाओं के वित्तीय ढांचे के निर्माण द्वारा शहरी अवसंरचना परियोजनाओं को सुविधाजनक बनाना।
- शहरी अवसंरचना परियोजनाओं में निवेश के लिए एक या एक से अधिक यूएलबीज की ओर से पूल आधारित वित्तपोषण बांडों के माध्यम से पूंजी बाजार तक पहुंचने हेतु राज्य पूल आधारित वित्त निकायों को ऋण बढ़ोत्तरी अनुदान प्रदान करके महत्वपूर्ण नगरपालिका अवसंरचना में निवेश करने हेतु शहरी स्थानीय निकायों को पूंजी और वित्तीय बाजार में पहुंचने में सहायता देना।
- ऋण बढ़ोत्तरी के उचित उपायों द्वारा तथा वर्तमान मंहगे ऋणों के ढांचे को पुनर्गठित करके स्थानीय निकायों के वास्ते ऋणों की लागत को घटाना।
- नगरपालिका बांड मार्केट के विकास को आसान करना।

29.11 स्कीम के प्रचालनीकरण के लिए 7 जून, 2007 को कर मुक्त साझा वित्त विकास बांड जारी किए गए थे। अभी तक आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, नागालैंड, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, केरल और असम राज्यों ने अपने “राज्य साझा विकास एंटीटी (निकाय) (एसपीएफई)” स्थापित किए हैं। तमिलनाडु के अभिनामित एसपीएफई जल सफाई व्यवस्था साझा निधि से 45.00 करोड़ के कर मुक्त साझा वित्त विकास बांड जारी करने का पहला प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। प्रस्ताव में सीआरईएफ में योगदान के रूप में 4.50 करोड़ रुपए और परियोजना विकास लागत के लिए 1.16 करोड़ रुपए की राशि जारी की जानी शामिल थी जो फरवरी, 2008 में जारी कर दी गई थी। वर्ष 2008-09 के दौरान स्कीम के लिए 20.00 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है।

राष्ट्रीय शहरी सूचना प्रणाली (एनयूआईएस)

29.12 एनयूआईएस स्कीम में सामान्यतः दो प्रमुख घटक शामिल हैं - (क) नेमी कार्यों के लिए शहरी आयोजना की स्थानिक आवश्यकताओं (मैप/चित्र, डेटा/सूचना) को पूरा करने के लिए शहरी स्थानीय सूचना प्रणाली (यूएसआईएस); और (ख) राष्ट्रीय शहरी वेधशाला (एनयूओ) कार्यक्रम के तहत स्थानीय शहरी वेधशाला (एलयूओ) के नेटवर्क के माध्यम से सूचकांकों के विकास में सहायता देने के लिए नगर स्तरीय शहरी डाटाबेस विकसित करने के लिए राष्ट्रीय शहरी डेटाबैंक और संकेतक (एनयूडीबीआई)।

29.13 पहले चरण के दौरान एनयूआईएस स्कीम के अंतर्गत 66.28 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर 137 नगरों/शहरों को कवर किया जाएगा। इस लागत को केन्द्र और राज्यों द्वारा 75:25 के अनुपात में शेयर किया जाएगा। इन स्कीमों के तहत डिजिटल मानचित्रों और जीआईएस डेटा बेस का सृजन अनुबंध ज्ञापन (एमओए) हस्ताक्षर किए जाने के पश्चात् भारतीय सर्वेक्षण को आउटसोर्स किया गया है। 137 नगरों/शहरों/शहरी समूहों के संबंध में डिजिटल मानचित्र और जीआईएस डेटाबेस के सृजन का कार्य अनुबंध हस्ताक्षर किए जाने की तारीख से 15 दिन के भीतर पूरा किया जाना प्रस्तावित है।

29.14 बजट अनुमान 2007-08 में स्कीम के कार्यान्वयन के लिए 9.00 करोड़ रुपए की राशि मुहैया कराई गई थी। वर्ष 2008-09 के दौरान स्कीम के लिए 0.50 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। 13 राज्यों ने (3 संघ राज्य क्षेत्रों सहित) हार्डवेयर और साफ्टवेयर और एनयूडीबी एंड आई घटकों के लिए राज्य का हिस्सा जारी कर दिया है। गुजरात और आंध्र प्रदेश राज्यों के 9 शहरों ने एनयूडीबी एंड आई डाटा एकत्र कर लिया है और 8 राज्य एनयूडीबी एंड आई डाटाबेस एकत्र करने की प्रक्रिया में हैं।

राष्ट्रीय शहरी अवसंरचना निधि (एनयूआईएफ)

29.15 राष्ट्रीय शहरी अवसंरचना निधि को (एनयूआईएफ) शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित बैंक स्वीकार्य परियोजनाओं/स्कीमों के लिए वित्तपोषण का स्रोत मुहैया कराने के लिए विश्व बैंक की सहायता से एक ट्रस्ट के रूप में स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है एनयूआईएफ विशेष प्रयोजन व्हीकल (एसपीवी) के रूप में कार्य करेगी जो पुनर्भुगतान के संबंध में वित्तीय संस्थानों के बीच आवश्यक सुविधाजनक स्थिति का सृजन करेगा और वाणिज्यिक बैंकों का यूएलबीज के साथ सीधे एक्सपोजर (संपल) को दूर रखा जाएगा। यह बैंक स्वीकार्य परियोजनाओं को विकसित करने के लिए यूएलबीज में आवश्यक क्षमताओं का सृजन करने में भी सहायता करेगी। स्कीम के ब्यौरे शहरी विकास मंत्रालय द्वारा तैयार किए जा रहे हैं।

शहरी और क्षेत्रीय आयोजना में अनुसंधान और शहरी क्षेत्रक में क्षमता निर्माण

29.16 जनशक्ति, प्रशिक्षण, अनुसंधान और तकनीकी सहायता के अर्थ में शहरी क्षेत्रक की अपर्याप्त क्षमता परियोजनाओं के कार्यान्वयन और सुधार शुरू करने में यूएलबीज के सामने आ रही प्रमुख बाधाएं हैं। ग्यारहवीं योजना में क्षमता निर्माण और बेहतर वित्तीय प्रबंधन के माध्यम से शहरी स्थानीय निकायों के सुदृढीकरण की शहरी विकास की प्रमुख कार्यनीति के रूप में पहचान की गई है। अनेक पहलें जैसे कि तीव्र प्रशिक्षण कार्यक्रम, पीयर एक्सपीरियेंस एण्ड रिफ्लेक्टिव लर्निंग (पर्ल), कार्यक्रम प्रबंधन यूनिट (पीएमयू), परियोजना प्रबंधन यूनिट (पीआईयू) शुरू की गई है। वांछित उद्देश्य की उपलब्धि और प्राथमिकता प्रदान करने के लिए वार्षिक योजना 2007-08 के लिए 20.00 करोड़ रुपए के आबंटन की तुलना में 2008-09 में 47.00 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया था।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय आयोजना बोर्ड (एनसीआरपीबी)

29.17 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आयोजना बोर्ड का गठन भू उपयोग से संबंधित सर्वमान्य स्थानिक

मानकों के एक सैट के आधार पर क्षेत्रीय विकास योजना तैयार करने और भौतिक एवं सामाजिक अवसंरचना की गुणवत्ता के विकास के समन्वयन तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में चुनिंदा अवसंरचना विकास परियोजनाओं के वित्तपोषण की व्यवस्था करने तथा उसका निरीक्षण करने के दोहरे उद्देश्य से संसद के अधिनियम के द्वारा 1985 में किया गया था। एनसीआर आयोजना बोर्ड क्षेत्र में अवसंरचना के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। अपनी शुरुआत से, एनसीआर प्लानिंग बोर्ड ने 14929 करोड़ की अनुमानित लागत की 230 अवसंरचना परियोजनाओं के लिए ऋण सहायता को स्वीकृति दी है। जिसमें से 5995 करोड़ रुपए की राशि आदाता एजेंसियों को मंजूर की गई है। बोर्ड ने 28.12.08 तक 3499 करोड़ रुपए की ऋण राशि जारी की है।

29.18 बोर्ड का विचार विद्युत उत्पादन, नए टाउनशिप, एकीकृत जल आपूर्ति, बीआरटीज, जल आपूर्ति, सफाई, आदि के संबंधित मेगा अवसंरचना परियोजनाओं के वित्त पोषण द्वारा अधिक प्रभावी और महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का है। ग्यारहवीं योजना के दौरान वित्तपोषित किए जाने के लिए पहचान की गई परियोजनाओं में लगभग 15000 करोड़ का कुल परिव्यय शामिल है। इनमें से कुछेक परियोजनाएं अन्य पणधारियों के सहयोग से शुरू की जाएंगी। वार्षिक योजना 2008-09 के लिए बजटीय आवश्यकता 50.00 करोड़ रुपए की है और आई एंड ईबीआर 1069.00 करोड़ रुपए है। वर्ष 2008-09 के दौरान, बोर्ड की 900.00 करोड़ रुपए की कुल ऋण राशि की परियोजनाओं को मंजूरी देने की योजना है।

त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम (एयूडब्ल्यूएसपी)

29.19 वार्षिक योजना 2007-08 में, शहरी जल आपूर्ति और सफाई क्षेत्रक के लिए केन्द्रीय योजना में एयूडब्ल्यूएसपी के लिए 32.50 करोड़ रुपए का बजट आबंटन शामिल है। चूंकि इस स्कीम को यूआईडीएसएसएमटी में मिला दिया गया है, अतः

वित्तीय वर्ष 2008-09 के लिए किसी बजट अनुमान का प्रस्ताव नहीं किया गया था। चालू वर्ष के दौरान केवल पिछले वर्ष की पूरी न की गई परियोजनाओं को ही हाथ में लिया जा रहा है। अभी तक इस कार्यक्रम के अंतर्गत 866 स्कीमों पूरी की गई हैं और कार्यान्वित की गई हैं।

सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के लाभ हेतु एकमुश्त 10% का प्रावधान

29.20 प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए अक्टूबर, 1996 में नए पहलों की घोषणा की थी जिसमें मंत्रालयों/विभागों की योजना बजट का कम से कम 10% भाग पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशिष्ट कार्यक्रमों हेतु निर्धारित करने की परिकल्पना की गई थी। सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में यदि वास्तविक व्यय निर्धारित 10% से कम रहता है तो शेष व्यय को पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए संसाधनों के गैर व्यपगत केन्द्रीय पूल में अंतरित करना अपेक्षित है। केन्द्रीय पूल ने वित्त वर्ष 1998-99 के दौरान कार्य करना शुरू कर दिया था। पूल से जारी की गई सहायता राशि परियोजना के लिए ही है तथा इसे कहीं अन्यत्र अंतरित नहीं किया जा सकता। स्कीम के मुख्य उद्देश्य हैं :

- सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में अवसंरचना विकास में तेजी सुनिश्चित करना।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र के शहरी क्षेत्रों में विशिष्ट महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं/स्कीमों के लिए बजटीय वित्त पोषण बढ़ाना तथा
- पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों और सिक्किम में बुनियादी न्यूनतम सेवाओं और अवसंरचना में अंतर को कम करने हेतु उपयुक्त परियोजनाएं शुरू करना।

29.21 यह स्कीम शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं में तेजी लाने में सहायता कर रहा है जैसे शापिंग काम्प्लेक्सों सामुदायिक केन्द्रों, सड़कों आदि का विकास। वर्ष 2007-08 के लिए परिव्यय 180.00 करोड़ रुपए था। चालू परियोजनाओं को

पूरा करने के लिए बहुत बड़ी प्रतिबद्ध जिम्मेदारियों के कारण नई परियोजनाओं की संस्वीकृति नहीं की जा सकी। 180.00 करोड़ रुपये के आवंटन के मुकाबले 31 दिसम्बर, 2007 तक 113.30 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी। चूंकि यह एक चालू परियोजना है अतः कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं। वर्ष 2008-09 के दौरान 150.00 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।

सेटेलाइट शहरों/मिलियन प्लस शहरों के काउण्टर मैगनेट्स में शहरी अवसंरचना विकास स्कीम

29.22 सरकार सेटेलाइट शहरों/मिलियन प्लस शहरों के काउण्टर मैगनेट्स के लिए एक स्कीम तैयार करने पर विचार कर रही है। पुनरावृत्ति से बचने के लिए, स्कीम में उन शहरों को कवर किया जाएगा जिनकी शहरी आबादी 10 लाख से अधिक है तथा जिन्होंने यूआईडीएसएसएमटी के अंतर्गत एमओए पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। इस स्कीम के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :

- जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत कवर किए गए मिलियन प्लस शहरी समूह (यूए) के आस-पास वर्तमान सेटेलाइट शहरों/काउण्टर मैगनेट्स विशेषकर एक लाख से अधिक आबादी वाले शहरों/काउण्टर मैगनेट्स में शहरी अवसंरचना सुविधा विकसित करना जैसे परिवहन, विद्युत, संचार, पेयजल, सीवरेज, ड्रेनेज और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन जिसकी तुलना मद्र सिटी से की जा सके।
- भावी विकास को सुचारु बनाना जिससे कि मिलियन प्लस यूएम पर दबाव कम हो सके।
- मिलियन प्लस सिटी क्षेत्र में धारणीय विकास को बढ़ावा देना जिससे कि इन स्वनियंत्रित सेटेलाइट नगरों/काउंटर मैगनेट का विकास हो सके,
- विकास के लिए नवीन सार्वजनिक-निजी भागीदारी अपनाना।

29.23 स्कीम के वर्ष 2008-09 से प्रारंभ होने की संभावना है। सरकार ने वर्ष 2007-08 के लिए 0.50 करोड़ रुपये की प्रतीक राशि का आवंटन पहले ही कर दिया है। वर्ष 2008-09 के दौरान, स्कीम के लिए 5.00 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।

29.24 आंतरिक योजना आयोग की दिनांक 8 अक्टूबर, 2008 को हुई बैठक में सेटेलाइट टाउनों के मुद्दे पर भी विचार किया गया तथा यह निर्णय लिया गया था कि सभी एक मिलियन प्लस शहरों में निजी क्षेत्रक द्वारा की गई पहलों के आधार पर सेटेलाइट टाउनशिप शुरू की जाएगी जिस पर राज्य सरकार और यूएलबीज की कड़ी नियामक निगरानी होगी। राज्य सरकारें ट्रंक रूट सेवाओं (विद्युत, जल, सीवर और सड़क) के लिए निधियां उपलब्ध कराएंगी जिससे कि इन टाउनशिप्स को विकसित किया जा सके। आईपीसी ने यह भी सिफारिश की है कि 500 करोड़ रुपये के ग्यारहवीं योजना प्रावधान को बढ़ाकर 3000 करोड़ रुपये कर दिया जाए।

शहरी परिवहन

29.25 शहरी परिवहन शहरी अवसंरचना का एक प्रमुख अंग है। एक प्रभावी एवं सक्षम शहरी यातायात प्रणाली से उत्पादकता एवं अर्थव्यवस्था में वृद्धि होती है। शहरी यातायात दो व्यापक प्रणालियों को कवर करता है जैसे निजी परिवहन और सार्वजनिक परिवहन। सार्वजनिक परिवहन आमतौर पर लोगों को तथा विशेषरूप से गरीबों को आर्थिक सुअवसर सुलभ कराता है निजी परिवहन प्रणाली की तुलना में, सार्वजनिक परिवहन सस्ता, ऊर्जा संचयी तथा कम प्रदूषण वाला होता है। सार्वजनिक परिवहन प्रणाली शहरी-ग्रामीण लिंकेज को अधिकतम करने में भी सहायता करता है तथा सिटी केन्द्रों के आस-पास तक ग्रामीण/अर्ध-शहरी आबादी की पहुँच में सुधार करता है। इस प्रकार इससे शहरों के अंदर स्लम एकत्र हुए बगैर पर्याप्त श्रम बल आपूर्ति सुनिश्चित होती है।

29.26 सक्षम एवं वहन योग्य सार्वजनिक परिवहन प्रदान करने की दृष्टि से, सरकार ने एक राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति (एनयूटीपी) तैयार की है जिससे कि सभी के लिए आसानी से पहुंच योग्य सुरक्षित, वहनीय, त्वरित, आरामदेह, विश्वसनीय तथा धारणीय आवागमन सुनिश्चित हो सके।

29.27 व्यापक सिटी परिवहन योजना तैयार करने हेतु संशोधित मार्गदर्शी सिद्धान्त तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली गई है तथा सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित कर दी गई है। शहरी परिवहन योजना की संशोधित

स्कीम के अंतर्गत, संभाव्यता रिपोर्ट/व्यापक सिटी योजना तैयार करने की 80% लागत राशि राज्यों को उपलब्ध कराई जाती है। रेल आधारित तथा सड़क आधारित दोनों प्रकार की सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के डीपीआर तैयार करने हेतु राज्यों को दिशा निर्देश देने के लिए विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार कर लिए गए हैं।

मेट्रो रेल

29.28 दिल्ली और कोलकाता ने अपने यहां मेट्रो रेल प्रणाली शुरू की है। दिल्ली मेट्रो भारत सरकार

बॉक्स 30.1 : दिल्ली मेट्रो रेल प्रणाली

दिल्ली मेट्रो रेल प्रणाली जिसे तकनीकी रूप से दिल्ली मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (एमआरटीएस) और लोकप्रियता की दृष्टि से दिल्ली मेट्रो के नाम से जाना जाता है, ने ऐसे मार्ग को स्थापित कर लिया है जहां इसे पहले से ही फेज I के तहत कमीशन किया जा चुका है और 65.1 किमी लम्बे मार्ग को कवर किया है। इसने कारणों से सार्वजनिक परिवहन के मॉडल शिफ्ट को प्रोत्साहित किया है। गुणवत्ता की दृष्टि से इसने परियोजना को पूरा करने के लिए मानक भी स्थापित किए हैं और साथ में लागत भी निर्धारित सीमा में रही है जिससे सामान्य जनता को कम से कम असुविधा का सामना करना पड़ा। दिल्ली एमआरटीएस फेज I जो पहले ही, पूरा हो चुका है, के अधीन निम्नलिखित कॉरिडोर शामिल हैं :

लाइन 1 : शाहदरा - रिठाला

लाइन 2 : विश्वविद्यालय - केन्द्रीय सचिवालय

लाइन 3 : बाराखम्भा रोड - द्वारका, तथा लाइन 3 का द्वारका उपशहर तथा बाराखम्भा रोड से इन्द्रप्रस्थ तक एक्सटेंशन।

सरकार ने डीएमआरसी फेज II के निर्माण और इसके एक्सटेंशन के निर्माण और इसके एक्सटेंशन की मंजूरी भी दी है, जो निम्नलिखित कॉरिडोरों पर कुल 115.505 किलोमीटर है :

- विश्वविद्यालय - जहांगीरपुरी
- केन्द्रीय सचिवालय - कुतुब मीनार
- शहादरा - दिलशाद गार्डन (पूर्व)
- इन्द्र प्रस्थ - न्यू अशोक नगर
- यमुना बैंक - आनंद विहार अंतरराज्यीय बस टर्मिनल (आईएसबीटी)
- कीर्ति नगर - मुंडका
- कुतुब मीनार - सुशांत लोक, गुड़गांव
- न्यू अशोक नगर - नोएडा सेक्टर 32 (परियोजना को सरकार द्वारा सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित कर दिया गया है, जो जीएनसीटीडी के अनुमोदन के अधीन है)
- नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से इंदिरा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डा तक हाई स्पीड एक्सप्रेस लिंग समय को वर्तमान में 45 मिनट से केवल 16 मिनट तक कम कर देगा और इसका प्रचालन 24x 7 आधार पर होगा। ये सभी एक्सटेंशन अक्टूबर, 2010 में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों से पहले पूरी हो जाएंगे।

और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का एक संयुक्त उद्यम है जबकि वर्तमान कोलकाता मेट्रो इस समय रेल मंत्रालय के नियंत्रण में है।

29.29 कोलकाता के लिए हावड़ा से साल्टलेक V तक 13.77 कि. मी. लम्बे (8 कि.मी भूमिगत तथा 5.7 कि. मी. एलिवेटेड) प्रस्तावित ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर मेट्रो रेल परियोजना का अनुमोदन कर दिया गया है तथा वर्तमान में क्रियान्वित किया जा रहा है। इसे दिल्ली मेट्रो माडल के आधार पर अर्थात् भारत सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार के एक संयुक्त उद्यम के माध्यम से पूरा करना प्रस्तावित है। सरकार ने इसका अनुमोदन कर दिया है तथा जेबीआईसी द्वारा कराए गए एसएपीआरओएफ अध्ययन के आधार पर राज्य सरकार ने परियोजना की पूरी लागत 5165 करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया है।

29.30 जहां तक चेन्नई का संबंध है, 46.5 कि. मी. लम्बाई की मेट्रो रेल परियोजना को 9757 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से दो कॉरिडोर में प्रस्तावित किया गया है। इस मेट्रो रेल परियोजना के लिए वित्त पोषण ढांचे में परिवर्तन विचाराधीन है जहां यह एक राज्य सार्वजनिक क्षेत्रक परियोजना होगी तथा भारत सरकार से लागत का 15% अनुदान होगा एवं 10% ऋण के रूप में होगा। तत्पश्चात् राज्य सरकार 15% ऋण के साथ-साथ संपूर्ण इक्विटी प्रदान करेगी जबकि जेबीआईसी ऋण 45% का होगा। भारत सरकार द्वारा अनुदान एवं ऋण देते समय, पीआईबी और सीसीईए का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु वित्तीय प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

29.31 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से बेहतरीन संपर्कता के लिए एकीकृत रेल एवं बस ट्रांजिट (आईआरबीटी) सिस्टम नामक कम्प्यूटर रेल प्रणाली, जिसने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) के फेज I का निर्माण किया, का परिकल्पना किया गया है। एनसीआर प्लानिंग बोर्ड ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के

लिए एकीकृत परिवहन योजना पर एक परामर्शी अध्ययन शुरू कराया है। उक्त अध्ययन पर आधारित क्षेत्रीय दुरुक्त आवागमन प्रणाली (आरआरटीएस) शीघ्र ही शुरू की जाने वाली है।

29.32 बेंगलोर रैपिड मास ट्रांजिट सिस्टम (एमआरटीएस) जिसे बंगलोर मेट्रो रेल परियोजना के रूप में जाना जाता है, का अनुमोदन 27 अप्रैल, 2006 को कुल 33 किलोमीटर लंबे निर्माण (25.6 किलोमीटर एलिवेटेड, भूतल 6.7 किलोमीटर, ग्रेड पर 0.6 किलोमीटर) मार्ग को 2 कॉरिडोरों में यानि (क) पूर्व पश्चिम कॉरिडोर - 18.1 किलोमीटर बैय्यापनहाली से मैसूर रोड और (ख) उत्तर दक्षिण कॉरिडोर 14.9 किलोमीटर यशवंतपुर से आरवी रोड जयनगर के निर्माण के लिए अनुमोदन दिया गया था। इस परियोजना को पांच वर्ष के भीतर अर्थात् दिसम्बर 2011 तक पूरा कर लिया जाएगा और इसका प्रथम भाग यानि 7 किलोमीटर को मार्च 2010 तक पूरा कर लिया जाएगा। बेंगलोर मेट्रो रेल निगम (बीएमआरसी) जो भारत सरकार की कंपनी और कर्नाटक सरकार का संयुक्त उद्यम है, इस परियोजना का कार्य कर रहा है। इसे पूरा करने में 6395 करोड़ रुपए की लागत का अनुमान है।

29.33 महाराष्ट्र सरकार ने मुम्बई मेट्रो के लिए दिल्ली मेट्रो रेल निगम के माध्यम से एक मास्टर प्लान तैयार करवाई है, जिसका कार्यान्वयन 9 कॉरिडोरों के माध्यम से तीन चरणों में किया जाना अपेक्षित है। फेज I का पहला कॉरिडोर वर्षोवा-अंधेरी-घाटकोपर जो पूरी तरह से एलिवेटेड है और 11.07 किलोमीटर की दूरी को कवर करता है को पीपीपी माध्यम से बीओटी आधार पर कार्यान्वित किया जाना है। राज्य सरकार ने मुम्बई मेट्रो कन्सोर्टियम I को कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में चुना है जिसने परियोजना को पूरा करने के लिए 2356 करोड़ रुपए की लागत बताई है।

29.34 महाराष्ट्र सरकार पूरी तरह एलिवेटेड कॉरिडोरों (फेज I का द्वितीय कॉरिडोर) यानि चारकोप-बांद्रा-मानखुर्द के निर्माण पर विचार कर

रही है जिसकी लम्बाई 31.87 किलोमीटर से भी अधिक है और इसे पूरा करने में 5527 करोड़ की लागत का अनुमान है।

29.35 आन्ध्र प्रदेश सरकार तीन कॉरिडोरों में हैदराबाद मेट्रो रेल परियोजना को पूरा करने का विचार कर रही है जिसकी लम्बाई 71 किलोमीटर है और इस पर 12,132 करोड़ रुपए की लागत का अनुमान लगाया गया है। यह एक सार्वजनिक निजी सहभागिता (पीपीपी) परियोजना है जिसे डिजाइन, बिल्ट, फाइनैस, प्रचालन और ट्रांसफर (डीबीएफओटी) के आधार पर शुरू किया जाना है। अनुदान को मॉडल रियायत समझौता (एमसीए) और विनिर्देशों एवं मानकों (एमएसएस) के मैनुअल के अनुरूप रेल प्रणाली का डिजाइन, निर्माण और प्रचालन करना है।

29.36 बेहतर सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध कराने और जाम से राहत दिलाने के लिए, जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत अहमदाबाद, भोपाल, इंदौर और जयपुर, पुणे, राजकोट, विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम के लिए 2884 करोड़ रुपए की कुल अनुमानित लागत से 330 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र को कवर करते हुए बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (बीआरटीएस) प्रस्तावों को अनुमोदन दिया जा चुका है जिसमें केन्द्रीय सहायता लगभग 1167 करोड़ रुपए की है। कम लागत, कार्यान्वयन सुगमता विस्तृत क्षेत्र कवरेज और पूर्ण संधारणीयता पर विचार करते हुए बीआरटीएस के प्रस्तावों जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत कई अन्य शहर भी वित्तपोषित किया जाने हैं। इसके अलावा शहरों, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भी सलाह दी गई है कि वे नई बसों के साथ सार्वजनिक निजी भागीदारी आधुनिक सिटी बस सेवा के आधार पर प्रारंभ करे जिससे कि सार्वजनिक परिवहन को ब्रांडेड उत्पाद के रूप में लोगों को बेचा जा सके और लोग व्यक्तिगत वाहनों के स्थान पर सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित हों।

29.37 चूंकि भारत में शहरी परिवहन से जुड़ी हुई समस्याएं तुलनात्मक रूप से हाल ही में उत्पन्न हुई

हैं। इन्हें पूर्ण रूप से समझने और इनसे निपटने में अभी परिपक्वता की जरूरत है इसके लिए क्षमता निर्माण हेतु समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है। तदनुसार, संस्थागत और व्यक्तिगत स्तर पर क्षमता निर्माण हेतु शहरी स्थानीय निकाय, राज्य तथा केन्द्रीय स्तर पर भी स्कीम का प्रस्ताव किया गया है।

29.38 शहरी विकास मंत्रालय की स्कीमों के संबंध में स्कीमवार आबंटन संलग्नक I में दिया गया है।

शहरी आवास

राष्ट्रीय शहरी आवास एवं आवासीय नीति, 2007

29.39 आश्रय, भोजन और कपड़ों के बाद मनुष्य की एक मूलभूत आवश्यकता है। राष्ट्रीय आवास एवं पर्यावास नीति की आवश्यकता देश में आश्रय एवं इससे संबंधित अवसंरचना की बढ़ती आवश्यकताओं से सामने आई है। ये आवश्यकताएं शहरीकरण की तीव्र गति, आजिविका की तलाश में गांवों से शहरों में बढ़े हुए प्रवास, साइट्स और सर्विसिज, और वहनीय लागत पर आवासीय इकाइयों की मांग एवं आपूर्ति से असंगत ऊंची कीमत एवं कम आय के कारण शहरी क्षेत्रों में नए एवं गरीब शहरी रहवासियों की औपचारिक भू बाजारों तक पहुँच में असमर्थता के कारण बढ़ रही हैं। इससे गैर समावेशी शहरों एवं कस्बों का उद्भव हुआ है तथा इस प्रकार गैर संधारणीय स्थिति पैदा हो गई है। ग्यारहवीं योजना अवधि अर्थात् 2007 की शुरुआत में आवासीय इकाइयों की कुल कमी 24.71 मिलियन है। ग्यारहवीं योजना के अंत तक बैकलॉग सहित कुल कमी 26.53 मिलियन हो जाएगी।

29.40 आवास स्थिति में सुधार के लिए, राष्ट्रीय आवास एवं आवास नीति वर्ष 2007 में संशोधित की गई थी। नई नीति का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों/कम आय वाले समूहों तथा समाज के अन्य वर्गों को वहनीय कीमतों पर आवास व अन्य मूलभूत अवसंरचना उपलब्ध कराना है।

आवास एवं शहरी विकास निगम लिमिटेड (हुडको)

29.41 आवास तथा शहरी विकास निगम लिमिटेड (हुडको) कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत पूर्ण सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में समाविष्ट किया गया था जिसका मुख्य उद्देश्य देश में आवास तथा शहरी विकास परियोजनाओं, भवन निर्माण सामग्री उद्योगों का वित्त पोषण करना और नए कस्बों की स्थापना करना है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, हुडको राज्य आवास बोर्डों, विकास प्राधिकरणों, सुधार ट्रस्टों, सहकारी आवास समितियों आदि द्वारा तैयार की गई अनेक आवास व शहरी विकास परियोजनाओं का वित्त पोषण करता है। इन वर्षों में हुडको अग्रणी सार्वजनिक वित्तीय संस्थान के रूप में उभरा है जिसका मुख्य उद्देश्य देश में आवास व शहरी विकास कार्यक्रमों को वित्तपोषित व प्रोत्साहित करना है और इसने परियोजना तैयार करने, मूल्यांकन करने वित्तीय आयोजना व मानीटरिंग करने की ठोस क्षमताओं का विकास किया है। वर्ष 2008-09 के लिए, निगम का प्रस्ताव 13340 करोड़ ₹ का ऋण संस्वीकृत करने और 6200 करोड़ ₹ की राशि जारी करने का है। वर्ष 2008-09 के लिए हुडको अपनी कुल संस्वीकृत आवास इकाइयों का 85% ईडब्ल्यूएस और एलआईजी श्रेणियों हेतु संस्वीकृत करने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्ष 2008-09 के लिए हुडको के आंतरिक और बजट्टर संसाधन 7769.86 करोड़ ₹ है।

शहरी गरीबों को आवास सुलभ कराने हेतु ब्याज सब्सिडी स्कीम (आईएसएसयूपी)

29.42 वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार, भारत में 28% जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में रहती है। अनुमान है कि तीव्र शहरीकरण के कारण, वर्ष 2025 तक 35% से 40% जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में रहेगी। बढ़े हुए शहरीकरण से उपलब्ध भूमि व अवसंरचना पर दबाव पड़ा है और इसके परिणामस्वरूप स्लमों व अनधिकृत बस्तियों की संख्या में वृद्धि हुई है इसका मुख्य कारण यह है कि ग्रामीणों का शहरों में आना

प्रवास करना और ईडब्ल्यूएस/एलआईजी की कीमत शहरी भूमि बाजार व भूमि की लागत से आशातीत ढंग से बढ़ गई है और भूमि की कीमत/निर्माण कार्य ईडब्ल्यूएस/एलआईजी वर्गों की सामर्थ्य से परे हैं।

29.43 सामर्थ्य में सुधार की दृष्टि से, ग्यारहवीं योजना के दौरान शहरी गरीबों को आवास सुलभ कराने हेतु ब्याज सब्सिडी स्कीम का प्रस्ताव किया गया है ताकि शहरी गरीबों के ईडब्ल्यूएस/एलआईजी खंडों के लिए ऋण देने हेतु वाणिज्यिक उधारदाताओं को केवल पाँच वर्षों की अवधि के लिए 5% प्रतिवर्ष की ब्याज सब्सिडी दी जा सके। इस स्कीम में गरीबों के लिए आवासन में बाजार निधियों के प्रवाह को बढ़ाए जाने की संभावना है। ग्यारहवीं योजना के दौरान इस स्कीम से आवास स्टॉक में 15 लाख घरों के जुड़ने की संभावना है। वर्ष 2007-08 में किए गए 30 करोड़ रुपये के आबंटन के मुकाबले वर्ष 2008-09 के लिए 95 करोड़ ₹ का आबंटन किया गया है।

निर्माण केन्द्रों/निर्मिती केन्द्रों का राष्ट्रीय नेटवर्क

29.44 सरकार ने निर्माण क्षेत्रक में उन प्रौद्योगिकियों के सुदृढीकरण हेतु वर्ष 1988 में निर्माण केन्द्र स्कीम शुरू की जो पर्यावरणीय रूप से अनुकूल, पारिस्थितिकीय रूप से उपयुक्त, ऊर्जा कार्यक्षम, कार्यात्मक रूप से स्थायी, कलात्मक रूप से मनोहर तथा लागत प्रभावी भी हों। इन निर्माण केन्द्रों की परिकल्पना प्रयोगशाला से भूखण्डों पर उपयुक्त निर्माण प्रौद्योगिकी के 'अंतरण के एजेंट' के रूप में की गई थी और निर्माण क्षेत्रक की क्षमता निर्माण तथा नवीन लागत प्रभावी प्रौद्योगिकी के उपयोग में प्रशिक्षण हेतु सहायक थे। कुल मिलाकर 577 निर्माण केन्द्रों की स्थापना की गई थी जिसमें से 392 कार्य कर रहे हैं जो कि 68 प्रतिशत सफलता दर बनती है। दसवीं योजना के दौरान यह स्कीम बन्द कर दी गई थी। सरकार का इस स्कीम को नए रुझानों के साथ पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव है। वर्ष 2008-09 के लिए इस संबंध में 1.00 करोड़ ₹ का सांकेतिक बजट प्रावधान

किया गया है। वर्ष 2007-08 के लिए 1.00 करोड़ रु0 का प्रावधान किया गया था।

एकीकृत शहरी कम लागत स्वच्छता

29.45 शहरी स्वच्छता कम लागत की केन्द्र प्रायोजित स्कीम गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 1981 में शुरू की गई थी और वर्ष 1989-90 से इसका आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के माध्यम से प्रचालन किया गया। स्कीम का मूल उद्देश्य हाथ से मैला ढोने वालों को मैला उठाने के घृणित व पुरानी प्रथा से मुक्ति दिलाना है। संशोधित स्कीम के अंतर्गत कुर्सी क्षेत्रफल के अतिरिक्त सुपर स्ट्रक्चर के लिए टू-पिट-पोर फ्लश लैट्रिन प्रति यूनिट के लिए अधिकतम 10,000 रु0 सब्सिडी मुहैया कराई जाती है। स्कीम के महत्व को देखते हुए, वर्ष 2008-09 के लिए आबंटन को बढ़ाकर 150 करोड़ रु0 किया गया था जबकि वर्ष 2007-08 के लिए यह 40 करोड़ रु0 था। असम, बिहार, जम्मू व कश्मीर और उत्तर प्रदेश राज्य में स्कीम के कार्यान्वयन के लिए वित्त वर्ष 2007-08 के दौरान हुडको को 35 करोड़ रु0 की राशि जारी की गई है। इस स्कीम की प्रकृति मांग आधारित है अतः कोई राज्य आबंटन/लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे।

भवन निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकी उन्नयन परिषद (बीएमटीपीसी)

29.46 आश्रय क्षेत्रक में प्रौद्योगिकी उन्नयन अंतरण व अनुप्रयोग और नवीन निर्माण सामग्री के वाणिज्यिक उत्पादन हेतु उपयुक्त प्लेटफार्म उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 1980 में बीएमटीपीसी की स्थापना एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में की गई थी। यह परिषद अंतरमंत्रालयीन 'प्लेटफार्म' के रूप में विस्तार तथा कार्यकलापों के प्रसार में लगी हुई है। परिषद निर्माण कार्य में लगे हुए व्यावसायिकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयास कर रही है, जिससे कि वे इस क्षेत्र में स्टेट आफ आर्ट एक्सपोजर प्राप्त कर सकें। परिषद समुदाय के उपयोग के लिए लाभदायक सूचना उपलब्ध कराकर

डाटाबेस सुदृढ़ करने के और प्रयास करेगी ताकि विभिन्न क्षेत्रों और भू-जल वायुविक स्थितियों हेतु उपलब्ध बेहतर विकल्पों का चयन करके निर्माण गुणवत्ता में सुधार किया जा सके। वर्ष 2007-08 और 2008-09 के लिए योजना परिव्यय 7.00 करोड़ रु0 था।

भारतीय राष्ट्रीय सहकारी आवास फेडरेशन (एनसीएचएफ)

29.47 भारतीय राष्ट्रीय सहकारी आवास फेडरेशन (एनसीएचएफ) सितम्बर, 1969 में स्थापित भारतीय सहकारी आवास आंदोलन का शीर्ष संगठन है। इसके गठन का मूल उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसे संगठन की आवश्यकता थी, जो कि देश में सहकारी समितियों के कार्यों को बढ़ावा देने, उनका विकास करने और उनका समन्वय करने की जिम्मेदारी उठा सके। इन वर्षों के दौरान, एनसीएचएफ ने देश में आवास सहकारिताओं के संगठन व विकास के लिए कई उपाय किए हैं। इसके परिणामस्वरूप देश में लगभग 92,000 आवास सहकारिताएं कार्य कर रही हैं जिसमें 65 लाख सदस्य हैं। एनसीएचएफ अपने शीर्ष फेडरेशन सदस्यों को वित्तपोषण संस्थानों जैसे एलआईसी, एनएचबी, हुडको, वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों से निधियों के प्रवाह को सुकर बनाने के कार्य में लगा हुआ है। इन फेडरेशनों ने 9,729 करोड़ रु0 एकत्र किए हैं और अपनी सम्बद्ध सहकारिताओं और वैयक्तिक सदस्यों को भी देश के विभिन्न भागों में 23.51 लाख आवास इकाइयों के निर्माण/वित्त पोषण हेतु 10,125 करोड़ रुपये का ऋण संवितरित किया है।

शहरी गरीबी उपशमन

जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत शहरी गरीबों को बुनियादी सेवाएं (बीएसयूपी)

29.48 भारत के शहर और नगर मिलकर विश्व की दूसरी सबसे बड़ी शहरी व्यवस्था बनाते हैं। वे देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 50% से अधिक का योगदान करते हैं और आर्थिक विकास

के केन्द्र हैं। शहरों को अपनी पूरी क्षमता पहचानने और विकास का वाहक बनने के लिए यह आवश्यक है कि वहाँ की अवसंरचना सुधार पर संकेन्द्रित ध्यान दिया जाए। तदनुसार, दिसम्बर, 2005 में शुरू किए गए जेएनएनयूआरएम में मिशन शहरों के लिए 'शहरी गरीबों को बुनियादी सेवाएं (बीएसयूपी)' और गैर-मिशन शहरों के लिए एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) उपमिशन है। एचयूपीए मंत्रालय बीएसयूपी और आईएचएसडीपी कार्यक्रमों के लिए नोडल मंत्रालय है जो शहरी गरीबों, विशेषकर स्लम निवासियों की आवास व बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकताओं को पूरा करता है। कार्यक्रम में आवास के अतिरिक्त, एकीकृत विकास उपलब्ध कराने जैसे सफाई, जलापूर्ति, सीवरेज, ठोस अपशिष्ट निपटान आदि का भी प्रावधान है।

29.49 बीएसयूपी के तहत 31.03.08 की स्थिति के अनुसार, मिशन शहरों के लिए 7690.07 करोड़ रुपए की एसीए प्रतिबद्धता के साथ 15378.82 करोड़ रुपए की लागत की 281 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। वर्ष 2007-08 के दौरान आईएचएसडीपी के तहत 792.24 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता जारी की गई है।

29.50 जेएनएनयूआरएम के तहत एसीए जारी किए जाने से पहले राज्यों और यूएलबी ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। आवास एवं गरीबी उपशमन से संबंधित महत्वपूर्ण सुधार निम्नलिखित हैं:

- शहरी गरीबों को बुनियादी सेवाओं के लिए शहरी स्थानीय निकाय के बजट के अंतर्गत आंतरिक निर्धारण और सभी स्तरों पर निर्धन कोष हेतु बुनियादी सेवाओं का गठन;
- 7-सूत्री चार्टर अर्थात्; वहनीय मूल्यों पर निर्धारित अवधि सुरक्षा, उन्नत आवास, जलापूर्ति, साफ-सफाई सहित शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवा प्रावधान का

क्रियान्वयन और समयबद्ध तरीके से मिशन अवधि के तहत संकेन्द्रित सुरक्षा सुपुर्दगी सुनिश्चित करना;

- आयोजना नियमों और मास्टर/जोनल/स्थानीय क्षेत्र की योजनाओं में समुचित परिवर्तन करते हुए ईडब्ल्यूएस/एलआईजी श्रेणी के लिए आवास परियोजनाओं (सार्वजनिक और निजी एजेंसिया दोनों) में विकसित भूमि का कम से कम 20-25% हिस्सा विनिर्धारित करना ।

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई)

29.51 देश में शहरी गरीबों के जीवन स्तर में सुधार करने, और शहरी गरीबी कम करने की दृष्टि से, सरकार 01.12.1997 से स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) नाम का शहरी गरीबी उपशमन कार्यक्रम जो एक रोजगारोन्मुखी केन्द्र प्रायोजित स्कीम है, को क्रियान्वित कर रही है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी कार्यक्रम है जो माइक्रो उद्यमों की स्थापना और मजदूरी रोजगार प्रावधान के द्वारा शहरी बेरोजगारों अथवा अल्प रोजगार प्राप्त लोगों को लाभप्रद रोजगार मुहैया कराने का प्रयास करता है। एसजेएसआरवाई महिलाओं और बच्चों सहित शहरी रोजगार प्राप्त लोगों के लिए स्वरोजगार उद्यम की स्थापना और मजदूरी रोजगार प्रावधान को प्रोत्साहित करती है। वर्ष 2006-07 के लिए एसजेएसआरवाई के तहत 250.00 करोड़ रुपया आबंटित किया गया था और इसका पूर्णतः उपयोग किया गया। वर्ष 2007-08 के दौरान इस स्कीम के तहत 344.00 करोड़ रुपया आबंटित किया गया था जिसे अब वर्ष 2008-09 के लिए बढ़ाकर 515.00 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इस स्कीम की शुरुआत से लेकर 31.12.2007 तक 8,14,130 शहरी गरीबों को अपने-अपने माइक्रो उद्यम स्थापित करने के लिए सहायता दी गई है। शहरी क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास घटक (डीडब्ल्यूसीयूए) के

तहत सामूहिक उद्यम स्थापित करने के लिए 2,54,698 गरीब महिलाओं को सहायता दी गई है और 11,33,921 शहरी गरीबों को विभिन्न व्यवसायों में दक्षता प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। इस कार्यक्रम के मजदूरी रोजगार घटक के तहत भी एसजेएसआरवाई के तहत 664.90 लाख मानव कार्य दिवस सृजित किए गए हैं।

29.52 इस स्कीम को अधिक कारगर और उत्तरदायी बनाने के लिए, एचयूपीए मंत्रालय ने इस स्कीम का एक स्वतंत्र अधिकरण अर्थात् मैसर्स ऐक्सेस डिवलपमेंट सर्विसेज लि., नई दिल्ली द्वारा मूल्यांकन करवाया है। उनकी सिफारिशों के आधार पर इस स्कीम में संशोधन करने का प्रस्ताव है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि शहरी क्षेत्रों में नई दक्षता अपेक्षाएं विकसित हो गई हैं, इस स्कीम में नये केन्द्र विन्दुओं पर ध्यान देने का प्रस्ताव है। इस उद्देश्य के प्रति, 43 नये व्यवसायों की पहचान की गई है जिनमें निम्नलिखित द्वारा क्षमता निर्माण करने का प्रस्ताव है:

- दक्षता विकास--पीपीपी मोड
- स्व-सहायता सूमह(एसएचजी)
- स्व-रोजगार उद्यम स्थापित करने के लिए स्वरोजगार दक्षता सहित क्रेडिट की सुविधा।

29.53 पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ हेतु परियोजनाओं/स्कीमों के लिए एकमुश्त प्रावधान:

केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के लिए यह आवश्यक है कि वे अपनी सकल बजटीय सहायता के 10 प्रतिशत भाग का उपयोग सिक्किम सहित उत्तरपूर्वी राज्यों की परियोजनाओं/स्कीमों के कार्यान्वयन हेतु अनिवार्य आवश्यकता को पूरा करें। आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय बजट में इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से निर्धारित 10 प्रतिशत एकमुश्त व्यवस्था के अंतर्गत वर्ष

2001-02 से उत्तर पूर्वी राज्यों में, जिनमें सिक्किम भी शामिल है, आवास (शहरी गरीबों के लिए), गंदी बस्ती विकास और रोजगार सृजन के क्षेत्रों में अलग अलग परियोजनाओं की मंजूरी देता आ रहा है। अब तक आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने 499.78 करोड़ रुपए की कुल लागत की 63 परियोजनाओं को स्वीकृति दी है, जिसमें से 305.23 करोड़ रुपए विभिन्न कार्यान्वयन एजेन्सियों को जारी कर दिए गए हैं। वर्ष 2007-08 के दौरान 50.00 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे तथा 31.12.2007 तक, 41.23 करोड़ रुपए का उपयोग किया गया है। वर्ष 2008-09 के लिए 50.00 करोड़ रुपए उद्दिष्ट किए गए हैं।

एचआर एवं मूल्यांकन स्कीम के लिए शहरी आंकड़े(यूएसएचए)

29.54 भवन निर्माण, आवास, गंदी बस्ती एवं शहरी गरीबी संबंधी राष्ट्रीय सांख्यिकीय प्रणाली का विकास एवं अनुसंधान करने के लिए तथा जेएनयूआरएम तथा अन्य शहरीकरण संबंधी सांख्यिकी के लिए डाटा बेस की चुनौतियों एवं एमआईएस सहायता के लिए एक नई केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीम शुरु की गई है। स्कीम का मुख्य उद्देश्य शहरी आयोजना हेतु सूचना, जानकारी तथा संसाधनों का विकास करना, नीति बनाना, परियोजना डिजाइन करना, उसका संपादन करना आवास, भवन निर्माण, गंदी बस्ती एवं शहरी गरीबी संबंधी कार्यक्रमों का कार्यान्वयन एवं मॉनीटरन करना है। वार्षिक योजना अर्थात् 2007-08 के लिए कुल बजटीय परिव्यय 7.60 करोड़ रुपए था। 31.12.2007 तक, 4.63 करोड़ रुपए का उपयोग किया गया है। वर्ष 2008-09 के लिए अनुमोदित परिव्यय 10.00 करोड़ रुपए है।

29.55 आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के स्कीमों के संबंध में स्कीम-वार आबंटन संलग्नक-॥ में दर्शाया गया है।

वार्षिक योजना(2008-09) के लिए परिव्यय का स्कीम-वार ब्योरा
शहरी विकास मंत्रालय

(करोड़ रुपए)

क्रम सं.	स्कीम	वार्षिक योजना (2006-07)	वार्षिक योजना (2007-08)		वार्षिक योजना (2008-09)
		वास्तविक व्यय	अनुमोदित परिव्यय	अनंतिम व्यय	अनुमोदित परिव्यय (बीई)
1	2	3	4	5	6
क	केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीम				
1	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को योगदान	75.00	100.00	100.00	50.00
2	शहरी क्षेत्रकों + क्षमता निर्माण में अनुसंधान एवं क्षमता निर्माण	3.78	20.00	15.00	47.00
3	वैश्विक पर्यावरण सुविधा निधि		1.00	0.10	0.50
4	ई-गवर्नन्स पर राष्ट्रीय मिशन मोड परियोजना	0.00	1.00	1.00	10.00
5	शहरी परिवहन				
	(i) कोलकाता मेट्रो				900.00
	(ii) बंगलौर एमआरटीएस	30.00			
	(iii) इक्विटी एवं अधीनस्थ ऋण	250.00	744.00	1936.02	
	(iv) भूमि अधिग्रहण(डीएमआरसी)	58.00		142.50	
	(v) अन्य - एमआरटीएस	1.98			0.00
	(vi) ओईसीएफ के लिए सहायता के माध्यम से पास	424.00			
	(vii)जापानी बैंक आफ इंटरनेशनल को आपरेशन(जेबीआईसी)से प्राप्त सहायता		550.00	812.90	960.00
	(viii)शहरी परिवहन में क्षमता निर्माण-वर्ल्ड बैंक/एडीपी से प्राप्त सहायता		50.00	17.00	30.00
6	कम्प्यूटरीकरण	0.43	2.00	2.00	1.00
7	एयरपोर्ट के नजदीकी क्षेत्रों में ठोस अवशिष्ट प्रबंधन पर कुछ चयनित शहरों में पायलट परियोजना	6.00	20.00	20.00	0.00
8	जनरल पूल आवास स्थल(रिहायसी)	87.72	200.00	200.00	100.00
9	सीपीडब्ल्यूडी प्रशिक्षण संस्थान	2.63	3.00	3.38	3.00
10	जनरल पूल आवास स्थल(गैर रिहायशी)	22.93	150.00	105.00	75.00
11	कम्प्यूटरीकरण(सीपीडब्ल्यूडी)	1.06	20.00	5.00	6.00
12	सिक्किम एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लाभार्थ परियोजनाओं/स्कीमों हेतु एकमुश्त प्रावधान		180.00	180.00	150.00
13	कामनवैलथ गेम्स		80.00	76.50	125.00

क्रम सं.	स्कीम	वार्षिक योजना (2006-07)	वार्षिक योजना (2007-08)		वार्षिक योजना (2008-09)
		वास्तविक व्यय	अनुमोदित परिव्यय	अनंतिम व्यय	अनुमोदित परिव्यय (बीई)
1	2	3	4	5	6
14	राष्ट्रीय शहरी अवसंरचना निधि(एनयूआईएफ)		1.00	1.00	0.00
15	शहरी स्थानीय निकायों हेतु क्षमता निर्माण-यूएनडीपी से प्राप्त सहायता	0.46	6.00	6.00	1.00
16	जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के लिए प्रशासनिक व्यय (जेएनएनयूआरएम)	1.86	30.00	30.00	15.00
17	सेटेलाइट शहरों/काउंटर मैगनेट शहरों का विकास		0.50	0.50	5.00
18	पूर्वोत्तर क्षेत्र यूडी परियोजना	130.30			1.00
	जोड़ क	1096.15	2158.50	2867.88	2479.50

क्रम सं.	स्कीम	वार्षिक योजना (2005-06)	वार्षिक योजना (2006-07)		वार्षिक योजना (2007-08)
		वास्तविक व्यय	परिव्यय	अनंतिम परिव्यय	परिव्यय
1	2	3	4	5	6
1	छोटे एवं मध्यम नगरों का एकीकृत विकास (आईडीएसएमटी)	108.64			
2	बड़े शहर नगर	244.90			
3	छोटे नगरों के लिए तीव्र शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम का विस्तार	52.50	32.50	32.50	0.00
4	राष्ट्रीय शहरी सूचना व्यवस्था(एनयूआईएस)	370.00	9.00	9.00	0.50
5	पूल्ड वित्तीय विकास निधि		100.00	100.00	20.00
	जोड़ ख	776.04	141.50	141.50	20.50
	जोड़(क+ख)	1872.19	2300.00	3009.38	2500.00

*वार्षिक योजना 2008-09 के लिए परिव्यय का स्कीम-वार ब्यौरा
आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय

(करोड़ रूपए में)

क्रम सं.	स्कीम	वार्षिक योजना (2006-07)	वार्षिक योजना (2007-08)		वार्षिक योजना (2008-09)
		वास्तविक व्यय	परिव्यय	अनंतिम व्यय	परिव्यय
1	2	3	4	5	6
क	केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीम				
1	निर्माण सामग्री और तकनीकी विकास परिषद(बीएमटीपीसी)	4.30	7.00	7.00	7.00
2	राष्ट्रीय सहकारी आवास फंडरेशन (एनसीएचएफ) को अनुदान	0.36	0.40	0.40	0.40
3	शहरी गरीबों के लिए राष्ट्रीय नीति हेतु यूएनडीपी सहायता	4.11	5.00	5.00	5.00
4	कम्यूटीकरण	0.57	1.00	1.00	1.60
5	एचआर एवं मूल्यांकन हेतु शहरी सांख्यिकी (उषा)	1.98	7.60	7.60	10.00
6	केन्द्रीय स्कीम निर्माण	0.00	1.00	0.00	1.00
7	हुडको आईईबीआर				
8	जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के लिए प्रशासनिक व्यय (जेएनएनयूआरएम)	13.99	14.00	14.00	15.00
9	उत्तर - पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम हेतु एकमुश्त प्रावधान	50.00	50.00	50.00	50.00
10	शहरी गरीबी के आवास के लिए इंटरनेट सब्सिडी स्कीम	0.00	30.00	30.00	95.00
	जोड़ क	75.31	116.00	115.00	185.00
ख	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम				
1	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना	249.91	344.00	344.00	515.00
2	वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना (वीएएमबीएवाई)	10.84			
3	एकीकृत कम लागत सेनिटेशन (आईएलसीएस)	3.00	40.00	40.00	150.00
4	शहरी गरीबों के आवास हेतु ब्याज सब्सिडी स्कीम(आईएसएसएचयू)	0.00			
	जोड़ ख	263.75	384.00	384.00	665.00
ग	योजना ख			750.00	
	जोड़(क+ख+ग)	339.06	500.00	1249.00	850.00

अध्याय 30

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी

दूरसंचार

30.1 दूरसंचार आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं के विकास का एक महत्वपूर्ण घटक है। दूरसंचार क्षेत्रक ने वर्ष के दौरान लगातार महत्वपूर्ण सफलता दर्ज की है और भारत के पुनर्जीवित आर्थिक विकास के लिए उत्तरदायी प्रमुख क्षेत्रको में से एक क्षेत्रक के रूप में उभरा है। आज भारत का टेलिफोन नेटवर्क संसार को सबसे बड़ा तीसरा टेलिफोन नेटवर्क है जो लगातार बहुत तीव्र गति से बढ़ रहा है। अब यह भारतीय अर्थव्यवस्था के सबसे तेज विकसित हो रहे क्षेत्रको में से एक है और भविष्य में इसके विकास की अत्यधिक संभावना है।

30.2 सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रको के संयुक्त प्रयासों के माध्यम से दसवीं योजना में इस क्षेत्रक के लिए विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। निजी क्षेत्रक से मोबाइल एवं वायरलेस सेवाओं के माध्यम से कनेक्टिविटी की व्यवस्था में वृद्धि भूमिका की आशा की गई थी। ग्रामीण टेलिफोन व्यवस्था को छोड़कर, अन्य सभी लक्ष्यों के संबंध में प्रगति अब तक संतोषजनक रही है। प्रमुख कार्यकलापों के बारे में निष्पादन निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप है। शहरी क्षेत्रों में टेलिफोन की मांग के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है। मार्च 2008 में वर्तमान टेलिफोन सघनता लगभग 26.22% (अर्थात् 26.22 प्रतिशत सैंकड़ा जनसंख्या) है, जिसमें शहरी और ग्रामीण टेलिफोन सघनता क्रमशः 66.39 और 9.46 प्रतिशत है। शहरी तथा ग्रामीण टेलिफोन सघनता के बीच अंतराल को कम करने के मुद्दे ग्यारहवीं योजना अवधि में प्रभावशाली ढंग से समाधान किए जाने की प्रत्याशा है।

वार्षिक योजना 2007-08 की समीक्षा

30.3 वार्षिक योजना 2007-08 में टेलिफोन क्षेत्र को 340.00 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता सहित 25561.97 करोड़ रुपये का परिव्यय उपलब्ध कराया गया था। उसे संशोधित अनुमान स्तर पर 250.00 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता सहित 16388.97 करोड़ कर दिया गया है। मार्च 2007 के 206.83 मिलियन टेलिफोन कनेक्शनों की तुलना में मार्च 2008 में लगभग 300.49 मिलियन टेलिफोन कनेक्शन थे (39.41 मिलियन स्थायी लाइन उपभोक्ता तथा 261.08 मिलियन वायरलेस लाइन उपभोक्ता सहित) कुल टेलिफोन संख्या में निजी क्षेत्रक का हिस्सा लगभग 73 प्रतिशत था। 2007-08 के लिए वार्षिक योजना परिव्यय तथा जीबीएस और दूरसंचार विभाग (डीओटी) के संबंध में वर्ष 2008-09 के लिए वार्षिक योजना परिव्यय अनुलग्नक 30.1 में दर्शाया गया है।

30.4 "भारत निर्माण" के अंतर्गत टेलिफोन विभाग (डीओटी) की उच्च प्राथमिकता: जिन गावों को टेलिफोन से नहीं जोड़ा गया है उन्हें ग्राम सार्वजनिक टेलिफोन उपलब्ध कराकर ग्रामीण कनेक्टिविटी सुधारना रही है। भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) को सार्वजनिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) की सहायता से नवम्बर 2007 तक सभी बचे एवं कवर नहीं हुए 66822 गावों में ग्राम सार्वजनिक टेलिफोन उपलब्ध कराने का कार्य सौंपा गया है। 31 मार्च, 2008 तक, 54157 गावों में वीपीटी(ज) उपलब्ध कराए जा चुके हैं। शेष 12665 गावों में वीपीटी(ज) दिसम्बर 2008 तक लगाये जाने की आशा है।

30.5 इन्टरनेट और ब्राडबैंड उपभोक्ताओं की संख्या 31 मार्च 2007 को क्रमशः 86 लाख और 30 लाख थी, से बढ़कर 31 दिसम्बर 2007 को क्रमशः 96.9 लाख और 30.2 लाख हो गई। इनके अलावा 710 शहरों में सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों (अर्थात् बीएसएनएल और एमटीएनएल) के द्वारा ब्राडबैंड कनेक्टिविटी मुहैया कराई गई है। ब्राडबैंड कनेक्टिविटी के विस्तार को तीव्रतर गति से प्रोत्साहित करने के लिए 2.4 गेगा हर्टज-2.4835 गेगा हर्टज बैंड को कम शक्ति वाइ-फाई और वाई-मैक्स सिस्टम के वाह्य और आन्तरिक दोनों उपयोग करने की अनुज्ञा भी रद्द कर दी गयी है। 5.15 -- 5.35 गेगा हर्टज और 5.875 गेगा हर्टज में कम शक्ति इन्डोर सिस्टम के प्रयोग की अनुज्ञा को भी रद्द कर दिया गया है। देश में ब्राडबैंड सेवाओं को रोल आउट करने के लिए एक विस्तृत योजना तैयार की जा रही है। इस उद्देश्य के लिए गृह मंत्रालय, मानव विकास संसाधन मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय पंचायतीराज मंत्रालय तथा सूचना प्राधौगिकी विभाग के प्रतिनिधित्व से एक अन्तर मंत्रालयी समूह का गठन किया गया है।

वार्षिक योजना 2008-09

30.6 वार्षिक योजना 2008-09 के दौरान टेलिफोन विभाग (डीओटी) को 21434.60 करोड़ रुपये का परिव्यय आबंटित किया गया है जिसमें 375 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता शामिल है। वार्षिक योजना 2008-09 के लिए प्रमुख थर्स्ट एरिया कार्यकलाप निम्नानुसार है।

(i) **भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल):** वर्ष 2008-09 के लिए, इसके निम्नलिखित प्रमुख लक्ष्य हैं: प्रत्यक्ष एक्सचेंज लाइन (डीईएल)- 91.5 लाख लाइनें, वैश्विक मोबाइल संचार प्रणाली (जीएसएम), स्थानीय लुप्स में 85 लाख लाइनें, फिक्स्ड तथा वायरलेस, 15 लाख लाइनें, ब्राडबैंड कनेक्शन। 4 लाख नम्बर्स, ट्रंक ऑटोमेटिक एक्सचेंज(टैक्स)-

1200 लाइनें, ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) -28500 रूट किलोमीटर।

(ii) **महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड(एम टी एन एल):** वर्ष 2008-09 के लिए, इसके प्रमुख लक्ष्य हैं: प्रत्यक्ष एक्सचेंज लाइनें (डीईएल)-9.50 लाख लाइनें, स्वीचिंग क्षमता-10 लाख लाइनें, ट्रंक ऑटोमेटिक एक्सचेंज (टैक्स)-96 किलो लाइनें।

(iii) **वायरलेस आयोजन एवं समन्वय (डब्ल्यूपीसी):** रेडियो फ्रिक्वेंसी (आरएफ) स्पेक्ट्रम प्रबंधन की प्रक्रिया के ऑटोमेशन एवं रेडियो मॉनिटरिंग सुविधाओं के उन्नयन के लिए विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजना "राष्ट्रीय रेडियो स्पेक्ट्रम प्रबंधन और मॉनिटरिंग प्रणाली (एनआरएसएमएमएस)" लगभग पूरी हो चुकी है। तथापि वर्ष 2008-09 के दौरान कुछ शेष अदायगी राशियां जारी की जानी अपेक्षित है।

(iv) **वायरलेस मॉनिटरिंग संगठन (डब्ल्यूएमओ):** डब्ल्यूएमओ के विभिन्न केन्द्रों में मुख्यतः भवन और अवसंरचना सुविधाओं के उन्नयन के लिए प्रमुख निवेश सिविल निर्माण हेतु किया जाना अपेक्षित है।

(v) **टेलिकॉम इंजीनियरी केन्द्र (टीईसी):** यह केन्द्र सभी प्रकार के टेलिकॉम उत्पादों और सेवाओं के अनुकूलन तथा निष्पादन परीक्षण में लगा हुआ है। वर्ष 2008-09 में इसका प्रमुख कार्यकलाप प्रयोगशाला संबंधी इसकी विभिन्न अवसंरचनाओं का उन्नयन करना होगा।

(vi) **टेलिमैटिक्स विकास केन्द्र (सी-डॉट):** इसकी मुख्य गतिविधियों में संचार सुरक्षा मॉनिटरिंग केन्द्र और सी-डॉट आलकेटल अनुसंधान केन्द्र (सीएआरसी) की स्थापना करना, कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए

- सुरक्षा प्रबंधन, बाडबैंड प्राधौगिकी, ग्रामीण प्रौद्योगिकी आदि शामिल होगी ।
- (vii) **भारतीय टेलिकॉम विनियामक प्राधिकरण (ट्राई):** वर्ष 2008-09 के दौरान इसके कार्यालय भवन के निर्माण हेतु डीडीए से भूमि अधिग्रहण के लिए भारी निवेश करना अपेक्षित है।
- (viii) **टेलिकॉम विवाद निपटारा तथा अपील न्यायालय (टीडीएसएटी):** इसका मुख्य कार्यकलाप इसके संदर्भ पुस्तकालय/वेबसाइट और अध्ययन दौरों का अपग्रेडेशन तथा अनुरक्षण करना होगा ।
- (ix) **आईटीआई लिमिटेड :** बाजार में प्रभावशाली ढंग से टिके रहने के लिए आई टी आई ग्यारहवीं योजना के दौरान नवीनतम प्रौद्योगिकियों का विनिर्माण शुरू करने की योजना बना रही है । ये प्रौद्योगिकिया है - वैश्विक मोबाइल संचार उपकरण प्रणाली, अगली पीढी नेटवर्क (एन जी एन) स्वीचिज, वाइ-मैक्स कोड डिविजन मल्टीपल एक्सेस (सीडीएमए) उपकरण, गीगाबिट पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क (जी-पी ओएन) इत्यादि। इस समय आईटीआई का मामला सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों के पुनर्निर्माण बोर्ड के पास विचाराधीन है।
- (x) **मुख्य भूमि और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूहों के मध्य समुद्र के अन्दर तार विछाना (युएमए एंड एन):** इस गतिविधि के अन्तर्गत मुख्य भूमि और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूहों के मध्य समुद्र के अन्दर समुद्री संचार केबल बिछाने का प्रस्ताव है ।
- (xi) **रक्षा सेवाओ(डी एस) के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल आधारित वैकल्पिक नेटवर्क :** इस परियोजना के अन्तर्गत, 980 करोड़ रुपये की लागत पर रक्षा सेवाओं के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल आधारित

वैकल्पिक नेटवर्क बिछाया जाएगा। परियोजना के वायु सेना संघटक के वर्ष 2008-09 में पूरा होने की संभावना है। कार्यान्वयन होने पर यह परियोजना नई सेवाएँ शुरू करने के लिए स्पेक्ट्रम मुक्त करने में सहायता करेगी और विशेषरूप से ग्रामीण क्षेत्रों में ब्राडबैंड सेवाओं का प्रचालन भी सहज बनाएगी ।

- (xii) **टेलिकॉम परीक्षण सुरक्षा प्रमाणन केन्द्र (टीईटीसी):** यह टेलिकॉम उपकरणों में मेलवेयर का पता लगाने के लिए अनुसंधान आधार तथा निष्पादन, विश्लेषण और सुरक्षा मूल्यांकन के लिए टेलिकॉम उपकरण के परीक्षण के लिए टेस्टबैंड सृजित करने के कार्य में जुटा हुआ है।
- (xiii) **प्रौद्योगिकी विकास एवं निवेश संवर्धन (टीडीआईपी):** इसका उद्देश्य वार्षिक भारतीय टेलिकॉम मेला 2008 की मेजबानी करना तथा टेलिकॉम क्षेत्रक में उद्यमशीलता को प्रोत्साहन देना है ।

सूचना प्रौद्योगिकी

30.7 भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रक ने वर्ष 2007 में उल्लेखनीय लचीलापन दर्शाया है। अपने स्थापित ट्रैक रिकार्ड को जारी रखते हुए, भारतीय आईटी-बीपीओ का समग्र राजस्व के वित्त वर्ष 2006-07 में 48.1 बिलियन अमेरिकी डालर की तुलना में चालू वित्त वर्ष के अंत तक 33% से अधिक बढ़कर 64 बिलियन अमेरिकी डालर हो जाने की आशा है।

निष्पादन समीक्षा - वार्षिक योजना 2007-08

30.8 1500.00 करोड़ रुपये की सकल बजटीय सहायता के मुकाबले संशोधित अनुमान 1400 करोड़ रुपये था। किन्तु वास्तविक व्यय मात्र 1252.06 करोड़ रुपये रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीआईटी) के संबंध में वर्ष 2007-08 के लिए वार्षिक योजना परिव्यय एवं जीबीएस तथा वर्ष

2008-09 के लिए वार्षिक योजना परिव्यय अनुलग्नक 30.2 में दर्शाया गया है।

30.9 आईटीआई - बीपीओ सहित भारतीय सॉफ्टवेयर एवं सेवाएं वर्ष 2006-07 के 31.4 बिलियन अमेरिकी डालर की तुलना में वर्ष 2007-08 में 40.3 बिलियन अमेरिकी डालर अनुमानित की गई है जो 28.3% की वृद्धि है। सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं निर्यात वर्ष 2006-07 में 18.0 बिलियन अमेरिकी डालर की तुलना में वर्ष 2007-08 में 23.1 बिलियन अमेरिकी डालर आंकी गई है जो वर्ष 2007-08 में 28.7% वृद्धि दर्शाती हैं। आईटीआई-बीपीओ का निर्यात राजस्व वर्ष 2006-07 में 8.4 बिलियन अमेरिकी डालर से बढ़कर वर्ष 2007-08 में 10.9 बिलियन अमेरिकी डालर होने का अनुमान है जो वर्ष दर वर्ष 29.8% की वृद्धि है।

उत्पादन विवरण

30.10 निर्यात आधारित साफ्टवेयर एवं सेवाएं उद्योग भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी उद्योग के समग्र विकास में प्रभावशाली घटक बने हुए हैं। वर्ष 2006-07 में भारतीय साफ्टवेयर और सेवा उद्योग में अच्छी वृद्धि देखी गई जिससे इसका कुल निर्यात 141,000 करोड़ रुपये पहुँच गया जो पिछले वित्त वर्ष की 34.8% (रुपये में) और 33.0% (डालर में) की वृद्धि है। वर्ष 2007-08 में, साफ्टवेयर और सेवा निर्यात का कुल मूल्य 163000 करोड़ रुपये (40.3 बिलियन अमेरिकी) होने का अनुमान है जो रुपये में 15.6% और डालर में 28.3% की वृद्धि है। वर्ष 2002-03 से भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स तथा आईटी/आईटीईएस का उत्पादन और विकास रूझान निम्नानुसार हैं :

30.11 भारत में कार्यरत आईटी और आईटीईएस-बीपीओ पेशेवर कार्मिकों की कुल संख्या वर्ष 1999-2000 के 284000 के बढ़कर वर्ष 2006-07 में 1.63 मिलियन हो गई। वर्ष 2007-08 में आईटी-बीपीओ उद्योग द्वारा सीधे 2 मिलियन लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का अनुमान है। इस क्षेत्रक द्वारा सीधे सृजित प्रत्येक एक काम से चार अतिरिक्त परोक्ष काम सृजित होता है। वर्ष 2007-08 में इस क्षेत्रक द्वारा परोक्ष रूप से अन्य 8 मिलियन लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का अनुमान है। उद्योग का सीधा रोजगार पिछले दशक में 26% चक्रवृद्धि वार्षिक विकास दर पर पहुँच गया है जिससे यह देश के संगठित निजी क्षेत्रक में सबसे बड़ा नियोक्ता बन गया है। इस उद्योग का राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में योगदान वर्ष 2006-07 के 5.2% से बढ़कर वर्ष 2007-08 में 5.5 प्रतिशत होने का अनुमान है।

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी निर्यात

30.12 वर्ष 2007-08 के दौरान इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी निर्यात का वर्ष 2006-07 के 153500 करोड़ रुपये की तुलना में 175700 होने का अनुमान है जो 14.5% की वृद्धि दर्शाता है।

ई-गवर्नेंस

राज्य व्यापी क्षेत्रीय नेटवर्क (एसडब्ल्यूएएन)

30.13 अब तक 32 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से एसडब्ल्यूएएन के प्रस्ताव अनुमोदित किए जा चुके हैं तथा विभाग से 1787.58 करोड़ रुपये का परिव्यय मंजूर किया गया है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं तथा 27 राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों ने स्वान संबंधी प्रस्ताव के

सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का उत्पादन

मद	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
आईटी हार्डवेयर	37050	43800	50500	56000	60000	80800
कम्प्यूटर साफ्टवेयर	59000	74490	101920	129660	178800	210300
कुल	96950	118290	152420	185660	238800	291100

लिए फ्लोटिंग अनुरोध द्वारा नेटवर्क ऑपरेटर को पहचानने के लिए पहले ही कार्रवाई शुरू कर दी है।

राज्य डेटा केन्द्र

30.14 विभिन्न राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों में डेटा भंडार/डेटा केन्द्र बनाए जाने का प्रस्ताव है ताकि ई-गवर्नेंस अनुप्रयोगों हॉस्ट की सेवा प्रदान करने के लिए कॉमन सुरक्षित डेटा भंडार बनाए रखा जा सके। राज्यों को राज्य डेटा केन्द्र स्थापित करने हेतु तकनीकी और वित्तीय सहायता देने के लिए व्यापक नीतिगत दिशा निर्देशों को अंतिम रूप दे दिया गया है तथा कार्यान्वयन स्कीम एवं वित्तीय परिव्ययों सहित राज्यों को परिचालित कर दिए गए हैं। सरकार ने पूरे देश में 28 राज्यों/6 संघ शासित राज्यों को कवर करने के लिए 1623.20 करोड़ रुपये के अनुमानित परिव्यय सहित जनवरी 2008 में इस स्कीम को अनुमोदित कर दिया है।

कॉमन सर्विस केन्द्र (सीएससीज)

30.15 सरकार ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 100000 ब्रॉडबैंड इंटरनेट समर्थित कॉमन सर्विस केन्द्रों की स्थापना को सुगम बनाने के लिए एक स्कीम अनुमोदित किया है। इस स्कीम को 5742.00 करोड़ रुपये की कुल लागत पर अनुमोदित किया गया है और सार्वजनिक निजी भागीदारी के रूप में कार्यान्वित की जा रही है। सीएससी(ज) राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के तीन अवसंरचना स्तंभों में से एक है और नागरिकों को उनके दरवाजे पर सरकारी और निजी सेवाएं मुहैया कराने में फिजीकल फ्रंट एंड के रूप में सेवाएं करेंगे। 1585.63 करोड़ रुपये की कुल लागत से 26 राज्यों के लिए प्रस्ताव मंजूर किए जा चुके हैं। वर्तमान में तीन राज्यों (झारखंड, पश्चिम बंगाल और हरियाणा) ने कार्य प्रदान किया है और इन राज्यों में सीएससी(ज) का कार्यान्वयन किया जा रहा है। अन्य तीन राज्यों (बिहार, त्रिपुरा और गुजरात) ने भी कार्य प्रदान किया है और इन राज्यों ने कार्यान्वयन जल्दी शुरू होने की उम्मीद है। सात अतिरिक्त राज्यों में, एससीए(ज) की नीलामी

मूल्यांकन संबंधी कार्य पूरा किया जा चुका है और जल्दी ही कार्य किए जाने की प्रत्याशा है।

क्षमता निर्माण स्कीम

30.16 सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में निर्णय कर्ताओं को तकनीकी एवं व्यावसायिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए तीन वर्षों की आबादी हेतु 313.00 करोड़ रुपये के परिव्यय सहित एमईजी के अंतर्गत क्षमता निर्माण स्कीम अनुमोदित की गई है। इस स्कीम के सामने एसईएमटी (राज्य ई-गवर्नेंस मिशन टीम) के अनुरूप आंतरिक क्षमता का सृजन करने, विशिष्टीकृत प्रशिक्षण प्रदान करने, स्टेट मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) विभाग की प्राथमिक हैंड होल्डिंग करने, राज्य प्रशिक्षण संस्थानों को सुदृढीकरण करने, पाठ्यक्रम एवं सामग्री विकास, ज्ञान प्रबंधन एवं शेयरिंग इत्यादि की परिकल्पना की गई।

भारतीय भाषा कार्यक्रम के लिए प्रौद्योगिकी विकास(टीडीआईएल)

30.17 संघीय दृष्टिकोण से जारी प्रमुख परियोजनाओं में से कुछ निम्नानुसार है :

- भारतीय भाषा मशीन अनुवाद व्यवस्था के लिए अंग्रेजी
- आंग्ल भारती प्रौद्योगिकी आधारित भारतीय भाषा मशीन अनुवाद व्यवस्था के लिए अंग्रेजी
- प्रौद्योगिकी
- भारतीय भाषा मशीन अनुवाद व्यवस्था के लिए भारतीय भाषा
- क्रॉस लिंगुअल सूचना सुलभता
- संतुलित दस्तावेज विश्लेषण एवं मान्यता प्रणाली - मुद्रित पाठ ओसीआर
- ऑन लाइन हस्तलेखन मान्यता प्रणाली

ओपन टाइप फोन्ट्स का विकास

30.18 11 भारतीय भाषाओं के लिए ओपन टाइप फोन्ट्स विकसित करने के लिए परियोजना शुरू की गई। इस परियोजना के अंतर्गत विभिन्न भारतीय भाषाओं के लिए 286 ओपन टाइप फोन्ट्स विकसित किए गए हैं। 'सकल भारती' नामक एक विशेष फोन्ट विकसित किया गया है जो भारतीय भाषाओं में फोन्ट के आकार और रूप को बनाए रखता है।

अभिसरण, संचार एवं ब्रॉडबैंड प्रौद्योगिकियां

30.19 साफ्टवेयर आधारित रेडियो (एसडीआर) तथा स्मार्ट एंटीनों के क्षेत्रों के समाधान के लिए दो नई परियोजनाओं को सहायता प्रदान की गई। पांच परियोजनाएं पूरी हो गईं जिनका परिणाम टेट्रा आधारित सुरक्षित संचार व्यवस्था, कोयला खान परिवेश के लिए संचार व्यवस्था, आईपीटीवी के लिए सेट-टॉप बॉक्स के विकास के साथ-साथ तटीय क्षेत्रों में रेडियो तरंग प्रेषण की स्थिति का अध्ययन और एंटीना सहित अल्ट्रा वाइड बैंड ट्रांसीवर का विकास। कुल चालू परियोजनाएं वायरलेस सेंसर नेटवर्क, जीपीआरएस मोबाइल फोन, वायरलेस लेन मनेजर, मोबाइल हैंडसेट के लिए आरएफ शील्ड, जीआईएस का प्रयोग करते हुए स्टार्म वाटर मनेजमेंट तथा सक्रिय आरएफ आईडी टैक्स के साथ ट्रैकिंग माइन वर्कस, पॉवर लाइन संबंधी प्रायोगिक कार्यान्वयन आदि के क्षेत्रों में हैं।

कार्यनीतिक इलेक्ट्रॉनिक्स प्रौद्योगिकी विकास

30.20 शुरू की गई कुछ परियोजनाएं निम्नानुसार हैं:

- समीर द्वारा एससीएडीए उपयोग के लिए कम लागत वायरलेस नेटवर्क का विकास
- चेन्नई

- समीर, मुम्बई द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों में हायब्रिड ड्रायर का विस्तार
- पूर्वोत्तर में अस्पताल के अपशिष्ट से निपटने के लिए माइक्रोवेव डिस-इंफेक्शन प्रणाली का विस्तार
- समीर मुम्बई द्वारा राज्य
- समीर-कोलकाता में मिलीमीटर वेव सुविधा की स्थापना
- समीर-कोलकाता में काम्पैक्ट एंटीना टेस्ट रेंज सुविधा की स्थापना।

प्रौद्योगिकी विकास परिषद (टीडीसी)

30.21 टीडीसी कार्यक्रम सूचना प्रौद्योगिकी, फ्री/ओपन स्रोत साफ्टवेयर, ई-कोमर्स, औद्योगिक क्षेत्रों में आईटी उपयोग, बायो-इनफार्मेटिक्स तथा आईपीआर प्रोन्नयन के उभरते क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी विकास में सहायता देता है। कार्यक्रम का मुख्य जोर निम्नानुसार है।

- अनुसंधान एवं विकास में सहायता करके सूचना प्रौद्योगिकी में उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के प्रसार एवं आमेलन को सुगम बनाना।
- फ्री एवं ओपन स्रोत साफ्टवेयर के प्रयोग को बढ़ावा देना
- महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रों के लिए नवीनतम लागत प्रभावी स्वदेशी समाधान विकसित एवं लागू करना
- बायो इन्फार्मेटिक्स में प्रौद्योगिकी विकास
- ई-कामर्स में प्रौद्योगिकी विकास तथा
- आईपीआर प्रोन्नयन
- नवीन एवं वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य उत्पादों/पैकेजों के विकास के लिए प्रमुख शैक्षणिक एवं सरकारी अनुसंधान एवं विकास संस्थानों के साथ सहयोग करने के लिए उद्योग

को प्रोत्साहित करने हेतु बहुगणक अनुदान स्कीम शुरू की।

- टेक्नोलॉजिकल इन्क्यूबेशन एंड डिवलपमेंट आफ एंटरप्राइस (टीआईडीई) स्कीम विकसित की गई जिसका लक्ष्य उच्च शिक्षा संस्थानों को उनके टेक्नोलॉजी इन्क्यूबेशन सेंटरों को सुदृढ़ करना है।

सर्वव्यापी संगणन

30.22 सर्वव्यापी संगणन के क्षेत्र में निम्नलिखित परियोजनाएं शुरू की गई :

- आईआईएससी, बंगलोर में सर्वव्यापी कम्प्यूटिंग टेस्ट बेड के डिजाइन विकास संबंधी परियोजना शुरू की गई। इस परियोजना का लक्ष्य सर्वव्यापी अनुप्रयोगों के लिए दक्ष टेस्ट बेड आर्किटेक्चर विकसित करना है।
- सी-डैक के तीन केन्द्रों हैदराबाद, चेन्नई और बंगलोर में सर्वव्यापी कम्प्यूटिंग अनुसंधान केन्द्र स्थापित किए गए हैं। इन केन्द्रों का उद्देश्य सर्वव्यापी कम्प्यूटिंग के बहु विषयक क्षेत्रों जैसे कि हार्डवेयर तकनीक, सेंसर नेटवर्क, मिडल वेयर, कंटैक्स्ट-वेयर-कम्प्यूटिंग तथा ड्राई लैंड कृषि, ई-शिक्षण, इंटेलीजेंस कक्षाओं आदि के क्षेत्रों में प्रूफ-ऑव-कांसेप्ट अपलिकेशन के क्षेत्र में अनुसंधान करना है।

रेडियो आवृत्ति पहचान (आरएफआईडी)

30.23 आरएफआईडी प्रौद्योगिकियों, ट्रेन जनसाधन एवं टेक-अप अनुप्रयोग विकास तथा प्रायोगिक डिप्लायमेंट में अनुसंधान एवं विकास कार्य करने के लिए आईआईटी कानपुर, सी-डैक नोएडा तथा समीर मुंबई में परियोजना शुरू की गई। यह परियोजना हार्डवेयर/साफ्टवेयर विकास, मिडल वेयर इंटीग्रेशन तथा एंड टू एंड साल्यूशन के विकास को कवर करती है। डाक विभाग के लिए अपलिकेशन विकास एवं प्रायोगिक डिप्लायमेंट के लिए पार्सल ट्रेकिंग प्रणाली शुरू की गई है। स्पीड पोस्ट केन्द्र

(एसपीसी)-दिल्ली, टीएमओ पालम तथा स्पीड पोस्ट केन्द्र मुंबई में प्रारंभिक परीक्षण चल रहा है।

30.24 एरिया ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम (एटीसीएस) : पूणे शहर में इस परियोजना के सफलतापूर्वक पूरा होने तथा प्रदर्शन के पश्चात्, इस प्रौद्योगिकी को औपचारिक रूप से वेबल मीडियाट्रानिक्स लिमिटेड, केल्ट्रोन तथा बेल में स्थानांतरित कर दिया गया है इन कंपनियों ने व्यापारिक आदेश खरीदने शुरू कर दिए हैं। इस मैकेनिज्म के माध्यम से एक नई प्रणाली जयपुर शहर में पहले ही दुहराई जा चुकी है। इस परियोजना की सफलता के बाद विभाग ने इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम शुरू करने के लिए आईआईटी मद्रास, आईआईटी मुंबई तथा सी-डैक (टी) को शामिल करते हुए विस्तृत कार्यक्रम की परिकल्पना की है जिसके शीघ्र शुरू किए जाने की आशा है।

बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार (आईपीआर) प्रोत्साहन कार्यक्रम

30.25 विशेषकर आईसीटी के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के वैश्वीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति को देखते हुए, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर आईपीआर का संरक्षण महत्वपूर्ण होता जा रहा है। तदनुसार, डीआईटी जागरूकता पैदा करके, सुविधा सेवाएं उपलब्ध कराकर तथा आईपीआर क्लिनिक, संगोष्ठी आदि का आयोजन करके आईसीटी-आईपीआर को सक्रिय रूप से बढ़ावा देता रहा है जिससे कि नवप्रवर्तकों को अपने आविष्कारों से लाभ मिल सके। आईपीआर संबंधी विभिन्न मुद्दों एवं समस्याओं से निपटने के लिए प्रौद्योगिकीय महत्व को स्वीकारते हुए आईपीआर क्षेत्र की चुनौतियों से निपटने के लिए आवश्यक साधन और प्रौद्योगिकीयों के विकास पर भी बहुत बल दिया गया है।

वीएलएसआई डिजाइन तथा संबंधित साफ्टवेयर के लिए विशेष जनसाधन विकास

30.26 विभाग ने इस क्षेत्र के लिए प्रमुख उत्प्रेरक घटक उत्पन्न करने के लिए वीएलएसआई

डिजाइन तथा संबंधित साफ्टवेयर के क्षेत्र में विशेष जनसाधन विकास कार्यक्रम शुरू किया है। यह कार्यक्रम 5 वर्षों की अवधि के लिए कुल 49.98 करोड़ रुपये के परिव्यय सहित 7 रिसोर्स सेंट्रों (आरसीज) और 25 पार्टिसिपेटिंग इन्सटिट्यूशन (पीआईज) में शुरू किया गया है। परियोजना के प्रमुख घटक हैं :

- सभी आरसी(ज) तथा पीआई(ज) में समकालीन इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन आटोमेशन(ईडीए) टूल्स से सुसज्जित वीएलएसआई डिजाइन प्रयोगशाला स्थापित करना।
- आरसी(ज) में वीएलएसआई डिजाइन रिसोर्स वेबसाइट तथा मिरर साइट्स का सृजन।
- आरसी(ज) तथा पीआई(ज) के छात्रों द्वारा तैयार की गई डिजाइन के सिलिकोनाइजेशन के लिए इंडिया चिप प्रोजेक्ट।
- वीएलएसआई डिजाइन तथा संबंधी साफ्टवेयर पर विभिन्न पाठ्यक्रमों का शिक्षण शुरू करना जो पी.एच.डी, एम.टेक तथा बी. टेक की डिग्रियां करा सकेंगे।

30.27 वर्ष 2007-08 के दौरान इस कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न स्तरों (बी.टेक/एम.टेक एवं पीएच.डी)के लगभग 3000 छात्रों को प्रशिक्षित किया गया।

उन्नत संगणन विकास केन्द्र (सी-डैक)

30.28 शुरू की जा रही कुछ महत्वपूर्ण कार्यकलाप निम्नानुसार है :

- उच्च निष्पादन कम्प्यूटिंग (एचपीसी) :** 'अनुमान' - रियल टाइम वैदर फॉरकारस्टिंग तंत्र विकसित किया गया है।
- ग्रिड कम्प्यूटिंग :** गरुड़ (राष्ट्रीय ग्रिड कम्प्यूटिंग पहल) के कॉनसेप्ट फेज के प्रूप को जारी रखते हुए इस वर्ष के दौरान निम्नलिखित उपलब्धियां प्राप्त की गई :

- डिबग्गर और गाइड साधनों का विकास।
- सभी 45 जगहों पर मिडलवेयर लगाना।
- सुलभ पोर्टल विकसित किया गया।
- सामानांतर फाइल व्यवस्था पीएफएस 1.0 शुरू की गई।
- ग्रिड मानिट्रिंग साधन और जीयूआई पूरी किए गए।
- उन्नत एसआरबी के माध्यम से आपदा वसूली व्यवस्था कार्यान्वित की गई।

30.29 सी-डैक ने बहुभाषी कम्प्यूटिंग के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाई है तथा शैक्षिक और अन्य अनुसंधान प्रयोगशालाओं के साथ भागीदारी में अपने अनुसंधान एवं डिलीवरी पहल को सुदृढ़ बनाया है। प्रमुख भारतीय भाषाओं में मशीनी अनुवाद, ओसीआर/ओएचआर, क्रॉस लिंगुअल इन्फार्मेशन रिट्रिवल (सीएलआईआर), भारतीय भाषा ब्राउजर, स्पीच अंतरापृष्ठांक (टेक्सट टु स्पीच, स्पीच टु टेक्सट तथा स्पीच टु स्पीच) तथा स्पीच इंजन सहित नई तथा उभरती प्रौद्योगिकीय साधनों और क्षमताओं की पूरी श्रंखला विकसित की गई है।

साइबर सुरक्षा तथा साइबर फोरेंसिक

30.30 सी-डैक ने अनुसंधान एवं विकास में व्यापक अनुभव के साथ साइबर सुरक्षा को प्राथमिकता क्षेत्र के रूप में चुना है तथा सरकारी अवसंरचना की सुरक्षा के लिए बहु-स्तरीय सुरक्षा समाधान उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया है। इस दिशा में पहले विकसित किए गए समाधान साइबर फोरेंसिक साधन, अडैप्टिव इन्टुजन डिटेक्शन सिस्टम, एण्ड सिस्टम सुरक्षा समाधान, दस्तावेज सुरक्षा समाधान, स्टेगनोग्राफिक टूल्स इत्यादि हैं।

समीर

30.31 समीर माइक्रोवेव तथा संबद्ध डिसीप्लेन के उच्च प्रौद्योगिकीय क्षेत्र में कार्यरत प्रमुख अनुसंधान और विकास संस्थान है।

30.32 6 एमवी मेडिकल लिनियर एक्सिलेरेटर मशीन सिद्धार्थ-2 अडयर कैंसर संस्थान, चेन्नई में चालू की गई है। एकीकृत आनकॉलोजी व्यवस्था के भाग के रूप में उपर्युक्त अस्पताल में 'सिद्धार्थ' के अतिरिक्त श्री डी ट्रीटमेंट प्लानिंग सिस्टम - आशा भी चालू किया गया है। इस मशीन के प्रचालन के लिए टाइप अनुमोदन पहले ही प्राप्त किया जा चुका है। इसने आने वाले समय में और अधिक स्वदेशी यूनितों के विस्तार का रास्ता तैयार किया है।

30.33 समीर ने वायुमंडलीय सीमा लेयर विंड की प्रोफाइलिंग और विक्षोभ के लिए बहु आवृत्ति फेसड अर्रे सोडार सिस्टम विकसित किया है। यह हाइट कवरेज में सुधार के लिए 80 हर्टज की आवृत्ति वृद्धि सहित 1880 हर्टज से 2500 हर्टज तक की दस आवृत्तियां संप्रेषित करता है। यह प्रणाली लाक्षणिक रूप से 20 एम के विभेदन सहित 800 मीटर तक विंड प्रोफाइल प्रदान करती है। यह अधिकारिक 30 मीटर/सैकेण्ड तक की विंड स्पीड को माप सकती है। समीर ने एनपीसी, कैगा और वीएसएससी तिरुवनंतपुरम में उनके कार्यकलापों के लिए विंड मानिटरिंग हेतु सोडार स्थापित करके चालू किया है।

राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एनआईसी)

30.34 वर्ष 2007-08 के दौरान लक्षित अनेक परियोजनाओं में से अधिकांश पूरी हो चुकी हैं। किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्यकलाप हैं : (i) संधारणीय जिला योजना के लिए विभिन्न स्थानीय डेटा उपलब्ध कराने हेतु जीआईएस सर्वर प्रौद्योगिकी का विकास तथा स्थापना करना, (ii) सभी उच्च न्यायालयों तथा न्यायपीठों में सूचना किऑस्क उपलब्ध कराना, तथा (iii) ई-शिक्षण (कम्प्यूटर सहायता प्राप्त डिजीटल मैपिंग परियोजना) के लिए एनआईसीएनईटी पर दिल्ली केन्द्र से राज्यों एवं जिलों में ई-शिक्षण सेवाएं शुरू करना।

भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) तथा रिमोट सेंसिंग सेवाएं :

30.35 राष्ट्रीय जीआईसी सर्वे ऑफ इंडिया से प्राप्त आंकड़ों तथा उपग्रह से प्राप्त सूचना एवं उनकी अद्यतन जानकारी जैसे कि परिवहन, नेटवर्क, वाटर बॉडी वेटलैंड्स, भूविज्ञान, भू-आकृति विज्ञान आदि सहित 1: 50,000 के स्केल में बढ़ाया गया है। एसओआई सहित कुछ जिलों के लिए गांव स्तरीय सीमाओं को प्रामाणिक ठहराया गया। डिजीटल स्पेशियल डेटा को गाँव की स्थिति एवं सीमाओं की निकटता ग्राम पंचायत सीमाओं, स्थान आधारित अवसंरचना जैसे कि स्कूल, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए और समृद्ध किया गया है। उच्च रिज्योल्यूशन मैपिंग के मामले में 5 मीटर ग्रामीण कवरेज एनआरएसए के साथ किया गया है तथा जिला मुख्यालय/कस्बा स्थलों को क्विक बर्ड डेटा (60सेंटीमीटर से 2 मीटर) स्थलों के डेटा का प्रयोग करके सही वियोजन उपग्रह जनित उत्पादों से मापा जाता है।

उपभोगिता मैपिंग

30.36 छह शहरों - अहमदाबाद, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता तथा मुंबई के लिए कम्प्यूटर सहायता प्राप्त डिजीटल मैपिंग परियोजना के अंतर्गत आवश्यक स्थानिक डेटा अवसंरचना उपलब्ध है। बेंगलोर को छोड़कर सभी शहरों में संबंधित एनआईसी तथा उपयोगिता ऐजेंसी कार्मिकों को आवश्यक प्रशिक्षण दिया जा चुका है। यह प्रणाली कोलकाता में प्रचालनरत है तथा आवश्यक उपयोगिता डेटा संकलन की प्रक्रिया प्रगति में है। मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई और अहमदाबाद का बेस मैप संकलन प्रगति पर है।

एसटीक्यूसी

30.37 दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर, हैदराबाद और चेन्नई में स्थापित आईटी केन्द्र आईटी सुरक्षा, साफ्टवेयर परीक्षण, साफ्टवेयर गुणवत्ता आश्वासन

प्रशिक्षण एवं आईटी सेवा प्रबंधन (प्रशिक्षण एवं प्रमाणन) के क्षेत्र में सेवा उपलब्ध करा रहे हैं।

30.38 कोलकाता में नवीनतम अवसंरचना तथा सुविधाओं सहित सूचना सुरक्षा उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित किया गया है। साफ्टवेयर परीक्षण, भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी उत्पादों के प्रशिक्षण तथा गुणवत्ता मुल्यांकन हेतु दिल्ली एवं बंगलुरु में दो केन्द्र स्थापित किए गए हैं।

30.39 गुणवत्ता तथा सुरक्षा पहलुओं के लिए कंपनी कार्य मंत्रालय की एमसीए 21 परियोजना (ई-शासन-एमसीए 21 परियोजना) का परीक्षण और लेखा परीक्षा पूरा किया गया है।

हार्डवेयर नीति

30.40 विभाग ने उद्योग एसोशिएशनों के परामर्श से “ इलेक्ट्रॉनिक्स/आईटी हार्डवेयर विनिर्माणन उद्योग के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए कन्सेपच्युअल पॉलिसी फ्रेमवर्क” नामक दस्तावेज तैयार किया है यह टैरिफ नीति, हार्डवेयर विनिर्माणन क्लस्टर पार्क्स, अनुसंधान एवं विकास में सहायता देने वाले, भारत में निर्मित वस्तुओं की मार्केटिंग, भारतीय इंडियन ऑपरेशन स्थापित करने के लिए वृहद इलेक्ट्रॉनिक में मैनुफैक्चरिंग सर्विस कंपनियों को आमंत्रित करने से भी कंडक्टर इंडस्ट्री आदि के विकास संबंधी मुद्दों का निपटान करता है। राष्ट्रीय विनिर्माणन प्रतिस्पर्धी परिषद (एनएमसीसी) सहित विभिन्न पणधारियों (स्टेक होल्डर्स) के साथ दस्तावेज पर विचार-विमर्श किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स/ आईटी हार्डवेयर के विकास के लिए डीआईटी ने प्रोत्साहन पैकेज का प्रस्ताव किया है इस उभरते क्षेत्रक के लिए विशेष रूप से दायित्वों एवं नॉन टैरिफ बाधाओं संबंधी नियमों और विनियमों के विन्यास अभिक्रिया हेतु समन्वित प्रयास किया जा रहा है।

एफएबी नीति

30.41 सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने भारत में सभी कंडक्टर फ़ैब्रिकेशन तथा अन्य नैनो और माइक्रो

प्रौद्योगिकी विनिर्माण उद्योग स्थापित करने के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज संबंधी दिनांक 17 मार्च, 2007 की अधिसूचना जारी की है। यथा अधिसूचित विशेष प्रोत्साहन पैकेज का सार नीचे दिया गया है।

30.42 सभी सेमी कंडक्टर और पारिस्थिकी इकाईयों के विनिर्माण के लिए निवेश किया जाएगा जैसे की डिस्पलेज जिसमें लिक्विड क्रिस्टल डिस्पलेज (एलसीडी), आर्गेनिक लाइट इमीटिंग डायोड (ओएलडी), प्लाज्मा डिस्पले पैनल (पीडीपी), अन्य उभरती हुई डिस्पलेज, स्टोरेज यंत्र, सौर सेल, फोटोवोल्टेक्स, अन्य उन्नत सुक्ष्म लघु प्रौद्योगिकी उत्पाद, उपर्युक्त सभी उत्पादों की असैम्बली और उनका परीक्षण।

30.43 अपर सचिव, डीआईटी की अध्यक्षता में मूल्यांकन समिति निवेशकों के अभिरूचि पत्रों को प्राप्त करेगी एवं अपनी सिफारिशें सरकार को प्रस्तुत करेगी। सरकार इन सिफारिशों पर विचार करके अनुमादेन देगी।

डीओईएसीसी

30.44 डीओईएसीसी द्वारा कई दीर्घाविधि पाठ्यक्रम जैसे एमई, एम.टेक तथा इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, विनिर्माण प्रौद्योगिकी तथा उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम में लघुवधि पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

वार्षिक योजना 2008-09

समीर

30.45 समीर के तीन केन्द्रों में निम्नलिखित प्रमुख परियोजनाएं जारी हैं :

- कंटेनर स्कैनिंग के लिए एक्स रे सोर्स
- हाई पावर आरएफ ड्रायर
- कम्प्यूटेशनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लैब

- संचार प्रणालियों के लिए डिजीटल सिग्नल प्रोसेसिंग तकनीकियां
- फ्रीकवेन्सी ट्राइप्लर का डिजाइन एवं विकास
- इमेज रिजेक्शन मिक्सर का बैंड का विकास

नैनो प्रौद्योगिकी

30.46 नई अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं अर्थात् कार्बन तथा संबंधित सामग्री के एलाइड नैनोट्यूब्स का संश्लेषण तथा उनकी इलेक्ट्रान इमिशन विशेषताओं का अध्ययन कमरे के तापमान पर (आरटी) पर नैनोस्केल मोस्फेट(ज) तथा लिक्विड नाइट्रोजन तापमान (एलएनटी) पर प्रतिष्ठित मोस्फेट(ज) की मोडलिंग एवं अनुरूपण, स्पिन ऑन तकनीकियों द्वारा एसआई पर नैनो आकार की एसआईसी आधारित क्वांटम संरचना, प्रकाश एवं ऊर्जा (सौर ऊर्जा का प्रयोग करके) उपयोग के लिए क्यू-अर्द्धचालक-ग्लास-नैनो यौगिक, रसायनिक एवं जैविक स्पीशीज की उपस्थिति का अनुभव करने के लिए नैनो स्ट्रक्चर्ड पोरस सिलिकॉन का रमन एवं फोटोल्यूमिसेन्स अन्वेषण, नैनो उपकरणों का चरित्र-चित्रण एवं अनुरूपण स्पिनट्रॉनिक्स तथा क्वांटम इनफार्मेटिक्स आदि के लिए ऑक्साइड आधारित फंक्शनल थीन फिल्म नैनो संरचना शुरू की जाएगी।

वीएलएसआई डिजाइन और संबंधित सॉफ्टवेयर चरण II (एसएमडीपी - II) में विशेष जनसाधन विकास कार्यक्रम

30.47 वर्ष 2008-09 के दौरान निम्नलिखित कार्यक्रम शुरु किए जाएंगे :

- भागीदार संस्थानों के फैकल्टी प्रशिक्षण के लिए कार्यक्रम आयोजित करना
- आरसी(ज)/पीआई(ज) में प्रयोगशाला स्थापित करने के कार्य को पूरा करना
- विनिर्दिष्ट विषयों पर शिक्षण सामग्री का विकास

- निजी संस्थान भागीदारी
- केन्द्र तथा राज्य सरकार सहित सरकारी संगठनों के कार्यपालक/अधिकारियों के लिए लघुवधि प्रशिक्षण कार्यक्रम जारी रखना।
- डीओईएसीसी सोसाइटी के माध्यम से प्रमाणन कार्यक्रम शुरू करना
- सरकारी अधिकारियों के लिए बेव आधारित शिक्षण सामग्री/सीडी(ज) आदि का विकास/लांचिंग।
- सम्मेलनों, कार्यशालाओं, संगोष्ठियों आदि के माध्यम से उद्योगों/शैक्षणिक संस्थानों और जनसाधन के लिए जागरूकता कार्यक्रम
- चुनिन्दा संस्थानों में व्याख्यान देने के लिए अन्य देशों तथा भारत में विश्वविद्यालयों/ उद्योगों/ सरकारी संगठनों के विशेषज्ञों को आमंत्रित करना
- इस क्षेत्र में कार्यरत प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ द्विपक्षीय सहयोग।

प्रौद्योगिकी विकास परिषद

30.48 कुछ प्रमुख कार्यक्रमलाप जिनकी योजना बनाई गई है, इस प्रकार हैं :

- **आई-ग्रिड** : ग्यारहवीं योजना के दौरान राष्ट्रीय ग्रिड कम्प्यूटिंग पहल करके पूरा करने का प्रस्ताव है। इस चरण में, 100 एमबीपीएस से 10 जीबीपीएस राष्ट्रीय बैंकबोन तक हर समय, हर जगह संचारण करने वाली कनेक्टिविटी, परिकलन, स्टोरेज तथा अन्य संसाधनों के एकीकरण, राष्ट्रीय महत्व वाले अनुप्रयोगों की आप्रेशनल तैनाती तथा सहयोगी समस्या का समाधान करने वाले फ्रेमवर्क्स के डिजाइन और तैनाती का प्रस्ताव है जिससे भागीदार अनुसंधान संगठन सामान्य उद्देश्य के लिए कार्य कर सकें।

- **परसेप्शन इंजीनियरिंग कार्यक्रम :** परसेप्शन इंजीनियरिंग अनुसंधान का उभरता हुआ क्षेत्र है जिसमें प्रौद्योगिकी विकास मानव परसेप्शन पर आधारित मोडल्स तथा एलगोरिथ्म द्वारा उत्प्रेरित किया जाता है। इंजीनियरिंग सिस्टमस के विकास के लिए विभिन्न साइको-एकोस्टिकल, साइको-फिजियोलोजिकल, ब्यूरो-फिजियोलोजिकल प्रेक्षण प्रयोग किए जा सकते हैं जो मानवीय आवश्यकताओं को अत्यधिक सक्षम तरीके से पूरा कर सकते हैं। यह प्रौद्योगिकी स्वाभाविक रूप से अन्तः अनुशासनिक होगी जिसमें इंजीनियरिंग वैज्ञानिकों, मनोवैज्ञानिकों, न्यूरो जैव वैज्ञानिकों और चिकित्सा पेशेवरों की भागीदारी आवश्यकता होगी। विभिन्न क्षेत्रों विचारों के क्रॉस-फर्टिलाइजेशन का परिणाम आधारभूत सफलता हो सकती है परसेप्शन इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उत्कृष्टता केन्द्रों सहित अनुसंधान परियोजनाएं शुरू करने का प्रस्ताव है।

अभिसरण संचार एवं ब्राडबैंड प्रौद्योगिकियाँ :

30.49 नियोजित कुछ प्रमुख कार्यकलाप इस प्रकार हैं :

- डिजिटल ब्रॉडकास्ट एक्सेसिंग उपकरण
- नेकस्ट जेनरेशन संचार
- ग्रामीण शहरी जनता के लिए वहनीय कनेक्टिविटी
- सेना/कार्यनीतिक अनुप्रयोगों आदि के लिए उन्नत रोबोटिक्स

30.50 उपर्युक्त क्षेत्रों में विकास से नवीन प्रौद्योगिकियों में स्वदेशी एवं प्रतिस्पर्धी योग्यता उत्पन्न करने, पेटेंट सृजन करने, घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय बाजारों के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों की उत्पादकता का समर्थन करने और लागत प्रभावी विस्तार करने में उत्कृष्टता प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।

सी-डैक

30.51 कार्यकलाप के प्रमुख क्षेत्र इस प्रकार होंगे :

- उच्च निष्पादन कम्प्यूटिंग जिसमें नेकस्ट जेनरेशन परम 10 टीएफ सुविधा तथा वैज्ञानिक एवं इंजीनियरिंग अनुप्रयोगों का विकास जिसके लिए कुछ पेटाफ्लोप्स में कम्प्यूटिंग पावर की अधिकता की जरूरत होगी शामिल है।
- ग्रीड कम्प्यूटिंग
- बहु-भाषी कम्प्यूटिंग
- वीएलएसआई, एम्बेडिड सिस्टम तथा रियल टाइम सिस्टम सहित व्यावसायिक इलेक्ट्रॉनिक्स
- साफ्टवेयर प्रौद्योगिकियां
- साइबर सुरक्षा
- स्वास्थ्य सूचना केन्द्र
- सर्वव्यापी कम्प्यूटिंग तथा
- अवसंरचना विकास

भारतीय भाषाओं के लिए प्रौद्योगिकी विकास

30.52 कार्यकलाप के प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित है :

क) भाषण प्रौद्योगिकी :

- हिन्दी, बंगाली तथा असमी भाषा के लिए अंतरराष्ट्रीय फोनेटिक वर्णमाला (आईपीए) का विकास कार्य
- नेपाली भाषा के लिए एनोटेटिड व टेक्स्ट टु स्पीच
- हिन्दी और तेलगू के लिए फोनेटिक इंजन संबंधी अनुसंधान कार्य
- स्वचालित स्पीच प्रोसेसिंग के साथ स्पीच टु स्पीच अनुवाद व्यवस्था

- ख) संस्कृत कम्प्यूटिंग
- ग) भाषा प्रौद्योगिकी टूल्स
- घ) राष्ट्रीय स्थायीकरण अनुसंधान केन्द्र (एनएलआरसी)

मीडिया लैब एशिया

30.53 कुछ कार्यकलाप जिनकी योजना इस प्रकार है :

- आईएसपी : ग्राम स्तर किओस्क के नेटवर्क के माध्यम से किसानों को मूल्य संवर्धित सेवाएं मुहैया कराने के लिए एकीकृत कृषि सेवा कार्यक्रम (आईएसपी)
- कैंड सेवाएं
- असमर्थ व्यक्तियों का सशक्तिकरण
- ग्रामीण टेलीमेडिसिन
- व्यावसायिक शिक्षा सहित शिक्षा
- इंटरनेट/मोबाइल आधारित प्लेटफार्म

मीडिया लैब एशिया का पुनर्रचना की जा रही है।

मानकीकरण, परीक्षण एवं गुणवत्ता प्रमाणन (एसटीक्यूसी)

30.54 एसटीक्यूसी इलेक्ट्रॉनिक्स तथा आईटी के क्षेत्र में उद्योग को परीक्षण कॅलिब्रेशन, प्रशिक्षण तथा प्रमाणन सेवाएं उपलब्ध कराता है। ये सेवाएं 6 आईटी सेवा केन्द्रों, 14 परीक्षण एवं कॅलिब्रेशन प्रयोगशालाओं, 5 सीईटीई(ज) के राष्ट्रव्यापी नेटवर्क, 4 क्षेत्रीय प्रमाणन केन्द्रों, जयपुर स्थिति भारतीय गुणवत्ता प्रबंधन संस्थान तथा रिलायबिलिटी केन्द्र (सीएफआई) चेन्नई के माध्यम से मुहैया कराई जाती है।

30.55 एसटीक्यूसी परीक्षण तथा कॅलिब्रेशन के अतिरिक्त बहुत सी सेवाएं मुहैया करा रहा है। इन

सेवाओं में शामिल हैं - क्यूएमएस, ईएमएस, सुरक्षा एवं ईएमसी के लिए प्रमाणन, गुणवत्ता आश्वासन, विश्वसनीयता, विनिर्माण प्रौद्योगिकी, औद्योगिकी ऑटोमेशन, परीक्षण इंजीनियरिंग तथा माप-पद्धति के क्षेत्रों में परीक्षण, एसटीक्यूसी निदेशालय ने विभाग की नीतियों और कार्यक्रमों के अनुरूप आईटी संबंधी सेवाएं भी शुरू की है। इनमें सेवाओं में शामिल हैं :

- सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (आईएसएमएस) प्रमाणन तथा प्रशिक्षण के साथ-साथ आईटी सुरक्षा उत्पाद परीक्षण
- आईटी नेटवर्क तथा सिस्टमों का भेदन (पेनिस्ट्रेशन) परीक्षण तथा सुभेद्यता विश्लेषण
- साफ्टवेयर परीक्षण मूल्यांकन तथा प्रमाणन के साथ-साथ साफ्टवेयर परीक्षण इंजीनियरिंग में प्रमाणित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम
- आईटी सेवा प्रबंधन का प्रमाणन
- ई-गवर्नेंस उत्पादों एवं सेवाओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन तथा अनुरूपता मूल्यांकन सहायता

ई-गवर्नेंस

राज्य डेटा केन्द्र (एसडीसीज)

30.56 राज्यों से प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों की जांच करके मंजूरी दी जाएगी। उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2008-09 के दौरान लगभग 20 राज्य डेटा केन्द्र स्थापित किए जाएंगे।

कॉमन सेवा केन्द्र

30.57 लगभग 800 सीएससी(ज) के लिए सीएससी प्रस्तावों के कार्यान्वयन के लिए कार्रवाई की जाएगी

ई-जिला

30.58 ई-जिला राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के तहत राज्य मिशन मोड परियोजना है। परियोजना का लक्ष्य एनईजीपी के तहत किसी भी एमएमपी द्वारा

कवर न की गई कुछ उच्च वोल्यूम सेवाएं तथा बैकएंड कम्प्यूटरीकरण शुरू करना है जिससे कॉमन सेवा केन्द्रों के माध्यम से इन सेवाओं की डिलीवरी हो सके। ई-जिला की कार्यान्वयन कार्यनीति में एनईजीपी जैसे स्वान(ज) और एसडीसी(ज) के अंतर्गत वर्तमान में सृजित की जा रही अवसंरचना का उपयुक्त ध्यान रखा जाएगा। इन कार्यक्रमों की योजना निम्नानुसार है :

- दो राज्यों अर्थात् बिहार और तमिलनाडु में ई-जिला मिशन मोड परियोजना के लिए वित्तीय अनुमोदन प्राप्त करना।
- असम और उत्तर प्रदेश में ई-जिला का पायलेट कार्यान्वयन पूरा करना।
- अन्य चयनित प्रायोगिक राज्यों में ई-जिला का कार्यान्वयन।

क्षमता निर्माण

30.59 स्कीम को कार्यान्वयन के लिए सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में शुरू किया जाएगा।

साइबर सुरक्षा

30.60 आवश्यकता के अनुरूप, प्रमुख कार्यकलाप जिनकी योजना बनाई गई है, निम्नलिखित हैं :

- i) डेटा सुरक्षा तथा गोपनीयता संरक्षण के लिए विश्वस्त आश्वासन संरचना
- ii) साइबर सुरक्षा अनुरूपता निर्धारण अवसंरचना (उत्पाद, व्यक्ति और प्रक्रिया) सुरक्षा उत्पाद परीक्षण संबंधी कॉमन मापदण्ड परियोजना।
- iii) आर्टिफैक्ट विश्लेषण और मैलवेयर विश्लेषण
- iv) रियल टाइम मानिट्रिंग, मैलवेयर ट्रैकिंग तथा अन्तःरावरोधन योग्यताओं के साधनों और तकनीकों का विकास

जनसाधन विकास

30.61 प्रमुख योजनाबद्ध कार्यक्रमों का निम्नलिखित है :-

- सूचना सुरक्षा शिक्षा तथा जागरूकता परियोजना
- कोहिमा, नागालैंड में क्षेत्रीय ई-शिक्षण तथा सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करना
- डीओईएसीसी केन्द्र में आईडीईएस/बीपीओ स्पेस में रोजगार के लिए कौशल वृद्धि
- श्रीनगर/जम्मू
- इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी एवं बिनिर्माण सहित ज्ञान आधारित उद्योग की एचआर आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्षमता निर्माण के क्षेत्र में नई एचआरडी परियोजनाएं
- नैनो प्रौद्योगिकी, विद्युत एवं संचार, कम्प्यूटर विज्ञान, बायो प्रौद्योगिकी, अवसंरचना, ऊर्जा और विनिर्माण के क्षेत्र में जनसाधन विकास के लिए प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू करने का भी प्रस्ताव है। वर्ष 2008-09 की कार्यसूची में प्रौद्योगिकी इन्क्यूबेशन केन्द्र स्थापित करने तथा उद्यमी विकास के लिए हार्डवेयर अवसंरचना सुविधा मुहैया कराने के अतिरिक्त, आईटीआई में नए पाठ्यक्रमों का एकीकरण तथा महिला बहु-तकनीकी को सहायता और फिनिशिंग स्कूलों की अवधारणा का विस्तार करना भी शामिल है।

एनआईसी

30.62 वर्ष 2008-09 के दौरान 32 परियोजनाएं शुरू करने/जारी रखने का प्रस्ताव है। कुछ प्रमुख परियोजनाएं निम्नलिखित हैं :

- केन्द्र तथा राज्य सरकारों को एनआईसीएनआईटी सूचना सेवाएं
- पूर्वोत्तर राज्यों के लिए सूचना विकास कार्यक्रम
- भौगोलिक सूचना व्यवस्था का विकास

- एनआईसीएनईटी के अतिरिक्त साफ्टवेयर विकास तथा अवसरचना

सूचना एवं प्रसारण

30.63 सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के व्यापक रूप से तीन उप-क्षेत्रक हैं जैसे सूचना, फिल्म तथा प्रसार भारती के दो विंग जैसे ऑल इंडिया रेडियो तथा दूरदर्शन। प्रौद्योगिकियों का नवीनतम अनुप्रयोग मुद्रण, फिल्म अथवा वीडियो मीडिया में सूचना उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न आपरेटरों की कड़ी प्रतिस्पर्धा में चरमोत्कर्ष पर पहुँच गया है। यह विभिन्न मीडिया यूनिटों तथा सरकार के लिए चुनौती है कि वे जनसंख्या के आर्थिक रूप से अल्प विकसित वर्ग के स्वस्थ विकास के सुविधाजनक बनाने के साथ-साथ निम्नतम लागत पर सूचना तथा लाभप्रद मनोरंजन मुहैया कराएं। यह क्षेत्रक अधिक सेवाएं प्रदान करके जनता का सशक्तिकरण करता है ताकि वे अपनी पसंद निर्धारित करके विभिन्न मीडिया यूनिटों के माध्यम से उन्हें भेजी गई आवाज तथा तस्वीरों का चुनाव कर सकें।

वार्षिक योजना 2007-08 की समीक्षा

30.64 वार्षिक योजना 2007-08 में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के लिए कुल 475.00 करोड़ रुपये आबंटित किए गए जिसमें सूचना के लिए 42.55 करोड़, फिल्म के लिए 42.00 करोड़ रुपये, ऑल इंडिया रेडियो के लिए 78.95 करोड़ रुपये तथा दूरदर्शन के लिए 306.64 करोड़ रुपये का क्षेत्रकीय वितरण शामिल था। वार्षिक योजना 2007-08 के संशोधित अनुमान के चरण पर, संशोधित वार्षिक योजना आबंटन 400.00 करोड़ रुपये था। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का वर्ष 2007-08 के लिए वार्षिक योजना परिव्यय एवं जीबीएस तथा वर्ष 2008-09 के लिए वार्षिक योजना परिव्यय अनुलग्नक 30.3 में दर्शाया गया है। उपक्षेत्रक वार वास्तविक निष्पादन निम्नानुसार है :

- **फिल्म क्षेत्रक:** प्रमाणन प्रक्रिया के कम्प्यूटरीकरण, फिल्म डिवीजन में पुरानी

फिल्मों के डिजीटलीकरण, चरण - IV सूचना भवन के निर्माण तथा नवम्बर-दिसम्बर 2007 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोंत्सव 2007 के आयोजन के लिए सीबीएफसी क्षेत्रीय कार्यालयों का नेटवर्क स्थापित किया गया है।

- **सूचना क्षेत्रक :** अधिक विशिष्टता प्राप्त कार्य दूरस्थ क्षेत्र में गीत तथा ड्रामा प्रभाग की नृत्य नाटिका, कठपुतली खेल आदि का सीधा प्रसारण, डीएवीपी की सरकारी कार्यक्रमों तथा नीतियों का प्रचार, ईएएमएमसी की विज्ञापन तथा केबल टीवी नियमन कोड के उल्लंघन के लिए सभी विदेशी टीवी और रेडियो चैनलों की मानिट्रिंग।
- **प्रसारण क्षेत्रक :** प्रसार भारती अपनी दो सार्वजनिक सेवा प्रसारण यूनिटों जैसे ऑल इंडिया रेडियो तथा दूरदर्शन सहित मनोरंजन कार्यक्रमों को फोकस में रखे हुए हैं जबकि इसने अपनी सार्वजनिक अनिवार्य सेवाएं जैसे संस्कृति, शिक्षा सामाजिक सेवाओं और आर्थिक मुद्दों आदि पर विषय वस्तु के संवर्धन को अलग रखा हुआ है।

वार्षिक योजना 2008-09

30.65 सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के लिए वार्षिक योजना 2008-09 के लिए आबंटन 700.00 करोड़ रुपये हैं। प्रमुख योजनाबद्ध स्कीमें इस प्रकार हैं :

30.66 पीआईबी के अंतर्गत सार्वजनिक सूचना अभियान कार्यक्रम सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रमों के प्रचार संबंधी कार्यकलापों को नया आयाम देते हैं, जिनका लक्ष्य गरीबी स्तर से नीचे और पिछड़े, दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए सरकार के विकास कार्यक्रमों को उनकी पहुँच में लाभ तथा ग्रामीण आवास, ग्रामीण सड़क सम्पर्कता, पेयजल, स्वास्थ्य, विद्युतीकरण, टेलीफोन सम्पर्कता, रोजगार, शिक्षा सुविधाएं, एकीकृत बाल विकास स्कीम, महिला सशक्तिकरण आदि के विकास संबंधी

स्वास्थ्यकर जागरूकता उत्पन्न करना। डीएवीपी के विकास संबंधी प्रचार कार्यक्रमों को इसके प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रमों का समर्थन करने की आवश्यकता महसूस की गई।

30.67 पूरे विश्व ने एनालॉग सिस्टम की विदाई के लिए समयबद्ध कार्यक्रम बनाया है जो सार्वजनिक सेवा प्रसारण कर्ता स्टूडियो(ज) के डिजीटलीकरण तथा इसकी प्रसारण यूनितों आल इंडिया रेडियो तथा दूरदर्शन के लिए ट्रांसमीटरों को हासिल करने के लिए आगे आए हैं।

30.68 दूसरा उच्च प्राथमिकता वाला क्षेत्र है राष्ट्रमंडल खेल - राष्ट्रमंडल युवा खेल 2008 पुणे में तथा मुख्य राष्ट्रमंडल खेल 2010 दिल्ली में प्रसार भारती ने होस्ट ब्रॉडकास्टर के रूप में इस वर्ष पर्याप्त निधियों की मांग की है।

30.69 योजना आयोग ने ऑल इंडिया रेडियो तथा दूरदर्शन के लिए समान कार्यकलापों की विस्तृत स्कीम बनाने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को आश्वस्त किया है तथा उसे अंब्रेला स्कीम के तहत सक्षम प्राधिकरण से अनुमोदित करा लिया है जिससे कि बिना किसी रूकावट के इन स्कीमों को सहज निधि जारी की जा सके।

30.70 वर्ष 2007-08 के दौरान विभिन्न विभागों की स्कीमों की समीक्षा की गई है और शुन्य आधारित बजटीय प्रयोग किया गया है जिससे कई स्कीमों को मिला दिया गया है।

आउटकम बजट 2008-09 के प्रमुख पहलू

30.71 सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के सभी उपक्षेत्रों के लिए वर्ष 2008-09 के लिए आउटकम बजट तैयार किया गया था। यह स्पष्ट कर दिया गया कि प्रत्येक स्कीम के लिए आबंटित निधियों से चलाए गए वास्तविक कार्यकलापों का इच्छित परिणाम क्या होगा।

30.72 फिल्म क्षेत्रक के पास, अपने फिल्म प्रभाग, राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार, केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन

बोर्ड, एसआरएफटीआई, कोलकाता, एफटीआईआई, पूणे, फिल्म फेस्टिवल निदेशालय, चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी सहित विभिन्न स्कीमें हैं जिनका लक्ष्य वेब कास्टिंग, आधुनिकीकरण, अधिग्रहण, फिल्मों का प्रसार, सामुदायिक रेडियो, एनिमेशन तथा गेमिंग, फिल्म संस्कृति, बाल फिल्म और फिल्म फेस्टिवलों में विदेशी भागीदारी को बढ़ावा देना है। वार्षिक योजना 2008-09 के दौरान इन कार्यकलापों को कवर करने के लिए 67.00 करोड़ रुपये की राशि मुहैया कराई गई है।

30.73 सूचना क्षेत्रक को पीआईबी की अपनी नौ यूनितों - प्रकाशन प्रभाग, डीएवीपी, आईआईएमसी, फोटो प्रभाग, डीएफपी, गीत एवं ड्रामा प्रभाग, आरआर एवं टीडी तथा आरएनआई सहित 50.00 करोड़ रुपये मुहैया कराये गए हैं। इस क्षेत्रक की स्कीमों का लक्ष्य आधुनिक प्रैस केन्द्र का निर्माण करना, राष्ट्रीय मुद्दों के लिए जागरूकता उत्पन्न करना, सूचना प्रसार, सरकारी नीतियों तथा स्कीमों का प्रचार करना, जनसाधन को प्रशिक्षित करना तथा ढाँचे का आधुनिकीकरण करना है।

30.74 वर्ष 2008-09 के लिए ऑल इंडिया रेडिया का परिव्यय 195.00 करोड़ रुपये था। इसकी जारी स्कीमों, जम्मू एवं कश्मीर विशेष पैकेज सहित विस्तार स्कीमों का लक्ष्य एम डब्ल्यू तथा एफएम रेडियो कवरेज बढ़ाना, देहात में रेडियो को लोकप्रिय बनाना है। उन्नयन तथा आधुनिकीकरण का लक्ष्य न केवल उच्चतर कवरेज, ट्रांसमिशन तथा विषय वस्तु की गुणवत्ता ही है बल्कि बेहतर डिलीवरी भी है। पूर्वोत्तर पैकेज, नई प्रौद्योगिकी, इंटरनेट तथा डिजीटल प्रसारण की इसकी नई स्कीमों का लक्ष्य पूर्वोत्तर में रेडियो कवरेज को बढ़ावा देना, नई प्रौद्योगिकी शुरू करना, इंटरनेट, डिजीटल प्रसारण को लोकप्रिय बनाना तथा विषयवस्तु में सुधार करना है।

30.75 दूरदर्शन का परिव्यय 280.00 करोड़ रुपये था। इसकी आधुनिकीकरण और प्रतिस्थापन स्कीमों का लक्ष्य तकनीकी गुणवत्ता, सिग्नल गुणवत्ता बढ़ाना, बाह्य प्रसारण सुविधाओं को बढ़ाना, अप

लिकिंग सुविधाएं मुहैया कराना, डिजीटल रिसेप्शन, ट्रांसमिशन का ऑटोमेशन तथा पुराने एलपीटी(ज) का प्रतिस्थापन, कार्यक्रमों की गुणवत्ता एवं विषय वस्तु में सुधार। दूरदर्शन की नई स्कीमें जिनमें शामिल हैं : पूर्वोत्तर पैकेज, इसके स्टूडियो(ज) का पूर्ण डिजीटलीकरण करना, उत्पादन केन्द्र तथा 2017 तक सदृश (एनालॉग) को बन्द करने के लक्ष्य सहित ट्रांसमिशन चैन। इसका लक्ष्य चार बड़े शहरों को हाई डेफिनिशन टीवी कवरेज के अंतर्गत लाना है जिससे कि वर्ष 2010 तक राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान एचडी टीवी कार्यक्रम घरेलू दर्शकों के लिए उपलब्ध कराये जा सकें। इस वर्ष पुणे में युवा राष्ट्रखेलों के लक्षित कार्यक्रमों तथा दिल्ली में 2010 राष्ट्रमंडल खेलों के मुख्य कार्यक्रमों के कवरेज के लिए वार्षिक योजना में 99.00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। युवा राष्ट्रमंडल खेल, पुणे तथा राष्ट्रमंडल खेल, दिल्ली दोनों के कवरेज हेतु प्रसार भारती के लिए 463.00 करोड़ रुपये की योजना अनुमोदित की गई है।

डाक

30.76 पूरे विश्व में डाकघर की भूमिका में परिवर्तन हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मेल तथा नई प्रौद्योगिकिया पारम्परिक डाक कार्यकलापों के काम को पूरा करती है। हर जगह डाकघर नए क्षेत्र तलाश रहा है, भारतीय डाक कोई अपवाद नहीं है, यह सार्वजनिक उपयोगी सेवाएं तथा नई वित्तीय सेवाएं, जो देश की सामाजिक आवश्यकताओं के लिए प्रासंगिक हैं, उपलब्ध कराकर अपनी रिटेलिंग मजबूती के प्रति आशावाद होने का भी प्रयास करता है। साथ ही यह प्रौद्योगिकी के अधिष्ठापन तथा नए उत्पाद एवं सेवाएं शुरू करके पारंपरिक सेवाओं का उन्नयन कर रहा है जिससे यह निजी कोरियर उद्योग की बढ़ती प्रतिस्पर्धा तथा संचार प्रौद्योगिकी में निरंतर प्रगति के सामने अधिक तेज, अधिक विश्वसनीय तथा अधिक प्रयोक्ता अनुकूल सेवा उपलब्ध कराने की चुनौतियों से निपट सकें।

30.77 भारतीय डाक कवर किए गए क्षेत्र एवं जनसंख्या के लिहाज से विश्व में सबसे बड़ा

नेटवर्क है जिसमें पूरे देश में शहरी तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में 1.55 लाख से अधिक डाकघर है। जहां तक एक ओर यह लोगों को व्यक्तिगत सेवाएं मुहैया कराता है, वहीं दूसरी ओर के अर्थव्यवस्था के विकास के लिए महत्वपूर्ण निजी क्षेत्रक को भी सेवा मुहैया कराता है। यह ग्राहक के द्वार पर दैनिक मेल डिलीवरी, डाक टिकट की बिक्री, पत्र पेटी से पत्रों का संग्रह आदि सुनिश्चित करता है। बुनियादी सेवाओं के अतिरिक्त, चुनिन्दा डाकघरों द्वारा बैंकिंग तथा बीमा सेवाओं सहित विभिन्न सेवाएं जैसे-रिटेल डाक, ई-डाक, बिल मेल सेवाएं, पासपोर्ट आवेदन पत्रों की बिक्री तथा स्पीड पोस्ट आर्टिकल्स की डिलीवरी आदि भी मुहैया कराई जा रही है। इस विभाग ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (एनआरईजीएस) तथा बचत बैंक खातों के माध्यम से वृद्धावस्था पेंशन अदायगी जैसी सामाजिक सुरक्षा सेवाएं/स्कीमें मुहैया कराने के लिए कुछ राज्य सरकारों से अनुबंध किया है।

30.78 ग्राहक को लागत प्रभावी तथा व्यवहार्य सेवाएं मुहैया कराने की चुनौती भी सतत चिंता का विषय बना हुआ है। वर्ष 2006-07 के दौरान 6571-96 करोड़ रुपये के शुद्ध कार्य संचालन व्यय के मुकाबले कुल डाक राजस्व 5322.44 करोड़ रुपये था जो 1249.52 करोड़ रुपये का अंतर दर्शाता है। डाक राजस्व में बढ़ोत्तरी 5.95% तक हुई जबकि पिछले वर्ष के बजटीय घाटे में 3.28% की थोड़ी बढ़ोत्तरी हुई थी।

30.79 आंतरिक तथा बाह्य अवसरों एवं चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए ग्यारहवीं योजना में सर्वांगीण विकास तथा विभाग की रिपोजिशनिंग पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। मुख्य रूप से प्रौद्योगिकी के अधिष्ठापन पर बल देते हुए विभाग का लक्ष्य ग्यारहवीं योजना में सभी डाकघरों का कम्प्यूटरीकरण करना तथा उनका नेटवर्क बनाना है।

वार्षिक योजना 2007-08 की समीक्षा

30.80 वर्ष 2007-08 के लिए संशोधित अनुमान चरण पर विभाग के लिए 285.00 करोड़ रुपये का

परिव्यय अनुमोदित किया गया तथा मार्च, 2008 तक वास्तविक व्यय 136.77 करोड़ रुपये दर्ज किया गया। डाक विभाग का वर्ष 2007-08 के लिए वार्षिक योजना परिव्यय एवं जीबीएस तथा वर्ष 2008-09 के लिए वार्षिक योजना परिव्यय अनुलग्नक 30.4 में दर्शाया गया है। शुरु की जाने वाले कुछ प्रमुख कार्य निम्नानुसार है :

- वर्ष 2007-08 के दौरान विभाग द्वारा डाकघरों का कम्प्यूटरीकरण तथा नेटवर्किंग का कार्यान्वयन महत्वपूर्ण स्कीम रहा है। 31.3.2008 तक कुल 9639 डाकघरों (816 मुख्य डाकघर तथा 8823 उप डाकघर) में कम्प्यूटरों तथा पेरिफेरल्स की आपूर्ति की गई है तथा लगभग 1318 डाकघरों को नेटवर्क से जोड़ा गया है।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र में पहले केवल एक ही पोस्टल सर्कल था। क्षेत्र के कार्यनीतिक महत्व को समझते हुए एवं विकास संबंधी कार्यकलापों पर संकेन्द्रित ध्यान को सुनिश्चित करने के लिए पूर्व में विद्यमान सर्कल को दो पोस्टल सर्कलों में बांटा गया जैसे असम सर्कल जिसका मुख्यालय गुवाहाटी में है तथा उत्तर पूर्वी सर्कल जो छह राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड तथा त्रिपुरा एवं कुल भाग सिक्किम का कवर करता है तथा जिसका मुख्यालय शिलांग में है।
- पूर्वोत्तर में मेल डिलीवरी तथा ट्रांसमिशन सेवाओं में सुधार लाने के लिए डाक विभाग ने पूर्वोत्तर क्षेत्र से मेल, पार्सल तथा लोजिस्टिक्स को इधर से उधर लाने ले जाने के लिए समर्पित फ्राईटर एयरक्राफ्ट शुरु किया है।
- वर्ष 2006 में डाक विभाग ने नया मेल पैराडिगम शुरु किया था जो पारंपरिक मेल प्रबंधन से बिल्कुल अलग था। मेल तथा डिलीवरी का समेकन/एकत्रीकरण तथा मेल बिजनेस केन्द्र (एमबीसीज) स्थापित करना नए पैराडिगम के महत्वपूर्ण घटक है। एमबीसी(ज) को भारत

डाक की फ्रंटलाईन बिजनेस विंग के रूप में देखा गया है जो ग्राहकों की विभिन्न मेलिंग आवश्यकताओं के लिए वन-स्टॉप सोल्यूशन प्रस्तुत करती है। एमबीसी(ज) एकीकृत मेल बिजनेस केन्द्र के रूप में विकसित किया जा रहा है जो मेल के संग्रह, प्रोसेसिंग तथा डिलीवरी का कार्य करते हैं। 30.11.2007 तक पूरे देश में 126 एमबीसी(ज) स्थापित किए जा चुके हैं।

- कारपोरेट ग्राहकों की मेलिंग आवश्यकताओं पर ध्यान देने के लिए विद्यमान पिन कोड प्रणाली को पुनः डिजाइन किया गया है। कारपोरेट ग्राहकों को अन्यन्य ग्राहक पिन कोड मुहैया कराये जा रहे हैं। एमबीसी(ज) द्वारा ऐसी मेल पत्र पाने वाले व्यक्ति के द्वार पर अलग से प्रोसेस करके भेजी जाएगी।
- उचित कीमत पर ग्राहकों को डिलीवरी की सूचना उपलब्ध कराने के लिए डिलीवरी की ई-सूचना (ई-आयोड) को वेब आधारित मूल्य समर्थित सेवा के रूप में शुरु किया गया है जो प्रेषक को ई-मेल के माध्यम से सामान की डिलीवरी की इलेक्ट्रॉनिक सूचना उपलब्ध कराता है।
- 1318 कार्यालयों के वाइड एरिया नेटवर्क (वान) को स्थापित करने के लिए एक परियोजना शुरु की गई है। परियोजना के चरण - I के अंतर्गत नेटवर्किंग उपकरणों की आपूर्ति की गई है तथा ये 544 जगहों पर स्थापित किए गए हैं और 31 दिसम्बर, 2007 के अंत तक प्रथम चरण में 333 जगहों के लिए लीज्ड लाइन नेटवर्क शुरु किया गया है तथा अब सभी जगहों से राष्ट्रीय डेटा केन्द्र (एनडीसी) में होस्टिंग आवेदन एक्सेस किए जा सकते हैं। वर्तमान में इस नेटवर्क के माध्यम से आईएमओ, ई-डाक, सीसीसी तथा भारत डाक वेबसाइट एक्सेस की जा रही है। शेष डाकघरों की नेटवर्किंग मार्च, 2008 के अंत तक पूरी की जानी अपेक्षित है।

- डाक विभाग ने रेलवे मंत्रालय के परामर्श से डाकघरों के माध्यम से रेलवे आरक्षण टिकटें बुक करने का निर्णय लिया है। प्रारंभिक अवस्था में, इसे पूरे देश में तीस चिह्नित जगहों में शुरू किया जाएगा।
- भारतीय स्टेट बैंक ने भी भारत डाक के विशाल नेटवर्क के माध्यम से अपनी सकल संपत्तियों, लायबिलिटी तथा निवेश स्कीमों/उत्पादों की सोर्सिंग के लिए भारत डाक से टाईअप किया है। प्रायोगिक परियोजना को पांच राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु में कार्यान्वित किया गया है।
- डाक विभाग ने आन्ध्र प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में बचत बैंक खातों के माध्यम से मजदूरी की अदायगी द्वारा भारत सरकार की राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (एमआरईजीएस) को क्रियान्वित करने में पहल की है। 30 नवंबर, 2007 तक इस स्कीम के अंतर्गत लगभग 7.45 मिलियन डाकघर बचत खाते खोले गए हैं।
- सचिव (डाक) की अध्यक्षता में एक छह सदस्यी प्रतिनिधि मंडल अप्रैल-मई 2007 के दौरान यूपीयू मुख्यालय बर्नी में सार्वजनिक डाक यूनियन के वार्षिक डाक आपरेशन परिषद सत्र (पीओसी), 2007 में सम्मिलित हुआ।

वार्षिक योजना 2008-09

30.81 वार्षिक योजना 2008-09 के दौरान डाक विभाग को 600.00 करोड़ रुपये का परिव्यय आबंटित किया गया है। वार्षिक योजना 2008-09 के लिए प्रमुख महत्वपूर्ण क्षेत्र/कार्य निम्नानुसार है :

- **डाक नेटवर्क की सुलभता :** इस वर्ष डाक नेटवर्क के चालू यौक्तिकीकरण एवं समेकन का कार्य जारी रहेगा। लगभग 500 (जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र शामिल है) ग्रामीण शाखा डाकघर, 375 उप डाकघर एवं 2375 फ्रैंचाइजी

आउटलेट्स खोलने का प्रस्ताव किया गया है। डाक नेटवर्क के पुनर्गठन के अतिरिक्त, 112 शाखा डाकघरों तथा 50 उप-डाकघरों के अन्यत्र स्थापित करने के प्रयास किए जाएंगे। अतिरिक्त विभागीय डाकघरों को सुविधाएं उपलब्ध कराने में सुधार के लिए 2500 ईडीबीओ(ज) को उन्नत अवसंरचना उपकरण मुहैया कराये जाएंगे तथा लगभग 7000 स्तंभ पत्र पेटी स्थापित की जाएंगी। संसाधनों की बेहतर उपयोगिता के लिए आयोजना की प्रभाविता में सुधार करने के लिए इस वर्ष अध्ययन किया जाएगा।

- **मेल आपरेशन :** प्रमुख शहर में प्रिंटिंग, पैकेजिंग, मेलिंग तथा डिलीवरी के संपूर्ण समाधान हेतु मेल मार्केट मांग को पूरा करने के लिए प्रिंट मेल सिस्टम स्थापित किया जाएगा। मेल बिजनेस केन्द्रों को आधुनिकीकरण काउंटर उपकरणों, नवीन मशीनों, अवसंरचना तथा सुरक्षा व्यवस्था से सुसज्जित करके उच्च वाल्यूम बिजनेस मेल के कलैक्शन, प्रोसेसिंग तथा डिलीवरी सुलभ बनाने के लिए 50 मेल बिजनेस केन्द्र स्थापित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त डिलीवरी क्षमता में सुधार करने के लिए पुनः डिजाइन किए गए पिन कोड के लिए पूरे देश में प्रचार किया जाएगा।
- **एयरक्राफ्ट की वेट लीजिंग :** पूर्वोत्तर तथा देश के अन्य प्रमुख शहरों में एयर द्वारा मेल ले जाने की समस्या के समाधान के लिए वेट लीजिंग आधार पर तीन फ्रेटर एयरक्राफ्ट प्राप्त किए जाएंगे।
- **मेल डिलीवरी मैकेनाइजेशन :** 21 विनिमय कार्यालयों तथा एसएफपीओ(ज) का उन्नयन किया जाएगा जिससे मेल तथा गुणवत्ता ट्रांसमिशन एवं अंतर्राष्ट्रीय मेल की डिलीवरी की तीव्र प्रोसेसिंग गति सुनिश्चित की जा सके।
- **वित्तीय सेवाएँ :** वर्ष के दौरान 100 डाक वित्तीय मार्ट खोले जाने का प्रस्ताव है जिससे कि एंबियंस में सुधार हो सके जिसमें सभी

डाक वित्तीय सेवाएं एक छत के नीचे प्राप्त होती हैं। इंस्टैंट मनीआर्डर सेवा सुविधा का विस्तार 3000 डाकघरों तक किया जाएगा। बीमा बिजनेस आन लाइन आपरेशन शुरू करेगा। डाकघर बचत बैंक (पीआएसवी) के लिए हर समय हर जगह बैंकिंग के कार्यान्वयन हेतु 50 मुख्य कार्यालयों के लिए साफ्टवेयर विकास की योजना बनाई है।

- **टिकट संग्रहण** : मार्केट आवश्यकताओं की सुलभता तथा टिकट संग्रहण की रूचि बढ़ाने तथा राजस्व उत्पादन के लिए सहायक/प्रेरक परिस्थितियां उत्पन्न करने के लिए 15 टिकट संग्रहण प्रदर्शनियां आयोजित किए जाने की योजना बनाई गई है प्रचार विपणन पीडीए धारकों सहित ग्राहकों के साथ बातचीत करने, नेटवर्क सिस्टम में प्रौद्योगिकी प्रबंधन के कार्य के संचालन के लिए टिकट संग्रहण आपरेशनों का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- **संपदा प्रबंधन** : भवन निर्माण के क्षेत्र में 20 नए डाकघर भवन एवं 40 चालू परियोजनाएं, 8 प्रशासनिक कार्यालय भवन, 1 नया एवं 10 चालू स्टाफ क्वार्टर्स बनाए जाएंगे। विभाग की एक प्लॉट खरीदने की योजना है तथा विरासत भवनों का संरक्षण किया जाएगा।
- **प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा आधुनिकीकरण** : प्रौद्योगिकी उन्नयन एवं आधुनिकीकरण के क्षेत्र में 800 डाकघरों को कम्प्यूटरीकृत करने की योजना है। सेवा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए 400 पीओ(ज) में करेंसी काउंटिंग मशीन (सीसीएम) तथा 100 पीओ(ज) में रिमोटली मनेज्ड फ्रैंकिंग मशीन (आरएमएफएम) मुहैया करायी जाएगी। 160 प्रशासनिक कार्यालयों तथा 22 डाक लेखा कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण किया जाएगा, चार ऑटोमेटिड मेल प्रोसेसिंग केन्द्र (एएमपीसीज) स्थापित किए जाएंगे तथा वर्क्स और कस्टमर्स के लिए उपकरणों/फर्नीचर की बेहतर आपरेशनल सुविधाएं मुहैया कराने के लिए 40 स्पीड पोस्ट

कंसेंट्रेशन केन्द्रों (एसीपीसीसी) को आधुनिकीकृत किया जाएगा जिससे बेहतर कार्य वातावरण पैदा किया जा सके तथा ग्राहक सेवा में सुधार हो सके। इस वर्ष के दौरान एक क्षेत्रीय डेटा केन्द्र स्थापित किया जाएगा।

- **सामग्री प्रबंधन** : वर्ष के दौरान 22 डाक टिकट डिपों को आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित किया जाएगा तथा नई प्रौद्योगिकी के तहत 20000 स्टांप्स एवं सीलों को अपग्रेड किया जाएगा।
- **मानव संसाधन** : प्रशिक्षण आधुनिकीकरण तथा सेवा प्रदाताओं के सकारात्मक दृष्टिकोण का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इस वर्ष के दौरान 150000 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को विशेषज्ञता के विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया जाएगा।
- **विपणन, अनुसंधान एवं उत्पाद विकास** : विपणन तथा अनुसंधान एवं विकास केन्द्रों को स्थापित करने के लिए प्रबंधन एवं प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की संभाव्यता का पता लगाने के लिए अध्ययन किया जाएगा। वर्ष के दौरान प्रमुख शहरों में दो स्पीड पोस्ट हब तथा नई जगहों पर 25 स्पीड पोस्ट केन्द्र स्थापित किए जाएंगे।
- **लोजिस्टिक पार्सलों के लिए अवसंरचना** : पार्सल को आगे बढ़ाने तथा समयबद्ध तरीके से देशभर में पार्सलों के संचालन के लिए पैकेजिंग तथा वायर हाउसिंग सुविधा मुहैया कराने के लिए 2 नवीन एक्सप्रेस पार्सल हब तथा 12 लोजिस्टिक डाक केन्द्र स्थापित किए जाएंगे। कार्गो काम्पलेक्स स्थापित करने के लिए अध्ययन किया जाएगा जिससे कि अंतरराष्ट्रीय एक्सप्रेस कार्गो व्यापार करने के लिए अंतरराष्ट्रीय लोजिस्टिक आपरेशनों का कार्य किया जा सके।
- **एनआरईजीएस के लिए सहायता** : डाकघर बचत बैंक के माध्यम से नरेगा के तहत मजदूरी

का भुगतान करने के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। एनआरईजीएस के लिए 10,000 उपकरण खरीदने का प्रावधान किया गया है, एनआरईजीएस कार्यकलापों के लिए 50,000 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा।

- **पूर्वोत्तर के लिए उप-योजना :** 500 नए शाखा डाकघर खोले जाएंगे। वाहन मुहैया कराये

जाएंगे। 100 डाक मार्ट स्थापित किए जाएंगे। डाकघर भवनों तथा स्टाफ क्वार्टर्स का निर्माण किया जाएगा। बहुउद्देशीय काउंटर मशीन के माध्यम से एकल विंडो सुविधा तथा ग्राहकों के लिए प्रतीक्षा समय कम करने के लिए नेटवर्क बैंकिंग सुविधा मुहैया करायी जाएगी। अधिकारियों तथा कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

संलग्नक 30.1

योजना परियोजना 2008-09 का विवरण
दूर संचार विभाग
(संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय)

क्र. सं.	ईकाई/डीओटी परियोजनाएं	वार्षिक योजना 2007-08 (बजट अनुमान)			पूर्वोत्तर के लिए निर्धारित परियोजना 2007-08 (बजट अनुमान)			वार्षिक योजना 2007-08 (सं. अ.)			पूर्वोत्तर के लिए निर्धारित परियोजना 2007-08 (सं. अ.)			वार्षिक योजना 2008-09 (बजट अनुमान)			पूर्वोत्तर के लिए निर्धारित परियोजना 2008-09 (बजट अनुमान)
		जीबीएस	आईबीआर	कुल (कॉलम 334)	जीबीएस	आईबीआर	कुल (कॉलम 334)	जीबीएस	आईबीआर	कुल (कॉलम 738)	जीबीएस	आईबीआर	कुल (कॉलम 11312)	जीबीएस	आईबीआर	कुल (कॉलम 11312)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	बीएसएनएल	0.00	22881.00	22881.00		0.00	14065.00	14065.00		0.00	18591.00	18591.00					
2	एमटीएनएल	0.00	2309.00	2309.00		0.00	2042.00	2042.00		0.00	2430.97	2430.97					
3	आईटीआई	1.00	0.00	1.00		1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00					
4	डब्ल्यूएमओ	15.00	0.00	15.00	2.00	6.38	0.00	6.38	0.63	15.00	0.00	15.00	2.10				
5	डब्ल्यूपीसी	11.40	0.00	11.40	1.00	16.92	0.00	16.92	1.60	4.00	0.00	4.00	0.40				
6	ट्राई	3.00	0.00	3.00		8.00	0.00	8.00		10.00	0.00	10.00					
7	टीडीएसएटी	1.25	0.00	1.25		1.25	0.00	1.25		1.00	0.00	1.00					
8	टीईसी	20.25	0.00	20.25	2.00	0.45	0.00	0.45	0.02	10.00	0.00	10.00	1.00				
9	(i) सी-डॉट	129.10	31.97	161.07	13.00	99.00	31.97	130.97	10.00	153.00	37.63	190.63	16.00				
	# (ii) टीईटीसी	6.00	0.00	6.00		4.00	0.00	4.00		5.00	0.00	5.00					
10	यूएमए एंड एन	1.00	0.00	1.00		1.00	0.00	1.00		5.00	0.00	5.00					
11	* टीडीआईपी	2.00	0.00	2.00		4.00	0.00	4.00		2.00	0.00	2.00					
12	डीएस	150.00	0.00	150.00	16.00	108.00	0.00	108.00	12.75	170.00	0.00	170.00	18.00				
	कुल	340.00	25221.97	25561.97	34.00	250.00	16138.97	16388.97	25.00	375.00	21059.60	21434.60	37.50				

टिप्पणी :

1. (क) यूएमए एंड एन - मुख्यद्वीप एवं अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के बीच समुद्र के नीचे केबल लगाना
(ख) # टीईटीसी - दूरसंचार परीक्षण एवं सुरक्षा प्रमाणन केंद्र की स्थापना। इसे सी-डॉट का हिस्सा बनाया गया है।
(ग) * टीडीआईपी - प्रौद्योगिकी विकास एवं निवेश प्रोत्साहन। इसका पहले “ दूरसंचार क्षेत्रक में तकनीकी सहायता (टीएटी)” के रूप में उल्लेख किया जाता था।
(घ) डीएस - रक्षा सेवाओं के लिए ओ एफ सी आधारित नेटवर्क
2. कोई भी केंद्र प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) नहीं है। सभी स्कीमें/परियोजनाएं केंद्रीय क्षेत्रकों की हैं।

संलग्नक 30.2

बजट अनुमान 2008-09 का विवरण मंत्रालय/विभाग : सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	स्कीम/कार्यक्रम	वार्षिक योजना 2007-08 (ब. अ.)		पूर्वोत्तर के लिए निर्धारित परिस्यय 2007-08 (ब. अ.)	वार्षिक योजना 2007-08 (सं. अ.)		पूर्वोत्तर के लिए निर्धारित परिस्यय 2007-08 (सं.अ.)	वार्षिक योजना 2008-09 (ब. अ.)		पूर्वोत्तर के लिए निर्धारित परिस्यय 2008-09 (बजट अनुमान)		
		योजना परिस्यय	जीबीएस आईबीआर		योजना परिस्यय	कुल		योजना परिस्यय	कुल			
1	केंद्रीय क्षेत्रक स्कीमें	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1. आर एंड डी कार्यक्रम											
1	एसएमईआईआर	22.00	14.00		25.00	14.00	39.00		24.00	15.00	39.00	
2	माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक एवं नैनोटेक विकास	29.00			29.00		29.00		35.00		35.00	
3	प्रौद्योगिकी विकास परिषद	32.00	2.50	3.00	35.00	2.50	37.50	1.00	32.00	1.50	33.50	3.00
4	अभिसरण, संचार एवं कार्यनीति इलेक्ट्रॉनिक	22.00		2.00	25.00		25.00	2.00	22.00		22.00	2.00
5	घटक एवं सामग्री विकास कार्यक्रम	10.00			15.00		15.00		10.00	5.60	15.60	
6	सी-डैक	75.00	175.00	5.00	75.00	175.00	250.00	5.00	91.00	145.00	236.00	9.00
7	स्वास्थ्य एवं टेलीमोडिलसीन में इलेक्ट्रॉनिक	18.00			18.00		18.00		13.33		13.33	1.00
8	भारतीय भाषाओं के लिए प्रौद्योगिकी विकास	11.00		2.00	10.00		10.00	1.00	8.89		8.89	1.00

क्र. सं.	स्कीम/कार्यक्रम	वार्षिक योजना 2007-08 (ब. अ.)			वार्षिक योजना 2007-08 (सं. अ.)			पूर्वोत्तर के लिए निर्धारित परियोजना 2007-08 (सं. अ.)			वार्षिक योजना 2008-09 (ब. अ.)			पूर्वोत्तर के लिए निर्धारित परियोजना 2008-09 (बजट अनुमान)		
		जीबीएस	आईबीआर	कुल	जीबीएस	आईबीआर	कुल	जीबीएस	आईबीआर	कुल	जीबीएस	आईबीआर	कुल	जीबीएस	आईबीआर	कुल
1	जन साधारण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (जेंडर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति)	9.00		9.00			17.00		17.00			8.00		8.00		2.00
9	मीडिया लैब एशिया आर एंड डी उप-जोड़	10.00		10.00			0.00		0.00			1.00		1.00		1.00
10	एसटीएस	238.00	191.50	429.50			249.00	191.50	440.50			245.22	187.10	432.32		19.00
	II. अवसंरचना विकास															
11	एसटीएस	50.00		50.00			50.00		50.00			42.00		42.00		5.00
12	एसटीपीआई एवं ईएचटीपी	0.50	2.70	3.20			2.00	2.70	4.70			0.00		0.00		0.00
13	डिजिटल डीएनए पार्क	0.10		0.10			0.10		0.10			0.00		0.00		0.00
14	इलेक्ट्रॉनिक गर्वनेन्स	800.00		800.00			677.35		677.35			800.00		800.00		81.00
15	साइबर सुरक्षा (सूचना प्रौद्योगिकी में सीईआरटी सहित)	33.00		33.00			31.00		31.00			33.00		33.00		4.00
16	ईआएनईटी	0.10		0.10			0.10		0.10			0.09	25.00	25.09		
17	इलेक्ट्रॉनिक/आईटी हाइवेयर विनिर्माण को बढ़ावा देना	1.00		1.00			1.00		1.00			0.80		0.80		0.80

क्र. सं.	स्कीम/कार्यक्रम	वार्षिक योजना 2007-08 (ब. अ.)			पूर्वोत्तर के लिए निर्धारित परियोजना 2007-08 (ब. अ.)	वार्षिक योजना 2007-08 (सं. अ.)			पूर्वोत्तर के लिए निर्धारित परियोजना 2007-08 (सं. अ.)	वार्षिक योजना 2008-09 (ब. अ.)			पूर्वोत्तर के लिए निर्धारित परियोजना 2008-09 (बजट अनुमान)
		जीबीएस	योजना परियोजना	कुल		जीबीएस	योजना परियोजना	कुल		जीबीएस	योजना परियोजना	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	अवसरचना उप-जोड़	884.70	2.70	887.40	90.00	761.55	2.70	764.25	68.85	875.89	25.00	900.89	90.00
	III. मानव संसाधन विकास												
18	डीओईएसीसी	0.50	54.59	55.09		0.50	54.59	55.09		0.44	60.04	60.48	
19	जनसाधन विकास	43.00		43.00	10.00	50.15		50.15	17.15	-45.00		45.00	10.00
20	एकीकृत टाउनशिप की स्थापना सुगम को बनाना।	1.00		1.00		1.00		1.00		0.11		0.11	
	एचआरडी उप-जोड़	44.50	54.59	99.09	10.00	51.65	54.59	106.24	17.15	45.55	60.04	105.59	10.00
	IV. अन्य												
21	मुख्यालय (सचिवालय एवं भवन)	12.80		12.80		12.80		12.80		13.34		13.34	
22	एनआईसी	320.00		320.00	35.00	325.00		325.00	35.00	400.00		400.00	40.00
23	राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क									100.00		100.00	9.00
	कुल जोड़ क	1500.00	248.79	1748.78	150.00	1400.00	248.79	1648.79	140.00	1680.00	272.14	1952.14	168.00

संलग्नक 30.3

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
अनुमोदित वार्षिक योजना (2008-09) मीडिया यूनिटवार स्थिति

क्र. सं.	मीडिया यूनिट का नाम	वार्षिक योजना 2007-08 (ब. अ.)		पूर्वोत्तर के लिए निर्धारित परियोजना 2007-08 (ब. अ.)	वार्षिक योजना 2007-08 (सं. अ.)		पूर्वोत्तर के लिए निर्धारित परियोजना 2007-08 (सं.अ.)	वार्षिक योजना 2008-09 (ब. अ.)		पूर्वोत्तर के लिए निर्धारित परियोजना 2008-09 (बजट अनुमान)			
		जीबीएस	कुल		जीबीएस	कुल		जीबीएस	कुल				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
क	केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीम												
1	सूचना क्षेत्रक												
	पीआईबी	10.13	0.00	10.13		9.43	0.00	9.43	0.01	15.00	0.00	15.00	
2	प्रकाशन विभाग	0.05	0.00	0.05		0.88	0.00	0.88		0.49	0.00	0.49	
3	डीएवीपी	26.01	0.00	26.01		18.41	0.00	18.41	2.60	21.76	0.00	21.76	
4	आईआईएमसी	0.10	0.00	0.10		0.01	0.00	0.01		1.00	0.00	1.00	
5	फोटो प्रभाग	0.02	0.00	0.02		0.55	0.00	0.55		0.55	0.00	0.55	
6	डीएफपी	0.12	0.00	0.12		0.44	0.00	0.44		2.00	0.00	2.00	
7	गीत एवं नाटक प्रभाग	4.00	0.00	4.00		4.00	0.00	4.00	0.40	4.00	0.00	4.00	0.40
8	आरआर एंड टीडी	0.02	0.00	0.02		0.19	0.00	0.19		1.00	0.00	1.00	
9	आरएनआई	0.02	0.00	0.02		0.06	0.00	0.06		0.20	0.00	0.20	
	मुख्य सचिवालय सूचना विंग स्कीमें												
10	सूचना भवन का निर्माण (फेज IV)	1.00	0.00	1.00		0.95	0.00	0.95		0.00	0.00	0.00	
11	सूचना भवन का निर्माण (फेज V)	1.00	0.00	1.00		1.00	0.00	1.00		3.53	0.00	3.53	
12	विकास पहलों की आर्थिक विश्लेषण	0.08	0.00	0.08		0.08	0.00	0.08		0.28	0.00	0.28	

क्र. सं.	मीडिया यूनिट का नाम	वार्षिक योजना 2007-08 (ब. अ.)				वार्षिक योजना 2007-08 (सं. अ.)				वार्षिक योजना 2008-09 (ब. अ.)				पूर्वोत्तर के लिए निर्धारित परियोजना 2008-09 (बजट अनुमान)
		योजना परियोजना		कुल		योजना परियोजना		कुल		योजना परियोजना		कुल		
क	केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमें	जीबीएस	आईबीआर	कुल	जीबीएस	आईबीआर	कुल	जीबीएस	आईबीआर	कुल	जीबीएस	आईबीआर	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
13	एचआरडी के लिए प्रशिक्षण	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.19	0.00	0.19		
	सूचना क्षेत्रक (I) : कुल :	42.55	0.00	42.55		36.00	0.00	36.00	3.01	50.00	0.00	50.00	0.40	
II	फिल्म क्षेत्रक													
1	फिल्म प्रभाग	9.64	0.00	9.64		6.15	0.00	6.15	0.01	16.00	0.00	16.00		
2	एनएफएआई	1.01	0.00	1.01		1.01	0.00	1.01		3.00	0.00	3.00		
3	डीएफएफ	7.23	0.00	7.23		6.63	0.00	6.63		8.30	0.00	8.30		
4	सीएफएसआई	2.71	0.00	2.71		2.71	0.00	2.71		4.00	0.00	4.00		
5	सीबीएफसी	2.01	0.00	2.01		1.12	0.00	1.12		2.00	0.00	2.00		
6	राष्ट्रीय फिल्म विकास कॉरपोरेशन	3.10	0.00	3.10		0.10	0.00	0.10		14.50	0.00	14.50		
7	एफटीआईआई, पूणे	6.21	0.00	6.21		6.21	0.00	6.21		8.00	0.00	8.00		
8	एसआरएफटीआई, कोलकाता	7.77	0.00	7.77		3.77	0.00	3.77		8.00	0.00	8.00		
	मुख्य सचिवालय (फिल्म विंग स्कीमें)													
9	भारत एवं विदेश में फिल्म मार्केट में भागीदारी	2.20	0.00	2.20		2.20	0.00	2.20		2.20	0.00	2.20		
10	एनीमेशन, गेमिंग एवं विशेष प्रभाव के लिए राष्ट्रीय उत्कर्ष केन्द्र की स्थापना	0.10	0.00	0.10		0.10	0.00	0.10		1.00	0.00	1.00		

क्र. सं.	मीडिया यूनिट का नाम	वार्षिक योजना 2007-08 (ब. अ.)				वार्षिक योजना 2007-08 (सं. अ.)				वार्षिक योजना 2008-09 (ब. अ.)				पूर्वोत्तर के लिए निर्धारित परियोजना 2008-09 (बजट अनुमान)
		योजना परियोजना		कुल		योजना परियोजना		कुल		योजना परियोजना		कुल		
		जीबीएस	आईबीआर	कुल	जीबीएस	आईबीआर	कुल	जीबीएस	आईबीआर	कुल	जीबीएस	आईबीआर	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	फिल्म क्षेत्रक (II) :	41.98	0.00	41.98		30.00	0.00	30.00	0.01	67.00	0.00	67.00		
	कुल :													
IXI	प्रसारण क्षेत्रक													
1	ऑल इंडिया रेडियो	78.95	0.00	78.95	25.00	67.56	0.00	67.56	5.00	195.00	0.00	195.00	39.03	
2	दूरदर्शन	306.64	0.00	306.64	40.00	262.33	0.00	262.33	55.00	280.00	0.00	280.00	28.53	
	कुल : प्रसार भारती	385.59	0.00	385.59	65.00	329.89	0.00	329.89	60.00	475.00	0.00	475.00	67.56	
	मुख्य सचिवालय (प्रसारण क्षेत्रक) स्कीमें													
1	इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनीटर्सिंग केन्द्र (ईएमएमसीआई)	2.90	0.00	2.90		2.90	0.00	2.90		7.50	0.00	7.50		
2	निजी एफएम रेडियो	1.00	0.00	1.00		1.00	0.00	1.00		0.10	0.00	0.10		
4	अंतर्राष्ट्रीय चैनल	0.97	0.00	0.97		0.01	0.00	0.01		1.00	0.00	1.00		
5	सामुदायिक रेडियो के लिए आईसीसी क्रियाकलाप	0.01	0.00	0.01		0.20	0.00	0.20		0.40	0.00	0.40		
	कुल : प्रसारण क्षेत्रक (III)	390.47	0.00	390.47	65.00	334.00	0.00	334.00	60.00	484.00	0.00	484.00	67.56	
IV	कॉमलवेल्थ गेम्स एवं संबंधित कार्यक्रम													
	कुल सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	475.00	0.00	475.00	65.00	400.00	0.00	400.00	63.02	700.00	0.00	700.00	67.96	
	डीबीएस	475.00	0.00	475.00	65.00	400.00	0.00	400.00	63.02	700.00	0.00	700.00	67.56	
	आईबीआर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

संलग्नक 30.4

बजट अनुमान 2008-09 का विवरण
मंत्रालय/विभाग : डाक विभाग

क्र. सं.	स्कीम/कार्यक्रम	वार्षिक योजना 2007-08 (ब. अ.)					पूर्वोत्तर के लिए निर्धारित परियोजना 2007-08 (ब. अ.)	वार्षिक योजना 2007-08 (सं. अ.)			पूर्वोत्तर के लिए निर्धारित परियोजना 2007-08 (सं. अ.)	वार्षिक योजना 2008-09 (ब. अ.)			पूर्वोत्तर के लिए निर्धारित परियोजना 2008-09 (बजट अनुमान)		
		जीबीएस	आईबीआर	ईएपी	कुल	जीबीएस		आईबीआर	ईएपी	कुल		जीबीएस	आईबीआर	ईएपी		कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16
क	केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमें																
1	डाक नेटवर्क तक पहुँच	7.35	0.00	0.00	7.35	2.77	6.36	0.00	0.00	0.00	6.36	2.77	8.00	0.00	0.00	8.00	1.00
2	मेल संचालन	15.90	0.00	1.60	17.50	11.00	37.07	0.00	1.60	0.00	38.67	32.00	70.00	0.00	0.00	70.00	17.00
3	बैकिंग एवं मुद्रा अंतरण प्रचालन	20.50	0.00	0.00	20.50	0.10	8.82	0.00	0.00	0.00	8.82	0.10	15.00	0.00	0.00	15.00	1.00
4	बीमा प्रचालन	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	7.00	0.50
5	फिलाटेली ऑपरेशन	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.50
6	संपदा प्रबंधन	33.00	0.00	0.00	33.00	1.80	38.48	0.00	0.00	0.00	38.48	1.80	14.00	0.00	0.00	14.00	1.00
7	आईटी-इन्फोकेशन-पोस्टल ऑपरेशन	173.10	0.00	0.00	173.10	12.52	139.57	0.00	0.00	0.00	139.57	9.00	360.00	0.00	0.00	360.00	28.00
8	सामग्री प्रबंधन	1.50	0.00	0.00	1.50	0.05	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00
9	मानव संसाधन प्रबंधन	29.70	0.00	0.00	29.70	3.10	26.27	0.00	0.00	0.00	26.27	3.10	15.00	0.00	0.00	15.00	1.00
10	विपणन, अनुसंधान एवं	11.00	0.00	0.00	11.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00	1.59	24.00	0.00	0.00	24.00	2.00

क्र. सं.	स्कीम/कार्यक्रम	वार्षिक योजना 2007-08 (ब. अ.)						पूर्वोत्तर के लिए निर्धारित परियोजना 2007-08 (ब. अ.)			वार्षिक योजना 2007-08 (सं. अ.)				पूर्वोत्तर के लिए निर्धारित परियोजना 2007-08 (सं. अ.)			वार्षिक योजना 2008-09 (ब. अ.)				पूर्वोत्तर के लिए निर्धारित परियोजना 2008-09 (बजट अनुमान)
		जीबीएस	आईबीआर	ईएपी	कुल	जीबीएस	आईबीआर	ईएपी	कुल	जीबीएस	आईबीआर	ईएपी	कुल	जीबीएस	आईबीआर	ईएपी	कुल	जीबीएस	आईबीआर	ईएपी	कुल	
1	उत्पाद विकास	3	4	5	6	7	8	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
11	गुणवत्ता प्रबंधन	7.25	0.00	0.00	7.25	0.00	0.33	0.00	0.33	0.00	0.33	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
12	विशेष क्षेत्रों में डाक सुविधाओं का विकास	3.10	0.00	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	नरेगा के तहत मजदूरी भुगतान हेतु सहायता												80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	8.00
	कुल	313.40	0.00	1.60	315.00	31.34	283.40	0.00	1.60	285.00	50.36	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	60.00					